Table of Contents रिपोर्ट का पहला अध्याय , जसवंत सिंह खालरा : मानवाधिकारों के लिए शहीद, रिपोर्ट का दूसरा अध्याय , हर तरह से दण्डमुक्ति : अधिकार और गतिरोध अध्याय पाँच में व्यक्तिगत और राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में विशिष्ट जानकारी प्रस्तुत की गई है।
अध्याय एक
अध्याय XXV में , सृजन से पहले पालन की जाने वाली एक विस्तृत प्रक्रिया स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई थी।
अध्याय दो
अध्याय तीन
चौथा अध्याय
दंड प्रक्रिया संहिता का तीसरा अध्याय प्रत्येक उच्च न्यायालय के अधीन न्यायालयों के गठन से संबंधित है।
अध्याय पाँच

एसएएफएचआर प्रकाशन
SAFHR पेपर सीरीज़ शांति और मानवाधिकारों के समकालीन मुद्दों पर आधारित है।
दक्षिण एशिया में। ये लंबे निबंधों और दस्तावेजों के रूप में हैं। अब तक इस श्रृंखला के अंतर्गत सात शोधपत्र प्रकाशित हो चुके हैं। वे इस प्रकार हैं:
1. नेपाल में लड़कियों की तस्करी
2. महाकाली एकीकृत विकास संधि – एक मूल्यांकन
समाचार कवरेज
3. दक्षिण एशिया में शरणार्थी – एक रिपोर्ट
4. वे समझौते – दस्तावेजों का एक समूह
5. नागालैंड और चटगांव पहाड़ी क्षेत्रों में शांति प्रक्रिया - शांति लेखापरीक्षा
रिपोर्ट 1
6. दक्षिण एशिया में शरणार्थियों का संरक्षण - कानूनी ढांचे की आवश्यकता
7. कारगिल में दस सप्ताह तक चला युद्ध - समाचार फाइल से
8. श्रीलंका में शांति प्रक्रिया - शांति लेखापरीक्षा रिपोर्ट 2
9. संघर्ष की रिपोर्टिंग - भारतीय जनसंचार माध्यमों की एक मौलिक आलोचना और पाकिस्तानी पत्रकार
10. एक जटिल इनकार: गुमशुदगी, गुप्त दाह संस्कार और यह-
पंजाब में सत्य और न्याय का मुकदमा
11. सैन्यीकृत हिंदू राष्ट्रवाद और जनसंचार माध्यम

12. [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]
13. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
SAFHR [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]:
1. [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] - [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]
2. [illegible] [illegible] [illegible] – [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
3. [illegible] [illegible] - [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
4. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] - [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]
5. [illegible] [illegible]: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] – [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] SAFHR [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 1998 [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]-[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] 12855, [illegible], [illegible]
[illegible]: 977-1-541026 [illegible]: 977-1-527852
[illegible]: south@safhr.org

REDUCED TO ASHES

The Insurgency and Human Rights in Punjab

Final Report: Volume One

Ram Narayan Kumar
with
Amrik Singh, Ashok Agrwaal and Jaskaran Kaur

For Committee for Coordination on Disappearences in Punjab

□□□ □□□ □□□□□□: □□□□□ □□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□

पहली बार मई 2003 में प्रकाशित।
© Ram Narayan Kumar & Amrik Singh
सभी अधिकार सुरक्षित हैं। समीक्षाओं, इस पुस्तक या इसके कुछ भागों में उद्धृत अंशों को छोड़कर।
दोनों लेखकों से लिखित अनुमति के बिना इसे किसी भी रूप में पुनरुत्पादित नहीं किया जाना चाहिए।
लेखकों और प्रकाशक से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए, दक्षिण एशिया मानवाधिकार मंच से संपर्क करें।
जीपीओ बॉक्स 12855, काठमांडू, नेपाल।

कवर डिजाइन द्वारा
मार्लिन टैड्रोस, हेंड्रिक वान डेर माउंटेन और चंद्र खातीवाड़ा लेआउट द्वारा
प्रिंटिंग प्रेस, काठमांडू, नेपाल।
द्वारा मुद्रित
जगदम्बा प्रेस, ललितपुर, नेपाल।

द्वारा प्रकाशित
दक्षिण एशिया मानवाधिकार मंच
जीपीओ बॉक्स 12855
Kathmandu. Nepal
दूरभाष: 977-1-5541026 फैक्स: 977-1-5527852 ईमेल: south@safhr.org
http://www.safhr.org

ISBN 99933-53-57-4

अंतर्वस्तु

अंतर्वस्तु

प्रस्तावना - पीटर रोसेनब्लम द्वारा I प्रस्तावना - तपन बोस द्वितीय द्वारा
एनएचआरसी कालक्रम IX
जसवंत सिंह खालरा: मानवाधिकारों के लिए शहीद 1
भाग एक: सामूहिक अवैध दाह संस्कार के साक्ष्य 3
जसवंत सिंह खालरा का अपहरण 6
भारत के सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप 7
भाग दो: पंजाब का कथात्मक इतिहास और मानवाधिकार प्रेरणाएँ 11 गदर आंदोलन 11
सांप्रदायिक आंदोलन और करतार सिंह 15
पंजाब का विभाजन 19
जसवंत सिंह खालरा के प्रारंभिक वर्ष 21
खालरा की प्रारंभिक राजनीतिक गतिविधियाँ 24
इंदिरा गांधी का आपातकाल: लोकतंत्र के कुछ पहलू 27
असंगत गठबंधन: अकाली और जरनैल सिंह भिंडरावाले 28
इंदिरा गांधी सत्ता को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं 32 ऑपरेशन ब्लू स्टार: सेना का हमला 35
इंदिरा गांधी की हत्या और दिल्ली नरसंहार 41
शांति समझौते का गर्भपात 45
चुनाव की उम्मीदें 48
चुनाव बहिष्कार 50
मानवाधिकार समूहों को चुप कराना 52
जसवंत सिंह खालरा द्वारा प्रारंभिक जांच 53
वरिष्ठ अधिकारियों ने जसवंत सिंह खालरा (55) को धमकी दी कटु सार्वजनिक बहसें 57
मुख्यमंत्री की हत्या 60
भाग तीन: खालरा का अपहरण और सीबीआई की जांच 61
पुलिस अधिकारियों की पहचान 62

राख में तब्दील

गवाहों को पुलिस के दबाव का सामना करना पड़ रहा है 65 सीबीआई ने पुलिस की मनमानी के आगे घुटने टेके 67 न्याय और सत्य के मायावी लक्ष्य 71
हर हाल में दंड से मुक्ति:
अधिकार और कानून की गतिरोध 73
भाग एक: सत्य की खोज 75
चुनाव घोषणापत्र 75
सत्य आयोगों के हालिया उदाहरण 76 आदर्श उदाहरण: अर्जेंटीना और चिली 77
लोकप्रिय सह-एजेंसी
82
भाग दो: आतंकवाद-विरोधी विधायी तंत्र 83
कठोर कानून 83
टीएडीए 84 के प्रावधानों की जांच
तर्क और प्रतिवाद: सर्वोच्च न्यायालय ने टीएडीए 87 को बरकरार रखा मौलिक अधिकारों का राज्य की इच्छा के अधीन होना 98
भाग तीन: पंजाब पुलिस—विकास और पुनर्गठन 100
पंजाब पुलिस की उत्पत्ति 100
क्रूर रूपांतरण: गुप्त अभियानों के आरोप 102
पुलिस सतर्कता दल 104
Gurdev Singh Kaunke 107
हत्याओं के लिए पुलिस कोटा: एसएसपी के साथ साक्षात्कार 107 भाग चार: जन आयोग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग 108
जन आयोग और उस पर प्रतिबंध लगाने की मांग 108
प्रतिबंध के पक्ष और विपक्ष में राजनीतिक और कानूनी तर्क 110 एनएचआरसी की उत्पत्ति 114
कार्यवाही के चार चरण: प्रारंभिक प्रश्न 115
जांच के दायरे पर विवाद 116
प्रारंभिक मुद्दों पर प्रस्तुतियाँ 117
प्रारंभिक मुद्दों पर आदेश 119
आगे की कार्यवाही की पद्धतियों पर हमारे सुझाव 122 दूसरा चरण: केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय में लौटी 123 दुष्चक्र में तर्क 124
जनादेश का विखंडन 125
संदर्भ की शर्तें: नई व्याख्याएँ 126
एनएचआरसी जांच पर सीमाएं 128
जनादेश 129 के बारे में हमारी समझ

अंतर्वस्तु

तीसरा चरण: सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के आधार 131 आगे के साक्ष्यों की रोशनी 131
आध्यात्मिक उदासीनता 132
तीसरा चरण: सुनवाई से नाम वापस लेना 134
मामले को बंद करने के प्रयास 137
चौथा चरण: प्रतिबंधित जनादेश की बहाली 139
रुकी हुई कार्यवाही 144
कार्यप्रणाली 147
साक्षात्कार प्रक्रिया 150
बहिष्करण के लिए एक मामला 151
तथ्य-खोज में सत्यनिष्ठा 152
अंतरिम रिपोर्ट 153
पहला खंड 157
मामले के सारांशों का विश्लेषण 159
सीबीआई की अवैध दाह संस्कारों की तीन सूचियाँ 161 पुलिस शक्तियां 170
टीएडीए का उपयोग और अपराध की धारणा 187
हिरासत में यातना 182
भारतीय सशस्त्र बल 191
पीड़ितों की संपत्ति 197
निचली न्यायपालिका और उसकी भूमिका 199 चिकित्सा नोट 202
अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश
सीबीआई की सूचियों में शामिल 205
पहचाने गए शवों की सूची 207
तारन तारन पुलिस जिले में दाह संस्कार 207 अमृतसर पुलिस जिले में दाह संस्कार की संख्या 368 मजीथा पुलिस जिले में दाह संस्कार 398
आंशिक रूप से पहचाने गए शवों की सूची 485
तारन तारन पुलिस जिले में दाह संस्कार 485 अमृतसर पुलिस जिले में दाह संस्कार की संख्या 512 मजीथा पुलिस जिले में दाह संस्कार 520
अज्ञात शवों की सूची 535

राख में तब्दील

अंत में टिप्पणी: विचार और अनुशंसाएँ 601
परिशिष्ट
i: सामूहिक अवैध दाह संस्कार पर प्रेस नोट 605 II: घटना रिपोर्ट प्रपत्र 609 III: पंजाब और भारत के मानचित्र 613 IV: पंजाब पुलिस की संगठनात्मक संरचना 615
पुलिस रैंकों के संक्षिप्त रूप 616
V: 12 दिसंबर, 1996 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मामले को संदर्भित करने का आदेश
एनएचआरसी को अवैध दाह संस्कार 617
VI: एनएचआरसी की कार्यवाही, 18 अगस्त 2000 621 VII: शब्दावली 623
सीबीआई द्वारा पुलिस के समक्ष अवैध दाह संस्कारों की सूची के नमूना पृष्ठ (625)
VIII: आभारोक्ति 635

प्रस्तावना

पंजाब में गुमशुदा लोगों पर यह रिपोर्ट, कुछ बेहद समर्पित विद्वानों के एक छोटे समूह द्वारा किए जा रहे एक विशाल और निरंतर प्रयास की पहली प्रकाशित रचना है।
कार्यकर्ता। मैं दो साल से अधिक समय से उनके काम का अनुसरण कर रहा हूँ। पहले तो मुझे आश्चर्य हुआ...
वे पिछली दशक की प्रतीततः सुलझी हुई घटनाओं की ओर क्यों लौट रहे थे?
नए और गंभीर संघर्षों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डाल दिया।
भारत और उससे परे। मुझे उनकी घनी बाधाओं को भेदने की क्षमता पर भी संदेह था।
विचारधारा, षड्यंत्र और "राज्य सुरक्षा" के पर्दे हमारी समझ को धुंधला कर देते हैं।
पंजाब में शांति स्थापित करने का अभियान।
मेरी शुरुआती शंका शोध की सावधानीपूर्वक अपनाई गई पद्धति से दूर हो गई।
उन्होंने पूरे क्षेत्र से व्यवस्थित रूप से गवाहियों को एकत्र किया और उन्हें लिखित रूप में दर्ज किया।
उन पर काम किया और सार्वजनिक बयानों, दस्तावेजों आदि के साथ इनका मिलान करने में सैकड़ों घंटे निवेश किए।
मुझे कई चीजों की बेहतर समझ भी प्राप्त हुई।
उनके पीछे जो प्रेरणा थी: वे किसी संघर्ष में किसी का पक्ष नहीं ले रहे थे; एक रिपोर्ट से इतिहास बदलने या गलतियों के इतिहास को सुधारने की उम्मीद न करें। बल्कि,
उन्होंने लापता लोगों के परिवारों को उनकी गरिमा वापस पाने के लिए सशक्त बनाने की कोशिश की,
राज्य की संस्थाओं पर उनके दायित्वों को पूरा करने और आधार तैयार करने के लिए दबाव डालें।

हाल के इतिहास के एक दुखद हिस्से का ईमानदारी से पुनर्कथन करने के लिए काम करें।
यह परियोजना को वैधता प्रदान करने के लिए पर्याप्त होता। लेकिन वर्तमान घटनाक्रमों के कारण...
भारत और विश्व के संदर्भ में यह प्रयास और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है। पुलिस, अदालत और श्मशान घाटों के अभिलेखों की रोशनी में, जो इस रिपोर्ट की कच्ची सामग्री है -
सैकड़ों गवाहियों से राज्य की तत्परता पर गंभीर सवाल उठते हैं।
न्याय और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की समस्या का ईमानदारी से समाधान करें। गवाहियाँ बताती हैं
अदालत के आदेश पर रिहाई के बाद जिन बंदियों का अंतिम संस्कार कर दिया गया, उनकी कहानी, और "लापता" लोगों की कहानी।
उन पुलिसकर्मियों के नाम जिन्हें लगातार भुला दिया जाता है, उन उच्च स्तरीय पुलिसकर्मियों के नाम जिन्हें
अच्छाई बनाम बुराई की एक सरल कहानी प्रस्तुत करें। यहां तक कि उस समय भी जब टाडा का वर्चस्व था...
अंततः, आवश्यक न्यायिक औपचारिकताओं को पूरा करना भी बलों के लिए बहुत मुश्किल प्रतीत हुआ।
कानून और व्यवस्था का।
पंजाब में नीतियों को तैयार करने और लागू करने वाले कई लोग अभी भी
आज भी सक्रिय हैं। उन्हें आतंकवाद के विषय पर विशेषज्ञ माना जाता है। एक समय में
सांप्रदायिक हिंसा को रोकने और पूर्व-निहित करने के लिए अदालतों और पुलिस दोनों पर नए सिरे से दबाव डाला जा रहा है।
आतंकवाद को रोकने के लिए, यह रिपोर्ट लागतों और
पूर्व कार्रवाई के लाभ।
मानवाधिकार रिपोर्टें कई प्रकार की होती हैं: कुछ रिपोर्टें शर्मिंदगी का कारण बनती हैं,
कुछ खबरें चौंका देती हैं, और कुछ जानकारी देती हैं। कुछ खबरें पाठक को स्तब्ध कर देती हैं, कुछ
कुछ लोग गुस्से में हैं, और कुछ बस भ्रमित या अचंभित हैं। क्या आप लेखक पर भरोसा कर सकते हैं? क्या यह
क्या जानकारी वस्तुनिष्ठ है? क्या पूर्वाग्रहों को उजागर किया गया है और उन पर चर्चा की गई है?
इस मामले में, पाठक को लेखकों की नेक नियत पर भरोसा करने या उनसे सहमत होने की आवश्यकता नहीं है।
उनके व्यक्त या अव्यक्त विचार। रिपोर्ट में एकत्रित किए गए व्यापक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं।
उन परिवारों और अधिकारियों से जिन्होंने पंजाब में हुए संघर्षों में भाग लिया और कष्ट झेले।
II राख में बदल गया

यह प्रस्तुति ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए एक फटकार है।
अपनी जांच के दौरान इसमें बहुत कम प्रगति हुई है।
गवाहियों की भारी संख्या के कारण इसे सिरे से खारिज करना असंभव है। यदि

उनकी सत्यता पर सवाल उठ रहे हैं, अब अधिकारियों को उन्हें उठाना चाहिए। अगर कुछ गवाहियाँ सच भी हैं, तो आधिकारिक कहानी बदलनी ही होगी:
मरने वालों को महज "आतंकवादी" कहकर खारिज करना असंभव है। यदि गवाहियों को आधार माना जाए तो...
अगर यह बात काफी हद तक सच है, तो एनएचआरसी और अदालतों का काम तो अभी मुश्किल से शुरू ही हुआ है।
क्योंकि अधिकारों के घोर उल्लंघन हैं जिनका समाधान किया जाना आवश्यक है और जिम्मेदारी भी है।
विभाजित किया जाए।
इस रिपोर्ट के लेखकों को कई लोगों के नैतिक समर्थन से लाभ हुआ है।
इन वर्षों में और बहुत कम लोगों के वित्तीय समर्थन से, उन्होंने अपने कार्यालयों को अपने कार्यालयों में बदल दिया है।
कमरों के कोनों और बिस्तरों ने रातों को काम के दिनों में बदल दिया। एक अच्छी रिपोर्ट एक
कार्रवाई का आह्वान। यदि हम, पाठक, इस आह्वान का जवाब देते हैं, तो वे सफल हो जाएंगे।
पीटर रोसेनब्लम
नैदानिक निदेशक
मानवाधिकार कार्यक्रम, हार्वर्ड लॉ स्कूल
बोस्टन, मैसाचुसेट्स, दिसंबर 2002

परिचय

मुझे कोई उम्मीद नहीं है। दस से पंद्रह साल में हम भी हार मानकर बैठ जाएंगे।
हम कितना कर सकते हैं?
- Paramjeet Kaur, wife of Jaswant S. Khalra
6 सितंबर 1995 को लापता हो गया

न्यायपालिका इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती? ये न्यायाधीश लोग...
वे सब कुछ जानते हैं। वे पीड़ितों की आवाज़ों में दर्द सुनते हैं और देखते हैं।
उनकी आँखों में ईमानदारी झलकती है। फिर भी वे बेबस हैं... साढ़े छह महीने बीत चुके हैं।
मुझे कई सालों से धक्के दिए जा रहे हैं, और अभी तक मुझे राहत नहीं मिली है।
- मोहिंदर सिंह, जगराज सिंह के पिता
14 जनवरी 1995 को लापता हो गया

पंजाब, या यूं कहें कि उपमहाद्वीप के 1947 के विभाजन के बाद पाकिस्तान की सीमा के पूर्व में स्थित प्रांत का वह खंडित हिस्सा जो भारत के साथ रह गया, एक सदस्य है।
भारतीय संघ का एक प्रमुख राज्य। पूरी तरह से भू-घूर्णी देश, यह भारत के 3.3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले 50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है।
इसका क्षेत्रफल लगभग 22 करोड़ वर्ग किलोमीटर है और यह विविध भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी जनसंख्या लगभग 22 करोड़ है।

लाखों की आबादी वाले इस क्षेत्र में सिखों का वर्चस्व है, जो एक विशिष्ट धार्मिक समुदाय है जिसकी शुरुआत की गई थी।
गुरु गोविंद सिंह द्वारा 1699 में स्थापित। डब्ल्यू. ओवेन कोल के सिख धर्म के शब्दकोश में इसकी परिभाषा दी गई है।
सिख का अर्थ है "कोई भी व्यक्ति जो ईश्वर में, दस गुरुओं में और उनके प्रमुख धर्मग्रंथों में विश्वास रखता है।"
गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जानी जाने वाली आकृति; खालसा दीक्षा समारोह में और कौन करता है
किसी अन्य धर्म की सैद्धांतिक प्रणाली में विश्वास नहीं करते।"1 2 प्रतिशत से भी कम
भारत की एक अरब आबादी में, पंजाब के सिखों की संख्या 62.1 प्रतिशत से अधिक है।
लगभग 22 मिलियन लोग।
1947 के विभाजन से पहले, पंजाब में अधिकांश आबादी मुस्लिम थी।
प्रांत। 1947 के सांप्रदायिक विभाजन और उसके बाद हुए गृहयुद्ध ने भारी नुकसान पहुंचाया।
विभिन्न अनुमानों के अनुसार, 200,000 से लेकर पांच लाख लोगों की जान चली गई। चार दशकों से भी कम समय में
उस दर्दनाक अनुभव के बाद, सिखों ने एक और खूनी राजनीतिक संघर्ष का सामना किया।
अशांति। यह अशांति सिखों के कट्टरपंथी राजनीतिक आंदोलन से उत्पन्न हुई। राजनीतिक शक्तियों के विकेंद्रीकरण का माप। 1980 के दशक के मध्य तक अशांति हिंसक हो गई थी।
वह एक कट्टर अलगाववादी था और भारतीय सरकार द्वारा उसे बेरहमी से कुचल दिया गया था।
राख में तब्दील: पंजाब में विद्रोह और मानवाधिकार, यह अंतिम कृति है।
1. डब्ल्यू. ओवेन कोल और पियारा सिंह सांभी, सिख धर्म का लोकप्रिय शब्दकोश, कर्ज़न प्रेस, लंदन, 1990
IV राख में परिवर्तित

पंजाब में गुमशुदा लोगों के मामलों पर समन्वय समिति (सीसीडीपी) की रिपोर्ट,
जो 1984 से लेकर इस अवधि में हुए मानवाधिकारों के हनन पर केंद्रित है। 1994. जैसा कि पीटर रोसेनब्लम ने प्रस्तावना में सुझाव दिया है, यह रिपोर्ट "आधारशिला" है।
इतिहास के एक दुखद अध्याय का ईमानदारी से पुनर्कथन करने के लिए। यह सच्चाई बताने का एक प्रयास है।
राजनीतिक हत्याओं, जबरन गायब किए जाने, यातना, मनमानी गिरफ्तारियों और समर्थक- के बारे में
गैरकानूनी गिरफ्तारियों की लंबी कतारें विद्रोह-विरोधी अभियानों का मुख्य हथियार बन गईं।
पंजाब में चलाए जा रहे अभियानों से राज्य एजेंसियों और उनके द्वारा किए जा रहे जटिल इनकार का खुलासा होता है।
बचावकर्ताओं और दण्डमुक्ति की योजना में संस्थागत भागीदारी। यह नहीं पीड़ितों के राजनीतिक दोष या निर्दोषता पर पक्ष लेना; बयानबाजी से बचना और

महत्वपूर्ण बात यह है कि यह रिपोर्ट राजनीतिक समाधानों के दलदल से दूर रहती है। रिपोर्ट, हालांकि-
यह अधिकारों की बयानबाजी और चरमपंथ की वास्तविकता के बीच समानता को उजागर करता है।
मानवाधिकारों का हनन भारतीय लोकतांत्रिक प्रतिमान को कलंकित करता है। यह सवाल उठ सकता है कि पंजाब पर एक और रिपोर्ट क्यों? इसका तर्कसंगत जवाब दिया जा सकता है।
पंजाब में मानवाधिकारों के हनन के बारे में पहले ही बहुत कुछ लिखा जा चुका है और
इन सब बातों को दोबारा कुरेदने से "ठीक होने" की प्रक्रिया खतरे में पड़ सकती है।
लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, पंजाब में आज कब्रिस्तानों में जो सन्नाटा छाया रहता है, वह कोई सामान्य सन्नाटा नहीं है।
शांति का प्रतिबिंब। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा की जा रही जांच। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी), सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत, इस मामले में...
पंजाब में होने वाली अवैध शवदाह और दाह संस्कार की घटनाएं, समाज में व्याप्त गहरे विभाजन को दर्शाती हैं।
राज्य में न्याय और शांति की संभावनाओं को खतरे में डालना। न्याय और शांति लाने का हर प्रयास विफल।
पीड़ितों को न्याय दिलाना, पारदर्शिता हासिल करने के लिए संस्थानों में सुधार करना, संरचना में सुधार करना-
प्राकृतिक समानता और लोकतंत्र को शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा बाधित किया गया है जो इससे जुड़े हुए हैं।
पिछली सरकार ने गलत तरीके से भयानक अत्याचार किए थे।
राज्य की अखंडता की रक्षा करने की उनकी आस्था। उनकी माफी की मांग को स्वीकार नहीं किया गया है।
भारतीय सरकार के उच्च स्तर पर समर्थन प्राप्त। 19 अगस्त 2001 को, केंद्रीय गृह मंत्री ने हिंद समाचार समूह द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाषण दिया।
जालंधर के अखबारों में यह घोषणा की गई कि सरकार "कदम उठाने पर विचार कर रही है"।
सुरक्षा बलों के कर्मियों को कानूनी संरक्षण और राहत प्रदान करना। पंजाब में आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान कथित ज्यादतियों के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है।
कश्मीर और भारत के उत्तर-पूर्वी प्रांत। एक रिपोर्ट के अनुसार,
एशियन एज के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्री ने "किसी न किसी रूप में आम माफी" का संकेत दिया है।
और सुझाव दिया कि "देश में कहीं भी आतंकवाद से निपटने के लिए तैनात बलों" उन्हें विशेष अधिकार और शक्तियां दी जानी चाहिए।" के. पी. एस. गिल, पूर्व महानिदेशक
पंजाब पुलिस ने इस कदम का स्वागत किया और इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के अनुसार,
उन्होंने अपने इस आरोप को दोहराया कि पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामले "मनगढ़ंत तथ्यों पर आधारित थे"।

अनुचित और गैर-संवैधानिक कानूनी प्रावधानों के तहत कार्य करने वाली जांच एजेंसियों द्वारा प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर साक्ष्य
गृह मंत्री की घोषणा का कम्युनिस्टों ने भी स्वागत किया।
भारतीय पार्टी (सीपीआई) और कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने "सभी को वापस लेने" का वादा किया था
यदि सत्ता में आए तो निर्दोष पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामले दर्ज किए जाएंगे। इसके बाद राज्य विधानसभा
पंजाब में हुए चुनावों में कांग्रेस फिर से सत्ता में लौटी और राज्य में उसकी सरकार बनी रही।
इसका नेतृत्व पटियाला राजघराने के वंशज अमरिंदर सिंह कर रहे हैं, जिन्होंने इस पीढ़ी को परिवर्तित किया है।
पुलिस अधिकारियों को माफी देने को चुनावी वादे में बदल दिया गया। इसी संदर्भ में और इस डी-
राज्य और केंद्र सरकार दोनों द्वारा दण्डमुक्ति पर स्पष्ट रुख अपनाया गया है कि
एनएचआरसी को इस खंड में प्रस्तुत मानवाधिकार अपराधों के साक्ष्यों का मूल्यांकन करना होगा।
अपहरण के मामलों में कार्यवाही से पहले रिपोर्ट का सारांश, जिसके परिणामस्वरूप अवैध गतिविधियाँ हुईं
अमृतसर जिले में पंजाब पुलिस द्वारा शवदाह संस्कार
राजनीतिक हिंसा के इस दशक ने बड़ी संख्या में पीड़ितों को पीछे छोड़ दिया है।
परिचय V

अभी भी न्याय की तलाश में हैं। ये लोग भय, अफवाह और
यह एक मिथक है। उन्हें पीड़ित मानसिकता से मुक्त करने की आवश्यकता है। लेकिन उनकी
जटिल राजनीतिक परिस्थितियों में बिखरे जीवन की उलझन से भरी यात्रा... उद्देश्यपूर्ण अस्तित्व की स्थिति तक पहुंचने के लिए षड्यंत्र तब तक संभव नहीं है जब तक कि इसे स्वीकार न किया जाए।
जो कुछ हुआ उसका वर्णन। सच्चाई से इनकार करना न केवल इस उद्देश्य की पूर्ति करता है कि...
अत्याचारों को अदृश्य बनाकर, यह अत्याचारों के अनुभवों को भी अपरिवर्तनीय बना देता है।
यह उपचार की प्रक्रिया को भी बाधित करता है और उस स्थिति को अंत तक उसी अवस्था में बनाए रखता है।
दंडमुक्ति की संस्कृति। यह परिवर्तन के मार्ग में सबसे गंभीर बाधा है। संघर्ष से स्थायी शांति की ओर, दमन से लोकतंत्र की ओर। जैसा कि एन. जे. क्रिट्ज़ ने कहा है
उन्होंने कहा, "यह धारणा कि जो व्यक्ति और समूह छिपे हुए अपराधों के शिकार हुए हैं..."
भयानक अत्याचारों को लोग या तो भूल जाएंगे या बिना किसी प्रयास के अपनी भावनाओं को मिटा देंगे।

हिसाब-किताब का एक रूप, न्याय का कुछ आभास, उन बीजों को यथास्थान छोड़ देना है।
भविष्य का संघर्ष।"2
इस खंड में निहित आंकड़े पुलिस की अक्षमता में चिंताजनक योगदान दर्शाते हैं।
राज्य और राष्ट्रीय सरकार तथा न्यायपालिका के सभी स्तरों पर दंड का प्रावधान। उदाहरण के लिए,
भारत की प्रमुख जांच एजेंसी, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई)
अवैध दाह संस्कार के मामले की गंभीरतापूर्वक और उचित जांच करने में विफल रहने के कारण...
इसे 1995 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सौंपा गया था। अपनी जांच के निष्कर्ष पर,
सीबीआई ने पहचाने गए, आंशिक रूप से पहचाने गए और अज्ञात अपराधियों की तीन सूचियाँ प्रस्तुत कीं।
पुलिस द्वारा की गई जांचों में कई विसंगतियां सामने आईं। सीबीआई ने इन सूचियों की जांच की।
यह उन व्यक्तियों की पहचान करने में विफल रहा जिनकी पहचान शिकायतों के आधार पर आसानी से की जा सकती थी।
पीड़ित परिवारों, उनके साथ साक्षात्कार, पुलिस रिकॉर्ड और प्रेस रिपोर्ट; यह दोहराव करता है-
अभिलेखों में उन व्यक्तियों की सूची शामिल की गई है जिनका अंतिम संस्कार उनके परिवार द्वारा किया गया था, न कि उनके द्वारा।
पुलिस; और यह अतिरिक्त व्यक्तियों के अंतिम संस्कार की ठीक से जांच करने में विफल रही।
उन्हीं मुठभेड़ों में मारे गए लोगों की सूचना मिली है और साथ ही अन्य लोगों के शवों का अंतिम संस्कार भी किया गया है।
एक ही पुलिस रिपोर्ट के अंतर्गत सूचीबद्ध। इस प्रकार, यह पुलिस रिकॉर्ड से आगे नहीं बढ़ा।
अमृतसर जिले में अवैध दाह संस्कारों की वास्तविक सीमा की जांच करें।
रिपोर्ट में यह भी दिखाया गया है कि पुलिस नियमित रूप से और खुलेआम कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन करती थी।
गिरफ्तारी और तलाशी के लिए निर्धारित समय सीमा। पुलिस परिवारों के अनुरोधों का जवाब देने में विफल रही।
अपहृत व्यक्तियों के बारे में जानकारी; उन्होंने पीड़ित परिवारों से पैसे वसूले।
उन्होंने झूठ बोला और लोगों को पकड़ने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर यात्रा की। मात्रा
यह दस्तावेज़ हिरासत में यातना की व्यापकता का दस्तावेजीकरण करता है और इसके उपयोग के तरीकों का पता लगाता है।
परिवार के सदस्यों, पुलिस द्वारा संपत्ति का विनाश, अधिग्रहण या क्षति पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति और दंड से मुक्ति सुनिश्चित करने में न्यायपालिका की मिलीभगत
हिरासत में यातना और मृत्यु के लिए।
पंजाब में दंडमुक्ति के पैरोकार मानवाधिकारों के खिलाफ मुखर रहे हैं।

सत्ता के जघन्य दुरुपयोग के लिए जवाबदेही और क्षतिपूर्ति की मांग करने वाले मुकदमे। 8 तारीख को
जून 2001 में, के. पी. एस. गिल ने हिंदुस्तान टाइम्स में "मैन इन" शीर्षक से एक लेख प्रकाशित किया।
वर्दी न्याय की मांग करती है। लेख में तर्क दिया गया कि "जिन लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाली,
राज्य की रक्षा करने वालों को "अपमानजनक अभियोजन प्रक्रिया" का सामना करना पड़ रहा है।
कई मामलों में, जिन्हें जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण ढंग से दर्ज किया गया था...
पराजित आतंकवादी आंदोलन के अग्रिम संगठनों द्वारा प्रतिशोध की रणनीति। गिल ने पूछा: "अगर भारत में किसी को भी कोई समर्थन नहीं मिलेगा, तो कब तक लोग भारत के लिए लड़ते और मरते रहेंगे?"
क्या देश वर्दीधारी पुरुषों की ओर से बोलता है? क्या राज्य की शक्ति कायम रह सकती है?
2 क्रिट्ज़, एन. जे., "अंतर्राष्ट्रीय अपराध और मौलिक अधिकारों के गंभीर उल्लंघन की जवाबदेही:
अत्याचारों से निपटना: मानवाधिकारों के व्यापक उल्लंघन के लिए जवाबदेही तंत्र की समीक्षा
VI राख में बदल गया

क्या इससे इसकी रक्षा करने वालों के विश्वास और अधिकार का क्षरण होगा? मनोबल और राष्ट्रीय सुरक्षा की ये बयानबाजी विफल करने के प्रयासों का सबूत है।
जवाबदेही की प्रक्रिया। मानवाधिकार और नामक पुस्तक की प्रस्तावना में उन्होंने लिखा है कि जवाबदेही की प्रक्रिया।
गिल ने भारतीय सशस्त्र बलों के खिलाफ मानवाधिकार संबंधी मुकदमों को व्यवस्थित रूप से अपनाने की आलोचना की।
अपराधियों और हिंसक समूहों द्वारा राज्य की एजेंसियों के खिलाफ हथियार के रूप में हिंसा का इस्तेमाल।
जो स्वयं लोकतंत्र को अस्वीकार करते हैं और वैध एवं निर्वाचित सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते हैं।
सरकार"। उनके अनुसार: "जनहित का एक बहुत बड़ा हिस्सा
आज मानवाधिकार संबंधी मुकदमे आपराधिक गिरोहों के मुखौटे संगठनों द्वारा शुरू किए जा रहे हैं।
बड़े-बड़े कॉरपोरेट समूहों और उग्र भूमिगत आतंकवादी आंदोलनों को व्यवस्थित रूप से नियंत्रित किया जाता है।
सुरक्षा बलों और पुलिस को परेशान करने और पंगु बनाने की रणनीति।"3
इस संदर्भ में यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अल साल्वाडोर सत्य आयोग ने क्या कहा है।
1993 की अपनी रिपोर्ट की प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है: "बार-बार होने वाले आपराधिक कृत्यों की स्थिति"
ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसमें एक ही संस्था के भीतर विभिन्न व्यक्ति स्पष्ट रूप से अलग-अलग तरीके से कार्य करते हैं।

रिपोर्ट का पहला अध्याय, जसवंत सिंह खालरा: मानवाधिकारों के लिए शहीद,
यह लेख सीसीडीपी के कार्य की उत्पत्ति और बड़े पैमाने पर अवैध गतिविधियों के शुरुआती साक्ष्यों की व्याख्या करता है।
दाह संस्कार। यह पंजाब का ऐतिहासिक विवरण और मानवाधिकारों के क्षेत्र में इसके प्रेरणास्रोतों को प्रस्तुत करता है।
जसवंत सिंह खालरा के पारिवारिक इतिहास को आपस में जोड़ते हुए, यह लेख विवरणों के साथ समाप्त होता है।
उसके लापता होने और आरोपी अधिकारियों के चल रहे मुकदमे के संबंध में।

रिपोर्ट का दूसरा अध्याय, हर तरह से दण्डमुक्ति: अधिकार और गतिरोध
कानून, इन मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए दंडमुक्ति की सीमा और गहराई का वर्णन करता है।
उल्लंघन। यह अध्याय सार्वजनिक चर्चा की आवश्यकता की व्याख्या प्रदान करता है।
3. एयर कमोडोर रन वीर कुमार और ग्रुप कैप्टन बी. पी. शर्मा, मानवाधिकार और भारतीय सशस्त्र बल
फोर्सेस: ए सोर्स बुक, स्टर्लिंग पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 1998, पृष्ठ xiv -
xv

अल साल्वाडोर में सत्य आयोग की रिपोर्ट, 1993। सत्य आयोग, 1980-1991
अल साल्वाडोर में आंतरिक सशस्त्र संघर्ष नामक अध्ययन में 2,000 प्राथमिक स्रोतों से 7000 पीड़ितों से संबंधित जानकारी और माध्यमिक स्रोतों से गैर-न्यायिक हत्याओं, जबरन गायब किए जाने, यातना और बंधक बनाए जाने के 20,000 से अधिक पीड़ितों से संबंधित जानकारी एकत्र की गई।
प्रस्तावना VII

निजी तौर पर स्थापित जन आयोग पर प्रतिबंध के बीच। इसके बाद, यह देता है आतंकवाद-विरोधी विधायी तंत्र की विस्तृत जांच। अध्याय
भाग दो में पंजाब पुलिस के विकास और पुनर्गठन पर भी चर्चा की गई है। आतंकवाद विरोधी अभियान। इस खंड में एक साक्षात्कार का पुनरुत्पादन किया गया है।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने सिख को यातना देकर उसकी हत्या करने की क्रूर घटनाओं का विवरण दिया।
इस अध्याय में धार्मिक नेताओं के साथ-साथ पुलिस दुर्व्यवहार के तौर-तरीकों और प्रथाओं का भी वर्णन किया गया है।
यह लेख चल रही कार्यवाही के गहन तथ्यात्मक और कानूनी विश्लेषण के साथ समाप्त होता है।
एनएचआरसी के समक्ष। यह अध्याय दर्शाता है कि भारत में कानून की सभी प्रक्रियाएं किस प्रकार संचालित होती हैं।
पंजाब में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को दूर करने में विफल रहे हैं और... पुलिस की मनमानी को श्रद्धांजलि दी गई।
जबकि अध्याय तीन में सीसीडीपी द्वारा अपनी जांच में उपयोग की जाने वाली कार्यप्रणाली की व्याख्या की गई है-
इस कार्य के उपलक्ष्य में, अध्याय चार इस खंड में प्रस्तुत आंकड़ों का विश्लेषण करता है। यह निम्नलिखित पर केंद्रित है:
निम्नलिखित मुद्दों पर रुझानों की व्याख्या करना और विशिष्ट उदाहरणों को उजागर करना:
सीबीआई द्वारा की गई जांच की विशेषताएं; पुलिस शक्तियों का दुरुपयोग; इसके निहितार्थ
आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1987 के तहत; हिरासत में रखने का उपयोग

यातना; भारतीय सशस्त्र बलों की भूमिका; संपत्ति अधिकारों का उल्लंघन; मिलीभगत
निचली न्यायपालिका; और चिकित्सा-कानूनी नैतिकता के मुद्दे।

अध्याय पाँच में व्यक्तिगत और राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में विशिष्ट जानकारी प्रस्तुत की गई है। 672 पीड़ितों के आधार और वे परिस्थितियाँ जिनमें पीड़ित लापता हुए या पुलिस द्वारा दाह संस्कार से पहले ही उन्हें फाँसी दे दी गई थी। सभी मामले इससे संबंधित हैं।
सीबीआई की सूचियों पर एनएचआरसी के समक्ष सुनवाई चल रही है और सारा ध्यान केवल अमृतसर जिले पर केंद्रित है।
पंजाब के 17 जिलों में से एक में यह घटना हुई है। हालांकि, पुलिस द्वारा अपहरण का यह मामला
अवैध दाह संस्कार के खिलाफ कार्रवाई छह साल पहले राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग (एनएचआरसी) के समक्ष शुरू की गई थी।
दुर्भाग्यवश, इसने दुर्व्यवहार के एक भी मामले की जांच नहीं की है। इसने किसी भी मामले की सुनवाई भी नहीं की है।
किसी एक पीड़ित की गवाही या बयान। यह खंड एक फुटनोट के साथ समाप्त होता है: विचार-विमर्श और अनुशंसाएँ, साथ ही परिशिष्टों का एक संग्रह।
सीसीडीपी साथ ही साथ अपनी वेबसाइट www.punjabjustice.org भी लॉन्च कर रहा है।
इस वेबसाइट में न केवल रिपोर्ट का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण शामिल है, बल्कि इसमें एक और सुविधा भी है।
सीबीआई द्वारा अवैध रूप से दाह संस्कार किए गए पीड़ितों की सूचियों का खोज योग्य डेटाबेस, वीडियो साक्षात्कार-
वे विचार और दस्तावेज़ जो रिपोर्ट में संकलित सामग्री के पूरक हैं।
आशा है कि सीसीडीपी बाद में अपनी अंतिम रिपोर्ट का दूसरा खंड जारी करेगा। अन्य 1,190 गैर-न्यायिक निष्पादन मामलों पर अपनी जांच सामग्री प्रस्तुत करते हुए-
पंजाब के सभी हिस्सों से हुई घटनाओं या गुमशुदा लोगों की घटनाओं को इसमें शामिल किया गया है।
लक्ष्य
राजनीतिक हिंसा के शिकार लोगों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। सत्ताधारी अभिजात वर्ग -
राजनेता, नौकरशाही और सेना अक्सर इन्हें भूल जाते हैं। यह रिपोर्ट एक पीड़ितों को सामने लाने का प्रयास। यह उनके अनुभवों, अपेक्षाओं और
इस उम्मीद में भय कि उनकी बात मानी जाएगी और दोषियों को दंडित किया जाएगा। पीड़ितों और समाज के समग्र नैतिक पुनरुद्धार के लिए यह केंद्रीय महत्व रखता है। जैसा कि जे. पी.
लेडेराच बताते हैं, "इन कहानियों को सुनाने और सुनने से, हम एक राष्ट्र के रूप में
पीड़ितों के अनुभवों और भावनाओं को मान्य करने, उनकी गरिमा को बहाल करने और
उन्हें समाज में समान भागीदार के रूप में पुनः प्रवेश करने में सहायता करें।"5 सत्य बोलना आधार है
5. लेडेराच, जे. पी., शांति निर्माण: विभाजित समाजों में सतत सुलह, यूएसआईपी, वाशिंगटन
VIII राख में बदल गया

गहरे सामाजिक और राजनीतिक विभाजन का समाधान। यह कार्य निम्नलिखित द्वारा किया जा रहा है:
कई युद्धग्रस्त देशों में सत्य और सुलह आयोगों का गठन किया गया है। यही इसका मूल आधार है।
संक्रमणकालीन न्याय के बारे में। सत्य और सुलह आयोगों के अनुभव।
विश्व स्तर पर सत्य बोलने के महत्व पर जोर दिया गया है ताकि दोषियों को दंड से मुक्ति मिल सके।
उल्लंघनों को इसलिए रोका जाता है ताकि "फिर कभी नहीं" की आकांक्षा साकार हो सके और राष्ट्रीय स्तर पर
सुलह हो गई है।
दक्षिण एशिया मानवाधिकार मंच द्वारा इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने के उद्देश्य
हैं:
मानवाधिकार हनन के पीड़ितों की गवाही प्रस्तुत करके उन्हें अपनी बात कहने का अवसर देना;
पंजाब में पुलिस अपहरण के मामलों में गुप्त अवैध दाह संस्कार की घटनाओं के संबंध में राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग (एनएचआरसी) को दिसंबर 1996 में सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त जनादेश के अंतर्गत मुद्दों के निपटारे और तथ्यों के निर्धारण में आगे बढ़ने के प्रयासों को मजबूत करना;
पंजाब में मानवाधिकारों पर चर्चा को बयानबाजी से हटाकर तथ्यों और कानून की जांच की ओर ले जाना;
सत्यापन योग्य अभिलेखों के आधार पर सामूहिक अत्याचारों की राष्ट्रीय स्मृति का निर्माण करना ताकि पीड़ितों और उनकी मृत्यु को भुलाया न जा सके; भारत में मानवाधिकार समुदाय और मानवाधिकार हनन के अन्य पीड़ितों को न्याय पर आधारित मानवाधिकार संस्कृति के निर्माण के लिए व्यापक एकजुटता और कार्यक्रमगत स्पष्टता विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना;
भारत को मौलिक मानवाधिकारों की रक्षा के अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप करने का अनुरोध करना; और
आगे के विश्लेषण और शोध के लिए मुद्दों को परिभाषित करना।
बोस हेडफ़ोन

कालक्रम

पुलिस द्वारा अपहरण का मामला
जिसके कारण पहले अवैध दाह संस्कार हुए
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

16 जनवरी 1995: अकाली दल के मानवाधिकार विंग के महासचिव जसवंत सिंह खालरा और जसपाल सिंह ढिल्लों ने आधिकारिक दस्तावेजों की प्रतियां जारी कीं, जिनसे पता चला कि पंजाब में सुरक्षा एजेंसियों ने हजारों शवों को "अज्ञात/लावारिस" बताकर गुपचुप तरीके से जला दिया था। आरोप था कि ये शव उन लोगों के थे जिन्हें पंजाब में तैनात पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों ने अगवा किया था और जो बाद में हिरासत से लापता हो गए थे। ये आरोप जिले में लापता व्यक्तियों की संख्या के सर्वेक्षण और अमृतसर जिले के तीन श्मशान घाटों के रिकॉर्ड की जांच पर आधारित थे - अमृतसर राज्य के 13 पूर्ववर्ती जिलों में से एक था। प्रेस विज्ञप्ति में दावा किया गया कि जांच से राज्य के अन्य श्मशान घाटों में भी इसी तरह की स्थिति का पता चलेगा। [परिशिष्ट I देखें] जनवरी 1995: खालरा के संगठन ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर लापता व्यक्तियों और उसके बाद हुए अंतिम संस्कार की जांच की मांग की। उच्च न्यायालय ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह "अस्पष्ट" थी और याचिकाकर्ता संगठन के पास ऐसी याचिका दायर करने का अधिकार नहीं था।
3 अप्रैल 1995: पंजाब पर सूचना और पहल समिति (सीआईआईपी) ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पंजाब में पुलिस द्वारा लापता किए जाने और उसके बाद अवैध रूप से शवों को जलाने के आरोपों की व्यापक जांच की मांग की।

6 सितंबर 1995: अमृतसर जिले की तरन तारन पुलिस के सशस्त्र कमांडो ने खालरा को उसके घर के बाहर से अगवा कर लिया।
7 सितंबर 1995: जसवंत सिंह खालरा की पत्नी श्रीमती परमजीत कौर खालरा के कहने पर, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के तत्कालीन अध्यक्ष श्री जी.एस. तोहरा ने विभिन्न लोगों को टेलीग्राम भेजे, जिनमें सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह को भेजा गया एक टेलीग्राम भी शामिल था।
X राख में तब्दील हो गया

भारत की अदालत में खालरा के अपहरण के संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई।
9 सितंबर 1995: परमजीत कौर ने सुप्रीम कोर्ट में एक नियमित बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर प्रार्थना की कि खालरा को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए।
11 सितंबर 1995: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह ने श्री जी.एस. तोहरा के आवास पर प्राप्त टेलीग्राम को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के रूप में माना और याचिका की सूचना संबंधित पक्षों को भेजने का निर्देश दिया।
15 नवंबर 1995: सर्वोच्च न्यायालय ने भारत की प्रमुख जांच एजेंसी, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को खालरा के अपहरण और जनवरी 1995 में खालरा द्वारा जारी प्रेस नोट में निहित तथ्यों की जांच करने का निर्देश दिया। 22 जुलाई 1996: सीबीआई ने एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें अमृतसर जिले के तरन तारन स्थित एक श्मशान घाट में 1984 से 1994 के बीच हुए 984 अवैध दाह संस्कारों का खुलासा किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई को अपनी जांच जारी रखने का निर्देश दिया और उसे आम जनता को नोटिस जारी कर जांच में सहायता मांगने का आदेश दिया।
30 जुलाई 1996: सीबीआई ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अजीत सिंह संधू के आदेश पर कार्य करने वाले पंजाब पुलिस के नौ अधिकारी खालरा के अपहरण और गुमशुदगी के लिए जिम्मेदार थे। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई को इन अधिकारियों के खिलाफ साजिश और "किसी व्यक्ति को गुप्त रूप से और गैरकानूनी तरीके से कैद करने के इरादे से अपहरण" के आरोप में मुकदमा चलाने का निर्देश दिया।
9 दिसंबर 1996: सीबीआई ने पुलिस अपहरण के मामलों में, जिनके कारण अवैध दाह संस्कार हुए, सर्वोच्च न्यायालय को अपनी पांचवीं और अंतिम रिपोर्ट सौंपी। 11 दिसंबर 1996: सीबीआई के अनुरोध पर, सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि सीबीआई रिपोर्ट की सामग्री को गुप्त रखा जाए, क्योंकि एजेंसी द्वारा आगे की जांच की जानी थी। न्यायालय ने सीबीआई को अंतिम रिपोर्ट के परिणामस्वरूप दर्ज किए जाने वाले सभी मामलों की जांच करने का निर्देश दिया।
12 दिसंबर 1996: सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि सीबीआई की अंतिम रिपोर्ट से पता चला है कि अमृतसर जिले के तीन श्मशान घाटों में सुरक्षा एजेंसियों द्वारा 2,097 अवैध शवदाह किए गए थे। सीबीआई ने दावा किया कि उसने 582 शवों की पूर्ण पहचान कर ली है, 278 शवों की आंशिक पहचान कर ली है और 1,238 शवों की पहचान नहीं कर पाई है। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को निर्देश दिया कि वह "मामले की कानून के अनुसार जांच करे और पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा

आयोग के समक्ष उठाए गए सभी मुद्दों का निर्धारण करे"। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि "चूंकि इस न्यायालय के अनुरोध पर आयोग द्वारा मामले की जांच की जा रही है, इसलिए दिया गया कोई भी मुआवजा बाध्यकारी और देय होगा।" [परिशिष्ट 5 देखें]
जनवरी 1997: एनएचआरसी ने अपने समक्ष उपस्थित सभी पक्षों से यह बताने को कहा कि वे क्या कर सकते हैं।
कालक्रम XI

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोग को सौंपे गए संदर्भ के "दायरे और सीमा" तथा "जिस क्षमता में आयोग कार्य करता है" पर प्रारंभिक प्रस्तुतियाँ, अर्थात् क्या आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तक सीमित था, या क्या यह इस संदर्भ के प्रयोजनों के लिए, सर्वोच्च न्यायालय का एक विशिष्ट नामित निकाय था, जिसे अधिनियम में निहित सीमाओं से बंधे बिना, न्यायालय द्वारा सौंपे गए मुद्दों पर निर्णय लेने की शक्तियाँ प्राप्त थीं।
4 अगस्त 1997: अपने समक्ष रखे गए सभी विचारों को विस्तार से सुनने के बाद, राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग (एनएचआरसी) ने प्रारंभिक दलीलों पर एक विस्तृत आदेश में कहा कि वह सर्वोच्च न्यायालय का एक विशिष्ट नामित निकाय है, जिसे न्यायालय के आदेश का पालन करने के लिए नियुक्त किया गया है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उक्त न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त हैं। आयोग ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि सर्वोच्च न्यायालय ने संपूर्ण मामले को आयोग को सौंपा था, और जांच पर कोई क्षेत्रीय या अन्य सीमाएं नहीं लगाई गई थीं। उसी तिथि को, "कार्यवाही" पर एक अलग आदेश द्वारा, एनएचआरसी ने कहा कि कथित दाह संस्कारों की बड़ी संख्या को देखते हुए, सार्वजनिक सूचना के माध्यम से दावे आमंत्रित करना उचित होगा। राज्य और उसके अधिकारियों की ओर से दोष या लापरवाही की सीमा का पता लगाने के बाद, मुआवजे की मात्रा निर्धारित करने का आधार तैयार किया जा सकता है, एनएचआरसी ने कहा।
4 सितंबर 1997: केंद्र सरकार के अनुरोध पर, राष्ट्रीय न्यायाधिकरण (एनएचआरसी) ने अपने समक्ष चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी, ताकि केंद्र सरकार एनएचआरसी द्वारा 4 अगस्त 1996 को दिए गए आदेश को चुनौती दे सके।
3 अक्टूबर 1997: भारत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एक 'स्पष्टीकरण याचिका' दायर कर यह प्रश्न उठाया कि क्या न्यायालय के 12 दिसंबर 1996 के आदेश ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को सर्वोच्च न्यायालय के एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया है, जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के प्रावधानों से अप्रतिबंधित है। याचिका में एनएचआरसी के इस विचार को भी चुनौती दी गई कि सर्वोच्च न्यायालय के 12 दिसंबर 1996 के आदेश ने उसे पंजाब में मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करने का असीमित अधिकार दिया है। याचिका में यह तर्क दिया गया कि इस तरह की व्याख्या से "हजारों झूठे दावे" सामने आएंगे।
10 सितंबर 1998: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की स्पष्टीकरण याचिका खारिज कर दी और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को सौंपे गए जनादेश के संबंध में उसके दृष्टिकोण को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा, "इस न्यायालय द्वारा संदर्भित मामलों का निर्णय करते समय राष्ट्रीय

मानवाधिकार आयोग को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है और वह किसी भी शर्त से बंधा नहीं है।"
13 जनवरी 1999: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने जांच के 'दायरे' पर एक आदेश पारित किया, जिसमें इसके दायरे को अमृतसर जिले के तीन श्मशान घाटों में 2,097 शवों के कथित गैरकानूनी दाह संस्कार तक सीमित कर दिया गया। आयोग ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि उसे अधिक व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जिसके तहत राज्य भर में 'जबरन गायब होने', 'न्यायेतर हत्याओं' और मानवाधिकार उल्लंघन के अन्य आरोपों की जांच की जाए। एनएचआरसी ने अपने कार्यालय को निर्धारित प्रारूप में कानूनी वारिसों से दावे आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित करने का निर्देश दिया। दावेदारों को शपथपूर्वक यह बताना आवश्यक था कि उनके परिजनों का दाह संस्कार अमृतसर जिले के तीन श्मशान घाटों में से किसी एक में किया गया था।
XII राख में तब्दील

अमृतसर जिले के उन तीन श्मशान घाटों में से जिनकी सीबीआई ने जांच की थी, के संबंध में नोटिस जारी किया गया था। नोटिस में यह भी कहा गया था कि केवल उन्हीं व्यक्तियों के मामलों पर विचार किया जाएगा जिन्होंने ये दावे दायर किए हैं।
24 मार्च 1999: राष्ट्रीय न्याय आयोग (एनएचआरसी) ने 13 जनवरी 1999 के आदेश की समीक्षा की मांग करने वाली सीआईआईपी की अर्जी खारिज कर दी। आयोग ने कहा कि उसने इस मुद्दे पर दोहरी रणनीति अपनाई थी। एक, प्रभावित जनता से दावे आमंत्रित करना और दूसरा, पंजाब सरकार से अमृतसर के तीनों पुलिस जिलों के श्मशान घाटों में कथित अवैध दाह संस्कार के प्रत्येक मामले का स्पष्टीकरण मांगना।
5 अगस्त 1999: राष्ट्रीय न्याय आयोग (एनएचआरसी) ने सीबीआई द्वारा की गई जांच के परिणामों वाली सीबीआई रिपोर्टों के खुलासे और निरीक्षण के लिए सीआईआईपी के आवेदन को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि इससे "सुचारू जांच" में बाधा आ सकती है। इस बीच, जनवरी 1999 में आयोग द्वारा जारी नोटिस के बाद जनता से 88 दावे प्राप्त हुए। उसी तिथि के अपने दूसरे आदेश में, आयोग ने निर्देश दिया कि इन दावों की प्रतियां पंजाब राज्य को उपलब्ध कराई जाएं, जो उन्हें 'अविवादित' और 'विवादित' मामलों में वर्गीकृत करके जवाब देगा। 24 अगस्त 1999: सीआईआईपी ने सर्वोच्च न्यायालय में 12 दिसंबर 1996 के आदेश द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग (एनएचआरसी) को सौंपे गए दायित्व पर स्पष्टीकरण के लिए आवेदन किया। आवेदन में इस बात पर जोर दिया गया कि शवों का अवैध निपटान अमृतसर के तीन श्मशान घाटों तक ही सीमित नहीं है, और जांच का प्रारंभिक बिंदु गुमशुदगी का आरोप होना चाहिए। सीआईआईपी ने सीबीआई की रिपोर्ट तक पहुंच की भी मांग की।
11 अक्टूबर 1999: सुप्रीम कोर्ट ने सीआईआईपी के आवेदन को खारिज कर दिया और कहा कि वह उस समय एनएचआरसी के समक्ष चल रही कार्यवाही में हस्तक्षेप करने के लिए तैयार नहीं है।
इसके बाद: घटनाक्रम से निराशा व्यक्त करते हुए, सीआईआईपी ने एनएचआरसी के समक्ष कार्यवाही में सक्रिय भागीदारी से खुद को अलग कर लिया। हालांकि, उसने कार्यवाही पर नजर रखना जारी रखा।
19 जनवरी 2000: पंजाब सरकार के एक पत्र के आधार पर, उसके वकील ने एनएचआरसी द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के बाद प्राप्त 88 दावा याचिकाओं पर अपने

मुवक्किल की प्रतिक्रिया एनएचआरसी के समक्ष प्रस्तुत की। पंजाब सरकार ने 88 दावों का विवरण इस प्रकार दिया: 23 दावों में कहा गया था कि लापता व्यक्तियों के शवों का अंतिम संस्कार एनएचआरसी द्वारा मामले की जांच के दायरे में आने वाले तीन निर्दिष्ट श्मशान घाटों के अलावा किसी अन्य श्मशान घाट में किया गया था। इसलिए, ये दावे स्वीकार्य नहीं थे। सरकार ने कई आधारों पर 47 दावों का खंडन किया, जिनमें यह कारण भी शामिल था कि इन दावेदारों ने मुआवजे के लिए अन्य मंचों से संपर्क किया था या इन मामलों की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही थी। 18 मामलों में, पंजाब सरकार ने बिना किसी दायित्व को स्वीकार किए और दावों के गुण-दोष पर विचार किए बिना प्रत्येक को 100,000 रुपये का मुआवजा देने की पेशकश की। साथ ही, पंजाब सरकार ने...
कालक्रम XIII

उन्होंने जोर देकर कहा कि मुआवजे के भुगतान का भार केंद्र सरकार को वहन करना चाहिए।
18 अगस्त 2000: राष्ट्रीय न्याय आयोग (एनएचआरसी) ने पंजाब सरकार के उस प्रस्ताव का समर्थन किया जिसमें 18 परिवारों को 100,000 रुपये (लगभग 2,000 अमेरिकी डॉलर) का मुआवजा देने की बात कही गई थी, जबकि आयोग ने न तो किसी गलती को स्वीकार किया और न ही अधिकारियों पर मुकदमा चलाया। आयोग के आदेश में कहा गया है, "इस निष्कर्ष के लिए यह मायने नहीं रखता कि हिरासत वैध थी या अवैध, या व्यक्ति पर नियंत्रण की शक्ति का प्रयोग उचित था या नहीं; और यहां तक कि जिम्मेदार/संबंधित व्यक्ति या अधिकारियों की पहचान करना भी आवश्यक नहीं है।" [परिशिष्ट 6 देखें]
एनएचआरसी के 18 अगस्त 2000 के आदेश को पढ़ने के बाद, सीआईआईपी ने हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया और पहले कदम के रूप में, मुआवजे के प्रस्ताव पर उनके विचार जानने के लिए पंजाब भर में यात्रा करके 18 लापता व्यक्तियों के परिवारों से मुलाकात की। सभी परिवारों ने सर्वसम्मति से पंजाब सरकार द्वारा बिना किसी दायित्व के निर्धारण के मुआवजे के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और हलफनामे में ऐसा ही कहा।
31 जनवरी 2001: सीआईआईपी ने एनएचआरसी के समक्ष ये हलफनामे दाखिल किए, साथ ही एक आवेदन भी दिया जिसमें बताया गया कि आयोग के समक्ष मामले को प्राप्त दावों तक सीमित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 19 जनवरी 1999 के आदेश द्वारा आयोग ने अमृतसर जिले के तीन श्मशान घाटों में किए गए सभी 2,097 दाह संस्कारों की जांच करने का दायित्व स्वयं पर ले लिया था।
15 फरवरी 2001: राष्ट्रीय शव परीक्षण आयोग (एनएचआरसी) ने सभी 2,097 शवदाह की जांच करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जिससे मामला 13 जनवरी 1999 के आदेश के बाद की स्थिति में बहाल हो गया।
20 मार्च 2001: राष्ट्रीय राष्ट्रीय सम्मान आयोग (एनएचआरसी) ने सीबीआई को दाह संस्कार किए गए व्यक्तियों की तीन भागों वाली सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया: सूची 'ए' जिसमें पूरी तरह से पहचाने गए व्यक्ति शामिल हैं, सूची 'बी' जिसमें आंशिक रूप से पहचाने गए व्यक्ति शामिल हैं, और सूची 'सी' जिसमें अज्ञात व्यक्ति शामिल हैं।
3 मई 2001: सीबीआई ने राष्ट्रीय शव आयोग (एनएचआरसी) के समक्ष उपस्थित पक्षों को तीनों सूचियों की प्रतियां सौंपीं। आयोग ने सीबीआई और पंजाब

सरकार को इन शवदाहों से संबंधित उनके पास मौजूद सभी सामग्री निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
15 जून 2001: एनएचआरसी कार्यालय में आयोजित एक बैठक में, पंजाब सरकार ने घोषणा की कि 2,097 शवदाह से संबंधित सभी रिकॉर्ड सीबीआई की हिरासत में हैं और इसलिए उनके पास निरीक्षण के लिए रिकॉर्ड के रूप में पेश करने के लिए कुछ भी नहीं है।
23 जुलाई 2001: सीआईआईपी के वकील ने सीआईआईपी के एक सदस्य के साथ सीबीआई द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का निरीक्षण किया। निरीक्षण उस तिथि को पूरा नहीं हो सका।
26 जुलाई 2001: सीआईआईपी ने सीबीआई के रिकॉर्डों का निरीक्षण जारी रखा, अल-
XIV राख में तब्दील

पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस के 20 से अधिक अधिकारियों की कड़ी निगरानी में यह सब हो रहा था। जाहिर तौर पर, ये अधिकारी सीबीआई के रिकॉर्ड की जांच के लिए भी मौजूद थे। हालांकि, उनका असली मकसद तब सामने आया जब उनमें से एक ने सीआईआईपी को फाइलों के एक विशेष बंडल की जांच करने की अनुमति दिए जाने पर आपत्ति जताई। आयोग के सहायक रजिस्ट्रार ने तुरंत सीआईआईपी की जांच रोक दी।
8 अक्टूबर 2001: राष्ट्रीय न्याय आयोग (एनएचआरसी) द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी आर. वेंकटरमानी की देखरेख में एक संयुक्त निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण से यह स्पष्ट हो गया कि सीबीआई द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड दो कारणों से बहुत कम उपयोगी होगा। पहला कारण यह था कि यह अधिकतर अपठनीय था, और दूसरा कारण यह था कि प्रस्तुत रिकॉर्ड बहुत अधूरा था। यदि यह दावा किया गया था कि सीबीआई ने अपनी जांच के दौरान यही पूरा रिकॉर्ड जब्त किया था, तो यह की गई जांच की निम्न गुणवत्ता को दर्शाता है।
29 नवंबर 2001: राष्ट्रीय न्यायाधिकरण (एनएचआरसी) ने पक्षों से उन "महत्वपूर्ण बिंदुओं" (मुद्दों) के सुझाव देने के लिए प्रस्तुतियाँ आमंत्रित कीं, जिन्हें आगे की कार्यवाही के लिए तैयार किया जाना था, जो कि पहली बार में, 582 चिन्हित दाह संस्कारों के मामलों तक सीमित थी।
4 फरवरी 2002: पक्षों और एमिकस क्यूरी की सुनवाई के बाद, एनएचआरसी ने चार "मुद्दे" तैयार किए जो "पूरी तरह से पहचाने गए निकायों के संबंध में विचार के लिए उठते हैं"।
2 सितंबर 2002: कई बार सुनवाई स्थगित होने के बाद, राष्ट्रीय न्यायाधिकरण (एनएचआरसी) ने कार्यवाही फिर से शुरू करने के लिए बैठक की। पंजाब सरकार ने "मूल बिंदुओं" के पुनर्गठन के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया।
16 सितंबर 2002: पंजाब सरकार ने राष्ट्रीय राष्ट्रीय न्याय आयोग (एनएचआरसी) द्वारा निर्धारित "मुख्य बिंदुओं" की समीक्षा के लिए दायर अपने आवेदन पर जोर न देने का निर्णय लिया। आयोग ने सीबीआई द्वारा जब्त किए गए दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति के लिए राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और निर्देश दिया कि ऐसे निरीक्षण के बाद, सरकार को 31 अक्टूबर 2002 तक 582 "पहचाने गए" शवदाह के संबंध में हलफनामे दाखिल करने चाहिए।
तब से इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई है। न्यायमूर्ति वर्मा, जो 2000-2002 के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष थे, जनवरी

2003 में सेवानिवृत्त हो गए। न्यायमूर्ति ए.एस. आनंद ने फरवरी 2003 के मध्य में आयोग के अध्यक्ष का पदभार संभाला। फरवरी 2003 के अंत तक, पंजाब सरकार ने "पहचाने गए" शवदाह के 102 मामलों में अपने हलफनामे दाखिल किए थे।

अध्याय एक

जसवंत सिंह खालरा: मानवाधिकारों के लिए शहीद 1

जसवंत सिंह खालरा:
मानवाधिकारों के लिए एक शहीद
2 राख में बदल गया

जसवंत सिंह खालरा: मानवाधिकारों के लिए शहीद 3

भाग एक: सामूहिक अवैध गतिविधियों के साक्ष्य
अंतिम संस्कार

पंजाब में गुमशुदा लोगों के मामलों के समन्वय के लिए गठित समिति (सीसीडीपी) का गठन किया गया।
9 नवंबर 1997 को निम्नलिखित एजेंडा के साथ अस्तित्व में आया:
(क) के बारे में जानकारी एकत्र करने और संकलित करने के लिए एक स्वैच्छिक तंत्र विकसित करना।
राज्य भर से लापता हुए लोगों की तलाश करना और यह सुनिश्चित करना कि पुलिस द्वारा अपहरण के मामलों की जांच हो, जिसके परिणामस्वरूप शवों का अवैध रूप से अंतिम संस्कार किया गया है, और यह सुनिश्चित करना कि मामले की सुनवाई सार्थक तरीके से हो और एक न्यायसंगत और संतोषजनक अंतिम आदेश के साथ समाप्त हो।
(ख) राज्य की जवाबदेही की एक व्यावहारिक प्रणाली विकसित करना और दबाव बनाना
प्रतिरक्षा की मांग का विरोध करने के लिए जनमत का सहारा लिया जाएगा;
(ग) भारत को अपने घरेलू कानूनों को संयुक्त राष्ट्र के अनुरूप बदलने के लिए पैरवी करना-
यातना, जबरन गायब किए जाने, जवाबदेही, सत्ता के दुरुपयोग के पीड़ितों को मुआवजा देने और अन्य संबंधित मामलों से संबंधित दस्तावेज;
(घ) राज्य की शक्ति, उसके वितरण और जवाबदेही से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस शुरू करना।
और भारत भर के समूहों और आंदोलनों के साथ इन मामलों पर एक साझा दृष्टिकोण के लिए काम करना।
सीसीडीपी और इसका एजेंडा जसवंत सिंह द्वारा किए गए कार्यों से प्रेरित है।
अकाली दल के मानवाधिकार विंग के महासचिव खालरा। वर्ष में
1995 में, खालरा ने उस जनहित याचिका को शुरू करने के लिए काम किया, जो आज एक चर्चित घटना बन चुकी है।
यह मामला पंजाब में पुलिस द्वारा अपहरण और उसके बाद गुपचुप तरीके से शवों को दफ़नाने के रूप में जाना जाता है।
पंजाब के सशस्त्र कमांडो द्वारा अपहरण किए जाने के बाद खालरा लापता हो गया।
पुलिस ने 6 सितंबर 1995 को यह कार्रवाई की।
जनवरी 1995 में, खालरा ने कुछ आधिकारिक दस्तावेज जारी किए जिनमें दावा किया गया था कि
पंजाब में सुरक्षा एजेंसियां हजारों शवों का गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार कर रही थीं।
अज्ञात घोषित किया गया। खालरा ने सुझाव दिया कि इनमें से अधिकांश शवों का अंतिम संस्कार उन लोगों के लिए किया गया था।
पंजाब पुलिस द्वारा अवैध रूप से हिरासत में लिए गए लोग, उनसे उनके संबंधों के बारे में पूछताछ करने के लिए।
1984 से 1994 तक राज्य को परेशान करने वाले अलगाववादी आंदोलन के साथ।

इन आरोपों को साबित करने के लिए उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में दर्ज की गई प्रविष्टियाँ शामिल थीं।
अमृतसर के तीन श्मशान घाटों में रखे गए जलाऊ लकड़ी खरीद रजिस्टरों में... जब पुलिस अधिकारी शवों के साथ आए और 300 किलोग्राम खरीदा, तब वे उस इलाके में थे।
एक शव को जलाने के लिए आवश्यक लकड़ी। खालरा इन अभिलेखों के साथ पंजाब चला गया।
और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका के माध्यम से स्वतंत्र जांच की मांग की गई।
लेकिन अदालत ने याचिका खारिज कर दी, यह कहते हुए कि याचिकाकर्ता के पास कोई आधार नहीं था।
इस मामले में मुकदमा दायर करने का अधिकार। यह उच्च न्यायालय के लिए एक असाधारण आधार था।
4 राख में तब्दील

किसी याचिका को खारिज करना जिसमें मौलिक मानवाधिकारों के उल्लंघन का खुलासा हुआ हो
यह एक गंभीर प्रकृति का मामला है और इतने व्यापक पैमाने पर फैला हुआ है। 1981 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती ने सार्वजनिक क्षेत्र को परिभाषित किया।
गरीबों की पहुंच में न्याय लाने के लिए ब्याज संबंधी मुकदमेबाजी को अपनी रणनीतिक शाखा के रूप में इस्तेमाल करना।
कमजोर जनसमूह और अन्याय के असहाय शिकार।2 इस प्रश्न पर चर्चा करते हुए जनहित याचिका में लोकस स्टैंडी के संबंध में, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि कोई भी नागरिक-
पर्याप्त ज्ञान और रुचि रखने वाला व्यक्ति मुकदमेबाजी में अपनी स्थिति का दावा कर सकता है।
सार्वजनिक क्षति की भरपाई करने, सार्वजनिक कर्तव्य को लागू करने या प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से किए गए कार्य।
जनहित को ध्यान में रखते हुए। 3 इसी सिद्धांत के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय कार्य करते हैं।
अदालतें समाचार पत्रों की रिपोर्टों, पत्रों और टेलीग्रामों को भी ध्यान में रख रही हैं।
मौलिक मानवाधिकारों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर नागरिकों से प्राप्त जानकारी के आधार पर राय।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत याचिकाएं, जो स्पष्ट रूप से निर्धारित करती हैं
उच्च न्यायपालिका पर मानवाधिकारों के सम्मान की रक्षा और उसे लागू करने का दायित्व है। 4
जजों के तबादले के मामले के नाम से जाने जाने वाले एक मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने वास्तव में
लोकस स्टैंडी के सिद्धांत को उलटते हुए यह फैसला सुनाया कि सार्वजनिक हित मुकदमेबाजी के लिए व्यक्तिगत हित का अभाव आवश्यक था।5 शीला बारसे बनाम राज्य के मामले में

महाराष्ट्र में, एक पत्रकार द्वारा मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति की दयनीय स्थिति का पता लगाने के बाद यह घटना घटी।
शरणार्थी शिविर के कैदियों के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने वास्तव में याचिकाकर्ता को याचिका दायर करने से मना कर दिया था।
मामले को इस फैसले से समाप्त करते हुए कि चूंकि वह पीड़ित पक्ष नहीं थी, इसलिए न्यायालय को ऐसा करना पड़ा।
पीड़ितों के अधिकारों की पूर्ण बहाली होने तक मामले की अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी।6
उच्च न्यायालय द्वारा खालरा की याचिका को खारिज करना, स्थापित सिद्धांतों के विरुद्ध है।
जनहित याचिका के संदर्भ में, तर्कसंगतता को लागू करने में आने वाली कठिनाइयों को दर्शाया गया है।
राजनीतिक पूर्वाग्रह और राष्ट्रवादी बयानबाजी के सामने कानून और तथ्यों के प्रति सम्मान।
राष्ट्रीय हित जो पंजाब में मानवाधिकारों के मुद्दों को अप्रासंगिक मानते थे।
बर्खास्तगी के बाद, I7 ने खालरा के साथ अमृतसर में बड़े पैमाने पर यात्रा की।
उसने जो सबूत जुटाए थे, उनकी समीक्षा और पुष्टि करने के लिए। मैंने परिचारकों से बात की।

1 आपराधिक रिट याचिका संख्या 990 वर्ष 1995।
2 एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ, 1981 अनुपूरक एस.सी.सी. 87 ए.आई.आर. 1982 एस.सी. 149.
3 फॉरवर्डेड कंस्ट्रक्शन बनाम प्रभात मंडल, 1986 (1) एससीसी 100: एआईआर 1986 एससी 39; एस. पी. गुप्ता बनाम
भारत संघ, ओ.पी.सी.टी.
4 डी.सी. वधवा बनाम बिहार राज्य, एआईआर 1987 एससी 579: 1987 (1) एससीसी 378; सेओनंदन पासवान बनाम राज्य
बिहार बनाम एआईआर 1987 एससी 877: 1987 एससीसी (क्रि) 82: 1987 (1) एससीसी 288: 1987 क्रि एलजे 793; पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 1982 (3) एससीसी 235; मुकेश आडवाणी बनाम स्टेट ऑफ एमपी, 1985 (3) एससीसी 162: 1985 एससीसी (एल एंड एस) 655; स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश बनाम पैरेंट, एससीसी 169: एआईआर 1985 एससी 910; एमसी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, एआईआर 1985 (1) एससीसी 395; उपेंद्र बक्सी बनाम स्टेट ऑफ यूपी, 1986 (2) एससीसी 146।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 (1) में कहा गया है: (1) इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन हेतु उचित कार्यवाही द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार गारंटीकृत है। (2) सर्वोच्च न्यायालय को इस भाग द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार के प्रवर्तन हेतु निर्देश, आदेश या रिट जारी करने का अधिकार होगा, जिनमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, अधिकार अधिकार और प्रमाणन रिट शामिल हैं, जो भी उचित हो। अनुच्छेद 226 (1) में कहा गया है: अनुच्छेद 32 में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक उच्च न्यायालय को उन सभी क्षेत्रों में, जिनके संबंध में वह क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण को, जिनमें उचित मामलों में

कोई सरकार भी शामिल है, तीसरे भाग द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार के प्रवर्तन हेतु तथा किसी अन्य उद्देश्य के लिए निर्देश, आदेश या रिट जारी करने का अधिकार होगा, जिनमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, अधिकार अधिकार और प्रमाणन रिट शामिल हैं।
5 पी. गुप्ता बनाम भारत संघ, 1981 अनुपूरक एस.सी.सी. 87 ए.आई.आर. 1982 एस.सी. 562.
6 Sheela Barse Vs. State of Maharashtra, AIR 1983 (SC) 378.
7. मैं राम नारायण कुमार को संदर्भित करता हूँ।
जसवंत सिंह खालरा: मानवाधिकारों के लिए शहीद 5

श्मशान घाट के, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के और भी बहुत कुछ। पीड़ितों के वे रिश्तेदार जिन्होंने संबंध स्थापित करने के लिए आवश्यक साक्ष्य उपलब्ध कराए
लापता होने और अवैध दाह संस्कार के बीच। दाह संस्कार के परिचारक ग्राउंड स्टाफ ने मुझे बताया कि पुलिस अक्सर एक या दो शवों के लिए जलाऊ लकड़ी खरीदती थी, लेकिन
कई और लोगों को एक ही चिता पर जला दिया गया। एक नागरिक अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) ने यह जानकारी दी।
जिले के अस्पताल ने स्वीकार किया कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ी की गई थी।
इसका विस्तार इस हद तक हो गया कि इसका अर्थ कारण की घोषणा करने वाले एक कागज को भरने से अधिक कुछ नहीं रह गया था।
और पुलिसकर्मियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मृत्यु का समय भी बताया गया।
सीएमओ ने सरबजीत सिंह के पोस्टमार्टम के भयावह विवरण भी दिए। 30 तारीख को अक्टूबर 1993 में, पुलिस अधिकारी सरबजीत सिंह के कथित रूप से मृत शरीर को लेकर आए।
शव परीक्षण के लिए उसे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में एक डॉक्टर ने पता लगाया कि वह व्यक्ति
सिर में गोली लगने के बावजूद वह सांस ले रहा था। इसके बाद, पुलिस अधिकारियों ने
घायल सरबजीत सिंह को ले गया, उसका शव लेकर लौटा और जबरदस्ती एक अलग रास्ता अपनाया।
मैंने शव परीक्षण रिपोर्ट भरने के लिए एक अलग डॉक्टर से बात की। मुझे कई सेवारत डॉक्टरों का साक्षात्कार लेने का भी अवसर मिला।
और सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी जिन्होंने नाम न छापने की शर्त पर विस्तृत विवरण प्रदान किए।
संक्षेप में की गई हत्याओं और अवैध दाह संस्कारों की दरें, एक ऐसी रणनीति के तहत जो नस्ल सुधार लाने के लिए अपनाई गई थी।
सिख अलगाववादी उग्रवाद को समाप्त करना।
इन जांचों के आधार पर, सूचना एवं आरंभिक समिति-
पंजाब पर व्यापक पुनर्विचार की मांग को लेकर सीआईआईपी ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की।
प्रश्न.8 न्यायालय का ध्यान "लापता होने" की समस्या की ओर आकर्षित करना

याचिका में दावा किया गया कि पंजाब पुलिस ने अवैध रूप से शवदाह किया था। राज्य भर में हजारों "अज्ञात" शवों के बारे में।9 याचिका में आगे कहा गया कि
इस बात की पुष्टि की गई है कि "अकेले अमृतसर जिले में ही 3,000 से अधिक परिवारों में एक या एक से अधिक समस्याएं हैं।"
'लापता होने' की रिपोर्ट करने के लिए। उनके साथ क्या हुआ होगा, यह दिखाने के लिए, याचिकाकर्ता ने...
पुलिस अधिकारियों द्वारा दुर्गियाना में की गई लकड़ी की खरीद के रिकॉर्ड उपलब्ध कराए गए।
अमृतसर जिले के मंदिर और पट्टी श्मशान घाट। चौथे पैराग्राफ में
याचिका में कहा गया है: “जिस चीज की बात हो रही है वह व्यवस्थित और सतत नीति है।”
पुलिस द्वारा की गई हत्या/न्यायिक हत्याओं और शवों के निपटान के मामले पूरे विश्व में दर्ज किए गए हैं।
राज्य। इन शवों का अंतिम संस्कार 'अज्ञात' के रूप में किया गया, इसलिए नहीं कि उनकी पहचान हो चुकी थी।
अज्ञात या अज्ञात या क्योंकि मृतकों पर दावा करने वाला कोई नहीं था, लेकिन एक
यह जानबूझकर बनाई गई नीति का मामला है।"
याचिका में यह भी बताया गया कि पंजाब पुलिस नियमों के नियम 25.38 के तहत

अध्याय XXV में, सृजन से पहले पालन की जाने वाली एक विस्तृत प्रक्रिया स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई थी।
अज्ञात शवों का यौन संबंध बनाना। आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के नियम भी इसके अंतर्गत आते हैं।
किसी भी अप्राकृतिक घटना में मृत्यु होने पर अपनाई जाने वाली कार्यवाही का विवरण दिया गया है।
पुलिस ने इन नियमों और प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया था जो अनिवार्य हैं। कानून। याचिका ने अपने मुख्य भाग का समापन यह घोषणा करते हुए किया कि दाह संस्कार
शव बरामदगी की रिपोर्टों के बाद से केवल कुछ "लापता होने" की घटनाओं की ही व्याख्या की गई है।
कई समाचार पत्रों में प्रकाशित सभी प्रमुख और लघु नहरों की तस्वीरों से पता चला कि
कि पुलिस शवों को ठिकाने लगाने के लिए अन्य तरीकों का भी इस्तेमाल कर रही थी। याचिका में कहा गया था कि...
इस मामले में व्यापक जांच की मांग की गई, जिसका आधार यह भी था कि मृतकों के परिवारों को प्रभावित किया गया था।
लापता हुए लोगों को उनके बारे में ठोस जानकारी प्राप्त करने का अधिकार था।

8. पंजाब सूचना एवं पहल समिति बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य, रिट याचिका (सीआरएल) संख्या 447/95.
याचिका के अनुच्छेद 9. पैरा 1.
10 वही।
6 राख में तब्दील

पुलिस द्वारा गैरकानूनी रूप से ले जाने के बाद उनके प्रियजनों का क्या हश्र हुआ।10
प्रारंभिक सुनवाई के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने सीआईआईपी से पहले
पुलिस अपहरण की शिकायतों और रिपोर्टों के बीच वास्तविक संबंध स्थापित करें।
अवैध दाह संस्कारों पर। यह एक कठिन कार्य था क्योंकि पीड़ितों के रिश्तेदार मौजूद नहीं थे।
जानिए पुलिस द्वारा पीड़ितों के अपहरण और उनके लापता होने के बाद क्या हुआ।
हालांकि, सीआईआईपी बलदेव सिंह का एक हलफनामा दाखिल करने में सफल रही, जो कि निर्णायक रूप से
अपहरणों, गुमशुदा लोगों और गुप्त खुलासों के बीच संबंध स्थापित किए गए। शवों का निपटान। हलफनामे में एक हताश व्यक्ति के निम्नलिखित अनुभवों का वर्णन किया गया है।
अमृतसर शहर में 19 तारीख को पुलिस द्वारा एक सिनेमा हॉल से बेटे का अपहरण किए जाने के बाद पिता ने अपनी बात रखी।
सितंबर 1990:

अमृतसर के 65 वर्षीय बलदेव सिंह 9 पंजाब रेजिमेंट से सेवानिवृत्त हुए थे।
पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान गंभीर रूप से घायल होने के बाद भारतीय सेना की सेवा में वापसी।
बलदेव ने 1965 में जम्मू और कश्मीर के पुंछ सेक्टर में हुए युद्ध में भाग लिया था।
सिंह की सबसे बड़ी बेटी मनजीत कौर भारत की स्टार महिला वेटलिफ्टर रह चुकी थीं।
उन्होंने 19 स्वर्ण पदक जीते थे। उन्होंने कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था।
बीजिंग में आयोजित एशियाई खेलों सहित। उनके सबसे छोटे बेटे, 25 वर्षीय प्रगत
सिंह डेयरी फार्म चलाकर अपना जीवन यापन करते थे। पुलिस ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया।
उसे पूछताछ के लिए ले जाया गया और अवैध हिरासत में यातना दी गई।
उत्पीड़न सहन करने के लिए प्रगत सिंह घर से भाग गया, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
19 सितंबर 1990 को जब वह अपने चचेरे भाई चयन के साथ फिल्म देख रहे थे, तभी उनकी मृत्यु हो गई।
सिंह अमृतसर के एक सिनेमा हॉल, संधू टॉकीज में।
5 नवंबर 1992 को, समाचार पत्रों ने प्रगत सिंह की कथित मौत की खबर प्रकाशित की।
अमृतसर के उपनगर राजा सांसी के पास पुलिस के साथ सशस्त्र मुठभेड़। बलदेव सिंह ने अमृतसर के जनरल अस्पताल में एक कर्मचारी से बात की, जहां यह पद खाली है।
शव का पोस्टमार्टम किया जा चुका था। कर्मचारी द्वारा शव का विवरण।
प्रगत सिंह के स्कोर से मेल खाता था।
पुलिस द्वारा आग लगाए जाने के ठीक उसी समय बलदेव सिंह दुर्गियाना मंदिर श्मशान घाट पहुंचे।
चिता। सिर पहले से ही जल रहा था, लेकिन शरीर का बाकी हिस्सा अभी भी सुरक्षित था।
हालांकि बलदेव सिंह को अंतिम संस्कार के लिए अस्थियां ले जाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अपहरणकर्ता ने...
प्रगत सिंह के अवैध अंतिम संस्कार और उनके शवदाह को आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया गया।
बलदेव सिंह के हलफनामे में यह भी कहा गया है कि उनकी बेटी मनजीत कौर इतनी सदमे में थी।
इस घटना के चलते उन्होंने फैसला किया कि वे फिर कभी किसी भी प्रतिस्पर्धी प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगी।
खेल।
शपथ पत्र प्राप्त होने के बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका स्वीकार कर ली और
पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया।

जसवंत सिंह खालरा का अपहरण
6 सितंबर 1995 को सुबह लगभग 9:20 बजे, पंजाब पुलिस के सशस्त्र कमांडो ने

जसवंत सिंह खालरा का अपहरण उस समय किया गया जब वह अपने घर के बाहर अपनी कार धो रहे थे।
8, कबीर पार्क, अमृतसर। अपहरणकर्ताओं में से चार नीले रंग की मारुति कार में आए थे।
वैन में सवार लोग पंजाब पुलिस की वर्दी पहने हुए थे और स्वचालित हथियारों से लैस थे।
स्थानीय पत्रकार और खालरा के मित्र राजीव सिंह रंधावा, खालरा से मिलने आए हुए थे।
उस सुबह पत्रकार ने अपहरण की घटना देखी। पत्रकार ने तीन व्यक्तियों की पहचान की।
नीली वैन के पीछे एक पुलिस जीप थी, जिसमें पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) अशोक कुमार, सरहाली पुलिस स्टेशन के एसएचओ सुरिंदरपाल सिंह और पृथ्वीपाल सिंह, जसवंत सिंह खालरा: मानवाधिकारों के लिए शहीद 7

मनोचाहल पुलिस स्टेशन का हेड कांस्टेबल।
जसवंत सिंह खालरा को कुछ समय से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष धमकियां मिल रही थीं।
अमृतसर जिले के पुलिस अधिकारियों से, विशेष रूप से तरन तारन के वरिष्ठ अधिकारियों से
पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अजीत सिंह संधू। बाद वाले ने चेतावनी दी थी कि... अगर खालरा इस मामले में अपनी भागीदारी समाप्त नहीं करता, तो वह भी एक अनिर्दिष्ट व्यक्ति बन जाएगा।
अधिकृत निकाय। हालाँकि खालरा के दोस्तों और सहयोगियों में तत्कालीन राष्ट्रपति भी शामिल थे।
the Shiromani Gurudwara Prabandhak Committee (SGPC) and senior Akali leader
गुरचरण सिंह तोहरा ने उन्हें कुछ देर के लिए घटनास्थल से चले जाने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया।
धमकियों के आगे झुकने के बजाय उन्होंने अपने पैतृक देश में मानवाधिकारों के लिए काम जारी रखने का फैसला किया।
क्षेत्र।
जसवंत सिंह खालरा के अपहरण के चश्मदीद गवाह राजीव सिंह रंधवा,
मैंने तुरंत श्रीमती परमजीत कौर खालरा को फोन किया, जो वहां लाइब्रेरियन के रूप में काम करती थीं।
अमृतसर स्थित गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में, उन्हें इस बारे में सूचित करने के लिए। रास्ते में
पुस्तकालय, जो उसके घर से पांच मिनट की पैदल दूरी पर है, उसके पास था
उसने अपने घर के पास वाली गली के अंत में एक पुलिस वाहन खड़ा देखा था और उसने यह भी देखा था कि
recognized SHO Jasvir Singh of Manochahal police station and SHO Surinderpal
तरन तारन के सरहाली पुलिस स्टेशन के सिंह, जो वाहन के पास खड़े थे। फोन कॉल मिलने के बाद परमजीत कौर खालरा तुरंत घर पहुंचीं और साथ में

राजीव सिंह रंधावा के साथ शिकायत दर्ज कराने के लिए इस्लामाबाद पुलिस स्टेशन गए।
अपहरण के बारे में। पुलिस ने उसकी शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया। फिर वह चली गई...
पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) डी. आर. भट्टी से मुलाकात की, जिन्होंने जांच कराने का वादा किया।
जब परमजीत कौर कई हमदर्दों के साथ दोबारा उनके पास गईं
7 सितंबर की सुबह, आईजी ने दावा किया कि उन्हें कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई।
अपने पति के अपहरण के बारे में। श्रीमती खालरा फिर एसजीपीसी11 के कार्यालय गईं।
स्वर्ण मंदिर परिसर के भीतर जाकर उन्होंने इसके अध्यक्ष गुरचरण सिंह से मुलाकात की।
तोहरा ने तुरंत न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह को संबोधित एक टेलीग्राम भेजा।
सुप्रीम कोर्ट।

सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप
11 सितंबर 1995 को न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह ने तोहरा के मामले को स्वीकार करने का आदेश पारित किया।
टेलीग्राम को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के रूप में प्रस्तुत किया गया और पंजाब के अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया।
सरकार ने उन्हें जसवंत सिंह खालरा को पेश करने या हिसाब देने का निर्देश दिया है।
एक सप्ताह के भीतर उसके ठिकाने का पता चल जाएगा।
अमृतसर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) सुखदेव सिंह छिना ने हलफनामा दाखिल किया। विट ने दावा किया कि खालरा किसी भी मामले में वांछित नहीं था और यह कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया था। अन्य अधिकारियों ने हलफनामे दाखिल कर घोषणा की कि पंजाब
अधिकारी खालरा का पता लगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि वह संभवतः
गिरोहों के बीच आपसी प्रतिद्वंद्विता का शिकार हो गए हैं और संभवतः प्रतिद्वंद्वी उग्रवादियों के एक समूह ने इसमें भूमिका निभाई है।
उसे ले जाया गया। तरन तारन के एसएसपी अजीत सिंह संधू ने बयान दाखिल कर इस बात से इनकार किया।
कि उसने कभी खालरा को धमकी दी थी। इस बीच, परमजीत कौर खालरा ने भी शिकायत दर्ज कराई थी।
बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के लिए एक नियमित याचिका, जिसमें विस्तृत विवरण दिया गया हो।

11 एसजीपीसी, जो सभी ऐतिहासिक सिख तीर्थस्थलों के प्रबंधन और अनुष्ठानों को नियंत्रित करती है, एक
एक शक्तिशाली संगठन जिसे सभी सिखों ने अपनी धार्मिक संसद के रूप में चुना है।
8 राख में तब्दील

प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर अपहरण।
15 नवंबर 1995 को पंजाब के एडवोकेट-जनरल ने न्यायालय से अनुरोध किया कि वह सौंप दे
खालरा के अपहरण और लापता होने की जांच को लेकर केंद्रीय ब्यूरो को सूचना दी गई।
पुलिस की जांच में कोई प्रगति न होने के कारण सीबीआई ने जांच आयोग को मामला सौंप दिया।12 समझौता-
इसी क्रम में, न्यायालय ने सीबीआई को एक उत्तरदायी समिति के तहत जांच दल नियुक्त करने का निर्देश दिया।
न्यायालय ने पुलिस द्वारा अपहरण के आरोपों पर भी ध्यान दिया।
जसवंत सिंह खालरा द्वारा किए गए एक शोध पत्र में हत्याओं, गुमशुदा लोगों और अवैध दाह संस्कारों के बारे में बताया गया है।
16 जनवरी 1995 की प्रेस विज्ञप्ति। 15 नवंबर 1995 के अपने आदेश में, इन जांचों के संबंध में न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह ने टिप्पणी की: “यदि यह पाया जाता है कि तथ्य
प्रेस नोट में कही गई बातें सही हैं - भले ही आंशिक रूप से ही सही हों - यह एक भयावह कहानी होगी।
मानवाधिकारों का उल्लंघन। यह कल्पना करना भयावह है कि बड़ी संख्या में लोगों के शव...
कथित तौर पर हजारों लोगों का पुलिस द्वारा बिना किसी रस्म के अंतिम संस्कार किया जा सकता है।
इसे ‘अज्ञात’ के लेबल के साथ प्रस्तुत किया गया है। लोकतंत्र और कानून के शासन में हमारा विश्वास आश्वस्त करता है कि...
हमें विश्वास दिलाया कि इस देश में इस प्रकार की कोई घटना कभी नहीं हो सकती, लेकिन आरोपों के अलावा और कुछ नहीं हो सकता।
प्रेस विज्ञप्तियाँ – चाहे वे कितनी भी भयावह क्यों न हों – गहन जाँच की आवश्यकता है। इसलिए, हम
सीबीआई निदेशक को निर्देश दें कि वे तथ्यों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय टीम नियुक्त करें।
16 जनवरी, 1995 की प्रेस विज्ञप्ति में निहित जानकारी के अनुसार, हम सभी संबंधित पक्षों को निर्देश देते हैं।
पंजाब राज्य के अधिकारियों, जिनमें डीजीपी भी शामिल हैं, को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए कहा गया है।
सीबीआई जांच में लगी हुई है… सीबीआई इस मामले की जांच पूरी करेगी। खालरा का अपहरण तीन महीने के भीतर हुआ… दूसरी जांच के संदर्भ में संबंधित पक्षों को ध्यान में रखते हुए, हम कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करते हैं, बल्कि सीबीआई को अंतरिम रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हैं...
हर तीन महीने बाद।"
यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि न्यायालय के आदेश में जांच की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई थी;
क्षेत्रीय, संख्यात्मक या शवों के निपटान के तरीके के आधार पर। इसमें केवल इसी बारे में बात की गई थी।
मानवाधिकार उल्लंघनों की भयावह गाथा, भयावह आरोप और आवश्यकता

12. संयुक्त राज्य अमेरिका में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के समकक्ष, सीबीआई प्रमुख जांच एजेंसी है।
सीबीआई की स्थापना 1963 में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन की गई थी। इसमें देश भर के विभिन्न पुलिस कैडरों से लगभग 5,000 चयनित पुलिस अधिकारी शामिल हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारी रक्षा खरीद से जुड़े रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान की एक शाखा के रूप में, सीबीआई अपने शुरुआती वर्षों में एक भ्रष्टाचार-विरोधी संगठन बनी रही। बाद में, इसने केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिसूचित भारतीय दंड संहिता से संबंधित अपराधों की जांच शुरू की। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के रूप में, सीबीआई अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (आईसीपीओ), जिसे आमतौर पर इंटरपोल के नाम से जाना जाता है, और अन्य अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एजेंसियों के साथ भी समन्वय करती है। सीबीआई कलकत्ता में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, अलग-अलग बैलिस्टिक और पॉलीग्राफ विभाग और केंद्रीय फिंगरप्रिंट ब्यूरो का भी संचालन करती है।
उच्च दक्षता, निष्पक्षता और ईमानदारी के उच्च मानकों के लिए अपनी प्रतिष्ठा को देखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय उच्च पदों पर भ्रष्टाचार से जुड़े हाई-प्रोफाइल और राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों की जांच के लिए सीबीआई का उपयोग करता रहा है। इसकी शुरुआत 1990 में प्रधानमंत्री वी. पी. सिंह के कार्यकाल में बोफोर्स सौदे की जांच से हुई, जिसमें आरोप लगे थे कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और उनके करीबी सहयोगियों ने स्वीडिश हथियार कंपनी से भारी रिश्वत ली थी। सीबीआई द्वारा जांच किए गए अन्य सनसनीखेज मामलों में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा सांसदों को रिश्वत देने का मामला, सेंट किट्स मामला, प्रधानमंत्री राव को फंसाने वाला लखुभाई पाठक मामला और जैन हवाला मामला शामिल हैं, जिसमें विभिन्न दलों के कई महत्वपूर्ण राजनेताओं पर संदिग्ध स्रोतों से अवैध धन प्राप्त करने के आरोप लगे थे।
कर्नाटक कैडर के सिख भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी जोगिंदर सिंह, सीबीआई के निदेशक थे जब सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध दाह संस्कार का मामला सीबीआई को सौंपा था। (हरबंस सिंह, सीबीआई फाइल, रोली बुक्स इंटरनेशनल, नई दिल्ली, 1987; हरबंस सिंह, द सीबीआई फाइल-2, देहरादून, 1989; जोगिंदर सिंह, विदाउट फियर ऑर फेवर: एन ऑटोबायोग्राफी, कावेरी बुक्स, नई दिल्ली, 1998; जोगिंदर सिंह, इनसाइड द सीबीआई, चंद्रिका पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1999; जोगिंदर सिंह, आउटसाइड द सीबीआई, ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1999)। जसवंत सिंह खालरा: मानवाधिकारों के लिए शहीद 9

प्रेस नोट में निहित तथ्यों की जांच करें। इस आदेश के बाद, निम्नलिखित कार्य पूरे करें:
व्यापक जांच की अपील के मद्देनजर, सीआईआईपी की याचिका संख्या 447/95 को भी स्थानांतरित कर दिया गया था।
न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता वाली उसी पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। इसके बाद, दोनों याचिकाएं-
सभी बातें एक साथ सुनी गईं।
22 जुलाई 1996 को सीबीआई ने एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें 984 अवैध गतिविधियों का खुलासा किया गया।

1984 से 1994 तक तरन तारन में हुए दाह संस्कारों के संबंध में सीबीआई ने अदालत से भी अनुरोध किया।
पुलिस अधिकारियों के खिलाफ तीन अलग-अलग आपराधिक मामले दर्ज करने का आदेश देना
संदिग्ध परिस्थितियों में हुई तीन मौतों के संबंध में। न्यायालय ने आदेश दिया
सीबीआई को मामले दर्ज करने का निर्देश दिया गया। साथ ही जांच एजेंसी को एक नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया गया।
आम जनता को जांच में सहयोग करने के लिए सामान्य सूचना। न्यायालय का आदेश दिनांक 22 जुलाई 1996 के पत्र में कहा गया था: “चूंकि बड़ी संख्या में शव कथित तौर पर पाए गए हैं
यदि मामला पुलिस द्वारा निपटा दिया गया है, तो किसी अन्य संस्था से सहायता लेना आवश्यक हो सकता है।
आम जनता। हम सीबीआई को निर्देश देते हैं कि वह जांच के दौरान एक सामान्य विज्ञप्ति जारी करे।
आम जनता को यह निर्देश दिया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति/प्राधिकरण/सरकार क्या कार्यालय के पास कोई ऐसी जानकारी/सामग्री है जो सहायक हो सकती है? इस मामले की जांच सीबीआई द्वारा की जाएगी, इसे सीबीआई के समक्ष रखा जाएगा। श्री पी. एस. संधू, डीआईजी (सीमा) को सभी संबंधित अभिलेख सौंपने का निर्देश दिया जाए।
सीबीआई को तुरंत सूचित करें।
30 जुलाई 1996 को सीबीआई ने खालरा के अपहरण और लापता होने के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
एसएसपी अजीत सिंह संधू के नेतृत्व में पंजाब पुलिस के नौ अधिकारियों को पेशी के दौरान हिरासत में लिया गया।
जिम्मेदार। सीबीआई के अनुरोध पर, न्यायालय ने उन पर लगे आरोपों के तहत मुकदमा चलाने का निर्देश दिया।
साजिश रचने और "किसी को गुप्त रूप से और गलत तरीके से कैद करने के इरादे से अपहरण" करने के आरोप में।
व्यक्ति”। न्यायालय ने पंजाब के मुख्य सचिव को उनके अनुमोदन की अनुमति देने का भी निर्देश दिया।
आदेश जारी होने के तीन सप्ताह के भीतर अभियोजन। दिनांक 19 अगस्त का मंजूरी आदेश।
1996 में सीबीआई के उन निष्कर्षों को स्पष्ट किया गया जिन्होंने अपहरण की आपराधिक साजिश को स्थापित किया।
जसवंत सिंह खालरा द्वारा नियुक्त। स्वीकृति आदेश में उल्लेख किया गया है कि 24 अक्टूबर को
1995 में, अपहरण के 48 दिन बाद, खालरा को कांग में अवैध हिरासत में देखा गया था।
किक्कर सिंह नामक एक व्यक्ति को भी वहां अवैध रूप से हिरासत में लिया गया था और वह पुलिस स्टेशन में मौजूद था।
मंजूरी आदेश में उल्लेख किया गया है कि किक्कर सिंह ने खालरा के शरीर पर चोटें देखी थीं।
हिरासत में यातना दिए जाने के सबूत। इसमें आगे कहा गया कि किक्कर सिंह ने मदद की।

कांग पुलिस स्टेशन से ले जाए जाने से पहले खलरा ने खाना खाया था, और फिर उसे कभी नहीं देखा गया।
फिर से। किक्कर सिंह की 14 अक्टूबर से 11 नवंबर 1995 तक की अवैध हिरासत, जैसा कि
राज्यपाल के स्वीकृति आदेश में स्पष्ट की गई बात की स्वतंत्र रूप से पुष्टि की गई थी।
चंडीगढ़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की गई जांच, जिस पर भरोसा किया गया है
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से उन्हें आर्थिक मुआवजा देने का अनुरोध किया गया है। साक्ष्य-
राज्यपाल के दंड आदेश में दर्ज साक्ष्य ने गंभीर अपराधों की पुष्टि की। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302, 364, 346, 330, 331 और 120 के तहत। 13
हालांकि, अपराधियों को आईपीसी की धारा 365 के तहत ही गिरफ्तार किया गया था, जो कि "बच्चे-
किसी व्यक्ति को गुप्त रूप से और गलत तरीके से कैद करने के इरादे से झपकी लेना”, एक दुखद घटना
अपहरण के इरादे से किए गए अपराध को साबित करने वाले सबूतों के बावजूद अपर्याप्त आरोप।
हत्या, अवैध कारावास, हिरासत में यातना और हिरासत में हत्या। इसके बाद, पूर्व विशेष पुलिस अधिकारी कुलदीप सिंह, जो कांग पुलिस स्टेशन से जुड़े थे।
थाने ने सीबीआई को बताया कि खालरा को यातनाएं दी गईं और फिर रात में गोली मारकर हत्या कर दी गई।
24 अक्टूबर 1995 को उनके शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिए गए और उन्हें सतलुज नदी में फेंक दिया गया।

13 राज्यपाल का स्वीकृति आदेश, संख्या 11/237/96-3H(I)/Spl.942, दिनांक 19 अगस्त 1996।
10 राख में तब्दील

Hari Ke Pattan.
स्वीकृति आदेश और कुलदीप सिंह की गवाही में वर्णित इनमें से कोई भी तथ्य-अदालत को पैसों की जानकारी थी, जिसने खालरा को जीवित मान लिया था, जब उसने 30 जुलाई 1996 को अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन का आदेश दिया गया। 7 अगस्त 1996 को,
अदालत ने पंजाब सरकार को अंतरिम मुआवजे के तौर पर दस लाख रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया।
श्रीमती खालरा को मुआवजा। अदालत के आदेश में कहा गया है: "तथ्य यह है कि अपहरणकर्ता 6 सितंबर 1995 से खालरा को उसके परिवार से दूर रख रहे हैं। किसी ऐसे व्यक्ति का गायब हो जाना जिसके परिवार को उसके ठिकाने के बारे में बिल्कुल भी जानकारी न हो – यहाँ तक कि
वह जीवित है या मृत, इस तथ्य के बारे में संदेह करना मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध है।

ऐसी परिस्थितियों में, हम पंजाब सरकार को 10 रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश देते हैं।
श्री जसवंत सिंह की पत्नी श्रीमती परमजीत कौर को अंतरिम मुआवजे के रूप में 1 लाख रुपये दिए गए।
खालरा। यदि पुलिस अधिकारी दोषी पाए जाते हैं, तो पंजाब राज्य उनसे वसूली कर सकता है।
पुलिस अधिकारियों से प्राप्त राशि…”14
सीबीआई ने एसएसपी अजीत सिंह संधू और अन्य के खिलाफ मुकदमा शुरू किया। आईपीसी की धारा 365 के तहत, यानी "गुप्त रूप से और गलत इरादे से अपहरण करना- किसी व्यक्ति को पूरी तरह से कैद करना”, यह आरोप सबूतों के सामने बेहद अपर्याप्त है।
हत्या के इरादे से अपहरण, अवैध कारावास और हिरासत साबित करना
यातना। 16 नवंबर 1996 को पटियाला की जिला एवं सत्र न्यायालय ने रिहा किया एसएसपी संधू जमानत पर रिहा।
10 दिसंबर 1996 को सीबीआई ने अपनी अंतिम और पांचवीं रिपोर्ट प्रस्तुत की। पुलिस द्वारा अपहरण और शवों के अवैध निपटान का व्यापक मुद्दा। न्यायालय सीबीआई अधिकारियों के आग्रह पर इसकी पूरी सामग्री को गुप्त रखने का निर्णय लिया गया।
इस आधार पर कि प्रकाशन से आगे की जांच में बाधा उत्पन्न होगी
हालांकि, न्यायालय के 12 दिसंबर 1996 के आदेश में 2,098 अवैध गतिविधियों का खुलासा हुआ।
दाह संस्कार में 582 पूरी तरह से पहचाने गए, 278 आंशिक रूप से पहचाने गए और 1,238 शव शामिल हैं।
अमृतसर के तीन श्मशान घाटों पर राज्य एजेंसियों द्वारा अज्ञात लोगों द्वारा की गई कार्रवाई।
यह जिला पंजाब के 17 जिलों में से एक है। संभवतः सीबीआई ने ये आंकड़े प्राप्त किए हैं।
सीआईआईपी द्वारा अपने आरोपों को प्रमाणित करने के लिए प्रस्तुत किए गए रिकॉर्ड की जांच करके निष्कर्ष निकाले गए।
सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि “रिपोर्ट में घोर उल्लंघन का खुलासा हुआ है-
मानवाधिकारों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन।" सीबीआई को अपराधों की जांच करने का निर्देश देना-
न्यायालय को अंतिम दोषसिद्धि निर्धारित करने और अपनी प्रगति पर त्रैमासिक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
12 दिसंबर 1996 के आदेश में कहा गया: “हम राष्ट्रीय मानवाधिकार समिति से अनुरोध करते हैं-
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने अपने अध्यक्ष के माध्यम से मामले की जांच कराने का अनुरोध किया है।
कानून के साथ तालमेल बिठाकर, अपने समक्ष उठाए गए सभी मुद्दों का निपटारा करना।
पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा एनएचआरसी की ओर से। चूंकि मामला आगे बढ़ने वाला है
इस न्यायालय के अनुरोध पर एनएचआरसी द्वारा जांच की गई, किसी भी प्रकार का मुआवजा दिया गया

बाध्यकारी और देय होगा। 15
सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले को राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजस्व आयोग (एनएचआरसी) को सौंपे जाने के बाद से छह साल बीत चुके हैं।
हालांकि, सीसीडीपी द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद कोई सार्थक प्रगति नहीं हुई है।
एनएचआरसी को उसके दस्तावेज़ीकरण कार्य में सहायता करने में काफी कठिनाइयाँ आईं।
दिल्ली स्थित सीआईआईपी के माध्यम से।

14 भारत का सर्वोच्च न्यायालय, न्यायालय संख्या 2, डब्ल्यू. पी. (क्रिमिनल) 497 के मामले में कार्यवाही का अभिलेख।
1996, परमजीत कौर बनाम पंजाब राज्य और अन्य। दिनांक 7 अगस्त 1996 का आदेश।
15 परमजीत कौर और पंजाब सूचना एवं पहल समिति बनाम पंजाब राज्य, रिट याचिकाएँ
(आपराधिक) संख्या 497/95 और 447/95, आदेश दिनांक 12 दिसंबर 1996।
जसवंत सिंह खालरा: मानवाधिकारों के लिए शहीद 11

भाग दो: पंजाब का कथात्मक इतिहास
और मानवाधिकार प्रेरणाएँ

राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष छह साल की कार्यवाही के इतिहास में जाने से पहले
मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के समक्ष, हम चिंतन करने के लिए इस वृत्तांत को रोकेंगे।
जसवंत सिंह खालरा के जीवन के कुछ अनुभवात्मक और प्रेरणादायक पहलुओं पर आधारित।
इसी बात ने उन्हें न्याय और मानवाधिकारों के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए प्रेरित किया।
पंजाब। यह चिंतन, उनकी स्मृति को श्रद्धांजलि देने के अलावा, पंजाब की मदद करेगा।
पाठक समिति द्वारा किए गए कार्य के ऐतिहासिक संदर्भ को समझ सकें।
पंजाब में गुमशुदा लोगों के समन्वय के लिए (सीसीडीपी)। जीवनी संबंधी संदर्भ-
ये निष्कर्ष खालरा के माता-पिता, उनकी पत्नी और दोस्तों के साथ हुई हमारी बातचीत से प्राप्त हुए हैं।
और सहयोगी।
जसवंत सिंह खालरा का जन्म 1952 में अमृतसर जिले के खालरा गांव में हुआ था।
भारत की पाकिस्तान सीमा पर स्थित पंजाब, जो दोनों देशों के बीच विभाजित है।
1947 में स्वतंत्रता के समय, खालरा गाँव एक बड़े क्षेत्र का हिस्सा था।
पठाना नामक वह परगना, जो भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित था। सिखों के लिए,
यह गाँव एक मंदिर के निर्माण के कारण बहुत महत्वपूर्ण था।

सिख धर्म के पहले गुरु, गुरु नानक द्वारा स्थापित इस तीर्थस्थल के अवशेष आज भी वहां देखे जा सकते हैं।
गांव के मूल सिख निवासी एक समूह से अपनी वंशावली का दावा करते हैं।
सन्धू सिखों ने 1714 में इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। वे सन्धू सिखों के सदस्य थे।
बांदा सिंह बहादुर की किसान सेना, जिसे अंतिम सिख ने सिख धर्म में परिवर्तित किया था।
गुरु गोविंद सिंह, जिनकी 1708 में हत्या कर दी गई थी। बंदा सिंह बहादुर अपने जीवन के अंतिम सात वर्षों में उन्होंने पंजाब में एक किसान विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसने अपरिवर्तनीय रूप से बदलाव ला दिए।
पहले से ही पतन की ओर अग्रसर मुगल साम्राज्य के दिखावे को नष्ट करना। एक पूर्वज
खालरा परिवार के सरदार सूरत सिंह इस समूह के नेता थे। एक स्मारक जो उनकी बहादुरी और नेतृत्व की याद में बनाए गए स्मारक आज भी गांव में मौजूद हैं।

गदर आंदोलन
जसवंत सिंह के दादा हरनाम सिंह इससे पहले शंघाई चले गए थे।
1914 में प्रथम विश्व युद्ध का प्रकोप हुआ। वहाँ, वह एक समूह के साथ जुड़ गए।
अमृतसर के सरहाली गांव के मूल निवासी गुरदित सिंह के नेतृत्व में भारतीय क्रांतिकारी
जिले और ग़द्र नामक समूह के संस्थापक, जिसका अर्थ है विद्रोह, जिसका उद्देश्य था
भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना। गुरदित सिंह सिंगापुर में रहते थे और एक
हर दयाल पर पूरा भरोसा था, जो गर्भपात कराने के बाद अमेरिका भाग गया था। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में वायसराय हार्डिंग की हत्या का सक्रिय प्रयास किया गया। उस दिन
उस दिन, दिल्ली में भारत की राजधानी के रूप में अपनी नई स्थिति का जश्न मनाने के लिए एक भव्य समारोह आयोजित किया जा रहा था।
ताल शहर में वायसराय एक स्मारक परेड में हाथी पर सवार थे, तभी एक
राहगीर द्वारा फेंका गया एसिड बम घोड़े की काठी से टकराकर फट गया, जिससे एक भारतीय की मौत हो गई।
परिचारक। हार्डिंग को केवल मामूली चोटें आईं। हत्यारे भागने में सफल रहे। 16

16 रिचर्ड जे. पॉपलवेल, इंटेलिजेंस एंड इंपीरियल डिफेंस: ब्रिटिश इंटेलिजेंस एंड द डिफेंस ऑफ द
भारतीय साम्राज्य, 1904-1924, फ्रैंक कैस, लंदन, 1995, पृ. 80-81.
12 राख में तब्दील

ये क्रांतिकारी समूह, जिन्होंने अपनी रणनीतियों में समन्वय स्थापित करना शुरू कर दिया था और

1905 ... ...

खुफिया एजेंसी द्वारा नोनी गोपाल सेनगुप्ता को निर्वासित करने की अनुमति के लिए वायसराय से अनुरोध किया गया था।
पुलिस ने उसे मुख्य आतंकवादी के रूप में पहचाना था, हालांकि पुलिस उसे पकड़ने में नाकाम रही थी।
इस अधिनियम में। भारत सरकार ने जवाब दिया कि वह निर्वासन को "एक
अच्छे पुलिस प्रशासन के लिए उचित और अनुमेय विकल्प।20 यहां तक कि एक पुलिस की निगरानी में संदिग्ध होने पर, सरकार के पास पर्याप्त सबूत होने चाहिए।
इस उपाय को उचित ठहराएं। 1909 की शुरुआत में, आपराधिक खुफिया विभाग के निदेशक ने...
पुलिस (सीआईडी) ने गोपाल कृष्ण देवधर नामक एक प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता को दोषी ठहराया।
जब देवधर संयुक्त प्रांत गया तो उस पर नजर रखी जा रही थी।
लाला लाजपत राय के साथ, जो पंजाब के एक कट्टरपंथी नेता थे और विभाजन-विरोधी आंदोलन में शामिल थे।
जब देवधर ने शिकायत की, तो स्थानीय सरकार ने उसका साथ दिया।
इस आधार पर कि सीआईडी के पास उसकी निगरानी को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे।

भारत के राज्य सचिव को लिखे पत्र संख्या 179, 15 नवंबर, 1887 के संलग्नक, “संदेश पर”
भारत सरकार के अधीन एक खुफिया विभाग का गठन”, क्रॉस पेपर्स, आईओएलआर एमएसएस. यूर. ई. 243/23; ठगी और डकैती के अधीक्षक कर्नल हेंडरसन द्वारा विदेश विभाग के सचिव को लिखे पत्र का अंश, जिसमें दुलिप सिंह की गतिविधियों में सिखों द्वारा कथित रुचि का उल्लेख है, जून 1887, क्रॉस पेपर्स, आईओएलआर एमएसएस. यूर. ई. 243/22 – रिचर्ड जे. पॉपलवेल, इबिड., पृष्ठ 22-25 में उद्धृत।
18 जे. एम. ब्राउन द्वारा उद्धृत, आधुनिक भारत: एशियाई लोकतंत्र की उत्पत्ति, ओयूपी, 1985, पृष्ठ 100
19 एमएसएस. यूर. डी. 573/84, पत्र दिनांक 8 दिसंबर 1908, एलओआर:एल.
भारत सरकार के पत्र संख्या 91-पृष्ठ, दिनांक 8 जनवरी के संबंध में गृह विभाग द्वारा जारी टिप्पणी।
1910, एचएडी अप्रैल 1910, संख्या 59-62, रिचर्ड जे. पॉपलवेल में उद्धृत, वही, पृष्ठ 110।
जसवंत सिंह खालरा: मानवाधिकारों के लिए शहीद 13

जिसे वापस लेना पड़ा।21 अधिकारियों को बहुत गुस्सा आया। एक वरिष्ठ अधिकारी
शिकायत की: “आपराधिक खुफिया विभागों को अक्सर इसके अधीन किया जाता है मित्र और शत्रु दोनों ओर से हमले; एक ओर तो उनकी विफलता के कारण
केंद्रीय संगठन जिसका अस्तित्व होना चाहिए और दूसरी ओर, कथित आवश्यकता के लिए-
काल्पनिक और निर्दोष संदिग्धों और समाज पर कम और अत्यधिक ध्यान दिया जाना-

ये संगठन और धार्मिक संस्थाएं, जो देखने में और कहने में हानिरहित लगती हैं...
उन व्यक्तियों और संस्थानों पर नजर रखना लगभग असंभव है जिन पर नजर रखनी आवश्यक है।
सतर्क रहें, और फिर भी इधर-उधर होने वाली कुछ अप्रिय घटनाओं से हर हाल में बचें।
अधीनस्थ कर्मचारियों की नासमझी के कारण हुई कार्रवाई।"22
अफगानिस्तान के साथ सीमा होने के कारण रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रांत पंजाब में हो रहे घटनाक्रम...
घाना, जो भारतीय सेना के लिए प्राथमिक भर्ती क्षेत्र है, विशेष रूप से चिंतित है।
अधिकारियों.23 मदन लाल ढिंगरा, जिसने लंदन में विलियम कर्ज़न वाइली की हत्या की थी-
डॉन पंजाब का एक नौजवान था। उसे श्यामजी ने इस काम के लिए भर्ती किया था। कृष्णावर्मा, बंबई के एक धनी व्यापारी थे जो 1897 में ब्रिटेन आए थे। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना के लिए। 1909 तक, तीन अन्य प्रमुख भारतीय
क्रांतिकारी, बिपिन चंद्र पाल, जी.एस. खापर्डे और विनायक दामोदर सावरकर ये सभी संगठन लंदन से संचालित हो रहे थे। ये सभी खुले तौर पर क्रांतिकारी आंदोलनों की वकालत कर रहे थे।
विद्रोह। सीआईडी निदेशक को रिपोर्ट मिली कि इंडिया हाउस के सदस्य टॉटेनहैम कोर्ट रोड और ढिंगरा के पास एक शूटिंग रेंज में रिवॉल्वर से निशाना लगाने का अभ्यास करते हुए।
हत्या वाली शाम को उन्हें स्वयं एक अभ्यास सत्र में देखा गया था।24 ब्रिटिश कोलंबिया और उत्तरी अमेरिका जाने वाले सिखों को प्रवेश मिल रहा था-
अधिक भयावह पहलों में शामिल। वायसराय की हत्या के अपने असफल प्रयास के बाद हार्डिंग और हर दयाल उत्तरी अमेरिका भाग गए थे और वहाँ उन्होंने एक अखबार शुरू किया था।
सैन फ्रांसिस्को से ग़द्र। डेविड पैट्री, निदेशक के दिल्ली प्रतिनिधि। सीआईडी ने उन्हें "संगठन का सर्वोपरि प्रतिभावान व्यक्ति" कहा और उनके साथ काफी समय बिताया।
अधिकारियों को इस बात के लिए राजी करने का प्रयास किया जा रहा है कि वे हर दयाल के खिलाफ उनकी भूमिका के लिए कानूनी कार्रवाई करें।
क्रांतिकारी साजिशों में शामिल। अमेरिकी अधिकारियों ने उन्हें फरवरी में गिरफ्तार किया था।
1914 में, हर दयाल जमानत तोड़कर स्विट्जरलैंड भाग गया। जल्द ही, वह क्रांतिकारी आंदोलन के समर्थन के लिए जर्मन सरकार से बातचीत करना
भारत में.25
जसवंत सिंह खालरा के दादा हरनाम सिंह और गुरदित सिंह ने शुरुआत की... सुदूर पूर्वी क्षेत्र से वे दोनों मिलकर काम करते थे। मई 1914 में, वे दोनों वहाँ पहुँचे।
कोमागाटा नामक यात्री जहाज में 376 सिख अप्रवासियों के साथ वैंकूवर बंदरगाह।

मारू। अप्रवासियों को उतरने की अनुमति नहीं दी गई, और जहाज को मजबूरन वापस लौटना पड़ा।
कलकत्ता लौटकर वे 27 सितंबर 1914 को वहाँ पहुँचे। वहाँ ब्रिटिश सरकार का कार्यकाल समाप्त हो चुका था।
भारत सिखों को प्रसन्न करने के लिए उत्सुक था और उसने उनके स्वागत के लिए एक अधिकारी भेजने का प्रस्ताव रखा।

आपराधिक खुफिया विभाग (सीआईडी) में 21 नोट्स, सी. जे. स्टीवेन्सन-मूर द्वारा हस्ताक्षरित, 22 मार्च 1909, में
पंडित गोपाल कृष्ण देवधर पर पुलिस निगरानी की समाप्ति और स्थानीय सरकारों से परामर्श किए बिना सीआईडी निदेशक के आदेशों द्वारा स्थानीय आपराधिक जांच विभाग को व्यक्तियों को निगरानी में रखने की प्रक्रिया में संशोधन। एचडीबी: अक्टूबर 1909, संख्या 167-8, आईओएलआर आईओआर.पीओएस.8963; रिचर्ड जे. पॉपलवेल द्वारा उद्धृत, वही, पृष्ठ 77।
22 आर. एच. क्रैडॉक द्वारा टिप्पणी, 14 जुलाई 1914। एचडीडी: जुलाई 1914 संख्या 34; रिचर्ड जे. पॉपलवेल द्वारा उद्धृत, वही।
पृष्ठ 83.
23 वैलेंटाइन चिरोल, इंडियन अनरेस्ट, मैकमिलियन, लंदन 1910, पृ. 107, एन.जी. बैरियर, द पंजाब एलियनेशन
भूमि विधेयक 1900, बुरहम, एनसी, 1966, पृष्ठ 59।
24 रिचर्ड जे. पॉपलवेल, वही, पृ. 126-130.
25 प्रशांत तट पर भारतीय: संयुक्त राज्य अमेरिका में हर दयाल की कार्यवाही। एचडीबी: संख्या।
1913, संख्या 62-3 आईओएलआर आईओआर में। पीओएस। 9836, रिचर्ड जे. पोलेलवेल में, इबिड, पृ. 154-60।
14 राख में तब्दील

सिंगापुर में उन्हें सेवाएं प्रदान करना और साथ ही जरूरतमंद यात्रियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
लेकिन प्रथम विश्व युद्ध ने यात्रा को बाधित कर दिया था। जब जहाज पहुंचा तो
कलकत्ता में, डेविड पैट्री सहित पंजाब से पुलिस अधिकारियों का एक बड़ा समूह था।
पहले से ही उनसे मिलने के लिए वहां मौजूद थे। सद्भावना के प्रतीक के रूप में, अधिकारियों ने तलाशी नहीं ली।
खुफिया रिपोर्टों के बावजूद कि जहाज पर हथियार हो सकते हैं, सिखों ने जहाज पर सवार होने का फैसला किया।
यात्रियों को बताया गया कि उन्हें कोई दंड नहीं दिया जाएगा और उन्हें आर्थिक सहायता मिलेगी।
यदि वे एक विशेष ट्रेन में सवार होने के लिए सहमत होते हैं जो उन्हें सीधे ले जाएगी, तो उन्हें सामाजिक सहायता प्रदान की जाएगी।
वापस पंजाब.26
जब सिखों ने इनकार कर दिया और जहाज छोड़ने की कोशिश की, तो उन्हें वापस धकेल दिया गया।

सितंबर 1914 में प्रख्यापित भारत में प्रवेश अध्यादेश ने प्राधिकरण को अनुमति दी-
भारत में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति की आवाजाही को प्रतिबंधित करने के लिए संबंध बनाए गए थे। जब अधिकारियों ने कोशिश की तो
गुरदित सिंह और हरनाम सिंह की पहचान करें जिन्होंने यात्रा का आयोजन किया था।
सिंगापुर में, कई यात्री उत्तेजित हो गए और उन्होंने रिवॉल्वर से गोलीबारी की, जिससे कई लोग घायल हो गए।
इंग पेट्री और कई अन्य लोग। इसी समय, सिखों को जबरन हटाने के लिए सैनिक आ गए।
ट्रेन में सवार होने से बाल-बाल बच गए, लेकिन गुरदित सिंह, हरनाम सिंह और 28 अन्य लोग भागने में कामयाब रहे।27
इस घटना और उसके बाद की खुफिया कार्रवाई से पता चला कि ग़द्र संगठन-सरकार ने भारत में अशांति फैलाने के लिए व्यवस्थित रूप से क्रांतिकारियों को भेजने की योजना बनाई थी।
प्रचार के "हिंसक कृत्यों" को अंजाम देने और भारतीय सैनिकों को समझाने के लिए, लाभ उठाए गए।
विद्रोह के लिए। आधिकारिक अनुमानों के अनुसार, 1,000 से 3,000 अप्रवासी मारे गए।
सक्रिय क्रांतिकारी संबंधों वाले लोग पंजाब में आ चुके थे। लेफ्टिनेंट के अनुसार-
पूर्व गवर्नर माइकल ओ'डायर के नेतृत्व में, ये क्रांतिकारी तलछट प्रदान करने में सक्षम थे।
पंजाब में बड़ी संख्या में लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची। उन्होंने लिखा: “मेरा मानना है कि
इस साल की शुरुआत में पंजाब में 6,000 से 10,000 पुरुष थे, जिन्होंने हथियार, दिशा और अवसर, क्रांति का झंडा बुलंद करने के लिए तैयार थे। शन।”28
26 नवंबर 1914 को, ग़द्र क्रांतिकारियों ने अपना पहला गंभीर प्रयास किया। सेना में विद्रोह भड़काने का प्रलोभन। 23 वीं बटालियन के कुछ सैनिकों को अपने पक्ष में करने के बाद।
अमृतसर में तैनात घुड़सवार सेना के साथ, ग़दर क्रांतिकारियों ने महल पर कब्जा करने के लिए कूच किया।
लाहौर में एक पत्रिका का आयोजन किया जा रहा था। लेकिन उनकी योजना लीक हो गई और उन सभी को लाहौर में गिरफ्तार कर लिया गया।
गांव। फिरोजपुर में भी एक और प्रयास विफल रहा, लेकिन एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर
मारे गए। सुदूर पूर्व से लौटे उन रेजिमेंटों के सैनिक सबसे अधिक मारे गए। क्रांतिकारी विचारों के प्रति संवेदनशील।29 लेकिन उनका संगठन गहराई से रूढ़िवादी था।
इसमें महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों के करीबी रिश्तेदारों ने भी योगदान दिया।
अधिकारियों को सूचना दी गई। 19 फरवरी 1915 को पुलिस ने ग़द्र पर छापा मारा।

लाहौर स्थित मुख्यालय में संगठन के 13 नेताओं को उनके साथियों समेत गिरफ्तार किया गया।
हथियार, बम, बम बनाने की सामग्री, क्रांतिकारी साहित्य और विद्रोही झंडे।
30
हरनाम सिंह भी उनमें से एक थे।
सरकार का मानना था कि ग़द्र पार्टी का गठन परामर्श के बाद हुआ था।
उन जर्मन अधिकारियों के साथ जो भारत में विद्रोह भड़काना चाहते थे, इससे पहले कि

वायसराय से विदेश सचिव को भेजे गए 26 टेलीग्राम, 2 अक्टूबर 1914, सी.यू.एल. हार्डिंग पेपर्स। खंड 98. रिचर्ड जे.
पॉपलवेल, वही, पृ. 167-8.
27 वायसराय का राज्य सचिव को टेलीग्राम, 1 अक्टूबर 1914. सी.यू.एल. हार्डिंग पेपर्स, खंड 88. केर,
भारत में राजनीतिक संकट, पुनर्मुद्रण, कलकत्ता, 1973, पृ. 239-42.
28 ओ'डवायर का हार्डिंग्स को पत्र, 8 नवंबर 1915। सी.यू.एल. हार्डिंग पेपर्स; मुद्रित पत्र और टेलीग्राम।
खंड 90, पृष्ठ 369.
29 केर, वही, पृ. 367, रिचर्ड एल. पॉपलवेल, वही, पृ. 172.
30 ओ'डायर, ऑप. सिट., पी. 202.
जसवंत सिंह खालरा: मानवाधिकारों के लिए शहीद 15

प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया।31 सेना में विद्रोह भड़काने के प्रयास इससे ब्रिटिश अधिकारियों को काफी चिंता हुई। केवल 73,500 ब्रिटिश सैनिकों के साथ एक क्षेत्र को नियंत्रित करना था।
1911 की जनगणना के अनुसार, 303 मिलियन लोगों की आबादी वाले इस देश की सरकार ने
यह सुनिश्चित करना था कि 1857 जैसी कोई और बगावत न हो।32
हरनाम सिंह को कैंपबेलपुर जेल में रखा गया था, जो अब पाकिस्तान में है। 1915 में लाहौर षड्यंत्र मामले में आरोपी के रूप में उन पर मुकदमा चलाया गया। उनके अधिकांश सह-आरोपी,
including Gurdit Singh, Sohan Singh Bhakna, Bhag Singh of Bhikhiwind,
were

अमृतसर जिले के सिख। वे ग़दर आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से भी थे। हरनाम सिंह को लाहौर षड्यंत्र मामले में बरी कर दिया गया था। लेकिन सरकार ने...
सरकार ने उस पर नजर रखने का फैसला किया और उसे उसके ही घर में नजरबंद कर दिया गया।
वह 1922 तक खलरा गांव में रहे। लेकिन उन्हें शादी करने की अनुमति मिल गई थी। इसी दौरान
हरनाम सिंह को खालरा गांव में नजरबंद किए जाने के संबंध में जसवंत सिंह खालरा के पिता ने बताया कि
करतार सिंह का जन्म 1917 में हुआ था।

सांप्रदायिक आंदोलन और करतार सिंह
हरनाम सिंह की नजरबंदी 1922 में रद्द कर दी गई और वे शंघाई लौटने में कामयाब रहे।
और उन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को फिर से शुरू कर दिया। हरनाम सिंह कभी भारत नहीं लौटे।
कभी-कभी वह अपने परिवार की आर्थिक जरूरतों के लिए कुछ पैसे भेजा करता था। करतार सिंह का बचपन काफी कठिनाइयों भरा था। उनके परिवार के पास सिर्फ चार एकड़ जमीन थी।
भूमिगत जल खारा था और ऊपरी बारी दोआब नहर, जो वहाँ से होकर गुजरती थी गांव के बाहरी इलाके में स्थित क्षेत्र ने खालरा गांव को सिंचाई सुविधा प्रदान नहीं की। करतार सिंह,
उनके छोटे भाई और उनकी माँ को हरनाम सिंह की बहुत याद आती थी। हालाँकि, एक युवा बालक करतार सिंह जानता था कि उसके पिता स्वतंत्र आंदोलन के एक महत्वपूर्ण नेता थे।
भारत में सत्ता संघर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के क्रांतिकारियों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखने वाले व्यक्ति।
विश्व के कुछ हिस्से साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष में लगे हुए थे। करतार सिंह यह जानते थे कि
अगर वह पंजाब लौटता तो सरकार उसके पिता को गिरफ्तार कर लेती, इसलिए यह महत्वपूर्ण था कि
भारत की स्वतंत्रता के उद्देश्य से ही वे विदेश में रहे।
लेकिन उसे अपने पिता की बहुत याद आती थी और जीवन कठिन था। पिता के बिना, उसे ऐसा लगता था जैसे वह एक
वह अनाथ था। उसकी माँ को भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। वह दो भैंसें पालती थी और उन्हें बेच देती थी।
पैसा कमाने के लिए करतार सिंह और उसके छोटे भाई को दूध बेचना पड़ता था। भोजन के लिए, करतार सिंह और उसके छोटे भाई को काम करना पड़ता था।
स्कूल जाने के अलावा, जमीन पर खेती करना।
करतार सिंह ने माडी मेघा गांव के एक स्कूल में सातवीं कक्षा तक पढ़ाई की, छह
खालरा से किलोमीटर दूर। फिर उन्होंने पट्टी स्थित आर्य समाज स्कूल में दाखिला लिया, लेकिन करतार
सिंह को विद्यालय का माहौल पसंद नहीं आया, जो सांप्रदायिक रूप से पक्षपातपूर्ण प्रतीत होता था।
सिखों, उनके धर्म और संस्कृति के खिलाफ।
आर्य समाज एक हिंदू संप्रदाय था जिसकी स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी।
18 वीं शताब्दी से प्राचीन संस्कृत संस्कृति की महानता में विश्वास विरासत में मिला।
19 वीं शताब्दी के आरंभिक प्राच्य अध्ययन में अंग्रेजों और अन्य यूरोपीय विद्वानों ने अग्रणी भूमिका निभाई।
भारत के विद्वान। दयानंद सरस्वती, मोरवी में एक धनी ब्राह्मण परिवार में जन्मे।
गुजरात में, यह माना जाता था कि लोकप्रिय भक्ति परंपरा की धार्मिक कृतियों को...

इसका सक्रिय रूप से विरोध किया जाना चाहिए। वह "अपरंपरागत" विचारधाराओं के भी प्रबल आलोचक थे।
जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म की तरह सोचा। उनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश,
31 रिचर्ड जे. पॉपलवेल, वही, पृ. 175.
32 रिचर्ड जे. पॉपलवेल, वही, पृ. 64-65.
16 राख में तब्दील

1875 में प्रकाशित एक लेख में गुरु नानक को धुर्ता (धोखेबाज या ठग) बताया गया था। दयानंद
उन्होंने सिख धर्म की पवित्र पुस्तक मिथ्या (झूठी) और सिख धर्म को जाल (फंदा) कहा। उनके उत्तराधिकारियों ने
पंजाब में दयानंद के आगमन ने सिखों के प्रति शत्रुता के स्वर को और तीव्र कर दिया था।
एक विशिष्ट धार्मिक समुदाय का दर्जा प्राप्त कर लिया। पंजाब की अपनी पहली यात्रा के दौरान
1877-1878 में, दयानंद ने शुद्धि (पवित्रता) की रस्म का उपयोग करके ईसाई धर्म को पुनः प्राप्त किया था।
सिख धर्म से हिंदू धर्म में परिवर्तित हुए कई ईसाईयों ने अक्टूबर 1883 में उनकी मृत्यु के बाद, उनके उत्तराधिकारी...
धर्म प्रचारकों ने अपने धर्मांतरण अभियान उन गरीब सिखों की ओर निर्देशित करना शुरू कर दिया जो मूल रूप से
अछूत हिंदू जातियों से आते हैं। ऐसे 30 सिखों को शुद्ध करने के लिए एक सार्वजनिक समारोह आयोजित किया गया।
3 जून 1900 को हुई घटना ने हिंदू-सिख संबंधों में तनाव के बीज बो दिए, जो आगे चलकर
समय के साथ केवल बिगड़ता जाता है। 33
आर्य समाज विद्यालय में करतार सिंह अपने साथियों के रवैये को बर्दाश्त नहीं कर सके।
कुछ शिक्षक सिख विरोधी प्रतीत होते थे, इसलिए उसने अपना स्कूल बदलने का फैसला किया। उसे दाखिला मिल गया।
उन्हें सरहाली के एक खालसा स्कूल में भेजा गया जहाँ उन्होंने कक्षा 10 उत्तीर्ण करने के लिए दो साल तक पढ़ाई की।
1936 में परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, करतार सिंह अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते थे। हालाँकि, वे ऐसा नहीं कर सके।
वह इसे वहन नहीं कर सकता था और अपनी माँ का समर्थन करने के लिए बाध्य महसूस करता था, जो कड़ी मेहनत कर रही थी।
उसकी पढ़ाई का खर्च खुद उठाना पड़ा। करतार सिंह को अपने गांव वापस लौटना पड़ा।
सौभाग्य से, उनके दादा सिंह जनजाति के एक प्रमुख नेता थे।
सभा आंदोलन जिसने एकेश्वरवादी परंपरा को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी-
प्रारंभिक सिख धर्म की अवधारणाओं का अध्ययन किया और सामाजिक लामबंदी के कार्य को विद्वतापूर्ण कार्यों के साथ जोड़ा।

प्रारंभिक सिख साहित्य के संग्रह, संपादन और संकलन की गतिविधियों में और साथ ही
सिख शिक्षण संस्थानों का निर्माण। आंदोलन के प्रमुख नेता, जैसे दित्त सिंह,
गुरमुख सिंह और कहान सिंह समाज के निचले तबके से आते थे और...
सिख धार्मिक संस्थानों के भीतर भ्रष्टाचार पर ध्यान केंद्रित किया गया, इसके विपरीत
सिख गुरुओं द्वारा प्रतिपादित सशक्त समतावादी सिद्धांत। करतार सिंह के महान-
पिता चीफ खालसा दीवान के सदस्य थे, जो एक केंद्रीय संगठन है जो समन्वय करता है-
विभिन्न सिंह सभाओं की गतिविधियों पर नज़र रखी जाती थी। खालसा दीवान के प्रमुख भी इसमें शामिल थे।
“सिखों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा” के मुद्दों से संबंधित, जो
भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रावधान किए जाने के बाद यह बहुत महत्वपूर्ण हो गया।
संविधान से भारतीय लोगों का शाही और प्रांतीय विधान परिषदों में चुनाव। विभिन्न समुदायों और वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाएँ।34 अधिनियम के तहत, मुसलमानों
उन्हें उनकी इच्छानुसार अलग निर्वाचक मंडल प्राप्त हुआ। पंजाब के सिखों को यह अधिकार नहीं मिला।
हालांकि सिख राजनीतिक संगठनों ने न केवल समान लाभ प्राप्त करने के लिए कहा, बल्कि उन्होंने यह भी पूछा कि क्या उन्हें भी समान लाभ प्राप्त होंगे।
उनके लिए, लेकिन पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी उनके दावों का समर्थन किया था।35

33 ओ. पी. केजरीवाल, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एंड द डिस्कवरी ऑफ इंडियाज पास्ट: 1784-1838, ऑक्सफोर्ड
यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली, 1988; डेविड कॉफ़, ब्रिटिश ओरिएंटलिज़्म और बंगाल पुनर्जागरण, कलकत्ता, 1969; सुशील कुमार डे, उन्नीसवीं शताब्दी में बंगाली साहित्य: 1757-1857, द्वितीय संस्करण, कलकत्ता, 1962; राज कुमार, "स्वामी दयानंद की भारतीय स्वराज की अवधारणा", और नज़र सिंह, "स्वामी दयानंद के सुधार के मार्ग पर एक टिप्पणी", पंजाब इतिहास सम्मेलन (पीएचसी), बाईसवाँ सत्र, 25-27 मार्च 1988; जे. टी. एफ. जॉर्डन्स, दयानंद सरस्वती, उनका जीवन और विचार, दिल्ली, 1978; गंडा सिंह, "पंजाब में हिंदू-सिख तनाव की उत्पत्ति", द पंजाब पास्ट एंड प्रेजेंट (पीपीपी), खंड XI, 1977, पृष्ठ 326; केनेथ डब्ल्यू. जोन्स, "आर्य सिख संबंध, 1877-1905", पीपीपी, खंड XI-II, अक्टूबर 1977, पृष्ठ। 332.
34 जी. एस. ढिल्लों, “सिख और ब्रिटिश”, पीपीपी, खंड XXIV-II, अक्टूबर 1990, पृष्ठ 430-4; चीफ खालसा
दीवान, चीफ खालसा दीवान, अमृतसर के नियम एवं विनियम, 1904, पृ. 1; केनेथ डब्ल्यू. जोन्स, “आर्य सिख संबंध”, 1877-1905, पीपीपी, खंड XI-II, अक्टूबर 1977, पृ. 352।

35 आर्थर बेरीडेल कीथ, भारत का संवैधानिक इतिहास, 1600-1935, पुनर्मुद्रण, लो प्राइस पब्लिकेशन्स,
दिल्ली 1990, पृ. 234; एस. वी. देसिका चार, भारत का संवैधानिक इतिहास, 1757-1947, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली 1983, पीपी. 425-32; खुशवंत सिंह, ए हिस्ट्री ऑफ़ द सिख्स, खंड। द्वितीय, 1977, पृ. 219.
जसवंत सिंह खालरा: मानवाधिकारों के लिए शहीद 17

सिखों के दावों को इसलिए नजरअंदाज कर दिया गया क्योंकि उनकी पहचान की भावना अभी भी बनी हुई है-
सांप्रदायिक आधार पर विभाजित होने के कारण, उन्होंने एक समान समुदाय का गठन नहीं किया, जैसा कि अन्य समुदायों में होता है।
मुसलमान। उनके धार्मिक पूजा स्थलों के प्रभारी धर्मगुरु, जिनमें शामिल हैं...
स्वर्ण मंदिर उदासी नामक सिख संप्रदाय से संबंधित था। हालाँकि उदासी संप्रदाय में
उत्पीड़न और भौतिक उत्पीड़न के कठिन दौर में सिख संस्थानों को बनाए रखा। रणजीत सिंह के समय से चली आ रही निरंकुशता ने उनके नैतिक पतन को जन्म दिया था। वे लोगों के साथ बुरा बर्ताव करते थे।
मंदिर की संपत्तियों को अपनी निजी संपत्ति मानकर वे आराम और विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे।
जब वे बूढ़े हो गए या उनकी मृत्यु हो गई, तो उनके बच्चों ने उनकी जगह ले ली।
अधिक उपासकों को आकर्षित करने के लिए।
और दान के अलावा, उदासी मठाधीशों ने अपने पूजा स्थलों में मूर्तियों की स्थापना भी की थी।
हिंदू देवता। सिख सुधारकों ने प्रबंधकों को सफलतापूर्वक मना लिया था।
1905 में स्वर्ण मंदिर ने मंदिर परिसर से सभी हिंदू मूर्तियों को हटाने का आदेश दिया था।
हालांकि, अन्य महत्वपूर्ण तीर्थस्थलों के पुरोहितों ने ऐसी मूर्तियों की पूजा करना जारी रखा।
सिख धर्म की पवित्र पुस्तक के साथ। उच्च जाति के हिंदू भावनाओं को शांत करने के लिए, उदासी मठाधीशों ने
उन्होंने सिखों के पूजा स्थलों में अछूतों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। जब
सुधारवादी सिखों ने विरोध किया, तो उन्होंने उन्हें भी प्रवेश देने से इनकार करके जवाबी कार्रवाई की।
इन प्रथाओं के कारण सिखों और हिंदुओं में कोई अंतर नहीं रह गया था।36 1909 में आनंद विवाह अधिनियम के लागू होने से यह स्पष्ट हो गया था कि ब्रिटिश
सिखों को एक अलग धार्मिक समुदाय के रूप में मान्यता देने को तैयार। हालाँकि, इसके बिना
अपनी धार्मिक विशिष्टता को संस्थागत रूप देने के बावजूद, सिख सत्ता प्राप्त करने की आशा नहीं कर सकते थे।
मुस्लिम समुदाय को पहले से प्राप्त धार्मिक सुरक्षा उपायों के समान सुरक्षा उपाय।

इस मान्यता ने सिख गुरुद्वारा आंदोलन के नाम से जाने जाने वाले उग्र सिख आंदोलन को जन्म दिया।
1920 के दशक के आरंभ में सुधार आंदोलन। अकाली दल प्रारंभ में एक स्वैच्छिक मंच था।
इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए खालसा सिखों का गठन किया गया था। इसका समापन एक अधिनियम के अधिनियमन के साथ हुआ।
legislation called the Shiromani Gurudwara Prabandhak Committee (SGPC) Act in
जुलाई 1925। इस अधिनियम ने यह मान्यता दी कि केवल खालसा सिखों की एक निर्वाचित संस्था ही
वास्तविक सिख परंपरा के भंडार के रूप में अर्हता प्राप्त करना। इस कानून ने न केवल निवेश किया
एसजीपीसी को सिख तीर्थस्थलों पर धार्मिक अनुष्ठान संबंधी मानक लागू करने का अधिकार है, लेकिन
साथ ही उनके प्रबंधन को नियंत्रित करने के लिए भी। हिंदू, जिन्होंने उन पर अपना प्रभाव खो दिया था,
उन्होंने नए अधिनियम का कड़ा विरोध किया। इस प्रकार, एसजीपीसी एक प्रकार की सिख संसद बन गई।
एक संस्था, और उसका केंद्रीय बोर्ड, सिखों की सरकार थी। पर्याप्त वित्तीय संसाधनों के साथ
संसाधनों और धार्मिक मंचों पर नियंत्रण के मामले में, एसजीपीसी और अकाली दल ने तब से
सिख राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण मंच बने रहे।37
एसजीपीसी और अकाली दल का गठन संवैधानिक अवमानना के साथ हुआ।
1935 में भारत सरकार अधिनियम के गठन की दिशा में हुए विकास। इस अधिनियम में 33 सीटें आरक्षित की गईं।
पंजाब विधानसभा में सिखों के लिए 175 सीटें आरक्षित की गईं। हालांकि, इस फैसले से सिखों को संतुष्टि नहीं मिली।
इस प्रकार, सिखों ने स्पष्ट रूप से एक अलग धार्मिक समुदाय का दर्जा प्राप्त कर लिया था।38
जब करतार सिंह ने 1936 में मैट्रिक की परीक्षा पूरी करने के बाद अपने गाँव लौटे, तो उन्होंने पाया कि

36 प्रेम उप्रेती, “1925 के सिख दंगे”, पीपीपी, खंड XIV, अप्रैल 1978, पृष्ठ 361; राजीव ए. कपूर, सिख
अलगाववाद, एलन एंड अनविन, लंदन, 1986, पृ. 118; जॉन मेनार्ड, "पंजाब में सिख समस्या 1920-30", पीपीपी, खंड XII, अप्रैल 1977, पृ. 13-23।
37 “पंजाब में सिख स्थिति, 1907-1922”, पीपीपी, खंड XIV, अक्टूबर 1978, पृष्ठ 433; मोहिंदर सिंह,
“नानकाना त्रासदी में आधिकारिक संलिप्तता”, पीएचसी, सातवां सत्र, 29-30 सितंबर, 1972, पृष्ठ 190; आपराधिक जांच विभाग द्वारा तैयार और पुलिस अधीक्षक, राजनीतिक, वी. एम. स्मिथ द्वारा 22 फरवरी 1922 को हस्ताक्षरित एक आधिकारिक दस्तावेज इन घटनाक्रमों पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करता है: “अकाली दल और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति, 1921-22: एक गोपनीय ज्ञापन”, पीपीपी, खंड I-II, अक्टूबर 1967, पृष्ठ 266-310 में पुनरुत्पादित।

38 एस. वी. देसीका चार, भारत के संवैधानिक इतिहास में पठन सामग्री, ओयूपी, दिल्ली 1983, पृ. 553-4.
18 राख में तब्दील

उन्होंने खुद को आशा और उम्मीद के उमंग भरे माहौल में पाला-पोसा। उनके दादा ने उनका पालन-पोषण किया।
खालरा गांव में खालसा स्कूल बनाने का विचार रखा और उन्हें अपनी संपत्ति का एक हिस्सा दान करने की सलाह दी।
उन्होंने अपनी पैतृक भूमि इस उद्देश्य के लिए दे दी। एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेता, अत्तर सिंह ने यह जिम्मेदारी उठाई।
करतार सिंह ने स्कूल का विचार दिया और उसका निर्माण करवाया। उन्हें स्कूल का सचिव नियुक्त किया गया।
समिति के सदस्य थे लेकिन मानद आधार पर काम कर रहे थे। मास्टर तारा सिंह, एक प्रमुख सिख थे।
अकाली दल के नेता स्कूल प्रबंधन से जुड़ गए। मास्टर
तारा सिंह ने करतार सिंह को एसजीपीसी मुख्यालय में क्लर्क की नौकरी दिलाने में मदद की।
अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर के अंदर, जहाँ उन्होंने दो साल तक काम किया। मतलब-
वहीं, खालरा स्थित स्कूल अधिक व्यवस्थित हो गया था और उसने उन्हें अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करने के लिए आमंत्रित किया।
मुझे 50 रुपये प्रति माह के वेतन पर नौकरी मिली। यह कोई बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन गुजारा करने के लिए काफी थी।
बुनियादी जरूरतों को पूरा करना। तब तक करतार सिंह की शादी मुख्तियार कौर से हो चुकी थी।
हालांकि मास्टर तारा सिंह ने करतार सिंह को एसजीपीसी में नौकरी दिलाने में मदद की,
करतार सिंह को अकाली दल की राजनीतिक विचारधारा, विशेषकर तारा सिंह की विचारधारा पसंद नहीं थी।
मुस्लिम विरोधी रुख। करतार सिंह ने खुद को कांग्रेस के साथ अधिक निकटता से जोड़ लिया।
कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर, वे मंडल या क्षेत्रीय समिति के सचिव बने और काम शुरू किया।
क्षेत्र के जाने-माने कांग्रेस नेता नारायण सिंह सुभाषपुरी के साथ।
करतार सिंह के समय पंजाब में सांप्रदायिक तनाव का माहौल था।
चुनावी सिद्धांत की एक शाखा प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का आधार बन जाती है।
सरकार में। विभिन्न सांप्रदायिक नेताओं ने इतिहास का हवाला देते हुए अपनी विशिष्टता का दावा किया।
अपने प्रतिद्वंद्वियों पर बढ़त हासिल करना और यह उनकी प्रतिस्पर्धी राजनीति की एक सामान्य तकनीक थी।
वह रणनीति जिसके पंजाब के भविष्य पर इतने विनाशकारी परिणाम हुए। समझौता- करतार सिंह के बारे में बात करते हुए, लोकप्रिय हिंदू और सिख नेताओं ने उनके कष्टों पर लगातार चर्चा की।

मुस्लिम विजय के तहत हिंदुओं और सिखों के दमन का वर्णन किया और जनता के बीच अशांति फैलाने का प्रयास किया।
अपने समर्थकों को एकजुट करने के लिए असंतोष का सहारा लिया जाने लगा। पंजाब के मुसलमानों ने भी ऐसा करना शुरू कर दिया।
ब्रिटिश प्रशासन द्वारा उनकी राजनीतिक शक्ति पर कब्जा करने से नाराज होकर अब
इसे हिंदुओं और सिखों में बांटना उनके लिए नुकसानदायक साबित होगा।
इन शिकायतों की अभिव्यक्ति वाद-विवाद से परे जाकर शारीरिक हिंसा के विस्फोटों तक पहुंच गई।
हिंसा जल्द ही एक नियमित पैटर्न में बदल गई, जिसमें क्रूर तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता था।
उकसावे के कारण। मुसलमानों ने गायों की बलि दी, जिन्हें हिंदू पवित्र मानते हैं, और हिंदुओं ने
उन्होंने मुसलमानों द्वारा अपवित्र माने जाने वाले सूअर के मांस को मस्जिदों में रखकर जवाबी कार्रवाई की, ताकि लोगों में अशांति फैलाई जा सके।
सांप्रदायिक हिंसा। कोई भी मामूली उकसावा भी उतना ही कारगर साबित हो सकता था।
ठीक है। जनवरी 1939 से जुलाई 1939 तक राज्यपाल की स्थिति रिपोर्टों से पता चलता है कि
गायों और सूअरों के वध ने इस क्षेत्र में एक दर्जन हिंसक घटनाओं को जन्म दिया था।
उस दौर में, ब्रिटिश अधिकारियों ने इन समस्याओं से नियमों के अनुसार, और उचित भावना के साथ निपटा।
यह एक सुखद आत्मसंतुष्टि थी, सिवाय तब जब वे बड़ी मुसीबतों में तब्दील होने का खतरा पैदा कर देती थीं।
हिंसा की ये घटनाएं, जिन्हें सांप्रदायिक दंगों के कुख्यात नाम से जाना जाता है, समर्थक-
इसने उन महत्वपूर्ण संवैधानिक घटनाक्रमों की पृष्ठभूमि प्रदान की, जिनके कारण भारत को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली।
1947 में पंजाब के रक्तरंजित विभाजन के साथ ही इसकी स्वतंत्रता प्राप्त हुई।39
करतार सिंह इन घटनाक्रमों से बहुत परेशान थे और उन्होंने इसके लिए पुलिस को दोषी ठहराया।
सिख नेताओं, विशेषकर तारा सिंह की धार्मिक अपरिपक्वता, उनकी अक्षमता के लिए जिम्मेदार थी।
कांग्रेस की रणनीति देखिए कि उन्हें मुस्लिम नेतृत्व से लड़ने के लिए कैसे उकसाया जाए और
पंजाब की एकता को वार्ता के माध्यम से बनाए रखने के ब्रिटिश परामर्श को अस्वीकार करना।
राज्य में उनके अधिकारों और विशेषाधिकारों के बारे में बताया गया।40 करतार सिंह के अनुसार,
तारा सिंह की व्यक्तिगत पृष्ठभूमि और उनकी हिंदू जड़ों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

39 राज्यपाल की स्थिति रिपोर्ट और पंजाब की पाक्षिक रिपोर्ट, आईओआर:एल/पीजे/5/241-3; एक जिले का संस्मरण
पंजाब में अधिकारी 1938-47, ए.जे.वी. आर्थस, आईसीएस, एमएसएस. यूर. एफ. 180/63, आईओआर:एल, लंदन।
जसवंत सिंह खालरा: मानवाधिकारों के लिए शहीद 19

जिससे वह इन छल-कपटों के प्रति संवेदनशील हो गया। तारा सिंह का जन्म 1885 में हुआ था।
रावलपिंडी के हरयाल गांव में रहने वाला एक धर्मनिष्ठ हिंदू परिवार, जिसका स्थानीय स्तर पर काफी प्रभाव है।
जिले में। उनका नाम नानक चंद रखा गया था और बाद में उन्होंने अपना नाम बदलकर तारा सिंह रख लिया।
1902 में सिख धर्म अपनाने के बाद तारा सिंह एक स्कूल शिक्षक बन गए।
1907 में उनका जन्म हुआ और 1921 में उन्हें चर्च द्वारा गुरुद्वारा सुधार आंदोलन में शामिल किया गया।
कांग्रेस नेताओं में से एक, करतार सिंह का मानना है कि तारा सिंह कभी भी खुद को इससे अलग नहीं कर पाए।
हिंदू नेताओं पर निर्भरता के उस रिश्ते से दूर, जिसे उन्होंने विकसित किया था।
अपने राजनीतिक करियर के शुरुआती दौर में, वल्लभभाई पटेल ने उन्हें अपने संरक्षण में ले लिया। बाद में, वल्लभभाई पटेल ने उन्हें अपने संरक्षण में ले लिया।
उन्होंने उन्हें अपने मार्गदर्शन में रखा और पंजाब के विभाजन पर जोर देने के लिए राजी करने में सफल रहे, जिसके द्वारा
जिन जिलों में हिंदू और सिख मिलकर बहुमत में थे, उन्हें संघीय बनाया जा सकता था।
भारत से संबंधित मामलों पर कांग्रेस नेताओं ने वादा किया कि वे इस तरह का कोई दस्तावेज नहीं लिखेंगे।
भारत का एक ऐसा संविधान जो सिखों को पसंद न आए। तारा सिंह सहमत हो गए।41

पंजाब का विभाजन
माउंटबेटन के विभाजन के प्रस्ताव को ब्रिटिश कैबिनेट के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा गया था।
मई 1947 में अनुमोदन हुआ। भारत के राज्य सचिव पेथिक लॉरेंस ने यह जानकारी दी।
9 मई 1947 के एक पत्र में आधिकारिक स्थिति: "आपके प्रस्तावों के तहत वे [द सिखों का विभाजन होगा और मुझे नहीं लगता कि सीमाओं के किसी भी बाद के समायोजन से कोई लाभ होगा।
मेष राशि वाले संभवतः अपने दावों को पूरा करना शुरू कर सकते हैं...लेकिन यदि आप संतुष्ट हैं-
यह सुझाव दिया गया कि एक सीमा आयोग, जिसके संदर्भ की शर्तें इस प्रकार होंगी, सीमाओं को बनाए रखने में मदद करेगा।
सत्ता हस्तांतरण तक सिख शांति बनाए रखें, बिना किसी को उकसाए व्यवस्था स्थापित की जा सकती है।

दो प्रमुख समुदायों की शत्रुता को देखते हुए, मैं आपके दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहूंगा।
इस प्रकार पंजाब के विभाजन का निर्णय लिया गया। 42
करतार सिंह के अनुसार, यह एक महान संघर्ष का शर्मनाक परिणाम था।
इसे टाला नहीं जा सकता था क्योंकि ये निर्णय शीर्ष स्तर पर जोड़-तोड़ के तहत लिए गए थे।
यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जहां लोग अपनी इच्छा व्यक्त नहीं कर सके। कांग्रेस नेताओं ने बात की थी।
भारत की एकता, संघवाद, धर्मनिरपेक्षता और जमीनी स्तर के लोकतंत्र के बारे में। लेकिन वे
स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर इन आदर्शों के साथ विश्वासघात किया। सिख बहुत मजबूत स्थिति में थे।
संयुक्त पंजाब में उनकी स्थिति महत्वपूर्ण थी। राजनीति से लेकर जीवन के हर क्षेत्र में उनकी आवाज मायने रखती थी।
नीतिशास्त्र, कृषि, अर्थव्यवस्था से लेकर सैन्य मामलों तक। सरकार में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया जाता है।
ताल स्तर पर उनकी अनुमति के बिना भी कार्रवाई की जा सकती थी। विभाजन के बाद सिखों को नुकसान उठाना पड़ा।
न केवल पश्चिमी पंजाब की समृद्ध नहर बस्तियों से उनके विस्थापन के कारण लेकिन इसलिए भी क्योंकि वे भारत में राजनीतिक रूप से महत्वहीन हो गए थे। उनके आंदोलन
किसी को भी नहीं हिलाया। उन्होंने अपना अलग निर्वाचन क्षेत्र खो दिया। आरक्षण की नीति
भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत जाति का आधार भी उनके विरुद्ध कार्य करता था।
हित। करतार सिंह के अनुसार, एम. के. गांधी और जवाहरलाल नेहरू दोनों के हित थे।
सिख आकांक्षाओं और उनकी राजनीति के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है। शुरुआत से ही, उन्होंने
उन्होंने या तो उन्हें दबाने या गुमराह करने की नीति अपनाई। हालाँकि करतार
सिंह कांग्रेस पार्टी के सक्रिय सदस्य थे, लेकिन उनका मानना था कि गांधी और नेहरू सिख हितों की रक्षा करेंगे।
40 पंजाब के राज्यपाल की ओर से वायसराय को 10 अप्रैल 1947 को करतार सिंह, एमसी, एमएसएस. यूर. एफ. के साथ साक्षात्कार पर टिप्पणी।
200/139, आईओआर:एल, लंदन।
41 लॉर्ड इस्मे का माउंटबेटन को नोट, दिनांक 30 अप्रैल 1947, एमसी, एमएसएस. एफ. 200/121, आईओआर:एल, लंदन।
42 भारत के राज्य सचिव द्वारा महामहिम वायसराय को दिनांक 9 मई को लिखा गया निजी और गुप्त पत्र
20 राख में तब्दील

करतार सिंह विभाजन से इसलिए अधिक आहत थे क्योंकि इससे बहुत नुकसान हुआ था। अपने गाँव और वहाँ के लोगों के लिए। खालरा मुख्य रूप से मुस्लिम बहुल गाँव था, लेकिन वहाँ कभी भी

गांव में किसी प्रकार की सांप्रदायिक शत्रुता नहीं रही है। सभी मुसलमान, हिंदू और सिख,
वे सद्भाव से रहते थे। गाँव में लगभग 1,500 निवासी थे, जिनमें से
जिनमें से 1,000 मुसलमान थे। केवल कुछ मुस्लिम जमींदार ही धनी थे। अधिकांश
अधिकांश मुसलमान छोटे किसान और कारीगर थे। सभी मुसलमानों में सौहार्द की भावना थी।
पंजाब के विभाजन के निर्णय के बाद समुदायों का एक साथ अस्तित्व धीरे-धीरे समाप्त होने लगा।
यह बात सभी को स्पष्ट हो गई थी कि खालरा एक सीमावर्ती गाँव बन जाएगा। किसी को भी यह पता नहीं था।
क्या यह पाकिस्तान जाएगा या भारत में ही रहेगा। बड़े पैमाने पर आवागमन दोनों पक्षों के लोग पहले ही शुरू हो चुके थे। पश्चिमी पंजाब से शरणार्थी आए।
उनकी दुख और हिंसा की कहानियों के साथ। हत्या, आगजनी, लूटपाट, बलात्कार आम बातें थीं।
इन कहानियों के कई पहलू थे। इन कहानियों ने लोगों के दिमाग को दूषित करना शुरू कर दिया।
हिंदुओं और कुछ सिखों ने बदला लेने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। जल्द ही, हिंदू और सिख
पंजाब के पूर्वी हिस्सों में मुसलमानों पर हमले शुरू हो गए, और उन्होंने वही कृत्य किए।
पश्चिमी देशों से आए हिंदू और सिख शरणार्थियों को जिस हिंसा और क्रूरता का सामना करना पड़ा था।
पूर्वी पंजाब से पाकिस्तान जा रहे मुस्लिम शरणार्थी जैसे ही...
जब लोग खालरा से गुजरे तो गांव की मुस्लिम आबादी भी उत्तेजित हो गई।
ब्रिटिश सरकार ने मुख्य रूप से मुस्लिम बलूच रेजिमेंट को तैनात किया। भारतीय सेना को हिंसा और हत्या की स्थितियों में हस्तक्षेप करना चाहिए। लेकिन बलूची क्षेत्र-
उस सरकार ने मुसलमानों की मदद की और सिखों के प्रति बहुत शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाया। चार के अधीन क्षेत्र
खालरा समेत पट्टी उपमंडल के पुलिस स्टेशन प्रशासनिक रूप से नियंत्रित होते थे।
लाहौर के अधीन। 14 अगस्त 1947 को, इस क्षेत्र के मुसलमान दबाव में थे- उन्होंने जोर देकर कहा कि यह क्षेत्र पाकिस्तान का है। सिख और हिंदू निकासी की तैयारी चल रही थी। गाँव के कई मुसलमान, जो तब तक वहाँ थे,
अच्छे पड़ोसी होने के आदर्शों का पालन करते हुए, सिखों की संपत्तियों को अलग करना शुरू कर दिया और
जब हिंदू पूर्व की ओर चले गए, तो वे उन पर कब्जा कर लेंगे। उनमें से कुछ कुछ लोगों ने हिंसा भड़काना शुरू कर दिया, तो कुछ अन्य लोगों ने बड़ी संख्या में आ रहे विस्थापितों को भी बहला-फुसलाकर अपने साथ शामिल कर लिया। पूर्वी भाग से इस विश्वास के साथ वहीं रहने के लिए कि खालरा एक बन जाएगा पाकिस्तान का हिस्सा। हालाँकि, अंत में, चार पुलिस स्टेशनों के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र पुनः-
भारत में ही रहे। पलड़ा हिंदुओं और सिखों के पक्ष में झुक गया, जो अब

आक्रामक होने लगे। भारतीय सैन्य टुकड़ियाँ पहुँचीं और बलूची सैनिकों ने रेजिमेंट को वापस भेज दिया गया। गांव के मुस्लिम निवासी घबरा गए और उन्होंने...
भाग गए। उनमें से कई लोगों को उन लोगों ने मार डाला जो पहले मित्रवत और अच्छे पड़ोसी थे।
वे जीवन भर बोरियत में रहे। सौभाग्य से, सीमा पास ही थी और कई लोग भागने में सफल रहे।
करतार सिंह के लिए विभाजन एक विचलित कर देने वाला और अविस्मरणीय अनुभव था। बुढ़ापे में भी, वह इस विचार से छुटकारा नहीं पा सके कि यह
ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था और अगर शीर्ष नेताओं ने सही निर्णय नहीं लिया होता तो ऐसा कभी नहीं होता।
लेवल राजनीतिक सत्ता के लिए इतना लालची और अधीर नहीं था। उसके पिता थे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक अडिग क्रांतिकारी। लेकिन जब
आजादी मिली, करतार सिंह ने कामना की कि सत्ता का हस्तांतरण इतनी जल्दबाजी में न हुआ होता।
और नासमझ। उनके अनुसार, भारत की स्वतंत्रता पंजाब के लिए अभिशाप बन गई। सीमा,
सैन्य बल, युद्ध और अब भूमि की घेराबंदी, ये सभी कारक सामूहिक रूप से और अलग-अलग रूप से,
इसने स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की उनकी आंतरिक धारणा को नकार दिया। उनके दृष्टिकोण से, यह
शुरू से लेकर अंत तक, यह सिर्फ पंजाबियों बनाम पंजाबियों का ही संघर्ष रहा था। हर बार, भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव होता रहा।
जब युद्ध छिड़ गया, तो करतार सिंह और गाँव के सभी लोगों को अपने साथ सब कुछ लेकर पलायन करना पड़ा।
उनका सामान। अब, सीमावर्ती गांवों की बाड़बंदी के बाद, करतार सिंह और खालरा गांव के कई अन्य लोग कंटीली बाड़ के पार अपनी जमीन तक भी नहीं पहुंच सकते थे।
जसवंत सिंह खालरा: मानवाधिकारों के लिए शहीद 21

सीमा सुरक्षा विभाग से विशेष अनुमति प्राप्त किए बिना विद्युतीकृत तारों को बिछाना।
बल (बीएसएफ)। बाड़ के किनारे जमीन वाले सभी किसानों को विशेष अनुमति प्राप्त करनी पड़ी।
उन्हें अपने खेतों में काम करने के लिए भेजा जाता था, और वे ऐसा केवल दिन के उजाले में कुछ निश्चित घंटों के लिए ही कर सकते थे।
करतार सिंह बहुत जल्दी ही कांग्रेस पार्टी से निराश हो गए थे। उन्होंने पार्टी छोड़ दी।
राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के बाद, 1961 में सरकार ने उनका पदभार संभाल लिया।
खालरा गांव के स्कूल में भी छात्रों ने पार्टी को मतदान देना बंद कर दिया। आखिरी झटका तब लगा जब...
भारतीय सरकार का सभी प्रकार के बयान और दस्तावेज जमा करने के लिए कहने का निर्णय...

यह साबित करने के लिए प्रारंभिक साक्ष्य कि उनके पिता एक स्वतंत्रता सेनानी थे।
यह मांग तब आई जब पंजाब सरकार ने 1975 में विधवाओं की पेंशन को नवीनीकृत करने का फैसला किया।
प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों की याद में और उनके परिवारों को भेंट करके उन्हें सम्मानित करने के लिए।
पीतल की एक पट्टिका स्मृति चिन्ह के रूप में दी गई। तब जसवंत सिंह खालरा 23 वर्ष के थे।
और वह एक कॉलेज छात्र था। उसे अपने दादा और अपनी विरासत पर बहुत गर्व था। क्रांतिकारी जीवन में कुछ पैसों और स्मृति चिन्ह के लिए इस तरह के अपमान को सहना कितना मुश्किल है?
श्री जसवंत सिंह ने अपने पिता को न केवल भाग लेने से इनकार करने की सलाह दी, बल्कि यह भी कि...
जसवंत सिंह, सरकार द्वारा उनकी दादी को दी जा रही पेंशन लौटा दें। उन्होंने कहा कि उनके दादा का स्वतंत्रता संग्राम व्यर्थ गया और परिवार को
भारत सरकार से भीख लेकर अपने असफल आदर्शों को अपमानित न करें।
उनका नाम। करतार सिंह सहमत हो गए और उन्होंने सम्मान और पेंशन लेने से इनकार कर दिया।

जसवंत सिंह खालरा के प्रारंभिक वर्ष
जसवंत सिंह का जन्म 1952 में हुआ था, जिस वर्ष पंजाब ने अपना पहला जनरल देखा था।
संविधान के तहत चुनाव हुए, जिससे कई सिख नेता बेहद नाखुश थे।
जसवन्त सिंह के तीन बड़े भाई थे, राजिंदर सिंह, अमरजीत सिंह और गुरदेव सिंह। पहले दो इंग्लैंड में बस गए। गुरदेव सिंह बाद में ऑस्ट्रिया चले गए।
जहां वह वियना शहर में बस गए। जसवंत सिंह की पांच बहनें भी थीं।
उनमें से कुछ की शादी स्थानीय किसानों से हुई थी।43
पंजाब में जसवंत सिंह के जीवन के प्रारंभिक वर्ष उग्र परिस्थितियों से प्रभावित थे।
अकाली दल और केंद्र सरकार के बीच राजनीतिक संघर्ष को बढ़ावा मिला।
अकाली दल ने राज्य के पुनर्गठन की मांग की है ताकि इसे भाषाई रूप से समरूप बनाया जा सके।
अकाली दल भाषाई समरूपता के आधार पर क्षेत्र का विभाजन चाहता था।
केंद्र सरकार ने पंजाबी और हिंदी भाषी राज्यों को अलग-अलग राज्यों में विभाजित किया।
जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में इस मांग के विरुद्ध रुख अपनाया गया।
भाषाई प्रांत आयोग, जिसे संविधान सभा को सलाह देने के लिए नियुक्त किया गया था
प्रांतों के पुनर्गठन पर अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में प्रस्तुत करते हुए तर्क दिया।
प्रस्ताव के विरुद्ध। भाषाई रूप से समरूप संगठनों के लिए आंदोलन के चलते... भारत भर में नवगठित प्रांतों को गति मिली, सरकार ने नियुक्तियाँ कीं

इस मुद्दे की जांच के लिए दिसंबर 1953 में एक और आयोग का गठन किया गया। इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई-
1955 में, इसने एक बार फिर सिखों की मांग को खारिज कर दिया, हालांकि इसने कुछ शर्तों पर सहमति व्यक्त की।
अन्य भाषाई क्षेत्रों से मांगें। अगले डेढ़ दशक तक, अकाली
दल ने पंजाबी राज्य के निर्माण के लिए छिटपुट और कभी-कभी तीव्र आंदोलन चलाए।

43 Statements of Paramjit Kaur, w/o Jaswant Singh Khalra, r/o 8 Kabir park under police station
इस्लामाबाद में सीबीआई के डीएसपी पी.एल. मीना द्वारा 2 जनवरी 1996 को सीआर.पी.सी. की धारा 161 के तहत दर्ज की गई घटना और अमृतसर के खलरा गांव के हरनाम सिंह के पुत्र करतार सिंह की घटना 1 फरवरी को दर्ज की गई।
22 राख में तब्दील

बोलने वाला राज्य। पंजाब में हिंदू संगठनों ने सिखों की मांग का विरोध किया।
पंजाबी को अपनी मातृभाषा के रूप में अस्वीकार करना और हिंदी को अपनी भाषा के रूप में पंजीकृत करना।
इसके बजाय, विधानसभा प्रणाली का इस्तेमाल किया जाए। इसका उद्देश्य हिंदी भाषी लोगों को बहुमत देना था।
नेहरू ने संसद को बताया कि वे सिखों की मांग को तब भी नहीं मानेंगे, भले ही सिखों ने गृहयुद्ध छेड़ दिया। गांधी जी के बाद नेहरू प्रधानमंत्री बन गए। अपने शिष्य को, उनकी राष्ट्रवादी करिश्माई क्षमता का कुशलतापूर्वक उपयोग करके, सत्ता में आने के बाद,
वह स्वयं को अंतिम ब्रिटिश वायसराय मानता था और उसने सत्तावादी शासन के तहत भारत पर शासन किया।
परंपरा जिसमें ‘छोटी निष्ठाओं’ की राजनीति के लिए कोई धैर्य नहीं है।44 नेहरू का निधन मई 1964 में हुआ, भारत की उस अपमानजनक सैन्य पराजय के दो साल बाद।
चीनियों के हाथों। पंजाब के कांग्रेस मुख्यमंत्री प्रताप सिंह
सिख आंदोलन के कट्टर आलोचक रहे कैरन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
एक महीने बाद जब एक जांच आयोग ने भ्रष्टाचार के आरोपों में उन्हें दोषी ठहराया।
आठ महीने बाद, कैरन एक अज्ञात हत्यारे की गोलियों का शिकार हो गया।
वह अपनी कार से दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहा था।45
1965 में पाकिस्तान के साथ आसन्न युद्ध ने केंद्र सरकार को चिंतित कर दिया।
इस तथ्य से अवगत होते हुए कि सिख सैनिक इसके शत्रुतापूर्ण संबंधों से असंतुष्ट थे
सिख नेताओं के साथ। उनका सहयोग हासिल करने के लिए, इसने वादा किया कि यह जल्द ही
पंजाबी भाषी राज्य का निर्माण करें।
युद्ध की समाप्ति पर, सरकार ने हिंदी भाषी क्षेत्रों को अलग कर दिया।

यह प्रांत हरियाणा नामक एक नए राज्य के अंतर्गत आएगा। हिमाचल प्रदेश ने पहाड़ी क्षेत्र को अपने अधीन ले लिया है।
शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी में स्थित पंजाब के क्षेत्र। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया।
यह क्षेत्र पंजाब और हरियाणा के नए राज्यों की संयुक्त राजधानी है।
सितंबर 1966 में गठित पंजाब का क्षेत्रफल 50,255 वर्ग किलोमीटर था।
14 मिलियन की आबादी में से 55.48 प्रतिशत सिख थे।
1947 से पहले, अविभाजित भारत की कुल जनसंख्या में सिखों की संख्या 15 प्रतिशत थी।
पंजाब में 55 प्रतिशत मुस्लिम और 30 प्रतिशत हिंदू हैं। जबरन पलायन पूर्वी पंजाब से पाकिस्तान में मुसलमानों का पलायन और पश्चिमी पंजाब से सिख शरणार्थियों का आगमन
विभाजन के बाद पंजाब राज्य की जनसांख्यिकीय संरचना में परिवर्तन आया। भारतीय पंजाब की 40 प्रतिशत आबादी इसमें शामिल है। इसके निर्माण के साथ पंजाबी भाषी राज्य में, उनकी संख्या बढ़कर लगभग 60 प्रतिशत हो गई। यदि सरकार-
सरकार ने भाषाई समरूपता के मानदंड को ईमानदारी से लागू करके पुनर्गठन किया था।
नए पंजाब की आबादी मुख्य रूप से हिंदू ही रहती।
पंजाब के कई जिले जैसे अंबाला और करनाल, जो हरियाणा में चले गए, और होशियारपुर और गुरदासपुर जिलों के पहाड़ी उप-मंडल, जिन्हें अधिग्रहित कर लिया गया था
हिमाचल प्रदेश में पंजाबी भाषी लोग थे। हालाँकि, हिंदू संगठनों के पास उन्होंने 1951 से अभियान चलाया और अधिकांश पंजाबियों को समझाने में सफल रहे।
हिंदी भाषी हिंदुओं को अपनी मातृभाषा के रूप में हिंदी दर्ज कराने के लिए कहना। यही शरारत थी जिसके कारण
अब इसका उल्टा असर उन पर ही हुआ। राज्य का भाषाई पुनर्गठन ही उसका मूल कारण बन गया।
सांप्रदायिक विभाजन। संख्याओं के लोकतांत्रिक खेल में, सिखों की स्थिति पंजाब पहली बार व्यवहार्य प्रतीत हुआ।46 सुलह करने के बजाय
स्वयं, जनसंघ के नेतृत्व वाले हिंदू राजनीतिक समूह, जिसे अब जाना जाता है भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने संसद के गठन के खिलाफ आंदोलन करने का विकल्प चुना।
पंजाबी भाषी राज्य। यज्ञ दत्त शर्मा, जनसंघ के एक प्रमुख नेता।
44 स्टैनली वोल्परट, नेहरू: नियति के साथ एक मुलाकात, बुकनोट्स प्रतिलेख, - http://www.booknotes.org/transcripts/50133.htm पृष्ठ 11/21.
45 राम नारायण कुमार और जॉर्ज सीबेरर, सिख संघर्ष: उत्पत्ति, विकास और वर्तमान चरण,
चाणक्य प्रकाशन, दिल्ली, 1991, पृ. 177-183.
जसवंत सिंह खालरा: मानवाधिकारों के लिए शहीद 23

अमृतसर के निवासी 9 मार्च 1966 से “आमरण अनशन” पर उतर आए, ताकि फैसले को रद्द किया जा सके।

रिपोर्ट के कुछ अंश इस प्रकार हैं: “जानबूझकर की गई चूक और कृत्रिम रूप से बढ़ा-चढ़ाकर पेश की गई संख्याओं की व्यापक शिकायतें मिली हैं और मुझे खेद है कि...वास्तविक रूप से दर्ज किए गए आंकड़ों पर बहुत कम भरोसा किया जा सकता है। हिंदू, मुसलमान और सिख सभी समान रूप से दोषी हैं...उदाहरण के लिए, मोंटगोमरी के उपायुक्त ने बताया कि उनके अपने नौकरों में आया की उम्र में 30 साल की गलती हुई थी; उनके ड्राइवर, जो कोहाट के रहने वाले पश्तू भाषी पठान थे, को उर्दू भाषी और क्वेटा में जन्मे के रूप में दर्ज किया गया था; उनके सहायक, जो केवल पंजाबी बोल सकते थे, को उर्दू भाषी के रूप में दर्ज किया गया था और उनके बंगाली रसोइए को तो जनगणना में शामिल ही नहीं किया गया था...” राज्यपाल की रिपोर्ट, डी.ओ. संख्या 330-एफ.एल, दिनांक 17 मार्च 1941, पी एंड जे/243/आईओआर:एल।
पंजाब में आत्महत्या विरोधी अभियानों के दौरान पुलिस की कथित ज्यादतियों की जांच आयोग की रिपोर्ट (47)
मार्च 1966 का आंदोलन, बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया, 1966; आयोग के अध्यक्ष, डॉ. सी. बी. अगरवाला, आयोग के सदस्य, श्री अर्जू प्रसाद और श्री राम लुभाया ओबेरॉय।
48 राम नारायण कुमार और जॉर्ज सीबेरर, वही, पृ. 171-193.
अकाली दल की गठबंधन सरकार बनाने की मजबूरी पुनर्गठित पंजाब की जनसांख्यिकीय संरचना में निहित है: राजनीतिक सत्ता को दो प्रमुख समुदायों के प्रतिनिधियों द्वारा उनकी संख्यात्मक शक्ति के अनुपात में साझा किया जाना आवश्यक है। यद्यपि, 1967 में अकाली दल को प्राप्त वोटों का प्रतिशत 1962 के तीसरे आम चुनाव की तुलना में काफी बढ़ गया था – 1962 में 11.9 प्रतिशत के मुकाबले 1967 में 24.1 प्रतिशत – फिर भी वह राज्य विधानसभा की 104 सीटों में से केवल 26 सीटें ही जीत सका। फरवरी 1969 में हुए दूसरे विधानसभा चुनावों में, अकाली दल ने 43 सीटें जीतकर अपनी शक्ति में सुधार किया और सबसे बड़ी पार्टी बन गई, फिर भी उसे गठबंधन सहयोगी के बिना सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। 1977 में भी स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया, जब अकाली दल ने 117 सदस्यीय विधानसभा में 58 सीटें जीतीं। डेविड बटलर, अशोक लैरी और प्रणॉय रॉय, लिविंग मीडिया इंडिया लेफ्टिनेंट, नई दिल्ली, दूसरा संस्करण, 1991, पी। 237.
24 राख में तब्दील

खालरा की प्रारंभिक राजनीतिक गतिविधियाँ
जसवंत सिंह खालरा राजनीतिक उथल-पुथल के इस वातावरण में पले-बढ़े, निश्चितताओं और मोहभंग। उनके परिवार में पाँच बहनें और चार भाई शामिल थे- जसवंत सिंह अपने पिता की तनख्वाह पर निर्भर था। उनकी माँ चार बच्चों की देखभाल करती थी।
हम भैंस पालते थे और अतिरिक्त आमदनी के लिए उनका दूध बेचते थे। फिर भी साधन सीमित थे।
और बच्चों को कभी जेब खर्च नहीं मिलता था। सब कुछ बहुत ही साधारण था; उनके कपड़े,
उनका खाना। लेकिन करतार सिंह चाहते थे कि वे सभी शिक्षित हों। जसवंत सिंह चले गए।
वह अपने पिता द्वारा स्थापित खालरा गांव के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने गया।

वह होशियार, बहुत बोलने वाला और पढ़ाई में अच्छा था। लेकिन उसे अपनी माँ की देखभाल में भी मदद करनी पड़ती थी।
भैंसों की देखभाल करना और उनके लिए चारा जुटाना। जसवंत सिंह ने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की।
1969 में, पंजाबी राज्य के गठन के तीन साल बाद, उन्होंने इसमें भाग लिया और फिर इसमें शामिल हो गए।
उनके गांव से 30 किलोमीटर दूर झबल में स्थित बीर बाबा बुद्ध कॉलेज में वे यात्रा करते थे।
वह हर दिन बस से अपने कॉलेज जाता था क्योंकि उसके पिता हॉस्टल का खर्च वहन नहीं कर सकते थे।
अगले कुछ वर्षों में, वह छात्रों की राजनीति में बहुत सक्रिय हो गए, जो इस पर आधारित थी।
प्रबल वामपंथी विचार।
शुरू से ही घर का माहौल राजनीति से भरा हुआ था।
उनके पिता, हालांकि एक साधारण शिक्षक थे, फिर भी उस क्षेत्र में उनका व्यापक सम्मान था और कई लोग उन्हें जानते थे।
भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति कृष्णकांत सहित प्रभावशाली राजनेता,
सलाह लेने के लिए लोग उनके पास उमड़ पड़ते थे। कृष्णकांत के पिता लाला अचिंत राम, जिनके अपने
अमृतसर के तरन तारन उपमंडल के कोट मोहम्मद खान गांव में निवास।
जिले में, जसवंत सिंह कांग्रेस के शुरुआती दिनों से ही उनके घनिष्ठ मित्र रहे थे।
पिता ने विनोबा भावे की भी मेजबानी की थी जब वे अपने चुनाव प्रचार के सिलसिले में खालरा गांव आए थे।
अमीरों से गरीबों को भूमि के स्वैच्छिक पुनर्वितरण को बढ़ावा देना। कई वामपंथी-
करतार सिंह के परिचित कट्टरपंथी गुटों ने विनोबा के साथ हाथ मिला लिया था। भावे का आदर्शवादी अभियान, जिसने कभी कोई वास्तविक परिणाम हासिल नहीं किया। वातावरण
देश में चल रही गहन राजनीतिक चर्चाओं और राजनीतिक विकास की तीव्र गति के कारण-
पंजाब और शेष भारत में हुई घटनाओं ने जसवंत के प्रारंभिक राजनीतिक झुकाव को आकार दिया।
जब जसवंत सिंह खालरा ने झबल कॉलेज में दाखिला लिया, तब तक वह खुद को एक
वे "वैज्ञानिक समाजवादी" कहलाए और कई छोटे आंदोलनों के सूत्रधार बन गए। भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग और व्यापारी वर्गों के लालच के खिलाफ। अभी भी ताजा।
कॉलेज में जसवंत ने उर्वरक और कीटनाशक की दुकान पर पुलिस की छापेमारी का आयोजन किया।
सरकार द्वारा सब्सिडी प्राप्त, जिसका मालिक सब कुछ काला बाजार में बेच देता था।
इस कार्रवाई से उनके पिता के कुछ मित्र नाराज हो गए जो राजनीतिक रूप से काफी सफल थे।
संरक्षण। जसवंत सिंह ने पुलिस के खिलाफ कई छोटे आंदोलन भी आयोजित किए।

ऐसे अधिकारी जिन्होंने अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके छोटे, गरीब लोगों को परेशान किया। एक बार,
उन्होंने खालरा पुलिस स्टेशन के बाहर धरना प्रदर्शन आयोजित किया, जिसके एसएचओ ने एक महिला के साथ छेड़छाड़ की थी।
निम्न जाति की महिला।
झबल स्थित बीर बाबा बुद्धा कॉलेज में जसवंत प्रवक्ता बन गए।
पंजाब स्टूडेंट्स यूनियन, एक वामपंथी समूह है जो कट्टरपंथी वामपंथी विचारधारा से प्रभावित है।
जैसा कि यह 1960 के दशक की शुरुआत में बंगाल के नक्सलबाड़ी क्षेत्र में विकसित हुआ।
1972 में, जसवंत सिंह ने पूरे पंजाब में सफल छात्र हड़ताल का नेतृत्व किया, जिसने
निजी सिनेमाघरों में टिकटों की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ तुच्छ रूप से विरोध प्रदर्शन शुरू किया।
पूरे पंजाब के छात्रों ने कीमतों में वृद्धि का विरोध किया क्योंकि सिनेमाघर उनकी मुख्य आय का स्रोत थे।
उनके मनोरंजन का स्रोत। एक छात्र विरोध मार्च का नेतृत्व करते हुए,
झबल स्थित सिनेमा हॉल में जसवंत को सिनेमा मैनेजर ने बताया कि सरकार जसवंत ने सभी सिनेमा हॉलों पर मनोरंजन कर बढ़ाकर इस वृद्धि को मजबूर किया था।
जसवंत सिंह खालरा: मानवाधिकारों के लिए शहीद 25

एक मामूली स्थानीय उपद्रव को पूरे देश में छात्रों के एक शक्तिशाली आंदोलन में बदल दिया गया।
राज्य। बाद में एजेंडा में और भी महत्वपूर्ण मुद्दे जोड़े गए। आंदोलन फैल गया।
पूरे पंजाब में सूचना मिलने पर राज्य सरकार सतर्क हो गई, जिसके परिणामस्वरूप जसवंत को गिरफ्तार कर लिया गया।
पहली बार के लिए।
जसवंत ने 1973 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और अपने गाँव लौट आए जहाँ उन्होंने एक ली-
ब्रारी और नौजवान भारत सभा नामक एक नए संगठन का कार्यालय
यह संगठन वामपंथी क्रांतिकारी समूह से जुड़ा हुआ था जिसका नेतृत्व नागी रेड्डी, जिन्होंने इससे जुड़ी विधियों में आमूलचूल संशोधन का प्रस्ताव रखा था-
जन-लामबंदी के लिए अधिक संवैधानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए इसे "चीनी पथ" कहा जाता है।
भारत के वंचितों, विशेषकर किसानों के गरीब वर्गों का सशक्तिकरण। नागी आंध्र प्रदेश के एक पुराने वामपंथी क्रांतिकारी नेता रेड्डी, एक मजबूत विपक्षी थे।
बंगाली मूल के व्यक्ति द्वारा प्रतिपादित 'वर्ग शत्रु के विनाश' के सिद्धांत के प्रवर्तक।
सहयोगी चारू मजूमदार। रेड्डी ने "चीन का" जैसे लोकप्रिय नारे का भी विरोध किया।

"अध्यक्ष हमारे अध्यक्ष हैं" - यह नारा अधिक स्थानीय दृष्टिकोण का अग्रदूत बन गया।
भारत में कृषि क्रांति के दौरान नागी रेड्डी पर अधिक कट्टरपंथी समूहों ने हमला किया था।
वामपंथी भूमिगत आंदोलन में एक संशोधनवादी के रूप में। पंजाब में, नग्गी रेड्डी का निम्नलिखित प्रभाव था-
हरभजन सोही के साथ काम करने वाले कट्टरपंथी कम्युनिस्टों के एक वर्ग का अनुसरण करते हुए
इससे प्रेरित होकर जसवंत सिंह ने नौजवान भारत सभा में शामिल होने का निर्णय लिया।
खालरा का इस समूह से जुड़ाव 10,000 लोगों के एक मजबूत प्रदर्शन के आयोजन से संबंधित था।
1974 में मोगा में प्रदर्शन। इस समूह के साथ कुछ वर्षों के जुड़ाव के बाद, जसवंत
आर. पी. सरफ के नेतृत्व वाली अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में शामिल हो गए, जिसने स्पष्ट रूप से कहा कि
उन्होंने हिंसक तरीकों का त्याग किया और अहिंसक प्रतिरोध को एकमात्र अनुमत उपाय के रूप में वकालत की।
स्थापित व्यवस्था द्वारा लोगों पर किए गए अन्याय को चुनौती देने का एक कारगर तरीका।
राजनीतिक व्यवस्था को लेकर जसवंत अभी भी स्पष्ट दृष्टिकोण तलाश रहे थे। पंजाब की जनता और राजनीति के लिए प्रासंगिक।
जसवंत के पिता अपने बेटे के भविष्य को लेकर चिंतित थे। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद, जसवंत
वह भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने की कोशिश कर सकता था, लेकिन उसकी इसमें रुचि नहीं थी। राजनीति
यह उनका जुनून था। करतार सिंह ने उनसे कहा: “जसवंत, अगर तुम नेता बनना चाहते हो या
अगर आप राजनीति के माध्यम से कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो आपको इन विदेशी विचारों को त्यागना होगा।
कम्युनिस्ट समूहों में शामिल हों और अकाली दल या कांग्रेस पार्टी में घुसपैठ करें। तभी।
आप आगे आ सकते हैं।” वकील की बात का कोई असर नहीं हुआ। जसवंत आगे बढ़ना चाहता था।
सत्य और क्रांति के मार्ग पर। वह अकाली या कांग्रेसी दलों से समझौता नहीं कर सकते थे।
कांग्रेस नेताओं को वह अवसरवादी और सिद्धांतहीन धोखेबाज मानते थे।
और व्यक्तिगत लाभ के लिए राजनीतिक सत्ता हासिल करने के अलावा कोई अन्य प्रतिबद्धता नहीं।
राज्य द्वारा किए जा रहे निरंतर अत्याचारों के बाद के वर्षों में ही जसवंत का दृष्टिकोण विकसित हुआ।
पीड़ित के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाले अकाली नेताओं के साथ तालमेल बनाए रखना।
परिवारों। इसके बाद करतार सिंह ने अपने बेटे को निजी व्यवसाय शुरू करने में रुचि दिलाने की कोशिश की।

मधुमक्खी पालन से लेकर डेयरी फार्म चलाने तक, कुछ भी। जसवंत सिंह सहमत हो गए लेकिन उन्होंने कुछ समय लिया।
कोई पहल नहीं। एक बार करतार सिंह बहुत क्रोधित हो गए और जसवंत से कहा कि वह इस बारे में बात न करे।
उन्होंने आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने तक क्रांतिकारी राजनीति और न्याय के लिए संघर्ष किया।
एक पिता के रूप में, उन्होंने अपने सीमित संसाधनों को उसकी शिक्षा पर खर्च किया था। यह जसवंत का कर्तव्य था।
अब परिवार का भरण-पोषण करने के लिए।
इस फटकार का असर हुआ। इसके कुछ ही समय बाद, 1974 में, जसवंत सिंह
खालरा पंजाब में ग्राम परिषदों (जिन्हें पंचायत के नाम से जाना जाता है) के सचिव बने।
सचिव। यह एक सरकारी नौकरी थी जिसने उन्हें लोगों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ने का अवसर दिया।
ग्राम स्तर पर विकास के मुद्दे। इस पद ने उन्हें एक अवसर भी प्रदान किया- ग्रामीण क्षेत्रों के राजनीतिक रूप से सक्रिय और महत्वाकांक्षी वर्गों के साथ नियमित रूप से संवाद स्थापित करने की क्षमता
26 राख में तब्दील

पूरे पंजाब में समुदाय। सेवा में शामिल होने के कुछ ही वर्षों के भीतर, जसवंत
उन्होंने पंचायत सचिवों का एक राज्य स्तरीय संघ बनाया और उसके पहले आम सभा सदस्य बने।
सचिव। हालांकि वरिष्ठ सरकारी अधिकारी नहीं चाहते थे कि वह राजनीति में शामिल हों-
विभाग में कटौती के बावजूद, जसवंत विचलित नहीं हुए और उन्होंने हड़ताल शुरू कर दी।
विभाग के भीतर व्याप्त भ्रष्टाचार और जवाबदेही की कमी के मुद्दों पर-बड़े अधिकारियों को उनका यह उग्र रवैया पसंद नहीं आया और उन्होंने शुरू कर दिया।
उन्हें तरह-तरह से परेशान किया जाता था। कभी-कभी तो उन्हें महीनों तक वेतन भी नहीं मिलता था।
यह अतिशयोक्ति थी। परिवार में सभी लोग मानते थे कि संघर्ष की राजनीति जसवंत की विचारधारा थी।
जीवन शैली।
पंजाब की राजनीति, जिस पर जसवंत ने अधिक ध्यान देना शुरू किया, वैसी ही बनी रही जैसी पहले थी।
हमेशा की तरह रोमांचक और अव्यवस्थित। राज्य सरकार में निराशाजनक अनुभव।
1967 और 1971 के बीच की घटनाओं ने अकाली दल के कट्टरपंथियों को यातनापूर्ण कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया।
केंद्र-राज्य संबंधों का एक संवेदनशील मुद्दा। अक्टूबर 1973 में, कार्यकारी समिति ने
आनंदपुर में आयोजित एक सम्मेलन में अकाली दल ने एक नीतिगत प्रस्ताव पारित किया और...

इसमें केंद्रीय सरकार को प्रांतीय सरकार को स्वायत्तता देने का आदेश दिया गया था।
रक्षा, विदेश संबंध, मुद्रा और संचार को छोड़कर सभी क्षेत्रों में। प्रस्ताव में सिखों को एक "राष्ट्र" या "कौम" के रूप में वर्णित किया गया और संरचनात्मक बदलावों की मांग की गई।
ऐसी व्यवस्थाएँ जो उन्हें पंजाब के प्रशासन में प्रमुख भूमिका प्रदान करेंगी। 49
जसवंत ने प्रस्ताव और उसके निर्माताओं की कड़ी आलोचना की। अकाली उन्होंने मई 1946 के सम्मेलन को विफल करके विकेंद्रीकृत भारत के पतन में योगदान दिया था।
ब्रिटिश कैबिनेट मिशन की सत्ता के हस्तांतरण की शर्तें, जो प्रतिनिधियों को सौंपी जानी थीं।
संयुक्त संघीय भारत। कैबिनेट मिशन योजना में केवल तीन विषयों को ही शामिल किया गया था।
रक्षा, विदेश संबंध और मुद्रा भारत की केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में हैं।
अन्य सभी विषयों को स्वायत्त प्रांतीय सरकारों के अधिकार क्षेत्र में छोड़ते हुए-
सरकारों। सोलह साल बाद, अकाली दल उस ढांचे को पुनर्जीवित करना चाहता था। अपनी पिछली गलतियों को स्वीकार किए बिना संघवाद और फिर भी एक 'प्रमुख भूमिका' का दावा करना
पंजाब प्रशासन के अंतर्गत सिखों को रखना। जसवंत की राय में यह अनुचित था। पूरी तरह गलत। उनके विचार में, सिख अपने धर्म के लिए लड़ाई जारी नहीं रख सकते थे।
भारतीय लोकतंत्र में बहुसंख्यक वर्ग के अत्याचार के विरुद्ध धार्मिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए
पंजाब में अपनी प्रभावशाली जनसांख्यिकी के आधार पर 'श्रेष्ठता' का दावा करना
राज्य।
जसवंत ने परिसंघ का प्रस्ताव रखकर अकाली दल के रुख को चुनौती दी।
भारत और पाकिस्तान के। प्रस्ताव में सुझाव दिया गया कि दोनों देश संयुक्त रूप से काम करें।
विशेषकर अपने परिधीय क्षेत्रों में, उन्हें अपनी जन-भौगोलिक विसंगति को दूर करना होगा।
उन्हें अपनी राजनीति को धार्मिक और सांप्रदायिक अल्पसंख्यकों के लिए भी सार्थक बनाना चाहिए।
साथ ही यह भी प्रस्ताव रखा गया कि दोनों देश अपने वर्चस्ववादी राष्ट्रवाद से दूर हटें।
और दमनकारी केंद्रीकरण को एक ऐसे ढांचे की ओर ले जाना जो समायोजित कर सके धार्मिक, जातीय अल्पसंख्यकों और गैर-प्रमुख वर्गों के लिए स्वशासन की अनिवार्यताएँ
जसवंत को यह महसूस होने लगा था कि जब तक दलितों की स्थिति में सुधार नहीं होगा, तब तक
और मध्यभूमि के उत्पीड़ित लोग और धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यक,

भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में पीड़ितों ने एक व्यापक एकजुटता का निर्माण किया।
उस स्वतंत्रता की परिकल्पना को पुनर्जीवित करना जिसके लिए उनके दादा हरनाम सिंह ने खुद को समर्पित किया था।
अगर उसने खुद को ही दोषी ठहरा लिया, तो उनकी पीड़ाओं और अर्थहीन राजनीतिक संघर्ष का कोई अंत नहीं हो सकता था।

49 घनी जाफर, द सिख वोल्केनो, अटलांटिक पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, दिल्ली, 1988, पृ. 87-88, 457-460;
जी. एस. ढिल्लों, भारत ने आत्महत्या की, चंडीगढ़, 1992, पृ. 94-112.
जसवंत सिंह खालरा: मानवाधिकारों के लिए शहीद 27

इंदिरा गांधी का आपातकाल: लोकतंत्र के कुछ पहलू
जून 1975 में, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश को बचाने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की।
जन आंदोलन के कारण संरचनात्मक पुनर्गठन के चलते उनकी सरकार को गिरने से बचाना।
जयप्रकाश नारायण, एक करिश्माई नेता, द्वारा शुरू की गई "संपूर्ण क्रांति" के रूप में लोकप्रिय रूप-
एक कट्टरपंथी समाजवादी नेता, कुछ वर्षों से नेतृत्व कर रही थीं। अगले 21 महीनों तक, उन्होंने
कठोर उपायों के बल पर शासन किया गया। इन उपायों में राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी शामिल थी।
विरोधियों, प्रेस सेंसरशिप और शत्रुतापूर्ण राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध।50 जब अकाली
पंजाब के नेताओं ने तानाशाही कदम के खिलाफ सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन आयोजित किए।
भारत के अन्य हिस्सों में आंदोलनकारियों की तरह, इन्हें भी बिना मुकदमे के हिरासत में लिया गया। पहली बार,
जसवंत सिंह अकाली दल की संगठनात्मक शक्ति की प्रशंसा करते थे, जिसने उसे यह क्षमता प्रदान की।
हजारों लोगों को लामबंद करके इंदिरा गांधी के तानाशाही शासन को प्रभावी ढंग से चुनौती देना।
लोगों को अहिंसक रूप से उसके राजनीतिक प्रतिबंधों का उल्लंघन करने और गिरफ्तारी देने के लिए प्रेरित करना। कोई अन्य नहीं
भारत में कोई भी राजनीतिक दल सतत विकास के मामले में अकाली दल के प्रदर्शन की बराबरी करने में सक्षम नहीं रहा है।
भारत के तानाशाही के प्रयोग के खिलाफ जनता के प्रतिरोध को दर्शाते हुए। राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दलों का गठबंधन, जनता पार्टी भी-
अकाली दल सहित अन्य दलों ने मार्च 1977 के चुनावों में कांग्रेस को हराकर सरकार का गठन किया।
केंद्र में उसकी सरकार बनी। अकाली दल जनता गठबंधन में शामिल हो गया। उसने भी जीत हासिल की।

उसी वर्ष बाद में विधानसभा चुनाव हुए, जिसके परिणामस्वरूप तीसरी गठबंधन सरकार का गठन हुआ।
राज्य।
जसवंत के लिए, आपातकाल गलत अनुमान का एक तार्किक परिणाम था।
1947 के चुनावों में यह दिखाया गया कि छद्म-धर्मनिरपेक्ष और अर्ध-संघीय योजना
भारत पर थोपी गई राज्य व्यवस्था का दौर समाप्त हो चुका था। उन्होंने प्रबल आशा व्यक्त की कि व्यापक गठबंधन
इंदिरा गांधी के आपातकाल शासन की जगह लेने वाली लोकतांत्रिक पार्टियों का गंभीर प्रभाव पड़ेगा-
लोकतंत्र की बहाली का उपयोग विकेंद्रीकरण के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है।
शक्ति, जमीनी स्तर से विकास और मूलभूत सिद्धांतों के प्रति सच्चा सम्मान मानवाधिकार जिनके प्रति उसके नेताओं ने प्रतिबद्धता जताई थी। नया सत्तारूढ़ गठबंधन-
इस चुनाव में वामपंथी से लेकर दक्षिणपंथी तक राजनीतिक विचारों का एक व्यापक दायरा शामिल था।
इसमें द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम (डीएमके) सहित कई क्षेत्रीय दलों को जगह दी गई थी।
तमिलनाडु से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई-एम), पश्चिम बंगाल से, कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) और पंजाब से अकाली दल। ये सभी दल... 1977 की चुनावी सफलता से पहले पार्टियां विकेंद्रीकरण की समर्थक थीं। उनके नेताओं ने सही ही बताया था कि आर्थिक विकास की योजनाओं के लिए-
भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में प्रभावी होने के लिए, इन विचारों को समय के साथ विकसित होना चाहिए।
स्थानीय परिस्थितियों की बेहतर जानकारी रखने वाले प्रांतीय नेताओं की पहल-
कार्यान्वयन तंत्र पर अधिक नियंत्रण और अधिक जवाबदेही।
दूर दिल्ली के नौकरशाहों और राजनेताओं की तुलना में मतदाताओं की स्थिति कहीं अधिक भयावह है।
आजादी के 30 साल बाद, पूरे देश के लोगों की स्वतंत्रता ही इसका प्रमाण थी। पंचवर्षीय योजनाओं और उनके पीछे विकास के दर्शन के लिए यह पर्याप्त है।
योजना आयोग विफल हो गया था। राष्ट्रीय संसाधनों का वह बड़ा हिस्सा जो इसके लिए निर्धारित था
सामाजिक पुनर्निर्माण का धन भ्रष्टाचार की सुरंगों में समाहित होता जा रहा था।
यह सर्वविदित ज्ञान है। भ्रष्टाचार और गतिरोध के प्रति इस घृणा का उपयोग किया गया था।
जवाहरलाल नेहरू के पुराने समाजवादी सहयोगी जयप्रकाश नारायण से संबंध मजबूत करने के लिए।
जनता समूह के भीतर।
50 इस रिपोर्ट के लेखक को भी इसके विरुद्ध लिखने और बोलने के लिए बिना मुकदमे के 19 महीने तक नजरबंद रखा गया था।
भारत का तानाशाही का प्रयोग।
28 राख में तब्दील

जसवंत सिंह ने सत्ता में लोकतांत्रिक परिवर्तन देखकर प्रसन्नता व्यक्त की।
दिल्ली में जो कुछ हो रहा था, वह भारतीय राजनीति के क्षेत्रीय हलकों में एक उत्साही उत्साह को प्रेरित करने लगा था।
राज्य के संवैधानिक ढांचे के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता पर बहस
प्रांतीय सरकारों को अधिक शक्तियां दें। परिधीय राज्यों के कई नेता केंद्र के कई नेताओं ने बड़े बदलावों की वकालत की। इनमें जम्मू के शेख अब्दुल्ला भी शामिल थे।
और कश्मीर, ज्योति बसु, पश्चिम बंगाल के मार्क्सवादी मुख्यमंत्री; ए. के. एंटनी,
केरल के कांग्रेस मुख्यमंत्री और तमिलनाडु के एम. करुणानिधि। ये राज्य, पंजाब के साथ-साथ, केंद्र की मनमानी को तीन दशकों में झेलना पड़ा था। भारतीय संघवाद। विशेष रूप से, वे संविधान द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों से घृणा करते थे।
केंद्र सरकार को प्रांतों में निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त करने और उन पर कार्रवाई करने का अधिकार है।
अपने वित्त पर सख्त नियंत्रण। 51 जसवंत सिंह की निराशा के लिए, सरकार ने पंजाब में अकाली दल, जिसके मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल थे, अप्रत्याशित प्रतीत हो रहा था।
अपने हिंदू गठबंधन सहयोगियों के साथ झगड़ा खड़ा करने को तैयार, जिनके लिए तो यह शब्द भी
स्वायत्तता एक अभिशाप थी। हिंदू बहुल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले मध्यमार्गी कट्टरपंथी
भारत ने विकेंद्रीकरण के समर्थकों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, जो भारत का प्रतिनिधित्व करते थे।
भारत के परिधीय क्षेत्रों में। वे पार्टी संबद्धताओं से परे जाकर यह मानते हैं कि एक मजबूत केंद्र सरकार...
यह संयुक्त भारत के साथ ही समाप्त होता था। मोरारजी देसाई, रूढ़िवादी प्रधान मंत्री
गठबंधन सरकार के मंत्री ने घोषणा की कि वे इस विषय पर चर्चा भी नहीं करेंगे।
संविधान की समीक्षा के प्रस्ताव और उनके प्रमुख पक्षकार।

असंगत गठबंधन:
अकाली और जरनैल सिंह भिंडरावाले
यह वह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जिसमें इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी ने चुनाव किया था।
सामूहिक पूर्वाग्रहों के हेरफेर के नए भयावह प्रयोगों के लिए पंजाब तैयार है।
जिसके परिणामस्वरूप जून 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर सैन्य हमला हुआ।
और अगले दशक की विनाशकारी घटनाएँ: उनकी स्वयं की हत्या और संगठन-
सैन्य हमले के लगभग पांच महीने बाद सिखों का संगठित नरसंहार हुआ।
सिख अशांति और अलगाववादी हिंसा का उग्रवादीकरण, राज्य आतंकवाद

अभूतपूर्व पैमाने पर, 'जबरन गायब करना', मनमानी हत्याएं और गुप्त

संविधान के अनुच्छेद 356 (1) में कहा गया है: “यदि राष्ट्रपति, किसी राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त होने पर,
यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य का शासन इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो वह उद्घोषणा द्वारा – [क] राज्य सरकार के सभी या किसी भी कार्य और राज्यपाल या राज्य के किसी अन्य निकाय या प्राधिकरण (राज्य के विधानमंडल को छोड़कर) में निहित या उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी या किसी भी शक्ति को अपने हाथ में ले सकता है; [ख] यह घोषित कर सकता है कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके अधिकार के अधीन प्रयोग की जाएंगी; [ग] उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रपति को आवश्यक या वांछनीय प्रतीत होने वाले ऐसे आकस्मिक और परिणामी प्रावधान कर सकता है, जिनमें राज्य के किसी निकाय या प्राधिकरण से संबंधित इस संविधान के किसी भी प्रावधान के संचालन को पूर्ण या आंशिक रूप से निलंबित करने के प्रावधान शामिल हैं।
1951 में, पंजाब इस प्रावधान का पहला शिकार बना, जब मुख्यमंत्री गोपी चंद भार्गव के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने राज्य के भाषाई पुनर्गठन के लिए अकाली आंदोलन को दबाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। इसके बाद, 1959 में केरल को भी इस प्रावधान का शिकार होना पड़ा, जब ई. एम. एस. नंबूदरीपाद के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी। 1967 से 1969 के बीच, केंद्र में कांग्रेस सरकार के विरोधी दलों द्वारा चलाई जा रही सात राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया। 1970 से 1974 के बीच, 19 राज्य सरकारों को उखाड़ फेंका गया। आपातकाल के दौरान, तमिलनाडु की राज्य सरकार को इस आधार पर गिरा दिया गया कि उसने प्रेस पर सेंसरशिप लगाने के केंद्रीय निर्देश का पालन नहीं किया और आपातकाल विरोधी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने से इनकार कर दिया।
जसवंत सिंह खालरा: मानवाधिकारों के लिए शहीद 29

हजारों लोगों का अंतिम संस्कार। जून 1984 में गोल्डन पर सैन्य हमला। अमृतसर का मंदिर और भारत में सिखों के खिलाफ संगठित हिंसा, विशेष रूप से- इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, खासकर राजधानी दिल्ली में, दो लोगों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी।
31 अक्टूबर 1984 को उनके सिख सुरक्षा गार्डों की उपस्थिति को समझना बहुत महत्वपूर्ण है।
अगले दशक में अलगाववादी हिंसा और उसके निर्मम दमन के संदर्भ में
पंजाब के बारे में हम यहां संक्षेप में बताएंगे।
पंजाब में केंद्र-राज्य संबंधों पर चल रही बहस को झटका लगा है।
अप्रैल 1978 में भड़के सांप्रदायिक संघर्षों के दौरान हुए संघर्ष।
सिखों और निरंकारियों के बीच मतभेद और भावनाओं से जुड़े विवादास्पद मुद्दे थे।
उन्होंने जो विवाद खड़ा किया, उससे गंभीर राजनीतिक मामले दब गए। उन्होंने कांग्रेस की भी मदद की।

अकाली दल को अलग-थलग करने के लिए पार्टी ने जनवरी 1980 में हुए संसदीय चुनावों में भाग लिया।
इंदिरा गांधी केंद्र में राजनीतिक सत्ता पुनः प्राप्त करने में सफल रहीं। पंजाब के आठ में से
11 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों ने कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान किया। मई 1980 में,
कांग्रेस पार्टी ने राज्य विधानसभा चुनावों में अकाली दल को हराया और एक नई सरकार बनाई।
दरबारा सिंह के नेतृत्व वाली सरकार।
जुलाई 1982 में, अकाली दल ने कार्यान्वयन की मांग को लेकर अपना जन आंदोलन शुरू किया।
1973 में पारित आनंदपुर साहिब प्रस्ताव की समीक्षा, जिसमें एक
रक्षा और विदेश मामलों को छोड़कर, प्रशासन के सभी विषयों का अवशिष्ट हस्तांतरण राज्यों को किया जाएगा।
संबंध, संचार और मुद्रा। कुछ वर्षों से जरनैल सिंह
एक रूढ़िवादी सिख मदरसे के प्रमुख भिंडरांवाले ने स्वयं को एक
ग्रामीण पंजाब में असाधारण अनुयायी वर्ग वाले करिश्माई धार्मिक व्यक्ति। सिख जनता के बीच भिंडरांवाले की लोकप्रियता का लाभ उठाने के उद्देश्य से अकाली दल ने यह कदम उठाया।
नेताओं ने उन्हें आंदोलन में शामिल होने के लिए राजी किया। एक बार शामिल हो जाने के बाद, वे...
केंद्र सरकार के साथ बातचीत में घोषित लक्ष्य से पीछे हटने में सक्षम क्योंकि भिंडरांवाले उन्हें ऐसा करने नहीं देंगे। अकाली नेता और केंद्र सरकार ने जल्द ही मैकियावेलीवादी हथकंडों की पूरी श्रृंखला का उपयोग करना शुरू कर दिया।
सरल और
भिंडरांवाले का यह रुख लगातार बना हुआ है कि किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होगा।
आनंदपुर प्रस्ताव का जनादेश।52
भिंडरांवाले और
अकाली नेता केवल अपनी राजनीतिक स्थिति और धार्मिक पृष्ठभूमि तक ही सीमित नहीं थे।
आधार। उनके मतभेद संघर्ष के दो अलग-अलग लेकिन आपस में जुड़े पहलुओं को दर्शाते थे।
अस्थायी सिख पहचान।
अकाली दल छह दशकों से सबसे शक्तिशाली राजनीतिक ताकतों का राजनीतिक हथियार रहा है।
सिख आबादी का प्रभावशाली वर्ग, अर्थात् जाट किसान। उनकी समृद्धि
पिछले दो दशकों में हरित क्रांति के परिणामस्वरूप।53 उन्होंने अनैतिक यौन संबंध के खिलाफ आंदोलन किया।
कृषि अर्थव्यवस्था को अधिक लाभदायक बनाने के लिए लगातार और अक्सर सफलतापूर्वक प्रयास किए जाते हैं।

52. हिंदुस्तान टाइम्स (एचटी), 16 नवंबर 1982, अकाली दल नए पैकेज समझौते को स्वीकार कर सकते हैं; एचटी, 25 अक्टूबर

1982. सरन ने अकाली नेताओं से मुलाकात की; एचटी. 13 नवंबर 1982. भिंडरांवाले, खालिस्तान के पक्ष में नहीं; एचटी, 5 सितंबर 1983, भिंडरांवाले आनंदपुर कदम पर अडिग; द ट्रिब्यून, 28 फरवरी 1984, सिख अलगाव के पक्ष में नहीं: भिंडरांवाले।
53 यद्यपि पंजाब में हरित क्रांति नहरों के विकास की प्रक्रिया की पराकाष्ठा है
सिंचाई, भूमि सुधार, नहर कॉलोनियों का बसाव, नई बीज किस्मों का विकास, सहकारी बैंकिंग और अन्य संबंधित उपायों के साथ मिलकर, जो अंग्रेजों ने 1846 में पंजाब के विलय के तुरंत बाद शुरू किए थे, इस शब्द का प्रयोग कृषि प्रगति की उस अवधि के लिए किया जाता है जो 1964-65 में डॉ. एन. ई. बोरलॉग के नेतृत्व में मेक्सिको में अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र में विकसित बीज की नई किस्मों की शुरुआत से शुरू होती है।
30 राख में तब्दील

सत्ता में रहते हुए अकाली दल ने स्वयं को के हितों के साथ घनिष्ठ रूप से जोड़ा था।
जाट सिख किसानों की मदद के लिए साहसिक कदम उठाए जा रहे हैं। खाद्य पदार्थों की कीमतों में भारी उछाल आया है।
उत्पादन, 1965-66 में 1.9 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर 2.45 मिलियन मीट्रिक टन हो गया।
1966-67 में 5.62 मिलियन मीट्रिक टन और 1971-72 में 5.62 मिलियन मीट्रिक टन का उत्पादन, इसके निर्माण के साथ मेल खाता था।
पंजाबी सूबा — पंजाबी भाषी राज्य — और पहली सरकारों के बारे में
अकाली दल। कांग्रेस के सत्ता संभालने के बाद उत्पादन चक्र में ठहराव आ गया।
1972 में सरकार का नियंत्रण। कृषि उत्पादन में निरंतर मंदी।
अगले पांच वर्षों को चिह्नित किया गया। खाद्य उत्पादन में गिरावट का निरंतर पैटर्न जारी रहा।
इन वर्षों में इस बात को लेकर अटकलें तेज हो गईं कि हरित क्रांति का दौर समाप्त हो चुका है।
बाद के घटनाक्रमों के अध्ययन से पता चला कि यह ठहराव इससे जुड़ा हुआ था।
कांग्रेस की वे नीतियां जिन्होंने आवश्यक इनपुट की वृद्धि पर लगाम लगाई: ऋण, उर्वरक-
इरेज़र, ट्यूबवेल और ट्रैक्टर। अकाली दल ने सरकार पर नियंत्रण कर लिया।
मार्च 1977 में, नीतियों में बदलाव करके आर्थिक गतिरोध को तोड़ा गया।
इसने वित्तीय सहायता प्रदान की।
जिन किसानों की फसलें प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थीं, उन्हें इससे लाभ हुआ।
ट्यूबवेलों, उर्वरकों और कीटनाशकों के लिए बिजली की लागत।
राज्य विद्युत बोर्ड ने नए कनेक्शनों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी।
बिजली के ट्यूबवेल। सरकार ने इनका प्रशासनिक नियंत्रण स्थानांतरित कर दिया।
सहकारी विभाग को एक विकास आयुक्त को सौंपने से प्रभावी ढंग से कार्य करने की अनुमति मिली।
उत्पादन कार्यक्रमों की योजना और कार्यान्वयन। अल्पकालिक वितरण।

[illegible] en 1977 [illegible] 770 [illegible] [illegible] en [illegible] 1978 [illegible] 870 [illegible] [illegible] en [illegible]
1979 [illegible] 1.05 [illegible] [illegible] en 1980 [illegible] 1.54 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] en [illegible] en-
[illegible] [illegible] en [illegible] en [illegible] [illegible] [illegible] en [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] en [illegible] [illegible] en [illegible] 362,000 en [illegible] en [illegible]
1973 [illegible] [illegible] [illegible] en [illegible] en [illegible] en 1980 [illegible] en [illegible]
565,000 en [illegible] [illegible] en [illegible], [illegible] [illegible] en [illegible] en [illegible] en [illegible] [illegible] en [illegible] [illegible] en [illegible], [illegible] en en [illegible]
[illegible] en [illegible] [illegible]
en [illegible] 1972 [illegible] [illegible] en [illegible] en, [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], en [illegible] en [illegible] [illegible] en en [illegible] [illegible] en [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] en [illegible] [illegible] en [illegible] en [illegible] [illegible] en en [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] en [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] en
[illegible] en [illegible] en en [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] en [illegible] [illegible] en
[illegible] en [illegible] en [illegible] [illegible] [illegible] en [illegible] en [illegible] [illegible] en en en
[illegible] en en
[illegible] [illegible] en [illegible] en [illegible] [illegible] [illegible] en [illegible] en [illegible]
[illegible] en [illegible] en [illegible] en [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] en [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] en [illegible] en [illegible] en [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] en,
[illegible] en [illegible] en [illegible] [illegible] en [illegible]
en [illegible] [illegible] [illegible] en [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] en
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] en [illegible] en [illegible] [illegible] en [illegible] [illegible] en [illegible]
[illegible] en [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] en [illegible], [illegible] [illegible] en...
[illegible] en [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] en [illegible] en [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] en [illegible] en [illegible] [illegible] en [illegible] [illegible] [illegible] en [illegible]
[illegible] en [illegible] [illegible] en [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] en en [illegible] en
[illegible] en [illegible] [illegible] en [illegible] en [illegible] [illegible] en [illegible] [illegible] [illegible] en
[illegible] [illegible] en [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] en [illegible] [illegible] [illegible] en [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] en [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] en [illegible], [illegible] en en en [illegible] [illegible] [illegible] en en [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] en [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] en [illegible]
[illegible] [illegible]-[illegible] en [illegible] [illegible]
[illegible] en [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] en [illegible] [illegible] [illegible]

भाजपा, जिसका पूर्व नाम जनसंघ था, अपनी सिख विरोधी राजनीति के बावजूद सत्ता में बनी हुई है।
भिंडरांवाले, हालांकि जन्म से जाट थे, लेकिन उन्हें मुख्य रूप से उसी समुदाय से अनुयायी प्राप्त हुए।
जसवंत सिंह खालरा: मानवाधिकारों के लिए शहीद 31

पंजाब में छोटे किसानों का वह वर्ग जो पिछले दो वर्षों में कंगाल हो गया था दशकों से चली आ रही पूंजी-प्रधान कृषि। इसके अलावा, इस प्रक्रिया ने 15 को ग्रामीण आबादी का 20 प्रतिशत हिस्सा खेती-बाड़ी से वंचित था। ये लोग उनके करीबी सहयोगी भी थे।
स्वाभाविक रूप से, भिंडरांवाले के अनुयायियों के इन वर्गों ने समृद्ध कृषि क्षेत्र को देखा-
हरित क्रांति के समर्थकों को संदेह और आक्रोश की दृष्टि से देखा जाता था। उन्हें हिंदू व्यापारी और प्रवासी मजदूर भी नापसंद थे, जो गड़बड़ी पैदा करते थे।
स्थानीय अर्थव्यवस्था में गरीब ग्रामीण सिखों की स्थिति। वे पंजाबियों से नाराज़ थे।
हिंदुओं ने व्यापार और उद्योग पर नियंत्रण रखा और जाट सिखों को बाहर रखा।
इसके बजाय, उन्होंने उन आज्ञाकारी प्रवासी श्रमिकों को काम पर रखा जो खुशी-खुशी काम करने के लिए तैयार थे।
कम वेतन पर भी, वे अधिकतम वेतन से काफी अधिक कमाते थे।
अपने-अपने राज्यों में। इस प्रकार, प्रवासी हिंदू मजदूर गरीबों को विस्थापित करने लगे।
स्थानीय अर्थव्यवस्था में ग्रामीण सिखों की भूमिका।
हरित क्रांति के नेताओं को बाहरी लोगों को अतिरिक्त कर्मचारियों के रूप में नियुक्त करने से लाभ हुआ।
अपने खेतों में, विशेषकर बुवाई और कटाई के चरम मौसम के दौरान, लोगों को काम पर लगाए रखना।
पंजाब में उनकी उपस्थिति ने उन स्थानीय दबावों को निष्प्रभावी कर दिया जो पहले नियमों को नियंत्रित करते थे।
कृषि और औद्योगिक दोनों क्षेत्रों में समान शर्तों पर रोजगार।
एक विकसित उद्योग सिखों के इन असंतुष्ट समूहों को समायोजित कर सकता था।
हालांकि पंजाब को औद्योगिक रूप से पिछड़ा रखा गया था, भले ही इसकी घटना- कृषि में नाममात्र की प्रगति ने तीव्र विकास के लिए सभी पूर्व शर्तें उत्पन्न कर दी थीं।
औद्योगीकरण। इस प्रकार यह भावना प्रबल हुई कि केंद्र सरकार और
पंजाब के हिंदू सिख अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने से रोकने की साजिश रच रहे थे।
हिंदू औसत से आगे।
कुछ साल पहले तक, पंजाब के कई बेरोजगार युवा पलायन कर रहे थे।
पश्चिमी देशों के लिए एल डोराडो। उन देशों को अब उनकी ज़रूरत नहीं थी और उन्हें बाहर रखने के लिए कदम उठाए जा रहे थे। परंपरागत रूप से, सैनिक बनना ही मुख्य क्षेत्र रहा था।

सिख युवाओं के लिए रोजगार। इसके अलावा, इस पेशे ने उन्हें अवसर प्रदान किया।
जाट सिख समुदाय के वीर गौरव को कायम रखें। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर,
भारतीय सेना में लगभग 30 प्रतिशत सिख थे। सेना में उनका अनुपात धीरे-धीरे कम हो गया। 1974 में, केंद्र सरकार ने एक नीतिगत निर्णय लिया जिसके द्वारा
जातियों की युद्धकला प्रतिष्ठा आनुपातिकता के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं होगी।
प्रतिनिधित्व। नई नीति के तहत, पंजाब को 2.5 प्रतिशत से अधिक प्रतिनिधित्व नहीं देना था।
सेना में भर्ती होने वाले लोगों में सिखों की हिस्सेदारी 1.3 प्रतिशत रही।
सिखों ने इस नीति को केंद्र सरकार द्वारा जानबूझकर किया गया एक प्रयास माना।
उन्हें भारत की युद्धक सेना से बाहर निकाल दिया गया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस नीति ने मुख्य मार्ग बंद कर दिया।
ग्रामीण सिख युवाओं के लिए रोजगार के कई अवसर उपलब्ध हैं। कई विशेषज्ञों ने इस ओर इशारा किया है।
पंजाब में युवाओं की बेरोजगारी ने न केवल राजनीतिक उथल-पुथल को बढ़ावा दिया, बल्कि
वहां तो था ही, लेकिन भिंडरांवाले के दिनों से ही इसे एक उग्रवादी दिशा भी दी गई थी।
अपने अनुयायियों के लिए, भिंडरावाले धार्मिक-सैन्य गुणों का आदर्श उदाहरण थे।
संत-सैनिक या 'संत-सिपाही'। सिख आबादी के अस्थिर वर्ग जो एकजुट हुए
उसके आसपास के लोगों का मानना था कि भिंडरांवाले उन्हें उनके लक्ष्य तक ले जाने के लिए प्रकट हुआ था।
अपने दसवें गुरु द्वारा किए गए वादे के अनुसार इतिहास में स्थान: “राज करेगा खालसा (संप्रभु)
शासन करेंगे)। उनका या तो सब कुछ लेने या कुछ भी न लेने का मनोवैज्ञानिक स्वभाव था।
अकाली संघ की समझौतावादी राजनीति के बिल्कुल विपरीत; यह अपरिहार्य था कि अंततः उनका टकराव हुआ। भिंडरांवाले ने सिख बुद्धिजीवियों के एक वर्ग को भी आकर्षित किया।
विशेष रूप से सेवानिवृत्त सेना अधिकारियों, नौकरशाहों, शिक्षकों और पत्रकारों सहित प्रशासनिक वर्ग।
उच्च आत्म-छवि वाले शिक्षित सिखों का यह वर्ग इसे स्वीकार नहीं कर पाया था।
अकाली दल के अर्ध-साक्षर नेताओं के नेतृत्व में ग्रामीण परिवेश में इसकी स्थिति।
32 राख में तब्दील

उन्होंने अकाली दल को अवसरवादी बताकर उसकी कड़ी आलोचना की और उन्हें हटाकर सिख शासन की शुरुआत करना चाहते थे।

राष्ट्र। इस अर्थ में, यह समूह भिंडरांवाले के कट्टरपंथी दस्तों के साथ एकरूप था।
सिवाय इसके कि वे खुद को बौद्धिक मार्गदर्शक की भूमिका में अधिक उपयुक्त समझते थे।
इस प्रकार, अकाली दल और भिंडरांवाले के बीच गठबंधन मूल रूप से
असंगत। भिंडरांवाले ने एक ऐसे अड़ियल स्वभाव का प्रतीक थे जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता था।
अकाली शासन की लेन-देन की राजनीति से सहमत। इसके अलावा, केंद्र सरकार अकाली दल को राजनीतिक रूप से अलग-थलग करने की प्रवृत्ति पहले ही दिखाई जा चुकी थी, ऐसा करके।
नेताओं पर अलगाववादियों और आतंकवादियों का साथ देने का आरोप लगाया गया।54

इंदिरा गांधी सत्ता को मजबूत करने के लिए कदम उठा रही हैं
इसी बीच, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर राजनीतिक रूप से पिछड़ती जा रही थीं।
दक्षिण और उत्तर भारत के 12 राज्यों में हुए उपचुनावों के नतीजे आ चुके हैं।
मई 1984 के तीसरे सप्ताह में, कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ था। उसने अपने सारे चुनाव हार गए थे।
प्रतिष्ठित चुनाव। उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार।
प्रदेश में, प्रधानमंत्री की नवगठित पार्टी मेनका गांधी से हार गई थी।
अलग हो चुकी बहू। संयोगवश, राजीव गांधी का अपना निर्वाचन क्षेत्र भी था।
मलिहाबाद के बगल में। निडर मेनका गांधी ने घोषणा की थी कि वह लड़ेंगी।
आगामी संसदीय चुनावों में उनके बहनोई। चुनाव परिणाम
इससे पता चला था कि उत्तरी भारत में हिंदू आक्रोश की लहर चल रही थी।
पंजाब में सिख चरमपंथी आंदोलन को दबाने में सरकार की अक्षमता।
दूसरी ओर, दक्षिणी प्रायद्वीप मजबूत क्षेत्रीय दलों के प्रभाव में था।
कांग्रेस के लिए प्रतिकूल संबंध। आंध्र प्रदेश में, जो पारंपरिक रूप से कांग्रेस का गढ़ है-
अपनी 42 संसदीय सीटों के साथ, तेलुगु देशम नामक एक नई क्षेत्रीय पार्टी का उदय हुआ है।
लोकप्रिय फिल्मी नायक एन.टी. रामाराव द्वारा गठित इस कंपनी ने चुनावों में जबरदस्त जीत हासिल की थी।55
उपचुनाव के नतीजों ने इंदिरा गांधी को आश्वस्त कर दिया कि जब तक वह कोई कठोर कदम नहीं उठातीं, तब तक उन्हें और भी गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। सिख आंदोलन के खिलाफ, जिसे हिंदू आबादी द्वारा बड़े पैमाने पर देखा जाता था
गुप्त रूप से अलगाववादी होने के कारण, वह अगली सरकार बनाने में सक्षम नहीं होगी।
केंद्र। भिंडरांवाले और उसके अनुयायियों पर त्वरित सैन्य कार्रवाई की जाए।
जैसा कि सेना के शीर्ष अधिकारियों ने वादा किया था, मूक रहना न केवल उसे एक स्थापित व्यक्ति के रूप में स्थापित करेगा

एक कठोर नेता, लेकिन सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के माध्यम से अपनी लोकप्रियता को भी बहाल करना।
54 मार्क रॉबिन्सन, “पंजाब में किसान राजनीति”, विकास नीति समीक्षा, सेज पब्लिकेशन, लंदन,
खंड 7, अंक 3, सितंबर 1989; मनोहर सिंह गिल, पंजाब कृषि का विकास, 1977-80, एशियन सर्वे, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्रेस। खंड XXIII, अंक 7, जुलाई 1983; “सिख राष्ट्रवाद की राजनीतिक अर्थव्यवस्था”, होली एम. हापका, जर्नल फर एंटविक्लुंग्सपोलिटिक, विएन, IV, जेजी., हेफ्ट 4, 1988; “पंजाब के एक गाँव में हरित क्रांति और सांस्कृतिक परिवर्तन, 1965-1978”, मरे जे. लीफ, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक परिवर्तन, खंड 31, अंक 2, जनवरी 1983, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस; फ्रैंसिन फ्रैंकल, भारत की हरित क्रांति: आर्थिक लाभ और राजनीतिक लागत, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस, 1971; श्यामाला भाटिया, “पंजाब के नए शेर: 19 वीं शताब्दी और 20 वीं शताब्दी के आरंभ में हिंदू मध्य वर्ग का उदय”, पीएचसी, तेईसवाँ सत्र, 17-19 मार्च 1989; सैनिक समाचार, नई दिल्ली, 1987, पृष्ठ 15; के. एस. सिद्धू और परमीत सिंह, “पंजाब के पूर्व सैनिकों की समस्याओं का ऐतिहासिक मूल्यांकन”, पीएचसी, बाईसवाँ सत्र, 25-27 मार्च 1988; हरीश के. पुरी, “अकाली दल और राज्य स्वायत्तता: कुछ अवलोकन”, पीएचसी, चौदहवाँ सत्र, 28-30 मार्च 1980।
55 द ट्रिब्यून, 23 मई 1984। चुनाव परिणाम कांग्रेस के लिए एक झटका; द ट्रिब्यून, 18 मई 1984, अकाली दल।
केंद्र दुविधा में; द ट्रिब्यून, 17 फरवरी 1984, राजीव के बयान की निंदा; द ट्रिब्यून, 30 अप्रैल 1984, पंजाब की स्थिति बेहतर: राजीव; द ट्रिब्यून, 24 अप्रैल 1984, सेना को पंजाब का नियंत्रण सौंपें: आडवाणी; द ट्रिब्यून, 4 मई 1984, आतंकवादियों के साथ सख्ती बरतें; द ट्रिब्यून, 28 मई 1984, पंजाब में सेना शासन के लिए मधूक; द ट्रिब्यून, 4 मई 1984, आतंकवादियों के साथ सख्ती बरतें; द ट्रिब्यून, 6 मई 1984, हिंदुओं के आठ संगठनों का विलय जसवंत सिंह खालरा: मानवाधिकारों के लिए शहीद 33

अनिवार्य रूप से ऐसी कार्रवाई का अनुसरण करना पड़ा।56 पहले से ही, हिंदू राजनीतिक नेताओं ने
कुछ समय से पार्टियां इस समस्या को समाप्त करने के लिए सैन्य विकल्प की वकालत कर रही थीं।
पंजाब। भाजपा और पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह की लोक दल ने
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का गठन किया ताकि जनता की राय को एकजुट किया जा सके।
पंजाब की स्थिति को लेकर सरकार का "नरम रुख"। विधायकों का कहना है कि... उत्तर भारत के कई राज्यों में दोनों पक्ष प्रतिदिन गिरफ्तारी दे रहे थे ताकि सजा दिलवाई जा सके।
इस मुद्दे पर जनता का ध्यान आकर्षित हुआ। पंजाब के आठ हिंदू संगठनों ने मिलकर एक संगठन बनाया था।
राष्ट्रीय हिंदू सुरक्षा सेना (राष्ट्रीय हिंदू रक्षा बल) नामक एक संयुक्त मोर्चा,
और सिखों से लड़ने के लिए खुद को हथियारबंद कर रहे थे। 57 पंजाब प्रेस बन गया था

कड़ी कार्रवाई की मांग करने में भी वे उतने ही मुखर थे। 17 अप्रैल 1984 को, द ट्रिब्यून ने प्रकाशित किया-
अखबार ने अपने पहले पन्ने पर एक संपादकीय प्रकाशित किया जिसमें कहा गया था: “पंजाब के लोगों को कोई चिंता नहीं है।”
अब वे साधनों और तरीकों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। वे शांति से जीना चाहते हैं।58
पंजाब में हो रहे घटनाक्रमों के कई पर्यवेक्षकों ने सुझाव दिया है कि शुरुआत में-
इंदिरा गांधी ने भिंडरांवाले के आसपास के उग्रवादी समूहों को प्रोत्साहित किया।
अकाली दल के चुनावी आधार को कमजोर करने के उद्देश्य से। यह भी ज्ञात है कि इंदिरा गांधी
गांधी जी के लापरवाह बेटे संजय गांधी, जिन्हें वह अपने उत्तराधिकारी के रूप में तैयार कर रही थीं...
अभिभावक ने कांग्रेस और अकाली दल के बीच गठबंधन बनाने की कोशिश की। 59 अपार-
दरअसल, ये कदम सिख वोटों को विभाजित करने की एक सामान्य रणनीति का हिस्सा थे।60 कई
पड़ोसी प्रांत हरियाणा से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ सदस्य
उन्होंने स्वयं कहा कि उनके नेता सिख अलगाववादी आंदोलन का समर्थन कर रहे थे।61
सिख आंदोलन के दौरान, प्रधानमंत्री ने स्वतंत्र राजनीतिक दलों को शामिल किया था।
अकाली नेताओं को समझौते के लिए राजी करने के लिए कई लोगों को भेजा गया। इनमें फारूक भी शामिल थे।
जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री अब्दुल्ला, अमरिंदर सिंह,
पटियाला राजघराने और राजीव गांधी के मित्र, और हरकिशन सिंह सुरजीत, एक सीपीआई (एम)
नेता। इन वार्ताओं के दौरान कई बार दूतों के साथ-साथ अधिकारियों ने भी। प्रधानमंत्री के प्रवक्ताओं ने जल्द ही समझौते की उम्मीद जताई। लेकिन कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री के दूतों ने बाद में कहा कि वह हमेशा उन्होंने सिख नेताओं के साथ हुए समझौतों से पीछे हट गईं।62
सुब्रमण्यम स्वामी, जो उस समय जनता पार्टी के नेता और सदस्य थे।
56 राम नारायण कुमार, सिख अशांति, ओ.पी.सी.टी., पृ. 182-3.
57 द ट्रिब्यून, 24 अप्रैल 1984, पंजाब का नियंत्रण सेना को सौंपें: आडवाणी; द ट्रिब्यून, 4 मई 1984, सख्त रवैया अपनाएं
आतंकवादी; द ट्रिब्यून, 28 मई 1984, पंजाब में सेना शासन के लिए मधूक; द ट्रिब्यून, 6 मई 1984, हिंदुओं के आठ संगठनों का विलय।
58 द ट्रिब्यून, 17 अप्रैल 1984, बड़े पैमाने पर तोड़फोड़।
59. 24 जून 1980 को, संजय दिल्ली के एक उपनगर के ऊपर एयरलूप करते समय दुर्घटना का शिकार हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। इंदिरा गांधी ने तब इस घटना पर शोक व्यक्त किया।
उन्होंने अपने बड़े बेटे, जो इंडियन एयरलाइंस में पायलट थे, को राजनीति में लाया। राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 को अपनी मां की हत्या के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने।

60 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] 1985, [illegible].
60-62; [illegible], 3 [illegible] 1980, [illegible]-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]; [illegible], 28 [illegible] 1980, [illegible] [illegible]-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]; [illegible], 4 [illegible] 1980, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]; [illegible], 20 [illegible] 1980, [illegible] [illegible]-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
61 [illegible], 6 [illegible] 1981, [illegible] [illegible] [illegible]-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
62 [illegible], 11 [illegible] 1982, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]; [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], 1984, [illegible] 66; [illegible], 8 [illegible] 1983, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]: [illegible]; [illegible], 6 [illegible] 1984, [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]; [illegible], 25 [illegible] 1983, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]; [illegible], 1 [illegible] 1983, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]; [illegible], 22 [illegible] 1984, [illegible] [illegible]: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]; [illegible], 28 [illegible] 1984, [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]; [illegible], 6 [illegible] 1984, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]; [illegible], 17 [illegible] 1984, [illegible] [illegible] [illegible]; [illegible], 30 [illegible] 1984, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]: [illegible] [illegible], 11 [illegible] 1984, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]; [illegible], 14 [illegible] 1984, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
34 [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] 24 [illegible] 27 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

इसे आयोजित करने में कोई बड़ी कठिनाई नहीं होगी। मुख्यमंत्री, राज्यपाल पंजाब के और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें बताया कि कार्रवाई करने का निर्देश
भिंडरांवाले को दिल्ली से आना पड़ा। गुरदेव सिंह ने पंजाब के राज्यपाल को यह बात बताई।
यदि आवश्यक हुआ तो वह पुलिस को स्वर्ण मंदिर में भेजकर गिरफ्तार करवा देगा।
उपद्रवियों के खिलाफ चेतावनी जारी की गई। उन्होंने जमीन पर अर्धसैनिक बलों के इस्तेमाल के खिलाफ भी आगाह किया।
कि वे मंदिर के नियमों की अज्ञानता के कारण संचालन का कुप्रबंधन करेंगे।
जनसंख्या का जिक्र होने पर राज्यपाल ने उनसे कहा कि "वहाँ
ऐसी कोई योजना नहीं है।” गुरदेव सिंह को सरकार के इस निर्णय के बारे में पता चला कि वह इसका उपयोग करेगी।
सेना 3 जून 1984 की शाम को मंदिर पर छापा मारेगी।
सुब्रमण्यम स्वामी ने नरसंहार के तुरंत बाद एक और लेख प्रकाशित किया। स्वर्ण मंदिर में यह कहना कि सरकार एक साजिश की साजिश रच रही थी कार्रवाई को वैधता प्रदान करने के लिए दुष्प्रचार अभियान चलाना। इसका उद्देश्य
स्वामी के अनुसार, दुष्प्रचार अभियान का उद्देश्य यह दिखाना था कि स्वर्णिम
यह मंदिर अपराधियों का पनाहगाह, शस्त्रागार और राष्ट्र का गढ़ था। अंग-भंग की साजिश।"65
सेना के अभियान के तुरंत बाद प्रकाशित सूर्या पत्रिका की एक कवर स्टोरी, इससे और भी सनसनीखेज खुलासे हुए। कहानी में "उच्च पदस्थ और उच्च स्तर के लोगों" का हवाला दिया गया।
अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग में निराश सूत्रों के अनुसार, शीर्ष स्तरीय बुद्धिजीवी
भारत में एक सैन्य संगठन ने दावा किया है कि स्वर्ण मंदिर के अंदर मौजूद अधिकांश हथियार
इसे एक विशेष एजेंसी की देखरेख में तस्करी करके लाया गया था, जिसका गठन किया गया था।
यह संस्था प्रधानमंत्री सचिवालय के निदेशक द्वारा सीधे नियंत्रित की जाती है।
सेना की कार्रवाई से एक सप्ताह पहले, पंजाब पुलिस ने दो ट्रकों को रोका था। गुरदासपुर जिले के बटाला उपमंडल में भारी मात्रा में हथियार और गोला- बारूद बरामद किया गया।
लेकिन अमृतसर के प्रभारी तीसरी एजेंसी के अधिकारी ने निदेशक को मना लिया- पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से उन्हें रिहा करने और उन्हें सुरक्षित रूप से गोल्डन रिट्रीवर भेजने का अनुरोध किया गया है।
मंदिर।

63 द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, 13 मई, 1984, सुब्रमण्यम स्वामी, "हिंसा के रंगमंच में",
पृष्ठ 7-11.

64 राम नारायण कुमार, सिख अशांति और भारतीय राज्य, अजंता प्रकाशन, दिल्ली, 1997,
पृष्ठ 180-182
65 इम्प्रिंट, जुलाई 1984, “एक शहीद का निर्माण”, सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा, पृ. 7-8.
जसवंत सिंह खालरा: मानवाधिकारों के लिए शहीद 35

ऑपरेशन ब्लू स्टार: सेना का हमला
गोल्डन टेंपल पर हमले का अभियान, जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार नाम दिया गया था, शुरू किया गया।
5 जून 1984 को, गुरु अर्जुन की शहादत के दिन, जिन्होंने इस आध्यात्मिक गुरु के जीवन की नींव रखी थी, को इस अवसर पर सम्मानित किया गया।
यह मंदिर 400 साल पहले एक मुस्लिम संत द्वारा बनवाया गया था और सिख गुरुओं में से पहला था।
मुगल साम्राज्य के विरोध में मृत्यु को गले लगा लिया। इस हमले को सिख स्वयं कहते हैं
ग़ल्लूघारा,66 की रचना न केवल सिख मानस को आघात पहुँचाने के लिए शैतानी ढंग से की गई थी, बल्कि
साथ ही, सैन्य दृष्टिकोण से पर्याप्त नैतिक प्रभाव पैदा करने के लिए, न केवल
जो लोग उपस्थित थे, लेकिन विशेष रूप से पूरे पंजाब में।”67 इसी तरह ब्रिगेडियर डायर ने जलियांवाला बाग के पास आने पर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे।
65 साल पहले 13 अप्रैल 1919 को स्वर्ण मंदिर में एक अवैध सभा को तितर-बितर करने के लिए।
डायर ने आवेग में आकर, अपने दम पर यह कदम उठाया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार की परिकल्पना ही नहीं की गई थी।
और इसका पूर्वाभ्यास पहले से ही सावधानीपूर्वक और पूरी गोपनीयता के साथ किया गया था, इसका उद्देश्य प्राप्त करना भी था।
सिख पीड़ितों की अधिकतम संख्या, जिनमें ज्यादातर धर्मनिष्ठ तीर्थयात्री थे जिनका इससे कोई संबंध नहीं था
राजनीतिक आंदोलन। तथ्य स्वयं ही सब कुछ बयां करते हैं:
24 मई 1984 को अकाली दल ने आंदोलन को और तीव्र करने के लिए एक नए कार्यक्रम की घोषणा की।
पंजाब के अनाज के हस्तांतरण को रोककर 3 जून से आंदोलन शुरू किया गया। अन्य राज्यों में, सरकार को देय सभी करों को रोककर और नियमित रूप से उनसे संपर्क करके।
सिख स्वयंसेवकों द्वारा गिरफ्तारी। 68
25 मई को सरकार ने इस घोषणा का इस्तेमाल करते हुए 100,000 सैन्य बल तैनात किए।
पंजाब भर में सेना तैनात है, साथ ही राज्य के 42 महत्वपूर्ण गुरुद्वारों को भी घेर लिया गया है।
अमृतसर के स्वर्ण मंदिर सहित। सरकार को पंजाब को इसमें शामिल करना चाहिए था।

[illegible]
[illegible] 41 [illegible]
[illegible] 26 [illegible], [illegible]
[illegible] 30 [illegible]
[illegible]
1 [illegible] 1984 [illegible]
[illegible]

66 [illegible], [illegible] 1761 [illegible]. [illegible], [illegible], 1998, [illegible] 91, 229
[illegible] 67. [illegible]., [illegible] 30-31.
68 [illegible], 24 [illegible] 1984, 3 [illegible]: [illegible]
69 [illegible] 10 [illegible] 1984; [illegible], 11 [illegible] 1984, [illegible]-[illegible]
[illegible]; [illegible], [illegible]. 177; [illegible]: [illegible]. 264.

सुरक्षा एजेंसियों ने परिधि में स्थित बहुमंजिला इमारतों पर कब्जा कर लिया था-
जब भिंडरांवाले अपने पद पर थे, तब सेना ने मंदिर परिसर पर गोलीबारी की थी। रसोई भवन की छत पर मौजूद दर्शक। भिंडरांवाले को निशाना बनाने के बजाय, निशानेबाजों ने हरमंदिर के मुख्य मंदिर समेत कई इमारतों को निशाना बनाया। साहिब, जिस पर 34 गोलियों के निशान थे।70 इस गोलीबारी का उद्देश्य,
सात घंटे तक चले उस सर्वेक्षण का उद्देश्य ताकत, प्रशिक्षण और तैयारी का आकलन करना था।
भिंडरांवाले के प्रतिरोध की तीव्रता।
सिख संदर्भ पुस्तकालय के प्रभारी देविंदर सिंह दुग्गल के अनुसार
स्वर्ण मंदिर परिसर के अंदर स्थित और प्रत्यक्षदर्शी, भिंडरांवाले का अनुयायियों को सख्त निर्देश दिए गए थे कि "जब तक और तब तक एक भी गोली न चलाएं"
सुरक्षा बलों या सेना ने पवित्र स्वर्ण मंदिर में प्रवेश किया।71 इस कार्रवाई में दावा किया गया कि
मंदिर के अंदर एक महिला और एक बच्चे सहित आठ तीर्थयात्रियों की जान खतरे में पड़ गई।
इस घटना में कई लोग घायल हुए और 25 अन्य लोग भी घायल हो गए। भारत सरकार के दस्तावेज़, जिसे व्हाइट हाउस ऑफ इंडिया (WHO) कहा जाता है, में इस बात का ज़िक्र है कि इस घटना में कई लोगों की जान गई।
10 जुलाई 1984 को जारी पंजाब पर लिखे गए लेख में इस घटना का उल्लेख नहीं किया गया है।
जब गोलीबारी बंद हुई, तो अकाली स्वयंसेवकों के एक समूह ने गिरफ्तारी दे दी।
उस रात और अगले दिन अमृतसर में कर्फ्यू लगा रहा। हजारों तीर्थयात्री आए। बिना किसी प्रतिबंध के मंदिर में प्रवेश। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, लगभग 10,000 लोग
अंदर जमा हुए लोग थे। वहां 200 महिलाओं सहित 1,300 अकाली कार्यकर्ता भी मौजूद थे।
जो अकाली दल द्वारा घोषित आंदोलन में शामिल होने आए थे। हालाँकि उनके पास वे बिना किसी बाधा के अंदर आ सकते थे, लेकिन गिरफ्तारी का जोखिम उठाए बिना बाहर नहीं जा सकते थे।
2 जून की घटना के बाद, दिल्ली के दो सिख छात्र ट्रेन से अपने घर वापस जाना चाहते थे।
वे अगली सुबह परीक्षा देने के लिए शहर से रवाना हुए। अमृतसर रेलवे स्टेशन पर, वे
पता चला कि सभी जाने वाली ट्रेनें रद्द कर दी गई थीं। लेकिन इसकी कोई घोषणा नहीं की गई थी।
स्वर्ण मंदिर में तीर्थयात्रियों की भीड़ को रोकने के लिए कर्फ्यू लगाया गया था। 72 पत्रकार थे।
उन्हें मंदिर परिसर में आने-जाने और भिंडरांवाले का साक्षात्कार लेने की अनुमति दी गई।
3 जून की शाम तक, जब अचानक सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया।
भिंडरांवाले से बात करने के बाद मंदिर परिसर से बाहर आए पत्रकारों ने कहा कि

[illegible] 10,000 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]73 [illegible]
[illegible]
“[illegible]” [illegible] “[illegible]”[74]
[illegible]:
[illegible] 75
[illegible]
[illegible]

70 [illegible]: [illegible], [illegible], [illegible]
Bhattacharya, Tejinder Ahuja and N. D. Pancholi, page 5 of 24 – http://www.panthkhalsa.org/raj_june84report.html
71 [illegible]: [illegible], [illegible] 4/24.
72 [illegible]: [illegible], [illegible] 5/24.
73 [illegible], [illegible]: [illegible]: [illegible]., [illegible]. 188. http://www.sikhs.org/1984b.htm.
74 [illegible]: [illegible], [illegible] 6/24.
75 [illegible] 11 [illegible] 1984 [illegible]

[illegible] 3 [illegible]
[illegible] 9 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

उन्हें बता दें कि उग्रवादी सिख उपदेशक आसानी से आत्मसमर्पण नहीं करेगा।
जनरल बरार ने ऐसा ही किया।
उप आयुक्त को अपनी बात पूरी करने की अनुमति न देते हुए, उन्होंने अपनी पुनः प्राप्ति पर प्रसन्नता व्यक्त करना शुरू कर दिया।
संदिग्ध कार्य योजनाएँ: "...जब टैंक गरजते हैं, विमान दहाड़ते हैं और ज़मीन से गोलीबारी होती है, तब भी
जनरलों की पैंट कांप रही है..."76 इससे पहले, सरकार ने उप-नेतृत्व की अनदेखी की थी
आयुक्त की त्वरित पुलिस कार्रवाई के माध्यम से भिंडरांवाले को पकड़ने की सिफारिशें
गुरदेव सिंह के ऑपरेशन के बाद, उनकी जगह एक अधिक आज्ञाकारी सिविल सेवक को नियुक्त किया गया।
सेना ने 4 जून की सुबह भारी तोपखाने से गोलाबारी करके हमले की शुरुआत की और
मंदिर परिसर पर मोर्टार से हमला किया गया, जिससे 18 वीं सदी के दो टावरों के ऊपरी हिस्से नष्ट हो गए।
तेजा सिंह समुंद्री नामक एक विशाल सार्वजनिक सभा कक्ष के पीछे स्थित जल टैंक।
हॉल और उसके आसपास की अन्य इमारतें। सैकड़ों लोग मारे गए।
4 जून को पूरे दिन भीषण गोलीबारी जारी रही।
एसजीपीसी के तत्कालीन महासचिव भान सिंह ने कहा कि सेना को कोई चेतावनी नहीं दी गई थी।
मंदिर पर गोलाबारी शुरू कर दी गई। सेना ने रेड क्रॉस के स्वयंसेवकों को हिरासत में ले लिया।
जलियांवाला बाग में घायलों की मदद करना चाहता था।77
मंदिर के मुख्य गर्भगृह में 50 से 60 पुजारी, गायक और अन्य लोग निवास करते थे।
विभिन्न धार्मिक कार्यों के लिए जिम्मेदार परिचारक। अमरिक सिंह, एक नेत्रहीन गायक।
5 जून की सुबह धार्मिक भजन गाने वालों और मंदिर के कुछ अन्य कर्मचारियों की हत्या कर दी गई।
जब वे अंदर मौजूद समूह के लिए पानी लाने के लिए मंदिर से बाहर निकले।78 बाद में
शाम होते ही, 16 वीं कैवलरी रेजिमेंट के टैंक सामने के चौक में आ गए। भिंडरांवाले के लड़ाकों को खदेड़ने के बाद स्वर्ण मंदिर के उत्तरी प्रवेश द्वार का दृश्य।
पैराशूट रेजिमेंट की पहली बटालियन के कमांडो द्वारा कई प्रयास किए गए-अकाल तख्त पर कब्जा करने के उद्देश्य से। अंततः, 7 वीं गढ़वाल राइफल्स की एक टुकड़ी सफल रही।
पुस्तकालय भवन की छत पर स्थान स्थापित करने में विफल रहे। दो कंपनियों 15 वीं कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिक बाद में सुदृढ़ीकरण प्रदान करने के लिए 7 वीं गढ़वाल राइफल्स में शामिल हो गए।
लेकिन अकाल तख्त अभेद्य बना रहा। 6 जून की रात को एक आत्महत्या हुई।
बमवर्षक विमान ने अकाल तख्त की ओर बढ़ रहे एक बख्तरबंद वाहन को नष्ट कर दिया।

परिधि के दक्षिणी भाग में। इसके तुरंत बाद, विजयंता के आठ टैंक आगे बढ़े।
अकाल तख्त पर हमला करने के लिए उन्होंने अपनी विशाल 105 मिमी तोपों का इस्तेमाल किया, जो उच्च प्रदर्शन से लैस थीं।
विस्फोटक स्क्वैश-हेड गोले। सिखों के सबसे पवित्र स्थल पर अस्सी गोले दागे गए।
छठे सिख गुरु द्वारा राजनीतिक सत्ता के केंद्र के विपरीत एक प्रतीक के रूप में निर्मित तीर्थस्थल।
दिल्ली में गोलीबारी से मंदिर पूरी तरह से नष्ट हो गया। गोलीबारी में मंदिर का सुनहरा गुंबद ढह गया।
पास की एक इमारत पर लगी एक भारी हॉवेल तोप से।79
उसी रात, कुमाऊं रेजिमेंट की एक बटालियन ने छात्रावास परिसर पर धावा बोल दिया।
पूर्वी हिस्से में जहां सैकड़ों तीर्थयात्री, अकाली नेता, जिनमें हरचंद भी शामिल थे, मौजूद थे।
सिंह लोंगोवाल और गुरचरण सिंह तोहरा तथा एसजीपीसी के कर्मचारियों ने भाग लिया था।
सशस्त्र बलों ने लोंगोवाल, तोहरा और अन्य वरिष्ठ अकाली नेताओं को शरण दी। 76 राम नारायण कुमार, ओ.पी.सी.टी., पृ. 182-3.
77 कुलदीप नैयर और खुशवंत सिंह, द ट्रेजेडी ऑफ पंजाब, विजन बुक्स, दिल्ली, 1984, पृ. 94-8.
ऑपरेशन ब्लू स्टार: अनकही कहानी, ओप. सीटी, पृष्ठ 5 और 7, कुल 24।
78 ऑपरेशन ब्लू स्टार: अनकही कहानी, ओप. सीटी, पृष्ठ 8/24.
79 कुलदीप नायर और खुशवंत सिंह, ओप. कोर्ट, पृ. 95-100; मार्क टुली और सतीश जैकब,
अमृतसर: श्रीमती गांधी की अंतिम लड़ाई, पृष्ठ 160-175; सूर्या इंडिया, “खूनी प्रतिशोध की राजनीति”, नवंबर 1984, पृष्ठ 39-42। http://www.sikhs.org/1984b.htm
38 राख में तब्दील

उन्हें हिरासत में रखा गया, लेकिन उन्हें एक कमरे में रखा गया जो एक अस्थायी हिरासत केंद्र के रूप में काम करता था।
6 जून की शाम को उन्हें सेना के शिविर में ले जाया गया। सैनिकों ने बाकी सभी को आदेश दिया।
अकाल तख्त पर गोलाबारी जारी रहने के दौरान वे कमरों से निकलकर आंगन में चले गए।
हॉस्टल के पास बम विस्फोट होने पर सैनिकों ने लोगों के समूह पर गोली चलाना शुरू कर दिया।
आंगन में सब लोग इकट्ठा हो गए। एसजीपीसी के सचिव भान सिंह दौड़कर लोंगोवाल के पास गए और
तोहरा, जो बटालियन के प्रभारी मेजर से गोलीबारी रोकने की गुहार लगाने के लिए बाहर आया था।
निर्दोष तीर्थयात्रियों की हत्या कर दी गई। अगली सुबह, भान सिंह ने "कम से कम 70 मृतकों" की गिनती की।
बूढ़े पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के शव। मेजर के नेतृत्व में सैनिक आगे बढ़ते रहे-

वे युवा सिखों को छात्रावास के गलियारे में कतार में खड़ा करके गोली मार देते थे। जब भान सिंह
विरोध करने पर मेजर क्रोधित हो गया, उसने उसकी पगड़ी छीन ली और उसे आदेश दिया कि या तो वह...
घटनास्थल से भाग जाओ या “शहीदों की कतार” में शामिल हो जाओ। भान सिंह “पीछे मुड़ा और भाग गया।”
मृतकों और घायलों के शवों के ऊपर से कूदते हुए। सैकड़ों युवा सिख, निर्दोष गांवों से आए तीर्थयात्रियों की इस तरह हत्या कर दी गई। एक महिला स्कूल शिक्षिका, रणबीर
कौर ने 150 लोगों के एक अन्य समूह की गोलीबारी देखी, जिनके हाथ
उनके अपने ही बनाए हुए पगड़ियों से उनके पीठ के पीछे बांध दिया गया था। स्वर्ण मंदिर के जनसंपर्क अधिकारी नरिंदरजीत सिंह नंदा और
उनकी पत्नी ने 5 जून की रात उनके कार्यालय के नीचे तहखाने में बिताई। दोपहर के समय
6 जून की दोपहर को एक सेना अधिकारी उन्हें मुख्य चौक के सामने वाले चौक पर ले गया।
मंदिर के उत्तरी भाग में प्रवेश द्वार था। उन्हें शवों के ऊपर से होकर गुजरना पड़ा।
हर जगह बिखरा हुआ। नंदा को एक सैनिक द्वारा गोली मारने की तैयारी थी, तभी एक ब्रिगेडियर ने पहचान लिया-
उसे देखकर, एक युवा लेफ्टिनेंट ने हस्तक्षेप करके उसे बचाया। फिर एक युवा लेफ्टिनेंट नंदा को अपने साथ ले गया।
परिधि के दूसरी ओर, पुस्तकालय भवन के पास, जाकर उसे खड़े होने के लिए कहा। दीवार के सहारे खड़े होकर अपनी अंतिम प्रार्थना करें। हालांकि, नंदा का जीवन भाग्य में लिखा था।
ब्रिगेडियर फिर से प्रकट हुए और लेफ्टिनेंट को उसे छोड़ने का आदेश दिया।
स्वर्ण मंदिर में गायन करने वाले हरचरण सिंह रागी, उनकी पत्नी और उनके बच्चे
6 जून की दोपहर को बेटी सूचना कार्यालय के पास स्थित अपने क्वार्टर से बाहर निकली।
उन्होंने महिलाओं सहित सैकड़ों लोगों की हत्याएं देखीं और वे
अगर कमांडर ने उनकी जवान बेटी पर दया न दिखाई होती तो वे खुद गोली खाकर मारे जाते।
जो उसके पैरों पर गिर पड़ी और उससे अपने माता-पिता की जान बख्शने की भीख मांगने लगी।80
सैनिक बेहद खराब मूड में थे। आधिकारिक श्वेत पत्र के अनुसार
पंजाब में इस अभियान के दौरान 83 सैन्यकर्मी शहीद हो गए और 249 घायल हो गए।
निजी अनुमानों में सेना के हताहतों की संख्या कहीं अधिक बताई गई है।81 विनाश के बाद-
अकाल तख्त के उल्लंघन के बावजूद, वे मंदिर परिसर के अंदर खुलेआम शराब पीते और धूम्रपान करते थे।
और उन्होंने अंदर मिले सभी सिखों को अंधाधुंध मार डाला। उनके लिए, अंदर मौजूद हर सिख

वह एक उग्रवादी था। श्वेत पत्र के अनुसार, 493 उग्रवादी मारे गए और 86 घायल हुए।
और ऑपरेशन के दौरान 1,592 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन संख्याओं का योग 2,171 होता है, और
कम से कम 5,000 तीर्थयात्रियों के साथ क्या हुआ, जब वे अंदर फंस गए थे, इसका स्पष्टीकरण देने में विफल रहे।
अभियान शुरू हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि "7,000 से 8,000 लोग मारे गए"।
मार्क टुली ने अनुमान लगाया कि लगभग 4,000 लोगों की मौत हुई होगी। चंद जोशी ने 5,000 नागरिकों की मौत का अनुमान लगाया।82

80 ऑपरेशन ब्लूस्टार: अनकही कहानी, ओप. सीटी, पृष्ठ 13/24.
81 चंद जोशी, भिंडरांवाले: मिथक और वास्तविकता, एस. चंद, नई दिल्ली, 1984, पृ. 161; जे. एस. ग्रेवाल, द
पंजाब के सिख, संशोधित संस्करण, कैम्ब्रिज, 1998, पृष्ठ 227।
82 ऑपरेशन ब्लूस्टार: अनकही कहानी, ओप. सीटी, पृष्ठ 15 और 16/24; मार्क टुली और सतीश जैकब,
अमृतसर: श्रीमती गांधी की अंतिम लड़ाई, ओप. सीटी, पृष्ठ 182; चंद जोशी, भिंडरांवाले: मिथक और वास्तविकता, ओप. सीटी, पृष्ठ 161; सूर्या इंडिया, नवंबर 1984, “प्रतिशोध का मनोविज्ञान”; http://www.sikhs.org/1984b.htm जसवंत सिंह खालरा: मानवाधिकारों के लिए शहीद 39

एसोसिएटेड प्रेस के संवाददाता ब्रह्मा चेलानी किसी तरह बच निकलने में कामयाब रहे।
अधिकारियों को ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान शहर में रहने की अनुमति दी गई थी। बाद में, उन्होंने पुनः-
रिपोर्ट में कहा गया है कि शवों को चौबीसों घंटे नगरपालिका के कचरा ट्रकों में ले जाया जाता था और
20 या उससे अधिक के ढेर में जलाए गए। शहर के श्मशान घाट के एक कर्मचारी ने उसे बताया कि
मृतकों को अलग-अलग जलाने के लिए पर्याप्त लकड़ी नहीं थी। उन्होंने यह भी देखा कि "एक अनुमान..."
एक बड़े कचरा ट्रक में 50 शवों के साथ संभोग कराया गया। कम से कम दो मर्दाना टांगें बाहर निकली हुई थीं।
भूरे रंग के ट्रक के पीछे से। लंबे लहराते बालों वाला माथा, जाहिर तौर पर वह
एक सिख पुरुष का शव बाईं ओर से लटका हुआ था। चेलानी ने "अधिकांश लोगों के शव" भी देखे।
कम से कम दो महिलाएं और एक बच्चा। उन्होंने एक डॉक्टर से बात की जिसे हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था।
मंदिर के अंदर मारे गए कुछ लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। डॉक्टर ने इसकी पुष्टि की।
उन रिपोर्टों को रेटिंग दी गई जिनमें कहा गया था कि सैनिकों द्वारा गोली मारे जाने से पहले उनके हाथ बांध दिए गए थे। 83

सेना ने पंजाब भर में स्थित 41 अन्य मुख्य गुरुद्वारों को घेर लिया था और उन पर धावा बोल दिया था।
पूरी तरह से जांच न होने के कारण हताहतों की संख्या का अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन
यह सर्वविदित है कि कई गुरुद्वारों के खिलाफ चलाया गया अभियान एक खूनी घटना में तब्दील हो गया।
पंजाब पर श्वेत पत्र में कहा गया है कि "मोगा और मुक्तसर में आतंकवादियों ने उचित अवसर प्रदान किए।"
प्रतिरोध की मात्रा।"84 अकाली राज्य द्वारा नियुक्त तिवाना जांच आयोग सरकार ने दो साल बाद सेना की हिरासत में यातना की शिकायतों की जांच करने का आदेश दिया, उन्होंने कहा।
दुखनिवारन गुरुद्वारे पर हमले के दौरान 257 लोगों को गोली मारी गई थी। पटियाला.85 एक स्वतंत्र और व्यापक जांच के अभाव में, कुल आंकड़े
पंजाब में सेना के अभियान के दौरान हताहतों और गिरफ्तारियों की सही संख्या कभी पता नहीं चल सकेगी।
मंदिरों पर धावा बोलने के बाद पंजाब के ग्रामीण इलाकों में तलाशी अभियान चलाया गया।
वुडरोज़ ऑपरेशन नामक एक अभियान के परिणामस्वरूप हजारों युवा सिखों को जान से मार दिया गया।
गिरफ्तार किए गए। सरकार का दावा है कि उसकी सेनाओं ने कुल 4,712 लोगों को गिरफ्तार किया है। 86
पंजाब पर श्वेत पत्र के अनुसार, स्वर्ण मंदिर पर आक्रमण
इसके परिणामस्वरूप 1,592 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 379 को हिरासत में लिया गया।
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) और आतंकवादी एवं विघटनकारी गतिविधियों के अंतर्गत
(रोकथाम) अधिनियम, (TADA)। स्वतंत्र जांच से पता चलता है कि बड़े पैमाने पर-
इन कानूनों के तहत हिरासत में लिए गए 379 व्यक्तियों में से अधिकांश निर्दोष, साधारण व्यक्ति थे।
जो एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन में भाग लेने के लिए स्वर्ण मंदिर गए थे। 87
सितंबर 1984 में, श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता थीं, ने
दिल्ली में, उन्होंने कुछ मुद्दों को उठाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की।
सरकार ने जिन लोगों को "सबसे खतरनाक आतंकवादी" बताकर हिरासत में लिया था। याचिका-
याचिका में अदालत से हस्तक्षेप की मांग की गई ताकि 22 बच्चों को रिहा किया जा सके जिनकी उम्र 10 से 14 वर्ष के बीच है।
दो और सोलह साल के दो बच्चे, जिन्हें स्वर्ण मंदिर से पकड़ा गया था और लुधियाना जेल में बंद। सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीश, चिनप्पा रेड्डी और वी. खालिद ने फैसला सुनाया कि "उन्हें इस तरह हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं था।"

ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान स्वर्ण मंदिर की यात्रा करने वाले तीर्थयात्री।" इस आदेश पर,
लुधियाना जेल में बंद 22 बच्चों को रिहा कर दिया गया। लेकिन पुलिस ने उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया।
उनमें से अधिकांश को पकड़ा और विभिन्न पूछताछ केंद्रों में उनसे जानकारी हासिल करने के लिए उन्हें यातनाएं दीं।
उनके रिश्तेदार जो संभवतः सेना के अभियान के दौरान मारे गए थे।88

83 राम नारायण कुमार और जॉर्ज सीबेरर, सिख संघर्ष: ओप. सीटी, पृ. 265-6. 84 पंजाब पर श्वेत पत्र, द ट्रिब्यून, 11 जुलाई, 1984।
85 राम नारायण कुमार और जॉर्ज सीबेरर, सिख संघर्ष: ओप. सीटी, पृ. 344.
86 वही; जे. एस. ग्रेवाल, पंजाब के सिख, ओप. कोर्ट, पृ. 228.
87 ऑपरेशन ब्लूस्टार: अनकही कहानी, ओप. सीटी, पृष्ठ 17 से 23 तक (24 में से)।
88 वही, पृ. 291; द इंडियन एक्सप्रेस, 3 अप्रैल 1985, पंजाब जेलों में बच्चों पर रिट।
40 राख में तब्दील

गोल्डन टेंपल से और भी बच्चों को पकड़ा गया और उन्हें पंजाब की जेलों में बंद कर दिया गया।
जितना कमला देवी जानती थीं, उससे कहीं अधिक। सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका के बाद, कई बच्चों
लुधियाना जेल में बंद एक कैदी को नाभा की उच्च सुरक्षा वाली जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। लेकिन एक
इंडियन एक्सप्रेस के संवाददाता ने पता लगाया कि जसवंत सिंह और केवल सिंह, एनएसए के तहत नाभा जेल में बंद 11 और 15 साल के दो नाबालिगों ने एक लेख प्रकाशित किया था।
24 अक्टूबर 1984 को उनके बारे में एक कहानी। 27 अक्टूबर 1984 को, एक सिख धार्मिक संगठन-
इस संबंध में, पंजाब उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक रिट याचिका संख्या 551/1984 दायर की गई।
और हरियाणा में उनकी रिहाई की मांग की गई। याचिका में कहा गया कि बच्चे उनके नहीं थे।
किसी भी आपराधिक मामले में शामिल होना और सरकार द्वारा एनएसए का इस्तेमाल करके उसे छुपाना
3 जून 1984 को अवैध रूप से गिरफ्तार किए जाने के कई महीनों बाद भी उनकी हिरासत जारी रही। याचिका-
याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की कि न्यायालय उनकी हिरासत को दुर्भावनापूर्ण मानते हुए रद्द कर दे और साथ ही
उन परिस्थितियों की गहन जांच का आदेश दें जिनके कारण नाबालिग बच्चों को यह अनुमति मिली।
अपराध से जुड़े लोगों को उच्च सुरक्षा वाली जेलों में रखा जाएगा। न्यायमूर्ति एम. एम. पुंची ने याचिका सुनी और निम्नलिखित आदेश के साथ उसका निपटारा किया-

डेर: “याचिका अत्यंत अस्पष्ट है और इसमें मछली पकड़ने की जांच की मांग की गई है।
चूक गए।" एम. एम. पुंची को बाद में सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया और उन्होंने थोड़े समय के लिए सेवा की।
भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में।89
जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, स्वर्ण मंदिर पर हमला, विनाश
अकाल तख्त और सेना के अभियानों के बाद हुए अत्याचारों ने सभी क्षेत्रों में तबाही मचा दी।
सिखों के कुछ वर्गों में आक्रोश की भावना पैदा हो गई जिसे शांत करना मुश्किल था। किसी भी मामले में, नहीं
तुष्टीकरण के प्रयास किए गए। हिंदू भारत का विशाल बहुमत, भले ही
इंदिरा गांधी के राजनीतिक रूप से विरोधी, उनकी सत्ता के प्रति सहानुभूति रखने वाले और उनकी इस इच्छा का समर्थन करने वाले...
अत्यंत विनम्र, एक हठी अल्पसंख्यक। मोरारजी ने भी इसी भावना को व्यक्त किया।
देसाई, पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने लोकतांत्रिक गठबंधन का नेतृत्व किया था, ने उस गठबंधन की जगह ली थी।
मार्च 1977 में इंदिरा गांधी के आपातकाल शासन के दौरान: "देश तबाह हो गया होता।"
अगर सेना को तैनात न किया जाता तो सब कुछ नष्ट हो जाता। सभी आतंकवादियों का सफाया नहीं हुआ है।
फिर भी, उन्हें खत्म कर देना चाहिए क्योंकि वे सिखों की छवि खराब कर रहे हैं और खतरा पैदा कर रहे हैं।
देश के अस्तित्व के लिए एक मूलभूत खतरा।"90 यह बयान एक
हिंदू उग्रवाद की वह स्थिति जिसने कई लोगों की परिष्कृत वकालत हासिल कर ली है
“हिंदू धर्म की महिमा” में भावुकता से डूबे सफल लोग,
वह गौरव जो "विपदापूर्ण सहस्राब्दी" में अधूरा रह गया है।
त्रिनिदाद में जन्मे लेखक सर विद्याधर एस. नायपॉल, जिन्होंने ब्रिटेन को अपना घर बना लिया है,
हाल ही में उन्होंने कहा: “खतरनाक हो या न हो, हिंदू उग्रवाद मेरे द्वारा पढ़े गए इतिहास का एक सुधार है।”
जिसके बारे में बात हो रही थी। यह एक रचनात्मक शक्ति है और रहेगी।" उसी साक्षात्कार में, सर वी.
एस. नायपॉल ने महान भारतीय सौंदर्य-वास्तुकला के बारे में भी बात की: "मुगल ये इमारतें विदेशी इमारतें हैं। ये इस्फ़हान की वास्तुकला से प्रेरित हैं।
भारत में वे रेगिस्तान की बात करते हैं। वे विशाल क्षेत्रों को कवर करते हैं और वे मुझे
ज़रा सोचिए कि उनके निर्माण के लिए कितनी सारी चीज़ें ध्वस्त करनी पड़ीं... ताजमहल तो बस...
इतना फिजूलखर्ची वाला, इतना पतित और अंत में इतना क्रूर कि वहाँ रहना भी कष्टदायक होता है।
लंबा।"91 भारत के इतिहास पर ऐसे विचार रखने वाले परिष्कृत हिंदू इस बात पर खेद व्यक्त नहीं कर सकते थे

[illegible]

89 [illegible], [illegible], [illegible]. [illegible], [illegible]. 291-2.
90 [illegible], 28 [illegible] 1984, [illegible]: [illegible]
91 [illegible], 15 [illegible] 1999, "[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]: [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible]"
– http://www.outlookindia.com/19991115/naipaul.htm

[illegible]: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], "[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

एम्बुलेंस पहुंची और इंदिरा गांधी को अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान ले गई।
(एआईएमएस)। सात मिनट बाद, उस्तीनोव के साउंड सिस्टम ने एक और धमाके को रिकॉर्ड किया।
मशीन गन की गोलीबारी के बाद, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि "हिसाब-कि हो चुका है"।
अंगरक्षकों के दूसरे समूह ने सिख हत्यारों को गार्ड-हाउस तक ले जाकर गोली मार दी।
उन्हें वहीं छोड़ दिया गया। उनमें से एक, बींत सिंह, की मृत्यु हो गई, लेकिन उसका साथी सतवंत सिंह बच गया।
मुकदमे का सामना करने के लिए जीवित रहे। 93 उन्हें खत्म करने का प्रयास एक इसके परिणामों को छुपाने के लिए एक बड़ी साजिश रची गई।94
92 बुक नोट्स प्रतिलेख: स्टेनली वोल्परट, - http://www.booknotes.org/transcripts/50133.htm पृष्ठ 9/21.
93 पीटर उस्तीनोव, टाइम याहू चैट, - http://www.pathfinder.com/time/community/transcripts/1999/082599ustinov.htm
हत्या के बीस दिन बाद, सरकार ने एक जांच आयोग नियुक्त किया, जिसकी अध्यक्षता एक
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एम. पी. ठक्कर को इस षड्यंत्र की जांच करने का आदेश दिया गया था। पुलिस ने आयोग की रिपोर्ट का इंतजार किए बिना ही कई लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ की और उन्हें सह-षड्यंत्रकारी बताकर मुकदमे में पेश किया। इनमें सतवंत सिंह, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात दिल्ली पुलिस के दो अन्य सेवारत सिख अधिकारी, केहर सिंह और बलबीर सिंह भी शामिल थे। निचली अदालत ने इन सभी को मौत की सजा सुनाई। उच्च न्यायालय ने भी मौत की सजा की पुष्टि की। केहर सिंह को दोषी ठहराया गया क्योंकि पूछताछ के दौरान उन्होंने कबूलनामा किया था कि श्रीमती गांधी की हत्या के बारे में जानने पर उन्होंने कहा था: "जो भी पंथ से टकराव करेगा, उसका यही हश्र होगा।" सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यह टिप्पणी उनके दोषी इरादे को दर्शाती है। जाने-माने वकील और अब केंद्रीय मंत्री राम जेठमलानी ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर तर्क दिया कि केवल आकस्मिक और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर मौत की सजा देना, विशेष रूप से तब जब न तो अदालतों और न ही राष्ट्रपति ने ठक्कर आयोग की रिपोर्ट की जांच की है, न्यायिक हत्या के बराबर होगा। न्यायालय इस मामले में टस से मस नहीं हुआ। सतवंत सिंह और केहर सिंह को 6 जनवरी 1989 को फांसी दी गई। कुछ समय बाद, इंडियन एक्सप्रेस ने ठक्कर आयोग की गोपनीय रिपोर्ट के अंश प्रकाशित किए, जो फरवरी 1986 में सरकार को सौंपी गई थी और जिसे जांच आयोग अधिनियम में संशोधन के माध्यम से संसद से भी छिपाकर रखा गया था। इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित अंशों से पता चला कि आयोग ने श्रीमती गांधी के तत्कालीन विशेष सहायक आर. के. धवन पर संदेह जताया था, जो अपराध स्थल पर मौजूद थे। रिपोर्ट के अनुसार, धवन ने न केवल खुफिया रिपोर्टों के बावजूद हत्यारों को प्रधानमंत्री की सुरक्षा के सबसे करीबी घेरे में तैनात करवाया था, बल्कि अपराध को अंजाम देने के लिए टेलीविजन साक्षात्कार के लिए उनकी नियुक्ति के समय में भी हेरफेर किया था। रिपोर्ट की सिफारिशों पर कार्रवाई करने के बजाय, सरकार ने

42 राख में तब्दील

इंदिरा गांधी की हत्या ने निर्दोष लोगों के खिलाफ संगठित हिंसा को जन्म दिया।
उत्तर भारत के सभी सिखों के बीच, यह स्थिति दिल्ली में असाधारण रूप से हिंसक हो गई।
हिंसा भड़कने के तुरंत बाद गठित एक समूह से जुड़ा हुआ।
पीड़ितों को बचाने और उनका पुनर्वास करने के दौरान, मैं व्यक्तिगत रूप से उन लोगों से परिचित हो गया।
सुनियोजित हिंसा के कई दौरों में 3,000 निर्दोष सिखों की जान चली गई।
अगले तीन दिनों में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकत्रित हुए थे।
एम्स के बाहर, जहां इंदिरा गांधी को उनकी सुरक्षा व्यवस्था के तुरंत बाद ले जाया गया था।
गार्डों ने उसे गोली मार दी थी। जब मैं अस्पताल के पास से गुज़र रहा था, तो मैंने वहाँ के लोगों के उग्र स्वभाव को देखा।
भीड़ प्रतिशोध के उग्र नारे लगा रही थी। सड़क पर कई सिख मौजूद थे।
उन पर पहले ही हमला हो चुका था। भारत के राष्ट्रपति ज़ैल सिंह, जो एक सिख हैं, ने अपना कार्यकाल बीच में ही समाप्त कर दिया था।
मॉरीशस की यात्रा के दौरान, मैं हवाई अड्डे से सीधे अस्पताल गया था।
दोपहर 2:30 बजे भीड़ ने राष्ट्रपति की कार पर पथराव किया और नारे लगाए।
राजीव गांधी को अपना नेता घोषित किया। ऑल इंडिया रेडियो ने इंदिरा गांधी की उम्मीदवारी की घोषणा की।
शाम छह बजे उनकी मृत्यु हो गई। आधे घंटे बाद, भारत के राष्ट्रपति ने राजीव गांधी को शपथ दिलाई।
प्रधानमंत्री। खुशवंत सिंह, एक प्रसिद्ध सिख लेखक, परगना के सदस्य-संसद सदस्य और नेहरू परिवार के एक निजी मित्र ने लिखा: “मध्यकालीन भारत में, मृत्यु
उत्तराधिकारी का नाम घोषित होने तक शासक सम्राटों की मृत्यु की जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती थी।
यह प्रथा अक्टूबर 1984 में देखी गई थी। अगले कुछ घंटों में, दिल्ली के कई इलाकों में
हिंसा भड़क उठी। सिख टैक्सी और बस चालकों के साथ मारपीट की गई।
उनके वाहन जल गए। सिखों के स्वामित्व वाली कई दुकानें और कारखाने भी जलकर खाक हो गए।
लेकिन उस शाम ज्यादा हत्याएं नहीं हुईं। उस रात, के अनुसार...
खुशवंत सिंह ने कहा, "सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के राजनेता बैठक में शामिल हुए..."
यह तय करो कि सिखों को ऐसा सबक कैसे सिखाया जाए जिसे वे कभी न भूलें। अगली सुबह तड़के, दिल्ली के बाहरी इलाकों से भारी संख्या में लोग स्थानांतरित हो रहे थे।
उन्हें शहर के उन विभिन्न इलाकों में ले जाया गया जहां सिख आबादी अधिक संख्या में रहती थी।
इस लामबंदी से विशाल संसाधनों वाले संगठन के समर्थन का संकेत मिला।

शहर पर हमला करने वाले आपराधिक गिरोह लोहे की छड़ें, चाकू जैसे कच्चे हथियार लेकर आए थे।
आगजनी के लिए लाठी और ज्वलनशील पदार्थ, जिनमें केरोसिन भी शामिल था, का इस्तेमाल किया गया। उन्हें समर्थन भी दिया गया था।
सिखों के स्वामित्व वाले घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों की सूचियों से युक्त
विभिन्न इलाकों में। सरकार द्वारा नियंत्रित टेलीविजन चैनल दूरदर्शन और ऑल टीवी चैनल।
इंडिया रेडियो ने खूनी प्रतिशोध की मांग करने वाले भड़काऊ नारे प्रसारित करना शुरू कर दिया।
“khoon ka badla khoon se lenge (Blood for blood!)”. Murderous gangs of 200 or
नेताओं के नेतृत्व में 300 लोग, पुलिसकर्मियों की निगरानी में, सिख बस्ती में घुसने लगे।
घरों में घुसकर, निवासियों के टुकड़े-टुकड़े कर दिए, बच्चों के सिर काट दिए, बलात्कार किए।
महिलाओं ने सिख पुरुषों को केरोसिन से भरे टायरों से बांधकर उनमें आग लगा दी और घरों को जला दिया।
और दुकानों को लूटने के बाद। भीड़ ने आने-जाने वाली बसों और ट्रेनों को रोक दिया।
दिल्ली में सिख यात्रियों को बाहर निकालकर पीट-पीटकर मार डाला गया या उन पर केरोसिन डाल दिया गया।
और उन्हें जिंदा जला दिया गया। कुछ क्षेत्रों में, सिख परिवार आत्मरक्षा के लिए एकजुट हो गए।
इसके बाद पुलिस अधिकारी उन्हें तितर-बितर करने के लिए पहुंचे, और जब समझाने-बुझाने से काम नहीं बना तो उन्होंने बल का प्रयोग किया।
काम। अन्य क्षेत्रों में, पुलिस ने घरों में हथियारों की तलाशी ली, जिनमें औपचारिक हथियार भी शामिल थे।
हमने भीड़ के आने से पहले ही चाकू जब्त कर लिए। अगले पांच दिनों में, लगभग 3,000 सिखों की हत्या कर दी गई। खुशवंत सिंह को एहसास हुआ कि "यहूदियों को कितना दुख हुआ होगा।"

श्रीमती गांधी की हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप में सिमरनजीत सिंह मान समेत चार प्रमुख सिख नेताओं पर मामला दर्ज कर ध्यान भटकाने की रणनीति अपनाई गई। नवंबर 1989 में हुए आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी की हार के बाद यह मामला वापस ले लिया गया। – राम नारायण कुमार और जॉर्ज सीबेरर, सिख संघर्ष: ओप. सीटी, पृ. 294-6।
जसवंत सिंह खालरा: मानवाधिकारों के लिए शहीद 43

ऐसा लग रहा था जैसे नाज़ी जर्मनी में हों। उन्होंने निष्कर्ष निकाला: "हत्या ने एक भयावह रूप ले लिया।"
सिख समुदाय का नरसंहार।"95
शाकरपुर में पुनर्वास शिविर स्थापित करने में मैंने मदद की थी, जो जमुना नदी के पार स्थित एक क्षेत्र है।

दिल्ली के एक इलाके में 2,000 शरणार्थियों को आश्रय दिया गया था, जिनमें बड़ी संख्या में विधवाएं शामिल थीं।
और वे बच्चे जिन्होंने मुझसे अपने भयावह अनुभव साझा किए। दिल्ली नरसंहार कई संगठनों द्वारा इसका दस्तावेजीकरण किया गया है। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबरेशन-
संबंधों और लोकतांत्रिक अधिकारों के जन संघ ने एक संयुक्त रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसे कहा जाता है
दोषी कौन हैं? रिपोर्ट में कहा गया है कि "सिख समुदाय के सदस्यों पर हुए हमले"
दिल्ली में समुदाय… ‘पागलपन’ और इसके सहज भावों की अभिव्यक्ति से बहुत दूर है।
अधिकारियों द्वारा बताए गए अनुसार, श्रीमती गांधी की हत्या पर ‘शोक और क्रोध’ था।
ये सुनियोजित योजना का परिणाम थे, जिसमें जानबूझकर किए गए कृत्य शामिल थे। कांग्रेस के महत्वपूर्ण राजनेताओं और अधिकारियों द्वारा की गई चूक और चूक प्रशासन…” रिपोर्ट में कांग्रेस के 16 महत्वपूर्ण सदस्यों के नाम शामिल हैं।
राजनेताओं, 13 पुलिस अधिकारियों और 198 अन्य लोगों पर पीड़ितों और प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा आरोप लगाए गए हैं।
नेसेस। पूर्व उच्च न्यायालय न्यायाधीश के नेतृत्व में सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट।
वी. एम. तारकुंडे ने निष्कर्ष निकाला कि "यह नरसंहार सत्ताधारी पार्टी द्वारा रचा गया था"।
प्रमुख नागरिकों की एक टीम द्वारा संकलित एक और खोजी रिपोर्ट में शामिल है-
सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, एस. एम. सिकरी, पूर्व सिविल सेवकों
बदरुद्दीन त्याबजी, राजेश्वर दयाल और अन्य लोग भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे।96
सरकार ने एक संस्था द्वारा स्थापित 28 "अस्थायी घरों" को बंद करने का फैसला किया।
नागरिक एकता मंच नामक संगठन ने दिल्ली के लोगों को आश्रय देने का काम किया।
विस्थापित सिख। ये "घर" दस्तावेज़ीकरण के केंद्र बिंदु बन गए थे।
उस नरसंहार का, जिसे सरकार छुपाना चाहती थी। बंद करने से पहले
सरकार ने "घरों" के पीड़ितों को 100 करोड़ रुपये का मौद्रिक मुआवजा देने का प्रस्ताव रखा।
परिवार में किसी की मृत्यु होने पर 10,000 रुपये, संपत्ति के भारी नुकसान होने पर 5,000 रुपये।
चोट लगने पर 2,000 रुपये और संपत्ति को मामूली नुकसान होने पर 1,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। ये राशियाँ,
वर्तमान विनिमय दर 44 रुपये प्रति 1 के हिसाब से लगभग $225, $110, $45 और 22 डॉलर। ये आंकड़े नष्ट हुए जीवन के मूल्य का आधिकारिक मूल्यांकन दर्शाते हैं।

उनकी शारीरिक और मानसिक अखंडता और उनकी मेहनत से अर्जित संपत्ति। कोई समझौता नहीं-
घरेलू सामान, उपभोक्ता वस्तुओं और अन्य चीजों के विनाश के लिए मुआवजा दिया गया।
व्यापारिक प्रतिष्ठानों और औद्योगिक संपत्तियों में माल। 97
जनवरी 1985 की शुरुआत में, द इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार राहुल बेदी और स्मितु
पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के कोठारी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।
दस्तावेजों के आधार पर नरसंहार की न्यायिक जांच की मांग करें। मानवाधिकार संगठनों द्वारा किए गए इस कार्य को न्यायमूर्ति योगेश्वर दयाल ने खारिज कर दिया।
उन "प्रचार के लिए इधर-उधर भटकने वाले लोगों" की निंदा करने के बाद याचिका दायर की गई, जो हर मामले में अपनी नाक घुसाते हैं।
95 दोषी कौन हैं? लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए जन संघ और जन संघ की एक संयुक्त रिपोर्ट
नागरिक स्वतंत्रता, नई दिल्ली, 1984; 31 अक्टूबर से 4 नवंबर 1984, नागरिक आयोग, दिल्ली, 1985; दिल्ली हिंसा का सच: सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी, नई दिल्ली की एक रिपोर्ट; सिख: अल्पसंख्यक अधिकार समूह रिपोर्ट, संख्या 65, क्रिस्टोफर शैकल, लंदन 1986; राम नारायण कुमार और जॉर्ज सीबेरर, सिख संघर्ष: ओप. सीटी, पृष्ठ 1; खुशवंत सिंह, माई ब्लीडिंग पंजाब, यूबीएस पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड, दिल्ली, 1992, पृष्ठ 88-96; जे. एस. ग्रेवाल, द सिख्स ऑफ द पंजाब, ओप. सीटी, पृष्ठ 229; एम. जे. अकबर, इंडिया: द सीज विद इन, पेंगुइन बुक्स, हार्मंड्सवर्थ, 1985, पृष्ठ 109।
96 दोषी कौन हैं? लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए जन संघ और जन संघ की एक संयुक्त रिपोर्ट
नागरिक स्वतंत्रता के लिए, नई दिल्ली, 1984; 31 अक्टूबर से 4 नवंबर 1984, नागरिक आयोग, दिल्ली, 1985; दिल्ली हिंसा के बारे में सच्चाई: लोकतंत्र के लिए नागरिकों की एक रिपोर्ट, 1984, नई दिल्ली।
97 दिल्ली नरसंहार: दुर्भावनापूर्ण सरकार का एक उदाहरण – http://ds.dial.pipex.com/town/square/
ev90495/delhi.htm पृष्ठ 9/10.
44 राख में तब्दील

सभी मामलों में हस्तक्षेप करना और न्यायपालिका का बहुमूल्य समय बर्बाद करना।" 98
नरसंहार के बाद से बीते 18 वर्षों में सात जांच आयोग गठित किए जा चुके हैं।
दिल्ली नरसंहार की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया था। पहले जांच आयोग ने...
1985 में राजीव गांधी सरकार द्वारा न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा के नेतृत्व में इस ओर इशारा किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट का यह कदम कांग्रेस की भूमिका को छिपाने के उद्देश्य से उठाया गया था।

पार्टी नेताओं ने नरसंहार को संगठित करने और अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई। इसके बदले में कांग्रेस ने कांग्रेस को दंडित किया।
सरकार ने मिश्रा को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद एनएचआरसी के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया।
उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। वर्तमान में, मिश्रा कांग्रेस के सदस्य हैं।
एमपी. 99 सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जज जी. टी. नानावती के नेतृत्व में गठित आयोगों में से अंतिम आयोग।
केंद्र सरकार द्वारा 10 मई 2000 को नियुक्त किया गया यह व्यक्ति अभी तक सफल नहीं हो पाया है।
अपना काम पूरा करने में असमर्थ। कई विश्वसनीय मीडिया रिपोर्टों में देरी का कारण सुस्ती को बताया गया है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय का रवैया भी इसमें अहम भूमिका निभा रहा है। फ्रंटलाइन की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि...
मंत्रालय का दावा है कि वह कई महत्वपूर्ण रिकॉर्ड ढूंढने में असमर्थ है, जो आवश्यक हैं।
आयोग, जिसमें गृह मंत्रालय और मंत्रालय के बीच संचार शामिल है
रक्षा मंत्रालय, सेना और दिल्ली के उपराज्यपाल की बैठक और बैठक का विवरण-तत्कालीन गृह मंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव द्वारा अपने अधिकारियों के साथ आयोजित तस्वीरें
31 अक्टूबर और 5 नवंबर 1984। केंद्रीय गृह मंत्रालय भी इस संबंध में कोई कार्रवाई करने में सक्षम नहीं रहा है।
न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा के समक्ष दिए गए बयानों की प्रतियां उपलब्ध कराना।
तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल ए.एस. वैद्य और मेजर जनरल ए.एस. वैद्य द्वारा निर्देशित मिशन।
एस. जमवाल और मेजर जे.एस. संधू।100 इस बीच, कई पीड़ित परिवारों ने लिखा है आयोग को उन्होंने बताया कि उन्हें शारीरिक हमलों के साथ-साथ धमकियां भी मिल रही हैं।
हिंसा, अपनी शिकायतें वापस लेने के लिए। 101 ऐसे संकेत हैं कि नानावती यह आयोग भी न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति में विफल रहेगा। न्याय आयोग के अधीन गठित आयोग
आर.एस. निरूला, जिसकी स्थापना दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा दिसंबर 1993 में की गई थी,
रिपोर्ट में 72 पुलिस अधिकारियों और 21 अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी, जिनमें शामिल हैं
कांग्रेस के राजनेता। रिपोर्ट में बताया गया था कि 26,646 पुलिसकर्मियों की मजबूत पुलिस फोर्स,
1984 में 65 लाख लोगों वाले शहर के लिए, जिसमें उसके अधिकारी भी शामिल थे, इसका मतलब था कि वहाँ
लगभग 240 नागरिकों पर एक पुलिसकर्मी तैनात था। यह पुलिस बल हिंसा को रोकने के लिए पर्याप्त था।
अगर पुलिस कार्रवाई करना चाहती तो नरसंहार हो सकता था।102 हालाँकि, जैसा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है-

भारत सरकार को भेजे गए ज्ञापन में वर्णित किसी भी सिफारिश को लागू नहीं किया गया।
इन आयोगों के निर्देशों का पालन किया गया है, न ही किसी आरोपी को दंडित किया गया है।
पुलिसकर्मियों और राजनेताओं को न्याय के कटघरे में लाया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इस पर आपत्ति जताई है।
यह बताया गया कि दिल्ली प्रशासन के अभियोजन निदेशक चाहते थे कि उनके खिलाफ मामले दर्ज किए जाएं।
अभियोजित पुलिसकर्मियों को बरी किया जाना चाहिए।103 दिल्ली प्रशासन ने तर्क दिया कि वहाँ
उन्हें दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे।
साक्ष्य के इस मुद्दे को दिल्ली के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. ने उठाया। एन. ढिंगरा, जिन्होंने नवंबर 1984 से संबंधित कुछ मामलों की जांच की थी।

98 राम नारायण कुमार और जॉर्ज सीबेरर, सिख संघर्ष: ओप. सीटी, पृ. 1.
99 द इंडियन एक्सप्रेस, 3 अक्टूबर 2000, मनोज मित्त, “1984 के दंगे – 10,000 हलफनामे दाखिल किए गए” – http://www.indian-express.com/ie/daily/20001003/ina03069.html फ्रंटलाइन, खंड 18, अंक 13, 23 जून-6 जुलाई, 2001, नौनिधि कौर, “जांच आयोग: न्याय”
विलंबित”, — http://www.flonnet.com/f11813/18130910.htm
101 द इंडियन एक्सप्रेस, 25 अक्टूबर 2000, अनुराधा नागराज, “शिकायतकर्ता के चचेरे भाई के साथ मारपीट की गई” – http://www.indian-express.com/ie/daily/20001025/ina25016.html
102 फ्रंटलाइन, खंड 19, अंक 1, 5-18 जनवरी 2002, नौनिधि कौर, “जांच आयोग: अपराध”
और मिलीभगत” – http://www.flonnet.com/f11901/1901810.htm
103 एआई सूचकांक: एएसए 20/20/94 भारत सरकार को ज्ञापन: माफी से उत्पन्न जसवंत सिंह खालरा: मानवाधिकारों के लिए शहीद 45

नरसंहार। 28 अगस्त 1996 को दिए गए 92 पृष्ठों के फैसले में, न्यायाधीश ढिंगरा ने स्वीकार किया-
उन्होंने पुलिस, प्रशासन और सरकार पर जानबूझकर दमन करने का आरोप लगाया। और सबूतों को नष्ट करना। फैसले में स्पष्ट रूप से कहा गया कि सरकार “1984 के दंगों से जुड़े सभी लोगों की रक्षा की”, वास्तविक हत्यारों और उनके
पुलिस और राजनीतिक व्यवस्था के भीतर के मार्गदर्शक: "पुलिस की निष्क्रियता-
दंगों के मामलों में सरकार और प्रशासन की निष्क्रियता एक
यह एक सुविचारित प्रक्रिया थी। इसमें शामिल लोगों को बचाना आवश्यक था। अपराध। शायद दंगाइयों और शासकों दोनों ने ही इस नरसंहार को अपराध माना होगा।
सबक सिखाना आवश्यक था और सामूहिक हत्याओं को अंजाम देने वालों को अवश्य दंडित किया जाना चाहिए।

संरक्षित किया जाए।" फैसले में निष्कर्ष निकाला गया: "जब तक सिस्टम खुद को फिर से नहीं लिखता और
जांच एजेंसियां कार्यपालिका के चंगुल से मुक्त हो जाती हैं, बहुत कम गुंजाइश रह जाती है।
जांच एजेंसियों द्वारा निष्पक्ष और ईमानदार जांच की संभावना प्रभावशाली और राजनीतिक रूप से शक्तिशाली अपराधी।"104
मार्च 1998 में, केंद्र सरकार और दिल्ली राज्य सरकार ने एक नई किताब पर प्रतिबंध लगा दिया।
दिल्ली हत्याकांड पर आधारित यह पुस्तक एक प्रत्यक्षदर्शी गुरुचरण द्वारा लिखी गई है।
सिंह बब्बर, जिन्होंने न्याय के लिए लगातार संघर्ष किया है। यह पुस्तक मुख्य रूप से सिंह बब्बर पर आधारित है।
प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर और न्यायपालिका पर भी पक्षपातपूर्ण रवैये को स्वीकार करने का आरोप लगाता है।
इस मामले को दबाने की कोशिश का खुलासा हुआ। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पुस्तक पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लेने के बाद यह निर्णय लिया गया। अदालत ने एक हिंदू द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें इसे प्रतिबंधित करने की प्रार्थना की गई थी। पीठ ने फैसला सुनाया कि
याचिका की सुनवाई करने वाले उच्च न्यायालय ने सरकार के "बाहर निकालने" के फैसले को मंजूरी दे दी।
इस पुस्तक को आगे प्रकाशन, वितरण और बिक्री से प्रतिबंधित करें।" 105 यह उस प्रकार का है
असुविधाजनक सत्य को दबाने के लिए सहमतिपूर्ण प्रतिबद्धता जो सत्यता को सिद्ध करती है
नैपॉल ने भारतीय पत्रिका आउटलुक को बताया था: “पराजित लोग कभी अपनी कहानी नहीं लिखते।”
इतिहास। विजेता ही इतिहास लिखते हैं... दूसरी तरफ के लोगों के लिए यह एक दौर है।
अंधकार।" नाइपॉल हिंदू ऐतिहासिक वृत्तांतों के अभाव की व्याख्या कर रहे थे।
भारत पर मुस्लिम आक्रमण के बारे में। यह बात उतनी ही दृढ़ता से इस पर भी लागू होती है।
आज भारत के सीमावर्ती राज्यों में अल्पसंख्यक समुदायों की स्थिति।

शांति समझौते का गर्भपात
जसवंत सिंह खालरा, हालांकि अमृतसर से थे, लेकिन उनका जरनैल सिंह से कोई संबंध नहीं था।
भिंडरांवाले। वह भिंडरांवाले के व्यवहार से सहमत नहीं थे।
सिख समुदाय को कट्टरपंथी बनाना। उनके अनुसार, वे आसानी से उत्तेजित हो जाते थे और अक्सर
उन्होंने अपनी ताकत और तैयारी की स्थिति का आकलन किए बिना ही भयंकर लड़ाइयों का सामना किया।
उन्होंने यह माना कि सिख धर्म को सही दिशा देने में भिंडरांवाले की अहम भूमिका थी।

न्याय की आकांक्षा को बढ़ावा दिया और अपने आसपास युवा और वंचित लोगों को एकत्रित किया।
अकाली दल के विपरीत, जिन्होंने केवल स्थापित और समृद्ध वर्गों के साथ ही काम किया,
सिख समाज। लेकिन वह जिस तरीके और गति से उन्होंने पूर्व-
इसी घटना ने सिखों और भारत सरकार के बीच सशस्त्र संघर्ष को जन्म दिया। उनके विचार में, स्थापित व्यवस्था के भीतर महत्वपूर्ण सुधारों के लिए लोगों का संघर्ष
हिंसा के प्रयोग से व्यवस्था स्थापित नहीं की जा सकती थी।
जसवंत उस समय आश्चर्यचकित रह गए जब चुनाव जीतने के तुरंत बाद राजीव गांधी ने
शांति वार्ता के लिए अकाली पार्टी के महत्वपूर्ण नेताओं को हिरासत से रिहा किया गया।
104 द हिंदू, 29 अगस्त 1996, 1984 के दंगे: सरकार के खिलाफ कड़ी आलोचना। 105 रेडिफ़ ऑन द नेट, 23 मार्च 1998, 'सांप्रदायिक' सरकारी क़त्ल-ए-आम पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
46 राख में तब्दील

वह समझौता जिस पर उन्होंने 25 जुलाई को उनके अध्यक्ष हरचरण सिंह लोंगोवाल के साथ हस्ताक्षर किए थे
1985.
समझौते में आम सहमति के 11 बिंदुओं को रेखांकित किया गया, जिनमें निम्नलिखित मुख्य बिंदु शामिल हैं।
रियायतें। इसने वादा किया: (क) 26 जनवरी 86 तक चंडीगढ़ को पंजाब को हस्तांतरित करना;
(ख) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अध्यक्षता में न्यायाधिकरणों की स्थापना करना, जो निम्नलिखित मामलों पर निर्णय देंगे:
नदी जल और क्षेत्रीय विवाद; और (ग) अकाली प्रस्ताव को प्रांतीय कार्यवाही के लिए संदर्भित करना-
केंद्र में बदलावों की सिफारिश करने के लिए नियुक्त आयोग को सामाजिक स्वायत्तता प्रदान करना।
हमारे एकात्मक संविधान की वास्तविक संघीय विशेषताओं को उजागर करने के लिए राज्य संबंध।
इस समझौते में नवंबर में दिल्ली में हुए हत्याकांड की जांच करने का भी वादा किया गया था।
1984 में, सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को वापस लेने और शासन को बहाल करने के लिए।
पंजाब में कानून और मानवाधिकार। इस समझौते ने कानून की बहाली का मार्ग प्रशस्त किया।
राज्य में लोकप्रिय सरकार।
लोंगोवाल की हत्या समझौते पर हस्ताक्षर करने के 26 दिन बाद उग्रवादियों द्वारा कर दी गई थी।
इसे विश्वासघात का कृत्य बताया गया। हालाँकि, लोंगोवाल के उदारवादी उत्तराधिकारी, सुरजीत सिंह ने इसका विरोध किया।

बरनाला के नेतृत्व में पार्टी ने राज्य विधानसभा चुनावों में शानदार जीत हासिल की।
सितंबर 1985 में 117 में से 72 सीटें जीतकर सिख चरमपंथियों ने सत्ता हासिल की। हालाँकि सिख चरमपंथी
केंद्र सरकार के साथ हुए समझौते से नाखुश, जिसने देश को तबाह कर दिया था गोल्डन टेंपल, बरनाला उस समझौते की शर्तों पर कायम रहा, जिसमें वादा किया गया था कि...
सिखों और अन्य लोगों के बीच सौहार्द, सद्भावना और सहयोग के युग की शुरुआत करना।
भारतीय संघ.106
केंद्र सरकार ने समझौते के अपने हिस्से को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। वादे के मुताबिक चंडीगढ़ को पंजाब को हस्तांतरित नहीं किया गया। आयोगों ने
नदी के जल और क्षेत्रीय विवादों को दरकिनार कर दिया गया। नवंबर में हुए घटनाक्रम के लिए दोषी लोगों को दोषी ठहराया गया।
1984 में सिखों के नरसंहार के मामले में किसी को भी सजा नहीं मिली। केंद्र सरकार की जांच से पता चलता है कि...
राज्यों के संबंध को "बुनियादी संरचना के भीतर" एक जांच तक सीमित रखा गया था।
संविधान।
26 जनवरी 1986 को सिखों का एक बड़ा समूह उस स्थान पर एकत्रित हुआ जहाँ राज्य में राजनीतिक घटनाक्रमों की समीक्षा करने के लिए अकाल तख्त को ध्वस्त कर दिया गया। उस दिन,
सभी समाचार पत्रों की शीर्ष हेडलाइन में सरकार के इस निर्णय की घोषणा की गई कि वह इस परियोजना को स्थगित कर देगी।
लोंगोवाल और राजीव गांधी के बीच हुए समझौते का मुख्य भाग: संपत्ति हस्तांतरण का वादा
26 जनवरी 1986 से पहले चंडीगढ़ से पंजाब को।
चार दिन पहले, इंदिरा गांधी की हत्या के मामले की सुनवाई कर रही अदालत ने... अदालत ने अपना फैसला सुनाया। सभी आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई। इंग.107 ये समाचार रिपोर्टें, जिन्हें 30,000 प्रतिभागियों को पढ़कर सुनाया गया, इस बात को स्पष्ट रूप से सामने लाईं।
कि भारत सिखों को जरा सी भी रियायत नहीं देगा।108 राजनीतिक
सभा द्वारा पारित प्रस्ताव में कहा गया कि यदि इंदिरा गांधी के हत्यारों को
अगर उन्हें फांसी दी जाती, तो वे खालिस्तान के पहले शहीद बन जाते। सिखों का मार्गदर्शन करने के लिए पंथिक समिति नामक पांच सदस्यीय पैनल भी नियुक्त किया गया।
अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा है, कथित तौर पर मौजूदा अकाली सरकार द्वारा धोखा दिया गया है।109

106 राम नारायण कुमार और जॉर्ज सीबेरर, सिख संघर्ष: उत्पत्ति, विकास और वर्तमान चरण, वही,
पृष्ठ 270. लोंगोवाल की हत्या 20 अगस्त 1985 को हुई थी, भारतीय प्रधानमंत्री के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के 26 दिन बाद।

107 द ट्रिब्यून, 23 जनवरी 1986, इंदिरा हत्याकांड: सतवंत और दो अन्य को मौत की सजा।
108 द ट्रिब्यून, 26 जनवरी 1986, पंजाब, हरियाणा के फैसले स्थगित - मैथ्यू पैनल रिपोर्ट: शहर
स्थिति अपरिवर्तित है।
109 द ट्रिब्यून, 27 जनवरी 1986, सरबत खालसा ने एसजीपीसी भंग की: अकाल तख्त प्रमुख बर्खास्त; द ट्रिब्यून,
28 जनवरी 1986 को नए तख्त प्रमुख का पदस्थापन हुआ।
जसवंत सिंह खालरा: मानवाधिकारों के लिए शहीद 47

13 अप्रैल 1986 को आयोजित एक अन्य सभा, जिसे सरबत खालसा कहा जाता है, में अपनाया गया
एक राजनीतिक प्रस्ताव जिसमें सिखों से भारत की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने का आह्वान किया गया है।
इसके दो सप्ताह बाद, पंथिक समिति ने "खालिस्तान के गठन" की घोषणा की। खालिस्तान कमांडो फोर्स नामक अपनी खुद की सेना का गठन करना जो इसके लिए लड़ेगी
वह उद्देश्य.110
अगले दिन, पंजाब सरकार ने स्वर्ण मंदिर में सैनिकों को भेजा ताकि उन्हें खदेड़ दिया जा सके।
अलगाववादियों को बाहर निकालो। लेकिन पंथिक समिति के सदस्य पहले ही गायब हो चुके थे।
प्रकट हुआ.111
हालाँकि, इस प्रतीकात्मक छापे ने उग्रवादियों के उद्देश्य को बढ़ावा दिया क्योंकि इससे एक विभाजन उत्पन्न हो गया।
अकाली दल सरकार। पार्टी का एक प्रभावशाली वर्ग, जिसमें 27 सदस्य शामिल हैं।
राज्य विधानसभा ने सरकार से अलग होकर एक स्वतंत्र विधानसभा का गठन किया। समूह। अकाली दल के चार सबसे महत्वपूर्ण नेता - तोहरा, बादल, सुखजिंदर सिंह और अमरिंदर सिंह ने इसी मुद्दे पर सरकार छोड़ दी।112
अक्टूबर 1987 में, केंद्र सरकार ने चुनी हुई अकाली सरकार को बर्खास्त कर दिया।
पंजाब में सरकार को इस आधार पर बर्खास्त कर दिया गया कि वह हिंदू हितों की रक्षा करने में असमर्थ थी।
राज्य को सिख उग्रवादी हमलों से बचाना।113
जसवंत सिंह खालरा इन घटनाक्रमों से बहुत दुखी थे। उनका मानना था कि
कि वे पहले से ही खून से लथपथ पंजाब पर और अधिक पीड़ा और चोट ही पहुंचा सकते हैं।
और राज्य को असली मुद्दों से ध्यान हटाने में मदद करना। वह बहुत परेशान भी था।
राज्य एजेंसियों द्वारा दमनकारी तंत्र को मजबूत करने के तरीके के बारे में।
कानून के शासन का कोई हवाला दिए बिना।

1981 में, जसवंत सिंह ने अपने कॉलेज के दोस्त की बहन परमजीत कौर से शादी की।
फरीदकोट जिले में परमजीत के पास पंजाबी साहित्य में स्नातकोत्तर डिग्री थी।
पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक की डिग्री। शादी के तुरंत बाद, परमजीत को नियुक्त किया गया था।
अमृतसर के गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में लाइब्रेरियन के रूप में नियुक्त होने पर उन्होंने पदभार संभाला।
घर चलाने की ज़िम्मेदारी उसकी तनख्वाह पर थी। यह व्यवस्था उसे रास आई। जसवंत सिंह जिन्होंने अपनी तनख्वाह सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों पर खर्च की। परमजीत
उसने कभी भी घरेलू मामलों में उसे परेशान नहीं किया। उसने कभी भी उसके घरेलू मामलों में दखल नहीं दिया।
उसने कभी यह नहीं पूछा कि वह अपनी तनख्वाह कैसे खर्च करती है।
पंजाब में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। पुलिस अत्याचार की खबरें सामने आ रही थीं।
अवैध अपहरण, हिरासत में यातना, जबरन गायब करना, हत्याएं
फर्जी मुठभेड़ें और पुलिस हिरासत से भागने की झूठी कहानियां, खुलेआम दुर्व्यवहार
सिख अलगाववादी आंदोलनों के बढ़ने के साथ-साथ टाडा जैसे कानूनों में भी लगातार वृद्धि हो रही थी।
हिंसा। जसवंत सिंह दैनिक को संदिग्ध सिख अलगाववादियों के मामले मिले और उनके समर्थकों को भारतीय सेना के अज्ञात अधिकारियों द्वारा अगवा कर लिया गया था।
सुरक्षा एजेंसियां, बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों में अचानक प्रकट होकर, उसे पूछताछ के लिए अज्ञात स्थानों पर ले जाया जाएगा और हमेशा के लिए गायब कर दिया जाएगा।
सशस्त्र सिख समूहों द्वारा की गई अंधाधुंध हिंसा से भी बहुत दुखी हूं। विशेषकर हिंदू समुदाय के निर्दोष सदस्यों के विरुद्ध। इन मामलों को उठाना इन मुद्दों के समाधान के लिए, जसवंत सिंह ने दमन विरोधी मोर्चा – दमन-विरोधी मोर्चा का गठन किया।
110 द ट्रिब्यून, 13 अप्रैल 1986, सरबत खालसा टुडे: टकराव टालने की योजना; द ट्रिब्यून, 14 अप्रैल
1986, अकाली सरकार पर भीषण हमला: नई एसजीपीसी के लिए सरबत खालसा।
111 द ट्रिब्यून, 1 मई 1986, सुरक्षाकर्मी मंदिर परिसर में दाखिल: 18 इलाकों में कर्फ्यू; संकल्प लिया गया
लड़ाई को अंत तक जारी रखें; द ट्रिब्यून, 2 मई 1986, पुलिस कार्रवाई सफल: गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत। 112 द ट्रिब्यून, 3 मई 1986, बादल तोहरा ने दल पैनल छोड़ा: पंजाब के दो मंत्रियों ने इस्तीफा दिया; द ट्रिब्यून, 7
मई 1986, दल के सत्ताईस विधायकों ने नई पार्टी बनाई: सरकार अल्पमत में सिमट गई।
113 राम नारायण कुमार और जॉर्ज सीबेरर, सिख संघर्ष, वही, पृष्ठ 276. 48 राख में तब्दील

वह अपना सारा समय मानवाधिकारों की निगरानी और हस्तक्षेप के कार्यों में लगा सके।
इसके बाद, जसवंत सिंह ने पंचायत सचिव पद से इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा...
हालांकि, विभाग ने उनका इस्तीफा कभी स्वीकार नहीं किया। लेकिन जसवंत सिंह ने दोबारा इस्तीफा नहीं दिया।
नवंबर 1987 के बाद उन्होंने अपने कार्यालय में काम करना शुरू किया और अपना अधिकांश समय अनुवर्ती कार्रवाई में लगाया।
उन लोगों के मामले जो यातना और मृत्यु के तत्काल खतरे में थे
उनकी अवैध गिरफ्तारी के बाद। अधिकांश मामलों में, जसवंत सिंह का प्रयास... इन प्रयासों से कोई परिणाम नहीं निकला और सुरक्षा बलों द्वारा अगवा किए गए लोग लापता हो गए।
प्रकट हुए। कभी-कभी, वह लोगों को अवैध हिरासत से रिहा करवाने में कामयाब हो जाते थे।
हालांकि सफलताएँ दुर्लभ थीं और इतनी कम थीं कि उनसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, फिर भी उन्होंने उन्हें एक तरह की प्रेरणा दी।
मासिक धर्म की संतुष्टि। जसवंत सिंह ने अलगाववादी उग्रवादियों की खुलेआम आलोचना भी की।
निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाना। एक बार, उन्होंने विरोध प्रदर्शन के लिए पांच दिन की भूख हड़ताल की थी।
अपने इलाके में अज्ञात सशस्त्र उग्रवादियों द्वारा हिंदुओं की हत्या के खिलाफ।
उनके समर्थकों ने उन्हें उग्रवादी समूहों की सार्वजनिक रूप से निंदा करने के खिलाफ चेतावनी दी।
लेकिन जसवंत सिंह ने यह तर्क दिया कि निर्दोषों की जान लेने पर प्रतिबंध है।
यह राज्य और गैर-राज्य दोनों बलों पर समान रूप से बाध्यकारी था। उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि
जब तक क्रांतिकारी समूहों में निषेध को सख्ती से लागू करने का अनुशासन नहीं होता।
आम कार्यकर्ताओं के बीच, उनके उद्देश्य की वैधता समाप्त हो गई।

चुनाव की उम्मीदें
वर्ष 1989 का अंत दोनों ही राज्यों की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय बदलाव के साथ हुआ।
राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर। इसने पंजाब में चल रहे खूनी संघर्ष से निकलने का रास्ता सुझाया।
कट्टरपंथी राजनीतिक प्रतिनिधियों के बीच एक वार्ता के माध्यम से हुए समझौते के जरिए
पंजाब और भारतीय सरकार के नेताओं की राय में यह बदलाव आया।
दिसंबर 1989 में हुए आम चुनावों में चुने गए उम्मीदवार विजयी हुए।
सिमरनजीत सिंह मान के नेतृत्व में अकाली दल के कट्टरपंथी गुट ने 13 में से 10 वोट हासिल किए।
राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों में भी उन्होंने वी.पी. सिंह के नेतृत्व में जनता दल को निर्वाचित किया।

राष्ट्रीय स्तर पर संसद में बहुमत।
सिमरनजीत सिंह मान, जो 1967 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं, पंजाब के कार्यकर्ता, एक राजनीतिक रूप से प्रभावशाली परिवार से संबंध रखते हैं और उनका संबंध एक पूर्वज से है।
पटियाला के शाही परिवार से ताल्लुक रखने वाले अमरिंदर सिंह, जो पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, ने अपने माध्यम से
विवाह। उनकी पत्नी गीतिंदर कौर और अमरिंदर की पत्नी बहनें हैं। उनके पिता जोगिंदर सिंह पंजाब विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष थे। 1978 में,
मान को फरीदकोट जिले का एसएसपी नियुक्त किया गया था, जिसमें जरनैल सिंह भी शामिल थे।
भिंडरांवाले का पैतृक गाँव। अगले कुछ वर्षों में, मान ने...
भिंडरांवाले के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित किए। सरकार को इस संबंध के बारे में पता चला।
और, 1983 में, उन्हें रेलवे में सहायक महानिरीक्षक (डीआईजी) के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया।
अगर अमरिंदर सत्ता में होते तो सरकार शायद मान को सेवा से बर्खास्त कर देती।
सिंह ने हस्तक्षेप नहीं किया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान, मान को तैनात किया गया था।
बॉम्बे में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के डीआईजी। ऑपरेशन के बाद
ब्लू स्टार के मैन ने राष्ट्रपति ज़ैल सिंह को एक मार्मिक पत्र लिखकर उनकी कड़ी आलोचना की।
उनके सर्वोच्च नेतृत्व में भारतीय सेना में अपने पद से इस्तीफा न देने के लिए उन्हें दोषी ठहराया गया।
उस आदेश के तहत अकाल तख्त को नष्ट कर दिया गया था। मान ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया और
वह भूमिगत हो गया। नवंबर 1984 में, उसे सीमा पार करने की कोशिश करते समय गिरफ्तार कर लिया गया।
नेपाल की सीमा में प्रवेश किया, जिसका उद्देश्य विदेश से सिख प्रतिरोध को संगठित करना था। बाद में, उन्होंने
उन पर इंदिरा गांधी की हत्या की साजिश रचने का भी आरोप लगाया गया था। उनके द्वारा सरकार के समक्ष अवज्ञा करना
जसवंत सिंह खालरा: मानवाधिकारों के लिए शहीद 49

सरकार ने उन्हें सिखों के बीच बहुत लोकप्रिय बना दिया। मान को पहले ही नामित किया जा चुका था।
भिंडरांवाले द्वारा शुरू की गई पार्टी, यूनाइटेड अकाली दल के अध्यक्ष के रूप में उनका अभिनंदन किया गया।
एक पिता जिसे चरमपंथियों ने एक नए आंदोलन का केंद्र बिंदु बनने के लिए राजी कर लिया था
राजनीतिक संरेखण.114
जब सरकार ने 1989 के अंत में संसदीय चुनावों की घोषणा की,

मैन ने टार्न तारन निर्वाचन क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की, हालांकि वह अभी भी एक
कैदी। उन्होंने आठ संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से भी अपने उम्मीदवार उतारे।
पंजाब। नतीजों ने राजनीतिक विश्लेषकों की उन भविष्यवाणियों को गलत साबित कर दिया कि विभाजन के कारण
कट्टरपंथी और उदारवादी अकाली गुटों के बीच सिख वोटों का बंटवारा फायदेमंद साबित होगा।
कांग्रेस। मान के नेतृत्व वाले समूह ने 13 संसदीय सीटों में से छह पर कब्जा करके चुनाव में शानदार जीत हासिल की।
पंजाब में संसदीय सीटें। चार अतिरिक्त निर्वाचन क्षेत्रों से स्वतंत्र उम्मीदवारों का चुनाव हुआ।
जिन लोगों को उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। मान ने स्वयं अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक रिकॉर्ड बनाया।
कुल 591,883 वैध वोटों में से 527,707 वोट प्राप्त करके चुनाव जीता।115 राष्ट्रीय स्तर पर, कांग्रेस जनता दल से चुनाव हार गई, जो एक नई पार्टी थी।
वी.पी. सिंह के नेतृत्व में इस सरकार का गठन हुआ था, जिन्होंने वित्त मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।
राजीव गांधी के शासनकाल में, उन पर हथियार सौदों में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था।
जनता दल के घोषणापत्र में पंजाब में नागरिक स्वतंत्रता के दुरुपयोग को समाप्त करने का वादा किया गया था।
और लोकतांत्रिक भावना से संवाद के माध्यम से राज्य में व्याप्त अशांति का समाधान करना।
राजनीतिक नेता के रूप में अपनी नई भूमिका में जेल से पंजाब लौटने पर, मान सिखों की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए संविधान को अपनाकर प्रयास करने का वादा किया।
राष्ट्रीय साधनों से। पंजाब में उनका स्वागत करने के लिए एकत्रित विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए।
3 दिसंबर 1989 को, मान ने कहा: "सबसे पहले हम संवैधानिक तरीकों को आजमाएंगे।"
सिखों की मांगों को पूरा करवाएं... यदि सरकार सिखों को संतुष्ट करने में विफल रहती है,
हम अपने राष्ट्र की आम सहमति के अनुसार मार्ग का अनुसरण करेंगे। समाचार के अनुसार-
अखबारों में छपी रिपोर्टों में, उनकी विनम्र आवाज में न तो कड़वाहट का कोई निशान था और न ही अहंकार का।116
संघर्ष में शामिल सभी संगठनों से परामर्श करने के बाद, मान ने पांच योजनाएँ निर्धारित कीं।
केंद्र सरकार को आगे की चर्चा करने से पहले कुछ पूर्व शर्तों को पूरा करना होगा।
महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्न। वे थे:
(1) उसे पश्चाताप व्यक्त करना चाहिए और सेना द्वारा किए गए हमले के लिए क्षमा मांगनी चाहिए।
स्वर्ण मंदिर; (2) इसे दोनों सदनों में शोक प्रस्ताव पारित करना चाहिए।

संसद नवंबर में मारे गए सिखों की याद में कार्यक्रम आयोजित करेगी। 1984 के दंगों के लिए कदम उठाएं और सिख विरोधी कार हिंसा को अंजाम देने वालों को दंडित करने के लिए कदम उठाएं।
नागे; (3) उसे उन सिख सैनिकों को जेलों से रिहा करना चाहिए और उन्हें बहाल करना चाहिए जो
ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद विद्रोह हुआ; (4) इसे आपराधिक मामलों को दर्ज करना चाहिए
पंजाब में राज्यपाल सिद्धार्थ शंकर समेत अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही चल रही है।
रे, उनके पुलिस सलाहकार जूलियो रिबेरो और डीजीपी के. पी. एस. गिल, इन सभी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।
अंधाधुंध दमन की नीति; (5) इसे उन काले कानूनों को निरस्त करना चाहिए जो धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं-
नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करें और पंजाब से अर्धसैनिक बलों को वापस बुलाएं।
राज्य को भुगतान करना.117
जिस सरकार ने न्याय और लोकतंत्र की बहाली का वादा किया था, उसके लिए ये हालात अनुकूल होने चाहिए थे। लेकिन नई सरकार, जिसके प्रधान मंत्री

114 कुमार, सिख अशांति, वही, पृ. 241-2, 274-276; हरबंस सिंह, सीबीआई फाइल-2, एनडी, 1989,
पृष्ठ 74-75
115 वही, पृ. 275-276.
116 कुमार द्वारा उद्धृत, सिख अशांति, ओप. सिट. पृष्ठ 287
117 कुमार, सीबेरर, सिख संघर्ष, वही, पृ. 383.
50 राख में तब्दील

मंत्री ने अमृतसर की भीड़भाड़ वाली गलियों में एक खुली गाड़ी में नाटकीय ढंग से ड्राइव किया।
जीप में सवार होकर उन्होंने घोषणा की कि "एक नए युग की शुरुआत हो गई है", और दबाव में न आने का फैसला किया।
उनकी "संवाद" की पूर्व शर्तों को स्वीकार करके निश्चित रूप से। सबसे विचित्र बात यह थी कि
सरकार द्वारा उन उदारवादी समूहों के साथ परामर्श करने का निर्णय
अकाली दल के वे नेता जो चुनावों में बुरी तरह हार गए थे। प्रकाश सिंह जैसे ये नेता।
बादल और सुरजीत सिंह बरनाला ने केंद्र सरकार को चुनाव न कराने की सलाह दी। उन्होंने राज्य विधानसभा में याचिकाएं भेजीं क्योंकि उन्हें अपने राजनीतिक करियर के अचानक समाप्त होने का डर था।
नए माहौल में।118 जनता दल सरकार ने न केवल इसे रोके रखने का फैसला किया विधानसभा चुनाव कराना, जिससे लोकतंत्र की प्रक्रिया बाधित होती है, लेकिन साथ ही साथ बनाए रखना भी आवश्यक है।
वे पुलिस अधिकारी जो मानवाधिकार उल्लंघन के लिए कुख्यात थे।
"कानून और व्यवस्था को साबित करना", जो 'पुलिस राज' की निरंतरता का एक नरम पर्याय है, बना रहा।

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] 21 [illegible] 1989 [illegible]-
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]...
[illegible] 119

[illegible]
[illegible]. [illegible] 1990 [illegible]
[illegible] 54 [illegible]
[illegible] 542 [illegible] 1991 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] 120
[illegible]
80,000 [illegible]
[illegible] 20 [illegible]
[illegible]

118 [illegible], 7 [illegible] 1989[illegible]
119 [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]. 384; [illegible], 4 [illegible] 1989.

120 द ट्रिब्यून, 17 मार्च 1991, पंजाब और जम्मू-कश्मीर में चुनाव संभव: प्रधानमंत्री; द ट्रिब्यून, 1 अप्रैल 1991, प्रधानमंत्री का रुख दृढ़ पंजाब समस्या का समाधान; द ट्रिब्यून, 25 मार्च 1991, पंजाब और जम्मू- कश्मीर में चुनाव कराने के लिए सभी प्रयास: प्रधानमंत्री; द ट्रिब्यून, 1 अप्रैल 1991, पंजाब समस्या के समाधान पर प्रधानमंत्री का दृढ़ संकल्प; द ट्रिब्यून, 12 अप्रैल 1991, पंजाब और असम में लोकसभा और विधानसभा चुनाव; द ट्रिब्यून, 17 मार्च 1991, सरकार पंजाब में चुनाव कराने के लिए उत्सुक; द ट्रिब्यून, 19 मार्च 1991, आरवी पंजाब में चुनाव का विरोध कर सकते हैं; द ट्रिब्यून, 21 मार्च 1991, पंजाब चुनाव अब लोकतंत्र को नष्ट करने वाला है; द ट्रिब्यून, 4 अप्रैल 1991, आरवी से पंजाब में चुनाव न कराने का आग्रह किया गया।
जसवंत सिंह खालरा: मानवाधिकारों के लिए शहीद 51

हत्याएं। चंद्रशेखर के गृह मंत्री, लुधियाना से संसद के उम्मीदवार, सौभाग्यवश, राजीव गांधी अपने जीवन पर हुए हमले से बच गए। चंडीगढ़ दौरे पर आए राजीव गांधी ने कहा, "मैं अपने जीवन पर हुए हमले से बाल-बाल बच गया।"
14 मई को उन्होंने वादा किया कि अगर उनकी पार्टी संसद में चुनी जाती है तो वे पंजाब में चुनाव रद्द कर देंगे।
बहुमत के साथ। कांग्रेस संसद में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में वापस आई। हालांकि राजीव गांधी की हत्या स्वयं लिबरेशन टाइगर्स की एक महिला सदस्य ने की थी।
श्रीलंका में तमिल अलगाववादी गुरिल्ला समूह तमिल ईलम (एलटीटीई) के नरसिम्हा
कांग्रेस पार्टी के राव प्रधानमंत्री बने और उन्होंने चुनाव कराने के निर्देश दिए।
पंजाब में चुनाव रद्द करने के लिए आयोग। 121 केपीएस गिल, जिनसे चंद्रशेखर ने
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के प्रमुख के रूप में दिल्ली स्थानांतरित होने के बाद, वे वापस लौट आए।
पुलिस महानिदेशक के रूप में एक बार फिर पंजाब में।
जसवंत सिंह ने स्वीकार किया कि केंद्र में तीन बार पार्टी बदल चुकी है।
अक्टूबर 1987 में पंजाब में बरनाला की सरकार की बर्खास्तगी के बाद से।
हालांकि,
इन बदलावों से सरकार के राजनीतिक दृष्टिकोण में भी कोई फर्क नहीं पड़ा। पंजाब में अशांति की समस्या के संबंध में और न ही पुलिस के कामकाज के बुनियादी स्वरूपों के संबंध में-
राज्य में शासन व्यवस्था। शुरू से ही, सरकार के भीतर के राजनीतिक तत्वों ने...
यह ज्ञात है कि वे किसी न किसी उग्रवादी गुट के साथ मेलजोल रखते थे। कैसे- चरमपंथी समूहों के साथ बातचीत शुरू करने का कभी कोई प्रयास नहीं किया गया। सिख असंतोष की नींव रखने वाले ठोस मुद्दों के आधार पर।
सभी प्रस्ताव और संपर्क मूल रूप से हमेशा ही स्वार्थपरक प्रकृति के थे, जो इस पर आधारित थे।
अल्पकालिक राजनीतिक लाभों की गणना और परिवर्तन की संभावनाओं को नकारना-

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-[illegible]
[illegible] 1991 [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
1992 [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 4 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] 1992 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 28 [illegible] [illegible] [illegible]

121 [illegible], 21 [illegible] 1991, [illegible] [illegible] [illegible]; [illegible], 3 [illegible] 1991, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]; [illegible], 6 [illegible] 1991, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]; [illegible], 20 [illegible] 1991, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]; [illegible], 29 [illegible] 1991, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]; [illegible], 16 [illegible] 1991, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]; [illegible], 4 [illegible] 1991, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]; [illegible], 16 [illegible] 1991, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]; [illegible], 19 [illegible] 1991, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]; [illegible], 12 [illegible] 1991, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]; [illegible], 20 [illegible] 1991, [illegible] [illegible] [illegible]: [illegible]; [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], 25 [illegible] 1991, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]: [illegible]; [illegible], 26 [illegible] 1991, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]; [illegible], 12 [illegible] 1991, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]; [illegible], 30 [illegible] 1991, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]; [illegible], 15 [illegible] 1991, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]: [illegible]; [illegible], 5 [illegible] 1991, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]: [illegible]; [illegible], 3 [illegible] 1991, [illegible] [illegible]: [illegible] [illegible] 5000 [illegible] [illegible] [illegible]; [illegible], 7 [illegible] 1992, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]; [illegible], 14 [illegible] 1991, [illegible] [illegible] [illegible]-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], 15 [illegible] 1991, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]; [illegible], 23 [illegible] 1991, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]; [illegible], 29 [illegible] 1991, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]; [illegible], 5 [illegible] 1992, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]; [illegible], 3 [illegible] 1992, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]; [illegible], 20 [illegible] 1992, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 14 [illegible] [illegible] [illegible]
52 [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 25 [illegible] 40 [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 5 [illegible] 20 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 20 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] 1983 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]123
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] '[illegible]' [illegible] [illegible] [illegible] - [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] - [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]...
[illegible] [illegible] [illegible] (1992) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] 1992 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [

उन्हें 18 मार्च को आनंदपुर में हिरासत में लिया गया था, जहाँ उन्होंने "आतंकवादी" हमले करने की साजिश रची थी।
उग्रवादी कार्रवाइयां"। बाद में पंजाब उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित एक जांच ने स्थापित किया
अजीत सिंह बैंस का नाम मूल प्रथम सूचना रिपोर्ट में शामिल नहीं था। “अवैध बैठक” के बारे में। हालाँकि, बैंस को गिरफ्तार करने का उद्देश्य सुरक्षा सुनिश्चित करना नहीं था।
कानून के तहत उनकी दोषसिद्धि, लेकिन पीएचआरओ को पंगु बनाने और दूसरों का मनोबल गिराने के लिए।
मानवाधिकार समूहों को उदाहरण देते हुए। मुख्यमंत्री बेअंत सिंह ने राज्य को बताया।
6 अप्रैल को विधानसभा में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बैंस को रिहा नहीं करेगी।
क्योंकि उनका संगठन “आतंकवादियों का बचाव करने” में लगा हुआ था। 124
18 मई 1992 को अमृतसर पुलिस ने छात्र परम सतिंदरजीत सिंह को हिरासत में लिया।
गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के परिसर से। उन्हें पहचान बताने के लिए मजबूर किया गया था-
विश्वविद्यालय के भीतर अलगाववादी आंदोलन के संदिग्ध समर्थकों की पहचान करना, जो थे
उन्हें भी हिरासत में लिया गया। पुलिस परम सतिंदरजीत सिंह को विश्वविद्यालय परिसर में लेकर आई।
इसके लिए कई बार जोर लगाया गया। विश्वविद्यालय के छात्रों ने प्रदर्शन किया।
अपहरण के विरोध में प्रदर्शन हुए और उनके पिता ने भूख हड़ताल कर दी। लेकिन परम
सतिंदरजीत सिंह को रिहा नहीं किया गया। उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला। पंजाब सरकार ने पीएचआरओ पर दबाव बनाए रखने के लिए गिरफ्तारियां जारी कीं। अगस्त 1992 में संगठन के महासचिव मलविंदर सिंह मल्ली। मल्ली
123 द ट्रिब्यून, 18 फरवरी 1992, मतदाताओं की सुरक्षा के लिए सेना; द ट्रिब्यून, 20 फरवरी 1992, शांतिपूर्ण मतदान।
कम मतदान; द ट्रिब्यून, 24 फरवरी 1992, योगेंद्र यादव, सबसे कम मतदान, असमान वितरण; द ट्रिब्यून, 21 फरवरी 1992, कांग्रेस को दो तिहाई बहुमत; द ट्रिब्यून, 25 फरवरी 1992, बींट आज सरकार बनाएंगे।
124 25 अप्रैल 1992, मेनस्ट्रीम, पंजाब में कानून का शासन।
जसवंत सिंह खालरा: मानवाधिकारों के लिए शहीद 53

वे मार्क्सवादी संगठन से संबद्ध स्थानीय भाषा की पत्रिका "पैगाम" के संपादक भी थे।
लेनिनवादी समूह, जिसके क्षेत्र में किए गए कार्य के परिणामस्वरूप कई विस्तृत रिपोर्टें तैयार हुईं।
पुलिस अत्याचार।
मानवाधिकार वकील जगविंदर सिंह को उनके घर से उठा लिया गया।

25 सितंबर 1992 की शाम को वर्दीधारी पुलिसकर्मियों के एक समूह द्वारा कपूरथला में।
हालांकि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव ने हस्तक्षेप करने का वादा किया, जगविंदर
सिंह फिर कभी नजर नहीं आया। राम सिंह बिलिंग और जगविंदर सिंह का निष्कासन। और अजीत सिंह बैंस और मलविंदर सिंह मल्ली की गिरफ्तारी ने प्रभावी रूप से अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया।
क्षेत्रीय मानवाधिकार समूह। अब सुरक्षा बल अविभाजित रूप से अपनी सेवाएं दे सकते हैं।
अलगाववादी उग्रवाद के सरगनाओं को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
पंजाब के सिखों को उग्रवादियों के इरादों की कभी स्पष्ट समझ नहीं आई थी।
उद्देश्य। अपने चरम उत्कर्ष के समय में ये समूह आम तौर पर पूर्वज सहानुभूति पर निर्भर थे।
किसानों में छिपने की जगहें ढूंढने के लिए चोरों को पर्याप्त समर्थन मिला था और वे अपना गुजारा कर रहे थे।
उनके संचालन। लेकिन अब, ग्रामीण सिख नई स्थिति को लेकर पूरी तरह से निराश हैं।
इन परिस्थितियों में, उग्रवादियों ने खुद को सुरक्षा बलों के सामने असहाय पाया, जिन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी थी।
उन्हें शिकार की तरह पकड़ो। इस प्रकार, पदभार संभालने के छह महीने के भीतर ही,
बेअंत सिंह सरकार सिख उग्रवादी आंदोलन को पंगु बनाने में सफल रही। गुरिल्ला संगठनों के नेताओं को या तो मार दिया गया या उन्हें घटनास्थल से भागने के लिए मजबूर किया गया।
उनमें से सैकड़ों ने आत्मसमर्पण कर दिया। हजारों अन्य लोगों को हिरासत में यातनाएं झेलनी पड़ीं।
अवैध कारावास की लंबी अवधि और शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के अनगिनत अन्य रूप-
चयनात्मक पीड़ा.125

जसवंत सिंह खालरा द्वारा प्रारंभिक जांच
बेअंत सिंह की सरकार के अधीन गुरिल्ला समूहों के विनाश के बाद
पंजाब में, उग्रवादी समर्थकों से ग्रामीण इलाकों को मुक्त कराना अगला मुख्य लक्ष्य बन गया।
राज्य में सुरक्षा बलों का कार्य। पुलिस द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार,
1993 में, पंजाब में सुरक्षा बलों ने 1992 में 2,119 आतंकवादियों को मार गिराया था।
"मुठभेड़ों" का व्यंजनापूर्ण शब्द। सीमावर्ती जिलों में बड़ी संख्या में लोगों को चुना गया।
पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर वह अचानक "गायब" हो गई।
प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार,
नई दिल्ली से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी दैनिक 'पायनियर' में 26 और 27 मार्च 1992 को यह खबर छपी थी।

यह सुझाव दिया गया कि "लापता" लोगों में से कई को मार दिया गया और उनके शवों को चुपचाप फेंक दिया गया।
पंजाब की सिंचाई नहरों में। इन समाचार पत्रों की रिपोर्टों में कहा गया है कि सरकार ने
राजस्थान ने पंजाब के मुख्य सचिव से नहरों के संबंध में औपचारिक रूप से शिकायत की थी।
वे बड़ी संख्या में शवों को राज्य में ला रहे थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि
जब पानी में कई शव, जिनके हाथ-पैर बंधे हुए थे, निकाले जा रहे थे, तभी पानी से बाहर निकाले गए।
मरम्मत कार्यों के लिए नहरों में पानी का प्रवाह रोक दिया गया था। घोषित किए गए बड़ी संख्या में लोगों का क्या हुआ, यह सवाल अभी भी अनसुलझा है।
पंजाब में पुलिस द्वारा 'लापता' किए गए जसवंत सिंह खालरा का मामला रहस्यपूर्ण था।
जो इस बीच अकाली दल के मानवाधिकार विंग में शामिल हो गए थे और
जसपाल सिंह ढिल्लों और अमरिक सिंह मुक्तसर, अध्यक्ष और

125 मैंने सिख अलगाववादी हिंसा के ऐतिहासिक संदर्भ और उसके राजनीतिक पहलुओं का व्यापक दस्तावेजीकरण किया है।
पंजाब पर मेरी दूसरी पुस्तक में मनोवैज्ञानिक पहलुओं का भी उल्लेख है। राम नारायण कुमार की पुस्तक "द सिख अनरेस्ट एंड द इंडियन स्टेट: पॉलिटिक्स, पर्सनैलिटीज एंड हिस्टोरिकल रेट्रोस्पेक्टिव", अजंता पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1997 देखें।
54 राख में तब्दील

इस शाखा के उपाध्यक्ष अकाली दल को इन मुद्दों को अपनाने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे थे।
न्याय और विधि के शासन को अपने राजनीतिक एजेंडे के गंभीर घटकों के रूप में शामिल करना। जसवंत
सिंह उस शाखा के महासचिव थे।
1994 के मध्य में, पुलिस ने एक कंपनी के निदेशक दारा सिंह को गैरकानूनी रूप से गिरफ्तार कर लिया।
अमृतसर जिले के सहकारी बैंक में कार्यरत जसवंत, जो जसवंत के निजी मित्र भी थे।
सिंह। दारा सिंह से यातनापूर्ण पूछताछ की गई और बाद में एक अज्ञात व्यक्ति के रूप में उनकी हत्या कर दी गई।
एक आतंकवादी को फर्जी मुठभेड़ में फंसाया गया। जसवंत सिंह ने इस मामले की बारीकी से जांच की और पाया कि...
यह खुलासा हुआ कि पुलिस ने उनके शव का अंतिम संस्कार दुर्गाना मंदिर श्मशान घाट पर किया था।
इसे "अज्ञात और लावारिस" करार दिया गया। इस खोज ने उन्हें जांच शुरू करने के लिए प्रेरित किया।
और वह पुलिस अधिकारियों द्वारा किए गए दाह संस्कारों के रिकॉर्ड का अध्ययन करने में सक्षम था।

1992 में दुर्गाना मंदिर श्मशान घाट पर अधिकारियों के रिकॉर्ड से पता चला कि
अकेले 1992 में ही पुलिस ने 300 शवों को "अज्ञात" बताकर जला दिया था। “लावारिस”। वास्तव में 112 पीड़ितों के नाम रजिस्टरों में दर्ज थे।
अमृतसर स्थित जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार के कार्यालय में अभिलेख रखे जाते हैं।
यह भी पता चला कि इन 300 में से 41 लोगों की मौत गोली लगने से हुई थी। मौत के कारणों का कोई पता नहीं चला।
शेष 259 व्यक्तियों की मृत्यु के कारण के बारे में जानकारी दर्ज की गई। अभिलेखों से पता चला कि
केवल 24 शवों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपलब्ध हैं।
दुर्गाना मंदिर में पुलिस द्वारा किए गए शवदाह के बारे में इन खोजों के बाद
अमृतसर के श्मशान घाट में, जसवंत सिंह ने इसी तरह के अन्य श्मशान घाटों के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास किया।
पट्टी और तरन तारन श्मशान घाटों पर। पट्टी में, जसवंत सिंह ऐसा करने में सक्षम थे।
श्मशान घाट पर रखे गए लकड़ी खरीद रजिस्टर की जाँच करें जिसमें
मृतक की पहचान और पता, साथ ही अंतिम संस्कार की तिथि और नाम।
शवदाह करने वाले व्यक्ति का उल्लेख किया गया था। रजिस्टर से पता चला कि पुलिस अधिकारी-
अधिकारियों ने 538 शवों को "अज्ञात" या "लावारिस" घोषित करने के बाद जला दिया था।
जनवरी 1991 से अक्टूबर 1994 की अवधि में जसवंत सिंह ने सिमी की खोज की। टार्न टारन में होने वाले कई अंतिम संस्कारों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं थी, लेकिन अभिलेखों की प्रतियां प्राप्त करने में असमर्थ रहा गया।
16 जनवरी 1995 को अकाली दल के मानवाधिकार विंग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की।
चंडीगढ़ में आयोजित सम्मेलन में इन खोजों के बारे में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई।
जसवंत सिंह खालरा और जसपाल सिंह ढिल्लों द्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्ति में उल्लेख किया गया है कि
उनकी जांच, जलाऊ लकड़ी की खरीद के रजिस्टरों की जांच पर आधारित थी।
1991 और 1992 में पट्टी में 400 और तरन तारन में 700 अवैध शवदाह का खुलासा हुआ।
और उस अवधि में दुर्गाना मंदिर श्मशान घाट में लगभग 2,000 शवों का अंतिम संस्कार किया गया।
जून 1984 से लेकर 1994 के अंत तक।
प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि पुलिस इन शवदाह कार्यों को अंजाम दे रही थी।
पंजाब पुलिस नियम 1934 के अध्याय 25 के नियम 25.38 के उल्लंघन में की गई कार्रवाइयों के तहत,
1861 का पुलिस अधिनियम, जो इस संबंध में पालन की जाने वाली स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित करता है।
अज्ञात शव। नियम के अनुसार, दाह संस्कार करने से पहले,

जांच अधिकारी शव का सावधानीपूर्वक विवरण लिखें, जिसमें सभी निशानों का उल्लेख हो।
"विशेषताओं, विकृतियों और विशिष्ट लक्षणों" पर ध्यान केंद्रित करें और उंगली के निशान भी लें।
जांच अधिकारी को भी आवश्यक दस्तावेज और तस्वीरें प्रस्तुत करनी होंगी। नियम में यह भी कहा गया है कि जांच अधिकारी को भी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
“पहचान सुनिश्चित करने के लिए अन्य सभी उचित कदम उठाएं” और, जब आवश्यक हो, प्रकाशित करें
आपराधिक खुफिया राजपत्र में दिए गए विवरण के अनुसार। प्रक्रिया पूरी होने के बाद,
जांच अधिकारी को शव को किसी इच्छुक धर्मार्थ संस्था को सौंप देना चाहिए। यदि ऐसी कोई संस्था सामने न आए तो ही पुलिस शव को जलाएगी या दफनाएगी।126

126 पंजाब पुलिस नियम 1934, अध्याय XXV, नियम 25.38.
जसवंत सिंह खालरा: मानवाधिकारों के लिए शहीद 55

प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि पुलिस ने शवदाह संस्कार किए थे।
नियम 25.38 का उल्लंघन, तब भी जब पहचान और निवास स्थान का गाँव
पुलिस रिपोर्टों में मृतकों को भी शामिल किया गया था। इसमें आगे कहा गया कि जांच...
अकाली दल की मानवाधिकार शाखा की जांच टीम ने इन खोजों को तब अंजाम दिया था जब...
केवल तीन श्मशान घाटों के अभिलेखों की जांच करने पर, इन खोजों से पता चला कि
पंजाब पुलिस द्वारा पूरे राज्य में अपनाए गए तौर-तरीकों की पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए।
सीबीआई द्वारा उच्च न्यायालय की न्यायिक निगरानी में गहन जांच की गई। जांच में पुलिस द्वारा अन्य लोगों के माध्यम से शवों के गुप्त निपटान का मामला भी शामिल होना चाहिए।
इन तरीकों में पंजाब की विभिन्न नदियों और नहरों में इन्हें बहा देना भी शामिल है।
पुलिस द्वारा पकड़े गए कई व्यक्तियों के उदाहरण देने के बाद, जो अंततः... अमृतसर जिले के दुर्गियाना मंदिर श्मशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है।
प्रेस विज्ञप्ति में लगभग 2,000 लोगों की चल रही पीड़ा को दूर करने की तात्कालिकता पर जोर दिया गया।
जिले के केवल वही परिवार, जिन्हें यह नहीं पता था कि उनके प्रियजनों का क्या हुआ-
प्रियजनों को ठोस और प्रामाणिक जानकारी प्रदान की गई। इसके अभाव में उनकी मृत्यु की आधिकारिक पुष्टि होने के बावजूद, ये परिवार अंतिम संस्कार नहीं कर सके।
न तो धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं और न ही अपने दावे को पूरा करने के लिए आवश्यक नौकरशाही औपचारिकताओं को पूरा कर सकते हैं।

विभागीय निधियों, अपने बैंक खातों को संचालित करने के अधिकार और यहां तक कि धन हस्तांतरण पूरा करने के अधिकार
संपत्ति के संबंध में। प्रेस विज्ञप्ति में उच्च न्यायालय से हस्तक्षेप करने और आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया गया।
परिवारों को आवश्यक जानकारी और मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस को व्यापक प्रचार मिला। पंजाब और अन्य समाचार पत्रों में भी इसकी चर्चा हुई।
कुछ राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों ने असाधारण खुलासों को प्रमुखता से प्रकाशित किया।
16 जनवरी 1995 को रिलीज हुई।

वरिष्ठ अधिकारियों ने जसवंत सिंह खालरा को धमकी दी
18 जनवरी 1995 को, डीजीपी के. पी. एस. गिल ने अमृतसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया।
गिल ने अकाली दल के मानवाधिकार विंग द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया।
उन्होंने मीडिया को बताया।
लोगों का कहना है कि "हजारों सिख युवक फर्जी बहाने बनाकर विदेश चले गए थे उन नामों और दस्तावेजों में दावा किया गया था कि ये लापता व्यक्ति हैं जिन्हें सुरक्षा बलों ने मार डाला था।
मुठभेड़ों में। गिल ने कहा कि पुलिस ने "लापता व्यक्तियों" की सूचियां तैयार की हैं।
और उन्होंने पाया कि अधिकांश मामलों में, ये व्यक्ति "साथ में लापता" थे।
उनके माता-पिता और रिश्तेदारों की जानकारी उनके परिवार को थी।
ये झूठ हैं। गिल के अनुसार, इनमें से कुछ लोग "एक देश से दूसरे देश में जा रहे थे।"
दूसरे लोग अपना नाम और पता बदलकर ऐसा करते हैं।
गिल ने पत्रकारों को यह भी बताया कि उन्हें इस बात की जानकारी है कि "इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस-
उन्होंने कहा, "पाकिस्तान की एजेंसी (आईएसआई) पंजाब में उग्रवाद को पुनर्जीवित करने की पूरी कोशिश कर रही थी।"
कुछ सिख संगठनों को विदेशी स्रोतों से धन प्राप्त हो रहा था, इसका मतलब यह था कि
उग्रवादी परिवारों को "पेंशन" के रूप में वितरित किया जाना था। उन्होंने दावा किया कि ये संगठन-
संगठन "धन का एक बड़ा हिस्सा" अपने पास रख रहे थे।127
जसवंत सिंह ने तुरंत चुनौती स्वीकार की और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। डीजीपी के दावों का खंडन करने के लिए उन्होंने 19 जनवरी को ही अमृतसर में एक सभा आयोजित की। उन्होंने इन दावों को खारिज कर दिया।
यह दावा कि लापता व्यक्ति वास्तव में विदेशी देशों में भाग गए थे, झूठ है। और, अपनी खोजों को दोहराते हुए, उन्होंने यह साबित करने के लिए "सबूत पेश करने" की पेशकश की कि

127 द ट्रिब्यून, 19 जनवरी 1995, लापता व्यक्ति मारे नहीं गए: गिल
56 राख में तब्दील

पुलिस द्वारा "अज्ञात और लावारिस" बताकर जिन व्यक्तियों का अंतिम संस्कार किया गया था, वे वास्तव में
राज्य की हिरासत में मारे गए, अधिकतर "फर्जी मुठभेड़ों" में। जसवंत सिंह ने भी चुनौती दी-
गिल को इस मुद्दे पर खुली बहस के लिए प्रतिबद्ध किया गया ताकि पंजाब के लोग और
अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समुदाय यह पता लगा सकता था कि कौन झूठ बोल रहा था। उन्होंने यह भी कहा।
इस दावे को दोहराया गया कि "2,000 से अधिक लोगों की हत्या कर दी गई और फिर उन्हें जला दिया गया।"
अमृतसर जिले में अकेले पंजाब पुलिस। जसवंत सिंह ने प्रेस को बताया कि वह इन व्यक्तियों से संबंधित डेटा को क्रमबद्ध तरीके से जारी करने की योजना बनाई गई थी। जसवंत
सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस को व्यापक प्रचार मिला, खासकर पंजाबी अखबारों में।
व्यक्ति 128
जसवंत सिंह और के.पी.एस. के बीच इस महत्वपूर्ण सार्वजनिक बहस के तुरंत बाद...
रोपड़ जिले के तत्कालीन एसएसपी अजीत सिंह संधू गिल का तबादला वापस तरन कर दिया गया।
तारन, जहां उन्हें संघर्ष के सबसे उग्र दौर के दौरान तैनात किया गया था। अलगाववादी उग्रवादियों और पंजाब पुलिस बल के बीच। साथ ही, जसवंत सिंह परमजीत कौर को अपने घर पर धमकी भरे फोन आने लगे।
याद करते हुए बताते हैं कि रात में अक्सर फोन की घंटी बजती थी और जब जसवंत सिंह फोन उठाते थे, तब फोन उठता था।
उन्हें गुमनाम, गाली-गलौज करने वाले फोन करने वालों ने धमकी दी कि अगर उसने ऐसा किया तो वे उसे "गायब" कर देंगे।
गुपचुप तरीके से शवदाह करने की घटनाओं के मामले में लगातार हस्तक्षेप किया गया।
परमजीत कौर ने फोन उठाया, फोन करने वालों ने या तो फोन रख दिया या फिर बस उन्होंने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। इन कॉलों की आवृत्ति न केवल डरावनी थी, बल्कि इससे उसकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ गई थी।
परिवार के सभी सदस्यों की नींद। जसवंत सिंह ने टेली-
फोन का कनेक्शन कट गया। लेकिन उनका बहुत सारा काम टेलीफोन पर निर्भर था, इसलिए उन्होंने फोन काट दिया।
उन्होंने इसके खिलाफ फैसला सुनाया। सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी घर के आसपास मंडराने लगे और
कभी-कभी वह जसवंत सिंह के यात्रा कार्यक्रम के बारे में पूछने के लिए घर आता था। उसे इसकी आदत थी।
ऐसी असुविधाओं को उन्होंने हँसकर टालने की कोशिश की और पुलिस की बढ़ती दिलचस्पी को भी हल्के में ले लिया।
खुफिया अधिकारी उसे अपने कब्जे में ले रहे थे।
फरवरी 1995 में जब कांग्रेस के एक सदस्य ने जसवंत को नाराज कर दिया, तब ऐसा प्रतीत हुआ कि...
पट्टी निर्वाचन क्षेत्र के विधायक ने उन्हें अपने घर आमंत्रित किया।

एसएसपी के कृत्यों की भयावहता और जघन्यता की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया गया है।
अदालत के समक्ष पहले से लंबित मामलों में अपराधों के लिए उसे अनुमति देने के बजाय, उसे
गवाहों को धमकाकर या रिश्वत देकर चुप करा देना।
एक बार फिर, स्थानीय प्रेस ने प्रेस सम्मेलन को व्यापक कवरेज दिया।
पंजाबी ट्रिब्यून ने जसवंत द्वारा दिए गए बयान का लगभग पूरा पाठ प्रकाशित किया।
सिंह ने जारी किया था। 129
मार्च 1995 में, जसवंत अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड की यात्रा पर गए। अपने निष्कर्षों को सार्वजनिक करने और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से मिलने के लिए।
सांसदों, कांग्रेसियों और सार्वजनिक जीवन के अन्य प्रमुख व्यक्तियों से अनुरोध करें कि वे
भारतीय सरकार पर गंभीर जांच शुरू करने के लिए दबाव डालें
पंजाब पुलिस द्वारा किए गए अवैध दाह संस्कारों का मामला। जुलाई 1995 में, जसवंत
सिंह अवैध गतिविधियों के मामले पर अनुवर्ती बैठकों के लिए इन देशों में वापस गए।
दाह संस्कार। कनाडा में, उन्होंने मंत्रियों सहित कई महत्वपूर्ण राजनेताओं से मुलाकात की।
और उन्होंने संसद भवन में एक सभा को भी संबोधित किया।130 कोलीन ब्यूमियर, एक
लिबरल पार्टी से संबंधित सांसद ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें स्पीकर से मिलवाया।
उन्होंने सांसदों के एक बड़े समूह को संबोधित करने से पहले कनाडाई संसद में भाषण दिया।
पश्चिमी ब्लॉक के समिति कक्ष 209 में अन्य लोग। 131 ये अनुवर्ती बैठकें इससे पंजाब पुलिस और उसके कामकाज के तरीकों को लेकर काफी प्रचार हुआ। tioning.

कटु सार्वजनिक बहसें
जसवंत सिंह 26 जुलाई 1995 को पंजाब वापस लौटे और तुरंत ही उन्होंने अभियान शुरू किया।
अवैध दाह संस्कार और आतंकवाद के मुद्दों पर एक आक्रामक प्रेस अभियान टार्न टार्न पुलिस अधिकारियों द्वारा पीड़ित परिवारों को अपना बयान वापस लेने के लिए मजबूर करने की रणनीति
उन्होंने उनके मार्गदर्शन में न्याय पाने के लिए उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की थीं।
और उपचार। उन्होंने 28 जुलाई को अमृतसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसे काफी सराहना मिली।
स्थानीय प्रेस में अच्छी कवरेज मिली। पंजाबी दैनिक समाचार पत्र अजीत ने इसे प्रकाशित किया।
"युवाओं से संबंधित मामले" शीर्षक के तहत एक प्रमुख मुखपृष्ठ समाचार प्रकाशित हुआ।

पुलिस द्वारा लापता: याचिकाएं वापस लेने के लिए पुलिस क्या करती है? उच्च न्यायालय?”132
रिपोर्ट में बलविंदर सिंह के मामले पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जो पुलिस स्टेशन के हेड कांस्टेबल थे।
तरन तारन पुलिस और कांग्रेस के एक प्रमुख नेता भगवंत सिंह के भतीजे
झबल, जिनके बहनोई, जो झबल ग्राम परिषद के सदस्य थे,
उन्हें 8 मार्च 1993 को उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। बाद में, कथित तौर पर उन्हें यातनाएं दी गईं।
गांव के बीचोंबीच पुलिस द्वारा उन लोगों के साथ की जाने वाली कार्रवाई का सार्वजनिक प्रदर्शन किया गया।

129 पंजाबी ट्रिब्यून, 28 फरवरी 1995।
130 इम्प्रिंट: कैम्पस पेज, 4 अक्टूबर 1996, “खालरा को याद किया गया” – http://www.imprint.uwaterloo.ca/issues/100496/1News/Campus_Page/campus01.html
131 http://www.part.gc.ca/english/hansard/previous/180_95-03-30/180SMIE.html
132 अजीत, जालंधर, 29 जुलाई 1995, लापता घोषित युवकों से संबंधित मामला 58 राख में तब्दील

जो उग्रवादी विचारधारा के प्रति सहानुभूति रखते थे। हेड कांस्टेबल बलविंदर के अनुसार
सम्मेलन में उपस्थित सिंह, झाबल के पुलिस अधिकारियों की टीम के सदस्य थे। एसएचओ बलबीर सिंह और सहायक सब-इंस्पेक्टर बिक्रमजीत सिंह के नेतृत्व में पुलिस स्टेशन।
जब उसका बहनोई पिटाई से बेहोश हो गया तो वह उसे जीप में बिठाकर ले गया। और उसके बारे में फिर कभी कुछ पता नहीं चला। रिपोर्ट में आगे बताया गया कि नवंबर में
1994 में, बलविंदर सिंह के ससुर अवतार सिंह ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की।
पंजाब और हरियाणा की अदालतों ने निष्पक्ष जांच की मांग की। उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया-
याचिका, जिसे रिट संख्या 853/94 के रूप में चिह्नित किया गया है, पर सुनवाई करते हुए पंजाब राज्य को नोटिस जारी किया गया।
अधिकारियों। एसएसपी अजीत सिंह संधू ने बलविंदर सिंह को बुलाया और उन्हें निर्देश दिया कि वे
या तो वह अपने ससुर से याचिका वापस ले ले या गंभीर परिणामों का सामना करे। जब बलविंदर ने अपने ससुर को पैसे वापस लेने के लिए राजी करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की,
याचिका मिलने पर एसएसपी ने तुरंत उनका पदावनति कर दिया और उन्हें एक छोटे से कार्यालय में ड्यूटी पर लगा दिया।
वाल्टोहा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पुलिस चौकी। बलविंदर ने तब छुट्टी के लिए आवेदन किया ताकि वह
वह अपने परिवार से इस स्थिति पर चर्चा कर सकता था, लेकिन उसका आवेदन खारिज कर दिया गया।

वरिष्ठ अधिकारियों ने उसे बताया कि यदि उसने एसएसपी के निर्देशों का पालन नहीं किया तो उसे...
उन्हें पुलिस विभाग से बर्खास्तगी सहित गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा।
बलविंदर सिंह इन दैनिक धमकियों के दबाव को सहन नहीं कर सका और अंततः गिर पड़ा।
बीमार। अंततः, उन्हें छुट्टी पर जाने की अनुमति दी गई और फिर जुलाई में, उन्हें अनुमति दी गई।
जल्दी सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन करें। अधिकारियों के एक समूह ने उनके घर पर कई बार दौरा किया।
उसकी अनुपस्थिति के दौरान उसने अपनी पत्नी को गंभीर परिणामों की धमकी दी, जब तक कि वह उसे मना न ले।
उसके पिता से याचिका वापस लेने का अनुरोध किया गया।
अखबार की रिपोर्ट में पुलिस अत्याचारों के कई ऐसे उदाहरणों पर चर्चा की गई थी, जिनमें शामिल हैं-
उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने वाले व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार और यौन शोषण के मामलों में न्याय की मांग की गई थी।
एसएसपी अजीत सिंह संधू के खिलाफ जांच और कार्रवाई की जा रही है।
प्रेस रिपोर्ट में विशेष रूप से जसवंत सिंह की इस मांग पर प्रकाश डाला गया कि एसएसपी संधू
उसे टार्न तारन से स्थानांतरित कर देना चाहिए ताकि वह हस्तक्षेप न कर सके। न्यायिक प्रक्रिया को इतनी बेशर्मी से। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खुलासा किया कि पुलिस
जैन सभा के श्मशान घाट में गुपचुप तरीके से 1,135 शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया था।
उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए पूरे पंजाब में 25,000 अवैध दाह संस्कारों का आंकड़ा सुझाया।133
5 अगस्त 1995 को, कई पंजाबी समाचार पत्रों में एक लंबा लेख प्रमुखता से प्रकाशित हुआ।
यह बयान "तरन तारन पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों" द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया है। संयुक्त बयान
दावा किया कि हेड कांस्टेबल बलविंदर सिंह, जो 1974 में सेवा में शामिल हुए थे,
उसे पहले भी कर्तव्य में लापरवाही के लिए दंडित किया जा चुका था और वह अपने पिता के राजनीतिक संपर्कों का उपयोग करके लाभप्रद और आसान पद प्राप्त करना। यह बयान
उन्होंने दावा किया कि समय से पहले सेवानिवृत्ति के लिए उनका आवेदन स्वीकार कर लिया गया था और उनका
उत्पीड़न के आरोप गलत थे। बयान में आगे कहा गया कि बलविंदर
सिंह ने अपनी सेवा के दौरान अपने लापता बहनोई के मामले की सूचना कभी नहीं दी थी।
उनके वरिष्ठ अधिकारियों और उनके द्वारा बाद में की गई जांच के परिणामस्वरूप
अखबारों में प्रकाशित आरोपों से पता चला कि वह मानसिक रूप से बीमार था और अक्सर

लंबे समय तक घर से दूर रहा।
संयुक्त बयान में पुलिस द्वारा धमकाने के अन्य सभी आरोपों का भी खंडन किया गया।
परिवारों के बारे में आगे दावा किया कि जसवंत सिंह खालरा, "जो लंबे समय से पुलिस के खिलाफ अभियान चला रहा था और नक्सलवादियों से औपचारिक रूप से जुड़ा हुआ था।
आंदोलन" और "खालिस्तान कॉम नामक एक उग्रवादी समूह के साथ संबंध बनाए रखा-

133 वही।
जसवंत सिंह खालरा: मानवाधिकारों के लिए शहीद 59

परमजीत सिंह पंजवार के नेतृत्व में मांडो फोर्स (केसीएफ)”। राज्य-
आरोप लगाया गया कि जसवंत सिंह भारत की विदेश मंत्रालय के निर्देशों पर काम कर रहे थे।
"पंजाब के शांतिपूर्ण माहौल को अस्थिर करने" और "मनोबल गिराने" के लिए "शत्रुओं" का इस्तेमाल किया गया।
बयान में दावा किया गया कि वह पुलिस बल से आ रहे पैसे को हड़प रहा था।
विदेश और इन एजेंसियों के बारे में। पुलिस द्वारा अपहरण किए जाने के आरोप का खंडन करते हुए।
बयान में दावा किया गया कि हजारों लापता व्यक्तियों में से "उन युवाओं" का पता नहीं चल पाया।
पंजवार के केसीएफ समूह से जुड़े लड़के सीमा पार भाग गए थे और
वहाँ रहना”।134
जसवंत सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के बीच सार्वजनिक तौर पर हुई ये तीखी बहसें
जुलाई और अगस्त 1995 में टार्न तारन के अधिकारियों ने संकेत दिया था कि संघर्ष होने वाला है।
बात हद से बढ़ गई। जसवंत ने संयम बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसकी
हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। उनकी विदेश यात्राओं से आय में कमी आ रही थी।
अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से लगातार पूछताछ बढ़ रही है, और कई संयुक्त राज्य अमेरिका के कांग्रेसी सदस्यों और कनाडा और ब्रिटेन के सांसदों ने शुरू कर दिया था कि
पंजाब में सामूहिक शवदाह के आरोपों की जांच के लिए अपनी सरकारों पर दबाव डालें।
और भारत के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों पर विचार करना। आंतरिक दबाव से घिरे होने का एहसास करते हुए...
राष्ट्रीय पूछताछ के मद्देनजर, केंद्र सरकार ने राज्य अधिकारियों पर दबाव डालना शुरू कर दिया था।
स्थिति को संभालना और नुकसान को कम करने के उपाय करना।
अगस्त के दूसरे सप्ताह में, खुफिया ब्यूरो (आईबी) के कुछ अधिकारियों ने उन्होंने जसवंत सिंह से मुलाकात की और उनकी विदेश यात्राओं के बारे में उनसे पूछताछ की। वे यह जानना चाहते थे कि

उन व्यक्तियों के नाम जानते हैं जिन्होंने उनकी मेजबानी की थी और उनसे बातचीत की थी।
अगस्त के आखिरी दो हफ्तों में इन मामलों पर आगे की जानकारी लेने के लिए मैंने उनसे कई बार मुलाकात की।
पूछताछ। जसवंत सिंह, जो आमतौर पर धमकियों से अप्रभावित रहते थे, अब घबराने लगे थे।
पुलिस द्वारा खुलेआम दी जा रही धमकियों और इशारों के इस संयोजन से घबरा जाना स्वाभाविक है।
खुफिया अधिकारियों, सूचना सूचना विभाग के अधिकारियों के दौरे और उनकी गतिविधियों पर प्रत्यक्ष निगरानी।
उन्होंने मानवाधिकार शाखा में अपने मित्रों और सहयोगियों से परामर्श करने का निर्णय लिया और साथ ही
मैंने एसजीपीसी के अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता गुरचरण सिंह तोहरा से बात की। अकाली दल ने एसएसपी अजीत सिंह संधू से मिल रही धमकियों के बारे में बताया। 135
जसवंत ने जसपाल सिंह ढिल्लों और अमरिक के साथ भी इन आशंकाओं पर चर्चा की। मानवाधिकार शाखा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सिंह मुक्तसर, 136 पूर्व
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अजीत सिंह बैंस 137 और चंडीगढ़ में कम से कम तीन वकील:
राजविंदर सिंह बैंस, नवकिरण सिंह और रंजन लखनपाल.138 उनके सभी दोस्त
और उनके हमदर्दों ने उन्हें शवदान की मांग के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की पुरजोर सलाह दी।
सुरक्षाकर्मियों को हटाकर कुछ समय के लिए अमृतसर छोड़ने के लिए कहा गया। जसवंत सिंह ने जवाब देते हुए कहा...
कि अंगरक्षकों के लिए आवेदन करना उनके सिद्धांतों के विरुद्ध होगा और वे ऐसा सोचेंगे
फरवरी 1995 में हुई गुमशुदगी की घटना पर अपना शोध पूरा करने के बाद अमृतसर छोड़ने के बारे में...
134 अकाली पत्रिका, 5 अगस्त 1995, वरिष्ठ तरन तारन पुलिस अधिकारियों ने आरोपों का खंडन किया
135 14 March 1996 statement of Gurcharan Singh Tohra, president Shiromani Gurdwara Prabandhak
दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 161 के तहत सीबीआई को सौंपी गई समिति, मामला संख्या आरसी 14(एस)/95/डीएलआई। सीबीआई/एससीबी-आई के निरीक्षक वीरेंद्र सिंह द्वारा दर्ज किया गया।
136 07 अप्रैल 1996 श्री विजय सिंह के पुत्र जसपाल सिंह ढिल्लों और अमरीक सिंह मुक्तसर के बयान,
बहल सिंह के पुत्र, के.सी. जोशी, सीबीआई/एससीबी/नई दिल्ली को सीआर.पी.सी. की धारा 161 के तहत मामला संख्या आरसी-14/एस/95/डीएलआई।
137 10 सितंबर 1996 न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) ए. एस. बैंस, पुत्र गुरबक्स सिंह का बयान, के. सी. द्वारा रिकॉर्ड किया गया।
जोशी, सीबीआई/एससीबी/नई दिल्ली, सीआर.पी.सी. की धारा 161 के तहत, केस संख्या आरसी-14(एस)/95-डीएलआई में।
138 नवकिरण सिंह पुत्र एस. गुरमुख सिंह का शपथ पत्र, दिनांक 7 अक्टूबर 1995; रंजन का शपथ पत्र

लखनपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 1995; राजविंदर सिंह बैंस का हलफनामा, दिनांक 6 अक्टूबर 1995, परमजीत कौर बनाम पंजाब राज्य के मामले में, डब्लू.पी. (सीआरएल.) संख्या 497 ऑफ 1995। 60 राख में तब्दील

कश्मीर सिंह और मोहिंदर कौर के पुत्र राजविंदर सिंह की उपस्थिति। राजविंदर
पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड के कर्मचारी सिंह, परमजीत के भाई थे।
सिंह पम्मा, केसीएफ से जुड़ा एक वांछित उग्रवादी था। वह लापता हो गया था। फरवरी 1995 में दिल्ली में सीबीआई अधिकारियों से मुलाकात करके उनकी जांच में सहायता करना।
आपराधिक रिट याचिका संख्या 290/1994 में उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रवेश
उनकी मां का लापता होना।

मुख्यमंत्री की हत्या
31 अगस्त 1995 को पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह और उनके 17 सदस्यों ने उनकी कार के बाहर एक शक्तिशाली बम विस्फोट में सुरक्षाकर्मी मारे गए।
चंडीगढ़ में सचिवालय भवन में उनका कार्यालय। बब्बर खालसा इंटरनेशनल।
एक भूमिगत उग्रवादी संगठन जो एक अंतर्देशीय संगठन स्थापित करने के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है।
स्वतंत्र सिख राज्य ने एक प्रमुख की सनसनीखेज हत्या की जिम्मेदारी ली।
एक मंत्री जिसने एक निर्मम आतंकवाद-विरोधी अभियान का नेतृत्व किया था और अधिकतम लाभ का आनंद लिया था।
देश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरचरण सिंह बराड़ ने यह बात कही।
और बेअंत सिंह के मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री रहे व्यक्ति ने उनके उत्तराधिकारी के रूप में शपथ ली।
सुरक्षा बलों ने हत्यारों और अन्य लोगों को पकड़ने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया।
आतंकवादी साजिश में संलिप्त होने का संदेह है।
जसवंत सिंह को पूर्वाभास हो गया था कि पुलिस के भीतर ही उसके दुश्मन स्थापित हो जाएंगे-
वह इस स्थिति का फायदा उठाकर बदला लेना चाहता था। उसने अपने डर का खुलासा किया।
उनकी पत्नी ने उन्हें अमृतसर छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाने की सलाह दी। दोनों
उन्होंने सुझाव पर विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनका शहर छोड़कर चले जाना और
अधिकारियों के लिए अनुपलब्ध होने से वह हत्या के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकता है।
अनुचित अभियोजन और अवैध उत्पीड़न। ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि मुख्यमंत्री का
यह हत्या एक साजिश का नतीजा थी जिसकी जड़ें राजनीतिक आक्रोश में थीं।

पंजाब में पुलिस द्वारा गुपचुप तरीके से शवों का अंतिम संस्कार किया गया। जसवंत सिंह गंभीर मुद्रा में थे।
और जवाब दिया: "क्या इससे वाकई कोई फर्क पड़ता है कि मेरी मौत बिस्तर पर हो, किसी दुर्घटना में हो या किसी और तरह से।"
“मेरे उद्देश्य का शहीद?” करतार सिंह के पास कोई जवाब नहीं था। जसवंत सिंह लौट गया।
अमृतसर में 4 सितंबर की दोपहर।

भाग तीन: खालरा का अपहरण और
सीबीआई की जांच

जैसा कि पहले बताया गया है, जसवंत सिंह खालरा का अपहरण सशस्त्र कमांडो द्वारा किया गया था।
पंजाब पुलिस ने 6 सितंबर 1995 की सुबह लगभग 9:20 बजे, जब वह
जसवंत सिंह अमृतसर के कबीर पार्क स्थित अपने घर के बाहर अपनी कार धो रहे थे।
उस सुबह बाद में इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार मंदीप सिंह के आने की उम्मीद थी और
मैं उनके साथ टार्न तारन जाना चाहता था ताकि कुछ साक्षात्कार ले सकूँ।
गुमशुदा लोगों के कारण गुप्त रूप से शवों का अंतिम संस्कार किया जाना।
राजीव सिंह रंधावा, एक पत्रकार।
अजीत, जो घर में मौजूद था, अपहरण का गवाह था और उसने पहचान लिया था, से यह जानकारी मिली।
डीएसपी अशोक कुमार, सरहाली थाने के एसएचओ सुरिंदरपाल सिंह और पृथीपाल अपहरणकर्ताओं में मनोचाहल पुलिस स्टेशन का हेड कांस्टेबल सिंह भी शामिल है। जसवंत
सिंह के पड़ोसी हरिंदर पाल सिंह सिद्धू, जो घटना से ठीक पहले अपना घर छोड़कर चले गए थे।
अपहरण के दौरान, मैंने सादे कपड़ों में सशस्त्र कमांडो को नीली वैन में सवार देखा था।
और अन्य अधिकारी पुलिस की वर्दी में एक सरकारी जीप में सवार थे। उनकी पत्नी सुख राज कौर भी मौजूद थीं।
दरअसल अपहरण की घटना उनकी प्रत्यक्षदर्शी थी, लेकिन उन्होंने अपराधी को पहचानने में असमर्थता व्यक्त की।
टॉर्स.139
पियारा सिंह, भारतीय सेना के एक सेवानिवृत्त जूनियर कमीशंड ऑफिसर (जेसीओ) हैं।
अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल के सोहल गांव के रहने वाले, जिनके पास एक बाद में सीबीआई की जांच में पता चला कि नीले रंग की वैन को उसका बेटा निजी टैक्सी के रूप में चला रहा था।
अधिकारी ने बताया कि उसे गुप्तचर कार्रवाई के लिए अपनी वैन को झबाल पुलिस स्टेशन भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा।
महीने में कम से कम दो बार गतिविधियाँ। उनके अनुसार, सभी टैक्सी ऑपरेटर एक जैसे थे-

समझदार लोगों को अपने वाहन पुलिस स्टेशन भेजने और चाबियां वहीं छोड़ने की आवश्यकता होती है।
बाहर ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल। पियारा सिंह को याद आया कि उनकी वैन को अधिग्रहित कर लिया गया था।
सितंबर के पहले सप्ताह में झबल पुलिस स्टेशन।140

139 Statement of Harinder Pal Singh Siddhu, son of Gurdeet Singh, and his wife Sukh Raj Kaur recorded
डीएसपी के.एस. जोशी द्वारा सीबीआई की धारा 161 के तहत 22 फरवरी 1996 को सीआर.सी. 14(एस)95 डी.एल.आई.
140 पियारा सिंह, पुत्र मंगल सिंह, निवासी सोहल ग्राम, तरन तारन, का बयान, निम्नलिखित के अंतर्गत दर्ज किया गया।
पी.एल. मीना, डीएसपी सीबीआई द्वारा मामले आरसी/14(एस)95/डीएलआई में सीआर.पी.सी. की धारा 161।
62 राख में तब्दील

पुलिस अधिकारियों की पहचान
24 अक्टूबर 1995 को, अपहरण के 48 दिन बाद, जसवंत सिंह लापता पाए गए। हरबंस सिंह के बेटे किक्कर सिंह और एक अन्य व्यक्ति ने गैली को कांग पुलिस स्टेशन में हिरासत में लिया।
पट्टी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जौरा गांव का निवासी जिसे अलग से हिरासत में लिया गया था
आपराधिक जांच से संबंध। किक्कर सिंह ने जसवंत पर लगी चोटें देखीं।
सिंह के शव के पास जाकर उन्हें ले जाने से पहले कुछ खाना खिलाया। किक्कर सिंह को 14 अक्टूबर से 11 नवंबर 1995 तक अवैध रूप से हिरासत में रखा जाना स्वतंत्र था।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की गई जांच से इसकी पुष्टि हुई है। चंडीगढ़ में उच्च न्यायालय के आदेश पर।141
अगले चार दिनों तक जसवंत सिंह को एक विशेष रूप से सुरक्षित कमरे में रखा गया।
झब्बल पुलिस स्टेशन में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा पूछताछ के दौरान नियमित रूप से प्रताड़ित किया जाता था।
एसएसपी अजीत सिंह संधू सहित। एक विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) कुलदीप सिंह, एसपीओ नंबर 606/टीटी, उसकी हिरासत का प्रभारी था और उसे सख्त निर्देश दिए गए थे कि वह ऐसा न करे।
अपने साथी पुलिसकर्मियों समेत किसी को भी उसके बारे में कुछ भी बताने से मना कर दिया। एक शाम,
एसएचओ सतनाम सिंह जसवंत सिंह को एक निजी मारुति कार में एसएसपी अजीत सिंह के पास ले गए।
Sandhu’s house in Manavala village near Amritsar. SPO Kuldip Singh, SHO Satnam
सिंह का अंगरक्षक भी उनके साथ एसएसपी के घर गया। जल्द ही, डीजीपी के.पी.एस. गिल एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने जसवंत सिंह से पूछताछ की।

कुछ समय के लिए। जसवंत को एसएचओ सतनाम द्वारा वापस झबल पुलिस स्टेशन ले जाया गया।
सिंह, एसपीओ कुलदीप सिंह के साथ उसी कार में थे। रास्ते में एसएचओ सतनाम सिंह ने जसवंत से कहा कि अगर वह नियमों का पालन करता तो वह इन सभी परेशानियों से बच सकता था।
के. पी. एस. गिल की सलाह का पालन करते हुए।
28 अक्टूबर 1995 को शाम करीब 7 बजे, डीएसपी जसपाल सिंह और उनके साथी बॉडीगार्ड अरविंदर पाल सिंह, सरहाली पुलिस स्टेशन के एसएचओ सुरिंदर पाल सिंह,
मनोचाहल पुलिस स्टेशन के एसएचओ जसबीर सिंह और उनके अंगरक्षक प्रीतपाल सिंह
झबल पुलिस स्टेशन आकर जसवंत से एक बार फिर पूछताछ की गई। जसवंत को
पूछताछ के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके शव को एक अज्ञात वाहन में ले जाया गया।
एक निजी वैन को रात करीब 10 बजे हरिके नहर में फेंक दिया गया। सभी अधिकारियों ने...
इसके बाद अधिकारी हरिके स्थित सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में मिले, जहां एसएसपी अजीत
सिंह संधू भी उनके साथ खाने-पीने के लंबे सत्र में शामिल हो गए।142
एसपीओ कुलदीप सिंह की भर्ती फरवरी 1994 में पुलिस बल में हुई थी।
सूचना देकर उसने कश्मीर के कुछ महत्वपूर्ण आतंकवादियों को गिरफ्तार करवाया था।
उन्होंने रोपड़ के एसएचओ सतनाम सिंह को अपने छिपने के स्थानों और हथियारों के जखीरे के बारे में जानकारी दी।
सदर पुलिस स्टेशन। तलाशी और गिरफ्तारी अभियान का नेतृत्व डीजीपी के.पी.एस. ने किया।
गिल, एसएसपी अजीत सिंह संधू, जो उस समय रोपड़ जिले के एसएसपी थे, और अन्य वरिष्ठ अधिकारी।
कुलदीप सिंह को उनकी सेवा के लिए पुरस्कृत किया गया और उन्हें एसपीओ के रूप में बल में भर्ती किया गया।
एक साल बाद, जसवंत सिंह के बाद संधू का तबादला वापस तरन तारन कर दिया गया। उन्होंने के.पी.एस. गिल को पुलिस अपहरण के मामले पर खुली बहस के लिए चुनौती दी।
गुप्त दाह संस्कारों के लिए। एसएचओ सतनाम सिंह, एसएसपी अजीत सिंह संधू के पुराने विश्वासपात्र,
141 किक्कर सिंह, पुत्र हरबंस सिंह, निवासी ग्राम जौरा, पट्टी पुलिस स्टेशन का बयान, दर्ज किया गया
सीबीआई के इंस्पेक्टर जगजीत सिंह और इंस्पेक्टर पी. एल. मीना को सीआरपीसी की धारा 161 के तहत 21 मार्च 1996 और 29 मई 1996 को आरसी 14(एस)95/एस.सी.बी. डीएलआई मामले में गिरफ्तार किया गया था।
142 द इंडियन एक्सप्रेस, 5 मई 1998, सतिंदर बैंस, “मैंने दो गोलियों की आवाज सुनी और मैं वापस भागा: खालरा ने
सांस रुक गई।”; कुलदीप सिंह, पुत्र हरबंस सिंह, एसपीओ संख्या 606/टीटी आईडी कार्ड संख्या 58, निवासी ग्राम बचरा, डाकघर पंडोरी गोला, तरन तारन, का

बयान डीएसपी, सीबीआई द्वारा केस आरसी 14(एस)95/एस.सी.बी.डीएलआई में 2 मार्च 1998 और 20 जून 1999 को दर्ज किया गया।
जसवंत सिंह खालरा: मानवाधिकारों के लिए शहीद 63

उनका तबादला भी वापस उसी क्षेत्र में कर दिया गया जहां झबल पुलिस स्टेशन के एसएचओ का पदभार था।
एसपीओ कुलदीप सिंह उनके अंगरक्षक के रूप में उनके पीछे-पीछे चल रहे थे।
एसपीओ कुलदीप सिंह ने जो कुछ हुआ था उसके बारे में बोलने की हिम्मत नहीं की।
जसवंत सिंह की मृत्यु तब हुई जब एसएसपी अजीत सिंह संधू जीवित थे।
24 मई 1997 को, कई राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों ने प्रमुखता से यह खबर प्रकाशित की कि
एसएसपी अजीत सिंह संधू ने चलती गाड़ी के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। ट्रेन। न्यायिक जांच में स्थापित आरोपों के आधार पर संधू को कुछ महीनों के लिए जेल में डाल दिया गया था।
कुलजीत के अवैध अपहरण, यातना और हिरासत में मौत से संबंधित विशेष जांच पड़ताल
सिंह धत, जो भगत सिंह के रिश्तेदार थे, जो पूर्व-युग के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे।
स्वतंत्रता युग। उनकी कथित आत्महत्या की परिस्थितियाँ संदिग्ध थीं। उसने शराब पी रखी थी, अपनी कार से रेलवे ट्रैक तक गया था, और एक छोटी सी उसने जो संदेश छोड़ा उसमें लिखा था, "इस शर्मिंदगी में जीने से बेहतर है मर जाना।"
संधू, के.पी.एस. गिल के क्रूर युद्ध में उनका एक विश्वसनीय सहयोगी था।
राज्य में सिख अलगाववादी उग्रवाद। इन सभी गैर-न्यायिक कृत्यों के आरोपी। फाँसी और जल्दबाजी में किए गए दाह संस्कार के बीच, संधू के पास स्थापित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था।
वह कमान क्रम जिसके तहत उसने जिले में फाँसी की सजाएँ दी थीं।
एक वरिष्ठ सूचना एवं संचार अधिकारी, मलोय कृष्ण धर, जो गुप्त रूप से यात्रा कर रहे थे
1980 से शुरू होकर 12 वर्षों तक तरन तारन पुलिस जिले में सेवा देने वाले एक व्यक्ति ने निम्नलिखित लिखा:
संधू को श्रद्धांजलि देते हुए शब्द: “अपने काम में, मैं हमेशा गुप्त रूप से यात्रा करता था, आमतौर पर एक
मीडियाकर्मी। मेरे पेशे ने मुझे राज्य के मामलों से दूर रहने के लिए मजबूर किया था।
मैंने मशीनरी की जांच की और उग्रवादी नेताओं से संबंध स्थापित किए। मैं हत्या में शामिल नहीं था।
मशीन। अजीत सिंह संधू और उनके सहयोगी, जिनमें से कुछ विश्वविद्यालय में मिशनरी थे-
उन्होंने अग्रिम पंक्ति के सैनिकों के रूप में अपने सौंपे गए कार्यों को स्वीकार कर लिया। उन्हें गोली चलाने का आदेश दिया गया था।
पहले सवाल पूछो, बाद में। चंडीगढ़ में उनके बॉस ने उन्हें आश्वासन दिया था।

दिल्ली को भरोसा दिलाया गया कि उनका ख्याल रखा जाएगा। इस अपवित्र युद्ध को जीतना ही था... हमारी राजनीति-
अपने साम्राज्यवादी आकाओं की तरह, स्थानीय नेता भी पुलिस और प्रशासन का इस्तेमाल करते रहे हैं।
देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के नाम पर जबरदस्ती करने के लिए दबाव डालना।
कोशिश करो... उनके साहसिक कारनामों ने देश में कई नरसंहार स्थल पैदा कर दिए हैं और
पड़ोस (भारतीय शांति सेना को याद रखें!)। पूर्वोत्तर,
नक्सलबाड़ी, बिहार के मैदानी इलाकों और आंध्र प्रदेश की तबाह भूमि इसकी गवाह है।
उनके कुकर्मों के लिए, वे हर जगह कानून से निपटने के लिए बलों की सेवाएं लेते हैं।
और उनकी दिवालियापन से उत्पन्न व्यवस्था संबंधी समस्याएं। कानून लागू किया जाता है और व्यवस्था बनी रहती है।
निर्दोषों की जान की कीमत पर बहाल किया गया… पुलिसकर्मियों को आतंकवादियों का सामना करना था
अपने पेशेवर कर्तव्यों के हिस्से के रूप में। उनकी प्रत्यक्ष और सामरिक मुठभेड़ें थीं।
यह पूरी तरह से उचित था। लेकिन इतिहास गवाह है कि सैकड़ों आतंकवादी मारे नहीं गए।
आमने-सामने की मुठभेड़ों में हजारों निर्दोष युवाओं को चुपचाप मार डाला गया।
‘जन नियंत्रण उपायों’ के तहत। संधू, जिसने अपने आदेशों का पालन किया था अपने से उच्च अधिकारियों और राजनीतिक आकाओं से ऊपर होने का दिखावा करते हुए, उसने टार्न तारन को सुरक्षित कर लिया और खुद को उनसे ऊपर समझा। कानून। उनके जैसे कई बहादुर और ईमानदार अधिकारियों ने स्वयं को समर्पित किया था और कानून बनाया था।
पंजाब भारी मानवीय कीमत पर सुरक्षित हुआ। विश्वासघाती राजनेताओं द्वारा किए गए बलिदानों के कारण...
वैज्ञानिकों को मानव रक्त की आवश्यकता थी… पुलिसकर्मियों को इसके नाम पर कानून तोड़ने के लिए कहा गया।
इसकी रक्षा करना। इस प्रक्रिया में, वे राजनेताओं के हितों की रक्षा करते हैं और खतरे में डालते हैं।
अपने और जनता के हितों की रक्षा करते हुए। हम अजीत सिंह संधू को सलाम करते हैं, जो देश के लिए शहीद हुए।
भ्रष्ट व्यवस्था पर विचार करें, लेकिन राष्ट्र से व्यापक अवधारणा पर गौर करने का आग्रह करें।
जवाबदेही, विशेषकर राजनीतिक वर्ग के लिए..." 143
143 द इंडियन एक्सप्रेस, 12 जुलाई 1997, मलोय कृष्ण धर, मजबूरी में, जनता के दुश्मन।
64 राख में तब्दील

मानवाधिकार समूहों के खिलाफ अभियान
उनकी कथित आत्महत्या की जांच होनी चाहिए थी। लेकिन के. पी. एस. गिल, अब

सेवानिवृत्त होने के बाद, उन्होंने "पूरी तरह से समझौतावादी" के खिलाफ अपना अभियान शुरू करने का अवसर लपक लिया।
उन्होंने 24 मई 1997 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई।
संधू की मौत के एक दिन बाद, "शोक व्यक्त करने के लिए नहीं", बल्कि व्यापक मुद्दे पर चर्चा करने के लिए यह बैठक हुई।
संधू की आत्महत्या से उत्पन्न राजनीतिक और नीतिगत मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की।
पूरे जोश, काव्यात्मक शैली और नाटकीयता के साथ। अखबारों ने इस बारे में लिखा है।
देश ने उनके उस बयान का पूरा पाठ प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने राष्ट्र की कृतघ्नता की निंदा की थी।
संधू जैसे "नायकों" के प्रति रवैया, जिन्होंने भारत को पतन के कगार से बचाया था...
एकीकरण। इसने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को अनुमति देने के लिए लोगों की निंदा की, "जो
वे किसी भी ऐसे उद्देश्य के लिए काम करेंगे जो उनके व्यक्तिगत हितों की पूर्ति करता हो, चाहे वह आपराधिक हो या राजनीतिक।
या अलगाववादी” भारतीय धरती पर फलने-फूलने के लिए। बयान में राज्य की आलोचना करते हुए कहा गया कि वह “शिक्षा-
खुद को इस बात पर केंद्रित करते हुए कि इसे नष्ट करने की कोशिश करने वाले व्यक्तियों और समूहों से कैसे निपटा जाए”, और आगे बढ़े
संसद से आग्रह किया जाए कि वह आवश्यक कानूनी संशोधन करे जिससे
पंजाब के अन्य साहसी अधिकारियों को उस तरह के अपमान से बचाना जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है-
इस घटना ने संधू को आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। बयान में कहा गया है कि खालिस्तान की नींव ने
संधू जैसे अधिकारियों की उपलब्धियों के कारण यह मामला अटक गया था, जिसने इसे रोक दिया था।
कश्मीर का वियोग और अंततः भारत का बाल्कनीकरण।144
गिल द्वारा शुरू किया गया यह अभियान एक धर्मयुद्ध में तब्दील हो गया। जिम्मेदार राजनीतिज्ञ-
स्थानीय नेताओं ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग (एनएचआरसी) पर पुलिस के प्रति पूर्वाग्रह रखने का आरोप लगाना शुरू कर दिया।
पंजाब में पुलिस विद्रोह की चेतावनी और सरकार को गिराने की धमकियां दी गई थीं।
अगर अकाली दल, जो राज्य में गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहा था,
भाजपा ने पुलिस के प्रति अपने समर्थन की स्पष्ट घोषणा नहीं की। राज्यसभा (संसद के उच्च सदन) में भाजपा का संसदीय समूह, और
वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री जसवंत सिंह ने लिखा: “संधू को यूं ही नहीं छोड़ दिया गया था
जब वह अपना भरण-पोषण खुद करने के लिए मजबूर था, राज्य ने उसे छोड़ दिया और - मेरे विचार में, इससे भी कहीं बुरा - उसके
कारावास और अपमान का इस्तेमाल ध्यान भटकाने के लिए किया गया था।" तवलीन सिंह, एक महिला...
वरिष्ठ पत्रकार ने अपने कॉलम में लिखा: “संधू के हत्यारे ‘मानव’ हैं।”

मानवाधिकारों के पैरोकार। वे यह समझने में असमर्थ रहे हैं कि तरन तारन में युद्ध चल रहा था।
"अगर संधू ने कुछ नियम तोड़े तो उससे लड़ना ही एकमात्र रास्ता था।" अपने बाद के भाषण में उन्होंने लिखा, "
प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में, जिसे पूर्ण रूप से प्रकाशित भी किया गया है, के. पी. एस. गिल ने अनुरोध किया था कि...
ऐसा कानून जो "लड़ाई लड़ने वालों के कार्यों का न्याय करने के लिए उपयुक्त मानदंड" परिभाषित करता है
यह युद्ध भारतीय राज्य की ओर से लड़ा जा रहा है। "जब तक आवश्यक मानदंड पर्याप्त रूप से पूरा नहीं हो जाता।"
बहस, परिभाषा और कानून बनने के बाद, यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए कि
मुकदमेबाजी और मीडिया द्वारा मुकदमेबाजी के माध्यम से अपमान के इस सिलसिले को रोका जा सकता है।
साथ में।" उन्होंने इस संकेत को दोहराया कि "उन लोगों के लिए जो व्यापक रूप से वंचित थे-
खालिस्तान की लड़ाई में मिली सफलता के बाद, जनहित याचिका सबसे महत्वपूर्ण बन गई है।
प्रतिशोध के लिए सुविधाजनक रणनीति”।145

144 द पायनियर, 26 मई 1997, भारत पर शर्म; जबरन गायब करना, मनमानी फांसी और गुप्त दाह संस्कार: पीड़ित गवाही और भारत के मानवाधिकार दायित्व – अंतरिम रिपोर्ट। पंजाब में गुमशुदा लोगों के समन्वय के लिए गठित समिति, 742 सेक्टर 8-बी, चंडीगढ़। जुलाई 1999, पृष्ठ 83-85।
145 जबरन गुमशुदगी, मनमानी हत्याएं और गुप्त दाह संस्कार: पीड़ितों की गवाही और भारत का
मानवाधिकार दायित्व – अंतरिम रिपोर्ट, उपरोक्त उद्धृत, पृष्ठ 83-85। जसवंत सिंह खालरा: मानवाधिकारों के लिए शहीद 65

गवाहों को पुलिस के दबाव का सामना करना पड़ रहा है
जबकि भारतीय नीति निर्माता और उनकी कार्यान्वयन एजेंसियां बहस में व्यस्त हो गईं
इन गंभीर मुद्दों और उनके अधीनस्थ कर्मचारियों, जैसे एसपीओ कुलदीप सिंह, जिन्होंने इन घटनाओं को देखा था, के बारे में जानकारी जुटाई गई।
जसवंत सिंह के शव को हरिके नहर में फेंकने के मामले में वे चुप रहे। लगभग 29 महीने मानो भुला दिए गए थे। संधू की मृत्यु के बाद, कुलदीप सिंह पुलिस विभाग में स्थायी पद मिलने को लेकर चिंता होने लगी थी।
उनके गुरु ने उन्हें यह अवसर देने का वादा किया था। अगस्त 1997 में, उन्होंने एक आवेदन भेजा।
पी.सी. डोगरा, पंजाब के नए डीजीपी से अनुरोध किया गया कि वे उनसे किए गए वादे को पूरा करें।
फरवरी में एसपीओ के रूप में भर्ती होने पर एसएसपी संधू और के.पी.एस. गिल ने उनका मार्गदर्शन किया था।

1994 [illegible]
[illegible]
1997 [illegible], [illegible] ([illegible]) [illegible]
[illegible]
Soon thereafter, Kuldip Singh heard Paramjit Kaur Khalra and former head con-
protection. Balwinder Singh accompanied Kuldip Singh to Jhabal police station

और अगले निर्देशों तक उनके अंगरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए कहा गया। उसी शाम, लगभग 6 बजे
शाम को, एसएचओ सतनाम सिंह, उनके पूर्व बॉस जिनका तबादला शेखवान में हो गया था, ने बताया कि वह पुलिस स्टेशन में तैनात थे।
गुरदासपुर जिले के बटाला उपमंडल में पुलिस स्टेशन और डीएसपी जसपाल सिंह वे बछरा गांव में उनके घर आए। दोनों ने उनसे बहुत गर्मजोशी से बात की: “आप हमारे छोटे भाई हैं। हमने किक्कर सिंह (एक कैदी जिसने हिम्मत दिखाई) को फंसाया है।
कई मामलों में गवाह बनने के बावजूद, सीबीआई उन्हें बचा नहीं सकी। सीबीआई अधिकारियों ने
उन्होंने बाद में के.पी.एस. गिल से अपनी जांच के लिए माफी मांगी क्योंकि इससे दबाव पैदा हुआ था।
केंद्र सरकार से तो बिल्कुल नहीं। अगर आप खुद चुनते हैं तो वे आपको बचा नहीं पाएंगे।
हमारे खिलाफ बोलने के लिए। अगर आप हमारे साथ बने रहना चुनते हैं तो हम आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे।
ओर।"
इस बातचीत के बाद एसएचओ सतनाम सिंह और डीएसपी जसपाल सिंह उसे ले गए।
जालंधर के एसएसपी हरदीप सिंह ढिल्लों के कार्यालय में कुलदीप को 100 रुपये दिए गए थे।
50,000/- रुपये का जुर्माना लगाया गया और परमजीत कौर खालरा और उसके सहयोगियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने को कहा गया।
गवाहों का कहना है कि उन्होंने उसे मामले में गवाह बनने के लिए रिश्वत की पेशकश की थी।
66 राख में तब्दील

कुलदीप सिंह ने विरोध किया तो इन अधिकारियों ने उसे गंभीर परिणामों की चेतावनी दी और
उन्हें शिकायत लिखने के लिए मजबूर किया गया। अगले दिन, ये अधिकारी उनके साथ गए।
टार्न तारन की एक अदालत में उसे आवेदन दायर करने के लिए कहा गया। 146
18 अप्रैल 1998 को पंजाब के कई समाचार पत्रों ने एक पंजीकरण की खबर प्रकाशित की।
परमजीत कौर खालरा और अन्य के खिलाफ धारा 8, 9 और 12 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। 24 अप्रैल 1998 को, पंजाबी दैनिक समाचार पत्र अजीत ने ऐसा किया।
श्रीमती खालरा द्वारा कुलदीप सिंह को रिश्वत देने के प्रयास के बारे में एक मुख्य समाचार।
उनके द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई। इसी बीच, एसपीओ कुलदीप सिंह के माता- पिता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई।
21 अप्रैल 1998 को जालंधर में आयोजित सम्मेलन में यह घोषणा की गई कि श्रीमती खालरा और उनके सहयोगी...
उनके रिश्तेदार कभी उनके घर नहीं गए थे और कुलदीप को रिश्वत देने की उनकी कोशिश की कहानी

सिंह का गवाह बनना पूरी तरह झूठा था। पंजाब में सीसीडीपी ऐसा करने में सक्षम थी।
पंजाब के मुख्यमंत्री से मुलाकात का समय प्राप्त करें और उनसे जांच का अनुरोध करें।
इस मामले में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी "एक उपहास" शीर्षक से एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की।
न्याय का मामला: मानवाधिकार रक्षक जसवंत के 'लापता' होने से संबंधित मामला सिंह खालरा को बुरी तरह से कमजोर किया गया," जिसे व्यापक प्रचार मिला।147 जल्द ही सरकार-
सरकार ने परमजीत कौर के खिलाफ लगाए गए आरोपों को रद्द कर दिया।
एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रस्तुति के बाद जुलाई 1996 में सीबीआई द्वारा सुप्रीम कोर्ट को दी गई रिपोर्ट के संबंध में, कोर्ट ने आदेश दिया था कि
पंजाब सरकार सभी आरोपी पुलिस अधिकारियों को उनके इलाकों से स्थानांतरित करेगी।
अमृतसर और तरनतारन जिलों में। हालांकि, कम से कम चार अधिकारियों पर आरोप लगाए गए हैं।
तरन तारन पुलिस जिले में अभी भी मामले चल रहे थे और अन्य मामलों में खुलेआम छेड़छाड़ की जा रही थी।
सबूतों के आधार पर।
जसवंत की अवैध हिरासत और हिरासत में यातना के गवाह किक्कर सिंह
सिंह तब से पांच आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं। इनमें से चार मामलों में,
उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने उन्हें न्यायिक हिरासत में ही रखा।
पाँचवें मामले में हिरासत।148
राजीव सिंह, जिसने जसवंत सिंह के अपने घर से अपहरण को देखा था, और उसका उनके मित्र सरबजीत सिंह को जुलाई 1998 में अमृतसर पुलिस द्वारा अलग से हिरासत में लिया गया था।
खालिस्तान के एक अलग राज्य का समर्थन करने वाले संगठन के गठन के आरोप में, इन्हें “सिख भूमि के शेर” कहा जाता है। पंजाब मानवाधिकार आयोग ने इसकी जांच की।
राजीव सिंह की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच की और यह निर्धारित किया कि
पुलिस ने उन्हें झूठे आरोप में फंसाया था। आयोग ने कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की।
जानबूझकर गढ़े गए अपराध को दर्ज करने के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ...
"अंतिम मामले"। इसने पंजाब सरकार को अपनी सिफारिश भेजी लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।
प्रतिक्रिया.149 राजीव सिंह को 5 सितंबर को स्वर्ण मंदिर के बाहर फिर से गिरफ्तार किया गया।
सितंबर 2000 में जब वह मानव अधिकारों पर एक ज्ञापन प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे थे

[illegible]

146 [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] 606/[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 58, [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] 20 [illegible] 1999 [illegible] [illegible] 14([illegible])95/ [illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible].[illegible]. [illegible] [illegible] 161 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
147 [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]: [illegible] [illegible] "[illegible] [illegible]" [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]: [illegible] 20/07/1998 – http://www.web.amnesty.org/ai.nsf/index/ASA200071998
148 [illegible]
149 [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]-[illegible]: [illegible] 20/014/2000, — http://web.amnesty.org/ai.nsf/Index/ASA200142000?OpenDocument&of=Countries%INDIA

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].150
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],
“[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]
[illegible]
1988 [illegible] 1990 [illegible] "[illegible]
[illegible]
1995 [illegible] 1997 [illegible]
[illegible]154
[illegible]...
[illegible]
When Paramjit Kaur’s lawyers Rajwinder Singh Bains and Brijinder Singh Sodhi
12 [illegible] 1998 [illegible]
[illegible]
[illegible] 1998 [illegible]
[illegible] 1999 [illegible]
22 [illegible] 1999 [illegible]

[illegible], “[illegible]
2000, [illegible] 20/049/2000 -
http://www.snsm.org.my/h_right/ai4.htm
151 [illegible]
152 [illegible], 22 [illegible] 2002, [illegible]
153 [illegible] 15 [illegible] 1997, [illegible]
[illegible]:
[illegible]”, —
http://www.lacnet.org/suntimes/970615/news4.html

154. अपनी आत्मकथात्मक पुस्तक, विदाउट फियर ऑर फेवर, जो 1998 में कावेरी बुक्स, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित हुई थी, में उन्होंने लिखा है कि जोगिंदर सिंह इस दौर को याद करते हुए कहते हैं, “जब मैंने कार्यभार संभाला, तब जे. एफ. रिबेरो महानिदेशक थे। कुछ समय बाद गिल ने पदभार संभाला। रिबेरो और गिल दोनों ही बदले की नीति का पालन कर रहे थे। मुझे नियमों का कड़ाई से पालन करने की परंपरा में प्रशिक्षित किया गया था। लेकिन नियमों का पालन करने से हमेशा समस्याएँ हल नहीं हो जातीं। कभी-कभी, जब व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है, तो आपको खेल के लिए अपने नियम खुद बनाने पड़ते हैं। जब व्यवस्था टूट जाती है, तो आपको नए रास्ते तलाशने पड़ते हैं… लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से बदले की नीति से सहमत नहीं था। मैं किसी भी हत्या का समर्थन नहीं करता था जब तक कि वह निष्पक्ष लड़ाई न हो…” (पृष्ठ 292-295)।
68 राख में तब्दील

कुलदीप सिंह के बयान में "महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर कोई पुष्टि नहीं हुई"।
और यह कि "उनका बयान विश्वास पैदा नहीं करता क्योंकि यह स्वीकार किया गया था कि यह दो बार दिया गया था-
कथित घटना के डेढ़ साल बाद…”. 155 द्वारा दायर आवेदन
सीबीआई ने अपने निष्कर्ष को सही ठहराने के लिए निम्नलिखित आधारों का हवाला दिया, और हमें संक्षेप में उनका पुनरावलोकन करना होगा-
इन पर नज़र रखें ताकि आप समर्थक के लिए इनके अंतर्निहित और महत्वपूर्ण महत्व को समझ सकें।
इस मामले की दलीलें।
[1] कुलदीप सिंह ने सीबीआई के समक्ष विलंबित रूप से गवाही देने का विकल्प चुना था
पंजाब पुलिस उन्हें स्थायी कांस्टेबल के रूप में नियुक्त करने में विफल रही, जैसा कि वादा किया गया था।
एसएसपी संधू द्वारा उन्हें यह सूचना दी गई थी। इसके अलावा, कुलदीप सिंह ने स्वयं कहा कि वह ऐसा नहीं कर सकते थे।
संधू के जीवित रहने तक इस मुद्दे पर खुलकर बोलते रहे।
स्पष्ट रूप से, एसपीओ कुलदीप सिंह की ढाई साल लंबी चुप्पी का कारण संधू और उनके अधिकारियों की टीम का डर था। यह डर जायज़ था, जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनके गैरकानूनी कार्यों की निंदा करने और जांच के आदेश देने के बाद कम हो गया। संधू की मृत्यु ने इस डर को और भी कम कर दिया। कुलदीप सिंह को भर्ती के समय दिए गए पद की सुरक्षा का भी आश्वासन मिला होगा। ढाई साल तक वे मानवाधिकारों, सत्य और न्याय के सामान्य कल्याण की बजाय अपने स्वार्थ से प्रेरित रहे होंगे। लेकिन चरित्र से जुड़े इन मुद्दों का कानूनी प्रक्रिया के प्राथमिक उद्देश्य से कोई संबंध नहीं हो सकता, जो कि सत्य और संभाव्यता के स्वीकृत मानक पर सिद्ध तथ्यों पर मूल कानून के नियमों का सही अनुप्रयोग सुनिश्चित करना है। कानूनी ढांचे के भीतर सत्य की खोज को ऐसे प्राथमिक गवाह के चरित्र के मुद्दों को उठाकर बाधित नहीं किया जा सकता, जो अच्छे व्यवहार के लिए प्रोत्साहन से रहित स्थिति से संबंधित हो। इसके अलावा, गवाहों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने के लिए चरित्र संबंधी साक्ष्य आमतौर पर प्रतिवादियों के लिए उपलब्ध जिरह प्रक्रिया का एक

हिस्सा होता है और यह असाधारण बात है कि अभियोजन पक्ष अपने उस प्रमुख गवाह को, जिसकी गवाही अपराध के रहस्य को सुलझाती है, ऐसे आधारों पर छोड़ दे। [2] सीबीआई की जांच से पता चला कि मारुति कार, जिसका पंजीकरण नंबर है प्लेट नंबर PB-2-J245, जिसमें SHO सतनाम सिंह ने कथित तौर पर जसवंत को चलाया था
सिंह खालरा को पूछताछ के लिए एसएसपी अजीत सिंह संधू के मनवाला स्थित घर ले जाया गया।
गांव में स्थित संपत्ति अभी भी डॉ. आर. एस. पन्नू के नाम पर पंजीकृत थी। सीबीआई ने इसकी जांच की।
डॉ. पन्नू का यह दावा कि उन्होंने सुरिंदर सिंह सोढ़ी के माध्यम से कार का निपटान किया था,
अमृतसर में स्थित न्यू ऑटो होम के मालिक, जिन्होंने इसे एसएचओ सतनाम सिंह को बेचा। कैसे-
हालांकि, सीबीआई को रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि कार में कोई गड़बड़ी थी।
सतनाम सिंह के नाम पर स्थानांतरित कर दिया गया।
एसपीओ कुलदीप के इस बयान की विश्वसनीयता पर संदेह पैदा करने का प्रयास कि एसएचओ सतनाम सिंह जसवंत सिंह को एसएसपी अजीत सिंह संधू और के.पी.एस. गिल द्वारा पूछताछ के लिए मनवाला गांव लाए थे, इस आधार पर कि कार औपचारिक रूप से डॉ. आर.एस. पन्नू के नाम पर पंजीकृत थी, स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण है। सीबीआई के पास वास्तव में इस बात को साबित करने के लिए सबूत थे कि कार वास्तव में एसएचओ सतनाम सिंह द्वारा खरीदी गई थी। अमृतसर में न्यू ऑटो होम के मालिक,

155 सीबीआई द्वारा पटियाला के विशेष मजिस्ट्रेट के समक्ष आरसी 14/एस/95-एससीबी-1/न्यू के मामले में दायर आवेदन
दिल्ली, धारा 173 (VIII) सीआरपीसी के तहत रिपोर्ट के संबंध में, दिनांक 22 नवंबर 1999।
जसवंत सिंह खालरा: मानवाधिकारों के लिए शहीद 69

सेकेंड-हैंड कारों का कारोबार करने वाले सुरिंदर सिंह सोढ़ी ने सीबीआई अधिकारियों के सामने गवाही दी कि उन्होंने एसएचओ सतनाम सिंह को कार बेचने की व्यवस्था की थी और उन्हें WH-0209542 नंबर के चेक द्वारा 1,80,000 रुपये प्राप्त हुए थे। उन्होंने 14 अप्रैल 1995 को किए गए भुगतान की रसीद पर एसएचओ सतनाम सिंह के हस्ताक्षर भी दिखाए। सोढ़ी ने यह भी खुलासा किया कि कार का रजिस्ट्रेशन अपने नाम पर कराने की जिम्मेदारी एसएचओ सतनाम की थी।156 एसएचओ ने जानबूझकर कार को डॉ. पन्नू के नाम पर रखा था और इसकी पुष्टि अमृतसर के जिला परिवहन कार्यालय के वरिष्ठ क्लर्क संपूर्ण सिंह घुम्मन के बयान से हुई। सीबीआई अधिकारियों ने संपूर्ण सिंह का बयान दर्ज किया कि उन्होंने 28 अप्रैल 1995 को डॉ. पन्नू के नाम पर कार का रजिस्ट्रेशन नवीनीकृत कराया था, उस व्यक्ति के अनुरोध पर जो आवश्यक कागजात लेकर आया था और उन्होंने रोड टैक्स भी चुकाया था। उस व्यक्ति ने उसे बताया था कि कार एसएचओ सतनाम सिंह के कब्जे में है और संपूर्ण सिंह ने यह जानकारी पंजीकरण पुस्तिका के पहले पृष्ठ पर दर्ज कर ली थी।157

[3] सीबीआई ने एसपीओ कुलदीप की पुष्टि करने के लिए कई व्यक्तियों से पूछताछ करने का दावा किया।
सिंह का यह बयान कि एसएचओ सतनाम सिंह और अन्य पुलिस अधिकारियों ने कचरा फेंका था
28 अक्टूबर 1995 को हरिके नहर में जसवंत सिंह का शव मिला था। सीबीआई के अनुसार,
जिन व्यक्तियों की जांच की गई, वे नहर के पास स्थित छोटे भोजनालयों के मालिक थे और वहां काम करते थे।
और वे एसपीओ कुलदीप सिंह के बयान की पुष्टि करने में विफल रहे।
यह उम्मीद करना सरासर हास्यास्पद है कि नहर के सुनसान किनारे पर शवों को ठिकाने लगाते समय पुलिस अधिकारी सड़क किनारे ढाबों के इन मालिकों और कर्मचारियों को भी पकड़ लेंगे। इन बयानों को इकट्ठा करना और उनके आधार पर एसपीओ कुलदीप सिंह के बयान को बदनाम करने का प्रयास, राजस्थान फीडर नहर के सिंचाई विभाग में कार्यरत सुरजीत सिंह की गवाही के आलोक में पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण हो जाता है, जिस पर सीबीआई अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। 23 अप्रैल 1998 को सीबीआई अधिकारियों द्वारा दर्ज की गई अपनी गवाही में, सुरजीत सिंह ने खुलासा किया कि उन्होंने नहर में नियमित रूप से शवों को तैरते देखा था, लेकिन अपने वरिष्ठों के विशेष आदेशों के अभाव में उन्होंने उन्हें नहीं रोका था। सुरजीत सिंह ने यह भी खुलासा किया कि नहर में बड़ी मछलियाँ और मगरमच्छ थे जो शवों को डाले जाने के तीन से चार घंटे के भीतर ही खा जाते थे। उनकी हड्डियाँ बहकर राजस्थान पहुँच जाती थीं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सुरजीत सिंह ने खुलासा किया कि 1992 में एक बार अनजाने में वे नहर में 19 शवों को फेंके जाने के साक्षी बन गए थे। एसएसपी अजीत सिंह संधू के नेतृत्व में अधिकारियों का एक दल शवों को नहर में फेंकने के लिए लाया था। शाम ढल चुकी थी और सुरजीत सिंह नहर के सुनसान किनारे पर अपना दिन का काम खत्म करके घर लौट रहा था। एसएसपी ने उसे बिना किसी उकसावे के रोका और उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। इसके बाद उसने अपने अधीनस्थों को आदेश दिया कि उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए, जबकि अधिकारी शवों को ठिकाने लगा रहे थे। संधू ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने किसी को इस घटना के बारे में बताया या शोर मचाया तो वह उसे गोली मार देगा और उसका शव नहर में फेंक देगा।

सुरेंद्र सिंह, पुत्र परमजीत सिंह सोढ़ी, न्यू ऑटो होम, कोर्ट रोड, सैनिक के पास, का 156 वां बयान
अमृतसर स्थित रेस्ट हाउस में हुई घटना को डीएसपी सीबीआई द्वारा सीआरपीसी की धारा 161 के तहत 22 अप्रैल 1998 को दर्ज किया गया था।
157 Statement of Sampuran Singh Ghumman, s/o Dhyan Singh, Senior Clerk, District Transport Officer,
अमितसर, निवासी 7313, गली नंबर 4, मॉडल टाउन, अमृतसर, के खिलाफ सीबीआई डीएसपी द्वारा सीआर.पी.सी. की धारा 161 के तहत 23 मार्च 1998 को मामला दर्ज किया गया।
70 राख में तब्दील

सुरजीत सिंह की आंखों पर पट्टी बांध दी गई और उन्हें लगभग डेढ़ घंटे तक वहीं खड़ा रखा गया, फिर उन्हें वहां से जाने के लिए कहा गया। 158

[4] हरिके नहर स्थित गेस्ट हाउस का हाउसकीपर, जहाँ सभी अधिकारी
जसवंत सिंह से छुटकारा पाने के बाद संधू के नेतृत्व में लोग खाने-पीने के लिए इकट्ठा हुए थे।
28 अक्टूबर 1995 की शाम को, शव मिलने पर सीबीआई अधिकारियों को बताया कि संधू ने पंजीकरण नहीं कराया था।
उन्होंने अक्टूबर 1995 में किसी भी दिन खुद को अतिथि के रूप में पेश किया। इसके अलावा, के. पी. एस. गिल ने श्रेणीबद्ध किया-
उन्होंने संबंधित अवधि के दौरान संधू के घर जाने से साफ इनकार किया। किसी का भी यह दावा नहीं है कि एसएसपी अजीत सिंह संधू ने नहर गेस्ट हाउस में खुद को आगंतुक के रूप में दर्ज कराया था। यह संभव नहीं है कि वह जानबूझकर उस दिन गेस्ट हाउस में अपनी उपस्थिति का कोई सबूत छोड़ते। साथ ही, के. पी. एस. गिल द्वारा एसएसपी के घर पर जसवंत सिंह से पूछताछ करने से इनकार करना भी निरर्थक है, क्योंकि उनका झूठ बोलने और इनकार करने का रिकॉर्ड असाधारण रूप से सुसंगत है। सीबीआई की जांच रिपोर्ट में इस आरोप की स्वतंत्र रूप से जांच करने के लिए कुछ भी नहीं दिखाया गया है।
[5] एसपीओ कुलदीप सिंह ने खुलासा किया था कि हेड कांस्टेबल बलविंदर सिंह घोड़ा और अरविंदर सिंह ने जसवंत सिंह के शव को एक बिना नंबर वाली गाड़ी में लाद दिया था।
वे वैन में थे और डीएसपी जसपाल सिंह, सरहाली पुलिस स्टेशन के एसएचओ सुरिंदर पाल सिंह के साथ गए थे।
थाना मानोचाहल पुलिस स्टेशन के SHO जसबीर सिंह और SHO सतनाम सिंह
झाबल पुलिस स्टेशन ने इसे हरिके नहर में फेंक दिया। सीबीआई को कोई सुराग नहीं मिला।
अरविंदर सिंह नाम का एक हेड कांस्टेबल, जिसकी तैनाती तरन में हुई थी।
संबंधित अवधि के दौरान तारन पुलिस जिले में सीबीआई अधिकारियों ने यह भी पता लगाया।
कि बलविंदर सिंह घोड़ा, हेड कांस्टेबल सी-II नंबर 3362/टीटी, अनुपस्थित रहा था।
जून 1999 से वह स्वयं लापता है और तब से उसका पता अज्ञात है। उसका भाई-गुरनाम सिंह और पुरुषोत्तम सिंह ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
बलविंदर सिंह ड्यूटी से अनुपस्थित थे और जून 1999 के बाद से उनसे मुलाकात नहीं हुई थी।159
यह स्पष्ट नहीं है कि ये तथ्य एसपीओ कुलदीप सिंह के बयानों की सत्यता को कैसे नकारते हैं। हेड कांस्टेबल बलविंदर सिंह घोड़ा द्वारा ड्यूटी से भाग जाना और जून 1999 से उसका रहस्यमय ढंग से गायब हो जाना, उसके प्रति संदेह को और भी पुख्ता करता है।
[6] अंत में, एसपीओ कुलदीप सिंह की विश्वसनीयता की कमी के बारे में बात को पुष्ट करने के लिए
सीबीआई ने गवाह के तौर पर उनके द्वारा 17 अप्रैल 1998 को दर्ज कराई गई शिकायत का जिक्र किया।
against Paramjit Kaur Khalra alleging that she had paid him Rs. 50,000/- to falsely
पुलिस अधिकारियों के खिलाफ गवाही देना।

हमने घटना के घटित होने की परिस्थितियों का पहले ही विश्लेषण कर लिया है। एसएचओ सतनाम सिंह और अन्य लोगों द्वारा कुलदीप सिंह के अपहरण की पुष्टि करने वाली जांच के बाद, परमजीत कौर के खिलाफ मामला जल्दबाजी में वापस ले लिया गया था। कुलदीप सिंह और उनके परिवार के सदस्यों ने स्वयं खुलासा किया था कि कैसे उन्होंने अपहरण किया था।
158 Statement of Surjit Singh, s/o Jaswinder Singh, village Thotha Bhagna, Amritsar, recorded by a CBI
डीएसपी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत 23 अप्रैल 1998 को नियुक्त किया गया था।
159 सराय अमानत खां निवासी जोगिंदर सिंह के बेटे गुरनाम सिंह और पुरषोत्तम सिंह के बयान
अमृतसर जिले में सीबीआई के डीएसपी नितिन दुग्गल द्वारा 17 सितंबर 1999 को सीआरपीसी की धारा 161 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
जसवंत सिंह खालरा: मानवाधिकारों के लिए शहीद 71

उन्हें झूठी शिकायत दर्ज कराने के लिए मजबूर किया गया था और अगर कुछ है तो यह घटना इस बात को स्थापित करती है कि आरोपी पुलिस अधिकारी न्यायिक प्रक्रिया को भ्रष्ट करने के लिए जमानत का लाभ उठाते हुए सबूतों के साथ छेड़छाड़ और जालसाजी करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं।
इस मामले की सुनवाई लंबे समय से धीमी और थकाऊ गति से चल रही है। इसके बावजूद
अभियुक्तों के खिलाफ आरोपों को उन्नत करने में अभियोजन पक्ष द्वारा दिखाई गई अनिच्छा
धारा 364 [हत्या के इरादे से अपहरण] और 302 [हत्या] के तहत
आईपीसी के तहत, पटियाला की सत्र न्यायालय ने के.एस. गरेवाल की अध्यक्षता में 25 जुलाई 1998 को फैसला सुनाया कि
परिस्थितिजन्य साक्ष्य इतने पुख्ता हैं कि यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जसवंत सिंह खालरा
उसकी हत्या कर दी गई और उसके शव का निपटान कर दिया गया...”। लेकिन अदालत ने इसका हवाला देना चुना।
आईपीसी की धारा 302 केवल डीएसपी जसपाल सिंह और कांग पुलिस स्टेशन के एसएचओ रशपाल सिंह के खिलाफ लगाई गई है।
झबल पुलिस स्टेशन के एएसआई अमरजीत सिंह और डीएसपी अशोक कुमार पर मुकदमा चलाने के लिए।
एसएचओ सुरिंदर पाल सिंह, सतनाम सिंह, जसबीर सिंह और हेड कांस्टेबल पृथ्वीपाल
सिंह पर आईपीसी की धारा 364 के तहत मुकदमा चलाया गया।160 इन मामलों की मनमानी के बारे में बिंदु
अभियोजन पक्ष की स्पष्ट अक्षमता के सामने ये निर्णय महत्वहीन हो जाते हैं।
अपराध की वास्तविक गहराई को उजागर करने और दोषियों को दंडित करने की इच्छा और इरादे के साथ।
परिणामस्वरूप, कानूनी प्रक्रिया एक लंबी, असाध्य सजा बन गई है।
न्याय के चाहने वाले।

न्याय और सत्य के मायावी लक्ष्य
जसवंत सिंह की विधवा परमजीत कौर ने एसबीएस टेलीविजन के ज्योफ पैरिश को बताया कि...
मार्च 2002: “अदालत में हमें लड़ना पड़ता है और बहुत उत्पीड़न होता है। सात
कई साल बीत गए और हमें अभी तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। यह हमारे लिए खत्म नहीं होगा।
जीवनकाल।"161 जसवंत सिंह के पिता करतार सिंह का जन्म तब हुआ था जब उनके पिता, एक क्रांतिकारी-
भारत को औपनिवेशिक गुलामी से मुक्ति दिलाने के लक्ष्य के प्रति समर्पित एक क्रांतिकारी
1915 से 1922 तक पंजाब में नजरबंद रहे। 1917 में जन्मे करतार सिंह आज 85 वर्ष के हैं।
खालरा गांव के एक स्कूल शिक्षक, जिन्होंने कभी भी अपने पद की गरिमा से समझौता नहीं किया।
अपने पिता के स्वतंत्रता के आदर्शों को साकार होते हुए, करतार सिंह ने एक युग के बीतने का साक्षी रहा है।
स्वतंत्र भारत को उसकी राजनीतिक परिपक्वता की ओर ले जाना। उन्होंने इस पुस्तक के लेखकों में से एक को यह बात बताई।
27 मार्च 2000 को उनके गांव के घर पर हुई एक लंबी चर्चा के दौरान दी गई रिपोर्ट:
सरकार के पास अशांति से निपटने की क्षमता और व्यवस्था नहीं थी।
सशस्त्र संघर्ष वैध तरीके से। सरकारी अधिकारी, पुलिस,
न्यायपालिका और राजनीतिज्ञ सभी भ्रष्ट थे, अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन थे और अज्ञानी थे।
नियमों की अनदेखी और जनता से कटी हुई। सरकार का जनता पर कोई नियंत्रण नहीं था।
समाज के किसी भी वर्ग पर इसका प्रभाव पड़ सकता था। सरकार को इस कदम पर प्रतिक्रिया देनी पड़ी और इसे दबाना पड़ा।
लेकिन इसके कार्यों को निर्देशित करने के लिए कोई सिद्धांत और संस्थागत तरीके नहीं थे।
हालात बिगड़ने पर दुर्व्यवहार और अत्याचार अपरिहार्य हो गए। सुरक्षा बलों को यह जिम्मेदारी दी गई।
आंदोलन को किसी भी तरह से कुचलने के लिए पुलिस को व्यापक अधिकार दिए गए थे। पुलिस ने ऐसा नहीं किया।
असली अपराधियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने की क्षमता, प्रशिक्षण या योग्यता रखते हों। इसलिए,
उनकी कार्रवाइयां अंधाधुंध हो गईं। जब उग्रवाद बढ़ा, तो उन्होंने शुरू कर दिया...

पटियाला के सत्र न्यायाधीश के.एस. गरेवाल की अदालत द्वारा दिनांक 25 जुलाई 1998 को जारी आदेश संख्या 160
161 एसबीएस-टीवी, ऑस्ट्रेलिया, 3 अप्रैल 2002, “भारत – सिखों को किसने मारा” –

http://www.sbs.com.au/dateline/trans.php3?dte=2002-04-03&title=India+ +Who+killed+the+Sikhs
72 राख में तब्दील

इसमें शामिल लोगों के परिवार के सदस्यों और दोस्तों को पकड़कर मार डालो। इस तरह, उन्होंने रिश्तेदारों पर दबाव बनाने की कोशिश की ताकि वे उन लोगों को रोक सकें जो...
शामिल…”162
करतार सिंह ने 1947 से पहले और बाद में भारत में पुलिस के कामकाज की तुलना की।
निम्नलिखित शब्दों में: “ब्रिटिश यहाँ हम पर शासन करने आए थे। उन्होंने ऐसा किसी खास उद्देश्य से किया।”
नियम और मानदंड। स्वतंत्रता के बाद, राजनीतिक सत्ता धीरे-धीरे विरक्त होती चली गई है।
सभी नियमों और मानदंडों का उल्लंघन। ब्रिटिश काल में, हिरासत में हत्याएं, पीड़ितों का उत्पीड़न
राजनीतिक या क्रांतिकारी संदिग्धों के परिवार के सदस्य, झूठे अभियोग आदि, अभूतपूर्व। अब जसवंत के अपहरण और लापता होने का क्या उद्देश्य था?
सिंह सेवा? यह पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण और अनुचित कार्रवाई थी और सभी संस्थागत कार्रवाई...
इस मामले को दबाने में भाग लेकर राज्य के प्रतिनिधि स्वयं ही इसके प्रतीक बन गए हैं।
वही दुर्भावना और अतार्किकता।"163
लेकिन करतार सिंह निराश नहीं हैं। वे कहते हैं: “मेरे बेटे ने सत्य का मार्ग अपनाया।”
और अन्याय के खिलाफ़ निडर विरोध। उन्हें अपने पूर्वजों के शहीदों के इतिहास पर गर्व था।
न्याय और स्वतंत्रता के लिए। उनके निधन से मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत दुख हुआ है, फिर भी मैं जानता हूँ कि अगर
पंजाब और भारत के लिए किसी भी उम्मीद के लिए उस पुनरुत्थान का होना आवश्यक है।
मेरे बेटे में स्वतंत्रता की भावना और दृढ़ विश्वास का जो साहस समाहित था। विश्वास। आज की खराब स्थिति के बावजूद, संघर्ष का एक नया दौर शुरू होगा। उन स्वतंत्रता के आदर्शों को साकार करने के लिए जिनका हमारे नेताओं ने विश्वासघात किया है। मुझे आशा है कि जसवंत का प्रयास सफल होगा।
बलिदान उस प्रक्रिया को शुरू करने में योगदान देगा।164
जसवंत सिंह खालरा की मृत्यु वैसी ही हुई जैसी उन्होंने शायद पहले से ही देख ली थी; शायद उन्होंने ऐसी ही मृत्यु को स्वीकार किया था।
परिवार में सूरत सिंह की अदम्य शहादत की गाथा की यादें आज भी ताजा हैं।
बंदा सिंह बहादुर को बंदी बनाकर फांसी दिए जाने के बाद मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई।
सन् 1715 में दिल्ली की घटनाओं ने जसवंत सिंह को इतना साहसी बनाने में भी भूमिका निभाई होगी।
पंजाब पुलिस के प्रति लापरवाही। लेकिन उनके अपने बलिदान में अंतर है-

1715 में उनके पूर्वजों के बलिदान और उनके पद के बारे में: अधिक "संभावित जानकारी" है-
1715 में उनके साथ जो हुआ, उसके बारे में हमारे पास जो जानकारी है, उसकी तुलना में 1715 में उनके साथ जो हुआ उसके बारे में हमारे पास अधिक जानकारी है।
जसवंत सिंह 1995 में। 1715 में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दो एजेंट दिल्ली में जॉन सुरमन और एडवर्ड स्टीफेंसन ने इस वीरतापूर्ण घटना को देखा और दर्ज किया था।
बंदा सिंह बहादुर और उनके साथियों का वह सिद्धांत, जिन्होंने मृत्यु को ठुकराकर उसे स्वीकार किया।
धर्मत्याग के बदले क्षमादान की पेशकश।165 हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं और प्रेरित महसूस कर सकते हैं।
जसवंत सिंह की मृत्यु एक रहस्यमय घटना है, यहां तक कि उन लोगों के लिए भी जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते थे।
सहयोगी। उनके जैसे हजारों अन्य लोगों का कोई सत्यापित रिकॉर्ड नहीं है, जो थे।
अवैध दाह संस्कारों में जलाए गए शव, जिन्हें जसवंत सिंह ने उजागर करने का प्रयास किया था।
अंतर का स्मृति और अर्थ की भूमिका पर प्रभाव पड़ता है जो "ज्ञान" को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
"उन्नत करने योग्य" पहलों में, जिनमें जसवंत के पिता करतार सिंह आशा का संचार करते हैं।
अनुभवजन्य अवलोकन और संज्ञानात्मक पुनर्प्राप्ति के माध्यम से 'ज्ञान की संभावना'
और दस्तावेज़ीकरण से पता चलता है कि हम किन चीजों की परवाह करते हैं और हम उन्हें कैसे प्रभावित करना चाहते हैं।
वास्तविकताओं का निर्माण।
हमें उम्मीद है कि यह रिपोर्ट ज्ञान और प्रयास के इन आदर्शों को एकीकृत करती है।

162 राम नारायण-कुमार का 27 मार्च 2000 को खालरा गांव में करतार सिंह के साथ साक्षात्कार।
163 वही
164 वही
165 गंडा सिंह, पीपीपी, खंड IX-II, अक्टूबर 1975, “बंदा सिंह बहादुर: उनकी उपलब्धियां और स्थान”
उनकी फांसी के बारे में”; अर्ली एनल्स ऑफ द इंग्लिश इन बंगाल, सी. आर. विलियम्स द्वारा संपादित, एडवर्ड के पत्र

अध्याय दो

हर तरह से दंडमुक्ति: अधिकार और कानून की गतिरोध 73

हर हाल में दंडमुक्ति: अधिकार
और कानून के गतिरोध
74 राख में तब्दील

हर तरह से दंडमुक्ति: अधिकार और कानून की गतिरोध 75

भाग एक: सत्य की खोज

भारतीय लोकतंत्र के चार मूलभूत सिद्धांत, जो इसकी गणतंत्रवादी अवधारणा में निहित हैं-
संविधान में निम्नलिखित शामिल हैं: [1] सभी नागरिकों को अविभाज्य मानवाधिकारों की गारंटी; [2]
लोकतांत्रिक विधायिका; [3] एक स्वतंत्र न्यायपालिका; और [4] असहमति की स्वतंत्रता-
पाठ्यक्रम। इन संवैधानिक विशेषताओं के बल पर, भारत सबसे बड़ा होने का दावा करता है।
दुनिया का सबसे कार्यात्मक लोकतंत्र जहां व्यापक मानवाधिकार उल्लंघन होते हैं,
अलग-थलग पड़े समुदायों का व्यवस्थित उत्पीड़न और राजनीतिक असंतोष का दमन-भेजा जाना संभव नहीं है। हालाँकि, पंजाब में सिखों के अनुभव दर्शाते हैं कि एक
अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार का निशाना बनाए गए इस समुदाय को बदनाम कर दिया गया था और उन्हें कोई सुरक्षा नहीं दी गई थी।
न्यायपालिका सहित कथित रूप से स्वतंत्र संस्थानों के नेताओं से,
या तो उनके मौलिक अधिकारों को आसन्न उल्लंघनों से बचाने में या फिर उनका पालन करने में-
गलतियों की स्वीकृति और कानूनी क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करना। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
यह एक खोखला वादा बनकर रह गया जब उच्च न्यायपालिका ने भी इस बात का समर्थन किया।
सार्वजनिक चर्चा के आधार पर पीड़ितों की स्मृति को मिटाने के लिए पन्ना पलट दें।
अतीत में हुए दुर्व्यवहारों और संस्थानों की भूमिका पर केंद्रित जांच और गहन छानबीन से...
शांति और सामाजिक व्यवस्था के हितों की रक्षा करना। इस अध्याय में इन प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी।
पंजाब में गुमशुदा लोगों के मामलों पर समन्वय समिति के प्रयासों के इर्द-गिर्द
पंजाब में मानवाधिकार उल्लंघनों पर सार्वजनिक चर्चा शुरू करने के लिए (सीसीडीपी)
जन आयोग, साथ ही अपहरण के मामले का कानूनी इतिहास, जिसके कारण
पंजाब पुलिस द्वारा की गई गुमशुदगी और गुप्त दाह संस्कार के मामले, जो अभी लंबित हैं।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) दिसंबर 1996 से कार्यरत है।

चुनाव घोषणापत्र
10 दिसंबर 1997 को, सीसीडीपी ने चंडीगढ़ में अपना पहला सम्मेलन आयोजित किया और बुलाया

पंजाब सरकार से सभी शिकायतों की जांच के लिए एक "सत्य आयोग" गठित करने का आग्रह किया गया।
मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतें, जैसा कि अकाली दल ने फरवरी 1997 में वादा किया था।
चुनाव घोषणापत्र। अकाली दल, जो सिख राजनीतिक मुद्दों का प्रतिनिधित्व करता था-
राज्य में असंतोष के कारण, केंद्रीय सरकार के नौ साल बाद सत्ता में वापसी हुई थी।
सरकार ने अक्टूबर 1987 में अपनी सरकार को बर्खास्त कर दिया। अकाली दल और इसके कार्यक्रमों और नीतियों से जुड़े लोगों की संख्या सबसे अधिक थी। राज्य अत्याचारों के साथ-साथ उग्रवादी हिंसा के शिकार। सीसीडीपी सम्मेलन इसके अलावा, तीन सेवानिवृत्त उच्च अधिकारियों से मिलकर एक जन आयोग स्थापित करने का भी संकल्प लिया गया।
अदालती न्यायाधीशों को मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतों की जांच करने का अधिकार है यदि नव नियुक्त व्यक्ति...
चुनी हुई सरकार ने अपने चुनावी वादे से मुकरने का विकल्प चुना। न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और सीसीडीपी के संरक्षक सदस्य थे।
76 राख में तब्दील

सत्य आयोगों के हालिया उदाहरण
विश्वभर में, सत्य आयोग की संस्था को एक महत्वपूर्ण नवाचारी संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त है।
व्यापक रूप से आघातग्रस्त समाजों में कानून के शासन की बहाली के लिए प्रयास।
राज्य बलों द्वारा मानवाधिकारों का हनन और गहरी जड़ें जमा चुकी राजनीतिक हिंसा
राजनीतिक बुराइयाँ। सत्य आयोग अपनी विशिष्ट रूप से पारदर्शी और सहभागी कार्यप्रणाली के माध्यम से...
परोपकारी कार्यप्रणाली का उद्देश्य ऐसे समाजों में शत्रुतापूर्ण वर्गों की मदद करना है।
ज्ञान, न्याय और भलाई के लिए एक सामान्य मानक और अनुभवजन्य आधार को पुनः प्राप्त करना
शासन। सत्य और न्याय का यह अभिनव साधन नए रूप धारण कर चुका है।
विश्वभर में विभाजित समाजों में किए गए विभिन्न प्रयोगों के अंतर्गत। आइए हम इस पर विचार करें।
हाल के दो उदाहरण:
अक्टूबर 2000 में, यूगोस्लाविया के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति वोजिस्लाव
कोस्तुनिका ने मानवाधिकारों की जांच के लिए एक सत्य आयोग के गठन की घोषणा की।
लौह पर्दे के पतन के बाद से अपराध और सामूहिक हिंसा। कोस्टुनिका ने समझाया।
आयोग की आवश्यकता को निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है:

हमें दो सवालों के जवाब देने होंगे: असल में क्या हुआ था और हम आगे कैसे बढ़ें? यही एकमात्र तरीका है जिससे हम आने वाली पीढ़ियों के लिए अतीत को स्पष्ट कर सकते हैं और उन्हें समझा सकते हैं कि उनके पूर्वजों ने इस उलझन से कैसे बाहर निकलने का रास्ता खोजा था… इसे साकार करने के लिए, हमें अपने निकट और दूर के अतीत का पुनर्मूल्यांकन करना होगा। हमें इसे कई वस्तुनिष्ठ तथ्यों और उनसे उत्पन्न असंख्य व्यक्तिपरक अवलोकनों और अनुभवों के रूप में स्वीकार करना होगा। यह एक ऐसे समाज में बहुत कठिन कार्य होने वाला है जिसमें लगभग हर परिवार की अपनी एक दुखद कहानी है… हमें अपनी चेतना और अंतरात्मा के इन बिखरे हुए तत्वों को एक साथ लाना होगा, खुद को संगठित करना होगा और सामान्य नैतिक पुनरुद्धार की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। उस पुनरुद्धार के बिना, कोई भी अन्य पुनरुद्धार असंभव सिद्ध होगा… इसी विचार ने मुझे सत्य और सुलह आयोग की स्थापना के लिए प्रेरित किया। हालांकि, यह वर्तमान ऐतिहासिक संकट के जल में फेंका गया सद्भावना का एक छोटा सा पत्थर मात्र है। यह धारणा और इच्छा है कि यह पत्थर कई सहयोगियों और कार्यकर्ताओं द्वारा संचालित गतिविधियों के कई संकेंद्रित घेरे उत्पन्न करे। इस आयोग का कार्य उन सभी को एकजुट करना है जो सत्य और सुलह को पुनर्जीवित सार्वजनिक जीवन के भविष्य के आधारशिला मानते हैं। यह ऐतिहासिक परियोजना सफल होगी या नहीं, यह उन सभी पर और हम सभी पर निर्भर करता है।1
26 मई 2001 को, युगोस्लावियाई संघ की स्थापना के सात महीने बाद...
मिशन के संबंध में, पेरू सरकार ने इसी तरह के सत्य की स्थापना की घोषणा की। देश में मानवाधिकारों के हनन की जांच के लिए आयोग का गठन किया गया है। पिछले 20 वर्षों में। आयोग ने पेरू के पिछले तीन राष्ट्रपतियों के कार्यों की गहन जांच करने का वादा किया।
राष्ट्रपतियों का भी विश्लेषण करें और आतंकवाद के उस युग की भी जांच करें जिसमें 30,000 लोग मारे गए थे।
4000 लोग लापता हो गए। एलन गार्सिया के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने यह निर्णय घोषित किया।
नवंबर 2000 में अल्बर्टो फुजिमोरी को बर्खास्त किए जाने के बाद की स्थिति उनकी “नैतिक अयोग्यता” के बारे में। 9 सितंबर 2002 को, आयोग के अध्यक्ष सोलोमन ने कहा।
लर्नर विशेष रूप से टोक्यो में फुजिमोरी का साक्षात्कार लेने के लिए गए, जहाँ उन्होंने शरण ली हुई है।

1. “सत्य और उत्तरदायित्व की खोज में: एक लोकतांत्रिक भविष्य की ओर,” वोजिस्लाव कोस्टुनिका, 19 मई
2001, — http://www.b92.net/trr/eng/kostunica.html
हर तरह से दंडमुक्ति: अधिकार और कानून की गतिरोध 77

जवाबदेही से बचने के लिए।2 न्यायमूर्ति सोलोमन लर्नर ने चुनिंदा श्रोताओं को संबोधित किया।
15 फरवरी 2002 को लंदन में एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य के बारे में चर्चा हुई, जो कि समझने से संबंधित है...
पेरू में राजनीतिक हिंसा की जड़ें, जिनका सामना आयोग को करना पड़ा: "हिंसा,

ऐतिहासिक दिवालियापन की अभिव्यक्ति होने के अलावा, इसने हमारे वर्तमान में भी स्थिति उत्पन्न कर दी है और
हमारे भविष्य में एक प्रचुर और गहरी बेचैनी का भाव निहित है। एक बार फिर, यह मुश्किल है-
पेरू में लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण के बारे में सोचना एक पंथ है, बिना यह स्वीकार किए कि
इन गलतियों और बुराइयों को बिना कोई समाधान सुझाए ही दूर किया जा रहा है।3 कनाडा के अंतरराष्ट्रीय वकील जोनाथन डी. टेपरमैन के अनुसार,
फॉरेन अफेयर्स के एक एसोसिएट एडिटर के अलावा, 10 अन्य आयोगों का गठन किया गया है।
युगोस्लाविया और पेरू की पहलों के बीच की अवधि और 21 से अधिक सत्य
1974 से आयोगों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।4

आदर्श अनुभव: अर्जेंटीना और चिली
जैसा कि सुझाव दिया गया है, स्थानिक रूप से हिंसक समाजों में सत्य आयोगों का महत्व
इन उदाहरणों से यह प्रतीत होता है कि वे राजनीतिक दुरुपयोग के करीब पहुँचते हैं।
सत्ता, हिंसा और पीड़ित होने की भावना को उनके व्यापक ऐतिहासिक और मानक संदर्भों में समझना।
और सहभागितापूर्ण तरीके से जवाबदेही, क्षतिपूर्ति और मानवाधिकारों की बहाली की मांग करना।
न्याय प्रक्रिया में अभियोजन की तुलना में पश्चाताप और उपचार पर अधिक जोर दिया जाता है।
और दंड। यह दृष्टिकोण इस आधार पर आधारित है कि जो लोग सत्ता का प्रयोग करते हैं और
इससे पीड़ित अन्य लोगों को जिम्मेदारियों के बारे में एक साझा दृष्टिकोण से जोड़ा जा सकता है।
और रिश्ते की सीमाओं को समझते हुए, उस आधार पर एक सामान्य निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं।
सत्य की स्थिति, गलतियों का प्रायश्चित और भविष्य में होने वाले अत्याचारों को रोकने की प्रतिबद्धता-
संबंध। स्पष्टतः, यह उद्देश्य अपनी मूल अवधारणा में जितना महान है, इसे प्राप्त करना उतना ही कठिन है।
दक्षिण अफ्रीका का सत्य और सुलह आयोग (टीआरसी), जिसकी स्थापना की गई थी 1996 से 1998 तक का समय, न्याय के प्रति इस दृष्टिकोण का अब तक का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है।
टीआरसी की अंतिम रिपोर्ट की प्रस्तावना में, आर्कबिशप एमेरिटस डेसमंड आयोग की अध्यक्ष टूटू ने पोस्ट-अपार्टमेंट में आए एक डच आगंतुक के बारे में लिखा।
दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख ने कहा कि "सत्य और सुलह आयोग"
इसे असफल होना ही होगा। इसका कार्य बहुत ही चुनौतीपूर्ण है।” फिर भी, उन्होंने तर्क दिया, “विफल होने के बावजूद, इसमें कुछ खास बात है।”
पहले ही सभी तर्कसंगत अपेक्षाओं से परे सफलता प्राप्त कर ली है। उन्होंने एमिली डिकिंसन को उद्धृत किया।

“सत्य को धीरे-धीरे प्रकट होना चाहिए… अन्यथा सारा संसार अंधा हो जाएगा।”5
2. बीबीसी न्यूज़, शनिवार, 26 मई 2001, “पेरू सत्य आयोग का गठन करेगा” – http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/1352959.stm; बीबीसी न्यूज़, सोमवार, 9 सितंबर 2002, चार्ल्स स्कैनलोन, “पेरू सत्य जांच फुजिमोरी का पीछा करती है”, —
http://news.bbc.co.uk/2hi/americas/2246308.stm
3. लंदन स्थित पेरू दूतावास में, 15 फरवरी 2002 को, "न्याय स्थापित करने का कार्य: प्रस्तुति"
सत्य और सुलह आयोग के अध्यक्ष” – http://www.gci275.com/peru/lerner_reconciliation.shtml
4. जोनाथन डी. टेपरमैन, “सत्य और परिणाम”, फॉरेन अफेयर्स, मार्च, 2002 / अप्रैल, 2002।
खंड 1, अध्याय 1, अध्यक्ष द्वारा प्रस्तावना, पैराग्राफ 17 – http://www.news24.com/Content_Display/
TRC_Report/1chap1.htm
सारी सच्चाई बताओ, लेकिन घुमा-फिराकर बताओ।
सर्किट में सफलता निहित है
हमारी कमजोर डिलाइट के लिए बहुत तेज
सत्य का शानदार आश्चर्य
जैसे-जैसे बच्चों के लिए बिजली का कहर कम होता गया
स्पष्टीकरण सहित
78 राख में तब्दील

सत्य आयोग के सदस्यों के अनुभवों से इस महत्वपूर्ण बिंदु को विशेष रूप से बल मिलता है।
अर्जेंटीना, चिली, अल साल्वाडोर और ग्वाटेमाला जैसे लैटिन अमेरिकी देशों में स्थितियाँ।
हम संक्षेप में अर्जेंटीना और चिली के अनुभवों की जांच करेंगे।
पंजाब में हमें जिन मुद्दों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उनसे सीखने के लिए कुछ सबक।
सत्य के माध्यम से सत्ता के अतीत के दुरुपयोगों को सुधारने का पहला गंभीर प्रयास
अर्जेंटीना में उस समय आयोग का गठन किया गया था जब करिश्माई लोकतांत्रिक नेता राउल अल्फोंसिन ने...
1983 में चुनावों के माध्यम से सत्ता में आए, जिससे "गंदे युद्ध" का अंत हुआ, जिसकी शुरुआत हुई थी।
1976 में सैन्य शासन के दौरान, अल्फोंसिन ने नाटकीय रूप से लैटिन अमेरिकी परंपरा से नाता तोड़ दिया।
पूर्व सैन्य शासकों को शांत करने के लिए नौ सैन्य शासकों के कोर्ट-मार्शल का आदेश दिया गया।
1976 से 1982 के बीच शासन करने वाले व्यक्ति पर "आतंक, पीड़ा और मृत्यु" फैलाने का आरोप लगाया गया था।
पूरे अर्जेंटीनाई समाज में।" इन नौ लोगों में पूर्व राष्ट्रपति भी शामिल थे।

विदेला, वियोला और गाल्टिएरी.6
अल्फोंसिन की सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय लापता आयोग-
मेंट 7 की अध्यक्षता प्रसिद्ध लेखक, भौतिक विज्ञानी और मानवतावादी अर्नेस्टो सबाटो ने की थी।
“प्रति-बीमा” के दर्शन और कार्यप्रणाली का पहला व्यवस्थित अध्ययन किया। आधुनिक समय में "एजेंसी" की भूमिका। इसकी रिपोर्ट नुंका मास (फिर कभी नहीं), व्यापक शोध पर आधारित है।
पीड़ित परिवारों की गवाही से आतंकवाद विरोधी सोच और रणनीति का खुलासा हुआ।
जनरल सेंट जीन ने संक्षेप में निम्नलिखित शब्दों में समझाया: “पहले हम मारेंगे।”
सभी विध्वंसक तत्वों को। फिर हम उनके सहयोगियों को मार डालेंगे, फिर उनके समर्थकों को।
फिर वे लोग जो उदासीन रहते हैं और अंत में अनिर्णायक लोग।" यह प्रति-बीमा- आपातकालीन सोच ने गुप्त गतिविधियों से निपटने के अपरंपरागत और निर्मम तरीकों को उचित ठहराया।
विद्रोही संगठनों ने ज्ञान प्राप्ति के लिए यातना का उपयोग आवश्यक समझा। भूमिगत नेटवर्क के किनारे। यदि विद्रोहियों के किसी पकड़े गए समर्थक को रिहा नहीं किया जा सका तो...
यदि उसे धमकाकर या बहकाकर कठपुतली बना दिया गया, तो उसे मारना पड़ा। यह ढांचा भी
मानवाधिकार संगठनों को विध्वंसक प्रकृति का माना जाता था क्योंकि वे "योगदान करते थे-
राष्ट्र की पवित्र शक्ति और नैतिक सर्वोच्चता के विनाश का कारण बताया गया- राज्य"।
रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि सैन्य सरकार ने व्यवस्थित रूप से यातनाएं दीं, हत्याएं कीं।
लगभग 9,000 अर्जेंटीनाई नागरिकों की तलाशी ली गई और वे लापता हो गए। कई लोग लापता हो गए।
हवाई जहाज से उनके शवों को समुद्र में गिराने की अनूठी विधि द्वारा ताकि उनके शव कभी नहीं मिले।8 रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद,
सरकार ने नौसेना, वायु सेना और सैन्य बलों के कई वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ अभियोग शुरू किए।
अधिकारियों। सरकार ने स्थायी रूप से नागरिक सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया।
सेना ने आधे से अधिक जनरलों और एडमिरलों को सेवानिवृत्त कर दिया। इसने सैन्य खर्च में भारी कटौती की।
व्यय में भारी कटौती की गई और फैब्रिकेशियोनेस मिलिटारेस पर सैन्य नियंत्रण समाप्त कर दिया गया।

सत्य को धीरे-धीरे चमकना चाहिए
या फिर हर आदमी अंधा हो जाए।
एमिली डिकिंसन की कविताएँ निम्नलिखित वेबसाइट पर पढ़ी जा सकती हैं: http://members.aol.com/GivenRandy/r_emilyb.html

6. [illegible], “[illegible]”, [illegible], [illegible] 1984,
7. [illegible] 187/83, [illegible] 15 [illegible], 1983 [illegible] - [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible], "[illegible]", [illegible]; [illegible]", [illegible], 100, [illegible]. 2537 - 2615 [illegible], 1991[illegible]
8. [illegible] [illegible], [illegible] —, [illegible], [illegible] 235-6, 479; [illegible], “[illegible]”, [illegible] 20 [illegible] 2000 [illegible] –
http://globetrotter.berkeley.edu/people/Farer/Farer-Injustice.pdf
[illegible]: [illegible] 79

[illegible] 9
[illegible]...
[illegible] [illegible] 10 [illegible]
[illegible] 11

इसे "उचित आज्ञापालन का कानून" कहा जाता है, जिसका उद्देश्य वरिष्ठ अधिकारियों को छोड़कर सभी की रक्षा करना है।
कानूनी कार्रवाई से। 12 कानून ने सेना को शांत कर दिया, लेकिन कार्रवाई में साहसिक प्रयोग-
1983 में इस करिश्माई अर्जेंटीनाई लोकतंत्रवादी द्वारा शुरू की गई गणनात्मकता की नीति विफल रही।
चिली में भी इसी प्रक्रिया को कई प्रयोगात्मक विविधताओं के साथ दोहराया गया है।
दिसंबर 1989 में क्रिस पार्टी के पैट्रिकियो अलविन अज़ोकार की चुनावी सफलता के बाद...
तियान डेमोक्रेट्स पार्टी जिसने जनरल ऑगस्टो के 17 साल के शासन का अंत किया।
पिनोशे। अल्ल्विन अर्जेंटीना में जवाबदेही प्रक्रिया की विफलताओं से अवगत थे।
टीना ने फिर भी सत्य और सुलह के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की।
1990 में 1973 के सैन्य विद्रोह के बाद हुए मानवाधिकार उल्लंघनों की विरासत का सामना करने के लिए।
एलेन्डे की चुनी हुई सरकार के खिलाफ तख्तापलट। 13
पिनोशे ने अपने शासन को उन तरीकों से कायम रखा था जिनसे बर्बरता को प्रेरणा मिली थी।
भारतीय पंजाब सहित दुनिया भर की ताल व्यवस्थाओं में। सबसे पहले, निदेशालय राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी (डीआईएनए) की स्थापना जून 1974 में मैनुअल कॉन्ट्रेरास के नेतृत्व में हुई थी।
आतंकवाद विरोधी अभियानों का नेतृत्व किया। डीआईएनए "एन-
राज्य के शत्रु और राष्ट्रीय सुरक्षा के संभावित विरोधी। 14 पीड़ित थे। बिना गिरफ्तारी वारंट के, अक्सर दिन दहाड़े और गवाहों के सामने, जब्त किया गया।
पंजाब में, उन्हें एकांतवास में रखा गया, व्यवस्थित रूप से यातनाएं दी गईं, उनकी हत्या कर दी गई और वे लापता हो गए।
अगस्त 1977 में, पिनोशे को नए दबाव के चलते डीआईएनए को भंग करना पड़ा। अमेरिकी प्रशासन में राष्ट्रपति जिमी कार्टर के नेतृत्व में, लेकिन उन्होंने एक और आउट-
इस नए संगठन को राष्ट्रीय सूचना केंद्र (सीएनआई) कहा जाता है। यह विशेष संगठन...
पंजाब युद्ध के अग्रदूतों के रूप में कथित आतंकवादियों के साथ विस्तृत "गोलीबारी" करने में माहिर।
"मुठभेड़ों"। बाद में सीएनआई को सशस्त्र बलों की एक शाखा के रूप में मान्यता दी गई।

9 एडवर्ड शूमाकर, अर्जेंटीना और लोकतंत्र, उपर्युक्त।
10 कार्लोस नीनो, “टिप्पणी: अर्जेंटीना की संवैधानिक सरकार की मानवाधिकार नीति: ए
उत्तर,” 11 येल जे. इंट.एल एल, 1985, फुल स्टॉप लॉ, कानून संख्या 23492, 24 दिसंबर 1986।

11 [illegible], "[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]: [illegible] [illegible]
[illegible],'' 100 [illegible].[illegible]. 618, 620, 1991[illegible]
12. [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] 23521, 4 [illegible] 1987[illegible]
13 [illegible] [illegible]. [illegible], "[illegible] [illegible]: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 1973-1995,"
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], 1995, [illegible]. 253.
14 [illegible] [illegible], 20 [illegible] 2000, [illegible] [illegible], "[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]"[illegible]
80 [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]-
1991 [illegible] 1996 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] 2,095 [illegible]-
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 1,102 [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]15
[illegible] 1978 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] 1973 [illegible] [illegible] 1998 [illegible] [illegible] 1980 [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 48 [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 1988 [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 1989 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]-[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] 1998 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 16
16 [illegible] 1998 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] "[illegible] [illegible]"[illegible] [illegible] 16 [illegible]

उच्च स्तरीय कानूनी नाटक से भरपूर, जिसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स के दो ऐतिहासिक निर्णयों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
संप्रभु प्रतिरक्षा के सिद्धांत, मार्च 2000 में ब्रिटिश गृह युद्ध के साथ चरम पर पहुंच गए।
सचिव ने अर्ध-न्यायिक भूमिका में हस्तक्षेप करते हुए 84 वर्षीय व्यक्ति को वापस लाने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया।
एक पूर्व तानाशाह को "चिकित्सा कारणों" से चिली भेजा गया था। हालाँकि कई लोग लापता हो गए थे।
परिणाम से संकेत मिलता है कि इस प्रकरण ने इस सिद्धांत को स्थापित किया कि पूर्व प्रमुखों
मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन के लिए जिम्मेदार राज्य अभियोजन से मुक्त नहीं हैं।
मानवाधिकारों के सार्वभौमिक अधिकार क्षेत्र के भीतर।17 पिनोशे के शासनकाल के दौरान 16-
ब्रिटेन में एक महीने की हिरासत, तीन अन्य देशों - बेल्जियम, फ्रांस और स्विट्जरलैंड - में भी हिरासत में रखा गया।
ज़रलैंड ने इस आधार पर उसके प्रत्यर्पण की मांग की कि उनके नागरिकों को नुकसान हुआ है।
उनके शासनकाल में यातना, गुमशुदा लोगों का गायब होना और मनमानी हत्याएं हुईं। लेकिन अंग्रेजों ने
गृह सचिव ने उनके अनुरोध ठुकरा दिए। पिनोशे की चिली वापसी को एक अप्रत्याशित प्रतिक्रिया मिली।
मिली-जुली प्रतिक्रिया हुई और यह स्पष्ट नहीं था कि उसके अपराधों के लिए उस पर मुकदमा चलाया जाएगा या नहीं।
देश के भीतर तो वह अपराधी घोषित हो चुका था। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसे पहले ही भगोड़ा करार दिया जा चुका था।
यह समुदाय के लिए एक उपलब्धि थी और मानवाधिकार आंदोलन के लिए भी एक उपलब्धि थी।18 इसके अलावा,
पिनोशे की चिली वापसी, सशस्त्र बलों द्वारा आयोजित भव्य स्वागत समारोह के बीच हुई।
इन ताकतों ने राज्य के जांच करने के दायित्वों पर चर्चा को पुनर्जीवित किया।

15 द वाशिंगटन पोस्ट, 1 जुलाई 1999, करेन डी यंग और वर्नोन लोएब, "ऑगस्टो पिनोशे रिपोर्ट:
दस्तावेज़ दिखाते हैं कि अमेरिका को पिनोशे दमन के बारे में पता था” – http://www.hartford-hwp.com/archives/42a/ 140.html; एडवर्ड सी. स्नाइडर, ओप. सिट, 253.
16 ह्यूमन राइट्स वॉच रिपोर्ट, अक्टूबर 1999, खंड 11, संख्या 1(बी), “चिली: जब तानाशाह कांपते हैं:
पिनोशे मामला” – http://www.hrw.org/reports/1999/chile/index.htm
17 निर्णय – पिनोशे के मामले में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, 17 दिसंबर 1998 को मौखिक निर्णय: 15 पर कारण
जनवरी 1999 - http://
www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/Id199899/Idjudgment/

jd990115/pino01.htm; रूथ वेजवुड, "ऑगस्टो पिनोशे एंड इनरनेशनल लॉ", (2000) 46 मैकगिल लॉ जर्नल 241।
18. द मियामी हेराल्ड, 3 मार्च, 2000, केविन जी. हॉल, "पिनोशे को रिहा कर चिली लौटने की अनुमति दी गई" – http://www.rose-hulman.edu/~delacova/chile/released.htm
हर तरह से दंडमुक्ति: अधिकार और कानून की गतिरोध 81

अतीत में हुए मानवीय दुर्व्यवहारों को स्वीकार करें और उनका निवारण करें। चिली के नए राष्ट्रपति रिकार्डो लागोस ने वादा किया कि न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी।
अपना रास्ता खुद तय होने दो। न्यायपालिका भी हलचल मचाती हुई प्रतीत हुई जब उसने फैसला सुनाया कि पुराने
माफी कानून "जबरन गायब" की जांच में बाधा डालने पर लागू नहीं होगा। उपस्थिति”।19 चिली राज्य रक्षा परिषद, जो स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है-
राज्य के गठन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, सैंटियागो में सात मानवाधिकार वकीलों के एक समूह में शामिल हुए।
अपील अदालत से अभियोजन के लिए संसदीय प्रतिरक्षा हटाने का अनुरोध किया गया, जिसके तहत पिनोशे पर मुकदमा चलाया गया था।
जीवन भर के लिए प्राप्त अधिकार। जून 2000 में, अदालत ने 13 मतों से इस अधिकार को समाप्त करने का निर्णय लिया।
अदालत ने पिनोशे को अपहरण और हत्या के आरोप में घर में नजरबंद रखने का भी आदेश दिया।
“मौत के काफिले” के 75 पीड़ितों में से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।
इस आधार पर अपील की गई कि न्यायालय ने पूछताछ की औपचारिकता पूरी नहीं की थी।
पिनोशे और यह कि उचित चिकित्सा प्रमाण पत्र के बिना ऐसा नहीं किया जा सकता था कि वह
शारीरिक और मानसिक रूप से तनाव सहन करने के लिए सक्षम।20
इन असफलताओं और विवादों के बावजूद, सत्य और सत्य की खोज की प्रक्रिया जारी है।
चिली में सुलह की प्रक्रिया जारी रही। जून 2000 में, मेसा डे डायलॉग के सदस्यों ने, एक
“लापता होने” के मामलों को सुलझाने के लिए समर्पित संघर्ष समाधान समूह ने एक घोषणा जारी की।
प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करने के लिए एक विशेष विधायी पहल की मांग करने वाला प्रस्ताव।
समूह ने आगे आने वाले लोगों की पहचान गुप्त रखने के लिए कानूनी सुरक्षा की मांग की।
जानकारी के साथ। कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया जो जुलाई में कानून बन गया।
2002.21
स्पष्टतः, ये घटनाक्रम सत्य के प्रकाशन के परिणामस्वरूप हुए हैं।

1991 में आयोग की रिपोर्ट, किसी स्पष्ट और स्थायी जीत का प्रमाण नहीं है।
चिली में सत्य, जवाबदेही और दण्ड मुक्ति का अंत। हालाँकि, ये एक महत्वपूर्ण पहलू हैं।
1991 में पिनोशे के सत्ता से हटने के बाद से मानवाधिकार आंदोलन में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
सत्य आयोग के निष्कर्षों पर निम्नलिखित शब्दों में प्रतिक्रिया व्यक्त की: “सेना
चिली की सरकार स्पष्ट रूप से घोषणा करती है कि वह अपने समक्ष मुकदमे की तरह पेश किए जाने को स्वीकार नहीं करेगी।
मातृभूमि की स्वतंत्रता और संप्रभुता को बचाने के लिए नागरिकों को धन्यवाद।
नागरिक आबादी के आग्रह पर।"22 आयोग की रिपोर्ट, जिसने आलोचना की
अदालतों पर अपनी स्वतंत्रता का त्याग करने और मौलिक सिद्धांतों की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया गया है।
सभी नागरिकों के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी कड़ी प्रतिक्रिया आई थी।
न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट ने वास्तव में एक सार्वजनिक बयान जारी कर सरकार को दोषी ठहराया।
सत्य आयोग और सरकार शत्रुता का माहौल बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। न्यायपालिका के प्रति अवमानना।23 पिनोशे की गिरफ्तारी के बाद की घटनाएँ यूके और हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा 25 नवंबर 1998 और 17 को दिए गए दो फैसले दिसंबर 1998 ने निश्चित रूप से उनके राजनीतिक अहंकार और दावों का खंडन किया है।

19 जिन्न पत्रिका, 30 मार्च 2000, रोजर बर्बाक, “चिली में पिनोशे का मुकदमा और कष्ट — चिलीवासी”
पिनोशे और अन्य घरेलू समस्याओं का समाधान करने के लिए उत्सुक” – http://www.pacificnews.org/jinn/stories/6.06/000330-chile.html
20 एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट 2001, चिली, — http://web.amnesty.org/web/ar2001.nsf/webamrcountries/CHILE? OpenDocument
21 वही
22 मानवाधिकार और समझौतों की राजनीति, एक अमेरिका वॉच रिपोर्ट, 41, जुलाई 1991, पृष्ठ 32; रिपोर्ट
चिली राष्ट्रीय सत्य और सुलह आयोग, अनुवादक: फिलिप बेरीमैन, 1993; एडवर्ड सी. स्नाइडर, "गंदा कानूनी युद्ध: चिली में मानवाधिकार और कानून का शासन 1973-1995", तुलसा जर्नल ऑफ कंपैरेटिव एंड इंटरनेशनल लॉ, स्प्रिंग 1995। 23 अंतर्राष्ट्रीय न्यायविदों का आयोग और न्यायाधीशों और वकीलों की स्वतंत्रता के लिए केंद्र, चिली: ए
टाइम ऑफ रेकनिंग, 51 (1993) पृ. 219.
82 राख में तब्दील

अस्पष्टता। वे यह भी दर्शाते हैं कि न्याय और सत्य, लक्ष्यों के रूप में, शक्ति पर निर्भर करते हैं।
धैर्यपूर्ण दृढ़ता।

लोकप्रिय सह-एजेंसी
हमें उम्मीद थी कि पंजाब में नई अकाली सरकार इन वैश्विक घटनाओं से सबक लेगी।
अपने अनुभवों के आधार पर सत्य आयोग की कार्यप्रणाली का उपयोग करें, जैसा कि इसमें वादा किया गया था।
चुनाव घोषणापत्र में अतीत में हुए अत्याचारों के मुद्दों को संबोधित करने और उनकी जड़ को पहचानने का भी उल्लेख है।
शासन व्यवस्था में कानून के शासन से होने वाली भयानक विसंगतियों के कारण राज्य में 1984 से।
अतीत में हुए दुर्व्यवहारों और जवाबदेही पर सार्वजनिक चर्चा शुरू करने का महत्व
और जब हम इसके पैमाने पर ध्यान देते हैं तो दण्ड मुक्ति की संस्कृति स्पष्ट हो जाती है।
1984 से 1994 तक पंजाब में राज्य हिंसा की रूपरेखा। जैसा कि हम जानते हैं, एक असाधारण-
कानून के संरक्षण से अपेक्षाकृत बड़ी संख्या में लोगों को वंचित रखा गया था।
उनकी सामूहिक पहचान का आधार, और उतनी ही बड़ी संख्या में लोग, एक विरोधी- उस पहचान के संबंध में सैद्धांतिक रुख अपनाते हुए, हिंसा को अंजाम देने में भाग लिया।
प्रत्यक्ष रूप से, सहायक भूमिकाओं में और मौन समर्थकों के रूप में। नवंबर 1984 में,
दिल्ली में सिखों को गुप्त स्थानों पर ले जाकर विशेष हथियारों से लैस होकर नहीं मारा गया था।
जल्लादों के गिरोह। उन्हें खुलेआम मार डाला गया, अपंग किया गया, जलाया गया और सूली पर चढ़ा दिया गया।
अपने दैनिक कामकाज से जुड़े औजारों और उपकरणों से लैस बड़ी भीड़ सड़कों पर उतर आई।
जान लेने के लिए: चाकू, लाठी, डंडे, पत्थर, केरोसिन और ऐसे ही अन्य उपकरण। जानलेवा
इसमें कोई संदेह नहीं कि भीड़ को जुटाया गया था, कभी-कभी उन्हें आस-पास के गांवों से लाया गया था, और
इस घटना को प्रभावशाली राजनेताओं ने उकसाया और नेतृत्व किया, जिन्होंने सुरक्षा का वादा किया और उसे सुनिश्चित भी किया।
लेकिन उस नरसंहार में कुछ भी गुमनाम, गुप्त या दूरस्थ नहीं था।
यह कार्य खुलेआम लाखों लोगों द्वारा किया जाता है, जिनमें से कई लोग पूरक भूमिका निभाते हैं।
कई अन्य लोग वध स्थलों से दर्शकों के रूप में लौट रहे हैं, जिनमें कई अन्य कलाकार भी शामिल हैं।
पीड़ितों के चेहरे और कपड़ों पर खून और मांस के टुकड़े लगे हुए थे।
इसके अलावा, पंजाब में राज्य आतंकवाद के बारे में कुछ भी गुप्त नहीं था।
सुरक्षा
पुलिस ने संदिग्धों को खुलेआम गिरफ्तार किया और स्थानीय पुलिस स्टेशन में उनसे पूछताछ की।

सुलभ इलाकों में स्थित स्टेशनों और अन्य हिरासत स्थलों में जाकर उन्हें मार डाला गया।
तथाकथित "मुठभेड़ें" जिन्हें इलाके में हर कोई फर्जी जानता था। फिर भी, देखते हुए
परिस्थिति के सांप्रदायिक विभाजन के बावजूद, सुरक्षा बल अनुमोदित माहौल में काम कर रहे थे।
आँखों के सामने और आबादी के बड़े हिस्से की मिलीभगत से। हमारे विचार में, संगठित हिंसा की इन स्थितियों के लिए उपचार और क्षतिपूर्ति खोजने का प्रयास किया जाता है।
और राज्य द्वारा किए गए अत्याचार तब तक प्रभावी नहीं हो सकते जब तक वे दुष्परिणामों का हिसाब नहीं रखते और उनका समाधान नहीं करते।
लोकप्रिय सह-एजेंसी की वह गतिशीलता जिसने दुर्व्यवहारों को होने दिया और फिर उनसे बच निकलने दिया
आधिकारिक इनकार और सामाजिक चुप्पी के समझौते के माध्यम से जवाबदेही तय करना।
कई विद्वानों ने निम्नवर्गीय और "लोकप्रिय" चरित्र का अध्ययन किया है। अन्य समाजों में राज्य की नरसंहारकारी परियोजनाएँ, विशेषकर जर्मन नाज़ी काल में
इतिहास, ताकि उन ऐतिहासिक और राजनीतिक कारकों को समझा जा सके जो उन्हें प्रबंधन करने के लिए प्रेरित करते हैं।
महमूद ममदानी की रवांडा में हुए नरसंहार पर हाल ही में प्रकाशित पुस्तक, जिसमें शामिल है...
हुतु और तुत्सी आबादी, विशेष रूप से समझने में सहायक होनी चाहिए। पंजाब में जो कुछ हुआ, उसे सांप्रदायिक स्वीकृति मिली। यह पुस्तक ध्यान देने योग्य है।
क्योंकि यह नरसंहार पर चर्चा के मौन क्षेत्रों में प्रवेश करता है, इसकी जांच करके...
वे दृष्टिकोण और प्रतिध्वनियाँ जो इसे संभव बनाती हैं। विशेष रूप से व्यापक समझ के लिए प्रासंगिक।
इस उत्कृष्ट युगांडावासी ने पंजाबी स्थिति को संभालने का दृष्टिकोण अपनाया है।
हर तरह से दंडमुक्ति: अधिकार और कानून की गतिरोध 83

औपनिवेशिक अफ्रीका में "पहचान निर्माण" के इतिहास की जांच करने में बुद्धिजीवी और
राष्ट्रवादी क्रांतियों की विफलताओं के बारे में उनका विश्लेषण उन्हें एक
नागरिकता का आधार जो नरसंहार की प्रवृत्ति का सामना कर सके।24
एक ही भौतिक परिवेश में रहने वालों के खिलाफ हिंसा को सहन करना और उसे मंजूरी देना
स्थान तो है लेकिन मानव समुदाय के आंतरिक परिदृश्य से संबंधित नहीं है, यह कोई नई बात नहीं है।
इतिहास। मार्क ट्वेन की 'एडवेंचर्स ऑफ हकल बेरी फिन' में, हक अपनी चाची को कहानी सुनाता है।

सैली अपने स्टीमबोट में हुए विस्फोट से बाल-बाल बच गया। आंटी सैली चौंक गई।
इतना काफी था कि पूछना पड़े: “हे भगवान! कोई घायल हुआ है क्या?” “नहीं,” जवाब आता है: “मारा गया है”
एक नीग्रो।” आंटी सैली ने राहत महसूस करते हुए कहा: “खैर, यह अच्छी बात है, क्योंकि कभी-कभी
लोग चोटिल तो होते ही हैं।” आंटी सैली की संतुष्ट प्रतिक्रिया अंधकार के सार को दर्शाती है।
अमेरिकी गृहयुद्ध से 20 साल पहले, अमेरिकी दक्षिण में, जैसा कि किसी भी विद्वान कार्य में नहीं देखा गया है।
इतिहास ऐसा कर सकता है। "नीग्रो" लोग नहीं थे और उनकी पीड़ा, उनके अधिकार और उनके
श्वेत लोगों की चेतना में इन उल्लंघनों को लेकर कोई चिंता का विषय नहीं उभरा।25
हम जानते हैं कि यहूदियों को "ईश्वर-हत्यारी जाति" और उनकी संतान के रूप में "राक्षसीकरण" कैसे किया गया था।
जुदास इस्कारियोट की साजिश होलोकॉस्ट की खबरों से दुनिया को बचाने में कामयाब रही।
एक ऐसा दौर जब इसे रोका जा सकता था। इतिहास का एकतरफापन ऐसा ही है।
यह कहानी एक ऐसी दुनिया में घटित होती है जो सत्य के बारे में साझा दृष्टिकोण का कोई सम्मान नहीं करती।

भाग दो: विधायी तंत्र
जवाबी कार्रवाई

कठोर कानून
भारतीय सत्ता प्रतिष्ठान के प्रमुख नेता अक्सर यह दावा दोहराते हैं कि "अति"
इसका अर्थ है अवैध हिरासत, हिरासत में यातना, मनमानी हत्याएं और जबरन बर्खास्तगी।
आतंकवाद ने अदालतों को पंगु बना दिया था, जिसके कारण ये स्थितियां अपरिहार्य हो गई थीं।
जिसके परिणामस्वरूप मुकदमे के लिए उनके समक्ष लाए गए आरोपियों को दोषी साबित करने में सफलता नहीं मिली। इस मामले के गुण-दोष।
इस दावे की असाधारण शक्तियों के संदर्भ में गहन जांच की आवश्यकता है।
पंजाब में सुरक्षा बलों को संसदीय परिषद द्वारा निर्मित विधायी तंत्र के भीतर प्राप्त विशेषाधिकारों का लाभ मिलता था।
संसद द्वारा पारित और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य में उग्रवाद से निपटने के लिए समर्थित इस विधेयक का उद्देश्य था।
मार्च 1988 में संसद ने संविधान का 59 वां संशोधन पारित किया।
केंद्र सरकार को राज्य में राष्ट्रपति शासन को एक वर्ष से अधिक समय तक बढ़ाने की अनुमति देना
वर्ष, "आंतरिक अशांति" के आधार पर आपातकाल लागू करना, और वायु सेना को निलंबित करना।

संविधान का अनुच्छेद 21 यह गारंटी देता है कि "किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जाएगा"
कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही जीवन और स्वतंत्रता का हनन किया जा सकता है। 26
केंद्र सरकार ने संसद के माध्यम से इस संवैधानिक संशोधन को जबरदस्ती लागू करवाया।
संसद, अपने पास पहले से मौजूद सभी विशेष कानूनों के बावजूद। निम्नलिखित

24 महमूद मंदानी, जब पीड़ित हत्यारे बन जाते हैं: उपनिवेशवाद, स्वदेशीवाद और नरसंहार
रवांडा, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस, 2002।
25 माइकल लोब्बन, श्वेत व्यक्ति का न्याय: अश्वेत चेतना युग में दक्षिण अफ्रीकी राजनीतिक मुकदमे,
ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, एनवाई, 1996, पृ. 184.
26. कुमार, सीबेरर, सिख संघर्ष, ओप. सिट, पृष्ठ 288-289 में उद्धृत।
84 राख में तब्दील

ये पंजाब में लागू कुछ ऐसे काले कानून हैं, जिनके कठोर प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति द्वारा इन निर्णयों को बरकरार रखा गया।
1. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980, जिसका उद्देश्य "विरोधी" गतिविधियों से प्रभावी ढंग से निपटना था।
सामाजिक और राष्ट्रविरोधी तत्वों" को संशोधन अधिनियम 24, 1984 द्वारा विशेष रूप से "पंजाब और चंडीगढ़ के अशांत क्षेत्रों में चरमपंथी और आतंकवादी तत्वों" के संदर्भ में संशोधित किया गया था।27 इस अधिनियम में भारत के सभी हिस्सों में एक वर्ष और पंजाब में दो वर्ष तक बिना आरोप या मुकदमे के हिरासत का प्रावधान था।
2. सशस्त्र बल (पंजाब और चंडीगढ़) विशेष शक्तियां अधिनियम द्वारा सशक्त बनाया गया
सुरक्षा बलों को किसी भी परिसर में प्रवेश करने और तलाशी लेने तथा बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया था। इसने सुरक्षा बलों को "आतंकवादी ठिकाना" होने के संदेह पर किसी भी स्थान को नष्ट करने तथा संदिग्ध आतंकवादी को गोली मारकर हत्या करने का अधिकार भी दिया था, जिसमें उन्हें अभियोजन से छूट प्राप्त थी।28
3. अंत में, आतंकवादी प्रभावित क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1984 था, और
पंजाब में मई 1985 में आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम लागू किया गया था, जिसकी अवधि दो वर्ष तक सीमित थी। इस अवधि के अंत में, केंद्र सरकार ने महसूस किया, जैसा कि अधिनियम की प्रस्तावना में उद्देश्यों और कारणों के विवरण में बताया गया है, कि पुलिस को अधिनियम की विशेष शक्तियों की आवश्यकता है, क्योंकि "विभिन्न कारकों के कारण, जो घटनाएं शुरू में छिटपुट थीं, वे अब विशेष रूप से पंजाब जैसे राज्यों में एक निरंतर खतरा बन गई हैं। अनुभव के आधार पर, यह महसूस किया गया कि आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए, उक्त कानून को जारी रखना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि इसे और मजबूत करना भी आवश्यक

है।" इन बातों को ध्यान में रखते हुए, भारत के राष्ट्रपति ने मई 1987 में आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अध्यादेश जारी किया। संसद के दोनों सदनों द्वारा सितंबर 1987 में इसे कानून के रूप में पारित किए जाने के बाद, इस अध्यादेश को आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (TADA), 1987 से प्रतिस्थापित कर दिया गया। अधिनियम की अवधि फिर से दो वर्ष निर्धारित की गई थी, लेकिन 1989, 1991 और 1993 में इसकी समाप्ति तिथि पर, TADA को दो-दो वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया, अंतिम बार संशोधन अधिनियम 43, 1993 के माध्यम से।29

टीएडीए के प्रावधानों की जांच
कठोर जनादेश की गहराई और व्यापकता को समझने के लिए, सुरक्षा बलों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि...
संसद से पंजाब को प्राप्त अधिकार, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है, हम इसकी जांच करेंगे-
टीएडीए के प्रावधानों की विस्तार से व्याख्या करें।
इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थीं, जो संपूर्ण क्षेत्र पर लागू होती थीं।
यह अधिनियम भारत में लागू होता था और देश के बाहर रहने वाले भारतीय नागरिकों पर भी लागू होता था। 30 यह अधिनियम अनुमति प्रदान करता था।
मई 1995 में यह कानून समाप्त हो गया था, लेकिन 1995 से पहले शुरू किए गए मामले अभी भी कानूनी रूप से मान्य हैं।
वैधता।
इस अधिनियम में आतंकवादी को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: (1) “जो कोई भी सरकार को डराने के इरादे से...”
लोगों में दहशत फैलाने के लिए... या उनके बीच सद्भाव को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने के लिए

27 राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980, संशोधन अधिनियम 24, 1984 के उद्देश्यों और कारणों का विवरण।
28 आई. एस. जयजी, नरसंहार की राजनीति, चंडीगढ़, 1995, पृ. 143
29 आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1987, उद्देश्यों और कारणों का विवरण।
30 TADA 1. [2 a & b]
हर तरह से दंडमुक्ति: अधिकार और कानून की गतिरोध 85

समाज के विभिन्न वर्ग बम, डायनामाइट या अन्य चीजों का उपयोग करके कोई भी कृत्य करते हैं।
विस्फोटक पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ या आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार-
विषों, हानिकारक गैसों, अन्य रसायनों या किसी अन्य पदार्थ द्वारा...
इस प्रकार से कार्य करना जिससे किसी की मृत्यु हो जाए या चोट लगने की संभावना हो, या जिससे किसी की मृत्यु हो जाए या किसी को चोट लगे व्यक्ति... या संपत्ति का विनाश या सेवाओं की आपूर्ति में व्यवधान... या

किसी व्यक्ति को हिरासत में लेता है और उसे जान से मारने या घायल करने की धमकी देता है ताकि उसे विवश किया जा सके।
सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने या न करने के लिए प्रेरित करना, अपराध है।
आतंकवादी कृत्य; (2) जो कोई भी षड्यंत्र रचता है... या वकालत करता है, उकसाता है, सलाह देता है या भड़काता है या...
किसी आतंकवादी कृत्य या आतंकवादी कृत्य की तैयारी से संबंधित किसी भी कृत्य को अंजाम देने में सहायता करना;
(3) जो कोई भी किसी आतंकी गतिविधि को शरण देता है या छुपाता है, या शरण देने या छुपाने का प्रयास करता है-
है. 31
आतंकवादी कृत्य के लिए उकसाने का अर्थ है: “(1) किसी भी व्यक्ति के साथ संचार या संबंध रखना
वह व्यक्ति... जो आतंकवादियों या उपद्रवियों की सहायता करने में लगा हुआ है; (2) आगे बढ़ाना
या आतंकवादियों या उपद्रवियों की सहायता करने वाली किसी भी जानकारी का प्रकाशन...
और उनसे प्राप्त किसी भी दस्तावेज या सामग्री का प्रकाशन या वितरण;
(3) उन्हें वित्तीय या अन्य प्रकार की कोई भी सहायता प्रदान करना। विघटनकारी गतिविधि को किसी भी प्रकार की कार्रवाई के रूप में परिभाषित किया गया था, चाहे वह कार्य द्वारा हो या भाषण द्वारा।
या किसी अन्य माध्यम से या किसी अन्य तरीके से... ‘(1) जो प्रश्न उठाता है, बाधित करता है
या जिसका उद्देश्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संप्रभुता और क्षेत्रीयता को बाधित करना है।
भारत की वास्तविक अखंडता; या (2) जिसका उद्देश्य किसी दावे को उत्पन्न करना हो या उसका समर्थन करना हो,
चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से, भारत के किसी भी भाग को... से अलग करने के लिए
संघ; (3) जो वकालत करता है, सलाह देता है, सुझाव देता है या उकसाता है या भविष्यवाणी करता है या
इस प्रकार उच्चारण करता है या अन्यथा व्यक्त करता है जिससे उकसाने, सलाह देने, सुझाव देने या
संविधान के तहत शपथ से बंधे किसी भी व्यक्ति की हत्या या विनाश के लिए उकसाना।
भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिए शिक्षा।33
आतंकवादी कृत्यों के लिए दंड इस प्रकार थे: (1) मृत्युदंड या आजीवन कारावास, साथ ही
यदि किसी कृत्य के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जुर्माना लगाया जाएगा; (2) किसी अन्य मामले में,
इस कृत्य के लिए कम से कम पांच साल की कैद की सजा का प्रावधान था।
आजीवन कारावास की सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है।34
अशांति फैलाने वाली गतिविधियों के लिए कम से कम एक वर्ष की कारावास की सजा का प्रावधान था।
पांच वर्ष की सजा और आजीवन कारावास, साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान है।35

अवैध हथियारों, गोला-बारूद या विस्फोटकों का कब्ज़ा रखना और आतंकवाद में सहायता करना-
किसी भी उपद्रवी या विघटनकारी द्वारा इन्हें अपने पास रखना कारावास की सजा के योग्य था।
कम से कम पांच वर्ष की सजा, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। 36
इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय प्रत्येक अपराध की सुनवाई केवल निर्दिष्ट न्यायालयों में ही की जानी थी।
केंद्र या राज्य सरकार द्वारा गठित न्यायालय। सरकार भी...
मुख्य न्यायाधीश की सहमति से पीठासीन न्यायाधीश और अतिरिक्त न्यायाधीशों को निर्देश दिए गए।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ये न्यायाधीश अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी अपने पदों पर बने रहे।
नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति की आयु।37

31 फिर 3. [1], [3], [4]
32 टाडा (2) [ए] प्रथम, द्वितीय और तृतीय
33 नहीं, (4) [2] I-II, [3] A-B
34 तब (3) [2] I-II, [3], [4]
35 तब (4)
36 फिर, 5 और 6
37 फिर, (9) 1-4, (11) 1-7
86 राख में तब्दील

नामित न्यायालयों का क्षेत्राधिकार, प्रक्रिया और शक्तियां:
(1) केंद्र सरकार भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से...
यदि किसी राज्य में किसी नामित न्यायालय के समक्ष लंबित किसी मामले को उसकी राय में त्वरित सुनवाई, गवाहों, अभियोजक और न्यायाधीश की सुरक्षा, या न्याय के हित के लिए आवश्यक हो, तो वह उस राज्य के भीतर या किसी अन्य राज्य में किसी अन्य नामित न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। 38
(2) कोई नामित न्यायालय शिकायत या पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने पर संज्ञान ले सकता है-
किसी भी अपराध के मामले में, अभियुक्त को मुकदमे के लिए पेश किए बिना भी सुनवाई की कार्यवाही की जा सकती है। यह अभियुक्त या उसके वकील की अनुपस्थिति में भी मुकदमे की कार्यवाही कर सकता है और किसी भी गवाह के साक्ष्य दर्ज कर सकता है।39
(3) किसी नामित न्यायालय के समक्ष सभी कार्यवाही न्यायालय के विवेक पर हो सकती है
सुनवाई बंद कमरे में आयोजित की जाएगी। नामित न्यायालय गवाहों की पहचान और पते गुप्त रखने के लिए आवश्यक उपाय कर सकता है। यह मुकदमे की कार्यवाही आयोजित करने का स्थान भी तय कर सकता है और अपने आदेशों, निर्णयों या मामले के किसी भी अभिलेख में गवाहों के नाम और पते को छुपा सकता है। इसके अलावा, न्यायालय यह निर्देश जारी कर सकता है कि गवाहों की पहचान और पते का खुलासा नहीं किया जाएगा और न्यायालय की कार्यवाही किसी भी तरह से प्रकाशित नहीं की जाएगी। नामित न्यायालय के किसी भी निर्णय, सजा या आदेश के विरुद्ध अपील

आदेश की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही की जा सकती है।40
(4) जब किसी व्यक्ति पर अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध का आरोप लगाया जाता है, तो नामित न्यायालय
न्यायालय मुकदमे की अवधि के दौरान उसकी सभी संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दे सकता था। यदि मुकदमा दोषसिद्धि में समाप्त होता, तो कुर्क की गई संपत्तियां सभी भारों से मुक्त होकर सरकार को सौंप दी जातीं। यदि न्यायालय किसी पुलिस अधिकारी या केंद्र सरकार के किसी अधिकारी, जिसे अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, जांच करने और मुकदमा चलाने के लिए विशेष रूप से नियुक्त किया गया हो, से रिपोर्ट प्राप्त होने पर संतुष्ट होता कि अधिनियम के अंतर्गत अपराध करने वाला कोई व्यक्ति फरार है या गिरफ्तारी से बचने के लिए छिपा हुआ है, तो न्यायालय एक लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता था जिसमें उसे ऐसी उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों से अधिक की अवधि के भीतर एक निर्दिष्ट स्थान और निर्दिष्ट समय पर उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता। आदेश का पालन न करने पर, उस व्यक्ति को उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया जाता। 41
गिरफ्तारी, जांच और साक्ष्य:
(1) जब किसी व्यक्ति को घोषित अपराधी घोषित कर दिया गया हो, तो साक्ष्य के आधार पर-
गवाहों द्वारा उसकी तस्वीर से उसकी पहचान करना, परीक्षण पहचान परेड के साक्ष्य के समान ही मूल्यवान था;42
(2) अधिनियम के तहत आरोपित कोई भी व्यक्ति अग्रिम जमानत का लाभ नहीं उठा सकता।
दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), 1973 की धारा 438 के तहत;43
(3) टीएडीए के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जा सकता है-
धारा 167 के तहत, कार्यपालिका मजिस्ट्रेट या विशेष कार्यपालिका मजिस्ट्रेट द्वारा।

38 टाडा 11 [2] ए-सी
39 तब, (14) 1, 5
40 फिर, [16] 1-3, [19] 1-3
41 टाडा, [8] 1-3, [22] 17 टाडा नियम, 1987
42 फिर, 22
43 तब, [20] 7
हर तरह से दंडमुक्ति: अधिकार और कानून की गतिरोध 87

दंड प्रक्रिया के तहत, जो अपने अधिकार क्षेत्र की परवाह किए बिना, जांच के उद्देश्य से आरोपी को अधिकतम साठ दिनों की अवधि के लिए पुलिस हिरासत में रखने की अनुमति दे सकता है;44
(4) अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जमानत के बिना हिरासत में रखा जा सकता है
अभियोजन पक्ष को उसके खिलाफ जांच पूरी करने में सक्षम बनाने के लिए अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए;45

(5) इस अवधि की समाप्ति पर भी विचाराधीन अभियुक्त जमानत का दावा नहीं कर सकता।
जब तक न्यायालय उचित आधारों पर संतुष्ट न हो जाए कि उसने न तो अधिनियम के तहत कोई अपराध किया है और न ही जमानत पर रहते हुए कोई अपराध करने की संभावना है;46
(6) किसी अभियुक्त, सह-अभियुक्त, सहायक या षड्यंत्रकारी द्वारा किसी के समक्ष दिए गए इकबालिया बयान
पुलिस अधीक्षक रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा लिखित रूप में या किसी यांत्रिक उपकरण में दर्ज की गई जानकारी मुकदमे में साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य थी। यदि अभियोजन पक्ष ने यह साबित कर दिया कि आरोपी के कब्जे से हथियार या विस्फोटक बरामद किए गए थे, या किसी विशेषज्ञ के साक्ष्य से अपराध स्थल पर उसके उंगलियों के निशान पाए गए थे, या किसी सह-आरोपी ने आरोपी की संलिप्तता स्वीकार की थी, या आरोपी ने किसी व्यक्ति के सामने अपना अपराध स्वीकार किया था, तो नामित न्यायालय को, जब तक कि इसके विपरीत सिद्ध न हो जाए, यह मान लेना था कि आरोपी ने अपराध किया था;47
(7) संहिता की धारा 164 के तहत इकबालिया बयान और बयानों को रिकॉर्ड करना आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट, कार्यकारी मजिस्ट्रेट और विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा भी, चाहे मामले में उनका अधिकार क्षेत्र हो या न हो, टीएडीए के तहत किसी मामले की जांच कर रहे अधिकारी के अनुरोध पर भी ऐसा किया जा सकता था;48
(8) किसी भी सरकार और उसके अधिकारियों को किसी भी रूप में किसी भी न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता
वह कार्रवाई जो उन्होंने सद्भावनापूर्वक अधिनियम के अनुसरण में की थी या करने का दावा किया था।49

तर्क और प्रतिवाद: सुप्रीम कोर्ट ने टीएडीए को बरकरार रखा
टाडा के प्रावधानों की सरसरी जांच से भी पता चलता है कि वे नहीं थे
यह अत्यधिक कठोर है और इसमें मूलभूत सिद्धांतों के दुरुपयोग और गलत इस्तेमाल की पर्याप्त गुंजाइश है।
संविधान के अध्याय III द्वारा गारंटीकृत अधिकारों का उल्लंघन करते हुए, उन्होंने बफर क्षेत्र को भी ध्वस्त कर दिया।
भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और अपराध संहिता द्वारा स्थापित प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के संबंध में...
आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम (CrPC) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। कई रिट याचिकाएं, आपराधिक मामले
सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपीलें और विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की गईं, जिनमें इन फैसलों को चुनौती दी गई थी।
आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न प्रावधानों की संवैधानिक वैधता की जांच करना।
(विशेष न्यायालय) अधिनियम (संख्या 51 ऑफ 1984), और टीएडीए, जिसे न्यायालय ने अंततः
करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य के सामान्य निर्णय के माध्यम से निपटाया गया 11 मार्च 1994 को घोषित किया गया।

44 फिर, [20] 4
45 टाडा, [20] 4-बी
46 टाडा, [20] 8 ए और बी
47 टाडा, [15] 1-2, [21] 1 ए-डी
48 फिर, [20]3
49 तब, [26]
88 राख में तब्दील

इस फैसले की जांच दो भागों में की जा सकती है: पहला मुख्य बिंदु के संबंध में।
वे तर्क जो पारंपरिक रूप से नष्ट करने के लिए टाडा की वैधता को चुनौती देते थे
आपराधिक प्रक्रिया विनियमन के स्थापित सुरक्षा उपाय; फिर इसके संदर्भ में संसद की विधायी क्षमता के व्यापक मुद्दे के इर्द-गिर्द की बहसें
कानून लागू करें। सुविधा और संक्षिप्तता के लिए, हम न्यायाधीश की जांच करेंगे-
केवल तर्कों के पहले भाग में ही तीन मुख्य सिद्धांतों के अंतर्गत उन्हें एकत्रित करके उल्लेख किया गया है।
टीएडीए द्वारा नष्ट किए गए प्रक्रिया के सिद्धांत: [I] सबूत का बोझ; [II] न्यायिक अनिर्दिष्टता-
लंबित अवधि; और [III] निष्पक्ष सुनवाई। नीचे, हम पहले इसके विरुद्ध दिए गए तर्कों को प्रस्तुत करते हैं।
टाडा, और फिर करतार सिंह बनाम मामले में इन तर्कों पर न्यायालय की प्रतिक्रिया।
पंजाब राज्य।
(I) सबूत का भार
बहस
भारत में आपराधिक मुकदमे की प्रणाली के परंपरागत रूप से स्थापित नियमों के तहत, किसी भी प्रकार का अपराध-
जब तक कानूनी साक्ष्य द्वारा इसकी पुष्टि न हो जाए, तब तक बाड़ साबित नहीं होती और न ही कोई आरोप लगाया जाता है।
इस साक्ष्य को प्रस्तुत करने का दायित्व अभियोजन पक्ष पर है। धारा 111 के अनुसार
साक्ष्य अधिनियम के अनुसार, अभियोजन पक्ष द्वारा अपने ऊपर साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने तक आरोपी को निर्दोष माना जाता है।
दायित्व, इसके विपरीत स्थापित करता है। टीएडीए की धारा 21, जहां तक यह आदेश देती है
अभियुक्त के विरुद्ध दोषारोपण की पूर्वधारणा ने इस सिद्धांत को उलट दिया। यह विचलन
स्थापित कानूनी परंपरा से प्राप्त प्रावधान को साक्ष्य अधिनियम में स्थायी स्थान प्राप्त हुआ।
धारा 111(ए) को शामिल करके, जो आतंकवादी कानून के पारित होने के साथ हुआ।
प्रभावित क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1984.50
टीएडीए की धारा 2(1)(ए) में “उकसाने” शब्द की परिभाषा को हटा दिया गया है।

आपराधिक इरादे का सबूत या "अपराधी इरादे" का सिद्धांत। इसने स्पष्टीकरण को खारिज कर दिया।
आईपीसी की धारा 107 और 108 में दिए गए प्रावधान जो गलत इरादे को पूर्वकल्पित करते हैं
“उकसाने” के अपराध का अनिवार्य तत्व। इस प्रकार, टीएडीए ने आवश्यक तत्व को नष्ट कर दिया।
पुरानी कहावत में दंडात्मक देनदारियों की स्थिति "एक्टस नॉन फैसिट रेम, निसी माइंड"
"सिट रिया", जिसका अर्थ है "केवल कृत्य से ही अपराध सिद्ध नहीं होता, इसके साथ कुछ और भी होना चाहिए"।
"दोषी मन से"। धारा 2(1)(क) ने सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों को भी पलट दिया।
न्यायालय को "उकसाने" के अपराध का गठन करने के लिए इरादे और कृत्य की सहमति की आवश्यकता होती है।
51 टीएडीए का यह भाग असंवैधानिक था और सिद्धांतों के विपरीत था। निष्पक्षता और तर्कसंगतता।
टीएडीए की धारा 15 के तहत अधीक्षक रैंक के पुलिस अधिकारी को यह अधिकार दिया गया था कि वह
हिरासत में लिए गए अभियुक्तों के इकबालिया बयान दर्ज करना, और इसकी धारा 22 के तहत फोटो को दी गई जानकारी।
घोषित अपराधी की ग्राफिक पहचान, साक्ष्य का मूल्य जो

साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 111(क) का अनुपूरक; आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम,
1984. संबंधित धाराओं का सार: 121 - भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना या युद्ध छेड़ने का प्रयास करना, या युद्ध छेड़ने में सहायता करना; 121(क) राज्य के विरुद्ध कुछ अपराध करने की साजिश रचना; 122 - भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के इरादे से हथियार आदि एकत्र करना; 123 - युद्ध छेड़ने की योजना को सुविधाजनक बनाने के इरादे से छुपाना।
51 इंदर सैन बनाम पंजाब राज्य, (1973) 2 एससीसी 372: 1973 एससीसी (क्रिमिनल) 813 - (एससीसी पृष्ठ 378, पैरा 20); राज्य
महाराष्ट्र बनाम एम. एच. जॉर्ज, (1955) 1 एससीआर 123: एआईआर 1965 एससी 722: (1965) 1 क्रि एलजे 641 - (एससीआर पृ. 139); नथुलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य, एआईआर 1966 एससी 43: 1966 क्रि एलजे 71 - (एआईआर पृ. 45); श्रीनिवास मल्ल बैरोलिया बनाम राजा-सम्राट, एआईआर 1947 पीसी 135: 49 बॉम्ब एलआर 688: (1947) 2 एमएलजे 328; रावुला हरिप्रसाद राव बनाम राज्य, 1951 एससीआर 322: एआईआर 1951 एससी 204: 52 क्रि एलजे 768; सरजू प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1961) 3 एससीआर 324: एआईआर 1961 एससी 631: (1961) 1 क्रि एलजे 747. हर तरह से दंडमुक्ति: अधिकार और कानून की गतिरोध 89

सामान्यतः भौतिक पहचान के लिए निर्धारित। इन प्रावधानों ने "प्रक्रिया" का उल्लंघन किया।
उन्होंने साक्ष्य अधिनियम के कवच को हटाते हुए "कानून द्वारा स्थापित अवधि" का हवाला दिया।

धारा 24, 25, 26 और 27, जिनमें इस प्रकार के साक्ष्य को स्वीकार करने पर रोक लगाई गई है
1872 में अधिनियम के लागू होने के बाद से ही मुकदमे चल रहे हैं। सीआरपीसी की धारा 164(ए) भी लागू होती है।
यह कानून पुलिस अधिकारियों द्वारा दिए गए इकबालिया बयानों को रिकॉर्ड करने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाता है, भले ही वे
उन्हें मजिस्ट्रेटीय शक्तियां प्रदान की गईं। टीएडीए ने स्पष्ट आदेश का भी उल्लंघन किया।
संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अनुसार, “किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर किया गया।"
भारत में पुलिस अधिकारी अपने दमनकारी व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। संदिग्धों को हिरासत में लेने और शारीरिक यातना के तहत उनसे जबरन बयान दिलवाने के लिए।
स्वयं को दोषी ठहराने वाले बयान। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की चौथी रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया गया है।
चिंता के साथ, "पर्यवेक्षण स्तर के कुछ अधिकारियों की भी इसका विरोध करने की प्रवृत्ति है।"
त्वरित परिणाम प्राप्त करने के प्रयास में इस प्रथा को वित्तपोषित करना... यहां तक कि नेक इरादे वाले अधिकारी भी।
कभी-कभी तृतीय डिग्री विधियों की ओर आकर्षित होते हैं... इसके अलावा, कानून “हिरासत में किए गए अपराध” पर आयोग के कार्यपत्र में कहा गया है कि सत्ता का दुरुपयोग...
बंदियों के खिलाफ पुलिस की शक्ति अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता का विषय बन गई है।
निति.52 इस प्रकार, हिरासत में किए गए अपराधों के निर्णायक साक्ष्य जो मौजूद हैं, उनके विरुद्ध
भारतीय पुलिस और विशेषज्ञों के निष्कर्ष मनोविज्ञान और इसके परिणामों पर आधारित हैं।
हिरासत में पूछताछ के दौरान उन शक्तियों पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगाया गया है जो टीएडीए की धारा 15 के अंतर्गत आती हैं।
अधीक्षक के पद से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को प्रदान किया जाता है।53 यह खंड-
टाडा के फैसले ने न केवल अमेरिका बल्कि सर्वसम्मत न्यायिक फैसले का भी अपमान किया।
न केवल ब्रिटेन में, बल्कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी यह माना है कि हिरासत में रहते हुए किए गए खुलासे
आपराधिक मुकदमे में अभिशाप साक्ष्य के रूप में।54

52 करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य (1994) 3 एससीसी 569, पैरा 252 और 382 में उद्धृत।
53 कुमार अमरसेकरा, “स्वीकारोक्ति: इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में हाल के घटनाक्रम”, अंतर्राष्ट्रीय
और तुलनात्मक विधि त्रैमासिक, खंड 29, (1980), पृष्ठ 327-29; एडविन डी. ड्राइवर, "स्वीकारोक्ति और जबरदस्ती का सामाजिक मनोविज्ञान", हार्वर्ड लॉ रिव्यू 42 (1968-69 खंड 82), पृष्ठ 48-60; आर्थर ई. सदरलैंड, "अपराध और

स्वीकारोक्ति", हार्वर्ड लॉ रिव्यू (1965-66 खंड 79) पृष्ठ 21-25, 32-41, 93-97; सॉल एम. कैसिन और लॉरेंस एस. राइट्समैन, साक्ष्य का मनोविज्ञान और परीक्षण प्रक्रिया, पृष्ठ 78-80; रोज़मेरी पैटरनडेन, "क्या स्वीकारोक्ति की पुष्टि की जानी चाहिए", लॉ क्वार्टरली रिव्यू, खंड 107, 1991, पृष्ठ 318-19; ए. ए. एस. सकरमैन, आपराधिक साक्ष्य के सिद्धांत, पृष्ठ 302-306। 54 एंड्रयू आर. मैलोरी बनाम यूएसए, 354 यूएस 449: 1 एल एड 2 डी 1479 (1957); विंस्टन मैसिया बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका,
377 यूएस 201: 12 एल एड 2 डी 246 (1964); विलियम मैलॉय बनाम पैट्रिक जे. होगन, 378 यूएस 1: 12 एल एड 2 डी 653 (1964); विलियम मर्फी बनाम वाटरफ्रंट कमीशन ऑफ न्यूयॉर्क हार्बर, 378 यूएस 52: 12 एल एड 2 डी 678 (1964); अर्नेस्टो ए. मिरांडा बनाम स्टेट ऑफ एरिज़ोना, 384 यूएस 436: 16 एल एड 2 डी 694 (1966); एडवर्ड बनाम एरिज़ोना, 451 यूएस 477 (1981); एरिज़ोना बनाम रॉबर्टसन, 486 यूएस 675 (1988); पेरियास्वामी मूप्पन बनाम सम्राट, आईएलआर (1931) 54 मैड 75: एआईआर 1931 मैड 177: 32 क्रि एलजे 448; पकाला नारायण स्वामी बनाम राजा-सम्राट, 66 आईए 66, 81: एआईआर 1939 पीसी 47: 40 क्रिमिनल लॉ जर्नल 364; नाज़िर अहमद बनाम राजा-सम्राट, एआईआर 1936 पीसी 253: 37 क्रिमिनल लॉ जर्नल 897; भुबोनी साहू बनाम राजा, एआईआर 1949 पीसी 257: 76 आईए 147: 50 क्रिमिनल लॉ जर्नल 872; पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य, 1953 एससीआर 94, 104: एआईआर 1952 एससी 354: 1953 क्रिमिनल लॉ जर्नल 154; एम.पी. शर्मा बनाम सतीश चंद्र, जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली, 1954 एससीआर 1077: एआईआर 1954 एससी 300: 1954 क्रिमिनल लॉ जर्नल 865; राम चंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, एआईआर 1957 एससी 381, 386: 1957 क्रिमिनल लॉ जर्नल 559; तहसीलदार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, एआईआर 1959 एससी 1012: 1059 सप्लीमेंट 2 एससीआर 875: 1959 क्रिमिनल लॉ जर्नल 1231; राजा नारायणलाल बंसीलाल बनाम मानेक फिरोज मिस्त्री, (1961) 1 एससीआर 417: एआईआर 1961 एससी 29: (1960) 30 कंप केस 644; बॉम्बे राज्य बनाम काठी कालू ओघड़, (1962) 3 एससीआर 10: एआईआर 1961 एससी 180: (1961) 2 क्रिमिनल लॉ जर्नल 856; हरि चरण कुर्मी और जोगिया हाजम बनाम बिहार राज्य, (1964) 6 एससीआर 623: एआईआर 1964 एससी 1184: (1964) 2 क्रि एलजे 344; नंदिनी सतपथी बनाम पी. एल. दानी, (1978) 2 एससीसी 494: 1979 एससीसी (क्रि) 155: एआईआर 1978 एससी 1675; शीला बारसे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1983) 2 एससीसी 96: 1983 एससीसी (क्रि) 353: एआईआर 1983 एससी 378; विशेष न्यायालय विधेयक, 1978, पुनः, (1979) 1 एससीसी 380: एआईआर 1979 एससी 478, 518: (1979) 2 एससीआर 457; वी. एम. रंगा राव बनाम ए.पी. राज्य, (1985) एपी एलजे 361; महाराष्ट्र राज्य बनाम सुखदेव सिंह, (1992) 3 एससीसी 700: 1992 एससीसी (सीआरआई) 705: जेटी (1992) 4 एससी 73।
90 राख में तब्दील

टीएडीए की धारा 20(7), 20(4)(बी) और 20(8) भी इसी तरह के उल्लंघन से कलंकित हुई थीं।
महाभियोग के समय अपराध की संभावित धारणा। अग्रिम जमानत का निषेध।
धारा 20(7) ने निर्दोषों को सीआरपीसी की धारा 438 द्वारा प्रदान किए गए संरक्षण को नष्ट कर दिया।
पुलिस शक्ति के स्पष्ट दुरुपयोग के विरुद्ध। धारा 438 के अंतर्गत संरक्षण।

यह एक स्पष्ट अधिकार प्रदान नहीं करता; यह केवल न्यायपालिका को अपने अधिकार का प्रयोग करने का अधिकार देता है।
जमानत देने का विवेकाधिकार, इस शर्त पर कि जमानत लेने वाला व्यक्ति न तो उसके फरार होने या उसके खिलाफ लंबित जांच में बाधा डालने की संभावना नहीं है। धारा
टीएडीए की धारा 20(4)(बी) के तहत पूछताछ के दौरान आरोपी को 60 दिनों तक पुलिस हिरासत में रखने की अनुमति है।
जमानत के बिना एक वर्ष की न्यायिक हिरासत। अभियोजन पक्ष को यह आदेश दिया गया था।
इस अवधि का उपयोग जांच पूरी करने और आरोप पत्र दाखिल करने के लिए किया जाएगा।
अभियुक्त को निर्धारित न्यायालय के समक्ष मुकदमे के लिए पेश किया जाएगा। इसके विपरीत, धारा 167(2) के अनुसार
दंड प्रक्रिया के तहत किसी आरोपी को अधिकतम 15 दिनों की पुलिस हिरासत में रखा जा सकता है।
कुछ दिनों के लिए, और अभियोजन पक्ष को अपनी कार्यवाही पूरी करने की अनुमति देने के लिए 90 दिनों की न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा।
जांच। टीएडीए के तहत हिरासत की विस्तारित अवधि, जिसने भी इसमें बाधा डाली। जमानत ने "शीघ्र सुनवाई" के सिद्धांत को दूषित कर दिया, जिसे मुख्य उद्देश्य के रूप में बताया गया था।
कानून का पालन करना। इस अवधि के अंत में, यहां तक कि जब अभियोजन पक्ष असफल रहा, तब भी...
आरोपपत्र दाखिल करने में सक्षम होने के बावजूद, आरोपी को प्रभावी रूप से मुकदमे की कार्यवाही से वंचित रखा गया था।
टीएडीए की धारा 20(8) के तहत जमानत का लाभ। इस धारा के अनुसार, "कोई भी व्यक्ति-
टीएडीए के तहत अपराध के आरोपी बेटे को जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा जब तक कि...
नामित न्यायालय उचित आधारों पर संतुष्ट था कि वह दोषी नहीं है।
ऐसा अपराध और यह कि जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।"
आरोपपत्र के अभाव में, न तो आरोपी अपने साक्ष्य प्रस्तुत कर सका।
न तो नामित न्यायालय उनकी निर्दोषता को प्रमाणित कर सका, और न ही इससे पहले नामित न्यायालय उनकी निर्दोषता को प्रमाणित कर सका।
वास्तविक मुकदमे की सुनवाई तो दूर, यह प्रमाणित करना भी संभव नहीं है कि वह "मुकदमे के दौरान कोई अपराध नहीं करेगा"।
जमानत”। इस प्रकार, धारा 20(8) ने यह सुनिश्चित किया कि टीएडीए के तहत किसी भी आरोपी को, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो, जमानत नहीं दी जा सकती। विचाराधीन कैदी के रूप में हिरासत में बिताए गए समय की अवधि में,
जब तक अभियोजन पक्ष जमानत देने के लिए सहमत न हो जाए, तब तक जमानत सुरक्षित नहीं की जा सकती।
न्यायालय की प्रतिक्रिया
अब हम इन प्रश्नों के उत्तर में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के तर्क प्रस्तुत करेंगे।

करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में टाडा के खिलाफ उठाई गई विशिष्ट आपत्तियां
फ़ैसला:
टीएडीए के प्रावधान, जिनका उद्देश्य आतंकवादियों और अपराधियों के त्वरित परीक्षण का प्रावधान करना है,
विघटनकारी अपराध गंभीर थे क्योंकि आपराधिक मुकदमे की सामान्य प्रक्रियाएं
इस उद्देश्य को पूरा करने में अपर्याप्त थे। टीएडीए के कठोर प्रावधान थे। यह विधायी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अविभाज्य और आवश्यक है। स्थानांतरण
अभियुक्त पर सबूत का बोझ डालने के साथ-साथ टीएडीए के अन्य कठोर प्रावधान भी लागू होते हैं।
जैसे कि बढ़ी हुई सजाएं, कारावास की कार्यवाही से छूट,
संक्षिप्त सुनवाई, अदालत की बंद कमरे में कार्यवाही, अदालत की अनुपस्थिति में सुनवाई
अभियुक्त और उसके वकील, इकबालिया बयान के साक्ष्य की स्वीकृति आदि को ही सब कुछ माना गया।
त्वरित सुनवाई के मुख्य सिद्धांत के अनुरूप, जो मैग्ना से लिया गया है। अमेरिकी संविधान के छठे संशोधन और कार्टा के अनुसार।
न्यायालय के समक्ष, संसद के पास ऐसे कानून बनाने की क्षमता थी जिनकी प्रक्रियाओं
दंड प्रक्रिया संहिता में उल्लिखित मुकदमे के नियमों का उल्लंघन किया, यहाँ तक कि उनका उल्लंघन भी किया।
और साक्ष्य अधिनियम। ऐसे प्रावधानों की कठोरता और सख्ती को एक
यह विधायी बुद्धिमत्ता का मामला है, और यदि यह इस पर आधारित है तो न्यायालय इस पर सवाल नहीं उठा सकता।
अपराधों और अपराधियों का उचित वर्गीकरण ताकि उनके साथ अलग-अलग व्यवहार किया जा सके।
हर तरह से दंडमुक्ति: अधिकार और कानून की गतिरोध 91

इस मानदंड को पूरा करके, टाडा अनुचित भेदभाव के आधार पर अजेय बन गया। भेदभाव.55
“उकसाने” की परिभाषा से “अपराध बोध” को बाहर रखने के अनुसार
राज्य की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का उद्देश्य उद्देश्यों की पूर्ति करना था।
आतंकवाद के बढ़ते प्रकोप के दौर में जब अधिनियम का उपयोग करना संभव न हो, तब ऐसा करना संभव नहीं हो सकता था।
भौतिक तथ्यों को स्थापित करते समय "इरादे" को सिद्ध करना। यह स्थिति थी इसे इस स्थापित धारणा के विपरीत देखा गया कि ज्ञान एक आवश्यक तत्व था।
अपराध का एक घटक। हालाँकि, न्यायालय सामान्य प्रक्रिया से आगे भी जा सकता है और गया भी है।
शब्दों के व्याकरणिक अर्थ का विश्लेषण करके विधायिका के वास्तविक इरादे का पता लगाना।
और यह तय करना कि ज्ञान की पूर्वधारणा को लागू किया जाना चाहिए या नहीं।

उकसाने की परिभाषा में, हालांकि यह मौखिक रूप से वहां अनुपस्थित था।
अधिनियम के मूल प्रावधानों के लिए अपराध के इरादे की आवश्यकता थी, यह तर्कसंगत था कि
मान लीजिए कि ज्ञान का यह घटक मौन रूप से इसमें भी निहित था।
उकसावे की परिभाषा। शाब्दिक अर्थ से उत्पन्न विसंगति को दूर करने के लिए। वास्तविक परिभाषा में कमी और अंतर्निहितता की इस धारणा के कारण, न्यायालय ने
निर्देश दिया गया कि "किसी व्यक्ति की ओर से वास्तविक ज्ञान या विश्वास करने का कारण"
उस परिभाषा की सहायता से फंसाए जाने वाले व्यक्ति को उसमें शामिल किया जाना चाहिए, न कि
इसे नीचे पढ़ते हुए...”56
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए इकबालिया बयानों की स्वीकार्यता के संबंध में,
न्यायालय ने पहले बुनियादी प्रक्रियात्मक सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने के कारण इसे रद्द करने का निर्णय लिया था।
आपराधिक मुकदमे की प्रणाली में सुरक्षाकर्मी। हालाँकि, इस मुद्दे की जांच करने के बाद,
मुकदमे की प्रक्रियाओं को बदलने की विधायी क्षमता, सार्थक उद्देश्य कानून की गंभीरता और आतंकवाद की गंभीरता को देखते हुए, अदालत को पूरा विश्वास हो गया कि "
विवादित धारा को असंवैधानिकता के किसी भी दोष से ग्रस्त नहीं कहा जा सकता। अदालत ने राष्ट्रीय पुलिस आयोग की जून की चौथी रिपोर्ट का हवाला दिया।

55 Kartar Singh v. State of Punjab, (1994) 3 SCC 569, paras 4, 83, 84, 145, 159, 198, 224-244, 327. The
सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णयों की पूर्वधारणा पर भरोसा किया: एन. बी. खरे बनाम दिल्ली राज्य, 1950 एससीआर 519: एआईआर 1950 एससी 211: 1951 क्रिमिनल लॉ जर्नल 550; काठी रानिंग रावत बनाम सौराष्ट्र राज्य, 1952 एससीआर 435: एआईआर 1952 एससी 123: 1952 क्रिमिनल लॉ जर्नल 805; केदार नाथ बाजोरिया बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, 1954 एससीआर 30: एआईआर 1953 एससी 404: 1953 क्रिमिनल लॉ जर्नल 1621; बॉम्बे राज्य बनाम आर. एम. डी. चमारबागवाला, 1957 एससीआर 874: एआईआर 1957 एससी 699; पन्नालाल बिंजराज बनाम भारत संघ, 1957 एससीआर 233: एआईआर 1957 एससी 397: (1957) 31 आईटीआर 565; तालिब हाजी हुसैन बनाम मधुकर पी. मोंडकर, 1958 एससीआर 1226: एआईआर 1958 एससी 376: 1958 सीआरआई एलजे 701; कांगसारी हलदर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (1960) 2 एससीआर 646: एआईआर 1960 एससी 457: 1960 सीआरआई एलजे 654; ए.के. रॉय बनाम भारत संघ (1982) 1 एससी 271: 1982 एससीसी (सीआरआई) 152: (1982) 2 एससीआर 272; पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार, 1952 एससीआर 284: एआईआर 1952 एससी 75: 1952 क्रि एलजे 510; एस्बरी अस्पताल बनाम कैस काउंटी, 90 एल एड 6: 326 यूएस 207 (1945); गोएसेर्ट बनाम क्लीरी, 93 एल एड 163: 335 यूएस 464 (1948); रेलवे एक्सप्रेस एजेंसी बनाम न्यूयॉर्क, 93 एल एड 533: 336 यूएस 106 (1948)।
56 करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य, वही, अनुच्छेद 100, 110-111, 113-116, 125-134। न्यायालय ने इस पर भरोसा किया।

निम्नलिखित निर्णयों की प्राथमिकता: सरजू प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1961) 3 एससीआर 324: एआईआर 1961 एससी 631: (1961) 1 क्रिमिनल लॉ जज 747; पुखराज बनाम डी. आर. कोहली, 1962 अनुपूरक 3 एससीआर 866: एआईआर 1962 एससी 1559; नथुलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य, एआईआर 1966 एससी 43: 1966 क्रिमिनल लॉ जज 71; वाई. एस. परमार बनाम हीरा सिंह पॉल, 1959 अनुपूरक 1 एससीआर 123: एआईआर 1965 एससी 722: (1965) 1 क्रिमिनल लॉ जज 641; महाराष्ट्र राज्य बनाम मेयर हंस जॉर्ज, (1965) 1 एससीआर 123: एआईआर 1965 एससी 722: (1965) 1 क्रि एलजे 641; जगदीश प्रसाद बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (1972) 1 एससीसी 326: 1972 एससीसी (क्रि) 63: (1972) 2 एससीआर 845; सीमा शुल्क कलेक्टर बनाम चेट्टी नथेला संपथु, (1962) 3 एससीआर 786: एआईआर 1962 एससी 316: (1962) 1 क्रि एलजे 364; इंदर सैन बनाम पंजाब राज्य, (1973) 2 एससीसी 372: 1973 एससीसी (क्रि) 813; साउथ एशिया इंडस्ट्रीज बनाम एस. सरूप सिंह, एआईआर 1966 एससी 346, 348: (1966) 3 एससीआर 829: (1968) पुन एलआर 108(डी); एस. नारायणस्वामी बनाम जी. पन्नीरसेल्वम, (1972) 3 एससीसी 717: एआईआर 1972 एससी 2284; प्रवर्तन निदेशालय बनाम दीपक महाजन, (1994) 3 एससीसी 440: जेटी (1994) 1 एससी 290; ब्रांड बनाम वुड, 62 टीएलआर 462, 463; शेर्रास बनाम डी रुत्ज़ेन, (1895) 1 क्यूबी 918: 11 टीएलआर 369; निकोलस बनाम हॉल, एलआर (1873) 8 सीपी 322: 28 एलटी 473।
92 राख में तब्दील

1980 में, प्रवेश पर मौजूदा प्रतिबंध को हटाने के लिए एक ज़ोरदार अपील की गई थी।
न्यायिक क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए इकबालिया बयानों के संबंध में
कार्यवाही। बेशक, अदालत ने अक्सर पुलिस से जुड़े मामलों से निपटा था। अत्याचार। "हम खेदपूर्वक यह कहना चाहते हैं कि कुछ मौकों पर हिरासत में मौतें भी हुई हैं।"
पूछताछ के दौरान हुई किसी भी गड़बड़ी की जानकारी हमें दी जाती है। हम इसके लिए बहुत आभारी हैं।
दमनकारी व्यवहार और सबसे अधिक के बारे में व्यथित और गहरी चिंता व्यक्त की।
कुछ पुलिस अधिकारियों द्वारा अपनाई गई अपमानजनक और घृणित प्रथा..." लेकिन, अदालत के अनुसार, दुर्व्यवहार की मात्र संभावना ही वैध आधार नहीं थी। किसी क़ानून की वैधता को चुनौती देना। टीएडीए की धारा 15 किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं करती।
संविधान के अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 21 के तहत। हालांकि, न्यायालय को पुलिस अधिकारियों से अपेक्षा थी-
अधिकारियों को इकबालिया बयान दर्ज करने संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा ताकि वे दूषित न हों।
किसी भी दुर्गुण के साथ।57
टीएडीए की धारा 20(7) द्वारा अग्रिम जमानत का उन्मूलन सुसंगत माना गया। आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियों को सख्ती से दबाने के विधायी जनादेश के साथ तंबू
खतरा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत का प्रावधान हाल ही में लागू किया गया था।

विधि आयोग की 41 वीं रिपोर्ट की सिफारिश पर 1973 में इसे लागू किया गया था।
इसलिए, इसे स्थापित परंपरा का सम्मान नहीं दिया गया। इसी प्रकार,
धारा 20(4)(ख) के तहत पूर्व-परीक्षण हिरासत की विस्तारित अवधि लागू नहीं की जा सकती थी।
इस आधार पर आपत्ति जताई गई कि इससे त्वरित सुनवाई के सिद्धांत की विश्वसनीयता कम हो जाती है। आतंकवादी और
राष्ट्रीय संप्रभुता के विध्वंसक गुप्त समाजों से संबंधित थे, और उनकी गतिविधियाँ-
ये संबंध घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर व्यापक क्षेत्रों को कवर करते थे। इनकी जांच से पता चलता है कि...
अपराधों के लिए उचित रूप से लंबी अवधि की सजा की आवश्यकता होती है और, जैसा कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने माना है
बीवर्स बनाम हॉबर्ट मामले में न्यायालय ने कहा, "शीघ्र सुनवाई का अधिकार अनिवार्य रूप से सापेक्ष है।"
यह देरी के अनुरूप है और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यह अधिकारों की सुरक्षा करता है।
प्रतिवादी। यह सार्वजनिक न्याय के अधिकारों को बाधित नहीं करता है।" इसी प्रकार, सामग्री-
यह तर्क दिया गया कि टीएडीए की धारा 20(7) के तहत निर्दोष लोगों के लिए भी जमानत पाना असंभव हो गया है।
और इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 21 और 14 का उल्लंघन किया, जो गारंटी देते हैं कि
जीवन, स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता के अधिकार, आतंकवादियों की तुलना में विफल रहे।
समाज के लिए खतरा। सामाजिक सुरक्षा के नाम पर स्वतंत्रता के सभी हनन को वैध ठहराया गया।
न्यायालय एक सक्षम विधायिका के विवेक से बंधा हुआ था और उसके पास कोई विकल्प नहीं था।
लेकिन जमानत देने से इनकार करना तब तक उचित नहीं होगा जब तक कि प्रथम दृष्टया यह साबित न हो जाए कि मामला इसके अंतर्गत नहीं आता है।
टाडा के दायरे में। सुप्रीम कोर्ट को निस्संदेह कई मामलों का सामना करना पड़ा था।
ऐसे मामले जहां "अभियोजन पक्ष अनुचित रूप से टीएडीए के प्रावधानों का हवाला देता है
अभियुक्तों को जमानत मिलने से वंचित करने का अप्रत्यक्ष मकसद। लेकिन अदालत ने
आशा है कि लोक अभियोजक "की ओर से अभियोजक" की तरह कार्य करना सीख जाएंगे। जनता को, न कि पुलिस को," और साथ ही नामित अदालतों के न्यायाधीशों को भी। मानवाधिकारों के संरक्षक के रूप में अपने कार्यों का निर्वहन करना, जो कि इसमें निहित हैं।
संविधान। जब तक ऐसा नहीं होता, न्यायालय ने चेतावनी दी, "यह नहीं कहा जा सकता कि
टीएडीए के प्रावधानों को विधायी प्रावधानों के अनुरूप प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है।

57 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] 225, 250-252, 253, 260, 263-265[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
TADA [illegible] [illegible] 15 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], 1952 SCR 737: AIR 1952 SC 221: 1952 Cri LJ 1147; [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], (1975) 3 SCC 210: 1974 SCC (Cri) 828: AIR 1974 SC 2136; [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], (1980) 4 SCC 600: 1981 SCC (Cri) 62: AIR 1981 SC 379; [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], (1969) 2 SCR 46: AIR 1970 SC 940: 1970 Cri LJ 863; [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], (1992) 3 [illegible] 259: 1992 [illegible] (SC) 620; [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], 1972 [illegible] (SC) 261[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 93

[illegible]" [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] 20(7) [illegible] [illegible] [illegible]58
(II) [illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] 9(4) [illegible] (8) [illegible] [illegible]; [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] 11 [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible];
[illegible] [illegible] 20(3) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] (4); [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-
[illegible] 19(1) [illegible] (2) [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]-
[illegible] [illegible] [illegible], 1978 [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]-

किसी सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की विशेष न्यायालय में नियुक्ति, भले ही परामर्श के बाद की गई हो,
भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष दायर याचिका अमान्य थी क्योंकि इसने आनंद को बढ़ावा दिया था।
त्रिपक्षीय, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए विध्वंसक।59 "निर्णय का अनुपात"
यह निर्णय कि न्यायिक सेवा सेवानिवृत्ति की आयु के साथ समाप्त होनी चाहिए-TADA की धारा 9(7) का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया था।
टीएडीए की धारा 11(2) के तहत, किसी मामले को एक नामित न्यायालय से दूसरे नामित न्यायालय में स्थानांतरित करना
राज्य के भीतर या बाहर किसी अन्य नामित न्यायालय में मामला ले जाना न्यायिक अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं था।
यह एक आधिकारिक नहीं बल्कि कार्यकारी निर्णय है। इसके लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश की आवश्यक सहमति आवश्यक है।
सरकार द्वारा किसी मामले को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव केवल एक औपचारिक आवश्यकता थी,
कार्यकारी निर्णय में सहायता करने का वैधानिक दायित्व। धारा 11(2) में तो इसका उल्लेख भी नहीं किया गया है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश को कार्यपालिका द्वारा प्रभावित व्यक्ति की सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है।
अपनी सहमति देने या अस्वीकार करने से पहले स्थानांतरण प्रस्ताव पर विचार करना। इस प्रकार, धारा 11(2)
टीएडीए ने न केवल न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांत को दूषित किया, बल्कि इसने न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांत को भी नष्ट कर दिया।
“ऑडी अल्टरम पार्टेम” का महत्वपूर्ण नियम, जिसका अर्थ है कि जो व्यक्ति जा रहा है
किसी भी आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्ति को पूर्व सूचना और सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए।
इसलिए इसे लागू किया जाता है।
टीएडीए की धारा 20(2), (3) और (4) के तहत कार्यकारी प्रावधानों को गुपचुप तरीके से आयात किया गया।
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 20 और 21 के तहत नियुक्त अधिकारी, महत्वपूर्ण न्यायिक सेवाएं प्रदान करने के लिए।
कार्यवाही के संवेदनशील चरणों में अभियोजन पक्ष को तत्काल सामाजिक सेवाएं प्रदान करना।
गिरफ्तारी के बाद: पूछताछ के दौरान आवधिक हिरासत को अधिकृत करने और रिकॉर्ड करने के लिए

58 करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य, वही, पैरा 90, 319-320, 326-9, 341, 347 -
352. उद्धरण: बीवर्स बनाम
Haubert, 198 US 77, 87: 49 L Ed 950, 954 (1905); Gurbaksh Singh Sibbia v. State of Punjab, (1980) 2 SCC 565: 1980 SCC (Cri) 465: (1980) 3 SCR 383; Bimal Kaur Khalsa v. State of Punjab, AIR 1988 P&H 95: (1988) 93 Punj LR 189: 1988 Cri LJ 169; Usmanbhai Dawoodbhai Memon v. State of Gujarat,

(1988) 2 SCC 271: 1988 SCC (Cri) 318; State of Maharashtra v. Anand Chintaman Dighe, (1990) 1 SCC 397: 1990 SCC (Cri) 142.
59 [illegible], 1978, [illegible], (1979) 1 [illegible] 380: (1979) 2 [illegible] 476 - ([illegible] [illegible] 435, [illegible] 96)
94 [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 164 [illegible] 167 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 20 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

जो उच्च न्यायालय के अधीन नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था: “यह उचित नहीं है-
संसद या राज्य विधानमंडल के लिए उस योजना को अनदेखा करना या दरकिनार करना असंभव है।
संविधान में एक दीवानी या आपराधिक न्यायालय की स्थापना का प्रावधान करके, एक अन्य न्यायालय के समानांतर एक दीवानी या आपराधिक न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है।
किसी राज्य में उच्च न्यायालय, या किसी अतिरिक्त या अतिरिक्त या द्वितीय उच्च न्यायालय के माध्यम से, या किसी न्यायालय द्वारा
उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय में ऐसा कोई भी प्रयास असंवैधानिक होगा।
यह न्यायिक होगा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर प्रहार करेगा, जिसने अब तक इतनी गरिमापूर्ण भूमिका निभाई है।
संविधान में निहित और वर्षों से इतनी सावधानी से पोषित।"62 आवेदन
इस निर्णय के अनुसार निश्चित रूप से टीएडीए की धारा 9, 11, 12 और 19 में संशोधन की आवश्यकता होनी चाहिए थी।
इसे असंवैधानिक करार देकर खारिज कर दिया गया।
न्यायालय की प्रतिक्रिया
धारा 9(7) के अनुसार, नामित न्यायालयों के न्यायाधीशों को अपने पद पर बने रहने की अनुमति दी गई है।
सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बाद किए गए कार्य किसी भी संवैधानिक कानून का उल्लंघन नहीं करते थे।
प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, विशेष न्यायालयों को संदर्भित करना
1978 का विधेयक निष्फल था क्योंकि अदालत ने केवल नामांकन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था।
पहले से सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को विशेष अदालतों की अध्यक्षता करने की अनुमति दी जानी थी। चूंकि टीएडीए में इसका प्रावधान नहीं था।
इस प्रकार की नियुक्तियों में कोई अवैधता शामिल नहीं थी। हालाँकि, न्यायालय ने सिफारिश की-
यह संशोधित किया गया कि नामित न्यायालयों में नियुक्त न्यायाधीशों के पास पहले से ही योग्यता होनी चाहिए।
सेवा की पर्याप्त अवधि ताकि उनकी वरिष्ठता पर कोई संदेह न हो और उनकी निरंतरता सुनिश्चित हो सके।
सेवानिवृत्ति की आयु के बाद किए गए खर्च पर कोई आपत्ति नहीं जताई गई।63

60 वी. एम. रंगा राव बनाम ए. पी. राज्य, (1985) 3 एपीएलजे 361.
61 उस्मानभाई दाऊदभाई मेमन बनाम गुजरात राज्य, (1988) 2 एससीसी 271: 1988 एससीसी (क्रिमिनल) 318.
62 विशेष न्यायालय विधेयक, 1978, (1979) 1 एससीसी 380: एआईआर 1979 एससी 478, 518: (1979) 2 एससीआर 475 - एससीसी पृ.
455-6, पैरा 151-4.
63 Kartar Singh v. State of Punjab, ibid, paras 165-168.
हर तरह से दंडमुक्ति: अधिकार और कानून की गतिरोध 95

टीएडीए की धारा 11(2) के तहत किसी मामले को स्थानांतरित करने की सरकार की शक्ति
राज्य के भीतर या बाहर, किसी भी नामित न्यायालय से किसी अन्य न्यायालय में जाने पर, उसे सुरक्षा प्राप्त थी।
भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति प्राप्त करने की शर्त। यह...
सरकार के आदेशों को पूर्वाग्रह और दुर्भावना से प्रेरित पाया गया। बेशक, यह सहमति सरकार द्वारा पारित स्थानांतरण आदेश नहीं थी। यह एक महत्वपूर्ण वैधानिक शर्त, एक अनिवार्यता, भले ही इसने किसी भी मामले पर निर्णय न दिया हो।
किसी भी मुद्दे का निर्धारण या निर्णय करना। इसलिए, "ऑडी अल्टरम पार्टेम" का सिद्धांत लागू होता है।
लागू नहीं होता। साथ ही, इस सिद्धांत का अनुप्रयोग गतिरोध उत्पन्न कर सकता है या यहाँ तक कि विफल भी कर सकता है।
सरकार द्वारा परिकल्पित कार्रवाई की प्रकृति। परिणामस्वरूप, संसद ने इसकी विधायी क्षमता ने इस नियम को बाहर रखा था। हालाँकि, असाधारण परिस्थितियों में-
इन रुखों के संबंध में, यह मुद्दा भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा जांच के लिए खुला था, और उन्होंने
अभियुक्त का दृष्टिकोण प्राप्त किया जा सकता था।64
टीएडीए की धारा 20(2), (3) और (4) के तहत संदर्भ की व्याख्या की अनुमति दी गई थी।
"महानगरीय मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट" में कार्यकारी और विशेष मजिस्ट्रेट शामिल हैं
कार्यकारी मजिस्ट्रेट, जो कारावास की कार्यवाही कर सकते थे, वे भी रिकॉर्ड रखते हैं।
उन अभियोगों पर, चाहे उनके पास जांच के तहत मामले में अधिकार क्षेत्र हो या न हो।
न्यायालय के अनुसार, कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को शामिल करने का तर्क
और महत्वपूर्ण न्यायिक क्षेत्रों में विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेटों ने पृथक्करण को नष्ट कर दिया।
न्यायपालिका का विभाजन, ठोस कानूनी स्थितियों के आधार पर जांच करने पर विफल रहा।
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 6 में कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को आपराधिक मामलों के एक वर्ग में शामिल किया गया है।
न्यायालय। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनके द्वारा किए जाने वाले न्यायिक कार्य बहुत कम हैं, और भाग 4(बी)
संहिता की धारा 3 उनके काम को प्रशासनिक मामलों तक सीमित करती प्रतीत होती है।
हालाँकि, संहिता स्वयं उन्हें अर्ध-न्यायिक कार्यों के निष्पादन में शामिल करती है।
धारा 107 के अंतर्गत शांति भंग आदि की जांच और रोकथाम में कार्य करना
110 तक, और अन्य। ये कार्य "न्यायिक कार्यवाही" के अर्थ में संशोधनीय हैं।
यह सच है कि संहिता विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को संबद्ध नहीं करती है।

इन कार्यों में से किसी के साथ उनका पदनाम। लेकिन धारा 21 के तहत यह कहा गया है कि
उन्हें उस अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है जिसे सरकार "विशिष्ट क्षेत्रों या" के लिए उपयुक्त समझती है।
विशिष्ट कार्यों के निष्पादन के लिए।" इसका अर्थ यह है कि वे किसी भी तरह से नहीं हैं
आपराधिक न्याय प्रणाली के भीतर अवांछित व्यक्ति। इसलिए, उनका
टीएडीए की धारा 20(2), (3) और (4) के तहत समाहित करना, कारावास की कार्यवाही करने के लिए।
अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों के साथ इकबालिया बयान दर्ज करना और उन्हें रिकॉर्ड करना उल्लंघन नहीं था।
आपराधिक न्यायशास्त्र के सिद्धांत।
दूसरा संबंधित प्रश्न यह था कि क्या इन पदों पर न्यायिक कार्यों का अनुदान उचित था।
मजिस्ट्रेटों ने कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण के सिद्धांत को विकृत कर दिया।
संविधान के अनुच्छेद 50 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार यह कहा है कि
कार्यकारी मजिस्ट्रेट, न्यायिक कार्यों का निर्वहन करते समय, न्यायिक अधिकारी होते हैं।
राम जवाया कपूर बनाम पंजाब राज्य के मामले में, न्यायालय ने माना कि जबकि स्वतंत्रता
न्यायपालिका पवित्र थी, "भारतीय संविधान ने वास्तव में इसे मान्यता नहीं दी है
शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत अपनी पूर्ण कठोरता में..." कार्यपालिका भी
विभागीय या अधीनस्थ विधायी कार्यों के साथ-साथ न्यायिक कार्यों में भी शामिल।
सीमित रूप से। इस प्रकार, न्यायालय ने कहा कि इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि धारा 20(2), (3)
और (4) न तो अनुच्छेद 50 का उल्लंघन किया और न ही अनुच्छेद 14 - विधि के समक्ष समानता - और 21 का।

64 करतार सिंह, वही, पैरा 173-191। न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णयों की पूर्वधारणा का उल्लेख किया:
सत्यवीर सिंह बनाम भारत संघ, (1985) 4 एससीसी 252: 1986 एससीसी (एल एंड एस); सी. बी. गौतम बनाम भारत संघ, (1993) 1 एससीसी 78; आर बनाम केन, (1975) 2 ऑल ईआर 850: (1975) 3 डब्ल्यूएलआर 131. 96 राख में तब्दील

जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा - संविधान की रक्षा। यह हमेशा रहेगा।
न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा इकबालिया बयान दर्ज करना वांछनीय है। लेकिन जब मजबूरी हो तो...

कारणों को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने पाया कि कार्यपालिका या विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट
ऐसा भी कर सकता है।65
धारा 19 में यह प्रावधान किया गया था कि किसी भी निर्णय या आदेश के विरुद्ध अपील करने का अधिकार
निर्धारित न्यायालय का प्रयोग केवल सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ही किया जा सकता था। बेशक,
इस प्रावधान ने अपीलीय न्यायालयों के उत्तराधिकार के समक्ष अपील करने के अधिकार को छीन लिया।
दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा प्रदान किए गए पुनरीक्षण न्यायालयों और साथ ही अपील करने के अधिकार का भी प्रावधान है।
संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत छुट्टी देने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को
उपचारात्मक और प्रक्रियात्मक स्तर। न्यायालय ने पाया कि यद्यपि प्रावधान यदि इससे उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर असर पड़ता है, तो यह सिद्धांत के अनुरूप है।
त्वरित सुनवाई का प्रावधान था और संवैधानिक अमान्यता से ग्रस्त नहीं था। हालाँकि,
इस प्रावधान ने नामित न्यायालयों द्वारा बरी किए गए व्यक्तियों के लिए असुविधाएँ पैदा कर दीं।
टीएडीए के तहत अपराधों के लिए, लेकिन अन्य दंड कानूनों के तहत दोषी ठहराया गया। यहां तक कि इसमें भी
इस स्थिति में पीड़ित व्यक्तियों को अपील की नियमित प्रक्रिया से वंचित कर दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने...
सर्वोच्च न्यायालय उनकी पहुंच से बाहर था, या तो वित्तीय बाधाओं के कारण या
क्योंकि वे दूरदराज के इलाकों में रहते थे। इसलिए, यदि किसी व्यक्ति को बरी कर दिया जाता था
टीएडीए के तहत अपराधों के लिए, अगली अपील से पहले अपील करने का अधिकार होना चाहिए।
देर से अदालत.66
अनुच्छेद 226, 227 और धारा 439 के तहत उच्च न्यायालयों की शक्तियों का प्रश्न,
धारा 482 अधिक जटिल थी। कुछ उच्च न्यायालयों का मानना था कि उनके
टीएडीए के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में भी अधिकार क्षेत्र को कम नहीं किया जा सकता था।
स्पष्टतः यह दृष्टिकोण संसद के बहिष्कार के स्पष्ट इरादे के विपरीत था। टाडा मामलों में उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र। उच्च न्यायालयों की शक्तियों की विशालता।
अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को प्राप्त अधिकारों के साथ-साथ उन पर यह जिम्मेदारी भी सौंपी गई है कि वे
इनका प्रयोग सावधानीपूर्वक करें। टीएडीए एक विशेष अधिनियम था जिसका उद्देश्य था...
आतंकवाद और व्यवधान से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करना। इसमें यह प्रावधान किया गया था कि एक

नामित न्यायालयों के किसी भी आदेश के विरुद्ध अपील केवल सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ही की जा सकती थी।
सर्वोच्च न्यायालय। न्यायालय के अनुसार, उच्च न्यायालय स्पष्ट इरादे को विफल कर देंगे।
यदि संसद ने अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसे बाधित किया तो
संविधान के प्रावधानों के तहत जमानत आवेदनों पर विचार किया हो, या संविधान के अन्य प्रावधानों के तहत जमानत आवेदनों पर विचार किया हो।
अतः, टीएडीए मामलों के संबंध में यह आवश्यक था कि
उच्च न्यायालयों ने अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग अत्यंत संयमित रूप से और केवल
अत्यंत गंभीर परिस्थितियों में: "वे दुर्लभ मामले क्या हैं और परिस्थितियाँ क्या होंगी-"
वे परिस्थितियाँ जो अनुच्छेद 226 के तहत आवेदनों पर विचार करने को उचित ठहराती हैं
इसे किसी बंधन में नहीं बांधा जा सकता। हालाँकि, हम इस बात पर जोर देना चाहेंगे और फिर से कहना चाहेंगे कि...
इस बात पर जोर दिया जाता है कि न्यायिक अनुशासन और न्यायालयों के सौहार्द के लिए यह आवश्यक है कि उच्च न्यायालय

65 करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य, वही, अनुच्छेद 302, 305, 306, 308, 310-
317। न्यायालय ने इस पर भरोसा किया।
निम्नलिखित उद्धरण: सुब्रमण्यम बनाम पुलिस आयुक्त, एआईआर 1964 मद्रास 185: (1964) 1 क्रिमिनल लॉ जर्नल 519; प्रवर्तन निदेशालय बनाम दीपक महाजन, (1994) 3 एससीसी 440: जेटी (1994) 1 एससी 290; स्टेट्समैन (पी) लिमिटेड बनाम एच. आर. देब, (1968) 3 एससीआर 614: एआईआर 1968 एससी 1495; श्री हनुमान फाउंड्रीज बनाम एच. आर. देब, मामला संख्या 120 ऑफ 1961, दिनांक 28 जुलाई, 1965 को निर्णय लिया गया; श्री कुमार पद्म प्रसाद बनाम भारत संघ, (1992) 2 एससीसी 428: 1992 एससीसी (एल एंड एस) 56 (1992) 20 एटीसी 230; चंद्र मोहन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1967) 1 एससीआर 77: एआईआर 1966 एससी 1987; राम जवाया कपूर बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 1955 एससी 549: (1955) 2 एससीआर 225. 66 करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य, उक्त, पैरा 291-297: उद्धरण: सैयद कासिम रज़वी बनाम पंजाब राज्य
हैदराबाद, 1953 एससीआर 589: एआईआर 1953 एससी 156: 1953 क्रि एलजे 862; वी.सी. शुक्ला बनाम राज्य, 1980 सप्लीमेंट एससीसी 249: 1980 एससीसी (क्रि) 849: एआईआर 1980 एससी 1382।
हर तरह से दंडमुक्ति: अधिकार और कानून की गतिरोध 97

अदालतों को जमानत याचिका पर विचार करने में अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से बचना चाहिए।
विशेष अधिनियम के तहत अभियोजित आरोपी के संबंध में आवेदन।67
(III) निष्पक्ष सुनवाई।
बहस

किसी गवाह की पहचान गुप्त रखने के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था।
असाधारण परिस्थितियों में अनुमेय। सामान्य परिस्थितियों में, नाम और मुकदमे की शुरुआत से पहले गवाहों के पते सार्वजनिक कर दिए गए थे।
TADA के मामले में, अदालत स्वयं या किसी अन्य कारण से उन्हें प्रकट न करने का निर्णय ले सकती है।
किसी गवाह या उसकी ओर से लोक अभियोजक द्वारा किया गया आवेदन।
इसके अलावा, न्यायालय ने यह भी कहा कि टाडा की धारा 8 के विरुद्ध दिए गए तर्क अपर्याप्त थे।

67 करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य, उपरोक्त, पैरा 354 - 357, 358 - 359।
उद्धरण: रफीक आबिद पटेल बनाम।
Inspector of Police, Thane, 1992 Cri LJ 394 (Bom); Writ Petition (Cri) No. 458 of 1991, decided on April 25, 1991; Usmanbhai Dawoodbhai Memon v.State of Gujarat, (1988) 2 SCC 271: 1988 SCC (Cri) 318; State of Maharashtra v. Abdul Hamid Haji Mohammed, (1994) 2 SCC 664; Waryam Singh v. Amarnath, 1954 SCR 565: AIR 1954 SC 215; State of Gujrat v. Vakhsinghji Sursinghji Vaghela, (1968) 3 SCR 692: AIR 1968 SC 1481; Ahmedabad Mfg. v. Ram Tahel Ramnand, (1972) 1 SCC 898; Mohd. Yunus v. Mohd. Mustaqim, (1983) 4 SCC 566; Mani Nariman Daruwala v. Phiroz N. Bhatena, (1991) 3 SCC 141; Narcotics Control Bureau v. Kishan Lal, (1991) 1 SCC 705: 1991 SCC (Cri) 265.
98 राख में तब्दील

योग्यता। नामित न्यायालय की संपत्ति को कुर्क करने की विवेकाधीन शक्तियाँ।
आरोपी को दोषी ठहराए जाने के बाद उसे जब्त करने का अधिकार, सख्त परिस्थितियों में प्रयोग किया जा सकता है।
चुनौती नहीं दी जा सकती। बेशक, सरकार को "सभी बाधाओं से मुक्त" संपत्ति सौंप दी जाएगी।
इससे उन तीसरे पक्षों को अनुचित दंड दिया जा सकता है जिनका इससे कोई संबंध नहीं है।
अपराध, जिसके पास संपत्ति में कानूनी अधिकार थे। हालाँकि, प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने
राज्य ने तर्क दिया कि तीसरे पक्ष हमेशा अपने अधिकारों को लागू कर सकते हैं।
आतंकवादियों के खिलाफ सामान्य प्रक्रिया के तहत संपत्ति जब्त करना। 68

मौलिक अधिकारों का राज्य की इच्छा के अधीन होना
सर्वोच्च न्यायालय का यही फैसला था जिसमें उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए टाडा को बरकरार रखा।
कानून की न्यायिक समीक्षा। इस प्रक्रिया में, न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत का भी सहारा लिया।
संसद की ‘विधायी क्षमता’ के तहत कठोर कानून बनाना जो सामान्य से हटकर हों-

भारत के लिए अलगाववादी खतरों से निपटने के लिए न्याय के मानक उचित नहीं हैं। यह स्थिति, पहली बार
1950 में ए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य के मामले में प्रतिपादित सिद्धांत ने अपनी घृणित स्थिति को उजागर कर दिया था।
1976 में ए. डी. एम. जबलपुर बनाम एस. शुक्ला मामले में संवैधानिक व्यवस्था को बरकरार रखते हुए इसका समापन हुआ।
वे संशोधन जिन्होंने जून 1975 से इंदिरा गांधी के आपातकालीन शासन को वैध बनाया।
मार्च 1977. आपातकाल के दौरान संवैधानिक संशोधनों की रक्षा करना। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ए. एन. रे ने फैसला सुनाया था कि इसने नागरिकों के सभी मौलिक अधिकारों का हनन कर दिया है:
जहां सरकार को लगता है कि देश को राजद्रोहपूर्ण साजिशों से खतरा है- गंभीर आपात स्थितियों के दौरान, सामान्य समय के व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता।
राज्य के विचारों के अधीन हो जाना।" न्यायमूर्ति एम. एच. बेग ने स्पष्ट किया-
दिनांकित: “राज्य की इच्छा, जो किसी अभिव्यक्ति के रूप में व्यक्त की गई हो, वही कानून है,
न्यायशास्त्र का विषय है, और कोई भी प्राकृतिक नियम जो विद्यमान हो सकता है, उसका हिस्सा नहीं बनता है।
जब तक राज्य की इच्छा से स्पष्ट रूप से इंगित न किया जाए, तब तक कानून लागू नहीं होता। राज्य की इच्छा क्या है?
कानून का समवर्ती माप; कोई पूर्व-स्थापित नियम उस इच्छा का माप नहीं है।”69
संसद की “विधायी क्षमता” के इस दृष्टिकोण को कथित तौर पर कम किया गया था। 1978 में संविधान के चौवालीसवें संशोधन के प्रभावों के कारण,
आपातकाल की समाप्ति और मेनका गांधी बनाम भारत संघ के अनुपात से।70
1978 के 44 वें संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन
किसी घोषित आपातकाल की स्थिति में किसी भी कानून या कार्यकारी आदेश के तहत प्राप्त अधिकार,
संविधान के अनुच्छेद 358 और 359 के तहत, निलंबन को केवल तभी संरक्षित किया जा सकता है जब...
स्पष्ट विवरण के माध्यम से, यह प्रावधान आपातकाल के उद्देश्य तक ही सीमित है। यह प्रावधान भी करता है-
यह दर्शाता है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों का प्रवर्तन, जो गारंटीकृत हैं
संविधान के अनुच्छेद 21 को ऐसी स्थिति में भी नष्ट नहीं किया जा सकता। 71 मेनका गांधी बनाम भारत संघ का मामला, जिसे एक ऐतिहासिक घटना के रूप में वर्णित किया गया है।
68 करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य, वही, पैरा 145, 149-157, 266, 269, 275, 280-290. उद्धरण: ए. के.
रॉय बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, (1982) 1 एससीसी 271: 1982 एससीसी (क्रि) 152: (1982) 2 एससीआर 272; विमल कौर खालसा बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, एआईआर 1988 पी एंड एच 95: (1988) 93 पंजाब एलआर 189: 1988 क्रि एलजे 160; गुरबचन सिंह

बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे, 1952 एससीआर 737: एआईआर 1952 एससी 221: 1952 क्रि एलजे 1147; हीरा नाथ मिश्रा बनाम प्रिंसिपल, राजेंद्र मेडिकल कॉलेज, रांची, (1973) 1 एससीसी 805; रसेल बनाम ड्यूक ऑफ नॉरफोक, (1949) 1 ऑल ईआर 109; बायरन बनाम किनेमैटोग्राफ रेंटर्स सोसाइटी, (1958) 2 ऑल ईआर 579: (1958) 1 डब्ल्यूएलआर 762; गुरबचन सिंह बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे, 1952 एससीआर 737: एआईआर 1952 एससी 221: 1952 क्रि एलजे 1147.
69 ए.डी.एम., जबलपुर बनाम एस. शुक्ला एआईआर 1976 सुप्रीम कोर्ट 1207 (रे सी.जे., पैरा 29, बेग जे. पैरा 248 और
250)

70 मेनका गांधी बनाम भारत संघ, ए.आई.आर. 1978 एस.सी. 597, पैरा 54-56-63.
71 डी. डी. बसु, भारत के संविधान का परिचय, सत्रहवाँ संस्करण, प्रेन्टिस-हॉल, पृ. 132.
हर तरह से दंडमुक्ति: अधिकार और कानून की गतिरोध 99

“उचित प्रक्रिया” की अवधारणा का न्यायिक पुनर्वास, तर्क की कसौटी को आयात करता है।
किसी ऐसे कानून की वैधता निर्धारित करने की क्षमता और निष्पक्षता जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करता है-
इस मामले के अनुसार, "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया" पर जोर दिया गया है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 को अब इस स्थिति से नरम किया जाना था कि कानून में ऐसी प्रक्रिया भी निर्धारित होनी चाहिए जो मनमानी, अनुचित या तर्कहीन न हो।
ऐसा माना जाता है कि इस मामले ने व्याख्या को आवश्यक आयाम प्रदान किया। जीवन और स्वतंत्रता के अधिकारों को रेखांकित करते हुए, वे विभिन्न परस्पर संबंधित अधिकारों पर बल देते हैं।
इसमें शामिल किया गया। इसने माना कि जीवन और स्वतंत्रता के अधिकारों पर एक ठोस कानूनी प्रतिबंध है-
स्वाभाविक रूप से, किसी भी संपत्ति को अपने अंतर्निहित अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बाद में दिए गए निर्णयों में भी इन्हीं सिद्धांतों की प्रतिध्वनि हुई है।72
एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में, मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने...
सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संसद असीमित शक्तियों का दावा नहीं कर सकती।
संविधान में इस हद तक संशोधन करना कि वह इसकी मूलभूत विशेषताओं को निरस्त कर दे। 73
हालाँकि, जैसा कि हमने देखा, मौलिक सिद्धांतों की प्रधानता पर ये उच्चतर स्थितियाँ
भारतीय संविधान के अध्याय-तीसरे द्वारा गारंटीकृत मानवाधिकारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
जब सुप्रीम कोर्ट ने टाडा की वैधता को बरकरार रखा। करतार मामले में फैसला।

दरअसल, सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले ने "विधायी प्रतिस्पर्धा" के सिद्धांत को आगे बढ़ाया।
ए.डी.एम. जबलपुर बनाम एस. शुक्ला के मामले में "तनाव" को अस्पष्ट क्षेत्र में ले जाया गया।
“आनंद सिद्धांत” के तहत, संसद को व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समाप्त करने की अनुमति दी गई है।
संविधान के अध्याय III द्वारा गारंटीकृत संबंध और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय
आपातकाल की घोषणा के बिना भी। दूसरे शब्दों में, और जैसा कि हम करेंगे बार-बार देखने पर, मौलिक अधिकारों और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का लाभ मिलता है।
राजनीतिक रूप से संदिग्ध समूहों के लिए स्थापित कानून "मजबूती" पर निर्भर करता था।
संसद, न्यायपालिका और कार्यपालिका।
यह विधायी और न्यायिक स्वीकृति का वह वातावरण था, जिसमें सुरक्षा
जांच के दायरे में आने वाली पूरी अवधि के दौरान पंजाब में तैनात सेनाएं अपने कार्यों को अंजाम देने में सक्षम रहीं।
आतंकवाद विरोधी अभियान। और, उपलब्ध सभी जानकारियों के अनुसार, वे निम्नलिखित का उपयोग कर रहे थे:
नए कानूनों के तहत उन्हें उपलब्ध कराई गई असाधारण शक्तियां, जैसे कि टाडा को यथासंभव अधिकतम सीमा तक लागू किया जाए। राष्ट्रीय मानवाधिकारों के अनुसार
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के तहत पंजाब पुलिस ने टीएडीए के अंतर्गत 17,529 मामले दर्ज किए हैं।
इसका प्रकाशन 1985 से जुलाई 1994 के अंत तक हुआ। 74 अक्टूबर 1993 में, के अनुसार
केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार, टीएडीए के तहत कुल 52,268 लोगों को हिरासत में लिया गया था।
मंत्रालय के अनुसार, नामित अदालतों द्वारा चलाए गए लोगों की दोषसिद्धि दर यह दर 0.81 प्रतिशत थी। उसी स्रोत के अनुसार, पंजाब में दोषसिद्धि दर 0.81 प्रतिशत थी।
0.37 प्रतिशत.75 24 अगस्त 1994 को, गृह राज्य मंत्री रहे राजेश पायलट
72 मेनका गांधी बनाम भारत संघ, ए. आई. आर 1978 एस. सी. 597, पारस। 54-56, 63; सुनील बत्रा बनाम दिल्ली
प्रशासन AIR 1978 S.C. 1675, पैरा 228; हुसैनारा बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका बिहार राज्य, AIR 1979 S.C. 1360-1365; महाराष्ट्र राज्य बनाम महाराष्ट्र चंपालाल राज्य, AIR 1981, SC 1675-1677; बचन सिंह बनाम पंजाब सरकार, (1982) 3 SCC 24, पैरा 83; शेर सिंह बनाम पंजाब सरकार, AIR 1983 SC 465; बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ, (1984) 3 SCC 161, 183-184; भारत संघ, (1991) 3 SCC 482; एस.सी. कानूनी सहायता समिति बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका बिहार राज्य, (1991) 3 SCC 482; महाराष्ट्र राज्य बनाम महाराष्ट्र राज्य रविकांत एस. पाटिल, (1991) 2 एससीसी 373; उन्नी कृष्णन बनाम यूनाइटेड स्टेट्स स्टेट ऑफ ए.पी., (1993) 1 एससीसी 645; फ्रांसिस कोरली मुलिन बनाम फ्रांसिस कोरली मुलिन। प्रशासक, भारत का केंद्र शासित

प्रदेश, (1981) 1 एससीसी 608; पी. रतिराम बनाम सरकार। भारत संघ, (1994) 3 एससीसी 394।
73 मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ, (1980) 3 एससीसी 625, 643, 675-679
74 द टाइम्स ऑफ इंडिया, 8 अगस्त 1994; आई. एस. जयजी, नरसंहार की राजनीति, चंडीगढ़, 1995, पृ. 135-137,
147

75 भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के पूर्ण आयोग को ज्ञापन,
‘परिशिष्ट I’, 19 दिसंबर 1994।
100 राख में तब्दील

खुलासा हुआ है कि टीएडीए के बाद से लगभग 67,000 लोगों को हिरासत में लिया गया है।
लागू हुआ। इनमें से केवल 8,000 लोगों पर मुकदमा चलाया गया और केवल 725 लोगों को दोषी ठहराया गया।
लगभग 59,509 लोगों को बिना किसी मामले के हिरासत में लिया गया था। टीएडीए समीक्षा समिति ने पाया कि टीएडीए को कई मामलों में गलत तरीके से लागू किया गया था।
50,000 से अधिक मामले।76 सीताराम येचुरी, महासचिव के अनुसार
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के अनुसार, "1994 के मध्य तक गिरफ्तार किए गए 76,036 लोगों में से..."
लगभग 99 प्रतिशत या 75,200 लोग परीक्षण के विभिन्न चरणों में थे या उन पर मुकदमा नहीं चलाया गया था।
किसी भी अदालत के सामने पेश नहीं किया गया।"77 जम्मू और कश्मीर में, जहां 20,000 गिरफ्तारियां हुईं
टाडा की स्थापना के बाद से अब तक एक भी आरोपी को दोषी नहीं ठहराया गया है। 78
पंजाब में सुरक्षा बलों की आतंकवादियों को पकड़ने में विफलता, इसके बावजूद कि
टीएडीए और अन्य कठोर कानून, स्पष्ट रूप से उनके जुनून का परिणाम प्रतीत होते थे।
न्यायिक गतिविधियों से इतर गतिविधियों के साथ संघर्ष करना, कठिन और नीरस कार्यों का खंडन करना।
नियमित पुलिस कार्य।

भाग तीन: पंजाब पुलिस—
विकास और पुनर्गठन

पंजाब पुलिस की उत्पत्ति
पंजाब में हिंसक अपराध कोई नई बात नहीं है। ब्रिटिश अधिकारियों के उन रिकॉर्डों से पता चलता है जिन्होंने पंजाब में सेवा की थी।
राज्य द्वारा इस समस्या से निपटने में आने वाली कठिनाइयों के कई संदर्भ दिए गए हैं।
लेकिन उन्होंने इस चुनौती का सामना किया।

स्लीमैन और उनकी टीम ठगों के खतरे को जड़ से खत्म करने में सफल रही। 1822 और 1840 के बीच गवर्नर-जनरल विलियम बेंटिंक का कार्यकाल धीमा और श्रमसाध्य था।
कठिन और खतरनाक काम। बिना कानूनी औपचारिकता के आसानी से गुंडों को खत्म करने के बजाय,
स्लीमैन और उनकी टीम ने कठिन मार्ग चुना और सदस्यों की सूचियाँ संकलित कीं।
प्रत्येक गिरोह के बारे में जानकारी जुटाना, घटनाओं का ब्यौरा तैयार करना, गवाहों को जुटाना और उन्हें संकलित करना।
ऐसे साक्ष्य जो न्यायिक जांच में विसंगति के विरुद्ध खरे उतर सकें। उनके काम से यह साबित हुआ कि
फल। 1831 और 1837 के बीच 3,000 से अधिक बदमाशों को दोषी ठहराया गया। सैकड़ों
उनमें से हजारों को फांसी दी गई और हजारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।79
स्लीमैन के सफल उदाहरण का अनुसरण उनके उत्तराधिकारी चार्ल्स हार्वे ने किया।
जिन्होंने पंजाब में संगठित डाकुओं और लुटेरों के गिरोहों की चुनौती का सामना किया।
एक बार फिर, ठगी और दकाइती विभाग ने श्रमसाध्य और व्यवस्थित कार्य शुरू किया।
प्रत्येक संदिग्ध के संबंध में विषयगत शोध किया गया और व्यक्तिगत फाइलें तैयार की गईं जिनमें शामिल हैं-
उसकी गिरफ्तारी और अंतिम कारावास की तारीख तक की हर जानकारी को इकट्ठा करना।

76 SAHRDC, मानवाधिकार फ़ीचर्स, “असमर्थनीय का बचाव: भारत ने POTA अधिनियम लागू किया” – http://
www.hrdc.net/sahrdc/hrfchr58/Issue3.htm
77 सीताराम येचुरी, “न तो आतंकवादियों के साथ, न ही पोटो के साथ”, पीपुल्स डेमोक्रेसी, खंड XXV, अंक 48, 02
दिसंबर 2001 http://www.pd.cpim.org/2001/dec02/2002_dec02_poto_sry.htm 78 द मिली गजट, 3 दिसंबर 2002, http://www.milligazette.com?Archives/01-5-2002/
jk_tada_cases.htm.
79 फिलिप वुड्रफ, द मेन हू रूल्ड इंडिया, खंड I, पृष्ठ 263-4, जोनाथन केप, लंदन, 1954
हर तरह से दंडमुक्ति: अधिकार और कानून की गतिरोध 101

परीक्षण के लिए।80 विभाग के अनुभवों और कार्य के परिणामस्वरूप 1879 में इसका गठन हुआ।
पंजाब के शिमला में मुख्यालय वाली विशेष शाखा का गठन, जानकारी एकत्र करने के लिए किया गया।
गुप्त और राजनीतिक खुफिया जानकारी। भारत में सभी आधुनिक खुफिया संगठन।

और ब्रिटेन में भी इनकी जड़ें इसी विभाग द्वारा किए गए अग्रणी कार्यों में निहित हैं। जॉन
पॉल वारबर्टन, लेखक रूडयार्ड किपलिंग के पुलिस चरित्र 'स्ट्रिकलैंड' के लिए आदर्श थे।
भारत के सबसे महान जासूस के रूप में जाने जाने वाले, वह लुधियाना में पुलिस अधीक्षक थे।
1872.81 में
हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व में गठित पंजाब पुलिस की स्थापना के समय से ही, 1849 में खालसा साम्राज्य के विलय के बाद, यह एक आदर्श उदाहरण था। अनुशासित बल जिसने "हिंसक अपराध को दबाने" में असाधारण परिणाम प्राप्त किए।
और "सभी लुटेरों और हत्यारों के गिरोहों के सरगनाओं" को न्याय के कटघरे में लाने में।
गहन शोध और एक विस्तृत गवाह सुरक्षा कार्यक्रम के माध्यम से।
पंजाब पुलिस के संगठन में लेफ्टिनेंट की नियुक्ति के साथ नए स्वरूप तैयार किए गए हैं।
प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट के अधीन पुलिस बल और एक महानिरीक्षक नियुक्त किया जाता है।
1860 में पूरा प्रांत, 1860 के पुलिस आयोग के लिए एक आदर्श था।
भारत भर में पुलिस बल के पुनर्गठन में इसका अनुसरण किया गया।82
1894 में प्रकाशित पंजाब पुलिस प्रशासन रिपोर्ट से पता चलता है कि कितना अच्छा था
पहले पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) टर्टन स्मिथ के नेतृत्व में प्राप्त हुई उपलब्धि
“एक अपवाद” में “डकैती और प्राकृतिक आपदाओं” से निपटने में उल्लेखनीय परिणाम मिले हैं।
अकाल, महामारी और सीमा युद्ध के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय स्तर पर कठिन दौर। पंजाब में
उस समय इसकी आबादी लगभग 24 मिलियन थी और क्षेत्रफल लगभग 100,000 वर्ग मीटर था।
वर्ग मील में फैले इस क्षेत्र को 29 पुलिस जिलों में विभाजित किया गया है, जिनमें डीएसपी के अधीन 700 जवानों का बल है।
प्रत्येक जिले में। पंजाब में कुल पुलिस बल 21,000 अधिकारी और जवान थे। 83 अमृतसर मंडल के आयुक्त ई. ए. प्रिंसेप ने मुख्य व्यवस्था बनाई।
1861 में "बुरे चरित्र" वाले लोगों का निगरानी रजिस्टर रखना। एक अन्य जिला अधिकारी
जालंधर में तैनात एक व्यक्ति ने पुलिस द्वारा चलाए गए अभियान का विस्तृत विवरण दिया।
अपराध, थाने के अधिकारियों (एसएचओ) के सावधानीपूर्वक चयन पर आधारित, खेती विश्वसनीय मुखबिरों और ग्रामीणों को गवाही देने के लिए राजी करने के माध्यम से जेराल्ड सैवेज ने काम किया।
संगठित अपराध से निपटने के लिए बनाई गई "विशेष कोठरी" के साथ: "इसका मतलब था आराम से रहना
घरों में रहना और महीनों तक कभी भी सभ्यता से रूबरू न होना।" 84
1893 में पंजाब के फिल्लौर में पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना।

निरीक्षकों और उप-निरीक्षकों की शिक्षा के लिए किया गया यह पहला गंभीर प्रयास था।
पुलिस के निचले स्तरों में भ्रष्टाचार और अज्ञानता की चुनौती का समाधान करना।
देश में पुलिस बल के लिए यह स्कूल एक आदर्श था।
अपराध की जांच और रोकथाम के आधुनिक तरीके। यह पहली पुलिस कार्रवाई थी।
दुनिया के स्कूलों में से एक मेजर द्वारा विकसित "कार्यप्रणाली" के सिद्धांत को लागू करने के लिए।
एटचरली का मानना था कि अपराधों को सुलझाने के लिए "व्यक्तिगत तरीकों" पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
अपराधियों के बारे में, "विशाल संख्या में तथ्यों का वर्गीकरण, अनुक्रमणिकाकरण और अभिलेखन" करके...

80 चार्ल्स हरवे, सम रिकॉर्ड्स ऑफ क्राइम, पृ. 385, पर्सीवल ग्रिफिथ्स द्वारा उद्धृत, द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन
पुलिस, अर्नेस्ट बेन, लंदन और संबद्ध प्रकाशक, बॉम्बे, 1971, पृ. 135-6. 81 पर्सीवल ग्रिफिथ्स, द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन पुलिस, अर्नेस्ट बेन, लंदन एंड एलाइड पब्लिशर्स,
बॉम्बे, 1971, पृ. 136, 405.
82 ए. कुमार, “पंजाब पुलिस युगों के माध्यम से”, पंजाब पुलिस जर्नल, शताब्दी अंक, पृ. 75; एन. ए.
रज़वी, अवर पुलिस हेरिटेज, पृ. 66-7, पर्सीवल ग्रिफ़िथ्स द्वारा उद्धृत, ओप. सिट. पृ. 76-7.
83 पंजाब पुलिस प्रशासन रिपोर्ट, 1894, पृष्ठ 178 और जी. एच. आर. हॉकलैंड, पंजाब पेट्रोल: कुछ
एक भारतीय पुलिस अधिकारी की यादें, पृ. 23-6, पर्सीवल ग्रिफ़िथ्स में उद्धृत, ओप. सिट, पृ. 188-190। 84 आईओएल:आर, लंदन, एमएसएस. यूर. डी. 1065/1, एफ. 180/70, आर. 161.
102 राख में तब्दील

"व्यक्तिगत अपराधियों के बारे में" जिससे जांच अधिकारियों को व्यक्तिगत जानकारी पढ़ने में मदद मिली।
“अपराधियों” की व्यक्तिगत विलक्षणताओं के बारे में। जांचकर्ताओं को यह सिखाया गया था कि
“रिकॉर्ड” का अध्ययन करके और गैर-संदिग्धों को हटाकर अपराधियों को पकड़ें। सभी-
अधिकारियों को अपराध मानचित्र विकसित करना और प्रत्येक अपराध के लिए अलग-अलग मानचित्र तैयार करना सिखाया गया।
और फिर उन इलाकों को दर्शाने वाले संयुक्त चार्ट संकलित करना जो एक "पार-विशिष्ट कार्यप्रणाली”। ये सभी तकनीकें विधियों में सुधार थीं। स्लीमैन और उनकी टीम द्वारा विकसित।85 सभी नए सहायक पुलिस अधीक्षक, निरीक्षकों और उप-निरीक्षकों को आपराधिक कानून में महारत हासिल करना आवश्यक था, पंजाब
पुलिस नियम और कई विशेष और स्थानीय कानून। स्कूल में एक पेशेवर संस्था भी थी।

विंशियल फिंगरप्रिंट ब्यूरो। रिज पैटर्न पर अभूतपूर्व शोध।
उंगलियों और उनकी विशिष्टता को विलियम हर्शेल नामक एक उप-विभाग द्वारा विकसित किया गया था।
1853 में बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में एक पेशेवर सिविल सेवा अधिकारी के रूप में कार्यरत थे और
इंग्लैंड के वैज्ञानिक फ्रांसिस गैल्टन ने इसमें सुधार किया। डिजिटल वर्गीकरण की प्रणाली-
उंगलियों के निशानों का वर्गीकरण और टेली के माध्यम से वर्गीकरणों का संचार करना।
सब-इंस्पेक्टर अजीज उल-हक और हेम की टीम ने ग्राफिक कोड को परिपूर्ण बनाया।
चंद्र बोस, निचले बंगाल के आईजीपी एडवर्ड रिचर्ड हेनरी के मार्गदर्शन में।
1891 से 1899 की अवधि में। उसी वर्ष, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन किया गया था।
आपराधिक मुकदमे की प्रणाली में उंगलियों के निशान के साक्ष्य को शामिल करना। 86 पुलिस
फिल्लौर स्थित प्रशिक्षण विद्यालय ने शिक्षा प्रदान करने में विश्व में अग्रणी भूमिका निभाई।
आपराधिक जांच में शामिल पुलिस अधिकारियों के लिए प्रणाली। सभी परिवीक्षाधीन
स्कूल में उंगलियों के निशान के विज्ञान का कोर्स करना पड़ता था, उंगलियों के निशान बनाना सीखना पड़ता था।
पैरों के निशान के सांचे तैयार करना और चिकित्सा न्यायशास्त्र की परीक्षा उत्तीर्ण करना।
पंजाब पुलिस अधिकारी एफ. एच. डू हेउम ने बैलिस्टिक विज्ञान में अग्रणी शोध कार्य किया।
और उन्होंने विशिष्ट आग्नेयास्त्रों द्वारा गोलियों पर उत्पन्न होने वाली धारियों का अध्ययन करने के लिए एक प्रणाली विकसित की।
इस शोध का परिणाम एक आग्नेयास्त्र की पहचान के संबंध में भी समान था जिसका उपयोग किया गया था।
उंगलियों के निशान से उस व्यक्ति की पहचान हो गई जिसने अपराध किया था, क्योंकि उंगलियों के निशान से उस व्यक्ति की पहचान स्थापित हो गई जिसने उसे खींचा था।
ट्रिगर। फिल्लौर में प्रशिक्षित पंजाब पुलिस अधिकारियों ने बाद में इसके उपयोग का पता लगाया।
चिपचिपी सतहों से उंगलियों के निशान पकड़ने के लिए पराबैंगनी विकिरण और प्रतिदीप्ति का उपयोग।87

क्रूर रूपांतरण:
गुप्त अभियानों के आरोप
यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रशिक्षण और संगठन की इस परंपरा में पली-बढ़ी पुलिस बल...
अनुशासन और अनुशासन को कानूनविहीन बर्बर समूह में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए था।

ऐसे कर्मी जो के.पी.एस. जैसे अपने नेताओं की नाटकीय प्रतिभा का अनुकरण करेंगे।
गिल जांच के बुनियादी सिद्धांतों, तथ्यों की निश्चितता आदि को नजरअंदाज करते हैं।
और स्थानीय समुदाय के साथ सहयोग। परिणामस्वरूप, पंजाब ने शुरुआत में
यह विद्रोह अभिमानपूर्ण बहादुरी और साहसिक पूर्व-
इसके वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के प्रयोग। अंत में, विक्टोरिया में ब्रिटिश अधिकारियों के दौरान-
तोरियन काल में वे अपने भ्रष्ट वंशजों पर मुकदमा चला सकते थे, जिनका पालन-पोषण उनके जैसे पुरुषों द्वारा किया गया था।
गिल केवल पकड़कर मार सकता था।

85 डब्ल्यू. ए. गेयर, भारत में चोरी का पता लगाना, पृ. 315-7; पर्सीवल ग्रिफ़िथ्स, ओप. सिट. में उद्धृत।
पृष्ठ 313-4.
86 पर्सीवल ग्रिफ़िथ्स, ओप. सिट., पृ. 334-6.
87 वही, पृ. 337-9.
हर तरह से दंडमुक्ति: अधिकार और कानून की गतिरोध 103

पंजाब पुलिस अधिकारियों द्वारा गुप्त रूप से कार्रवाई करने की भी खबरें हैं।
सनसनीखेज आतंकवादी अपराधों की साजिश रचने सहित, हेरफेर करने के लिए अभियान चलाना।
घरेलू स्तर पर दमनकारी उपायों के पक्ष में जनमत और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को कमजोर करने के लिए-
पंजाब में मानवाधिकारों के हनन की रिपोर्टों पर राष्ट्रीय ध्यान दिया गया है।
कनाडा के एक अखबार, ग्लोब एंड मेल ने एक खोजी रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें दावा किया गया था-
यह आरोप लगाया गया कि एयर इंडिया के विमान में हुए बम विस्फोट के लिए भारतीय सरकारी एजेंट जिम्मेदार थे।
जून 1985 में हुए एक विमान हमले में विमान में सवार 329 लोग मारे गए थे। बमबारी का उद्देश्य...
रिपोर्ट के अनुसार, इसका उद्देश्य पंजाब में अलगाववादी आंदोलन को आतंकवादी आंदोलन के रूप में बदनाम करना था।
पश्चिम में इसके नायकों के प्रति सहानुभूति के आधार को नष्ट करने के लिए-पूर्वी देशों। इस खोजी रिपोर्ट के लेखक ने बाद में एक अन्य व्यक्ति के साथ सहयोग किया।
एक पत्रकार ने एक ऐसी किताब प्रकाशित करने का दावा किया जिसमें खुफिया अभियानों का खुलासा करने का दावा किया गया था।
भारतीय सरकार के कारण विमान में बमबारी हुई।88
लंदन के द ऑब्जर्वर में 24 अप्रैल को प्रकाशित एक अन्य विशेष रिपोर्ट। 1988 के अंक में दावा किया गया था कि भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी, रिसर्च एंड एनालिसिस

विंग (आरएडब्ल्यू) हथियारों की तस्करी में शामिल था, जिसमें रॉकेट लॉन्चर भी शामिल थे।
पंजाब में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के उद्देश्य से अफगानिस्तान।
धीरेन भगत की कहानी के अनुसार, जिन्होंने इंडियन पोस्ट के लिए भी लिखा था।
बॉम्बे से प्रकाशित खबर के बाद, नई दिल्ली हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारी चौंक गए।
19 नवंबर 1987 को जब एक टोकरी से कुछ गोलियां बाहर लुढ़क गईं जो वहां पहुंची थी
काबुल से आ रही इंडियन एयरलाइंस की एक फ्लाइट। यह 23 विमानों की एक बड़ी खेप का हिस्सा थी।
उप आयुक्त की देखरेख में बक्सों को अलग करके उनका एक्स-रे किया गया।
जांच में भाग लेने के लिए विशेष रूप से बुलाई गई पुलिस। ये बक्से, जिनके पते पर भेजे गए थे...
नई दिल्ली स्थित "संचार महानिदेशक" को भेजे गए पत्र में अत्याधुनिक हथियार थे।
रॉकेट लॉन्चर और उनके गोला-बारूद सहित।
हवाई अड्डे के अधिकारियों को पूरा विश्वास था कि उन्हें तस्करी का एक बड़ा जखीरा मिला है।
जब गिरोह के हथियार, सामग्री की सूची बनाने की प्रक्रिया में थे, तभी एक साधारण कपड़ों में एक व्यक्ति ने आकर खुद को आरएडब्ल्यू का एक एजेंट बताया।
उसने खेप को सरकार की संपत्ति बताते हुए सारा माल लेकर फरार हो गया।
बॉक्स।
धीरेन भगत को पता चला कि "महानिदेशक" का कोई पद ही नहीं था।
भारतीय संचार मंत्रालय। भगत ने कैबिनेट सचिव से संपर्क किया।
भारत सरकार से, जो औपचारिक रूप से रॉ (RAW) की प्रभारी है, स्पष्टीकरण मांगा गया। लेकिन
सरकारी कर्मचारी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। कुछ समय बाद, दिल्ली के एक अखबार ने इस खबर को प्रकाशित किया।
एक खबर में दावा किया गया कि पंजाब में आतंकवादी अब रॉकेट से लैस हो गए हैं।
लॉन्चर। धीरेन भगत के अनुसार, यह कहानी खुफिया एजेंसियों द्वारा फैलाई गई थी।
एजेंसी संगठन।
21 मार्च 1988 को, भारतीय मीडिया ने सनसनीखेज ढंग से पहले आतंकवादी हमले की खबर प्रकाशित की।
पंजाब में एक अर्धसैनिक शिविर पर हमला जिसमें रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया था
इस्तेमाल किया गया था। इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ था, हालांकि, इसे काफी सुर्खियां मिलीं।
सनसनीखेज प्रचार। प्रेस कवरेज ने सरकार को एक विधेयक को जल्दबाजी में पारित करने में मदद की।
संसद में संवैधानिक संशोधन, जो किसी राज्य पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है

पंजाब में आपातकाल और जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकारों का चयनात्मक निरसन।
धीरेन भगत की कहानी से पता चलता है कि रॉकेट उनके लोगों द्वारा दागे गए थे।

88 इंडिया-वेस्ट, 29 नवंबर 1985, एयर इंडिया दुर्घटना में भारतीय एजेंट शामिल; जुहैर कश्मीरी और
ब्रायन मैकएंड्रू, सॉफ्ट टारगेट, जेम्स लोरिमर एंड कंपनी, ISBN 1-55028-221-2.
104 राख में तब्दील

सरकार द्वारा प्रायोजित उकसाने वाले एजेंट, जिनका उद्देश्य सिख विरोधी भावनाएँ भड़काना है।
देश में उन्माद। 89
पंजाब में शामिल अन्य लोगों ने भी उतने ही परेशान करने वाले आरोप लगाए। सरकार के उच्च अधिकारियों में से एक। इस तरह का आरोप लगाने वाले प्रमुख व्यक्तियों में से एक...
यह बातचीत जैन भिक्षु आचार्य सुशील मुनि से हुई, जो लोगों से बातचीत कर रहे थे।
पंजाब समस्या के समाधान के लिए सिख धार्मिक नेताओं और उग्रवादी संगठनों के बीच बातचीत।
सुशील मुनि ने पाक्षिक पत्रिका इंडिया टुडे को दिए एक साक्षात्कार में इस विषय पर चर्चा की।
उनका शांति मिशन, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया था कि इसे राजीव गांधी का व्यक्तिगत समर्थन प्राप्त था।
यह साक्षात्कार 30 अप्रैल 1988 को प्रकाशित हुआ था। सुशील मुनि ने दावा किया था कि वह सफल रहे थे।
आतंकवादियों को शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने और हथियार डालने के लिए राजी करने में सफलता मिली।
आधिकारिक तौर पर माफी की घोषणा के बाद। लेकिन सरकार ने इससे पीछे हट गई। प्रतिबद्धता। सुशील मुनि ने आरोप लगाया कि प्रतिष्ठान के भीतर वे लोग "जो खड़े हैं
पंजाब को आतंकवाद के कगार पर रखकर लाभ कमाने के प्रयास ने शांति प्रक्रिया को विफल कर दिया।
उन्होंने टी.एस. रियासती की हत्या करवाने के लिए "स्वार्थी तत्वों" को भी जिम्मेदार ठहराया।
एक पूर्व मंत्री जो असंतुष्टों के साथ तालमेल बनाने में उनकी मदद कर रहे थे-
उन्होंने यह सवाल उठाया: "हिंसा के कृत्यों के लिए कौन जिम्मेदार हो सकता है?"
जब सभी प्रमुख चरमपंथी संगठन उनकी निंदा कर रहे थे, तब ऐसा क्यों हुआ? सुशील
मुनि ने आगे कहा: “आपको ध्यान देना चाहिए कि पहले के आतंकवादी हमलों के दौरान ऐसा कुछ नहीं था।”
टीवी कवरेज। लेकिन देखिए अब टीवी कर्मी नरसंहार स्थल पर कितनी जल्दी पहुँच जाते हैं-

"उनका विस्तृत प्रसारण पूरे भारत में किया जाएगा।" दर्शन सिंह रागी, जो उस समय धार्मिक प्रतिनिधि थे, ने कहा...
सिख समुदाय के धार्मिक प्रमुख ने भी इसी तरह के आरोप लगाए।90
हरियाणा के गृह मंत्री संपत सिंह की ओर से और भी चौंकाने वाले खुलासे हुए। दिसंबर से गैर-कांग्रेसी पार्टी द्वारा शासित उत्तरी भारत का एकमात्र राज्य
1987. 25 अप्रैल 1989 को प्रेस से बात करते हुए, गृह मंत्री ने सबूतों का दावा किया।
इससे पता चलता है कि केंद्रीय गृह मंत्री और कृषि मंत्री ने कुछ लोगों को संरक्षण दिया।
पंजाब में हत्यारों के गिरोहों के बारे में। उन्होंने प्रधानमंत्री को पूर्ण सबूत उपलब्ध कराने का वादा किया।
मंत्री ने जांच कराने की जहमत उठाई। जाने-माने स्तंभकार राजिंदर पुरी ने इस मामले में अपनी राय रखी।
इसी तरह के आरोप और यह भी सुझाव दिया गया कि भारतीय खुफिया संगठन
वे स्वयं सिख आंदोलन को बदनाम करने के लिए कट्टरपंथी तत्वों को संरक्षण दे रहे थे।91

पुलिस सतर्कता दल
उस दौर में पंजाब पर मेरे अपने शोध से पता चला कि राज्य एजेंसियां
सिख कट्टरपंथी आंदोलन में घुसपैठ करने और जनित...
उन्होंने जघन्य अपराधों को अंजाम देकर नैतिक घृणा का माहौल पैदा किया, जिन्हें बाद में उन्होंने अंजाम दिया।
इसका आरोप सशस्त्र सिख समूहों पर लगाया गया है। मैंने इस विषय पर भान सिंह से चर्चा की।
the secretary of the Shiromani Gurudwara Prabandhak Committee (SGPC) who
उन्होंने उस कभी शक्तिशाली सिख धार्मिक संगठन के मामलों का प्रबंधन 20 से अधिक वर्षों तक किया था।
एक दशक। भान सिंह की हत्या कथित तौर पर 25 तारीख को अलगाववादी आतंकवादियों द्वारा की गई थी।
जुलाई 1988, उनके साथ मेरा साक्षात्कार रिकॉर्ड करने के एक सप्ताह बाद। जून 1984 में स्वर्ण मंदिर पर सेना की कार्रवाई के बाद, भान सिंह

89 द ऑब्जर्वर, रविवार 24 अप्रैल 1988, राजीव के जासूस हथियारों की तस्करी करते हैं, धीरेन भगत द्वारा, पृष्ठ। 25.
90 इंडिया अब्रॉड, 6 मई 1988, पंजाब पर बैठक से कुछ हल नहीं निकला, तरुण बसु द्वारा; इंडियन एक्सप्रेस।
बॉम्बे, 28 जनवरी 1988, हत्याएं साजिश का हिस्सा: रागी।
91 द संडे ऑब्जर्वर, 16 नवंबर 1986, द एनिमी विद इन, राजिंदर पुरी द्वारा।
हर तरह से दंडमुक्ति: अधिकार और कानून की गतिरोध 105

मंदिर परिसर से गिरफ्तार किए गए लोगों के लिए कानूनी सहायता जुटाने का काम किया था।

और बिना मुकदमे के राजस्थान की जेल में बंद कर दिया गया। भान सिंह का कार्यालय गोल्डन के अंदर था।
मुझे मंदिर परिसर का करीब से अवलोकन करने का अवसर मिला और मैं मंदिर के अंदर हो रहे विकास कार्यों को देख सका।
उनका मानना था कि जिस प्रकार भिंडरांवाले को अपने शुरुआती दिनों में प्रोत्साहन मिला था, उसी प्रकार
कांग्रेस पार्टी और दिल्ली में कांग्रेस सरकार दोनों ही इस मामले को नजरअंदाज कर रही थीं।
कमजोरों को निशाना बनाने के उद्देश्य से स्वर्ण मंदिर के अंदर उग्रवादियों की एक नई नस्ल ने मोर्चाबंदी कर ली है।
अकाली दल के राजनीतिक आधार को मजबूत करते हुए। उन्होंने तर्क दिया कि गोल्डन रिट्रीवर के आसपास की सुरक्षा
मंदिर इतना सख्त था कि बिना आधिकारिक अनुमति के कोई भी हथियार अंदर नहीं ले जा सकता था।
सामाजिक मिलीभगत। मैंने उनसे पूछा कि क्या उनकी राय में सशस्त्र संघर्ष की वकालत करने वाले सभी सिख समूह इसमें शामिल हैं।
संघर्ष को आधिकारिक तौर पर प्रायोजित किया गया था। भान सिंह ने कहा: “असली उग्रवादी स्वर्ण मंदिर में डेरा नहीं डाले हुए हैं। वे वहां नहीं हैं।
वे अपनी जान बचाने के लिए इसकी पवित्रता की आड़ में छिप जाते हैं, जबकि साथ ही बार-बार इसके खतरे को भी न्योता देते हैं।
सुरक्षा बलों द्वारा अपवित्रता। वे खुले में ही अपनी लड़ाई लड़ते हैं।" जब उनसे पूछा गया कि क्या सभी जघन्य अपराधों के लिए सरकारी एजेंसियां जिम्मेदार हैं, तो उन्होंने कहा।
भान सिंह ने कहा कि अलगाववादी उग्रवादियों से जुड़ी इन घटनाओं में उतने ही और भी लोग शामिल होंगे।
अपराध में शामिल असामाजिक तत्व, जैसा कि शुरुआत से पहले हुआ था।
राजनीतिक संकट। इस बात के पर्याप्त सबूत थे कि जिन लोगों ने ये अपराध किए थे, वे ही इसके लिए जिम्मेदार थे।
उग्रवादी अलगाववादियों द्वारा किए गए अपराधों में सिख पोशाक पहनना शामिल था।
सिखों की छवि खराब करने के लिए पगड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा था।92 और सरकार इसका फायदा उठा रही थी।
मीडिया ने सभी अपराधों का आरोप अलगाववादी उग्रवादियों पर लगा दिया। इससे जनता में आक्रोश फैल गया।
सिखों को न्याय से वंचित करने में सहायक।
कृपाल सिंह, जो कई बार अमृतसर से सांसद रहे हैं और
मुख्य खालसा दीवान के अध्यक्ष, कृपाल सिंह ने भी इन विचारों की पुष्टि की।
मुझे बताया गया कि सरकारी एजेंसियां कई सशस्त्र सतर्कता समूहों का गठन कर रही थीं।
असामाजिक तत्वों को बाहर निकालना, ताकि वास्तविक उग्रवादी संगठनों में घुसपैठ करके उन्हें निष्क्रिय किया जा सके।
उनके द्वारा किए गए अत्याचारों का दोष अक्सर अलगाववादी समूहों पर लगाया जाता था।

गुरदयाल सिंह, जो अप्रैल 1966 में पंजाब के आईजीपी पद से सेवानिवृत्त हुए थे, ने यह जानकारी प्रदान की।
निर्णायक सबूत। भारत की विभाजनकारी सरकार से पहले वे लाहौर के पुलिस अधीक्षक थे।
1947 में नियुक्ति। 1952 से उप महानिरीक्षक (डीआईजी) (खुफिया) के रूप में।
1956 में उन्होंने पंजाबी भाषी क्षेत्र के निर्माण के आंदोलन का बारीकी से अनुसरण किया था।
राज्य। उनके मुख्य कार्यों में से एक कम्युनिस्ट विद्रोह को निष्क्रिय करना था जिसका नेतृत्व किया जा रहा था।
तेजा सिंह स्वतंत्र ने 1950 और 1960 के बीच पंजाब के कुछ हिस्सों में यह कार्य किया।
चूंकि उनकी प्रतिष्ठा एक ऐसे अधिकारी के रूप में थी जिन्होंने कई मामलों को सफलतापूर्वक संभाला था
विस्फोटक परिस्थितियों से निपटने के लिए पंजाब के शासक उनसे सलाह लेते थे।
अलगाववादी हिंसा। पंजाब के राज्यपाल सिद्धार्थ शंकर राय और उनके पुलिस प्रमुख
जूलियो रिबेरो ने उनके साथ सशस्त्र समूहों के गठन की योजनाओं पर विचार-विमर्श किया।
राज्य तंत्र को प्रत्यक्ष रूप से शामिल किए बिना उग्रवाद के खतरे का सामना करें। गुरदयाल
सिंह ने उन्हें इन योजनाओं को आगे न बढ़ाने की सलाह दी। उनके विचार में, बेईमान लोग
कुछ तत्व सरकारी संरक्षण का लाभ उठाकर अपने आपराधिक उद्देश्यों को पूरा करेंगे।
समाप्त.94
जाहिर तौर पर, रे और रिबेरो ने अपने गुप्त अभियानों को आगे बढ़ाया।

92 बैंक लूट की एक घटना में, अपराधी चोरी की गई वस्तु में इस्तेमाल की गई पगड़ी ले जाना भूल गए।
टैक्सी, जिसे उन्हें छोड़ना पड़ा। द ट्रिब्यून, 11 नवंबर, 1983, डकैती में चोरी की टैक्सी का इस्तेमाल।
93 चीफ खालसा दीवान सिख पुनर्जागरण के दिनों से ही एक प्रतिष्ठित सिख सांस्कृतिक संगठन है।
20 वीं सदी के प्रारंभ में।
94 राम नारायण कुमार और जॉर्ज सीबेरर, वही, पृ. 277-282.
106 राख में तब्दील

अंडरवर्ल्ड के मुखबिरों और घुसपैठियों का उपयोग करते हुए। रिबेरो ने अपने लेख में इस बात को स्वीकार किया है।
उन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद बुलेट फॉर बुलेट नामक पुस्तक लिखी। 95 रिबेरो स्वयं हैं
ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ही सबसे पहले सार्वजनिक रूप से "गोली के बदले गोली" की नीति का प्रतिपादन किया था।

यह खबर 11 अप्रैल 1986 को हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित हुई थी। रिबेरो ने बाद में दावा किया कि अरुण
नेहरू, जो उस समय आंतरिक सुरक्षा राज्य मंत्री थे, ने यह कहानी फैलाई थी। नीतिगत बयान का श्रेय उन्हें दिया गया। फिर भी, सुरजीत की बर्खास्तगी अक्टूबर 1987 में सिंह बरनाला की सरकार के गठन से पहले एक महत्वपूर्ण जन आंदोलन हुआ था।
उस बहस में अकाली मंत्रियों ने रिबेरो पर एक गैर-न्यायिक कानून का समर्थन करने का आरोप लगाया।
अलगाववादी उग्रवाद से निपटने में सामाजिक दृष्टिकोण। रिबेरो ने उन पर आरोप लगाया कि वे पेशकश कर रहे हैं।
सिख उग्रवादियों को समर्थन।96
अपनी पुस्तक में, रिबेरो असाधारण गुप्त अभियानों के बारे में लिखते हैं। स्पष्टवादिता का अभाव: “पंजाब में कुछ ऐसे लोग थे जिनकी आपराधिक प्रवृत्ति थी, जो
वे विभिन्न स्तरों के पुलिस अधिकारियों के परिचित थे। उनसे संपर्क किया गया और उनमें से कुछ
उन्होंने ऐसे समूह बनाने पर सहमति जताई जो आतंकवादियों के वेश में काम करेंगे और...
असली आतंकवादियों के ठिकानों के सामने... पुलिस ने उन्हें वित्तीय और लॉजिस्टिक सहायता प्रदान की।
उन्हें सामाजिक सहायता तो मिली, लेकिन उनकी मांगें इतनी बढ़ गईं कि उन्हें पूरा करना असंभव हो गया।
उन्हें हमारे संसाधनों के भीतर ही रखना था। इसके अलावा, वे बहुत लालची लोग थे, जिनमें आपराधिक प्रवृत्ति भी थी।
यह प्रवृत्ति, जिसने इस धारणा पर कानून का पालन करने वाले, धनी नागरिकों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया कि
पुलिस उन पर ऋणी थी, इसलिए उन्हें रोकने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया।97 गुर इकबाल सिंह भुल्लर नामक एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा रिबेरो को सुझाया गया एक ऐसा ही व्यक्ति था।
पुलिस अधिकारी, एक तस्कर था जो कभी पुलिस कांस्टेबल रह चुका था। उसे फिर से नियुक्त किया गया था।
पटियाला में स्थित और स्थापित इस मिशन का उद्देश्य खूंखार आतंकवादियों को खोजकर उन्हें निष्क्रिय करना था।
बल प्रयोग करने की अनुमति। एक बार वह चंडीगढ़ में रिबेरो के आधिकारिक आवास में घुस गया था।
दो कथित आतंकवादियों को गोली मारने के बाद पुलिस से बचने के लिए उसने ऐसा किया था।
शहर की एक मुख्य सड़क पर स्थित बस स्टैंड पर। रिबेरो को बाद में पता चला कि यह
उस ऑपरेटिव को, उसके दस्ते में शामिल पुलिसकर्मियों के साथ, दोषी ठहराया गया था।
पंजाब ही नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी हो रही लूटपाट की घटनाओं को रोकने के लिए रेबेरो ने याचिका दायर की।
उसे आतंकवाद विरोधी तंत्र से बाहर निकालने के लिए। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता,

खबरों के मुताबिक, उस पुलिसकर्मी की मौत तब हुई जब उसने पटियाला के वरिष्ठ अधीक्षक को गोली मार दी थी।
पुलिस (एसएसपी) और उसका अधीनस्थ अपने ही कार्यालय में।98
अपनी पुस्तक में, रिबेरो ने कई अन्य गुप्त अभियानों का उल्लेख किया है, जिनकी योजना बनाई गई थी।
अमृतसर के एसएसपी इज़हार आलम और पंजाब पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारी। पुस्तक
इसमें यह भी बताया गया है कि तत्कालीन आईजी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) के.पी.एस. गिल ने कैसे विफल किया।
रिबेरो द्वारा अत्याचार करने वाले पुलिसकर्मियों को अनुशासित करने के प्रयास,
केंद्रीय गृह मंत्रालय को उनके अभियोजन को मंजूरी न देने के लिए राजी करना।99 पुस्तक में यह भी बताया गया है कि...
इसमें बताया गया है कि कैसे गिल ने सरकार को मनाकर रिबेरो की जगह पंजाब के पुलिस प्रमुख का पद हासिल किया।
सरकार ने कहा कि आतंकवादियों को कुचलने के लिए और भी कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है।

95 जूलियो रिबेरो, बुलेट फॉर बुलेट: माई लाइफ एज ए पुलिस ऑफिसर”, पेंगुइन बुक्स, एनडी, 1998।
96 द ट्रिब्यून, 1 अप्रैल 1986, “बरनाला सही रास्ते पर”; 21 जुलाई 1986, “कट्टरपंथी पहचाने गए”; 30
जुलाई 1986, "प्रधानमंत्री ने पुलिस को खुली छूट देने का वादा किया: बरनाला को मदद का वादा किया गया"; 18 अगस्त 1986, "पुलिस को आतंकवादी को खत्म करने के लिए छह महीने का समय दिया गया: पुलिस और अधिक शक्तियां चाहती है"; 12 फरवरी 1987, "बीएसएफ ने ऑपरेशन बर्ड पर उम्मीदें लगाईं"; 5 अक्टूबर 1986, "डाल[बी] नेताओं ने प्रधानमंत्री और रिबेरो पर हमला करने वालों की प्रशंसा की"।
97 वही, पृष्ठ 349.
98 वही, पृ. 350-352.
99 वही, पृष्ठ 310.
100 वही, पृष्ठ 329.
हर तरह से दंडमुक्ति: अधिकार और कानून की गतिरोध 107

Gurdev Singh Kaunke
के. पी. एस. गिल की कठोर नीति अंततः जिस निरर्थक विकरालता का उदाहरण प्रस्तुत करती है, उसका एक उदाहरण यह है।
बन गया, इस प्रकार है:
मई 1998 में, पंजाब में गुमशुदा लोगों के मामलों पर समन्वय समिति का गठन किया गया।
(सीसीडीपी) ने पूर्व गुरदेव सिंह कौंके के जबरन गायब होने की जांच की।
अकाल तख्त के कार्यवाहक मुख्य पुजारी, 25 दिसंबर 1992 को उनकी गिरफ्तारी के बाद
लुधियाना जिले के जगराओं उपमंडल के कौंके गांव में स्थित उनके घर में।

पुलिस अधिकारियों ने बाद में दावा किया कि गुरदेव सिंह कौंके उनकी हिरासत से भाग गया था।
आज 2 जनवरी 1993 को। इस दावे को व्यापक रूप से झूठा बताकर निंदा की गई। प्रकाश सिंह
बादल, जो उस समय अकाली दल के नेता थे और बाद में पंजाब के मुख्यमंत्री बने, 1997 की शुरुआत में, उन्होंने सार्वजनिक रूप से कांग्रेस सरकार पर राज्य के मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया।
काउनके के अपहरण और गुमशुदगी की जांच करते हुए, उन्होंने एक उच्च स्तरीय न्यायिक समिति की मांग की।
जांच के दौरान बादल को गुरदेव के शोक संतप्त परिवार से मिलने की कोशिश करते समय गिरफ्तार किया गया था।
सिंह कौंके 5 जनवरी 1992 को अपने गांव में।
सीसीडीपी को यह साबित करने के लिए निर्णायक सबूत मिले कि गुरदेव सिंह उसे पहले जगराओं के सदर पुलिस स्टेशन में और फिर अन्य स्थानों पर अमानवीय यातनाएं दी गईं।
आपराधिक जांच एजेंसी (सीआईए) का पूछताछ केंद्र, 25 दिसंबर 1992 से
1 जनवरी 1993 तक। समिति ने यह स्थापित करने के लिए अकाट्य साक्ष्य भी प्राप्त किए।
कि पूर्व मुख्य पुजारी को यातना देकर मार डाला गया था।101
5 जून 1998 को समिति के सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की।
प्रकाश सिंह बादल को इसके निष्कर्षों से अवगत कराने और रजिस्ट्रार से अनुरोध करने के लिए।
किसी मामले की सुनवाई, एक स्वतंत्र आधिकारिक जांच और दोषियों पर मुकदमा चलाना।
प्रतिनिधिमंडल में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश कुलदीप सिंह भी शामिल थे। मुख्यमंत्री-
मंत्री ने अतिरिक्त निदेशक बी.पी. तिवारी द्वारा आधिकारिक जांच कराने का निर्देश दिया।
पुलिस महानिरीक्षक, पंजाब.102

हत्याओं के लिए पुलिस कोटा: एक एसएसपी के साथ साक्षात्कार
गुरदेव सिंह कौंके के मामले की जांच के दौरान, तीन समितियों का गठन किया गया।
सदस्यों ने वरिष्ठ अधीक्षक के साथ अपनी बातचीत को गुप्त रूप से टेप रिकॉर्ड करने में कामयाबी हासिल की।
पुलिस की उस रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि गुरदेव सिंह की हत्या वास्तव में कैसे हुई थी।
यातना। साक्षात्कार में यातना और हत्या की उस सामान्य दुनिया का भी खुलासा हुआ, जो वास्तव में
आतंकवाद-विरोधी अभियान के नाम पर, पुलिस अधिकारियों के एक समूह के लिए यह एक नियमित प्रक्रिया बन गई थी।
अच्छे, शक्तिशाली पद प्राप्त करें। हम इस भाषण का पूरा प्रतिलेख जारी नहीं कर रहे हैं।

[illegible]

101 Ο [illegible], [illegible], 20 Μαΐ 1998, “[illegible]” – http://www.financialexpress.com/ie/daily/19980520/14051484.html

102 [illegible], 5 Μαΐ 1998 – http://www.geocities.com/Athens/Foorum/2088/r_memo04.htm

108 [illegible]

103

संगठित राजनीतिक हिंसा के लिए एक सतत साधन के रूप में 'कानून' का विविध उपयोग आवश्यक है।
छिपाने की रणनीतियों और अभियानों के बारे में। असल में जो हुआ, उसे कभी भी उजागर नहीं किया जाना चाहिए था।
न्यायिक सत्यापन प्राप्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए। न्यायिक जांच आयोगों को अवश्य ही
इस प्रकार गठित किया गया है कि यह राजनीतिक युद्ध के हथियारों के रूप में कार्य कर सके; यदि ये सभी स्थापित करते हैं
राजनीतिक हिंसा के प्रथम दृष्टया तथ्यों के आधार पर, उन्हें ऐसा उन तरीकों से करना चाहिए जो अधिकारों का निर्माण करें।
क्षतिपूर्ति और पुनर्वास लगभग असंभव है… जांच एजेंसियों को ऐसा नहीं करना चाहिए
उन्हें स्वायत्त दर्जा प्राप्त है जो उन्हें घटित घटना की सच्चाई स्थापित करने की अनुमति देता है। यदि
अपीलीय न्यायालयों, विशेषकर सर्वोच्च न्यायालय को, मामलों की जांच अपने- अपने तरीके से करनी थी।
हिंसक बहुदलीय सहमति को पूरी तरह से ध्वस्त करने वाले सभी प्रयास
इन सामयिक न्यायिक नेतृत्व के कारनामों को निष्फल कर देना चाहिए।
बार के नेताओं को संरक्षण प्रदान किया, जिनमें एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल शामिल थे।
भारत सरकार और यहां तक कि भारत के अटॉर्नी जनरल को भी प्रभावी ढंग से सक्रिय किया जाना चाहिए।
सत्य के एकाधिकार को बढ़ावा देना।"104

भाग चार: जन आयोग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग (एनएचआरसी)

जन आयोग और उस पर प्रतिबंध लगाने की मांग
26 अप्रैल 1998 को, पंजाब में गुमशुदा लोगों के मामलों पर समन्वय समिति ने (सीसीडीपी) ने जनता की राय जानने के लिए तीन न्यायाधीशों के एक पैनल के गठन की घोषणा की।
पंजाब में मानवाधिकार उल्लंघन आयोग का गठन तब किया गया जब यह बात पर्याप्त रूप से स्पष्ट हो गई।
राज्य में अकाली दल की सरकार का चुनावी व्यवस्था को बरकरार रखने का कोई इरादा नहीं था।
सत्य आयोग गठित करने का संकल्प लिया गया। जन आयोग की अध्यक्षता की गई। डी. एस. तेवतिया, कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, एच. सुरेश और
जसपाल सिंह, बॉम्बे और दिल्ली उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, अन्य सदस्य के रूप में शामिल हैं।
निम्नलिखित संदर्भ शर्तें आयोग के लिए ढांचा निर्धारित करती हैं।
जांच पड़ताल:

103 द ट्रिब्यून, 5 अगस्त 2002, "काउनके मामले में गृह सचिव को फटकार लगाई गई"।

104 [illegible], [illegible], 513, [illegible] 2002, “[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible],” — http://www.india-seminar.com/2002/513/513%20upendra%20baxi.htm [illegible] [illegible]: [illegible] [illegible] [illegible] 109

[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]: (क) [illegible] 1979 [illegible] 1997 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

परिवार से 12,000 रुपये से लेकर 1,60,000 रुपये तक की फिरौती की रकम मांगी गई।
पीड़ितों के परिवार के सदस्य। सभी पीड़ितों को उनके रिश्तेदारों द्वारा भुगतान किए जाने के बाद रिहा कर दिया गया।
फिरौती।
जबरन गायब किए जाने और मनमानी हत्याओं की आठ शिकायतें सामने आईं।
पुलिस अधिकारियों ने 30,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक की फिरौती की मांग की।
1,000,000 रुपये। अवैध रूप से हिरासत में लिए गए चार व्यक्तियों के रिश्तेदारों ने राशि का भुगतान किया।
30,000 रुपये से लेकर 362,000 रुपये तक की रकम के लिए पुलिस ने हिरासत में लिए गए लोगों को मार डाला।
फिर भी, चार अन्य मामलों में, रिश्तेदार पैसे जुटाने में असमर्थ रहे।
110 राख में तब्दील

और बंदियों को मार डाला गया।
जन आयोग ने चंडीगढ़ में अपनी पहली जन सुनवाई आयोजित की।
8 से 10 अगस्त, 1998 तक, पंजाब भर से हजारों लोग इकट्ठा हुए।
कार्यवाही की गवाही के लिए आयोग को नियुक्त किया गया था। प्रशासन ने हर संभव प्रयास किया था।
बैठक को बाधित करना। वह गेस्ट हाउस जिसे शुरू में आयोजन स्थल के रूप में चुना गया था और
बुकिंग हो चुकी थी, लेकिन आखिरी क्षण में बुकिंग रद्द कर दी गई। अन्य बड़ी इमारतें-
इंग्स ने भी इस आधार पर अपनी जगह देने से इनकार कर दिया कि "उच्च अधिकारियों को ऐसा करना होगा"
मामले का फैसला करो।" अंततः, आयोग को एक गुरुद्वारे में बैठना पड़ा। इसके बावजूद
स्थान परिवर्तन के बाद, पंजाब भर से पीड़ित अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए उमड़ पड़े।
जन आयोग।
जन आयोग की सफल बैठक ने उन्मादी प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न कीं।
भाजपा, कांग्रेस और कॉमरेड सहित कई राजनीतिक दलों ने भी इसमें भाग लिया।
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, साथ ही प्रतिष्ठान से जुड़े अन्य व्यक्ति, इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। पंजाब पुलिस प्रमुख ने स्वयं कहा कि "इस
अवैध पैनल के कामकाज से माहौल खराब होगा और पुलिस के मनोबल पर असर पड़ेगा। राज्य सरकार के मुख्य सचिव ने कहा: “पुलिस अधिकारियों को खतरे में नहीं डाला जा सकता।”
एक निजी आयोग को, जिसे कोई कानूनी स्वीकृति या अधिकार प्राप्त नहीं है।" जल्द ही, एक स्थानीय
वकील सुदर्शन गोयल और कई अन्य लोगों ने पंजाब अदालत में याचिकाएं दायर कीं।
और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आयोग की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की है।

ये याचिकाएं स्पष्ट रूप से पुलिस और राजनीतिक दलों के आशीर्वाद से दायर की गई थीं।
स्थापना.105

प्रतिबंध के पक्ष और विपक्ष में राजनीतिक और कानूनी तर्क
जन आयोग के खिलाफ प्रचार में उन लोगों को दोषी ठहराया गया जो इसके लिए जिम्मेदार थे।
मानवाधिकारों का अकल्पनीय उल्लंघन, योद्धाओं के रूप में, एक ऐसे युद्ध के सैनिकों के रूप में जो संरक्षण के लिए लड़ा जा रहा है।
भारत की एकता के उत्थान का विरोध किया। इसने मानवाधिकार संगठनों को भी अपने सहयोगियों के रूप में बदनाम किया।
भारत के शत्रु.106
जन आयोग पर प्रतिबंध लगाने की याचिका की बेतुकीपन का उदाहरण निम्नलिखित से मिलता है:
इस तथ्य के कारण कि इसने संविधान के अनुच्छेद 226 का हवाला दिया। यह अनुच्छेद उच्च अधिकार प्रदान करता है।
अदालतों को जहां कहीं भी अन्याय पाया जाता है, वहां तक पहुंचने के लिए व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं, विशेष रूप से पर्यावरणविदों के लिए। मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन। किसी भी रिट याचिका के लिए अनुच्छेद 226 का प्रयोग करने से पहले, यह आवश्यक है कि
किसी निहित अधिकार के वास्तविक या आसन्न उल्लंघन को दर्शाना आवश्यक है। हालाँकि
याचिकाकर्ता ने “भारत के लाखों नागरिकों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने” का दावा किया।
यह नहीं दिखाया गया था कि जन आयोग किस प्रकार किसी भी निहित अधिकार का उल्लंघन कर रहा था।
वह स्वयं या किसी अन्य समूह का प्रतिनिधित्व करता हो। ऐसी स्थिति में, कोई भी रिट याचिका दायर नहीं की जा सकती।

105 इंडिया टुडे, 21 सितंबर 98, पंजाब: अतीत का आह्वान, रमेश विनायक द्वारा
-

http://www.india-today.com/itoday/21091998/punjab.html; द इंडियन एक्सप्रेस, 8 सितंबर 1998, भाजपा ने जन आयोग को विफल किया; द ट्रिब्यून, 30 सितंबर 1998, जन आयोग पर याचिकाएं स्वीकार की गईं; कांग्रेस रिकॉर्ड, प्रतिनिधि सभा में डैन बर्टन, 15 सितंबर 1998 - पंजाब जन आयोग को संरक्षित किया जाना चाहिए, http://www.fas.org/irp/congress/1998_cr/s980915-punjab.htm
सिविल रिट याचिका संख्या 14133/1998 - सुदर्शन गोयल बनाम भारत संघ और अन्य; सिविल रिट याचिका संख्या 16608/1998 - जतिंदर पन्नू बनाम भारत संघ और अन्य; सिविल रिट याचिका संख्या 17121/1998 - मोहन सिंह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य
106 द ट्रिब्यून, 27 सितंबर, 1998, "आतंकवाद अगली सहस्राब्दी की समस्या होगी"।
हर तरह से दंडमुक्ति: अधिकार और कानून की गतिरोध 111

यह मुद्दा कई फैसलों के तहत कानून है। लेकिन उच्च न्यायालय ने फिर भी इसे स्वीकार किया।
याचिका। 107
जन आयोग के उद्देश्यों और लक्ष्यों को वैधता प्राप्त हुई
संवैधानिक गारंटी जो पवित्र हैं और जिन्हें केवल के तहत ही सीमित किया जा सकता है
कानून, इस आधार पर कि उनके प्रयोग का उद्देश्य सुरक्षा को कमजोर करना था। राज्य को उखाड़ फेंकना या उसे उखाड़ फेंकना। ये शर्तें अनुच्छेद 19(2) में सूचीबद्ध हैं।
संविधान के अनुसार, ये ऐसे मामले हैं जिनका मूल्यांकन उन अधिकारियों द्वारा किया जाता है जो कानून के तहत अधिकृत हैं।
ऐसा करने के लिए उन्हें शक्तियां प्रदान की गई हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं और उनके संगठनों का हस्तक्षेप...
जीवन और स्वतंत्रता के अधिकारों से संबंधित मामलों में संगठन न्यायिक रूप से मान्यता प्राप्त हैं।
सिद्धांतों। उनकी भूमिका की यह मान्यता सरकारी दायित्वों के साथ मेल खाती है।
सूचना, संगठन और स्वतंत्र रूप से काम करने के उनके अधिकार का सम्मान करने और उसे सुगम बनाने के लिए।
डोम ऑफ स्पेच.108
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला देते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसले में यह निर्णय दिया है।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है शब्दों के माध्यम से अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार।
मौखिक, लिखित, मुद्रित, चित्रित या किसी अन्य तरीके से। इसमें शामिल होगा संचार की स्वतंत्रता और राय का प्रचार या प्रकाशन करने का अधिकार। वाल्टर लिपमैन के बारे में निर्णय में आगे कहा गया है: "जब लोग सिद्धांत पर कार्य करते हैं
जब वे तथ्यों को अनदेखा करते हैं, तो वे अंदर चले जाते हैं।
वे स्वयं को तैयार करते हैं और पता लगाते हैं कि वहां क्या है। वे अपने पूर्वाग्रह को विस्तार से बताते हैं।
उनके ज्ञान को बढ़ाना।" फिर से, "राज्य खुली चर्चा को रोक नहीं सकता और "खुली अभिव्यक्ति, चाहे वह इसकी नीतियों के प्रति कितनी भी घृणित क्यों न हो।" फैसले में आगे बताया गया
कि: “…प्रदर्शन की धमकी के कारण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाया नहीं जा सकता।”
प्रदर्शन और जुलूस या हिंसा की धमकियाँ। यह तो सरासर इनकार के बराबर होगा। कानून के शासन का उल्लंघन और ब्लैकमेल और धमकी के आगे आत्मसमर्पण करना। यह हमारा कर्तव्य है।
राज्य को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि यह एक ऐसी स्वतंत्रता है जिसकी गारंटी दी गई है।
राज्य। राज्य शत्रुतापूर्ण श्रोताओं की समस्या से निपटने में अपनी अक्षमता का बहाना नहीं बना सकता।

इसे रोकना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना इसका अनिवार्य कर्तव्य है।109
एक अन्य फैसले में, अदालत ने घोषणा की है: "यह हमारा दृढ़ विश्वास है, बल्कि एक दृढ़ विश्वास है-"
यह एक ऐसा सिद्धांत है जो एक स्वतंत्र समाज के मूलभूत मूल्यों में से एक है, जिस समाज का हम पालन करते हैं।
हमारे संविधान के तहत यह अनिवार्य है कि न केवल विचारों की स्वतंत्रता हो, बल्कि अन्य चीजों की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए।
जिसे हम संजोते हैं, लेकिन उस विचार के लिए भी जिससे हम नफरत करते हैं। 110 भारत के सर्वोच्च न्यायालय और कई प्रांतों के उच्च न्यायालयों ने भी ऐसा किया है।
सामाजिक संगठनों और व्यक्तियों के मामलों में हस्तक्षेप करने के अधिकार को मान्यता दी।
इसमें नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता का मामला शामिल है। इन निर्णयों में कहा गया है कि ऐसे कार्यकर्ता और

107 रेक्स बनाम विद्युत आयुक्त, 1924-1 केबी 171, रेक्स बनाम लंदन काउंटी काउंसिल, 1931-2 केबी 215,
बॉम्बे प्रांत बनाम खुशालदास एस. आडवाणी, 1950 एससीआर 621: एआईआर 1950 एससी 222, रादेश्याम खरे बनाम मध्य प्रदेश राज्य (एआईआर 1959 सुप्रीम कोर्ट 107 (वी 46 19) (पृष्ठ 116), द्वारका नाथ बनाम आयकर अधिकारी, एआईआर 1966 सुप्रीम कोर्ट 81 (वी 53 सी 22), एआईआर 1950 एससी 222, टी. सी. बसप्पा बनाम नागप्पा, 1955-1 एससीआर 250: एआईआर 1954 एससी 440; ईरानी बनाम मद्रास राज्य, 1962(2) एससीआर 169: एआईआर 1961 एससी 1731) और द्वारका नाथ बनाम आयकर अधिकारी एआईआर 1966 सुप्रीम कोर्ट 81 (वी 53 सी 22), श्री अनादि मुक्त सद्गुरु श्री मुक्तजी वंदसजीस्वामी सुवर्ण जयंती महोत्सव स्मारक ट्रस्ट बनाम। वी. आर. रुदानी (एआईआर 1989 सुप्रीम कोर्ट 1607), वैश्य डिग्री कॉलेज की कार्यकारी समिति, शमी बनाम। लक्ष्मी नारायण (1976) 2 एससीआर 1006: एआईआर 1976 एससी 888) और दीपक कुमार विश्वास बनाम। सार्वजनिक निर्देश निदेशक (1987 2 एससीसी 252)।
108 Romesh Thappar Vs. State of Madras, 1950 SCR 594: AIR 1950 SC 124: 51 Cri. LJ 1514, para 10.
109 Rangarajan Vs. P. Jagjivan Ram 1989 (2) SCC 574.
110 Naraindas Indurkhya vs. State of Madhya Pradesh – (1974 4 SCC 788: 1974 SCC (Cri) 816, para 23:
(1974) 3 एससीआर 650
112 राख में तब्दील

संगठनों को सूचना एकत्र करने और सुरक्षा की मांग करने का अधिकार था।
ऐसा करने में राज्य।111
भारत में जन आयोगों और नागरिक न्यायाधिकरणों की एक लंबी परंपरा रही है। राज्य बलों और आम जनता द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच और रिपोर्ट की है।
शासन, सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक न्याय पर दृष्टिकोणों को व्यापक रूप से प्रभावित किया।

इस परंपरा को एम. के. गांधी ने 1919 में दृढ़ता से स्थापित किया था जब अंग्रेजों ने
सरकार ने पंजाब में उग्र आंदोलन को कुचलने के लिए क्रूर तरीकों का इस्तेमाल किया।
रॉलेट एक्ट के तहत नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया है। आंदोलन स्वयं ही मान्यता प्राप्त है-
भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक प्रमुख मील पत्थर के रूप में स्थापित। गांधी जी के नेतृत्व में।
निर्देशों के अनुसार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जांच के लिए एक आयोग का गठन किया था।
हालांकि हंटर आयोग, एक आधिकारिक निकाय, पंजाब में दमन जारी था, फिर भी... इस मामले में आगे बढ़ने के लिए तैयार। महात्मा गांधी ने स्वयं मोतीलाल नेहरू के साथ काम किया था।
और सी.आर. दास को एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया जो हंटर समिति के निष्कर्षों से भिन्न थी।
कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मिशन।
मोतीलाल नेहरू समिति, जिसने बाद में इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया... संविधान लेखन, साइमन आयोग के विकल्प के रूप में कांग्रेस का प्रस्ताव था।
संवैधानिक प्रस्ताव। जवाहरलाल नेहरू की योजना समिति, जो इसके पूर्ववर्ती थी।
बाद के समय का योजना आयोग, शाही आयोग के लिए एक सीधी चुनौती था।
भारत में श्रम संबंधी एक मिशन, जिसे "व्हिटली आयोग" के नाम से जाना जाता है, का गठन किया गया था।
1929 में स्थापित। 1945 की सप्रू समिति की रिपोर्ट, जिसने बाद में महत्वपूर्ण योगदान दिया-
संविधान के अध्याय III के अनुरूप, सप्रू भी एक निजी पहल थी।
1944 में एक "सर्वदलीय सम्मेलन" द्वारा समिति की नियुक्ति की गई थी, जब द्वितीय विश्व युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था, जापान ने अगस्त में ही आत्मसमर्पण किया था।
1945. भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA), सुभाष द्वारा संगठित निर्वासित क्रांतिकारी।
चंद्र बोस, लाल सागर पर कब्जा करने के घोषित उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे थे।
किला। फिर भी किसी ने भी समिति पर प्रतिबंध लगाने की बात नहीं की।
हाल ही में, गंभीर आपराधिक गतिविधियों की कई गैर-सरकारी जांचें हुई हैं।
मानवाधिकार उल्लंघनों और सुनियोजित कृत्यों में आधिकारिक सहमति के आरोप अल्पसंख्यक समुदायों और अन्य वंचित समूहों के खिलाफ हिंसा
भारत के विभिन्न हिस्सों में। दिल्ली, मेरठ में सुनियोजित नरसंहार और सांप्रदायिक दंगे।
अलीगढ़, कर्नाटक, अयोध्या और महाराष्ट्र में जनहित की जांच की गई है। आयोग। न्यायमूर्ति एच. सुरेश (सेवानिवृत्त), जन आयोग के सदस्य।
पंजाब स्वयं उस जन न्यायाधिकरण का सदस्य था जिसने बंबई दंगों की जांच की थी।
दिसंबर 1992 और जनवरी 1993 के दौरान, आधिकारिक आयोग ने श्री को बुलाया कृष्णा आयोग पहले से ही अपनी कार्यवाही कर रहा था। जनता की श्रद्धांजलि-

नाल ने अपने गठन के छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जबकि आधिकारिक
श्री कृष्ण रिपोर्ट को उन्हीं निष्कर्षों को सार्वजनिक करने में छह साल लग गए।
भारतीय जन पर्यावरण एवं मानवाधिकार न्यायाधिकरण (आईपीटी), जो अधिकृत है- अनौपचारिक जांच को बढ़ावा देने वाली इस संस्था की स्थापना 1993 में एक स्थायी निकाय के रूप में की गई थी।
सरकारी उदासीनता और न्यायिक लालफीताशाही का मुकाबला करने के लिए अभियान और जन आंदोलन शुरू करें।
मानवाधिकार और पर्यावरण संबंधी ऐसी जांचों के आधार पर ब्याज मुकदमेबाजी। मानसिक समस्याएं। भारतीय जन न्यायाधिकरण ने अब तक इस तरह की 11 जांचें की हैं।
यह कई अन्य तथ्य-खोज आयोगों से संबद्ध है। फिर भी,
पंजाब में जन आयोग के मामले में, एक याचिका दायर की गई थी जिसमें प्रार्थना की गई थी...
111 Bandhua Mukti Morcha (1984) (3) SCC 161, Sheela Barse vs. Union of India – AIR 1988 Supreme
न्यायालय 2211
हर तरह से दंडमुक्ति: अधिकार और कानून की गतिरोध 113

अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका दायर करके जांच के लिए पहली वास्तविक पहल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है।
राज्य में मानवाधिकार उल्लंघन की रिपोर्टें। 112
जिन लोगों या व्यक्तियों के समूहों ने ऐसा नहीं किया, उन पर कोई बाध्यता नहीं थी।
जैसे कि इसे मान्यता देने या इसके काम में भाग लेने के लिए जन आयोग। कोई एजेंसी नहीं
राज्य यह सुनिश्चित करने का अधिकार या कर्तव्य जता सकता है कि कोई भी व्यक्ति या समूह...
व्यक्तियों के समूह ने न तो प्रश्न पूछे, न ही चर्चा की और न ही अपने स्वयं के निष्कर्ष निकाले।
किसी भी सार्वजनिक महत्व के मामले के बारे में। पुलिस हिंसा के पीड़ितों को किस कानून के तहत न्याय मिल सकता है?
यदि दमनकारी लोगों को जन आयोग के समक्ष अपनी बात रखने से रोका जाए तो क्या वे ऐसा करना चाहते थे? किस कानून के तहत जन आयोग को रोका जा सकता था? मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतों पर पुलिसकर्मियों से प्रतिक्रिया मांगने से लेकर
क्या ये बातें सार्वजनिक रूप से बताई गई हैं? अधिकारी इन प्रश्नों को अनदेखा करने या उनका जवाब देने के लिए स्वतंत्र थे।
जनता आयोग को अपने निष्कर्षों पर पहुंचने का पूरा अधिकार था, चाहे उनके विचार कुछ भी हों।
भागीदारी।
इस मामले पर दोनों पक्षों की अंतिम कानूनी दलीलें 11 मार्च को समाप्त हुईं।
1999. सीसीडीपी ने जन आयोग की कार्यवाही स्थगित करते हुए

उच्च न्यायालय के समक्ष दायर याचिका का सम्मान करते हुए, शीघ्र निर्णय की मांग की गई। लेकिन
उच्च न्यायालय ने मामले को अधर में लटकाए रखा और 20 दिसंबर 1999 को अपना आदेश सुनाया।
इस आदेश में आयोग को सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने और निर्णय लेने से प्रतिबंधित किया गया था।
अदालतों द्वारा पहले ही तय किए जा चुके मामलों की जांच, और
सरकारी अधिकारियों को उपस्थित होने और सहयोग करने के लिए नोटिस जारी करने से लेकर
इसकी जांच। फैसले में कहा गया कि "जनता की समिति गठित करने के बजाय-" मिशन” सीसीडीपी “को केवल सूचना संग्रह तक ही सीमित रहना चाहिए था” मानवाधिकारों के कथित उल्लंघनों को विस्तृत समीक्षा के लिए राज्य के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
जांच”। यदि आवश्यक हो, तो सीसीडीपी को “अदालत की सहायता लेनी चाहिए थी”। उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि जन आयोग का कामकाज
इससे सार्वजनिक व्यवस्था, अनुशासन और समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और प्रोत्साहन मिल सकता है।
अन्य व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूहों द्वारा इसी प्रकार के आयोगों की स्थापना और
इस प्रकार यह समाज की सार्वजनिक शांति, सुरक्षा और सुकून को कमजोर करता है।
पंजाब सरकार के इस तथ्य के बावजूद अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि
अदालत के समक्ष लिखित बयान में कहा गया कि जन आयोग ने “निर्माण नहीं किया था-
उन्होंने किसी भी कानून-व्यवस्था की समस्या को हल किया था और न ही किसी ऐसे कानून का उल्लंघन किया था जिसके लिए कार्रवाई की मांग की जा सके।
इस निजी संस्था के मामलों में राज्य का हस्तक्षेप।"113
उच्च न्यायालय ने जनता के सदस्यों की उपयुक्तता पर भी संदेह व्यक्त किया। आयोग के सदस्य स्वयं विभिन्न भारतीय उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में सेवानिवृत्त हो चुके थे।
फैसले में उनसे यह तय करने का आग्रह किया गया कि "क्या शपथ लेने के बाद वे अपने जीवन को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं या नहीं।"
संविधान और उसकी संस्थाओं को संरक्षित करने के लिए यह उनके लिए उचित होगा कि
वे उन गतिविधियों से जुड़ जाते हैं जो राज्य की सत्ता को कमजोर करती हैं। कानून द्वारा स्थापित।"114 ट्रिब्यून के एक नेता ने टिप्पणी की: "दिसंबर 20 संस्करण-
"डिक्ट ने उन्हें उनके कर्मों का उचित फल दिया है।" दंडमुक्ति के समर्थकों ने इस फैसले का स्वागत किया।
इसे "न्यायिक और राज्य प्रक्रियाओं की पवित्रता पर एक करारा प्रहार" बताया गया है। द ट्रिब्यून
112 सिविल रिट याचिका 14133 वर्ष 1998, सुदर्शन गोयल बनाम भारत संघ और अन्य, हलफनामा
पंजाब में गुमशुदा लोगों के समन्वय के लिए बनी समिति (सीसीडीपी) की ओर से, इसके संयोजक राम नारायण कुमार के माध्यम से, पैरा 5।

113 [redacted]
114 [redacted] 14133 [redacted] 1998, [redacted]
[redacted] 20 [redacted] 1999 [redacted]
114 [redacted]

[redacted]: “[redacted] [redacted] “[redacted]” [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] "[redacted]", [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

ट्यूशन.117 सरकार ने आलोचनाओं का मुकाबला करने के लिए तुरंत एनएचआरसी का गठन किया।
1993 में वियना में आयोजित मानवाधिकारों पर विश्व सम्मेलन में जिन चुनौतियों का सामना करने की उम्मीद थी।
28 सितंबर 1993 को भारत सरकार ने एक पूर्वव्यापी अध्यादेश जारी किया। मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश कहलाने वाले इस अध्यादेश के तहत, मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की स्थापना की गई, जो एक मानवाधिकार संगठन है। संसद के निचले सदन में पेश किया गया मानवाधिकार आयोग विधेयक
14 मई 1993 को होने वाली बहस पहले से ही लंबित थी। अध्यादेश लाकर,
सरकार ने इसके प्रावधानों पर बहस और चर्चा करने की सामान्य प्रक्रिया का उल्लंघन किया।
वह अध्यादेश, जो बाद में अधिनियम बन गया, मानकों और सिद्धांतों को पूरा करने में विफल रहा।
राष्ट्रीय संस्थानों की स्थिति और कार्यप्रणाली से संबंधित सिद्धांतों द्वारा निर्धारित-
ये सिद्धांत, जिन्हें आम तौर पर "पेरिस सिद्धांत" और राष्ट्रीय मानवाधिकार के रूप में जाना जाता है।
संस्थाएँ: राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना और सुदृढ़ीकरण पर एक पुस्तिका मानवाधिकारों के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए संविधान।118 हम बाद में इस पर चर्चा करेंगे-
अधिनियम में मौजूद कुछ प्रमुख कमियों पर विचार करें।
पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंगनाथ मिश्रा राष्ट्रीय राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग (एनएचआरसी) के पहले अध्यक्ष थे।
उनके उत्तराधिकारी न्यायमूर्ति एम. एन. वेंकटचलैया को सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीशों में से एक माना जाता था।

115 द ट्रिब्यून, 27 दिसंबर 1999, अनुपम गुप्ता, एचसी ने पीपुल्स पैनल को बाहर का रास्ता दिखाया।
116 इंडिया टुडे, 21 सितंबर 1998, पंजाब: अतीत का स्मरण, रमेश विनायक द्वारा -
http://www.india-today.com/itoday/21091998/punjab.html
117 विजयाश्री श्रीपति, “भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग: एक जंजीरों में जकड़ा आयोग?”, 18 बोस्टन
यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल लॉ जर्नल, 1, स्प्रिंग 2002।
118 जी. ए. आर.ई.एस. 48/134, ईएससीओआर, अनुलग्नक (1993): “स्थिति और कार्यप्रणाली से संबंधित सिद्धांत”
राष्ट्रीय संस्थाएँ”; राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाएँ: मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना और सुदृढ़ीकरण पर एक हैंडबुक”, व्यावसायिक प्रशिक्षण श्रृंखला संख्या 4, पीपी 216, 19(1995), यूएन सेल्स संख्या ई. 95/XIV.2.
हर तरह से दंडमुक्ति: अधिकार और कानून की गतिरोध 115

भारत में अब तक के सबसे प्रसिद्ध मुख्य न्यायाधीशों में से एक वेंकटचलैया थे, जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया।
कई मामलों के माध्यम से वह पंजाब पुलिस के कामकाज से परिचित था।
उनकी पीठ के समक्ष। एक मामले में, इंदर सिंह द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका।
उनके करीबी परिवार के सात सदस्यों की रिहाई, जिनमें उनके 85 वर्षीय पिता भी शामिल हैं।
साधु सिंह और उनके 14 वर्षीय भतीजे शरणजीत सिंह, न्यायमूर्ति वेंकटचलैया उन्होंने टिप्पणी की थी: “हम यहाँ के नागरिकों की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं।”
ऐसी पथभ्रष्ट, मनमानी करने वाली और अनियंत्रित पुलिस बल के हाथों में।”119
जैसा कि पहले परिचयात्मक अध्याय में पहले ही बताया जा चुका है, सर्वोच्च न्यायालय
भारत ने पुलिस द्वारा अपहरण और उसके परिणामस्वरूप हुई गुमशुदगी और गुप्त घटनाओं के मामले का हवाला दिया।
पंजाब में शवदाह संबंधी मामले को दिसंबर 1996 में एनएचआरसी को संदर्भ मामले संख्या 1 के रूप में प्रस्तुत किया गया था।
1997 में, यह देखते हुए कि केंद्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट में "कमियां" उजागर हुई थीं-
बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया है।" अदालत के आदेश में कहा गया है: "हम पुनः-
आयोग से उसके अध्यक्ष के माध्यम से मामले की जांच करने का अनुरोध किया गया।
कानून के साथ तालमेल बिठाकर आयोग के समक्ष उठाए गए सभी मुद्दों का निपटारा करना।
पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा। चूंकि इस मामले की जांच की जानी है
इस न्यायालय के अनुरोध पर आयोग द्वारा प्रदान किया गया कोई भी मुआवजा बाध्यकारी और देय।" न्यायालय ने सीबीआई को अपनी जांच जारी रखने का आदेश दिया।
आपराधिक दोष का निर्धारण करना और त्रैमासिक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करना। 120
2 जनवरी 1997 को इस मामले का संज्ञान लेने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग (एनएचआरसी) में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:
निम्नलिखित सदस्य:
न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचलैया, अध्यक्ष,
भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति फातिमा बीवी, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस.एस. कांग, केरल उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी.एस. मालिमाथ और संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव जेवियर पेरेज़ डी कुएलर के पूर्व चीफ ऑफ कैबिनेट श्री वीरेंद्र दयाल, जिन्हें अवर महासचिव का दर्जा प्राप्त था।

जल्द ही, न्यायमूर्ति फातिमा बीवी और न्यायमूर्ति कांग ने एनएचआरसी से 'सेवानिवृत्त' होकर पद छोड़ दिया।
तमिलनाडु और केरल के राज्यपालों के रूप में नियुक्त, जो 28 राज्यों में से दो हैं।
भारतीय संघ।

कार्यवाही के चार चरण: प्रारंभिक प्रश्न
एनएचआरसी के समक्ष कार्यवाही छह वर्षों से चल रही है और इसे विभाजित किया जा सकता है।
इसे चार चरणों में विभाजित किया गया। पहला चरण—जो सबसे आशाजनक था—4 सितंबर तक चला।
1997 में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को हल किया गया, जो दायरे और
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए संदर्भ का उद्देश्य।
पहले चरण में, जो 28 जनवरी 1997 से शुरू हुआ, आयोग ने प्रयास किया सर्वोच्च न्यायालय के इस अद्वितीय संदर्भ के मापदंडों को परिभाषित करने के लिए,
अपनी जांच के दायरे और अपने निर्धारित कार्य को करने के प्रस्तावित तरीके के बारे में।
कार्य। आयोग ने भारत सरकार से निम्नलिखित प्रश्न पूछे,

119 डब्ल्यू.पी. (सीआरएल.) संख्या 221 वर्ष 1994, 15 सितंबर 1994 को दिए गए एक आदेश में।
120 परमजीत कौर एवं पंजाब सूचना एवं पहल समिति बनाम पंजाब राज्य, रिट याचिकाएँ
(आपराधिक) संख्या 497/95 और 447/95, आदेश दिनांक 12 दिसंबर 1996।
116 राख में तब्दील

पंजाब राज्य, पंजाब पुलिस और सूचना एवं आरंभिक समिति-
पंजाब पर कार्यकारी समिति (सीआईआईपी) के प्रतिनिधियों से उनके विचार प्रस्तुत करने को कहा गया:
(क) क्या सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का यह प्रभाव पड़ा है कि उसने रोक को हटा दिया है?
क्या यह मानवाधिकार अधिनियम, 1993 की धारा 36(2) के तहत सीमा है? या क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सौंपे गए और संदर्भित कुछ कार्यों को करने और कुछ मुद्दों का निर्णय करने के लिए विशिष्ट रूप से नामित किया गया है?
(ख) मुआवजे की अवधारणा और विषयवस्तु के संबंध में क्या विचार हैं?
क्या इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय हेतु राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजस्व आयोग (एनएचआरसी) को भेजा है?
(ग) एनएचआरसी द्वारा किन अन्य विशिष्ट मुद्दों पर निर्णय लिया जाना चाहिए?
(घ) क्या एनएचआरसी शीघ्रता से मात्रा निर्धारित करने के लिए एक न्यायनिर्णय तंत्र स्थापित कर सकता है?
क्या मुआवजा राष्ट्रीय राजस्व आयोग (एनएचआरसी) द्वारा लिए गए अंतिम निर्णय के अधीन होगा?

उसी दिन आयोग ने भारत सरकार को उपस्थित होने का निर्देश दिया।
इसके समक्ष और "आयोग को उसके कार्यों के निष्पादन में सहायता करने के लिए" सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर।

जांच के दायरे को लेकर विवाद
आगामी जांच के दायरे को लेकर विवाद राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग (एनएचआरसी) के समक्ष भड़क उठे।
पहली सुनवाई में ही। केंद्र और राज्य सरकारें, साथ ही पंजाब पुलिस अलग-अलग प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों ने हमारे इस दावे का पुरजोर विरोध किया कि
संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत आयोग का जनादेश यह पता लगाना था कि सीबीआई की रिपोर्ट में उजागर हुए सभी उल्लंघनों की गहराई और व्यापकता को देखते हुए और उन्हें बहाल करने के लिए
मुआवजे और अन्य क्षतिपूर्ति उपायों के माध्यम से न्याय। कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार आयोग को न केवल निम्नलिखित मामलों को भी कवर करना था:
सीबीआई की रिपोर्ट में उजागर हुए तीनों स्थलों पर अवैध दाह संस्कार के साथ-साथ शवों का निपटान भी किया गया।
पंजाब के 17 जिलों में अन्य तरीकों से भी, बिना किसी समय सीमा के, शवों का निपटान किया जाता है।
अवैध अपहरण, जबरन गायब किए जाने और गैर-न्यायिक हत्याओं के बाद
राज्य एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित।
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 (PHRA) के साथ समस्या यह है कि... एनएचआरसी की स्थापना करने और उसके सामान्य कामकाज को सीमित करने वाली व्यवस्था ने उग्रता को जन्म दिया।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग (एनएचआरसी) ने पहले छह महीनों में जिन "प्रारंभिक मुद्दों" से जूझने का प्रयास किया, उन पर बहस।
इस अधिनियम की सीमाएं राष्ट्रीय मानव संसाधन मानकों के विपरीत थीं।
संयुक्त राष्ट्र की हैंडबुक और पहले उल्लेखित पेरिस सिद्धांतों द्वारा अधिकार संस्थानों को परिभाषित किया गया है।
प्रस्तावित कार्यवाही में शामिल राज्य पक्षों ने कानून लागू करने की मांग की।
उनकी ‘आपत्तियों’ में कुछ सीमाएँ हैं। इनमें से कुछ प्रमुख दोष या कमियाँ हैं।
PHRA हैं:
1. धारा 36(2) एक वर्ष की परिसीमा अवधि निर्धारित करती है, जिसमें कहा गया है: “एनएचआरसी या
राज्य मानवाधिकार आयोग एक वर्ष की समाप्ति के बाद किसी भी मामले की जांच नहीं करेगा..." प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य का प्रदर्शन किसी भी शिकायत का संज्ञान लेने का मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए, बिना किसी समय सीमा के। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, परिसीमा कानून केवल इस उद्देश्य से समय सीमा निर्धारित करते हैं कि साक्ष्य खो जाने के बाद दावे न किए जाएं। उदाहरण के लिए, जर्मन कानून में, प्रशासनिक नियमों के उल्लंघन के लिए छह महीने से लेकर 30 वर्ष तक की अवधि होती है।
हर तरह से दंडमुक्ति: अधिकार और कानून की गतिरोध 117

आजीवन कारावास से जुड़े अपराधों के लिए कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह, नरसंहार और हत्या से जुड़े अपराधों पर कोई समय सीमा नहीं है। इंग्लैंड में, आपराधिक मामलों पर लागू होने वाली कोई सामान्य समय सीमा नहीं है। 1968 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने युद्ध अपराधों और मानवता के विरुद्ध अपराधों पर समय सीमा कानूनों की गैर-लागू होने संबंधी कन्वेंशन को अपनाया। निश्चित रूप से, मानवाधिकार अधिनियम (PHRA), जिसके उद्देश्यों और कारणों के पहले विवरण में भारत के अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों का उल्लेख है, को इस सिद्धांत के अनुरूप अपने खंड 36(2) में संशोधन करना चाहिए था। भारत ने 12 जनवरी 1971 को इस कन्वेंशन को स्वीकार किया।
2. पीएचआरए की धारा 11(बी) और 14 के तहत आयोग को निर्भर रहना पड़ता है। सरकार की जांच एजेंसियों पर, जिन पर स्वयं गंभीर उल्लंघनों का आरोप है, यह कार्रवाई उचित नहीं है। मानवाधिकार अधिनियम (PHRA) में उपयुक्त संशोधन की आवश्यकता है ताकि एक जांच तंत्र का गठन किया जा सके, जो केवल राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोगों के प्रति जवाबदेह हो और जिसके पास जांच के दायरे में आने वाले सरकारी अधिकारियों से सहयोग मांगने की वैधानिक शक्तियां हों। उनके पास जांच पूरी करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने की शक्तियां भी होनी चाहिए। वर्तमान में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के पास CrPC, 1973 की धारा 174, 175 और 176 के तहत अप्राकृतिक मौतों की जांच करने वाले पुलिस अधिकारियों और कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को उपलब्ध शक्तियां भी नहीं हैं।
3. मानवाधिकार अधिनियम के अनुच्छेद 19 के तहत मानवाधिकार आयोगों को प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करने से प्रतिबंधित किया गया है।
सैन्य एवं अर्धसैनिक बलों द्वारा किए गए मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोपों की जांच करना। इस खंड में संशोधन उस राज्य में न्याय की आवश्यकता के लिए आवश्यक है जहां सैन्य, अर्धसैनिक और अन्य केंद्रीय बलों को नियमित रूप से आतंकवाद विरोधी अभियानों को अंजाम देने के लिए तैनात किया जाता रहा है;
4. इसी प्रकार, पीएचआरए की धारा 30 विशेष मानव संसाधन की स्थापना का प्रावधान करती है-
मानवाधिकार न्यायालयों के जनादेश, शक्तियों और प्रक्रियाओं पर दिशा- निर्देशों की आवश्यकता है। संशोधन में लोक सेवकों पर मुकदमा चलाने के लिए सरकारी मंजूरी की आवश्यकता को भी हटाना होगा। इसके बिना, मानवाधिकार अधिनियम की धारा 30 के तहत विशेष मानवाधिकार न्यायालयों का प्रावधान अर्थहीन हो सकता है।
5. अंत में, मानवाधिकारों के प्रावधान हेतु पीएचआरए की धारा 18 में संशोधन किया जाना चाहिए।
इन आयोगों को अपने निष्कर्षों और सिफारिशों को लागू करने के लिए वैधानिक शक्तियां प्राप्त हैं।

प्रारंभिक मुद्दों पर प्रस्तुतियाँ
सीआईआईपी ने अपनी दलीलों में तर्क दिया कि इस विशेष मामले में एनएचआरसी की शक्तियां

यह मामला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए लिया गया है।
संविधान के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के पास, स्थापित कानून के तहत, "सबसे व्यापक अधिकार" है।
किसी विशेष मामले में प्रवर्तन हेतु उचित निर्देश या आदेश जारी करने का अधिकार।
मौलिक अधिकार का उल्लंघन”। इसके अलावा, अनुच्छेद 32 एक “संवैधानिक दायित्व” निर्धारित करता है।
सर्वोच्च न्यायालय पर जनता के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और
उस उद्देश्य के लिए सभी आकस्मिक और सहायक शक्तियों का प्रयोग करना, जिसमें यह शक्ति भी शामिल है कि...
मूलभूत उपायों को लागू करने और नई रणनीतियों को विकसित करने के लिए नए उपाय तैयार करना और नई रणनीतियाँ बनाना।
अधिकारों।"122 इसलिए, एनएचआरसी सर्वोच्च न्यायालय का एक विशिष्ट नामित निकाय था।
121 संयुक्त राष्ट्र संधि संग्रह, http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/treaty6.htm
122 एआईआर 1984 एससी 802 और एआईआर 1987 एससी 1086.
118 राख में तब्दील

अनुच्छेद 32 के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी शक्तियों के साथ-साथ, इसके अंतर्गत आने वाली शक्तियों के अतिरिक्त,
पीएचआरए, 1993 की सीमाओं से बंधे बिना। वास्तव में, सर्वोच्च न्यायालय न्यायालय के 12 दिसंबर 1996 के आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि पंजीकरण को छोड़कर
दोषियों के खिलाफ आपराधिक मामले, जो सीबीआई को करने थे, वे एनएचआरसी द्वारा किए जाएंगे।
अन्य सभी मुद्दों का निर्धारण करें।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग (एनएचआरसी) को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों में प्रणाली की जांच करना भी शामिल था।
उल्लंघनों के विषयगत पहलुओं पर विचार करना आवश्यक था, क्योंकि यह अकल्पनीय था कि इस श्रेणी के उल्लंघन हो सकते हैं।
यह घटना बिना किसी की जानकारी, स्वीकृति और मिलीभगत के भी घटित हो सकती है।
राज्य के उच्च अधिकारियों के बीच। सीबीआई की जांच में सामूहिक दाह संस्कार के मामले सामने आए हैं।
एनएचआरसी के अनुसार, ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें अमृतसर जिले के केवल तीन श्मशान घाटों को ही शामिल किया गया था।
जांच का दायरा राज्य के अन्य सभी श्मशान घाटों तक भी बढ़ाया जाए, साथ ही साथ
मृत शरीरों के निपटान के अन्य तरीके। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका आरंभिक बिंदु...
जांच में जबरन गायब किए जाने के तथ्य पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, न कि इसके विशिष्ट तरीके पर।
शव के अंतिम संस्कार के संबंध में। केवल व्यापक जांच के माध्यम से ही इसका पता चल सकेगा।

एनएचआरसी यह सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक उपायों का प्रस्ताव करने में सक्षम होगा कि ऐसे उल्लंघन न हों।
पुनरावृत्ति नहीं।
अंत में, मुआवजे के मानदंडों को तैयार करने में, सीआईआईपी का प्रस्तुत किया गया दस्तावेज-
उन्होंने तर्क दिया कि आयोग को निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए:
क) अपराधी को दंडित करने के लिए कठोर दायित्व पर आधारित दंडात्मक हर्जाना, नीलाबती बेहरा मामले में निर्धारित अनुसार,123 मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की राज्य की जिम्मेदारी के उल्लंघन की सीमा और उल्लंघन में राजनीतिक और प्रशासनिक पदानुक्रमों की मिलीभगत के स्तर के बारे में निर्धारण के माध्यम से;
ख) पीड़ितों और उनके परिवारों को हुए नुकसान की भरपाई के मानक,
जैसा कि डी.के. बसु मामले में निर्धारित किया गया है,124 प्रत्येक पीड़ित और उसके आघातग्रस्त परिवार की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए; ग) वैकल्पिक प्रक्रिया के अंतर्गत मानवाधिकार समिति के निर्णय और राय-नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर इसी तरह के मामलों पर एक प्रोटोकॉल है। मानवाधिकार अधिनियम (PHRA) स्पष्ट रूप से बताता है कि इसके कार्य को निर्देशित करने वाले मानवाधिकार मानक क्या होने चाहिए। इसकी धारा 2[d] में निर्दिष्ट है कि ये "संविधान द्वारा गारंटीकृत या अंतर्राष्ट्रीय संधियों में निहित और भारत में न्यायालय द्वारा लागू किए जाने योग्य व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकार" होने चाहिए। विशाखा मामले125 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में कहा गया है कि भारत द्वारा हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय संधियों के प्रावधान लागू करने योग्य हैं, भले ही उन्हें घरेलू कानून में शामिल न किया गया हो। पंजाब सरकार और पुलिस ने इस बात पर जोर दिया कि सु- की शक्तियां सर्वोच्च न्यायालयों की शक्तियाँ वैधानिक निकायों की शक्तियों के समान नहीं थीं। इस प्रकार,
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मुआवजे के मुद्दे और अन्य उठाए गए मुद्दों को संदर्भित करना
दोनों रिट याचिकाओं में संविधान की भावना का उल्लंघन किया गया है। राज्य और
पुलिस ने तर्क दिया कि एनएचआरसी केवल तभी फैसला सुना सकता है जब ऐसा करना कानूनी रूप से वैध हो।
पीएचआरए के तहत। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त जनादेश इसे हटा नहीं सका।

123 1993 (2) एससीसी 746.
124 1997 (9) स्केल 298.
125 एआईआर 1997 एस.सी. 3011, 3014.
हर तरह से दंडमुक्ति: अधिकार और कानून की गतिरोध 119

पीएचआरए द्वारा एनएचआरसी के कामकाज पर लगाई गई सीमाएं, विशेष रूप से

इसके अनुच्छेद 36(2).126 के अनुसार, एनएचआरसी के पास निर्णय देने से इनकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
किसी भी सूरत में, सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में कोई भी सुनवाई करने का इरादा नहीं था।
मुआवजे के मुद्दे से इतर विवाद।
केंद्र सरकार के तर्क, हालांकि थोड़े अधिक शालीन शब्दों में व्यक्त किए गए थे,
शर्तें मूलतः एक ही तर्ज पर थीं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पीएचआरए ने ऐसा नहीं किया।
एनएचआरसी को न्यायनिर्णय संबंधी शक्तियां प्रदान करना और यह एक तथ्य-खोज निकाय होना जो
केवल सरकार को सिफारिशें करें। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश या
किसी वैधानिक निकाय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने वाला उच्च न्यायालय इसके विपरीत होगा।
संविधान के विरुद्ध है और इसलिए इसका अनुपालन नहीं किया जा सकता था। एनएचआरसी को
पीएचआरए की धारा 36(2) और राष्ट्रीय अधिनियम के नियम 8(I) की सीमाओं के भीतर कार्य करें।
मानवाधिकार आयोग (प्रक्रिया) विनियम, 1994, इसे प्रतिबंधित करता है-
एक वर्ष से अधिक पुरानी शिकायतों, विचाराधीन मामलों और इसके दायरे से बाहर के मामलों की जांच करना।
केंद्र सरकार ने यह भी तर्क दिया कि मुआवजा नहीं दिया जा सकता।
पुलिस कार्रवाई में मारे गए “आतंकवादियों” के कानूनी वारिसों को और अत्याचार के आरोपों को लेकर...
लोक सेवकों के विरुद्ध संबंधों और कुकर्मों को उचित माध्यम से स्थापित करना आवश्यक था।
उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से पहले जांच की जाएगी।
एनएचआरसी के वकील ने निम्नलिखित मुख्य तर्क दिए, जो महत्वपूर्ण हैं।
वे एनएचआरसी की बदली हुई धारणाओं के साथ जो विरोधाभास प्रस्तुत करते हैं, वह इसकी पहचान है।
कार्यवाही के दूसरे चरण में जांच के दायरे पर आदेश।
वकील ने तर्क दिया कि एनएचआरसी का अधिकार क्षेत्र न केवल प्रावधानों से प्राप्त होता है
पीएचआरए के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय के 12 दिसंबर 1996 के आदेश और नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि (आईसीसीपीआर), 1966 का जनादेश।
भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग (एनएचआरसी) अधिनियम के तहत स्थापित एक अनूठी संस्था थी जिसका उद्देश्य भारत के कानूनों को लागू करना था। आईसीसीपीआर और आर्थिक, सामाजिक और सामाजिक मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत प्रतिबद्धताएं।
सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार। अधिकार क्षेत्र के अतिरिक्त आयाम पर कार्रवाई करना।
वर्तमान मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश द्वारा प्रदान किए गए अनुच्छेद 32 के अनुसार, राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजस्व आयोग (एनएचआरसी)

उनके पास देनदारियों, दायित्वों की जांच करने, पूछताछ करने और निर्धारण करने की शक्तियां थीं।
मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों और अधिकारियों की पहचान करना और उनके कर्तव्यों का पालन सुनिश्चित करना।
अधिकारों के लिए, ऐसे निर्णयों के प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए आगे कदम उठाएं, और सुझाव दें
उपचारात्मक और क्षतिपूर्ति उपाय। एनएचआरसी के वकील ने तर्क दिया कि यह होगा
यदि इसे पूरा करने की शक्तियां एक साथ न हों तो अधिकार क्षेत्र का सुझाव देना बेतुका है।
जानबूझकर संकेत दिया गया।

प्रारंभिक मुद्दों पर आदेश
4 अगस्त 1997 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक विस्तृत आदेश जारी किया।
इन प्रारंभिक दलीलों के आधार पर, यह मानते हुए कि इसे एक विशिष्ट निकाय के रूप में नामित किया गया था।
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने के लिए, जिसने "पूरे" को संदर्भित किया था।
यह निष्कर्ष निकालने के बाद कि "एनएचआरसी द्वारा निपटाया जाने वाला मामला" है, यह मामला एनएचआरसी के द्वारा निपटाया जाएगा।
मानवाधिकारों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन हुआ था।
इस आदेश के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं: पहला, एनएचआरसी ने दावा किया कि उसका
संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत क्षेत्राधिकार, एक गारंटीकृत उपाय और स्वयं एक
126 यह धारा उन्हें उल्लंघन की उन शिकायतों पर विचार करने से रोकती है जो उल्लंघन की तारीख से एक वर्ष से अधिक पुरानी हों।
मामले के।
120 राख में तब्दील

मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय को मानव अधिकारों से संबंधित सभी शिकायतों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बाध्य करता है।
मानवाधिकारों का उल्लंघन; दूसरा, इसने निष्कर्ष निकाला कि सर्वोच्च न्यायालय ने संदर्भित किया था
इस पूरे मामले को एनएचआरसी को सौंप दिया जाए, ताकि वह इससे उत्पन्न होने वाले सभी मुद्दों का निर्धारण और निर्णय कर सके।
सीबीआई की रिपोर्ट। क्षतिपूर्ति, उचित और पर्याप्त मुआवजे की अवधारणाओं के सभी संदर्भ-
सार्वजनिक कानून में संशोधन, पुनर्वास का अधिकार और स्थापित उल्लंघनों के निवारण का अधिकार-
ये प्रावधान अनुच्छेद 21 के इर्द-गिर्द घूमते थे, जो एक व्यापक गारंटी थी कि कोई भी व्यक्ति
प्रक्रिया के अनुसार ही जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है।

कानून द्वारा स्थापित। इसने यह भी पुष्टि की कि राज्य परोक्ष रूप से कृत्यों के लिए उत्तरदायी था।
लोक सेवकों द्वारा किए गए उल्लंघन और संप्रभुता के उल्लंघन के तर्क के संबंध में...
नागरिकों द्वारा न्यायसंगत और पर्याप्त मुआवजे के दावों के विरुद्ध समुदाय उपलब्ध नहीं होगा।
अपराधी को मुआवजा और सजा देना। अंत में, एनएचआरसी ने कहा कि विशेष-विशिष्ट परिस्थितियाँ और सभी शिकायतों की तथ्यात्मक सामग्री ही मूल्यांकन का आधार थी।
दायित्व स्थापित करना और मुआवजे का निर्धारण करना।
इन सभी निष्कर्षों के लिए, आदेश ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया।
संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग (एनएचआरसी) को अधिकार क्षेत्र प्रदान करते हुए, आदेश में उद्धृत किया गया है।
बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ 127 और एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ अनुच्छेद 128 में न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 32 के तहत सुरक्षा के दायित्व के अंतर्गत
मौलिक अधिकारों के अलावा, इसमें नए उपकरण बनाने, नई विधियाँ विकसित करने और
नई रणनीतियाँ अपनाएँ। इस प्रकार, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजस्व आयोग (एनएचआरसी) को चुना था।
इसके साधन के रूप में। इसलिए, धारा 36(2) या कोई अन्य सीमित प्रावधान पीएचआरए, एनएचआरसी की शक्तियों को उतना ही सीमित कर सकता है जितना कि वे सीमित कर सकते हैं।
अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों का वर्णन करना।
इस आदेश ने राष्ट्रीय न्यायाधिकरण (एनएचआरसी) की न्यायनिर्णय करने की शक्ति को बरकरार रखा, जो कि की स्वीकृति के अधीन है।
न्यायालय: “एनएचआरसी के अधिकार क्षेत्र और शक्तियां, जहां तक वे जाती हैं, हो सकती हैं
अधिक ठोस आधारों पर कायम रखा गया है जो "प्रतिनिधिमंडल" के दोष को आकर्षित नहीं करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में एनएचआरसी को मामले की जांच करने के लिए कहा था और
“एनएचआरसी के समक्ष उठाए गए सभी मुद्दों का निर्धारण करना”। इसने यह भी टिप्पणी की थी।
कि “यदि इस न्यायालय से किसी अनुमोदन या आगे की सहायता की आवश्यकता हो, तो वही
एनएचआरसी द्वारा इसकी मांग की जा सकती है। इन दोनों शर्तों को एक साथ पढ़ने पर यह स्पष्ट था-
इससे यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय ने इस मामले पर अपना अधिकार बरकरार रखा है और उसके द्वारा किया गया कोई भी निर्णय
जहां भी आवश्यक और उचित हो, एनएचआरसी न्यायालय की अपील के अधीन होगा। असफलता
मुआवजे के मुद्दे पर, आदेश में सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का उल्लेख किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय ने क्षतिपूर्ति की उभरती अवधारणा के व्यापक मापदंड निर्धारित किए।
और सार्वजनिक कानून में मुआवजे की अवधारणा की प्रकृति और विषयवस्तु के संबंध में दिशानिर्देश। 129
इसके बाद आदेश में संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुच्छेद 4(1) की आवश्यकताओं का उल्लेख किया गया।
यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंड के विरुद्ध कानून
1984 का समझौता, जिस पर भारत सरकार ने हस्ताक्षर किए हैं, और संयुक्त राष्ट्र के अनुच्छेद 2.3(ए)
नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता 1966, जिसमें सदस्य देशों को निम्नलिखित की आवश्यकता है:
यह सुनिश्चित करना कि उनकी कानूनी व्यवस्था यातना और अन्य दुर्व्यवहारों के पीड़ितों को अवसर प्रदान करे।
उन्हें न्याय पाने का अवसर मिलना चाहिए। साथ ही, उनके पास निष्पक्ष और न्यायसंगत न्याय पाने का एक लागू करने योग्य अधिकार भी होना चाहिए। मुआवजे को इस प्रकार समायोजित करें, जिसमें यथासंभव पूर्ण पुनर्वास के साधन शामिल हों, जैसे
साथ ही अन्य प्रभावी उपाय भी, भले ही आधिकारिक रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति
127 1984 (3) एससीसी 161.
128 1987 (1) एससीसी 395.
129 नीलाबती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य 1993 (2) एससीसी 746, डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1996 (9)
हर तरह से दंडमुक्ति: अधिकार और कानून की गतिरोध 121

क्षमता ने उल्लंघन किए। एनएचआरसी ने इन अंतर्संबंधों का हवाला देने के लिए अधिकार प्राप्त किया।
राष्ट्रीय उपकरणों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के PUCL मामले में दिए गए फैसले के आधार पर तर्क प्रस्तुत करना।
बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (उपरोक्त), जिसमें कहा गया था कि “समझौते के प्रावधान, जो
हमारे संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को स्पष्ट करना और उन्हें प्रभावी बनाना।
न्यायालय निश्चित रूप से इन मौलिक अधिकारों के पहलुओं के रूप में इन पर भरोसा कर सकते हैं और
अतः, इसे लागू किया जा सकता है।" पीयूसीएल के फैसले में यह भी कहा गया है कि प्रस्तावों
संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सार्वभौमिक सिद्धांतों को निर्धारित करना
किसी विशेष मौलिक अधिकार के भाग के रूप में शामिल किए जाने के हकदार, जिसकी गारंटी दी गई है
भारतीय संविधान। आदेश में फ्रांसिस कोराली मुलिन बनाम मामले का भी हवाला दिया गया।

दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक, 130 जहां सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया था-
1984 के यातना-विरोधी सम्मेलन के लागू होने से बहुत पहले ही यह स्पष्ट कर दिया गया था कि
यातना से सुरक्षा अनुच्छेद 21 में निहित जीवन के अधिकार का हिस्सा है। मानवाधिकार उल्लंघन के पीड़ितों के प्रति राज्य की जवाबदेही के संबंध में,
एनएचआरसी का आदेश डी. के. बसु बनाम मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दृढ़ता से आधारित था।
पश्चिम बंगाल राज्य ने इसे दूरगामी महत्व वाला राज्य बताया है जो भविष्य में
भविष्य को आकार दें। फैसले में कहा गया: "...मौद्रिक या आर्थिक मुआवजा है एक उपयुक्त और वास्तव में प्रभावी और कभी-कभी शायद एकमात्र उपयुक्त जीवन के मौलिक अधिकार के स्थापित उल्लंघन के निवारण के लिए उपाय
लोक सेवकों द्वारा किसी नागरिक के साथ किए गए दुर्व्यवहार के लिए राज्य परोक्ष रूप से उत्तरदायी होता है।
नागरिक का दावा सख्त दायित्व के सिद्धांत पर आधारित है, जिसके तहत संप्रभु प्रतिरक्षा का बचाव उपलब्ध नहीं है और नागरिक को इसे प्राप्त करना होगा।
मुआवजे की राशि।" मुआवजे के निर्धारण के प्रश्न पर,
एनएचआरसी के आदेश में कहा गया है कि पहले तथ्यात्मक आधार स्थापित करना आवश्यक है।
दायित्व स्थापित करें.131
इस आदेश के साथ, एनएचआरसी ने जांच के दायरे से संबंधित विवादों का निपटारा कर दिया।
जांच और एनएचआरसी की शक्तियों के संबंध में। आयोग ने इसके बाद सभी से आमंत्रण आमंत्रित किए।
पक्षकारों से आगे की कार्यवाही के तौर-तरीकों पर सुझाव मांगे गए और साथ ही एक योजना तैयार की गई।
सार्वजनिक सूचना के माध्यम से शिकायतें आमंत्रित करने के लिए औपचारिक दस्तावेज। 4 अगस्त को ही, एक अलग
आदेश में, एनएचआरसी ने मामले में आगे की कार्यवाही की कार्यप्रणाली पर अपने विचार दर्ज किए।
निम्नलिखित नुसार:
चूंकि बड़ी संख्या में कथित दाह संस्कार हुए हैं, इसलिए विद्वान अधिवक्ता को यह सुझाव दिया गया था और वे इस पर सहमत प्रतीत होते हैं कि उचित प्रक्रिया यह हो सकती है कि सार्वजनिक सूचना के माध्यम से पीड़ित व्यक्तियों से दावे आमंत्रित किए जाएं और ऐसे मामलों की जांच की जाए ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या मौतें और उसके बाद के दाह संस्कार या दोनों राज्य और उसके अधिकारियों की ओर से लापरवाही के कारण हुए थे और मुआवजे की राशि निर्धारित करने का आधार क्या होगा।
दोनों आदेशों को एक साथ पढ़ने पर, 4 अगस्त 1997 को जारी किए गए आदेश एनएचआरसी के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं।
सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन से प्राप्त सभी दावों की जांच करने का इरादा और

ऐसे प्रत्येक दावे पर उचित तरीके से निर्णय लेना।

130 1981 (2) एससीआर 516.
131 जबरन गुमशुदगी, मनमानी हत्याएं और गुप्त दाह संस्कार: पीड़ितों की गवाही और भारत का
मानवाधिकार दायित्व – अंतरिम रिपोर्ट। समन्वय समिति द्वारा
122 राख में तब्दील

आगे की कार्यवाही की पद्धतियों पर हमारे सुझाव
30 अगस्त 1997 को, राष्ट्रीय राष्ट्रीय परिषद (एनएचआरसी) ने सभी पक्षों की एक बैठक बुलाई, जिसमें इस विषय पर चर्चा की गई।
आगे की कार्यवाही के तौर-तरीकों पर सुझाव दें और प्रारूप के संबंध में भी सुझाव दें।
शिकायतों और दावों के लिए प्रो-फॉर्मा। सीआईआईपी के लिखित प्रस्तुतीकरण में इस बात पर जोर दिया गया।
पारदर्शिता की अनिवार्यता के साथ-साथ आवश्यक तत्वों के संश्लेषण का महत्व-
प्रो-फॉर्मों के माध्यम से प्राप्त प्राथमिक डेटा को खतरों से बचाने की क्षमता
दुर्व्यवहारों के प्रबंधन और रोकथाम के लिए एक तरीका विकसित करना भी महत्वपूर्ण था।
शिकायतों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने और बाद के ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए डेटा का प्रसंस्करण करना।
विश्लेषण और क्रॉस-रेफरेंसिंग की आवश्यकताएं। स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता।
उल्लंघनों के पैटर्न को देखते हुए मानवाधिकार आयोग को कार्रवाई करने की आवश्यकता पड़ सकती है।
आगे गहन जांच। उल्लंघन के पैटर्न और उसके परिणामों पर निर्णय।
मुआवजे की मात्रा निर्धारित करने के लिए मानदंडों का विकास केवल संतोषजनक स्थिति से ही हो सकता है।
इस जांच प्रक्रिया का पूर्ण होना।
सीआईआईपी ने प्रस्तावित प्रो-फॉर्मा के लिए एक डिजाइन भी प्रस्तुत किया था जिसे उसने तैयार किया था।
कई अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से परामर्श करने के बाद इसे विकसित किया गया था।
सुझाव दिया गया कि प्रो-फॉर्म प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध होना चाहिए, इसके बाद
ग्राम राजस्व अधिकारियों के कार्यालय, ब्लॉक विकास अधिकारियों के कार्यालय, उप-विभागीय अधिकारियों के कार्यालय-
यह पेशेवर मजिस्ट्रेटों और जिला मजिस्ट्रेटों के लिए उपलब्ध होना चाहिए। यह जेलों में भी उपलब्ध होना चाहिए।
अन्य अभिरक्षित संस्थाएँ।
सीआईआईपी ने प्रस्ताव दिया कि पहले कदम के रूप में, एनएचआरसी को एक सार्वजनिक रिपोर्ट प्रकाशित करनी चाहिए।
एक नोटिस जिसमें इसके जनादेश पर स्पष्ट कथन हो। इसमें एक

यह आश्वासन कि सूचना की गोपनीयता बनाए रखी जाएगी और यह कि... शिकायतकर्ताओं को प्रक्रिया पूरी करते समय गवाहों की पहचान का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है।
वे बाद में यह जानकारी पूरी गोपनीयता के साथ एनएचआरसी को उपलब्ध करा सकते हैं।
पहचान। सीआईआईपी ने सुझाव दिया कि नोटिस में यह भी कहा जाना चाहिए कि जिसने भी ऐसा किया है
झूठे बयान देने पर झूठी गवाही के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। अंत में, नोटिस में यह होना चाहिए:
उन स्थानों को निर्दिष्ट करें जहां प्रो-फॉर्मा उपलब्ध होगा, उन स्थानों को जहां
भरे हुए फॉर्म जमा किए जा सकते हैं, प्रो-फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि और रसीद प्राप्त करने का उनका अधिकार। इन प्रपत्रों को फिर एनएचआरसी को अग्रेषित किया जाना चाहिए।
सीलबंद बक्से। इसके बाद एनएचआरसी का एक विशेष रूप से गठित सचिवालय इनकी जांच कर सकता है।
प्रपत्रों को भरें और जानकारी को निम्नलिखित श्रेणियों में संकलित करें: क) प्रत्येक पुलिस जिले के अंतर्गत आने वाले मामले;
ख) वे मामले जिनमें मृत्यु सिद्ध हो चुकी हो;
ग) यदि यह स्थापित हो जाता है, तो क्या किसी अभिलेख में इस प्रकार की संबंधित प्रविष्टियाँ मौजूद हैं?
श्मशान घाट का रिकॉर्ड, नगरपालिका का रिकॉर्ड या पुलिस का रिकॉर्ड;
घ) ऐसे मामले जिनमें मृत्यु सिद्ध नहीं हुई हो;
ई) ऐसे मामले जिनमें शव परिजनों को नहीं सौंपे गए;
च) वे मामले जिनमें शव परिजनों को सौंप दिए गए थे;
जी) वे मामले जिनमें पुलिस द्वारा शवों का अंतिम संस्कार लॉवारिस (लावारिस/
अज्ञात);
h) ऐसे मामले जिनमें लापता होने/मृत्यु से पहले व्यक्ति के कथित रूप से होने का आरोप लगाया गया था
पुलिस हिरासत में;
i) ऐसे मामले जिनमें इस आरोप का समर्थन करने वाले गवाह मौजूद हों;
j) ऐसे मामले जहां गुमशुदगी या पुलिस हिरासत के बारे में शिकायत/प्रतिनिधित्व किया गया हो-
आज बनाया गया था;
हर तरह से दंडमुक्ति: अधिकार और कानून की गतिरोध 123

k) वे मामले जिनमें अधिकारियों ने शिकायत/प्रतिनिधित्व पर प्रतिक्रिया दी हो;
l) ऐसे मामले जिनमें संपत्ति का विनाश और/या अधिग्रहण भी शामिल हो; और
m) ऐसे मामले जिनमें परिवार के एक से अधिक सदस्य लापता हो गए हों या उनकी मृत्यु हो गई हो।
इस डेटा को संसाधित करने के बाद, सीआईआईपी ने एनएचआरसी से जानकारी मांगने का अनुरोध किया।

पुलिस से निर्देश प्राप्त करें। ऐसा करने के लिए उन्हें नाम और अन्य विवरण प्रदान करें।
लापता/मृत व्यक्ति के रिश्तेदार। वे जानकारी या हिरासत स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं।
वे मृत्यु या गुमशुदगी का स्पष्टीकरण दे सकते हैं। उन्हें निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।
वे अभिलेखों, अपनी डायरियों, अपने स्वयं के मृत शरीर के अवशेषों को प्रस्तुत करके अपनी स्थिति को प्रमाणित करते हैं।
प्रस्ताव रजिस्टर इत्यादि। सीआईआईपी के अनुसार, पुलिस को भी यह कार्य करने के लिए कहा जाना चाहिए।
सीबीआई रिपोर्ट में उल्लिखित अवैध दाह संस्कारों के लिए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।
विशेष रूप से, एनएचआरसी को निम्नलिखित आधिकारिक रिकॉर्ड मंगवाने चाहिए: श्मशान भूमि
प्रत्येक पुलिस जिले के अभिलेख, जहाँ तक वे पुलिस द्वारा किए गए दाह संस्कारों से संबंधित हैं।
पुलिस; पुलिस द्वारा निपटाए गए शवों से संबंधित नगरपालिका अभिलेख; अभिलेख प्रत्येक पुलिस जिले से संबंधित हिरासत में हुई मौतों और मुठभेड़ों के बारे में; और प्रेस विज्ञप्ति-
पुलिस या राज्य सरकार द्वारा जारी की गई तस्वीरों सहित पट्टे
हिरासत में मौतें, भागने की कोशिशें और सशस्त्र मुठभेड़ों में मौतें। इन सूचना स्रोतों की जांच और प्रसंस्करण से निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होंगे।
उल्लंघनों के पैटर्न, जो न्यायनिर्णय चरण की नींव रखते हैं
एनएचआरसी की कार्यवाही।

दूसरा चरण: केंद्र सरकार की वापसी
सर्वोच्च न्यायालय
जब एनएचआरसी ने 4 सितंबर 1997 को आगे की सुनवाई के लिए बैठक की, तो स्थायी वकील ने...
केंद्र सरकार की ओर से सेल ने एक आवेदन दायर कर प्रार्थना की कि कार्यवाही को रद्द किया जाए।
केंद्र सरकार और मंत्रालय द्वारा एनएचआरसी पर तीन महीने के लिए रोक लगाने का अनुरोध किया गया है।
गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग (एनएचआरसी) के 4 अगस्त 1997 के आदेश से सहमत नहीं था।
स्पष्टीकरण के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करना चाहा।
एनएचआरसी ने सुनवाई स्थगित कर दी।
उन्हें समय देने के लिए मामले को 6 अक्टूबर 1997 तक स्थगित कर दिया गया।
इस आदेश ने पहले चरण के अंत को चिह्नित किया।
एनएचआरसी के समक्ष कार्यवाही का चरण।
सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर फैसला करने में एक साल से थोड़ा अधिक समय लिया।
भारत संघ द्वारा समर्थित और पंजाब सरकार तथा पंजाब पुलिस द्वारा समर्थित

अधिकारियों। न्यायमूर्ति सगीर अहमद, जिन्होंने न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह के साथ पीठ साझा की थी।
मामले को मूल रूप से एनएचआरसी को वापस भेजने में, और न्यायमूर्ति एस. राजेंद्र बाबू ने फैसला सुनाया-
अदालत के 10 सितंबर 1998 के फैसले को एक भयंकर विवाद के साये में देखा गया।
पुलिस माफी के लिए के.पी.एस. गिल के नेतृत्व में चलाए गए अभियान ने हमारी उम्मीदों को बल दिया। इस आदेश ने हमारी आशाओं को और मजबूत किया। केंद्र सरकार के आवेदन को खारिज करते हुए और उसकी एजेंसियों को उनकी गलतियों के लिए फटकार लगाते हुए।
बाधाकारी रवैया। आदेश का वह कार्यकारी भाग, जिससे मामला सुलझता प्रतीत होता था।
अधिकार क्षेत्र और एनएचआरसी की शक्तियों के संबंध में, उन्होंने कहा: "एनएचआरसी द्वारा संदर्भित मामलों का निर्णय करते समय
इस न्यायालय में, एनएचआरसी को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है और वह किसी भी शर्त से बंधी नहीं है।
tions."
हालाँकि, आदेश का वह भाग जो जाँच के दायरे से संबंधित था, उसमें शामिल था अस्पष्टताएँ। एनएचआरसी ने बाद में इन अस्पष्टताओं का उपयोग करके इस विषय पर अपनी स्थिति बदल दी।
जांच का दायरा। सबसे पहले, न्यायालय ने कहा, "585 शवों से संबंधित मामला, जिनमें से 274 शवों की पूरी तरह से पहचान हो चुकी थी, 274 शवों की आंशिक रूप से पहचान हो चुकी थी और 1,238 शवों की पहचान नहीं हो पाई थी।
124 राख में तब्दील

इस मामले को पहले ही राष्ट्रीय न्यायाधिकरण (एनएचआरसी) को भेजा जा चुका है, जिसने स्वयं को एक स्वतंत्र निकाय के रूप में सही ठहराया है।
इस मामले में जेनेरिस लागू होता है।"
सीबीआई की रिपोर्ट में उल्लिखित शवों की संख्या पर इस जोर ने कुछ गुंजाइश छोड़ दी।
व्याख्या के लिए, अनुच्छेद 32 के आदेश के विपरीत, कि जांच नहीं होगी इसमें पुलिस द्वारा अपहरण के व्यापक पैटर्न शामिल हैं जो गुमशुदा होने की ओर ले जाते हैं और
शवों का गुप्त रूप से निपटान। हालाँकि, आदेश के बाद के भाग में, न्यायालय ने ऐसा प्रतीत किया कि
राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजस्व आयोग (एनएचआरसी) के जनादेश की व्यापक समझ का समर्थन करें। इसके 22 वें भाग का हवाला देते हुए
जुलाई 1996 में सीबीआई को निर्देश दिया गया कि वह जनता को एक सामान्य सूचना जारी करे, जिसमें सभी को शामिल किया जाए।
अधिकारियों और सरकारी कार्यालयों को उपलब्ध किसी भी जानकारी या सामग्री को रखने की अनुमति है।
उनके साथ रहना और जांच एजेंसी को उनकी पहचान और परिस्थितियों का पता लगाने में सहायता करना।
न्यायालय ने उन स्थानों के संदर्भ में कहा, जिनके आसपास बड़ी संख्या में शवों का अंतिम संस्कार किया गया था।

इसमें शामिल है: “उपरोक्त आदेश की पृष्ठभूमि में ही 12 दिसंबर का आदेश जारी किया गया था।”
1996 को पढ़ा जाना चाहिए, जिसमें इस न्यायालय ने निम्नानुसार कहा था: “बिना इसमें जाए
यदि इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया गया, तो हम इसे आयोग के समक्ष निपटाने के लिए छोड़ देते हैं।
अनुच्छेद 32 के तहत मुकदमे में "संपूर्ण मामला" का स्पष्ट अर्थ उल्लंघन था।
मूल याचिका में लगाए गए आरोपों से उत्पन्न मौलिक अधिकारों का उल्लंघन सीबीआई की जांच से पुष्ट हुई रिट याचिकाएं। शब्द और उनका प्रयोग।
उचित हो या अनुचित, इस मूलभूत सत्य को नकारने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। हालाँकि, शब्दार्थ
प्रबल हुए और एनएचआरसी के सदस्य, एक ऑर्केस्ट्रा के कलाकारों की तरह, संवेदनशील थे
कंडक्टर ने थीम में जो बदलाव किया, उसमें भाषा की अस्पष्टताओं का उपयोग किया गया।
सर्वोच्च न्यायालय का अपने पूर्व के निर्णयों को पलटने का दूसरा आदेश। सीबीआई द्वारा चल रही जांचों का जिक्र करते हुए अदालत ने कहा था: “ सीबीआई द्वारा जांच का आदेश दिया गया है और यह जांच यह निर्धारित करने के लिए की जा रही है कि क्या हुआ है और क्या नहीं।
उल्लंघन के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही सहित कुछ अन्य पहलुओं को स्थापित करें।
मानवाधिकार। शेष मुद्दों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को भेज दिया गया है। वे स्पष्ट रूप से...
मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित हो। यदि किसी सामान्य सूचना के प्रकाशन पर,
एनएचआरसी द्वारा प्रस्तावित, जिसे संयोगवश सीबीआई ने भी अनुसरण में किया था।
22 जुलाई 1996 के हमारे आदेश के अनुसार, मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतें
आयोग के समक्ष दायर की गई शिकायतों की जांच आयोग द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार की जाएगी।
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के साथ, विशेष रूप से धारा के साथ
अनुच्छेद 17 के तहत, जांच के बाद वह ऐसे कदम भी उठाएगा जो उसे उचित लगे। अधिनियम की धारा 18 में निहित प्रावधानों के आलोक में।"
आदेश का यह हिस्सा मामलों को उलझाता हुआ प्रतीत हुआ और इससे बहस करना संभव हो गया।
जबकि एनएचआरसी बिना किसी के 2,097 निकायों के मामले का फैसला करेगा सीमाओं के अलावा, यह प्रकाशन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली अन्य शिकायतों की भी जांच करेगा।
अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नोटिस जारी करना।132

तर्क-वितर्क का दुष्चक्र

इस मामले में कार्यवाही पूरी होने के बाद, राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग (एनएचआरसी) की बैठक 16 सितंबर 1998 को दोबारा हुई।
एक साल से अधिक समय से रुका हुआ है। हालांकि एजेंडा स्पष्ट योजना विकसित करना था-
जांच के लिए उपयुक्तताएं और शिकायतें आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक सूचना को अंतिम रूप देना।
दावा है कि एनएचआरसी ने "फ़िल्टर" लगाने का मुद्दा उठाया ताकि मामला प्रभावित न हो।
132 जबरन गायब करना, मनमानी हत्याएं और गुप्त दाह संस्कार: अंतरिम रिपोर्ट, ओप, सिट.,
पृष्ठ 93-95
हर तरह से दंडमुक्ति: अधिकार और कानून की गतिरोध 125

अत्यधिक बढ़ जाना। न्यायमूर्ति वेंकटचलैया ने मुकदमेबाजी का उदाहरण दिया।
यह जांच भोपाल गैस त्रासदी के इर्द-गिर्द केंद्रित थी, जहां दावों की संख्या में भारी वृद्धि हुई थी।
भोपाल शहर की कुल जनसंख्या को यह तर्क देने के लिए छोड़ दिया गया कि यह आवश्यक था
झूठे दावों को खत्म करने के लिए एक तंत्र स्थापित करें। कोई उचित कारण नहीं हो सकता।
झूठे दावों को छांटने की आवश्यकता पर आपत्ति। वास्तव में, इस तरह की छंटाई अनिवार्य रूप से...
ये प्रक्रियाएँ आमतौर पर एनएचआरसी द्वारा प्राप्त प्रत्येक दावे के सत्यापन के दौरान घटित होती हैं।
मानवाधिकार आयोग द्वारा "फ़िल्टरिंग तंत्र" पर जोर देना, वहाँ था- इसलिए, यह हैरान करने वाला और परेशान करने वाला दोनों है।
आयोग की इस प्रारंभिक पहल से मिली दिशा को आगे बढ़ाते हुए, संघ और
राज्य सरकारों ने अपने दावों को दोहराया और प्रस्तुत किया कि एनएचआरसी को सीमित करना चाहिए
इसमें उल्लिखित शवों के स्थान, संख्या और निपटान के तरीके की जांच की गई है।
सीबीआई की रिपोर्ट।
सीआईआईपी ने लिखित दलीलें प्रस्तुत करते हुए तर्क दिया कि किसी भी प्रकार की सीमा तय करने का दावा
केंद्र और पंजाब सरकारों की इच्छानुसार जांच पूरी तरह से होगी।
यह सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट इरादे के विपरीत है। सीबीआई ने शायद इसे सीमित करने का विकल्प चुना हो।
दुर्गियाना मंदिर, पट्टी और तरन तारन में हुए दाह संस्कार की इसकी जांच-क्योंकि इन स्थानों के रिकॉर्ड पहले ही सीआईआईपी द्वारा उपलब्ध कराए जा चुके थे।
एनएचआरसी द्वारा उसी प्रक्रिया को दोहराना और उल्लंघन के अन्य सभी मुद्दों को बाहर करना।
जो अनिर्धारित रह गया वह सु- का पर्याप्त उल्लंघन होगा।

सर्वोच्च न्यायालय का आदेश। अवैध दाह संस्कार, दफ़नाना, समाधि में रखना या शरीर के टुकड़े करना और डुबोना।
नहरों में शवों का मिलना, एक मुद्दे के रूप में, मुख्य विषय के मुकाबले गौण ही रहना था।
मौलिक अधिकार जिनका उल्लंघन एक या अधिक घटनाओं से पहले हुआ था और जिनका परिणाम स्वरूप निम्नलिखित घटनाएँ घटीं:
निपटान का अन्य रूप।

जनादेश का विखंडन
13 जनवरी 1999 को, एनएचआरसी ने एक और आदेश पारित किया, जिसे "आदेश पर" कहा गया।
जांच के दायरे को ध्यान में रखते हुए, उस जनादेश के बारे में हमारी समझ को विश्लेषित करना जिसके परिणामस्वरूप
प्रारंभिक मुद्दों पर आयोग के पहले के निर्णय से, जिसकी पुष्टि की गई थी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 10 सितंबर 1998 को दी गई स्पष्टीकरण में कुछ अस्पष्टताएँ हैं। राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजस्व आयोग (एनएचआरसी)
समस्या को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया गया:
याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग (एनएचआरसी) को उन सभी घटनाओं की जांच करनी चाहिए जिन्हें "न्यायेतर हत्याएं", "अनिवार्य गुमशुदगी", "फर्जी मुठभेड़", "अपहरण और हत्याएं" आदि कहा जाता है और जिन पर 1984-1994 के दशक के दौरान पंजाब पुलिस द्वारा किए जाने का आरोप है। दूसरी ओर, केंद्र सरकार और पंजाब राज्य का तर्क है कि जांच केवल अमृतसर, तरनतारन और मजीठा के पुलिस जिलों में शवों के अंतिम संस्कार के 2,097 मामलों तक ही सीमित है - जिनमें से 585 शवों की पूरी तरह पहचान हो चुकी है, 274 की आंशिक रूप से पहचान हो चुकी है और 1,238 शवों की पहचान नहीं हो पाई है।
विवाद को सुलझाने के लिए, एनएचआरसी ने इतिहास की ओर लौटने का फैसला किया। मुकदमेबाजी और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के भीतर मौजूद विरोधाभासों की खोज करना।
उनके बीच के अंतराल जो इसकी पिछली स्थिति में उलटफेर का समर्थन कर सकते हैं।
एनएचआरसी ने सीबीआई को निर्देश देने वाले न्यायालय के 15 नवंबर 1995 के आदेश का हवाला दिया।
“लापता: श्मशान घाट” शीर्षक वाले प्रेस नोट की जांच करने के लिए।
126 राख में तब्दील

जसवंत सिंह खालरा द्वारा 16 जनवरी 1995 को जारी किया गया। राष्ट्रीय राष्ट्रीय संरक्षण आयोग (एनएचआरसी) के अनुसार,
प्रेस विज्ञप्ति में बड़ी संख्या में मानव शवों के दाह संस्कार का जिक्र किया गया था।
अमृतसर जिले में “अज्ञात” के रूप में, तरन तारन नगर निगम श्मशान घाट में 700 शव।
मोटोरियम, पट्टी नगरपालिका मैदान में 400 और दुर्गियाना मंदिर श्मशान में 2,000-
आधार। एनएचआरसी के आदेश में दावा किया गया कि "प्रेस नोट में किसी भी बात का जिक्र नहीं था।"

पंजाब के किसी अन्य जिले में अवैध फांसी या इसी तरह के अंतिम संस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को प्रेस में छपी खबरों की जांच करने का आदेश दिया।
नोट, “जो अमृतसर के तीन श्मशान घाटों में होने वाले दाह संस्कारों से ही संबंधित था-
तदनुसार, "जांच का दायरा सीमित कर दिया गया था।"
एनएचआरसी ने स्वीकार किया कि सीआईआईपी द्वारा दायर याचिका में कुछ पैराग्राफों में संशोधन किया गया है।
न्यायिक कार्यवाही से इतर हत्याओं और गुमशुदा लोगों के कथित रूप से घटित होने का जिक्र किया गया है।
राज्य भर में। हालाँकि, ये बयान सामान्य प्रकृति के थे और इनका कोई पुख्ता आधार नहीं था।
भौतिक साक्ष्यों के समर्थन से। इसलिए, "वे विशिष्ट व्यवहार को स्वीकार नहीं करते हैं-"
सामान्य खंडनों के अलावा, व्यापक रूप से। एनएचआरसी की राय में, लिए गए तर्क कुल मिलाकर, यह मुख्य शिकायत गैर-न्यायिक हत्याओं और लापता होने से संबंधित है।
इन मुलाकातों का अंत दुर्गियाना और पट्टी नगर निगम के श्मशान घाटों में शवों के अंतिम संस्कार के साथ हुआ।
जांच के आधार पर। इस प्रकार, सीबीआई के संबंध में, आदेशित जांच का दायरा सीमित था।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सजा प्रेस नोट में क्रीमा के बारे में लगाए गए आरोपों तक ही सीमित थी।
अमृतसर जिले में स्थितियाँ। याचिकाकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में संशोधन की मांग नहीं की थी।
सीबीआई द्वारा जांच के न्यायालय के आदेश से यह स्पष्ट था कि सभी पक्ष इस बात पर सहमत थे कि "
"अमृतसर जिले में होने वाले अंतिम संस्कारों तक ही जांच सीमित थी और होनी चाहिए।" एनएचआरसी
निष्कर्ष निकाला: “समानता और तर्क की समानता के आधार पर, यह समझना आवश्यक है कि
आयोग को सौंपी गई जिम्मेदारियों का दायरा समान था, हालांकि उद्देश्य अलग-अलग थे।
निष्कर्ष को पुष्ट करने के लिए, आदेश में सार्वजनिक सूचना का उल्लेख किया गया था।
पंजाब के अखबारों में सीबीआई के बारे में खबरें छपीं जिनमें कहा गया कि जांच एजेंसी "गलत काम कर रही है"।
अज्ञात/लावारिस शवों के निपटान से संबंधित मामले की जांच
जून 1984 के बीच अमृतसर, मजीठा और तरन तारन के तीन पुलिस जिलों में
और दिसंबर, 1994।" इससे सीबीआई की कार्यक्षेत्र के बारे में समझ का पता चलता है।
जांच। एनएचआरसी ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को सर्वोच्च न्यायालय में जाना चाहिए था।
यदि सीबीआई की राय में जांच का दायरा कम है, तो उसे जांच का दायरा बढ़ाने का निर्देश देने के लिए न्यायालय से अनुरोध किया गया है।

गेटिंग एजेंसी ने न्यायालय के इरादे को गलत समझा था। इस तरह के किसी भी प्रावधान का अभाव...
उन्होंने अपनी सहमति व्यक्त की। साथ ही, उन्होंने तब भी कोई आपत्ति नहीं उठाई जब...
सीबीआई लगातार अपनी रिपोर्टें दाखिल करती रही, जिसकी परिणति 9 दिसंबर को दाखिल की गई पांचवीं और अंतिम रिपोर्ट में हुई।
1996 में, 582 पूरी तरह से पहचाने गए, 278 आंशिक रूप से पहचाने गए और 1238 अधूरे-
पहचाने गए निकाय। चूंकि सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले को विचार के लिए वापस भेज दिया है।
अंतिम रिपोर्ट के बाद, एनएचआरसी द्वारा की जाने वाली जांच के दायरे को तदनुसार सीमित करना पड़ा।

संदर्भ की शर्तें: नई व्याख्याएँ
सीआईआईपी द्वारा कार्यवाही के अधिक व्यापक दायरे के लिए दिए गए तर्कों के जवाब में,
राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग (एनएचआरसी) ने कहा कि 12 दिसंबर 1996 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश की व्यापक भाषा...
सर्वोच्च न्यायालय ने अपने द्वारा गठित जांच के दायरे को नहीं बढ़ाया। 15 नवंबर 1995 का आदेश। जांच जसवंत मामले में लगे आरोपों तक ही सीमित थी। सिंह खालरा का 16 जनवरी 1995 का प्रेस नोट। 12 में संदर्भ की व्यापक शर्तें
दिसंबर 1996 का आदेश केवल मुआवजे और अन्य उपयुक्त मुद्दों से संबंधित था। जब भी उचित हो, तीनों पुलिस क्षेत्रों में हुए दाह संस्कार से उत्पन्न निजी राहत प्रदान की जाए।
हर तरह से दंडमुक्ति: अधिकार और कानून की गतिरोध 127

अमृतसर के जिलों में। इसने दावा किया कि इस निष्कर्ष को सर्वोच्च न्यायालय से समर्थन प्राप्त है।
10 सितंबर 1998 के स्पष्टीकरण आदेश में, जिसमें न्यायालय ने कहा था: “मामला
585 शवों (जिनकी पूरी तरह से पहचान हो चुकी थी), 274 आंशिक रूप से पहचान किए गए शवों और उनसे संबंधित मामलों में...
1,238 अज्ञात शवों का मामला पहले ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग (एनएचआरसी) को भेजा जा चुका है, जिसने सही निर्णय लिया है।
इस मामले में उसने स्वयं को एक अद्वितीय निकाय माना।
अंत में, एनएचआरसी ने कहा: “याचिकाकर्ताओं का इसके विपरीत तर्क
कि आयोग को पुलिस द्वारा कथित तौर पर की गई सभी हत्याओं की जांच करनी चाहिए।
पंजाब राज्य में स्थित भूभाग, अपने अत्यधिक विस्तार के अलावा, न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की स्पष्ट शर्तों के अनुरूप या सामंजस्य स्थापित करने योग्य प्रतीत होता है। 133
इस आदेश के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जांच को "क्रीमा-" तक सीमित कर दिया गया है।

“दिए गए 2,097 शवों की संख्या” और “अमृतसर जिले का स्थान”।
यह वह महत्वपूर्ण स्थान है जो खालरा के 16 जनवरी 1995 के प्रेस नोट को दिया गया था, और
निष्कर्ष यह था कि "इसमें किसी भी अवैध फांसी या इसी तरह के दाह संस्कार का जिक्र नहीं किया गया था।"
पंजाब के किसी अन्य जिले में।" यह रिकॉर्ड में दर्ज है कि खालरा के प्रेस नोट में यह बात कही गई थी।
पुलिस द्वारा अपहरण और गुमशुदा होने की आम घटनाओं के बारे में एक भावुक बयान
और पूरे राज्य में गैर-न्यायिक हत्याओं के मामलों में दाह संस्कार के अभिलेखों का उपयोग किया गया।
अमृतसर में यह घटना व्यापक वास्तविकता का सिर्फ एक उदाहरण है।
यह भी रिकॉर्ड में दर्ज है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की रिपोर्ट को रोक रखा था।
एक गुप्त दस्तावेज, जिसके कारण हम इसकी सामग्री का अध्ययन करने में असमर्थ हैं, चुनौती देने की तो बात ही दूर है।
उन्हें शामिल करना। एनएचआरसी द्वारा यह सुझाव देना भी हास्यास्पद था कि जांच का दायरा
सीबीआई द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश की समझ और हमारी विफलता के कारण यह सीमित था।
निर्देशों में संशोधन की मांग करना अनिवार्य है। हम यह नहीं बता सकते कि सीबीआई ने ऐसा क्यों किया।
अपनी जांच को उन दाह संस्कार संबंधी अभिलेखों तक सीमित रखना जो हमारे पास पहले से मौजूद थे।
यह पता लगाने के बजाय कि क्या पंजाब के अन्य हिस्सों में भी ऐसी घटनाएं घटी हैं, यह जानकारी उपलब्ध कराई गई है।
ठीक है। कुछ पुष्ट तथ्य विशुद्ध स्वैच्छिक प्रयासों के माध्यम से सामने लाए गए।
सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। इसी की वजह से जसवंत सिंह खालरा को अपनी जान गंवानी पड़ी।
एनएचआरसी का यह सुझाव कि अपहरण के बड़े पैटर्न के बारे में हमारे आरोप-हत्याएं, गुमशुदगी, गैर-न्यायिक हत्याएं और शवों का गुप्त रूप से निपटान जैसी घटनाएं नहीं हुईं।
क्योंकि वे भौतिक साक्ष्यों द्वारा समर्थित नहीं थे, इसलिए अनुमान लगाने की अनुमति देना
कम से कम कहें तो यह हास्यास्पद है। हमारे विशिष्ट आरोप सिद्ध हो चुके थे।
ऐसा होना चाहिए था।
यह साबित करने के लिए पर्याप्त रहा है कि सबूतों का बोझ राज्य अधिकारियों पर स्थानांतरित हो गया है।
अन्य पंजाब भागों में संस्थानों ने इस प्रकार के उल्लंघन नहीं दोहराए। इसके अलावा, न ही
न तो केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकार ने ऐसा कोई दावा किया था। दूसरी ओर, सीबीआई की रिपोर्ट, पंजाब के बाकी हिस्सों में ऐसी घटनाओं की संभावना को खारिज करने के बजाय, यह दर्शाती है कि
उनकी संभावना प्रबल है।

एनएचआरसी का यह आदेश सत्य और सत्य के प्रति हमारी समझ के लिए एक घोर अपराध था।
पुनर्स्थापनात्मक न्याय, साथ ही मानवाधिकार कानून के मूलभूत सिद्धांत।
अनुच्छेद 32 की सक्षमता का प्रयोग किया, जो संवैधानिक रूप से गारंटीकृत उपाय है।
नागरिकों के सभी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए, अपनी शक्तियों को सीमा से परे विस्तारित करना।
उस कानून का उल्लंघन किया जिसने इसे बनाया था। साथ ही, इसने इसके लाभों को अस्वीकार करने पर जोर दिया।
यह उन नागरिकों को गारंटीकृत उपाय प्रदान करता है जो उल्लंघनों से पीड़ित हुए हैं।
वास्तव में, यह असाधारण था। 134

133 अंतरिम रिपोर्ट, वही, पृष्ठ 96-104; एमनेस्टी इंटरनेशनल – रिपोर्ट – एएसए 20/24/99, अगस्त 1999, भारत: ए
पंजाब में दंडमुक्ति को समाप्त करने का महत्वपूर्ण अवसर — http://www.amnesty.org/ailib/aipub/1999/ASA/32002499.htm
134 जबरन गुमशुदगी, मनमानी हत्याएं और गुप्त दाह संस्कार: पीड़ितों की गवाही और भारत का
मानवाधिकार दायित्व – अंतरिम रिपोर्ट, उपरोक्त उद्धृत, पृष्ठ 96-102। 128 राख में तब्दील

एनएचआरसी जांच पर सीमाएं
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक विशेषज्ञ वैधानिक निकाय है जिसे बनाया गया है
नागरिक और राजनीतिक हितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत भारतीय दायित्वों को पूरा करना
अधिकार। अनुच्छेद 32 के तहत, और सीबीआई रिपोर्ट के व्यापक निहितार्थों से उत्तेजित होकर,
सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले को राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजस्व आयोग (एनएचआरसी) को वापस भेज दिया। मुख्य मुद्दे जिन पर विचार किया जाना है- जिन मामलों में जबरन गायब करना और राज्य द्वारा मनमाने ढंग से की गई हत्याएं शामिल हैं, उन्हें न्यायसंगत ठहराया गया है।
एजेंसियों के कारण अवैध दाह संस्कार और शवों का इस तरह से निपटान हुआ कि काफी हद तक अज्ञात ही रहेगा। यह एक अपरिहार्य निष्कर्ष है जो इससे निकलता है।
रिट याचिकाओं में लगाए गए आरोपों और प्रार्थनाओं का समग्र अध्ययन करने पर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि...
सुप्रीम कोर्ट के सीबीआई को जांच का आदेश देने वाले प्रारंभिक आदेश और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बीच का अंतर।
मामले को एनएचआरसी को संदर्भित करते हुए, आयोग के प्रारंभिक निष्कर्षों पर स्वयं के निष्कर्ष-
कुछ मुद्दे और अंत में, केंद्र सरकार के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का स्पष्टीकरण।
आपत्तियाँ।

सभी व्यक्तियों को जबरन उत्पीड़न से सुरक्षा संबंधी घोषणा के अनुच्छेद 1 के अनुसार
गुमशुदगी के खिलाफ यह अभियान इस अपराध की निंदा करते हुए इसे "अमेरिकी संविधान के उद्देश्यों का उल्लंघन" बताता है।
संयुक्त राष्ट्र ने इसे मानवाधिकारों का गंभीर और घोर उल्लंघन बताया है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में घोषित मौलिक स्वतंत्रताएँ।" जबरन या अनैच्छिक गुमशुदगी संबंधी कार्य समूह ने इस ओर इशारा किया है कि गुमशुदा लोगों के मामलों को बंद नहीं किया जा सकता और इन्हें निरंतर अपराध के रूप में ही निपटाया जाना चाहिए।
जब तक राज्य एजेंसियां पीड़ितों, मृतकों या मृतकों के परिजनों को उनके स्थानों की जानकारी नहीं देतीं, तब तक
उन्हें जीवित रखना और चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक सहित मुआवजे प्राप्त करने के उनके अधिकार को मान्यता देना।
कानूनी और सामाजिक पुनर्वास। प्रभाव संबंधी सिद्धांतों के अंतर्गत प्रावधान।
गैर-कानूनी, मनमानी और संक्षिप्त निष्पादन की रोकथाम और जांच
सभी निर्णय इसी सिद्धांत का पालन करते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा, सर्वोच्च न्यायालय स्वयं भी इसी सिद्धांत का पालन करता है।
जबरन गायब किए जाने को मानवता के खिलाफ सबसे जघन्य अपराध बताया गया। एनएचआरसी द्वारा जांच पर लगाई गई क्षेत्रीय सीमा के कारण कई समस्याएं उत्पन्न होंगी।
अन्य प्रतिबंधों के साथ न्याय के उद्देश्यों को पूरी तरह से विफल करना। एक व्यापक के बिना-
व्यापक जांच के बावजूद, यह स्थापित करना संभव नहीं है कि पंजाब के किन क्षेत्रों में लगभग...
सीबीआई की शवदाह रिपोर्ट में उल्लिखित लगभग 1,500 अज्ञात शव, वहीं से प्राप्त हुए थे।
अमृतसर के तीनों श्मशान घाटों के जो रिकॉर्ड हमने उपलब्ध कराए थे-
यह 1991 से 1993 की अवधि से संबंधित था। संभवतः, जांच की अवधि
सीबीआई की भूमिका भी इसी समय तक सीमित थी। हालांकि, एनएचआरसी द्वारा प्रकाशित अधिसूचना में इसका उल्लेख नहीं है।
जांच को सीमित रखते हुए समयावधि को 1984 से 1994 तक बढ़ा दिया गया। सीबीआई की रिपोर्ट में उल्लिखित शवों की संख्या। समय सीमा में इस विस्तार के पीछे का तर्क।
अन्य सभी प्रासंगिक मुद्दों पर आत्मसमर्पण करते हुए, एनएचआरसी द्वारा निर्धारित ढांचा समझ से परे है।
जी हाँ। हालाँकि 1991 के बीच इन स्थलों पर कई अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार किया गया था।
और 1993 में पंजाब के दूरदराज के जिलों से भी लोग आए होंगे, तो यह संभव होना चाहिए।
सीबीआई की रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों को 100 से अधिक लोगों से जोड़कर सच्चाई को छुपाने का प्रयास किया गया।
अमृतसर जिले में एक दशक के दौरान लापता हुए 2,000 लोग।
एनएचआरसी द्वारा दावों को आमंत्रित करने के लिए जारी की गई अधिसूचना और प्रश्नावली

जबरन गुमशुदगी के ऐसे मामलों की जिम्मेदारी। मुआवजे का भुगतान।
जब तक मृत्यु की अनुमानित पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक इसकी संभावना कम है।
कुछ देशों
चिली की तरह, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका ने भी कब्रों से शवों को निकाला है।
और अन्य अनिर्दिष्ट स्थानों पर गुप्त रूप से उपस्थित लोगों की फोरेंसिक पहचान करने के लिए।
सुरक्षा एजेंसियों द्वारा अपहरण किए जाने के बाद उन्हें दफना दिया गया था। लेकिन शवों को कब्र से निकालना और अन्य प्रयास किए गए।
फोरेंसिक तरीकों से उन लोगों की पहचान नहीं बचाई जा सकती जिन्हें गुप्त रूप से रखा गया है।
उनकी राख को नदियों और नहरों में बहा दिया गया। एक न्यायिक घोषणा-
इस बाधा को दूर करने के लिए मृत्यु की अनुमानित धारणा पर राशन की आवश्यकता है। हालाँकि, कोई
इस प्रकार की घोषणा एक ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से हो सकती है जिसमें जबरन अस्वीकृति शामिल नहीं है।
दिखावट एक जांच का विषय है।

जनादेश के बारे में हमारी समझ
ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर हम एनएचआरसी द्वारा अपने कामकाज को तोड़- मरोड़ कर पेश करने का कड़ा विरोध करते हैं।
संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायित्व सौंपना। जनादेश के बारे में हमारी समझ यह है कि
एनएचआरसी को निम्नलिखित कार्य करने होंगे:
1) अवैध अपहरण की प्रत्येक शिकायत की जांच करना और उस पर अपने निष्कर्ष देना।
पंजाब भर में जबरन गायब करना, मनमानी हत्याएं करना और शवों का निपटान करना जैसी घटनाएं घटित हुईं;
2) ऐसे उल्लंघनों के पूर्ववर्ती कारणों, परिस्थितियों, कारकों और संदर्भ की जांच करें।
जीवन, स्वतंत्रता और विधि के समक्ष समानता के अधिकारों में निहित विभिन्न परस्पर विरोधी अधिकारों का निर्धारण करना, जिन्हें नष्ट कर दिया गया है;
3) ज़िम्मेदारी के उन जटिल संबंधों को सुलझाएं जिन्होंने एक व्यवस्थित प्रक्रिया को संभव बनाया।
मानवता के खिलाफ अपराधों का अभ्यास, जिसमें अधिकारियों की पहचान भी शामिल है।
130 राख में तब्दील

वे एजेंसियां जिन्होंने इन कृत्यों को अंजाम दिया, उनमें मिलीभगत की या जिनके बारे में उन्हें पता था, और जिन्होंने उन्हें रोकने, दबाने या रिपोर्ट करने के लिए अपनी शक्ति के भीतर उपाय नहीं किए;
4) पीड़ितों की पहचान करें, अर्थात् उन व्यक्तियों की जो व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से पीड़ित हुए हैं।
जिन व्यक्तियों को शारीरिक और मानसिक चोट, भावनात्मक पीड़ा, आर्थिक नुकसान या अन्य तरीकों से उनके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, उन्हें

पहचान की प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। लापता और मारे गए लोगों के परिवार और आश्रितों के अलावा, उन अन्य व्यक्तियों को भी पहचान की प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए, जिन्हें इन अपराधों को रोकने और पीड़ितों की मदद करने के प्रयास में नुकसान पहुंचा है।
5) मुआवजे की मात्रा निर्धारित करें और बहाली एवं पुनर्वास के अन्य उपाय विकसित करें।
उपर्युक्त मुद्दों के निर्धारण के माध्यम से विकसित किए जाने वाले मानदंडों पर आधारित सूचना।

आयोग ने हमारी समीक्षा याचिका खारिज कर दी।
13 जनवरी 1999 के आदेश के विरुद्ध अपने सभी तर्क प्रस्तुत करने के बाद, सीआईआईपी ने
एनएचआरसी से निर्देश प्राप्त करने का अनुरोध करते हुए एक समीक्षा आवेदन प्रस्तुत किया गया।
यदि सर्वोच्च न्यायालय हमारे द्वारा उठाए गए मुद्दों पर पुनर्विचार करने को तैयार नहीं है, तो उसे अपने निर्णय की समीक्षा करनी चाहिए।
स्वयं का आदेश। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18(2) विशेष रूप से... आयोग को “इस तरह के निर्देश” के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय से संपर्क करने की तिथि दी गई है।
न्यायालय द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले आदेश, निर्देश या रिट जारी किए जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के 12
दिसंबर 1996 के आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि "यदि कोई अनुमोदन या आगे की सहायता..."
यदि इस न्यायालय से कोई रुख अपनाना आवश्यक हो, तो आयोग द्वारा इसकी मांग की जा सकती है।
हमारे आवेदन में एनएचआरसी से यह भी अनुरोध किया गया था कि वह सार्वजनिक प्रकाशन को रोक दे।
31 जनवरी 1999 को जारी किए जाने वाले नोटिस को हमारी समीक्षा याचिका तक स्थगित कर दिया गया है।
इस पर विचार किया गया था।
एनएचआरसी ने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करने का निर्णय लिया और हमारी समीक्षा याचिका खारिज कर दी।
24 मार्च 1999 को जारी एक आदेश के अनुसार। आदेश में कहा गया था कि आयोग-सियोन ने सीआईआईपी के उन तर्कों पर सावधानीपूर्वक विचार किया था, जिन्हें उसने पहले उठाया था और अब
दोहराया गया। प्रासंगिक प्रश्न यह नहीं था कि आयोग को जांच करनी चाहिए या नहीं।
मानव अधिकारों के उल्लंघन के रूप में मानी जाने वाली घटना से उत्पन्न गंभीर मुद्दों को सुलझाना।
बड़े पैमाने पर अधिकार। प्रासंगिक प्रश्न यह था कि क्या अधिकार क्षेत्र और व्यक्ति-
सर्वोच्च न्यायालय की वह तिथि, जिससे आयोग ने अपना अधिकार क्षेत्र प्राप्त किया, प्रति-
इस बात से सहमत नहीं थे। आयोग का मानना था कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन हुआ था।

सभी कथित गैर-न्यायिक हत्याओं की व्यापक जांच की परिकल्पना नहीं की गई थी।
या पंजाब में जबरन गायब किए जाने के मामलों का जिक्र किया गया, लेकिन विशेष रूप से इस मुद्दे का उल्लेख किया गया।
अमृतसर पुलिस जिलों में 2,097 लावारिस शवों का अंतिम संस्कार किया गया।
पट्टी और टार्न तारन।
उन व्यवस्थित हत्याओं के पैटर्न के संबंध में, जिनका अंत शवदाह में हुआ, आदेश में कहा गया था कि यदि इस प्रकार के पैटर्न की जांच से पता चलता है तो...
शवदाह के 2,097 मामलों के बाद, यह विचार करेगा कि आगे क्या कार्रवाई की जानी चाहिए।
कार्यक्षेत्र। क्रीमा की अवैधता निर्धारित करने के लिए एनएचआरसी की विधियों को स्पष्ट करना।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सदस्यों से दावे आमंत्रित करने के अलावा, प्रभावित जनता को समझाने के साथ-साथ, इसने पंजाब सरकार को प्रत्येक मामले की व्याख्या करने का निर्देश भी दिया था।
तीनों पुलिस जिलों में शवदाह संस्कार। सरकार को 10 मार्च से पहले आवेदन दाखिल करना था।
1999 में, तीनों शवदाह गृहों में किए गए सभी दाह संस्कारों की कालानुक्रमिक सूची
जून 1984 और दिसंबर 1994 के बीच के आधारों का भी उल्लेख करें और साथ ही, इस संबंध में स्पष्टीकरण दें।
हर तरह से दंडमुक्ति: अधिकार और कानून की गतिरोध 131

प्रत्येक दाह संस्कार के दौरान क्या अधिकारियों ने शवों को जलाने के नियमों का पालन किया था?
दावा किए गए और अज्ञात शवों की पहचान की जा सकती है। यदि आवश्यक हो, और उचित चरण में, राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग (एनएचआरसी)
अधिकारियों द्वारा अनुपालन या गैर-अनुपालन के बारे में विवरणों की जांच की जाएगी।
नियमों और उनके परिणामों के साथ।
इस आदेश में इस सुझाव को भी खारिज कर दिया गया कि एनएचआरसी को आगे निर्देश मांगने चाहिए।
जांच के दायरे पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के संबंध में, क्योंकि उसे कोई संदेह नहीं था।
न्यायालय के आदेश पर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई।
कुछ महीनों बाद, 5 अगस्त 1999 के एक आदेश द्वारा, एनएचआरसी ने हमारी याचिका को भी खारिज कर दिया।
सीबीआई से स्थिति रिपोर्टों के खुलासे और निरीक्षण की याचिका। इस अस्वीकृति के
सीबीआई द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई रिपोर्टों तक पहुंच के लिए हमारी प्रार्थना का पालन किया गया।
हमने मुख्य मामले से निपटते समय आयोग द्वारा प्रदर्शित प्रवृत्ति का अनुसरण किया।

उन्होंने सीबीआई रिपोर्टों तक पहुंच का अनुरोध किया था क्योंकि, हमारी राय में, यह संभव नहीं था।
यहां तक कि एनएचआरसी द्वारा अपनाए गए सीमित जनादेश के संबंध में भी आगे बढ़ें-
सीबीआई की रिपोर्ट का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के बाद।135 5 अगस्त के इस आदेश के पारित होने के बाद
1999 में, सीआईआईपी को लगा कि कार्यवाही में भाग लेने का कोई उद्देश्य नहीं है।
सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करने के लिए राजी करने का प्रयास किए बिना ही एनएचआरसी के समक्ष कार्यवाही शुरू कर दी जाए।
मामले को सुलझाएं और कार्यवाही में कुछ हद तक तर्कसंगतता बहाल करें। इस प्रकार, इसके बाद,
15 फरवरी 2001 तक CIIP आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं था। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि...
राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजस्व आयोग (एनएचआरसी) के समक्ष कार्यवाही के दूसरे चरण का समापन।

तीसरा चरण: सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के आधार
एनएचआरसी को अपने आदेश की समीक्षा करने के लिए राजी करने में असफल रहने के बाद, हमारे द्वारा किए गए प्रयासों के आलोक में
या तो दलीलें पेश की जाएं, या मामले को स्पष्टीकरण के लिए सर्वोच्च न्यायालय को वापस भेज दिया जाए, क्योंकि
यदि न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया होता, तो हमारे पास बाद वाला रास्ता अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता।
हम स्वयं। जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, जांच के मूल सिद्धांतों पर लगाए गए प्रतिबंध-
इसने सत्य और पुनर्स्थापनात्मक न्याय के बारे में हमारी समझ को मानसिक रूप से ठेस पहुँचाई। जैसे-
मिशन ने 4 अगस्त 1997 के अपने आदेश में बताया कि न्यायालय ने "मामले पर अपना अधिकार" बरकरार रखा है।
मामला और एनएचआरसी द्वारा कोई भी निर्णय, जहां भी आवश्यक और उचित हो, यह अनुमोदन की शक्ति के अधीन होगा।

आगे के साक्ष्यों की रोशनी में
एनएचआरसी से मिली हमारी निराशा ने हमारे लिए इसे जारी रखना और भी अधिक अनिवार्य बना दिया।
सीसीडीपी के तत्वावधान में किए जा रहे दस्तावेज़ीकरण कार्य के साथ। हमारे अंतरिम रिपोर्ट 136 में प्रस्तुत किए गए अतिरिक्त साक्ष्य ने इस बेतुकेपन को और बढ़ा दिया।
आयोग के 13 जनवरी 1999 के आदेश के साथ-साथ उसके बाद के आदेश में भी निहित है
24 मार्च 1999 के इस कार्य के माध्यम से, हमने निर्णायक रूप से यह स्थापित किया कि क्या हुआ था
अमृतसर में जो कुछ हुआ, वही घटना राज्य के अन्य जिलों में भी दोहराई गई।

135 जबरन गुमशुदगी, मनमानी हत्याएं और गुप्त दाह संस्कार: पीड़ितों की गवाही और भारत का
मानवाधिकार दायित्व – अंतरिम रिपोर्ट, उपरोक्त उद्धृत, पृष्ठ 102-103; एमनेस्टी इंटरनेशनल – रिपोर्ट – एएसए 20/24/99, अगस्त 1999, भारत: पंजाब में दण्डमुक्ति को समाप्त करने का एक महत्वपूर्ण अवसर, पृष्ठ 5।
136 जबरन गुमशुदगी, मनमानी हत्याएं और गुप्त दाह संस्कार: पीड़ितों की गवाही और भारत का
मानवाधिकार दायित्व, प्रकाशन सीसीडीपी, चंडीगढ़, अगस्त 1999, उपरोक्त उद्धृत।
132 राख में तब्दील

हमने वहां जो सबूत पेश किए, उनके दो अलग-अलग घटक थे। पहला
इस भाग में छह श्मशान घाटों पर अवैध रूप से किए गए शवदाह से संबंधित नगर निगम के रिकॉर्ड शामिल थे।
तोरिया, अमृतसर के बाहर। रिकॉर्ड जीरा, मानसा, कपूरथला, फरीदकोट से हैं और लुधियाना।
सबूतों का दूसरा हिस्सा पीड़ितों की गवाही और बचे हुए लोगों के बयानों पर आधारित था।
यह पाठ्यक्रम, जिसे समिति ने साक्षात्कारों को रिकॉर्ड करके बड़ी लगन से संकलित किया था।
उन लोगों के करीबी रिश्तेदारों के साथ जिनका अपहरण किया गया था, जो लापता हो गए थे, जिनकी हत्या कर दी गई थी, और
अंतिम संस्कार करने के बाद, उनसे एक घटना रिपोर्ट फॉर्म भरवाकर, जो जानकारी एकत्र करने के लिए बनाया गया है,
मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतें और उनसे जुड़े सभी परिणाम।

आध्यात्मिक उदासीनता
हमने स्पष्टीकरण के लिए सर्वोच्च न्यायालय में 24 अगस्त 1999 को आवेदन दाखिल किया था।
हमने अंतरिम रिपोर्ट जारी होने तक इस आवेदन को दाखिल करने से पहले इंतजार किया।
संक्षिप्त, 30 पृष्ठों के आवेदन के साथ लगभग 450 पृष्ठों के अनुलग्नक संलग्न थे।
अन्य सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के अलावा, अंतरिम रिपोर्ट की एक प्रति भी संलग्न की गई थी।
एनएचआरसी के समक्ष ढाई साल की कार्यवाही से उत्पन्न टिप्पणियां।
एनएचआरसी को समझाने में हमारी असफलता, जबकि हमारे पास इस मामले में बेदाग सबूत थे।
कानून के साथ-साथ तथ्यों के आधार पर, हमने गोपाल सुब्रमण्यम, जो एक प्रतिष्ठित वरिष्ठ अधिकारी हैं, से अनुरोध करने का विकल्प चुना।
सुप्रीम कोर्ट में वकील को आवेदन पर बहस करने के लिए नियुक्त किया गया था।
आवेदन सूचीबद्ध किया गया था।
न्यायमूर्ति सगीर अहमद और न्यायमूर्ति कुलदीप की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष।

सिंह ने मूल 12 दिसंबर 1996 का आदेश पारित किया था, और न्यायमूर्ति एम. जगन्नाथ राव।
एनएचआरसी के समक्ष मामले की अब तक की कार्यवाही का सारांश प्रस्तुत करने के बाद
वर्तमान आवेदन दाखिल करने के संबंध में, हमने न्यायालय का ध्यान के कार्य की ओर आकर्षित किया।
सीसीडीपी कथित 'लापता होने' के मामलों को यथासंभव पूर्ण रूप से प्रलेखित करने में लगा हुआ है।
1984 से 1995 की अवधि के दौरान पंजाब में 'वंशों' का जिक्र करते हुए। हाल ही में प्रकाशित...
प्रकाशित अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर, आवेदन में अपने निष्कर्षों का सारांश इस प्रकार दिया गया है:
पंजाब के सभी जिलों के साथ-साथ हरियाणा के कुछ जिलों में भी 'लापता' होने की घटनाएं हुई हैं। लगभग एक चौथाई मामले अमृतसर जिले से हैं; ये घटनाएं 1984 से 1995 तक हर साल हुईं, जिनमें से अधिकतम लापता होने की घटनाएं (कुल संख्या के आधे से अधिक) 1991 और 1994 के बीच हुईं।
लगभग हर वर्ग के लोग इसके शिकार हुए, जिनमें डॉक्टर, वकील, पत्रकार, शिक्षक, राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारी, छात्र, व्यापारी और यहां तक कि पुलिसकर्मी, सेना के जवान, बीएसएफ जवान आदि शामिल हैं; लापता लोगों की उम्र 4 साल से 90 साल तक है; 25 प्रतिशत से अधिक मामलों में, पुलिस ने पीड़ित का अवैध अपहरण करने के अलावा, पारिवारिक संपत्ति को नष्ट, क्षतिग्रस्त और जब्त कर लिया; 60 प्रतिशत से अधिक मामलों में, लापता व्यक्ति के परिवार के एक या अधिक सदस्यों को मध्यम से गंभीर मनोवैज्ञानिक आघात पहुंचा, जिसमें पागलपन भी शामिल है; 25 प्रतिशत से अधिक मामलों में, लापता व्यक्ति के परिवार के कम से कम एक अन्य सदस्य की "लापता होने" के आघात के परिणामस्वरूप मृत्यु हो गई (जिसमें आत्महत्या भी शामिल है)।
लगभग 25 प्रतिशत मामलों में, पुलिस ने एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्यों का अपहरण (और हत्या) की।
हर तरह से दंडमुक्ति: अधिकार और कानून की गतिरोध 133

90 प्रतिशत से अधिक मामलों में, "लापता" होने के साथ-साथ पीड़ित और उसके करीबी रिश्तेदारों के साथ बलात्कार सहित क्रूर हिरासत में यातनाएं भी दी गईं; 60 प्रतिशत से अधिक मामलों में, अवैध अपहरण के चश्मदीद गवाह मौजूद हैं; लगभग 35 प्रतिशत मामलों में, जो लोग अंततः "लापता" हो गए या जिन्हें पुलिस ने "मुठभेड़" आदि में मृत घोषित कर दिया, उन्हें अपहरण के बाद उनके रिश्तेदारों ने पुलिस हिरासत में देखा था; लगभग 60 प्रतिशत मामलों में, जो लोग "लापता" हो गए थे, बाद में पुलिस ने उन्हें या तो "मुठभेड़" के परिणामस्वरूप या पुलिस हिरासत से "भागने" के दौरान मृत घोषित कर दिया। पीड़ितों के 85 प्रतिशत से अधिक परिवारों ने पुलिस की प्रतिशोधात्मक कार्रवाई के डर से अपने "लापता" परिवार के सदस्य की बरामदगी के लिए कोई न्यायिक उपाय नहीं किया। जिन लोगों ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं के साथ अदालत का रुख किया, जिनमें ज्यादातर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय शामिल थे, उनके मामले पुलिस अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से इनकार किए जाने के बाद खारिज कर दिए गए।

अपहृत व्यक्तियों के शवों को अंतिम संस्कार के लिए परिवारों को लौटाने के मामलों की संख्या 10 प्रतिशत से भी कम थी।
अपने परिवार के उन सदस्यों के बारे में जानकारी देने के अलावा, जो लापता हो गए थे, पीड़ितों के परिवारों ने अवैध अपहरण के 390 अतिरिक्त मामलों के बारे में भी जानकारी दी, जिनके कारण लापता होने और हिरासत में हत्याएं हुईं, जिन्हें मुठभेड़ या हिरासत से भागने के रूप में समझाया गया।
इसके बाद, आवेदन में यह तर्क दिया गया:
अंतरिम रिपोर्ट एक स्पष्ट दस्तावेज है। यह निर्विवाद रूप से साबित करती है कि पूरे राज्य में ‘लापता’ होने की घटनाएं हुईं। यह भी साबित करती है कि शवों का अवैध निपटान अमृतसर के तीन श्मशान घाटों तक ही सीमित नहीं था। … [और] इस मामले की किसी भी जांच का प्रारंभिक बिंदु ‘लापता’ होने का आरोप होना चाहिए… ‘दाह संस्कार’ को किए गए अपराधों का निर्णायक प्रमाण मानना पूरी तरह से गलत होगा। … यहां तक कि यह मानते हुए भी, जैसा कि एनएचआरसी का मानना है, कि याचिकाकर्ताओं को कानून के अनुसार ‘बड़े’ मुद्दों के संबंध में विशिष्ट विवरण/जानकारी प्रदान करनी थी, … यह शर्त पूरी होती है… ऐसे में जांच को … 13 जनवरी 1999 या 24 मार्च 1999 के आदेशों में उल्लिखित संख्या या क्षेत्र तक सीमित करने का कोई औचित्य नहीं है।
आवेदन में एनएचआरसी के लगातार आग्रह का भी उल्लेख किया गया था।
सीबीआई की रिपोर्ट को गुप्त रखते हुए और यह तर्क देते हुए कि, साक्ष्यों की स्थिति को देखते हुए भी-
एनएचआरसी के 13 जनवरी 1999 के आदेश में दिए गए निर्णय के अनुसार, यह आवश्यक था कि दिया जाए
पक्षकारों को सीबीआई की रिपोर्ट तक पहुंच प्रदान की गई। इस संदर्भ में यह निवेदन किया गया कि न्यायालय
उसे “गोपनीयता” के मुद्दे पर भी फैसला देना चाहिए। आवेदन में प्रत्यक्ष निर्णय की मांग की गई थी।
एनएचआरसी को निम्नलिखित निर्देश दिए जाने हैं:
पंजाब भर में किए गए अवैध अपहरण, जबरन गुमशुदगी, मनमानी हत्या और शवों के निपटान की प्रत्येक शिकायत की जांच करें और अपना निष्कर्ष दें;
इस प्रकार के उल्लंघनों के पूर्ववर्ती कारणों, परिस्थितियों, स्वरूप और संदर्भों की जांच करके यह निर्धारित करें कि जीवन, स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता के अधिकारों में निहित विभिन्न परस्पर विरोधी अधिकार कौन-कौन से हैं, जिन्हें नष्ट कर दिया गया है;
134 राख में तब्दील

जिम्मेदारी के उस बहुआयामी चक्र का निर्धारण करें जिसने मानवता के खिलाफ अपराध की ऐसी व्यवस्थित प्रथा को संभव बनाया, जिसमें उन अधिकारियों और एजेंसियों की पहचान भी शामिल है जिन्होंने अपराध किए, मिलीभगत की या जानते थे, और उन्हें रोकने, दबाने या रिपोर्ट करने के लिए अपनी शक्ति के भीतर उपाय नहीं किए;
पीड़ितों की पहचान करें, अर्थात् वे लोग जिन्होंने व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से शारीरिक और मानसिक चोट, भावनात्मक पीड़ा, आर्थिक नुकसान, या अन्य तरीकों से अपने मौलिक अधिकारों के हनन सहित नुकसान झेला है। पहचान की प्रक्रिया में, लापता और मारे गए लोगों के परिवार और आश्रितों के अलावा, उन

अन्य व्यक्तियों को भी शामिल किया जाना चाहिए जिन्होंने इन अपराधों को रोकने और पीड़ितों की मदद करने के प्रयास में नुकसान झेला है;
उपर्युक्त मुद्दों के निर्धारण के माध्यम से मानदंडों के आधार पर मुआवजे का परिमाणीकरण और पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास के अन्य उपायों का विकास किया जाना चाहिए, जिसमें यह सुनिश्चित करने के सुझाव भी शामिल हैं कि भविष्य में ऐसे अपराध दोबारा न हों।
सर्वोच्च न्यायालय ने जिन तर्कों पर ध्यान दिया, उसके लिए
आवेदन के मामले में, तीन पन्नों का अनुरोध पत्र लेकर भी जाया जा सकता था। सुप्रीम
अदालत के वकील गोपाल सुब्रमणियम ने पेश होने से पहले अंतरिम रिपोर्ट पढ़ी थी।
अदालत में आवेदन पर बहस करने के लिए उपस्थित हुए। इसलिए, उनके तर्कों में एक तरह का जोश था।
व्यक्तिगत दृढ़ विश्वास।
न्यायालय ने निम्नलिखित फैसला सुनाया: “हम इसमें हस्तक्षेप करने के लिए तैयार नहीं हैं।”
एनएचआरसी का आदेश या वहां चल रही कार्यवाही
इस न्यायालय के समक्ष। यदि हत्या या गुमशुदगी के कोई नए मामले सामने आए हैं।
आवेदक के संज्ञान में, जो कि जांच का विषय नहीं थे
सीबीआई के समक्ष, आवेदक संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय से संपर्क कर सकता है।
या कानून के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय का सहारा लें, जिसमें रिट याचिका भी शामिल है।
संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्रवाई। स्पष्टीकरण और स्थगन हेतु आवेदन।
अस्वीकृत कर दिए गए हैं।
हस्तक्षेप करने से इनकार करके, सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले को अपनी स्वीकृति दे दी।
आयोग ने 13 जनवरी 1999 के अपने आदेश में जो दृष्टिकोण अपनाया था और जिसे दोहराया गया था
24 मार्च 1999 के आदेश के अनुसार, "हस्तक्षेप" करने से इनकार करने के बाद, कोई आह्वान नहीं किया गया था।
सर्वोच्च न्यायालय को यह दर्ज करना होगा कि हम, याचिकाकर्ता, "नए उदाहरण" ला सकते हैं।
हत्या या गुमशुदगी... जो जांच का विषय नहीं थे।
अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 226 का हवाला देकर न्याय प्रणाली के संज्ञान में सीबीआई को लाना।
संविधान।
हमारी निराशा चरम पर थी। हमें ऐसा लगा कि शुरू किया गया पूरा मामला ही गलत था।
एक अर्थ में, जसवंत सिंह खालरा के गायब हो जाने के कारण, उनका अस्तित्व ही समाप्त हो गया था।
दंड से मुक्ति का माहौल बना हुआ प्रतीत हो रहा था और हमें सुनवाई में भाग लेने का कोई फायदा नहीं दिख रहा था।

एनएचआरसी के समक्ष मामले में।

तीसरा चरण: सुनवाई से नाम वापस लेना
आयोग के समक्ष कार्यवाही का तीसरा चरण हमारे साथ शुरू हुआ।
सुनवाई से दूर रहने का निर्णय, हालांकि उन पर नजर रखना
आदेशों की प्रतियां। सतही तौर पर, सुनवाई से हमारी अनुपस्थिति का कोई असर नहीं होना चाहिए था।
इससे कार्यवाही पर कोई फर्क नहीं पड़ा। यह जनहित का एक स्थापित सिद्धांत है।
हर तरह से दंडमुक्ति: अधिकार और कानून की गतिरोध 135

भारत में प्रचलित कानून के अनुसार, ऐसे मामलों में याचिकाकर्ता को मुकदमे का मूल अधिकार प्राप्त नहीं होता है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामलों में विवाद अदालत और दोषी पक्ष के बीच होता है।
पक्षकार या पक्षकार। याचिकाकर्ता केवल वह व्यक्ति या पक्षकार है जो मसौदा तैयार करता है।
अदालत का ध्यान गैरकानूनी कृत्य या उल्लंघन की ओर आकर्षित होता है। एक बार अदालत का ध्यान इस ओर जाता है।
इस मामले में, याचिकाकर्ता की भूमिका वास्तव में कम हो जाती है। इसके बाद, याचिकाकर्ता
न्यायालय के विवेकानुसार केवल उसी सीमा तक और उसी हद तक उपस्थित होने की अनुमति है।
कि याचिकाकर्ता न्यायालय को उसके कर्तव्य का पालन करने में सहायता करना जारी रखे, जो कि नियम को बनाए रखने से संबंधित है।
न्यायमूर्ति वेंकटचलैया ने स्वयं इस कानून को प्रसिद्ध शीला में प्रतिपादित किया था।
बार्स केस.137
न्यायालय के निर्णय के तर्क में कोई त्रुटि नहीं है। यह जनहित का मामला है।
इसे किसी व्यक्ति, समूह या संगठन की मनमानी के अधीन नहीं किया जा सकता। व्यक्तियों का। मामले की सुनवाई करने वाली अदालत को संरक्षक माना जाता है।
दोनों मुद्दों और प्रभावित व्यक्तियों के मामले। ऐसा निर्णय यह मानकर चलता है कि
न्यायालय पूरी गंभीरता और निष्ठा के साथ संरक्षक के रूप में अपना कार्य निभाता है।
हालांकि, जब न्यायालय अपने गंभीर कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहता है, तो यह उपाय उपलब्ध होगा।
जन कल्याण के संरक्षक और न्यासी? कार्यवाही का संक्षिप्त कालक्रम
18 जून 1999 के बाद से लेकर जब तक हम दोबारा मैदान में नहीं उतरे, तब तक एनएचआरसी के समक्ष हमारी उपस्थिति दर्ज होनी चाहिए।
इस प्रश्न की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए:

5 अगस्त 1999: सीआईआईपी को सीबीआई रिपोर्टों तक पहुंच से वंचित कर दिया गया। आदेश के लगभग दो पैराग्राफ अतिरिक्त कार्यालय स्थान या "कक्षों" की उपलब्धता के लिए समर्पित हैं, जो केंद्र सरकार द्वारा आयोग को उपलब्ध कराए गए थे और आयोग द्वारा विशेष रूप से इस मामले में दायर होने वाले 'हजारों दावों' से निपटने के लिए एक 'अलग सचिवालय' के लिए मांगे गए थे। इन कार्यवाही की शुरुआत से ही, राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग (एनएचआरसी) ने केंद्र और राज्य सरकारों दोनों पर अतिरिक्त धन, बुनियादी ढांचे और सुविधाओं की आवश्यकता पर जोर दिया था ताकि वह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उस पर सौंपी गई भारी जिम्मेदारी का निर्वहन कर सके। इस जिम्मेदारी के आंशिक निर्वहन के रूप में, आयोग ने पहले पंजाब को आयोग के पास 25 लाख रुपये जमा करने के लिए बाध्य किया था और सीबीआई को उन मामलों की सूची प्रस्तुत करने का निर्देश जारी किया था जिनमें उसने आरोपपत्र दाखिल किए थे।
16 सितंबर 1999: सीबीआई ने उपरोक्त निर्देश का पालन नहीं किया। चूंकि सीबीआई की ओर से कोई उपस्थित नहीं था, इसलिए आयोग की रजिस्ट्री ने सीबीआई और उसके वकील को तत्काल निर्देश का पालन करने के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। पंजाब पुलिस ने आगामी संसदीय चुनावों के कारण उन मामलों के बारे में बयान देने से इनकार कर दिया, जिनमें वे लड़ रहे हैं या जिन मामलों में वे मुआवजे आदि के लिए सहमत होने का प्रस्ताव रखते हैं। यह दर्ज किया गया कि आयोग को जेलसालमेर हाउस में दो कमरे आवंटित किए गए थे और उन्हें सुसज्जित करने का काम लगभग पूरा हो चुका था। 28 अक्टूबर 1999: सुनवाई स्थगित कर दी गई, क्योंकि पंजाब सरकार ने अभी तक यह तय नहीं किया था कि वह किन मामलों में लड़ेगी और किनमें नहीं। 2 दिसंबर 1999: पंजाब ने एक बार फिर स्थगन का अनुरोध किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। ऐसा करते हुए, आयोग ने दर्ज किया कि राज्य सरकार के अनुसार, एक बार "कार्यवाही" पूरी हो जाने के बाद, "मामले का निपटारा उसी दिन किया जा सकता है।"

137 Sheela Barse Vs. State of Maharashtra, AIR 1983 (SC) 378
136 राख में तब्दील

आधार”। यह पहली तारीख थी जब न्यायमूर्ति वर्मा ने इस मामले में सुनवाई की अध्यक्षता की।
19 जनवरी 2000: पंजाब सरकार ने अपने “प्रयास” के फल को रिकॉर्ड पर रखा। राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग (एनएचआरसी) को प्राप्त 88 दावों को तीन “सूचियों” में वर्गीकृत किया गया। अनुलग्नक ‘ए’ में 23 ऐसे मामले थे जो आयोग के दायरे से बाहर थे, क्योंकि आरोप था कि शवदाह अमृतसर जिले के बाहर किए गए थे। अनुलग्नक ‘बी’ में 47 ऐसे मामले शामिल थे जिनमें पंजाब सरकार ने दावा किया कि “दावे” किसी न किसी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किए गए थे। अनुलग्नक ‘सी’ में 18 ऐसे मामले थे जिनमें “दावे की सत्यता की बारीकी से जांच किए बिना… राज्य सरकार ने प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपये (लगभग 2,000 अमेरिकी डॉलर) के भुगतान को स्वीकार कर लिया… लेकिन… राज्य सरकार का यह रुख है कि… भारत संघ संवैधानिक रूप से इसका समर्थन करने के लिए बाध्य है।” आदेश का शेष भाग विभिन्न पक्षों को निर्देश देने के लिए समर्पित था: पहली सूची के संबंध में आयोग की रजिस्ट्री, दूसरी सूची के संबंध में पंजाब सरकार और तीसरी सूची के संबंध में "जिम्मेदारी" के

बंटवारे के बारे में भारत संघ। 1 मार्च 2000: भारत संघ और पंजाब राज्य दोनों के अनुरोध पर, मामले को स्थगित कर दिया गया।
30 मार्च 2000: एक बार फिर, मामले को स्थगित कर दिया गया क्योंकि संबंधित पक्ष अपना प्रारंभिक कार्य पूरा करने के लिए तैयार नहीं थे।
6 जुलाई 2000: भारत के सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए। आयोग ने राय दी कि राज्य और केंद्र सरकार के बीच मुआवजे के भुगतान को लेकर जो विवाद है, उसका निर्णय आयोग द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि "प्रारंभिक आपत्ति की जांच से मुआवजे की राशि और पीड़ितों को इसके भुगतान से संबंधित वास्तविक प्रश्न के निर्धारण में केवल देरी होगी।"
20 जुलाई 2000: मामले को बिना किसी सार्थक कार्यवाही के स्थगित कर दिया गया। 18 अगस्त 2000: इस आदेश ने हमें इस मामले में एक बार फिर हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित किया। इस आदेश के द्वारा आयोग ने जनवरी 2000 में पंजाब द्वारा प्रस्तावित मुआवजे की योजना को अपनी स्वीकृति दी। हम इस आदेश पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे।
30 नवंबर 2000: सीबीआई की ओर से एक नए वकील पेश हुए और उन्होंने 24 मार्च 1999 के आयोग के निर्देशों का पालन करने के लिए समय मांगा।
इस प्रकार, एनएचआरसी द्वारा केवल दाह संस्कार पर विचार करने का निर्णय लेने के लगभग तुरंत बाद
अमृतसर जिले ने अपने सभी फैसलों को भुला दिया और अपना ध्यान केंद्रित करने लगा।
दो बातों पर: [1] इसके द्वारा प्राप्त 88 दावों की "प्रक्रिया" के संबंध में
राज्य सरकार की योजना के साथ; और [2] अतिरिक्त खातों पर कब्ज़ा करना- केंद्र सरकार से प्राप्त आवास। सभी पक्ष और
इस मामले में पेश हुए उनके वकील ने इस स्थिति से सहर्ष सहमति जताई। अगर हमने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो वे अनुदान देकर मामले को 'पूर्ण' मानकर खुशी-खुशी बंद कर देते।
लापता हुए 18 व्यक्तियों के परिजनों को 100,000 रुपये की राशि प्रदान करना, जिनके मामले में
ऐसे मामले जिनमें पंजाब सरकार ने उदारतापूर्वक सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की थी।
दावों की "सटीकता" की जांच किए बिना मुआवजा देना। पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए-
इन घटनाओं के क्रम को देखते हुए, तथ्यों को कुछ विस्तार से बताना आवश्यक है।
हर तरह से दंडमुक्ति: अधिकार और कानून की गतिरोध 137

मामले को बंद करने के प्रयास
13 जनवरी 1999 के अपने आदेश के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त अपने पुन:प्रबंध के संबंध में
इसमें केवल अमृतसर जिले में उल्लिखित 2,097 शवदाह की जांच करने का आदेश दिया गया था।

सीबीआई की सूचियों के संबंध में, एनएचआरसी ने पंजाब में एक सार्वजनिक सूचना जारी की। इस सूचना में यह आवश्यक था कि
प्रत्येक दावेदार को शपथपूर्वक यह कहना होगा कि उनके लापता परिजनों का अंतिम संस्कार एक ही स्थान पर किया गया था।
अमृतसर के तीन श्मशान घाटों की सीबीआई द्वारा जांच की गई। यह हास्यास्पद है।
इस शर्त का स्पष्टीकरण पिछले अनुच्छेदों में दिया जा चुका है।
इस सार्वजनिक सूचना में निहित खामियों के कारण, एनएचआरसी को लोगों से केवल 88 दावे प्राप्त हुए।
पंजाब में। इस विधि से, चार साल से भी कम समय में, स्थापित व्यवस्था को बदल दिया गया।
मामले को सुलझाने में सफलता मिली, जिसमें हजारों लोगों के लापता होने का मामला शामिल था।
पंजाब भर में लोगों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है।
पंजाब सरकार ने इन 88 मामलों को आगे वर्गीकृत किया। 17 तारीख के एक पत्र में,
जनवरी 2000 में, पंजाब सरकार, गृह एवं न्याय मामलों के विभाग (hu-मानवाधिकार प्रकोष्ठ ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के समक्ष अपना प्रतिनिधित्व कर रहे वकील को पत्र लिखा।
5 अगस्त 1999 को एनएचआरसी के समक्ष कार्यवाही का उल्लेख किया गया। उस तिथि को...
मिशन ने पंजाब के वकील द्वारा दावे की प्रतियां प्राप्त करने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया था।
यह निर्धारित करने के लिए कथन कि किन मामलों में राज्य दावों को स्वीकार करता है...
प्रस्ताव और उस आधार पर मामले को आगे बढ़ाना और यह सत्यापित करना कि किस स्थिति में राज्य
इस बात का खंडन करता है।" 17 जनवरी 2000 के पत्र में राज्य सरकार को सूचित किया गया था कि...
वकील ने बताया कि उसने 88 दावों के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिया है: तेईस दावे अमृतसर, मजीठा और तरन तारन के पुलिस जिलों के अंतर्गत नहीं आते हैं। अतः वे वर्तमान संदर्भ के दायरे में नहीं आते हैं। इस सूची को अनुलग्नक 'ए' के रूप में संलग्न किया गया है।
सैंतालीस दावे ऐसे हैं कि भौगोलिक रूप से उपर्युक्त पुलिस जिलों के अंतर्गत आने के बावजूद वे मुआवजे के पात्र नहीं हैं। इन दावों के लिए या तो उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय या राज्य मानवाधिकार आयोग जैसी अन्य एजेंसियों से संपर्क किया गया है, या सीबीआई द्वारा इनकी जांच की जा रही है। इसलिए, ऐसे मामलों में मुआवजे का भुगतान मामले के अंतिम निपटारे के बाद ही किया जाना उचित होगा। ऐसे मामलों की सूची अनुलग्नक 'ख' में दी गई है। अठारह मामले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) द्वारा मुआवजे के भुगतान के लिए विचारणीय हैं। यह विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि राज्य ने इन मामलों की गुण-दोष के आधार पर कोई विस्तृत जांच नहीं की है और न ही राज्य ने इन मामलों में किसी भी प्रकार की कोई स्वीकारोक्ति की है। ये सुझाव मामले के निपटारे के उद्देश्य से और एनएचआरसी के सुझावों के अनुसार दिए जा रहे हैं। यह सूची अनुलग्नक 'ग' के रूप में संलग्न है।

19 जनवरी 2000 को हुई सुनवाई में पंजाब सरकार के वकील ने यह तर्क दिया कि उनके मुवक्किल का 17 जनवरी 2000 का पत्र रिकॉर्ड में है। एनएचआरसी ने केंद्र से पूछा-
केंद्र सरकार से पूछा गया कि क्या वह मुआवजे का भुगतान करने का बोझ उठाने के लिए सहमत होगी।
पंजाब सरकार के पत्र के अनुलग्नक 'सी' में शामिल 18 मामलों में संशोधन। दिनांक 17 जनवरी 2000 को, केंद्रीय प्रशासन और अन्य पक्षों के बीच "विवाद" के समाधान के लंबित रहने के दौरान।
और राज्य सरकार जिसके दायित्व का भुगतान उसे करना था। 1 मार्च 2000 को पंजाब राज्य और भारत संघ दोनों के अनुरोध पर मामले को स्थगित कर दिया गया।
30 मार्च 2000 को, दोनों पक्षों के संयुक्त अनुरोध पर मामले को फिर से स्थगित कर दिया गया।
6 जुलाई 2000 को सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे राष्ट्रीय राष्ट्रीय न्यायालय (एनएचआरसी) के समक्ष उपस्थित हुए।
अपने मुवक्किल के लिए पैरवी करना। कार्यवाही में दर्ज है कि यूनियन और के बीच विवाद।
138 राख में तब्दील

पंजाब राज्य “हमें (आयोग को) ऐसा प्रश्न नहीं लगता जो
वर्तमान मामले में निर्णय लेना आवश्यक है। हमारा यह भी मत है कि एक प्रश्न इस तरह के मामले को यथासंभव अनसुलझा ही छोड़ देना बेहतर है।
18 अगस्त 2000 को, सॉलिसिटर जनरल एक बार फिर सरकार की ओर से पैरवी करने के लिए उपस्थित हुए।
भारत सरकार। पक्षों की सुनवाई के बाद, एनएचआरसी ने निम्नलिखित दर्ज किया:
“

आयोग द्वारा विचार किए जाने वाले 18 मामलों की दूसरी श्रेणी
मुआवजे के भुगतान का विवरण उपरोक्त पत्र के अनुलग्नक 'सी' में दिया गया है। [दिनांक 17 जनवरी 2000]…उपलब्ध सामग्री, लिए गए रुख के साथ
राज्य सरकार द्वारा, "कि उसने न तो कोई विस्तृत जांच की है
इन मामलों में योग्यता के आधार पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, न ही इन मामलों में अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की जाती है, बल्कि यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता है
दिनांक 29 के पत्र में निहित नीति के अनुसार मुआवजे का भुगतान।
अगस्त 1995 में मामले को सुलझाने के उद्देश्य से और साथ ही सुझाव को ध्यान में रखते हुए
केवल एनएचआरसी का उल्लेख ही राज्य सरकार को भुगतान के लिए उत्तरदायी ठहराने के लिए पर्याप्त है।
उपरोक्त आधार पर मुआवजा। इस निष्कर्ष के लिए यह मायने नहीं रखता कि हिरासत वैध थी या अवैध, या व्यक्ति पर नियंत्रण की शक्ति का प्रयोग।
यह उचित था या नहीं; और यहां तक कि व्यक्तिगत अधिकारी की पहचान करना भी आवश्यक नहीं है।
जिम्मेदार/संबंधित अधिकारी।
आयोग द्वारा पुनर्विचार किए जाने के बाद हमने उसके समक्ष सुनवाई में भाग लेने से परहेज किया था।

सीबीआई की रिपोर्ट के खुलासे के हमारे अनुरोध को खारिज कर दिया गया। पिछली सुनवाई में उपस्थित लोगों ने भाग लिया था।
सीआईआईपी 18 जून 1999 को था। हालाँकि, हमें इसकी प्रतियाँ मिलती रहीं। आयोग द्वारा समय-समय पर पारित किए गए आदेशों का हमने पालन किया।
मामले में, 18 अगस्त 2000 को आयोग के आदेश की प्रति प्राप्त होने पर, हमें लगा कि
अनैच्छिक उत्पीड़न के पीड़ितों के साथ न्याय के नाम पर जो अत्याचार किए जा रहे हैं, वे घृणित हैं।
पंजाब में अवैध रूप से लोगों के गायब होने की घटनाएं हद से ज्यादा बढ़ गई थीं। राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजस्व आयोग (एनएचआरसी) को इस मामले में कोई शर्म भी नहीं थी।
इस तथ्य से आहत कि यद्यपि इसने स्वयं को 2,097 होने का जनादेश दिया था अमृतसर जिले के तीनों श्मशान घाटों पर किए गए अंतिम संस्कार की जांच की जा रही है।
सीबीआई की निगरानी में, इसने अब पंजाब सरकार के साथ मिलकर मामले को दबाने की साजिश रची।
18 व्यक्तियों के परिवारों को 100,000 रुपये का भुगतान करके। पंजाब सरकार ने ऐसा नहीं किया।
इन मामलों में अवैध दाह संस्कार की ओर ले जाने वाले "जबरन गायब होने" का विरोध किया जाता है।
लेकिन दायित्व स्वीकार किए बिना और जांच किए बिना मुआवजा देने का प्रस्ताव रखा।
गुण-दोष के आधार पर मामलों की सुनवाई। आयोग को इस विसंगति से जरा भी शर्मिंदगी नहीं हुई।
राज्य साथ ही साथ अनुलग्नक बी में उल्लिखित 47 दावों पर उनके गुण-दोष के आधार पर विवाद कर रहा था।
इससे पहले, एनएचआरसी ने सीबीआई की रिपोर्ट का इस्तेमाल जांच के दायरे को सीमित करने के लिए किया था।
अमृतसर जिले की रिपोर्ट में 2,098 शवदाह की सूची शामिल थी: 582 शवों की पूरी तरह से पहचान हो चुकी थी।
278 आंशिक रूप से पहचाने गए और 1,238 अभी तक अज्ञात हैं। 5 अगस्त 1999 तक अपने आदेश में, इसने सीबीआई की रिपोर्ट के खुलासे और निरीक्षण के लिए हमारे आवेदन को खारिज कर दिया।
साथ ही, इसके द्वारा मुद्दों पर की जा रही जांच की प्रगति पर आवधिक रिपोर्ट भी शामिल हैं।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गोपनीय जानकारी के आधार पर आपराधिक दोषसिद्धि का आदेश दिया गया।
सुरक्षा और जनहित। आयोग ने 1,238 शवदाह गृहों की पहचान करने के लिए क्या किया?
सीबीआई की रिपोर्ट में सूचीबद्ध मुद्दों के बारे में क्या? 582 लोगों के कानूनी वारिसों को मुआवजा देने के लिए सीबीआई ने क्या कदम उठाए?
पूरी तरह से पहचाने गए और 278 आंशिक रूप से पहचाने गए शवों का अंतिम संस्कार? अपने 5 अगस्त 1999 के आदेश में,
आयोग ने सीबीआई द्वारा आपराधिक दायित्व की जांच का उल्लेख किया।

मृत्यु और दाह संस्कार के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण। इनका क्या अर्थ हो सकता है?
अपारदर्शी जांचों के बीच, एनएचआरसी ने सरकार के प्रस्ताव पर खुशी जताई। दायित्व स्वीकार किए बिना अनुलग्नक सी से 18 दावेदारों को मुआवजा देना, जबकि-
अनुलग्नक बी से 47 दावों की योग्यता के आधार पर गणना करना? इन पीड़ित परिवारों को क्यों नहीं किया जाना चाहिए?
पंजाब में झूठ बोलने वाले लोग मानते हैं कि एनएचआरसी सरकार की कठपुतली शाखा के अलावा कुछ और नहीं है।
हर तरह से दंडमुक्ति: अधिकार और कानून की गतिरोध 139

क्या यह राज्य पश्चिमी दानदाताओं के उपभोग के लिए संगठित है?
एक बार फिर, मैं उन 18 व्यक्तियों के परिवारों से मिलने के लिए पंजाब गया और,
उनके समक्ष तथ्यों को प्रस्तुत करने के बाद, इस मुद्दे पर उनके विचार जानने का प्रयास किया गया। प्रतिक्रिया
मुझे जो प्रतिक्रिया मिली वह बेहद मार्मिक थी। सभी 18 व्यक्तियों के परिवारों ने स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया।
प्रस्तावित शर्तों पर मुआवजे का प्रस्ताव। वे इससे निपट रहे थे।
अपने रिश्तेदारों के जबरन गायब होने के सदमे से उबरना, इस उम्मीद में कि किसी दिन वे
भारत में संस्थाएं न्याय की अनिवार्यता को लेकर जागृत होंगी। उन्होंने इसमें योगदान दिया।
एनएचआरसी द्वारा इस विश्वास के साथ प्रसारित किए गए दावा प्रपत्र कि न्याय, निष्पक्षता पर आधारित है-
उनकी शिकायतों की गहन और विस्तृत जांच, शिकायतों के समाधान का आधार बनेगी। मुआवजा और अन्य सुधारात्मक उपाय। बिना मुआवजे का प्रस्ताव
दायित्व स्वीकार करने से पीड़ितों के जीवित बचे परिजनों का सीधा अपमान हुआ।
इसका कारण यह है कि, भले ही वे गरीब थे, उन्होंने एनएचआरसी से भीख नहीं मांगी थी। प्रस्ताव
मुआवजे को लेकर भी आपत्ति जताई गई क्योंकि कोई प्रयास नहीं किया गया था। उन अन्याय और नुकसानों का निर्धारण करें, जो उन्हें और उनके परिवारों को झेलने पड़े थे।
अधिकारियों द्वारा उन पर किए गए अत्याचारों से निपटने का तरीका। सु- सर्वोच्च न्यायालय ने जसवंत की विधवा को 1,000,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया था।
सिंह खालरा, जिन्होंने सबसे पहले अवैध दाह संस्कार के मामले को उजागर किया और वहां मौजूद थे-
पुलिस द्वारा लापता किए जाने के बाद। इसी मामले से जुड़े अन्य मामलों में- इसके अलावा, एनएचआरसी 100,000 रुपये की पेशकश कर रहा था। खालरा के लापता होने के मामले में,
निष्पक्ष जांच करने और निर्णय लेने के बाद न्यायालय ने मुआवजे का आदेश दिया।

जिम्मेदार अधिकारियों का दोष। अन्य मामलों में, मुआवजे का प्रस्ताव।
यह इस आधार पर टिका था कि दायित्व का कोई निर्धारण या निष्कर्ष नहीं होगा।
अपराधबोध। यह प्रस्ताव एक भेदभावपूर्ण मानसिकता पर आधारित था, जैसा कि इससे स्पष्ट है।
तथ्य यह है कि राज्य सूची बी में शामिल 47 अन्य लोगों के दावों पर योग्यता के आधार पर विवाद कर रहा था, जबकि
सूची सी में शामिल 18 पीड़ित परिवारों को बिना स्वीकार किए मुआवजा देने का प्रस्ताव।
दायित्व या उनकी शिकायतों की खूबियों पर। प्रस्ताव द्वेषपूर्ण ढंग से विमुख हो गए।
अन्य जिलों में इसी तरह के दुर्व्यवहार का शिकार हुए लोगों को बाहर करके इसे अपराधीकरण किया गया है।
पंजाब में पाए गए लेकिन निर्दिष्ट तीन श्मशान घाटों में से किसी में भी उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया।
सीबीआई की सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई रिपोर्ट।
शुरू में हमारा इरादा सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दाखिल करने का था।
एक बार फिर से उन मूलभूत त्रुटियों को सुधारने का प्रयास करना जो की गई थीं।
एनएचआरसी अपने दायित्व के निर्वहन के दौरान। हालाँकि, जनता की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए-
एनएचआरसी के अध्यक्ष द्वारा की गई घोषणाओं से काफी शर्मिंदगी हुई और इस प्रकरण के आसपास फैली नकारात्मक प्रचार से चिढ़कर, हमने ये शिकायतें दर्ज करने का निर्णय लिया।
आयोग के समक्ष हलफनामे के साथ-साथ एक आवेदन जिसमें आयोग से यह मांग की गई है कि-
कम से कम मिशन को 13 जनवरी 1999 के अपने आदेश पर कार्रवाई करनी चाहिए। इससे अंत हो गया।
एनएचआरसी के समक्ष कार्यवाही के तीसरे चरण का।

चौथा चरण: प्रतिबंधित जनादेश की बहाली
एनएचआरसी ने 15 फरवरी 2001 को हमारे आवेदन पर सुनवाई की। उस तिथि के अपने आदेश में,
आयोग ने स्पष्ट किया कि “इस जांच का दायरा 2,097 शवदाह से संबंधित है” सीबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, जिनमें से 585 की पहचान की गई, 274 की आंशिक रूप से पहचान हो सकी।
1,238 लोगों की पहचान हो चुकी है और शेष 1,238 की पहचान नहीं हो पाई है। जारी किए गए सार्वजनिक नोटिस के जवाब में
आयोग द्वारा अब तक केवल 88 दावे ही दायर किए गए हैं। यह स्पष्ट है कि जहाँ तक
2097 में से सभी या यथासंभव अधिक से अधिक मामलों की जांच करने के लिए यथासंभव प्रयास किए जाने चाहिए।
140 राख में तब्दील

जहां तक संभव हो शवदाह किया जाए और इसके लिए आवश्यक विवरण पुनः प्रस्तुत किए जाएंगे।

585 मामलों के संबंध में, जिनकी पहचान सीबीआई रिपोर्ट के अनुसार की गई है, सीबीआई की रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारी को कार्यवाही का आधार बनाया जाना चाहिए।
इस जांच के साथ, चाहे उनके संबंध में कोई दावा दायर किया गया हो या नहीं।
नहीं। आंशिक रूप से पहचाने गए 274 मामलों के संबंध में, उपलब्ध विवरण इस प्रकार होने चाहिए।
पूर्ण पहचान करने और आवश्यक विवरण प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है।
जांच को आगे बढ़ाने में सक्षम। शेष 1,238 अज्ञात क्रीमा के संबंध में- किसी भी स्थिति में, हर संभव प्रयास के माध्यम से आवश्यक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए।
ताकि संभव हो तो जांच की जा सके।" हमारे हस्तक्षेप ने यह सुनिश्चित किया कि,
कम से कम, मामला आयोग के बाद की स्थिति में बहाल हो गया था।
13 जनवरी 1999 का आदेश।
आयोग के समक्ष कार्यवाही का चौथा चरण शुरू हुआ
यह 15 फरवरी 2001 का आदेश है। इसमें एनएचआरसी द्वारा दिए गए निर्देश के साथ निष्कर्ष निकाला गया था कि...
पंजाब राज्य को 16 सितंबर 2002 को प्रत्येक मामले के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने के लिए कहा गया था।
30 अक्टूबर 2002 तक "पहचाने गए" 583 शवदाह संस्कारों में से, इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (एनएचआरसी) ने एक संस्था स्थापित की।
साथ ही सीबीआई को इस मामले में जब्त किए गए सभी रिकॉर्ड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। नटू-
रैली हुई, और जैसा कि अपेक्षित था, पंजाब राज्य इसका पालन करने में "असमर्थ" था। और, उस तारीख तक
हमारी रिपोर्ट के इस खंड के प्रकाशन के समय तक, उन्होंने 150 से कम मामलों में हलफनामे दाखिल किए थे।
मामले।
पिछले दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग (एनएचआरसी) के समक्ष कई सुनवाईयां हुई हैं।
लेकिन, एक बार फिर, बहुत कम प्रगति हुई। मार्च 2001 में, आयोग ने दर्ज किया कि
सीबीआई द्वारा दाह संस्कार किए गए व्यक्तियों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी। यह सूची तीन भागों में होगी।
भाग। सूची 'ए' में पूरी तरह से पहचाने गए व्यक्ति शामिल हैं, सूची 'बी' में आंशिक रूप से पहचाने गए व्यक्ति शामिल हैं।
पहचाने गए व्यक्तियों की सूची और 'सी' सूची में अज्ञात व्यक्तियों के नाम शामिल हैं। 3 मई 2001 को,
सीबीआई ने आयोग के समक्ष सभी पक्षों को ये सूचियां उपलब्ध कराई थीं।
उस तारीख को आयोग ने सीबीआई और पंजाब सरकार को सबूत पेश करने का निर्देश दिया।
इन शवदाहों से संबंधित उनकी हिरासत में मौजूद संपूर्ण सामग्री। एनएचआरसी सुझाव दिया गया कि: "अधिकतम की पूर्ण पहचान की जांच का पहला चरण"

कुल 2,097 में से जितनी संभव हो उतनी संख्या को यथाशीघ्र पूरा किया जाए…”।
15 जून 2001 को आयोजित एक बैठक में, पंजाब के वकील ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनका
ग्राहक के पास 2,097 शवदाह से संबंधित कोई सामग्री नहीं थी। उन्होंने यह भी किया।
यह स्पष्ट है कि वह अभिलेखों के निरीक्षण को अंजाम देने की स्थिति में नहीं था।
सीबीआई द्वारा तैयार की गई जांच। यह निरीक्षण विशेष रूप से नियुक्त अधिकारियों द्वारा किया जाना होगा।
इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया।
19 जुलाई 2001 को, एनएचआरसी ने पक्षों और उनके वकीलों को अनुमति दी कि वे सीबीआई द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के निरीक्षण के उद्देश्य से सहायता। इसके अलावा, सीआईआईपी ने 23 जुलाई 2001 को सीबीआई द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड का निरीक्षण किया।
हालांकि, उस तारीख को निरीक्षण पूरा नहीं हो सका। इसलिए, सीआईआईपी सीबीआई द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का एक बार फिर से निरीक्षण करने की अनुमति मांगी गई।
26 जुलाई 2001 को। उस तारीख को, पंजाब सरकार के कई अधिकारियों के साथ-साथ निरीक्षण कक्ष में पंजाब पुलिस के कई अधिकारी भी मौजूद थे। जाहिर तौर पर, वे भी सीबीआई के रिकॉर्ड की जांच करने के लिए वहां मौजूद थे। हालांकि, कुछ ही मिनटों में...
यह स्पष्ट हो गया कि कमरे में मौजूद सरकारी और पुलिस अधिकारी
सीबीआई द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड की जांच करने के कार्य में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखते।
लोग चुपचाप बैठे रहे और सीआईआईपी के वकील और उनके सहयोगी को बातचीत करते हुए देखते रहे।
उन्होंने अपना निरीक्षण किया। सरकारी अधिकारियों में से एक उनके पास ही बैठा था।
उनकी बातचीत सुनने के लिए। इसके कुछ ही समय बाद, इस अधिकारी ने सीआईआईपी पर आपत्ति जताई।
हर तरह से दंडमुक्ति: अधिकार और कानून की गतिरोध 141

फाइलों के एक विशेष बंडल का निरीक्षण करने की अनुमति दी गई। सहायक रजिस्ट्रार
आयोग, जो कमरे में मौजूद था, ने तुरंत वकील से पूछा
याचिकाकर्ताओं ने निरीक्षण रोकने का अनुरोध किया। इसके बाद आगे कोई निरीक्षण करने की अनुमति नहीं दी गई।
आईजीपी द्वारा दायर आवेदनों की एक श्रृंखला से एनएचआरसी पर दबाव बढ़ गया, (लिट-
आयोग से निर्देश प्राप्त करने की मांग करते हुए कि सीआईआईपी को निरीक्षण करने से रोका जाए।
सीबीआई द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड। यह दावा किया गया कि "यदि याचिकाकर्ता में से किसी को भी अनुमति दी जाती है

रिकॉर्ड का निरीक्षण करने के लिए, इस उद्देश्य का वास्तव में उद्देश्य सुविधा प्रदान करना और प्रक्रिया को तेज करना नहीं होगा।
पहचान की प्रक्रिया के बजाय, याचिकाकर्ता को अनुचित रूप से छानबीन करने का काम सौंपा जाएगा।
और अप्रासंगिक मुद्दों को उठाकर पहचान की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है।
अतः, इस संबंध में उचित निर्देश जारी करने का विनम्र निवेदन किया जाता है।
गार्ड।”
सीबीआई ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 के तहत भी एक आवेदन दायर किया है।
“विशेषाधिकार” का हवाला देते हुए, वे सीआईआईपी को रिकॉर्ड का निरीक्षण करने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं।
20 सितंबर 2001 को अगली सुनवाई की तारीख पर, एनएचआरसी ने मौखिक रूप से अपनी बात रखी।
पंजाब सरकार के पुलिस अधिकारियों द्वारा अपनाई गई बाधा उत्पन्न करने वाली रणनीति के खिलाफ आक्रोश।
और सीबीआई। इसने साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 के तहत विशेषाधिकार के दावे को खारिज कर दिया।
अधिनियम। हालाँकि, अपने आदेश में आयोग ने दर्ज किया: "हमें ऐसा प्रतीत होता है कि
उपलब्ध अभिलेखों के निरीक्षण के लिए कोई व्यावहारिक विधि विकसित करनी होगी।
सीबीआई द्वारा आंशिक रूप से पहचाने गए लोगों की पहचान के उद्देश्य से उपलब्ध कराया जा सकता है और
पहले से उपलब्ध कराई गई सूचियों के अनुसार अज्ञात शवों की पहचान की जा सकती है, ताकि इस मामले पर विचार किया जा सके।
आगे की प्रक्रिया यथाशीघ्र बढ़ाएँ।
असल में, एनएचआरसी ने पंजाब सरकार और सीबीआई के अनुरोध को स्वीकार कर लिया।
और उसके बाद, सीआईआईपी ने रिकॉर्ड की कोई और जांच नहीं की।
सीबीआई द्वारा तैयार की गई सामग्री की संयुक्त जांच एक समझौते के तहत की गई। समझौते के तहत सामग्री का संयुक्त निरीक्षण किया गया।
आर. वेंकटारमानी की देखरेख में, जो कि की ओर से एमिकस क्यूरी हैं।
इस मामले में एनएचआरसी। इस निरीक्षण के दौरान यह स्पष्ट हो गया कि प्रस्तुत रिकॉर्ड में मौजूद जानकारी सही नहीं थी।
यह किसी भी उद्देश्य के लिए बहुत कम उपयोगी होगा। इसमें मूलतः प्रतियां शामिल थीं।
प्रत्येक मामले के संबंध में पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर)।
प्रत्येक मामले में, यदि कोई हो, तो शव परीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति और विविध अन्य दस्तावेज।
लकड़ी खरीदने और शव के अंतिम संस्कार के लिए आवश्यक कपड़े की खरीद की रसीदें।
पुलिस की दैनिक डायरी, वाहन लॉगबुक, वायरलेस रूम लॉगबुक आदि और अन्य
वे अभिलेख जो उन परिस्थितियों को स्थापित कर सकें जिनमें शव प्राप्त हुआ था

पुलिस की हिरासत से कोई भी व्यक्ति गायब था। न ही उससे संबंधित कोई सामग्री मिली।
सीबीआई द्वारा शवदाह किए गए व्यक्तियों की पहचान के लिए जांच की जा रही है।
29 नवंबर 2001 को, एनएचआरसी ने दर्ज किया कि: "हमने इसे उचित समझा।"
कि बिना और समय गंवाए कार्यवाही शुरू की जा सकती है
582 की पहचान की गई है, साथ ही साथ, पहचान के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। आंशिक रूप से पहचाने गए और अज्ञात... पूरी तरह से पहचाने गए के संबंध में अगला कदम
पहचान की गई बात यह है कि विद्वान अधिवक्ताओं से उनके संक्षिप्त निवेदन मांगे जाएं जिनमें पहचान की गई हो।
वह महत्वपूर्ण बिंदु जिसके संबंध में आगे की कार्यवाही की जानी है और निर्धारित प्रक्रिया का सटीक विवरण दिया गया है।
आयोग ने यह भी निर्देश दिया कि 278 मामलों से संबंधित मूल एफआईआर को संशोधित किया जाए।
प्रारंभिक रूप से पहचाने गए शवों के शवों को पूर्ण पहचान प्रक्रिया में सहायता के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
इन व्यक्तियों में से। इसने सीआईआईपी को अपने पास उपलब्ध किसी भी सामग्री को प्रस्तुत करने की अनुमति दी।
जिससे आंशिक रूप से पहचाने गए कई लोगों की पहचान करना संभव हो सकेगा। “महत्वपूर्ण बिंदुओं” की परिभाषा तय करना एक जटिल प्रक्रिया थी। यह वाक्यांश सरल है-
सभी मुकदमों में उठाए गए "मुद्दों" के लिए एक आकर्षक अभिव्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। देखने में तो ऐसा लगता है कि...
142 राख में तब्दील

मामले के मुद्दे सरल हैं। महत्वपूर्ण बात यह सुनिश्चित करना था कि
मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट करते समय, आयोग ने उद्देश्यों को नहीं भुलाया। कार्यवाही के संबंध में। इसे ध्यान में रखते हुए, 18 दिसंबर 2001 को, सीआईआईपी ने अपना आवेदन दाखिल किया।
आयोग द्वारा तैयार किए जाने वाले मुख्य बिंदुओं के संबंध में प्रस्तुतियाँ। साथ ही
उक्त प्रस्तुतियाँ के आधार पर, सीआईआईपी ने विस्तृत जानकारी वाली एक सूची तैयार की।
जिन 57 व्यक्तियों का अंतिम संस्कार किया गया था, उनकी व्यक्तिगत और राजनीतिक पृष्ठभूमि का विवरण भी इसमें शामिल था।
सीबीआई की आंशिक रूप से पहचाने गए शवदाहों की सूची में। समिति ने स्वयं ही इन व्यक्तियों की पहचान की गई।
हमने सुझाव दिया कि एनएचआरसी एक "विशेषज्ञ निकाय" नियुक्त कर सकता है जिसमें अन्य विशेषज्ञ शामिल हों।
मानवाधिकार के क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने-माने व्यक्तियों में एक सेवानिवृत्त व्यक्ति भी शामिल हैं।
उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, कार्यप्रणाली विकसित करने के दौरान सहायता प्रदान करने के लिए।

मामले में आगे की कार्यवाही के लिए। हमने बताया कि सभी प्राप्त होने के बाद
पंजाब सरकार प्रत्येक मामले के संबंध में जो जानकारी प्रदान कर सकी, अंतिम संस्कार के संबंध में, आयोग के लिए परिवारों से उनकी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक होगा।
लापता होने, मृत्यु और दाह संस्कार की घटनाओं का विवरण।
घटना के आधार पर विधिवत रूप से तैयार किए गए प्रो-फॉर्मा में जानकारी प्राप्त करनी होगी।
1997 में सीआईआईपी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट प्रपत्र।
व्यक्तिगत मामलों से संबंधित विशिष्ट जानकारी के अलावा, आयोग
राज्य में व्याप्त समग्र स्थिति पर सुझाव मांगे जाने चाहिए।
वकीलों जैसे विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों से संबंधित प्रासंगिक अवधि,
शिक्षक, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, राजनेता, धार्मिक व्यक्ति, ग्राम परिषद के सदस्य-
सदस्य, सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी, जिनमें सेवानिवृत्त सैनिक, पत्रकार और अन्य लोग शामिल हैं।
लेखक आदि।
राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग (एनएचआरसी) द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ निकाय को सभी सामग्रियों की जांच करनी चाहिए।
उसके द्वारा प्राप्त सामग्री की जांच करना और यदि आवश्यक हो, तो स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति से मौखिक रूप से पूछताछ करना।
दावों और प्रस्तुतियों का विवरण, स्पष्टीकरण और सत्यापन। इसके बाद, प्रत्येक मामले के तथ्यों पर प्रारंभिक निष्कर्ष दे सकते हैं और सलाह दे सकते हैं कि क्या
मृत व्यक्ति और/या उसके परिवार के सदस्यों के मौलिक मानवाधिकार
उल्लंघन किए गए थे। इसके बाद प्रक्रिया मुआवजे और अन्य मुद्दों पर आगे बढ़ सकती है।
आगे की कार्रवाई।
20 दिसंबर 2001 को, सीआईआईपी ने आयोग के समक्ष "अतिरिक्त बिंदु" दायर किए। इन प्रस्तुतियों का उद्देश्य इस बात पर जोर देना था कि “उपाय के बिंदु- कार्यवाही के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए "रुख" तैयार करना आवश्यक था।
सर्वोच्च न्यायालय के "अधिकार क्षेत्र" के अनुरूप आयोग का गठन। समर्थक-आयोग के समक्ष प्रस्तुतियाँ "सार्वजनिक कानून" न्यायशास्त्र का हिस्सा थीं और
यह नियमित दीवानी या आपराधिक कानूनों के तहत कार्यवाही की प्रकृति का नहीं है। दूसरे शब्दों में,
“महत्वपूर्ण बिंदुओं” का निर्धारण कार्यवाही के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए।
इनसे निम्नलिखित का निर्धारण होना चाहिए:
मामले के तथ्यों में निहित मानवाधिकारों के उल्लंघन की प्रकृति, कारण और सीमा;

ऐसे उल्लंघनों को जन्म देने वाली परिस्थितियाँ और उद्देश्य; ऐसे उल्लंघनों में शामिल सभी व्यक्तियों, अधिकारियों और संस्थानों की पहचान, और
क्या इस प्रकार के उल्लंघन राज्य या उसके किसी अंग या उनसे जुड़े किसी समूह या व्यक्तियों के समूह द्वारा जानबूझकर की गई योजना के परिणामस्वरूप हुए थे?
हर तरह से दंडमुक्ति: अधिकार और कानून की गतिरोध 143

अंत में, एनएचआरसी और उसकी बाद की कार्रवाइयों द्वारा तैयार किए गए "महत्वपूर्ण बिंदु"।
यह अपने मानक ढांचे के अनुरूप होना चाहिए और यह सुनिश्चित करने में भी मदद करनी चाहिए कि सभी
मानवाधिकार उल्लंघन के वास्तविक पीड़ितों को न्यायसंगत और उचित मुआवजा मिलता है।
एनएचआरसी हमारे द्वारा इसकी व्याख्या करने के तरीके से बहुत नाराज था। ‘महत्वपूर्ण बिंदुओं’ को प्रस्तावित करने के लिए निर्देश। 20 तारीख को मामले की सुनवाई के दौरान
दिसंबर 2001 में, राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग (एनएचआरसी) ने अपनी नाराजगी स्पष्ट रूप से व्यक्त की। एनएचआरसी के अध्यक्ष-
न्यायमूर्ति वर्मा चाहते थे कि सभी पक्ष "मुख्य बिंदुओं" को एक निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें।
यह दीवानी मुकदमों और नियमित आपराधिक कार्यवाही में आम बात है। उन्होंने इसे खारिज कर दिया।
सीआईआईपी द्वारा प्रस्तुत दलीलों को खारिज करते हुए उन्हें कार्यवाही के लिए अप्रासंगिक बताया। इस पर
आज, इंदिरा जयसिंह, जो सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ता के पद के लिए जानी जाती हैं, ने यह बात कही।
कार्यकर्ता, सीआईआईपी के पक्ष में तर्क प्रस्तुत कर रहे थे, जिसके पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
अपने प्रस्तावों को पुनः तैयार करने के लिए। अंत में, हमने निम्नलिखित मुद्दों को एक साथ रखा है।
एनएचआरसी द्वारा निर्धारित:
क्या इन व्यक्तियों की मृत्यु पुलिस के कारण हुई थी? यदि हाँ, तो उनकी मृत्यु के सटीक हालात और कारणों का पता लगाना आवश्यक था; क्या पुलिस द्वारा इन व्यक्तियों की मृत्यु कराना उचित था, और यदि हाँ, तो किस कानूनी आधार पर?
क्या उपर्युक्त व्यक्तियों की हत्या पुलिस द्वारा राज्य की एक एजेंसी के रूप में और उसके उद्देश्यों के लिए कार्य करते हुए की गई थी?
क्या "शवदाह संस्कार" हत्या के अपराधों के सबूतों को नष्ट करने का एक प्रयास था?
क्या राज्य और/या उसकी एजेंसियों ने संबंधित शवों की पहचान करने और कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उन्हें परिजनों को सौंपने के लिए सभी आवश्यक उचित कदम उठाए?

क्या इस प्रकार दाह संस्कार किए गए व्यक्तियों के निकट संबंधी मुआवजे या किसी अन्य प्रकार के पुनर्वास के हकदार हैं, और यदि हां, तो मुआवजे का आधार और राशि निर्धारित की जाए?
अंतिम मुद्दा इन मौतों के लिए जिम्मेदार कर्मियों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई का निर्धारण करना था।
17 जनवरी 2002 को, सुनवाई को अनुपस्थिति के कारण स्थगित कर दिया गया था। आयोग के वकील। 4 फरवरी 2002 को, एनएचआरसी ने प्रस्तुतियाँ पर विचार किया। विभिन्न पक्षों द्वारा दायर किए गए दस्तावेजों के आधार पर, निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं को तैयार किया गया।
मामला: “पहले चरण में हम खुद को 582 पूरी तरह से पहचाने गए मामलों तक सीमित रखना चाहेंगे-
पूरी तरह से पहचाने जाने योग्य निकायों के संबंध में विचार के लिए उठने वाले मुद्दे...
प्रमाणित निकाय निम्नलिखित हैं:
क्या पंजाब राज्य या भारत संघ के वे अधिकारी, जो 582 पूरी तरह से पहचाने गए शवों के अंतिम संस्कार से जुड़े थे, उनकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार नहीं थे और इसलिए, उनके द्वारा मानवाधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया था? उपरोक्त के परिणामस्वरूप इन सरकारों के संबंधित अधिकारियों की क्या जिम्मेदारी होगी?
उपरोक्त अधिकारियों के दोषी पाए जाने की स्थिति में, संबंधित सरकारों की परिणामी देयता; और,
यदि कोई हो तो मुआवजे सहित राहत प्रदान की जाएगी।
144 राख में तब्दील

उपरोक्त मुद्दों के संदर्भ में, प्रारंभिक भार स्पष्ट रूप से इस पर है। संबंधित सरकारें।"
आयोग ने पंजाब राज्य और भारत संघ से जानकारी प्रस्तुत करने को कहा।
वे मामले में अपनी इच्छानुसार अतिरिक्त जानकारी या साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं।
4 फरवरी 2002 को हुई सुनवाई के साथ आयोग के चौथे चरण का समापन हुआ।
सीआईआईपी द्वारा सुधार के लिए आवेदन के साथ शुरू हुई कार्यवाही
बिना किसी बात को स्वीकार किए 18 पीड़ित परिवारों को मुआवजे का प्रस्ताव।
देयता।

रुकी हुई कार्यवाही
राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग (एनएचआरसी) ने 4 फरवरी 2002 और 2 फरवरी 2002 के बीच इस मामले में कोई सुनवाई नहीं की।
सितंबर 2002। 4 फरवरी 2002 को पंजाब के वकील ने संकेत दिया था कि विधानसभा चुनावों के बाद पंजाब में नई राज्य सरकार का गठन हुआ है। संभवतः, इससे आयोग के समक्ष सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील में बदलाव हो सकता है।
उन्होंने आयोग से मामले को कम से कम एक दिन के लिए स्थगित करने का भी अनुरोध किया।
नई सरकार को अपनी स्थिति मजबूत करने और इस प्रकार की नियुक्तियाँ करने के लिए एक महीने का समय दिया जाएगा।

मामले की सुनवाई 4 मार्च 2002 तक के लिए स्थगित कर दी गई।
1 मार्च 2002 के एक पत्र द्वारा, एनएचआरसी ने हमें सूचित किया कि "अपरिहार्य कारणों" से...
"उपयुक्त परिस्थितियों" के कारण सुनवाई 11 मार्च 2002 तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। 11 तारीख को
मार्च 2002 में, इसने एक और पत्र जारी कर सुनवाई को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया।
इसके बाद कई महीनों तक एनएचआरसी से कोई खबर नहीं मिली। भयानक
गुजरात में हिंसा, जिसकी शुरुआत गोधरा की घटना से हुई और जिसका अंत एक संदिग्ध घटनाक्रम में हुआ।
राज्य के मुसलमानों के खिलाफ सुनियोजित और व्यवस्थित नरसंहार ने आयोग को व्यस्त रखा।
व्यस्त। न्यायमूर्ति वर्मा की अध्यक्षता में आयोग ने सक्रिय रुख अपनाया। गुजरात में हो रही घटनाओं की निंदा करने में अग्रणी भूमिका निभाई। वहीं केंद्र सरकार और
ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायालयों की नियमित पदानुक्रम ने अपनी जिम्मेदारियों का त्याग कर दिया है।
कानून के शासन को बरकरार रखते हुए, आयोग ने मिलीभगत की स्पष्ट रूप से निंदा की।
गुजरात सरकार की विभिन्न एजेंसियों द्वारा अत्याचारों को अंजाम देने में उनकी भूमिका।
राज्य की मुस्लिम आबादी। एनएचआरसी के अध्यक्ष के रूप में अपना कर्तव्य निभाने के बाद,
न्यायमूर्ति वर्मा संयुक्त राष्ट्र समिति को समझाने में व्यक्तिगत रूप से भी शामिल थे।
मानवाधिकारों के तहत निंदा या आलोचना का कोई भी बयान जारी करने से बचना चाहिए।
भारत सरकार और गुजरात सरकार के खिलाफ उनकी गलतियों के लिए।
चूक।
पंजाब मामले की सुनवाई 26 अगस्त 2002 को तय की गई थी, लेकिन इसे फिर से स्थगित कर दिया गया।
कार्यवाही स्थगित कर दी गई और 2 सितंबर 2002 को ही दोबारा शुरू हो सकी। आर. एस. सूरी,
पंजाब के नए वकील ने आयोग को अपनी सरकार के विचारों से अवगत कराया।
इस मामले को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा की और "मुद्दों" को फिर से परिभाषित करने का अनुरोध किया।
"पदार्थ", जिसे आयोग द्वारा 4 फरवरी 2002 को तैयार किया गया था। आवेदन, पंजाब सरकार द्वारा इस दिन औपचारिक रूप से प्रस्तुत किए गए दस्तावेज की शुरुआत निम्नलिखित के संदर्भ से होती है:
11 सितंबर की घटना के बाद अब दुनिया पर मंडरा रहा "आतंकवाद का खतरा"
2001 में "न्यू यॉर्क के केंद्र में विकास और समृद्धि के प्रतीक स्तंभों" पर हमला हुआ।
यॉर्क सिटी”। इसके बाद यह “लोकतंत्र के गढ़ पर दुस्साहसी हमले” का जिक्र करता है,
(भारतीय) संसद, (जिसने) पूरे देश के हर कोने में सदमे की लहरें भेज दीं।

देश”। यह हाल की घटनाओं को “आतंकवाद के चरम रूप (1984 –
1994)” कि पंजाब को “अदृश्य हाथ द्वारा योजनाबद्ध तरीके से” उजागर किया गया था।
हर तरह से दंडमुक्ति: अधिकार और कानून की गतिरोध 145

विदेश से, जो वस्तुतः अलगाव का अग्रदूत था।
यह भारत और भारत की संप्रभुता और अखंडता पर ही हमला है। इसमें तर्क दिया गया है कि
हमले का स्वरूप ऐसा था कि उसका सामना पारंपरिक सेना से नहीं किया जा सकता था।
इसमें कहा गया है कि "पंजाब पुलिस ने भारी कीमत चुकाते हुए बहादुरी से इस नरम युद्ध का सामना किया।"
इस प्रक्रिया में 1,700 से अधिक लोग हताहत हुए। "शहीदों" का संकलन।
इस आवेदन के साथ "पंजाब पुलिस" नामक एक याचिका भी दायर की गई थी। इसमें तर्क दिया गया है कि कानूनी औचित्य...
कोई गवाह तैयार न होने के कारण न्याय प्रणाली पूरी तरह ठप हो गई थी।
किसी भी आतंकवादी या आतंकवादी घटना के खिलाफ गवाही देना। यह इंगित करता है कि एक खोज
स्वतंत्र खालिस्तान के कारण निर्वासित सरकार का गठन हुआ और
मानचित्रों और मुद्रा की छपाई।
आवेदन में यह तर्क दिया गया है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अनुसार, 1993 से, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) केवल मानवाधिकारों के उल्लंघन से होने वाले नुकसान की रक्षा तक ही सीमित नहीं है।
राज्य के प्रतिनिधियों द्वारा ही नहीं, बल्कि इसे अपना संरक्षण उन लोगों तक भी विस्तारित करना आवश्यक है जो
आतंकवाद के कृत्यों द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन। आवेदन में आगे सुझाव दिया गया है
कि एनएचआरसी द्वारा परिभाषित 'मूल मुद्दे' संभवतः सामने नहीं ला पाएंगे। “सही परिप्रेक्ष्य में सही तथ्य”।
आवेदन में आयोग से मानवाधिकारों के उल्लंघन के गंभीर मामलों का आकलन करने का अनुरोध किया गया है।
चरम आतंकवाद की पृष्ठभूमि में और इसकी स्थिति के अनुरूप उल्लंघन-
टोरी कार्यों को ध्यान में रखते हुए...”। इसमें आयोग से यह भी अनुरोध किया गया है कि वह “किसी भी
जिस व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, वह बिना किसी प्रभाव के प्रभावित नहीं होता है।
यह सुनिश्चित करना कि सभी की बात सुनी जाए, और साथ ही यह भी सुनिश्चित करना कि इससे निष्पक्ष जांच में कोई बाधा न आए।
और निष्पक्ष सुनवाई।" पैरा 11 (ई) में, आवेदन प्रस्तुत करता है: "समय सीमा के तहत
इस माननीय आयोग पर विचार-विमर्श का समय असाधारण था। यह आवश्यक था-
यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाना आवश्यक है कि आतंकवादी समाज के लिए आदर्श न बनें।

आसानी से प्रभावित होने वाले युवाओं को महिमामंडित या उनकी प्रशंसा नहीं की जानी चाहिए। कुछ उच्च समर्थक-
तूफ़ान सिंह उर्फ जुगराज सिंह जैसे आतंकवादियों ने हजारों की संख्या में सभाएं आयोजित की थीं।
बटाला जिले के बुचियां जिले के मरही गांव का. राज्य के लिए चिंता का एक अतिरिक्त क्षेत्र
इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि सांप्रदायिक तनाव भड़काने के अदृश्य हाथों के प्रयासों को विफल किया जा सके।
तुरंत नियंत्रण में लाया गया। इस पृष्ठभूमि में पर्याप्त अनुपालन किया गया, यहाँ तक कि इसके लिए भी।
अंतिम संस्कार/दाह संस्कार। विस्तृत एफआईआर विधिवत दर्ज की गई, पोस्टमार्टम किया गया, इन-
जांच रिपोर्ट विधिवत प्राप्त की गई और जहां भी संभव और उचित हो, प्रयास किए गए।
ग्राम प्रधान/निकट संबंधियों को सूचित करने के लिए।
इसके बाद आवेदन में यह कहा गया कि: “निष्पक्ष सुनवाई से समझौता न हो यह सुनिश्चित करने के लिए...”
गलत समझा गया, सार के मुद्दे को साबित करने का बोझ राज्य पर नहीं बल्कि पर होना चाहिए
याचिकाकर्ता समिति।”
आवेदन में यह भी कहा गया है कि "एफआईआर का अनुवाद करने का विशाल कार्य" पंजाबी से अंग्रेजी में अनुवाद का कार्य पूरा हो चुका है और आवश्यकता पड़ने पर इसे दाखिल किया जा सकता है।
आयोग के साथ, अधिमानतः पुलिस अधिकारियों के नामों के बिना।"
इस प्रस्ताव में मुख्य बिंदुओं को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत करने का सुझाव दिया गया:
क्या लावारिस शवों के दाह संस्कार की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन न करने में मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है, या पर्याप्त अनुपालन किया गया है और इसलिए, मृत शरीर की गरिमा सुनिश्चित करने में मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ है?
क्या प्रथम दृष्टया राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के किसी कर्मचारी द्वारा कोई गैरकानूनी मौत हुई है?
क्या पंजाब में आतंकवाद के मौजूदा माहौल की वास्तविकता
146 राख में तब्दील

क्या सार्वजनिक कानून के तहत नुकसान की भरपाई के निर्धारण और उससे संबंधित मुद्दों पर विचार करने में इनका कोई महत्व है?
उपरोक्त घटना के परिणामस्वरूप इन सरकारों के संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही और उससे उत्पन्न होने वाली जवाबदेही निर्धारित करने के मानदंड क्या हैं?
उपरोक्त अधिकारियों के उत्तरदायी होने की स्थिति में, संबंधित सरकारों का परिणामी दायित्व; और
यदि कोई हो तो मुआवजा सहित राहत;
सबूत पेश करने का दायित्व सभी पक्षों पर है।
इस आवेदन का सार स्पष्ट है। पंजाब राज्य, जबकि

अपनी खामियों को स्वीकार करते हुए, वह तथाकथित युद्धकालीन स्थिति के आधार पर उन्हें उचित ठहराने का प्रयास करता है।
जो न्याय व्यवस्था सहित नागरिक संस्थानों की पूर्ण विफलता के साथ प्रचलित हुआ।
प्रणाली। यह तर्क देता है कि इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद, इसने काफी हद तक
उन निकायों से संबंधित कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, जिनके बारे में उसका दावा है कि,
किसी भी स्थिति में, वे केवल "निर्देशात्मक" थे, "अनिवार्य" नहीं। यही बात बार-बार दोहराई जाती रही है।
पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस के बारे में, शुरुआत से ही अनौपचारिक बयान। इस मामले में। उन्होंने हमारे द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को मौखिक रूप से स्वीकार कर लिया है।
उन्होंने इनका विरोध किया, लेकिन यह कहकर इन्हें उचित ठहराने की कोशिश की कि अगर भारत को ऐसा करना ही था तो यह आवश्यक था।
उनका बाल्कनीकरण नहीं किया जाना था।
न्यायमूर्ति वर्मा ने अपने "मुख्य बिंदुओं" को पुनः प्रस्तुत करने से इनकार कर दिया। वकील ने
पंजाब राज्य ने आयोग से और समय मांगा ताकि वह अपने पक्ष में फैसला कर सके। मुवक्किल को आयोग के विचार के लिए प्रस्तुत किया गया। मामले को दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया। 16 तारीख को
सितंबर 2002 में, आयोग ने दर्ज किया कि पंजाब राज्य ने "प्रशंसा की है-
इस तथ्य को "संबोधित" किया गया कि यह साबित करने का भार उन पर था कि वे इसके लिए जिम्मेदार नहीं थे
उन पर लगाए गए अपराधों का आरोप राज्य सरकार पर था। आयोग ने अल-
राज्य सरकार की दस्तावेजों का निरीक्षण करने की अनुमति देने की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया गया।
सीबीआई को निर्देश दिया और राज्य सरकार को इस संबंध में अपना हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।
31 अक्टूबर 2002 तक 582 शवदाह संस्कार की पहचान की गई।
एनएचआरसी ने मामले की अगली सुनवाई 8 नवंबर 2002 को निर्धारित की।
हालांकि, मामले को पहले 21 नवंबर 2002 तक के लिए स्थगित किया गया था और उसके बाद भी स्थगित किया गया।
अनिश्चित काल के लिए। इस बीच, पंजाब राज्य ने 583 हलफनामों में से 150 से भी कम हलफनामे दायर किए हैं।
डेविट्स जिन्हें दाखिल करने का निर्देश दिया गया था।
यह पंजाब में गुप्त दाह संस्कार के मामले का छह साल लंबा कानूनी इतिहास है।
दिसंबर 1996 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजस्व आयोग (एनएचआरसी) को सौंपे जाने के बाद...
सीबीआई की रिपोर्ट से उत्पन्न सभी मुद्दों की गहन जांच करना और उनका निर्धारण करना, जो
अपने ही शब्दों में, इसने "बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन" स्थापित किया है।

अध्याय तीन

कार्यप्रणाली 147

कार्यप्रणाली
148 राख में तब्दील

कार्यप्रणाली 149

पंजाब में गुमशुदा लोगों के समन्वय के लिए गठित समिति (सीसीडीपी) के गठन के पीछे मुख्य उद्देश्यों में से एक यह था, जैसा कि इसके उद्देश्यों के ज्ञापन में अपनाया गया है।
9 नवंबर 1997 को कहा गया था कि इसका उद्देश्य "एक स्वैच्छिक तंत्र विकसित करना था ताकि एकत्र किया जा सके और
राज्य भर से लापता हुए लोगों के बारे में जानकारी संकलित करना और
यह सुनिश्चित किया जाए कि पुलिस द्वारा अपहरण के मामलों के परिणामस्वरूप मृतकों का अवैध रूप से अंतिम संस्कार न हो।
कार्यवाही सार्थक ढंग से आगे बढ़ती है और एक न्यायसंगत और संतोषजनक अंतिम आदेश में परिणत होती है।
पंजाब में अपने दस्तावेज़ीकरण प्रयासों की शुरुआत से ही हमने यह महसूस किया कि
राज्य के मानवाधिकार दायित्वों और पीड़ितों के अधिकारों के बारे में तर्क स्वीकृति, प्रतिपूर्ति और क्षतिपूर्ति तभी प्रभावी हो सकती है जब सूचना- उल्लंघनों और उनकी गंभीरता के बारे में जानकारी वस्तुनिष्ठ रूप से उपलब्ध हो गई।
सटीक और मानकीकृत प्रारूप। राज्य एजेंसियों द्वारा किए गए कड़े खंडनों के बावजूद।
और दण्डमुक्ति के लिए एक जोरदार अभियान के बीच, अगर हम
पुलिस द्वारा अपहरण और उसके परिणामस्वरूप गुप्त रूप से शवों को ठिकाने लगाने के मामले में वास्तव में पर्याप्त चिंता थी।
शवों के मामले को सुलझाते हुए एक न्यायसंगत और संतोषजनक निष्कर्ष पर पहुंचना आवश्यक था। इसके लिए एक प्रभावी प्रक्रिया की आवश्यकता थी। जमीनी स्तर पर गहन जांच-पड़ताल करने का तंत्र। दुर्भाग्यवश-
सौभाग्य से, सीसीडीपी में शामिल होने वाले संगठनों और व्यक्तियों की बड़ी संख्या ने
दस्तावेज़ीकरण के थकाऊ और नीरस काम में भाग लेने में असमर्थ थे।
जिसमें हफ्तों तक गांवों में यात्रा करना और रहना शामिल था। केवल एक छोटी सी टीम
स्वयंसेवकों ने समिति के गठन के मूल उद्देश्य को बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास जारी रखे।
दस्तावेज़ीकरण के पहले चरण में घटना रिपोर्ट प्रपत्र भरना शामिल था। सीसीडीपी द्वारा पीड़ितों के करीबी रिश्तेदारों द्वारा तैयार और प्रसारित, जिसमें सहायता प्राप्त थी।
यदि रिश्तेदार पढ़-लिख नहीं सकते थे, तो समिति के स्वयंसेवकों द्वारा फॉर्म भरा जाता था।
वर्णनात्मक और तथ्यात्मक जानकारी पर समान जोर देते हुए डिज़ाइन किया गया, जिसका उद्देश्य है:
लापता व्यक्तियों की राजनीतिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामान्य परिस्थितियाँ,
साथ ही अत्याचारों की तारीखें और तथ्य तथा आरोपों की पुष्टि करने वाले साक्ष्य भी।
गेटेशन.1

समिति के स्वयंसेवकों द्वारा लिए गए प्रपत्रों की संख्या और वे तिथियां जिन पर उन्होंने प्रपत्र भरे थे।
स्वयंसेवकों के नाम और पते के साथ-साथ उन्हें एक रजिस्टर में दर्ज किया गया था।
स्वयंसेवकों के लौटने पर भी इसी तरह की प्रविष्टियाँ, नामों और तारीखों के साथ, दर्ज की गईं।
उन्हें कार्यालय ले जाओ।
डाक द्वारा वापस भेजे गए प्रपत्रों को एक अलग रजिस्टर में दर्ज किया गया।
प्रत्येक प्रपत्र को एक विशिष्ट संख्या दी गई और उसकी प्राप्ति की पुष्टि की गई। यदि जानकारी अपर्याप्त या भ्रामक थी, तो हमने उसे सुधार के अनुरोध के साथ वापस लिखा।
स्पष्टीकरण और पूरक विवरण।
सूचनाओं की क्रॉस-चेकिंग के बाद प्रत्येक फॉर्म के लिए एक स्टेटस रिपोर्ट तैयार की गई।
यदि कोई वकील शामिल था, तो उससे और सहायता करने वाले स्वयंसेवक से भी बात की।
शिकायतकर्ता को फॉर्म भरना पड़ा। इससे सत्यापन का दूसरा चरण शुरू हुआ, जो

1 परिशिष्ट II देखें।
150 राख में तब्दील

प्रत्येक व्यक्ति की जटिल और अनूठी स्थिति को समझने के लिए नए साक्षात्कार आयोजित किए गए।
पीड़ित की पहचान करना और तथ्यों की प्रस्तुति पर इसके संभावित प्रभाव का अनुमान लगाना।
टेप पर रिकॉर्ड किए गए सभी साक्षात्कारों की प्रतिलिपियाँ और साथ ही सभी हस्तलिखित नोट्स भी।
घटना रिपोर्ट की फाइलों में उन्हें उनकी विशिष्ट क्रमांकन के साथ शामिल किया गया है, साथ ही
प्रेस रिपोर्टों, अदालती दस्तावेजों और व्यक्तिगत पत्रों सहित किसी भी अन्य सामग्री के साथ।
इनमें मामलों से संबंधित जानकारी शामिल है। इनका अध्ययन करने पर चौंका देने वाली जटिलताएँ सामने आती हैं।
सत्यापन प्रक्रिया की जटिलता, बार-बार और चक्रीय प्रश्नोत्तर, जाँच-संपूर्ण और प्रामाणिक रिपोर्टिंग प्रक्रिया सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समीक्षा और क्रॉस-चेकिंग की जाती है।
हालांकि यह प्रक्रिया समय लेने वाली, श्रमसाध्य और भावनात्मक रूप से थका देने वाली थी-
यह बात विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पीड़ितों की गरिमा के लिए यह आवश्यक है कि हम उनसे उनकी स्थिति के अनुसार बात करें।
अपनी गति और अपनी शर्तों पर आगे बढ़ते हुए, इसने हमें प्रचुर मात्रा में जानकारी प्रदान की है।
और अंतर्दृष्टि, जो हमें हिंसा के व्यापक प्रणालीगत पहलुओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है।
इस अनुभव ने हमें तथ्यों की तकनीकों के बारे में भी कुछ सबक सिखाए हैं।

ये निष्कर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में डेटा संग्रह में शामिल अन्य लोगों के लिए उपयोगी होने चाहिए।
राजनीतिक हिंसा और राज्य दमन से त्रस्त, बड़े पैमाने पर निरक्षर समाज।

साक्षात्कार प्रक्रिया
इस कार्य की जटिलताओं को समझाने के लिए, हम एक मानक उदाहरण देंगे:
जबरन गुम किए गए व्यक्ति का रिश्तेदार, जैसे कि माँ, पिता या कोई अन्य व्यक्ति।
घटना की रिपोर्ट करने वाली पत्नी निरक्षर है। रिश्तेदार ने एक प्रति प्राप्त कर ली है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र प्राप्त कर लिया है और एक स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता से संपर्क किया है जो इसे भर सकता है।
संभवतः, उस क्षेत्र का कोई राजनीतिक कार्यकर्ता, जो सीसीडीपी से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, ने ऐसा किया है।
घटना को दर्ज करने के लिए परिवार के पास गया। सीधा और सरल प्रश्न यह है कि...
जिस प्रश्न का उत्तर देना है वह है: घटना कब घटी? यह सुनने में तो सरल लगता है,
लेकिन घटना की रिपोर्ट करने वाले परिवार के सदस्य के पास घटना से संबंधित कोई लिखित नोट्स नहीं हैं।
विवरण। स्थानीय समाचार पत्र ने या तो घटना की रिपोर्ट नहीं की या उसकी प्रति गायब हो गई है।
खो गया। रिपोर्टर को ठीक से याद नहीं है कि यह चार साल पहले हुआ था या पांच साल पहले।
सर्दी का मौसम नजदीक आ रहा था और खेतों में फसलें बहुत ऊंची हो गई थीं; कटाई शुरू होने वाली थी।
अभी भी "कई" सप्ताह बाकी थे। घटना घटित होने के समय के इतने ही करीब आप हैं।
कहानी सुनकर काम चल सकता है। या फिर, परिवार के सदस्य को साल तो पता हो सकता है लेकिन उसे खुद भी नहीं पता हो सकता।
महीना और तारीख; शायद, अगर कोई भाग्यशाली हो, तो उसे ये विवरण भी पता हो सकते हैं।
भारतीय पंचांग प्रणाली के स्थानीय रूपांतरण के अनुसार, मान लीजिए माघ महीने की 16 तारीख!
फॉर्म भरने वाला स्वयंसेवक, बेशक, जानकारी नोट कर सकता है।
शब्दशः। इसे वर्गीकृत करना, गिनना और हल करना आसान होगा। हो सकता है उसके पास हो
सटीकता के बारे में उनके अपने विचार तो थे, लेकिन उन्हें हासिल करने के लिए पर्याप्त समझ या प्रशिक्षण नहीं था। पसंद नहीं आया।
अनिश्चित बयानों के आधार पर, वह चार या पांच वर्षों को एक निश्चित संख्या में बदल सकता है और
वर्ष की गणना 1992 के रूप में करें।
बेशक, किसी वस्तु के निश्चित वर्ष, माह और तिथि को निकालने के तरीके मौजूद हैं।

वह किसान हैं और पढ़ना-लिखना भी जानते हैं। 22 अगस्त 1991 को उनके बेटे का अपहरण कर लिया गया।
स्थानीय बस स्टैंड पर कुछ अज्ञात लोग मौजूद थे। एक दुकानदार अपहरण होते हुए देखता है, लेकिन
अपहरणकर्ताओं की पहचान नहीं कर पा रहा है, या डर के मारे उनके नाम उजागर नहीं करना चाहता है।
वह औपचारिक गवाह बनने से भी डरता है।
पांच दिन बाद, एक अखबार ने उसके अपहृत बेटे की कथित मौत की खबर छापी। जिले के एक पुलिस स्टेशन के कुछ अधिकारियों और एक समूह के बीच सशस्त्र झड़प हुई।
अज्ञात आतंकवादियों के बारे में। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक आतंकवादी, जिसकी पहचान बाद में XY के रूप में हुई,
सिंह का बेटा मारा गया जबकि अन्य लोग बच निकले।
XY सिंह जानता है कि रिपोर्ट झूठी है। उसे वास्तव में यह नहीं पता कि किन अधिकारियों ने यह रिपोर्ट बनाई है।
उसके बेटे का अपहरण कर लिया गया था। लेकिन समाचार रिपोर्ट पढ़ने के बाद, उसे यकीन हो गया कि अधिकारियों ने
कथित संघर्ष में उसकी हत्या करने वाले ही इसके लिए जिम्मेदार हैं।
उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के इरादे से, एक्सवाई सिंह परामर्श लेते हैं।
एक स्थानीय वकील उसे बताता है कि जब तक कोई गवाह पहचान नहीं कर सकता, पुलिस यदि अधिकारियों को अपहरणकर्ता बताया जाता, तो अदालत उनके आरोप पर विचार नहीं करती। अतः,
इस विशेषज्ञ की सलाह के प्रभाव में आकर, एक्सवाई सिंह एक झूठा गवाह पेश करने का फैसला करता है।
किसी रिश्तेदार का यह दावा करना कि वह भी उस समय बस स्टैंड पर मौजूद था जब अमुक घटना हुई थी।

2. भारतीय पंचांग 360 दिनों के एक वर्ष को 28 या 29 दिनों के 12 चंद्र महीनों में विभाजित करते हैं, जिसमें समायोजन किया जाता है।
एक जटिल प्रणाली के कारण, जिसमें एक लीप माह को बीच में शामिल किया जाता है, कुछ विसंगतियाँ हैं। इन महीनों के नाम हैं: चैत्र (मार्च-अप्रैल), वैशाख (अप्रैल-मई), ज्येष्ठ (मई-जून), आषाढ़ (जून-जुलाई), श्रावण (जुलाई-अगस्त), भाद्रपद (अगस्त-सितंबर), अश्विन (सितंबर-अक्टूबर), कार्तिक (अक्टूबर-नवंबर), मार्गशीर्ष (नवंबर-दिसंबर), पौष (दिसंबर-जनवरी), माघ (जनवरी-फरवरी) और फाल्गुन (फरवरी-मार्च)। सही तुलना न होने पर भ्रम और त्रुटि अपरिहार्य है, क्योंकि भारतीय महीने ग्रेगोरियन कैलेंडर के दो महीनों के साथ ओवरलैप करते हैं।
152 राख में तब्दील

अधिकारियों ने अपहरण को अंजाम दिया। या, वह घटना स्थल को बदलने का फैसला करता है।
अपहरण के मामले में यह दावा करना कि अधिकारियों ने उसके बेटे को उसके घर से उठा लिया है।

उच्च न्यायालय से नोटिस प्राप्त होने के बाद, अधिकारी शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं।
जिम्मेदारी से इनकार करते हुए। हलफनामे में कुछ जानकारी भी शामिल है।
जिससे यह संकेत मिलता है कि अपहरण के समय वे किसी अन्य स्थान पर थे।
घटना घटी, और अदालत ने याचिका खारिज कर दी। लेकिन पिता को मजबूर होना पड़ा। हमारे स्वयंसेवकों के सामने मनगढ़ंत सबूतों को दोहराएं, कहीं ऐसा न हो कि उनकी घटना-रिपोर्ट
उच्च न्यायालय के समक्ष दिए गए उनके बयान के रिकॉर्ड से असंगत प्रतीत होता है। यदि
उनका साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति धैर्यवान और दृढ़ है, और जवाब देने में संकोच नहीं करेगा।
स्थानीय स्तर पर तथ्यों की अच्छी तरह से जाँच करने के बाद, वह कुछ बार ऐसा कर लेता था और उसे पता चल जाता था कि...
सत्य। यदि XY सिंह "संगति" पर जोर देते हैं, तो घटना रिपोर्ट को बाहर रखा जाएगा।
सर्वेक्षण से।

तथ्य-खोज में सत्यनिष्ठा
मुख्य रूप से तीन स्वयंसेवकों की हमारी टीम ने इस तरह की कठिन प्रक्रिया से गुजरते हुए सफलता प्राप्त की है।
अपनी जांच के पांच वर्षों में इसने 1,703 घटना रिपोर्ट प्रपत्र एकत्र करने में सफलता प्राप्त की।
अक्टूबर 1997 से अक्टूबर 2002 तक का कार्य। हमारे अनुभवों का विवरण।
क्षेत्र में और इस कार्य को पूरा करने में हमें जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उनके बारे में हम आपको बताएंगे।
यह एक दिलचस्प गाथा प्रस्तुत करता है, जो समान गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों और संगठनों के लिए भी उपयोगी है।
बड़ा काम। वह कहानी किसी और दिन सुनानी पड़ेगी, लेकिन कुछ विचार... तथ्य-खोज प्रक्रियाओं की सत्यनिष्ठा, विश्वसनीयता और निष्पक्षता के मुद्दों से संबंधित।
यह उचित रहेगा।
सीसीडीपी की तथ्य-खोज प्रक्रिया दिसंबर 1996 से शुरू हुई थी।
सु द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को दिए गए संदर्भ में... सीबीआई की रिपोर्ट में 2,098 अवैध पुलिस शवदाह की पुष्टि होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की पैरवी की।
अमृतसर जिले के तीन श्मशान घाटों में पंजाब पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के बाद
सर्वोच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि बड़े पैमाने पर "मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन" हुआ है।
व्यापक स्तर पर घटना घटित हुई थी। यह निष्कर्ष व्यक्ति द्वारा पहले ही निकाला जा चुका था।
मानवाधिकार कार्यों में वर्षों बिताने के बाद सीसीडीपी में शामिल होने वाले संगठनों और अन्य संस्थाओं के लिए।
पंजाब। तथ्य-खोज अभियान के लिए संदर्भ की शर्तें स्वयं ही परिभाषित हो गईं।

अवैध गिरफ्तारियों और हिरासत, हिरासत संबंधी जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता के कारण
यातना, अवैध रूप से संपत्ति की ज़ब्ती और विनाश, मनमानी फाँसी, आदि। सुरक्षा बलों द्वारा किए गए जबरन गायब करना और शवों का अवैध निपटान पंजाब में बलों को मानकीकृत और सत्यापन योग्य रूप में प्रस्तुत करना, उद्देश्यों के लिए सहायक होगा।
न्याय और क्षतिपूर्ति एवं मुआवजे का निर्धारण। हमने मान लिया कि ये पंजाब में सुरक्षा बलों की कार्रवाई घृणित और भारत की सीमाओं का उल्लंघन करने वाली थी।
यह अपने संवैधानिक गारंटियों के साथ-साथ अपने अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों का भी पालन करता है।
ये मान्यताएँ "व्यक्तिपरक बोधगम्य समूह" या मानक प्रस्ताव का निर्माण करती हैं।
हमारे क्षेत्र अनुसंधान का मार्गदर्शन करने वाली स्थितियाँ। इन स्पष्ट रूप से परिभाषित मानदंडों को लागू करने के लिए
तथ्य-खोज के प्रयास के मानकों को हमने तटस्थ रूप से कम कर दिया। विशिष्ट प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ रूप से प्राप्त किया जाना है, जिसके लिए डिजाइन का उपयोग किया जाना है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र, राजनीतिक भावनाओं और व्यक्तिपरकता के हस्तक्षेप के बिना।
धारणाएँ। जबकि हमारी तथ्य-खोज प्रक्रिया इस प्रकार सीमित हो गई है। “दिए गए” ढांचे के लिए, हमने “गैर-दिए गए” प्राप्त करने के लिए एक कठोर दृष्टिकोण अपनाने का विकल्प चुना।
संबंधित तथ्यों को, प्रत्येक मामले की विशिष्टताओं को मानकीकृत प्रारूप में दर्ज करने के लिए,
कार्यप्रणाली 153

यह तय करें कि मौलिक मानवाधिकारों का "घृणित उल्लंघन" हुआ था या नहीं। घटित हों। घटना रिपोर्ट प्रपत्र पर प्रत्येक शिकायत प्राप्त करके, हमने यह सुनिश्चित किया है कि
हमारी तथ्य-जांच के संपूर्ण परिणाम सार्वजनिक किए जाने, जांच-पड़ताल और आगे की प्रक्रिया के लिए खुले हैं।
जांच। इसका यह भी अर्थ है कि रिपोर्टों में निहित आरोप लिखित रूप में हैं। यह विस्तृत, तथ्यों पर आधारित है और यदि राज्य एजेंसियों द्वारा इसे गलत साबित किया जाता है तो इसकी जांच की जा सकती है।
विपरीत साक्ष्य प्रदान करने का विकल्प चुनें। डेटा एकत्र करने की हमारी विधि यह सुनिश्चित करती है कि
मानवता के विरुद्ध अपराधों के संदिग्ध अधिकारी हमेशा विशिष्ट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
उन आरोपों के बारे में जिनका उन्हें जवाब देना होगा, यदि वे चाहें तो, और जिरह कर सकते हैं।
वे सबूत पेश करेंगे और यदि संभव हो तो उनका खंडन करेंगे।
दुर्भाग्यवश, जैसा कि जन आयोग के साथ हमारे प्रयोग से पता चला,
पंजाब राज्य और इस प्रतिवाद में शामिल केंद्र सरकार की एजेंसियां-

विद्रोहियों के अभियानों ने हमारे साथ जुड़ने की अपीलों को पूरी तरह से अनसुना कर दिया।
तथ्यों की अधिक खुली और सार्वजनिक खोज। सहयोग करने से उनका कड़ा इनकार। किसी भी तरह से इसने हमें पीड़ित की गवाही को आरोपी के विरुद्ध परखने के अवसरों को समाप्त कर दिया।
राज्य एजेंसियों के पास मौजूद संभावित भ्रामक साक्ष्य। इसने न केवल हमें बाध्य किया
हमारे शोध को पीड़ित समुदाय की गवाही तक सीमित रखने के बजाय, इसने हमें मजबूर भी किया कि...
हम अपने अनुभवजन्य और मानक डेटाबेस के निर्माण में कठोर मानकों का पालन करते हैं।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र को डिजाइन करते समय, हमने अपने सूचनादाताओं के हस्ताक्षर प्राप्त करने का विकल्प चुना था।
सभी मामलों के सारांश में गुमनाम शिकायतों को पूरी तरह से बाहर रखा गया है।
निम्नलिखित अध्याय में दोषी ठहराए गए लोगों से संबंधित हमारे मुखबिरों की पूरी पहचान का खुलासा किया गया है।
यह कथन कि सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजस्व आयोग (एनएचआरसी) ने मामले पर अपना "अधिकार" बरकरार रखा है-
इससे उन्हें संभावित प्रतिशोधात्मक प्रतिक्रियाओं से सुरक्षा मिलेगी। स्वाभाविक रूप से, हमने यह कदम उठाया है।
तत्काल परिवार के सदस्यों के अलावा अन्य गवाहों के नाम उजागर न करने का ध्यान रखें।
शिकायत के लिए उत्तरदायी ठहराए जाने योग्य व्यक्तियों को राज्य एजेंसियों द्वारा प्रतिशोध से बचाने के लिए।
हमने अपने फील्ड शोधकर्ताओं के चयन में विशेष ध्यान दिया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि
वे निष्पक्ष थे, किसी विशिष्ट परिणाम के प्रति प्रतिबद्ध नहीं थे, "जिम्मेदार थे"
केवल उनकी अंतरात्मा ही" और वस्तुनिष्ठ तथ्यों को पक्षपातपूर्ण तथ्यों से अलग करने में सक्षम।
जानकारी, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सी. वाइल्ड्रेड जेनक्स ने जोर दिया था।3
शोधकर्ताओं की निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर जोर देने से वास्तव में योगदान मिला।
समिति के सदस्यों की संख्या कम होने के कारण। लेकिन हमने शारीरिक शक्ति को खोना चुना।
डेटा की पवित्रता और लचीलेपन से समझौता करने के बजाय समिति के उद्देश्यों को प्राथमिकता दी गई।
अनुसंधान के मानकों में योग्यता।

मध्यकाल विवरण
जुलाई 1999 के अंत तक, सीसीडीपी ने पहले ही 849 मामले संकलित कर लिए थे, जिनमें शामिल थे

अनैच्छिक गुमशुदगी और मनमानी हत्याएं। यह संकलन एक सूत्र के रूप में कार्य करता था।
838 घटना रिपोर्टों के गहन विश्लेषण का आधार, जिसे इसमें शामिल किया गया था
समिति की अंतरिम रिपोर्ट अगस्त 1999 में जारी की गई थी। सर्वेक्षण में निम्नलिखित बातें सामने आईं:
मुख्य बातें:

3 सी. डब्ल्यू. जेनक्स, "ट्रेड यूनियन अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण", द इंटरनेशनल प्रोटेक्शन ऑफ में
मानवाधिकार, 210, 239, [संपादक लुआर्ड, 1967]
154 राख में तब्दील

जिलेवार वितरण आयु के अनुसार वितरण
District Number of Cases Age Number of Cases Amritsar 287 15-20 142 Bhatinda 47 21-25 256 Faridkot 2 26-30 157 Fatehgarh Sahib 19 31-35 86 Ferozepur 11 36-40 51 Gurdaspur 119 41-45 34 Hoshiarpur 9 46-50 21 Jalandhar 9 51-55 17 Kapurthala 11 56-60 15 Ludhiana 69 61-65 4 Mansa 7 66-70 7 Moga 11 71-75 3 Nawan Shahr 4 76-80 4 Patiala 23 Unknown 38 Ropar 79 Total 838 Sangrur 126
अन्य 5 का वर्षवार वितरण, कुल योग 883
वर्ष मामलों की संख्या
व्यावसायिक प्रोफ़ाइल 1985 1984 22
2

व्यवसाय 1986 7 मामलों की संख्या किसान 1987 28 398
वेतनभोगी कर्मचारी 1988 33 81 छात्र 1989 47 69
तकनीकी स्व-उद्यमी 1990 57 47 पुलिसकर्मी एवं अधिकारी 1991 181 37 सुरक्षा बलों का 1992 257
ड्राइवर 1993 135 35
व्यवसायी 1994 21 31
धार्मिक कार्यकर्ता 1995 9 22
पेशेवर 1996 0 22
बिजली कर्मचारी 1997 0 16
राजस्व एवं प्रशासन अज्ञात 39 16
कृषि उद्यम कुल 838 17
विविध 12 बैंक एवं लेखा 4 शैक्षिक प्रोफ़ाइल बेरोजगार 28 अज्ञात 17 वर्ष मामलों की कुल संख्या 838 प्राथमिक 96
मध्य 136
हाई स्कूल 280
उच्च माध्यमिक 68
कला स्नातक 57
विज्ञान स्नातक 4

कानून स्नातक 3
मेडिकल स्नातक 1
इंजीनियरिंग में डिप्लोमा 4 स्नातकोत्तर 7
निरक्षर 182
कार्यप्रणाली 155

वैवाहिक स्थिति
838 पीड़ितों में से 403 विवाहित थे और 435 अविवाहित थे।

आघात के कारण होने वाली मौतें
838 घटनाओं में से 222 में, परिवार के एक या अधिक सदस्यों की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
सदमे के कारण मृत्यु हो गई है।

मनोवैज्ञानिक प्रभाव
इन घटनाओं का मनोवैज्ञानिक प्रभाव, जिसके परिणामस्वरूप मनोविकार संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं...
यह व्यापक रूप से प्रचलित है। यह धारणा इस तथ्य से सिद्ध होती है कि 838 में से 500
मामलों में एक या अधिक सदस्यों पर पागलपन सहित विकृत मनोवैज्ञानिक प्रभावों की रिपोर्ट की गई है।
उनके परिवार के सदस्य।

संपत्ति का विनाश
सदमे के कारण करीबी रिश्तेदारों की मौत से जुड़े 222 मामलों में से 58 मामलों में, सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही बरती गई।
बलों ने अवैध रूप से पारिवारिक संपत्तियों को नष्ट किया, क्षतिग्रस्त किया और जब्त किया। कुल मिलाकर,
सुरक्षा बलों, मुख्य रूप से पंजाब पुलिस ने, नष्ट किया, क्षतिग्रस्त किया और जब्त किया।
224 मामलों में पारिवारिक संपत्तियां।

घरों से अपहरण
बाद में लापता हुए 241 से अधिक लोगों को उनके घरों से अगवा किया गया था।

चश्मदीद गवाह
पुलिस द्वारा अपहरण के 530 मामलों के चश्मदीद गवाह मौजूद हैं।

पुलिस हिरासत में देखा गया
290 मामलों में, ऐसे व्यक्ति शामिल थे जो अंततः लापता हो गए या जिनके बारे में कहा गया कि उनकी हत्या कर दी गई।
सशस्त्र संघर्षों में शामिल लोगों को पुलिस हिरासत में उनके रिश्तेदारों ने देखा था।

उनका अपहरण अक्सर पुलिस स्टेशनों और पूछताछ केंद्रों के लॉक-अप में होता था।

न्यायिक सहारा
लापता हुए 149 पीड़ितों के परिजनों ने अदालतों का रुख किया, मुख्य रूप से उच्च न्यायालय का।
156 राख में तब्दील

पंजाब और हरियाणा की अदालतों में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं के साथ। अधिकांश याचिकाएँ-
अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से इनकार किए जाने के बाद याचिकाएँ खारिज कर दी गईं। कुछ याचिकाएँ अभी भी विचाराधीन हैं।
मामला अभी लंबित है, हालांकि याचिकाकर्ता स्वयं कार्यवाही से अनभिज्ञ हैं।
पीड़ित परिवारों में से अधिकांश, सटीक रूप से कहें तो 689, ने अदालतों का रुख नहीं किया।
पुलिस के डर या गरीबी के कारण।

समाचार पत्रों की रिपोर्ट
इनमें से चार सौ सड़सठ घटनाओं की रिपोर्ट स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी।
मुख्यतः पुलिस की सूचनाओं और पर्चों के आधार पर, जिनमें दावा किया गया है कि मौतें या तो इसके परिणामस्वरूप हुईं।
कथित सशस्त्र झड़पों, जिन्हें "मुठभेड़" कहा जाता है, या पुलिस हिरासत से भागने के रूप में।

और अधिक गुमशुदा लोगों के बारे में खुलासा
127 मामलों में, रिश्तेदारों ने अन्य घटनाओं से संबंधित संवेदनशील जानकारी होने का दावा किया।
अवैध अपहरण और हिरासत में हत्याओं के 390 अतिरिक्त मामले सामने आए। अवैध अपहरण जिनके परिणामस्वरूप लापता होना और हिरासत में हत्याएं होती हैं, उन्हें इस प्रकार समझाया गया है:
मुठभेड़ या हिरासत से भाग निकलना।

कई पारिवारिक घटनाएँ
193 मामलों में, परिवार के एक से अधिक सदस्यों का अपहरण किया गया, वे लापता हो गए और
हत्या कर दी गई।

मृत शरीरों की वापसी
केवल 74 मामलों में ही पुलिस ने शवों को दाह संस्कार के लिए परिवारों को लौटाया।

हिरासत में यातना

सात सौ उनसठ घटनाओं में बलात्कार सहित क्रूर हिरासत में यातना देने की रिपोर्ट दर्ज की गई है।
न केवल उन पीड़ितों के बारे में जो अंततः लापता हो गए या मारे गए, बल्कि उनके बारे में भी
निकट संबंधी।
सीसीडीपी द्वारा प्राप्त सभी 1,703 घटना रिपोर्टों का विश्लेषण और मुख्य बिंदु।
अब तक संकलित की गई जानकारी को इस अंतिम रिपोर्ट के दूसरे खंड में प्रस्तुत किया जाएगा।

अंतिम रिपोर्ट का पहला खंड
अंतिम रिपोर्ट के इस पहले खंड में, हम 513 मामलों का सारांश प्रस्तुत कर रहे हैं।
अमृतसर जिले में पुलिस द्वारा अपहरण के कारण अवैध दाह संस्कार की घटनाएं सामने आई हैं।
सीबीआई द्वारा दिसंबर 1996 में जारी की गई दाह संस्कार की तीन सूचियाँ। कार्यप्रणाली 157

भारत के सर्वोच्च न्यायालय को रिपोर्ट। हमने व्यक्तिगत रूप से इन 513 मामलों की जांच की है।
सीबीआई की सूचियों में शामिल 672 लोगों के बारे में जानकारी देने वाले मामले। इन 672 लोगों में से
582 पहचाने गए शवदाह की सूची में से 444 मामले हैं, जबकि 278 शवदाह की सूची में से 79 मामले हैं।
आंशिक रूप से पहचाने गए शवदाह संस्कारों में से 149 शव 1,238 अज्ञात शवदाह संस्कारों की सूची में से हैं।
नामों के मिलान के अलावा, पिता के नाम और निवास स्थान का भी मिलान करना होगा।
उपलब्ध जानकारी के आधार पर, हमने सीबीआई सूचियों में मौजूद रिकॉर्ड का मिलान अपने घटना रिपोर्ट प्रपत्रों से किया।
पुलिस स्टेशनों का मिलान करके और दाह संस्कार की तारीखों की तुलना समाचार पत्रों से करके
पुलिस द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों के आधार पर, जिनमें मृत्यु की तारीख दी गई हो, या हमारे मुखबिरों की जानकारी के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई हो।
मृत्यु या दाह संस्कार के बारे में चिंता। प्रस्तुति से पहले विश्लेषणात्मक नोट्स।
सारांश प्रस्तुत करें, उनके प्रमुख बिंदुओं को उजागर करें और कानूनी विसंगतियों को रेखांकित करें।
सीबीआई की जांच, पुलिस अभियानों और अन्य तथ्यों में विसंगतियां टीएडीए, हिरासत में यातना, संपत्ति का अधिग्रहण और विनाश
पीड़ित परिवारों, सैन्य और अर्धसैनिक बलों की भूमिका, कामकाज निचली न्यायपालिका और डॉक्टरों की भूमिका, जैसा कि 513 मामलों के सारांशों से स्पष्ट होता है।

सीसीडीपी के डेटाबेस में अमृतसर से संबंधित कुल 889 घटना रिपोर्ट दर्ज हैं।
केवल जिले से। अमृतसर जिले से शेष 376 घटना-रिपोर्टों के साथ-साथ
पंजाब के अन्य जिलों से 814 नमूने, दूसरे खंड में प्रस्तुत किए जाएंगे।
अंतिम रिपोर्ट। दूसरे खंड में भी व्यापक विश्लेषण शामिल होगा।
सीसीडीपी का संपूर्ण डेटाबेस और उसकी मुख्य विशेषताएं।
हमारे अनुमान के अनुसार, परिवारों से बचे लोगों में से केवल 10 प्रतिशत ही जीवित हैं।
जिन लोगों को जबरन गायब किया गया और मनमानी हत्याएं की गईं, उन्होंने किसी भी तरह से
रिपोर्ट देने के लिए आगे आएं। यही अनुपात उन लोगों का भी है जिन्होंने संपर्क किया।
न्यायनिर्णय हेतु न्यायपालिका या अन्य संस्थाओं का सहारा लिया जाता है। इससे लगभग 90 प्रतिशत मामले बच जाते हैं।
जिनका दस्तावेजीकरण नहीं हुआ है। यह न केवल चिंता का विषय होना चाहिए, बल्कि
मानवाधिकार संगठनों के साथ-साथ विद्वान समुदाय के उन सदस्यों के लिए भी। इतिहास को संरक्षित करने में रुचि रखते हैं। पीड़ितों के बयानों का बड़ा हिस्सा, जो हमारे पास है
ये सभी संग्रह उन लोगों से प्राप्त हुए हैं जो बूढ़े हैं और शायद ज्यादा समय तक जीवित न रहें।
उनमें से कुछ गरीब और अशिक्षित हैं और "सबूत" का अर्थ नहीं समझते हैं। इसे रिकॉर्ड करने का उद्देश्य। फिर भी वे उस साक्ष्य के भंडार हैं, जो, अन-यदि संकलन शीघ्रता से नहीं किया जाता है, तो उसके पूरी तरह से खो जाने का जोखिम रहता है। यह शायद एक चुनौती है।
मानवाधिकार समूहों के सदस्य और समकालीन रिकॉर्डिंग में शामिल अन्य लोग इतिहास को आगे बढ़ाने के लिए।
हम इस टिप्पणी को जॉर्ज मंगाकिस, जो कि एक प्रोफेसर हैं, के एक उद्धरण के साथ समाप्त करेंगे।
1969 में जब सैन्य जुंटा ने सत्ता पर कब्जा किया, तब एथेंस विश्वविद्यालय में दंड कानून की पढ़ाई चल रही थी।
ग्रीस में। "अनुरूपता की भावना की कमी" के कारण विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया गया।
शासन के साथ" अपने इस रवैये के चलते उन्हें बाद में आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। अपने "पत्र" में उन्होंने लिखा, "शासन के साथ" अपनी जेल कोठरी से "यूरोपियनों" के बारे में लिखते हुए, मंगाकिस ने कहा: "...अपमानित राष्ट्र अपरिहार्य हैं-"
संभवतः इससे या तो घातक पतन, नैतिक और आध्यात्मिक क्षय, या जुनून की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी।
प्रतिशोध के लिए, जिसके परिणामस्वरूप रक्तपात और उथल-पुथल होती है। अपमानित जनता या तो
अपना बदला लो या नैतिक और आध्यात्मिक मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। एक बार जब आप इस अपरिहार्यता को समझ लेते हैं-
किसी न किसी तरह से आपके लोगों के विनाश की संभावना, आपका व्यक्तिगत अपमान है।

जिम्मेदारी की भावना में बदल गया। 4

4. डब्ल्यू. एल. वेब और रोज़ बेल, संपादक, अत्याचारों की शर्मिंदगी: सेंसरशिप पर सूचकांक के 25 वर्ष,
जॉर्ज ब्राज़िलर पब्लिशर, न्यूयॉर्क, 1998, पृष्ठ 31

158 राख में तब्दील

चौथा अध्याय
केस सारांशों का विश्लेषण 159

केस सारांशों का विश्लेषण

इस अध्याय में, हम लागू कानून पर ध्यान केंद्रित करते हुए, अपने केस सारांशों का विश्लेषण करते हैं।
और मानवाधिकार हनन के तौर-तरीके और प्रथाएं। हमारे विश्लेषण इन बातों पर केंद्रित हैं।
निम्नलिखित विषयों पर: केंद्रीय ब्यूरो की विशेषताएं
सीबीआई की जांच, पुलिस शक्तियों का दुरुपयोग,
आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियों (रोकथाम) के उपयोग के निहितार्थ अपराध की अवधारणा, हिरासत में यातना, भारतीय न्यायालय की भूमिका पर अधिनियम (टीएडीए)
सशस्त्र बलों का इस्तेमाल, संपत्ति के अधिकारों का उल्लंघन, निचली न्यायपालिका की मिलीभगत,
और चिकित्सा-कानूनी नैतिकता के मुद्दे।
160 राख में तब्दील

केस सारांशों का विश्लेषण 161

सीबीआई द्वारा जारी अवैध दाह संस्कारों की तीन सूचियाँ
सीबीआई की जांच में हमें जो खामियां मिलीं, वे गंभीर हैं; वे केवल सतही बातों से कहीं अधिक हैं।
तकनीकी समस्याएं उत्पन्न होती हैं और अखंडता के संबंध में मूलभूत प्रश्न उठते हैं।
संस्था का अवैध दाह संस्कार के इस मामले पर दृष्टिकोण। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न।
लापता व्यक्तियों के समन्वय के लिए बनी समिति की तुलना से प्रेरित होकर पंजाब में सीसीडीपी के आंकड़ों और सीबीआई की सूचियों में मौजूद जानकारी के आधार पर, निम्नलिखित आंकड़े सामने आते हैं:
जिन लोगों का अंतिम संस्कार किया गया उनमें से बड़ी संख्या में लोगों के नाम पंजाबी प्रेस द्वारा स्पष्ट रूप से बताए गए थे। सीबीआई उन्हें पहचानने में क्यों विफल रही?
कई पीड़ितों के परिवारों ने सीबीआई अधिकारियों से बात की और अमृतसर स्थित उनके कार्यालय में सूचना भी दर्ज कराई। सीबीआई ने शवदाह की सूचियां तैयार करते समय उस जानकारी का उपयोग क्यों नहीं किया?
कई मामलों में, पुलिस ने शवों को परिजनों को सौंप दिया और पुलिस की मौजूदगी के बिना ही उनके गांवों में अंतिम संस्कार कर दिया गया। सीबीआई ने इन अंतिम संस्कारों को पुलिस द्वारा संपन्न किए गए अंतिम संस्कारों के रूप में क्यों दर्ज किया? अंत में, क्या सीबीआई ने अज्ञात शवों की अपनी तीसरी सूची में शामिल कुछ लोगों की पहचान जानबूझकर छिपाई?
इस नोट में सर्वप्रथम क्रीम के वर्गीकरण संबंधी बुनियादी जानकारी प्रस्तुत की जाएगी।
हम इन्हें तीन सूचियों में विभाजित करेंगे और फिर कुछ तकनीकी, प्रक्रियात्मक और
सीबीआई की सूचियों की जांच से उत्पन्न होने वाली नैतिक समस्याएं। सूचियों का विवरण
सीबीआई के अनुसार, तीन पुलिस थानों के अंतर्गत आने वाले 2,098 शवों का अंतिम संस्कार किया गया।
अमृतसर जिले, विशेष रूप से तरन तारन, अमृतसर और मजीठा को वर्गीकृत किया जा सकता है।
तीन सूचियों में विभाजित: 582 पहचाने गए शवों का अंतिम संस्कार, 278 आंशिक रूप से पहचाने गए शवों का अंतिम संस्कार और
1,238 अज्ञात शवदाह संस्कार। हालांकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों में हमारे द्वारा बताए गए आंकड़ों में मामूली अंतर दिखता है।
इन संख्याओं का उपयोग करें क्योंकि ये सीबीआई की सूचियों की वर्तमान स्थिति को दर्शाती हैं।
इन सूचियों से पुलिसकर्मियों द्वारा किए गए शवदाह के बीच अनियमित अंतराल का पता चलता है, जो कि
किसी भी स्पष्टीकरण के अभाव में, ये बातें समझ से परे हैं।
तरन तारन पुलिस जिले के अंतर्गत चिन्हित 582 शवों की सूची दो शवों से शुरू होती है।

6 जुलाई 1984 और 21 जुलाई 1984 को वेरोवाल और पट्टी पुलिस स्टेशनों द्वारा संपन्न किए गए दाह संस्कार।
जुलाई 1984। सूची में तीसरा अंतिम संस्कार, दो साल और 10 महीने के अंतराल के बाद।
दिनांक 10 मई 1987 है। वर्ष 1987 में कुल पाँच शवदाह हुए; एक शवदाह में हुआ।
मई में, एक जुलाई में और दो अक्टूबर में। पहला दाह संस्कार 1988 में टार्न के नेतृत्व में हुआ था।
तारन पुलिस जिले की यह सूची 29 फरवरी 1988 की है और इसमें कुल 23 लोगों के नाम दर्ज हैं।
162 राख में तब्दील

उस वर्ष में हुए दाह संस्कार। अन्य वर्षों में हुए दाह संस्कार इस प्रकार हैं: 1989 में 33; 1990 में 43;
1991 में 48; 1992 में 124; 1993 में 53 और 1994 में एक।
अमृतसर पुलिस जिले के अंतर्गत, चिन्हित सूची में पहला दाह संस्कार 18 तारीख को दर्ज किया गया है।
अप्रैल 1988। दूसरा दाह संस्कार 2 जून 1988 को हुआ। तीसरा दाह संस्कार इसके अंतर्गत हुआ।
अमृतसर पुलिस जिले का रिकॉर्ड, 10 महीने से अधिक के अंतराल के बाद, 28 अप्रैल 1989 का है।
और सूची में उस वर्ष कुल चार शवदाह दर्ज हैं। इनमें से दो शवदाह
1990 के आंकड़े 30 अगस्त की तारीख के हैं और पिछले आंकड़ों की तुलना में एक वर्ष से अधिक का अंतराल दर्शाते हैं।
7 जुलाई 1989 की सूची में दर्ज अंतिम संस्कार की संख्या इस प्रकार है: 23 1991 में 37; 1992 में 37 और 1993 में दो।
मजीथा पुलिस जिले के अंतर्गत सूची में पहला अंतिम संस्कार 3 अक्टूबर को होना है।
1987. दूसरा दाह संस्कार 24 अक्टूबर 1987 को हुआ था और तीसरा दाह संस्कार, साथ में
आठ महीने से अधिक के अंतराल के बाद, यह सूची 8 जुलाई 1989 की है। सूची में कुल 13 नाम हैं।
1989 में हुए दाह संस्कार। 1990 के लिए, सूची में केवल चार दाह संस्कार दिखाए गए हैं; पहला दाह संस्कार
28 फरवरी को, दूसरा 22 मार्च को, तीसरा छह महीने के अंतराल के बाद 27 मार्च को।
सितंबर और चौथा वर्ष 11 दिसंबर 1990 को समाप्त हुआ। अन्य वर्षों के लिए अंतिम संस्कार की तारीखें अलग-अलग हैं।
1991 में 38; 1992 में 98; 1993 में 24 और 1994 में एक।
टार्न तारन के अंतर्गत आंशिक रूप से पहचाने गए 278 शवों की सूची में केवल एक का उल्लेख है।
7 अगस्त 1984 को अंतिम संस्कार किया गया। दूसरा अंतिम संस्कार दो सप्ताह के अंतराल के बाद किया गया।
डेढ़ साल का यह रिकॉर्ड 7 फरवरी 1987 का है और 1987 में कुल पांच शवों का अंतिम संस्कार किया गया था;

एक फरवरी में, दूसरा मार्च में, दो मई में और एक दिसंबर में। पहला क्रीमा- 1988 में सात महीने से अधिक के अंतराल के साथ हुई एक बैठक 25 जुलाई 1988 की है, और उसमें
उस वर्ष कुल तीन शवदाह हुए। अन्य वर्षों में शवदाह की संख्या इस प्रकार है: तीन।
1989 में 14; 1990 में 33; 1991 में 49; 1992 में आठ; 1993 में एक और 1994 में एक।
अमृतसर पुलिस जिले के अंतर्गत, सूची में 1984 में तीन शवदाह दर्ज किए गए, जिनमें से दो
इनमें से एक को 11 अगस्त को और दूसरे को 12 अगस्त को सदर पुलिस स्टेशन द्वारा अंजाम दिया गया था।
अगला अंतिम संस्कार 18 सितंबर 1987 को किया गया था।
इसमें 1987 में हुए दो शवदाह दिखाए गए हैं, दोनों ही शवदाह सी-डिवीजन पुलिस स्टेशन द्वारा 18 तारीख को दिए गए थे।
सितंबर और 5 अक्टूबर। इसके बाद सूची सीधे 26 मार्च 1988 पर पहुँच जाती है, जिससे एक अंतराल रह जाता है।
साढ़े पाँच महीने से अधिक समय बीत चुका है, और इस दौरान कुल 10 शवों का अंतिम संस्कार किया गया है।
वर्ष। अन्य वर्षों में दाह संस्कार की संख्या इस प्रकार है: 1989 में तीन; 1990 में तीन; 1991 में 17;
1992 में 21 और 1993 में दो।
मजीथा पुलिस जिले के अंतर्गत, पहले दो अंतिम संस्कार 8 अक्टूबर 1987 को हुए थे।
ब्यास पुलिस स्टेशन द्वारा संपन्न किया गया। सूची में अगले दो शवदाह, एक अंतराल के साथ।
साढ़े पाँच महीने, दिनांक 24 मार्च 1988। 1988 में एक और दाह संस्कार।
कुल तीन शवों के साथ, इसकी तिथि 3 मई 1988 है। पहला दाह संस्कार 1989 में हुआ, जिसके बीच में कुछ अंतराल था।
नौ महीने से अधिक समय तक चलने वाली प्रक्रिया 16 फरवरी को समाप्त हुई, जिसके बाद 14 शवों का अंतिम संस्कार किया गया।
बाद में वर्ष में। अन्य वर्षों में हुए दाह संस्कारों की संख्या इस प्रकार है: पाँच
1990 में 22; 1991 में 42; 1992 में 42 और 1993 में 12।
टार्न के अंतर्गत अज्ञात 1,238 शवदाहों की सूची में पहला शवदाह।
तारन पुलिस जिले का यह आदेश 8 अक्टूबर 1984 का है और इसे भिखीविंड द्वारा निष्पादित किया गया है।
पुलिस स्टेशन। लगभग दो साल नौ महीने के अंतराल के बाद दूसरा अंतिम संस्कार।
यह सूची 1 जुलाई 1987 की है। इसमें टार्न के अंतर्गत 1987 में कुल 10 शवदाह दर्ज किए गए हैं।
तारन पुलिस जिला। अन्य वर्षों में दाह संस्कार की संख्या इस प्रकार है: 1988 में 18; 1989 में 52;
1990 में 102; 1991 में 209; 1992 में 188; 1993 में 59 और 1994 में चार। अमृतसर पुलिस जिले के अंतर्गत, सूची में 1984 में कुल 22 शवदाह दर्ज किए गए हैं;

इनमें से 18 घटनाएं जून में हुईं, जिस महीने में भारतीय सेना ने कार्रवाई की थी।
ऑपरेशन ब्लू स्टार। इनमें से तीन ऑपरेशन कोटवाली 'ई' डिवीजन पुलिस द्वारा चलाए गए।
केस सारांशों का विश्लेषण 163

स्टेशन पर की गई कार्रवाइयां 2 जून 1984 को सूचीबद्ध की गईं; दो कार्रवाइयां छेहरटा पुलिस स्टेशन द्वारा की गईं।
4 जून 1984 को और 12 को सदर पुलिस स्टेशन द्वारा की गई कार्रवाई 5 जून को हुई थी।
जून 1984। 27 जून 1984 को एक और शवदाह संस्कार हुआ। स्पष्टतः, ये सभी शवदाह उन मौतों से जुड़े हैं जो हमले के दौरान हुई थीं।
अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। सूची में अगस्त में दो दाह संस्कार और एक अन्य दाह संस्कार भी शामिल हैं।
नवंबर में। नौ महीने से अधिक के अंतराल के बाद, सूची में दो क्रीमा दिखाई देती हैं।
16 और 19 अगस्त 1985 को शवों का अंतिम संस्कार किया गया, फिर नौ महीने के अंतराल के बाद शवों को जलाया गया।
2 मई 1986 को, और सदर पुलिस स्टेशन द्वारा 25 तारीख को दो और शवदाह किए गए। मई 1986। अन्य वर्षों में दाह संस्कार की संख्या इस प्रकार है: 1987 में 15; 1988 में 23; 1989 में छह;
1990 में 42; 1991 में 75; 1992 में 51 और 1993 में 12।
मजीथा पुलिस जिले के अंतर्गत, सूची में 1984 में चार शवदाह दर्ज किए गए; पहला,
पहली कार्रवाई जंडियाला पुलिस स्टेशन द्वारा 5 जून 1984 को की गई थी, दूसरी कार्रवाई ब्यास द्वारा की गई थी।
14 अगस्त को लोपोके पुलिस स्टेशन द्वारा दो अन्य शवों का अंतिम संस्कार किया गया, और दो अन्य शवों का अंतिम संस्कार लोपोके पुलिस स्टेशन द्वारा किया गया।
20 सितंबर 1984। इसके बाद सूची कथुनंगल द्वारा संपन्न किए गए दो अंत्येष्टि संस्कारों पर पहुँच जाती है।
26 मार्च 1986 को पुलिस स्टेशन में डेढ़ साल के अंतराल के बाद, और यह दर्शाते हुए कि
उस वर्ष कुल पाँच शवदाह हुए। अन्य वर्षों में शवदाह की संख्या इस प्रकार है: 1987 में 33; 19
1988 में 43; 1989 में 59; 1990 में 81; 1991 में 70 और 1992 में 28। उदाहरण के तौर पर
हम सीबीआई की आंशिक रूप से दोषी ठहराए गए लोगों की सूची में शामिल मंजिंदर सिंह के मामले का उपयोग करेंगे।
पहचाने गए दाह संस्कारों के संबंध में, सूचना से जुड़ी कुछ प्रारंभिक समस्याओं को उठाना।
सूचियों में निहित जानकारी। 1 चौबीस वर्षीय मंजिंदर सिंह, ठाकर के पुत्र सिंह और गुरनाम कौर, पंजाब पुलिस में कांस्टेबल थे और पाखो के निवासी थे।
के गांव में। वह अविवाहित था।

मॉल मंडी पूछताछ केंद्र। परिवार के सदस्यों ने वहां पूछताछ करने की कोशिश की।
मॉल मंडी में पूछताछ केंद्र खोला गया लेकिन किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने उनसे बात नहीं की।
जंडियाला गुरु पुलिस ने मेजर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया लेकिन उन्होंने कार्रवाई नहीं की।
मंजिंदर और गुरदेव की गिरफ्तारी की जानकारी।
7 मई 1992 को मंजिंदर के परिवार वालों ने अजीत अखबार में एक रिपोर्ट पढ़ी। जिसने डाला कलां गांव के पास एक मुठभेड़ में उसकी मौत की घोषणा की। एक अन्य आतंकवादी
गुरदेव सिंह भुटू नामक एक व्यक्ति के भी मारे जाने की खबर है। मुठभेड़ में कथित तौर पर
यह घटना तब घटी जब पुलिस उन्हें हथियारों की बरामदगी के लिए ले गई। रिपोर्ट में यह बात कही गई है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घात लगाकर बैठे कुछ आतंकवादियों ने पुलिस पर हमला किया।
वाहन और उसके परिणामस्वरूप हुई गोलीबारी में मंजिंदर और गुरदेव दोनों की मृत्यु हो गई।
पुलिस ने शवों का अंतिम संस्कार दुर्गाना मंदिर श्मशान घाट पर पहले ही कर दिया था।
6 मई 1992। परिवारों ने श्मशान घाट से अस्थियां एकत्र कीं।
मुठभेड़ के बारे में अखबारों की रिपोर्टों में मंजिंदर और मंजिंदर दोनों की स्पष्ट पहचान की गई थी।
और गुरदेव सिंह ने केवल दो हत्याओं के बारे में बात की। सीबीआई की पहचान सूची से पता चलता है कि...
गुरदेव सिंह का अंतिम संस्कार 6 मई 1992 को हुआ था, जबकि मंजिंदर का अंतिम संस्कार
सीबीआई की आंशिक रूप से पहचाने गए शवदाह की दूसरी सूची में शामिल आंकड़े। इस सूची में,
सीबीआई ने मंजिंदर के पिता का गलत नाम दिया है; उनके पिता का सही नाम ठाकर है।
सिंह। इसके अलावा, आश्चर्यजनक रूप से, सीबीआई की अज्ञात शवदाह की सूची, क्रमांक संख्या के तहत...
क्रमांक 397/259 और 398/260 में जंडियाला द्वारा किए गए दो अतिरिक्त दाह संस्कार दर्शाए गए हैं।
पुलिस ने 6 मई 1992 को उसी प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) संख्या 62/92 के तहत मामला दर्ज किया।
इन प्रविष्टियों से संकेत मिलता है कि पुलिस ने इस दौरान दो से अधिक व्यक्तियों को मार डाला।
कथित मुठभेड़ में या पुलिस ने मुठभेड़ में शामिल न होने वाले दो अन्य लोगों का अंतिम संस्कार कर दिया।
एक ही एफआईआर के तहत।
मंजिंदर के बड़े भाई शरणजीत सिंह ने सीसीडीपी सदस्यों को बताया कि कई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई अधिकारी पूछताछ करने के लिए उनके घर गए थे।

गुप्त दाह संस्कार के मामले में जांच का आदेश दिया गया। शरणजीत के अनुसार, अधिकारियों ने संबंधित सभी परिवारों से विस्तृत बयान दर्ज किए।
इस प्रकरण में, शरणजीत ने यह भी दावा किया कि उसने एक सीबीआई इंस्पेक्टर को यात्रा करते हुए देखा था।
एसएचओ उधम सिंह, इन अपहरणों और हत्याओं के आरोपियों में से एक है।
उसे पता चला कि उधम सिंह के बंदूकधारियों ने जंडियाला कस्बे के दुकानदारों से बात की और उन्हें बताया कि
उन्हें अपहरणों को देखने की बात स्वीकार न करने के लिए बाध्य किया गया। यह मामला उन तीन मुद्दों को उजागर करता है जिन पर नीचे चर्चा की जाएगी:
1. सीबीआई की सूचियों में गलत नाम और पते;
2. सीबीआई द्वारा उन अतिरिक्त लोगों की आगे जांच न करना जिनका अंतिम संस्कार कर दिया गया था
वही एफआईआर नंबर; और
3. सीबीआई अधिकारियों का संदिग्ध आचरण।
लोगों की सही पहचान करने में विफलता
भारत की प्रमुख जांच संस्था होने के नाते, सीबीआई आसानी से उन दस्तावेजों तक पहुंच सकती थी।
केस सारांशों का विश्लेषण 165

जांच के लिए पीड़ित परिवारों, प्रत्यक्षदर्शियों, समाचार पत्रों की रिपोर्टों और पुलिस रिकॉर्ड का इस्तेमाल किया गया।
अवैध दाह संस्कारों पर रोक लगाना। यहाँ दो सरल उदाहरण दिए गए हैं जहाँ सीबीआई ने कार्रवाई की है।
इन संसाधनों का उपयोग पुलिस द्वारा दाह संस्कार किए गए लोगों की पूरी तरह से पहचान करने के लिए किया जा सकता था:
पुलिस ने दलबीर सिंह और उनके बेटे तेजा सिंह दोनों को एक ही मुठभेड़ में मार गिराया। हालांकि, उनके नाम एक ही सूची में नहीं हैं। सीबीआई ने पिता के अंतिम संस्कार को पूर्ण रूप से पहचाने गए लोगों की सूची में क्रमांक 2/57 के तहत दर्ज किया, जबकि उनके बेटे तेजा सिंह को आंशिक रूप से पहचाने गए लोगों की सूची में क्रमांक 8/56 के तहत रखा। हालांकि मुठभेड़ के बारे में समाचार पत्रों की रिपोर्टों में केवल दलबीर सिंह की पहचान की गई थी, लेकिन परिवार के जीवित सदस्यों से एक साधारण साक्षात्कार से सभी आवश्यक तथ्य आसानी से सामने आ सकते थे।
पहचान सूची के क्रमांक 3/008 के अंतर्गत, सीबीआई ने 10 मई 1987 को वीरसा सिंह के अंतिम संस्कार की तिथि के रूप में उल्लेख किया है, जो मंगल सिंह और सतनाम सिंह के साथ मुठभेड़ में मारे गए थे। समाचार पत्रों की रिपोर्टों में तीनों व्यक्तियों की स्पष्ट पहचान की गई थी। हालांकि, सीबीआई ने मंगल सिंह और सतनाम सिंह के अंतिम संस्कार को आंशिक रूप से पहचानी गई सूची में क्रमांक 4/07 और 5/09 के अंतर्गत रखा। इसके अलावा, समाचार पत्रों की रिपोर्टों में दी गई जानकारी के विपरीत, सीबीआई ने मंगल सिंह के गांव की गलत पहचान की।
कई मामलों में, परिवार के सदस्यों और समाचार पत्रों ने बताया कि मरने वालों की संख्या अधिक थी।

उसी कथित मुठभेड़ में, जिनका नाम सीबीआई की सूचियों में शामिल है। क्या इसका मतलब यह है कि
पुलिस ने एक ही चिता पर एक से अधिक व्यक्तियों का अंतिम संस्कार किया और सीबीआई ने पूरी तरह से भरोसा करते हुए
क्या शवदाह के पुलिस रिकॉर्ड में इस दुराचार को दर्ज नहीं किया गया? सीधे तौर पर, क्या इसका मतलब यह है कि पुलिस ने अन्य शवों को मेथ के माध्यम से ठिकाने लगाया?
अवैध दाह संस्कार के अलावा अन्य तरीके?
उदाहरण के लिए, परिवारों ने मोहिंदर सिंह और उनके शवों की पूरी तरह से पहचान कर ली।
अंतिम संस्कार से पहले चार सहयोगियों की मौत हो गई। सीबीआई ने मोहिंदर सिंह और तीन अन्य लोगों को इस सूची में शामिल किया है।
उनकी पहचान सूची में उनके साथ मारे गए लोगों के नाम (क्रम संख्या 66/160 से 68/162) शामिल हैं। इनमें से किसी का भी नाम नहीं है।
हालांकि, तीनों सूचियों में उनके चौथे सहयोगी, दिलबाग सिंह के अंतिम संस्कार का भी उल्लेख है।
यह स्पष्ट नहीं है कि दिलबाग सिंह के शव का क्या हुआ।
जोंगा सिंह और गुरनाम सिंह के अंतिम संस्कार से संबंधित सीबीआई के रिकॉर्ड,
अपनी पहचान सूची के क्रमांक 506/140 और 509/142 पर प्रश्न उठाते हुए सीबीआई ने इसकी पुष्टि कैसे की, इस पर सवाल उठाया गया है।
तथ्य। सीबीआई के रिकॉर्ड के अनुसार 27 सितंबर 1992 को दो शवदाह हुए थे, जिनमें से एक जौंगा सिंह का था।
लखंतप्पा निवासी दयाल सिंह के पुत्र और स्वर्ण के पुत्र गुरनाम सिंह के पुत्र
जंडियाला पुलिस के एएसआई रणजीत सिंह ने काला बकरा निवासी सिंह की हत्या कर दी।
सीसीडीपी के सदस्यों ने लखन टप्पा का दौरा किया और पाया कि वहां लखन टप्पा नाम का कोई व्यक्ति नहीं था।
जौंगा सिंह की मृत्यु हो गई थी या वह उस गांव से लापता हो गया था।
पंजाब में अशांति फैली हुई है। समिति ने यह भी पाया कि काला नाम का कोई गाँव नहीं है।
बकरा, कथित तौर पर गुरनाम सिंह का निवास स्थान है। यह स्पष्ट नहीं है कि सीबीआई ने इसे किस प्रकार न्यायसंगत ठहराया।
इन अभिलेखों को अपनी पहचान सूची में शामिल करते हुए फाइलें।
आंकड़ों में विरोधाभास या विसंगतियां
सीबीआई ने कुछ बुनियादी तथ्यों का समाधान किए बिना ही दाह संस्कारों की सूची प्रस्तुत कर दी है।
अपने आंकड़ों में परंपराओं का पालन नहीं किया है। उदाहरण के लिए, उन्होंने यह नहीं दिखाया है कि क्रीमा कैसे और क्यों विकसित होती है।
अलग-अलग मारे गए व्यक्तियों की घटनाओं की रिपोर्ट एक ही एफआईआर नंबर के तहत दर्ज की गई थी, कैसे?
और यह कि एक साथ मारे गए व्यक्तियों के अंतिम संस्कार का उल्लेख अलग-अलग एफआईआर में क्यों किया गया था।

संख्याएँ, या उन अन्य व्यक्तियों के शवों का क्या हुआ, जिनकी कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी
166 राख में तब्दील

पीड़ित के परिवार की गवाही और समाचार पत्रों की रिपोर्टों से पता चलता है कि
सुखचैन सिंह और मुख्तियार सिंह एक मुठभेड़ में एक साथ मारे गए। वाल्टोहा पुलिस स्टेशन। सीबीआई ने अपनी पहली रिपोर्ट में सुखचैन सिंह के अंतिम संस्कार को दिखाया है।
क्रमांक 104/296 के अंतर्गत सूची में उल्लिखित मुख्तियार सिंह के अंतिम संस्कार का उल्लेख है।
क्रमांक 24/297 के अंतर्गत आंशिक रूप से पहचानी गई सूची को दो बार निष्पादित किया गया है।
कुछ हफ्तों बाद एक अन्य पुलिस अधिकारी और पुलिस स्टेशन द्वारा। दरअसल, एफआईआर संख्या
मुख्तियार सिंह के अंतिम संस्कार का नंबर दो अन्य लोगों के अंतिम संस्कार के एफआईआर नंबर से मेल खाता है।
क्रमांक 25/301 और 26/302 के अंतर्गत बगल सिंह और गुरदीप सिंह मेहरा। कैसे
क्या हम इन मतभेदों को सुलझा सकते हैं?
इसी तरह की एफआईआर की गड़बड़ी में, सीबीआई की सूची में एसएचओ द्वारा किए गए दो शवदाह भी शामिल हैं।
तरन तारन के सदर पुलिस स्टेशन के दर्शन सिंह के खिलाफ 9 मई 1992 को एफआईआर संख्या के तहत मामला दर्ज किया गया था।
34/92. (क्रम संख्या 177/676 और 178/677) उसी एफआईआर संख्या के अंतर्गत, एसएचओ दर्शन
सिंह ने दो सप्ताह बाद 24 मई 1992 को दो और अंत्येष्टि का उल्लेख किया। (क्रम संख्या)
(179/680 और 180/681)। ऊपर उल्लिखित चारों व्यक्तियों का अंतिम संस्कार क्यों किया गया?
एक ही पुलिस अधिकारी द्वारा एक ही एफआईआर नंबर के तहत दर्ज की गई, लेकिन अलग-अलग तारीखों के साथ?
इन उदाहरणों और उनसे उत्पन्न होने वाले प्रश्नों के लिए सीबीआई को यह स्पष्ट करना होगा कि कैसे
इसने अपनी जांच कैसे की, किन स्रोतों पर भरोसा किया और किस कार्यप्रणाली का उपयोग किया।
पुलिस द्वारा किए गए अवैध दाह संस्कारों की जांच के लिए सीबीआई का इस्तेमाल किया जाता था। सीबीआई को आगे कार्रवाई करनी चाहिए।
अपने आंकड़ों में विसंगतियों के लिए स्पष्टीकरण प्रदान करें। सारांश में संदर्भ शामिल हैं-
ऐसे और भी कई भ्रामक उदाहरण हैं।
खाली रिकॉर्ड
सीसीडीपी के आंकड़ों से सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए दाह संस्कारों की तीन श्रेणियां सामने आती हैं।
नहीं हो सकता था: (1) एक से अधिक सूचियों में दाह संस्कार दोहराया गया; (2)

पुलिस द्वारा कथित रूप से किए गए दाह संस्कार जो वास्तव में किए गए थे परिवार के सदस्य; और (3) उन तिथियों पर दर्ज किए गए दाह संस्कार, जब, के अनुसार
पारिवारिक सूत्रों के अनुसार, पीड़ित जीवित थे।
डुप्लिकेट
सीसीडीपी की जांच में सीबीआई की रिपोर्ट में दो बड़ी त्रुटियों का खुलासा हुआ है, जिनमें डेटा के दोहराव की बात कही गई है।
सूचियों में बेहला निवासी बूर सिंह के पुत्र निरंजन सिंह के अंतिम संस्कार का विवरण शामिल है।
क्रमांक 121/392 के अंतर्गत पूरी तरह से पहचान की गई सूची, जो 18 अप्रैल 1991 को घटित हुई थी।
सीसीडीपी ने निरंजन सिंह की विधवा बलविंदर कौर से बात की और पता चला कि वह दरअसल, 9 जून 1992 को सुरक्षा बलों द्वारा उसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाने के दौरान उसकी हत्या कर दी गई थी।
एक सुनसान जगह में शरण लिए तीन आतंकवादियों को मार गिराने के लिए मानव ढाल का इस्तेमाल किया गया।
बेहला स्थित घर। दरअसल, सीबीआई की आंशिक रूप से पहचानी गई सूची में निरंजन का नाम सही ढंग से दिखाया गया है।
सिंह का अंतिम संस्कार 9 जून 1992 को क्रमांक 71/705 के अंतर्गत दर्ज है।
इस प्रकार, अंतिम संस्कार
सीबीआई की चिन्हित सूची के क्रमांक 121/392 के अंतर्गत दर्ज किया गया व्यक्ति वह नहीं हो सकता था।
निरंजन सिंह, जो बूर सिंह का पुत्र है और बेहला का निवासी है।
निरंजन सिंह का उदाहरण गवाहों की गवाही का उपयोग करने में सीबीआई की विफलता को दर्शाता है।
यहां तक कि सुप्रसिद्ध मामलों में भी दाह संस्कार के निपटारे के लिए धन और समाचार पत्रों के खातों का सहारा लिया जाता है।
निरंजन सिंह की मौत सुरक्षा बलों द्वारा मानव संसाधन के रूप में इस्तेमाल किए गए छह अन्य लोगों के साथ हुई थी।
आतंकवादियों के ठिकाने पर धावा बोलने के लिए ढाल का इस्तेमाल किया गया। इस घटना में नौ लोगों की मौत हो गई। सीबीआई की
आंशिक रूप से पहचानी गई सूची में पाँच शवदाह दिखाए गए हैं। तीन शवदाह पहचान में शामिल हैं।
प्रमाणित सूची। गुरमेज सिंह का अंतिम संस्कार, उन छह ग्रामीणों में से एक जिन्हें जबरन बनाया गया था।
मानव ढाल बनकर मारे जाने का मामला किसी भी सूची में नहीं है।
मामले के सारांशों का विश्लेषण 167

ऐसा प्रतीत होता है कि सीबीआई ने अंग्रेज सिंह के शवदाह गृह के रिकॉर्ड की भी प्रतिलिपि बना ली है।
सीबीआई ने क्रमांक 392/78 के तहत चरण के पुत्र के रूप में उसकी पूरी पहचान कर ली है।
चरण सिंह जलालाबाद के निवासी हैं। सीसीडीपी ने चरण सिंह के घर जाकर उनकी बातचीत दर्ज की।

अंग्रेज सिंह की मृत्यु के संबंध में दिए गए बयान में उन्होंने किसी अन्य व्यक्ति का जिक्र नहीं किया।
बेटे का नाम अमरिक सिंह है। हालाँकि, क्रमांक 391/56 के तहत, सीबीआई की आंशिक पहचान-
प्रमाणित सूची में चरण सिंह के पुत्र अमरिक सिंह के अंतिम संस्कार का उल्लेख है।
यह घटना एक ही तारीख को घटी थी और एक ही एफआईआर में दर्ज है। यदि यह रिकॉर्ड मौजूद नहीं है
अगर यह एक ही व्यक्ति का नाम है, तो चरण सिंह का पुत्र अमरिक सिंह कौन था? पुलिस द्वारा अंतिम संस्कार न किए गए लोग
सीबीआई द्वारा पहचाने गए और आंशिक रूप से पहचाने गए सूचियों से कम से कम 25 शवदाह की घटनाएं सामने आई हैं।
दरअसल ये कार्रवाइयां परिवारों द्वारा ही की गई थीं। गुरमेज के बेटे अमरिक सिंह का मामला।
सिंह महाजन, जो राटोके के निवासी हैं, एक ऐसा उदाहरण है जो यह भी दर्शाता है कि सीबीआई किस प्रकार कार्रवाई करती है।
तथ्यों की सरसरी जाँच भी करने में विफल रहा।2 अमरिक सिंह, एक राजमिस्त्री पेशे से जुड़े इस व्यक्ति का विवाह जोगिंदर कौर से हुआ था और उनके दो बेटे थे, गुरनाम सिंह और निशान।
सिंह। उन्होंने अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया और अपने घर और कार्यस्थल के बीच आना-जाना करते रहे।
साइकिल। बताया जाता है कि उनका किसी भी राजनीतिक या उग्रवादी संगठन से कोई संबंध नहीं था और वे कभी भी साइकिल पर नहीं रहे थे।
उसकी हत्या से पहले उसे गिरफ्तार किया गया था या उससे पूछताछ की गई थी।
9 अगस्त 1988 की सुबह, अमरिक सिंह हमेशा की तरह अपने कार्यस्थल के लिए रवाना हुए।
वह दासुवाल गांव में जल निकासी व्यवस्था का निर्माण कर रहा था। सुबह करीब 9 बजे, जब
अमरिक और उनके सहयोगियों ने अभी-अभी अपना काम शुरू ही किया था, वाल्टोहा पो-
एसआई मोहिंदर सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल के एक दल का एक अन्य समूह के साथ गोलीबारी में सामना हुआ।
उग्रवादियों का पीछा करते हुए पुलिस ने उन पर गोलियां चलाईं। पुलिस द्वारा चलाई गई गोलियों में से एक गोली पुलिस के हमले में लगी।
पुलिस ने अमरिक सिंह के सिर पर वार किया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
उसके परिवार ने शोक व्यक्त किया।
मुझे उसकी हत्या के बारे में सुबह करीब 11 बजे पता चला जब वाल्टोहा पुलिस अमरिक के पिता को हिरासत में लेकर गई।
गुरमेज सिंह शव की पहचान करने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की।
उन्होंने पश्चाताप व्यक्त किया और स्वीकार किया कि उन्होंने गलती से एक निर्दोष व्यक्ति को मार डाला था।
अगली सुबह, पोस्टमार्टम के बाद, पुलिस ने शव को पुलिस को सौंप दिया।
परिवार के सदस्य अंतिम संस्कार के लिए उनके गांव में उपस्थित थे। हालांकि,

अगले दिन, समाचार पत्रों ने पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की।
पुलिस ने बताया कि दासुवाल गांव में पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है।
अमरिक के परिवार के सदस्यों के पास न तो संसाधन थे और न ही आवश्यक संपर्क।
उन्होंने झूठ को चुनौती दी और आगे की जवाबी कार्रवाई के डर से चुप रहने का फैसला किया।
ऐसा लगता है कि सीबीआई ने पुलिस के बयान को बिना किसी संशोधन के पूरी तरह से अपना लिया है।
जानकारी के अन्य स्रोतों का उपयोग करना।
सीबीआई को शिकायत दर्ज कराने वाले परिवार
इन मामलों में, परिवारों ने स्वयं शिकायतें दर्ज कराईं और सीबीआई को जानकारी प्रदान की।
अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार की पहचान करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी। हालांकि, सीबीआई के पास यह जानकारी नहीं है।
सीबीआई अपनी सूचियों में इन लोगों की पूरी और सही पहचान करने में विफल रही। सीबीआई ऐसा करने में क्यों विफल रही?
क्या इसमें व्यक्तिगत रूप से प्रदान की गई जानकारी दर्ज की गई थी? क्या संचार की कमी थी?
सीबीआई के विभिन्न कार्यालयों के बीच क्या संबंध हैं?
पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ में उनके बेटे की हत्या के बाद, गुरमीत सिंह ने व्यक्तिगत रूप से
अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए वह अमृतसर स्थित सीबीआई के अस्थायी कार्यालय गए। सीबीआई ने...
इंस्पेक्टर पी.सी. शर्मा ने भी परिवार के घर जाकर उनका बयान दर्ज किया। 168 राख में तब्दील

गुरमीत सिंह की पत्नी नरिंदर कौर से कई बार पूछताछ की गई। इन प्रयासों के बावजूद, सीबीआई को सफलता नहीं मिली।
उन्होंने अपने बेटे के अंतिम संस्कार को क्रमांक 537/304 के तहत अपनी अज्ञात सूची में शामिल किया।
अज्ञात सूची
क्रीमा की जांच करने पर सीबीआई की सक्षमता पर और भी सवाल उठते हैं। अज्ञात के रूप में सूचीबद्ध विवरण। कई मामलों में, सीबीआई आसानी से इसका उल्लेख कर सकती थी।
प्रेस रिपोर्ट, पुलिस रिकॉर्ड, परिवार के सदस्यों की गवाही और यहां तक कि जानकारी भी
पहचान प्रक्रिया पूरी करने के लिए इसकी अपनी फाइलों में उपलब्ध है। दाह संस्कार में से
सीसीडीपी सीबीआई की अज्ञात सूची से छह लोगों की पहचान करने में सक्षम रही है, जिनमें से छह लोग निम्नलिखित के थे:
पुलिस अधिकारियों में से एक मृत व्यक्ति के पिता पुलिस अधिकारी थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था।
विभाग के भीतर व्याप्त मानवाधिकार हनन के विरोध में। 10 मामलों में,

3 सीसीडीपी/01268, क्रमांक 479/127
4 सीसीडीपी/01293, क्रमांक 313/50
केस सारांशों का विश्लेषण 169

उधम सिंह का विवाह गुरमेज कौर से हुआ था और उनके पांच बच्चे थे, जिनमें तीन बेटियां थीं।
और दो बेटे।
उधम सिंह अपने क्षेत्र में सिख धार्मिक मामलों में गहराई से शामिल थे और उन्होंने
सिख धार्मिक पंचांग की महत्वपूर्ण घटनाओं के आयोजन में भाग लेना।
तारन पुलिस ने इस संदेह के चलते कई बार उसके घर पर छापा मारा था कि वह व्यक्ति-
उग्रवादी आंदोलन से जुड़े बेटों ने उनके घर का दौरा किया था। पुलिस ने एक बार
उधम सिंह और उनके बेटों, हीरा सिंह और हज़ुरा सिंह को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया।
उन्हें बाद में रिहा कर दिया गया।
1 जुलाई 1992 को, सुबह लगभग 4 या 5 बजे, पंजाब पुलिस का एक बड़ा दल अधिकारियों ने उधम सिंह के घर पर छापा मारा और दीवार फांदकर अंदर प्रवेश किया। एएसआई दिलबाग
झबल पुलिस स्टेशन के सिंह भी गिरफ्तार पुलिसकर्मियों में से एक थे। पुलिस ने उधम को गिरफ्तार कर लिया।
सिंह और उनके बेटे हज़ुरा सिंह को बी.आर. मॉडल स्कूल ले जाकर पूछताछ की गई। उधम सिंह के समर्थकों द्वारा जोरदार विरोध और बार-बार पूछताछ के बावजूद, उन्होंने हिरासत केंद्र में प्रवेश किया।
राजवंत कौर की बेटी और हज़ुरा सिंह की पत्नी रंजीत कौर के मामले में पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई की।
उन्होंने यह नहीं बताया कि गिरफ्तार व्यक्तियों को वे कहाँ ले जा रहे थे।
पूछताछ केंद्र में उधम सिंह और हज़ुरा सिंह को बंद कर दिया गया था।
अलग से। हज़ुरा सिंह को नहीं पता कि उन्होंने उसके पिता के साथ क्या किया।
7 जुलाई 1992 को,
पुलिस ने हज़ुरा सिंह को पूछताछ केंद्र से रिहा कर दिया। उसी दिन की खबर-अखबारों ने खबर दी कि उधम सिंह की मुठभेड़ में हत्या हो गई, जो कथित तौर पर हुई थी।
5 और 6 जुलाई 1992 की रात के बीच, पुलिस ने परिवार को इस घटना की सूचना नहीं दी।
दाह संस्कार।
1996 में, सीबीआई के कुछ अधिकारियों ने उनके परिवार से उनके मामले के संबंध में संपर्क किया।
सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अवैध दाह संस्कार मामले की जांच की जाए।
हालांकि सीबीआई अधिकारियों ने अपनी जांच का उद्देश्य नहीं बताया, हीरा सिंह ने मामले की सारी जानकारी दी। इसी दौरान, दिलबाग सिंह, जो कि अन्य लोगों में से एक था, की भी मौत हो गई।
1 जुलाई को उधम सिंह के अपहरण के लिए झबल के पुलिस अधिकारी जिम्मेदार थे।

1992 में, उन्होंने परिवार से संपर्क किया और समझौते के लिए बड़ी रकम की पेशकश की।
इस मामले पर परिवार ने अपनी सहमति देने से इनकार कर दिया। लेकिन परिवार ने प्रस्ताव ठुकरा दिया और इसकी शिकायत करने की धमकी दी।
सीबीआई। इस पर दिलबाग सिंह यह कहते हुए चले गए, “ठीक है! फिर हम करेंगे।” सीबीआई अधिकारियों को भी उतनी ही रकम का भुगतान करें।"
बाद में परिवार वालों को पता चला कि सीबीआई ने मामला बंद करने की रिपोर्ट दाखिल कर दी है।
इस मामले में हीरा सिंह ने एक बार पटियाला स्थित सीबीआई की अदालत का दौरा किया था और अधिकारियों से मुलाकात की थी।
वे दोषी पंजाब पुलिस अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए जिम्मेदार हैं।
उन्होंने बताया
उन्हें बताया गया कि सबूतों के अभाव में कानूनी कार्रवाई संभव नहीं है। उन्होंने यह भी किया।
हीरा सिंह के हस्ताक्षर कुछ ऐसे बयानों पर हैं जो अंग्रेजी में लिखे गए थे और जो
वह पढ़ नहीं सकता था। परिवार के सदस्यों को संदेह था कि पुलिस अधिकारियों ने...
उधम सिंह के अपहरण और फर्जी मुठभेड़ में हत्या के लिए जिम्मेदार व्यक्ति ने सीबीआई को रिश्वत दी थी।
जांच के लिए जिम्मेदार अधिकारी।
सीबीआई ने इस मामले में अपनी क्लोजर रिपोर्ट पेश की थी, क्रमांक आर.सी. 9(एस)/97/एसआई.यू-
XVI/JMU, 1 अक्टूबर 1999 को पटियाला स्थित सीबीआई अदालत के समक्ष। अदालत ने अपने आदेश के माध्यम से
16 फरवरी 2000 के आदेश में यह राय व्यक्त की गई थी कि जांच एजेंसी को
ऊधम सिंह के अपहरणकर्ताओं की पहचान करने के लिए और प्रयास किए गए। सीबीआई ने इसके बाद पूर्व-
29 सितंबर 2000 को एक पूरक समापन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें कहा गया कि कोई भी
नए सबूत सामने आए हैं और इसलिए इस मामले को बंद कर देना चाहिए।
सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट चौंकाने वाली है क्योंकि हजुरा सिंह का अपहरण कर लिया गया था।
1 जुलाई 1992 की सुबह उधम सिंह के साथ हज़ुरा सिंह को हिरासत में लिया गया था।
सदर पुलिस द्वारा आर. मॉडल स्कूल से पूछताछ के लिए बुलाए जाने के एक दिन बाद, 7 जुलाई तक आर. मॉडल स्कूल के पूछताछ केंद्र में पूछताछ की गई।
170 राख में तब्दील

उधम सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। बी.आर. मॉडल स्कूल पूछताछ केंद्र-यह विभाग अमृतसर के वरिष्ठ अधीक्षक के सीधे अधिकार के तहत संचालित होता था।
पुलिस मंत्रालय (एसएसपी) एक ऐसी जगह के रूप में कुख्यात था जहां भयानक अत्याचार किए जाते थे।

अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्तियों से पूछताछ के दौरान, उन्हें तरल पदार्थ में बदलने से पहले...
फर्जी मुलाकातों में डेटिंग की।

पुलिस शक्तियां
पीड़ितों के परिवारों की गवाहियाँ इस व्यापकता की भयावह तस्वीर पेश करती हैं।
और पुलिस की शक्ति और दुर्व्यवहार की सीमा। उनकी कहानियाँ दिखाती हैं कि कैसे निर्दोषता और अपराध आपस में जुड़ जाते हैं।
पुलिस के आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान ये महज तकनीकी औपचारिकताएं थीं।
यह अनुमान लगाना संभव नहीं था कि रोजमर्रा की सामान्य गतिविधियाँ किस प्रकार अंधाधुंध दुर्व्यवहार का कारण बनेंगी;
कोई भी सावधानी नहीं बरती जा सकती थी।
इस नोट में सर्वप्रथम तलाशी की प्रक्रिया संबंधी कानूनी सिद्धांतों को बताने का प्रयास किया गया है।
गिरफ्तारी और हिरासत, और फिर उनके घोर उल्लंघनों और पूर्ण शक्ति का दस्तावेजीकरण करना-
इन समस्याओं को रोकने में लोगों की कम भागीदारी।
निम्नलिखित कानूनी सिद्धांतों का संक्षिप्त सारांश है, जो लागू थे।
जब ये दुर्व्यवहार हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने तब से डी. में इन्हें और परिष्कृत किया है।
के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, जिसकी हम बाद में जांच करेंगे।5
खोज
दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 100 (4), (5), (6), (7) और (8) 1973 के अधिनियम के अनुसार, तलाशी लेने से पहले अधिकारी या अन्य व्यक्ति को अवश्य ही किसी से संपर्क करना होगा।
इलाके के दो या दो से अधिक स्वतंत्र और सम्मानित निवासियों को उपस्थित होना चाहिए और
तलाशी के साक्षी बनें। यदि वे अनिच्छा व्यक्त करते हैं, तो अधिकारी आदेश जारी कर सकता है।
उन्हें ऐसा करने के लिए लिखकर सूचित करना। कोई भी व्यक्ति जो तलाशी में उपस्थित होने और उसे देखने से इनकार करता है।
इस प्रावधान के अंतर्गत, धारा के अंतर्गत अपराध करने वाला माना जाएगा। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 187 के तहत तलाशी उनकी उपस्थिति में ही की जानी चाहिए।
और जब्त की गई सभी वस्तुओं की एक सूची तैयार करनी होगी। तलाशी लिए गए स्थान के निवासी,
या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को तलाशी में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी, और तलाशी की एक प्रति दी जाएगी।
गवाहों द्वारा हस्ताक्षरित और तैयार की गई सूची ऐसे कब्जेदार को सौंप दी जाएगी या
व्यक्ति। इन सभी सिद्धांतों और उनकी प्रक्रियात्मक व्याख्याओं को समझाया गया है।

पंजाब से संबंधित कई ऐतिहासिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लिए गए। 6
गिरफ्तारी
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41(ए) के तहत, एक अधिकारी किसी भी व्यक्ति को संज्ञेय अपराध के लिए गिरफ्तार कर सकता है।
यदि कोई अपराध है, भले ही मजिस्ट्रेट का आदेश या गिरफ्तारी वारंट न हो, तो भी वह अपराध माना जाएगा।
यह एक उचित शिकायत, संदेह या जानकारी है। पूर्ण पीठ के निर्णय के अनुसार-मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार, उचित संदेह न्यूनतम आवश्यकता है।

5 1996 8 एससी 581: 1997 आई जेटी 1 एससी: 1997 1 आरसीएफ सीआरआई 373
6 पंजाब राज्य वी बलबीर सिंह 1994 (3) एससी सी 299; राधा कृष्ण बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 1963 एससी
822; सोनी बनाम पंजाब राज्य, 1980 एससी 593; अजैब सिंह बनाम राज्य, एआईआर. 1953 एससी 10; राधा बाई बनाम गुजरात राज्य, एआईआर 1970 एससी 1396.
केस सारांशों का विश्लेषण 171

आवश्यकता.7 भारत के विधि आयोग ने अपने एक सौ बावनवें सत्र में
हिरासत में लिए गए अपराधों पर रिपोर्ट में, गिरफ्तारी की "तर्कसंगतता" को निम्नलिखित संदर्भों के साथ समझाया गया है:
ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के दो निर्णयों में वेडनेसबरी सिद्धांतों पर चर्चा की गई।
इन सिद्धांतों के अनुसार, जिस व्यक्ति को विवेकाधिकार प्रदान किया जाता है
क़ानून के उद्देश्य की पूर्ति के लिए सद्भावनापूर्वक इसका प्रयोग करना चाहिए;
[2] क़ानून की गलत व्याख्या के आधार पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए; [c] ध्यान में रखना चाहिए-
विवेकाधिकार के प्रयोग के लिए प्रासंगिक मामलों की गणना करें; और [घ] प्रभावित नहीं होना चाहिए
अप्रासंगिक मामलों द्वारा।8
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी का विवेकाधिकार
व्यक्तिगत अधिकारों और सामाजिक आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। न्यायालय ने इसका उल्लेख किया। राष्ट्रीय पुलिस आयोग और कनाडा के रॉयल कमीशन की तीसरी रिपोर्ट-आपराधिक प्रक्रिया पर एक सम्मेलन यह सुझाव देता है कि सामान्य परिस्थितियों में, पुलिस
किसी संदिग्ध व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए "उपस्थिति सूचना" नामक प्रक्रिया का उपयोग किया जाना चाहिए।
पुलिस स्टेशन में गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग किए बिना। सुप्रीम कोर्ट ने इस ओर इशारा किया।

यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी को केवल इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसा करना कानूनी है। पुलिस को
उचित आधारों पर गिरफ्तारी को उचित ठहराने में भी सक्षम होना चाहिए। न्यायालय ने यह भी कहा कि: [1]
पुलिस को गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के स्थान के बारे में किसी मित्र या रिश्तेदार को सूचित करना होगा।
हिरासत; [2] गिरफ्तार व्यक्ति को उसके कानूनी अधिकारों के बारे में सूचित करें; [3] आवश्यक कार्य करें-
गिरफ्तारी के बारे में डायरी में लिखी गई संक्षिप्त प्रविष्टियाँ, जिसमें सूचित किए गए व्यक्ति का नाम भी दर्शाया गया है।
सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि ये दायित्व अनुच्छेद के अंतर्गत आवश्यकताओं का हिस्सा थे।
संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 के अनुसार, उचित योग्यता रखने वाले मजिस्ट्रेट का यह कर्तव्य था।
यह सुनिश्चित करने का अधिकार क्षेत्र कि पुलिस इन आवश्यकताओं का अनुपालन करे। 9
अनुच्छेद 21 के अनुसार: “किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।”
कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही स्वतंत्रता का प्रयोग किया जा सकता है। अनुच्छेद 22 (1) और (2)
संविधान के अनुच्छेदों में यह प्रावधान है कि: [1] “गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को हिरासत में नहीं रखा जाएगा
बिना यथाशीघ्र गिरफ्तारी के कारणों की सूचना दिए हिरासत में लेना।
न ही उसे परामर्श करने और कानूनी सलाहकार द्वारा बचाव किए जाने के अधिकार से वंचित किया जाएगा।
अपनी पसंद का;” और [2] “गिरफ्तार और हिरासत में रखे गए प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर उसे निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाए।
गिरफ्तारी स्थल से अदालत तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर। मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी भी ऐसे व्यक्ति को उक्त अवधि से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जाएगा।
मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना अवधि।"
गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किए जाने के अधिकार की स्पष्ट रूप से पुष्टि की जाती है।
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50(1) के तहत भी, जिसमें कहा गया है: “प्रत्येक पुलिस अधिकारी, या अन्य व्यक्ति
बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर उसे तुरंत पूरी जानकारी दी जाएगी।
जिस अपराध के लिए उसे गिरफ्तार किया गया है, उसका विवरण या ऐसी गिरफ्तारी के अन्य आधार।"
जब गिरफ्तारी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 70 से 74 में दिए गए वारंट के तहत की जाती है, तो
अधिकारी को वारंट की सामग्री के बारे में व्यक्ति को सूचित करना होगा और उसे वारंट दिखाना भी होगा।

उसे। यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 75 के तहत प्रावधान है। धारा 57 के तहत...
दंड प्रक्रिया के अनुसार, "कोई भी पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को हिरासत में नहीं रखेगा।"
यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर, 24 घंटे से अधिक की अवधि के लिए गिरफ्तारी स्थल से मजिस्ट्रेट की अदालत तक।
7 गुलाबचंद कन्नोलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 1982 एम.पी.एल.जे 7, 17 एफ.बी.
भारत के विधि आयोग की एक सौ बावनवीं रिपोर्ट, 1994, अध्याय 8
5, 5:6; होल्गेट मोहम्मद बनाम ड्यूक, 1984 1 ऑल. ई. आर. 1054, 1059, 1060 एच. एल; एसोसिएटेड प्रोविंशियल पिक्चर हाउसेस लिमिटेड बनाम वेडनेसबरी कॉर्पोरेशन, 1947 2 ऑल ई. आर. 680 सी. ए.
172 राख में तब्दील

अनुच्छेद 22(1) और (2) के बीच आवश्यक संबंध को पहचानते हुए, सु-
सर्वोच्च न्यायालय ने कई निर्णयों में विस्तार से बताते हुए अपने दायित्व को और मजबूत किया है।
हिरासत में दुर्व्यवहार को रोकने के लिए आवश्यक उपाय। वकील से परामर्श करने का अधिकार।
इसका उद्देश्य है: [क] यदि गिरफ्तारी अवैध है तो तत्काल रिहाई सुनिश्चित करना; [ख] यदि जमानत मिल जाए तो
परिस्थितियाँ अनुमति दें या उचित ठहराएँ; [ग] बचाव की तैयारी के लिए; और [घ] सुनिश्चित करने के लिए
पुलिस हिरासत के दौरान कोई गैरकानूनी गतिविधि न हो। शीला बारसे मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष रूप से महिला अभिकर्ताओं के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश निर्धारित किए।
हिरासत में लिए गए व्यक्ति: [1] महिला संदिग्धों को अच्छे इलाकों में चयनित लॉकअप में हिरासत में रखा जाना है-
[2] महिला संदिग्धों को हिरासत में नहीं रखा जाएगा
पुरुष संदिग्धों को रखने वाले लॉक-अप; [3] उनकी पूछताछ की जानी चाहिए महिला पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति; [4] पुलिस को गिरफ्तारी की सूचना देनी होगी
रिश्तेदार और दोस्त तथा साथ ही निकटतम कानूनी सहायता समिति; [5] मजिस्ट्रेट
जिसके समक्ष गिरफ्तार व्यक्ति को पेश किया जाता है, उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि क्या कोई शिकायत है।
हिरासत में यातना या दुर्व्यवहार की शिकायत। 10
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 54 के तहत, “जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, चाहे वह किसी भी आधार पर हो
"आरोप या अन्यथा" के तहत उसके शरीर की चिकित्सा जांच कराने का अनुरोध किया जाता है ताकि यह स्थापित किया जा सके कि
उसके शरीर के विरुद्ध किसी अपराध के घटित होने पर, "यदि मजिस्ट्रेट द्वारा अनुरोध किया जाता है तो वह ऐसा करेगा।"
गिरफ्तार व्यक्ति को ऐसा करने का निर्देश देना, ऐसे व्यक्ति के शरीर की जांच किसी अन्य विशेषज्ञ द्वारा कराने का निर्देश देना।

पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी, जब तक कि मजिस्ट्रेट यह न समझे कि अनुरोध उत्पीड़न करने, देरी करने या न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के उद्देश्य से बनाया गया हो।
पूछताछ
संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अनुसार, किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को उसे अपने ही विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य किया जाएगा। यह सिद्धांत और इसके निहितार्थ-
कई सुप्रीम कोर्ट मामलों में इन बातों को विस्तार से समझाया गया है। नंदिनी सत्पथी
बनाम पी. एल. दानी बताते हैं कि यह सिद्धांत आत्म-अपराध के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है।
और जबरन गवाही।11 इस सिद्धांत के कार्यान्वयन के बारे में अन्य मामलों में-
सिद्धांत रूप में, सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की है कि सीआरपीसी की धारा 161 (2) एक संसदीय धारा है।
अनुच्छेद 20(3) और "स्वयं के विरुद्ध गवाह होने" शब्दों पर टिप्पणीत्मक व्याख्या।
न्यायिक प्रक्रिया से परे सुरक्षा प्रदान करना, जिसमें किसी भी प्रकार की जानकारी देना शामिल है।
पुलिस पूछताछ के दौरान अपराध साबित करने वाले सबूत या जानकारी।12 ये फैसले
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश उन व्यक्तियों के अधिकारों को बरकरार रखते हैं, जिन पर अभी तक औपचारिक रूप से आरोप नहीं लगाया गया है।
हिरासत में पूछताछ के दौरान चुप रहना।
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 (1) के तहत किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस को दिए गए बयान को कानूनी माना जाता है।
जांच के दौरान कार्यालय में दर्ज जानकारी किसी भी पूछताछ या मुकदमे में अस्वीकार्य है। धारा
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 163 में यह प्रावधान है कि “कोई भी पुलिस अधिकारी या अन्य प्राधिकारी व्यक्ति
किसी भी प्रकार का प्रलोभन, धमकी या वादा पेश करना या करवाना, या ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी या वादा करवाना या करवाना।
किसी से इकबालिया बयान निकलवाने के लिए "जांच" करना। साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 कहती है कि "एक इकबालिया बयान"
किसी आरोपी व्यक्ति द्वारा बनाया गया कोई भी बयान आपराधिक कार्यवाही में अप्रासंगिक होता है, यदि उसे बनाने का श्रेय किसी अन्य व्यक्ति को जाता है।
10. गोपालन बनाम मद्रास राज्य, 1050 एससीआर 88; हंसमुख बनाम गुजरात राज्य, एआईआर 1981 एससी 28; राज्य
Madhya Pradesh Vs. Shobhram, AIR 1968 SC 1910, 1917; Khatri Vs. State of Bihar, AIR 1981 SC 928: 1981 Cr. LJ 470; Sheela Barse Vs. State of Maharashtra, AIR 1983 SC 378. 11 एआईआर 1978 एससी 1025.
12 Mahabir Mandal V. State of Bihar, AIR 1972 SC 1331; Pakala Narayanswamy Vs. Emperor, AIR 1939

P. C. 47; Kathi Kalu Oghad Vs. State of Bombay, AIR 1961 SC 1808; Raja Narayan Lal Bansilal Vs. Maneck Phiroze Mistry, AIR 1961 SC 29.
केस सारांशों का विश्लेषण 173

अदालत को ऐसा प्रतीत होता है कि यह इकबालिया बयान किसी प्रलोभन या धमकी के कारण दिया गया था।
या वादा करें।"
आईपीसी की धारा 220 के तहत सात साल तक के कारावास की सजा का प्रावधान है। किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसके पास "व्यक्तियों को मुकदमे के लिए या कारावास में भेजने का कानूनी अधिकार" हो।
जो किसी व्यक्ति को "भ्रष्टाचारपूर्वक या दुर्भावनापूर्ण तरीके से कैद करता है, यह जानते हुए कि ऐसा करने से वह
कानून के विपरीत कार्य करना।"
धारा 348 में "जो कोई भी गलत तरीके से" काम करता है, उसे तीन साल के कारावास का प्रावधान है।
किसी व्यक्ति को जबरन बयान या कोई जानकारी निकलवाने के उद्देश्य से कैद करना
जिससे किसी अपराध या दुराचार का पता चल सके। आपराधिक धमकी-
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 503 और 506 के तहत, इस अपराध के लिए दो साल के कारावास की सजा का प्रावधान है।
यह वह कानून है जो पुलिस की तलाशी लेने, गिरफ्तार करने, हिरासत में लेने और पूछताछ करने की शक्तियों को नियंत्रित करता है।
संदिग्धों को दोषी ठहराना। यह नोट अब पुलिस शक्तियों के व्यवस्थित दुरुपयोग को उजागर करेगा।
पंजाब में जो कुछ हो रहा है और इसे रोकने में लोगों की पूर्ण लाचारी। उदाहरण के तौर पर
सैदो लाहिल गांव के निवासी 22 वर्षीय बलजिंदर सिंह उर्फ बल्ली,
निज्जर एग्रो फूड नामक कंपनी में कार्यरत थे।13 वह मैट्रिक पास थे। बलजिंदर के काम में किसानों के साथ बातचीत करना और उन्हें आवश्यक सावधानियों के बारे में बताना शामिल था।
सब्जी की फसलों पर कीटनाशकों का प्रयोग करते समय लिया गया। कंपनी ने उसे एक
बलजिंदर सिंह रोज़ाना कंपनी के स्कूटर से काम पर जाया करते थे।
2 अगस्त 1991 को, बलजिंदर सिंह और उनके निजी सुरक्षा अधिकारी ने
उनकी कंपनी के मालिक, जो पंजाब पुलिस के कांस्टेबल थे, अपने स्कूटर पर जा रहे थे।
वह काम के लिए गांव गया था। उसे इस बात का पता नहीं था कि मनोहर सिंह नाम का एक उग्रवादी नेता भी वहां मौजूद था।
मनोहर उसके आगे स्कूटर चला रहा था। पुलिस चौकी पर पहचान होने पर, मनोहर ने उसे पकड़ लिया।
सिंह ने साइनाइड खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस अधिकारियों ने संदेह के आधार पर...
पुलिस ने बलजिंदर सिंह और उसके साथी को तब गिरफ्तार कर लिया जब वे गाड़ी चलाते हुए वहां पहुंचे।
मनोहर सिंह की मृत्यु के तुरंत बाद चेकपोस्ट पर कार्रवाई की गई।

उनकी गिरफ्तारी देखने वाले कई लोग उत्तेजित हो गए। देखते ही देखते, वहां भारी भीड़ जमा हो गई।
जंडियाला गुरु पुलिस स्टेशन के बाहर बलजिंदर सिंह की रिहाई की मांग करते हुए।
उसका साथी। जब पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया, तो भीड़ ने रास्ता अवरुद्ध करने का फैसला किया।
अमृतसर और दिल्ली को जोड़ने वाला ग्रैंड ट्रंक रोड नामक राजमार्ग। कई बलजिंदर के परिवार के सदस्य भी आंदोलन में शामिल हो गए। पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने के लिए बल का प्रयोग किया।
भीड़ पर धावा बोलने के बाद, लाठीचार्ज करते हुए उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में तीन लोग मारे गए।
कई बेटों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। बलजिंदर की चचेरी बहन दर्शन कौर, जिनकी शादी हो चुकी थी...
गेहरी मंडी गांव का एक व्यक्ति भी घायल हो गया।
बाद में पुलिस ने बलजिंदर सिंह और उसके साथी जगतार सिंह दोनों को इस मामले में फंसा दिया।
टीएडीए के तहत एक मामले में। दोनों को आठ महीने की जेल हुई, और फिर अदालत ने पुनर्विचार किया।
उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। जमानत पर रिहा होने के तुरंत बाद, 10 अक्टूबर 1992 को, बलजिंदर
उन्होंने करमजीत कौर से शादी की और बाद में उनका एक बेटा हुआ।
10 नवंबर 1992 को, उनकी शादी के ठीक एक महीने बाद, एक बड़ी पुलिस कार्रवाई हुई।
पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) के नेतृत्व में लगभग 50 जवानों का बल।
तरन तारन के गुरमीत सिंह ने बलजिंदर के पिता के फार्म हाउस पर छापा मारा।
जरनैल सिंह। छापेमारी रात 8 से 9 बजे के बीच हुई। बलजिंदर सिंह भी वहां मौजूद था।

13 सीसीडीपी/01216, क्रमांक 253/910
174 राख में तब्दील

घर। डीएसपी गुरमीत सिंह ने कहा कि बलजिंदर की पहचान करने के लिए उन्हें उसे साथ ले जाना होगा।
उन्होंने कुछ आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। डीएसपी ने उन्हें अगले दिन रिहा करने का वादा किया।
सुबह। बलजिंदर को अपने साथ ले जाने से पहले, उसने अपने पिता से कुछ तैयार करने को कहा।
उन सभी पुलिसकर्मियों के लिए भोजन, जो उनके अनुसार पूरे दिन ड्यूटी पर थे। और वे भूखे थे। इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाने में कुछ घंटे लग गए, और फिर उनके खाने के बाद,
डीएसपी और उनके पुलिसकर्मी बलजिंदर सिंह के साथ रवाना हो गए।
डीएसपी गुरमीत सिंह ने यह खुलासा नहीं किया था कि वे बलजिंदर को कहाँ ले जाने की योजना बना रहे हैं।
गिरफ्तार आतंकवादियों की पहचान करें। अगली सुबह, परिवार के सदस्य और अन्य लोग

सैदो लाहिल के वंशज। डीजीपी ने इन आतंकवादियों को सैकड़ों हत्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया, जिनमें शामिल हैं-
पंजाब सरकार में परिवहन मंत्री मास्टर जागीर सिंह के रिश्तेदारों से मुलाकात के दौरान...
डीजीपी ने बड़ी संख्या में अत्याधुनिक उपकरण बरामद करने का भी दावा किया है।
वाहन से बरामद हथियार: 10 एके-47 राइफलें, एक एके-74 राइफल, 17 प्लास्टिक बम, 30
डेटोनेटर, 25 मैगज़ीन और 925 कारतूस।
16 नवंबर 1992 को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से डीजीपी के बारे में खबर छापी।
प्रेस कॉन्फ्रेंस।
यह मामला दुर्व्यवहारों की सीमा और प्रकार की एक प्रारंभिक झलक प्रदान करता है।
पंजाब पुलिस द्वारा भेजा गया। इस उदाहरण में, पुलिस ने जानकारी प्रदान नहीं की।
अगर परिवार को इस बारे में कोई जानकारी हो कि वे कौन थे और बलजिंदर को कहाँ ले जा रहे थे।
केस सारांशों का विश्लेषण 175

इसके अलावा, प्रत्यक्षदर्शियों के बावजूद, उन्होंने प्रेस के लिए मनगढ़ंत कहानी बनाने में कोई संकोच नहीं किया।
बलजिंदर के अपहरण के लिए आवश्यक कारक। अंत में, उन्होंने मनमाने ढंग से बलजिंदर को उसके अधिकारों से वंचित कर दिया।
जीवन का अधिकार।
उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि पुलिस ने न केवल प्रक्रिया का पालन करने में विफल रही, बल्कि
गिरफ्तारी के संबंध में, उन्होंने हिरासत को रोकने के लिए आवश्यक उपायों का भी पालन नहीं किया।
पुलिस ने मौखिक दुर्व्यवहार किया। पुलिस ने पहचान पत्र नहीं दिखाया; उन्होंने गिरफ्तारी दर्ज नहीं की।
एक प्रत्यक्षदर्शी ने इसकी पुष्टि की; उन्होंने उस व्यक्ति को ज़मीन के बारे में सूचित नहीं किया।
गिरफ्तारी के लिए। उन्होंने बंदी की चिकित्सा जांच नहीं कराई और वे असफल रहे।
सभी दस्तावेज मजिस्ट्रेट को भेजें।
अब इस नोट में चर्चा के लिए निम्नलिखित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा:
अपहृत व्यक्तियों के बारे में जानकारी के लिए परिवारों के अनुरोधों पर पुलिस की प्रतिक्रिया; पुलिस द्वारा जबरन वसूली;
मुलाकातों के निर्माण की विधियाँ;
पंजाब पुलिस का अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर यात्रा करना; और पंजाब पुलिस द्वारा न्याय में बाधा डालना।
पीड़ित परिवारों को सूचित करने में विफलता

हमारे अधिकांश मामलों में, पुलिस ने पीड़ितों को मौके पर ही हिरासत में ले लिया।
हालांकि, उन्होंने अपने बारे में या दूसरों की उपस्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी।
पीड़ितों के लिए उनकी योजनाएँ। जब परिवार और उनके हमदर्द उनकी तलाश में निकले।
विभिन्न पुलिस स्टेशनों पर जानकारी मांगने पर, पुलिस अधिकारी अक्सर बेरहमी से रोक लगाते थे।
उन्हें पुलिस स्टेशनों में प्रवेश करने से रोका और इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि क्या
गिरफ्तार किए गए व्यक्ति उनकी हिरासत में थे या नहीं, इस बारे में कई बार उन्होंने कभी सूचित भी नहीं किया।
परिवार यह जानने के लिए उत्सुक थे कि उनके प्रियजन जीवित हैं या मृत। जब परिवारों को पुलिस अधिकारियों से मिलने और उनसे सवाल पूछने का मौका मिला
अपने प्रियजनों की स्थिति के बारे में जानकारी देने के बावजूद, पुलिस अधिकारियों ने ज्यादातर मामलों में हिरासत से इनकार कर दिया और सामरिक रणनीति का इस्तेमाल किया।
ऐसी आदतें जो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह भागने पर मजबूर करती थीं, इस उम्मीद में कि वे अपने प्रियजन को ढूंढ लेंगे।
एक। परिवारों को अक्सर अस्पष्ट आश्वासन मिलते थे कि पुलिस उन्हें रिहा कर देगी।
पूछताछ के बाद पीड़ित।
सुखविंदर सिंह को 3 नवंबर की सुबह तड़के उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। 1992 by ASI Raj Kumar, in-charge, Manochahal police post. He was arrested in
उसके परिवार के सदस्यों और गांव के अन्य निवासियों की उपस्थिति।14 अगले दिन की शुरुआत में
सुबह परिवार के सदस्य और गांव के बुजुर्ग मनोचाहल पुलिस स्टेशन गए। एसएचओ ने उन्हें बताया कि सुखविंदर से अभी भी पूछताछ की आवश्यकता है, लेकिन वह
उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि वे उसे जल्द ही रिहा कर देंगे। परिवार और गांव के बुजुर्गों ने इंतजार किया।
अगले दो दिनों तक पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने के बाद भी मुझे वही जवाब मिला।
प्रतिक्रिया।
तीसरे दिन एसएचओ ने अपना रुख बदल दिया। अब उसने हत्या करने से इनकार कर दिया।
उन्होंने सुखविंदर सिंह को निरोधक ठहराया और कहा कि सुखविंदर उनकी हिरासत में नहीं है।
गांव के बुजुर्ग भड़क उठे और कहने लगे कि उन्होंने खुद यह सब देखा था।
सुखविंदर उनकी हिरासत में था। एसएचओ कुमार ने उन्हें थाने से चले जाने का आदेश दिया।
अगले दिन, परिवार और ग्राम प्रतिनिधिमंडल डीएसपी अशोक कुमार से मिलने गए।

और झाबल पुलिस स्टेशन के एसएचओ जे. सिद्धू। जब डीएसपी ने उन्हें एक मिनट इंतजार करने को कहा।
176 राख में तब्दील

अगले दिन प्रतिनिधिमंडल ने मान लिया कि वह सुखविंदर को रिहा करने का वादा कर रहा है।
हालांकि, अगले दिन अखबारों ने एक अज्ञात आतंकवादी की मौत की खबर छापी।
एक कांस्टेबल ने परिवार को बताया कि सुखविंदर ही अज्ञात आतंकवादी था।
रिपोर्ट में संदर्भित।
पुलिस अधिकारी अक्सर स्पष्ट इनकार या अस्पष्ट टिप्पणियों से आगे बढ़कर वास्तव में कार्रवाई करते थे।
सहयोगी संगठन ने उन लोगों को शारीरिक रूप से हिरासत में ले लिया जो बंदियों के बारे में जानकारी लेने आए थे। गुरदेव
सिंह के परिवार के सदस्य, ग्राम परिषद के प्रमुख और अन्य लोगों के साथ बुजुर्ग लोग गुरदेव सिंह की तलाश में तरन तारन के सदर पुलिस स्टेशन गए थे। उसके भाई।15 एसएचओ ने उन पर उग्रवादियों की मदद करने का आरोप लगाया और उन्हें आदेश दिया कि
कैद कर लिया गया। वरिष्ठ अकाली नेता मेजर सिंग उबोके के हस्तक्षेप के बाद ही कई लोगों को बचाया जा सका।
घंटों बाद एसएचओ ने उन्हें रिहा किया।
जांच से बचने के लिए अधिकारी अक्सर झूठ बोलते थे। प्रेस के बारे में रिपोर्ट पढ़ने के बाद
अपने बेटे के कबूलनामे वाली कॉन्फ्रेंस के बाद, बहल सिंह बी.आर. मॉडल अस्पताल की ओर दौड़े।
स्कूल पूछताछ केंद्र।16 वहां पहुंचने पर उसने अपने बेटे निशान सिंह को देखा,
उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी और हाथ पीछे बंधे हुए थे, उसे थाने से बाहर ले जाया जा रहा था।
पुलिस की गाड़ी में। पुलिस द्वारा उसकी हत्या किए जाने के डर से घबराकर, बहल
सिंह चीखने लगा। निशान सिंह के साथ चल रहे पुलिसकर्मियों ने उसे बताया कि वे
वे निशान को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए ले जा रहे थे। उन्होंने बहल सिंह से पूछा कि...
अदालत में भी आएं। बहल सिंह पूरे दिन निर्धारित अदालत में इंतजार करता रहा, लेकिन
पुलिस ने उसके बेटे को पेश नहीं किया। वह वापस पुलिस स्टेशन गया और वहाँ, गेट पर पहुँचते ही वह रोने लगा। एक कांस्टेबल को उस पर दया आ गई और बाद में वह उसे निशान अस्पताल ले गया।
सिंह, जो पुलिस की यातनाओं के कारण हिलने-डुलने में असमर्थ होकर एक कोठरी में पड़े थे। अंततः,
पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ में निशान सिंह को मार डाला।
पुलिस जबरन वसूली
पुलिस ने परिवारों से सुरक्षा सुनिश्चित करने के वादे के बदले में पैसे वसूले।

अपने प्रियजनों की सुरक्षा के लिए। अक्सर, परिवार बड़ी रकम चुकाने में असमर्थ होते थे।
पुलिस अधिकारियों द्वारा, उनकी संपत्ति और सामान बेचने के बाद भी। कई बार, फिरौती मिलने के बाद भी पुलिस ने बंदियों को मार डाला।
सीबीआई की अज्ञात शवदाह गृहों की तीसरी सूची में शामिल मनजीत सिंह का मामला...
यह लेख पुलिस द्वारा जबरन वसूली के इस्तेमाल को दर्शाता है। इसमें उनके पिता का अंदरूनी ब्यौरा भी शामिल है।
पुलिस दुर्व्यवहार के कारण उन्हें पुलिस सेवा से इस्तीफा देना पड़ा।17 इकबाल सिंह के पुत्र 27 वर्षीय मनजीत सिंह उर्फ बिल्ला
सुखजिंदर कौर, नांगली गांव की एक युवा किसान थी। मनजीत ने कुछ समय वहीं बिताया था।
जर्मनी में कई साल बिताने के बाद वह अपने पिता की कृषि में मदद करने के लिए घर लौट आया था।
वह काम करता था। वह अविवाहित था।
मनजीत के पिता इकबाल सिंह 1959 में पंजाब पुलिस में कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुए थे।
और, 31 वर्षों तक सेना में सेवा करने के बाद, उन्होंने 1990 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी।
इस दौरान उनकी तैनाती होशियारपुर सहित पंजाब के कई जिलों में हुई थी। गुरदासपुर और अमृतसर। इकबाल सिंह ने मुख्य रूप से इसलिए जल्दी सेवानिवृत्ति ले ली क्योंकि वह
वह अपने वरिष्ठ अधिकारियों और साथी पुलिसकर्मियों द्वारा हिरासत में किए गए अत्याचारों को सहन नहीं कर सका।
आम सिखों और उनके द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके जबरन वसूली करने के बारे में बताया गया है।

15 सीसीडीपी/01580, क्रमांक 33/76
16 सीसीडीपी/00461, क्रमांक 88/6
17 सीसीडीपी/00126, क्रमांक 194/267
मामले के सारांशों का विश्लेषण 177

निर्दोष व्यक्तियों को अवैध हिरासत में लेना और उनके रिश्तेदारों को या तो भुगतान करने या फिर
उनकी मनमानी फांसी का खतरा। वह नियमित रूप से होने वाले अपराधों से विशेष रूप से भयभीत थे।
अमृतसर के संयुक्त पूछताछ केंद्र में तैनात रहने के दौरान उनके साथी पुलिसकर्मियों द्वारा उन पर हमला किया गया था।
1981 से 1983 की अवधि में प्रशासन केंद्र। इकबाल सिंह के अनुसार, बेईमानी- पुलिस बल के भीतर मौजूद कुछ भ्रष्ट तत्वों ने पंजाब में हिंसक अशांति की स्थिति का फायदा उठाया।
न केवल पैसा कमाने के लिए बल्कि निर्दोषों की हत्या करके तेजी से पदोन्नति प्राप्त करने के लिए भी।

इकबाल सिंह ने लोगों को आतंकवादी करार दिया था। वह एसएचओ के सीधे अधीन काम करता था।
अमृतसर के सदर पुलिस स्टेशन के अजैब सिंह, जो पुलिस बल में भर्ती हुए थे, कांस्टेबल से डीएसपी पद तक पहुंचे। इकबाल सिंह के अनुसार, अधिकांश निचले अधिकारियों ने निर्देशों के तहत अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्तियों पर अत्याचार किए।
अपने वरिष्ठ अधिकारियों से। हालांकि, कई ऐसे अधिकारी भी थे जिन्होंने यातनाएं दीं और हत्याएं कीं।
अपने वरिष्ठों को विद्रोह-विरोधी उत्साह से प्रभावित करने और उन्हें प्रभावित करने के लिए वे अपने कैदियों को पकड़ लेते हैं।
इसी आधार पर पदोन्नति और सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। अमृतसर के सदर के एसएचओ अजैब सिंह।
इकबाल सिंह को लगा कि पुलिस स्टेशन में तैनात अधिकारी भी ऐसे ही अधिकारियों में से एक था।
इन्हीं कारणों से इकबाल सिंह ने समय से पहले सेवानिवृत्ति ले ली। उनके सबसे बड़े बेटे, जिनका नाम
हम खुलासा नहीं करेंगे, वह पहले ही पंजाब पुलिस में शामिल हो चुका था और अभी भी सेवारत है।
एक संवेदनशील पद पर बल प्रयोग। उनका छोटा बेटा मनजीत सिंह जर्मनी चला गया। कुछ वर्षों तक वह अपने पिता के साथ कृषि कार्यों में मदद करने के लिए वापस आ गया।
स्वास्थ्य बिगड़ने लगा था।
24 फरवरी 1992 की सुबह, अमृतसर के सदर जिले से बड़ी संख्या में पुलिस बल ने कार्रवाई की।
पुलिस स्टेशन पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों के साथ छापा मारा गया।
इकबाल सिंह के घर से मनजीत को पूछताछ के लिए सदर पुलिस स्टेशन ले गए।
एएसआई संतोख सिंह और हेड कांस्टेबल गुरबचन सिंह के नेतृत्व में हुई इस गिरफ्तारी में,
गांव में कई लोगों ने इस घटना को देखा।
उसी दोपहर, इकबाल सिंह अपने समर्थकों के साथ एसएचओ अजैब से मिले।
सिंह ने उनसे बहुत ही दोस्ताना लहजे में बात की और उन्हें आश्वस्त किया कि उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
उसने अपने बेटे को पुलिस लॉकअप में मंजीत से मिलने की अनुमति भी दी और उसे कुछ देने के लिए कहा।
खाना। पांच दिन बाद, एसएचओ अजैब सिंह ने इकबाल सिंह से कहा कि उसे 5000 रुपये चुकाने होंगे।
अपने बेटे को पुलिस हिरासत से छुड़ाने के लिए 5 लाख रुपये खर्च करने के बाद, वह इस बात से हैरान रह गया।
इकबाल सिंह ने एसएचओ को उनके साथ काम करते हुए बिताए समय की याद दिलाई। पुलिस बल के लिए। उन्होंने एसएचओ को यह भी बताया कि उनका बेटा निर्दोष है और वह नहीं।
पांच लाख रुपये जुटाने की स्थिति में। एसएचओ ने कहा कि उनके वरिष्ठ अधिकारी

बिना पैसे लिए किसी को रिहा नहीं किया जाएगा और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि
उसका बेटा निर्दोष था। इकबाल सिंह ने यथासंभव अधिक से अधिक धन वसूलने का वादा किया।
अपने बेटे को यथासंभव कम समय में रिहा करवाने के लिए।
इकबाल सिंह ने कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और अन्य सरकारी अधिकारियों को भी टेलीग्राम भेजे।
उन्होंने सरकारी अधिकारियों से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें उनके बेटे की अवैध गिरफ्तारी के बारे में सूचित किया था।
अमृतसर के एसएसपी और रेंज के डीआईजी से उनके बेटे को रिहा करने की मांग की गई।
उसे अवैध हिरासत से छुड़ाया गया या अदालत के सामने पेश किया गया। हालांकि, उसने उन्हें इसकी सूचना नहीं दी।
एसएचओ अजैब सिंह द्वारा इस आशंका से पांच लाख रुपये की मांग के बारे में कि एसएचओ अपने बेटे को नुकसान पहुंचा सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उनकी मुलाकातों का कोई असर नहीं हुआ।
अपने बेटे को पुलिस की अवैध हिरासत से छुड़ाना।
इकबाल सिंह ने अपने बेटे की मृत्यु के 20 दिनों के भीतर लगभग 200,000 रुपये जुटा लिए।
गिरफ्तारी के बाद उसने एसएचओ अजैब सिंह को रकम देने की पेशकश की, जिन्होंने उसे अशिष्टता से जवाब दिया कि वह
बहुत देर हो चुकी थी और उसे अपने छोटे बेटे के बारे में भूल जाना चाहिए था।
एसएचओ ने उसे चेतावनी दी कि वह ऐसा न करे।
अगर उसे अन्य सदस्यों की सुरक्षा की परवाह होती तो वह इस घटना के बारे में किसी से भी बात नहीं करता।
उसका परिवार।
178 राख में तब्दील

इकबाल सिंह को यह भी पता नहीं चल पाया कि उनके बेटे की हत्या कैसे हुई और उसका शव कहाँ है।
निपटा दिया गया। इकबाल सिंह ने अजैब सिंह के डर से कोई कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की।
और उसके वरिष्ठ अधिकारी उसके छोटे बेटे के अपहरण और गायब होने में शामिल हो सकते हैं।
साथ ही, पंजाब पुलिस में कार्यरत उनके बड़े बेटे को भी खत्म कर देना था। मुठभेड़ों के निर्माण की विधियाँ
केस सारांश अनुभाग पंजाब पुलिस द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीकों को उजागर करता है।
उन्होंने अपनी फर्जी मुलाकातों को "संरचित" किया। कई उदाहरणों से पता चलता है कि मारे गए व्यक्तियों में
जिन लोगों से उनकी मुलाकात हुई, वे एक दूसरे को नहीं जानते थे। न ही उनका अपहरण एक ही समय पर हुआ था।
कई उदाहरणों से यह भी पता चलता है कि पुलिस ने युवा पुरुषों को गोली मारकर हत्या कर दी।

22 मई 1992 को, दोपहर लगभग 1:30 बजे, 20 वर्षीय हरविंदरजीत सिंह गिल और उनके साथी
friend Mandeep Singh went to the Sikh Gurdwara Prabandhak Committee (SGPC’s)
अमृतसर में स्वर्ण मंदिर परिसर के भीतर स्थित कार्यालय।20 दोनों को ले जाया जा रहा था-
उनके छात्र पहचान पत्र और हरविंदरजीत सिंह के पास, इसके अलावा, उनकी शिक्षा भी थी।
पूर्व सैनिकों के बच्चों को जारी किया गया राष्ट्रीय रियायत पात्रता कार्ड संख्या 7624।
अपने कार्यालय में एसजीपीसी के कुछ पदाधिकारियों से मुलाकात के बाद, हरविंदरजीत और मनदीप
18 सीसीडीपी/01517, क्रमांक 42/110
19 सीसीडीपी/01589, क्रमांक 43/113; सीसीडीपी/01593, क्रमांक 45/115; सीसीडीपी/01494, क्रमांक 64/158; सीसीडीपी/
01679 और 01680, क्रमांक 86/258 से 88/260; CCDP/013769, क्रमांक 147/582
केस सारांशों का विश्लेषण 179

स्वर्ण मंदिर परिसर से निकल गए। डीएसपी रतन लाल मोंगा, जो सादे कपड़ों में थे,
हरविंदरजीत को बांह से पकड़कर उसे अपनी तलाशी करवाने को कहा।
उसे पता नहीं था कि सादे कपड़ों में एक अधिकारी ने उसे पकड़ा था, और उसने विरोध किया।
इस अभद्र व्यवहार के बारे में उन्होंने जोर-जोर से आवाज उठाई। कहासुनी हाथापाई में बदल गई और दोनों
वे ज़मीन पर गिर पड़े। हरविंदरजीत को अभी भी नहीं पता था कि वह जिस आदमी से झगड़ा कर रहा था...
लिंग पंजाब पुलिस का एक अधिकारी था जब डीएसपी मोंगा ने अपने अधीनस्थों को आदेश दिया कि
उसे गोली मार दो। हरविंदरजीत को गोली लगी और वह सड़क पर गिरकर मर गया। मनदीप सिंह,
जो झगड़ा सुलझाने के लिए बीच-बचाव करने की कोशिश कर रहा था, वह अपने दोस्त को देखकर हैरान रह गया।
गोली लगने से घायल होकर वह खून से लथपथ सड़क पर पड़ा था। मनदीप असमंजस और व्याकुल था।
खुद को बचाने के लिए वह एक चाय की दुकान में घुस गया, लेकिन डीएसपी मोंगा उसके पीछे आ गए और उसे घसीटकर ले गए।
बाहर निकलकर गोली मार दी गई। मनदीप सिंह की भी मौके पर ही मौत हो गई। घटना अमृतसर के सदर पुलिस स्टेशन में हुई।
घटना को मुठभेड़ घोषित करने के लिए एफआईआर संख्या 36 दर्ज की गई।
पुलिस अक्सर संदिग्धों को उनके घरों, खेतों और अन्य स्थानों से अगवा कर लेती थी।

पुलिस चौकियों और ऐसे ही अन्य स्थानों पर काम के दौरान। गांवों की घेराबंदी करने के बाद, पुलिस-
जूँओं के कारण अक्सर गाँव के सभी पुरुष सदस्य खुले मैदानों में इकट्ठा हो जाते थे या
एक गुरुद्वारे के सामने। फिर कई लोगों को ले जाया गया और बाद में उनकी हत्या कर दी गई।
फर्जी मुलाकातें।
पुलिस ने अपने द्वारा मारे गए अधिकांश लोगों का अंतिम संस्कार कर दिया। कुछ मामलों में, उन्होंने...
इन शवदाह संस्कारों में शामिल परिवार के सदस्यों ने शवदाह का प्रबंधन किया। कई परिवार के सदस्यों ने व्यवस्था संभाली।
अपने रिश्तेदार की मृत्यु के बारे में उन्हें पता चलने पर वे अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गए।
अखबारों की खबरों या अफवाहों के आधार पर लोग श्मशान घाट की ओर दौड़ पड़े।
अक्सर, पुलिस
परिवारों को अंतिम संस्कार में शामिल होने से रोका गया, कभी-कभी धमकी भी दी गई।
बल का प्रयोग करें।
कई मामलों में, परिवारों ने जोर देकर कहा कि उनके रिश्तेदार अभी भी पुलिस हिरासत में हैं।
पुलिस अधिकारियों ने दावा किया कि उन्होंने मुठभेड़ में उन्हें मार गिराया है, जबकि हरजीत उन्हें हिरासत में रखे हुए थे।
सिंह का मामला एक उदाहरण है। यह मामला यह भी दर्शाता है कि पंजाब पुलिस ने किस प्रकार एक साजिश को नाकाम किया।
बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रक्रिया।
कश्मीर सिंह के पुत्र 22 वर्षीय हरजीत सिंह, बटर गांव के रहने वाले थे।
कलां. 21 हरजीत एक स्कूटर मैकेनिक था, लेकिन बाद में उसने पंजाब राज्य बिजली विभाग में नौकरी कर ली।
बोर्ड में एक दिहाड़ी मजदूर के रूप में। उस समय पंजाब में हिंसक अशांति के कारण, उनका
पिता ने उसे कर्नाटक में रहने वाले अपने रिश्तेदार जोगिंदर सिंह के पास भेजने का फैसला किया।
भारत के दक्षिण में, पंजाब से बहुत दूर। हरजीत को वहां कौडा साई बांध पर काम मिल गया।
परियोजना। वह अप्रैल 1992 में चुनावों के बाद पंजाब लौट आए जब कांग्रेस-कांग्रेस पार्टी ने बेअंत सिंह की मुख्यमंत्रीशिप में अपनी राज्य सरकार बनाई।
पंजाब पहुँचने के बाद, हरजीत सिंह को अपने रिश्तेदारों से पता चला कि उसका परिवार
उन्हें मिली धमकियों के कारण वे बटर कलां स्थित अपने गांव के घर से दूर रह रहे थे।
अज्ञात हथियारबंद लोगों से संदेश मिल रहे थे। हरजीत के रिश्तेदारों ने भी उसे सलाह दी थी।
अपने गाँव न जाने के लिए। हालाँकि, जट्टन गाँव में कुछ रिश्तेदारों के साथ रहने के बाद।

कुछ समय के लिए, हरजीत सिंह ने अपने गाँव वापस जाने और स्थिति का जायजा लेने का फैसला किया।
स्वयं उसके लिए।
29 अप्रैल 1992 की सुबह, हरजीत बस से अपने पैतृक गांव के लिए रवाना हुआ।
थथियन गांव के पास, पुलिस ने एएसआई राम के नेतृत्व में एक चेकपोस्ट स्थापित किया था।
लुभाया, गागर भाना स्थित पुलिस चौकी के प्रभारी थे। बस को यहीं रोका गया था।
सुबह करीब 11 बजे चेकपोस्ट पर, एएसआई राम ने हरजीत सिंह को नीचे उतरने के लिए कहा।
लुभया, दलजीत सिंह, एक पूर्व उग्रवादी जो पुलिस के लिए काम करता था, जिसे आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है
180 राख में तब्दील

एक 'पुलिस की बिल्ली', कांस्टेबल सतबीर सिंह और कई अन्य पुलिसकर्मी। कश्मीर सिंह, जो एक इंजीनियर थे, उस समय ब्यास में तैनात थे। उन्हें यह पत्र प्राप्त हुआ।
दोपहर करीब 2:30 बजे थाथियन में उनके बेटे की गिरफ्तारी की जानकारी मिलने पर, तुरंत
घटनास्थल पर पहुंचने पर, प्रत्यक्षदर्शियों ने जबरन अपहरण की पुष्टि की। वे यह नहीं बता सके कि पुलिस उनके बेटे को कहाँ ले गई है। कश्मीर सिंह इसके बाद वे अपने बेटे के अपहरण के संबंध में एफआईआर दर्ज कराने के लिए बाबा बकाला पुलिस चौकी गए।
पुलिस चौकी प्रभारी ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया, लेकिन उनकी उपस्थिति में एक संदेश भेजा।
अपहृत व्यक्ति के पिता ने वायरलेस के माध्यम से अपने वरिष्ठ अधिकारी को संदेश भेजा कि वे चाहते हैं कि
एफआईआर दर्ज कराने के लिए।
कश्मीर सिंह ने अपने बेटे की तलाश में कई पुलिस स्टेशनों और पुलिस चौकियों का दौरा किया।
उन्होंने अमृतसर जिले के एसएसपी परमजीत सिंह सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी मुलाकात की।
गिल, आईजी डी. आर. भट्टी। उन्होंने डीएसपी दर्शन सिंह मान से भी तीन बार मुलाकात की और उनसे विनती की।
उन्होंने उससे मदद करने का आग्रह किया। लेकिन उनमें से किसी ने भी दिलचस्पी नहीं दिखाई।
13 मई 1992 को पंजाब के अखबारों में हरजीत की हत्या की खबर छपी थी।
प्रेस रिपोर्टों के अनुसार, सिंह आतंकवादियों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में मारे गए।
उसने बताया कि उसकी हत्या चक निवासी सुरजीत सिंह के पुत्र लखविंदर सिंह के साथ की गई थी।
जमाल खान और एक अन्य अज्ञात आतंकवादी। पहले तो कश्मीर सिंह सदमे में थे।
उसे लगा कि उसके बेटे की हत्या हो गई है। फिर उसे विश्वसनीय सूत्रों से खबरें मिलने लगीं।

उसके बेटे को अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में रखा गया था और उससे पूछताछ की जा रही थी।
उन्होंने काफी प्रयास किए और मेहता चौक पर हरजीत से व्यक्तिगत रूप से मिलने में सफल रहे। उन्होंने हरजीत से व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए मेहता चौक पर जाकर मुलाकात की।
पहले पुलिस स्टेशन और फिर मॉल मंडी पूछताछ केंद्र में। पहले तो उसे उम्मीद थी कि
पुलिस ने उसे रिहा करने की अपील की और विभिन्न अधिकारियों से मिलकर उसे रिहा करने का अनुरोध किया।
बेटे के प्रति उदासीनता और उपेक्षा का सामना करते हुए, उन्होंने याचिका लेकर उच्च न्यायालय का रुख किया।
बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के लिए याचिका, जिसे रिट याचिका संख्या 615/1992 के रूप में चिह्नित किया गया है। न्यायमूर्ति एच.के.
संधू ने एक आदेश जारी किया और आर.एल. भाटिया नामक एक वारंट अधिकारी को काश के साथ जाने के लिए नियुक्त किया।
मीर सिंह की तलाश करें और मॉल मंडी पूछताछ केंद्र में हरजीत सिंह को ढूंढें। वारंट जारी।
अधिकारी आर. एल. भाटिया, कश्मीर सिंह के साथ मॉल मंडी आपराधिक स्थल पर पहुंचे।
हरजीत को 17 अक्टूबर 1992 को सीआईए जांच एजेंसी के पूछताछ केंद्र में देखा गया था।
सिंह अंदर थे। हालांकि, वारंट अधिकारी को इमारत में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई।
हरजीत सिंह को पकड़ो। पुलिस ने उसे पूछताछ के प्रभारी एसपी के आने तक इंतजार कराया।
केंद्र के प्रमुख बी.आर. शर्मा वहां पहुंचे। तब तक पुलिस अधिकारी स्थिति को संभालने में कामयाब हो चुके थे।
हरजीत को पूछताछ केंद्र से पिछले दरवाजे से बाहर निकालें। वारंट के अनुसार-
अधिकारी ने 21 तारीख को उच्च न्यायालय को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में घटनाक्रम के इस क्रम की पुष्टि की।
अक्टूबर 1992।
कश्मीर सिंह को अपने बेटे की अवैध हिरासत के बारे में लगातार खबरें मिलती रहीं।
विभिन्न स्थानों पर। उन्होंने उसे आखिरी बार 4 सितंबर 1992 को कपूरथला शहर में देखा था।
उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त वारंट अधिकारी के निष्कर्षों के आधार पर दो और मामले दर्ज किए गए।
चंडीगढ़ के सत्र न्यायाधीश और बाद में सीबीआई द्वारा की गई जांच।
उनकी जांच के आधार पर दायर किया गया मामला अभी भी अतिरिक्त सत्रों के समक्ष लंबित है।
पटियाला में न्यायाधीश।
एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पारदर्शी जांच की मांग को लेकर एक अभियान शुरू किया।

वे अपने कैदियों के साथ यात्रा कर रहे थे और उन्हें रात भर एक पुलिस स्टेशन में हिरासत में रखा गया।
हालांकि, पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों और केंद्र सरकार में उनके समर्थकों का रुख इससे अलग है।
सरकार उनकी रिहाई सुनिश्चित करने में सफल रही और उनकी जांच शुरू होने के चार दिन बाद...
इसके बाद समूह हरिके पुलिस स्टेशन लौट आया।
केवल सिंह की जिंदगी का अंत 2 जून 1993 को यातना और एक फर्जी मुठभेड़ के साथ हुआ।

टीएडीए का उपयोग और अपराध की अवधारणा
हमारे आंकड़े पंजाब राज्य के इस दावे को चुनौती देते हैं कि अधिकांश लोग सीबीआई की सूचियों में शामिल लोग अपराधी थे। जिन 513 मामलों की हमने व्यक्तिगत रूप से जांच की, उनमें से 100 मामलों में,
पीड़ित परिवारों ने आपराधिक और निवारक हिरासत कार्यवाही का खुलासा किया। पचास-
पीड़ितों में से आठ पर टीएडीए और संबंधित प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए, दो पर मुकदमा चलाया गया
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिए गए 10 लोगों पर शस्त्र अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए।
अकेले, और 30 पर अन्य आपराधिक आरोप थे। आश्चर्यजनक रूप से, अदालत ने बरी कर दिया या फिर से-
100 लोगों में से 86 को जमानत पर रिहा कर दिया गया। शेष 14 लोगों को रिहा नहीं किया गया।
जमानत पर रिहा या बरी किए गए लोगों में से 10 की पुलिस हिरासत में मौत हो गई, मजिस्ट्रेटों द्वारा उन्हें रिमांड पर भेजे जाने के बाद।
उन्हें आगे की जांच के लिए भेजा गया है।
सीसीडीपी द्वारा संकलित आंकड़ों से पुलिस अधिकारियों के व्यवहार की भयावह तस्वीर सामने आती है।
आतंकवादियों ने अपने आतंकवाद-विरोधी शस्त्रागार में एक अतिरिक्त उपकरण के रूप में टाडा का उपयोग किया।
अधिकांश मामलों में यह सामने आया है कि पुलिस ने पीड़ितों को अवैध रूप से हिरासत में लिया और उन्हें यातनाएं दीं।
और फिर उन्हें टीएडीए या अन्य आपराधिक प्रावधानों के तहत फंसाया। डेटा भी 182 राख में तब्दील

इससे पता चलता है कि पुलिस अक्सर उन लोगों पर आतंकवादी अपराधों का आरोप लगाती थी जिन्होंने अपराध नहीं किया था।
अधिकारियों की पैसों की मांगों को पूरा करें। साथ ही, जमानत पर रिहा किए गए अधिकांश लोग
या अदालत द्वारा बरी किए जाने के बाद भी उन्हें बार-बार हिरासत में लिया गया और यातनाएं दी गईं।
पुलिस, जिसके परिणामस्वरूप अंततः उनका गायब होना या गैर-कानूनी तरीके से उनकी हत्या हो जाती है।

दोहरे दंड के विरुद्ध संवैधानिक सिद्धांत और नामित न्यायाधीश द्वारा दिया गया निष्कर्ष
अदालत यह नहीं कह सकती कि किसी व्यक्ति के "जमानत पर रहते हुए कोई अपराध करने की संभावना नहीं है"।
किसी व्यक्ति को बार-बार की इन गिरफ्तारियों से बचाना। पुलिस ने कई लोगों को मार डाला।
पीड़ितों को जेल से रिहा होने के एक साल के भीतर ही रिहा कर दिया जाता है।
राम सिंह का मामला टीएडीए के इस्तेमाल का एक गंभीर उदाहरण प्रस्तुत करता है।23 पुलिस ने 32 वर्षीय विवाहित राम सिंह को बार-बार गिरफ्तार किया था।
और उनके पांच बच्चे थे, क्योंकि उन्हें शक था कि वह मिलियों को शरण दे रहा था और उन्हें खाना खिला रहा था।
उनके पिता गुर सिंह भी डीएसपी परमजीत सिंह के जाने के बाद लापता हो गए थे।
मार्च 1990 में उन्हें हिरासत में लिया गया। अक्टूबर 1990 में डीएसपी परमजीत सिंह ने उन्हें गिरफ्तार किया।
राम सिंह और उसके गांव के अन्य लोगों को सीआईए स्टाफ के पूछताछ केंद्र में ले जाया गया।
तरन तारन स्थित हिरासत केंद्र। एसएसपी अजीत सिंह संधू और एसपी (ऑपरेशन) खुबी।
राम ने राम सिंह को बेरहमी से प्रताड़ित किया। यातना समाप्त होने के बाद ही पुलिस ने उसका तबादला किया।
राम सिंह को झब्बल पुलिस स्टेशन ले जाकर उसके खिलाफ शस्त्र अपराध के तहत मामला दर्ज कराया जाए।
एक्ट और टाडा के तहत राम सिंह ने अमृतसर की उच्च सुरक्षा वाली जेल में एक साल बिताया।
28 दिसंबर 1992 को झब्बल पुलिस ने राम सिंह के लिए प्रोडक्शन वारंट प्राप्त किया।
और उसे रिमांड मिलने से पहले ही पूछताछ के लिए थाने ले आए।
पुलिस हिरासत। पुलिस ने आरोप लगाया कि राम सिंह की उसी शाम मुठभेड़ में मौत हो गई।
शाम करीब 6:30 बजे डोडे गांव के पास। मजिस्ट्रेट ने बिना सोचे-समझे उसकी रिमांड पर मुहर लगा दी।
उनकी वास्तविक मृत्यु के बाद आदेश जारी किया गया।

हिरासत में यातना
यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय या
अपमानजनक व्यवहार या दंड, 1984 यातना को इस प्रकार परिभाषित करता है: "कोई भी ऐसा कार्य जिसके द्वारा
किसी व्यक्ति को जानबूझकर शारीरिक या मानसिक रूप से गंभीर पीड़ा या कष्ट पहुँचाया जाता है।
किसी व्यक्ति से या किसी तीसरे व्यक्ति से जानकारी प्राप्त करने जैसे उद्देश्यों के लिए, या किसी अन्य उद्देश्य के लिए।
इकबालिया बयान, उसे उस कृत्य के लिए दंडित करना जो उसने या किसी तीसरे व्यक्ति ने किया है या जिस पर संदेह है।
किसी अपराध को करने, या उसे या किसी तीसरे व्यक्ति को डराने-धमकाने या मजबूर करने का संदेह है, या

किसी भी प्रकार के भेदभाव पर आधारित किसी भी कारण से, जब ऐसा दर्द या पीड़ा हो
किसी जनता द्वारा, या उसके उकसावे पर, या उसकी सहमति या मौन स्वीकृति से किया गया
अधिकारी या आधिकारिक क्षमता में कार्य करने वाला कोई अन्य व्यक्ति। इसमें दर्द या
केवल कानूनी प्रतिबंधों से उत्पन्न होने वाली, उनमें निहित या उनसे संबंधित पीड़ा।"
यातना के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (1984) का अनुच्छेद 2 राज्य पक्ष को बाध्य करता है-
प्रभावी विधायी, प्रशासनिक, न्यायिक या अन्य कार्रवाई करने के लिए सम्मेलन से संबंध।
अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र में यातना के कृत्यों को रोकने के उपाय। राज्य
किसी भी प्रकार की असाधारण परिस्थितियों का हवाला नहीं दिया जा सकता, चाहे वह युद्ध की स्थिति ही क्यों न हो।
या युद्ध का खतरा, अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक अस्थिरता या कोई अन्य सार्वजनिक आपातकाल,
यातना के प्रयोग को उचित ठहराने के लिए। एक वरिष्ठ अधिकारी या सार्वजनिक आदेश।
अधिकार का इस्तेमाल यातना को उचित ठहराने के लिए भी नहीं किया जा सकता है।

23 सीसीडीपी क्रमांक 00795, क्रमांक 276/959
केस सारांशों का विश्लेषण 183

भारत अपनी केंद्र शासित प्रदेश सरकार के बाद यातना के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का पक्षकार है।
आई. के. गुजराल के प्रधानमंत्रित्व काल में संसद ने 14 अक्टूबर 1997 को इस पर हस्ताक्षर किए।24
भारतीय पुलिस व्यवस्था में हिरासत में यातना देने की समस्या कोई नई बात नहीं है।
1884 में, मद्रास प्रेसीडेंसी ने भारत के यातना आयोग का गठन किया।
पुलिस और राजस्व अधिकारियों द्वारा हिरासत में यातना देने की शिकायतों की जांच करें।
दोषमुक्त व्यक्तियों से स्वीकारोक्ति प्राप्त करने और भू-राजस्व वसूलने का एक व्यवस्थित उपकरण।
आयोग ने 519 शिकायतों की गहन जांच की और पाया कि 79 शिकायतें
पुलिस अधिकारियों के खिलाफ 198 शिकायतें दर्ज की गईं और राजस्व अधिकारियों के खिलाफ 198 शिकायतें दर्ज की गईं।
ये बातें सच थीं। आयोग ने यातना के प्रचलित तरीकों का वर्णन निम्नलिखित में किया।
निम्नलिखित शब्दों में: “पुलिस मामलों में प्रचलित प्रमुख यातनाओं में से एक यह है कि...

निम्नलिखित: किसी रस्सी को पूरी बांह या पैर के चारों ओर कसकर लपेटना ताकि गति बाधित हो सके
रक्त संचार; मूंछों से ऊपर उठाना; बाहों को पीछे बांधकर लटकाना
पीठ; गर्म लोहे से झुलसाना; बढ़ई भृंग जैसे खरोंचने वाले कीड़ों को रखना, नाभि, अंडकोष और अन्य संवेदनशील अंगों पर; कुओं और नदियों में डुबकी लगाना, जब तक कि
पार्टी आधी घुटन से पीड़ित है; अंडकोष निचोड़ना; लाठियों से पीटना; रोकथाम नींद; चिमटे से मांस को नोचना; आँखों में काली मिर्च या लाल मिर्च डालना पुरुषों या महिलाओं के निजी अंगों में इनका प्रवेश कराना; ये क्रूरताएँ कभी-कभी
मृत्यु के अपरिहार्य समय तक संरक्षित रखा गया।25
यातना आयोग की 1855 में प्रकाशित रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया: "जो कुछ भी जीता-
ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोग पुलिस से डरते हैं और उससे बचने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं।
क्या इसका पुलिस जांच से कोई संबंध है? क्या इसका अपराध से जानबूझकर संबंध है?
अपने लाभ के लिए, वे जानबूझकर निर्दोष व्यक्तियों के खिलाफ झूठे आरोप लगाते हैं।
निजी द्वेष या ग्राम गुटबाजी के आधार पर, संदिग्ध व्यक्तियों को जानबूझकर यातना देना
और अन्य अत्यंत जघन्य दुर्व्यवहार कभी-कभार घटित होते हैं।”26
इस रिपोर्ट ने ब्रिटिश सरकार के आधिकारिक हलकों में एक तीखी बहस छेड़ दी। भारत में सरकार के कारण, 1861 के पुलिस अधिनियम में कई संशोधन हुए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम और आईपीसी ने विस्तृत प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय बनाए।
हिरासत में किए गए अपराधों के लिए, हिरासत में लिए गए इकबालिया बयानों को सबूत के तौर पर अस्वीकार्य बना दिया गया, और पूर्व-
कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा हिरासत में यातना देने के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया।27
इन संशोधनों के परिणामस्वरूप धारा 44 के तहत "चोट" की परिभाषा भी निर्धारित हुई।
24 द हिंदू, 15 अक्टूबर 1997, “भारत ने यातना पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में प्रवेश लिया”, पृष्ठ 13.
25 यातना आयोग रिपोर्ट, 1855, संसदीय पत्र 420 1855, राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली; डॉ.
एस. कृष्णमूर्ति, पीएच.डी. आईपीएस, मानवाधिकार और भारतीय पुलिस, आर.आर. पब्लिशर्स, बैंगलोर, 1994, पृ. 35-6, 64.
26 यातना आयोग रिपोर्ट, वही; डॉ. एस. कृष्णमूर्ति, वही, पृ. 72-75.
भारतीय दंड संहिता की धारा 330 और 331 के तहत हिरासत में किए गए अपराधों को कारावास से दंडनीय बनाया गया था।
सात से दस वर्ष तक। धारा 330 कहती है: “जो कोई भी पीड़ित या पीड़ित के किसी हितधारक से किसी अपराध या दुराचार का पता लगाने वाली कोई स्वीकारोक्ति या कोई सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से, या पीड़ित या पीड़ित के किसी हितधारक को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को लौटाने या लौटाने का

कारण बनने, या किसी दावे या मांग को पूरा करने, या किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को लौटाने की दिशा में ले जाने वाली सूचना देने के लिए विवश करने के उद्देश्य से स्वेच्छा से चोट पहुंचाता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से सात वर्ष तक की अवधि के लिए दंडित किया जाएगा, और वह जुर्माने का भी हकदार होगा।” धारा 331 में कहा गया है: “जो कोई भी पीड़ित या पीड़ित से संबंधित किसी भी व्यक्ति से किसी अपराध या दुराचार का पता लगाने में सहायक कोई स्वीकारोक्ति या कोई ऐसी जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से, या पीड़ित या पीड़ित से संबंधित किसी भी व्यक्ति को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को लौटाने या लौटाने का कारण बनने, या किसी दावे या मांग को पूरा करने, या किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को लौटाने में सहायक कोई जानकारी देने के लिए विवश करने के उद्देश्य से स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से 10 वर्ष तक की अवधि के लिए दंडित किया जाएगा, और वह जुर्माने का भी हकदार होगा।”
184 राख में तब्दील

आईपीसी में कहा गया है: “चोट शब्द का अर्थ किसी भी प्रकार की हानि है जो किसी को अवैध रूप से पहुंचाई गई हो।”
व्यक्ति, शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति के मामले में।" आईपीसी की धारा 166 में प्रावधान है
अवज्ञा करने वाले किसी भी लोक सेवक को एक वर्ष की कैद और जुर्माना की सजा दी जाएगी।
कानून के निर्देशों का उल्लंघन करता है और इस तरह की अवज्ञा से किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाता है।
आईपीसी की धारा 348 के तहत तीन साल के कारावास और जुर्माने का प्रावधान है, जो भी व्यक्ति ऐसा करता है।
किसी व्यक्ति को जबरन कबूलनामा करवाने या किसी अन्य प्रकार की अनुचित जानकारी निकलवाने के उद्देश्य से गलत तरीके से कैद करना।
ऐसी जानकारी जिससे किसी अपराध या कदाचार का पता चल सके।
धारा 348 किसी को गलत तरीके से कैद करने वाले व्यक्ति को दंडित करने का प्रावधान करती है।
किसी व्यक्ति से जबरन कबूलनामा आदि करवाने के लिए। इसमें जबरन वसूली के लिए दंड का भी प्रावधान है।
अपराध या गलत जानकारी का पता लगाने के लिए जानकारी निकालने हेतु प्रतिबद्ध कार्य।
नलिका।
हमें नहीं पता कि हिरासत में यातना के खिलाफ इन दंडात्मक प्रावधानों का क्या प्रभाव पड़ा था।
ब्रिटिश शासन के तहत पुलिस व्यवस्था के कामकाज पर कोई प्रभाव पड़ा। कैसे- देश में विभिन्न पुलिस आयोगों द्वारा संकलित साक्ष्यों के आधार पर, स्वतंत्रता, जिसमें तीसरे राष्ट्रीय पुलिस आयोग की रिपोर्ट भी शामिल है, पुनः-
पुलिस जांच के दौरान 'तीसरे दर्जे की विधि' के व्यापक प्रचलन का बार-बार खुलासा हुआ।
जांच पड़ताल। 1961 में गठित पंजाब पुलिस पर महाजन आयोग,

राज्य की पुलिस अधिकारियों, विशेषकर सीआईए पर, व्यवस्थित रूप से दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया गया।
अपनी हिरासत में संदिग्धों के खिलाफ यातनाएं देना।28
26 अगस्त 1994 को, पूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में भारतीय विधि आयोग का गठन किया गया।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के. एन. सिंह ने हिरासत संबंधी अपनी
152 वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की।
प्रधानमंत्री के प्रति अपराधों की टिप्पणी करते हुए कहा गया कि "बढ़ती संख्या से आक्रोशित होकर..."
हिरासत में यातना और मौतों की कई रिपोर्टों के बाद, विधि आयोग ने इस मामले को अपने हाथ में लिया था।
विषय स्वतःस्फूर्त रूप से गहन अध्ययन के लिए” 29
आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि कानून में विसंगतियां और विरोधाभास मौजूद हैं।
साक्ष्य, विशेष रूप से साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 और 27 के बीच, महत्वपूर्ण हैं।
हिरासत में यातना के प्रसार में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अधिनियम की धारा 26
यह मानता है कि "पुलिस की हिरासत में रहते हुए किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी इकबालिया बयान मान्य नहीं होगा।"
यदि कोई अधिकारी मजिस्ट्रेट की तत्काल उपस्थिति में ऐसा नहीं करता है, तो उसे साबित किया जाना चाहिए।
ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध।" आयोग ने बताया कि प्रदान की गई सुरक्षा
इस धारा के तहत हिरासत में यातना के विरुद्ध दिए गए प्रावधान को उपलब्ध छूट द्वारा निरस्त कर दिया गया था।
साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत, यह कहते हुए कि: “बशर्ते कि, जब कोई तथ्य
किसी व्यक्ति से प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप खोजे जाने के रूप में बयान दिया गया
किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को, पुलिस अधिकारी की हिरासत में, ऐसी जानकारी का उतना हिस्सा-
चाहे यह स्वीकारोक्ति हो या नहीं, क्योंकि यह तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित है।
इस प्रकार खोजे गए को सिद्ध किया जा सकता है। धारा 27 ने प्रभावी रूप से स्वीकार्य बना दिया है-
इकबालिया बयानों और भारतीय विधि आयोग की रसीदों के आधार पर वसूली- इसके निरसन की सिफारिश की।30
संवैधानिक दृष्टि से, हिरासत में यातना से सुरक्षा अंतर्निहित है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार की मौलिक गारंटी।
खरक सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अय्यंगार ने कहा कि...
भारत ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश का हवाला देते हुए कहा: "यहाँ प्रयुक्त 'जीवन' शब्द से,
28 Dr. S. Krishnamurthy, Op. Cit. p. 75.

29 भारतीय विधि आयोग, हिरासत में लिए गए अपराधों पर एक सौ बावनवीं रिपोर्ट, 1994, अध्याय
आई. 1.2.
30 वही, अध्याय 3, 3:29.
31 एआईआर 1963 सुप्रीम कोर्ट 1295, 15 के लिए।
केस सारांशों का विश्लेषण 185

इसका अर्थ मात्र पशुवत अस्तित्व से कहीं अधिक है। इसके विरुद्ध अवरोध अभाव उन सभी सीमाओं और क्षमताओं तक फैला हुआ है जिनके द्वारा जीवन का आनंद लिया जाता है।
यह प्रावधान शरीर को विकृत करने या हाथ काटने पर भी समान रूप से रोक लगाता है।
पैर काटना, आंख निकालना या शरीर के किसी अन्य अंग को नष्ट करना
जिसके माध्यम से आत्मा बाह्य जगत से संवाद करती है।”32 बड़ी संख्या में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाद में दिए गए फैसलों ने निषेधाज्ञा को और मजबूत किया है।
यातना के विरुद्ध, जीवन के अधिकार के एक भाग के रूप में। यातना, दंड के एक तत्व के रूप में।
किसी भी रूप में और किसी भी कारण से, यह असंवैधानिक है।33 यहां तक कि शारीरिक प्रतिबंध भी।
ऐसी हिरासत जिसमें शारीरिक या मानसिक पीड़ा पहुंचाई जाती हो, अस्वीकार्य है।34
कैदियों को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रतिबंधित करना, जो दंड संहिता द्वारा उचित नहीं है।
न्यायालय द्वारा दिया गया दंड, जो अनुशासन की आवश्यकताओं से अधिक न हो। यह मानव पतन के समान है और इसे सहन नहीं किया जा सकता है।35
कई फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है।
हिरासत में यातना देने के लिए जिम्मेदार अधिकारी। 1932 में, जब भारत अभी भी ब्रिटिश शासन के अधीन था।
कॉलोनी के संबंध में, मद्रास उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि धारा के तहत अभियोजन के लिए कोई मंजूरी नहीं है।
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 तब आवश्यक थी जब राज्य के किसी अधिकारी के पास, जिसके पास यह शक्ति थी,
अपराधों के संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार करना और हिरासत में रखना, शक्ति का दुरुपयोग करना।
उससे कबूलनामा हासिल करने के लिए उसे यातनाएं दी गईं।36 1985 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने
अदालत ने फैसला सुनाया कि हिरासत में यातना के मामलों में, जहां पीड़ितों को बिना किसी सबूत के छोड़ दिया जाता है,
उनके स्वयं के कथनों को छोड़कर, साक्ष्य के भार से संबंधित प्रथागत कानून में परिवर्तन करना होगा।
और अदालतें आरोपी अधिकारियों के खिलाफ दोष सिद्ध करने के लिए स्वतंत्र हैं।37 इस फैसले ने प्रेरणा दी।
भारत के विधि आयोग को विधि अधिनियम में एक नई धारा जोड़ने की सिफारिश करने के लिए कहा गया है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम.38 यद्यपि इस सिफारिश से अपेक्षित परिणाम नहीं निकला है-
महत्वपूर्ण संशोधन के संबंध में, सर्वोच्च न्यायालय ने दो अन्य महत्वपूर्ण मामलों में इस सिद्धांत को बरकरार रखा है।
महत्वपूर्ण मामलों में। 1992 के एक फैसले में, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि "जब अन्य साक्ष्य
यह साबित करने के लिए पर्याप्त ठोस सबूत कि मृतक की मृत्यु चोटों के कारण हुई।
अभियुक्त द्वारा, परिस्थितियाँ केवल इस बात के अकाट्य निष्कर्ष की ओर ले जाती हैं कि
जिन पुलिसकर्मियों ने उसकी मौत का कारण बनाया, वे ही उसके लापता होने के लिए भी जिम्मेदार होंगे।
शरीर का।"39 एक अन्य मामले में, एक व्यक्ति चोटों के साथ मृत पाया गया था। पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद उसके शव के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया।
32 फील्ड जे, मुन्न बनाम इलिनोइस, 1876 94 यूएस 113 पृष्ठ 142 पर।
33 शीला बारसे बनाम महाराष्ट्र राज्य, जावेद बनाम महाराष्ट्र राज्य, एआईआर 1983 एससी 378; एआईआर 1985
एससी 231
34 इंदरजीत बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, एआईआर 1975 एससी 1867.
35 सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, एआईआर 1968 एससी 1775; सीता राम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, एआईआर
1979 एससी 745; सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, एआईआर 1988 एससी 1579, पैरा 31, 42; जावेद बनाम महाराष्ट्र राज्य, एआईआर 1985 एससी 231, पैरा 4, शेर सिंह बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 1983 एससी 465, पैरा 11।
36 गणपति गौंडर बनाम सम्राट, एआईआर 1932 मद्रास 214, 215: 33 क्रिमिनल लॉ जर्नल 557.
37 उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राम सागर यादव, एआईआर 1985 एससी 416.
भारत के विधि आयोग की "पुलिस हिरासत में चोटें" पर 113 वीं रिपोर्ट में निम्नलिखित को शामिल करने की सिफारिश की गई थी:
साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित धारा: 114B. (1) किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट पहुँचाने के आरोप में किसी पुलिस अधिकारी पर अभियोग चलाते समय, यदि यह साक्ष्य हो कि चोट उस अवधि के दौरान लगी जब वह व्यक्ति पुलिस की हिरासत में था, तो न्यायालय यह अनुमान लगा सकता है कि चोट उस अवधि के दौरान उस व्यक्ति की हिरासत में रहे पुलिस अधिकारी द्वारा पहुँचाई गई थी। (2) न्यायालय उपधारा (1) के तहत अनुमान लगाने के संबंध में निर्णय करते समय सभी प्रासंगिक परिस्थितियों पर विचार करेगा, जिनमें विशेष रूप से शामिल हैं: (क) हिरासत की अवधि, (ख) पीड़ित द्वारा चोट लगने के तरीके के संबंध में दिया गया कोई भी बयान, जो साक्ष्य में स्वीकार्य हो, और (ग) किसी भी मजिस्ट्रेट का साक्ष्य जिसने पीड़ित का बयान दर्ज किया हो या उसे दर्ज करने का प्रयास किया हो।
186 राख में तब्दील

कि "यह साबित करने का भार राज्य पर था कि पीड़ित को चोट कैसे लगी।"
जिन चोटों के कारण उनकी मृत्यु हुई।40

ये उच्च सिद्धांत हैं। लेकिन, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, इनका संवैधानिक और
व्यवहारिक स्तर पर न्यायिक पेशे एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। हमारे आंकड़ों से पता चलता है कि पंजाबियों पर अत्याचार करने का एक व्यवस्थित पैटर्न और तरीका अपनाया जाता था।
पंजाब पुलिस, भारतीय सेना, अर्धसैनिक बलों और सीआरपीएफ द्वारा नागरिकों पर हमले किए गए।
विभिन्न मानवाधिकार समूहों ने यातना के तरीकों और प्रथाओं का दस्तावेजीकरण भी किया है।
पंजाब पुलिस द्वारा अपने आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान।41
इस लेख में, हम सबसे पहले पंजाब पुलिस द्वारा यातना का प्रयोग करने के कारणों पर चर्चा करेंगे।
लापता होने या गैर-न्यायिक हत्याओं के शिकार लोग। फिर, हम इसके उपयोग पर विचार करते हैं।
परिवार के सदस्यों के खिलाफ यातना के मामलों में, यातना के उपयोग को संबोधित करते हुए
जानकारी प्राप्त करना। इसके बाद, हम अपने मामले से सामने आए अन्य अनुभवों पर प्रकाश डालते हैं।
उदाहरण के तौर पर, पुलिस हिरासत में मौजूद महिलाओं के मामले।
लापता होने या गैर-न्यायिक हत्याओं के शिकार
सीसीडीपी के आंकड़ों से पता चलता है कि पंजाब पुलिस ने अधिकांश पीड़ितों को यातनाएं दीं।
बाद में वे या तो गायब हो गए या मारे गए, साथ ही उनके परिवार के सदस्य भी। आगे-
अन्य बातों के अलावा, प्रेरणाओं में निम्नलिखित प्रमुख हैं: [1] धन की उगाही; [2] के प्रभाव
स्थानीय प्रतिशोध; [3] आतंकवादियों को शरण देने का संदेह; [4] संदेह पारिवारिक और ग्रामीण संबंधों के कारण उग्रवादियों के साथ सहयोग; [5] सस-उग्रवादी आंदोलन के प्रति सहानुभूति का भाव; [6] सत्ता-विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता
राजनीति; और [7] सिखों के उस संप्रदाय से संबंधित, जिसे खालसा के नाम से जाना जाता है।
टाडा पर लिखे नोट में उल्लेख किया गया है कि कई लोगों को अवैध हिरासत में यातनाएं भी दी गईं।
उनके खिलाफ आपराधिक आरोप तय होने से पहले और अदालत द्वारा बरी किए जाने के बाद-
उन्हें रिहा कर दिया गया या जमानत पर छोड़ दिया गया। गुमशुदा लोगों और गैर-न्यायिक हत्याओं के शिकार लोग...
फांसी से ठीक पहले ही कैदियों को यातनाएं नहीं दी गईं।
उनकी मृत्यु से महीनों या वर्षों पहले यातनाएं दी गईं, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर यह हुआ कि
वे अपने घरों से भाग गए। इस प्रकार, पुलिस ने सभी उद्देश्यों के लिए बंदियों को यातनाएं दीं।
संयुक्त राष्ट्र यातना विरोधी सम्मेलन (1984) की परिभाषा में सूचीबद्ध।

नीचे दिए गए उदाहरण प्राथमिक पीड़ित के खिलाफ पुलिस द्वारा यातना के प्रयोग को उजागर करते हैं।
गुमशुदगी या गैर-न्यायिक हत्या के मामले।
ज़बरदस्ती वसूली
बीस वर्षीय गुलशन कुमार, चमल लाल और सीता रानी के सबसे बड़े पुत्र थे।
वह स्कूल जाता था और अपने माता-पिता को सब्जियां बेचने में भी मदद करता था। 42
22 जून 1993 की देर शाम, लगभग 10:30 बजे, एक विशाल पुलिस बल ने, नेतृत्व में,
तरनतारन के डीएसपी दिलबाग सिंह और SHO गुरबचन सिंह मनोचाहल द्वारा
शहर पुलिस स्टेशन से अधिकारी चमन लाल के घर आए और उन्हें दरवाजा खोलने का आदेश दिया।
दरवाजे। डीएसपी के निर्देश पर, पुलिस ने सभी पुरुषों को पकड़ लिया।
40 नीलाबाती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य, 1993 2 एसईसी 746.
41 मानवाधिकार चिकित्सक (डेनमार्क), आंखें बंद: पंजाब में यातना का प्रचलन (1999); मानव
राइट्स वॉच और फिजिशियंस फॉर ह्यूमन राइट्स, डेड साइलेंस: द लेगेसी ऑफ एब्यूजेस इन पंजाब (1994); एमनेस्टी इंटरनेशनल, इंडिया: टॉर्चर, रेप एंड डेथ्स इन कस्टडी (1992); एमनेस्टी इंटरनेशनल, इंडिया: ह्यूमन राइट्स वायलेशंस इन पंजाब, यूज एंड एब्यूज ऑफ द लॉ (1991)।
केस सारांशों का विश्लेषण 187

घर में मौजूद परिवार के सदस्यों ने उन्हें चोर कहकर पीटना शुरू कर दिया। उन्हें घर के अंदर ही प्रताड़ित किया गया। गुलशन को विशेष रूप से निशाना बनाया गया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया;
डीएसपी और अन्य अधिकारियों ने बार-बार उससे कुछ चोरियों को कबूल करने की मांग की।
और सभी चोरी का सामान पेश करो। यातना के दौरान गुलशन चीखने लगा। जब एक बहुत सारे पड़ोसी यह देखने के लिए घर के पास पहुंचे कि क्या हो रहा है। पुलिस ने गुलशन, उसके भाइयों और उसके पिता को जबरदस्ती पुलिस वाहन में बिठाया और ले गई।
उन्हें तरन तारन के सिटी पुलिस स्टेशन ले जाया गया। चमन लाल के अनुसार, पुलिस ने भी
उन्होंने अपनी 18 वर्षीय बेटी इंदरजीत को पुलिस स्टेशन ले जाने की कोशिश की। हालाँकि,
पड़ोसियों ने हस्तक्षेप किया और उन्हें ऐसा करने से रोक दिया।
At the Tarn Taran City police station, SHO Gurbachan Singh Manochahal forced
उन सभी को मुंह के बल जमीन पर लेटने को कहा गया और उनकी जमकर पिटाई की गई। पुलिस
गुलशन के पैरों को 180 डिग्री के कोण पर खींचकर अलग कर दिया गया। इस यातना के बाद, गुलशन...
चलने में असमर्थ। अगले तीन दिनों तक पुलिस ने चमन लाल को लगातार प्रताड़ित किया।

परिवार पुलिस हिरासत में था। 26 जून को पुलिस ने चमन लाल और उसके एक सदस्य को रिहा कर दिया।
तरन तारन के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों के एक बड़े समूह द्वारा पुलिस स्टेशन का दौरा करने के बाद बेटों ने पुलिस से मुलाकात की।
स्टेशन को उनकी ओर से हस्तक्षेप करना चाहिए। बॉबी और बलविंदर, गुलशन कुमार के भाई-
अन्य लोगों को 28 और 30 जून को रिहा कर दिया गया। लेकिन पुलिस ने गुलशन को रिहा नहीं किया।
कुमार। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि ठीक होने के बाद उसे रिहा कर दिया जाएगा।
उसके शरीर पर लगी चोटों से।
एक सप्ताह बाद, डीएसपी दिलबाग सिंह ने गुलशन की रिहाई के लिए 200,000 रुपये की मांग की।
चमन लाल इतनी बड़ी रकम चुकाने की स्थिति में नहीं थे और उन्होंने डीएसपी से गुहार लगाई।
फिरौती माफ करने के लिए। डीएसपी ने उससे कहा कि अगर उसे फिरौती चाहिए तो उसे पैसे जुटाने होंगे।
अपने बेटे को जीवित देखना। इसके बाद चमन लाल एसएसपी अजीत सिंह संधू से मिले और उन्हें इस बारे में जानकारी दी।
डीएसपी दिलबाग सिंह ने अपने बेटे की रिहाई की मांग की। एसएसपी ने मांग ठुकरा दी।
चमन लाल ने हस्तक्षेप किया और उनसे डीएसपी से सीधे बात करने को कहा। चमन लाल ने डीएसपी दिलबाग से मुलाकात की।
उन्होंने सिंह से दोबारा अनुरोध किया कि वे अपनी मांगी गई रकम कम कर दें। जब डीएसपी ने कोई रियायत देने से इनकार कर दिया, तो चमन लाल ने कोशिश करने का वादा किया और
धन जुटाने के लिए। डीएसपी ने चमन लाल को पुलिस स्टेशन में अपने बेटे से मिलने की अनुमति दी।
और उसके लिए खाना और कपड़े बदल कर ले आओ।
लेकिन पुलिस ने गुलशन को प्रताड़ित करना जारी रखा। पुलिस स्टेशन के दौरे के दौरान,
चमन लाल और गुलशन के भाइयों ने उसकी स्थिति को लगातार बिगड़ते हुए देखा।
गंभीर स्थिति। चमन लाल ने आखिरी बार अपने बेटे को तरन तारन शहर की हिरासत में देखा था।
पुलिस 22 जुलाई 1993 को वहाँ पहुँची थी। गुलशन अपना शरीर हिला नहीं पा रहा था। चमन लाल ने उसे हिलाने की कोशिश की।
गुलशन ने अपने हाथों से उसे खाना खिलाया, लेकिन गुलशन खाना निगल नहीं सका।
गुलशन की अंततः गैर-न्यायिक हत्या की कहानी इस खंड में पढ़ी जा सकती है।
मामले के सारांशों का संकलन। उनके अनुभवों से यातना के कुछ तरीकों पर प्रकाश पड़ता है।
पुलिस द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है, और पुलिस परिवारों से पैसे वसूलने के लिए यातना का इस्तेमाल करती है।
कई मामलों में, परिवारों ने अधिकारियों को रिश्वत दी और अपने रिश्तेदारों को छुड़ाने में सफल रहे।
पुलिस द्वारा यातना, कभी-कभी केवल अस्थायी रूप से।

आतंकवादियों को शरण देना
दलबीर सिंह उर्फ बलबीर, 30 साल का था और गांव पट्टी बाजे की में रहता था झबल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सोहल। वह विवाहित थे और उनकी एक बेटी थी। 43 उग्रवाद भड़कने के तुरंत बाद, पुलिस को शक होने लगा कि दलबीर
43 सीसीडीपी/01403, क्रमांक 175/669
188 राख में तब्दील

उसने अपने फार्महाउस में सशस्त्र आतंकवादियों को पनाह दी थी। झबल पुलिस अक्सर उसके घर पर छापा मारती थी।
घर में, वे उसे नियमित रूप से गिरफ्तार करते थे और क्रूर यातनाओं के तहत उससे पूछताछ करते थे।
गांव के बुजुर्गों ने कई बार हस्तक्षेप किया और उनकी रिहाई सुनिश्चित की।
परिवार को भी कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
पुलिसकर्मियों को रिश्वत देना। 1991 में, पुलिस ने दलबीर को शस्त्र निषेध कानून के तहत एक मामले में फंसाया।
उसे गिरफ्तार कर छह महीने के लिए जेल भेज दिया गया। जमानत पर रिहा होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
उन्होंने उसे फिर से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। 1992 की शुरुआत में, दलबीर अपनी पत्नी और बेटी के साथ,
वह उत्तर प्रदेश चले गए जहां उनके रिश्तेदार रहते थे।
इसके बाद पुलिस ने उसके बड़े भाई कश्मीर सिंह को पेशी के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।
दलबीर सिंह झबल पुलिस स्टेशन में था। दबाव में आकर दलबीर सिंह वापस आया और चला गया।
अप्रैल 1992 के तीसरे सप्ताह में पुलिस स्टेशन में। पुलिस ने गैरकानूनी रूप से हिरासत में लिया और
कई दिनों तक यातना देकर उससे पूछताछ की गई और फिर उसे घर लौटने की अनुमति दी गई।
29 अप्रैल 1992 की सुबह, दलबीर सिंह एक दूरदराज के फार्म हाउस में गए। रिश्तेदार प्रीतम सिंह, जो उसी गांव में रहते थे, आघात से उबरने के लिए वहां आए थे।
मामले के सारांश वाले अनुभाग में बताया गया है कि उसे कैसे पकड़ा गया और कुछ ही समय में मार दिया गया।
कुछ घंटों बाद। हरजीत सिंह का मामला पंजाब के बर्बर चरित्र को उजागर करता है।
पुलिस द्वारा यातना का प्रयोग। पच्चीस वर्षीय हरजीत सिंह अपनी चाची से मिलने गया था।
1 अगस्त 1990 को मन्नान गांव में।44 झबल और तारन से एक बड़ी पुलिस फोर्स। तारन पुलिस स्टेशन ने लालू घुमन और मन्नान गांवों को घेर लिया था।
सूचना के आधार पर यह बात सामने आई कि आतंकवादी दोनों गांवों के बीच छिपे हुए थे। एसएचओ गुरदेव
झबल पुलिस स्टेशन के सिंह ने हरजीत को गिरफ्तार कर लिया। बड़ी संख्या में लोग इस घटना के साक्षी बने।
उसकी गिरफ्तारी। पुलिस हरजीत को पूछताछ के लिए झबल पुलिस स्टेशन ले गई। कुछ

कुछ घंटों बाद, एसएचओ ने हरजीत को एक पुलिस जीप से बांध दिया और उसे इधर-उधर घसीटा।
पुलिस स्टेशन के बाहर सड़क पर पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का उदाहरण पेश करने के लिए
वे लोग जिन्होंने भूमिगत उग्रवादियों को शरण दी या उनका समर्थन किया। भयावह दृश्य
झबल में बड़ी संख्या में लोगों ने इस घटना को देखा। संभवतः, हरजीत को प्रताड़ित किया गया था।
इससे मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने दारा के बेटे कश्मीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया।
लालू घुम्मन गांव के सिंह को आतंकवादियों के ठिकाने की पहचान करने के लिए मजबूर किया गया था।
परिवार के सदस्य
केस सारांश अनुभाग में उल्लिखित कई मामले दर्शाते हैं कि पुलिस किस प्रकार यातना देती है-
परिवार के सदस्यों को उनके उन रिश्तेदारों को पेश करने के लिए मजबूर किया गया जो शामिल हो गए थे।
भूमिगत उग्रवादियों और उनके ठिकाने के बारे में जानकारी के लिए। डेटा इससे पता चलता है कि पुलिस केवल कुछ ही मामलों में जानकारी प्राप्त करने में सफल रही।
इससे पता चलता है कि अधिकांश परिवार इसमें शामिल नहीं थे।45
जसविंदर सिंह के बड़े भाई बलजिंदर सिंह सिख छात्र संघ के सदस्य थे।
संघ और एक संदिग्ध उग्रवादी के बीच झड़प। बलजिंदर के लापता होने की कहानी। उसके परिवार के सदस्यों पर हुए अत्याचार, और उसके बाद उसके पिता का लापता हो जाना।
मामले के सारांश में दादाजी का जिक्र किया गया है।46 1988 की शुरुआत में, टार्न टारन के
सीआईए के कर्मचारियों और पुलिस ने बलजिंदर सिंह को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पर छापा मारना शुरू कर दिया। उन्होंने गैरकानूनी रूप से
उन्हें दो सप्ताह तक हिरासत में रखा गया और यातनाएं दी गईं, फिर बिना कोई कार्रवाई किए रिहा कर दिया गया।
औपचारिक आरोप। जून 1990 में, उन्होंने बलजिंदर को फिर से गिरफ्तार किया लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बाद उसे रिहा कर दिया।
44 सीसीडीपी/00144
45 देखें सीसीडीपी/01548, क्रमांक 294/994; सीसीडीपी/01553, क्रमांक 315/1031; सीसीडीपी/01201 और 01202, क्रमांक।
120/10 और 121/11; सीसीडीपी/01207, क्रमांक 451/113; सीसीडीपी/01214, क्रमांक 608/170; सीसीडीपी/01362, क्रमांक 193/30; सीसीडीपी/01435, क्रमांक 617/1059; सीसीडीपी/01288, क्रमांक 428/265
केस सारांशों का विश्लेषण 189

पिता ने 20,000 रुपये दिए। इन अनुभवों के बाद बलजिंदर भूमिगत हो गया। इसके बाद पुलिस ने उसके परिवार के सदस्यों को निशाना बनाया। पिछले सप्ताह के एक दिन

अक्टूबर 1992 में, एसएचओ के नेतृत्व में पंजाब पुलिस सहित एक संयुक्त पुलिस बल का गठन किया गया था।
सरहाली पुलिस स्टेशन के मेजर सिंह और सीआरपीएफ अधिकारियों की एक टुकड़ी ने छापा मारा।
सुखदेव सिंह के घर पर छापा मारा और उन्हें तथा उनके छोटे बेटे जसविंदर को हिरासत में ले लिया।
उन्हें सबसे पहले अमृतसर स्थित बी.आर. मॉडल स्कूल पूछताछ केंद्र ले जाया गया।
जहां पुलिस ने बलजिंदर के ठिकाने के बारे में उनसे बेरहमी से यातनाएं देकर पूछताछ की।
लगभग। उसी दिन बाद में, उन दोनों को सुल्तानविंड पुलिस स्टेशन ले जाया गया और
फिर उन्हें टार्न तारन स्थित सीआईए स्टाफ पूछताछ केंद्र ले जाया गया। चार दिनों तक,
पुलिस ने सुखदेव सिंह और जसविंदर दोनों को बेरहमी से प्रताड़ित किया। जसविंदर ने बताया कि
सीसीडीपी जांच टीम को उनका अनुभव:
बी.आर. मॉडल स्कूल में, एसएचओ मेजर सिंह ने छह अन्य पुलिसकर्मियों की सहायता से,
उन्होंने हमसे पूछताछ की। मुझे एक बड़े हॉल में ले जाया गया। एसएचओ ने मुझे कई बार थप्पड़ मारे और
उसने मुझसे पूछा कि मेरा भाई कहाँ है। मुझे नहीं पता था और मैंने उसे यही बताया।
एसएचओ ने कहा, 'ठीक है, मैं तुम्हें याद दिलाने में मदद करता हूँ कि तुम्हारा भाई कहाँ छिपा है', और
मुझे छत से उल्टा लटका दिया गया था और कई पुलिसकर्मी मुझे पीट रहे थे। बड़ी-बड़ी छड़ें। कुछ समय बाद, मुझे नीचे उतारा गया और वही सवाल पूछा गया। मैं कोई जवाब नहीं दे सका, पुलिसकर्मियों ने मेरे पैर खींचना शुरू कर दिया।
क्षैतिज रूप से, जिससे मेरी जांघ की मांसपेशियां फट गईं। फिर उन्होंने मेरे हाथ और पैर बांध दिए और
उन्होंने बिजली के झटके देना शुरू कर दिया। इस दौरान, मेरे पूछताछकर्ता बार-बार यही दोहराते रहे...
वही सवाल। मुझे बस यह नहीं पता था कि मेरा भाई कहाँ है। नहीं तो, मैं मैंने यातना से बचने के लिए यह बात बताई। दो घंटे बाद मुझे कमरे से बाहर ले जाया गया।
फिर मेरे पिता को लाया गया। मैं अर्धचेतन अवस्था में थी, लेकिन फिर भी मैं अपनी आवाज़ें सुन सकती थी।
पिता दर्द से चीख रहे थे। उन्हें तीन घंटे तक यातना दी गई।
बाद में हम दोनों को जबरदस्ती एक जीप में बिठाकर सुल्तानविंड पुलिस स्टेशन ले जाया गया।
हमें दो घंटे के लिए एक कोठरी में बंद कर दिया गया था। किसी ने भी हमें यातना नहीं दी या हमसे पूछताछ नहीं की।
वहाँ। लेकिन दो घंटे बाद, हमें टार्न तारन में सीआईए के स्टाफ कार्यालय ले जाया गया।

जहां पूछताछ की वही प्रक्रिया दोबारा शुरू हुई।
सुखदेव सिंह और जसविंदर को पांच दिन बाद अवैध कारावास से रिहा कर दिया गया।
पंजाब में शिक्षक संघ द्वारा हड़ताल पर जाने की धमकी के बाद हिरासत में लिया गया। 31 तारीख को
अक्टूबर 1992 में सुखदेव सिंह और उनके ससुर सुलाखन सिंह को गिरफ्तार किया गया।
सरहाली पुलिस स्टेशन के एसआई अवतार सिंह उन्हें उनके घर से फिर से ले गए। पूछताछ के लिए। बाद में वे दोनों लापता हो गए।
परिवार के सदस्यों पर होने वाली इस तरह की यातनाएं अक्सर उनके लापता होने या शारीरिक रूप से प्रताड़ित होने का कारण बनती थीं।
दुर्बलता। उदाहरण के लिए, बलविंदर सिंह के चाचा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।
बलविंदर सिंह से उसके संबंध के कारण उसे फर्जी मुठभेड़ में मार दिया गया। 47
ब्यास पुलिस ने उसके पिता के भाई बचन सिंह को भी प्रताड़ित किया और उसे बिस्तर पर छोड़ दिया।
तीन साल तक लगातार सवारी करने के कारण उसकी मौत हो गई। मॉल मंडी इंटर- के अधिकारियों ने बताया कि...
रोग निवारण केंद्र ने तरलोचन सिंह के पिता किशन सिंह को प्रताड़ित किया; अब वे अपने दांतों का उपयोग करने की क्षमता खो चुके हैं।
उसकी बाहों से। पुलिस उसके हाथों को उसकी पीठ के पीछे बांधकर उसे लटका देती थी।
उसके हाथों में एक रस्सी बंधी थी जो छत में लगे एक बड़े हुक से होकर गुजरती थी।
छत के मध्य में। 48
पुलिस आमतौर पर परिवार के सदस्यों से जानकारी प्राप्त करने में विफल रहती थी।
यातना का प्रयोग। हालाँकि, पुलिस ने यातना के अपने प्रयोग को उचित ठहराना जारी रखा।
47 सीसीडीपी/ओ 1633, क्रमांक 341/60
190 राख में तब्दील

जानकारी, भले ही पीड़ितों ने अपनी अनभिज्ञता पर जोर दिया हो। गुरदेव सिंह के अनुसार
इस मामले में, इंस्पेक्टर तिवारी के नेतृत्व में सीआरपीएफ अधिकारियों ने यातना देना जारी रखा, इसके बावजूद
गुरदेव ने बार-बार इन आरोपों का खंडन किया कि वह एक उग्रवादी था या उसके पास कोई हथियार था।
आतंकवादी कार्रवाई के लिए हथियारों का जखीरा।49 पुलिस हरदीप सिंह को गुरदेव के पास ले आई।
पूछताछ कक्ष में ले जाकर उससे आरोपों को दोहराने को कहा गया। गुरदेव ने अपनी बात जारी रखी।
जब उसने आरोपों से इनकार किया, तो पुलिस ने उसकी यातना की तीव्रता बढ़ा दी, जब तक कि उसने आत्मसमर्पण नहीं कर दिया।

पुलिस की यातनाओं के कारण उसकी हालत बहुत खराब थी। अगली सुबह जब वह लौटी तो...
सुबह करीब पांच बजे पुलिस चौकी पर उसने पुलिस को अरूर सिंह को स्नान के लिए ले जाते हुए देखा।
कमरा.52 उसकी दोनों भुजाएँ टूटी हुई थीं। अरूर सिंह ने अपनी पत्नी से बात की और उससे पूछा कि...
पुलिस ने उसके मामले को पूरी सख्ती से आगे बढ़ाया। अंततः पुलिस ने उसे अवैध हिरासत में मार डाला।
पुलिस अक्सर हिरासत में लिए गए लोगों को तलाशी अभियान के लिए उनके घरों में वापस ले जाती थी।
परिवार के सदस्यों ने पुलिस को पीड़ितों को अंदर-बाहर घसीटते हुए देखा। पीड़ितों को वाहनों की आवश्यकता थी क्योंकि वे स्वयं चल नहीं सकते थे।53 एक मामले में, पुलिस ने वास्तव में शवों को परिवारों को लौटा दिया, हालांकि उन्होंने
49 सीसीडीपी/01580, क्रमांक 33/76
50 सीसीडीपी/01529, क्रमांक 55/145
51 सीसीडीपी/01493, क्रमांक 229/853
52 सीसीडीपी/00543, क्रमांक 274/967
केस सारांशों का विश्लेषण 191

सीबीआई सूची में पुलिस द्वारा दाह संस्कार किए गए लोगों के रूप में सूचीबद्ध हैं (क्रम संख्या 72 देखें)।
183). शवों पर भीषण यातना के निशान थे। उनके नाखूनों को फिर से काट दिया गया था।
वे हिल गए। पुलिसकर्मियों के साथ भारी लट्ठों को लुढ़काने से उनकी जांघों पर चोट के निशान पड़ गए थे।
उन पर खड़े होना, यातना देने का एक आम तरीका था।
औरत
पंजाब पुलिस ने उन लोगों की महिला रिश्तेदारों का यौन उत्पीड़न किया, जिन्हें अंततः हिरासत में लिया गया।
लापता हो गए या उन्हें मार डाला गया।
जंडियाला पुलिस नियमित रूप से रचपाल सिंह को परेशान करती थी क्योंकि वे... स्थानीय प्रभावशाली लोगों द्वारा घेरा गया, जिनसे रचपाल ने दुश्मनी मोल ली थी। पुलिस
राछपाल को हिरासत में लिया गया और उसे प्रताड़ित किया गया, साथ ही उसे टीएडीए के तहत एक आपराधिक मामले में फंसाया गया।
एक साल बाद रचपाल को बरी कर दिया गया, लेकिन पुलिस ने उसे परेशान करना जारी रखा।
जब रचपाल घर छोड़कर चला गया, तो पुलिस ने उसके परिवार के सदस्यों को निशाना बनाना शुरू कर दिया।
पुलिस नियमित रूप से परिवार के सदस्यों और अन्य रिश्तेदारों को उठाती और यातना देती थी, जिनमें शामिल थे-
महिलाओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने गर्भवती महिलाओं को भी नहीं बख्शा। रचपाल की भाभी, उसकी

भाई बलराज सिंह की पत्नी और उनके चचेरे भाई तरसेम सिंह की पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया।
पुलिस स्टेशन में दो बच्चे। रचपाल की तीन बहनों का अक्सर अपहरण कर लिया जाता था और
अवैध पुलिस हिरासत में अपमानित किया गया। उनके पिता परगत सिंह और भाई बलराज।
सिंह को तरन तारन के सीआईए पूछताछ केंद्र में लगातार हिरासत में रखा गया था।54
एक अन्य मामले में, तरन तारन के एसएसपी अजीत एस. संधू ने अपने पति की पत्नी के साथ जबरदस्ती की।
जिस व्यक्ति को वे शुरू में हिरासत में लेकर उसके घर पर एक रात बिताना चाहते थे। पैंतीस-
पूरन सिंह और केसर कौर के पुत्र, 20 वर्षीय सरदुल सिंह, एक कांस्टेबल थे। पंजाब सशस्त्र पुलिस ने उसे हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
सीनेट के पुलिस महानिदेशक, जूलियो रिबेरो। 55 वर्ष की आयु में, तीन साल जेल में बिताने के बाद, उन्हें
जमानत पर रिहा होने के बाद उन्होंने एक डेयरी फार्म खोला और वेरका के सचिव बन गए।
सहकारी समिति। वह नियमित रूप से अपनी अदालती सुनवाई में उपस्थित होते थे। दिसंबर 1992 के पहले सप्ताह में, टार्न तारन पुलिस के अधिकारियों के एक समूह ने
जब सरदुल भुगतान लेने बाहर गया हुआ था, तब थाने ने उसके घर पर छापा मारा। उन्होंने उसके घर पर छापा मारा।
परिवार को बताया गया कि सरदुल को एसएसपी संधू को रिपोर्ट करना होगा। दो हफ्ते बाद, सरदुल के बाद
जब वह थाने में पेश नहीं हुआ, तो अधिकारियों ने उसके घर पर दोबारा छापा मारा और उसे ले गए।
उनकी पत्नी मनजीत कौर को अवैध हिरासत में ले लिया गया। उन्हें तरन तारन पुलिस स्टेशन में रखा गया।
उन्हें 12 दिनों तक और फिर छह दिनों तक गोइंदवाल पुलिस स्टेशन में रखा गया। उसके बाद एसएसपी संधू को 12 दिनों के लिए हिरासत में रखा गया।
उसने उसे अपने घर पर एक रात बिताने के लिए मजबूर किया।
सरदुल सिंह ने पुलिस मुखबिर की मदद से अपनी पत्नी की रिहाई के लिए बातचीत की, लेकिन फिर भी वह रिहा हो गई।
अजीत सिंह फूला के मुख्यालय में दो दिन बिताने पड़े, जो एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता था।
मुखबिर और पंजाब पुलिस। सरदुल सिंह पर हुए अत्याचारों की कहानी।
उनकी गिरफ्तारी और फांसी की सजा का विवरण उनके मामले के सारांश में दिया गया है।

भारतीय सशस्त्र बल
यह नोट सबसे पहले बुनियादी कानूनी ढांचे का वर्णन करेगा जो उपयोग और संचालन को निर्देशित करता है।

सशस्त्र बलों का संचालन, सामान्य रूप से और साथ ही आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान भी।

54 सीसीडीपी/01509, क्रमांक 614/173
192 राख में तब्दील

पंजाब में संचालन। कानूनी ढांचा स्थापित करने के बाद, यह नोट वर्णन करेगा सीसीडीपी के आंकड़ों में दर्शाए अनुसार सशस्त्र बलों ने कैसे काम किया। सीसीडीपी के पास
1990 के दशक के आरंभिक वर्षों में पंजाब में सशस्त्र बलों के अभियानों से संबंधित सीमित आंकड़े उपलब्ध हैं।
अतः, यह नोट कानूनी ढांचा तैयार करने और निम्नलिखित बिंदुओं को उजागर करने पर केंद्रित होगा:
इसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही महत्वपूर्ण उदाहरण शामिल होंगे। अंत में प्रासंगिक मुद्दों को उठाया जाएगा।
अनुच्छेद 32 द्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग (एनएचआरसी) के मूल्यांकन के लिए
सशस्त्र बलों द्वारा किए गए दुर्व्यवहारों का विवरण।
कानूनी ढांचा
दंड प्रक्रिया संहिता
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 129 और 130 सामान्य परिस्थितियों में सशस्त्र बलों के उपयोग को नियंत्रित करती हैं।
इन धाराओं के अंतर्गत, सशस्त्र बलों के उपयोग को तीन आवश्यकताओं का पालन करना होगा।
टिप्पणियाँ:
1. इनका उपयोग गैरकानूनी सभाओं या "पांच सदस्यों की किसी भी सभा" को तितर-बितर करने तक सीमित है।
या एक से अधिक व्यक्ति जो सार्वजनिक शांति भंग करने की संभावना रखते हों;
2. सशस्त्र बलों का उपयोग तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि अन्य तरीके विफल न हो जाएं; पहले एक कार्यकारी निकाय की आवश्यकता है।
पुलिस स्टेशन के प्रभारी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को सभा को तितर-बितर होने का आदेश देना होगा; यदि सभा तितर-बितर नहीं होती है, तो कार्यकारी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी किसी भी "पुरुष व्यक्ति, जो अधिकारी या सशस्त्र बलों का सदस्य न हो" से सहायता मांग सकता है। केवल इन दोनों तरीकों के विफल होने पर ही उपस्थित "सर्वोच्च रैंक" के कार्यकारी मजिस्ट्रेट सशस्त्र बलों से सहायता मांगते हैं।
3. इसके बाद सशस्त्र बलों को गिरफ्तारी और संबंधित कानूनों के अनुसार कार्रवाई करनी होगी।
तलाशी ली जा सकती है। मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार, वे सभा में उपस्थित व्यक्तियों को गिरफ्तार कर हिरासत में ले सकते हैं। धारा 130(3) के अनुसार सशस्त्र बलों को सभा को तितर-बितर करने और ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार एवं हिरासत में लेने के लिए यथासंभव कम से कम बल का प्रयोग करना चाहिए और व्यक्ति एवं संपत्ति को कम से कम क्षति पहुंचानी चाहिए।
जब पंजाब के राज्यपाल या चंडीगढ़ के प्रशासक ने यह निर्णय लिया कि

उन्हें नागरिक सत्ता की सहायता के लिए सशस्त्र बलों की आवश्यकता थी और उन्होंने उस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया।
क्षेत्र 56, फिर सशस्त्र बल (पंजाब और चंडीगढ़) विशेष शक्तियां अधिनियम, 1983
(AFSPA) ने सशस्त्र बलों के उपयोग को भी नियंत्रित किया। पंजाब को घोषित किया गया था
जून 1984-57 में एएफएसपीए के लागू होने के समय से लेकर राजीव गांधी के शासनकाल तक यह एक अशांत क्षेत्र था।
जुलाई 1985-58 में लोंगोवाल समझौते के बाद, और फिर नवंबर 1991-59 से लेकर अंत तक
199360. सशस्त्र बलों को प्रदत्त विशेष शक्तियों का विवरण देना आवश्यक है।
इन अवधियों के दौरान उनके व्यवहार का उचित मूल्यांकन करने के लिए अशांत क्षेत्रों का अध्ययन किया जाना चाहिए।

56 धारा 3, सशस्त्र बल (पंजाब और चंडीगढ़) विशेष शक्तियां अधिनियम, 1983। 57 द ट्रिब्यून, 3 जून 1984, "13 और लोगों की मौत के बाद सेना को बुलाया गया"।
58 राम नारायण कुमार, सिख अशांति और भारतीय राज्य: राजनीति, व्यक्तित्व और ऐतिहासिक
रिट्रोस्पेक्टिव, अजंता बुक्स इंटरनेशनल, दिल्ली, 1997, पृ. 239; द ट्रिब्यून, 30 जुलाई 1985, इंदरजीत, “पंजाब: अंदर की कहानी”।
59 द ट्रिब्यून, 23 नवंबर 1991, "केवल सेना द्वारा नहीं"
60 के.पी.एस. गिल, “पंजाब में अंतिम चरण: 1988 – 1993” http://www.satp.org/satporgtp/publication/faultlines/volume1/Fault1-kpstext.htm
केस सारांशों का विश्लेषण 193

अवधि। एएफएसपीए की धारा 4 सशस्त्र बलों को प्रदत्त विशेष शक्तियों का वर्णन करती है।
अशांत क्षेत्र में तैनात बल। अन्य शक्तियों के अलावा, कोई भी अधिकारी निम्न कार्य कर सकता है:
धारा 4(क): किसी भी ऐसे व्यक्ति पर गोली चलाना और यहां तक कि उसे जान से मार देना, जो किसी भी ऐसे कानून या आदेश का उल्लंघन कर रहा हो जो “पांच या दो से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने या हथियार या हथियार के रूप में इस्तेमाल होने योग्य वस्तुएं या आग्नेयास्त्र, गोला-बारूद या विस्फोटक पदार्थ ले जाने पर रोक लगाता हो”। गोली चलाने से पहले, अधिकारी को पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी कार्रवाई सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है और फिर उचित चेतावनी देनी होगी; धारा 4(ग): “किसी भी ऐसे व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करना जिसने संज्ञेय अपराध किया हो या जिसके खिलाफ यह उचित संदेह हो कि उसने संज्ञेय अपराध किया है या करने वाला है और ऐसी गिरफ्तारी करने के लिए आवश्यक बल का प्रयोग कर सकता है”;
धारा 4(घ): “उपरोक्त गिरफ्तारी करने और चोरी की संपत्ति बरामद करने के लिए बिना वारंट के किसी परिसर में प्रवेश करना और तलाशी लेना”।

धारा 4 अन्य शक्तियां प्रदान करती है जो परिदृश्यों से विशेष रूप से संबंधित नहीं हैं।
सीसीडीपी डेटा में प्रस्तुत किया गया है। धारा 6 के अनुसार, गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति को
एएफएसपीए के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को संबंधित अधिकारी को सौंपना होगा।
निकटतम पुलिस स्टेशन तक कम से कम देरी के साथ पहुंचें।
कानूनी अधिकार क्षेत्र से बाहर जाना
सशस्त्र हथियारों के उपयोग को नियंत्रित करने वाले दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा प्रदान किए गए कानूनी ढांचे के आधार पर
जब पंजाब अशांत क्षेत्र नहीं था, तब वहां तैनात बलों की कार्रवाई का हम मूल्यांकन कर सकते हैं।
सीसीडीपी आंकड़ों में दी गई जानकारी के अनुसार, सशस्त्र बलों के बारे में निम्नलिखित प्रश्नों के आधार पर जानकारी दी गई है:
क्या परिस्थिति गैरकानूनी सभा या पांच या दो से अधिक व्यक्तियों की ऐसी सभा को दर्शाती है जिससे शांति भंग होने की संभावना हो?
क्या किसी पुलिस अधिकारी या कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने पहले पुलिस बलों या निजी सहायता से सभा को तितर-बितर करने का प्रयास किया?
जब सशस्त्र बलों को बुलाया गया, तो क्या उन्होंने गिरफ्तारी और नजरबंदी की सामान्य प्रक्रियाओं का पालन किया?
क्या सशस्त्र बलों ने स्थिति की आवश्यकता के अनुसार "कम से कम बल का प्रयोग" किया और "व्यक्तियों और संपत्ति को कम से कम नुकसान" पहुंचाया? जब पंजाब को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था, उस दौरान हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि
एएफएसपीए और संहिता के तहत सशस्त्र बलों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करें। आपराधिक प्रक्रिया। हालाँकि इस अधिनियम ने सशस्त्र बलों को कठोर शक्तियाँ प्रदान कीं।
जान से मारने के लिए गोली चलाने के बजाय, सशस्त्र बल केवल गैरकानूनी सभाओं पर ही गोली चला सकते थे और
उन लोगों को गिरफ्तार करें जिन्होंने अपराध किए हैं या जिनके खिलाफ उचित संदेह है।
सशस्त्र बलों को जांच के लिए स्थानीय पुलिस पर भी निर्भर रहना पड़ता था। परिसर की तलाशी, गिरफ्तारी और आपराधिक कानून के तहत मुकदमे की शुरुआत। 61

61 के.वी. थॉमस, "कम तीव्रता वाले संघर्ष की स्थितियों में सैन्य और अर्धसैनिक बलों का उपयोग", में
भारत में मानवाधिकार, आतंकवाद और पुलिस व्यवस्था, भारतीय सामाजिक संस्थान, नई दिल्ली, 1999
194 राख में तब्दील

सीसीडीपी का डेटा
समिति के केस स्टडी में कई संयुक्त पुलिस और सेना अभियानों का उल्लेख है, विशेष रूप से-
विशेष रूप से गांवों की घेराबंदी और विशिष्ट व्यक्तियों की गिरफ्तारी से संबंधित।

इनमें से कुछ उदाहरणों में, यह पता लगाना मुश्किल है कि सशस्त्र बलों ने उनका पालन किया या नहीं।
कानून द्वारा आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। अन्य मामलों में, दुरुपयोग स्पष्ट हैं। नीचे, हम उच्च-
उन सीसीडीपी मामलों पर प्रकाश डालें जिनमें सशस्त्र बलों द्वारा किए गए स्पष्ट दुर्व्यवहारों की रिपोर्ट की गई थी।
मानव आवरण
सबसे जघन्य उदाहरण में, सशस्त्र बलों ने तीन स्थानों पर छापे में भाग लिया।
आतंकवादियों ने छह निर्दोष ग्रामीणों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया और फिर उन पर हमला कर दिया।
जिस घर में वे छिपे हुए थे।62
8 जून 1992 की सुबह, एसएसपी अजीत के नेतृत्व में पंजाब पुलिस की एक बड़ी मिश्रित टुकड़ी ने छापा मारा।
सिंह संधू और एसपी [ऑपरेशन] खूबी राम और सेना और अर्धसैनिक बलों की इकाइयाँ-
पुलिस ने मंजिंदर सिंह के परित्यक्त घर को घेर लिया, जो पहले एक सदस्य थे। बेहला गांव में पंजाब विधानसभा। ऐसा प्रतीत होता है कि इस भवन का उपयोग किया जा रहा था।
सुरजीत सिंह (तरलोक सिंह का पुत्र) से जुड़े आतंकवादियों द्वारा छिपने के स्थान के रूप में इस्तेमाल किया गया।
बेहला। सुरजीत सिंह बेहला एक प्रसिद्ध उग्रवादी और वरिष्ठ नेता थे।
भिंडरांवाला टाइगर्स फोर्स नामक आतंकवादी समूह में उनके साथी 18 वर्षीय सुखदेव थे।
सिंह उर्फ मद्दी, संतोख सिंह का पुत्र और बेहला निवासी, और हरबंस सिंह, अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल के सरहाली निवासी मेहर सिंह का पुत्र। इन तीनों आतंकवादियों के छिपे होने वाले घर पर छापा मारने से पहले, पुलिस ने
और सेना के अधिकारियों ने बेहला गांव से सात या आठ ग्रामीणों को इकट्ठा करके पैदल यात्रा करने का फैसला किया।
पुलिस बल के सामने खड़े होकर मानव ढाल की तरह काम करते हैं। निम्नलिखित लोगों के नाम इस प्रकार हैं।
उस अभियान में मारे गए छह निर्दोष ग्रामीणों में से: [1] करतार
Singh, s/o Aasa Singh; [2] Niranjan Singh, s/o Boor Singh; [3] Sakatter Singh, s/o
Niranjan Singh; [4] Lakhwinder Singh, s/o Channan Singh; [5] Gurmej Singh; and
[6] अजीत सिंह, पुत्र मंगल सिंह।
निरंजन सिंह और बलविंदर कौर के पुत्र, पच्चीस वर्षीय सकत्तर सिंह,
उनका विवाह शरणजीत कौर से हुआ था और उनकी दो बेटियाँ थीं। वे अमृतधारी सिख थे।
और उनका किसी भी राजनीतिक या उग्रवादी संगठन से कोई संबंध नहीं था।
उन्होंने एक के रूप में काम किया।
किसान अपने पिता के साथ अपनी तीन एकड़ जमीन पर था। पुलिस ने उसका अपहरण कर लिया।

पिता निरंजन सिंह और उनके भाई सुखचैन सिंह काम कर रहे थे।
उनके खेतों में। सुखचैन सिंह, जो अग्रिम पंक्ति का हिस्सा थे, हालांकि, गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद बुजुर्ग व्यक्ति भागने में सफल रहा।
बूर सिंह और करतार कौर के पुत्र, 55 वर्षीय निरंजन सिंह थे।
बलविंदर कौर से विवाहित। वह एक किसान थे और उनके पास तीन एकड़ जमीन थी।
वह दूध बेचकर भी पैसे कमाता था। निरंजन सिंह के चार बच्चे थे और खबरों के अनुसार
उनका किसी भी राजनीतिक या उग्रवादी संगठन से कोई संबंध नहीं था।
मानव ढाल का हिस्सा बनने के लिए मजबूर किए गए एक अन्य ग्रामीण की उम्र 20 वर्ष थी।
Lakhwinder Singh, the youngest son of Chanan Singh and Gurmej Kaur. He too
वह किसी भी राजनीतिक या उग्रवादी समूह से जुड़ा हुआ नहीं था। वह जल-
जब सेना ने उसे उठाया तो वह अपने खेतों में काम कर रहा था।
62 सीसीडीपी/00344, 00378, 00379, क्रमांक 188/709 से 190/170 और सीसीडीपी/00343, 00378, 01374, 01375,
केस सारांशों का विश्लेषण 195

तरन तारन के बेहला गांव के रहने वाले अजीत सिंह 60 वर्षीय व्यक्ति थे, जिनकी शादी हो चुकी थी।
प्रीतम कौर के सात बच्चे थे। उनके पास एक घोड़ागाड़ी थी और वे नौकरी करते थे।
एक ईंट भट्ठे के मालिक द्वारा अपने ग्राहकों तक ईंटें पहुँचाने के लिए। उसका कोई ज्ञात राजनीतिक या
न तो उसका किसी उग्रवादी संगठन से संबंध है, न ही उसका कोई आपराधिक इतिहास है, और न ही उसके गांव में किसी से कोई दुश्मनी है।
पुलिस के आने पर अजीत सिंह ईंटों से भरी एक गाड़ी निरंजन सिंह के घर ले गया।
वे आए और उसे मानव ढाल का हिस्सा बनने के लिए मजबूर किया।
घर में प्रवेश करने के बाद, सुरक्षा बलों ने पाया कि घर में एक
तहखाना तो था लेकिन अंदर से अंदर जाने के लिए कोई दरवाजा नहीं था।
उन्होंने उस फर्श को तोड़ दिया जो पहले से बना हुआ था।
तहखाने की छत। जब अंदर छिपे आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू की, तो पुलिस ने उन्हें पीछे धकेल दिया।
उन्होंने अपने सामने खड़े आठ ग्रामीणों को आड़ में इस्तेमाल किया और जवाबी गोलीबारी की।
गांववाले और तीनों उग्रवादी मारे गए। दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए लेकिन बच गए।
जीवित बचे: गांव के सरपंच और निरंजन सिंह के दूसरे बेटे सुखचैन सिंह।
यह मुठभेड़ 32 घंटे तक चली।
9 जून की शाम को पुलिस ने सभी नौ लोगों के शवों को बरामद किया और
उनका अंतिम संस्कार तरन तारन में किया गया। केवल अजीत सिंह के परिवार को ही अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी गई थी।

अंतिम संस्कार कर दिया गया; अन्य किसी भी परिवार को अंतिम संस्कार करने की अनुमति नहीं दी गई।
इस छापे में सेना की भागीदारी और निर्दोष ग्रामीणों का इस्तेमाल
मानव ढाल स्पष्ट रूप से सशस्त्र बलों द्वारा प्रदत्त किसी भी विशेष शक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली है।
विशेष शक्तियां अधिनियम।
चेकपोस्ट और तलाशी अभियान
एक अन्य मामला एएफएसपीए की धारा 4(ए) के उल्लंघन को उजागर करता है। यह धारा इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सशस्त्र बल किसी भी व्यक्ति पर गोली तभी चला सकते हैं जब उन्हें अनुमति दी गई हो।
पूर्व चेतावनी और केवल तभी जब लक्षित व्यक्ति किसी कानून या व्यवस्था का उल्लंघन कर रहा हो। 27 तारीख को
मार्च 1991 में, तरन के अंतर्गत वलीपुर गांव का रहने वाला 18 वर्षीय लड़का सविंदर सिंह
तरन और उसका चचेरा भाई जगतार सिंह शहर के पुलिस स्टेशन से साइकिल चलाते हुए गांव जा रहे थे।
खेराई रिश्तेदारों से मिलने जा रहे थे।63 सेना ने नहर के पुल पर एक चेकपोस्ट स्थापित किया था।
मुगल चक-खेराई सड़क। जैसे ही सविंदर और जगतर पुल पार कर रहे थे, एक सैनिक चेकपोस्ट से निकले लोगों ने उन पर गोलियां चलाईं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
सैनिक ने उन्हें चेतावनी नहीं दी और उनकी सुरक्षा के बावजूद उन पर अंधाधुंध गोलीबारी की।
निर्दोष व्यवहार।
सेना ने भी पुलिस के साथ तलाशी अभियान में भाग लिया। जैमल सिंह,
भैल गांव के धर्म सिंह और मोहिंदर कौर के बेटे को हिरासत में लिया गया। पुलिस और सेना के संयुक्त बल ने उस रात एक दुर्घटना में उसकी हत्या की सूचना दी। उसी रात, एक अन्य दुर्घटना में उसकी मौत की खबर आई।
मुठभेड़। हालांकि पुलिस ने यह बात उसके परिवार को नहीं बताई, लेकिन कमांडर ने
थथियन महंतन गांव में स्थित सेना शिविर ने उन्हें बताया।
मानवाधिकार हनन का ज्ञान
उपरोक्त उदाहरण उन मुद्दों को उजागर करता है जिनकी जांच-पड़ताल करके ही समझ विकसित की जा सकती है।
आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान सशस्त्र बलों का व्यवहार। एक अन्य मामले में
उदाहरण के लिए, एक कमांडिंग ऑफिसर (सीओ) ने अपने बंदी को टार्न तारन में स्थानांतरित कर दिया।
पुलिस को यह जानकारी होने के बावजूद कि उन्होंने पहले उसे यातना दी थी और उसके शव को जला दिया था

63 सीसीडीपी/01440, 01441, क्रमांक 114/361 से 115/362
196 राख में तब्दील

घरेलू सामान।64 हिरासत में लिया गया व्यक्ति बाद में गायब हो गया। क्या अधिकारी को इसकी जानकारी थी या
क्या वह गुमशुदगी में शामिल था?
स्वर्गीय हरनाम सिंह और स्वर्गीय फिनो के पुत्र, चालीस वर्षीय गुलजार सिंह एक
तरनतारन के गांव रटौल, मजहबियां दी पट्टी निवासी मजहबी सिख
अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल में स्थित नगर पुलिस स्टेशन। वह विवाहित थे।
जागीर कौर से उनकी शादी हुई और उनके दो बेटे और एक बेटी थी। गुलजार सिंह एक नायक (एक
वह 2 सिख लाइट इन्फैंट्री में जूनियर कमीशंड ऑफिसर थे। उनके बारे में यह ज्ञात नहीं था कि उन्होंने
किसी भी राजनीतिक या उग्रवादी संबद्धता से उनका कोई संबंध नहीं है। हालांकि, उनके छोटे भाई दिलबाग सिंह का कोई संबंध नहीं है।
उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और एक आपराधिक मामले में फंसा दिया गया था। दोनों भाई विवाहित थे।
और अलग रहते थे।
अप्रैल 1991 में, जब गुलजार सिंह छुट्टी पर घर गए थे, तब एक बड़ी टुकड़ी सेना और पुलिस बलों ने गांव को घेर लिया। पुलिस को संदेह था कि कुछ आतंकवादी गांव के अंदर छिपे हुए थे। उन्होंने घर-घर तलाशी ली।
इसमें गुलजार के भाई दिलबाग सिंह का घर भी शामिल था, जो उस समय घर पर नहीं थे।
चूंकि गुलजार सिंह उनका पड़ोसी था, इसलिए पुलिस ने उससे उसके भाई के बारे में पूछताछ की।
गुलज़ार सिंह ने उत्तर दिया कि वह उसके बारे में कुछ नहीं जानता। यह सुनकर, पुलिस ने गुलजार सिंह की पिटाई शुरू कर दी, उसे गिरफ्तार किया और अपने साथ ले गई। उन्होंने उसे कुछ और भी दिया।
गुलज़ार के घर में आग लग गई, जिससे उनका सारा घरेलू सामान जलकर राख हो गया।
इसी बीच,
पुलिस ने गुलजार सिंह के भाई दिलबाग सिंह को खेतों से गिरफ्तार किया।
पुलिस की पिटाई से गुलजार सिंह के सिर पर गंभीर चोटें आईं।
पुलिस ने उसे सेना की डोगरा रेजिमेंट के हवाले कर दिया, जो फील्ड ड्यूटी पर तैनात थी।
तरन तारन क्षेत्र। सेना की एक टुकड़ी ने गुलजार सिंह को प्राथमिक उपचार दिया और उन्हें अस्पताल से विदा किया।
वह जम्मू में अपनी यूनिट में वापस लौट गए। उनकी पत्नी और बच्चे भी उनके साथ जम्मू गए।
गुलजार सिंह ने अपने साथ हुए दुर्व्यवहार और मुखिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस द्वारा उनके कमांडिंग ऑफिसर को पहुंचाई गई चोटों के लिए कमांडिंग ऑफिसर ने एसएसपी को विरोध पत्र लिखा।
तरन तारन के एसएसपी ने जवाब में लिखा कि वे गुलजार सिंह को चाहते हैं।
कुछ पुलिस अधिकारियों की हत्या से संबंध होने के कारण और उसकी हिरासत होनी चाहिए।
पुलिस को सौंप दिया गया।

एक दिन गुलजार को उसके एक वरिष्ठ अधिकारी ने उसके क्वार्टर से गिरफ्तार कर लिया।
लगभग एक महीने बाद, गुलज़ार की पत्नी पूछताछ करने के लिए अधिकारी से मिलीं, लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली।
स्पष्ट उत्तर प्राप्त करें। जागीर कौर ने दो महीने इंतजार किया और फिर लौट आई।
गांव। उसे कभी किसी ने यह नहीं बताया कि सेना के अधिकारियों ने उसे सौंप दिया था।
गुलजार सिंह ने तरनतारन पुलिस को सूचना दी। परिवार को इस बारे में काफी समय पहले पता चला था।
घटना के बाद जब सेना अधिकारियों ने उनके पत्रों के जवाब में लिखा कि गुलजार
सिंह को तरन तारन के एसएसपी को सौंप दिया गया था। तरन तारन के एसएसपी ने एक 23 जनवरी 1992 के पत्र में गुलजार सिंह की जम्मू स्थित इकाई को सूचित किया गया था कि वह
वह 22 जनवरी 1992 को उनकी हिरासत से भाग गया था जब उसे ले जाया जा रहा था। इलाज के लिए सरकारी अस्पताल।
सेना अधिकारियों ने गुलजार सिंह के परिवार को उनकी सेवा के लाभ का भुगतान नहीं किया।
क्योंकि परिवार उनकी मृत्यु का कोई सबूत पेश नहीं कर सका।
पूछताछ
सीसीडीपी के मामलों से पूछताछ में सेना की भागीदारी का भी खुलासा होता है। तलाशी, गिरफ्तारी और गैरकानूनी गतिविधियों को तितर-बितर करने के लिए उन्हें दी गई शक्तियों से परे जाकर,
केस सारांशों का विश्लेषण 197

नवंबर 1992 की शुरुआत में, रेशम सिंह को सभाओं में बुलाया गया था।
भूरे कोहने गांव में स्थित सेना शिविर मुख्यालय में उसे हिरासत में रखा गया और पूछताछ की गई।
उन्हें 10 दिनों के लिए हिरासत में रखा गया।65 14 नवंबर 1992 को सेना ने उन्हें रिहा कर दिया।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह उग्रवादी गतिविधियों में शामिल नहीं था। जैसा कि आवश्यक था
एएफएसपीए की धारा 6 के तहत, सशस्त्र बलों ने रेशम की हिरासत हस्तांतरित नहीं की थी।
सिंह को पुलिस के पास “जितनी जल्दी हो सके” सौंप दिया जाए। किस अधिकार के तहत और किसके अधिकार से?
सशस्त्र बलों ने अपनी स्वयं की पूछताछ शुरू करने में किस दिशा में कार्य किया?
बाद की घटनाओं ने मामले को और भी जटिल बना दिया। रेशम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया।
खेमकरण पुलिस स्टेशन के एसएचओ सुलाखन सिंह द्वारा 14 नवंबर को, इसके तुरंत बाद
सैन्य हिरासत से छूटने के बाद वह अपने पिता के साथ घर लौट आया। रेशम

बाद में सिंह को मनमाने ढंग से फांसी दे दी गई।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
अवैध दाह संस्कार के मामले में राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजस्व आयोग (एनएचआरसी) की कार्यवाही सीमित नहीं है।
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का जनादेश। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 19,
जो आयोग को मानवाधिकार हनन के आरोपों की जांच करने से रोकता है।
सशस्त्र बलों द्वारा की गई कार्रवाई में कोई बल नहीं है। इस मामले में, राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग (एनएचआरसी) कार्य कर रहा है।
सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत और उसके पास सर्वव्यापी शक्तियां हैं।
संविधान का अनुच्छेद 32 अन्याय के खिलाफ न्याय दिलाने का अधिकार देता है, चाहे अपराधी कोई भी हो।
एएफएसपीए की धारा 7 और सीआरपीसी की धारा 132 के तहत मंजूरी आवश्यक है। सशस्त्र बलों के सदस्यों के खिलाफ अभियोग शुरू करने से पहले केंद्र सरकार हालांकि, यह धारा इस मामले में एनएचआरसी की कार्यवाही को प्रभावित नहीं करती है।
चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को दोषसिद्धि और अन्य मुद्दों से निपटने का आदेश दिया था
जिम्मेदार अधिकारियों पर अलग से मुकदमा चलाया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग (एनएचआरसी) जांच करने के लिए स्वतंत्र है।
अत्याचारों को नियंत्रित करने में न्यायपालिका की जिम्मेदारी और मानवाधिकार
पंजाब द्वारा संयुक्त रूप से चलाए गए अभियानों के दौरान हुए उल्लंघन पुलिस और सेना।

पीड़ितों की संपत्ति
पंजाब पुलिस ने यातना, गैर-न्यायिक हत्याओं जैसी प्रथाओं को और भी बढ़ावा दिया।
और अन्य दुर्व्यवहार जिनमें संपत्ति का अधिग्रहण, विनाश, ज़ब्ती और क्षति शामिल है।
पीड़ितों और उनके परिवारों की संपत्ति। पुलिस ने कई परिवारों को रोका- झूठ के कारण वे अपनी ज़मीन पर खेती नहीं कर पाते और इस तरह अपनी आजीविका नहीं चला पाते। वे ज़ब्त कर लेते हैं-
पुलिस ने घरेलू सामान, नकदी और अन्य संपत्ति को जब्त कर लिया।
या फिर घरों और फसलों को नुकसान पहुँचाया और परिवारों को परेशान करके अपनी संपत्ति छोड़कर भागने पर मजबूर किया।
और उनका शोषण किया। कई परिवारों को अपनी संपत्ति और कृषि उपज भी बेचनी पड़ी।
पुलिस अधिकारियों द्वारा मांगी गई फिरौती चुकाने के लिए जमीन खरीदी गई। पंजाब पुलिस ने इन तरीकों का इस्तेमाल परिवारों पर दबाव डालने के लिए किया।
पुलिस द्वारा वांछित व्यक्ति को बहलाना; वांछित व्यक्ति को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी करना;

निजी लाभ के लिए परिवारों से धन और संपत्ति की उगाही करना और आम तौर पर उन्हें परेशान करना
और परिवारों को डराते-धमकाते थे। वे इन प्रथाओं में विशेष रूप से तब संलग्न होते थे जब...

65 सीसीडीपी/01683, क्रमांक 257/916
198 राख में तब्दील

जिस मुख्य व्यक्ति को वे निशाना बना रहे थे, वह या तो अपने घर से भाग गया या भूमिगत हो गया, और इससे पहले भी
पीड़ित के घर छोड़ने के दौरान, घर की तलाशी के दौरान और पीड़ित की हत्या करने के बाद भी,
एक फर्जी मुलाकात।
प्राथमिक पीड़ित के भाग जाने के बाद उत्पीड़न
संपत्ति अधिग्रहण या क्षति से संबंधित अधिकांश मामलों में दुर्व्यवहार शामिल था।
पुलिस द्वारा लक्षित प्राथमिक व्यक्ति के भाग जाने या चले जाने के बाद परिवारों पर पड़ने वाला आघात
उदाहरण के लिए, गुरजीत सिंह के भूमिगत हो जाने के बाद, मजीठा पुलिस बल भूमिगत हो गया।
लाइस ने उसके पिता मोहिंदर सिंह को तीन साल तक अवैध रूप से हिरासत में रखा और बेरहमी से प्रताड़ित किया।
सप्ताह.66 उन्होंने उसे टीएडीए के तहत एक आपराधिक मामले में फंसाया। मोहिंदर के बाद
फरवरी 1991 में सिंह की जमानत पर रिहाई के बाद भी, पुलिस ने उनके घर पर छापेमारी जारी रखी और
उन्हें, उनकी पत्नी और बेटियों को हिरासत में लेकर यातनाएं दी गईं। पुलिस ने उनका घर जब्त कर लिया।
सामान को पकड़ो। फिर उन्होंने उसके घर की छत तोड़ दी और सारा सामान भी हटा दिया।
दरवाजे बंद हो गए, जिसके चलते मोहिंदर सिंह और उनके परिवार को अपने रिश्तेदारों के पास शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा।
उन्हें घर से भागने पर मजबूर करने के बाद, मजीथा पुलिस ने एक पुलिस चौकी स्थापित की।
वहां। उन्होंने 1994 के मध्य तक मोहिंदर सिंह के घर को पुलिस चौकी के रूप में इस्तेमाल किया।
कई परिवारों ने पुलिस द्वारा अधिग्रहित संपत्ति के बारे में विशिष्ट विवरण दिए।
जूँ। पुलिस ने घर का सारा सामान और छह भैंसें, एक गेहूं की कटाई करने वाली गाय जब्त कर लीं।
मशीन, एक ट्रैक्टर, तीन इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल मोटर, फर्नीचर और 10,000 किलो-
निशान सिंह के परिवार से ग्राम गेहूं।67 उन्होंने न केवल बलविंदर को मजबूर किया

सिंह के परिवार को पुलिस स्टेशन में उनके लिए जबरन मजदूरी करने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन उन्होंने कुछ सामान भी जब्त कर लिया।
सभी घरेलू सामान, बिस्तर, 10,000 किलोग्राम गेहूं, 15,000 किलोग्राम धान, खेत और दुधारू पशुओं के।68
पुलिस द्वारा संपत्ति की ज़ब्ती, कुर्की और क्षति ने परिवारों को तबाह कर दिया।
उत्पीड़न और यातना झेलने के साथ-साथ वे बेसहारा भी थे। पुलिस अक्सर छापेमारी करती थी।
परमजीत सिंह नामक उग्रवादी के घर में जाकर उसके एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया और उसे यातनाएं दी गईं।
पिता और भाई। पुलिस ने उनके घरेलू सामान भी जब्त कर लिए और तोड़फोड़ की।
परमजीत की मृत्यु और उसके बेटे सुरजीत की संलिप्तता के बाद, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया।
सिंह आपराधिक मामलों में फंसे हुए हैं, उनके पिता रूर सिंह अब गुरुद्वारा हजूर में रहते हैं।
साहिब.69
फर्जी मुठभेड़ के बाद संपत्ति का दुरुपयोग
अपने प्रियजनों की हत्या करने के बाद भी पुलिस ने उनके परिवार के सदस्यों को परेशान करना जारी रखा।
परमजीत सिंह के परिवार के अंतिम संस्कार के बाद घर लौटने पर।
फर्जी मुठभेड़ में उनकी मौत के बाद, हेड कांस्टेबल सुरजीत एस. बाज़ीगर उनके घर पहुंचे।
पुलिस बल के साथ मिलकर उन्होंने ट्यूबवेल समेत घर का सारा सामान जला दिया।
उसके खेत का कमरा और उसके घर के दरवाजे। परिवार गांव छोड़कर भाग गया और नहीं लौटा।
एक वर्ष के लिए वापसी। वे अपनी संपत्ति और कृषि आय में होने वाले नुकसान का अनुमान लगाते हैं।
100,000 रुपये से अधिक हो। 70
बलराज सिंह के परिवार को भी इसी तरह की नियति का सामना करना पड़ा। उनके प्रियजन की मृत्यु ने उन्हें बहुत दुख पहुंचाया।
66 सीसीडीपी/01655, क्रमांक 498/134
67 सीसीडीपी/01497, क्रमांक 281/968
68 सीसीडीपी/00756, क्रमांक 300/1005
69 सीसीडीपी/01267, क्रमांक 315/51
केस सारांशों का विश्लेषण 199

पंजाब पुलिस के हाथों उनका उत्पीड़न समाप्त नहीं हुआ। पुलिस ने उत्पीड़न जारी रखा।
उसके पिता के घर पर छापा मारा और अंततः घर की सभी मूल्यवान वस्तुओं को जब्त कर लिया।
सुखदेव सिंह के घर में आग लगा दी गई। उनके पिता सुखदेव सिंह का अनुमान है कि नुकसान लगभग इतना हुआ है।
200,000 रुपये। पुलिस ने उसे प्रताड़ित भी किया और सुखदेव सिंह को एक आपराधिक मामले में फंसा दिया।
मामला। हालांकि, अदालत ने तीन महीने बाद उन्हें बरी कर दिया।71

ज़बरदस्ती वसूली
कई परिवारों को फिरौती की मांग पूरी करने के लिए अपनी जमीन या संपत्ति बेचनी पड़ी।
पंजाब पुलिस के वे अधिकारी जिन्होंने अपने प्रियजनों को अवैध हिरासत में रखा था।
जूँओं ने पहले ही मनजीत कौर के पति और दो बेटों को मार डाला था। 72 इस प्रकार, जब वे
मेजर सिंह को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया, मनजीत कौर ने अपनी कुछ एकड़ जमीन बेच दी।
पुलिस अधिकारियों को रिश्वत दी ताकि वे उसके तीसरे बेटे को भी न मार डालें।
रेशम सिंह के मामले में डीएसपी अशोक कुमार और एसएचओ राज कुमार ने बताया रेशम सिंह के पिता तारा सिंह को 25,000 रुपये देने होंगे तभी उसे रिहा किया जाएगा।
तारा सिंह के विरोध के बाद, डीएसपी और एसएचओ ने फिरौती की मांग कम कर दी।
20,000 रुपये की राशि तय की गई थी। उस दिन, तारा सिंह ने अपनी दो मजबूत भैंसें बेच दीं और भुगतान किया।
उसने पुलिसकर्मियों को 20,000 रुपये दे दिए। हालांकि, पुलिसकर्मियों ने उसे छह या उससे अधिक घंटों में वापस आने को कहा।
रेशम सिंह को घर ले जाने में सात दिन लगे; उन्हें अभी भी चोट से उबरने की जरूरत थी।
यातना। तारा सिंह ने रेशम सिंह से बात की, जिसने उन्हें बताया कि उनके यातना देने वालों ने
उसे जान से मारने की धमकी दी गई, जब तक कि वह जमीन में अपना हिस्सा बेचकर उससे प्राप्त राशि का भुगतान नहीं कर देता।
उन्हें। तारा सिंह द्वारा 1000 रुपये चुकाने के बाद भी पुलिस ने उसे प्रताड़ित करना जारी रखा।
20,000, और अंततः उन्होंने उसे एक फर्जी मुठभेड़ में मार डाला।
पुलिस प्रतिशोध
जब गुरिंदर सिंह के पिता बख्शीश सिंह ने स्थानीय पुलिस के हस्तक्षेप का सहारा लिया-
उन्होंने छेहरटा पुलिस स्टेशन से उनकी मोटरसाइकिल बरामद करने के लिए पुलिसकर्मियों को बुलाया था।
फर्जी मुठभेड़ में अपने बेटे की हत्या करने के मामले में एसएचओ गुरमीत चंद ने कांग पुलिस को उकसाया।
बख्शीश सिंह को गिरफ्तार करना और उसे सात दिनों तक अवैध पुलिस हिरासत में यातना देना।
यातना इतनी भीषण थी कि बख्शीश सिंह अपनी मृत्यु के बाद 15 दिनों तक चल नहीं सका।
रिलीज.74

निचली न्यायपालिका और उसकी भूमिका
ऐतिहासिक मामले डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 75 में, सर्वोच्च न्यायालय ने

भारत ने हिरासत में यातना और पुलिस के दुरुपयोग के मूलभूत मुद्दों का समाधान किया।
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "नागरिकों के रक्षकों" द्वारा किए गए दुर्व्यवहारों की गंभीरता पर जोर दिया गया।
न्यायालय ने न्यायपालिका की भूमिका पर विशेष रूप से प्रकाश डाला, और इस पर ध्यान केंद्रित किया।
न्यायपालिका ने हिरासत में यातना को बढ़ावा देने में नकारात्मक भूमिका निभाई थी।
मध्य प्रदेश राज्य बनाम श्यामसुंदर त्रिवेदी मामले का हवाला देते हुए चर्चा की गई।
71 सीसीडीपी/00774, क्रमांक 111/9
72 सीसीडीपी/01241, क्रमांक 26/51
73 सीसीडीपी/00726, क्रमांक 275/958
74 सीसीडीपी/00741, क्रमांक 202/26
200 राख में तब्दील

दोषी पुलिसकर्मियों पर मुकदमा चलाने में साक्ष्य के मानक: "पुलिस हिरासत में यातनाएं,
जो हाल ही में बढ़ रहे हैं, उन्हें इस प्रकार के अवास्तविक दृष्टिकोण से प्रोत्साहन मिलता है।
अदालतों का यह दृष्टिकोण पुलिस के मन में इस धारणा को और मजबूत करता है कि कोई भी
अगर लॉक-अप में किसी कैदी की मौत हो जाती है, तो उन्हें नुकसान होगा, क्योंकि वहाँ
अभियोजन पक्ष के पास प्रत्यक्ष रूप से दोषी ठहराने के लिए शायद ही कोई सबूत उपलब्ध होगा।
उन्हें यातना देकर मार डाला। अदालतों को इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिए कि पुलिस हिरासत में मौत हो सकती है।
किसी सभ्य समाज में, जहाँ शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है, हिरासत में रखना शायद सबसे जघन्य अपराधों में से एक है।
कानून के शासन द्वारा।" (पैरा 24)
इस नोट में सर्वप्रथम निचली न्यायपालिका के कानूनी दायित्वों पर संक्षेप में चर्चा की जाएगी।
पुलिस हिरासत में संदिग्धों के साथ दुर्व्यवहार और कानून के उल्लंघन न हों, यह सुनिश्चित करने के लिए कानून लागू होता है।
उनके अधिकारों के बारे में। इसके बाद यह नोट तुलना करेगा कि ये कानूनी अनिवार्यताएँ किस प्रकार मेल खाती हैं।
हमारे मामलों में प्रस्तुत वास्तविकता।
आपराधिक न्यायालयों और कार्यालयों का गठन

दंड प्रक्रिया संहिता का तीसरा अध्याय प्रत्येक उच्च न्यायालय के अधीन न्यायालयों के गठन से संबंधित है।
न्यायालय। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 6 के तहत, उनकी पदानुक्रम को निम्नलिखित क्रम में परिभाषित किया गया है:
[i] सत्र न्यायालय; [ii] प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट और किसी भी महानगर में-
टैन क्षेत्र, महानगरीय मजिस्ट्रेट; [iii] द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट; और
[iv] कार्यपालिका मजिस्ट्रेट। संविधान का अनुच्छेद 141 घोषित करता है कि “कानून
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय, इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा।
भारत।"
कानूनी ढांचा
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 द्वितीय श्रेणी के किसी भी मजिस्ट्रेट को संज्ञान लेने का अधिकार देती है।
किसी अपराध की शिकायत प्राप्त होने पर, ऐसे तथ्यों के आधार पर किसी अपराध का निवारण करना जो ऐसे अपराध का गठन करते हों
किसी पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त सूचना के आधार पर अपराध करना, या
अपने स्वयं के ज्ञान के आधार पर। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190(ए) विशेष रूप से यह अधिकार प्रदान करती है कि
पंजाब के कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को संज्ञान लेने की ये शक्तियां प्राप्त हैं। धारा 267
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा प्रत्येक आपराधिक न्यायालय को कैदी को पेश करने की मांग करने का अधिकार देती है।
यदि ऐसा प्रतीत होता है कि "न्याय के उद्देश्यों के लिए ऐसे व्यक्ति की जांच करना आवश्यक है"।
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 344 सत्र न्यायालयों और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेटों को अधिकार प्रदान करती है।
किसी भी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ त्वरित कार्यवाही शुरू करने का अधिकार, जिसके बारे में प्रतीत होता है कि उसे जानकारी थी।
जानबूझकर और स्वेच्छा से झूठे सबूत देना या झूठे सबूत गढ़ना ताकि प्रभाव डाला जा सके
कार्यवाही।
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के तहत किसी भी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में नहीं रखा जा सकता है।
किसी सक्षम मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना 24 घंटे से अधिक समय तक। शीला के मामले में
बारसे बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि मजिस्ट्रेट के समक्ष

[illegible]
[illegible]76 [illegible]
[illegible]77 [illegible]
[illegible]

76 Sheela Barse Vs. State of Maharashtra, AIR 1983 SC 378) (Chapt. 5. , 5:11

77 Joginder Kumar Vs. State of Uttar Pradesh, 1994, 3 J. T. SC 423

[illegible]78
[illegible]
[illegible]

बंदियों का अवैध अपहरण किया गया, और एक बंदी को रिमांड पर भेज दिया गया जिसने लक्षण प्रदर्शित किए।
यातना के स्पष्ट संकेत।
बंदी की मृत्यु के बाद रिमांड पर भेजा गया
पुलिस द्वारा लगातार उत्पीड़न, यातना और अवैध हिरासत झेलने के बाद, 32 वर्षीय
राम सिंह को एसएसपी अजीत सिंह संधू और एसपी (ऑपरेशन) खुबी ने प्रताड़ित किया था।
राम को एसएचओ सुबा द्वारा शस्त्र अधिनियम और टीएडीए के तहत एक मामले में फंसाया गया।
झाबल पुलिस स्टेशन के सिंह। 79 राम सिंह अमृतसर की उच्च सुरक्षा में थे।
1 जनवरी 1992 से जेल में बंद, जब झबल पुलिस ने उत्पादन वारंट प्राप्त किया था।
28 दिसंबर 1992 को उनके लिए। राम सिंह उसी शाम एक मुठभेड़ में मारे गए।
शाम 6:30 बजे। हालाँकि, एक ऐसे कृत्य में जो न्यायपालिका के दावे को गंभीर रूप से कमजोर करता है।
स्वतंत्रता के बावजूद, स्थानीय मजिस्ट्रेट ने राम की रिमांड की पुष्टि नहीं की।
पुलिस देर शाम तक, उसकी मृत्यु के बाद भी, जाँच करती रही। इसका मतलब है कि मजिस्ट्रेट
कानून के अनुसार, उसने कभी भी शारीरिक रूप से उससे मुलाकात नहीं की। इस प्रकार, उसने स्वयं को चिंतित किए बिना ऐसा किया।
अनुच्छेद 22 और अध्याय V में निहित सिद्धांतों के साथ, इस बात का मूल्यांकन किए बिना कि कैसे
पुलिस ने पीड़ित को हिरासत में लिया और हिरासत के दौरान उसका इलाज किया। मजिस्ट्रेट ने पुलिस के अनुरोध पर बिना सोचे-समझे मुहर लगा दी।

78 डी. के. बसु बनाम बंगाल राज्य, 1996 8 एससी 581: 1997 1 जे.टी.
1 एससी:1997 1 आरसीएफ सीआरआई 373
202 राख में तब्दील

अनौपचारिक प्रक्रियाएँ
पुलिस निशान सिंह को मजिस्ट्रेट के आवास पर एक आवेदन के साथ लेकर आई। उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।80 आवश्यक औपचारिकताओं की परवाह किए बिना।
कानून के अनुसार, मजिस्ट्रेट ने पुलिस के घर से दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया। निशान सिंह को अवश्य।
उनके शरीर पर यातना के निशान भी दिखाई दिए हैं। उनके पिता बहल सिंह उनसे मिलने आए थे।
पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने से दो सप्ताह पहले अवैध हिरासत में रखा गया था। निशान
पुलिस की यातनाओं से लगे घावों के कारण सिंह हिल-डुल नहीं पा रहे थे। मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस हिरासत में रखे जाने के बाद मुठभेड़ में मारे जाने की खबर है।
साक्ष्य स्वीकार करने से इनकार

पुलिस ने हरिंदर सिंह और परमिंदर सिंह को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, दावा-
मुठभेड़ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस को रिमांड पर सौंपने का अनुरोध किया गया।
हिरासत। 81 हरिंदर सिंह के परिवार ने विभिन्न लोगों को भेजे गए टेलीग्राम की प्रतियां प्रस्तुत कीं।
पुलिस द्वारा लड़कों का अपहरण किए जाने के एक महीने से अधिक समय बाद अधिकारियों ने यह तर्क दिया कि
मुठभेड़ के बाद लड़कों को गिरफ्तार करने का पुलिस का दावा झूठा था। हालांकि, अदालत ने उनकी दलीलों को मानने से इनकार कर दिया और पुलिस रिमांड जारी कर दी।
हरिंदर और परमिंदर को फर्जी मुठभेड़ में मार दिया गया, पुलिस द्वारा उनकी हत्या से एक दिन पहले।
रिमांड की अवधि समाप्त होने वाली थी।
यातना के घावों को अनदेखा करना
सतनाम सिंह की पिछली गिरफ्तारियों में से एक के दौरान, वेरोवाल पुलिस ने आरोप लगाया था कि...
उसे 15 दिनों तक बेरहमी से यातना देने के बाद शस्त्र अधिनियम के तहत एक मामले में गिरफ्तार किया गया।82 जब
पुलिस ने उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, उन्हें उसे शारीरिक रूप से उठाकर ले जाना पड़ा।
सतनाम सिंह हिल-डुल नहीं पा रहे थे। हालांकि, मजिस्ट्रेट ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की।
हिरासत में यातना के इन सबूतों को ध्यान में रखते हुए भी, उन्होंने सतनाम को जेल भेज दिया।
निष्कर्ष
मजिस्ट्रेट के आदेशों के बाद हुई फर्जी मुठभेड़ों के 14 अन्य मामलों में, पुलिस हिरासत में भेजे जाने के बाद, पीड़ित पहले ही 24 घंटे से अधिक समय बिता चुके थे।
संविधान के अनुच्छेद 22 का प्रत्यक्ष उल्लंघन करते हुए पुलिस द्वारा अवैध रूप से हिरासत में लेना।
उनमें से कई लोगों को यातनाएं भी दी गई थीं। हालांकि, मजिस्ट्रेटों ने "अस्वीकार" नहीं किया।
इन दुर्व्यवहारों को "छिपाने" के लिए उन्होंने पुलिस रिमांड मंजूर की और बंदियों को सौंप दिया।
उनकी गैर-न्यायिक हत्या।

चिकित्सा नोट
सीबीआई की सूचियों में केवल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के नंबर दिए गए हैं और मृत्यु के कारणों का उल्लेख किया गया है।
रिपोर्ट में दर्ज मृत्यु के कारण के अनुसार। चूंकि हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं देखी है,

80 सीसीडीपी/00461, क्रमांक 88/6
81 सीसीडीपी/00327, क्रमांक 121/7 से 122/8

केस सारांशों का विश्लेषण 203

आतंकवाद-विरोधी अभियान में चिकित्सा पेशे की भूमिका का हमारा विश्लेषण-मानवाधिकार उल्लंघन और दुर्व्यवहार कुछ स्पष्ट प्रश्नों पर आधारित होने चाहिए जो उत्पन्न होते हैं
सीबीआई की सूचियों और सीसीडीपी की सूचियों में निहित जानकारी की तुलना। अपना डेटा।
तीन प्रकार के मामले मृत्यु के कारण के संबंध में पोस्टमार्टम निष्कर्षों को चुनौती देते हैं।
मृत्यु के: (1) वे मामले जिनमें परिवारों ने शव प्राप्त किए और साक्ष्य देखे-
यातना के साक्ष्य; (2) ऐसे मामले जिनमें समाचार पत्रों की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट
मृत्यु के भिन्न-भिन्न कारणों का श्रेय देना; और (3) वे मामले जिनमें डॉक्टरों ने बंदियों का इलाज किया
उनकी मनमानी फांसी से पहले उन्हें दी गई यातनाओं के घावों के लिए।
मृत शरीरों पर यातना के साक्ष्य
पच्चीस वर्षीय कश्मीर सिंह को इससे पहले दो बार अवैध रूप से हिरासत में लिया जा चुका था।
और 1986 में यातना के तहत पूछताछ। 83 जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने आई तो तीसरी बार वह भागने में सफल रहा। झाबल पुलिस स्टेशन के एसएचओ बरार ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
कश्मीर सिंह की मृत्यु 26 मई 1990 को हुई जब वह एक ट्रक में यात्रा कर रहे थे जो किसी अन्य व्यक्ति का था।
अल्गोन कोठी गांव के सुखदेव सिंह। पुलिस दोनों व्यक्तियों को पुलिस स्टेशन ले गई।
उन्होंने उन्हें थाने में ले जाकर यातनाएं दीं और फिर उसी शाम एक फर्जी मुठभेड़ में उनकी हत्या कर दी।
पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों को लौटा दिया।
उन पर भीषण यातना के निशान थे। उनके हाथों और पैरों की सभी उंगलियों के नाखून छिदे हुए थे।
उन्हें हटा दिया गया था, और भारी लकड़ी के लुढ़कने से उनकी जांघों पर चोट के निशान थे।
पुलिसकर्मियों को लकड़ी के लट्ठों पर खड़ा करना यातना का एक आम तरीका था। इसके बावजूद
पोस्टमार्टम के तुरंत बाद परिवार द्वारा देखे गए भयावह शारीरिक साक्ष्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया कि कश्मीर सिंह की मौत "पुलिस मुठभेड़" में हुई थी।
सुखदेव सिंह के अंतिम संस्कार का उल्लेख सीबीआई की किसी भी सूची में नहीं है।
इसी तरह, निंदर सिंह के मामले में, उनके पिता सिविल अस्पताल गए थे।
पैटी ने अपने बेटे का शव देखा। उसके बेटे को सिर में गोली मारी गई थी, जिससे संकेत मिलता है कि...

निकट से की गई हत्या। फिर भी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया कि उसकी मृत्यु "पुलिस" की गोलीबारी में हुई।
सामना करना"।
परस्पर विरोधी रिपोर्टें
छह मामलों में, अखबार और शव परीक्षण रिपोर्टों में मृत्यु के परस्पर विरोधी कारण बताए गए थे।
उन्नीस वर्षीय गुरजीत सिंह एक इलेक्ट्रॉनिक तकनीशियन थे और गांव के निवासी थे।
लागे थाथियन। उनका किसी भी उग्रवादी संगठन से कोई ज्ञात संबंध नहीं था। 6 जनवरी की दोपहर को
सन् 1991 में गुरजीत अपने घर पर आराम कर रहा था। रविवार का दिन था और उसकी दुकान बंद थी।
दोपहर करीब 2 बजे, जलाल उस्मान गांव का कुलवंत सिंह अपने घर आया और फिर... उसने गुरजीत से अपने गांव चलने का अनुरोध किया ताकि वह उसके खराब वीडियो प्लेयर की मरम्मत कर सके।
गुरजीत ने अपने औजार समेटे और कुलवंत के साथ चला गया। वह उस दिन घर नहीं लौटा।
रात।
8 जनवरी को, गांव के एक निवासी ने गुरजीत के पिता को सूचित किया कि उसने गुरजीत को देखा है
अमृतसर के मॉल मंडी पूछताछ केंद्र में शव। बाबा बकाला के डीएसपी उन्होंने गुरजीत के पिता को अपने बेटे के कपड़े पहचानने की अनुमति दी और उन्हें बताया कि सीआरपीएफ ने
मुठभेड़ में गुरजीत की हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण भी बताया गया है।
83 सीसीडीपी/01490, क्रमांक 72/183
84 सीसीडीपी/01549, क्रमांक 113/346
204 राख में तब्दील

इसे "मुठभेड़" बताया गया। हालांकि, अखबारों ने बताया कि एक अज्ञात आतंकवादी ने इसमें भाग लिया था।
पुलिस से घिरे होने पर उसने साइनाइड खाकर आत्महत्या कर ली।85
डॉक्टरों द्वारा उपचार
सुखदेव सिंह (86, 87), अमरजीत सिंह और बलदेव सिंह के मामलों में पुलिस ने या तो बंदियों के यातना घावों का इलाज करने के लिए डॉक्टरों को बुलाया गया या परिवारों को अनुमति दी गई
उन्हें अपने इलाज के लिए अपने निजी डॉक्टर लाने की अनुमति दी गई थी। बाद में सभी बंदियों को
फर्जी मुठभेड़ों में मारे गए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इसकी पुष्टि करती है।
चूंकि हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं देखी है, इसलिए हमारे लिए कोई राय देना संभव नहीं है।
क्या वे फोरेंसिक सिद्धांतों के बुनियादी मानकों और मानकों को पूरा करते हैं?

मृत्यु के कारण और समय का निर्धारण करने तथा वर्णन करने में चिकित्सा- कानूनी नैतिकता
वे परिस्थितियाँ जो अनुचित गतिविधि को साबित या खारिज कर सकती हैं। केवल सीबीआई अधिकारी और
एनएचआरसी के सदस्यों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी है और वे यह निर्णय दे सकते हैं कि क्या
वे मृत्यु की परिस्थितियों को उजागर करने में सहायक होते हैं। परिचयात्मक अध्याय में-
हमने एक सिविल अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के इकबालिया बयान की रिपोर्ट दी है।
अमृतसर जिले में, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को सरल बना दिया गया था।
इस हद तक कि इसका मतलब केवल एक कागज भरना था जिसमें कारण और समय की घोषणा की गई थी।
पुलिसकर्मियों द्वारा सूचना प्रदान करने के साथ हुई मौत। उस मामले में, शव परीक्षण में गड़बड़ी हुई।
नष्ट हुए जीवन की तरह, इन्हें सुधारा नहीं जा सकता।

85 सीसीडीपी/01179, क्रमांक 209/165; सीसीडीपी/01637, क्रमांक 168/17; सीसीडीपी/00741, क्रमांक 210/25 भी देखें
202/26; सीसीडीपी/01216, क्रमांक 253/910; सीसीडीपी/01110, क्रमांक 434/99
86 (सीसीडीपी/01213, क्रमांक 582/92)
87 सीसीडीपी/00537 और 00538, क्रमांक 559/922 से 560/923

अध्याय पाँच
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (205)

मामलों का सारांश
अवैध दाह संस्कार भी शामिल हैं। सीबीआई की सूचियों में

दिसंबर 1996 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपी गई अमृतसर जिले में पंजाब पुलिस द्वारा किए गए अवैध शवदाहों से संबंधित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की रिपोर्ट में तीन सूचियां शामिल हैं। इनमें 582 पूर्णतः पहचाने गए, 278 आंशिक रूप से पहचाने गए और 1238 अज्ञात शवदाहों का विवरण है। पंजाब में गुमशुदा मामलों के समन्वय के लिए गठित समिति (सीसीडीपी) ने सीबीआई की सूचियों में शामिल 672 मामलों की व्यक्तिगत और राजनीतिक पृष्ठभूमि तथा उन परिस्थितियों के बारे में विशिष्ट जानकारी प्राप्त की है जिनके अंतर्गत वे पुलिस द्वारा शवदाह किए जाने से पहले गुमशुदा हो गए या उनकी मृत्यु हो गई। यह जानकारी 889 घटना रिपोर्टों में से 513 से प्राप्त हुई है, जिन्हें सीसीडीपी ने अध्याय 3 में वर्णित कार्यप्रणाली का पालन करते हुए अमृतसर जिले से एकत्र किया है। हम यहां इन केस स्टडीज का सारांश प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसा कि अध्याय चार में बताया गया है, सीबीआई ने अपनी सूचियों में बार-बार गलत नामों और व्यक्तियों और गांवों के नामों की गलत वर्तनी का प्रयोग किया है। हालांकि, इसकी सूचियों में दर्ज प्रविष्टियों का संदर्भ देते समय, हमारे पास नामों और वर्तनी को उसी रूप में प्रस्तुत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है जैसा कि उनमें दर्ज है। हमारे मामले के सारांश सीसीडीपी के स्वयंसेवकों द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान और पीड़ित परिवारों की उपस्थिति में भरे गए घटना रिपोर्ट प्रपत्रों पर आधारित हैं। हमारे सारांशों के पाठ में, हम सीसीडीपी के घटना-रिपोर्ट प्रपत्रों में दर्ज नामों और वर्तनी का उपयोग करते हैं। सीबीआई की प्रविष्टियों और हमारे मामले के सारांशों में नामों और वर्तनी में अंतर के लिए खेद है।
206 राख में तब्दील

सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (207)

पहचाने गए शवों की सूची

तारन तारन पुलिस जिले में दाह संस्कार
1. क्रमांक 2/002 के अंतर्गत, सूची में अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के कंबोके गांव निवासी तारा सिंह के पुत्र अच्छर सिंह के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो पट्टी पुलिस स्टेशन के प्रधान कांस्टेबल विश्वमित्र द्वारा 21 जुलाई 1984 को किया गया था और एफआईआर संख्या 223/84 के अंतर्गत दर्ज है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एसकेजी-16/84 के रूप में चिह्नित किया गया है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
सीसीडीपी ने अपनी घटना रिपोर्ट के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की है।
प्रपत्र संख्या CCDP/01540. पीड़िता की विधवा दलबीर कौर मुख्य सूचनादाता हैं।
तारा सिंह और धंतो के पुत्र पच्चीस वर्षीय अच्छर सिंह एक निवासी थे। अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के खालरा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले मारी कंबो की गांव का निवासी। एक युवा किसान अच्चर सिंह का विवाह दलबीर कौर से हुआ था और उनके दो छोटे बेटे सुखदेव सिंह और गुरदेव सिंह थे, जिनकी उम्र अब क्रमशः 20 और 18 वर्ष है।
बपतिस्मा प्राप्त सिख अच्छर सिंह, जरनैल सिंह भिंडरांवाले के समर्थक थे। जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद, सेना ने "वुड रोज़" नामक एक और अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में भिंडरांवाले के समर्थकों को निशाना बनाना था। इसी दौरान अच्छर सिंह संदिग्धों की सूची में शामिल हो गए।
भारतीय सेना के जवानों ने पंजाब पुलिस की सहायता से छापेमारी शुरू कर दी। अच्छार सिंह के घर पर। उनकी अनुपस्थिति में, पुलिस ने उनके भाई को उठा लिया और परिवार के अन्य सदस्यों को परेशान किया। तब परिवार ने ग्राम परिषद के सदस्यों और अन्य बुजुर्गों के माध्यम से अच्छार सिंह को खालरा पुलिस स्टेशन के थाना अधिकारी (एसएचओ) पूरन सिंह के समक्ष पेश करने का निर्णय लिया। एसएचओ ने कानूनी रूप से उचित कार्यवाही करने का वादा किया था, लेकिन आत्मसमर्पण के तीन दिन बाद, पट्टी मोड़ के पास एक "मुठभेड़" में अच्छार सिंह को मृत घोषित कर दिया गया। परिवार ने अखबार में उनकी हत्या की खबर पढ़ी और फिर खालरा पुलिस स्टेशन जाकर शव और अंतिम संस्कार (यदि हो चुका हो) के विवरण के बारे में पूछा। वहां के अधिकारियों ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया और आतंक के माहौल के कारण परिवार को चुप रहना पड़ा।
परिवार अमृतसर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) बूआ सिंह को अपना अभिभावक मानता है।
और खालरा और पट्टी पुलिस स्टेशनों के एसएचओ को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया। अच्छर सिंह की विधवा दलबीर कौर के अनुसार, उनके पति के चचेरे भाई गुरमेज सिंह, जो भीखीविंड के पास सनपुरा गांव के अमरिक सिंह के बेटे थे, को बाद में एक अलग घटना में अमृतसर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और मार डाला।
2. क्रमांक 3/008 के अंतर्गत, सूची में वीरसा सिंह, पुत्र हरनाम सिंह, निवासी सुरसिंह के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो निरीक्षक मदन द्वारा 10 मई 1987 को संपन्न किया गया था। 208. राख में परिवर्तित।

हरिके पुलिस स्टेशन के गोपाल की हत्या एफआईआर संख्या 59/87 के तहत दर्ज की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जेएससी-33/87 के रूप में चिह्नित किया गया है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
सीसीडीपी ने निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।

घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01582 के माध्यम से। मुख्य सूचनादाता पीड़ित का भाई मुख्तार सिंह है।

Virsa Singh, s/o Harnam Singh and Gurdial Kaur,

वीरसा सिंह अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल के भीखीविंड पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सुर सिंह गांव की पट्टी चंदू की बस्ती का निवासी था। तेईस वर्षीय वीरसा सिंह ने सातवीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ दिया और एक निहंग सिख संप्रदाय में शामिल हो गया। वीरसा सिंह इसी संप्रदाय के साथ रहता था और अपने परिवार से बहुत कम ही मिलने जाता था।

मई 1987 के पहले सप्ताह में, अमृतसर पुलिस ने

पुलिस ने वीरसा सिंह और उसके दो साथियों, चक वालिया निवासी सतनाम वीरसा सिंह और गजल निवासी मंगल सिंह को शहर के एक घर से गिरफ्तार किया। वीरसा सिंह के परिवार को उसकी स्थिति के बारे में तब तक कोई जानकारी नहीं मिली, जब तक कि 28 अगस्त 1987 को जगबानी नामक एक पंजाबी अखबार ने हरिके पुलिस स्टेशन के अंतर्गत नाबीपुर गांव के पास कथित पुलिस मुठभेड़ में मंगल सिंह और सतनाम सिंह के साथ वीरसा सिंह की हत्या की खबर नहीं छापी। पुलिस द्वारा जारी एक विज्ञप्ति पर आधारित अखबार की रिपोर्ट में तथाकथित "मुठभेड़" में मारे गए सभी व्यक्तियों की पहचान की गई थी। सतनाम सिंह की पहचान खेमकरण पुलिस स्टेशन के अंतर्गत चक वालिया गांव के वासाखा सिंह के पुत्र के रूप में और मंगल सिंह की पहचान खेमकरण पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ही गजल गांव के शर्मा सिंह के पुत्र के रूप में की गई थी। अखबार द्वारा रिपोर्ट प्रकाशित किए जाने तक पुलिस ने शवों का अंतिम संस्कार कर दिया था।

सीबीआई की पहचान की गई शवदाह की सूची में केवल वीरसा सिंह के शवदाह का ही उल्लेख है।

अखबार की रिपोर्ट में पूरी पहचान उपलब्ध होने के बावजूद, सीबीआई ने दो अन्य शवदाहों को अपनी आंशिक रूप से पहचानी गई सूची में शामिल करना चुना।
क्रमांक 04/07 और 05/09 के तहत, आंशिक रूप से पहचानी गई सूची में मंगल सिंह

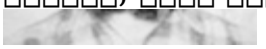

3. 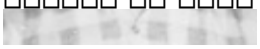

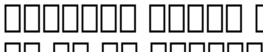

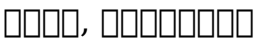

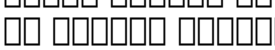

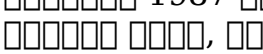

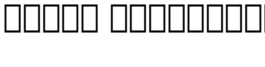

बताया कि एसएचओ ओंकार सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने उनके बेटे को तरन तारन गुरुद्वारे के बाहर से गिरफ्तार कर लिया है।
हालांकि, नरिंदर सिंह के माता-पिता पुलिस से डरते थे और उन्होंने उसे बचाने की कोशिश नहीं की।
कुछ दिनों बाद, उन्हें फिर सूचना मिली कि अमृतसर स्थित आपराधिक जांच एजेंसी (सीआईए) के कर्मचारियों ने नरिंदर सिंह को बेरहमी से प्रताड़ित किया है। यह सूचना कुछ युवा सिखों ने दी थी, जिन्हें अमृतसर में सीआईए कर्मचारियों द्वारा अवैध रूप से हिरासत में लिया गया था और जिन्होंने नरिंदर सिंह को देखा था। निहंग सिख शिविर डेरा बाबा श्री चंद के प्रबंधक बाबा निर्मल दास ने भी परिवार को सूचित किया कि उनका बेटा अमृतसर पुलिस की अवैध हिरासत में है।
अक्टूबर 1987 के तीसरे सप्ताह में, पंजाबी समाचार पत्रों में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जिसमें एक घटना का जिक्र था।
पुलिस और चार-पांच सिख आतंकवादियों के एक समूह के बीच कथित सशस्त्र मुठभेड़ हुई, जिसमें उनकी मौत हो गई। मारे गए आतंकवादियों की सूची में नरिंदर सिंह का नाम भी था। पुलिस ने माता-पिता को सूचित किए बिना ही अंतिम संस्कार कर दिया। सीबीआई की सूची में मृत्यु का कारण "उपलब्ध नहीं" बताया गया है।
4. क्रमांक 8/028 के अंतर्गत, सूची में शेख चक्क गांव के निवासी हरभजन सिंह के पुत्र बलदेव सिंह के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो वेरोवाल पुलिस स्टेशन के एएसआई आत्मा सिंह द्वारा एफआईआर संख्या 49/88 के तहत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट संख्या AK-11/88 के रूप में दर्ज है। मृत्यु का कारण मुठभेड़ बताया गया है।
सीसीडीपी ने निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की है।

घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/00750 के माध्यम से।

बलदेव सिंह उर्फ बिल्ला 35 वर्ष का था और गुरमीत से विवाहित था।

बलदेव सिंह कौर अपने तीन छोटे बच्चों के साथ अमृतसर जिले के तरनतारन उपमंडल के तरनतारन सदर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत लालपुर डाकघर वाले शेख चक्क गांव में रहती थीं। उनके माता-पिता भजन सिंह और हरबंस कौर भी उसी घर में रहते थे। बलदेव सिंह राजमिस्त्री का काम करते थे। वे एक धर्मनिष्ठ सिख थे और किसी भी राजनीतिक दल या संगठन से जुड़े नहीं थे।

1987 की शुरुआत में, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ)

Baldev Singh

फतेहाबाद में तैनात, अवैध रूप से हिरासत में लिए गए, 210 लोगों को राख में बदल दिया गया

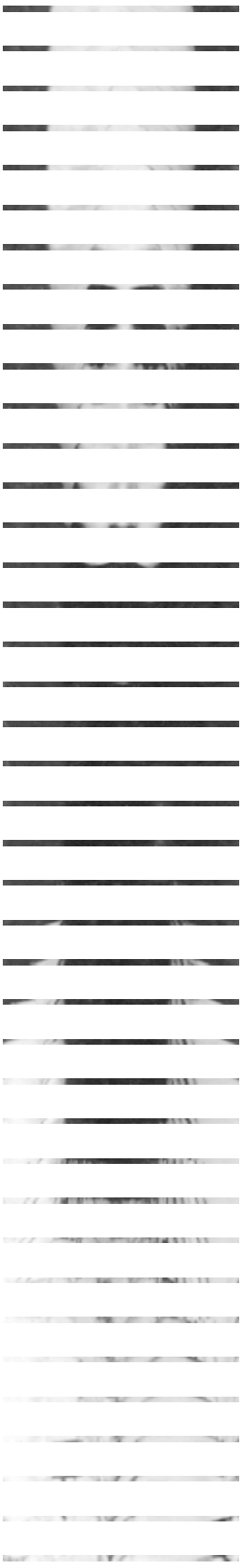

बलदेव सिंह से दो महीने तक पूछताछ की गई और उन्हें यातनाएं दी गईं। उन्हें बिना शर्त रिहा कर दिया गया।
25 फरवरी 1988 को बलदेव सिंह अपने ससुराल वालों से मिलने गांव के लिए घर से रवाना हुए।
अमृतसर जिले के खदुर साहिब क्षेत्र के फतेहाबाद के पास भूइयां में रहने वाले बलदेव सिंह अपनी बहन की शादी में उन्हें आमंत्रित करना चाहते थे। फतेहाबाद में बलदेव सिंह एक अन्य व्यक्ति के साथ रिक्शा लेकर भूइयां पहुंचे। रास्ते में खुआसपुर गांव में तैनात सीआरपीएफ ने रिक्शा रोककर बलदेव सिंह और उनके साथी दोनों को हिरासत में ले लिया। भूइयां गांव का एक निवासी, जो बलदेव सिंह से अच्छी तरह परिचित था, फतेहाबाद के एक स्कूल से अपने बच्चों को लेने जा रहा था, तभी उसने गिरफ्तारी देखी। गिरफ्तारी शाम करीब 4 बजे हुई।
भूइयां गांव का यह गवाह तुरंत बलदेव सिंह की मां के पास गया।
मैंने अपनी रिश्तेदार स्वर्ण कौर को गिरफ्तारी के बारे में बताया। स्वर्ण कौर उसी शाम शेख चक्क गईं और बलदेव के माता-पिता और अपनी बेटी को सूचना दी। अगली सुबह, बलदेव सिंह के पिता भजन सिंह, जिनका तब तक निधन हो चुका था,
कई ग्रामीण बुजुर्गों के साथ वे खुआसपुर स्थित सीआरपीएफ शिविर गए और कमांडेंट तिवारी से मिले, जिन्होंने बलदेव सिंह को अपनी हिरासत में होने से इनकार किया और यहां तक कि उनकी गिरफ्तारी को भी स्वीकार नहीं किया।
29 फरवरी 1988 को, स्थानीय समाचार पत्रों ने एक "मुठभेड़" की खबर दी जिसमें
दो “अज्ञात आतंकवादियों” के मारे जाने का आरोप है। परिवार के सदस्यों और ग्राम बुजुर्गों द्वारा पूछे जाने पर, वेरोवाल पुलिस स्टेशन के एसएचओ तरलोचन सिंह वालिया ने स्वीकार किया कि कथित मुठभेड़ में मारे गए लोगों में बलदेव सिंह भी शामिल था। लेकिन परिवार को अंतिम संस्कार के बारे में सूचित नहीं किया गया था और वे अंतिम संस्कार नहीं कर पाए।
बलदेव सिंह की विधवा गुरमीत कौर और उनके तीन बच्चे अब भूइयां में रहते हैं।
फतेहाबाद के पास एक गांव में रहती हैं और उनके माता-पिता उनका भरण-पोषण करते हैं।
5 - 13: क्रम संख्या के अंतर्गत। 9/032, 10/033, 11/034, 12/035, 14/044, 15/045, 16/046, 17/047 और 18/048, सूची में 11 मई 1988 को एफआईआर नंबर के तहत भिखीविंड पुलिस स्टेशन के SHO करनैल सिंह द्वारा किए गए नौ दाह संस्कारों की पहचान की गई है। 66/88. वे हैं: [1] गुरनाम सिंह, पुत्र हरभजन सिंह, निवासी घरियाला; [2] दरबारा सिंह, पुत्र लक्ष्मण सिंह, निवासी ठाठा; [3] जसवन्त सिंह, पुत्र जोरा सिंह, निवासी थाठा; [4] प्रताप सिंह, पुत्र रेशम सिंह, निवासी कलसियां; [5] भूपिंदर सिंह, पुत्र कुलदीप सिंह निवासी महदपुर; [6] भाग सिंह, पिता कश्मीर सिंह, निवासी पलाज़ादी बुद सिंह; [7] प्रीतपाल सिंह, पिता गुरुदयाल सिंह, निवासी गगोबूहा; [8] सुरजन सिंह, पिता मस्सा सिंह, निवासी पदरी; और [9] गुरनाम सिंह, पिता जरनैल सिंह, निवासी थाथा। पोस्टमार्टम रिपोर्टों को SSA-41/88, SS-42/88, SS-43/88, SS-44/88, VKA-58/88, VKA-59/88, VKA-60/88, VKA-61/88 और VKA-62/88 के रूप में

चिह्नित किया गया है। पहले चार मामलों में मृत्यु का कारण "उपलब्ध नहीं" बताया गया है और अगले पांच मामलों में "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है। समिति ने घटना के पुनरावलोकन के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है-
पोर्ट फॉर्म संख्या CCDP/01526, 01527, 01588, 01694, 01557, 01558 और 01528। मुख्य सूचनादाता दरबारा सिंह के पिता लछमन सिंह; जसवंत सिंह के पिता जागीर सिंह दोधी; प्रताप सिंह की विधवा कुलविंदर कौर; भाग सिंह के पिता कश्मीर सिंह; प्रीतपाल सिंह के भाई नरिंदर पाल सिंह; सुरजन सिंह के मामले में ग्राम रक्षक हरभजन सिंह; और गुरनाम सिंह के पिता जरनैल सिंह हैं।
बाईस वर्षीय दरबारा सिंह, लछमन सिंह और गुरबख्श कौर के पुत्र,
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (211)

दरबारा सिंह अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के भिखीविंड पुलिस स्टेशन के अंतर्गत घरियाला डाकघर वाले थाथा गांव के बाजवा पट्टी के निवासी थे। उन्होंने सिख धर्म प्रचारक बनने के लिए स्कूल छोड़ दिया था और जरनैल सिंह भिंडरांवाले द्वारा संचालित रूढ़िवादी सिख शिक्षा केंद्र दमदमी टकसाल में शामिल हो गए थे। दरबारा सिंह अविवाहित थे। इसी वजह से उन पर शक हुआ और पुलिस ने उनके घर पर छापेमारी शुरू कर दी और उनके परिवार के सदस्यों को परेशान करने लगी।
बाईस वर्षीय जसवंत सिंह, जो जागीर सिंह और प्रीतम कौर के पुत्र थे, एक
थथा गांव के सिद्धू पट्टी के निवासी और चार भाइयों में सबसे बड़े। उनके दो भाई भारतीय सेना में सैनिक थे। आठवीं कक्षा तक पढ़ाई करने के बाद उन्होंने अपने पिता के कृषि कार्यों में मदद करना शुरू कर दिया। वे अविवाहित थे। Forty-one-year-old Pratap Singh, s/o Resham Singh and Bakhshish Kaur,
was a

अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के भीखीविंड पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कलसियां कलां के बुंगे वाले के रहने वाले किसान। उनका विवाह कुलविंदर कौर से हुआ था और उनकी तीन बेटियां और एक बेटा गुरसाहिब सिंह है, जिसकी उम्र अब 29 वर्ष है। सबसे छोटी बेटी निर्मल कौर 20 वर्ष की है।
प्रताप सिंह बपतिस्मा प्राप्त सिख थे और बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे, और अधिकांश सिखों की तरह,
प्रताप सिंह जून 1984 में चलाए गए भारतीय सरकार के 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' से बेहद नाराज़ थे। उनके गाँव का घर उनके खेतों के पास, गाँव के बाहरी इलाके में स्थित था, और पुलिस को उन पर आतंकवादियों को पनाह देने और भोजन उपलब्ध कराने का संदेह होने लगा। पुलिस द्वारा उनके घर पर नियमित रूप से छापेमारी शुरू करने पर, प्रताप सिंह यातना और अपमान के डर से भूमिगत हो गए। पुलिस ने उनके परिवार के अन्य सदस्यों, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं, को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उनके भाई कुलबीर सिंह को भीखीविंड पुलिस स्टेशन में रखा गया और उन पर बेरहमी से अत्याचार किया गया। हालांकि, प्रताप सिंह ने आत्मसमर्पण नहीं किया।
सूची में जिस व्यक्ति की पहचान गलती से भाग सिंह के रूप में की गई थी, वह तारा सिंह उर्फ था।
तारू, कश्मीर सिंह और जागीर कौर के तीन बेटों में सबसे छोटा था। वह 17 वर्ष का था और अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल में स्थित तलवंडी बुध सिंह (सूची

में पलाज़ादी बुध सिंह, डाकघर भंगाला) का निवासी था। बपतिस्मा प्राप्त सिख, जो धार्मिक रूप से प्रबल था, ने मार्च 1988 में मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की और फिर उग्रवादी भूमिगत संगठन में शामिल हो गया। वह फिर कभी घर नहीं लौटा। तारा सिंह अविवाहित था।
गुरदयाल सिंह और कुलदीप कौर के पुत्र प्रीतपाल सिंह की आयु मात्र 18 वर्ष थी और वह निवासी था।
अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल के झब्बल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गग्गो बूहा गांव और गग्गो बूहा डाकघर में यह घटना घटी। एक धार्मिक प्रवृत्ति के सिख परिवार से ताल्लुक रखने वाले प्रीतपाल ने पांचवीं कक्षा में ही स्कूल छोड़ दिया और सिख उग्रवादी आंदोलन में रुचि लेने लगा। लेकिन पुलिस ने अभी तक उसे गिरफ्तार या पूछताछ नहीं की थी।
मासा सिंह और तेज कौर के पुत्र, चौबीस वर्षीय सुरजन सिंह, से थे।
अमरीसर जिले के तरन तारन उपमंडल के पधरी कलां डाकघर के अंतर्गत पधरी निक्की गांव का रहने वाला सुरजन सिंह विवाहित था और उसके चार बच्चे थे। वह अपने चार भाइयों के साथ खेती करता था। उग्रवादियों से संबंध होने के संदेह में उसे 1987 में शस्त्र अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। छह महीने बाद उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया और वह घर छोड़कर भूमिगत उग्रवादी गतिविधियों में शामिल हो गया।
सत्रह वर्षीय गुरनाम सिंह, पुत्र जरनैल सिंह और जीतो, सिधू पट्टी से अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के थाथा गांव में रहने वाले गुरनाम तीन भाइयों में सबसे छोटे थे। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद, गुरनाम ने एक निजी डॉक्टर के अधीन कंपाउंडर का प्रशिक्षण लिया और गांव में अपना खुद का चिकित्सा क्लिनिक स्थापित किया। उनका क्लिनिक अनधिकृत था, जो पंजाब के ग्रामीण इलाकों के साथ-साथ अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी आम था। 212 रिड्यूस्ड टू ऐशेज़

भारत में, अधिकारियों द्वारा उसे काफी हद तक इसलिए बर्दाश्त किया जाता है क्योंकि योग्य डॉक्टर शहरों की ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन पुलिस को उस पर उग्रवादियों से संबंध होने का भी संदेह था।
पंजाब पुलिस और पुलिस बलों की मिलीभगत से हुई मुठभेड़ों में सभी नौ लोग मारे गए।
पुलिस और सीआरपीएफ के बीच 10 मई 1988 को हुई मुठभेड़ के बारे में पंजाबी दैनिक अजीत में 12 मई 1988 को प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, सीआरपीएफ की 19 वीं बटालियन के कमांडेंट मोहिंदर कुमार खैरात द्वारा घरियाला गांव के एक फार्महाउस पर छापेमारी के बाद गुरनाम सिंह घरियाला की कुछ डायरियां बरामद करने के बाद मुठभेड़ों का सिलसिला शुरू हुआ। गुरनाम सिंह घरियाला स्वयं तो छापेमारी में बच निकला, लेकिन सुरक्षा बलों को उसकी छोड़ी हुई डायरियों से कई वांछित आतंकवादियों के पते मिल गए। इसके बाद सीआरपीएफ और पंजाब पुलिस के संयुक्त बल ने मखी कलां गांव को घेर लिया और गुरनाम सिंह घरियाला और बेगा सिंह को मार गिराया। उनके साथी मुठभेड़ में बच निकले, लेकिन कलसियां और साधरा गांवों में उनका पीछा किया गया और उन्हें मार दिया गया। साधरा गांव में अजैब सिंह के ट्यूबवेल पर हुई गोलीबारी में कुछ अन्य लोग मारे गए। यह जानकारी अमृतसर के एसएसपी संजीव गुप्ता ने प्रेस को दी थी।
हम यह पता नहीं लगा पाए हैं कि इन "मुठभेड़ों" के गवाह कौन थे और

हमने जिन परिवार वालों से बात की, उन्होंने यह नहीं कहा कि शव नकली थे। घटना की जानकारी निजी सूत्रों से मिलने के बाद वे सभी उसी दिन भीखीविंड पुलिस स्टेशन पहुंचे और शवों की पहचान कर ली। हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने शवों को दाह संस्कार के लिए परिजनों को सौंपने में कोई आपत्ति नहीं जताई, बशर्ते ग्राम परिषद के सदस्य उनके साथ जाएं और कुछ कागजातों पर हस्ताक्षर कर दें। थाथा गांव के दरबारा सिंह, जसवंत सिंह और गुरनाम सिंह के परिजनों के अनुसार, पुलिस ने शव लौटा दिए और गांव के श्मशान घाट में ही उनका दाह संस्कार कर दिया गया।
प्रताप सिंह के रिश्तेदारों को टेलीविजन के माध्यम से इस "मुठभेड़" के बारे में पता चला।
10 मई की शाम को रिपोर्ट प्रसारित होने के बाद वे अगली सुबह पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस ने पहले ही पट्टी में अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर दी थी और परिवार के सदस्यों और गांव के अन्य बुजुर्गों को इसमें शामिल होने की अनुमति दी थी।
तारा सिंह के पिता कश्मीर सिंह ने पट्टी अस्पताल में अपने बेटे के शव की पहचान की।
शव का अंतिम संस्कार पट्टी श्मशान घाट में किया गया।
प्रीतपाल सिंह की मां और उसकी चाची भी 11 मई तक पुलिस स्टेशन पहुंच गईं।
परिवार का कोई भी पुरुष सदस्य या ग्राम परिषद का कोई भी सदस्य उनके साथ नहीं था। जब वे पहुंचे, तब तक पुलिस द्वारा आयोजित अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन उन्हें इसमें शामिल होने की अनुमति दी गई। सुरजन सिंह के परिवार का कोई भी सदस्य पुलिस स्टेशन नहीं पहुंच सका, और भिखीविंड पुलिस ने शव को लावारिस घोषित कर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। यह एक रहस्य है कि दरबारा सिंह, जसवंत सिंह और उनके रिश्तेदारों के बीच गुरनाम सिंह का दावा है कि उन्होंने शवों को अंतिम संस्कार के लिए उनके गांवों में पहुंचाया था, जबकि सीबीआई की सूची से पता चलता है कि सभी अंतिम संस्कार भीखीविंड पुलिस स्टेशन के एसएचओ करनैल सिंह द्वारा पट्टी श्मशान घाट में किए गए थे।
14-16: क्रमांक 19/49, 20/50 और 21/51 के अंतर्गत, सूची में 29 जून 1988 को वलतोहा पुलिस स्टेशन के एसएचओ मोहिंदर सिंह द्वारा एफआईआर क्रमांक 86/88 के तहत किए गए तीन शवदाहों की पहचान की गई है। ये शवदाह [1] सुरजीत सिंह, पिता जग्गा सिंह जाट, निवासी घरियाला; [2] चानन सिंह, पिता पूरन सिंह जाट, निवासी अस्सल उत्तर; और [3] स्वर्ण सिंह, पिता गुरमेज सिंह, निवासी अस्सर उत्तर के हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्टों को एसएलजी 34/88, एसएलजी 35/88 और एसएलजी 36/88 के रूप में चिह्नित किया गया है। तीनों मामलों में मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (213)

समिति को स्वर्ण सिंह के बारे में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हुई है। घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01250। पीड़ित का भाई जसवंत सिंह मुख्य सूचनादाता है।
24 वर्षीय स्वर्ण सिंह उर्फ सम्मा, निवासी आसल उतर, किला सोढियां वाला अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के वाल्टोहा पुलिस स्टेशन में तैनात स्वर्ण सिंह जुलाई 1982 में अकाली दल द्वारा शुरू किए गए आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे। वे अविवाहित थे और अपनी विधवा माता के साथ रहते थे। जून 1984

में सेना की कार्रवाई से पहले अकाली आंदोलन के दौरान स्वर्ण सिंह ने गिरफ्तारी दी थी और कुछ समय जेल में बिताया था। उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था और न ही वे किसी उग्रवादी अपराध के सिलसिले में वांछित थे। लेकिन वे खालिस्तान के उग्रवादी आंदोलन के प्रति सहानुभूति रखते थे और उनके कुछ मित्र इस आंदोलन में शामिल थे।
28 जून 1988 को, स्वर्ण सिंह, अपने मित्र चन्नन सिंह (पूरन के पुत्र) के साथ
असल उतर के सिंह, जग्गा सिंह के पुत्र और घरियाला निवासी सुरजीत सिंह के साथ अपने गांव के एक घर में गए। सुरजीत सिंह एक उग्रवादी संगठन का सदस्य था और पुलिस उसे ढूंढ रही थी। घर पहुंचते ही पुलिस ने तीनों को अगवा कर लिया, क्योंकि उन्हें उनकी यात्रा की सूचना मिल गई थी। बाद में, एक सुनियोजित मुठभेड़ में तीनों को गोली मार दी गई।
29 जून 1988 की सुबह, घरियाला पुलिस चौकी के कांस्टेबलों ने स्वर्ण को हिरासत में लिया।
सिंह के भाई जसवंत सिंह ने शवों की पहचान के लिए सहायता मांगी थी। पट्टी सिविल अस्पताल में शवों का पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस ने शवों को परिजनों को सौंप दिया, जिन्होंने अंतिम संस्कार किया। हालांकि, सीबीआई की सूची में सब-इंस्पेक्टर और एसएचओ मोहिंदर सिंह का नाम अंतिम संस्कार का आदेश देने वाले अधिकारी के रूप में दर्ज है, जो परिवार के बयान के विपरीत है।
17. क्रमांक 22/52 के अंतर्गत, सूची में गुरमेज सिंह महाजन के पुत्र अमरिक सिंह, निवासी रतोके के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो वाल्टोहा पुलिस स्टेशन के एसएचओ मोहिंदर सिंह द्वारा एफआईआर क्रमांक 102/88 के तहत 10 अगस्त 1988 को किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कोई क्रमांक नहीं है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
सीसीडीपी ने अपने माध्यम से इस मामले के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01573। इस मामले में मुख्य सूचनादाता पीड़ित का पुत्र गुरनाम सिंह है।
गुरमेज सिंह के पुत्र अमरिक सिंह, जो एक गरीब मजहबी परिवार से संबंध रखने वाले राजमिस्त्री हैं,
अमरिक अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के रट्टोके गांव के मज़हबियां दा वेहरा के निवासी थे। उनका विवाह जोगिंदर कौर से हुआ था और उनके दो बेटे थे, गुरनाम सिंह और निशान सिंह; जिनकी उम्र अब क्रमशः 20 और 18 वर्ष है। अमरिक अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते थे और साइकिल से अपने घर और कार्यस्थल के बीच आवागमन करते थे। उनका किसी भी राजनीतिक या उग्रवादी संगठन से कोई संबंध नहीं था और उनकी हत्या से पहले उन्हें कभी गिरफ्तार या पूछताछ नहीं की गई थी।
9 अगस्त 1988 की सुबह, अमरिक हमेशा की तरह, दासुवाल गांव में अपने कार्यस्थल के लिए रवाना हो गया।
जहां वह जल निकासी व्यवस्था का निर्माण कर रहे थे। उस दिन सुबह करीब 9 बजे, जब अमरिक और उनके सहकर्मी अपना काम शुरू ही कर रहे थे, तभी सब-इंस्पेक्टर (एसआई) मोहिंदर सिंह के नेतृत्व में वाल्टोहा पुलिस का आतंकवादियों के एक समूह से मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने आतंकवादियों का पीछा करते हुए उन पर गोलियां चलाईं। पुलिस की चलाई एक गोली अमरिक सिंह के सिर में लगी और उनकी

मौके पर ही मौत हो गई। उनके परिवार को उनकी हत्या की जानकारी सुबह करीब 11 बजे मिली, जब वाल्टोहा पुलिस अमरिक के पिता गुरमेज सिंह को शव की पहचान के लिए घटनास्थल पर ले गई। पुलिस अधिकारियों ने खेद व्यक्त किया और स्वीकार किया कि उन्होंने गलती से एक निर्दोष व्यक्ति को मार दिया था।
214 राख में तब्दील

अगली सुबह, पोस्टमार्टम के बाद, पुलिस ने शव को पुलिस को सौंप दिया। परिवार के सदस्य अंतिम संस्कार के लिए उनके गांव में मौजूद थे, जहां यह संस्कार संपन्न हुआ। हालांकि, अगले दिन, पुलिस द्वारा जारी एक बयान के आधार पर अखबारों में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिसमें कहा गया कि दासुवाल गांव में मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। अमरिक के परिवार के पास इस झूठ को चुनौती देने के लिए न तो संसाधन थे और न ही आवश्यक संपर्क, और आगे की कार्रवाई के डर से उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा।
हालांकि, अमरिक के पिता गुरमेज सिंह अपने बेटे की मृत्यु के सदमे से उबर नहीं पाए।
निर्दोष पुत्र और पुलिस द्वारा उसे उग्रवादी घोषित करने का अन्याय। असहनीय पीड़ा से पीड़ित होकर, दो महीने बाद हृदयाघात से उनकी मृत्यु हो गई।
एक बार फिर हम देखते हैं कि यद्यपि उसके परिवार के सदस्यों ने वास्तव में उसकी हत्या को अंजाम दिया था
सीबीआई की सूची के अनुसार, पीड़ित के गांव में अंतिम संस्कार किया गया था और वाल्टोहा पुलिस के एसएचओ मोहिंदर सिंह ने पट्टी श्मशान घाट में यह संस्कार संपन्न कराया था।
18. क्रमांक 23/53 के अंतर्गत, सूची में शिंदा, पुत्र सरवन सिंह जाट, निवासी सुर सिंह, भीखीविंड पुलिस स्टेशन के अंतर्गत, का अंतिम संस्कार 22 सितंबर 1988 को वाल्टोहा पुलिस स्टेशन के एसएचओ मोहिंदर सिंह द्वारा एफआईआर संख्या 123/88 के तहत किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एसएसए 38/88 के रूप में चिह्नित किया गया है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने इस मामले के संबंध में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01583 है। मुख्य सूचनादाता पीड़िता की मां हरबंस कौर हैं।
सीबीआई द्वारा शिंदा के रूप में पहचाने गए शव का वास्तविक नाम यही था।
सविंदर सिंह। सूची में उनके पिता का नाम गलती से सरवन सिंह लिखा गया है।
सही नाम स्वर्ण सिंह है। वे अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल के भीखीविंड पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सुर सिंह वाला गांव, पट्टी महना की के निवासी थे।
25 वर्षीय अविवाहित सविंदर जून 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर भारतीय सेना के हमले से बहुत आहत हुए और उग्रवादी आंदोलन के प्रति सहानुभूति रखने लगे। 1986 या 1987 में पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार करने के इरादे से उनके घर पर छापेमारी शुरू करने के बाद वे भूमिगत हो गए। सविंदर के घर छोड़ने के बाद, पुलिस ने उनके परिवार के सदस्यों को परेशान करना शुरू कर दिया, उन्हें उठाकर अवैध हिरासत में रखा और उनसे जानकारी हासिल करने का प्रयास किया। उनके पिता स्वर्ण सिंह को बेरहमी से प्रताड़ित किया गया और वे शारीरिक रूप से विकलांग हो गए।

21 सितंबर 1988 को, एसएचओ मोहिंदर सिंह के नेतृत्व में वाल्टोहा पुलिस ने एक इलाके पर छापा मारा।
पूनिया गांव में एक घर में पुलिस ने छापा मारा और सविंदर सिंह और उसके साथी जागीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस दोनों को गांव के बाहरी इलाके में स्थित खेतों में ले गई और गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। उसी शाम पुलिस ने सविंदर के परिवार वालों को इस "मुठभेड़" की सूचना दी और शव की पहचान और पोस्टमार्टम के बाद उसे अंतिम संस्कार के लिए परिवार को सौंप दिया, जो गांव में ही संपन्न किया गया।
परिवार के सदस्यों ने पूनिया गांव में कथित घटना के बारे में विस्तृत पूछताछ की।
सीबीआई ने “मुठभेड़” की जांच की और घटनाक्रम का सही पता लगाया। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर अखबारों में छपी “मुठभेड़” की रिपोर्टों में रसूलपुर गांव के सविंदर सिंह और जागीर सिंह दोनों की पहचान उनके नामों से की गई थी। हालांकि, सीबीआई की पहचान किए गए शवदाहों की सूची में केवल सविंदर के शवदाह का उल्लेख है, और इसमें कहा गया है कि शवदाह वाल्टोहा पुलिस द्वारा पट्टी में किया गया था, जबकि वास्तविक शवदाह सुर सिंह वाला गांव में हुआ था। सूची में जागीर सिंह के दूसरे शवदाह का उल्लेख नहीं है। आंशिक रूप से पहचाने गए और अज्ञात शवों की दो अन्य सूचियां भी इसी प्रकार हैं।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (215)

सीबीआई द्वारा तैयार किए गए शवदाह रिकॉर्ड में भी उसी दिन पुलिस द्वारा किए गए किसी अन्य शवदाह का उल्लेख नहीं है।
सविंदर के पिता स्वर्ण सिंह, जिन्हें पहले क्रूर यातनाएं दी गई थीं, वहीं रहे।
शारीरिक रूप से विकलांग और बिस्तर पर पड़े रहने के कारण, कुछ वर्षों बाद उनकी मृत्यु हो गई।
19 – 20: क्रमांक 24/54 और 25/55 के अंतर्गत, सूची में हरिके पुलिस स्टेशन के एसएचओ दारा सिंह द्वारा 5 नवंबर 1988 को एफआईआर संख्या 193/88 के तहत किए गए दो शवदाह का उल्लेख है। ये शवदाह निम्नलिखित व्यक्तियों के हैं: [1] करम सिंह, पिता तेजा सिंह, निवासी दुर्गापुर; और [2] बलविंदर सिंह, पिता दरबारा सिंह, निवासी वारियां। पोस्टमार्टम रिपोर्टों को वीकेए 131/88 और वीकेए 132/88 के रूप में चिह्नित किया गया है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने घटना संबंधी रिपोर्ट के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
पोर्ट फॉर्म संख्या CCDP/01622 और 01623। मुख्य सूचनादाता करम सिंह की विधवा बलविंदर कौर और बलविंदर सिंह के बहनोई सुरजीत सिंह हैं।
तेजा सिंह और जागीर कौर के पुत्र, 28 वर्षीय करम सिंह एक किसान थे। अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल के सरहल्ली कलां पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले दरगापुर गांव के रहने वाले करम सिंह अपने परिवार में छह भाइयों में सबसे बड़े थे। उनका विवाह बलविंदर कौर से हुआ था, जिनसे उनकी एक बेटी (अब 20 वर्ष की) और दो बेटे (19 और 17 वर्ष के) हैं। करम सिंह का कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी। हालांकि, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद, करम सिंह ने एक स्वतंत्र सिख राज्य के पक्ष में विचार व्यक्त करना शुरू कर दिया।

पुलिस को संदेह हुआ और उन्होंने उनके घर पर छापेमारी शुरू कर दी। यातना के डर से करम सिंह अपना घर छोड़कर भाग गए। पुलिस ने इसके बजाय उनके परिवार के सदस्यों को हिरासत में ले लिया और उन्हें करम सिंह को पूछताछ के लिए पेश करने के लिए मजबूर किया। हालांकि उनके पास करम सिंह के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, फिर भी पुलिस का दबाव कम नहीं हुआ।
सरहल्ली पुलिस ने अक्टूबर 1988 के आखिरी सप्ताह में करम सिंह के घर पर छापा मारा और
पुलिस ने उसके भाई सुखदेव सिंह को हिरासत में ले लिया। उन्होंने उसे जबरन अपने साथ गोइंदवाल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गांव कवान ले गए, जहां करम सिंह के ससुराल वाले रहते थे। करम सिंह, जिसने अपने ससुराल में शरण ली थी, को उसके दो साले मलकीत सिंह और अवतार सिंह के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसके भाई को रिहा कर दिया और करम सिंह और उसके साले को सरहल्ली पुलिस स्टेशन ले आई। चार दिन बाद, अवतार सिंह और मलकीत सिंह को भी उनके परिवार वालों द्वारा एसएचओ गुरदेव सिंह को 10,000 रुपये की रिश्वत देने के बाद रिहा कर दिया गया। पुलिस ने करम सिंह को रिहा नहीं किया, जिसे उन्होंने उसके सालों की मौजूदगी में बेरहमी से प्रताड़ित किया था। पुलिस द्वारा मलकीत सिंह और अवतार सिंह को अवैध हिरासत से रिहा करने के बाद उसके परिवार को उसके साथ क्या हुआ, इसकी कोई सीधी जानकारी नहीं मिल सकी। परिवार के सदस्यों ने अखबार में छपी उस रिपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया जिसमें वर्णन किया गया था
करम सिंह की कथित मुठभेड़ में एक अन्य "आतंकवादी" के साथ हुई हत्या के बाद, वे सरहल्ली पुलिस स्टेशन के एसएचओ गुरदेव सिंह से लगातार मिलते रहे, इस उम्मीद में कि उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। हालांकि, नवंबर 1988 के अंत में, कुछ दूर के रिश्तेदारों और गांव के बुजुर्गों ने करम सिंह के माता- पिता को यह विश्वास दिला दिया कि उनका बेटा अब जीवित नहीं है और उन्होंने उसके अंतिम संस्कार कर दिए, हालांकि वे न तो दाह संस्कार में शामिल हुए और न ही उसकी अस्थियां ग्रहण कीं।
सीबीआई की सूची में क्रमांक संख्या के अंतर्गत पहचाने गए शवदाह किए गए व्यक्ति का सही नाम।
क्रमांक 25/55, बलविंदर सिंह के रूप में बलदेव सिंह। पंद्रह वर्षीय बलदेव, दरबारा सिंह और सुरजीत कौर के तीन पुत्रों में सबसे छोटा था, जो वरिया गांव, नौशेहरा पन्नुआ डाकघर के अंतर्गत रहने वाले भूमिहीन किसानों के एक गरीब परिवार से थे। संख्या 216 राख में तब्दील।

अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल में स्थित सरहल्ली कलां पुलिस स्टेशन में बलदेव की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उन्हें प्राथमिक स्तर पर ही स्कूल छोड़ना पड़ा और वे अपने पिता की मदद के लिए दिहाड़ी मजदूर के रूप में और कभी-कभी बटाईदार के रूप में दूसरों की जमीन पर खेती करते थे। बलदेव का उग्रवादी आंदोलन से कोई संबंध नहीं था और पुलिस ने उन्हें कभी गिरफ्तार या पूछताछ नहीं की थी। बलदेव सिंह और करम सिंह एक-दूसरे को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते थे।
हालांकि, बलदेव सिंह करम सिंह के साथ मारे गए दूसरे “आतंकवादी” थे। अखबारों की खबरों के अनुसार, 4 नवंबर 1988 की रात हरिके पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मरार गांव के पास एक फर्जी मुठभेड़ हुई थी। अक्टूबर 1988 के तीसरे सप्ताह में, सरहल्ली पुलिस स्टेशन के एसएचओ गुरदेव सिंह ने बलदेव

सदर पुलिस स्टेशन में रहने वाला दलबीर सिंह 40 वर्षीय किसान था, जिसके पास 14 एकड़ जमीन थी। उसकी पत्नी का नाम मंजीत कौर था और उनके तीन बेटे और दो बेटियां थीं। दलबीर सिंह ने सिख धर्म अपना लिया था।
तरन तारन सदर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों को दलबीर पर शक था कि उसने उग्रवादी संगठनों से संबंध होने के कारण दलबीर सिंह ने 1988 की शुरुआत में उनके घर पर छापा मारना शुरू कर दिया। जब पहली बार घर पर छापा मारा गया, तो दलबीर सिंह घर से बाहर थे और पुलिस, सीआरपीएफ की एक टीम के साथ, उनके बेटों तेजा सिंह और सुबेग सिंह को अपने साथ ले गई। पुलिस ने दोनों को बेरहमी से प्रताड़ित किया, लेकिन कुछ दिनों बाद गांव के बुजुर्गों के हस्तक्षेप और दलबीर सिंह को ढूंढकर पुलिस के सामने पेश करने के वादे के बाद उन्हें रिहा कर दिया। तेजा सिंह और सुबेग सिंह दोनों को प्रतिदिन अपने गांव के पुलिस चौकी में हाजिरी लगाने के लिए भी कहा गया।
तरन तारन के सदर पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारियों ने गांव के बुजुर्गों को बताया कि
दलबीर सिंह का परिवार सिख उग्रवादियों को पनाह दे रहा था। परिवार ने यह बात स्वीकार की, लेकिन उनका तर्क था कि चूंकि उनका घर गांव के बाहरी इलाके में खेत पर स्थित था, इसलिए अचानक आकर खाना मांगने वाले सशस्त्र उग्रवादियों को पनाह देने से वे इनकार नहीं कर सकते थे। इन उत्पीड़न और लगातार पुलिस छापों के दबाव से तंग आकर दलबीर सिंह और उनके परिवार ने दिल्ली में बसने का फैसला किया, जहां दलबीर सिंह के भाई गुरदयाल सिंह का घर था और वे परिवहन का व्यवसाय चलाते थे।
अक्टूबर 1988 के अंत में, टार्न तारन के पुलिस अधिकारियों की एक टीम ने छापा मारा।
गुरदयाल सिंह दिल्ली स्थित अपने घर से दलबीर सिंह, उनके बेटे तेजा सिंह, उनके भाई गुरदयाल सिंह और उनके ट्रक चालक दारा सिंह (जो मूल रूप से लालपुरा गांव के रहने वाले थे) को अपने साथ तरन तारन ले गए। दलबीर सिंह की पत्नी मनजीत कौर अपनी बेटियों और सबसे छोटे बेटे मेजर सिंह के साथ उत्तर प्रदेश स्थित अपने मायके चली गईं।
5 नवंबर 1988 को, पुलिस ने पाखो के गांव के पास एक "मुठभेड़" का नाटक किया। जिसमें दलबीर सिंह और उनके बेटे तेजा सिंह को तीन अन्य लोगों के साथ मृत दिखाया गया था। एसएसपी संजीव गुप्ता द्वारा जारी बयान के आधार पर स्थानीय समाचार पत्रों में मुठभेड़ की खबर छपी थी। 6 नवंबर 1988 को प्रकाशित अजीत अखबार की एक रिपोर्ट में दलबीर सिंह की पहचान केवल उनके उपनाम बीरा और गांव के नाम कांग से की गई थी। एसएसपी ने उन्हें एक कट्टर आतंकवादी बताया था।
सीबीआई की पहली सूची में केवल दलबीर सिंह के 5 नवंबर 1988 को हुए अंतिम संस्कार का उल्लेख है।
पुत्र तेजा सिंह के अंतिम संस्कार का विवरण सीबीआई की आंशिक रूप से पहचाने गए अंतिम संस्कारों की सूची में क्रमांक 08/56 के अंतर्गत दर्ज है और इस रिपोर्ट के उपयुक्त अनुभाग में इसका सारांश दिया गया है। परिवार को अंतिम संस्कार के बारे में सूचित नहीं किया गया था।
दलबीर सिंह के भाई गुरदयाल सिंह और उनके ड्राइवर आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे।
कई मामलों में मुकदमा दर्ज कराया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। गुरदयाल सिंह छह महीने बाद जमानत पर बाहर आ गए।

[illegible]
[illegible]
[illegible]
1990 [illegible]
[illegible]
218 [illegible]

22 – 23. [illegible] 27/64 [illegible] 28/65 [illegible], [illegible] 21 [illegible] 1988 [illegible] 163/88 [illegible]: [1] [illegible], [illegible]; [illegible] 76/88 [illegible] 77/88 [illegible] "[illegible]" [illegible] CCDP/01664 [illegible]
[illegible]
1985 [illegible], [illegible] (TADA) [illegible] 1988 [illegible], 19 [illegible] 1988 [illegible] 9 [illegible]
[illegible]
20 [illegible]

घर आकर उसने अपने पिता सुबा सिंह से तरन तारन के सिविल अस्पताल के मुर्दाघर में शव की पहचान करने को कहा। सुबा सिंह, ग्राम परिषद के कई सदस्यों के साथ तरन तारन अस्पताल गए और अपने बेटे के शव की पहचान की। एसएचओ ने सुबा सिंह और उनके साथियों को अगले दिन सुबह शव को अंतिम संस्कार के लिए लाने को कहा। हालांकि, उन्होंने करज सिंह और शेर सिंह के शवों को उनके परिजनों को सौंपने से यह कहकर इनकार कर दिया कि उन्हें "लावारिस" घोषित कर दिया गया है। पुलिस ने तरन तारन में शवों का अंतिम संस्कार किया।
बलबीर कौर के अनुसार, दो अलग-अलग घटनाओं में पुलिस ने गिरफ्तारियां भी कीं और
करज सिंह के दो चचेरे भाइयों की हत्या कर दी:
[1] Balaur Singh, s/o Amrik Singh, resident of Kalia Sakatteran in Patti sub-division
अमृतसर जिले के बलौर सिंह, मार्केट कमेटी के कर्मचारी थे।
Chheharta in Amritsar;
[2] Gurmukh Singh, s/o Jagir Singh, also a resident of Kalia Sakatteran.
24 - 25. क्रमांक 32/75 और 33/76 के अंतर्गत, सूची में झब्बल पुलिस स्टेशन के एएसआई बलजीत सिंह द्वारा 7 मई 1989 को किए गए दो शवदाहों की पहचान की गई है। ये शव हैं: [1] हरदीप सिंह, पुत्र रघुबीर सिंह, निवासी ग्राम गागो बुआ; और [2] गुरदेव सिंह, पुत्र दर्शन सिंह, निवासी ग्राम ताटले। एफआईआर क्रमांक का कोई उल्लेख नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्टों को एके 12/89 और एके 13/89 के रूप में चिह्नित किया गया है।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (219)

मृत्यु का कारण "सीआरपीएफ मुठभेड़" बताया गया है।

समिति ने निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है-

इन मामलों के बारे में जानकारी घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01391 और 01580 के माध्यम से दी गई है। मुख्य सूचनादाता हरदीप के पिता रघुबीर सिंह और गुरदेव के भाई अवतार सिंह हैं।

पट्टी के गांव गग्गो बूहा का हरदीप सिंह

अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल के झब्बल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाला मसूर की, 20 वर्षीय युवक था, जो अपने पिता रघुबीर सिंह के कृषि कार्यों में मदद करता था। उसका किसी भी राजनीतिक संगठन से कोई संबंध नहीं था और न ही उसका कोई पुलिस रिकॉर्ड था। हालांकि, वह गांव के कुछ गुरदेव सिंह जैसे सिख युवकों को जानता था, जो खालिस्तान के उग्रवादी आंदोलन में शामिल थे।

20 अप्रैल 1989 को हरदीप गांव में अपनी चाची चरण कौर के घर पर रह रहा था।

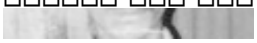

7

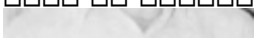

was 18-year-old Gurdev Singh, s/o Darshan Singh, r/o “Kamalpuriya” in village Tatle, post office Padhri Kalan, under Jhabbal police station, in Patti sub-division of Amritsar district.

29

जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में वह उन्हें कच्चे-पक्के स्थित स्थानीय सीआरपीएफ मुख्यालय ले गए।
अधिकारियों के एक समूह ने गुरदेव से पूछताछ शुरू कर दी और उस पर आतंकवादी होने का आरोप लगाया।
और आतंकवादी गतिविधियों के लिए हथियारों का जखीरा रखने का आरोप। उससे कबूलनामा करने को कहा गया, और फिर अधिकारियों ने उसे यातना देना शुरू कर दिया। उसके भाइयों ने उसकी चीखें सुनीं, लेकिन 220 लोग राख में तब्दील हो गए।

गुरदेव आरोपों से इनकार करते रहे, फिर भी उन पर अत्याचार जारी रहा। कुछ समय बाद, पुलिस गग्गो बूहा गांव के रघुबीर सिंह के पुत्र हरदीप सिंह को गुरदेव के पूछताछ कक्ष में ले आई और उनसे हथियार रखने का आरोप दोहराने को कहा गया। गुरदेव के लगातार आरोपों से इनकार करने पर पुलिस ने उन पर अत्याचार और बढ़ा दिया। अंत में, वे बेहोश होकर गिर पड़े। बाद में उनके भाइयों ने कुछ पुलिसकर्मियों को गुरदेव को घसीटते हुए दूसरी कोठरी में ले जाते देखा, जहां उन्हें बंद कर दिया गया। उनके दाहिने हाथ और बाएं टखने के जोड़ टूटे हुए प्रतीत हो रहे थे।
सुबह करीब 11 बजे उनके परिवार के सदस्य, गांव के कुछ बुजुर्गों के साथ, पुलिस कच्चे-पक्के स्थित सीआरपीएफ चौकी पर पहुंची। इंस्पेक्टर तिवारी ने सुलाखन सिंह के पुत्र सुखदेव और गुरभाग को रिहा करने का आदेश दिया और उन्हें ग्राम परिषद के सदस्यों के हवाले कर दिया। लेकिन गुरदेव और उनके भाइयों को रिहा नहीं किया गया। कुछ घंटों बाद, सीआरपीएफ के कुछ जवान उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर तरन तारन स्थित सीआईए स्टाफ के पूछताछ केंद्र ले गए। गुरदेव चलने-फिरने में असमर्थ थे और उन्हें शारीरिक रूप से उठाकर गाड़ी में बिठाना पड़ा। पूछताछ केंद्र में गुरदेव को गाड़ी से उतार दिया गया, लेकिन उनके दोनों भाइयों को बैठे रहने का आदेश दिया गया। उन्हें उसी शाम करीब 7 बजे रिहा कर दिया गया।
इसी बीच, परिवार के सदस्य ग्राम परिषद के प्रमुख के साथ चले गए।
अन्य वरिष्ठ नागरिक गुरदेव सिंह और उनके भाइयों को ढूंढने के लिए तरन तारन के सदर पुलिस स्टेशन गए थे। एसएचओ ने उन पर उग्रवादियों की मदद करने का आरोप लगाया और उन्हें जेल में बंद करने का आदेश दिया। कई घंटों बाद, वरिष्ठ अकाली नेता और पूर्व सांसद मेजर सिंह उबोके के हस्तक्षेप से उन्हें रिहा किया गया।
अगले कुछ दिनों में, गुरदेव के परिवार ने ग्राम परिषद के सदस्यों की सहायता से,
उनकी रिहाई के लिए उन्होंने विभिन्न पुलिस अधिकारियों से मुलाकात जारी रखी। उन्हें अस्पष्ट आश्वासन मिले कि जांच पूरी होने के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा।
7 मई 1989 की सुबह तड़के, पुलिस ने एक सुनसान जगह पर एक फर्जी "मुठभेड़" का नाटक रचा।
सोहल और भुचर कलां गांवों के बीच हुई मुठभेड़ में गुरदेव और हरदीप को मृत घोषित कर दिया गया। प्रेस को जारी की गई खबर के अनुसार, दोनों हथियार और गोला-बारूद की खेप लेकर ट्रैक्टर पर सवार होकर पाकिस्तान से भारत में प्रवेश कर रहे थे। पुलिस द्वारा रोके जाने पर उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी गोलीबारी में वे मारे गए। पुलिस ने मुठभेड़ स्थल से

एके-47 राइफलें, असॉल्ट राइफलें, रॉकेट लॉन्चर और बम बरामद करने का दावा किया। 8 मई 1989 को पंजाब के सभी समाचार पत्रों ने पुलिस के बयान को ही प्रकाशित किया।
परिवार के सदस्यों ने श्मशान घाट से गुरदेव की अस्थियां एकत्र कीं।
अगले दिन।
26. क्रमांक 34/77 के अंतर्गत, सूची में बलदेव सिंह उर्फ गुल्ला सिंह, पुत्र अजीत सिंह जाट, निवासी खाबे राजपूत, के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो 8 मई 1989 को तरन तारन के सदर पुलिस स्टेशन के एसएचओ सुरिंदर सिंह द्वारा एफआईआर क्रमांक 31/89 के तहत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एचएसएस 35/89 के रूप में चिह्नित किया गया है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने इस मामले के संबंध में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01512 है। मुख्य सूचनादाता पीड़ित के पिता अजीत सिंह हैं।
अजीत सिंह और चरण के पुत्र, बाईस वर्षीय बलदेव सिंह उर्फ गुल्ला।
कौर, खब्बे राजपूतन, लुहका डाकघर, पट्टी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत निवासी थीं।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (221)

बलदेव अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल में स्थित एक पुलिस स्टेशन में तैनात थे। उनके परिवार के सदस्य सिख धर्म अपना चुके थे। मैट्रिक पास करने के बाद, बलदेव ने अपने बड़े भाई की तरह 1987 में लुधियाना की शेरपुर थ्रेशर कंपनी में तकनीकी प्रशिक्षु के रूप में काम शुरू किया और एक कुशल मैकेनिक बन गए। अक्टूबर या नवंबर 1987 में, सीआरपीएफ अधिकारियों ने बलदेव को उनके गांव जाते समय गिरफ्तार कर लिया। उनके परिवार को गिरफ्तारी की सूचना मिली और उन्होंने पुलिस अधीक्षक एसपी (ऑपरेशन) खूबी राम से संपर्क करके उन्हें रिहा करने या अदालत में पेश करने का अनुरोध किया। खूबी राम ने उन्हें बताया कि बलदेव निर्दोष हैं और उन्हें झब्बल पुलिस स्टेशन बलदेव सिंह से रिहा करवा लेना चाहिए। जब परिवार के सदस्य झब्बल पुलिस स्टेशन के एसएचओ के पास पहुंचे, तो उन्होंने बलदेव की रिहाई के लिए 50,000 रुपये की रिश्वत मांगी। जब बलदेव के परिवार के सदस्य रिश्वत नहीं जुटा सके, तो एसएचओ ने उनके खिलाफ हत्या और डकैती के कई मामले दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया। बलदेव को 11 महीने बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया और उसने लुधियाना स्थित थ्रेशर कंपनी में अपना काम फिर से शुरू कर दिया।

मई 1989 के पहले सप्ताह में, जब बलदेव सिंह छुट्टी पर घर आए थे, तब एक

तरनतारन के सदर थाने से पुलिस अधिकारियों के एक दल ने उसके घर पर छापा मारा और उसे हिरासत में ले लिया। परिवार वालों को बताया गया कि बलदेव से पूछताछ के लिए उसकी जरूरत है और उन्हें इस मामले में एसएचओ से बात करने के लिए पुलिस स्टेशन आना चाहिए।

कुछ घंटों बाद, बलदेव के पिता अजीत सिंह, अपने कई साथियों के साथ वहाँ पहुँचे।

ग्राम परिषद के सदस्य और अन्य लोग तरन तारन के सदर पुलिस स्टेशन गए।
हालांकि, एसएचओ ने बलदेव को हिरासत में लेने से इनकार कर दिया और उन्हें अन्य पुलिस स्टेशनों में उसकी तलाश करने को कहा।

8 मई 1989 को, लगभग सुबह 11 बजे, तरन तारन के सदर से अधिकारियों का एक और समूह आया।

पुलिस स्टेशन के अधिकारी बलदेव के घर आए और उनकी मां और ग्राम परिषद के एक सदस्य को जबरन अपने साथ बलदेव के शव की पहचान के लिए थाने ले गए। पहचान के बाद, एसएचओ ने शव परिवारवालों को सौंप दिया और बड़ी संख्या में ग्रामीणों की उपस्थिति में गांव में ही अंतिम संस्कार किया गया। यह स्पष्ट नहीं है कि सीबीआई की पुलिस द्वारा किए गए अंतिम संस्कारों की सूची में इस शव का नाम क्यों शामिल है।

परिवार यह पता लगाने में असमर्थ था कि बलदेव की मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई थी।

हत्या कर दी गई।

27 – 28. क्रमांक 35/78 और 36/79 के अंतर्गत, सूची में हरिके पुलिस स्टेशन के एएसआई शिंगारा सिंह द्वारा एफआईआर क्रमांक 46/89 के तहत 28 मई 1989 को किए गए दो शवदाहों का उल्लेख है। ये शवदाहकर्ता हैं: [1] बचित्त सिंह, पुत्र करतार सिंह जाट, निवासी कालरा; और [2] बलविंदर सिंह उर्फ पप्पू, पुत्र जोगिंदर सिंह जाट, निवासी लाहुका। पोस्टमार्टम रिपोर्टों को वीकेए 22/89 और वीकेए 23/89 के रूप में चिह्नित किया गया है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।

सीसीडीपी ने बछितर सिंह के संबंध में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है। घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01696 से। मुख्य सूचनादाता पीड़ित का भतीजा गुरनाम सिंह है।
करतार सिंह और बलवंत कौर के पुत्र चौबीस वर्षीय बचितर सिंह 222 रन बनाकर राख में तब्दील हो गए।

अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के खालरा डाकघर और पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले सिधवां गांव के निवासी बछितर ने मैट्रिक पास करने के बाद अपने पिता के कृषि फार्म में काम करना शुरू किया था। वह अविवाहित थे।

Sarabjit Singh, s/o Tirath Singh, was 27 and lived in Nagoke village, Patti Lakhi
की, अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल के वेरोवाल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत। पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड में क्लर्क के रूप में कार्यरत सरबजीत नागोक उप-स्टेशन पर तैनात थे। उनका विवाह कुलबीर कौर से हुआ था और उनके दो छोटे बेटे थे। वे बपतिस्मा प्राप्त सिख थे और अकाली दल के प्रति सहानुभूति रखते थे, लेकिन उनका किसी भी उग्रवादी संगठन से कोई संबंध नहीं था।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (223)

27 जून 1989 की सुबह, वेरोवाल पुलिस स्टेशन के एसएचओ अनोख सिंह ने छापा मारा।
सरबजीत के घर पर पुलिस ने छापा मारा और चार दिनों तक उससे अवैध रूप से पूछताछ की। इसके बाद, पुलिस ने जांच के लिए रिमांड मांगने हेतु सरबजीत को टाडा मामले के सिलसिले में तरन तारन स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया। मजिस्ट्रेट ने रिमांड मंजूर कर ली और पुलिस को निर्देश दिया कि सरबजीत को 3 जुलाई 1989 को फिर से अदालत में पेश किया जाए। 2 जुलाई को, सरबजीत के बड़े भाई अर्जन सिंह और गांव के अन्य बुजुर्गों ने वेरोवाल पुलिस लॉकअप में उससे मुलाकात की और अपनी कानूनी चिंताओं पर चर्चा की।
3 जुलाई की सुबह, सरबजीत के परिवार वाले जाने की तैयारी कर रहे थे।
तरन तारन की अदालत में, जहाँ उसे पेश किया जाना था, अज़ित अखबार में हरिके पुलिस स्टेशन के अंतर्गत धुन धाहे गाँव के पास हुई मुठभेड़ की खबर पढ़ी गई। रिपोर्ट में बताया गया कि सरबजीत सिंह और गुरिंदर सिंह उस समय मारे गए जब पुलिस कथित तौर पर उन्हें हथियार बरामद करने के लिए ले जा रही थी। रिपोर्ट में पुलिस सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि आतंकवादियों के एक समूह ने सरबजीत सिंह और गुरिंदर सिंह को छुड़ाने के इरादे से पुलिस काफिले पर हमला किया और परिणामस्वरूप हुई गोलीबारी में दोनों और एक अन्य अज्ञात आतंकवादी मारे गए।
समाचार रिपोर्ट पढ़ने के बाद, परिवार के सदस्य, गांव के अन्य लोगों के साथ-वे लोग तरनतारन के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) से मिलने गए और उनसे सरबजीत का शव परिवार को अंतिम संस्कार के लिए सौंपने का अनुरोध किया। एसएसपी ने इनकार कर दिया, लेकिन उन्हें पट्टी अस्पताल में शव देखने की अनुमति दी, जहां उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। पुलिस ने शव का अंतिम संस्कार किया।
सीबीआई की सूची में गुरबीर सिंह [क्रम संख्या 38/100] के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो
हरिके पुलिस स्टेशन के एसएचओ द्वारा 3 जुलाई 1989 को सरबजीत सिंह के साथ तरन तारन में एक शवदाह किया गया था। यह स्पष्ट नहीं है कि गुरबीर सिंह कथित मुठभेड़ में मारे गए दूसरे व्यक्ति थे या नहीं। सीबीआई की अज्ञात सूची में क्रमांक 50/98 के तहत दर्ज है कि हरिके पुलिस स्टेशन के एसएचओ द्वारा एफआईआर संख्या 51/89 के अंतर्गत 3 जुलाई 1989 को तीसरा शवदाह किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को वीकेए-51/89 के रूप में चिह्नित किया गया है।
31. सीबीआई सूची, क्रमांक 39/107 के अंतर्गत, सुखविंदर सिंह उर्फ निक्कू, पुत्र दरबारा सिंह, निवासी ग्राम बंगालीपुर के अंतिम संस्कार को दर्शाती है, जो 13 जुलाई 1989 को तरन तारन नगर पुलिस के कांस्टेबल लखा सिंह, क्रमांक 2619 द्वारा एफआईआर क्रमांक 108/89 के तहत संपन्न किया गया था।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एके 34/89 के रूप में दर्ज किया गया है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने अपने शोध के माध्यम से इस मामले से संबंधित निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01426. मुख्य सूचनादाता पीड़ित का भाई हरजिंदर सिंह है।
25 वर्षीय किसान सुखविंदर सिंह तरनतारन के बंगाली पुर में रहते थे अमृतसर जिले के सदर पुलिस स्टेशन में उनका पता दर्ज है। वे विवाहित थे लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। जुलाई 1989 में उनके जबरन लापता होने के बाद, उनकी पत्नी ने पुनर्विवाह कर लिया है।
सुखविंदर के माता-पिता का निधन उसके बचपन में ही हो गया था और वह अपने छोटे भाई-बहनों के साथ
सुखविंदर के भाई-बहन थे और उनका पालन-पोषण उनके दादा-दादी ने किया था। जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद, बपतिस्मा प्राप्त सिख सुखविंदर खालिस्तान आंदोलन में शामिल हो गए थे। पुलिस उन्हें नियमित रूप से यातना देकर पूछताछ के लिए हिरासत में लेती थी और एक बार तो उनके खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज किया था। उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था, लेकिन पुलिस उन्हें यातना देकर पूछताछ के लिए अवैध रूप से हिरासत में लेती रही।
12 जुलाई 1989 को सुखविंदर तरन तारन शहर में कुछ दोस्तों से मिलने गए। तरन तारन शहर पुलिस स्टेशन के एसएचओ सीता राम के नेतृत्व में अधिकारियों के एक समूह ने उसे 224 राख में बदल दिया।

नांगियां पैरां वाला चौक के पास पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और गिरफ्तारी का विरोध करने पर सरेआम उसकी जमकर पिटाई की। खून बह रहा था और वह चलने में असमर्थ था, तभी पुलिस अधिकारियों ने उसे एक जीप में बिठाया और ले गए। परिवार को गिरफ्तारी की जानकारी देर शाम मिली।
अगली सुबह, सुखविंदर के भाई हरजिंदर सिंह अपने साथ एक बड़े समूह को लेकर आए।
कई स्थानीय लोग तरन तारन पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन्हें पता चला कि सुखविंदर की पुलिस लॉकअप में मौत हो गई है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने शव परिजनों को सौंपने से इनकार कर दिया, लेकिन गांव के कुछ बुजुर्गों को शव देखने की अनुमति दी। पुलिस ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया और परिवार के सदस्यों और उनके शुभचिंतकों को शवस्थल के पास आने की अनुमति नहीं दी।
32. क्रमांक 40/108 के अंतर्गत, सूची में बलदेव सिंह, पुत्र जगमोहन सिंह, निवासी भीखीविंड, के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो 14 जुलाई 1989 को भीखीविंड पुलिस स्टेशन के निरीक्षक परमजीत सिंह द्वारा एफआईआर संख्या 52/89 के तहत संपन्न किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को वीकेए 60/89 के रूप में चिह्नित किया गया है और मृत्यु का कारण "आग्नेयास्त्र से लगी चोटें" बताया गया है।
समिति ने घटना रिपोर्ट के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की है। प्रपत्र संख्या CCDP/00645. मुख्य सूचनादाता पीड़ित के पिता करनैल सिंह हैं।
Baldev Singh, alias Deba, s/o Karnail Singh alias Jagmohan Singh from Patti अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के भीखीविंड में रहने वाला दास की, 24 वर्षीय अविवाहित किसान था जो अपने माता-पिता के साथ रहता था।

[illegible]
[illegible]
13 [illegible] 1989 [illegible]
[illegible]
According to Baldev’s father Karnail Singh, alias Jagmohan Singh, the
[illegible]
33. [illegible] 42/110 [illegible]
[illegible]

[illegible] CCDP/01517.
[illegible]
24 [illegible] 1989 [illegible]

पीछा करते हुए, रतन सिंह के खेतों और घर की ओर से कल्ला गांव की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही रतन सिंह अपने घर की ओर जा रहे थे, सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें आतंकवादी समझकर उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। रतन सिंह पहले ही अपने घर के आंगन में थे और उनके परिवारवाले उनका स्वागत करने के लिए बाहर आ रहे थे, तभी एक गोली उनकी छाती में लगी और वे वहीं गिर पड़े। रतन सिंह के परिवारवाले घबरा गए। उन्हें लगा कि कुछ घुसपैठिए घर में घुस रहे हैं, इसलिए वे अपने खेतों की ओर भाग गए। सुरक्षाकर्मियों ने गोलीबारी रोक दी और अपनी पहचान बताकर परिवारवालों को वापस लौटने को कहा। फिर उन्होंने तलाशी ली और रतन सिंह का शव बरामद किया। पंजाब पुलिस और सीआरपीएफ के जवान शव को अपनी गाड़ी में लादकर चले गए। अंधेरा हो चुका था और परिवारवाले कुछ नहीं कर सके।
अगली सुबह, रतन सिंह का परिवार, गांव के कई लोगों के साथ
ट्रैक्टर-ट्रॉली पर सवार होकर स्थानीय निवासी तरन तारन के सदर पुलिस स्टेशन पहुंचे। सीता राम के नेतृत्व में पुलिस अधिकारी बेहद विनम्र थे और उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने रतन सिंह को गलती से और गलत सूचना के आधार पर मार डाला था। सीता राम ने परिवार को उचित मुआवजा दिलाने में हर संभव सहायता का वादा किया और खेद व्यक्त करते हुए शव परिवार को सौंप दिया। 25 जुलाई 1989 को गांव के श्मशान घाट में बड़ी संख्या में शोक संतप्त लोगों की उपस्थिति में अंतिम संस्कार किया गया।
हालांकि, अगली सुबह, पुलिस द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के आधार पर, कई समाचार पत्रों ने
पंजाब ने इस घटना को "मुठभेड़" करार दिया और रतन सिंह को आतंकवादी बताया। यह पुलिस के व्यापक आतंक का दौर था और परिवार, पुलिस व्यवस्था से लड़ने की स्थिति में न होने के कारण, चुप रहने का फैसला किया।
यह स्पष्ट नहीं है कि सीबीआई द्वारा पहचाने गए शवों की सूची में इस शवदाह का क्या स्थान है।
पुलिस अधिकारियों द्वारा टार्न तारन श्मशान घाट में शव का अंतिम संस्कार किया गया, जबकि वास्तव में यह संस्कार परिवार द्वारा गांव में ही किया गया था।
34. क्रमांक 43/113 के अंतर्गत, सूची में मक्खन सिंह जाट के पुत्र करतार सिंह, निवासी भाई लाधू के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो भिखीविंड पुलिस स्टेशन के एएसआई मोहल लाल द्वारा 21 अगस्त 1989 को एफआईआर क्रमांक 58/89 के अंतर्गत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को वीएसयू 39/89 के रूप में चिह्नित किया गया है और मृत्यु का कारण "आग्नेयास्त्र से लगी चोटें" बताया गया है।
समिति ने घटना संख्या 226 (राख में परिवर्तित) के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।

रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01589. मुख्य सूचनादाता पीड़ित का पुत्र सुखदेव सिंह है।
माखन सिंह और डायल कौर के पुत्र, 55 वर्षीय करतार सिंह एक छोटे कद के व्यक्ति थे।
अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के भिखीविंड पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कलसियां कलां डाकघर के पास स्थित भाई लाधू गांव के निवासी किसान। उनकी पत्नी का नाम गोपाल कौर था और उनके दो वयस्क पुत्र सुखदेव सिंह और रेशम

सिंह थे, जिनकी आयु क्रमशः 40 और 31 वर्ष है। उनका किसी भी राजनीतिक या उग्रवादी संगठन से कोई संबंध नहीं था और न ही उनका कोई पुलिस रिकॉर्ड था। 21 अगस्त 1989 की रात को करतार सिंह अपने खेतों में पानी दे रहे थे तभी एक भीखीविंड पुलिस के कुछ अधिकारी आतंकवादियों की तलाश में इलाके की तलाशी ले रहे थे, तभी उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी और करतार सिंह की मौत हो गई। परिवार वालों ने गोलियों की आवाज सुनी और घबरा गए, लेकिन दहशत भरे माहौल के कारण वे घर से बाहर नहीं निकले। अगले दिन, सुबह करीब 9 बजे कुछ पुलिसकर्मी करतार सिंह के घर आए और परिवार वालों को घटना की सूचना दी, जिसे उन्होंने "एक दुर्घटना" बताया। खेद व्यक्त करते हुए वे परिवार वालों को पट्टी सिविल अस्पताल ले गए और पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया। अंतिम संस्कार गांव के श्मशान घाट में किया गया।
अगले दिन, पुलिस सूत्रों के आधार पर, पंजाब के सभी समाचार पत्रों ने एक खबर प्रकाशित की।
उस खबर में घटना को "मुठभेड़" बताया गया और करतार सिंह को एक खूंखार आतंकवादी करार दिया गया। परिवार पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई करने में असमर्थ रहा। करतार सिंह के पिता अपने बेटे की अन्यायपूर्ण हत्या का सदमा सहन नहीं कर सके और तीन महीने बाद उनकी मृत्यु हो गई।
एक बार फिर, हम देखते हैं कि परिवार के सदस्यों द्वारा ही अंतिम संस्कार किया गया था।
सीबीआई द्वारा दर्ज की गई घटना में पुलिस ने तरन तारन श्मशान घाट पर एक आतंकवादी के अंतिम संस्कार को दर्ज किया है।
35. क्रमांक 45/115 के अंतर्गत, सूची में हरिके पुलिस स्टेशन के एएसआई गोविंदर सिंह द्वारा 7 अगस्त 1989 को एफआईआर संख्या 60/89 के तहत किए गए गुरदेव सिंह, पुत्र अमरिक सिंह, निवासी हरिके के अंतिम संस्कार का उल्लेख है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को वीकेए 65/89 के रूप में चिह्नित किया गया है और मृत्यु का कारण "आग्नेयास्त्र से लगी चोटें" बताया गया है।
समिति ने घटना रिपोर्ट के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की है। प्रपत्र संख्या CCDP/01593. मुख्य सूचनादाता पीड़िता की विधवा हरजीत कौर हैं।
Twenty-six-year-old Gurdev Singh, s/o Amrik Singh and Mohinder Kaur, from
अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के अंतर्गत आने वाले पुराना हरिके, पंजाब के अन्य जाट सिखों के विपरीत, शेव्ड दाढ़ी रखते थे। इससे पता चलता था कि वे बहुत धार्मिक नहीं थे। गुरदेव, दो भाइयों में सबसे बड़े और एक छोटे किसान थे, जिनका विवाह हरजीत कौर से हुआ था। उनके दो बेटे और एक बेटी थी। उनके परिवार में किसी का भी राजनीतिक या उग्रवादी गतिविधियों से कोई संबंध नहीं था और न ही किसी का कोई पुलिस रिकॉर्ड था।
6 अगस्त 1989 को शाम लगभग 7 बजे, गुरदेव दिनभर के काम के बाद घर लौट रहे थे। जब गुरदेव खेतों में काम कर रहा था, तभी हरिके के पुलिस अधिकारियों के एक समूह ने उसे एक आतंकवादी समझकर, जिसका वे पीछा कर रहे थे, उस पर गोली चला दी। गुरदेव के माथे, गर्दन और हाथ में गोली लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिवार को घटना की जानकारी अगली सुबह तक नहीं मिली, जब कुछ ग्रामीणों ने उसकी तलाश करते हुए गुरदेव का शव पाया। जल्द ही, हरिके पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए पट्टी सिविल अस्पताल ले गई और खुद ही अंतिम संस्कार करने का फैसला किया। ग्राम परिषद के सदस्यों के सामने

एसएचओ ने स्वीकार किया कि गुरदेव की हत्या गलती से हुई थी। हालांकि, अखबारों ने घटना को गलत तरीके से प्रकाशित किया।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (227)

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, गुरदेव सिंह को मुठभेड़ में आतंकवादी घोषित किया गया है। रिपोर्टों में हरिके पुलिस स्टेशन के एसएचओ के हवाले से कहा गया है कि गुरदेव सिंह सुरक्षा बलों द्वारा स्थापित बैरियर के पार तीन सशस्त्र आतंकवादियों को रास्ता दिखा रहा था, तभी मुठभेड़ हुई। तीनों आतंकवादी भागने में सफल रहे, लेकिन उनका मार्गदर्शक गुरदेव सिंह गोलीबारी में पकड़ा गया और मारा गया। समाचार पत्रों की रिपोर्टों के अनुसार, पुलिस ने गुरदेव सिंह के शव के पास से चीन निर्मित एके-47 असॉल्ट राइफल और कारतूस बरामद होने का भी दावा किया है।
पंजाब के एक प्रमुख समाचार पत्र, अजीत ने 17 अगस्त 1989 को एक लंबा लेख प्रकाशित किया।
पुलिस के दावों पर सवाल उठाते हुए और एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या और फिर मुठभेड़ की मनगढ़ंत कहानी बनाकर उसकी स्मृति का अपमान करने के लिए क्षेत्र में व्याप्त जन आक्रोश का हवाला देते हुए, इस घटना पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई और परिवार ने पुलिस की इस मनमानी को कानूनी रूप से चुनौती देने का साहस नहीं किया।
36. क्रमांक 46/117 के अंतर्गत, सूची में दारा सिंह, पुत्र गेजा सिंह, निवासी वेरोवाली ग्राम, के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो वाल्टोहा पुलिस स्टेशन के एसएचओ राम नाथ द्वारा 8 अगस्त 1989 को एफआईआर क्रमांक 82/89 के अंतर्गत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को वीकेए 6689 के रूप में चिह्नित किया गया है और मृत्यु का कारण "आग्नेयास्त्र से लगी चोटें" बताया गया है।
समिति ने इस मामले के संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01663 है। मुख्य सूचनादाता पीड़ित का पुत्र रचपाल सिंह है।
गेजा सिंह और करतार कौर के पुत्र दारा सिंह (50 वर्ष) एक किसान और दूध विक्रेता थे।
दारा सिंह अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के वाल्टोहा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जमनियां दी पट्टी के वरनाला गांव में रहते थे। उन्होंने मैट्रिक की पढ़ाई की थी और उनकी पत्नी का नाम जागीर कौर था। उनके तीन वयस्क बच्चे थे: सबसे बड़ा बेटा रचपाल सिंह और दो बेटियां गुरमीत कौर और निर्मल कौर। दारा सिंह का कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी और वे किसी उग्रवादी आंदोलन से जुड़े नहीं थे। उनका कोई पुलिस रिकॉर्ड भी नहीं था। उनके बड़े भाई पूरन सिंह पुलिस निरीक्षक थे।
7 और 8 अगस्त, 1989 की मध्यरात्रि में, दारा सिंह अपने घर के पास सो रहा था। जब दारा सिंह अपने खेतों में ट्यूबवेल चला रहे थे, तभी वाल्टोहा पुलिस स्टेशन के अधिकारियों का एक दल उनके खेतों में घुस गया, संभवतः कुछ आतंकवादियों का पीछा करते हुए। दारा सिंह जाग गए और यह देखने के लिए ट्यूबवेल के कमरे से बाहर आए कि उनके खेतों में कौन घुसा है, तभी पुलिसकर्मियों ने उन्हें आतंकवादी समझकर गोली मार दी।
अगली सुबह, ग्राम परिषद के सदस्य और अन्य निवासी

एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या के विरोध में गांव वाले वाल्टोहा पुलिस स्टेशन पहुंचे। इंस्पेक्टर पूरन सिंह ने भी हस्तक्षेप किया। एसएचओ राम नाथ ने स्वीकार किया कि हत्या एक गलती थी और पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को लौटा दिया। अंतिम संस्कार वरनाला गांव में किया गया। दारा सिंह के परिवार को मुआवजा भी मिला और उनके बेटे रचपाल सिंह को नौकरी दी गई। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि सीबीआई की सूची में दारा सिंह के अंतिम संस्कार को क्यों दर्शाया गया है।
पुलिस द्वारा शव का अंतिम संस्कार किए जाने का आरोप है, जबकि वास्तव में यह पीड़ित के गांव में उसके परिवार के सदस्यों द्वारा किया गया था। यह भी स्पष्ट नहीं है कि परिवार के सदस्यों को प्राप्त मुआवजा गलत हत्या की औपचारिक स्वीकृति के बाद दिया गया था या यह एक अनौपचारिक समझौता था।
37 – 38: क्रमांक 48/121 और 49/122 के अंतर्गत, सूची में हरिके पुलिस स्टेशन के एसएचओ मक्खन सिंह द्वारा 11 अगस्त 1989 को किए गए दो शवदाहों की पहचान की गई है, जिनमें से 228 शव राख में परिवर्तित हो गए।

एफआईआर संख्या 61/89 के अंतर्गत, मृतक के नाम इस प्रकार हैं: [1] कुलदीप सिंह, पुत्र करतार सिंह, निवासी चोला साहिब; और [2] जस्सा सिंह, पुत्र धर्म सिंह, निवासी चोला साहिब। पोस्टमार्टम रिपोर्टों को वीकेए 73/89 और वीकेए 74/89 के रूप में चिह्नित किया गया है। दोनों मामलों में मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति को इन दोनों मामलों के संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हुई है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01414 और 01415 के माध्यम से। मुख्य सूचनादाता कुलदीप का भाई स्वर्ण सिंह और जस्सा सिंह की मां सुरजीत कौर हैं।
Kuldeep Singh, s/o Kartar Singh and Surjit Kaur, r/o Chola Sahib, Patti Bande Ki,
अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल में रहने वाला सरहल्ली कलां एक 19 वर्षीय युवक था, जो मजदूर के रूप में काम करता था और जबरन लापता होने से ठीक पहले उसकी शादी हुई थी। उसकी कोई संतान नहीं थी और उसकी विधवा ने बाद में पुनर्विवाह कर लिया।
कुलदीप सिंह का किसी भी राजनीतिक या उग्रवादी संगठन से कोई संबंध नहीं था और वह कभी भी गिरफ्तार नहीं हुए थे।
इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी थीं। 23 या 24 जुलाई 1989 को, चोला साहिब पुलिस चौकी के कुछ पुलिस अधिकारियों ने कुलदीप के घर पर छापा मारा और उसे घर पर न पाकर उसके बड़े भाई स्वर्ण सिंह को हिरासत में ले लिया। अगले दिन कई ग्रामवासी पुलिस स्टेशन गए और स्वर्ण सिंह को उनकी अवैध हिरासत से रिहा करने की गुहार लगाई। उसे 27 जुलाई को तभी रिहा किया गया जब उसने अपने भाई को ढूंढकर पुलिस के सामने पेश करने का वादा किया।
28 जुलाई 1989 को स्वर्ण सिंह कुलदीप सिंह को चोला स्थित पुलिस चौकी ले गए।
चोला साहिब में एएसआई बलदेव राज और हेड कांस्टेबल कुलदीप सिंह ने कुलदीप सिंह को यह आश्वासन देकर हिरासत में लिया कि पूछताछ के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। उनके अनुसार, कुलदीप सिंह से सरहल्ली कलां पुलिस स्टेशन में पूछताछ की जानी थी। तीन दिन बाद, कुलदीप सिंह, धर्म सिंह के पुत्र जस्सा

सिंह और नथा सिंह के पुत्र बख्शीश सिंह, जो चोला साहिब के ही निवासी हैं, को तरन तारन की एक अदालत में पेश किया गया, जिसने आगे की जांच के लिए आठ दिन की पुलिस रिमांड जारी की। सरहल्ली कलां पुलिस स्टेशन के एसएचओ सब-इंस्पेक्टर सुरिंदर पाल ने कुलदीप सिंह के परिवार वालों को आश्वासन दिया कि अब मामला अदालत में है, इसलिए उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है।
10 अगस्त 1989 को, स्थानीय समाचार पत्रों ने एक मुठभेड़ की खबर दी जिसमें जास्सा और दोनों
सिंह और कुलदीप सिंह की कथित तौर पर मौत हो गई। रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस उन्हें हथियार बरामद करने के लिए ले जा रही थी, तभी आतंकवादियों के एक समूह ने उन्हें छुड़ाने की उम्मीद में हमला कर दिया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और गोलीबारी में हिरासत में लिए गए दोनों आतंकवादी मारे गए।
अखबार की खबर पढ़ने के बाद परिवार के सदस्य पुलिस स्टेशन पर जमा हो गए। हरिके में उन्हें बताया गया कि जस्सा सिंह और कुलदीप सिंह के शवों का अंतिम संस्कार पट्टी श्मशान घाट में कर दिया गया है।
धर्म सिंह के पुत्र जस्सा सिंह, जो उसी मुठभेड़ में मारे गए थे, 18 वर्ष के थे।
उसी गांव के पट्टी डोलो की बस्ती में रहने वाला 22 वर्षीय मज़हबी सिख। सरहल्ली कलां पुलिस स्टेशन में हिरासत के दौरान, उसके परिवार वाले उसे प्रतिदिन खाना लाते थे और सब-इंस्पेक्टर सुरिंदर पाल ने उन्हें आश्वासन दिया था कि जस्सा सिंह को कोई नुकसान नहीं होगा।
39. क्रमांक 50/125 के अंतर्गत, सूची में हजारा सिंह, पुत्र जसवंत सिंह, निवासी बूह के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो हरिके पुलिस स्टेशन के एएसआई चरण सिंह द्वारा 18 अगस्त 1989 को एफआईआर संख्या 62/89 के अंतर्गत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को वीकेए 83/89 के रूप में चिह्नित किया गया है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (229)

समिति ने इस घटना के आधार पर निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01587. मुख्य सूचनादाता पीड़ित का भाई मलकीत सिंह है।
सीबीआई की सूची में पीड़ित का नाम गलत लिखा गया था, जबकि वह हज़ुरा सिंह था। वह सलवंत का पुत्र था।
अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के हरिके पुलिस स्टेशन के अंतर्गत बू गांव के रहने वाले हज़ुरा की उम्र मात्र 20 वर्ष थी। वह सिंह और जगतार कौर के पुत्र थे। उन्होंने अपने पिता के साथ खेत में काम करने के लिए स्कूल छोड़ दिया था। बपतिस्मा प्राप्त सिख हज़ुरा अविवाहित थे।
हज़ुरा ने पंजाब के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग को लेकर अकाली आंदोलन का समर्थन किया और, यहाँ तक कि
एक किशोर, अपनी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने के लिए गिरफ्तारी देना चाहता था। वह जरनैल सिंह भिंडरांवाले का स्थानीय समर्थक भी था। उसके राजनीतिक विचारों के कारण, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद पुलिस ने उसे नियमित रूप से पूछताछ के लिए हिरासत में लेना शुरू कर दिया। बाद में, जब उग्रवादी प्रतिरोध की गति तेज हुई, तो पुलिस को उसके संबंधों पर संदेह होने लगा और उसे तोड़कर कबूलनामा हासिल करने के लिए कई बार बेरहमी से प्रताड़ित किया

[illegible]
17 [illegible] 1989 [illegible], [illegible]
their cousin Harjinder Singh, s/o Bagicha Singh, in a separate incident.
[illegible]

स्टेशन के पास सखीरा डाकघर के अंतर्गत आता है। उनका किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं था और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं था।
गुरनाम सिंह और गुरु के पुत्र जैमल सिंह 25 वर्षीय बपतिस्मा प्राप्त सिख थे।
अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल के सदर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सखीरा डाकघर वाले सरहल्ली खुर्द गांव के किसान। उनका विवाह लखविंदर कौर से हुआ था और वे दो पुत्रों और दो पुत्रियों के पिता थे। उनका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी और फांसी से पहले उन्हें कभी गिरफ्तार या पूछताछ नहीं की गई थी।
1992 में, जैमल ने मानसून में धान की अच्छी फसल काटी थी। 2 सितंबर को 1989 में, जयमल अपनी फसल से भरी एक ट्रॉली बेचने के लिए तरन तारन की मुख्य अनाज मंडी गए। शाम करीब 7:30 बजे बिक्री पूरी करके जयमल घर लौट रहे थे, तभी रघुबीर सिंह, जो उसी उद्देश्य से अनाज मंडी गए थे, ने उनके ट्रैक्टर पर लिफ्ट ले ली। तरन तारन-पट्टी मार्ग पर साहबपुर गांव के पास नहर के पुल पर तैनात सशस्त्र सीआरपीएफ कर्मियों के एक समूह ने बिना किसी चेतावनी के दोनों को गोली मार दी।
उसी रात सीआरपीएफ ने जांडोके गांव के हरभजन सिंह को भी गोली मारकर हत्या कर दी।
पिछली घटना स्थल से कुछ ही दूरी पर स्थित इलाके में, हरभजन सिंह को संदिग्ध मानते हुए पुलिस ने उनकी तलाश की। 50 वर्षीय किसान हरभजन सिंह का विवाह जोगिंदर कौर से हुआ था और उनके छह बच्चे थे। उनका किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं था और वे अपने नौकर के साथ खेतों में पानी देने के बाद घर लौट रहे थे। हरभजन सिंह गंभीर रूप से घायल थे और उन्हें काफी खून बह रहा था। उनके परिवार और कुछ ग्रामीणों ने उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। हालांकि, रास्ते में ही हरभजन ने दम तोड़ दिया।
जब रघुबीर सिंह और जैमल सिंह उस रात घर नहीं लौटे, तो उनके परिवार ने सदस्यों ने सोचा कि उनका कोई अधूरा काम बाकी है, इसलिए वे तरन तारन की अनाज मंडी में रुक गए थे। अगली सुबह, गांव के कुछ लोगों को घटना की जानकारी मिली और वे उस स्थान पर गए जहां सीआरपीएफ ने ट्रैक्टर ट्रॉली में किसानों को गोली मारकर हत्या कर दी थी। ग्रामीणों ने रघुबीर सिंह और जयमल सिंह के शवों को पहचान लिया और उनके परिवार वालों को सूचित किया।
इन हत्याओं को लेकर ग्रामीण बहुत आक्रोशित थे और उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की।
अधिकारियों ने स्पष्टीकरण और जांच की मांग की। अधिकारियों ने हत्याओं की जांच का वादा किया और पोस्टमार्टम करने के बाद शवों को परिजनों को सौंप दिया ताकि उनका गुस्सा शांत हो सके। सभी शवों का अंतिम संस्कार परिजनों ने अपने-अपने गांवों में कर दिया। हालांकि, सीबीआई की सूची से पता चलता है कि तीन शवों का अंतिम संस्कार पुलिस ने तरन तारन श्मशान घाट में किया था। इससे संकेत मिलता है कि पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों के संवेदनहीन हत्याओं के आक्रोश को शांत करने के लिए शवों को उन्हें सौंप दिया, लेकिन अंतिम संस्कार के रिकॉर्ड में हेराफेरी करके यह दिखाया कि वे मुठभेड़ में मारे गए थे और उनका अंतिम संस्कार अज्ञात आतंकवादियों के रूप में किया गया था।
43. क्रमांक 55/145 के अंतर्गत, सूची में 11 अक्टूबर 1989 को वाल्टोहा पुलिस स्टेशन के एसएचओ गुरजीत सिंह द्वारा एफआईआर संख्या 99/89 के तहत

किए गए परगत सिंह उर्फ फौजी, पुत्र दिलीप सिंह, निवासी वर्नल्ली के अंतिम संस्कार का उल्लेख है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पीकेएस 2/89 के रूप में चिह्नित किया गया है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है। सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (231)

समिति ने घटना रिपोर्ट के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की है। प्रपत्र संख्या CCDP/01529. मुख्य सूचनादाता पीड़ित के पिता दलीप सिंह हैं।
दलीप सिंह और मोहिंदर कौर के पुत्र, चालीस वर्षीय परगत सिंह एक सेवानिवृत्त व्यक्ति थे।
परगत सिंह भारतीय सेना की 16 सिख इन्फैंट्री डिवीजन में सेवा दे चुके थे। 1988 में सेवानिवृत्ति के बाद, वे अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के वाल्टोहा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत छन्ना वाले राह ते के वरनाला गांव में किसान के रूप में जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनका विवाह कुलबीर कौर से हुआ था और उनकी एक बेटी बलजीत कौर थी। परगत सिंह का किसी भी राजनीतिक दल या उग्रवादी समूह से कोई संबंध नहीं था।
10 अक्टूबर 1989 को, डीएसपी परमदीप सिंह तेजा के नेतृत्व में एक विशाल पुलिस बल ने
भिखीविंड और वाल्टोहा पुलिस स्टेशन के एसएचओ गुरजीत सिंह ने परगत सिंह के घर पर छापा मारा और तलाशी ली। पुलिस बल अपने साथ एक युवक सिख को भी लेकर आया था, जो संभवतः उग्रवादी था। यातना के दौरान युवक ने कबूल किया कि उसने परगत सिंह के घर खाना खाया था और अपने हथियार भी वहीं छिपाए थे। तलाशी में कोई हथियार न मिलने पर पुलिस अधिकारियों ने हिरासत में लिए युवक सिख से हथियारों के बारे में पूछताछ की और उसे हथियार छिपाने की जगह दिखाने को कहा। सिख लड़का रोने लगा और कबूल किया कि उसने आगे की यातना से बचने के लिए उनसे झूठ बोला था। इसके बाद पुलिस बल हिरासत में लिए युवक को अपने साथ ले गया।
वही अधिकारी 10 तारीख की दोपहर को परगत सिंह के घर वापस आए।
अक्टूबर 1989 में, दोपहर लगभग 2 बजे, पुलिस ने परगत सिंह और उसके चचेरे भाई बिक्कर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के घर पर छापा मारने के समय परगत सिंह और बिक्कर सिंह अपने अंतर्वस्त्रों में थे और उन्होंने अधिकारियों से कपड़े पहनने की अनुमति मांगी। अधिकारियों ने इनकार कर दिया और उन्हें अलग-अलग वाहनों में जबरदस्ती बिठाकर ले गए।
उसी शाम, जब परिवार के सदस्य गांव के बुजुर्गों के साथ पहुंचे
वाल्टोहा पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए भेजे गए एसएचओ गुरजीत सिंह ने बताया कि परगत सिंह ने साइनाइड खाकर आत्महत्या कर ली है। उन्हें शव देखने की अनुमति नहीं दी गई और अगले दिन सुबह पुलिस स्टेशन लौटने को कहा गया। अगले दिन पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और फिर वर्नाला गांव के श्मशान घाट में उसका अंतिम संस्कार कर दिया।
बिकर सिंह, जिन्हें हिरासत के दौरान बेरहमी से प्रताड़ित किया गया था, पांच दिन बाद उसे अवैध हिरासत से रिहा कर दिया गया।
एसएचओ द्वारा परगत सिंह की आत्महत्या के बारे में बताई गई कहानी के बावजूद, सीबीआई की सूची, जिसमें इसका उल्लेख है
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, परगत सिंह की मौत का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।

44 – 47. क्रमांक 58/149, 59/150, 60/151 और 61/152 के अंतर्गत, सूची में 31 अक्टूबर 1989 को वाल्टोहा पुलिस के एसएचओ गुरजीत सिंह द्वारा एफआईआर संख्या 108/89 के तहत किए गए चार शवदाह की पहचान की गई है। वे हैं: [1] रेशम सिंह, पुत्र तरलोक सिंह जाट, निवासी वर्लिया; [2] बलबीर सिंह उर्फ बीरा, पुत्र हजारा सिंह, निवासी धुलकोहना, थाना खेमकरण; [3] पूरन सिंह उर्फ टुंडा, पुत्र ज्ञान सिंह जाट, निवासी कुहारका, थाना पट्टी; और [4] गुरुदेव सिंह, पुत्र पियारा सिंह, निवासी रटोके। पोस्टमार्टम रिपोर्टों को SLG-14/89, SLG-15/89, SLG-16/89 और SLG-17/89 के रूप में चिह्नित किया गया है। सभी मामलों में मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने बलबीर सिंह के संबंध में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है: पूरन सिंह और गुरुदेव सिंह ने घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01504, 01574 और 01682 के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई है। मुख्य सूचनादाता बलबीर सिंह के भाई सुबेग सिंह; पूरन सिंह के पिता ज्ञान सिंह; और गुरुदेव के चचेरे भाई डॉ. बलविंदर सिंह हैं।
हजारा सिंह और गुलाब कौर के पुत्र, 45 वर्षीय बलबीर सिंह, 232 वर्ष की आयु में राख में तब्दील हो गए।

अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के खेमकरण पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मस्तगढ़ डाकघर वाले धुलकोहना गांव के दुहाल नौ गांव के किसान, जिनका नाम सीबीआई की सूची में दर्ज है, का विवाह शिंदो से हुआ था और उनके तीन बेटे और एक बेटी थी।
अपने युवा दिनों में बलबीर एक पहलवान के रूप में जाने जाते थे और उन्होंने कई पुरस्कार जीते थे।
स्थानीय प्रतियोगिताओं में। 1975 में, वह एक हिंसक झगड़े में शामिल हो गया जिसके परिणामस्वरूप उसके प्रतिद्वंद्वी की मृत्यु हो गई और उसे सात साल जेल में बिताने पड़े।
जेल से रिहा होने के बाद बलबीर ने खेती-बाड़ी शुरू कर दी, लेकिन पुलिस को उस पर शक था।
सीमा पार पाकिस्तान में हथियारों की तस्करी के आरोप में पुलिस ने उसे कई बार पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया। उन्होंने उसे कई आपराधिक मामलों में फंसाया, लेकिन अपर्याप्त सबूतों के कारण सभी मामले विफल रहे। पुलिस उसे यातना देकर पूछताछ के लिए अवैध रूप से उठाती रही। उत्पीड़न से तंग आकर बलबीर घर छोड़कर भूमिगत हो गया।
Twenty-year-old Pooran Singh, s/o Gian Singh and Prakash Kaur, was a Sikh पुरोहित और गायक, पूरन अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल के पट्टी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत शाहबाजपुर डाकघर के कुहारका गांव के निवासी थे। चार भाइयों में सबसे बड़े, पूरन ने अपनी धार्मिक शिक्षा दमदमी टकसाल में प्राप्त की थी, जो कभी जरनैल सिंह भिंडरांवाले द्वारा संचालित रूढ़िवादी सिख शिक्षा का केंद्र था। वे अविवाहित थे और अपने माता-पिता के साथ रहते थे।
जून 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर हुए सैन्य हमले के बाद, पुलिस ने दमदमी टकसाल से जुड़े लोगों को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ शुरू कर दी गई। इसी दौरान पुलिस ने पूरन सिंह को कई बार गिरफ्तार किया और यातनाएं देकर उनसे पूछताछ की। उन पर टाडा के तहत आतंकवादी अपराधों का आरोप लगाया गया और उन्हें लगभग ढाई साल जेल में रखा गया। अदालत द्वारा बरी किए जाने के बाद भी

का शव देख पाए और अपने ग्राम परिषद के सदस्यों के साथ पट्टी में अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए।
गुरुदेव के परिवार को अंतिम संस्कार की सूचना नहीं मिली।
इसमें शामिल होने का समय आ गया था। गुरुदेव की हत्या के बाद भी पुलिस ने उनके पिता पियारा सिंह और परिवार के अन्य सदस्यों को लगातार परेशान किया, यहाँ तक कि उन्होंने अपना निवास अमृतसर शहर में स्थानांतरित करने का फैसला किया। पियारा सिंह की स्वयं घटना के दो साल बाद मृत्यु हो गई। परिवार के सदस्यों के अनुसार, उनकी मृत्यु गुरुदेव की अन्यायपूर्ण हत्या के कारण हुए शोक और सदमे का परिणाम थी।
हालांकि अखबारों में उस मुठभेड़ की खबरें छपी हैं जिसमें पूरन और दोनों शामिल थे।
सिंह और गुरुदेव सिंह की मृत्यु का जिक्र करते हुए पांच आतंकवादियों की हत्या के मामले में सीबीआई की सूची में केवल चार शवदाह दर्ज हैं। 31 अक्टूबर 1989 को वाल्टोहा पुलिस द्वारा किए गए किसी अन्य शवदाह का उल्लेख भी किसी अन्य सूची में नहीं है।
48. क्रमांक 62/154 के अंतर्गत, सूची में हरिके पुलिस स्टेशन के एसआई हरमेल सिंह द्वारा 11 नवंबर 1989 को एफआईआर संख्या 94/89 के तहत किए गए सुखविंदर सिंह उर्फ गद्दी, पुत्र हरनाम सिंह जाट, निवासी मरार के अंतिम संस्कार का उल्लेख है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आरकेएस-28/89 के रूप में चिह्नित किया गया है और मृत्यु का कारण "आग्नेयास्त्र से लगी चोटें" बताया गया है।
समिति ने घटना रिपोर्ट से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की है।
प्रपत्र संख्या CCDP/01560. मुख्य सूचनादाता पीड़ित का भाई करम सिंह है। हरनाम सिंह के पुत्र, बत्तीस वर्षीय सुखविंदर सिंह उर्फ माफ़ी,
करतार कौर, अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के हरिके पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मरार गांव की निवासी एक किसान थीं। उनका विवाह शिंदो से हुआ था और वे गुरमीत कौर की पिता थीं, जिनकी उम्र अब लगभग बीस वर्ष है।
सुखविंदर ऑपरेशन ब्लू स्टार से बहुत नाराज थे और उन्होंने इसे लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करना शुरू कर दिया।
सिखों के खिलाफ सरकार के अत्याचारों के कारण लोग उसके विरुद्ध सशस्त्र प्रतिरोध शुरू करने के बारे में सोच रहे थे। 1989 में, सुखविंदर उग्रवादी भूमिगत आंदोलन में शामिल होने के लिए घर छोड़कर चला गया।
11 नवंबर 1989 को जब सुखविंदर अपने परिवार से मिलने घर आया था, तब
सीआरएफ और हरिके पुलिस की संयुक्त टीम ने उसे दोपहर करीब 1 बजे उसके गांव मरार से निकलते समय घेर लिया और मार डाला। हैरानी की बात यह है कि हरिके के एसएचओ ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार वालों को सौंप दिया, जिन्होंने कई लोगों की मौजूदगी में गांव में ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया।
हालांकि, सीबीआई की सूची के अनुसार अंतिम संस्कार पट्टी में किया गया था। एसआई हरमेल सिंह द्वारा श्मशान घाट की निगरानी।
234 राख में तब्दील

49. क्रमांक 63/156 के अंतर्गत, सूची में जगतर सिंह उर्फ जग्गी, पुत्र कुंदन सिंह, निवासी महमूदपुरा के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो खालरा पुलिस स्टेशन के एएसआई अमरिक सिंह द्वारा एफआईआर संख्या 148/89 के तहत 30 दिसंबर 1989 को किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जेएस-3/89 के रूप में

चिह्नित किया गया है और मृत्यु का कारण "गोली लगने से हुई चोटें" बताया गया है।
समिति ने इस मामले के संबंध में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01559 है। मुख्य सूचनादाता पीड़ित का भतीजा बलकार सिंह है।
जगतर सिंह के पिता करतार सिंह महमूदपुरा के निवासी एक छोटे किसान थे।
अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के वाल्तोहा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले एक व्यक्ति के साथ उनका 35 वर्षीय अविवाहित पुत्र जगतर रहता था। जगतर की मृत्यु के बाद उसके पिता ने गाँव छोड़ दिया और उसके परिवार का कोई भी सदस्य वहाँ नहीं आया।
वर्तमान में वह गांव में रहते हैं। जगतर सिंह के भतीजे बलकार सिंह, जो अब भीखीविंड कस्बे में रहते हैं, के अनुसार, लगातार पुलिस उत्पीड़न के कारण परिवार को गांव से निकाल दिया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि उनके अपने भाई, दरबारा सिंह के पुत्र, जतिंदर सिंह को भी पुलिस ने पकड़कर मार डाला था।
50. क्रमांक 64/158 के अंतर्गत, सूची में हरिके पुलिस स्टेशन के एएसआई सुभा सिंह द्वारा 13 जनवरी 1990 को किए गए रुलदू, पुत्र बाबा सिंह, निवासी प्रिंगरी के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जिसका एफआईआर क्रमांक 5/90 है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एसएचजी-7/90 के रूप में चिह्नित किया गया है और मृत्यु का कारण "गोली लगने से हुई चोटें" बताया गया है।
समिति ने निम्नलिखित माध्यमों से मामले के संबंध में जानकारी प्राप्त की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01494 है। मुख्य सूचनादाता पीड़ित का भाई है जिसका नाम घुक है।
रुलदु, पट्टी विचला वेहरा के प्रिंगारी गांव का रहने वाला 18 वर्षीय मुस्लिम लड़का था।
रुलदु अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के हरिके पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता था। उसके पिता का नाम बाबा उर्फ निवाब था और वह सिख नहीं थे, जैसा कि सीबीआई की सूची में बाबा सिंह नाम से पता चलता है। मुस्लिम होने के बावजूद, बाबा ने 1947 में पंजाब के विभाजन के समय भारत में ही रहने का विकल्प चुना था। रुलदु अविवाहित था और खेत में मजदूर के रूप में काम करता था। उसका और उसके परिवार के सदस्यों का सिख उग्रवादी आंदोलन से कोई संबंध नहीं था।
12 जनवरी 1990 को शाम लगभग 4 बजे, रुलदु चारा लाने के लिए अपने घर से बाहर निकला।
वह जानवरों के लिए और पास के किर्तोवाल गांव से कुछ शराब लाने के लिए जा रहा था। वह किर्तोवाल की ओर जा रहा था तभी पीछे से दो पुलिस वाहन आए, जो शायद किसी का पीछा कर रहे थे, और कुछ पुलिसकर्मियों ने गोली चलाकर उसे मार डाला। गोलीबारी की आवाज सुनकर कई ग्रामीण बाहर आए और उन्होंने देखा कि पुलिस अधिकारी रुलदू के शव को अपनी गाड़ी में लादकर पट्टी की ओर जा रहे हैं।
अगली सुबह, बड़ी संख्या में ग्रामीण रूल्डू के बड़े भाई के साथ आए।
घुक को पट्टी ले जाया गया, जहाँ हरिके पुलिस स्टेशन के एसएचओ ने कई कागजों पर घुक के अंगूठे के निशान लेने के बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया। अत्यंत गरीब और अशिक्षित होने के कारण घुक कोई कार्रवाई नहीं कर सका। शव को वापस गाँव ले जाया गया और मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार

दफनाया गया। 14 जनवरी 1990 को, पुलिस द्वारा जारी एक सूचना के आधार पर अजीत ने बताया कि प्रिंगारी गाँव के पास मुठभेड़ में घायल एक आतंकवादी की पट्टी अस्पताल में मृत्यु हो गई थी।
सीबीआई की सूची में रुलडू का अंतिम संस्कार पुलिस द्वारा किए जाने का उल्लेख है, जबकि
वास्तविकता यह है कि उनका अंतिम संस्कार उनके भाई ने उनके ही गांव में किया था।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (235)

51. क्रमांक 65/159 के अंतर्गत, सूची में 24 जनवरी 1990 को जरनैल सिंह, पुत्र करतार सिंह, निवासी जौरा के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो तरन तारन नगर पुलिस स्टेशन के एसआई बलदेव कृष्ण द्वारा एफआईआर संख्या 16/90 के तहत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आईएस 14/90 के रूप में चिह्नित किया गया है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
सीसीडीपी ने निम्नलिखित जानकारी संकलित की है।

इस मामले के बारे में घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01511 के माध्यम से जानकारी दी गई है। मुख्य सूचनादाता पीड़िता की मां चरण कौर हैं।

तेईस वर्षीय जरनैल सिंह उर्फ जैला, पुत्र

करतार सिंह और चरण कौर के पुत्र, जरनैल, अमितसर जिले के तरन तारन उपमंडल के पट्टी फट्टू कियान दी जिले के जौरा गांव और डाकघर के निवासी एक ट्रक चालक थे। वे बपतिस्मा प्राप्त सिख थे और बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने ट्रक चालक का काम शुरू किया। वे अविवाहित थे और अपने माता-पिता के साथ रहते थे।

कैरों पुलिस चौकी के प्रभारी ने जरनैल सिंह पर संदेह जताया।

जरनैल सिंह पर आतंकवादियों से संबंध रखने का आरोप लगा और 1989 के मध्य से ही उसे गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पर छापे पड़ने लगे। यातना के डर से जरनैल सिंह छिप गया।

23 जनवरी 1990 को जरनैल अपनी बहन निंदर कौर और उसके साथ रह रहा था।

जरनैल सिंह अपने पति सुरजीत सिंह के साथ अपने गांव थारू में थे। उसी सुबह पुलिस ने थारू और आसपास के गांवों में तलाशी अभियान शुरू किया। जरनैल सिंह को जब इस अभियान की भनक लगी तो वह साइकिल से गांव से निकलने की कोशिश करने

[illegible]

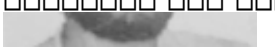

[illegible]

[illegible]

52 - 55. [illegible] 66/160, 67/161 [illegible] 68/162 [illegible]

52 - 55. Sections 66/160, 67/161 and 68/162 of the Criminal Procedure Code (Amendment) Act, 1990 (Act 7/90) of the Laws of Malaysia: [1] require police officers, when investigating, to record statements; [2] allow police officers, when investigating, to examine witnesses; [3] allow police officers, when investigating, to take photographs; and [4] require police officers to comply with section 236 (on bail).

[illegible]

[illegible] 66/160 [illegible] 17/90 [illegible] 15/90 [illegible] 16/90 [illegible]

Singh and Mohinder Singh through its incident report form nos. CCDP/ 01476, 01635 and 01684. The main informants are Paramjit Singh's father Raghbir Singh; Bohar Singh's sister Swaran Kaur, and Sawinder's father Karnail Singh.

Seventeen-year-old Paramjit Singh alias Kala, son of Raghbir Singh and Balbir
कौर, अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के किर्तोवाल खुर्द गांव की निवासी और किसान थीं। वे अविवाहित थीं। परमजीत सिंह पंजाब में उग्रवाद के प्रति सहानुभूति रखते थे। 1989 के अंत तक, उन्होंने घर छोड़ दिया और पुलिस ने उनके परिवार के सदस्यों को परेशान करना शुरू कर दिया।
कश्मीर सिंह और जसवंत कौर के पुत्र 23 वर्षीय बोहर सिंह,
वह अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के खेमकरण पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मस्तगढ़ डाकघर वाले कलास गांव का एक युवा किसान था।
1989 में, बोहर सिंह सिख धर्म से जुड़े व्यक्तियों के साथ मेलजोल करने लगे।
उग्रवाद। जल्द ही पुलिस को इसकी भनक लग गई और उसे गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पर छापा मारना शुरू कर दिया। जब बोहर सिंह घर छोड़कर भाग गया, तो पुलिस ने उसके रिश्तेदारों को यातना देकर पूछताछ के लिए उठाना शुरू कर दिया। उसकी बहन के पति तारा सिंह को बेरहमी से प्रताड़ित किया गया, जिससे उसके दाहिने पैर के घुटने का जोड़ टूट गया। तारा सिंह आज भी बिस्तर पर पड़ा है।
रसूलपुर डाकघर के निवासी 35 वर्षीय किसान मोहिंदर सिंह
अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के वाल्टोहा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत रहने वाले भंगाला को सविंदर सिंह के नाम से भी जाना जाता था। उनका विवाह कुलविंदर कौर से हुआ था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी।
मोहिंदर एक बपतिस्मा प्राप्त सिख थे और उग्रवादी आंदोलन के प्रति सहानुभूति रखते थे।
खालिस्तान। मोहिंदर सिंह को पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका था और उन पर टीएडीए के तहत अपराधों का आरोप लगाया गया था। हर बार जमानत पर रिहा होने के बाद पुलिस उन्हें फिर से पकड़ लेती, यातना देकर पूछताछ करती और उन्हें किसी दूसरे मामले में फंसा देती। 1989 तक मोहिंदर सिंह इतने तंग आ चुके थे कि उन्होंने भूमिगत होने का फैसला किया। इससे उनकी पत्नी कुलविंदर कौर समेत उनके परिवार के अन्य सदस्यों पर पुलिस का उत्पीड़न और हिरासत में यातनाएं बढ़ गईं। मोहिंदर सिंह को पेश करने के लिए परिवार पर दबाव बनाने के लिए पुलिस ने घर का सारा सामान जब्त कर लिया।
24 जनवरी 1990 को मोहिंदर सिंह और उनके मित्र - झुगियां के परगत सिंह कालू वालियन गांव के बोहर सिंह (कलास गांव), परमजीत सिंह (कीर्तोवाल गांव) और दिलबाग सिंह (तलवंडी चंचक्क गांव) वाल्तोहा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत वर्नाला गांव के एक फार्महाउस में इकट्ठा हुए थे। पुलिस को इसकी भनक लगी और उन्होंने घर को चारों ओर से घेरकर घेराबंदी कर ली। मोहिंदर सिंह और उनके चार साथी मारे गए। परिवार वालों ने शवों की पहचान की। सीआरपीएफ के प्रभारी रघुबीर सिंह को उनके बेटे के शव की पहचान कराने के लिए वाल्तोहा पुलिस स्टेशन ले गए। हालांकि, पुलिस ने शवों को परिवारवालों को सौंपने से इनकार कर दिया और पट्टी श्मशान घाट में उनका अंतिम संस्कार कर दिया। बोहर सिंह की बहन स्वर्ण कौर के अनुसार, पुलिस अधिकारियों के जाने के बाद परिवारवाले चिता के पास पहुंचे। स्वर्ण कौर ने देखा कि शवों को पूरी तरह जलाने के लिए लकड़ी कम पड़ रही है, इसलिए उन्होंने अतिरिक्त लकड़ी खरीदी और अंतिम संस्कार पूरा किया।

यह स्पष्ट नहीं है कि दिलबाग सिंह के शव का क्या हुआ, जिनका अंतिम संस्कार हो चुका है।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (237)

सीबीआई की किसी भी सूची में दर्ज नहीं है।
पुलिस ने मोहिंदर सिंह के घर का सामान कभी वापस नहीं किया।
परिवार के सभी सामान, जिनमें बिस्तर, बर्तन, कपड़े और भोजन शामिल हैं।
पुलिस ने मोहिंदर सिंह के दो चचेरे भाइयों, दर्शन सिंह को भी मार डाला।
और एक अलग घटना में महमूदपुरा निवासी दयाल सिंह के पुत्र गुरमेज सिंह की मौत हो गई।
56 - 58. क्रमांक 69/167, 70/168 और 71/169 के अंतर्गत, सूची में तरन तारन के सदर पुलिस स्टेशन के हेड कांस्टेबल दीदार सिंह द्वारा एफआईआर संख्या 11/90 के तहत 3 मार्च 1990 को किए गए तीन शवों का उल्लेख है। शवों का नाम इस प्रकार है: [1] भूपिंदर सिंह उर्फ भोला, पुत्र चंचल सिंह, निवासी जंडियाला गुरु; [2] रणजीत सिंह उर्फ बिटू, पुत्र हरभजन सिंह जाट, निवासी जंडियाला गुरु; और [3] दिलबाग सिंह, पुत्र हरि सिंह जाट, निवासी धोतियान। पोस्टमार्टम रिपोर्टों को केएस 20/90, केएस 21/90 और पीएस 13/90 के रूप में अंकित किया गया है। मृत्यु का कारण "गोलीबारी से लगी चोटें/ मुठभेड़" बताया गया है।
सीसीडीपी ने अपने माध्यम से इन मामलों के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01380, 01507 और 01510। मुख्य सूचनादाता भूपिंदर की माता सुखविंदर कौर, रणजीत की माता सुरिंदर कौर और दिलबाग सिंह के पिता दलीप सिंह हैं।
दिलबाग सिंह धोतियान के बाबा समसे की निवासी 22 वर्षीय अविवाहित सिख युवक था।
सरहल्ली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत। सीबीआई की सूची में दिलबाग के पिता का नाम गलत तरीके से हरि सिंह लिखा गया है। उनके असली पिता दलीप सिंह हैं। बपतिस्मा प्राप्त सिख दिलबाग ने गुरु ग्रंथ के पाठक के रूप में स्वयं को प्रशिक्षित किया था।
साहिब, सिख धर्म का प्रमुख पवित्र ग्रंथ है। वह शुल्क लेकर पाठ यात्राएं करके अपनी आजीविका कमाते थे। वे पंजाब में उग्रवादी आंदोलन के प्रति सहानुभूति भी रखते थे। इसी सहानुभूति के कारण दिलबाग को गिरफ्तार कर 27 महीने जेल में रखा गया। जमानत पर रिहा होने के बाद भी पुलिस उन्हें लगातार परेशान करती रही और यातना देकर पूछताछ के लिए नियमित रूप से हिरासत में लेती रही। इन उत्पीड़न से बचने के लिए दिलबाग फरवरी 1990 में भगोड़ा बन गए।
चौबीस वर्षीय रणजीत सिंह उर्फ बिट्टू, हरभजन सिंह और
अमृतसर के एक तकनीकी संस्थान की छात्रा सुरिंदर कौर, अमृतसर जिले के जंडियाला गुरु स्थित नामदेव रोड के मकान नंबर 885 में रहती थी। उसके पिता हरभजन सिंह भारतीय रेलवे में अधिकारी थे। उसके चाचा और बहनोई (बहन के पति) पंजाब पुलिस में अधिकारी थे।
1987 में, जंडियाला पुलिस को रंजीत के साथ संबंध रखने का संदेह होने लगा। आतंकवादियों के खिलाफ 20 दिनों तक अवैध पूछताछ करने के बाद, पुलिस ने उस पर टीएडीए के तहत कई अपराधों का आरोप लगाया। रंजीत एक साल तक जेल में रहा

और फिर जमानत पर रिहा हो गया। इसके बाद तीन महीने तक पुलिस ने उसे परेशान नहीं किया।
इसी बीच, रणजीत के चाचा और बहनोई को धमकियां मिल रही थीं।
सिख उग्रवादियों ने उनसे पुलिस सेवा छोड़ने की मांग की। उन्होंने रणजीत से संपर्क किया, जो भूपिंदर सिंह भोला नामक क्षेत्र के एक जाने-माने उग्रवादी नेता से परिचित था। रणजीत ने भूपिंदर सिंह से संपर्क करने और अन्य उग्रवादियों को उन्हें धमकाने से रोकने का वादा किया।
2 मार्च 1990 को रणजीत इस जाने-माने व्यक्ति से मिलने के लिए जहांगीर गांव गए थे।
अपने रिश्तेदारों की समस्याओं को सुलझाने के लिए उग्रवादी। जैसे ही वह रात करीब 10 बजे घटनास्थल पर पहुंचा, भारी पुलिस बल ने जगह को घेर लिया और एक वास्तविक मुठभेड़ शुरू हो गई। 238 लोग राख में तब्दील हो गए।

इसके बाद हुई झड़प में जनियान गांव के दिलबाग सिंह, रणजीत सिंह, भूपिंदर सिंह भोला और सुखदेव सिंह मारे गए।
चंचल सिंह के पुत्र तेईस वर्षीय भूपिंदर सिंह भोला और
सुखविंदर कौर अमृतसर जिले के जंडियाला गुरु जिले के जुझार नगर, वेरोवाल रोड की निवासी थीं। सरकारी स्कूल में मैट्रिक की पढ़ाई के दौरान भूपिंदर सिख छात्र संघ में शामिल हो गए। पुलिस को उनके संबंधों पर संदेह हुआ और उन्होंने उन्हें अवैध रूप से हिरासत में लेकर यातनाएं देना शुरू कर दिया। 1988 में पुलिस ने उन पर टीएडीए के तहत कई अपराधों का आरोप लगाया, लेकिन नौ महीने बाद उन्हें जमानत मिल गई। जब पुलिस ने दोबारा उनके घर पर छापेमारी शुरू की, तो भूपिंदर घर छोड़कर उग्रवादी भूमिगत संगठन में शामिल हो गए। इस फैसले के कारण पुलिस ने उनके परिवार को परेशान किया। उन्होंने भूपिंदर के ठिकाने के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए उनके पिता को कई बार गिरफ्तार किया और यातनाएं दीं। परिवार के सदस्यों को अपनी जमीन पर खेती करने की अनुमति नहीं दी गई और अंत में उन्हें अपनी जमीन गिरवी रखकर गांव छोड़कर भागना पड़ा।
अमृतसर की सिफारिश पर पुलिस ने रणजीत का शव उसके परिवार को लौटा दिया। एसएसपी रणजीत सिंह का अंतिम संस्कार उनके गांव में किया गया। अन्य सभी शवों का अंतिम संस्कार पट्टी श्मशान घाट में किया गया। हालांकि, पहचाने गए शवों की सूची में रणजीत सिंह का नाम शामिल है, जिनका शव वास्तव में उनके गांव में ही जलाया गया था। इस सूची में जैनियन निवासी सुखदेव सिंह के अंतिम संस्कार का उल्लेख नहीं है। इसे अज्ञात शवों की सूची में क्रमांक 87/171 के अंतर्गत दर्ज किया गया है। यह अंतिम संस्कार भी 3 मार्च 1990 को हेड कांस्टेबल (एचसी) दीदार सिंह द्वारा किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को केएस-20/90 के रूप में चिह्नित किया गया है।
59. क्रमांक 72/183 के अंतर्गत सूची में कश्मीर सिंह, धर्म सिंह के पुत्र, निवासी झंदर के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो 27 मई 1990 को छौल पुलिस स्टेशन के निर्मल सिंह द्वारा एफआईआर संख्या 49/90 के तहत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपलब्ध नहीं बताई गई है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
सीसीडीपी ने अपने माध्यम से इस मामले के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्र की है।

घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01490. मुख्य सूचनादाता पीड़ित के पिता धर्म सिंह हैं।
धर्म सिंह और गुरदीप कौर के पुत्र पच्चीस वर्षीय कश्मीर सिंह।
कश्मीर सिंह तरन तारन के सदर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत झंदर गांव के निवासी थे। उनके सात भाई और एक बहन थी। उनके पिता, जो सात एकड़ जमीन के मालिक एक छोटे किसान थे, अपने बच्चों के पालन-पोषण और शिक्षा का खर्च उठाने के लिए कड़ी मेहनत करते थे। 1983 में कश्मीर सिंह ने तरन तारन के एक सरकारी स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की।
तरन तारन पुलिस ने कश्मीर सिंह को गैरकानूनी रूप से गिरफ्तार किया, यातनाएं दीं और उनसे पूछताछ की।
1986 में दो बार पुलिस ने उग्रवादियों से किसी भी तरह के संबंध के संदेह में उन्हें गिरफ्तार किया। जब पुलिस तीसरी बार उन्हें गिरफ्तार करने आई, तो वे भाग निकले और फिर कभी घर नहीं लौटे। अगले चार वर्षों तक परिवार के सदस्यों को मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन का सामना करना पड़ा। पुलिस नियमित रूप से उनके पिता और भाइयों को अवैध रूप से हिरासत में लेती और यातना देकर उनसे पूछताछ करती। उन्होंने उनके भाइयों रावेल सिंह और करज सिंह को हत्या और अवैध हथियार रखने के मनगढ़ंत मामलों में फंसा दिया। दो साल जेल में रहने के बाद, अदालत ने करज सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया। रावेल सिंह को जमानत पर रिहा कर दिया गया। लेकिन पुलिस का अत्याचार थम नहीं पाया। परिवार को अपनी जमीन पर खेती करने की अनुमति नहीं दी गई और पुलिस ने घर की सभी कीमती चीजें जब्त कर लीं। उपेक्षा के कारण खेत के जानवर भी मर गए।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (239)

26 मई 1990 को कश्मीर सिंह को झब्बल पुलिस स्टेशन के एसएचओ बरार ने गिरफ्तार किया था।
अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के अल्गोन कोठी गांव के सुखदेव सिंह के ट्रक में यात्रा कर रहे कश्मीर सिंह और सुखदेव सिंह को पुलिस ने झब्बल पुलिस स्टेशन ले जाकर ट्रक जब्त कर लिया और उनसे पूछताछ के दौरान उन्हें प्रताड़ित किया। फिर उसी शाम एक सुनियोजित मुठभेड़ में उन्हें मार डाला गया। पुलिस का दावा है कि पुलिस बल की भारी संख्या के कारण दोनों आतंकवादियों ने जहर खाकर अपनी जान दे दी।
परिवार के सदस्यों को हत्याओं के बारे में तब पता चला जब हजारा सिंह, कश्मीर सिंह के
27 मई 1990 की सुबह मन्नान गांव से उनके चाचा उनके घर आए। पुलिस ने कश्मीर सिंह के शव की पहचान के लिए हजारा सिंह को बुलाया था। धर्म सिंह, उनके सभी पुत्र और गांव के कई निवासी हजारा सिंह के साथ तरन तारन गए और जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से शवों को परिजनों को सौंपने का अनुरोध किया। धर्म सिंह के अनुसार, अधिकारियों ने कोई आपत्ति नहीं जताई और पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों को सौंप दिया। शवों पर यातना के गंभीर निशान थे। हाथों और पैरों की सभी उंगलियों के नाखून निकाल दिए गए थे। पुलिसकर्मियों के ऊपर खड़े होकर भारी लट्ठों को लुढ़काने से उनकी जांघों पर चोट के निशान थे, जो यातना का एक आम तरीका था। धर्म सिंह के अनुसार, परिवार ने सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में कश्मीर सिंह का अंतिम संस्कार उनके गांव झंदर में किया।

28 मई 1990 को, दो पंजाबी दैनिक समाचार पत्रों, अजीत और जगबानी ने एक समान लेख प्रकाशित किया।
मुठभेड़ के पुलिस संस्करण पर आधारित रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कश्मीर सिंह, पुलिस से घिरे होने के बावजूद, साइनाइड खाकर मौके पर ही मर गया। सुखदेव सिंह की अस्पताल ले जाते समय जहर के कारण मौत हो गई।
इसके विपरीत साक्ष्य और गवाहियों के बावजूद, सीबीआई द्वारा पहचाने गए क्रीमा-
दस्तावेजों से पता चलता है कि कश्मीर सिंह का अंतिम संस्कार झब्बल पुलिस स्टेशन के निर्मल सिंह ने किया था। हालांकि, वास्तविकता में परिवार ने अपने गांव में ही अंतिम संस्कार किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को "उपलब्ध नहीं" बताया गया है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है, जबकि पुलिस के दावे के आधार पर अखबारों में इसे साइनाइड जहर बताया गया है। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि सुखदेव सिंह का अंतिम संस्कार न तो पहचाने गए शवों की सूची में है और न ही सीबीआई द्वारा तैयार की गई अन्य दो सूचियों में। अज्ञात शवों के अंतिम संस्कार की सूची में 19 अप्रैल 1990 से 30 मई 1990 के बीच की कोई प्रविष्टि नहीं है।
60. क्रमांक 73/197 के अंतर्गत, सूची में चानन सिंह, पुत्र दर्शन सिंह, निवासी चुमलेवाड़ के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो 28 जुलाई 1998 को तरन तारन नगर पुलिस स्टेशन के एसएचओ द्वारा एफआईआर संख्या 147/90 के तहत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बीएल 51/90 के रूप में चिह्नित किया गया है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
सीसीडीपी ने अपने माध्यम से इस मामले के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्र की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01567। मुख्य सूचनादाता पीड़ित के पिता दर्शन सिंह हैं।
दर्शन सिंह और स्वर्ण कौर के पुत्र, उन्नीस वर्षीय चन्नन सिंह थे। अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के चूस्लेवाल गांव के खेहरा पट्टी निवासी दर्शन सिंह एक छोटे किसान थे, जिनके पास केवल पांच एकड़ जमीन थी, जो उनके चार बेटों के भरण-पोषण के लिए अपर्याप्त थी। चन्नन सिंह के दो भाई भारतीय सेना में भर्ती हो गए, जबकि चन्नन सिंह खुद गुजरात की व्यावसायिक कंपनियों से जुड़ी एक परिवहन कंपनी में ट्रक चालक बन गए। वह नियमित रूप से बड़ौदा शहर तक ट्रक चलाते थे और कई महीनों तक घर से दूर रहते थे। परिवार में कोई भी 240 राख में तब्दील हो गया।

दर्शन सिंह को संदेह था कि चन्नन सिंह उग्रवादी गतिविधियों में शामिल है क्योंकि पुलिस ने कभी उससे पूछताछ नहीं की थी और न ही उसने अपने बेटे में ऐसी कोई प्रवृत्ति देखी थी। चन्नन सिंह अविवाहित था।
26 जुलाई 1990 की सुबह लगभग 11 बजे, पट्टी के अधिकारियों का एक समूह इंस्पेक्टर के नेतृत्व में पुलिस स्टेशन ने दर्शन सिंह के घर पर छापा मारा और उनके बेटों के बारे में पूछताछ करने के बाद घर की तलाशी ली। कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला, लेकिन पुलिस अधिकारी दर्शन सिंह को अपने साथ पट्टी पुलिस स्टेशन ले गए और उनसे चन्नन सिंह और उसकी गतिविधियों के बारे में पूछताछ की। पूछताछ के तरीके से दर्शन सिंह को शक हुआ कि चन्नन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और वह पुलिस हिरासत में है। उन्होंने पुलिसकर्मियों को वायरलेस सेट पर अपने बेटे के बारे में बात करते हुए भी

1 अगस्त 1990 को, भीखीविंड पुलिस ने मलागर को मखी में एक घर से गिरफ्तार किया।
मार्गिंदपुरा के पास एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने उसी रात सदरान गांव के पास एक फर्जी मुठभेड़ में उसकी हत्या कर दी। अखबार में मुठभेड़ की खबर पढ़ने के बाद, जिसमें मालागर की पहचान उसके नाम से की गई थी, परिवार के सदस्य शव लेने के लिए भीखीविंड पुलिस स्टेशन गए। हालांकि, पुलिस अधिकारियों ने उनसे बात करने से इनकार कर दिया और वे यह पता नहीं लगा सके कि शव का अंतिम संस्कार कहां किया गया था।
242 राख में तब्दील

63 - 65. क्रमांक 76/205, 77/206 और 78/207 के अंतर्गत, सूची में हरिके पुलिस स्टेशन के एसएचओ सुरिंदर सिंह द्वारा 16 जुलाई 1990 को एफआईआर क्रमांक 49/90 के तहत किए गए तीन शवदाहों का उल्लेख है। ये शव हैं: [1] मेजर सिंह, पुत्र गुलजार सिंह जाट, निवासी नाधोहर; [2] गुरनाम सिंह, पुत्र करतार सिंह, निवासी रसूलपुर; और [3] निशान सिंह, पुत्र करनैल सिंह, निवासी शिरपुर सेडा। पोस्टमार्टम रिपोर्टों को एसएस 4/90, एसएस 5/90 और एसएस 6/90 के रूप में चिह्नित किया गया है। मृत्यु का कारण "आग्नेयास्त्र से लगी चोटें" बताया गया है।
समिति को मेजर सिंह और उनके बारे में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हुई है। गुरनाम सिंह ने घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01584 और 01532 के माध्यम से सूचना दी है। मुख्य सूचनादाता पीड़ितों के भाई सुखदेव सिंह और बलकार सिंह हैं।
गुलजार सिंह और जागीर कौर के पुत्र मेजर सिंह 21 वर्ष के युवक थे।
अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के हरिके पुलिस स्टेशन के अंतर्गत नदोहर गांव, बथे भैनी डाकघर में रहने वाले मेजर सिंह ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी और दमदमी टकसाल में धार्मिक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। सरकार टकसाल को एक सक्रिय उग्रवादी संगठन मानती थी और पुलिस नियमित रूप से इससे जुड़े लोगों को हिरासत में लेकर प्रताड़ित करती थी। मेजर सिंह को भी कई बार गिरफ्तार किया गया और एक बार उन पर टाडा (TADA) के तहत अपराधों का आरोप लगाया गया। चूंकि पुलिस ने बिना किसी सबूत के मामला गढ़ा था, इसलिए अदालत ने छह महीने बाद उन्हें जमानत दे दी और फिर उन्हें पूरी तरह से बरी कर दिया। हालांकि, पुलिस ने मेजर सिंह को परेशान करना जारी रखा और उन्हें हर हफ्ते पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाने के लिए मजबूर किया। मेजर सिंह इन अपमानों को सहन नहीं कर सके और भूमिगत होकर उग्रवादियों के साथ जुड़ने का फैसला किया। इसके बाद पुलिस ने उनके परिवार के सदस्यों को परेशान करना शुरू कर दिया।
करतार सिंह और चन्नन कौर के पुत्र गुरनाम सिंह की आयु मात्र सत्रह वर्ष थी।
अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के भंगाला डाकघर के रसूलपुर गांव का रहने वाला यह छात्र मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद दमदमी टकसाल में शामिल हो गया था। स्कूल में पढ़ते समय ही वाल्टोहा पुलिस ने उसे उग्रवादी समूहों से संबंध होने के संदेह में कई बार गिरफ्तार किया था। उसे बुरी तरह प्रताड़ित भी किया गया था। इन अनुभवों ने उसे उग्रवादियों के साथ जुड़ने का फैसला लेने के लिए प्रेरित किया। पुलिस ने उसके पिता और भाइयों को भी परेशान करना शुरू कर दिया था।

16 जुलाई 1990 को मेजर सिंह, गुरनाम सिंह और उनके दो साथियों, नछत्तर ने कपूरथला जिले के सुल्तानपुर लोधी उपमंडल के फतेहगढ़ सब्रान गांव के सिंह और शेरपुर सैदा गांव के निशान सिंह, रूरीवाल और चंबा गांवों के बीच हरिके पुलिस द्वारा बनाए गए पुलिस घेरे में फंस गए। दोनों एक मुठभेड़ में मारे गए, जिसमें तीन पुलिसकर्मी भी शहीद हो गए। पुलिस शवों को पोस्टमार्टम के लिए पट्टी अस्पताल ले गई और उनका अंतिम संस्कार स्वयं करना चाहती थी। हालांकि, हजारों लोग, जिनमें शहीद लड़कों के परिवारवाले भी शामिल थे, शवों को वापस करने की मांग को लेकर अस्पताल में जमा हो गए, जिसके बाद पुलिस को परिवारवालों को अंतिम संस्कार करने की अनुमति देनी पड़ी।
हालांकि, सीबीआई द्वारा चिन्हित शवदाहों की सूची में केवल तीन शवदाहों का ही उल्लेख है।
मेजर सिंह, गुरनाम सिंह और निशान सिंह के शवों का अंतिम संस्कार हरिके पुलिस स्टेशन के एसएचओ सुरिंदर सिंह ने किया था, न कि उनके परिवार ने। चौथा शवदाह, नछत्तर सिंह का, सीबीआई की आंशिक रूप से पहचानी गई सूची में क्रमांक 14/208 के तहत उसी एफआईआर संख्या के साथ दर्ज है। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट एसएस-7/90 के रूप में अंकित है।
66. क्रमांक 81/211 के अंतर्गत सूची में सरदूल सिंह, पुत्र दारा सिंह, निवासी जोधीसिंहवाला के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो भिखीविंड पुलिस स्टेशन के एसएचओ द्वारा संपन्न किया गया था।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (243)

2 अगस्त 1990 को एफआईआर संख्या 77/90 के तहत थाने में। पोस्टमार्टम रिपोर्ट एमएस 16/90 के रूप में चिह्नित है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने घटना रिपोर्ट के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की है।
प्रपत्र संख्या CCDP/01524. मुख्य सूचनादाता पीड़ित का भाई बूर सिंह है।
तीस वर्षीय सरदूल सिंह, भाग सिंह के पुत्र थे, जो एक मज़हबी सिख थे।
अमृतसर के पट्टी उपमंडल में स्थित जोध सिंहवाला गांव, भंगाला डाकघर।
सीबीआई की सूची में भाग सिंह का नाम बदलकर दारा सिंह कर दिया गया है। सरदूल सिंह अविवाहित थे और अपने चार भाइयों की तरह ही मजदूर के रूप में अपना जीवन यापन करते थे। सरदूल का किसी भी राजनीतिक या उग्रवादी संगठन से कोई संबंध नहीं था।
जुलाई 1990 के अंतिम सप्ताह में, भिखीविंड पुलिस के पुलिस अधिकारियों के एक समूह ने
पुलिस स्टेशन के अधिकारी सरदूल के घर आए और उसका नाम पता करने के बाद उसे थाने चलने को कहा। जब परिवार वालों ने पुलिस से उसकी गिरफ्तारी का कारण पूछा, तो एसएचओ ने बताया कि वे उससे चोरी के एक मामले में पूछताछ करना चाहते हैं। कुछ दिनों बाद परिवार वालों को पता चला कि सरदूल सिंह को मुठभेड़ में मृत घोषित कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई के डर से परिवार वाले थाने नहीं गए और जो हुआ उसे स्वीकार कर लिया।
परिवार का कोई भी सदस्य अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ। साथ ही, सरदूल की अस्थियों का भी अंतिम संस्कार नहीं हो सका।
जानकारी के अभाव के कारण इसे एकत्र किया जा सकता है।
67. क्रमांक 83/246 के अंतर्गत, सूची में दर्शन सिंह, पुत्र जरनैल सिंह, निवासी सबरा, के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो पट्टी पुलिस स्टेशन के

एसआई मेजर सिंह द्वारा 10 सितंबर 1990 को एफआईआर संख्या 171/90 के तहत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट "उपलब्ध नहीं" बताई गई है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति को इस मामले के संबंध में अपनी प्रारंभिक जानकारी के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हुई है-
डेंट रिपोर्ट संख्या CCDP/01673. मुख्य सूचनादाता पीड़िता की विधवा कश्मीर कौर हैं।
जरनैल सिंह और जागीर कौर के पुत्र, 28 वर्षीय दर्शन सिंह एक
अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के पट्टी भाने की जिले के सबरा गांव का रहने वाला एक युवा किसान दर्शन, एक समृद्ध किसान परिवार का पुत्र था और किसी भी राजनीतिक या उग्रवादी संगठन से जुड़ा नहीं था। उसका विवाह कश्मीर कौर से हुआ था और उसका एक बेटा लखविंदर सिंह था।
सितंबर 1990 के पहले सप्ताह में, दर्शन के ससुर का निधन हो गया।
पट्टी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सैदोन गांव में दर्शन अपनी पत्नी कश्मीर कौर के साथ उसके गांव गए थे और कुछ दिनों तक उसके माता-पिता के घर पर रुके थे। 9 सितंबर 1990 को दर्शन और सैदोन गांव के दो अन्य युवक मोटरसाइकिल पर घूमने निकले थे और भोगपुर गांव में एक पेट्रोल पंप के पास ही थे कि पट्टी पुलिस स्टेशन के एसएचओ मेजर सिंह के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों के एक दल ने उन्हें आतंकवादी समझकर उन पर गोली चला दी। मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे दर्शन को गोली लगी और उनकी मौत हो गई। पुलिस ने दर्शन के दोनों साथियों को हिरासत में ले लिया। सैदोन गांव के निवासियों को घटना की जानकारी मिली और उन्होंने तुरंत दर्शन के माता-पिता को सूचित किया। वे शव लेने पट्टी पुलिस स्टेशन गए, लेकिन एसएचओ मेजर सिंह ने शव लौटाने से इनकार कर दिया और अंतिम संस्कार कर दिया।
पुलिस ने प्रेस को एक बयान जारी कर दावा किया कि दर्शन नाम का एक आतंकवादी सिंह मुठभेड़ में मारे गए थे।
244 राख में तब्दील

68 – 69: क्रमांक 84/256 और 85/257 के अंतर्गत, सूची में हरिके पुलिस स्टेशन के एसएचओ सुरिंदर सिंह द्वारा 4 अक्टूबर 1990 को एफआईआर क्रमांक 66/90 के तहत किए गए दो शवदाह का उल्लेख है। ये शव हैं: [1] भिंडर सिंह, पुत्र गुरबचन सिंह, निवासी शखेरा; और [2] सतनाम सिंह, पुत्र भजन सिंह, निवासी बघारी। भिंडर सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट एमएस 123/90 के रूप में अंकित है। सतनाम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपलब्ध नहीं बताई गई है। मृत्यु का कारण "गोली से लगी चोटें" दर्ज किया गया है।
समिति को घटना रिपोर्ट प्रपत्र के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हुई है।
nos. CCDP/1571 and 1547. The main informants are Bhinder Singh’s father Gurbachan Singh and Satnam’s mother Jagir Kaur.
भिंडर का पूरा नाम भूपिंदर सिंह था। वह 23 वर्ष का था और पुत्र था। गुरबचन सिंह और सुखराज कौर अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के धारीवाल गांव में रहते थे। गुरबचन सिंह मूल रूप से जिले के तरन तारन उपमंडल के सखीरा गांव के निवासी थे। लेकिन उन्होंने धारीवाल गांव में कुछ जमीन खरीद ली थी और वहीं रहने लगे थे। भूपिंदर उनके दो बेटों में बड़े थे और स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद खेती-बाड़ी में उनकी मदद करने लगे थे। भूपिंदर

बपतिस्मा प्राप्त सिख थे और सिख धर्मगुरु बाबा चरण सिंह के अनुयायी थे, जो ऐतिहासिक सिख तीर्थस्थलों के पुनर्निर्माण के लिए स्वयंसेवी श्रम का आयोजन करते थे। भूपिंदर सिख धर्मग्रंथों का पाठ करने में भी निपुण थे। धार्मिक आयोजनों के दौरान, भूपिंदर को धर्मग्रंथों का पाठ करने के लिए निमंत्रण मिलते थे, आमतौर पर इसके लिए उन्हें शुल्क देना पड़ता था, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती थी।
1987 में सरहल्ली कलां पुलिस ने उन्हें अवैध रूप से हिरासत में लिया और उन पर भयानक अत्याचार किए।
जब वह शहीद गांव में एक धार्मिक समारोह में शास्त्र पाठ करने गया था, तब उसके पिता को उसे जिंदा छुड़ाने के लिए 70,000 रुपये की रिश्वत देनी पड़ी। पुलिस ने उसे टाडा मामले में फंसाकर जेल भेज दिया। भूपिंदर नौ महीने बाद जमानत पर रिहा हुआ। जब पुलिस ने रिहाई के बाद भी उसे गिरफ्तार करना और प्रताड़ित करना जारी रखा, तो भूपिंदर घर छोड़कर अपने धार्मिक गुरु के साथ रहने लगा।
सत्रह वर्षीय सतनाम सिंह, भजन सिंह और जागीर कौर का पुत्र था, जो वहीं का रहने वाला था।
अमृतसर जिले के तरनतारन उपमंडल के झब्बाल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गांव बघियारी, पट्टी कहन सिंह वाली।
भूपिंदर की तरह सतनाम भी बपतिस्मा प्राप्त सिख थे और उन्होंने स्वयंसेवा की थी।
बाबा चरण सिंह द्वारा आयोजित विभिन्न गुरुद्वारों में। इसी से भूपिंदर सिंह के साथ उनकी जान-पहचान हुई। सतनाम को पुलिस ने कभी गिरफ्तार या पूछताछ नहीं की थी।
3 अक्टूबर 1990 को, एक तलाशी अभियान के दौरान, हरिके पुलिस
पुलिस ने भूपिंदर सिंह के नाना-नानी के घर, रत्ता गुड्डा गांव से भूपिंदर और सतनाम को गिरफ्तार किया। उसी दिन, पुलिस ने उसी गांव के एक फार्महाउस के पास मुठभेड़ की और उन्हें मृत घोषित कर दिया। सतनाम के माता-पिता को इस घटना की जानकारी तब मिली जब हरिके पुलिस स्टेशन में तैनात एक कांस्टेबल ने आकर उन्हें सूचना दी। उन्होंने भूपिंदर सिंह के परिवार को संदेश भेजा और पट्टी अस्पताल पहुंचे, जहां शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। धारीवाल और बाघियारी गांवों से भी बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंचे और पुलिस पर दबाव डालकर शवों को परिवार वालों को अंतिम संस्कार के लिए सौंपने को कहा।
हालांकि शवदाह परिवार के सदस्यों द्वारा स्वयं ही किए गए थे,
सीबीआई की सूची के अनुसार, उनके अपने गांवों में ये कार्रवाइयां हरिके पुलिस के एसएचओ सुरिंदर सिंह द्वारा की गईं।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (245)

70 – 72: क्रमांक 86/258, 87/259 और 88/260 के अंतर्गत, सूची में 11 अक्टूबर 1990 को वाल्टोहा पुलिस स्टेशन के एसएचओ चरण सिंह द्वारा एफआईआर क्रमांक 109/90 के तहत किए गए तीन शवदाहों की पहचान की गई है। ये शवदाह निम्नलिखित व्यक्तियों के हैं: [1] सुखदेव सिंह उर्फ कल्ला, पिता वीरसा सिंह जाट, निवासी धुलकुना; [2] मुख्तियार सिंह उर्फ मंड, पिता अमर सिंह, निवासी भुकोह्नु; और [3] पप्पू, पिता जरनैल सिंह, निवासी वेरोवाल।

पोस्टमार्टम रिपोर्टों को एमएस 139/90, एमएस 141/90 और एमएस 140/90 के रूप में चिह्नित किया गया है। मृत्यु का कारण "मुठभेड़" बताया गया है।
समिति को सुखदेव सिंह के बारे में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हुई है।
तथा मुख्तियार सिंह ने घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01679 और 01680 के माध्यम से इसकी सूचना दी है। मुख्य सूचनादाता पीड़ितों की माताएं गुरमीत कौर और चरण कौर हैं।
वीरसा सिंह और गुरमीत के पुत्र, छब्बीस वर्षीय सुखदेव सिंह उर्फ काला। गुरमीत कौर, अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के खेमकरण पुलिस स्टेशन के अंतर्गत दुहाल कोहना गांव की एक अविवाहित युवा किसान थीं। सुखदेव के पिता का निधन उनके बचपन में ही हो गया था। इसलिए उन्हें अपने भाइयों को खेत की देखभाल में मदद करने के लिए स्कूल छोड़ना पड़ा। सुखदेव और उनके भाई सिख धर्म अपना चुके थे। गुरमीत कौर के अनुसार, उनका किसी भी उग्रवादी आंदोलन से कोई संबंध नहीं था। एक बार 1990 के दशक की शुरुआत में, खेमकरण पुलिस ने सुखदेव को उग्रवादियों से संबंध रखने के संदेह में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पूछताछ के दौरान उन्हें प्रताड़ित किया, लेकिन ग्राम परिषद के हस्तक्षेप पर 10 दिन बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया था।
बीस वर्षीय मुख्तियार सिंह उर्फ मंद, अमर सिंह और चरण का पुत्र
कौर भी अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के खेमकरण पुलिस स्टेशन के अंतर्गत भूरा करीमपुरा गांव की रहने वाली अविवाहित लड़की थी। सुखदेव की तरह मुख्तियार के पिता का भी देहांत हो चुका था और वह अपने भाइयों को पारिवारिक खेत संभालने में मदद करता था। मुख्तियार भी बपतिस्मा प्राप्त सिख था। मुख्तियार को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था, लेकिन उसकी मां के अनुसार, वह भूमिगत संगठनों के सदस्यों के संपर्क में रहता था।
अक्टूबर 1990 के दूसरे सप्ताह में, सुखदेव की माँ गुरमीत कौर गईं...
भाई लाधू गांव में एक करीबी रिश्तेदार के निधन पर अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए वह 10 अक्टूबर 1990 को घर लौटीं तो पाया कि उनका बेटा सुखदेव वहां नहीं था। उस दिन सुखदेव, दुहला कोहना गांव के मुख्तियार सिंह और भरवाल गांव के जरनैल सिंह के बेटे पप्पू, ताहली बस स्टैंड पर खड़े थे, तभी वाल्टोहा पुलिस स्टेशन के कुछ अधिकारियों ने उन पर गोलियां चला दीं। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। बस स्टैंड के पास एक दुकान में चारा काट रहे असल उतर गांव के एक अन्य युवक को भी गोलियां लगीं और उसकी भी मौत हो गई।
11 अक्टूबर की सुबह, वाल्टोहा पुलिस स्टेशन के कुछ अधिकारी आए।
गुरमीत कौर के घर जाकर उनसे अपने बेटे के शव की पहचान के लिए पुलिस स्टेशन आने को कहा गया। पुलिस स्टेशन पहुँचने पर उनकी मुलाकात पुलिस द्वारा मारे गए अन्य दो लड़कों के परिवारवालों से हुई, जिन्हें भी इसी उद्देश्य से बुलाया गया था। हालांकि, पहचान के बाद पुलिस ने शवों को उनके परिवारों को सौंपने से इनकार कर दिया। शवों को लावारिस घोषित करके उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया।
यह स्पष्ट नहीं है कि चौथे व्यक्ति के शव का क्या हुआ।
दुर्घटना में मृत्यु हो गई। सीबीआई द्वारा दर्ज की गई शवदाह की सूची में एफआईआर संख्या 109/90 के अंतर्गत केवल तीन शवदाह दर्ज हैं। एफआईआर के अंतर्गत वाल्टोहा पुलिस द्वारा किए गए किसी अन्य शवदाह का सीबीआई की आंशिक रूप से पहचाने गए और अज्ञात शवदाह की सूची में उल्लेख नहीं है।

मुख्तियार की मां चरण कौर के अनुसार, पुलिस ने 246 लोगों को गिरफ्तार कर उनकी हत्या कर दी और उन्हें राख में बदल दिया।

भूरा करीमपुरा गांव से दो अन्य लोग जिन्हें वह जानती थी, फर्जी मुठभेड़ों में शामिल थे। वे हैं: [1] गुरनाम सिंह, रंगा सिंह का पुत्र; और [2] गुरसाहिब सिंह, मेजर सिंह का पुत्र।
73 – 74. क्रमांक 89/261 और 90/262 के अंतर्गत, सूची में दो शवदाहों की पहचान की गई है, जो 25 नवंबर 1990 को वाल्टोहा पुलिस स्टेशन के एसएचओ सुरिंदर सिंह द्वारा एफआईआर क्रमांक 125/90 के तहत किए गए थे। ये शवदाहकर्ता हैं: [1] कुलदीप सिंह, पुत्र पूरन सिंह, निवासी रण सिंहवाला; और [2] बीर सिंह, पुत्र सुरबख्श सिंह, निवासी चटीविंड। पोस्टमार्टम रिपोर्टों को बीबीएस 2/90 और बीबीएस 3/90 के रूप में चिह्नित किया गया है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति को कुलदीप सिंह के बारे में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हुई है। घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01536 के माध्यम से। मुख्य सूचनादाता पीड़ित के पिता पूरन सिंह हैं।
पूरन सिंह और रंजीत कौर के पुत्र, बाईस वर्षीय कुलदीप सिंह एक
राम सिंह वाला गांव, भंगाला डाकघर, वाल्टोहा पुलिस स्टेशन, पट्टी उपमंडल, अमृतसर जिले में स्थित एक ऑटोमोबाइल मैकेनिक। वह अविवाहित था और अपने माता-पिता के साथ रहता था।
1989 तक, बपतिस्मा प्राप्त सिख कुलदीप को पुलिस द्वारा कभी भी किसी प्रकार की उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़ा था।
उसी साल पुलिस को शक हुआ कि राम सिंह वाला गांव सीमा के बेहद करीब होने के कारण कुलदीप आतंकवादियों से संबंध रख रहा होगा और उन्हें पाकिस्तान में घुसपैठ कराने में मदद कर रहा होगा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पर छापेमारी शुरू कर दी और कुलदीप यातना के डर से वहां से दूर रहने लगा।
24 नवंबर 1990 को शाम लगभग 4 बजे, वाल्टोहा पुलिस स्टेशन के अधिकारी आए। कुलदीप अपने गांव में अपने घर गया और अपने पिता पूरन सिंह, भाई वीरसा सिंह और एक पड़ोसी को साथ लेकर पुथियावाली गांव गया, जहां खेतों में दो शव पड़े थे। इनमें से एक कुलदीप सिंह का और दूसरा वीर सिंह का था, जो अमृतसर शहर के चटीविंड में रहता था। शवों की पहचान के बाद, पुलिस ने पूरन सिंह को अगले दिन पट्टी आने को कहा, जहां पोस्टमार्टम के बाद पुलिस की निगरानी में शवों का अंतिम संस्कार किया गया। परिवार के सदस्य अंतिम संस्कार में शामिल हुए और सभी रस्में निभाईं।
यह तथ्य कि वाल्टोहा पुलिस उसके घर आई और उससे पहचान करवाई
शवों की मौजूदगी के कारण कुलदीप के पिता का मानना है कि पूछताछ के बाद उनके बेटे की हत्या कर दी गई थी।
75. क्रमांक 91/263 के अंतर्गत, सूची में गोपाल सिंह, पुत्र बाघ सिंह, निवासी मानेके ग्राम, के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो 4 दिसंबर 1990 को वाल्टोहा पुलिस स्टेशन के एसएचओ जरनैल सिंह द्वारा एफआईआर क्रमांक 128/90 के तहत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को केएस 26/90 के रूप में चिह्नित किया गया है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है। समिति ने इस मामले के संबंध में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।

[illegible] CCDP/01685 [illegible]
62 [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] (247)

4 [illegible] 1990 [illegible] 7 [illegible], [illegible]
[illegible]...
76 - 78. [illegible] 92/267, 93/268 [illegible] 94/270 [illegible] 22 [illegible] 1990 [illegible] 94/90 [illegible]: [1] [illegible], [illegible]; [2] [illegible], [illegible]; [3] [illegible] 79/90, [illegible] 80/90 [illegible] 89/90 [illegible] "[illegible]" [illegible]
[illegible] CCDP/01508 [illegible] 01428 [illegible]
Harbhej Singh was the son of Surjit Kaur and Ravel Singh – not Angrez Singh as

सीबीआई की सूची में नामजद हरभेज चार भाइयों में सबसे छोटा था और उसने 1989 में खदुर साहिब के एक कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। उसे पहले कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था और उसके पिता के अनुसार, उसका किसी भी संदिग्ध राजनीतिक या उग्रवादी संगठन से कोई संबंध नहीं था।
स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद, हरभेज आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए अमृतसर जाना चाहता था।
लेकिन परिवार के पास आर्थिक तंगी थी। इसलिए उनके पिता ने राजिवाल गांव में कुछ जमीन खरीदी और हरभेज ने उस पर खेती शुरू कर दी। 20 अक्टूबर 1990 को हरभेज सिंह अपने खेतों में पानी देने के लिए राजिवाल गांव गए, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटे। चिंतित परिवार वालों ने उनसे पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 23 अक्टूबर 1990 को रावल सिंह को पता चला कि उनका बेटा उन चार कथित आतंकवादियों में से एक था, जो तरन तारन पुलिस स्टेशन के अंतर्गत दुगारी गांव में एक कथित मुठभेड़ में मारे गए थे। जब रावल सिंह मुठभेड़ के चश्मदीदों से बात करने दुगारी गांव गए, तो उन्हें पता चला कि पुलिस ने उनके बेटे समेत चार लोगों को एक घर से गिरफ्तार किया था और उन्हें एक फर्जी मुठभेड़ में मारने से पहले बेरहमी से प्रताड़ित किया था।
इन चारों में जवंदे खुर्द गांव का रहने वाला 16 वर्षीय गुरवेल सिंह भी शामिल था।
तरन तारन के सदर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत बाथ डाकघर। जोगिंदर सिंह 248 के पुत्र की मृत्यु हो गई।

गुरबचन कौर और गुरवेल ने 1990 में अपनी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की थी। बाथ के सरकारी हाई स्कूल में पढ़ाई के दौरान, गुरवेल की मुलाकात सक्रिय उग्रवादी बलविंदर सिंह फौजी से हुई और संभवतः उसने उसे संदेश पहुंचाने में मदद करना शुरू कर दिया।
22 अक्टूबर 1990 को गुरवेल तरन तारन सदर के अंतर्गत आने वाले वराना गांव गए।
गुरवेल संभवतः बलविंदर सिंह फौजी के कुछ परिचितों से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन गया था। वराना पहुँचने पर गुरवेल को पता चला कि पुलिस तलाशी अभियान चला रही है। गुरवेल ने वहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसी शाम, उसे दुगारी गाँव में आयोजित एक सुनियोजित मुठभेड़ में तीन अन्य लोगों के साथ मृत दिखाया गया। 23 और 24 अक्टूबर को, इस मुठभेड़ की खबर अजीत और जगबानी नामक दो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। पुलिस ने माता-पिता को सूचित किए बिना ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया। इसी मुठभेड़ में मारे गए अन्य लोग हैं: पाखोके गाँव का मंगल सिंह और कंबो गाँव का परमजीत सिंह।
सीबीआई द्वारा चिन्हित शवदाह स्थलों की सूची में केवल मंगल सिंह का नाम ही शामिल है।
हरभेज सिंह और गुरवेल सिंह। परमजीत सिंह का अंतिम संस्कार, जो उसी निरीक्षक द्वारा उसी एफआईआर संख्या के तहत किया गया था, आंशिक रूप से पहचाने गए लोगों की सूची में क्रमांक 19/269 के तहत दर्ज किया गया है, हालांकि उनकी सभी जानकारी आसानी से उपलब्ध है। परमजीत की कहानी रिपोर्ट के उपयुक्त अनुभाग में संक्षेप में दी गई है।
साधु सिंह और सुरिंदर कौर के पुत्र अठारह वर्षीय परमजीत सिंह एक

इक्कीस वर्षीय बलजीत सिंह पुत्र मक्खन सिंह और स्वर्ण कौर थे
अमृतसर जिले के खदुर साहिब उपमंडल में गोइंदवाल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत फातियाबाद डाकघर के पास स्थित खेला गांव में बलजीत की मृत्यु हो गई। बलजीत एक बपतिस्मा प्राप्त और धर्मनिष्ठ सिख थे, स्नातक थे और पंजाब की राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थे। हालांकि उनकी सक्रियता राजनीतिक थी, फिर भी पुलिस ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। पंगोता गांव में एक राजनीतिक सभा में भाग लेने के बाद, पट्टी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन पर बेरहमी से अत्याचार किया। उन्हें टाडा (TADA) के तहत एक मामले में फंसाया गया और उन्हें तीन साल जेल में बिताने पड़े, जहां उन्होंने पंजाबी साहित्य में स्नातकोत्तर की पढ़ाई की और ज्ञानी बन गए। जेल से रिहा होने के बाद भी जब पुलिस ने उनके घर पर छापेमारी शुरू की, तो बलजीत ने भूमिगत आंदोलन में शामिल होने का फैसला किया और घर छोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने उनके परिवार के सदस्यों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उनके पिता को कई बार हिरासत में लिया गया और उन पर बेरहमी से अत्याचार किया गया। इसके अलावा, बलजीत के छोटे भाई सुधजीत सिंह को बाद में एक झूठे हत्या के मामले में फंसा दिया गया।

चौबीस वर्षीय विक्रमजीत सिंह, गोपाल के पुत्र

अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के बलजीत सिंह खालरा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत नरला गांव के रहने वाले विक्रमजीत सिंह और गुरदीप कौर, पट्टी के सरकारी कॉलेज में बी.ए. के द्वितीय वर्ष के छात्र थे। जून 1984 में भारतीय सेना द्वारा स्वर्ण मंदिर पर किए गए हमले का विक्रमजीत पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने सिखों के विरुद्ध भारत के अत्याचारों के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध के विचार का समर्थन करना शुरू कर दिया। पुलिस को शक हुआ और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पर छापेमारी शुरू कर दी। लेकिन विक्रमजीत बच निकले और भूमिगत आंदोलन में शामिल हो गए। इसके बाद पुलिस ने उनके परिवार के सदस्यों को परेशान करना शुरू कर दिया, उनके पिता और अन्य रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के दौरान उन्हें प्रताड़ित किया। परिवार को अपनी जमीन पर खेती करने की भी अनुमति नहीं दी गई।

3 नवंबर 1990 को सुखविंदर, बलजीत, विक्रमजीत और उनके दो साथियों ने...

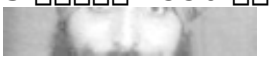

मनजीत सिंह और निर्मलजीत सिंह, एसपी (ऑपरेशन) खूबी राम के नेतृत्व में तरन तारन पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मारे गए। यह मुठभेड़ भुल्लर गांव के पास हुई थी। पुलिस ने परिजनों को बिना सूचना दिए ही शवों का अंतिम संस्कार कर दिया। मुठभेड़ की खबर अगले दिन सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से छपी। प्रेस रिपोर्टों में निर्मलजीत सिंह समेत सभी शहीद आतंकवादियों की पहचान उनके नामों से की गई थी। हालांकि, सीबीआई की शवों के अंतिम संस्कार की सूची

में निर्मलजीत का नाम नहीं है। उनका नाम आंशिक रूप से पहचाने गए शवों की सूची में क्रमांक 20/282 के अंतर्गत दर्ज है।

इन उग्रवादियों के परिवारों को उनकी मृत्यु के बाद भी उत्पीड़न झेलना पड़ा।

बेटों की हत्या कर दी गई थी। पुलिस अक्सर सुखविंदर के परिवार के सदस्यों को उठाकर यातनाएं देती थी। उन्होंने कई वर्षों तक उनके परिवार को अपनी जमीन पर खेती करने से भी रोक दिया था। उनके दो भाई, बलविंदर सिंह बिल्लू और खुशदीप सिंह, 250 वर्ष की आयु में जलकर राख हो गए थे।

उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और वे लापता हो गए। 23 जून 1992 को गुरुद्वारा भैनी साहिब के बाहर से उन्हें तब उठाया गया जब वे कई अन्य लोगों के साथ गांव चंदरा में एक अन्य उग्रवादी नेता रचपाल सिंह चंदरा की हत्या की स्मृति में आयोजित भोज में शामिल होने जा रहे थे। गिरफ्तारी लुधियाना जिले के डीएसपी दलीप सिंह ने की थी। तीन दिन बाद, डीएसपी दलीप सिंह ने उनकी मां मोहिंदर कौर और उनके साथ आए गांव के कुछ बुजुर्गों को बताया कि दोनों से खन्ना स्थित सीआईए स्टाफ सेंटर में पूछताछ की जा रही है और उन्हें खन्ना के एसएसपी राज किशन बेदी से मिलने की सलाह दी। राज किशन बेदी ने दावा किया कि उन्होंने दोनों को जांच के लिए तरनतारन पुलिस के एसएसपी अजीत सिंह संधू को सौंप दिया है। लेकिन संधू ने दोनों लड़कों को अपनी हिरासत में लेने से इनकार किया।
बलजीत के दो करीबी रिश्तेदारों को भी अगवा कर मार डाला गया। उनके भतीजे सतनाम
दीदार सिंह के पुत्र सिंह को उनके घर से गिरफ्तार किया गया और मजीठा पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ में मार दिया गया। उनके चाचा बलकार सिंह फौजी उर्फ बब्बू, जो दलीप सिंह के पुत्र थे, को भी उनके घर से उठाया गया और फर्जी मुठभेड़ में मार दिया गया।
83 – 87. क्रमांक 99/284, 100/285, 101/286, 102/287 और 103/289 के अंतर्गत, सूची में 5 नवंबर 1990 को FIR क्रमांक 118/90 के तहत वाल्टोहा पुलिस स्टेशन के SHO सुरिंदर सिंह द्वारा किए गए पाँच शवदाहों की पहचान की गई है। वे हैं: [1] बलकार सिंह उर्फ फौजी, पुत्र हरि सिंह, निवासी सरली मंदान; [2] हकीम सिंह उर्फ हक्कू, पुत्र गुरमेज सिंह, निवासी दासूवाल; [3] सुखदेव सिंह, पुत्र बलबीर सिंह, निवासी दासूलपुर; [4] गुलजार सिंह उर्फ शोप्स, पुत्र अजैब सिंह, निवासी मुल्तान बाग; और [5] बलकार सिंह, पुत्र करनैल सिंह, निवासी जोहल सिंहवाला। पोस्टमार्टम रिपोर्टों को एमएस 181/90, एमएस 189/90, एमएस 190/90, एमएस 191/90 और एमएस 193/90 के रूप में चिह्नित किया गया है। मृत्यु का कारण "आग्नेयास्त्र से लगी चोटें" बताया गया है।

[illegible] CCDP/01480 [illegible] 01530[illegible]
Thirty-year-old Balkar Singh alias Fauji, son of Hari Singh and Mohinder Kaur,
[illegible] 20 [illegible]
1984 [illegible]
1988 [illegible]
(251)
1990 [illegible]

प्रसारित की। अखबारों ने भी अगली सुबह यही खबर छापी। परिवार के सदस्य यह सत्यापित नहीं कर पाए कि कथित मुठभेड़ वास्तविक थी या फर्जी।
5 नवंबर 1990 को, मारे गए लोगों के परिवार बाहर इकट्ठा हुए।
पट्टी पुलिस स्टेशन में शवों को अंतिम संस्कार से पहले रखा गया था।
हालांकि, परिजनों को शवों के पास जाने या उन्हें देखने की अनुमति नहीं थी।
पुलिस ने उन्हें अंतिम संस्कार में शामिल होने से भी रोक दिया, जिसे उन्होंने स्वयं संपन्न किया।
जसवंत सिंह ने हमें मारे गए लोगों की निम्नलिखित सूची दी:
[1] Hakam Singh, s/o Gurmej Singh, resident of Dasuwal; [2] Sukhdev Singh, s/o Balbir Singh, resident of Rasool Pur; [3] Gulzar Singh, s/o Ajaib Singh, resident of Multan Bagh; [4] Balkar Singh, s/o Karnail Singh, resident of Jor Singh Wala; [5] Mukhtiar Singh, resident of Bundala, district Ferozepur; and [6] Gora, resident of Kamala Bodla.
गुरमेज कौर ने मारे गए सातवें व्यक्ति का नाम बलकार बताया।
सिंह मंड, हरि सिंह के पुत्र और जोध सिंह वाला निवासी। सीबीआई की पहचान की गई शवदाह सूची में इन छह में से चार के अंतिम संस्कार दर्ज हैं। कमला बोडला निवासी गोरा और फिरोजपुर जिले के बुंडाला निवासी मुख्तियार सिंह के अंतिम संस्कार क्रम संख्या 22/288 और 23/290 के तहत आंशिक रूप से पहचाने गए लोगों की सूची में दर्ज हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को MS-192/90 और MS-194/90 के रूप में चिह्नित किया गया है।
88. क्रमांक 104/296 के अंतर्गत, सूची में सुखचैन सिंह उर्फ सुखा, पुत्र दर्शन सिंह जाट, निवासी भाई लड्डू के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो पट्टी पुलिस स्टेशन के एएसआई प्रीतम सिंह द्वारा 14 नवंबर 1990 को एफआईआर संख्या 208/90 के तहत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को केएस 1/90 के रूप में चिह्नित किया गया है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने घटना रिपोर्ट के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की है। प्रपत्र संख्या CCDP/01590. मुख्य सूचनादाता पीड़ित का भाई लखबीर सिंह है।
Twenty-four-year-old Sukhchain Singh, s/o Darshan Singh and Balwinder Kaur,
वह अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के भीखीविंड पुलिस स्टेशन के अंतर्गत भाई लाधू गांव का एक युवा किसान था। उसका विवाह बलजीत कौर से हुआ था और वह 252 बच्चों का पिता था।

उनका एक बेटा है, जतिंदर सिंह, जो अब 12 साल का है।

बपतिस्मा प्राप्त सिख सुखचैन ने सक्रिय रूप से भाग लिया था।

जुलाई 1982 में अकाली दल द्वारा पंजाब के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग को लेकर शुरू हुए आंदोलन में सुखचैन ने भाग लिया था, जिसमें बाद में जरनैल सिंह भिंडरांवाले भी शामिल हो गए थे। सुखचैन, भिंडरांवाले के अनुयायी थे।
ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद, पुलिस ने सुखचैन के घर पर नियमित रूप से छापे

मारने शुरू कर दिए और उनके राजनीतिक और उग्रवादी संबंधों के बारे में पूछताछ के लिए उन्हें यातना देकर हिरासत में ले लिया। 1987 में, वाल्टोहा पुलिस ने उनके खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया। पुलिस ने उन्हें बिना किसी सबूत के फंसाया था।

सुखचैन सिंह को कोई सबूत नहीं मिला, और सुखचैन अपना सबूत हासिल करने में सक्षम था।

छह महीने के भीतर जमानत पर रिहाई। हालांकि, पुलिस

उत्पीड़न और छापेमारी जारी रही और सुखचैन ने घर छोड़ने का फैसला किया। इसके बाद पुलिस ने उसके परिवार के सदस्यों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, उसके पिता और भाई लखबीर सिंह को अक्सर गिरफ्तार किया और उन्हें बेरहमी से प्रताड़ित किया। पुलिस ने गांव में स्थित उसके पैतृक घर को भी ध्वस्त कर दिया, जिससे उसके परिवार को दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शरणार्थी बनकर रहना पड़ा।

13 और 14 नवंबर 1990 की रात के बीच, सुखचैन और उसके एक साथी ने...

वरनाला गांव के निवासी मुख्तियार सिंह और उनके साथी पट्टी जाने वाली सड़क पर एक पेट्रोल पंप के पास पुलिस घेरे में फंस गए थे। दोनों के बीच गोलीबारी हुई और पुलिस ने दोनों को मार गिराया। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने उनका अंतिम संस्कार किया, लेकिन उनकी मां और परिवार के कुछ अन्य सदस्यों को उपस्थित रहने की अनुमति दी।

पंजाब के सभी समाचार पत्रों ने मुठभेड़ और सुखचैन की हत्या की खबर छापी।

सिंह और मुख्तियार सिंह, जो वाल्टोहा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत वर्नाला गांव के हरदीप सिंह के पुत्र थे। हालांकि, सीबीआई की पहचान की गई शवदाहों की सूची में केवल 14 नवंबर को सुखचैन सिंह के शवदाह का ही उल्लेख है। आंशिक रूप से पहचाने गए शवदाहों की सूची, क्रमांक 24/297 के तहत, दर्शाती है कि हरदीप सिंह के पुत्र मुख्तियार सिंह उर्फ मुखा का शवदाह 29 नवंबर 1990 को तरन तारन के सदर पुलिस स्टेशन के एसएचओ जगदीश सिंह द्वारा एफआईआर क्रमांक 116/90 के तहत किया गया था। यह स्पष्ट नहीं है कि मुख्तियार का शवदाह लगभग दो सप्ताह बाद एक अलग पुलिस स्टेशन के अधिकारियों द्वारा एक अन्य एफआईआर क्रमांक के तहत क्यों किया गया, जबकि वह भी 13 और 14 नवंबर की रात को उसी मुठभेड़ में सुखचैन सिंह के साथ मारा गया था। जिस एफआईआर क्रमांक के तहत मुख्तियार का शवदाह किया गया था, वह क्रमांक 24/297 के तहत किए गए शवदाहों के एफआईआर क्रमांक से मेल खाता है। 25/301 और 26/302,

जिनकी पहचान आंशिक रूप से बगल सिंह (निवासी होशियारपुर) और गुरदीप सिंह मेहरा (निवासी पाखोके) के रूप में हुई है। मुख्तियार सिंह और बगल सिंह का पोस्टमार्टम रिपोर्ट नंबर भी एक ही है।

क्रमांक 105/306 और 106/307 के अंतर्गत, सूची में वाल्टोहा पुलिस स्टेशन के एएसआई अमरिक सिंह द्वारा 3 दिसंबर 1990 को एफआईआर संख्या 127/90 के तहत किए गए दो शवदाहों का उल्लेख है। ये शवदाह हैं: [1] सतनाम सिंह उर्फ सत्ता, पुत्र तारा सिंह, निवासी बुंडाला; और [2] कुलवंत सिंह, पुत्र पाला सिंह, निवासी अस्सलुतार। पोस्टमार्टम रिपोर्टों को जेएस 3/90 और जेएस 4/90 के रूप में चिह्नित किया गया है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने कुलवंत के संबंध में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
सिंह ने घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01248 के माध्यम से इसकी सूचना दी है। मुख्य सूचनादाता है
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (253)

पीड़ित के पिता, पाला सिंह फौजी।
कुलवंत सिंह, वाल्तोहा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत किला सोधियां वाला का निवासी, 24 वर्षीय युवक है।
पाला सिंह फौजी और मोहिंदर कौर के पुत्र, इस युवक ने जरनैल सिंह भिंडरांवाले के नेतृत्व में दमदमी टकसाल में धार्मिक शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को लागू कराने के आंदोलन में भाग लिया था और जून 1984 में सेना द्वारा स्वर्ण मंदिर पर हमले के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में पुलिस ने उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया और टीएडीए के तहत हिरासत में रखा। वे उग्रवादी आंदोलन में शामिल कई लोगों से परिचित थे।
3 दिसंबर 1990 की सुबह, कुलवंत सिंह घर पर थे जब सतनाम सिंह,
फिरोजपुर जिले के बुंडाला गांव का निवासी सतनाम सिंह (उर्फ सत्ता) उससे मिलने आया था। सतनाम सिंह पुलिस द्वारा वांछित एक उग्रवादी था। पुलिस ने जल्द ही उसका पता लगा लिया और कुछ ही मिनटों बाद, वाल्टोहा पुलिस स्टेशन से भारी संख्या में पुलिस बल ने घर पर छापा मारा और कुलवंत सिंह और सतनाम सिंह दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उनके हाथ पीछे बांधकर पुलिस ने उन्हें कोटली गांव की ओर चलने को कहा। पुलिस ने परिवार के सदस्यों और ग्रामीणों को घर के अंदर रहने और बाहर न देखने के लिए कहा।
एक घंटे बाद, वाल्टोहा पुलिस ने भारी गोलीबारी के साथ "मुठभेड़" का नाटक रचा।
कुछ देर इंतजार करने के बाद, कुलवंत के पिता पाला सिंह, कई ग्रामवासियों के साथ वाल्टोहा पुलिस स्टेशन गए, जहाँ उन्हें पता चला कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए पट्टी अस्पताल भेज दिया गया है। उन्होंने अस्पताल में अपने बेटे और सतनाम सिंह के शव देखे। पुलिस ने उन्हें अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी। लगभग 5 दिसंबर 1990 को, अजीत ने मुठभेड़ पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की।
Kulwant Singh’s maternal uncle Lakhwinder Singh, s/o Thakar Singh, resident

वाल्टोहा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले बहादुरगढ़ नगर के निवासी की भी एक अलग घटना में हत्या कर दी गई।
91 – 93. क्रमांक 107/322, 108/324 और 109/325 के अंतर्गत, सूची में 24 जनवरी 1991 को वाल्टोहा पुलिस स्टेशन के एसएचओ सुरिंदर सिंह और हरिके पुलिस स्टेशन के एसआई रघुबीर सिंह द्वारा किए गए तीन शवदाहों का उल्लेख है। एसएचओ सुरिंदर सिंह ने निम्नलिखित शवदाह किए: [1] रसूल सिंह, पुत्र आत्मा सिंह, निवासी थाथी जैमल सिंह, एफआईआर क्रमांक 5/91 के अंतर्गत। हरिके पुलिस स्टेशन के एसआई रघुबीर सिंह ने एफआईआर क्रमांक 1/91 के अंतर्गत दो शवदाह किए। ये शवदाह [1] कश्मीर सिंह, पुत्र बंता सिंह, निवासी ग्राम खारा; और [2] लखविंदर सिंह उर्फ लखा, पुत्र सुरिंदर सिंह, निवासी कलेर के हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्टों को एमएस 17/91, एमएस 15/91 और एमएस 16/91 के रूप में चिह्नित किया गया है। तीनों मामलों में मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है। हालांकि इन शवदाहों को दो अलग-अलग पुलिस स्टेशनों द्वारा अलग-अलग एफआईआर नंबरों के तहत अंजाम दिया गया था, लेकिन ये संबंधित मामले हैं और इन पर एक साथ चर्चा की जाएगी।
समिति ने रसूल सिंह के संबंध में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
और कश्मीर सिंह ने घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01591 और 01599 के माध्यम से इसकी सूचना दी। मुख्य सूचनादाता रसूल सिंह के भाई सुखचैन सिंह फौजी और कश्मीर सिंह की विधवा सुखविंदर कौर हैं।
रसूल सिंह का सही नाम रसल सिंह है, जो आत्मा का 18 वर्षीय पुत्र है।
सिंह और चरण कौर, अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के वाल्टोहा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कालिया सकत्तरन डाकघर वाले थाथी जैमल सिंह वली गांव के निवासी थे। हाई स्कूल में पढ़ते समय, रसाल भूमिगत उग्रवादी आंदोलन में शामिल लोगों के साथ जुड़ने लगा। पुलिस ने उसके घर पर छापा मारना शुरू कर दिया और उसके 254 बच्चों को हिरासत में ले लिया।

परिवार के सदस्यों से उसके ठिकाने के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए यातना देकर पूछताछ की गई। परिवार के पास यह जानकारी नहीं थी। रसल सिंह का भाग्य एक बेहद विविध पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति के भाग्य से घातक रूप से जुड़ गया। उसका नाम कश्मीर सिंह था।
बंता सिंह और धन्न कौर के पुत्र, बत्तीस वर्षीय कश्मीर सिंह एक
अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल के सरहल्ली कलां पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पट्टी झंडू की के गांव खारा के निवासी। वे किसान थे और सुखविंदर कौर से विवाहित थे, उनके दो बेटियां और एक बेटा था।
कश्मीर सिंह के पिता बंता सिंह पंजाब पुलिस में अधिकारी थे।
जनवरी 1992 में वे सेवा से सेवानिवृत्त हुए। उनके तीन भाइयों में से एक भी पुलिसकर्मी था। 1988 में, चार भाइयों में सबसे छोटा बलकार सिंह, जिसने हाल ही में उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की थी, को सरहल्ली कलां पुलिस स्टेशन के एसएचओ दर्शन सिंह मान ने उसी गांव के जोगिंदर सिंह के पुत्र गुरभेज सिंह के साथ अगवा कर लिया। पुलिस को संभवतः संदेह था कि वे सशस्त्र भूमिगत संगठन से जुड़े हुए थे। बंता सिंह ने एसएचओ दर्शन सिंह मान से मुलाकात की, जिन्होंने बलकार सिंह की संलिप्तता की जांच पूरी करने के बाद उसे बिना किसी नुकसान के रिहा करने का वादा किया। इन वादों के बावजूद, बलकार सिंह और गुरभेज सिंह दोनों लापता हो गए। बलकार की मां धन कौर इस त्रासदी को सहन नहीं कर पाईं और सदमे के कारण उनकी मृत्यु हो गई।

इन घटनाओं का कश्मीर सिंह पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने देश छोड़ने का फैसला किया।
कश्मीर सिंह उग्रवादी आंदोलन में शामिल होने के लिए घर लौट आया था। पुलिस ने हमेशा की तरह उसके परिवार के सदस्यों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, जबकि उसके पिता और एक भाई स्वयं पंजाब पुलिस के अधिकारी थे। लेकिन कश्मीर सिंह का अंत निकट था। 23 जनवरी 1991 को, कश्मीर सिंह और उसके दो साथियों, थाथी जैमल सिंह गांव के रसल सिंह और कलेर गांव के लखविंदर सिंह को लखना और कोट दाता गांवों के बीच स्थित वाल्टोहा और हरिके पुलिस स्टेशनों के संयुक्त बल ने घेर लिया और कई घंटों तक चले गोलीबारी में मार गिराया। अगले दिन, पुलिस ने शवों का अंतिम संस्कार किया और परिवार के सदस्यों को भी इसमें शामिल होने की अनुमति दी, क्योंकि आसपास के गांवों से सैकड़ों लोग मारे गए उग्रवादियों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए पट्टी पहुंचे थे।
कश्मीर सिंह के परिवार की त्रासदी उनकी मृत्यु के साथ समाप्त नहीं हुई। 29 अप्रैल को
1992 में, कुछ अज्ञात बंदूकधारी घर में घुस आए और बंता सिंह और उनके बेटे गुलजार सिंह दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्यारे भागने में सफल रहे और कभी गिरफ्तार नहीं हुए, लेकिन वाल्टोहा पुलिस ने हत्याओं का कारण उग्रवादी समूहों के बीच आपसी दुश्मनी बताया। बंता सिंह का इकलौता जीवित बेटा, जो अपनी पहचान गुप्त रखना चाहता है, अभी भी पंजाब पुलिस में कार्यरत है।
कश्मीर सिंह की विधवा सुखविंदर कौर और उनके बच्चे अब उनके पैतृक घर में रहते हैं।
सभ्रान गांव में माता-पिता का घर।
94. क्रमांक 110/326 के अंतर्गत, सूची में हरदेव सिंह उर्फ देवा, पुत्र धर्म सिंह, निवासी जोर सिंह वाला, थाना पट्टी के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो झब्बल पुलिस स्टेशन के एसएचओ द्वारा 27 जनवरी 1991 को एफआईआर संख्या 12/91 के तहत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एके-27/1/91 के रूप में चिह्नित किया गया है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति को घटना रिपोर्ट के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हुई है। प्रपत्र संख्या CCDP/01566. मुख्य सूचनादाता बलबीर सिंह हैं, जो पीड़िता की बहन के ससुर हैं।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (255)

Eighteen-year-old Hardev Singh, son of Dharam Singh and Pooran Kaur, from
अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के गांव जोर सिंह वाला ने नौवीं कक्षा तक पढ़ाई की थी। 1988 में स्कूल छोड़ने के बाद उन्होंने टैक्सी चलाना शुरू कर दिया। खाली समय में वे अपने पिता को उनकी कृषि भूमि पर काम में मदद करते थे।
1990 के मध्य में, पुलिस ने उसके घर पर छापेमारी शुरू कर दी, जिसका उद्देश्य था...
पुलिस ने हरदेव सिंह को इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि उन्हें शक था कि उनकी टैक्सी का इस्तेमाल आतंकवादी समूह कर रहे हैं। पुलिस के निर्देशानुसार

हरदेव सिंह ने खुद को पुलिस के सामने पेश नहीं किया और भूमिगत हो गए। पुलिस ने उनके परिवार वालों को आतंकित करना शुरू कर दिया। अगले छह महीनों में उनके पिता, माता, बहनों और उनके पतियों को अनगिनत बार हिरासत में लिया गया और उन पर बेरहमी से अत्याचार किए गए। पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ में हरदेव सिंह को मार दिए जाने के बाद भी उनकी पीड़ा समाप्त नहीं हुई।
26 जनवरी 1991 को सुबह लगभग 7 बजे, हरदेव सिंह मुखिया के घर से निकले। हरदेव गांव के लालू घुम्मन स्कूटर पर सवार होकर शहीद गांव में अखिल भारतीय सिख छात्र संघ द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। वे जिस घर में पिछली रात सोए थे, उससे मात्र 20 मीटर दूर ही गए थे कि स्कूटर अचानक रुक गया। बताया जाता है कि गांव के मुखिया ने पुलिस के साथ मिलीभगत के तहत हरदेव को पकड़ने के लिए पिछली रात स्कूटर का ईंधन निकाल दिया था। हरदेव अभी भी अपने ईंधन टैंक की जांच कर ही रहे थे कि पास में छिपे पुलिसकर्मियों ने, जिनमें झब्बल पुलिस स्टेशन के एसएचओ गुरदेव सिंह भी शामिल थे, उन्हें हिरासत में ले लिया। उनकी गिरफ्तारी की खबर फैल गई और शहीद गांव में आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम में उनके साथियों ने इसका ऐलान किया। हरदेव उसी रात झब्बल पुलिस द्वारा आयोजित एक मुठभेड़ में कोट धर्म चंद गांव के पास मारा गया। उनका परिवार अगली सुबह पट्टी श्मशान घाट पहुंचा, लेकिन पुलिसकर्मियों की मौजूदगी के कारण चिता के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। पुलिसकर्मियों के जाने के बाद उन्होंने अस्थियां एकत्र कीं।
उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ पुलिस दमन का सिलसिला लगभग जारी रहा। हरदेव की मृत्यु के डेढ़ साल बाद, उन्हें अक्सर हिरासत में लिया जाता था और यातनाएं दी जाती थीं ताकि वे उन हथियारों और पैसों का खुलासा कर सकें जो कथित तौर पर हरदेव ने उनके पास छिपा रखे थे। पुलिस ने उन्हें अपनी कृषि भूमि पर खेती करने से रोक दिया। अंततः, परिवार ने गांव में अपनी सारी संपत्ति बेच दी और अमृतसर शहर चले गए, जहां वे वर्तमान में रहते हैं।
95. क्रमांक 112/329 के अंतर्गत, सूची में महाल सिंह, पुत्र गुरमेज सिंह, निवासी तलवंडी सोबा सिंह के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो वाल्टोहा पुलिस स्टेशन के एसएचओ सुरिंदर सिंह द्वारा 7 फरवरी 1991 को एफआईआर संख्या 15/91 के तहत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एमएस/91 के रूप में चिह्नित किया गया है और मृत्यु का कारण "मुठभेड़" बताया गया है। समिति ने इस मामले के संबंध में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है। घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01690 है। मुख्य सूचनादाता पीड़िता की मां रतन कौर हैं।
गुरमेज सिंह और रतन कौर के बेटे, अठारह वर्षीय मेहल सिंह, जो गांव से हैं... अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के घरियाला डाकघर में रहने वाले तलवंडी शोभा सिंह अपनी विधवा माता के इकलौते पुत्र थे। उनके पिता गुरमेज सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी थे और होम गार्ड में अधिकारी थे। उन्होंने अपने बड़े बेटे को भी इसी सेवा में भर्ती कराया था। गुरमेज सिंह के निधन से बड़े बेटे की थोड़े समय की बीमारी के बाद मृत्यु का सदमा सहन न कर पाने के कारण परिवार की सारी जिम्मेदारी मेहल सिंह पर आ गई।
256 राख में तब्दील

1989 के अंत में, पट्टी पुलिस अनियमित रूप से मेहल सिंह को गिरफ्तार करती थी।

पूछताछ के दौरान, उन्होंने उसे प्रताड़ित किया और टाडा के तहत एक मामले में फंसा दिया। अदालत ने उसे बरी कर दिया और फिर वह भी होम गार्ड में भर्ती हो गया। उसकी मां रतन कौर के अनुसार, 1990 के मध्य में, मेहल सिंह आतंकवादियों के एक समूह में शामिल हो गया। उसने होम गार्ड छोड़ दिया और घर से दूर रहने लगा।
6 फरवरी 1991 की शाम को, मेहल सिंह और उसका एक साथी थे
थाथा गांव में एक गुरुद्वारे के पास वाल्टोहा पुलिस ने मेहल सिंह को घेर लिया। मुठभेड़ के दौरान मेहल सिंह मारा गया। रतन कौर को अगली सुबह घटना की जानकारी मिली और वह ग्राम परिषद के सदस्यों के साथ अपने बेटे का शव लेने वाल्टोहा पुलिस स्टेशन गईं। लेकिन पुलिस ने शव को लावारिस घोषित कर पट्टी श्मशान घाट में अंतिम संस्कार कर दिया। परिवार के सदस्यों को वहां मौजूद रहने की अनुमति तक नहीं दी गई।
96. क्रमांक 113/346 के अंतर्गत, सूची में जगतर सिंह उर्फ धोला, पुत्र मोहन सिंह, निवासी रसूलपुर के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो वलतोहा पुलिस स्टेशन के एसएचओ सुरिंदर सिंह द्वारा 12 मार्च 1991 को एफआईआर संख्या 21/91 के तहत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को केएस 23/91 के रूप में चिह्नित किया गया है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है। समिति ने घटना के पुनरावलोकन के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है-
पोर्ट फॉर्म संख्या CCDP/01549. मुख्य सूचनादाता पीड़ित का भाई बलकार सिंह है।
मोहन सिंह और अच्छर कौर के पुत्र 22 वर्षीय जगतर सिंह एक
अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के वाल्टोहा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत भंगाला डाकघर वाले रसूलपुर गांव का युवा किसान जगतर विवाहित था, लेकिन उसकी विधवा ने बाद में पुनर्विवाह कर लिया है और वह अपना नाम प्रकट नहीं करना चाहती। जगतर का जन्म बपतिस्मा प्राप्त सिखों के परिवार में हुआ था, उनके पाँच भाई थे जो पहले से ही बपतिस्मा प्राप्त थे।
केंद्र-राज्य संबंधों में आमूलचूल परिवर्तन के लिए अकाली दल द्वारा शुरू किए गए राजनीतिक आंदोलन में जगतर का गहरा जुड़ाव था। इसी आंदोलन के कारण जून 1984 में स्वर्ण मंदिर पर सेना का हमला हुआ। जगतर के परिवार के सदस्य एक स्वतंत्र सिख राज्य की स्थापना के उग्रवादी उद्देश्य के प्रति सहानुभूति रखते थे और इसके समर्थकों के साथ संपर्क में थे। सितंबर 1988 में, पुलिस ने पूनिया गांव में एक फर्जी मुठभेड़ में जगतर के बड़े भाई जागीर सिंह और सुर सिंह वाला गांव के शिंदा सिंह को गिरफ्तार कर मार डाला और उसके बाद से परिवार के अन्य सभी सदस्यों को संदेह और अविश्वास की नजर से देखा जाने लगा। चूंकि उनका घर गांव के बाहरी इलाके में उनके खेत के पास स्थित था, इसलिए पुलिस को संदेह था कि उग्रवादी अक्सर उनके घर में शरण लेते हैं। इसी संदेह के चलते पुलिस ने उनके घर पर लगातार छापे मारे, परिवार के विभिन्न सदस्यों को गिरफ्तार किया और उन्हें अवैध हिरासत में यातनाएं दीं। पुलिस ने जगतर को भी कई बार यातनाएं दीं और उन्हें टाडा के तहत आपराधिक मामलों में फंसा दिया। जेल से रिहा होने के बाद भी पुलिस का उत्पीड़न बंद नहीं हुआ। पुलिस ने परिवार की महिला सदस्यों को भी नहीं बख्शा, बल्कि उन्हें गैरकानूनी रूप से हिरासत में लेकर लंबे समय तक यातनाएं दीं। परिवार को अपनी जमीन पर खेती करने से रोक दिया गया। पुलिस ने उनके घर का सारा सामान जब्त कर लिया। पालतू जानवरों को खुला छोड़ दिया गया

और लाउडस्पीकर पर सार्वजनिक घोषणा के माध्यम से सभी ग्रामीणों को चेतावनी दी गई कि वे परिवार की किसी भी प्रकार से सहायता न करें। इन परिस्थितियों में, जहां अधिकांश रिश्तेदार गांव छोड़कर चले गए, वहीं जगतर ने उग्रवादियों के साथ जुड़ने का फैसला किया।
11 मार्च 1991 को, जगतर को एक गुप्त सूचना के आधार पर एक फार्महाउस से गिरफ्तार किया गया था।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (257)

डीएसपी सुखदेव सिंह बराड़ और वाल्टोहा पुलिस स्टेशन के एसएचओ सुरिंदर सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल ने उसके गांव में उसकी गिरफ्तारी की। गिरफ्तारी के तुरंत बाद, पुलिस ने पहले उसके पैरों में गोली मारी और फिर उसी घर में कई घंटों तक उसे प्रताड़ित किया। इसके बाद वे उसे गांव के एक सुनसान स्थान पर ले गए और एक फर्जी मुठभेड़ में उसकी हत्या कर दी। पुलिस उसके शव को गांव वापस ले आई ताकि लोग उसे देख सकें। उन्होंने उसकी मां को शव की पहचान करने के लिए मजबूर किया और फिर शव को ले गए और परिवार के किसी भी सदस्य को अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने दिया।
97 - 98. क्रमांक 114/361 और 115/362 के अंतर्गत, सीबीआई की सूची में निम्नलिखित व्यक्तियों के अंतिम संस्कार का उल्लेख है: [1] गुरिंदर सिंह, पुत्र दयाल सिंह जाट, निवासी बलिपुर और [2] जगतर सिंह, पुत्र साधा सिंह जाट, निवासी बलिपुर, 28 मार्च 1991 को। अंतिम संस्कार तरन तारन के सदर पुलिस स्टेशन के एसएचओ मेजर सिंह द्वारा एफआईआर संख्या 28/91 के अंतर्गत संपन्न किए गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट एमएसजे 20/91 और एमएसजे 21/91 के रूप में अंकित हैं। मृत्यु का कारण "मुठभेड़" बताया गया है।

समिति ने निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है-

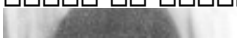

इन दोनों मामलों में घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01440 और 01441 से जानकारी प्राप्त की गई है। मुख्य सूचनादाता दयाल सिंह और सांता सिंह हैं, जो पीड़ितों के पिता हैं।

गुरिंदर 18 साल के सविंदर सिंह का उपनाम था।

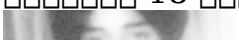

तरन तारन शहर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पलासौर डाकघर के पास वलीपुर गांव का रहने वाला 12 वर्षीय लड़का। वह अविवाहित था और दर्जी का काम करके अपना जीवन यापन करता था। वह बपतिस्मा प्राप्त सिख था और उसका किसी भी राजनीतिक या उग्रवादी समूह से कोई संबंध नहीं था। पुलिस ने गुरिंदर को फांसी से पहले कभी गिरफ्तार या पूछताछ नहीं की थी। सविंदर सिंह

27 मार्च 1991 को शाम लगभग 7 बजे, सविंदर सिंह

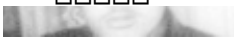

सविंदर और उनके चचेरे भाई जगतर सिंह, जो पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड के कर्मचारी और उसी गाँव के निवासी संता सिंह के पुत्र थे, साइकिल से खेरै गाँव जा रहे थे, जहाँ उनके कुछ रिश्तेदार रहते थे। रास्ते में, मुगल चक-खेरै मार्ग पर एक नहर के पुल पर सेना ने एक चौकी स्थापित कर रखी थी। जैसे ही सविंदर और उनके चचेरे भाई जगतर पुल पार कर रहे थे, चौकी पर तैनात एक सैनिक ने गोली चला दी, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।

आस-पास के गांवों के चौकीदारों को घटनास्थल पर बुलाया गया ताकि मृतक की पहचान की जा सके।

शव बरामद हुए। वलीपुर के चौकीदार ने सविंदर सिंह और जगतार सिंह को पहचान लिया और घटना की जानकारी उनके परिवारों को दी। 28 मार्च 1991 को लड़कों के माता-पिता तरन तारन अस्पताल गए, जहां शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। पुलिस ने शवों को परिवारों को सौंपने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्हें अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दे दी।

29 मार्च 1991 को अजीत ने मुठभेड़ पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें सविंदर का वर्णन किया गया था।

सिंह और जगतार सिंह अज्ञात उग्रवादियों के रूप में।

सविंदर सिंह के पिता दयाल सिंह को जल्द ही स्ट्रोक आया जिससे उनकी जान चली गई।
लकवाग्रस्त।
पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड में लाइनमैन के रूप में कार्यरत जगतर सिंह को इसके एक कार्यालय में तैनात किया गया था।
मनोचाहल में उप-कार्यालय में कार्यरत जगतार सिंह बपतिस्मा प्राप्त सिख थे और उनका किसी भी राजनीतिक या उग्रवादी संगठन से कोई संबंध नहीं था। उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था और उन्हें कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था। जगतार सिंह का विवाह जोगिंदर कौर से हुआ था और उनकी एक बेटी थी।
258 राख में तब्दील

99. क्रमांक 117/385 के अंतर्गत, सूची में मुख्तियार सिंह, पुत्र बलवंत सिंह, निवासी देव, के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो तरन तारन के सदर पुलिस स्टेशन के जोहर सिंह द्वारा एफआईआर संख्या 35/91 के तहत 12 अप्रैल 1991 को किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को 16/91 के रूप में चिह्नित किया गया है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने घटना के पुनरावलोकन के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है-
पोर्ट फॉर्म संख्या CCDP/01520. मुख्य सूचनादाता पीड़िता की मां जागीर कौर हैं।

[illegible]
1987 [illegible]
[illegible]
11 [illegible] 1991 [illegible]
[illegible] 243/386.
[illegible] 100 - 102 [illegible] 56/91 [illegible] 14 [illegible] 1991 [illegible]: [1] [illegible], [illegible]; [2] [illegible], [illegible], [illegible]; [3] [illegible], [illegible], [illegible] AK 46/91, AK 47/91 [illegible] AK 48/91 [illegible] "[illegible]" [illegible] CCDP/01513, 01479 [illegible] 01390[illegible]
[illegible], 22 [illegible]

Around November 1990, DSP Paramjit Singh Teja detained Nirvail for interroga-

निरवेल और राम देव के पास ड्राइविंग लाइसेंस थे, लेकिन 14 अप्रैल 1991 को अजीत और जगबानी ने इस घटना को मुठभेड़ के रूप में दर्ज कराया, जिसमें तीन अज्ञात आतंकवादी मारे गए थे।
14 अप्रैल 1991 को दोपहर के समय, गांव में निर्वेल सिंह के परिवार को एक संदेश प्राप्त हुआ।
सूचना मिली थी कि पुलिस ने नूर्दी गांव के पास एक कथित मुठभेड़ में निरवैल सिंह और राम देव सिंह को मार गिराया था और झब्बल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मूसे गांव के कुलवंत सिंह को थाथी खारा गांव के गुरुद्वारे से गिरफ्तार किया था। बाद में उसकी भी हत्या कर दी गई।
पुलिस ने दावा किया कि कुलवंत सिंह उसी मुठभेड़ में मारा गया था।
लेकिन उनकी मां भजन कौर के अनुसार, कुलवंत सिंह अपनी प्रार्थना पूरी कर चुके थे और गुरुद्वारे के लंगर (सामुदायिक रसोई) में भोजन कर रहे थे, तभी तरन तारन शहर पुलिस ने छापा मारा और कुलवंत सिंह को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने झूठा दावा किया कि वह निरवैल सिंह और राम देव सिंह के साथ "मुठभेड़" में मारे गए।
260 राख में तब्दील

थाथी खारा गांव में गुरुद्वारा प्रबंधन समिति का एक सदस्य, जहां
कुलवंत सिंह अपना ट्रक छोड़कर निर्वैल सिंह के घर गए और परिवार को घटना की जानकारी दी। इसके बाद निर्वैल सिंह और राम देव सिंह के परिवारवाले मिलकर तरन तारन के उस अस्पताल पहुंचे, जहां शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। पुलिस शवों को अंतिम संस्कार के लिए ले जा चुकी थी और जब वे तरन तारन के श्मशान घाट पहुंचे, तब तक चिताएं जल रही थीं।
14 अप्रैल को दोपहर करीब 2 बजे तरन तारन पुलिस कुलवंत सिंह के घर गई।
सन् 1991 में उन्होंने अपने दादा गुरमेज सिंह से अंतिम संस्कार देखने के लिए साथ आने का अनुरोध किया। लेकिन जब वे श्मशान घाट पहुंचे तब तक चिता प्रज्वलित हो चुकी थी और कुलवंत का शरीर राख में तब्दील हो चुका था।
इस घटना के बाद, राम देव सिंह की मां प्रकाश कौर कथित तौर पर...
राम सिंह के दादा ज्ञान सिंह मानसिक रूप से अस्थिर हो गए। घटना के एक साल बाद वे बिस्तर पर पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई।
103. क्रमांक 121/392 के अंतर्गत, सूची में निरंजन सिंह, पुत्र बूर सिंह, निवासी बेहला ग्राम, के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो तरन तारन नगर पुलिस स्टेशन के निरीक्षक हरबंस सिंह द्वारा 18 अप्रैल 1991 को एफआईआर संख्या 58/91 के अंतर्गत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पीएस 50/91 के रूप में चिह्नित किया गया है और मृत्यु का कारण "आग्नेयास्त्र से लगी चोटें" बताया गया है।
समिति ने घटना के पुनरावलोकन के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है-
पोर्ट फॉर्म संख्या CCDP/00378. मुख्य सूचनादाता पीड़िता की विधवा बलविंदर कौर हैं।
बूर सिंह और करतार कौर के पुत्र, 55 वर्षीय निरंजन सिंह एक
अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल के रटौल डाकघर के अंतर्गत बेहला गांव में तीन एकड़ जमीन के मालिक निरंजन सिंह एक छोटे किसान थे। उनका विवाह बलविंदर कौर से हुआ था और उनके तीन बेटे और एक बेटी थी। सबसे बड़ी बेटी रंजीत कौर अब तीस वर्ष की हो चुकी हैं। उनके दूसरे बेटे सकत्तर सिंह जून 1992 में 22

का रिकॉर्ड भी शामिल है, हालांकि उस प्रविष्टि में उनके शवदाह की वास्तविक तिथि सही ढंग से दर्ज है। सीबीआई की सूची में सुरजीत सिंह (निवासी बेहाला), सिक्कतार सिंह (निवासी बेहाला), निरंजन सिंह (निवासी बेहाला), मदन सिंह उर्फ मद्दी और करतार सिंह (निवासी बेहाला) के शवदाहों को क्रमशः क्रमांक 69/703, 70/704, 71/705, 72/706 और 73/708 के अंतर्गत आंशिक रूप से पहचाना गया है। ये सभी शवदाह 9 जून 1992 को तरन तारन शहर पुलिस स्टेशन के एसएचओ गुरबचन सिंह द्वारा एक ही एफआईआर क्रमांक 57/92 के तहत किए गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्टों को क्रमशः PS-23/92, SN-1092, SN-11/92, OPG-11/92 और OPG-22/92 के रूप में चिह्नित किया गया है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है। सीबीआई की सूची में अजीत सिंह (पुत्र मंगल सिंह, निवासी बेहला), लखविंदर सिंह (पुत्र चन्नन सिंह जाट, निवासी वारपाल) और हरभंस सिंह (पुत्र मेहर सिंह जाट, निवासी सरहल्ली) के शवों के अंतिम संस्कार की पूरी पहचान क्रमशः क्रमांक 188/707, 189/709 और 190/710 के अंतर्गत दर्ज है।
इन दाह संस्कारों का उल्लेख, पहचाने गए और आंशिक रूप से पहचाने गए सूचियों में किया गया है।
सीबीआई के पास गुरमेज सिंह के शव का कोई हिसाब नहीं है, जो उन छह ग्रामीणों में से एक था जिन्हें मानव ढाल बनने के लिए मजबूर किया गया और मार डाला गया। सीबीआई की अज्ञात शवदाह की सूची में 9 जून 1992 को किसी भी शवदाह का उल्लेख नहीं है।
104 – 105. क्रमांक 122/399 और 123/400 के अंतर्गत, सूची में तरन तारन के सदर पुलिस स्टेशन के एएसआई बी. सिंह द्वारा 2 मई 1991 को एफआईआर संख्या 44/91 के तहत किए गए दो शवदाहों का उल्लेख है। ये शव [1] बलविंदर सिंह उर्फ फौजी, पुत्र जरनैल सिंह, निवासी दयाल राजपुर; और [2] समर सिंह, पुत्र कुंदन सिंह मजहबी, निवासी थाथियां के हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जीएसडी-3/91 और जीएसडी-4/91 के रूप में चिह्नित किया गया है। मृत्यु का कारण "आग्नेयास्त्र से लगी चोटें" बताया गया है।
समिति ने बलविंदर सिंह के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है। घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01552 के माध्यम से। मुख्य सूचनादाता पीड़िता की मां गुरबचन कौर हैं।
जरनैल सिंह और गुरबचन कौर के पुत्र बलविंदर सिंह बैंक कर्मचारी थे।
दयाल राजपुर गांव, सहबाजपुर डाकघर, पट्टी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत रहने वाले बलविंदर ने मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद यूको बैंक की अमरीसर शाखा में नौकरी कर ली। अविवाहित रहते हुए ही बलविंदर का अपने गांव के एक निवासी से झगड़ा हो गया, जो हिंसक हो गया और परिणामस्वरूप उसके विरोधी की हत्या हो गई। बलविंदर को गिरफ्तार कर हत्या का दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 1989 में, बलविंदर को कुछ महीनों के लिए पैरोल पर रिहा किया गया, लेकिन उसने जेल न लौटने का फैसला किया और भूमिगत हो गया। पुलिस ने उसके घर पर छापा मारना शुरू किया और 262 लोगों को राख में बदल दिया गया।

बलविंदर के ठिकाने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उसके परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया।
जब गुरबचन कौर 1991 में अपने बेटे की गिरफ्तारी की पृष्ठभूमि बता रही थीं,

उनकी बड़ी बेटी और बेटा घर से बाहर आए और समिति के सदस्यों से पूछताछ का उद्देश्य बताने को कहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और एनएचआरसी के समक्ष चल रही कार्यवाही के बारे में सुनने के बाद, गुरबचन कौर के बचे हुए बच्चों ने कोई और जानकारी देने से इनकार कर दिया। भावुक होते हुए उन्होंने बताया कि परिवार पहले ही पुलिस के अत्याचारों का बहुत शिकार हो चुका है और शिकायत करके वे और अधिक परेशानी नहीं मोल लेना चाहते। उन्होंने बताया कि बलविंदर को फर्जी मुठभेड़ में गिरफ्तार कर मार दिया गया था, लेकिन वे कोई शिकायत नहीं करना चाहते और न ही न्याय की मांग करना चाहते हैं क्योंकि उनके अनुसार न्याय मिलना असंभव है और शिकायत करने पर पुलिस उन्हें नहीं छोड़ेगी।
106. क्रमांक 124/409 के अंतर्गत, सूची में काला सिंह, पुत्र जागीर सिंह, निवासी मोगल चक के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो तरन तारन नगर पुलिस स्टेशन के एसएचओ द्वारा 9 मई 1991 को एफआईआर क्रमांक 66/91 के तहत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को केके 99/91 के रूप में उल्लेख किया गया है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति को घटना रिपोर्ट प्रपत्र के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हुई है।
क्रमांक CCDP/01442. मुख्य सूचनादाता पीड़िता की मां मोहिंदर कौर हैं। काला सिंह उर्फ अमरीक गांव वलीपुर, डाकघर पलासौर का रहने वाला था
तरन तारन के नगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत रहने वाले काला सिंह, अपने परिवार के चार भाइयों में सबसे छोटे थे, जिनके पास मात्र तीन एकड़ कृषि भूमि थी। वे सिख धर्मग्रंथों के पाठी (औपचारिक पाठक) के रूप में अपना जीवन यापन करते थे। उनके बड़े भाइयों में से एक भारतीय सेना में थे। काला सिंह 25 वर्ष के थे, अविवाहित थे और भूमिगत उग्रवादी समूहों से जुड़े कई लोगों से परिचित थे।
9 मई 1991 को काला सिंह गांव रटौल के एक घर में पांच अन्य लोगों के साथ मौजूद थे।
जब अर्धसैनिक बलों और पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया, तब सशस्त्र भूमिगत संगठनों से जुड़े कुछ लोगों की मौत हो गई। गोलीबारी भीषण थी और कई घंटों तक चली। इस अभियान के दौरान एक पुलिस अधिकारी भी शहीद हो गया।
पुलिस ने परिवार वालों को सूचित किए बिना सभी छह शवों का अंतिम संस्कार कर दिया।
काला सिंह से जिन लोगों का अंतिम संस्कार किया गया, वे थे:
[1] Harjinder Singh Pehalwan, resident of Lopoke; [2] Mehar Singh Fauji, resident of Lopoke;
[3] जंडियाला गुरु पुलिस स्टेशन के अंतर्गत भोरसी राजपुतान के जगतार सिंह; [4] तरनतारन उपमंडल के तक्खू चक निवासी लखविंदर सिंह; और [5] तरनतारन के मुगल चक निवासी लखविंदर सिंह।
107. क्रमांक 125/418 के अंतर्गत सूची में जोगिंदर के अंतिम संस्कार का उल्लेख है।
सिंह उर्फ जिन्दा, पुत्र चंचल सिंह, निवासी मुरादपुर, की हत्या तरनतारन नगर पुलिस स्टेशन के निरीक्षक जगदीश सिंह द्वारा 25 मई 1991 को एफआईआर संख्या 74/91 के तहत की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसे एके 61/91 के रूप में दर्ज किया गया है। मृत्यु का कारण मुठभेड़ बताया गया है।

[illegible]
[illegible] CCDP/01423. [illegible] Joginder Singh, from Muradpur, Bhatha Colony [Jand Pir] in Tarn Taran city, was
[illegible] (263)

[illegible]
[illegible]
[illegible]

तक रहे। उनकी पत्नी कश्मीर कौर अपने छोटे बच्चों को बचाने के लिए छिप गईं।
पुलिस ने उनके घरेलू सामान जब्त कर लिए। जब पुलिस ने गुरभेज सिंह की हत्या की, तब जोगा सिंह अभी भी जेल में ही थे।
गुरभेज सिंह की हत्या 26 मई 1991 को एक घटना में हुई थी जिसे पुलिस एक हत्या कहती है।
“मुठभेड़”। यह घटना संगा गांव के गुरुद्वारा पातशाही में पुलिस द्वारा घेर लिए जाने और गोलीबारी करने के बाद घटी। गुरभेज सिंह और गुरुद्वारे के मुख्य पुजारी बाबा कबाल सिंह समेत चार लोग मारे गए। घटना में मारे गए अन्य दो लोगों के नाम इस प्रकार हैं: [1] बंगालीपुर के बलविंदर सिंह, जिनका नाम सीबीआई की सूची में क्रमांक 128/421 के अंतर्गत दर्ज है; और [2] कोटली नाज़िरपुर के कश्मीर सिंह, जिनका नाम सीबीआई की सूची में नहीं है।
उस समय जोगा सिंह जेल में थे। उनकी पत्नी भी छिपकर रह रही थीं और उनका छोटा भाई भी।
बेटे घटना के विवरण जानने के लिए बहुत छोटे थे। इसलिए वे 264 रिड्यूस्ड टू ऐशेज़ में शामिल नहीं हैं।

यह दावा करने की स्थिति स्पष्ट नहीं थी कि गुरभेज और उसके साथियों को पहले पकड़ा गया था और फिर मुठभेड़ में मृत दिखाया गया था या वे वास्तव में किसी वास्तविक मुठभेड़ में मारे गए थे। 27 मई 1991 को, अजीत और जगबानी ने आधिकारिक जानकारी के आधार पर इस घटना को मुठभेड़ के रूप में दर्ज कराया। परिवार ने शव को कभी नहीं देखा और पुलिस ने बिना किसी पूर्व सूचना के ही अंतिम संस्कार कर दिया।
जोगा सिंह को जेल में सूचित करना।
पंजाब पुलिस ने गुरभेज सिंह के मामा बारा सिंह, जो कि उनके बेटे थे, की भी हत्या कर दी।
एक अलग घटना में, तरन तारन उपमंडल के शेरोन के पास चंबल गांव के चन्नन सिंह को निशाना बनाया गया।
111. क्रमांक 129/426 के अंतर्गत, सूची में जोधपुर निवासी कबाल सिंह के पुत्र शिंदा के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो तरन तारन शहर पुलिस स्टेशन के एसआई राम नाथ द्वारा 30 मई 1991 को एफआईआर संख्या 78/91 के अंतर्गत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एचकेडी-13/91 के रूप में चिह्नित किया गया है और मृत्यु का कारण "मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने इस मामले के संबंध में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01629 है। मुख्य सूचनादाता पीड़ित का चाचा शमशेर सिंह है।
सीबीआई की सूची में शिंदा के रूप में पहचाने गए व्यक्ति का नाम गुरिंदर सिंह था।
गुरिंदर उर्फ गिंडा, कबाल सिंह और स्वर्ण कौर के पुत्र थे। वे अमृतसर जिले के तरन तारन सदर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जोधपुर गांव के निवासी थे।
मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद गुरिंदर ने एक वित्तीय कंपनी में क्लर्क के रूप में काम शुरू किया, लेकिन बाद में नौकरी छोड़कर किसान बन गए।
उन्होंने राजविंदर कौर से विवाह किया, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी।
गुरिंदर के पिता कबल सिंह भारतीय सेना से सेवानिवृत्त होकर पंजाब सेना में शामिल हो गए थे।

दो महीने तक चली पूछताछ के दौरान, शमशेर सिंह कई आपराधिक मामलों में आरोपी पाए गए। वे साढ़े तीन साल तक जेल में रहे और फिर अदालत ने उन्हें सभी मामलों में बरी कर दिया।
112. क्रमांक 130/452 के अंतर्गत, सूची में अमरजीत सिंह उर्फ अंबा, पुत्र कश्मीर सिंह, निवासी रणसिंहवाला के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो वाल्टोहा पुलिस स्टेशन के एसएचओ सुरिंदर सिंह द्वारा 9 जुलाई 1991 को एफआईआर संख्या 48/91 के तहत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एसएलजी- 62/91 के रूप में चिह्नित किया गया है। मृत्यु का कारण "मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने घटना के पुनरावलोकन के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है-
पोर्ट फॉर्म संख्या CCDP/01535. मुख्य सूचनादाता कश्मीर सिंह हैं, जो पीड़ित के पिता हैं।
कश्मीर सिंह और चरण कौर के पुत्र, छत्तीस वर्षीय अमरजीत सिंह एक
अमरजीत अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के वाल्टोहा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत भंगाला डाकघर वाले राम सिंह वाला गांव का निवासी एक किसान है। पांच भाइयों में सबसे बड़ा, अमरजीत अपने पिता के साथ परिवार का भरण-पोषण करने में मदद करता था। हालांकि, 1989 से उसे पुलिस से परेशानी होने लगी, क्योंकि पुलिस को उस पर सिख उग्रवादियों से संबंध होने का संदेह था। हिरासत में यातना के डर से अमरजीत घर छोड़कर उग्रवादी भूमिगत संगठन में शामिल हो गया।
परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ पुलिस की ज्यादतियां इतनी तीव्र हो गईं कि सभी
वे अपना गांव छोड़कर छिप गए। पुलिस ने अमरजीत को पकड़कर मार डालने तक परिवार को चैन नहीं लेने दिया।
वाल्टोहा पुलिस के डीएसपी सुखदेव सिंह बराड़ के नेतृत्व में अधिकारियों के एक समूह ने कब्जा कर लिया
अमरजीत को 6 जुलाई 1991 को सैदोन गांव में खुशाल सिंह के फार्महाउस से अगवा कर लिया गया था। अमरजीत, खुशाल सिंह के बेटों दर्शन सिंह और उधम सिंह के मित्र थे। अमरजीत को वाल्टोहा पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां उन्हें अगले दो दिनों तक अवैध हिरासत में रखा गया। 8 और 9 जुलाई की रात को बहादुर नगर गांव के पास पुलिस द्वारा रची गई एक फर्जी मुठभेड़ में अमरजीत मारा गया। इस मुठभेड़ की खबर कई पंजाबी अखबारों में छपी थी।
पुलिस ने शवों का अंतिम संस्कार किया। परिवार के करीबी सदस्य स्वयं भी वहीं मौजूद थे।
पुलिस से छिपने के कारण वे अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके। पुलिस ने श्मशान घाट पर आए दूर के रिश्तेदारों को भी अंतिम संस्कार में शामिल होने से रोक दिया।
113. क्रमांक 131/464 के अंतर्गत, सूची में लाभ सिंह के पुत्र बघाल सिंह, निवासी सबरा के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो तरन तारन के सदर के निरीक्षक एम. सिंह द्वारा संपन्न किया गया था। 266. राख में परिवर्तित।

16 जुलाई 1991 को पुलिस स्टेशन में एफआईआर संख्या 95/91 के तहत मामला दर्ज किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एसएम-25/91 के रूप में चिह्नित किया गया है। मृत्यु का कारण "गोली लगने से हुई चोटें" बताया गया है।
समिति ने इस मामले के संबंध में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।

घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01675 है। मुख्य सूचनादाता पीड़ित के पिता लाभ सिंह हैं।
सीबीआई की सूची में बघल सिंह के रूप में पहचाने गए व्यक्ति का सही नाम यह था:
गेहला सिंह उर्फ बघेल सिंह। लाभ सिंह और जगदीप कौर के पुत्र, 23 वर्षीय गेहला सिंह अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के पट्टी गडाई की जिले के सबरा गांव के रहने वाले थे और मोटर मैकेनिक का काम करते थे। गेहला सिंह की कार्यशाला सबरा गांव में बस स्टैंड के बगल में थी। वे अविवाहित थे। 1990 में, गेहला सिंह का संपर्क उग्रवादी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों से हुआ।
वह आंदोलन में शामिल हो गया और उनकी गतिविधियों से जुड़ने लगा। पुलिस को उसके संबंधों की जानकारी मिली और उसे गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पर छापेमारी शुरू कर दी। लेकिन गेहला सिंह पुलिस को चकमा देता रहा और घर से दूर रहने लगा।
15 जुलाई 1991 को दोपहर लगभग 3 बजे, गेहला सिंह गांव के पास राजमार्ग पर थे।
जौरा ने एक ट्रक को लिफ्ट के लिए रुकने का इशारा किया। दुर्भाग्य से, उस ट्रक में पुलिसकर्मियों का एक समूह भी सवार था। उन्होंने गेहला सिंह को पहचान लिया और तुरंत गोली मारकर उसकी हत्या कर दी।
परिवार के सदस्यों को 16 जुलाई को घटना के बारे में पता चला लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं की।
शव को लेने के लिए पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस ने शव का अंतिम संस्कार किया।
क्रमांक 114 – 115. सूची में हरिके पुलिस स्टेशन के एसएचओ द्वारा 25 जुलाई 1991 को एफआईआर क्रमांक 37/91 के अंतर्गत किए गए दो शवदाहों का उल्लेख है। ये शव हैं: [1] सुखदेव सिंह, पिता बूटा सिंह संसी, निवासी बू; और [2] स्वर्ण सिंह, पिता साधु सिंह मज़बी, निवासी चंबा। पोस्टमार्टम रिपोर्टों को एसएस-4/91 और एसएस-5/91 के रूप में चिह्नित किया गया है। मृत्यु का कारण "मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने इन मामलों के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01585 और 01620 है। मुख्य सूचनादाता सुखदेव की माता मोहिंदर कौर और सरवन के पिता साधु सिंह हैं।
सूची में गलती से स्वर्ण सिंह के रूप में वर्णित सरवन सिंह, बीसवें व्यक्ति थे।
अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल के सरहल्ली कलां पुलिस स्टेशन के अंतर्गत चंबा खुर्द निवासी साधु सिंह और सुरजीत कौर के दो वर्षीय बेटे सरवन का जन्म हुआ। वह एक मजहबी सिख था और पंजाब के किसी भी राजनीतिक या उग्रवादी आंदोलन से उसका कोई संबंध नहीं था। उसके पिता साधु सिंह पंजाब पुलिस में कांस्टेबल के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। सरवन अविवाहित था और अपने गांव में साइकिल पर मुर्गी बेचकर अपना जीवन यापन करता था।
मोहिंदर कौर और बावा सिंह के पुत्र, 28 वर्षीय सुखदेव सिंह।
सीबीआई की सूची में गलत तरीके से बूटा सिंह संसी के रूप में वर्णित फौजी, संयुक्त कटाई मशीन का संचालक था। वह अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल के हरिके डाकघर के बू गांव का रहने वाला था। सुखदेव सिखों के संसी समुदाय से था, जिसे भारतीय संविधान द्वारा अनुसूचित जाति और आर्थिक रूप से पिछड़े

समुदाय के रूप में मान्यता प्राप्त है। उसका विवाह जसवीर कौर से हुआ था और उनकी एक बेटी और एक बेटा है, जिनकी उम्र अब 13 और 11 वर्ष है। सुखदेव की मां के अनुसार, उसका किसी भी राजनीतिक या उग्रवादी संगठन से कोई संबंध नहीं था और उसे कभी गिरफ्तार या पूछताछ नहीं की गई थी। यह स्पष्ट नहीं है कि सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (267)

वह सरवन सिंह से परिचित था या नहीं।
जुलाई 1991 के अंत में एक सुबह, सरवन सिंह अपने सामान बेचने के व्यवसाय के लिए निकले।
लेकिन वह घर नहीं लौटा। कुछ दिनों बाद भी जब वह नहीं लौटा तो उसके माता- पिता घबरा गए और उन्होंने कई रिश्तेदारों से पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली।
अप्रैल 2002 में, सीसीडीपी के सदस्यों ने साधु सिंह से उनके गांव में संपर्क किया।
16 जुलाई 2002 को सीबीआई की सूची में दर्ज जानकारी के अनुसार, सरवन सिंह का पुलिस द्वारा अंतिम संस्कार किन परिस्थितियों में किया गया था, इस बारे में जानकारी मिलने पर साधु सिंह और उनके परिवार के सदस्य पहले तो स्तब्ध रह गए और सरवन सिंह के अंतिम संस्कार के बारे में हमारी जानकारी के स्रोत का पता लगाने में काफी समय व्यतीत किया। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेशित सीबीआई जांच के बारे में नहीं सुना था और उन्हें एनएचआरसी के समक्ष चल रही कार्यवाही के बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी। इन घटनाक्रमों की जानकारी मिलने पर साधु सिंह और उनके परिवार के सदस्य फूट-फूट कर रोने लगे। साधु सिंह की पत्नी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके बेटे की हत्या कर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। साधु सिंह के अनुसार, जुलाई 1991 में उनके बेटे के लापता होने के बाद उन्होंने अमृतसर के कई ज्योतिषियों और भविष्यवक्ताओं से उसके भविष्य के बारे में परामर्श लिया था और सभी ने आश्वासन दिया था कि वह जीवित है। उन्होंने इन भविष्यवाणियों की पुष्टि के लिए एक प्रसिद्ध ज्योतिषी को 300 रुपये दिए थे।
अंत में, साधु यह मानने को तैयार हो गया कि पुलिस ने ही हत्या की होगी और पुलिस ने सरवन सिंह का अंतिम संस्कार तो कर दिया, लेकिन कोई जानकारी नहीं दे पाई। उनकी पत्नी सुरजीत कौर जानना चाहती थीं कि पुलिस ने उन्हें सूचित क्यों नहीं किया।
साधु सिंह और उनकी पत्नी, सरवन सिंह और अन्य सदस्यों के अनुसार
परिवार का पंजाब में किसी भी राजनीतिक या उग्रवादी आंदोलन से कोई संबंध नहीं था।
सुखदेव की मां के अनुसार, उनका बेटा अपनी पत्नी जसवीर कौर के साथ,
जब वह अपनी मौसी हरबंस कौर, जो मोहिंदर सिंह की पत्नी हैं, से मिलने किर्तोवाल गांव गया था, तभी हरिके पुलिस स्टेशन के एसएचओ के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों के एक दल ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसकी गिरफ्तारी हरबंस कौर और गांव के अन्य निवासियों की मौजूदगी में हुई। परिवार उसे इस गैरकानूनी गिरफ्तारी से बचाने के लिए कुछ खास नहीं कर सका।
26 सितंबर 1991 को पंजाबी अखबारों ने उनकी हत्या के बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित की।
सरवन सिंह के साथ मुठभेड़ में मारे गए। परिवार को अंतिम संस्कार के बारे में सूचित नहीं किया गया और वे अस्थियां भी नहीं ले पाए।

116. क्रमांक 135/492 के अंतर्गत, सूची में हरिके पुलिस स्टेशन के एसएचओ गुरनाम सिंह द्वारा 7 अगस्त 1991 को एफआईआर संख्या 38/91 के तहत किए गए सुरजीत सिंह के पुत्र संतोक सिंह के अंतिम संस्कार का उल्लेख है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ओपीजी 10/91 के रूप में चिह्नित किया गया है।
मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने इस मामले के संबंध में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01699 है। मुख्य सूचनादाता पीड़ित का बहनोई मलकीत सिंह प्रधान है।
Twenty-five-year-old Santokh Singh, son of Surjit Singh and Swaran Kaur, resi-
अमृतसर जिले के बाबा बकाला उपमंडल के खलचियां पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले जसपाल गांव के निवासी संतोख पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड के कर्मचारी थे और बुटारी स्थित उपमंडल कार्यालय में तैनात थे। संतोख का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन फरवरी 1989 में उनके बड़े भाई गुरभेज सिंह को जालंधर जिले के आदमपुर के पास एक फर्जी मुठभेड़ में गिरफ्तार कर मार दिया गया था। संतोख विवाहित थे और उनका एक बेटा गगनदीप था, जो अब 12 साल का है। उनकी विधवा अपने माता-पिता के पास वापस चली गई हैं और उन्होंने दोबारा शादी कर ली है।
268 राख में तब्दील

31 जुलाई 1991 को शाम लगभग 6 बजे, संतोख काम से घर लौटा। दो घंटे
बाद में, तरन तारन के सदर पुलिस स्टेशन के एसएचओ मेजर सिंह के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों के एक बड़े दल ने उनके घर पर छापा मारा और उन्हें हिरासत में ले लिया। परिवार के सभी सदस्य घर पर मौजूद थे और जब पुलिस अधिकारी उन्हें ले जा रहे थे तो वे रोने लगे। एसएचओ मेजर सिंह ने उनसे चिंता न करने को कहा और अगली सुबह पुलिस स्टेशन आने को कहा। उन्होंने बताया कि पुलिस को संतोख से पूछताछ करनी है और कुछ दिनों बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। अगली सुबह, स्वर्ण कौर, ग्राम परिषद के सदस्यों के साथ
और उसके कुछ रिश्तेदार सदर पुलिस स्टेशन गए और एसएचओ से मिले। एसएचओ ने कुछ दिनों बाद पूछताछ के बाद संतोख को रिहा करने का अपना वादा दोहराया। अगले कुछ दिनों में, उसने एसपी (ऑपरेशन) खूबी राम और एसएसपी नरिंदर पाल सिंह से भी मुलाकात की और उनसे अपने बेटे की जान बचाने के लिए हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। उन्होंने उसकी गुहार सुनी लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं दिया।
एसएचओ मेजर सिंह ने जल्द ही स्वर्ण कौर से मिलने से इनकार कर दिया, जिन्होंने अपने प्रयास जारी रखे।
अपने बेटे का पता लगाने में असफल रहने पर स्वर्ण कौर को यकीन हो गया कि उसका बेटा जीवित नहीं हो सकता। लेकिन उसे ठीक से पता नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ।
1995 में, स्वर्ण कौर ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की।
उन्होंने स्वतंत्र जांच की मांग की। उच्च न्यायालय ने सीबीआई को उनकी शिकायत की जांच करने का आदेश दिया। जांच और उसके निष्कर्षों के आधार पर एसएचओ मेजर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मुकदमा अभी जारी है।

117. क्रमांक 136/495 के अंतर्गत, सूची में बिक्रम सिंह उर्फ चतर सिंह, पुत्र सेवा सिंह जाट, निवासी देव के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो तरन तारन के सदर पुलिस स्टेशन के जोहर सिंह द्वारा 19 अगस्त 1991 को एफआईआर संख्या 107/91 के तहत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्रमांक एसके 1/91 है। मृत्यु का कारण "आग्नेयास्त्र से लगी चोटें" बताया गया है। समिति ने घटना रिपोर्ट के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की है। प्रपत्र संख्या CCDP/01477. मुख्य सूचनादाता पीड़ित का भाई दविंदर सिंह है।
बिकर सिंह उर्फ बिक्रम (18) ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ऑटोमोबाइल मैकेनिक का काम शुरू किया।
मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद, उन्होंने बाथ गांव के बस स्टैंड के पास अपनी खुद की कार्यशाला स्थापित की। 1990 में, खन्ना पुलिस ने उन्हें आतंकवादियों की सहायता करने के आरोप में गिरफ्तार कर नाभा की उच्च सुरक्षा वाली जेल में भेज दिया। कुछ समय बाद, बिक्कर सिंह को जमानत पर रिहा कर दिया गया और वे दो बार अदालती सुनवाई में उपस्थित हुए।
अगस्त 1991 की शुरुआत में, तरन तारन पुलिस स्टेशन के एसएचओ मेजर सिंह ने सेवा पर छापा मारा।
पुलिस बिकर सिंह को गिरफ्तार करने के इरादे से सिंह के घर पर गई। बिकर सिंह घर पर नहीं थे, इसलिए पुलिस ने उनके बड़े भाई दविंदर सिंह को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने चार दिन बाद दविंदर सिंह को इस शर्त पर रिहा कर दिया कि उनके पिता बिकर सिंह को पुलिस स्टेशन में पेश करेंगे।
ऐसा प्रतीत होता है कि बिकर सिंह को इसके तुरंत बाद तरन तारन शहर से गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन
एसएचओ मेजर सिंह ने इस बात से इनकार किया और उनकी गिरफ्तारी और पूछताछ की परिस्थितियों का पता नहीं लगाया जा सका।
19 अगस्त 1991 को पंजाबी अखबारों ने बिक्रम सिंह की हत्या की खबर प्रकाशित की।
तरसेम सिंह लाडी और बलदेव सिंह की कथित मुठभेड़ में मौत हो गई थी, जो कि देवू गांव में ही घटी थी। पुलिस ने शवों की पहचान उनके परिजनों से करवाई। सेवा सिंह ने बिक्कर सिंह की पहचान की। हालांकि, पुलिस ने शवों को परिजनों को नहीं सौंपा और खुद ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (269)

यह स्पष्ट नहीं है कि इसी घटना में मारे गए अन्य दो लोगों के नाम क्यों दर्ज किए गए हैं।
सीबीआई की आंशिक रूप से पहचाने गए शवों की सूची में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल हैं: [1] तरसेम सिंह उर्फ लाधी, क्रमांक 43/496 के अंतर्गत। वह सरहल्ली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत थथा गांव का निवासी था। लेकिन सूची में उसे खालरा का निवासी बताया गया है। उसके पिता का नाम निर्मल सिंह है, जो सूची में नहीं दिया गया है। [2] दूसरे व्यक्ति का नाम बलदेव सिंह है, जो जंडियाला गुरु पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मेहरबानपुरा गांव का निवासी है। उसका नाम क्रमांक 44/497 के अंतर्गत दिया गया है। दोनों का अंतिम संस्कार जोहर सिंह ने एक ही एफआईआर क्रमांक 107/91 के अंतर्गत किया था। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट एसके-2/91 और एसके-3/91 के रूप में दर्ज हैं। मृत्यु का कारण "आग्नेयास्त्र से लगी चोटें" है।

118. क्रमांक 137/521 के अंतर्गत, सूची में बीरा सिंह, पुत्र शंकर संसी, निवासी रसूलपुरा के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो पट्टी पुलिस स्टेशन के एसएचओ राम नाथ द्वारा 18 सितंबर 1991 को एफआईआर क्रमांक 134/91 के तहत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट "उपलब्ध नहीं" बताई गई है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने घटना रिपोर्ट के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की है। प्रपत्र संख्या CCDP/01533. मुख्य सूचनादाता पीड़िता की विधवा कलाश कौर हैं।
Forty-year-old Beera Singh, son of Shankar Singh and Harbans Kaur, was a Sansi
अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के वाल्टोहा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत भंगाला डाकघर वाले रसूलपुर गांव के निवासी सिख। वे निर्माण मजदूर के रूप में अपना जीवन यापन करते थे और कलाश कौर से विवाहित थे। उनके चार बेटे और एक बेटी थी। सबसे बड़ा बेटा, मेवा सिंह, अब लगभग 25 वर्ष का है और सबसे छोटी बेटी किशोरी है।
पुलिस ने पहले भी कई बार बीरा सिंह को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की थी। पुलिस को शक था कि वह चोरी और अन्य छोटे-मोटे अपराधों में शामिल था, इसलिए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। 1989 में, बीरा सिंह ने सिख धर्म अपनाने का फैसला किया। वह संसी समुदाय से था, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश [संशोधन] अधिनियम, 1976 द्वारा मान्यता प्राप्त सिख अनुसूचित जातियों में से एक है। पुलिस को उसके रूढ़िवादी सिख धर्म अपनाने पर शक हुआ और उन्होंने यह पता लगाने के लिए उसे बार-बार गिरफ्तार करना और प्रताड़ित करना शुरू कर दिया कि क्या उसके उग्रवादियों से कोई संबंध थे। बार-बार गिरफ्तारी और हिरासत में उत्पीड़न से तंग आकर, बीरा सिंह ने अपना घर छोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने उसके परिवार के सदस्यों को परेशान करना शुरू कर दिया, उन्हें बार-बार उठाकर प्रताड़ित किया। जुलाई 1991 में, वाल्टोहा पुलिस स्टेशन के एसएचओ सुरिंदर सिंह ने बीरा सिंह के भाई शिंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया और उसे लापता कर दिया।
बीरा सिंह को डीएसपी सुखदेव ने 17 सितंबर 1991 को गांव टूट से गिरफ्तार किया था।
सिंह बरार और पट्टी पुलिस स्टेशन के एसएचओ राम नाथ। हालांकि यह गांव वाल्टोहा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है, फिर भी बीरा सिंह को पट्टी पुलिस स्टेशन ले जाया गया और यातना देकर उससे पूछताछ की गई। उसी दिन पुलिस ने उसे मुठभेड़ में मार गिराया। जब परिवार के सदस्य अंतिम संस्कार के लिए श्मशान घाट पहुंचे, तो पुलिस ने उन्हें पीट-पीटकर वहां से तितर-बितर कर दिया।
119. क्रमांक 139/538 के अंतर्गत, सूची में कलसियां निवासी सुचा सिंह जाट के पुत्र बंता सिंह के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो 3 अक्टूबर 1991 को वाल्टोहा पुलिस स्टेशन के एसएचओ सुरिंदर सिंह द्वारा एफआईआर क्रमांक 63/91 के तहत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एसएलजी 99/91 के रूप में चिह्नित किया गया है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है। समिति को इस मामले के बारे में निम्नलिखित जानकारी अपने 270 'रिड्यूस्ड टू ऐशेज' के माध्यम से प्राप्त हुई है।

घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01565. मुख्य सूचनादाता पीड़ित का भाई गुरनाम सिंह कविशर है।
सुचा सिंह और निरंजन कौर के पुत्र, चालीस वर्षीय बंता सिंह एक किसान थे। अमितसर जिले के पट्टी उपमंडल के भीखीविंड पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पट्टी जेठू की जिले के कलसियां कलां गांव से। तीन भाइयों में सबसे बड़े बंता सिंह अविवाहित थे।
बपतिस्मा प्राप्त सिख बंता सिंह को अक्सर गिरफ्तार किया जाता था और उनसे पूछताछ की जाती थी।
पुलिस के इस संदेह के आधार पर कि उसके आतंकवादियों से संबंध थे, उसे भीषण यातनाएं दी गईं। उसके भाई गुरनाम के अनुसार, बंता सिंह इन अत्याचारों को सहन नहीं कर सका और 1989 में घर छोड़कर आतंकवादियों के समूह में शामिल हो गया।
बंता सिंह की पुलिस के साथ कथित मुठभेड़ में मौत हो गई थी।
3 अक्टूबर 1991 को अखबारों में छपी इस घटना के बाद गुरनाम सिंह और परिवार के अन्य सदस्य यह पता नहीं लगा पाए कि मुठभेड़ की रिपोर्ट असली थी या नकली। क्रमांक 120-122 के अंतर्गत, सूची में 24 अक्टूबर 1991 को सिरहाली पुलिस स्टेशन के एसएचओ द्वारा एफआईआर संख्या 113/91 के तहत किए गए तीन शवदाह का उल्लेख है। ये शवदाह निम्नलिखित व्यक्तियों के हैं: [1] मंगल सिंह उर्फ मंगा, पिता जग्गा सिंह, निवासी फतेहगढ़ चुरियन; [2] चरण सिंह उर्फ चना, पिता करतार सिंह, निवासी पट्टी; और [3] जसविंदर सिंह, पिता चरण सिंह, निवासी जोहल राजू सिंह। पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपलब्ध नहीं हैं। मृत्यु का कारण पुलिस मुठभेड़ बताया गया है।
समिति ने जसविंदर सिंह के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है। इस मामले की घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01516 के माध्यम से दर्ज की गई है। मुख्य सूचनादाता गुरचरण सिंह हैं, जो पीड़ित के पिता का असली नाम है, जिसे सीबीआई की सूची में चरण सिंह के रूप में संक्षिप्त किया गया है। बीस वर्षीय जसविंदर सिंह, गुरचरण सिंह और नरिंदर कौर का बेटा,
वह दूध विक्रेता थे और तरन तारन नगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत वारे वाले जिले के जोहल राजू सिंह गांव के निवासी थे। उनका विवाह अमरजीत कौर से हुआ था और उनका एक बेटा जरनैल सिंह था।
जसविंदर एक बपतिस्मा प्राप्त सिख थे और धार्मिक और राजनीतिक समारोहों में भाग लेते थे।
उनके इलाके में विभिन्न सिख समूहों द्वारा आयोजित प्रदर्शनों के कारण जसविंदर छिप गए। पुलिस ने 1989 के मध्य से उनके घर पर छापेमारी शुरू कर दी। जसविंदर को यातनाओं का डर सताने लगा और वे भूमिगत हो गए। इसके बाद पुलिस ने उनके परिवार को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, खासकर उनकी पत्नी समेत महिलाओं को हिरासत में यातनाएं दीं। पुलिस जसविंदर को पूछताछ के लिए पेश करना चाहती थी, लेकिन वे ऐसा करने में असमर्थ रहे क्योंकि उन्हें उनके ठिकाने की कोई जानकारी नहीं थी।
26 अक्टूबर 1991 को, कई पंजाबी समाचार पत्रों ने एक घटना के बारे में एक कहानी प्रकाशित की।
दरगापुर थथियां गांव के पास हुई मुठभेड़ में जसविंदर सिंह जज और उनके दो साथियों के मारे जाने की खबर है। हालांकि, परिवार को आधिकारिक पुष्टि नहीं मिली और पुलिस ने उनके घर पर छापेमारी जारी रखी और परिवार के सदस्यों को पूछताछ और यातना के लिए अवैध रूप से हिरासत में रखा।

फिर 18 नवंबर 1992 को पंजाब के समाचार पत्रों में हत्या की खबर छपी। फरीदकोट जिले के मुक्तसर उपमंडल के खुंदे हलाल गांव के पास पुलिस मुठभेड़ में जसविंदर सिंह जज मारा गया। अखबारों की खबरों के अनुसार, जसविंदर के तीन अन्य साथी भी इसी मुठभेड़ में मारे गए। उनके नाम निशान सिंह खापरखेरी, वरपाल गांव का सत्ता और चोला साहिब पुलिस स्टेशन के अंतर्गत घरका चंबा गांव का एक अन्य व्यक्ति थे।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (271)

परिवार के सदस्यों को समझ नहीं आ रहा कि किस रिपोर्ट पर विश्वास करें। उन्होंने न तो देखा और न ही देखा।
जसविंदर का शव अंतिम संस्कार में उपस्थित नहीं था।
123. क्रमांक 143/568 के अंतर्गत, सूची में साहिब सिंह, पुत्र मोहिंदर सिंह, निवासी दासुवाल के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो वाल्टोहा पुलिस स्टेशन के एसएचओ सुरिंदर सिंह द्वारा 4 नवंबर 1991 को एफआईआर क्रमांक 76/91 के तहत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एसएलजी 107/91 के रूप में चिह्नित किया गया है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है। समिति को इस मामले के संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हुई है। घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01523। मुख्य सूचनादाता पीड़ित के पिता मोहिंदर सिंह हैं।
मोहिंदर सिंह और पियार कौर के पुत्र, बाईस वर्षीय साहिब सिंह एक
अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के वाल्तोहा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मानेके दासुवाल डाकघर के निवासी मज़हबी सिख साहिब सिंह चार भाइयों में सबसे बड़े थे और निरक्षर थे। उनका विवाह रंजीत कौर से हुआ था और उनकी दो बेटियाँ थीं।
वे खेतिहर मजदूर के रूप में काम करके अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे। उनका कोई राजनीतिक संबंध नहीं था और उन्हें कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था। साहिब सिंह के पिता मोहिंदर सिंह ग्राम चौकीदार थे।
3 नवंबर 1991 को रात करीब 8 बजे साहिब सिंह शौच करने के लिए खेतों में गए। उस शाम, एसएचओ सुरिंदर सिंह के नेतृत्व में वाल्टोहा पुलिस गांव में घर-घर तलाशी ले रही थी। कुछ देर बाद, कुछ ग्रामीणों ने आकर परिवार को बताया कि पुलिस साहिब सिंह को गिरफ्तार करके ले गई है। परिवार ने ग्राम प्रधान और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सूचित किया और अगली सुबह वाल्टोहा पुलिस स्टेशन गए यह जानने के लिए कि पुलिस ने साहिब सिंह को क्यों गिरफ्तार किया है। वे एसएचओ से नहीं मिल सके, लेकिन उन्हें बताया गया कि वह पिछली रात एक मुठभेड़ में मारे गए एक आतंकवादी के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले गए हैं। जब तक मोहिंदर सिंह और उनके परिवार के अन्य सदस्य पट्टी पहुंचे, तब तक पुलिस शव का अंतिम संस्कार कर चुकी थी।
मोहिंदर सिंह कुछ भी करने में असमर्थ थे। उन्होंने अपने बेटे की अस्थियां एकत्र कीं।
अगले दिन श्मशान घाट के एक कर्मचारी की मदद से।
124. क्रमांक 145/576 के अंतर्गत, सूची में स्वर्ण सिंह, पुत्र ज्ञान सिंह, निवासी रतूल के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो तरन तारन नगर पुलिस स्टेशन के एसएचओ गुलजार चंद द्वारा 21 नवंबर 1991 को किया गया था।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बीएसके 46/91 के रूप में चिह्नित किया गया है।
मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।

समिति ने घटना के पुनरावलोकन के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है-
पोर्ट फॉर्म संख्या CCDP/01519. मुख्य सूचनादाता पीड़ित के पिता ज्ञान सिंह हैं।
ज्ञान सिंह और भजन कौर के पुत्र तीस वर्षीय स्वर्ण सिंह एक बढ़ई थे।
तरन तारन नगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जयचंदियां दी पट्टी के रताउल गांव के निवासी। चार भाइयों में सबसे बड़े, उनका विवाह स्वर्ण कौर से हुआ था और उनके दो बेटे और एक बेटी हैं, जो अब सभी किशोर हैं। वे बपतिस्मा प्राप्त सिख थे और किसी भी राजनीतिक, उग्रवादी या धार्मिक संगठन से उनका कोई संबंध नहीं था। पुलिस ने उन्हें कभी गिरफ्तार या पूछताछ नहीं की थी। उनके मामा सुरजीत सिंह दिल्ली पुलिस में डीएसपी थे।
नवंबर 1991 में एक दिन, स्वर्ण सिंह काम पर गए लेकिन घर नहीं लौटे। परिवार के सदस्य चिंतित हो गए और विभिन्न पुलिस स्टेशनों में उसकी तलाश करने लगे, 272 लोग राख में तब्दील हो गए।

कई अधिकारियों से बात की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दिल्ली पुलिस से स्वर्ण सिंह के चाचा पूछताछ करने आए और कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मिले। वे भी स्वर्ण सिंह का पता लगाने या कोई जानकारी जुटाने में असमर्थ रहे। कुछ हफ्तों बाद, परिवार को अफवाहें सुनने को मिलीं कि तरन तारन पुलिस ने स्वर्ण सिंह का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी है। हालांकि, पुलिस की ओर से कोई पुष्टि या अनौपचारिक स्वीकारोक्ति न होने के कारण, परिवार इस बारे में कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ। परिवार को संदेह है कि 23 नवंबर 1991 को अजीत द्वारा प्रकाशित एक समाचार रिपोर्ट, जिसमें तरन तारन पुलिस जिले के कोटली गांव के पास पुलिस मुठभेड़ में एक अज्ञात आतंकवादी के मारे जाने की बात कही गई है, शायद वास्तव में स्वर्ण सिंह के बारे में ही है।
125. क्रमांक 146/579 के अंतर्गत, सूची में तलवंडी सुभा सिंह निवासी दलीप सिंह जाट के पुत्र नथा सिंह के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो एसएचओ पूरन सिंह द्वारा 25 नवंबर 1991 को किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्रमांक एसएस 50/91 है। यह मामला हरिके पुलिस स्टेशन में एफआईआर संख्या 68/91 के अंतर्गत दर्ज किया गया था और मृत्यु का कारण "मुठभेड़" बताया गया है। समिति को घटना रिपोर्ट प्रपत्र के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हुई है।
क्रमांक CCDP/01366. मुख्य सूचनादाता पीड़ित का भाई फतेह सिंह है। नत्था सिंह, तलवंडी सुभा सिंह, डाकघर घरियाला, पट्टी पुलिस के अधीन अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल में रहने वाला नथा सिंह एक 21 वर्षीय अविवाहित किसान था। उसके पिता दलीप सिंह का 1988 में निधन हो गया था। नथा सिंह अपने खेतों की देखभाल करने के लिए फार्महाउस में रहने लगा, लेकिन पुलिस को उस पर आतंकवादियों को पनाह देने और उन्हें खाना खिलाने का संदेह हुआ। पिता की मृत्यु के तुरंत बाद उसे इसी आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और डेढ़ साल तक अमृतसर जेल में रखा गया। जमानत पर रिहा होने के बाद भी पुलिस द्वारा उत्पीड़न जारी रहने पर नथा सिंह फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने उसके रिश्तेदारों, विशेषकर उसके भाइयों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। नथा सिंह को गिरफ्तार करवाने के लिए उन्हें नियमित रूप से प्रताड़ित और दबाव डाला जाता था।

24 नवंबर 1991 को, सुबह लगभग 8 बजे, नथा सिंह और उनके मित्र सतनाम सिंह, s/जांद गांव के बाबा करनैल सिंह और सतनाम सिंह साइकिल से पंगोटा गांव जा रहे थे, जहां नथा सिंह की चचेरी बहन भजन कौर रहती थी। गांव में प्रवेश करते ही, हरिके पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मियों के एक दल ने तीन वाहनों में उन्हें घेर लिया, जिनका नेतृत्व एसएचओ पूरन सिंह कर रहे थे। पुलिस ने दोनों लड़कों को हिरासत में ले लिया और पुलिस वाहनों में बैठकर चली गई। भजन कौर के पति पशौरा सिंह ने तलवंडी सुभा सिंह को गिरफ्तारी की सूचना भेजी। हालांकि, उसी रात, सरगाना गांव के पास एक फर्जी मुठभेड़ में नथा सिंह और सतनाम सिंह दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। अखबारों में नथा सिंह का नाम छपा, लेकिन सतनाम सिंह को अज्ञात आतंकवादी घोषित कर दिया गया। पुलिस ने 25 नवंबर 1991 को परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में पट्टी में शवों का अंतिम संस्कार किया। लेकिन सतनाम सिंह के अंतिम संस्कार को आंशिक रूप से पहचाने गए शवों की सूची में क्रमांक 56/580 के तहत दर्ज किया गया है। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट एसएस-51/91 के रूप में अंकित है।
126. सीबीआई की सूची, क्रमांक 147/582 के अंतर्गत, अलाउद्दीनपुर निवासी दिलीप सिंह के पुत्र निर्बेल सिंह के अंतिम संस्कार को सिरहाली पुलिस स्टेशन के एसएचओ मेजर सिंह द्वारा 28 नवंबर, 1991 को एफआईआर क्रमांक 124/91 के तहत संपन्न किया गया बताया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्रमांक पीएस 83/91 है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है। सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (273)

समिति ने इस मामले के संबंध में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01379 है। मुख्य सूचनादाता पीड़ित के पिता दलीप सिंह हैं।
तरन तारन के सदर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले अलादीनपुर निवासी निर्वेल सिंह 35 वर्ष के थे।
17 वर्षीय किसान, जिनका विवाह अमरिक कौर से हुआ था और उनके दो बेटे थे, जिनकी उम्र अब 17 और 16 वर्ष है। कुछ वर्षों से वे अपनी पत्नी के पैतृक गांव दरगापुर में रह रहे थे, जो सरहल्ली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है, क्योंकि उनके ससुर का देहांत हो गया था और वे अपने पीछे एक छोटा बेटा छोड़ गए थे। उन्हें अपनी कृषि भूमि की देखभाल के लिए सहायता की आवश्यकता थी। निर्वेल सिंह के पास दो ट्रक भी थे और उनकी आय अच्छी खासी थी। उनका किसी भी राजनीतिक या उग्रवादी संगठन से कोई संबंध नहीं था और उन्हें कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था।
27 नवंबर 1991 को सुबह लगभग 5 बजे, निर्वेल सिंह अपने खेतों में शौच करने गए।
वह स्वयं ही इस घटना में फंस गया। उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने गांव को घेर लिया था और घर-घर तलाशी अभियान चल रहा था। सुरक्षा बलों ने संभवतः उसे आतंकवादी समझ लिया और बिना किसी चेतावनी के निर्वेल सिंह पर गोली चला दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस उसका शव ले गई और उसके परिवार को कई घंटों बाद तक इस घटना के बारे में पता नहीं चला।
निर्वेल सिंह के पिता दिलीप सिंह को अपने बेटे की हत्या के बारे में उसी शाम देर से पता चला।

और 28 नवंबर की सुबह तड़के सरहल्ली पुलिस स्टेशन के एसएचओ मेजर सिंह से मुलाकात की। एसएचओ मेजर सिंह ने निरवेल सिंह की हत्या पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने परिवार के सदस्यों को अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। पुलिस शव को लेकर आई और चिता की व्यवस्था की, जिसके बाद परिवार के सदस्य धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार कर सके। हालाँकि, 28 नवंबर 1991 को दैनिक अजीत ने निर्वेल का वर्णन करते हुए एक रिपोर्ट प्रकाशित की।
सिंह को दरगापुर गांव के पास पुलिस के साथ "मुठभेड़" में मारा गया एक आतंकवादी बताया गया है।
127. क्रमांक 148/585 के अंतर्गत, सूची में पूर्व कांस्टेबल रणजीत सिंह क्रमांक 3293/टीटी, पुत्र मूरा सिंह, निवासी डोडेय के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो पट्टी पुलिस स्टेशन के एसएचओ राम नाथ द्वारा 1 दिसंबर 1991 को एफआईआर क्रमांक 168/91 के तहत संपन्न किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एसएलजी 112/91 के रूप में चिह्नित किया गया है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने घटना के पुनरावलोकन के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है-
पोर्ट फॉर्म संख्या CCDP/01538। मुख्य सूचनादाता पीड़ित के पिता गुरन सिंह फौजी हैं, जो रंजीत के पिता का वास्तविक नाम है जिसे सीबीआई की सूची में गलती से मूरा सिंह के रूप में दर्ज किया गया है।
गुरन सिंह और दलीप कौर के पुत्र चौबीस वर्षीय रणजीत सिंह एक
अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के खालरा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत डोडे [सोधियां] गांव के निवासी मज़हबी सिख रणजीत चार भाइयों में सबसे छोटे थे और माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद, अपने बड़े भाई की तरह, उन्होंने पंजाब पुलिस में भर्ती हो गए। वे अविवाहित थे और उनका कोई राजनीतिक संबंध नहीं था।
1990 के दशक की शुरुआत में, पंजाब में विभिन्न आतंकवादी समूहों ने परिवार के सदस्यों को निशाना बनाना शुरू कर दिया।
पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमलों का आरोप लगाते हुए, रणजीत ने पंजाब पुलिस के सभी अधिकारियों को चेतावनी दी कि वे या तो नौकरी छोड़ दें या परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। अपने परिवार को मुसीबत में डालने की चिंता में, रणजीत ने नवंबर 1991 में ड्यूटी पर आना बंद कर दिया।
नवंबर 1991 के आखिरी सप्ताह में एक दिन, रणजीत अपने दोस्त लखबीर के साथ डोडे गांव के तारा सिंह के पुत्र सिंह फौजी और उनके भाई निर्वेल सिंह पट्टी जा रहे थे। तीनों एक ही स्कूटर पर सवार थे। वे 274 की संख्या में जलकर राख हो गए।

पट्टी कस्बे के मुख्य चौराहे के पास स्थापित पुलिस चौकी पर उन्हें रोका गया और उनकी पहचान और पते के बारे में अलग-अलग पूछताछ की गई। निर्वेल सिंह को जाने दिया गया। हालांकि, पुलिस ने रंजीत और लखबीर को हिरासत में ले लिया।
अपने गांव लौटकर, निर्वेल सिंह ने अपने माता-पिता और गांव के अन्य बुजुर्गों को यह बात बताई।
अपने भाई और दोस्त की गिरफ्तारी के बारे में परिवार के सदस्यों ने कई पुलिस थानों में उनकी तलाश की और डीएसपी पट्टी और डीएसपी भीखीविंड से भी

[illegible]
[illegible]
1 [illegible] 1991 [illegible] 168/91 [illegible]-113/91 [illegible] [illegible] 128 – 131. [illegible] 149/586, 150/587, 151/588 [illegible] 152/589 [illegible] 3 [illegible] 1991 [illegible] 160/91 [illegible]: [1] [illegible], [illegible]; [2] [illegible], [illegible]; [3] [illegible], [illegible]; [illegible] [4] [illegible], [illegible] KK/SSM 31/91, KK/SSM 32/91, KK/SSM 33/91 [illegible] KK/SSM 34/91 [illegible] [illegible] CCDP/01080 [illegible] 268 [illegible]

उन्होंने प्रादेशिक सेना में भर्ती होकर जालंधर में 112 वीं बटालियन में तैनाती प्राप्त की। उनकी तैनाती के तहत उन्हें साल में केवल दो महीने ही सक्रिय ड्यूटी पर रहना होता था; बाकी का समय वे अपने जीवन के अन्य समय में व्यतीत करते थे।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (275)

घर-परिवार संभालने में समय बिताने के कारण जसबीर ने स्वर्ण मंदिर पर सेना के हमले के तुरंत बाद "अमृतधारी सिख" का रूप धारण कर लिया। उन्होंने अमृतसर में आयोजित धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में भी भाग लिया, हालांकि उन्होंने किसी भी राजनीतिक दल में कोई पद नहीं संभाला और न ही किसी कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया। जसबीर इन कार्यक्रमों और प्रार्थना के लिए अक्सर स्वर्ण मंदिर जाया करते थे। मार्च 1986 में, जब पुलिस ने दोबारा मंदिर में प्रवेश किया, तो जसबीर वहां मौजूद थे। पुलिस ने उन्हें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 107 और 151 के तहत गिरफ्तार कर अमृतसर जेल भेज दिया। 13 से 14 दिनों के बाद, जसबीर जमानत पर रिहा हो गए और अपनी सामान्य दिनचर्या में लौट आए। 1980 के दशक के अंत में आठ साल की सेवा के बाद जसबीर सिंह को सेवामुक्त कर दिया गया।

जसबीर अपने भाई हरभजन सिंह को उनकी ज़मीन पर खेती करने में मदद करता था। अतिरिक्त आय के लिए

अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए, वह दूसरों की ज़मीन पर भी काम करता था, जिसके परिणामस्वरूप वह कई दिनों तक पड़ोसी गांवों में रहता था।

नवंबर 1991 के आखिरी सप्ताह में जसबीर सिंह किसी की ज़मीन पर काम करने के लिए निकल गया।

अपने ट्रैक्टर के साथ जसबीर सिंह घर लौट रहे थे। कई दिनों तक घर न लौटने पर उनका परिवार चिंतित हो गया। परिवार को आशंका थी कि पुलिस ने जसबीर सिंह को हिरासत में ले लिया है, क्योंकि उस समय पुलिस का आतंक का माहौल था। हालांकि, उन्हें पता नहीं था कि जसबीर कहां हो सकते हैं, और उनके बड़े भाई की आंखों की सर्जरी के कारण वे बिस्तर पर थे, इसलिए परिवार जसबीर की तलाश नहीं कर सका।

दिसंबर 1991 के पहले या दूसरे सप्ताह में, एक विज्ञापन प्रकाशित हुआ।

पंजाबी दैनिक अजीत ने कोटली गांव में पुलिस द्वारा मारे गए चार युवकों के भोग (अंतिम संस्कार) में शामिल होने के लिए ग्रामीणों से अपील की।
विज्ञापन में जसबीर सिंह की तस्वीर के साथ पुलिस द्वारा मारे गए तीन अन्य लोगों की भी तस्वीर थी। हालांकि, उनका नाम गलत तरीके से गुरनिधान सिंह फौजी, निवासी कोट मित सिंह के रूप में दर्ज किया गया था।

इस विज्ञापन के आधार पर जसबीर सिंह की मां ने कोटली गांव का दौरा किया।

लेकिन उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई। उन्हें पता चला कि 3 दिसंबर 1991 की सुबह तड़के, तरन तारन पुलिस ने कोटली गांव को घेर लिया। उन्होंने गांव के सभी पुरुषों को एक खुले मैदान में इकट्ठा कर लिया। ग्रामीणों ने गांव के दूसरी तरफ से गोलियों की आवाज सुनी। पुलिस के डर से ग्रामीणों ने इस घटना के बारे में खुलकर बात नहीं की।

अगले दिन के आसपास, गुरबचन कौर तरन तारा के सिटी पुलिस स्टेशन गईं और

उन्होंने जसबीर सिंह के बारे में पूछताछ की। एसएचओ ने उन्हें कोई जानकारी नहीं दी और तरन तारन के एसएसपी अजीत एस. संधू से मिलने की सलाह दी। उनसे मिलने पर भी उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली। अंततः, परिवार ने जसबीर सिंह का मामला आगे न बढ़ाने का फैसला किया। जब एनएचआरसी ने पंजाब में लापता हुए लोगों के परिजनों से मामले एकत्र किए, तब हरविंदर कौर ने एनएचआरसी में दावा प्रस्तुत किया।

विज्ञापन में जिन अन्य तीन लोगों की पहचान की गई है, उनकी तस्वीरों के साथ,

थे: हीरा सिंह वरयाम, निवासी कोटली; हरजिंदर सिंह; कैड गिल निवासी; और तरसेम सिंह लाडी, निवासी बंडाला।

132 – 133. क्रमांक 153/603 और 154/604 के अंतर्गत, सूची में 28 दिसंबर 1991 को पट्टी पुलिस स्टेशन के एसएचओ राम नाथ द्वारा एफआईआर संख्या 171/91 के तहत किए गए दो शवदाहों की पहचान की गई है। ये शवदाह निम्नलिखित व्यक्तियों के हैं: [1] मुख्तियार सिंह उर्फ मुखा, पुत्र हरि सिंह, निवासी फतेहगढ़ सबरा; और [2] बूटा सिंह, पुत्र हरनाम सिंह, निवासी 276 (राख में परिवर्तित)

[illegible]
[illegible]
CCDP/01592 [illegible]
Thirty-year-old Mukhtiar Singh, s/o Hari Singh and Kesar Kaur, was a farmer
1991 [illegible]
27 [illegible] 1991 [illegible] 10 [illegible]
134. [illegible] 155/606 [illegible] 2 [illegible] 1992 [illegible] 1/92 [illegible] 1/92 [illegible]

समिति ने बलबीर सिंह के मामले के संबंध में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01501 के माध्यम से। मुख्य सूचनादाता पीड़ित के पिता करतार सिंह हैं।
Balbir alias Lakhbir Singh, was a 22-year-old son of Kartar Singh and Niranjan
कौर, अमृतसर जिले के खदुर साहिब उपमंडल के गोइंदवाल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पट्टी भाई की जिले के जमराई गांव की निवासी थीं। वह अपने पिता के साथ पारिवारिक खेत में काम करती थीं। लखबीर अविवाहित थीं और उनका पुलिस से कभी कोई वास्ता नहीं रहा था।
31 दिसंबर 1991 को सुबह लगभग 6 बजे, गोइंदवाल पुलिस और सैनिकों की एक बड़ी टुकड़ी ने कार्रवाई की।
भारतीय सेना ने तलाशी अभियान के लिए जामा राय गांव को घेर लिया और घर-घर तलाशी ली। एसएचओ तेग बहादुर सिंह के नेतृत्व में गोइंदवाल पुलिस लखबीर के घर पहुंची और उसे पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। उन्होंने लखबीर के माता-पिता को आश्वासन दिया कि वे चिंता न करें और पूछताछ के बाद उसे रिहा कर दिया जाएगा।
बाद में दिन में, लखबीर का परिवार, कई ग्राम बुजुर्गों के साथ, वहाँ गया। वे गोइंदवाल पुलिस स्टेशन गए लेकिन उन्हें एसएचओ से मिलने नहीं दिया गया। दूसरे दिन भी वे एसएचओ से मिलने में असफल रहे, और पुलिस स्टेशन के अधीनस्थ कर्मचारियों ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (277)

उनसे बात करो। 3 जनवरी 1992 को अखबारों में गोइंदवाल के पास हुई एक मुठभेड़ की खबर छपी, जिसमें पुलिस ने बलबीर सिंह बीरा नाम के एक आतंकवादी को मार गिराया था। करतार सिंह को तब पता चला कि पुलिस ने उनके बेटे के शव का अंतिम संस्कार कर दिया है। वह तरन तारन श्मशान घाट गए और लखबीर की अस्थियां ले आए।
135. क्रमांक 158/611 के अंतर्गत, सूची में जागीर सिंह उर्फ कुलविंदर सिंह उर्फ हाथी, पुत्र जंग सिंह, निवासी संगतपुरा के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो सिरहाली पुलिस स्टेशन के एसएचओ अनोख सिंह द्वारा एफआईआर संख्या 3/92 के तहत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बीएसडब्ल्यू 56/92 के रूप में चिह्नित किया गया है और मृत्यु का कारण "साइनाइड का सेवन" बताया गया है।
समिति को घटना रिपोर्ट प्रपत्र के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हुई है।
क्रमांक CCDP/01544. मुख्य सूचनादाता पीड़ित के पिता जंग सिंह हैं।
जंग सिंह और सुरजीत कौर के पुत्र 22 वर्षीय जागीर सिंह एक
अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल के सरहल्ली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत संगतपुर गांव का निवासी मज़हबी सिख मजदूर। वह तीन भाइयों में सबसे बड़ा था और खेतों में मजदूर के रूप में काम करता था। जागीर का विवाह बलबीर कौर से हुआ था, जिन्होंने बाद में पुनर्विवाह कर लिया। उनके दो बेटे हैं जो अब अपनी मां के साथ रहते हैं।
1989 में, सरहल्ली पुलिस ने जागीर के घर पर छापा मारना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें शक था कि वह धोखाधड़ी कर रहा है।

[illegible]
8 [illegible] 1992 [illegible]
[illegible]
136. [illegible] 159/614 [illegible] 13 [illegible] 1992 [illegible] 3/92 [illegible] WA 2/92 [illegible] CCDP/01443 [illegible]
Gurmej Singh alias Gurbhej, son of Jagir Singh and Harbans Kaur from Buge
[illegible] 16 [illegible] 1984 [illegible] 278 [illegible]

1991 [illegible]
13 [illegible] 1992 [illegible]

की मौत की सूचना दी। रिपोर्ट में कहा गया कि जब पुलिस बस की तलाशी ले रही थी, तब उग्रवादियों ने भागने की कोशिश की। इस घटना में मारे गए तीसरे उग्रवादी की पहचान नहीं हो सकी।
पुलिस ने गुरमेज के परिवार को उसकी मौत की सूचना नहीं दी। परिवार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा सकी।
यहां तक कि उनकी अस्थियां भी उन्हें नहीं मिल पा रही थीं क्योंकि उन्हें यह नहीं पता था कि पुलिस ने अंतिम संस्कार कब और कहाँ किया था।
सीबीआई ने जसबीर सिंह के अंतिम संस्कार को उसी एफआईआर नंबर के तहत दिखाया है।
क्रमांक 61/613 के अंतर्गत आंशिक रूप से पहचाने गए शवदाह की सूची। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को OPG-1/92 के रूप में चिह्नित किया गया है और मृत्यु का कारण "गोलीबारी से लगी चोटें" बताया गया है। तीसरे अज्ञात व्यक्ति के शव का क्या हुआ, यह स्पष्ट नहीं है।
137. क्रमांक 161/628 के अंतर्गत, सूची में डॉ. इंदरजीत सिंह, पुत्र करम सिंह, निवासी थाथा के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो वलतोहा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर सीआईए स्टाफ गुरदेव सिंह द्वारा 8 मार्च 1992 को एफआईआर संख्या 12/92 के तहत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्रमांक केएस 7/92 है। मृत्यु का कारण "मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने इस मामले के संबंध में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01495 है। मुख्य सूचनादाता पीड़िता की बेटी दविंदर कौर है।
इंदरजीत, करम सिंह और हरबंस कौर के पुत्र हरदीप सिंह का उपनाम था।
तरन तारन जिले के हरिके पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पट्टी चरदी, सरहल्ली कलां डाकघर के थाथा गांव से हरदीप एक किसान थे, जिन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर ली थी। सीबीआई की सूची में उन्हें डॉक्टर की उपाधि क्यों दी गई है, यह स्पष्ट नहीं है। हरदीप 30 वर्ष के थे और बलबीर कौर से विवाहित थे, जिनके चार बच्चे थे। सबसे बड़ी बेटी, दविंदर कौर, अब लगभग बीस वर्ष की हैं। पुलिस ने शक के चलते हरदीप को कई बार गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की थी।
उस पर आतंकवादियों से संबंध होने का आरोप लगाया गया था। उसे कई आपराधिक मामलों में भी फंसाया गया था। यातनाओं के तहत बार-बार की गई पूछताछ को सहन न कर पाने के कारण हरदीप ने आतंकवादियों के साथ जुड़ने का फैसला किया।
7 मार्च 1992 की सुबह, हरदीप सुरिंदर सिंह के घर पर था, जो उसका उपाध्यक्ष था।
तरन तारन शहर के गुरु गोबिंद सिख सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाध्यापक सुरिंदर सिंह प्रार्थना कर रहे थे, तभी इंस्पेक्टर गुरदेव सिंह के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल ने उनके घर को घेर लिया। हरदीप भागना चाहते थे, लेकिन सुरिंदर सिंह ने उनसे आत्मसमर्पण करने की विनती की क्योंकि उनका कहना था कि अगर हरदीप भाग गए तो पुलिस उन्हें और उनके परिवार को जिंदा नहीं रहने देगी। इस प्रकार हरदीप ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।
हरदीप सिंह के परिवार को उसी दिन बाद में गिरफ्तारी के बारे में पता चला और उन्होंने एकजुट होने की कोशिश की।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (279)

उन्होंने हरदीप सिंह को फर्जी मुठभेड़ में मारे जाने से बचाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ रहा। 8 मार्च 1992 को, वाल्टोहा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत बहादुर नगर गांव के पास एक मुठभेड़ में हरदीप सिंह को मृत दिखाया गया। उनके परिवार को पता चला कि पुलिस शव को अंतिम संस्कार के लिए पट्टी ले जा रही है और वे अंतिम संस्कार करने के लिए वहां एकत्र हुए। हालांकि, पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया।
एक अलग घटना में, पुलिस ने परमिंदर सिंह को गिरफ्तार किया और उसे लापता कर दिया।
हरदीप का भतीजा। उसका दूसरा भतीजा तरसेम सिंह, निर्मल सिंह का पुत्र, भी मारा गया।
138. क्रमांक 162/634 के अंतर्गत, सूची में जयमल सिंह, पुत्र धर्म सिंह, निवासी भेल के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो सिरहाली पुलिस स्टेशन के एसएचओ अनोख सिंह द्वारा 24 मार्च 1992 को एफआईआर क्रमांक 27/92 के तहत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ओपीजी 9/92 क्रमांक दिया गया है।
मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने इस मामले के संबंध में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01499 है। मुख्य सूचनादाता पीड़ित का भाई मनजीत सिंह है।
जयमल सिंह (25), अविवाहित किसान था, जो धर्म सिंह और मोहिंदर का पुत्र था।
जयमल सिंह, जिनका नाम जयमल कौर था, अमृतसर जिले के खदुर साहिब उपमंडल के गोइंदवाल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पट्टी भुचर की गांव भैल में रहते थे। उनके चचेरे भाई निर्मल सिंह के उग्रवाद में शामिल होने के कारण पुलिस उन्हें और उनके परिवार के अन्य सदस्यों को परेशान करती थी। उत्पीड़न और हिरासत में यातना से बचने के लिए जयमल सिंह अलग रहने लगे। इसके बाद पुलिस ने उन्हें पेश करने के लिए उनके परिवार पर दबाव बढ़ा दिया।
On 23 March 1992, Jaimal Singh and Joginder Singh, s/o Banta Singh from Bhail
जयमल सिंह गांव से भैल गांव की ओर जा रहे थे, तभी भारतीय सेना और पंजाब पुलिस की संयुक्त टुकड़ी ने उन्हें हिरासत में ले लिया। उसी रात मुठभेड़ में जयमल सिंह के मारे जाने की खबर आई। हालांकि गोइंदवाल और सरहल्ली कलां पुलिस स्टेशनों ने परिवार को कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्हें थथियां महंतन गांव स्थित सेना शिविर के कमांडर से पता चला कि जयमल मारे गए हैं और उनका अंतिम संस्कार तरन तारन में किया जा रहा है। वे अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके। 25 मार्च 1992 को, दो पंजाबी अखबारों अजीत और जगबानी ने भैल गांव के पास हुई मुठभेड़ के बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें कथित तौर पर जयमल की मृत्यु हो गई थी।
गिरफ्तारी के बाद जोगिंदर सिंह को सरहल्ली कलां पुलिस स्टेशन में हिरासत में रखा गया।
एसएचओ अनोख सिंह ने कई दिनों तक उसे बेरहमी से प्रताड़ित किया। इसके बाद उसे एक सेना शिविर में सौंप दिया गया। ग्रामवासियों के हस्तक्षेप पर सेना ने उसकी गिरफ्तारी के एक महीने बाद उसे रिहा कर दिया। इस दौरान जोगिंदर सिंह को पता नहीं था कि जैमल सिंह का क्या हुआ।
एक अलग घटना में, जयमल के चचेरे भाई निर्मल सिंह, जो भैल निवासी सुचा सिंह के पुत्र हैं, की भी मौत हो गई।
गांव में रहने वाला एक व्यक्ति भी पुलिस की गोलीबारी में मारा गया।

139. क्रमांक 163/644 के अंतर्गत, सूची में पंजाब सिंह, पुत्र जसवंत सिंह, निवासी मुकाज़, के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो तरन तारन के सदर पुलिस स्टेशन के एसएचओ बलकार सिंह द्वारा 8 अप्रैल 1992 को एफआईआर संख्या 25/92 के तहत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपलब्ध नहीं बताई गई है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने अपनी घटना रिपोर्ट 280 रिड्यूस्ड टू ऐशेज के माध्यम से इस मामले की जानकारी एकत्रित की है।

प्रपत्र संख्या CCDP/01686. मुख्य सूचनादाता पीड़ित का पिता है। सीबीआई की सूची में पंजाब सिंह, पिता जसवंत सिंह, निवासी के रूप में पहचाना गया व्यक्ति
मुकाज़ वास्तव में 26 वर्षीय जैमल सिंह था, जो तारा सिंह और पारो का पुत्र था, जो अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के वाल्टोहा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कालिया सकत्तरन डाकघर के पास धोलन गांव का निवासी था।
मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद, जैमल 1983 में भारतीय सेना में भर्ती हुए, लेकिन
1991 में उन्हें सेवा से बर्खास्त कर घर भेज दिया गया। तारा सिंह ने बर्खास्तगी के कारण से अनभिज्ञता जताई। जैमल अपने छोटे भाई बलवंत सिंह के साथ अपने पारिवारिक खेत में काम करने लगे। वे अब भी अविवाहित थे।
पंजाब पुलिस द्वारा आतंकवादियों को पकड़ने के लिए तलाशी और छानबीन अभियान चलाया गया।
उसके गांव में उसके समर्थकों से मिलना-जुलना एक आम बात थी। जयमल के घर की भी तलाशी ली गई थी। सेना से बर्खास्त होने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधिकारियों ने उस पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया। पुलिस ने जयमल, उसके छोटे भाई बलवंत सिंह और पिता तारा सिंह को अवैध हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की। पूछताछ के दौरान जयमल को बेरहमी से प्रताड़ित किया गया। वाल्टोहा पुलिस उसे बार-बार उठाने लगी और अंततः जयमल ने घर छोड़ने का फैसला किया। इसके बाद पुलिस ने जयमल को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने हेतु उसके परिवार के सदस्यों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। लेकिन जयमल घर नहीं लौटा।
9 अप्रैल 1992 को समाचार पत्रों में एक उग्रवादी की हत्या की खबर प्रकाशित हुई।
मालमोहारी गांव में हुई मुठभेड़ में पंजाब सिंह नाम के एक आतंकवादी को मार गिराया गया। उसी दिन, तरन तारन के कलेर गांव में रहने वाली जैमल के छोटे भाई की सास, चरण कौर, तारा सिंह के घर आईं और उन्हें बताया कि मालमोहारी में मारा गया आतंकवादी वास्तव में जैमल सिंह था और उन्होंने तरन तारन के अस्पताल में उसका शव देखा था। चरण कौर इस मामले पर नजर रख रही थीं क्योंकि उनके दामाद बलवंत सिंह को एक सप्ताह से अधिक समय से अल्गोन चौकी पुलिस चौकी में अवैध हिरासत में रखा गया था, और उन्हें डर था कि पुलिस उन्हें भी नुकसान पहुंचा सकती है।
10 अप्रैल 1992 को, तारा सिंह अपने कई प्रमुख व्यक्तियों के साथ
गांव में रहने वाला तारा सिंह, तरन तारन के सदर पुलिस स्टेशन गया, जहां पुलिस ने उसे मालमोहारी में कथित मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादी की तस्वीरें दिखाईं। तारा सिंह ने अपने बेटे के शव को पहचान लिया। पुलिस ने

शव का अंतिम संस्कार कर दिया था, लेकिन उन्होंने उसे राख लेने की अनुमति दे दी। तारा सिंह को नहीं पता था कि मुठभेड़ की रिपोर्ट असली थी या फर्जी।
कुछ दिनों बाद हस्तक्षेप के बाद बलवंत को अवैध हिरासत से रिहा कर दिया गया।
पंजाब के कैबिनेट मंत्री गुरचेत सिंह भुल्लर।
तारा सिंह के अनुसार, पुलिस ने तीन अन्य व्यक्तियों को पकड़कर मार डाला। उसके गांव ढोलन में अलग-अलग घटनाओं में उसकी मौत हुई। वे घटनाएं इस प्रकार हैं:
[1] निर्मल सिंह के पुत्र हरबंस सिंह की फिरोजपुर जिले में हत्या कर दी गई; [2] दर्शन सिंह के पुत्र बलबीर सिंह को पट्टी से गिरफ्तार कर फर्जी तरीके से मार डाला गया
सामना करना;
[3] आसा सिंह के पुत्र पाला सिंह को वाल्टोहा पुलिस ने गिरफ्तार किया और फर्जी तरीके से उसकी हत्या कर दी।
सामना करना।
140. क्रमांक 165/646 के अंतर्गत, सूची में बलविंदर सिंह उर्फ बांदा, पुत्र सरवन सिंह, निवासी कोट जम्पात के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो झब्बल पुलिस स्टेशन के एसआई सुबा सिंह द्वारा 9 अप्रैल 1992 को एफआईआर संख्या 44/92 के तहत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एके 10/92 के रूप में चिह्नित किया गया है और मृत्यु का कारण "गोली लगने से हुई चोटें" बताया गया है।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (281)

समिति ने घटना के पुनरावलोकन के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है-
पोर्ट फॉर्म संख्या CCDP/01632। पीड़ित के चाचा अर्जन सिंह मुख्य सूचनादाता हैं।
सविंदर कौर और उनके बेटे, इक्कीस वर्षीय बलविंदर सिंह उर्फ बिंदर
सुरजन सिंह, जिसका नाम सीबीआई की सूची में गलती से सरवन सिंह दर्ज है, अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल के झब्बल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत बाकिपुर डाकघर के तेजा सिंह वाला जिले के कोट जसपाल गांव का निवासी था। उसका घर गांव के बाहरी इलाके में उसके पिता के खेत के पास स्थित था। बलविंदर अपने दो भाइयों और एक बहन में सबसे छोटा था। वह दाढ़ी-मूंछ साफ रखता था और उसकी कोई धार्मिक या राजनीतिक विचारधारा नहीं थी, लेकिन वह शराब का आदी था और अत्यधिक शराब पीने के बाद अक्सर हंगामा करता था। हालांकि, उसका पुलिस से कोई वास्ता नहीं था और उसे कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था।
8 अप्रैल 1992 को बलविंदर अपनी बहन सुखविंदर कौर के घर गया, जो
बलविंदर का विवाह मनोचाहल गांव में गुरदीप सिंह से हुआ था। वहां उसने शराब मांगी और दिन भर पीता रहा। शाम करीब 7 बजे बलविंदर का अपनी बहन से झगड़ा हो गया और वह नशे की हालत में अपने गांव लौट आया। गांव पहुंचकर उसने एक मजहबी सिख के घर से और शराब खरीदी और पीता रहा। फिर उसका अपने गांव की परिषद के मुखिया मिल्खा सिंह से झगड़ा हो गया। बलविंदर की गालियों से मिल्खा सिंह क्रोधित हो गए और उन्होंने उसकी पिटाई करवा दी। मिल्खा सिंह एक प्रभावशाली व्यक्ति थे और स्थानीय पुलिस के करीबी माने जाते थे। गांव के

कई लोगों ने बलविंदर को चिल्लाते और मिल्खा सिंह को गाली देते हुए सुना था।
इसके बाद क्या हुआ, यह परिवार को स्पष्ट नहीं है। अगली सुबह तड़के, लगभग सुबह 9 बजे झब्बल पुलिस स्टेशन के कुछ अधिकारी बलविंदर के घर आए और उन्हें सूचना दी कि बलविंदर की हत्या कर दी गई है। पुलिस उन्हें गांव के केंद्र में ले गई जहां बलविंदर का शव पड़ा था। पुलिस ने अंतिम संस्कार किया और परिवार के सदस्यों को बलविंदर की अस्थियां लेने की अनुमति नहीं दी। बलविंदर के परिवार वालों का मानना है कि मिल्खा सिंह ही इसके लिए जिम्मेदार थे।
स्थानीय पुलिस ने उसे फर्जी मुठभेड़ में मारने की साजिश रची। 10 अप्रैल 1992 को, कई समाचार पत्रों ने मुठभेड़ के बारे में पुलिस की कहानी प्रकाशित की।
141. क्रमांक 167/651 के अंतर्गत, सूची में गुरभेज सिंह उर्फ भेजा, पुत्र जसविंदर सिंह, निवासी लालपुरा के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो तरन तारन के सदर पुलिस स्टेशन के एसएचओ बलकार सिंह द्वारा 10 अप्रैल 1992 को एफआईआर क्रमांक 26/92 के तहत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पीएस 9/92 क्रमांक दिया गया है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है। समिति ने इस मामले के संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की है। घटना रिपोर्ट प्रपत्र CCDP/01429 है। मुख्य सूचनादाता पीड़ित का भाई प्रताप सिंह है।
पीड़ित का असली नाम हरभेज सिंह उर्फ गुरभेज है। वह 20 वर्ष का था और रहता था।
हरभेज अपने माता हरजिंदर कौर के साथ अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल में बस स्टैंड के पास स्थित लालपुरा गांव में रहते थे। उनके पिता जोगिंदर सिंह, जो लालपुरा ग्राम परिषद के निर्वाचित मुखिया थे, की 1987 में अज्ञात आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। हरभेज के एक भाई भारतीय सेना में सैनिक थे। हरभेज और उनके बड़े भाई प्रताप सिंह परिवार की कृषि संबंधी गतिविधियों की देखरेख करते थे।
अपने पिता की मृत्यु के बाद, गाँव के कुछ प्रभावशाली लोग कोशिश कर रहे थे कि
परिवार की कृषि भूमि पर अतिक्रमण करने के लिए, उन्होंने स्थानीय पुलिस को हरभेज और उसके भाई को परेशान करने के लिए उकसाया था। इस प्रकार पुलिस ने उन्हें अवैध रूप से हिरासत में लिया और 282 लोगों को राख में बदल दिया।

पुलिस ने हरभेज और उसके भाई दोनों को प्रताड़ित किया। हालात सहन न कर पाने के कारण हरभेज भूमिगत हो गया और एक उग्रवादी समूह में शामिल हो गया। उसका भाई प्रताप सिंह अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ रहने चला गया। इसके बाद पुलिस ने गांव में रहने वाले उनके चाचा मोहिंदर सिंह और उनके परिवार को परेशान करना शुरू कर दिया।
7 नवंबर 1991 को पुलिस ने मोहिंदर सिंह के बेटे गुरदयाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया।
लालपुरा निवासी सरबजीत सिंह के साथ उन्हें गांव के बाहर एक पुलिस चौकी पर पकड़ा गया। दोनों को सीआईए के स्टाफ पूछताछ केंद्र तरन तारन ले जाया गया और उसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी से इनकार किया।

10 अप्रैल 1992 की दोपहर को हरभेज सिंह जमीन के उस टुकड़े पर खेती कर रहे थे।
विवाद में फंसे व्यक्ति, अपने मामा के बेटे मुख्तियार सिंह (कड्ड गिल गांव के निंदर सिंह के पुत्र) और बलविंदर सिंह (लालपुरा के बग्गा सिंह पाथी के पुत्र) के साथ, जब भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा, तो बिना किसी चेतावनी के उन पर गोलीबारी शुरू कर दी गई। तीनों की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस शवों को अपने साथ ले गई।
11 अप्रैल 1992 को, कुछ पंजाबी समाचार पत्रों ने खबर दी कि पुलिस ने पांच लोगों को मार डाला।
वराना और धोतियान गांवों के बीच हुई मुठभेड़ में कई आतंकवादी मारे गए। इनमें से दो की पहचान गुरभेज सिंह भेजा और रणजोद सिंह जोधा के रूप में हुई। असल घटना में पुलिस ने हरभेज सिंह उर्फ गुरभेज, बलविंदर सिंह और मुख्तियार सिंह को मार गिराया था। जाहिर तौर पर, बलविंदर सिंह और मुख्तियार सिंह को अज्ञात दिखाया गया था। परिवार को रणजोद सिंह जोधा या उस पांचवें व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जिसे पुलिस ने उसी मुठभेड़ में कथित तौर पर मार गिराया था। पुलिस ने परिवार के सदस्यों को शामिल होने की अनुमति दिए बिना ही अंतिम संस्कार कर दिया।
सीबीआई द्वारा चिह्नित शवदाह स्थलों की सूची में केवल हरभेज के शव का ही उल्लेख है।
सिंह। आंशिक रूप से पहचाने गए शवों की सूची में रणजोद सिंह जोधा, बलविंदर सिंह और मुख्तियार सिंह के नाम भी शामिल नहीं हैं। तरन तारन में अज्ञात शवों की सूची, क्रमांक 422/652 और 423/653 के तहत, दर्शाती है कि एसएचओ बलकार सिंह ने दो और शवों को जलाया, जिनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पीएस-10/92 और पीएस-11/92 के रूप में दर्ज हैं। दोनों शव तरन तारन के सदर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक ही एफआईआर संख्या 26/92 से संबंधित थे। इससे पता चलता है कि पुलिस ने बलविंदर सिंह और मुख्तियार सिंह का शव अज्ञात मानकर जला दिया। बलविंदर सिंह की कहानी रिपोर्ट के उपयुक्त अनुभाग में संक्षेप में दी गई है। रणजोद सिंह जोधा और मुठभेड़ में कथित तौर पर मारे गए अन्य अज्ञात आतंकवादी के शवों का क्या हुआ, यह एक रहस्य बना हुआ है।
क्रमांक 142 - 143 के अंतर्गत, सूची में 11 अप्रैल 1992 को वेरोवाल पुलिस स्टेशन के एसएचओ स्वर्ण सिंह द्वारा एफआईआर क्रमांक 14/92 के तहत किए गए दो शवदाह का उल्लेख है। ये शवदाह निम्नलिखित व्यक्तियों के हैं: [1] गुरमेज सिंह, पुत्र अजीत सिंह, निवासी खदूर साहिब; और [2] दिलबाग सिंह उर्फ बाघा, पुत्र हरनाम सिंह, निवासी रटोल। पोस्टमार्टम रिपोर्टों को केके 39/92 और केके 38/92 के रूप में चिह्नित किया गया है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने दिलबाग से संबंधित निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
सिंह के मामले की घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01235 के माध्यम से दर्ज की गई है। मुख्य सूचनादाता पीड़ित की पत्नी सुरजीत कौर हैं।
छह भाइयों में सबसे छोटा, दिलबाग सिंह 25 वर्षीय मज़हबी सिख था।
जो तरन तारन शहर के पुलिस स्टेशन के अंतर्गत रताउल गांव के मज़हबियन दी पट्टी में रहता था। उसने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की थी और दूध विक्रेता के रूप में काम करता था।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (283)

उन्होंने सुरजीत कौर से शादी की और उनकी दो बेटियां हैं जिनकी उम्र अब 16 और 10 साल है।
1988 में पुलिस ने दिलबाग और उसके भतीजे अंग्रेज सिंह (कुंदन का पुत्र) को गिरफ्तार किया।
सिंह को आतंकवादियों से संपर्क रखने के संदेह में गिरफ्तार किया गया था।
उन पर टीएडीए के तहत आरोप लगाए गए और उन्हें लगभग दो साल तक न्यायिक हिरासत में रखा गया। रिहाई के बाद, दिलबाग ने दूध बेचने का अपना सामान्य व्यवसाय फिर से शुरू कर दिया।
अप्रैल 1991 में, पंजाब पुलिस और अन्य अर्धसैनिक संगठनों ने कार्रवाई की। रताउल गांव में तलाशी अभियान चलाया गया। गांव के सभी पुरुषों को गांव के गुरुद्वारे में इकट्ठा होने का निर्देश दिया गया, जहां दिलबाग सिंह को हिरासत में लिया गया। उन्हें पूछताछ के लिए तरन तारन पुलिस स्टेशन भेजा गया और लगभग तीन महीने तक अवैध रूप से हिरासत में रखा गया, जिसके बाद पुलिस ने उन पर टीएडीए के तहत दोबारा मुकदमा चलाने का फैसला किया। उनके खिलाफ मामला दर्ज कर अमृतसर जेल भेज दिया गया।
अप्रैल 1992 में, वेरोवाल पुलिस स्टेशन ने उससे इस संबंध में पूछताछ करने का फैसला किया।
किसी अन्य मामले में आरोपी ने अदालत से रिमांड आदेश प्राप्त किया था। 12 अप्रैल 1992 को पंजाबी अखबारों में एक खबर छपी जिसमें मुठभेड़ में उसकी मौत की घोषणा की गई थी। खबर में कहा गया था कि पुलिस दिलबाग सिंह और गुरमेल सिंह को मांड इलाके में कुछ हथियार बरामद करने के लिए ले जा रही थी, तभी कुछ आतंकवादियों ने पुलिस के काफिले पर हमला कर दिया और गोलीबारी में दोनों शहीद हो गए।
अलग-अलग घटनाओं में, उनके परिवार के तीन अन्य सदस्य भी मारे गए।
पुलिस। उनके नाम हैं:
1. Gurmej Singh, s/o Dara Singh [nephew];
2. Angrez Singh, s/o Kundan Singh [nephew];
3. गुलजार सिंह [भाई]।
144. क्रमांक 170/659 के अंतर्गत सूची में सोहल निवासी तेजा सिंह के पुत्र बूटा सिंह के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो झब्बल पुलिस स्टेशन के अनोख सिंह द्वारा एफआईआर क्रमांक 50/92 के तहत 18 अप्रैल 1992 को संपन्न किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट "उपलब्ध नहीं" बताई गई है। मृत्यु का कारण "गोली लगने से लगी चोटें" बताया गया है।
समिति ने बूटा सिंह के मामले में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है। घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01404 के माध्यम से। मुख्य सूचनादाता पीड़िता की विधवा सतविंदर कौर हैं।
बूटा सिंह (27), अपने माता-पिता की इकलौती संतान थे, जिनका पहले ही निधन हो चुका था।
अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल के झब्बल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सोहल गांव की पट्टी माही की बस्ती में रहने वाला यह किसान सतविंदर कौर से विवाहित है और उनके तीन बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी अब 16 वर्ष की है। पुलिस बूटा सिंह को नियमित रूप से हिरासत में लेकर उससे पूछताछ करती थी। बूटा सिंह ने अपने घर आने वाले आतंकवादियों के बारे में सच्चाई बताई। उन पर आतंकवादियों को पनाह देने और खाना खिलाने का संदेह था। उन पर टाडा के तहत भी आरोप लगाए गए, लेकिन उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। हालांकि,

पुलिस ने उन्हें हिरासत में रखना और प्रताड़ित करना जारी रखा। अंततः, बूटा सिंह ने अपना घर छोड़ दिया और कहीं और रहने लगे।
18 अप्रैल 1992 को सुबह लगभग 10 बजे, बूटा सिंह गांव के पास एक फार्म हाउस में थे।
भुचर कलां गांव में बूटा सिंह अपने दोस्त पंजाब सिंह के साथ चाय पी रहे थे, तभी झब्बल पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा। पुलिस को देखते ही बूटा सिंह और पंजाब सिंह गांव भुचर कलां के स्कूल की ओर भागने लगे। वहां पुलिस ने उन्हें रोककर गोली मार दी। पुलिस ने परिवार को बिना बताए शवों का अंतिम संस्कार तरन तारन में कर दिया।
284 राख में तब्दील

19 अप्रैल 1992 को, दो पंजाबी समाचार पत्रों, अजीत और जगबानी ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की।
मुठभेड़ के बारे में जानकारी देते हुए, पुलिस सूत्रों का हवाला देते हुए, मारे गए आतंकवादियों की पहचान सोहल गांव के तेजा सिंह के पुत्र बूटा सिंह और छपा गांव के पंजाब सिंह के रूप में की गई। पंजाब सिंह के अंतिम संस्कार का उल्लेख सीबीआई की पहचान किए गए या आंशिक रूप से पहचाने गए शवों की सूची में नहीं है। हालांकि, क्रमांक 425/658 के तहत अज्ञात शवों की सूची में 18 अप्रैल 1992 को तरन तारन में हुए एक अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जिसे झब्बल पुलिस स्टेशन के अनोख सिंह ने एफआईआर संख्या 50/92 से संबंधित मामले में संपन्न कराया था। शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को केके 45/92 के रूप में दर्ज किया गया है।
145. क्रमांक 172/662 के अंतर्गत, सूची में रतौल निवासी अजीत सिंह के पुत्र मनजिंदर सिंह के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो तरन तारन पुलिस स्टेशन के एसएचओ द्वारा 22 अप्रैल 1992 को एफआईआर संख्या 42/92 के तहत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जीएसडी 18/92 क्रमांक दिया गया है।
मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने इस मामले के संबंध में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
जन आयोग मामला संख्या PCHR/00435। मुख्य सूचनादाता पीड़िता की मां प्रकाश कौर हैं।
अजीत सिंह और प्रकाश कौर के पुत्र मंजिंदर सिंह गांव के निवासी थे।
अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल में स्थित रताउल में, 21 अप्रैल 1992 को एसएचओ गुरबचन सिंह मनोचाहल, एसएसपी अजीत सिंह संधू और एसपी (ऑपरेशन) खूबी राम के नेतृत्व में तरन तारन पुलिस की एक पुलिस टीम ने प्रकाश कौर और उनके बेटों मंजिंदर सिंह और सुरिंदर सिंह का उनके घर से अपहरण कर लिया।
पुलिस उन्हें तारन तारन के सिटी पुलिस स्टेशन ले गई और उनकी जमकर पिटाई की।
अगले दिन पुलिस ने प्रकाश कौर को रिहा कर दिया, लेकिन उसके बेटों को हिरासत में रखा। एक सप्ताह बाद, सुरिंदर सिंह को उसकी याददाश्त खो जाने के बाद पुलिस ने हिरासत से रिहा कर दिया। पुलिस हिरासत में शारीरिक और मानसिक यातनाओं के कारण वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया है।
प्रकाश कौर को अपने बेटे मंजिंदर से फिर कभी कोई खबर नहीं मिली। न ही वह उससे संपर्क कर पाईं।
उसके साथ क्या हुआ, यह पता लगाने के उसके प्रयासों के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं मिला। पहले अपहरण के एक साल बाद, पुलिस ने प्रकाश कौर को फिर से

गैरकानूनी रूप से हिरासत में लिया और उसकी पिटाई की। तीन दिन बाद उसे रिहा कर दिया गया। पुलिस उसके रिश्तेदारों को भी परेशान करती थी।
146. क्रमांक 173/663 के अंतर्गत, सूची में झब्बल पुलिस स्टेशन के एसएचओ द्वारा 24 अप्रैल 1992 को एफआईआर संख्या 54/92 के तहत किए गए सुरिंदर सिंह, पुत्र अजमेर सिंह, निवासी सिंहपुरा के अंतिम संस्कार का उल्लेख है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जीएसडी 22/92 के रूप में चिह्नित किया गया है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने घटना के पुनरावलोकन के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है-
पोर्ट फॉर्म संख्या CCDP/01541. मुख्य सूचनादाता अजमेर सिंह हैं, जो पीड़ित के पिता हैं।
Surinder Singh alias Mahna, s/o Ajmer Singh and Sukhwinder Kaur, was an 18-
सुरिंदर सिंह मिंटू, अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के भिखीविंड पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले सिंहपुरा गांव का निवासी, एक 12 वर्षीय स्कूली छात्र था। सुरिंदर एक अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी था और अपने स्कूल की टीम का कप्तान था। उसका चचेरा भाई, जिसका नाम भी सुरिंदर सिंह मिंटू था और जो भिखीविंड कस्बे के गुरचरण सिंह का पुत्र था, आतंकवादियों से जुड़ा हुआ था और इसी संबंध के कारण पुलिस सिंहपुरा स्थित सुरिंदर के घर पर छापा मारती थी। मार्च 1990 में, सुरिंदर ने अपनी मैट्रिक परीक्षा पूरी कर ली थी और परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा था, तभी पुलिस ने फिर से उसके घर पर छापा मारा। सुरिंदर सिंह चुपके से भाग निकला और...
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (285)

उसके बाद, वह भूमिगत ही रहा।
23 अप्रैल 1992 को झब्बल पुलिस स्टेशन के कुछ कांस्टेबल अजमेर आए।
अजमेर सिंह के घर जाकर उन्हें उनके बेटे के शव की पहचान के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें बताया कि ब्यास पुलिस स्टेशन के अंतर्गत भंगवान गांव के हरजिंदर सिंह और जल्लूपुर खेड़ा गांव के गुरदेव सिंह के साथ बांकीपुर गांव के पास झब्बल पुलिस के साथ मुठभेड़ में उनकी हत्या कर दी गई थी। अजमेर पुलिस के दावों की पुष्टि नहीं कर सका। परिवार के सदस्यों को अंतिम संस्कार में शामिल होने और शव को लेने की अनुमति दी गई थी।
राख।
Harjinder Singh of Bhangwan village and Gurdev Singh of Jallupur Khera village
ब्यास पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले शवों का अज्ञात शवों के रूप में अंतिम संस्कार कर दिया गया। सीबीआई की तीसरी सूची में इन शवदाहों को क्रमांक 427/664 और 428/665 के तहत दर्शाया गया है।
अजमेर सिंह के अनुसार, पुलिस ने उनके भतीजे सुरिंदर सिंह की भी हत्या कर दी।
मिंटू, गुरचरण सिंह का पुत्र था, जो भीखीविंड कस्बे के पट्टी दास की में रहने वाले एक स्कूल के सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक थे। पुलिस ने सुरिंदर सिंह को बहमनी वाला गांव के पास एक फर्जी मुठभेड़ में मार डाला।

147. क्रमांक 174/668 के अंतर्गत, सूची में चतर सिंह उर्फ चटारा, पुत्र तेजा सिंह, निवासी भोका बालेर के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो झब्बल पुलिस स्टेशन के एसएचओ द्वारा 26 अप्रैल 1992 को एफआईआर संख्या 55/92 के तहत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एके 15/92 के रूप में चिह्नित किया गया है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति को इस घटना से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हुई है। रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01660। यह जानकारी पीड़ित के गांव बालेर के निवासियों द्वारा प्रदान की गई है।
तेजा सिंह और भान कौर के पुत्र, बत्तीस वर्षीय चत्तर सिंह उर्फ काकू, छत्तर सिंह एक मज़हबी सिख थे, जो अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के भिखीविंड पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मज़हबियां दी पट्टी, बांका बालेर डाकघर के बालेर गांव के निवासी थे। एक गरीब खेतिहर मजदूर छत्तर सिंह विवाहित थे, लेकिन एक हिंसक झगड़े में शामिल हो गए, जिसका नतीजा हत्या के रूप में निकला। इस मामले में छत्तर सिंह को दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उनकी पत्नी अपने माता-पिता के पास लौट गईं। सजा के कुछ वर्षों बाद छत्तर सिंह को पैरोल पर रिहा कर दिया गया। हालांकि, वह दोबारा जेल नहीं लौटे और उग्रवादियों के समूह में शामिल हो गए। पुलिस ने उनके परिवार के सदस्यों, विशेषकर उनके भाइयों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उत्पीड़न से तंग आकर उनके भाई भी अपना गांव छोड़कर चले गए।
27 अप्रैल 1992 को, कई समाचार पत्रों ने हत्या के बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित की।
गंडीविंड गांव के पास झब्बल पुलिस के साथ कथित मुठभेड़ में छत्तर सिंह की मौत हो गई। परिवार इस बात की पुष्टि नहीं कर सका कि यह मुठभेड़ असली थी या फर्जी।
148. क्रमांक 175/669 के अंतर्गत, सूची में झब्बल पुलिस स्टेशन के एसएचओ द्वारा 29 अप्रैल 1992 को एफआईआर क्रमांक 56/92 के तहत किए गए बलबीर सिंह उर्फ बीरा, पुत्र चानन सिंह, निवासी सोहल के अंतिम संस्कार का उल्लेख है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पीके 21/92 क्रमांकित है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने इस मामले के संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01403 है। मुख्य सूचनादाता पीड़ित का भाई कश्मीर सिंह है।
286 राख में तब्दील

दलबीर सिंह उर्फ बलबीर 30 वर्ष का था और पट्टी में रहता था।

बाजे की, झब्बल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सोहल गांव में रहते थे। वे विवाहित थे और उनकी एक बेटी थी। उनकी विधवा ने पुनर्विवाह कर लिया है।

राज्य में उग्रवाद भड़कने के तुरंत बाद,

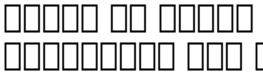

[illegible] CCDP/01446 [illegible]
[illegible]
Baldev Singh, s/o Nirvail Singh, lived in Patti Gurbakhsh Ki, Sakhira village under
[illegible] (26)
[illegible] 13 [illegible]
[illegible] (287)

Baldev Singh and his associate Kabal Singh from village Manochahal Khurd [illegible] 7 [illegible] 1992 [illegible] 5 [illegible] 68/675 [illegible] 36/92 [illegible] -25/92 [illegible]

गया है और उनके गांव का नाम मनोचाहल खुर्द के स्थान पर छोटा मनोचाहल लिखा गया है।
क्रमांक 150 - 151. सूची में 9 मई 1992 को तरन तारन के सदर पुलिस स्टेशन के एसएचओ दर्शन सिंह द्वारा एफआईआर क्रमांक 34/92 के तहत किए गए दो शवदाह का उल्लेख है। ये शवदाह [1] कुलजीत सिंह, पुत्र चरण सिंह, निवासी तुर; और [2] बख्शीश सिंह, पुत्र गुरदीप सिंह, निवासी तुर के हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्टों को पीके 22/92 और पीके 23/92 क्रमांकित किया गया है। मृत्यु का कारण "आग्नेयास्त्र से लगी चोटें" बताया गया है।
समिति ने घटना रिपोर्ट के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की है। प्रपत्र संख्या CCDP/01381 और 01382। मुख्य सूचनादाता कुलजीत की माता गुड्डो और बख्शीश के पिता गुरदीप सिंह हैं।
कुलजीत सिंह उर्फ बिट्टू 24 वर्ष का अविवाहित व्यक्ति था। वह स्वर्गीय चरण का पुत्र था।
सिंह और गुड्डो के पुत्र, बख्शीश सिंह उर्फ शीशा, गोइंदवाल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पट्टी धरे की गांव के निवासी थे। उनके पिता चरण सिंह भारतीय सेना से गैर-कमीशन अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। गुरदीप सिंह और कुलवंत कौर के पुत्र बख्शीश सिंह उर्फ शीशा की आयु 25 वर्ष थी और वह अविवाहित थे। वह अमृतसर जिले के खदुर साहिब उपमंडल के गोइंदवाल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत तुर गांव के निवासी थे।
पुलिस को शक था कि दोनों के उग्रवादियों से संबंध हैं। 1988 में,
वेरोवाल पुलिस ने उन दोनों को टीएडीए के तहत आरोपों में गिरफ्तार किया। दो साल से अधिक कारावास के बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। इसके बावजूद पुलिस ने उन दोनों को परेशान करना जारी रखा, पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में लिया और यातनाएं दीं। 288 राख में तब्दील

जब भी ऐसा हुआ, गांव के बुजुर्गों और निर्वाचित ग्राम परिषदों के सदस्यों ने उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप किया।
1 या 2 मई 1992 की एक सुबह, तरन तारन सदर के एसएचओ दर्शन सिंह
पुलिस स्टेशन ने दोनों को उनके घरों से उनके सभी रिश्तेदारों की मौजूदगी में गिरफ्तार कर लिया। परिवार के सदस्यों और इलाके के अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों, जिनमें पूर्व सांसद तरलोचन सिंह तुर भी शामिल थे, ने पुलिस अधिकारियों से लड़कों को रिहा करने या उन्हें अदालत के सामने पेश करने की मांग की। लेकिन एसएचओ समेत पुलिस अधिकारी उन्हें अपनी हिरासत में लेने से इनकार करते रहे। 8 मई 1992 को, दो पंजाबी अखबारों, अजीत और पंजाबी ट्रिब्यून ने एक मुठभेड़ की खबर प्रकाशित की, जो कथित तौर पर 7 मई को गांव जांदो की सरहल्ली के पास हुई थी, जिसमें कुलजीत सिंह और बख्शीश सिंह दोनों मारे गए थे। पुलिस ने उनके परिवारों को सूचित नहीं किया, लेकिन परिवार वाले श्मशान घाट पहुंचे और पुलिस द्वारा शवों को जलाने से पहले ही उनकी पहचान कर ली।
यह एक रहस्य है कि सीबीआई की सूची, क्रमांक 179/680 और 180/681 के तहत, किस प्रकार पहचान करती है?
दो अन्य शवदाह, बाज सिंह (पुत्र दलबीर सिंह जाट, निवासी मालमोरी) और सरबन सिंह उर्फ कल्लू (पुत्र तेहल सिंह, निवासी राजूपुर), का शवदाह एसएचओ दर्शन सिंह द्वारा 24 मई 1992 को एक ही एफआईआर संख्या 34/92 के तहत संपन्न किया गया। शवदाह की तिथि से पता चलता है कि उनकी हत्या अलग-अलग घटनाओं में हुई

थी। ऐसे में एक ही एफआईआर संख्या और इस तथ्य का क्या महत्व है कि चारों शवदाह एक ही एसएचओ द्वारा संपन्न किए गए?
क्रमांक 152 - 153 के अंतर्गत, सूची में 24 मई 1992 को तरन तारन के सदर पुलिस स्टेशन के एसएचओ दर्शन सिंह द्वारा किए गए दो शवदाह का उल्लेख है। एफआईआर संख्याएँ नहीं दी गई हैं। शवदाह किए गए व्यक्तियों के नाम हैं: [1] बाज सिंह, पुत्र दलबीर सिंह जाट, निवासी मालमोरी; और [2] सरबन सिंह उर्फ कल्लू, पुत्र तेहल सिंह, निवासी राजूपुर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पीके 24/92 और पीके 25/92 के रूप में अंकित हैं। मृत्यु का कारण "आग्नेयास्त्र से लगी चोटें" बताया गया है।
समिति ने इन मामलों के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01604 और 01605। मुख्य सूचनादाता सरबन के पिता तेहल सिंह और बाज़ की माता गुरनाम कौर हैं।
तेहल सिंह और मनजीत कौर के पुत्र, इक्कीस वर्षीय सरबन सिंह, एक
अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल के झब्बल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले मंजू पुर गांव का निवासी।
1984 में, सरबन की मां मनजीत कौर की हत्या किसी ने कर दी थी।
गांव के रहने वाले सरबन के पुलिस से करीबी संबंध बताए जाते थे। उनके परिवार ने इस मामले में काफी पैसा खर्च किया और आरोपी को सजा दिलाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। आरोपी को 1987 में बरी कर दिया गया। उसी साल सरबन ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। अपनी मां के हत्यारे के बरी होने से वह बहुत दुखी था और बदला लेने के इरादे से उसने उग्रवादी भूमिगत गतिविधियों में शामिल होना शुरू कर दिया। पुलिस को उसके संपर्कों का पता चला और उसे गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पर छापा मारा गया। तेहल सिंह के अनुसार, उनके बेटे सरबन ने उग्रवादी भूमिगत गतिविधियों में शामिल होने के बाद बदला लेने का विचार छोड़ दिया था और यहां तक कि अपनी मां के हत्यारे को यह संदेश भी भेजा था कि उसके मन में उससे कोई दुश्मनी नहीं है। पुलिस ने सरबन को पेश करने के लिए उसके पिता समेत परिवार के सदस्यों को हिरासत में लेकर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। हालांकि, वे ऐसा करने में असमर्थ रहे। दलबीर सिंह और गुरनाम कौर के पुत्र, तेईस वर्षीय बाज़ सिंह, एक
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (289)

तरन तारन के सदर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत बेहक जिले के नौरंगाबाद डाकघर के पास मालमोहारी गांव का निवासी किसान। वह विवाहित था, लेकिन उसकी विधवा अपने माता-पिता के घर लौट चुकी है।
बाज़ सिंह के पिता दलबीर सिंह एक धनी किसान थे, जिनकी मृत्यु उनके बच्चों के जन्म के समय हो गई थी।
बच्चे छोटे थे और उनकी मां गुरनाम कौर ने उनका पालन-पोषण किया था। उनका घर गांव के बाहर उनकी कृषि भूमि में स्थित था, इसलिए भूमिगत उग्रवादी संगठन के सदस्य आश्रय और भोजन के लिए आने लगे। परिवार के सदस्यों के लिए उन्हें वापस भेजना असंभव था; उग्रवादी हथियारबंद थे।
1990 के दशक की शुरुआत में, हरियाणा पुलिस ने बाज़ सिंह को आश्रय देने के आरोप में गिरफ्तार किया।
कुछ गिरफ्तार आतंकवादियों की रिहाई के दौरान, बाज़ सिंह ने रिश्वत की मांग की। मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी ने बाज़ सिंह की रिहाई के बदले रिश्वत मांगी। लेकिन जब उसके चाचा और एक चचेरे भाई रिश्वत देने जा रहे थे, तो

सरहिंद के पास एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। चूंकि संबंधित पुलिस अधिकारी को मांगी गई रकम नहीं मिली, इसलिए बाज़ सिंह पर टाडा (TADA) के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया। बाद में, वह जमानत पर रिहा हो गया और उसने अपना कृषि कार्य फिर से शुरू कर दिया। बाज़ सिंह की मां गुरनाम कौर के अनुसार, उसका सिख आतंकवादियों से कोई संबंध नहीं रहा।
23 मई 1992 की शाम को, जब बाज़ सिंह अभी भी अपने खेतों में काम कर रहे थे, सरबन
पास के मंजूपुर गांव के सिंह ने बाज़ सिंह से लालपुरा स्थित एक घर तक साइकिल से लिफ्ट मांगी। बाज़ सिंह ने मना कर दिया क्योंकि वह उग्रवादियों के कारण पहले ही बहुत परेशान हो चुका था। सरबन सिंह हताश था और उसने धमकी दी कि अगर बाज़ सिंह ने लिफ्ट देने से इनकार किया तो वह बल प्रयोग करेगा। बाज़ सिंह की मां गुरनाम कौर यह सब सुन रही थीं और उन्होंने अपने बेटे से कहा कि वह जाकर उसे घर छोड़ दे।
बाज़ सिंह मान गया। सरबन सिंह अपने एक साथी के घर जाना चाहता था।
लालपुरा में हाल ही में पुलिस द्वारा मारे गए एक व्यक्ति के घर पहुंचने पर, एसएचओ दर्शन सिंह के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम ने घर को घेर लिया और उन्हें दरवाजे खोलने के लिए मजबूर किया। जब सरबन सिंह ने यह समझाने की कोशिश की कि उसके साथ मौजूद मालमोहारी निवासी बाज़ सिंह निर्दोष है, तो पुलिस ने उसे गोली मार दी। उन्होंने बाज़ सिंह से पूछताछ की और फिर उसे भाग जाने को कहा। जब वह भागा, तो पुलिस ने उसकी पीठ में गोली मार दी।
पुलिस ने दावा किया कि मुठभेड़ में दोनों आतंकवादी मारे गए।
इस दावे को 25 मई 1992 को पंजाब के कई समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था।
अगली सुबह, बाज़ सिंह की माँ गुरनाम कौर, कई अन्य लोगों के साथ, वहाँ पहुँचीं।
हमदर्द लोग लालपुरा गांव गए, जहां के निवासियों ने उन्हें घटनाक्रम के बारे में विस्तार से बताया।
पुलिस ने परिजनों को सूचित किए बिना ही शवों का अंतिम संस्कार कर दिया। क्रमांक 154 – 155. सूची में 27 मई 1992 को वलतोहा पुलिस स्टेशन के एसएचओ सुभा सिंह द्वारा एफआईआर क्रमांक 24/92 के अंतर्गत किए गए दो शवदाह का उल्लेख है। शवदाह किए गए व्यक्तियों के नाम इस प्रकार हैं: [1] कुलविंदर सिंह उर्फ पप्पू, पिता जस्सा सिंह, निवासी वलतोहा; और [2] रणजीत सिंह उर्फ राणा, पिता गुरबक्स सिंह, निवासी वलतोहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट एसएस-22/92 और एसएस-23/92 के रूप में दर्ज हैं। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने इन मामलों के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01575 और 01577। मुख्य सूचनादाता कुलविंदर का भाई दिलबाग सिंह और रणजीत के पिता मुख्तियार सिंह हैं, जिन्हें सीबीआई की सूची में गलती से गुरबक्स सिंह के रूप में पहचाना गया है।
290 राख में तब्दील

इक्कीस वर्षीय कुलविंदर सिंह, जस्सा के पुत्र

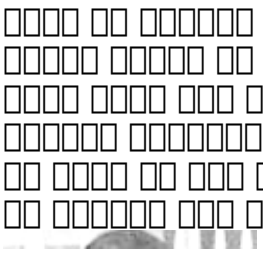

Ranjit Singh, son of Mukhtiar Singh and Gurdev

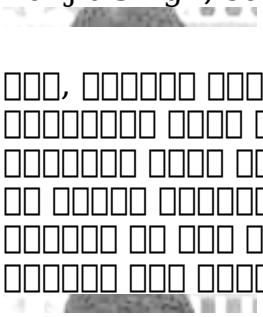

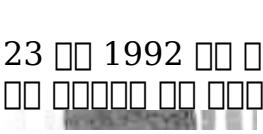

23 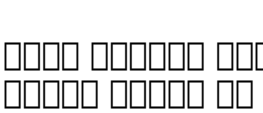

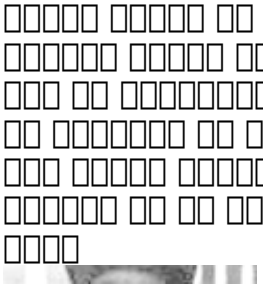

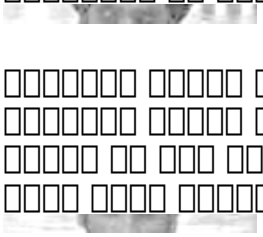

27 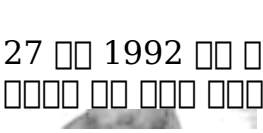

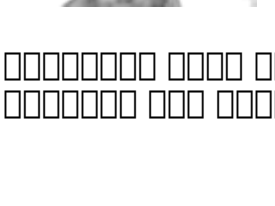

[illegible]

[illegible]

[illegible] 435/684 [illegible] 436/685[illegible]

[illegible] 156 – 158 [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 28 [illegible] 1992 [illegible] [illegible] [illegible] 62/92 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]: [1] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]; [2] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]; [illegible] [3] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 19/92, 20/92 [illegible] 21/92 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] "[illegible] [illegible]" [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] CCDP/01613 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (291)

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [

की सूचना मिलने पर, परिवार के सदस्यों ने अमृतसर जिले के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में उनका पता लगाने की व्यर्थ कोशिश की। रामदास पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कई बार उनके घर पर छापा मारा, इसके बावजूद उन्होंने अगले कई महीनों तक कश्मीर सिंह के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास जारी रखा। रामदास पुलिस स्टेशन के एसएचओ ने यह मानने से इनकार कर दिया कि कश्मीर सिंह को हिरासत में ले लिया गया है और सबूत मांगते हुए लगभग एक साल तक परिवार को परेशान करते रहे।
1993 में, एक दूर के रिश्तेदार, जो पुलिसकर्मी हैं, ने परिवार को सूचित किया कि झब्बल
मई 1992 के आखिरी सप्ताह में पुलिस ने कश्मीर सिंह और दो अन्य लोगों को मार गिराया था। इस रिश्तेदार ने उन्हें 28 मई 1992 को प्रकाशित दैनिक अजीत की एक प्रति भी दिखाई, जिसमें पंडोरी सिधवां गांव के पास मुठभेड़ में तीन आतंकवादियों - कश्मीर सिंह, जरनैल सिंह और राम सिंह - के मारे जाने की खबर छपी थी। खबर में कहा गया था कि उनका चौथा साथी, सराय अमानत खान का सुखदेव सिंह गुर्जर, भागने में कामयाब हो गया था। काफी समझाने-बुझाने के बाद झब्बल पुलिस ने इस खबर की पुष्टि की और रामदास पुलिस ने उनके घर पर छापेमारी बंद कर दी।
सीबीआई की सूची में राम सिंह, जिनका अंतिम संस्कार कश्मीर सिंह के साथ किया गया था, को एक अन्य व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है।
मडी कंबोके का निवासी। चूंकि इस क्षेत्र में इस नाम का कोई गाँव नहीं है, इसलिए हमें यह मान लेना चाहिए कि यह मारी कामो की है। हालांकि, कश्मीर सिंह के परिवार के सदस्यों के अनुसार, मोहन सिंह के पुत्र राम सिंह गगन महल के निवासी थे।
28 मई 1992 को दैनिक अजीत में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, तीन उग्रवादियों ने
पंडोरी सिधवां गांव के पास पुलिस के साथ मुठभेड़ में तीन आतंकवादी मारे गए और एक आतंकवादी भाग निकला। सीबीआई की पहचान की गई शवदाह सूची, क्रमांक 183/686, 184/687 और 185/688 के तहत, कश्मीर सिंह, जरनैल सिंह और राम सिंह के शवदाह को दर्शाती है। क्रमांक 437/689 और 438/690 के तहत, सीबीआई की अज्ञात शवदाह की तीसरी सूची में दो अन्य शवदाह दर्ज हैं, जो झब्बल पुलिस स्टेशन के एसएचओ सुबा सिंह द्वारा 28 मई 1992 को उसी एफआईआर संख्या 62/92 के तहत किए गए थे। सवाल यह है कि पहचान की गई सूची में शामिल तीन लोगों के साथ गुमनाम रूप से शवदाह किए गए ये व्यक्ति कौन थे और अगर मुठभेड़ में केवल तीन आतंकवादी मारे गए थे तो वे कहां से आए थे?
एक अलग घटना में, पुलिस ने कश्मीर सिंह के चचेरे भाई को भी गिरफ्तार कर उसकी हत्या कर दी।
Gurmukh Singh Lalli, son of Bachan Singh of Mojupura under Majitha police station in Amritsar district.
159. क्रमांक 186/695 के अंतर्गत, सीबीआई की सूची में टांडा निवासी सरदुल सिंह के पुत्र मनजीत सिंह के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जिसे पट्टी पुलिस स्टेशन के एसएचओ पूरन सिंह द्वारा संपन्न किया गया था। 292. राख में परिवर्तित।

5 जून 1992 को एफआईआर संख्या 37/92 के तहत थाने में मामला दर्ज किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर 5/6/92 की तारीख अंकित है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति को इस मामले के संबंध में घटना के गवाह से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हुई है-
डेंट रिपोर्ट फॉर्म संख्या CCDP/00132। मुख्य सूचनादाता पीड़िता की मां चरण कौर हैं।
मनजीत सिंह उर्फ मन्ना, 26 वर्ष का था और पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड में कार्यरत था।
उनका विवाह नरिंदर कौर से हुआ था और उनकी दो बेटियां हैं जिनकी उम्र अब 11 और 9 साल है।
पुलिस ने मनजीत सिंह को कई बार गैरकानूनी रूप से हिरासत में लेकर पूछताछ की थी।
पहले भी कई बार उन पर आतंकवादियों से संबंध होने का संदेह जताया गया था। 31 मई 1992 को दोपहर करीब 3 बजे, उनके घर पर भारतीय सेना की एक संयुक्त टीम ने छापा मारा, जिसका नेतृत्व उस समय महंतन थाथियां स्थित सेना शिविर में तैनात एक मेजर कर रहे थे, और पंजाब पुलिस की टीम का नेतृत्व पट्टी पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर पूरन सिंह और कैरों पुलिस चौकी के सब-इंस्पेक्टर बलबीर सिंह कर रहे थे। पुलिस और सेना ने मनजीत सिंह को उनके सभी रिश्तेदारों के सामने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें कैरों पुलिस चौकी ले गए।
1 जून 1992 को, सब-इंस्पेक्टर बलबीर सिंह ने गांव के बुजुर्गों के एक समूह से कहा कि
मंजीत के पिता सरदूल सिंह के साथ मंजीत के पुलिस स्टेशन गए थे।
सिंह से पूछताछ चल रही थी और पुलिस जांच पूरी होने के बाद उन्हें रिहा कर देगी। मनजीत को आखिरी बार 4 जून 1992 को पुलिस चौकी पर कुछ ग्रामीण बुजुर्गों ने देखा था, जो उनके मामले की पैरवी करने वहां गए थे। 6 जून 1992 को पंजाबी दैनिक अजीत ने मनजीत सिंह की मौत की खबर प्रकाशित की, जिसमें बताया गया था कि उग्रवादियों और पुलिस के बीच गोलीबारी में उनकी मृत्यु हो गई। खबर के अनुसार, उग्रवादियों ने तब हमला किया जब पुलिस मनजीत सिंह को हथियार बरामदगी के लिए ले गई थी।

According to Charan Kaur, Manjit’s mother, one

उसके उन भाइयों में से जो उसके बेटे को बहुत पसंद करते थे

मनजीत सिंह पुलिस द्वारा अपनी हत्या किए जाने के सदमे को सहन नहीं कर सका।

और जल्द ही शोक से उनकी मृत्यु हो गई। चरण कौर इसके बारे में भी बात करती हैं।

मनजीत की विधवा और उनके दो अनाथ बच्चों की दयनीय स्थिति। उनके पति अब बूढ़े, निराश और काम करने में असमर्थ हैं।

[illegible]

[illegible] 5 [illegible] 1992 [illegible] 37/92 [illegible] 5 [illegible] 1992 [illegible] "[illegible]" [illegible]

160. [illegible] 187/699 [illegible], [illegible], [illegible] 8 [illegible] 1992 [illegible] 40/92 [illegible] "[illegible]" [illegible]

[illegible] CCDP/01693 [illegible]

Forty-year-old Satnam Singh alias Satta, son of Mohan Singh and Preetam Kaur,

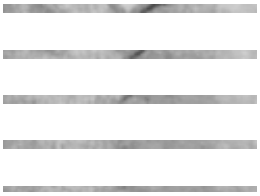

सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (293)

सतनाम अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के कोट बुद्धा डाकघर के भाओवाल गांव के निवासी एक मज़हबी सिख किसान थे। शिंदर कौर से विवाहित सतनाम के चार पुत्र थे, जो अब वयस्क हो चुके हैं। तीन एकड़ जमीन के मालिक होने के नाते, सतनाम को अपने परिवार के पालन-पोषण के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। वे ठेके पर दूसरों की जमीन पर भी खेती करते थे।
हालांकि सतनाम ने सिख धर्म अपना लिया था, फिर भी वह सिख धर्म के एक धार्मिक संप्रदाय के सदस्य थे।
सतनाम को “बिधि चंदिये” नामक एक आंदोलन कहा जाता था, जो मजबूत शांतिवादी आदर्शों पर आधारित था। उनका किसी भी उग्रवादी या राजनीतिक संगठन से कोई संबंध नहीं था। उन्हें कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था और न ही पुलिस ने उनसे पूछताछ की थी।
6 जून 1992 की दोपहर को सतनाम ने मैकेनिक निशान सिंह को बुलाया था।
सतनाम अपने खेत में ट्यूबवेल का इंजन ठीक कर रहे थे। काम में व्यस्त होने के दौरान, सबरा पुलिस चौकी के प्रभारी के नेतृत्व में छह पुलिसकर्मियों के एक दल ने सतनाम और उनके मैकेनिक निशान सिंह दोनों को गिरफ्तार कर लिया। कुछ ही घंटों में, जब सतनाम के भाई गुरनाम सिंह और उनके गांव के कई अन्य निवासी सबरा चौकी पर गए, तो पुलिसकर्मियों ने उन्हें बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्तियों को पूछताछ के लिए पट्टी पुलिस स्टेशन भेज दिया गया है। पट्टी पुलिस स्टेशन में गुरनाम और उनके साथियों को अंदर नहीं जाने दिया गया।
सतनाम के परिवार के सदस्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मिलने और उनसे अनुरोध करने के लिए लगातार प्रयास करते रहे।
उन्होंने उनसे यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि उनके अधिकारी उसके साथ कानून के अनुसार व्यवहार करें, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ।
8 जून 1992 को, दो पंजाबी समाचार पत्रों, अजीत और जगबानी ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की।
सबरा गांव के पास हुई एक मुठभेड़ के बारे में खबर आई, जिसमें बताया गया कि सतनाम सिंह सत्ता नामक एक आतंकवादी और उसका एक अज्ञात साथी मारा गया है। अखबार की रिपोर्ट पढ़ने के बाद, गुरनाम सिंह और उनके अन्य सदस्यों ने परिवार वाले पट्टी स्थित सिविल अस्पताल गए और पोस्टमार्टम के लिए लाए गए सतनाम के शव को देखने में कामयाब रहे। हालांकि, पुलिसकर्मियों ने शव को परिवार वालों को लौटाने से इनकार कर दिया और उनकी उपस्थिति के बिना ही अंतिम संस्कार कर दिया।
सीबीआई की अज्ञात शवदाह की सूची, क्रमांक 446/700 के अंतर्गत, दर्शाती है कि
8 जून 1992 को पट्टी पुलिस स्टेशन के एसएचओ पूरन सिंह द्वारा एफआईआर संख्या 40/92 के तहत दूसरा अंतिम संस्कार किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट

को एसएलजी-38/92 के रूप में चिह्नित किया गया है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
क्रमांक 161 – 163 के अंतर्गत, सूची में तरन तारन शहर पुलिस स्टेशन के एसएचओ गुरभचन सिंह द्वारा 9 जून 1992 को एफआईआर संख्या 57/92 के तहत किए गए तीन शवदाहों का उल्लेख है। ये शव हैं: [1] अजीत सिंह, पिता मंगल सिंह, निवासी बेहला; [2] लखविंदर सिंह, पिता चानन सिंह जाट, निवासी वारपाल; और [3] हरभंस सिंह, पिता मेहर सिंह जाट, निवासी सरहल्ली। पोस्टमार्टम रिपोर्टों को पीएस-24/92, ओपीजी-18/92 और ओपीजी-19/92 के रूप में चिह्नित किया गया है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति को अजीत सिंह के संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हुई है: लखविंदर सिंह और अन्य लोगों ने घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/00344, 00378 और 00379 के माध्यम से इसकी जानकारी दी है। मुख्य सूचनादाता अजीत सिंह के पुत्र सुखदेव सिंह, लखविंदर सिंह के पिता चन्नन सिंह और गांव के अन्य प्रत्यक्षदर्शी हैं।
सीबीआई की आंशिक रूप से शवदाह की सूची में उल्लिखित इन तीन शवदाह और पांच अन्य शवों का भी उल्लेख है।
क्रमांक 69/703, 70/704, 71/705, 72/706 और 73/708 के अंतर्गत पहचाने गए शवदाह 8 जून 1992 को बेहला में नौ व्यक्तियों की हत्या से संबंधित हैं। इन नौ में से 294 शव राख में परिवर्तित हो गए।

इनमें से तीन उग्रवादी थे और छह ग्रामीण थे जिनका उग्रवाद से कोई संबंध नहीं था, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हुए उस घर पर धावा बोला जिसमें तीनों उग्रवादी छिपे हुए थे। मुठभेड़ में मारे गए एक व्यक्ति का शव अभी तक नहीं मिला है। समिति ने घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/00343, 00344, 00378, 00379, 01374, 01375, 01376 और 01378 से इन मामलों के संबंध में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है। 8 जून 1992 की सुबह, पंजाब पुलिस के नेतृत्व में एक विशाल मिश्रित बल ने अभियान चलाया।
एसएसपी अजीत सिंह संधू और एसपी (ऑपरेशन) खूबी राम तथा सेना और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों ने बेहला गांव में पूर्व विधायक मनजिंदर सिंह के पुराने और वीरान घर को घेर लिया। बताया जा रहा है कि इस घर का इस्तेमाल बेहला गांव के तरलोक सिंह के पुत्र सुरजीत सिंह से जुड़े उग्रवादियों द्वारा छिपने की जगह के रूप में किया जा रहा था। उनका एक साथी, 18 वर्षीय सुखदेव सिंह उर्फ मद्दी, संतोख सिंह का पुत्र, भी बेहला का ही निवासी था। मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने शेरोन की एक चीनी मिल में काम करना शुरू कर दिया था। पुलिस अक्सर उसके बड़े भाई कुलबीर सिंह को गैरकानूनी रूप से हिरासत में लेकर यातनाएं देती थी, क्योंकि उन्हें शक था कि उसके उग्रवादियों से संबंध हैं। सुखदेव सिंह अपने भाई के उत्पीड़न को सहन नहीं कर सका और उसने खुद उग्रवादी बनने का फैसला किया। बाद में, उसके पिता संतोख सिंह का पुलिस ने अपहरण कर लिया और वे लापता हो गए। सुरजीत सिंह बेहला का तीसरा सहयोगी हरबंस सिंह था, जो अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल के सरहल्ली का रहने वाला मेहर सिंह का पुत्र था।
घर पर धावा बोलने से पहले, पुलिस ने सात या आठ ग्रामीणों को पकड़ने का फैसला किया।

धकेल दिया और उनकी आड़ लेकर जवाबी गोलीबारी की। इस मुठभेड़ में नामजद सभी छह लोग मारे गए। दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मुठभेड़ लगभग 30 घंटे तक चली।
तहखाने में छिपे तीन आतंकवादी, जो मारे गए, वे हैं: [1] सुरजीत सिंह
बेहला, तरलोक सिंह का पुत्र; [2] सुखदेव सिंह मद्दी, संतोख सिंह का पुत्र। दोनों बेहला गाँव के थे। [3] हरबंस सिंह, कार्रवाई में मारा गया तीसरा आतंकवादी, सरहल्ली कलां का निवासी था।
9 जून की शाम को पुलिस ने उन सभी लोगों के शव निकाले जो
पुलिस द्वारा मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किए गए लोगों और आतंकवादियों के बीच अंतर करने की जहमत उठाए बिना ही वे कार्रवाई में मारे गए थे। अगली सुबह पुलिस ने मीडिया को बताया कि उन्होंने नौ आतंकवादियों को मार गिराया है।
इस घटना के बाद, कई समाचार पत्रों ने पुलिस के दावों पर सवाल उठाते हुए खबरें प्रकाशित कीं और बताया कि कैसे छह असंबंधित ग्रामीणों को मौत के मुंह में धकेल दिया गया था। ऑपरेशन के दौरान घायल हुए दो अन्य लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। इस प्रचार से शर्मिंदा होकर, पंजाब सरकार ने बाद में एक जांच की घोषणा की, लेकिन वह जांच कभी पूरी नहीं हुई।
पुलिस ने 9 जून 1992 को तरन तारन में शवों का अंतिम संस्कार किया। अजीत सिंह का
परिवार के सदस्यों ने अंतिम संस्कार में भाग लिया, हालांकि, अन्य परिवारों को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई थी।
सीबीआई की सूची में अजीत सिंह, लखविंदर सिंह और अन्य के अंतिम संस्कार का उल्लेख है।
हरबंस सिंह, एक उग्रवादी और सुरजीत सिंह बेहला का सहयोगी। आंशिक रूप से पहचानी गई सूची में पांच अन्य लोगों के नाम क्रमांक 69/703, 70/704, 71/705, 72/706 और 73/708 के अंतर्गत हैं। सूची के अनुसार, तरन तारन शहर पुलिस स्टेशन के एसएचओ गुरबचन सिंह ने एफआईआर संख्या 57/92 के तहत मुठभेड़ के एक ही मामले में इन शवों का अंतिम संस्कार किया था। जिन लोगों का अंतिम संस्कार किया गया उनके नाम इस प्रकार हैं: [1] सुरजीत सिंह, निवासी बेहला; [2] सिक्कतार सिंह, निवासी बेहला; [3] निरंजन सिंह, निवासी बेहला; [4] मदन सिंह उर्फ मद्दी; [5] करतार सिंह, निवासी बेहला। इनमें से सुरजीत सिंह और मदन सिंह उर्फ मद्दी, जो संभवतः सुखदेव सिंह मद्दी थे, मुठभेड़ में मारे गए उग्रवादी थे। अन्य तीन, सिक्कातार सिंह, निरंजन सिंह और करतार सिंह को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए उठाया गया था। हैरानी की बात यह है कि सीबीआई ने क्रमांक 121/392 के तहत निरंजन सिंह के अंतिम संस्कार का रिकॉर्ड भी दोहराया है। इसमें निरंजन सिंह के अंतिम संस्कार की तारीख 18 अप्रैल 1991 से एक साल पहले दर्ज की गई है। सभी की पहचान करने की जानकारी न केवल पुलिस के पास थी, बल्कि समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हो चुकी थी। इसलिए, यह स्पष्ट नहीं है कि सीबीआई ने उन्हें आंशिक रूप से पहचाने गए शवों की सूची में क्यों रखा।
इन शवदाहों में सीबीआई की पहचान की गई और आंशिक रूप से पहचान की गई सूचियों का उल्लेख किया गया था।
गुरमेज सिंह का शव नहीं मिला है, जो उन छह ग्रामीणों में से एक था जिन्हें मानव ढाल बनने के लिए मजबूर किया गया और मार डाला गया। सीबीआई की अज्ञात शवदाह की सूची में 9 जून 1992 को किसी भी शवदाह का उल्लेख नहीं है।

296 राख में तब्दील

164. क्रमांक 192/713 के अंतर्गत, सूची में रशपाल सिंह उर्फ पल्ला, पुत्र प्रताप सिंह, निवासी हरपाल, थाना जंडियाला के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो वलतोहा पुलिस स्टेशन के एसएचओ सुभा सिंह द्वारा 13 जून 1992 को एफआईआर क्रमांक 29/92 के तहत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट एसएस-33/92 के रूप में अंकित है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने इस मामले के संबंध में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01624 है। मुख्य सूचनादाता पीड़ित के पिता प्रताप सिंह हैं।
प्रताप सिंह और वारियम कौर के पुत्र, बीस वर्षीय रचपाल सिंह एक
अमृतसर जिले के सुल्तानविंड पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पट्टी निहाले की के वरपाल गांव के निवासी रचपाल को आठवीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि उनके इकलौते भाई जगतार सिंह भारतीय सेना की 10 वीं सिख रेजिमेंट में जूनियर कमीशंड ऑफिसर (जेसीओ) थे। उनके पिता अकेले खेती-बाड़ी का काम नहीं संभाल पा रहे थे। रचपाल अविवाहित थे और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था।
11 जून 1982 की सुबह तड़के, एसएचओ सुबा सिंह के नेतृत्व में वाल्टोहा पुलिस ने छापा मारा।
प्रताप सिंह के घर पर पुलिस अधिकारी रछपाल के हाथ पीछे बांधकर उसे गाड़ी में बिठाकर ले गए। एसएचओ ने यह बताने से इनकार कर दिया कि वे रछपाल को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं और उसे कहाँ हिरासत में रखने वाले हैं। उसी दिन प्रताप सिंह अन्य ग्रामीणों के साथ वाल्टोहा, सुल्तानविंड, जंडियाला गुरु अमृतसर के सदर पुलिस स्टेशन और मॉल मंडी पूछताछ केंद्र सहित कई पुलिस थानों में गए। लेकिन रछपाल का पता नहीं चला।
रचपाल के अपहरण के चौथे दिन, उसी इलाके का एक युवा सिख लड़का
गांव का एक लड़का, जिसे 12 जून की सुबह वाल्टोहा पुलिस ने गैरकानूनी रूप से गिरफ्तार किया था, प्रताप सिंह के पास आया और उन्हें बताया कि पुलिस ने उसके बेटे से वाल्टोहा पुलिस स्टेशन में एक दिन तक पूछताछ की और फिर उसे फर्जी मुठभेड़ में मार डाला। इस लड़के ने उन्हें यह भी बताया कि एसएचओ सुबा सिंह ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने गांव में किसी को भी रचपाल के बारे में बताया तो उसे मार दिया जाएगा। उसने प्रताप सिंह को दैनिक अजीत अखबार की 14 जून 1992 की एक क्लिपिंग भी दिखाई, जिसमें वाल्टोहा पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक अज्ञात आतंकवादी के मारे जाने का जिक्र था।
यह सुनकर प्रताप सिंह ने अमृतसर के कुछ प्रभावशाली राजनीतिक नेताओं से संपर्क किया।
और उन्हीं के माध्यम से उनकी मुलाकात एसएचओ सुबा सिंह से हुई, जिन्होंने बेशर्मी से अपने बेटे को गिरफ्तार करने या उसकी हत्या करने से इनकार कर दिया।
इसी बीच, रचपाल के बड़े भाई जगतार सिंह ने अपने कमांडर को मना लिया। पुलिस अधिकारी (सी.ओ.) ने तरनतारन के एसएसपी को पत्र लिखकर पूछा कि क्या उनकी पुलिस ने रचपाल को हिरासत में लिया है। एसएसपी ने अपने जवाब में दावा किया कि पुलिस ने रचपाल सिंह को गिरफ्तार नहीं किया है और किसी भी मामले के संबंध में उसकी आवश्यकता नहीं है।
कुछ समय बाद, वरपाल पुलिस स्टेशन से एक अधिकारी प्रताप सिंह के घर आया।

[illegible]

[illegible] 13 [illegible] 1992 [illegible] 29 [illegible],

(297)

[illegible] 165 – 166. [illegible] 16 [illegible] 1992 [illegible] 16/92 [illegible]: [1] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible]; [illegible] [2] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible]-20/92 [illegible] [illegible]-29/92 [illegible] "[illegible] [illegible]" [illegible]

[illegible] CCDP/01546 [illegible] 01653[illegible]

1989 [illegible]

[illegible] 1992 [illegible]...

वह यातनाओं का शिकार हुआ और घर से दूर रहकर पुलिस से बचता रहा। जून 1992 के पहले सप्ताह में जंडियाला गुरु पुलिस स्टेशन द्वारा की गई एक छापेमारी के दौरान, दिलबाग के छोटे भाई सरवन सिंह, जो एक ट्रक चालक थे, को पकड़ लिया गया। कुछ दिनों बाद एक फर्जी मुठभेड़ में उनकी हत्या कर दी गई।
चरण सिंह और दलबीर के पुत्र, इक्कीस वर्षीय जसवंत सिंह उर्फ जस्सा।
कौर एक दर्जी थीं और अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल के झब्बल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत थथगढ़ डाकघर के जगतपुरा गांव में रहती थीं। मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपने गांव में दर्जी की दुकान खोली। जसवंत अविवाहित थे। उनकी मां के अनुसार, जसवंत 1991 में उग्रवादी आंदोलन से जुड़ गए और जब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पर छापा मारना शुरू किया तो वे घर छोड़कर भाग गए।
15 जून 1992 को सुरक्षा बलों को पता चला कि जसवंत सिंह और दिलबाग
जसवंत सिंह जगतपुरा गांव में छिपे हुए थे और उन्हें पकड़ने के लिए भारतीय सेना और तरनतारन पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया। घर-घर तलाशी के बाद, पुलिस दल ने गांव के सभी पुरुषों को एक खुले स्थान पर इकट्ठा होने का निर्देश दिया। फिर, गांव के कुछ निवासियों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर, पुलिस ने जसवंत सिंह के भाई अवतार सिंह और कई अन्य ग्राम बुजुर्गों को मानव ढाल बनाने और पुलिस बल से आगे उस घर की ओर बढ़ने का आदेश दिया, जहां जसवंत और दिलबाग के छिपे होने का संदेह था। घर पर धावा बोलने के दौरान, पुलिस बल ने भारी गोलीबारी की। मानव ढाल का हिस्सा रहे जसवंत सिंह के भाई अवतार सिंह गोलीबारी में मारे गए। जसवंत सिंह और दिलबाग सिंह भी मारे गए। पुलिस तीनों शवों को झब्बल पुलिस स्टेशन ले गई। तुरंत ही, दोनों भाइयों के परिवार, जसवंत सिंह (298) की मौत हो गई।

अवतार सिंह और दिलबाग सिंह झब्बल पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां तीन शव प्रांगण में पड़े थे। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें शव दिखाने से इनकार कर दिया और शवों को पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार के लिए ले गए। पुलिस ने परिवार के सदस्यों को अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति भी नहीं दी। वे बाहर इंतजार करते रहे और पुलिस के जाने के बाद ही अस्थियां एकत्र कीं। हालांकि, भारतीय सेना के कमांडेंट, जो झब्बल सैन्य क्षेत्र के प्रभारी थे, शिविर कार्यालय में, उन्होंने अवतार सिंह की पत्नी और परिवार के सदस्यों को अगली सुबह अपने कार्यालय में मिलने के लिए कहा। इस सेना अधिकारी ने तरन तारन के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को यह स्वीकार करने का निर्देश दिया कि अवतार सिंह आतंकवादी नहीं थे और गोलीबारी में मारे गए थे। उन्होंने तरन तारन पुलिस अधिकारियों को अवतार सिंह की विधवा को मुआवज़ा देने का भी आदेश दिया।
इस मुआवजे के भुगतान के लिए अपनाई गई कानूनी प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा, सीबीआई द्वारा चिह्नित अंतिम संस्कारों की सूची में अवतार सिंह के अंतिम संस्कार का उल्लेख नहीं है। सीबीआई द्वारा तैयार की गई किसी अन्य सूची में भी इस तिथि को झब्बल पुलिस द्वारा किए गए किसी अंतिम संस्कार का उल्लेख नहीं है।
सविंदर कौर, दिलबाग की मां, के अनुसार, उनके पति मोहिंदर सिंह
वह अपने दोनों बेटों की मौत का सामना नहीं कर सके और कुछ महीनों बाद दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई।

167 - 168. क्रमांक 195/722 और 196/723 के अंतर्गत, सूची में झब्बल पुलिस स्टेशन के एसएचओ द्वारा 17 जून 1992 को एफआईआर क्रमांक 68/92 के तहत किए गए दो शवदाहों का उल्लेख है। शवदाह किए गए लोगों के नाम इस प्रकार हैं: [1] दलबीर सिंह उर्फ बुघा, पिता शिंदर सिंह, निवासी पंच बरह, झब्बल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत; और [2] बामन, पिता मोहिंदर सिंह, निवासी पंचबरह, झब्बल पुलिस स्टेशन। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के क्रमांक नहीं दिए गए हैं। मृत्यु का कारण मुठभेड़ बताया गया है।
सीसीडीपी को घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हुई है।
सीसीडीपी/01396 और 01394. मुख्य सूचनादाता दलबीर की मां बलविंदर कौर और नरविंदर सिंह उर्फ बामन के पिता मोहिंदर सिंह हैं।
दलबीर सिंह झब्बल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पंजवार गांव का निवासी था।
टार्न तारन। वह 32 वर्ष के थे, विवाहित थे और राजमिस्त्री का काम करते थे।
उनकी विधवा ने अब पुनर्विवाह कर लिया है।
स्थानीय पुलिस मुखबिर कालू को पता चला कि दलबीर ने कुछ संपर्क बना लिए हैं।
इलाके में उग्रवादियों की सक्रियता को देखते हुए दलबीर को इस बात का डर था और वह ज्यादातर गांव से दूर ही रहता था।
25 मई 1992 को पुलिस ने उनके भाई कुलदीप सिंह को जबरन वसूली के लिए हिरासत में ले लिया।
दलबीर ने आत्मसमर्पण कर दिया। दलबीर सिंह ने पुलिस मुखबिर कालू को संदेश भेजा कि यदि पुलिस उसके परिवार को परेशान न करने का वादा करे तो वह आत्मसमर्पण पर चर्चा करना चाहेगा। 15 जून 1992 को, दलबीर अपने साथ नरविंदर सिंह उर्फ बामन (मोहिंदर सिंह का पुत्र, जो उसी गाँव का एक मज़हबी सिख लड़का था) को लेकर पंजवार गाँव के एक फार्महाउस में कालू से मिला। नरविंदर सिंह पंजवार गाँव के मज़हबियन दी थाठी में रहता था। वह 24 वर्ष का अविवाहित था और एक प्रसिद्ध उग्रवादी परमजीत सिंह पंजवार के परिवार के खेत में काम करता था। इसके अलावा उसका उग्रवाद से कोई संबंध नहीं था और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं था।
जब वे अभी बात कर ही रहे थे, तभी डीएसपी अशोक कुमार और एसएचओ के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंचा।
झब्बल पुलिस स्टेशन के सुबा सिंह ने घर को घेर लिया और जब दलबीर और उसके साथी ने भागने की कोशिश की, तो पुलिस बल ने दोनों को गोली मारकर हत्या कर दी। 16 जून 1992 को,
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (299)

अजीत ने पंजवार खुर्द में एक "मुठभेड़" में दो आतंकवादियों के मारे जाने की सूचना दी, लेकिन उसने केवल दलबीर सिंह की पहचान की।
दलबीर सिंह के भाई कुलदीप सिंह, जिनका 25 मई 1992 को अपहरण कर लिया गया था, भी लापता हो गए।
उनके पिता सुरिंदर सिंह अपने दोनों बेटों की मौत का दुख सहन नहीं कर पाए और छह महीने बाद शोक से उनकी मृत्यु हो गई।
169 – 172. क्रमांक 198/740, 199/741, 200/742 और 201/743 के अंतर्गत, सूची में 4 जुलाई 1992 को वलतोहा पुलिस स्टेशन के एसएचओ सुभा सिंह द्वारा एफआईआर क्रमांक 33/92 के तहत किए गए चार शवदाहों की पहचान की गई है। शवदाह

किए गए व्यक्तियों के नाम इस प्रकार हैं: [1] जस्सा सिंह, पुत्र सुध सिंह, निवासी लखर सिंह; [2] बेकर सिंह, पुत्र सज्जन सिंह, निवासी धूत; [3] जगतर सिंह उर्फ जगगु, पुत्र बंता सिंह, निवासी वेरोवाल; और [4] मुख्तियार सिंह, पुत्र जरनैल सिंह, निवासी जामस्पुर। पोस्टमार्टम रिपोर्टों को KS-27/92, KS-24/92, KS 25/92 और KS-22/92 के रूप में चिह्नित किया गया है। मृत्यु का कारण "गोली लगने से हुई चोटें" बताया गया है।
समिति को बिक्कर सिंह के संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हुई है: सीबीआई की घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01455, 01658 और 01659 के माध्यम से सूची में इन्हें गलती से बेकर सिंह, जगतार सिंह और मुख्तियार सिंह के रूप में पहचाना गया है। मुख्य सूचनादाता बेकर सिंह की विधवा और मुख्तियार सिंह के नियोक्ता निर्मल सिंह हैं।
सज्जन सिंह और सविंदर कौर के पुत्र बिक्कर सिंह 35 वर्षीय मजाहबी थे। अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के वाल्टोहा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत भंगाला डाकघर वाले गांव टूट के सिख निवासी बिक्कर सिंह को सीबीआई की सूची में गलती से धूत के रूप में पहचाना गया था। वाल्टोहा के एक कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद, बिक्कर सिंह ने एक निजी डॉक्टर के अधीन काम किया और फिर कपूरथला जिले के गांव भंडाल में अपना खुद का क्लिनिक खोला, जो ग्रामीण पंजाब में आम बात है। दाढ़ी-मूंछ साफ किए हुए सिख बिक्कर सिंह का विवाह लखविंदर कौर से हुआ था और उनके दो बेटियां और एक बेटा था। लखविंदर कौर के अनुसार, उनके पति किसी भी राजनीतिक या उग्रवादी समूह से जुड़े नहीं थे और उन्हें कभी गिरफ्तार या पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया था।
30 जून 1992 को दोपहर लगभग 2:45 बजे, वाल्टोहा पुलिस स्टेशन के एसएचओ सुबा सिंह ने नेतृत्व किया।
भंडाल गांव में बिकर सिंह के क्लिनिक पर छापा मारने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस के साथ लखविंदर कौर के दो भाई, पूरन सिंह और सुरजीत सिंह, उनकी बहन मनजीत कौर और उनकी मां बलवंत कौर भी थीं, जिन्हें दो दिन पहले उनके गांव सहबाजपुर से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने बिकर सिंह को हिरासत में ले लिया। वे उसे उसके घर ले गए और घर की पूरी तरह से तलाशी ली। कई ग्रामीणों ने तलाशी देखी और पुलिस अधिकारियों से बिकर सिंह को छोड़ने का आग्रह किया। हालांकि, एसएचओ सुबा सिंह तलाशी पूरी करने के बाद उसे अपने साथ ले गए। तलाशी में कुछ भी आपत्तिजनक बरामद नहीं हुआ।
लखविंदर कौर तुरंत सहबाजपुर स्थित अपने माता-पिता के घर लौट गईं। लखविंदर कौर को पता चला कि उनके परिवार के सभी सदस्य पिछले कई दिनों से वाल्टोहा पुलिस की अवैध हिरासत में थे। हालांकि, बिक्कर सिंह की गिरफ्तारी के बाद वाली रात को वाल्टोहा पुलिस ने उन सभी को रिहा कर दिया।
अगले दो दिनों तक लखविंदर कौर ने एसएचओ सुबा सिंह से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन अपने पति की अवैध गिरफ्तारी के मामले को आगे बढ़ाने में उन्हें सफलता नहीं मिली।
बंता सिंह और पियार कौर के पुत्र, तीस वर्षीय जगतर सिंह भी एक थे।
भंगाला डाकघर के गांव टूट का रहने वाला एक मज़हबी सिख, जिसने बिकर सिंह की तरह ही उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद एक निजी डॉक्टर से चिकित्सा प्रशिक्षण प्राप्त किया था और खुद को डॉक्टर कहता था। उसने भंडाल गांव में एक क्लिनिक भी खोला था। 300 लोग राख में तब्दील हो गए।

According to Lakhwinder Kaur, the Valtoha police arrested Jagtar Singh from his

[illegible] 33/92 [illegible]
[illegible]-28/92 [illegible]
173. [illegible] 203/758 [illegible] 13 [illegible] 1992 [illegible] 32/92 [illegible]-57/92 [illegible] (301)

CCDP/01691 [illegible] 2002 [illegible] 1991 [illegible] 1992 [illegible]
174. [illegible] 204/765 [illegible] 14 [illegible] 1992 [illegible] 33/92 [illegible]-34/92 [illegible]

समिति ने घटना के पुनरावलोकन के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है-
पोर्ट फॉर्म संख्या CCDP/01586. मुख्य सूचनादाता पीड़ित का चचेरा भाई मलकीत सिंह है।
सरदूल सिंह और जागीर कौर के पुत्र, बीस वर्षीय सुखविंदर सिंह, एक
अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के हरिके पुलिस स्टेशन के अंतर्गत बाथे भैनी डाकघर वाले नादोहर गांव के निवासी सुखविंदर तीन भाइयों में सबसे छोटे थे। उन्होंने मैट्रिक तक पढ़ाई की और अपने गांव में एक किराना दुकान खोली। वे अविवाहित थे।
1990 की शुरुआत में, सुखविंदर एक पारिवारिक झगड़े में उलझ गया और बुरी तरह घायल हो गया।
उसकी मां की बाद में चोटों के कारण मृत्यु हो गई। हालांकि परिवार के सदस्यों ने घटना की सूचना पुलिस को नहीं दी, लेकिन डर और पछतावे से व्याकुल सुखविंदर घर छोड़कर उग्रवादियों के समूह में शामिल हो गया। पुलिस ने उसके घर पर छापा मारना शुरू कर दिया और उसके ठिकाने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए परिवार के कई सदस्यों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। 10 जुलाई 1992 को सुखविंदर को पट्टी शहर में एक परिवार के घर से गिरफ्तार किया गया था।
मूल रूप से नादोहर गांव के रहने वाले सुखविंदर को जब उनकी गिरफ्तारी की सूचना मिली, तो उनके परिवारवाले पट्टी पुलिस स्टेशन गए, लेकिन एसएचओ या किसी अन्य जिम्मेदार अधिकारी से बात नहीं कर पाए। पट्टी पुलिस स्टेशन के कुछ कांस्टेबलों ने उन्हें बताया कि पुलिस पट्टी स्थित सीआईए स्टाफ पूछताछ केंद्र में सुखविंदर से पूछताछ कर रही है।
15 जुलाई 1992 को, कई समाचार पत्रों ने हत्या के बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित की।
सुखविंदर सिंह की मृत्यु बू के पास हरिके पुलिस के साथ मुठभेड़ में हुई।
पुलिस ने पहले ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया था।
175 – 176. क्रमांक 205/773 और 206/774 के अंतर्गत, सूची में 302 शवदाह को राख में परिवर्तित करने की पहचान की गई है।

21 जुलाई 1992 को तरन तारन नगर पुलिस स्टेशन के एसएचओ द्वारा एफआईआर संख्या 85/92 के तहत की गई जांच में मृतक निम्नलिखित व्यक्तियों के शवों का पोस्टमार्टम किया गया: [1] सलविंदर सिंह, पिता जागीर सिंह, निवासी बाजार तरन तारन; और [2] कुलवंत सिंह, पिता तरलोक सिंह, निवासी पदरी कलां। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एसएन-22/92 और एसएन-21/92 के रूप में चिह्नित किया गया है। मृत्यु का कारण "गोली लगने से लगी चोटें" बताया गया है। समिति ने सलवंत सिंह के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है: सीबीआई की घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01581 के माध्यम से, उसे गलती से कुलवंत सिंह के रूप में दर्ज किया गया था। मुख्य सूचनादाता पीड़ित का चाचा गुरनाम सिंह है।
तरलोक सिंह और सुरजीत कौर के पुत्र, पचास वर्षीय सलवंत सिंह एक किसान थे। अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल के झब्बल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पट्टी भारू की जिले के पधरी कलां गांव के निवासी। उनका विवाह पाल कौर से हुआ था और उनके दो बेटियां और एक बेटा था। सबसे बड़ी बेटी सुखराज कौर अब 25 वर्ष की हैं।

177. क्रमांक 207/785 के अंतर्गत सूची में गुरवंत सिंह के पुत्र हरीश सिंह, निवासी सरहिंदपुरा के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो वेरोवाल पुलिस स्टेशन के एसएचओ रामनाथ द्वारा एफआईआर क्रमांक 35/92 के तहत 28 जुलाई 1992 को किया गया था। पोस्टमार्टम क्रमांक पीके-41/92 है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01475 के माध्यम से समिति ने जानकारी प्राप्त की है।
निम्नलिखित जानकारी। मुख्य सूचनादाता पीड़ित का भाई कुलदीप सिंह है। हरि सिंह उर्फ हरीश सिंह पुत्र गुरवंत सिंह निवासी मरगिंदपुरा थानांतर्गत
अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के भीखीविंड पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार किया गया हरि सिंह 22 वर्षीय युवक था, जिसने मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक निजी डॉक्टर के अधीन कंपाउंडर का प्रशिक्षण लिया और फिर घरियाला में अपना क्लिनिक खोला। हरि सिंह का न तो कोई राजनीतिक या उग्रवादी पृष्ठभूमि थी और न ही कोई पुलिस रिकॉर्ड।
लगभग 25 जुलाई 1992 को हरि सिंह अपने लिए कुछ दवाइयां खरीदने पट्टी गए थे। क्लिनिक। सूचना देने वाले कुलदीप सिंह, जो हरि सिंह के भाई हैं, के अनुसार, एसएचओ सुरिंदर सिंह के नेतृत्व में गोइंदवाल पुलिस ने हरि सिंह और फिरोजपुर के बागगेवाल गांव के गुरदयाल सिंह को उस समय हिरासत में लिया, जब वे पट्टी में रेलवे क्रॉसिंग के पास एक स्टॉल पर चाय पी रहे थे। मारगिंदपुरा गांव के कुछ निवासियों ने, जिन्होंने गिरफ्तारी देखी थी, हरि सिंह के परिवार को सूचना दी, जिन्होंने गांव के बुजुर्गों के साथ अगले दिन एसएचओ गोइंदवाल से मिलने की कोशिश की। एसएचओ उनसे गिरफ्तारी के तीसरे दिन, 28 जुलाई को ही मिले और उन्हें बताया कि हरि सिंह की हत्या कर दी गई है। यह जानकर कि शवों को अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया गया है, परिवार के सदस्य और उनके शुभचिंतक श्मशान घाट पहुंचे। शवों को जला दिया गया था और वे उनकी पहचान करने में असमर्थ थे।
अगले दिन, पंजाबी अखबारों में उनकी हत्या की खबर छपी।
यह मुठभेड़ कथित तौर पर जौहल-भैल गांव के पास हुई थी।
कुलदीप सिंह इस बात पर जोर देते हैं कि उनके भाई के साथ मारे गए दूसरे व्यक्ति का नाम
फिरोजपुर जिले के बागगेवाल गांव के गुरदयाल सिंह। हालांकि, सीबीआई की पहचाने गए और आंशिक रूप से पहचाने गए लोगों की सूचियों में 28 जुलाई 1992 को गुरदयाल सिंह के अंतिम संस्कार का उल्लेख नहीं है। आंशिक रूप से पहचाने गए लोगों की सूची, क्रमांक 86/786 के तहत, उसी एफआईआर संख्या के तहत एसएचओ राम नाथ द्वारा मंगवाए गए मालियां निवासी बलविंदर सिंह के अंतिम संस्कार को दर्शाती है। एक ही एफआईआर संख्या से हमें कोई संदेह नहीं रहता कि शव इस मामले में गिरफ्तार और मारे गए दूसरे व्यक्ति का था। फिरोजपुर जिले के बागगेवाल गांव के गुरदयाल सिंह, मालियां गांव के बलविंदर सिंह कैसे बन गए? यह हमें नहीं पता। इस मामले में और अधिक शोध की आवश्यकता है।
क्रमांक 208/787, 209/788 और 210/789 के अंतर्गत दी गई सूची में वाल्टोहा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर सुभा सिंह द्वारा 29 जुलाई 1992 को किए गए तीन शवदाहों का उल्लेख है, जिनका उल्लेख एफआईआर क्रमांक 38/92 में किया गया है। ये शवदाहकर्ता हैं: [1] जगतर सिंह, पुत्र जोग्गा सिंह, निवासी भुगा; [2] सुखदेव सिंह, पुत्र रेशम सिंह, निवासी शहीद; और [3] सविंदर सिंह उर्फ

शिंदा, पुत्र बल्ला सिंह, निवासी बुंडाला। पोस्टमार्टम रिपोर्टों को एसएलजी-63/92, एसएलजी-64/92 और एसएलजी-65/92 के रूप में चिह्नित किया गया है। सभी मामलों में मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
304 राख में तब्दील

समिति ने सुखदेव सिंह के मामले में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है। घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01525 के माध्यम से। मुख्य सूचनादाता पीड़िता की मां मनजीत कौर हैं।
रेशम सिंह के पुत्र, अट्ठाईस वर्षीय सुखदेव सिंह उर्फ सुखा।
मनजीत कौर, अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के शहीद गांव की निवासी थीं। दो भाइयों और एक बहन में सबसे बड़े सुखदेव, बपतिस्मा प्राप्त सिख थे, जो अपने परिवार के खेत में काम करते थे और पंजाब में चल रहे राजनीतिक या उग्रवादी आंदोलन से उनका कोई संबंध नहीं था। उन्हें कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था। वे अविवाहित थे।
28 जुलाई 1992 की सुबह, सुखदेव सिंह अपनी बहन से मिलने गांव कलसिया गए। रास्ते में, उन्हें पट्टी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कैरन पुलिस चौकी के पुलिसकर्मियों ने गिरफ्तार कर लिया। परिवार को गिरफ्तारी की जानकारी तब मिली जब कैरन पुलिस चौकी से भारी संख्या में पुलिस बल, सीआरपीएफ की एक टुकड़ी के साथ, सुबह लगभग 11 बजे उनके गांव स्थित घर पर छापा मारा। सुखदेव सिंह, जिन्हें पहले ही बुरी तरह प्रताड़ित किया जा चुका था, तलाशी अभियान में सहयोग करने के लिए पुलिस के साथ थे। पुलिस बल ने अगले कई घंटों तक गहन तलाशी अभियान चलाया, लेकिन उन्हें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। कई पड़ोसियों के साथ-साथ परिवार के सदस्यों ने भी सुखदेव सिंह को पुलिस हिरासत में देखा। तलाशी अभियान के बाद, पुलिस सुखदेव सिंह को उनके चाचा स्वर्ण सिंह के साथ अपने साथ ले गई।
अगले दिन सुखदेव की मां मनजीत कौर, अपने कई साथियों के साथ...
ग्राम परिषद के सदस्य कैरों पुलिस चौकी गए और अधिकारियों से उनके बेटे को रिहा करने की गुहार लगाई। पुलिस ने सुखदेव को रिहा नहीं किया, लेकिन उसके चाचा स्वर्ण सिंह को रिहा कर दिया। परिवार के सदस्य अगले कई दिनों तक कैरों पुलिस चौकी के चक्कर लगाते रहे, लेकिन उन्हें परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया गया और किसी भी अधिकारी ने उनसे बात नहीं की।
जब तक सीसीडीपी के सदस्य मामले की जांच के लिए परिवार से मिलने नहीं गए, तब तक परिवार
28 जुलाई 1992 को कैरों पुलिस चौकी द्वारा सुखदेव सिंह की गिरफ्तारी और उनके घर की तलाशी के बाद उनके साथ क्या हुआ, इसकी कोई औपचारिक जानकारी समिति के सदस्यों को नहीं थी। समिति के सदस्यों ने मनजीत कौर को सीबीआई द्वारा जारी किए गए शवदाह की सूची के बारे में बताया, जिसमें यह दर्शाया गया है कि वलतोहा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर सुभा सिंह ने 29 जुलाई 1992 को सुखदेव और दो अन्य लोगों का शवदाह किया था। यह सुनकर सुखदेव की मां और परिवार के अन्य सदस्य फूट-फूटकर रोने लगे। हालांकि, यह जानकारी उनके लिए कोई बड़ा सदमा नहीं थी, क्योंकि उन्होंने 30 जुलाई 1992 को एक अखबार में यह खबर पढ़ी थी कि वलतोहा पुलिस के साथ मुठभेड़ में तीन आतंकवादी मारे गए थे। मनजीत कौर के अनुसार, अखबार की रिपोर्ट में केवल दो व्यक्तियों की पहचान की गई थी और तीसरे को अज्ञात बताया गया था। अखबार की रिपोर्ट में जिन दो व्यक्तियों की पहचान की गई थी, वे थे:

[1] सविंदर सिंह, पुत्र बाला सिंह, निवासी बुंदाला गांव; और [2] जगतार सिंह, पुत्र जोगा सिंह, निवासी बुग्गा गांव।
मनजीत कौर के अनुसार, दो अलग-अलग घटनाओं में पुलिस ने गिरफ्तारियां भी कीं और
सुखदेव के दो चाचाओं की हत्या कर दी। उनके नाम हैं: [1] बलकार सिंह, हरि सिंह का पुत्र, जांद गाँव का निवासी; और [2] संतोख सिंह, गुरन सिंह का पुत्र, लुहका गाँव का निवासी।
181. क्रमांक 211/792 के अंतर्गत सूची में सलविंदर सिंह शिंदर, पुत्र मलकीत सिंह, निवासी वारिंग सूबा सिंह के अंतिम संस्कार की पहचान की गई है, जो कि तरन तारन शहर पुलिस स्टेशन के एसएचओ गुरभचन सिंह द्वारा 2 अगस्त 1992 को एफआईआर संख्या 91/92 के अंतर्गत किया गया था।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (305)

पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर KK-52/92 अंकित है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने घटना रिपोर्ट के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की है। प्रपत्र संख्या CCDP/01617. मुख्य सूचनादाता पीड़ित के पिता मलकीत सिंह हैं।
मलकीत सिंह और जसबीर कौर के बीस वर्षीय पुत्र सलविंदर सिंह एक
अमृतसर जिले के खदूर साहिब उपमंडल के वेरोवाल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पट्टी बरियान वाली के वारिंग सुबा सिंह गांव का रहने वाला सलविंदर एक कॉलेज छात्र था। तीन भाइयों में सबसे छोटा सलविंदर ने उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी कर ली थी और 1992 की शुरुआत में खदूर साहिब कॉलेज में दाखिला लिया था। उसी दौरान वेरोवाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के इरादे से उसके घर पर छापा मारा। सलविंदर उस समय घर पर नहीं था। पुलिस ने उसके परिवार वालों को उसे पूछताछ के लिए पेश करने का निर्देश दिया, लेकिन सलविंदर यातना के डर से घर छोड़कर अपने दोस्तों के पास रहने चला गया। पुलिस ने सलविंदर के ठिकाने के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए उसके परिवार वालों को परेशान करना, हिरासत में लेना और यातना देना शुरू कर दिया।
2 अगस्त 1992 को पुलिस ने तारन तारन की मुख्य सड़क पर सलविंदर की हत्या कर दी।
सलविंदर अपने कुछ दोस्तों के साथ शहर में घूम रहा था। तभी एक गश्ती दल ने उसे पहचान लिया और गोली मार दी। जब तक परिवार को सलविंदर की मौत की खबर मिली, पुलिस उसके शव का अंतिम संस्कार कर चुकी थी।
उनके पिता मलकीत सिंह घटना के बारे में बात करने से बेहद डरे हुए लग रहे थे और उन्होंने कहा कि
वह इस मामले में कोई कानूनी कार्रवाई करने में रुचि नहीं रखता था। क्रमांक 214/809 और 215/810 के अंतर्गत, सूची में झब्बल पुलिस स्टेशन के एसएचओ अशोक कुमार द्वारा 15 अगस्त 1992 को किए गए दो शवदाहों का उल्लेख है, जिनका उल्लेख एफआईआर संख्या 91/92 में किया गया है। ये शव हैं: [1] परमजीत सिंह उर्फ पम्मा, पिता सुचा सिंह, निवासी नौशेरा दल्ला खस्सा; और [2] नरिंदर पाल सिंह, पिता हरि सिंह, निवासी कसैल खस्सा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को केएसए-17/92 और केएसए-18/92 के रूप में चिह्नित किया गया है। मृत्यु का कारण "गोली लगने से लगी चोटें" बताया गया है।
सीसीडीपी ने परमजीत सिंह के संबंध में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।

घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01421 के माध्यम से। मुख्य सूचनादाता पीड़िता की मां शिंडो हैं।
Paramjit was a 16-year-old Mazhabi Sikh boy from Naushehra Dhala village
un-

परमजीत का जन्म तरन तारन के गांधीविंड सरन पुलिस स्टेशन में हुआ था। उनके पिता सुचा सिंह का निधन तब हो गया था जब परमजीत बहुत छोटे थे और उनकी माता शिंदो ने भारी आर्थिक कठिनाइयों के बीच उनका पालन-पोषण किया। परमजीत स्कूल नहीं गए और दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करते थे। वे उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित हुए और संभवतः इसके सदस्यों के साथ उनके कुछ गुप्त संपर्क भी बन गए थे।
16 अगस्त 1992 को पंजाबी दैनिक अजीत ने एक मुठभेड़ के बारे में रिपोर्ट प्रकाशित की।
भोजिया गांव के पास, जहां पुलिस ने कथित तौर पर परमजीत सिंह पम्मा और हरि सिंह के पुत्र नरिंदर पाल सिंह नीतू (कसेल निवासी) की हत्या कर दी थी। परिवार को अंतिम संस्कार की सूचना नहीं दी गई और उन्होंने शव भी नहीं देखा। परमजीत सिंह की मां शिंदो के अनुसार, तरन तारन पुलिस ने उनके बेटे को पहले ही हिरासत में ले लिया था और मुठभेड़ को झूठा साबित किया था, लेकिन उनके पास अपने संदेह को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। डर, गरीबी और अशिक्षा के कारण परिवार इस मामले को आगे नहीं बढ़ा सका।
184 – 185. क्रमांक 223/837 और 224/838 के अंतर्गत, सूची में दो 306 को राख में परिवर्तित किया गया है।

वाल्टोहा पुलिस स्टेशन के एसएचओ गोविंदर सिंह द्वारा 11 सितंबर 1992 को एफआईआर संख्या 52/92 के तहत किए गए अंतिम संस्कार निम्नलिखित व्यक्तियों के हैं: [1] रेशम सिंह, पुत्र स्वर्ण सिंह जाट, निवासी डेरीवाल; और [2] जसपाल सिंह उर्फ जस्सा, पुत्र निर्मल सिंह जाट, निवासी डेरीवाल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट केएस-56/92 और केएस-57/92 के रूप में दर्ज हैं। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
सीसीडीपी ने अपने माध्यम से इन मामलों के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01569 और 01568। मुख्य सूचनादाता पीड़ितों के पिता स्वर्ण सिंह और निर्मल सिंह हैं।
स्वर्ण सिंह और जागीर कौर के पुत्र, इक्कीस वर्षीय रेशम सिंह, एक
अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के धारीवाल गांव के निवासी, बलविंदर सिंह दो भाइयों में बड़े थे। उन्होंने आठवीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी और अपने पिता को कृषि कार्यों में मदद करने लगे। उनका विवाह बलविंदर कौर से हुआ और उनकी एक बेटी रंजीत कौर है, जो अब 10 वर्ष की है। उनकी विधवा ने बाद में पुनर्विवाह कर लिया। बलविंदर सिंह और उनके परिवार के सदस्यों का किसी भी राजनीतिक या उग्रवादी संगठन से कोई संबंध नहीं था और फांसी से पहले उन्हें कभी गिरफ्तार या परेशान नहीं किया गया था।
निर्मल सिंह और दलबीर कौर के पुत्र, उन्नीस वर्षीय जसपाल सिंह,
उसी गाँव का रहने वाला जसपाल सातवीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ चुका था और खेती-बाड़ी का काम करता था। जसपाल को कविता का बहुत शौक था और वह उन शहीदों की वीरगाथाएँ सुनाने में माहिर था, जिन्होंने मुग़ल, अफ़गान और ब्रिटिश शासन के दौरान राज्य के अत्याचारों और उत्पीड़न का सामना करते हुए अपनी

जान गंवाई थी। सुरक्षा बलों की हिरासत में मारे गए लोगों की याद में आयोजित समारोहों में उसे कविता पाठ के लिए निमंत्रण मिलते थे। पुलिस को उसका कविता पाठ आपत्तिजनक लगता था और उसने उसे कई बार गिरफ्तार कर यातनाएँ भी दीं। हालाँकि, उन्होंने उसे झूठे आपराधिक मामलों में नहीं फँसाया। जुलाई 1992 के अंत में एक सुबह लगभग 6 बजे, एएसआई के नेतृत्व में घरियाला पुलिस ने छापा मारा।
निर्मल सिंह ने रेशम सिंह को उसके घर से गिरफ्तार किया और फिर जसपाल सिंह के घर गए। जसपाल अपने खेतों में काम कर रहे मजदूरों को चाय पिलाने गया हुआ था। पुलिसकर्मियों ने उसके पिता को अपने साथ खेतों में चलने के लिए मजबूर किया और जसपाल को भी गिरफ्तार कर लिया। घरियाला पुलिस ने परिवारों को बताया कि दोनों लड़कों से पट्टी पुलिस स्टेशन में पूछताछ की जाएगी। परिवार पट्टी पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां उन्हें अपने लड़कों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली और उन्हें घरियाला पुलिस चौकी में पूछताछ करने के लिए कहा गया। घरियाला पुलिस चौकी में एएसआई निर्मल सिंह ने उन्हें बताया कि उन्होंने रेशम और जसपाल दोनों को वाल्टोहा पुलिस के हवाले कर दिया है। परिवार, गांव के बुजुर्गों के साथ, वाल्टोहा पुलिस स्टेशन गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। चूंकि परिवारों को लड़कों का पता लगाने में कोई सफलता नहीं मिली, इसलिए उन्होंने स्थानीय कांग्रेस विधायक गुरचेत सिंह से मदद मांगी। गुरचेत ने बाद में दावा किया कि वह पुलिस अधिकारियों से मिले थे और उन्होंने आश्वासन दिया कि रेशम और जसपाल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। कांग्रेस विधायक ने परिवारों को यह भी बताया कि दोनों लड़कों को एक मामले की जांच के सिलसिले में वाल्टोहा पुलिस स्टेशन में रखा गया है। हालांकि, परिवार के सदस्य अगले पांच हफ्तों तक प्रतिदिन कई घंटों तक पुलिस स्टेशन के बाहर इंतजार करते रहे, लेकिन वे उनसे मिल नहीं पाए।
11 सितंबर 1992 की सुबह, परिवार के दोस्तों ने उन्हें एक घटना के बारे में बताया।
जांद गांव के पास एक "मुठभेड़" हुई जिसमें कथित तौर पर दो सिख युवकों की मौत हो गई। तुरंत ही दोनों परिवारों के सदस्य पट्टी सिविल अस्पताल पहुंचे। रेशम सिंह के पिता स्वर्ण सिंह किसी तरह अस्पताल में प्रवेश करने में कामयाब रहे और उन्होंने मृतकों की पहचान की।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (307)

रेशम सिंह और जसपाल सिंह के शवों का अंतिम संस्कार पुलिस ने करवाया और परिजनों को वहां उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी।
12 सितंबर 1992 को दैनिक अखबार अजीत ने पास में हुई मुठभेड़ के बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित की।
जांद गांव, जहां पुलिस ने दो अज्ञात आतंकवादियों को मार गिराने का दावा किया है।
परिवार वाले बेबस थे और न्याय की मांग करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। अब उन्हें डर है कि अगर वे अपनी आवाज उठाएंगे तो उन्हें प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा।
186. क्रमांक 226/844 के अंतर्गत, सूची में 17 सितंबर 1992 को मंजिंदर सिंह उर्फ शमशेर सिंह उर्फ शेरा, पुत्र जसबीर सिंह, निवासी मुच्छल, के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो हरिके पुलिस स्टेशन के एसआई रघुबीर सिंह द्वारा एफआईआर क्रमांक 46/92 के तहत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को

एसएलजी-84/92 के रूप में चिह्नित किया गया है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने इस मामले के संबंध में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01556। इस मामले में सूचना देने वाला जवाहर सिंह है, जो पीड़ित के पिता का सही नाम है, जिसे सीबीआई की सूची में गलती से जसबीर सिंह के रूप में दर्ज किया गया है।
सीबीआई की सूची में उनके पैतृक गांव का नाम भी गलत तरीके से मुच्छल लिखा गया है।
यह गांव अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल के झब्बल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मनोचाहल गांव में स्थित है। मनोचाहल गांव के जवाहर सिंह और मनजीत कौर के पुत्र 21 वर्षीय मनजिंदर उर्फ शमशेर सिंह हाई स्कूल के छात्र थे और जाने- माने सिख उग्रवादी नेता गुरबचन सिंह मनोचाहल के अनुयायी थे।
इस संबंध के चलते पुलिस अक्सर उसके घर पर छापा मारती थी और
उसके करीबी परिवार के सदस्यों को लंबे समय तक यातना देकर पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया गया। यहां तक कि उसके दादा-दादी और चाचाओं को भी नहीं बख्शा गया।
उनके पिता जवाहर सिंह और चाचा कश्मीर समेत परिवार के कई सदस्य इस घटना से प्रभावित हुए।
सिंह और उनके भाई मेजर सिंह, सीआईए के तरन तारन स्थित पूछताछ केंद्र में अवैध हिरासत में थे, जब 12 सितंबर 1992 को मनजिंदर को रूरे असल गांव के एक घर से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस उन्हें तरन तारन स्थित पूछताछ केंद्र ले गई और उनके परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में कई दिनों तक उन पर बेरहमी से अत्याचार किया। एक हफ्ते बाद उनके परिवार के सदस्यों को रिहा कर दिया गया।
17 सितंबर 1992 को दैनिक अखबार अजीत ने एक मुठभेड़ के बारे में रिपोर्ट प्रकाशित की।
अलीपुर और नबीपुर गांवों के बीच स्थित उस इलाके में, जहां हरिके पुलिस ने कथित तौर पर तीन आतंकवादियों को मार गिराया था। इनमें से दो की पहचान मनोचाहल के मंजिंदर सिंह और रसूलपुर के ठाकुर सिंह पम्मा के रूप में हुई। रिपोर्ट में मुठभेड़ में मारे गए तीसरे आतंकवादी की पहचान अज्ञात बताई गई है।
सीबीआई की आंशिक रूप से पहचाने गए शवदाहों की सूची, क्रमांक 91/843 के अंतर्गत, दर्ज करती है।
रसूलपुर निवासी अवतार सिंह उर्फ ठाकुर सिंह उर्फ पप्पू का अंतिम संस्कार 17 सितंबर 1992 को हरिके पुलिस स्टेशन की एफआईआर संख्या 46/92 के अंतर्गत किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एसएलजी-83/92 के रूप में चिह्नित किया गया है। अवतार सिंह की कहानी का संक्षिप्त विवरण संबंधित अनुभाग में दिया गया है। उसी दिन हुए अज्ञात शव के अंतिम संस्कार को सीबीआई की अज्ञात शवदाह की तीसरी सूची में क्रमांक 529/845 के अंतर्गत दर्ज किया गया है। पुलिस ने परिजनों को अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी। 187 - 188. क्रमांक 227/851 और 228/852 के अंतर्गत, सूची में 19 सितंबर 1992 को झब्बल पुलिस स्टेशन के एसएचओ अशोक कुमार द्वारा किए गए दो शवदाहों की पहचान की गई है। 308 शव राख में परिवर्तित हो गए।

एफआईआर संख्या 102/92 के तहत थाने में दर्ज की गई। मृतक के नाम इस प्रकार हैं: [1] बलवंत सिंह, पिता मोहिंदर सिंह, निवासी कसैल; और [2] मलकीत सिंह, पिता सरदूल सिंह, निवासी पंडोरी रमना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को केएसए-25/92 और केएसए 26/92 के रूप में दर्ज किया गया है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01438 के माध्यम से समिति ने जानकारी प्राप्त की है।
बलवंत सिंह के मामले से संबंधित निम्नलिखित जानकारी। मुख्य सूचनादाता पीड़ित का भाई जसवंत सिंह है।
मोहिंदर सिंह के पुत्र, बीस वर्षीय बलवंत सिंह, कासेल गांव के निवासी थे।
बलवंत का जन्म तरन तारन के झब्बल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत माने की पट्टी में हुआ था। उनके पिता मोहिंदर सिंह का निधन उनके बचपन में ही हो गया था।
बलवंत ने स्कूल में पढ़ाई की और एक अच्छे हॉकी खिलाड़ी के रूप में जाने गए।
उन्होंने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और फिर किसान बनकर परिवार का भरण-पोषण करने का निर्णय लिया। वे परिवार की तीन एकड़ जमीन पर खेती करते थे। बलवंत सिंह भी बपतिस्मा प्राप्त सिख थे और बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे सहानुभूति रखते थे...
बलवंत सिंह उग्रवादी आंदोलन से प्रभावित थे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से उसमें शामिल नहीं थे। हालांकि, पुलिस ने उनके खिलाफ टीएडीए के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया, जहां उग्रवादी विचारधारा के प्रति उनकी सहानुभूति और भी मजबूत हो गई। जमानत पर रिहा होने के बाद बलवंत सिंह ने उग्रवादी आंदोलन में शामिल होने का फैसला किया।
बलवंत सिंह के इस फैसले से उनके परिवार को बहुत कठिनाइयों और कष्टों का सामना करना पड़ा।
झब्बल, लोपोके और अमृतसर की पुलिस ने उनके घर पर बार-बार छापे मारने शुरू कर दिए। बलवंत सिंह को न पाकर वे परिवार के अन्य सदस्यों, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं, को पूछताछ और यातना के लिए अपने साथ ले जाते थे। अक्सर पुलिस परिवार के सदस्यों को महीनों तक अवैध हिरासत में रखती थी। इन अत्याचारों से बचने के लिए परिवार गांव से दूर रिश्तेदारों के साथ रहने लगा। एक बार गांव से बाहर रहने के दौरान पुलिस ने उनका घर ध्वस्त कर दिया।
19 सितंबर 1992 को, कई पंजाबी समाचार पत्रों ने गांव के पास एक मुठभेड़ की खबर प्रकाशित की।
झब्बल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले ऐमा खुर्द इलाके में पुलिस ने कथित तौर पर बलवंत सिंह और उसके एक अज्ञात साथी को मार गिराया था। बलवंत सिंह के परिवार वालों ने न तो उसका शव देखा और न ही उसके अंतिम संस्कार में शामिल हो सके। पुलिस का डर इतना हावी था कि अखबारों में बलवंत की मौत की खबर छपने के बाद डेढ़ महीने तक वे अपने घर नहीं लौटे। उन्हें नहीं पता कि उसकी मौत किसी वास्तविक मुठभेड़ में हुई या पुलिस ने हिरासत में उसकी हत्या कर दी और हत्या को छिपाने के लिए मुठभेड़ का षड्यंत्र रचा। पंजाबी दैनिक अजीत ने खबर दी थी कि बलवंत सिंह के साथ मारा गया दूसरा आतंकवादी अज्ञात था। सीबीआई की सूची में, एफआईआर संख्या 102/92 के तहत एसएचओ अशोक कुमार द्वारा 19 सितंबर 1992 को किए गए दूसरे अंतिम संस्कार की पहचान मलकीत सिंह, पुत्र सरदूल सिंह, निवासी पंडोरी रमना के रूप में की गई है। हमारे मुखबिर जसवंत सिंह, जो बलवंत सिंह के भाई हैं, का कहना है कि उसी

मुठभेड़ में मारा गया दूसरा व्यक्ति सुखा था, जो झब्बल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मियांपुर गांव का निवासी था।
189. क्रमांक 229/853 के अंतर्गत, सूची में सुखविंदर सिंह उर्फ सुखा, पुत्र बंता सिंह, निवासी थथु खुर्द के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो हरिके पुलिस स्टेशन के एसआई रघुबीर सिंह द्वारा 24 सितंबर 1992 को एफआईआर क्रमांक 48/92 के तहत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एसएलजी-93/92 के रूप में चिह्नित किया गया है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (309)

सीसीडीपी को घटना के माध्यम से इस मामले के बारे में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हुई है।
रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/ 01493. मुख्य सूचनादाता पीड़ित के पिता बंता सिंह हैं।
Sukhwinder Singh, alias Shinda, was from Thathian Khurd village, post office
सुखविंदर सिंह अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के हरिके में रहते थे। उनके पिता बंता सिंह एक छोटे किसान थे, जिनके तीन बेटे और चार बेटियां थीं। सुखविंदर सिंह सबसे बड़े थे। पढ़ाई में होशियार सुखविंदर ने बी.ए. की डिग्री हासिल की और फिर अपने पिता के साथ कृषि कार्यों में हाथ बंटाने का फैसला किया। उन्होंने आगरा की हरमीत कौर से शादी की और उनकी दो बेटियां हैं, जिनकी उम्र अब 14 और 11 साल है। सुखविंदर ने बपतिस्मा लिया हुआ सिख धर्म अपनाया था और उनका राजनीति से कोई संबंध नहीं था। पुलिस ने उनके खिलाफ कभी कोई मामला दर्ज नहीं किया। उनकी हत्या के समय सुखविंदर सिंह की उम्र 25 वर्ष थी।
22 सितंबर 1992 को, सीआरपीएफ और पंजाब पुलिस बल की संयुक्त सेना ने नेतृत्व किया।
हरिके पुलिस स्टेशन के एसएचओ रघुबीर सिंह ने थथियां खुर्द गांव को घेर लिया, क्योंकि उन्हें संदेह था कि आतंकवादियों के एक समूह ने गांव में शरण ली है।
दोपहर करीब 3 बजे सुखविंदर गांव के गुरुद्वारे के पास खड़ा था, साथ में... जब एसएचओ रघुबीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल ने सुखविंदर को पकड़ा और पीटना शुरू किया, तब गांव के कई अन्य लोग भी वहां मौजूद थे। एसएचओ ने उस पर कुछ आतंकवादियों से मिलने का आरोप लगाया, लेकिन सुखविंदर ने इससे इनकार किया। एसएचओ सुखविंदर को घसीटकर गुरुद्वारे के अंदर ले गया और वहां उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। सभी ग्रामीणों ने उसकी चीखें सुनीं। सुखविंदर की बहन सुखवंत कौर दौड़ती हुई आई, अपने भाई के ऊपर लेट गई और एसएचओ और अन्य अधिकारियों से उसे और प्रताड़ित न करने की गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने उसे धक्का देकर हटा दिया। सुखविंदर को नंगा कर बेरहमी से प्रताड़ित किया गया। यह सब सुखवंत कौर के सामने गांव के गुरुद्वारे में हुआ। कुछ पुलिसकर्मी सुखविंदर को पुलिस वाहन में घसीटते हुए ले गए, तभी सुखविंदर की मां दौड़ती हुई आई और उन्हें रोकने की कोशिश की। लेकिन एसएचओ ने उसे लात मारकर दूर धकेल दिया और गंदी गालियां दीं।
पुलिस द्वारा सुखविंदर को ले जाने के एक घंटे के भीतर ही, उसकी मां अमर कौर,

[illegible]
On 23 September 1992 morning, Harbans Singh and Amar Kaur met SHO Raghbir
[illegible]
24 [illegible]
[illegible]
5 [illegible]
[illegible]
310 [illegible]

[illegible]
25 [illegible] 1992 [illegible]
[illegible]
12 [illegible]
[illegible]

सुखविंदर की विधवा हरमीत कौर अपनी बेटियों के साथ वापस घर चली गईं।
उसके माता-पिता और हमारे सूचनादाता बंता सिंह, यानी सुखविंदर के पिता, को नहीं पता कि उसने पुनर्विवाह किया है या नहीं।
190. क्रमांक 230/855 के अंतर्गत, सूची में सुरजीत सिंह, पुत्र साजन सिंह, निवासी खालरा, के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो 25 सितंबर 1992 को भीखीविंड पुलिस स्टेशन के एसएचओ हरबिंदर सिंह द्वारा एफआईआर संख्या 71/92 के तहत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को केएस-70/92 के रूप में चिह्नित किया गया है और मृत्यु का कारण "आग्नेयास्त्र से लगी चोटें" बताया गया है।
समिति ने इस मामले के संबंध में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01631 है। मुख्य सूचनादाता पीड़िता की मां सीता रानी हैं।
सीबीआई की सूची में पीड़ित का नाम गलत तरीके से सुरजीत सिंह लिखा गया है।
उनका नाम सुरजीत सिंह था।
गुरजीत सिंह। 22 वर्षीय गुरजीत सिंह, सज्जन सिंह और सीता रानी के इकलौते पुत्र थे, जो अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के खालरा गांव के हाटा भगदीन में रहते थे। उनका परिवार खत्री सिख था। उनकी माता हिंदू थीं और अपने धर्म का पालन करती थीं। इस कारण गांव में कुछ तनाव पैदा हो गया था, जहां के उग्र सिखों ने उन पर जादू-टोना करने का आरोप लगाया। इसी वजह से उन्हें अपना निवास अमृतसर शहर में स्थानांतरित करना पड़ा, जहां वे अभी भी मकान नंबर 8, गिल वाली गेट, भगतन वाला, गुरु रामदास नगर, एसडी स्कूल के पास, अमृतसर में रहती हैं।
मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद, गुरजीत को चावल के कारखाने में फोरमैन के रूप में नौकरी मिल गई।
एक गोला-बारूद कारखाने में, जहाँ उनके पिता भी काम करते थे। उन्होंने सुखविंदर कौर से विवाह किया, लेकिन उनके अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी।
सुखविंदर कौर ने बाद में पुनर्विवाह कर लिया।
5 जुलाई 1990 को, भीखीविंड पुलिस ने गुरजीत को उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वह लौट रहा था।
फैक्ट्री में काम खत्म करके घर लौट रहे गुरजीत सिंह को पुलिस ने मात्र इस शक के चलते गिरफ्तार कर लिया कि उन्होंने एक हफ्ते पहले ही शादी की थी। उन्हें बेरहमी से प्रताड़ित किया गया और टाडा के तहत एक मामले में फंसा दिया गया। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद उनकी गिरफ्तारी की झूठी कहानी गढ़ी।
गुरजीत को जमानत पर रिहा होने तक एक साल जेल में रहना पड़ा। 9 सितंबर 1991 को, जेल से रिहा होने के तीन दिन बाद, गुरजीत सिंह फैक्ट्री में काम पर जाने के लिए घर से निकले, लेकिन वापस नहीं लौटे।
अगली सुबह, झब्बल गांव के सतिंदर सिंह सोढ़ी नाम का एक रिश्तेदार आया।
घर पर यह संदेश पहुंचाने के लिए संदेश भेजा गया कि गुरजीत को अमृतसर के सदर पुलिस स्टेशन ने पुतलीघर चौक के पास से फिर से गिरफ्तार कर लिया है। उसी दिन सीता रानी अपने भाई हरदीप सिंह (जो एक पुलिसकर्मी था) के साथ सदर पुलिस स्टेशन गईं, जहां अधिकारियों ने उन्हें सूचित किया।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (311)

पुलिस ने गुरजीत को अपनी हिरासत में होने से इनकार कर दिया। तब किसी ने सुझाव दिया कि पुलिस ने उसे बी.आर. मॉडल स्कूल के पूछताछ केंद्र में

स्थानांतरित कर दिया होगा। सीता रानी पूछताछ केंद्र गईं और डीएसपी गुरदेव सिंह से बात की, जिन्होंने भी गुरजीत को अपनी हिरासत में होने से इनकार कर दिया। सीता रानी के अनुसार, डीएसपी गुरदेव सिंह के एक करीबी माने जाने वाले व्यक्ति ने गुरजीत की रिहाई के लिए 20,000 रुपये की मांग की थी, लेकिन जब उन्होंने पहले अपने बेटे से मिलने की बात कही तो वह पीछे हट गया।
सीता रानी और उनके पति ने विभिन्न पुलिस स्टेशनों पर अपने बेटे की तलाश जारी रखी।
उन्होंने पूरे जिले के स्टेशनों पर तलाशी ली। उन्होंने पंजाब के राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित भारतीय सरकार के उच्च अधिकारियों को लिखित आवेदन भी भेजे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उनके जीवित होने की प्रबल उम्मीद के साथ ही कई वर्षों तक उनकी खोज और उसे ढूंढने के प्रयास जारी रहे।
गुरजीत सितंबर 1991 में लापता हो गया था। सीबीआई की सूची में उसके अंतिम संस्कार का उल्लेख है।
25 सितंबर 1992 को। सीता रानी को संदेह है कि खालरा गांव की जसबीर कौर पाशो, जिसने सबसे पहले 10 सितंबर 1991 को गुरजीत की गिरफ्तारी के बारे में परिवार को सूचित किया था, उसके बेटे के अपहरण और लापता होने में भूमिका निभा सकती है, लेकिन इसे साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है।
सीबीआई की अंतिम संस्कार सूची से पता चलता है कि गुरजीत का अंतिम संस्कार एसएचओ हरबिंदर ने किया था।
25 सितंबर 1992 को भिखीविंड पुलिस स्टेशन के एसएचओ सिंह द्वारा किए गए अंतिम संस्कार का उल्लेख एफआईआर संख्या 71/92 में किया गया है। सीबीआई की तीसरी सूची, क्रमांक 534/854 के अनुसार, एसएचओ ने एफआईआर संख्या 71/92 में दर्ज एक अन्य अज्ञात व्यक्ति के अंतिम संस्कार का भी उसी दिन किया था। हमने इस अंतिम संस्कार की पहचान गुरमेज सिंह और हरबंस कौर के पुत्र सरवन सिंह के रूप में की है। उनके मामले पर इस रिपोर्ट के संबंधित भाग में चर्चा की गई है। दो असंबंधित व्यक्तियों के अंतिम संस्कार का उल्लेख एक ही एफआईआर संख्या में क्यों किया गया?
191. क्रमांक 231/859 के अंतर्गत, सूची में तरन तारन नगर पुलिस स्टेशन के एसआई रेशम सिंह द्वारा एफआईआर क्रमांक 112/92 के तहत किए गए रणजीत सिंह उर्फ राजू, पुत्र सेवा सिंह, निवासी कलेर के अंतिम संस्कार का उल्लेख है (दिनांक)। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को केके-60/92 के रूप में चिह्नित किया गया है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति की घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/

00771 के पास निम्नलिखित जानकारी है। मुख्य सूचनादाता पीड़ित के पिता सेवा सिंह हैं।

छब्बीस वर्षीय रणजीत सिंह उर्फ राजू भुल्लर,

पंजाब रोडवेज में कंडक्टर के रूप में कार्यरत, वह अमृतसर जिले के मजीठा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत लुद्दार पुलिस स्टेशन के कलेर मंगत गांव में रहते थे। वह अविवाहित थे।

12 सितंबर 1992 को, सुबह लगभग 7:30 बजे, एक टीम ने

तरन तारन पुलिस मंगत कलेर पहुंची और रणजीत सिंह को उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वह अपने पिता सेवा सिंह के साथ घर लौट रहा था। पुलिस ने सेवा सिंह को बताया कि तरन तारन के एसएसपी रणजीत सिंह से मिलना चाहते हैं और वे कार्यालय आकर इसका कारण जान सकते हैं।

13 सितंबर 1992 को, सेवा सिंह की मुलाकात एसएसपी अजीत सिंह संधू से उस समय हुई जब वे जा रहे थे।

उनके कार्यालय में, संधू ने उन्हें बताया कि उनके बेटे की एक जांच के सिलसिले में आवश्यकता है और पूछताछ के बाद उसे रिहा कर दिया जाएगा।

19 सितंबर 1992 को दोपहर लगभग 1 बजे, तरन तारन पुलिस रणजीत सिंह के साथ 312 रिड्यूस्ड टू एशेज नामक स्थान पर पहुंची।

incident report form no. CCDP/01486 and 01672. The main informants are Kashmir Kaur, Amrik's mother, and Kashmir Singh Fauji, Balwinder's uncle.

Twenty-six-year-old Balwinder Singh, son of Balbir Singh and Bhajan Kaur, was

अमरिक सिंह के घर पर छापा मारा गया। जैसे ही अमरिक ने अपनी पहचान बताई, एसएचओ और अन्य पुलिसकर्मियों ने उसे पीटना शुरू कर दिया और फिर उसे घसीटकर पुलिस वाहन में बिठाकर ले गए। उसके साथ मारपीट करते हुए एसएचओ उसे आतंकवादियों को पनाह देने और खाना खिलाने के लिए लगातार गालियां देता रहा।
अमरिक सिंह के परिवार के सदस्य अगले कुछ दिनों तक नियमित रूप से पुलिस स्टेशन जाते रहे।
कई दिनों तक उन्होंने उसकी हालत के बारे में पूछताछ की और अधिकारियों से उसे रिहा करने की गुहार लगाई। लेकिन वे एसएचओ से मिल नहीं पाए। इलाके में पुलिस का इतना आतंक था कि गांव के लोग हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं कर पाए।
2 अक्टूबर 1992 को सुबह लगभग 8 बजे, बलविंदर को उनकी चाय की दुकान से हिरासत में ले लिया गया।
सबरा पुलिस चौकी के प्रभारी इंस्पेक्टर बलबीर सिंह के नेतृत्व में अधिकारियों के एक दल ने बलविंदर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान उनके पिता बलबीर सिंह और चाचा जागीर सिंह एवं कश्मीर सिंह समेत कई ग्रामीण मौजूद थे। सबरा पुलिस चौकी के प्रभारी ने पूछताछ के बाद बलविंदर को रिहा करने का वादा किया।
बलबीर सिंह सबरा पुलिस चौकी का दौरा करते रहे और इंस्पेक्टर से मिलते रहे। पहले कुछ दिनों तक इंस्पेक्टर बलविंदर को पूछताछ के बाद रिहा करने का आश्वासन देता रहा। चौथे दिन अधिकारी का लहजा बदल गया और बलविंदर के छोटे भाई गुरचरण की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, “बलविंदर को भूल जाइए। अब आपके दूसरे बेटे से पूछताछ की बारी है।” जब बलबीर सिंह रोने लगा, तो अधिकारी को उस पर दया आ गई और उसने बताया कि बलविंदर सिंह को उसने हिरासत में नहीं रखा है और वाल्टोहा पुलिस स्टेशन के उसके वरिष्ठ अधिकारी मामले की निगरानी कर रहे हैं।
7 अक्टूबर 1992 को पंजाबी समाचार पत्रों ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें घोषणा की गई थी कि
महमूदपुरा के पास पुलिस मुठभेड़ में दो आतंकवादियों अमरिक सिंह और बलविंदर सिंह की मौत हो गई।
इस घटना का बलविंदर की मां भजन कौर पर गहरा आघात पहुंचा।
कुछ सप्ताह बाद सदमे से उनकी मृत्यु हो गई। उनके भाई कश्मीर सिंह के अनुसार, उनके पिता बलबीर सिंह की भी शोक से मृत्यु हो गई। बलविंदर के छोटे भाई गुरचरण सिंह अब गांव खालरा में एक रिश्तेदार के घर में रहते हैं।
194. क्रमांक 236/868 के अंतर्गत, सूची में जसविंदर सिंह उर्फ शाहिद, पुत्र मंगल सिंह, निवासी सिंगपोरा के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो भिखीविंड पुलिस स्टेशन के एसआई रावेल सिंह द्वारा 11 अक्टूबर 1992 को एफआईआर क्रमांक 74/92 के अंतर्गत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एसएलजी-102/92 के रूप में चिह्नित किया गया है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/00560 के माध्यम से, CCDP ने निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है:
निम्नलिखित जानकारी। मुख्य सूचनादाता गुरमेज सिंह हैं, जो पीड़ित के मामा हैं। 314 राख में तब्दील।

मंगल सिंह के पुत्र, चौबीस वर्षीय जसविंदर सिंह उर्फ शाहिद, का निवास स्थान था।
अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के भिखीविंड पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सिंहपुरा में रहने वाले उन्होंने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद पट्टी के एक कॉलेज में दाखिला लिया। हालांकि, 1990 के दशक की शुरुआत से ही भिखीविंड पुलिस ने उन्हें हफ्तों तक अवैध रूप से हिरासत में लेकर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।
जुलाई 1991 में पुलिस ने जसविंदर के छोटे भाई सलविंदर सिंह को हिरासत में ले लिया।
और उन्होंने कैरन गांव में एक फर्जी मुठभेड़ में उसकी हत्या कर दी।
1991 के अंत में, पुलिस ने एक डेरा, या धार्मिक प्रतिष्ठान पर छापा मारा।
पुलिस ने सिंहपुरा गांव में जसविंदर को पाया। पुलिस ने उसकी जांघ में गोली मारी और मुठभेड़ में घायल होने का आरोप लगाते हुए उसे फंसा दिया। पुलिस ने उसे अगले 10 महीनों तक जेल में रखा।
जब जसविंदर को नौ महीने बाद जमानत पर रिहा किया गया
बाद में, वह अपनी मौसी गुरचरण कौर के साथ गुरु की वडाली में रहने लगा। उसके माता-पिता को उम्मीद थी कि इससे वह किसी भी खतरे से सुरक्षित रहेगा।

सितंबर के अंत या अक्टूबर की शुरुआत में

1992 में, अमृतसर के खापरखेरी और छेहरटा पुलिस स्टेशनों के संयुक्त पुलिस बल ने उसे उसकी चाची के घर से गिरफ्तार किया और छेहरटा पुलिस स्टेशन ले आए, जहां उन्होंने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की।

इसके अलावा, पुलिस ने उसके माता-पिता और उसके परिवार के अन्य सदस्यों को गैरकानूनी रूप से हिरासत में लिया।

जसविंदर की चाची और चाचा गुरमेज सिंह ही उसके रिश्तेदार थे। इसलिए, परिवार में जसविंदर के मामले को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था।

जसविंदर सिंह की रिहाई।

12 अक्टूबर 1992 को, पंजाबी दैनिक अजीत ने प्रकाशित किया-

एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसमें बताया गया कि भीखीविंड पुलिस ने लाधो गांव के पास भीखीविंड पुलिस के साथ मुठभेड़ में सिंहपुरा गांव के जसविंदर सिंह नामक एक आतंकवादी को मार गिराया। परिवार को अंतिम संस्कार के बारे में सूचित नहीं किया गया था।

जसविंदर के माता-पिता, मंगल सिंह और स्वर्ण कौर, यह सहन करने में असमर्थ थे

अपने दोनों बेटों को खोने के बाद वे जल्द ही शोक से व्याकुल होकर मर गईं।

जसविंदर की छोटी बहन रुपिंदर कौर, अपने पूरे परिवार की मौत से टूट चुकी थी।

वह अब अपने परिवार के साथ गुरु की वडाली में अपने चाचा और चाची के साथ रहती है। वह अविवाहित है और उसकी आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है।

195. क्रमांक 239/875 के अंतर्गत, सूची में तरसेम सिंह, पुत्र सुरता सिंह, निवासी खोजपुर, के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो वेरोवाल पुलिस स्टेशन के एसएचओ रामनाथ द्वारा 18 अक्टूबर 1992 को एफआईआर क्रमांक 46/92 के तहत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को केके-65/92 के रूप में चिह्नित किया गया है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।

समिति ने इस घटना के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।

रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01335. मुख्य सूचनादाता पीड़ित का भाई सुखविंदर सिंह है।

तरसेम सिंह 30 वर्ष का था और वेरोवाल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत खोजकीपुर, ढिल्लों पट्टी में रहता था।

तरसेम सिंह अमृतसर जिले के खदुर साहिब उपमंडल में स्थित एक स्टेशन में रहते थे। उनके पिता सूरत सिंह एक छोटे किसान थे, जिनके दो बेटे और तीन बेटियां थीं। तरसेम सिंह सबसे बड़े थे, लेकिन अविवाहित थे।

जून 1984 में गोल्डन टेंपल के खिलाफ सेना की कार्रवाई ने पूरी तरह से

सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (315)

बपतिस्मा प्राप्त सिख तरसेम का धर्म परिवर्तन हो गया। जून 1984 के बाद, तरसेम अत्यंत धार्मिक हो गया, लेकिन उसका किसी भी राजनीतिक या उग्रवादी संगठन से कोई संबंध नहीं था। पुलिस को उस पर शक होने लगा क्योंकि उसका एक पड़ोसी हरजीत सिंह भूमिगत होकर उग्रवादी बन गया था। पुलिस ने तरसेम को कई बार गैरकानूनी रूप से हिरासत में लिया और यातनाएं दीं। हालांकि, उन्होंने उसे किसी भी आपराधिक मामले में फंसाया नहीं।
4 अक्टूबर 1992 को, दोपहर लगभग 3 बजे, धोते स्थित पुलिस चौकी के कुछ पुलिसकर्मी,
हेड कांस्टेबल बलवंत सिंह के नेतृत्व में पुलिस घर पर आई और तरसेम और उसके छोटे भाई सुखविंदर सिंह दोनों को गिरफ्तार कर वेरोवाल पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए ले गई। वहां उन्हें अलग-अलग कमरों में बंद कर दिया गया। तरसेम सिंह पर अत्याचार बेहद क्रूर था। उसका भाई सुखविंदर पूरी रात उसकी चीखें सुनता रहा। अगले दिन, सुबह करीब 8 बजे तरसेम को पुलिस स्टेशन से निकालकर दूसरी जगह ले जाया गया। वह चल नहीं पा रहा था और उसे उठाकर गाड़ी में बिठाना पड़ा। एक घंटे बाद, खोजीपुर गांव के कई प्रतिष्ठित लोग पुलिस स्टेशन आए और अधिकारियों से दोनों भाइयों को रिहा करने की गुहार लगाई। उन्होंने सुखविंदर सिंह को तो रिहा कर दिया, लेकिन तरसेम को नहीं छोड़ा। परिवार के सदस्य और गांव के बुजुर्ग मुख्य कांस्टेबल से मिलते रहे। बलवंत सिंह और सोमनाथ, जो वेरोवाल पुलिस स्टेशन के एसएचओ थे, ने पहले तो उनके सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि उन्होंने कभी तरसेम सिंह को गिरफ्तार किया था।
पुलिस ने तरसेम सिंह और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति को मार डाला।
17 अक्टूबर की रात को मियांविंड में नहर पुल के पास एक कथित मुठभेड़ का मंचन किया गया। शवों का अंतिम संस्कार परिवार को सूचित किए बिना तरन तारन में कर दिया गया। 19 अक्टूबर को अखबारों में इस तथाकथित मुठभेड़ के बारे में छपी खबरों में तरसेम सिंह को एक खूंखार आतंकवादी बताया गया था। परिवार इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी करने में असमर्थ था।
सीबीआई की अज्ञात शवदाह की सूची, क्रमांक 545/876 के अंतर्गत, दर्ज है कि... 18 अक्टूबर 1992 को वेरोवाल पुलिस स्टेशन के एसएचओ राम नाथ द्वारा एफआईआर संख्या 46/92 के तहत एक मामले में अंतिम संस्कार किया गया।
196 – 199. क्रमांक 241/878, 242/879, 243/880 और 244/881 के अंतर्गत, सूची में झब्बल पुलिस स्टेशन के एसएचओ अमरजीत सिंह द्वारा 19 अक्टूबर 1992 को एफआईआर संख्या 109/92 के तहत किए गए चार शवदाहों की पहचान की गई है। वे हैं: [1] दिलबाग सिंह, पुत्र अर्जुन सिंह, निवासी शप्पुर, पुलिस स्टेशन लोपोके; [2] कुलदीप सिंह, पुत्र मस्सा सिंह, निवासी वेरपाल खासा, भीखीविंड; [3] सुरजीत सिंह, पुत्र हरदीप सिंह, निवासी मनिहाला खासा, भीखीविंड; और [4] किशन सिंह, पुत्र दयाल, निवासी राजोके, पुलिस स्टेशन खालरा। पोस्टमार्टम

रिपोर्टों को GSD-69/92, GSD-70/92, GSD-71/92 और GSD-72/92 के रूप में चिह्नित किया गया है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है। सीसीडीपी को इन मामलों के बारे में निम्नलिखित जानकारी अपने सूचनात्मक स्रोतों से प्राप्त हुई है।
डेंट रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01159, 01688 और 01689। मुख्य मुखबिर दिलबाग के पिता अर्जन सिंह, भगवान सिंह, निशान सिंह के भाई (जिन्हें सीबीआई की सूची में गलती से किशन सिंह के रूप में पहचाना गया है) और सुरजीत सिंह की मां बलवंत कौर हैं।
दिलबाग सिंह शाहपुर का रहने वाला 15 वर्षीय लड़का था, जो अभी भी माध्यमिक विद्यालय में पढ़ रहा था।
अमृतसर जिले के अजनाला उपमंडल के लोपोके पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कंडियाल डाकघर में, दिलबाग गांव वरपाल में अपनी चचेरी बहन दलजीत कौर के घर में रह रहा था। दलजीत कौर के पति और उनके देवर दोनों को उठा लिया गया था और 316 लोगों की हत्या कर दी गई थी।

उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई थी और घर में कोई पुरुष नहीं बचा था जो घर के बाहर के कामों में उसकी मदद कर सके। इसलिए दिलबाग के माता-पिता ने उसे उसके साथ रहने के लिए भेज दिया।
अक्टूबर 1992 की शुरुआत में एक दिन, दिलबाग कुछ मवेशियों को चराने के लिए बाहर गया था।
कुलदीप सिंह, जो उसी गाँव के बलवंत सिंह के पुत्र हैं, के खेतों के पास अपने मवेशियों के साथ घूम रहे थे, तभी पुलिसकर्मियों का एक दल कुलदीप सिंह को गिरफ्तार करने के लिए वहाँ पहुँचा। उस समय कुलदीप, दिलबाग सिंह के साथ खड़े होकर उनसे बात कर रहे थे। दोनों को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन दिलबाग के परिवार को इसकी भनक तक नहीं लगी और वे कई दिनों तक उनकी तलाश करते रहे।
दो सप्ताह से अधिक समय बाद, पंजाबी समाचार पत्रों ने एक मुठभेड़ की खबर छापी जिसमें
दिलबाग सिंह और कुलदीप सिंह समेत दो अन्य लोगों की कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी। दिलबाग के परिवार ने इस खबर को अखबार में नहीं पढ़ा था, लेकिन कुलदीप के परिवार से उन्हें इसकी जानकारी मिली। दोनों परिवार दिलबाग सिंह और कुलदीप सिंह की अस्थियां लेने गए और श्मशान घाट के कर्मचारियों से पता चला कि शवों को झब्बल पुलिस लेकर आई थी।
तेईस वर्षीय निशान सिंह, जिसकी पहचान सीबीआई की सूची में किशन सिंह के रूप में की गई है,
दयाल सिंह और हरदीप कौर के पुत्र निशान सिंह अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के खालरा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पट्टी पालो के राजो के गांव के निवासी थे। तीन भाइयों में सबसे बड़े निशान सिंह ने मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की और अपने क्षेत्र के किसानों को कृषि उपकरण और औजार बेचने का छोटा-मोटा व्यवसाय शुरू किया। वे ज्यादातर सामान उधार पर बेचते थे और फसल कटाई के बाद भुगतान वसूल करते थे। शुरुआत में उनकी दुकान झब्बल कस्बे में थी, लेकिन बाद में वे अमरकोट चले गए।
अक्टूबर के पहले सप्ताह में, निशान सिंह भुगतान लेने के लिए अपने घर से निकले।

उस सीज़न में हुई बिक्री के लिए, निशान सिंह ने अपने परिवार वालों को बताया कि वह एक सप्ताह बाद लौट आएगा। निशान सिंह पहले धोतियान गाँव गया और अपनी रकम इकट्ठा की। अगले दिन, जब वह तरनतारन शहर से गुज़र रहा था, तो शहर को मुख्य राजमार्ग से जोड़ने वाली सड़क पर एक चेकपोस्ट पर कुछ अधिकारियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके परिवार को गिरफ्तारी की जानकारी दो दिन बाद मिली।
उनके पिता दयाल सिंह, सेवानिवृत्त डीएसपी समेत कई रिश्तेदारों के साथ मौजूद थे।
दयाल सिंह और उनके ग्राम परिषद के सदस्यों ने तरन तारन के एसपी (ऑपरेशन) खूबी राम से मुलाकात की। एसपी ने बताया कि निशान सिंह मुठभेड़ में मारा जा चुका है। दयाल सिंह यह सुनकर स्तब्ध रह गए, लेकिन सबूत के बिना वे इस जानकारी पर विश्वास नहीं करना चाहते थे। इसके बाद दयाल सिंह ने तरन तारन के एसएसपी से मिलने की असफल कोशिश की।
19 अक्टूबर 1992 को, दयाल सिंह और उनके रिश्तेदार, जो डीएसपी पद से सेवानिवृत्त हो चुके थे,
निशान सिंह के बारे में जानकारी लेने के लिए डीआईजी भुल्लर से मिलने जा रहे दयाल सिंह ने अखबार में एक खबर पढ़ी जिसमें पंजवार गांव के पास एक कथित मुठभेड़ में निशान सिंह और तीन अन्य लोगों की हत्या का खुलासा हुआ था। दयाल सिंह घर लौट आए। पुलिस ने परिवार की जानकारी के बिना ही अंतिम संस्कार कर दिया।
हरदीप सिंह और बलवंत कौर के पुत्र, इक्कीस वर्षीय सुरजीत सिंह थे। सुरजीत अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के भीखीविंड पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पट्टी भोलू की जिले के मनिहाला जय सिंह गांव का निवासी है। सुरजीत के परिवार का उसके चाचा के साथ पैतृक भूमि के बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था और ऐसा लगता है कि उसके चाचा ने सुरजीत के पिता के हिस्से पर कब्जा कर लिया था। सुरजीत इससे नाराज था और उसकी मां के अनुसार, उसने घर छोड़कर उग्रवादियों में शामिल होने का फैसला किया।
बलवंत कौर को नहीं पता कि पुलिस ने उनके बेटे को कब और कैसे पकड़ा।
और 18 अक्टूबर को पंजवार गांव में एक फर्जी मुठभेड़ में उसे तीन अन्य लोगों के साथ मार डाला गया, जैसा कि कई समाचार पत्रों में बताया गया था। सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (317)

क्रमांक 245/884 के अंतर्गत, सूची में सतनाम सिंह उर्फ सत्ता, पुत्र कुंदन सिंह, निवासी सरहल्ली मंडा के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो वाल्टोहा पुलिस स्टेशन के एसएचओ गोविंदर सिंह द्वारा 17 अक्टूबर 1992 को एफआईआर क्रमांक 58/92 के तहत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एसएलजी-106/92 के रूप में चिह्नित किया गया है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
सीसीडीपी ने अपनी घटना रिपोर्ट के माध्यम से इस मामले से संबंधित जानकारी जुटाई है।
प्रपत्र संख्या CCDP/01498, जिसे सतनाम के भाई निशान सिंह के 27 जनवरी 1993 को हुए अंतिम संस्कार की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया गया है, जो सीबीआई की पहचान सूची में क्रमांक 281/968 के अंतर्गत दर्ज है।
201. क्रमांक 246/885 के अंतर्गत, सूची में जसबीर सिंह उर्फ जस्सा, पुत्र अमरिक सिंह, निवासी टूट, थाना वाल्टोहा के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो

पड़ोसी गांव झुंगियां पीर बख्श की ग्राम परिषद के पूर्व मुखिया भी उसी मुठभेड़ में मारे गए थे। पुलिस ने राज सिंह को उसके घर से गिरफ्तार किया था।
सीबीआई द्वारा जारी सूची में केवल जसबीर के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो 24 अक्टूबर को किया गया था।
खालरा पुलिस स्टेशन के एसएचओ सुबा सिंह द्वारा एफआईआर संख्या 52/92 के तहत 24 अक्टूबर 1992 को किए गए एक शव का अंतिम संस्कार सीबीआई की आंशिक रूप से पहचानी गई सूची, क्रमांक 95/886 के तहत, उसी दिन और उसी एफआईआर के तहत खालरा पुलिस स्टेशन के एसएचओ सुबा सिंह द्वारा किए गए बलबीर सिंह उर्फ बीरा, पुत्र साधु सिंह चलाता, निवासी तरन तारन के दूसरे शवदाह को दर्शाती है। शेष तीन शवदाह जो खालरा पुलिस द्वारा उसी एफआईआर के तहत 24 अक्टूबर 1992 को किए गए थे, सीबीआई की अज्ञात सूची में क्रमांक 547/887, 548/888 और 549/889 के तहत दर्ज हैं। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को KS-89/92 और KS-90/92 के रूप में चिह्नित किया गया है।
जसबीर की हत्या के कुछ हफ्तों बाद, वर्दीधारी पुलिसकर्मियों ने अमरिक के घर पर छापा मारा।
अमरिक सिंह अपने घर में घुस गए और अपने छोटे बेटे सुखदेव सिंह को अपने साथ ले गए। अमरिक सिंह और उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने सुखदेव को खेत के ट्यूबवेल वाले कमरे में यातना देते हुए दर्द से चीखते हुए सुना। अगली सुबह, अमरिक सिंह और उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने सुखदेव का शव पाया, जिसकी गर्दन के पास एक नंगा बिजली का तार पड़ा था।
अमरिक सिंह और उनके परिवार के सदस्य कोई कार्रवाई नहीं कर सके।
202. क्रमांक 247/894 के अंतर्गत, सूची में मनजीत सिंह, पुत्र राम सिंह, निवासी थाथियां, के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो हरिके पुलिस स्टेशन के एसएचओ रघुवीर सिंह द्वारा 29 अक्टूबर 1992 को एफआईआर क्रमांक 52/92 के तहत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को केएस-91/92 के रूप में चिह्नित किया गया है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
सीसीडीपी ने अपनी घटना रिपोर्ट के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
प्रपत्र संख्या CCDP/01491. मुख्य सूचनादाता पीड़िता की मां, जागीर कौर हैं।
स्वर्गीय राम सिंह के पुत्र पच्चीस वर्षीय मनजीत सिंह थथियां खुर्द में रहते थे।
अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के हरिके पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले मनजीत सिंह के पिता का निधन हो गया था और वे अपने चार बेटों के लिए बहुत कम कृषि भूमि छोड़ गए थे। इसलिए, मनजीत सिंह और उनके छोटे भाई राम सिंह को दमदमी टकसाल में भर्ती कराया गया। मनजीत सिंह को सिख धर्मग्रंथों के पाठक के रूप में प्रशिक्षित किया गया और वे धार्मिक पाठ के आयोजकों द्वारा दिए गए दान पर अपना जीवन यापन करते थे। बाद में, उनके सबसे छोटे भाई हीरा सिंह भी टकसाल में शामिल हो गए।
1987 में, मनजीत सिंह को दमदमी गिरोह से संबंध होने के कारण गिरफ्तार किया गया था।
टकसाल में शामिल व्यक्ति पर टाडा के तहत आरोप लगाया गया था। वह लगभग दो साल तक जेल में रहा और फिर जमानत पर रिहा हो गया। इस बीच, मनजीत का परिवार

[illegible]
Manjit Singh and two of his associates, Navtej Singh Laadi from Lakhan Tappa
[illegible]

[illegible]

[illegible]

गई थी। पत्र लेकर वह जलालाबाद पुलिस स्टेशन के एसएचओ के पास गईं, जिन्होंने सुखदेव को रिहा कर दिया।
इस घटना के बाद सुखदेव को स्थानीय पुलिस की ओर से किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा।
अधिकारियों ने उसे पूछताछ के लिए हिरासत में नहीं लिया और न ही उसके खिलाफ कोई आपराधिक आरोप दायर किए।
हालाँकि, 1 नवंबर 1993 को सरहल्ली पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारियों के एक समूह ने
एसएचओ सुरिंदर पाल सिंह के नेतृत्व में थाने ने सुखदेव सिंह को उनके खेतों से दूसरी बार अगवा कर लिया। 3 नवंबर 1993 को पंजाबी दैनिक अखबार अजीत और पंजाबी ट्रिब्यून ने सुखदेव सिंह की सरहल्ली पुलिस के साथ मुठभेड़ में मौत की खबर छापी। पुलिस ने शव को लावारिस बताकर पहले ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया था, हालांकि परिवार को इस घटना की कोई सूचना नहीं दी गई थी।
204. क्रमांक 249/899 के अंतर्गत, सूची में सुखविंदर सिंह, पुत्र मोहिंदर सिंह, निवासी सांखीरा के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो 7 नवंबर 1992 को झब्बल पुलिस स्टेशन के एसएचओ जे. सिधू द्वारा एफआईआर संख्या 113/92 के तहत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर 7/11/92 की तारीख अंकित है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
सीसीडीपी ने अपनी घटना रिपोर्ट के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की है।
प्रपत्र संख्या CCDP/01444. मुख्य सूचनादाता पीड़ित का भाई बलविंदर सिंह है।
सुखविंदर सिंह उर्फ काकू, पट्टी जिले के सखीरा गांव का रहने वाला 23 वर्षीय किसान था।
सुखविंदर का जन्म अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल के बाम्बे में हुआ था। उनकी शादी जसबीर कौर से हुई थी और उनका एक 11 साल का बच्चा है। बपतिस्मा प्राप्त सिख सुखविंदर राजनीति या उग्रवाद में शामिल नहीं थे और इससे पहले कभी गिरफ्तार नहीं हुए थे।
2 या 3 नवंबर 1992 को, सुबह लगभग 7 बजे, मनोचाहल के प्रभारी एएसआई राज कुमार (320 सैनिक) की मौत हो गई।

पुलिस चौकी पर छापा मारकर सुखविंदर के घर पर पुलिस बल ने कार्रवाई की। सीआरपीएफ की एक टुकड़ी भी एक अलग वाहन में पुलिस दल के साथ थी। घर में प्रवेश करते ही एएसआई राज कुमार ने काकू के बारे में पूछा। सुखविंदर अपने कमरे से बाहर आया और उसने अपनी पहचान बताई। पुलिस ने तुरंत उसे हिरासत में ले लिया और घर की पूरी तलाशी लेने के बाद उसे पुलिस वाहन में बिठाकर परिवार के सामने से ले गई।
अगली सुबह तड़के, परिवार के सदस्य कई ग्रामवासियों के साथ पहुंचे। मनोचाहल पुलिस चौकी पर पहुंचकर हमने एसएचओ राज कुमार से मुलाकात की। एसएचओ ने बताया कि सुखविंदर से अभी भी पूछताछ की आवश्यकता है, लेकिन उसे रिहा कर दिया जाएगा। अगले दो दिनों तक एसएचओ ने परिवार और गांव के बुजुर्गों को यही आश्वासन दिया।
तीसरे दिन एसएचओ ने अपना रुख बदल दिया। अब उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया था।

पुलिस ने हस्तक्षेप करके उसे इस स्थिति से बचाया और उसकी बिना शर्त रिहाई सुनिश्चित की। हालांकि, कुछ हफ्तों बाद पुलिस ने फिर से उसके घर पर छापेमारी शुरू कर दी और करज सिंह की अनुपस्थिति में उसके परिवार के सदस्यों को हिरासत में ले लिया। यहां तक कि उसके परिवार की महिला सदस्यों को भी अवैध गिरफ्तारी और हिरासत में यातनाओं से नहीं बख्शा गया, जिनका उद्देश्य करज सिंह की गिरफ्तारी की जानकारी हासिल करना था। लेकिन करज सिंह ने अपने परिवार से संपर्क रखना बंद कर दिया।
अक्टूबर 1992 के अंतिम सप्ताह की शुरुआत में, डीएसपी परमदीप सिंह तेजा और एसएचओ तेग
भिखीविंड पुलिस स्टेशन के बहादुर सिंह ने करज सिंह की मौसी पालो (जो स्वर्ण सिंह की पत्नी हैं) के घर पर छापा मारा, जो मारी नौआबाद गांव में रहती थीं। पुलिस ने करज सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जो उसी के साथ रह रहा था। पुलिस ने पालो की बहू कुलविंदर कौर को भी गिरफ्तार कर लिया और उन सभी को पूछताछ के लिए भिखीविंड पुलिस स्टेशन ले आई। करज सिंह के माता-पिता मुख्तियार सिंह और बलबीर कौर पहले से ही भिखीविंड पुलिस स्टेशन में अवैध पुलिस हिरासत में थे और उन्होंने अपने बेटे को मारी नौआबाद से गिरफ्तारी के बाद वहां लाए जाते हुए देखा। पुलिस ने उसी रात करज सिंह को सीआईए के कर्मचारियों के पूछताछ केंद्र, तरन तारन में स्थानांतरित कर दिया।
6 नवंबर 1992 को पुलिस ने घोषणा की कि करज सिंह और उसके एक साथी ने... मारी कंबोके और चूंगा गांवों के बीच कथित तौर पर हुई "मुठभेड़" में कई लोगों की हत्या कर दी गई थी। बलबीर कौर ने शवों को तब देखा जब उन्हें पोस्टमार्टम के लिए पट्टी सिविल अस्पताल ले जाते समय भिखीविंड पुलिस स्टेशन लाया गया था। भिखीविंड पुलिस स्टेशन के एसएचओ ने शवों का अंतिम संस्कार कर दिया, जबकि करज सिंह के माता-पिता जेल में ही रहे।
पुलिस ने शवदाह के छह दिन बाद मुख्तियार सिंह को रिहा कर दिया। दलजीत कौर पुलिस द्वारा उसके बेटे के शव का अंतिम संस्कार किए जाने के बाद दलजीत कौर एक महीने तक अवैध पुलिस हिरासत में रहीं। भीखीविंड पुलिस स्टेशन में लंबे समय तक अवैध हिरासत में रहने के दौरान, दलजीत कौर को फर्जी मुठभेड़ में अपने बेटे के साथ मारे गए दूसरे सिख युवक की पहचान पता चली। वह बलजिंदर सिंह, अमर सिंह का पुत्र, गांव ठट्टा का निवासी था, जिसका अंतिम संस्कार क्रमांक 251/907 के तहत दर्ज है।
क्रमांक 207 – 209 के अंतर्गत, सूची में भिखीविंड पुलिस स्टेशन के एसएचओ तेग बहादुर सिंह द्वारा एफआईआर क्रमांक 76/92 के तहत 15 नवंबर 1992 को किए गए तीन शवदाहों का उल्लेख है। ये शवदाह निम्नलिखित व्यक्तियों के हैं: [1] राजिंदर सिंह उर्फ डॉक्टर, पुत्र बलदेव सिंह, निवासी आवाचक, पुलिस स्टेशन मेहता; [2] बलजिंदर सिंह, पुत्र जरनैल सिंह, निवासी सैदोवाल; और [3] रघुबीर सिंह उर्फ राजू, पुत्र गुरबख्श सिंह, निवासी आवा। पोस्टमार्टम रिपोर्टों को केएस-101/92, केएस-102/92 और केएस-103/92 के रूप में चिह्नित किया गया है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01216 के माध्यम से समिति ने जानकारी एकत्र की है।
बलजिंदर सिंह के बारे में निम्नलिखित जानकारी। मुख्य सूचनादाता पीड़ित के पिता जरनैल सिंह हैं।
सैदो लाहिल गांव, डाकघर निवासी बाईस वर्षीय बलजिंदर सिंह उर्फ बल्ली।

अमृतसर जिले के बाबा बकाला उपमंडल के मत्तेवाल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले तरसिक्का निज्जर एग्रो फूड नामक कंपनी में कार्यरत थे। उन्होंने मैट्रिक की पढ़ाई की थी और करमजीत कौर से शादी की थी। उनका एक बेटा है जो अब नौ साल का है।
1990 में, उन्होंने ग्रैंड ट्रंक (जीटी) पर स्थित निज्जर एग्रो फूड कंपनी में काम करना शुरू किया।
जंडियाला गुरु कस्बे के पास वाली सड़क पर, बलजिंदर का काम गांवों में जाकर किसानों को अपनी कंपनी द्वारा सब्जियों, विशेष रूप से टमाटर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कीटनाशकों के फायदों के बारे में समझाना था। कंपनी ने उन्हें इसके लिए एक स्कूटर दिया था। 322 राख में तब्दील हो गए।

बलजिंदर सिंह रोजाना सुबह स्कूटर से काम पर जाया करते थे और शाम को घर लौट आते थे।
2 अगस्त 1991 को, बलजिंदर सिंह और उनके निजी सुरक्षा अधिकारी ने
उनकी कंपनी का मालिक, जो पंजाब पुलिस का कांस्टेबल था, काम के सिलसिले में स्कूटर से एक गांव जा रहा था। उसे पता नहीं था कि मनोहर सिंह नाम का एक उग्रवादी नेता भी उससे आगे स्कूटर चला रहा था। पुलिस चौकी पर पहचान होने पर मनोहर ने साइनाइड खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस अधिकारियों ने शक के आधार पर बलजिंदर सिंह और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया, जो वास्तव में पंजाब पुलिस का कांस्टेबल था। ये दोनों ठीक उसी समय चौकी पर पहुंचे जब मनोहर सिंह ने साइनाइड खाया था।
इस घटना को देखने वाले कई लोग उत्तेजित हो गए और जल्द ही वहां भारी हंगामा मच गया।
बलजिंदर सिंह और उसके साथी की रिहाई की मांग को लेकर जंडियाला गुरु पुलिस स्टेशन के बाहर भीड़ जमा हो गई। जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो भीड़ ने अमृतसर और दिल्ली को जोड़ने वाली मुख्य सड़क (ग्रैंड ट्रंक रोड) को जाम करने का फैसला किया। बलजिंदर के परिवार के कई सदस्य भी आंदोलन में शामिल हो गए। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग करने का फैसला किया और लाठीचार्ज के बाद गोलीबारी शुरू कर दी। इसमें तीन लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। बलजिंदर की चचेरी बहन दर्शन कौर, जिनकी शादी गहरी मंडी गांव के एक परिवार में हुई थी, भी घायल हो गईं।
बाद में पुलिस ने बलजिंदर सिंह और उसके साथी जगतार सिंह दोनों को इस मामले में फंसा दिया।
टाडा के तहत एक मामले में दोनों को आठ महीने की जेल हुई और फिर जमानत पर रिहा कर दिया गया। इसके तुरंत बाद, बलजिंदर ने 10 अक्टूबर 1992 को करमजीत कौर से शादी कर ली।
10 नवंबर 1992 को, उनकी शादी के ठीक एक महीने बाद, पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी ने छापा मारा।
लगभग 50 जवानों ने, तरन तारन के डीएसपी गुरमीत सिंह के नेतृत्व में (जैसा कि परिवार को बाद में पता चला), बलजिंदर के पिता जरनैल सिंह के फार्म हाउस पर छापा मारा। यह छापा रात 8 बजे से 9 बजे के बीच हुआ। बलजिंदर सिंह भी घर पर ही थे। डीएसपी गुरमीत सिंह ने कहा कि उन्हें बलजिंदर को साथ ले जाना होगा ताकि वे गिरफ्तार किए गए कुछ आतंकवादियों की पहचान कर सकें। डीएसपी ने उन्हें अगली सुबह रिहा करने का वादा किया। लेकिन बलजिंदर को साथ ले जाने से पहले, उन्होंने उसके पिता से अनुरोध किया कि वे सभी पुलिसकर्मियों

10 एके-47 राइफलें, एक एके-74 राइफल, 17 प्लास्टिक बम, 30 डेटोनेटर, 25 मैगज़ीन और 925 कारतूस।
16 नवंबर 1992 को पंजाब के सभी समाचार पत्रों में डीजीपी के इस बयान को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था।
प्रेस कॉन्फ्रेंस।
हालांकि, 17 नवंबर को पंजाबी दैनिक अजीत ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें सवाल उठाए गए थे।
डीजीपी के दावों की सत्यता पर सवाल उठाए गए। रिपोर्ट के शीर्षक में पूछा गया, "क्या बलजिंदर सिंह पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था?" कहानी में उसकी पिछली गिरफ्तारी का विवरण दिया गया था और बताया गया था कि कथित मुठभेड़ से चार दिन पहले उसे उसके पिता के फार्म हाउस से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने परिवारों को सूचित किए बिना ही शवों का अंतिम संस्कार कर दिया। राख भी नहीं इकट्ठा कर सके।
210. क्रमांक 257/916 के अंतर्गत, सूची में रेशम सिंह, पुत्र काबुल सिंह, निवासी चुलखोना के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो भिखीविंड पुलिस स्टेशन के तेग बहादुर सिंह द्वारा 23 नवंबर 1992 को एफआईआर संख्या 78/92 के तहत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को केएस 110/92 के रूप में चिह्नित किया गया है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" दर्ज किया गया है। सीसीडीपी ने अपने माध्यम से इस मामले के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01683। मुख्य सूचनादाता पीड़ित के पिता काबल सिंह हैं।
कबाल सिंह और वीर कौर के बीस वर्षीय पुत्र रेशम सिंह एक निवासी थे।
दुहाल नौर गांव (जिसे सीबीआई की सूची में गलती से चुलखोना बताया गया है) का निवासी, मस्तगढ़ डाकघर, खेमकरण पुलिस स्टेशन, पट्टी उपमंडल, अमृतसर जिले।
रेशम का विवाह सुखविंदर कौर से हुआ था और उनकी एक बेटी मनदीप कौर है, जो अब 10 वर्ष की है।
रेशम का बड़ा भाई उग्रवादी था। भिखीविंड पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर मार डाला।
जुलाई 1991 में भीखीविंड कस्बे के गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह के बाहर उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने परिवार को बिना बताए उनका अंतिम संस्कार कर दिया। कश्मीर सिंह की वजह से काबल सिंह के परिवार को बहुत उत्पीड़न झेलना पड़ा था। पुलिस ने काबल सिंह और उनके पांच बेटों को बार-बार गिरफ्तार कर प्रताड़ित किया था। कश्मीर सिंह की हत्या के बाद भी पुलिस उनके घर पर छापेमारी करती रही और उन्हें व उनके बेटों को लंबे समय तक अवैध हिरासत में रखती रही।
324 राख में तब्दील

नवंबर 1992 की शुरुआत में रेशम सिंह को सेना शिविर में बुलाया गया। उन्हें भूरे कोहने गांव स्थित सेना मुख्यालय में 10 दिनों तक पूछताछ के लिए ले जाया गया। जाहिर तौर पर, उनकी पूछताछ के लिए जिम्मेदार सेना अधिकारी उग्रवादी गतिविधियों में उनकी संलिप्तता न होने से संतुष्ट थे और उन्होंने 14 नवंबर 1992 की शाम को उन्हें हिरासत से रिहा कर दिया। कबल सिंह सेना शिविर गए और अपने बेटे को घर वापस ले आए।

खेमकरण के एसएचओ सुखचैन सिंह के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों का एक बड़ा समूह।
जब काबल सिंह और उनका बेटा रेशम सिंह घर लौटे, तो पुलिस स्टेशन में पुलिसकर्मी उनका इंतज़ार कर रहे थे। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर खेमकरण पुलिस स्टेशन ले जाकर अलग-अलग कोठरी में बंद कर दिया। अगले सात-आठ दिनों तक काबल सिंह अपने बेटे की बेरहमी से यातनाओं के कारण चीखें सुनते रहे। एक बार काबल सिंह ने उसे तब देखा जब कुछ पुलिसकर्मी यातनाओं के साथ पूछताछ करने के बाद उसे उठाकर ले जा रहे थे। रेशम पूरी तरह बेहोश लग रहा था। काबल सिंह भी अवैध पुलिस हिरासत में रहे। लेकिन पुलिस ने न तो उनसे पूछताछ की और न ही उन्हें यातनाएं दीं।
22 नवंबर 1992 की शाम को एसएचओ सुखचैन सिंह ने रेशम सिंह को हिरासत में लिया।
पुलिस की गाड़ी में बिठाकर ले जाया गया। अगले दिन, स्थानीय एआईआर स्टेशन ने रेशम सिंह और एक अन्य अज्ञात आतंकवादी के मुठभेड़ में मारे जाने की घोषणा की। रेडियो रिपोर्ट सुनने के बाद, ग्राम परिषद के सदस्य खेमकरण पुलिस स्टेशन पहुंचे और एसएचओ सुखचैन सिंह से बात की, जिन्होंने उनसे कहा, "जो होना था वही होना था" और उन्हें "कबाल सिंह को जिंदा वापस लाने से संतुष्ट होना चाहिए"। पुलिस ने उसी दिन कबाल सिंह को हिरासत से रिहा कर दिया।
रिहाई के बाद, कबल सिंह और उनके परिवार के अन्य सदस्य चले गए।
रेशम की अस्थियों को पट्टी श्मशान घाट से एकत्रित किया जाएगा।
सीबीआई की अज्ञात सूची, क्रमांक 558/917 के अंतर्गत, दर्शाती है कि एसएचओ तेग बहादुर
भीखीविंड पुलिस स्टेशन के सिंह ने उसी दिन एफआईआर संख्या 78/92 के तहत एक अज्ञात शव का अंतिम संस्कार किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को केएस-110/92 के रूप में चिह्नित किया गया है।
क्रमांक 211 - 212 के अंतर्गत दी गई सूची में झाभल पुलिस स्टेशन के एसएचओ जे.एस. सिधू द्वारा 28 नवंबर 1992 को एफआईआर क्रमांक 116/92 के तहत किए गए दो शवदाह का विवरण है। ये शवदाह निम्नलिखित व्यक्तियों के हैं: [1] बलजीत सिंह उर्फ तोटी, पिता राम सिंह जाट, निवासी तोजरा; और [2] करमजीत सिंह, पिता धन सिंह जाट, निवासी तोजियान। पोस्टमार्टम रिपोर्ट केएसए-33/92 और केएसए-34/92 के रूप में अंकित हैं। मृत्यु का कारण "मुठभेड़" बताया गया है। सीसीडीपी ने अपनी घटना रिपोर्ट के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
प्रपत्र संख्या CCDP/00547 और 01630। मुख्य सूचनादाता पीड़ितों के पिता राम सिंह और दान सिंह हैं।
राम सिंह और तसवीर कौर के पुत्र, बीस वर्षीय बलजीत सिंह, कॉलेज में पढ़ते थे।
बलजीत अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल के झब्बल कलां डाकघर स्थित भुजरावाला का रहने वाला स्नातक निवासी था। वह अविवाहित था और अपने पिता के कृषि कार्यों में मदद करता था। एक बार 1990 में, तरन तारन पुलिस ने उग्रवादियों से संबंध होने के संदेह में बलजीत को अवैध रूप से हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। लेकिन पूछताछ और जांच के बाद उसे रिहा कर दिया गया था। दान सिंह और बीर कौर के पुत्र करमजीत सिंह एक 13 वर्षीय स्कूली छात्र थे।

अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल के झब्बल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले भोजिया गांव से। उनके परिवार के सभी सदस्य बपतिस्मा प्राप्त सिख थे और उनका अधिकारियों के साथ किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं था।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (325)

करमजीत के पिता दान सिंह के अनुसार, कुछ आतंकवादी उनके घर आए थे।
26 नवंबर 1992 को दान सिंह को कोट धर्म चंद खुर्द के ग्राम परिषद प्रमुख दर्शन सिंह को एक सीलबंद पत्र पहुंचाने के लिए कहा गया। उग्रवादियों के डर से दान सिंह ने अपने बेटे करमजीत को पत्र पहुंचाने के लिए कहा, लेकिन करमजीत ने उसे काबू में कर लिया और कैद कर लिया। कुछ समय बाद, दर्शन सिंह के बेटे दान सिंह के घर यह पता लगाने आए कि क्या उग्रवादी उनके घर आए थे और उनके बेटे को संदेशवाहक बनाकर ले गए थे। दान सिंह ने स्वीकार किया कि कुछ उग्रवादी पत्र लेकर उनके घर आए थे और उनके बेटे को पत्र पहुंचाने के लिए मजबूर किया था। दर्शन सिंह के बेटों ने दान सिंह को बताया कि उन्होंने करमजीत को पकड़ लिया है और उसे पुलिस के हवाले करने वाले हैं, और फिर वे वापस चले गए।
कुछ घंटों बाद, दान सिंह अपने परिवार के कई अन्य लोगों के साथ वहाँ पहुँचा। गांव के लोग दर्शन सिंह के घर, कोट धर्म चंद खुर्द गांव गए और उनसे अपने बेटे को रिहा करने की गुहार लगाई। दर्शन सिंह ने उनसे कहा कि उनके बेटे की रिहाई के लिए पत्र भेजने वाले आतंकवादियों को गिरफ्तार किया जाए। दर्शन सिंह ने कहा कि उन्हें आतंकवादियों तक पहुंचने का तरीका नहीं पता और वे खाली हाथ घर लौट आए।
अगले दिन, दान सिंह अपने साथ दर्शन सिंह के घर फिर से गया।
दर्शन सिंह ने अपने बेटे को रिहा करने के लिए गांव के कई बुजुर्गों से दबाव बनाने को कहा। दर्शन सिंह ने पहले ही झब्बल पुलिस को सूचना दे दी थी, जिसके नेतृत्व में एसएचओ जगदीप सिंह पुलिस स्टेशन पहुंचे। उनकी बातचीत के दौरान ही पुलिस ने करमजीत और दान सिंह दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस स्टेशन जाते समय एसएचओ ने दान सिंह को पुलिस वाहन से उतरने का आदेश दिया और करमजीत सिंह को लेकर चले गए।
उसी दोपहर, डीएसपी अशोक कुमार और एसएचओ जगदीप के नेतृत्व में झब्बल पुलिस ने कार्रवाई की।
सब-इंस्पेक्टर बिक्रमजीत सिंह और कांस्टेबल तलविंदर सिंह ने बलजीत सिंह को झब्बल बस स्टैंड से उस समय गिरफ्तार किया जब वह अमृतसर जाने वाली बस में चढ़ने ही वाला था। गिरफ्तारी के समय बलजीत के पिता राम सिंह और इलाके के कई दुकानदार मौजूद थे।
उसी शाम पुलिस ने मुठभेड़ में बलजीत और करमजीत दोनों को मार गिराया। अहमदपुर गांव में उनकी हत्या का नाटक रचा गया था। 29 नवंबर 1992 को अजीत अखबार में मुठभेड़ की खबर पढ़ने के बाद जब उनके परिवार वाले झब्बल पुलिस स्टेशन पहुंचे, तब तक पुलिस उनके शवों का अंतिम संस्कार कर चुकी थी।
213. क्रमांक 262/926 के अंतर्गत, सूची में जतिंदर सिंह, पुत्र दरबारा सिंह जाट, निवासी महमूदपुरा के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो वाल्टोहा पुलिस स्टेशन के एसएचओ गोविंदर सिंह द्वारा 7 दिसंबर 1992 को एफआईआर क्रमांक 63/92 के तहत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एसएलजी 121/92 के रूप में चिह्नित किया गया है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।

सीसीडीपी ने अपनी घटना रिपोर्ट के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
प्रपत्र संख्या CCDP/01543. मुख्य सूचनादाता पीड़ित का भाई बलकार सिंह है।
Jatinder Singh, son of Darbara Singh and Joginder Kaur, was a 16-year-old जतिंदर अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के वाल्टोहा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत महमूदपुरा गांव का निवासी है। उसके पिता का निधन बहुत कम उम्र में ही हो गया था और वह भावनात्मक रूप से दुखी घर में पला-बढ़ा, जबकि उसका बड़ा भाई बलकार पारिवारिक खेत संभालने की कोशिश करता रहा। चूंकि पंजाब अशांत क्षेत्र था, इसलिए जतिंदर की मां ने उसे आठवीं कक्षा में ही स्कूल छोड़ने और जम्मू चले जाने के लिए राजी कर लिया, जहां उसकी बहन रहती थी। उसके पति गुरमेज सिंह सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में कांस्टेबल थे।
326 राख में तब्दील

पुलिस को संदेह था कि जतिंदर के आतंकवादियों से संबंध थे और वह
अपने बहनोई गुरमेज सिंह, जो घरियाली गांव में रहते थे, के कुछ रिश्तेदारों की हत्या करवाने में जतिंदर की अहम भूमिका थी। दिसंबर 1992 की शुरुआत में, वाल्टोहा पुलिस स्टेशन के एसएचओ गोविंदर सिंह के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों के एक समूह ने जम्मू में उसकी बहन के घर से जतिंदर का अपहरण कर लिया। जब उसकी मां जोगिंदर कौर वाल्टोहा पुलिस की अवैध हिरासत से उसे छुड़ाने के लिए प्रभावी उपाय तलाश रही थीं, तभी 8 दिसंबर 1992 को कई पंजाबी अखबारों ने जतिंदर सिंह की पुलिस के साथ कथित मुठभेड़ में हुई हत्या की खबर प्रकाशित की।
जोगिंदर कौर और उनके बड़े बेटे बलकार सिंह कुछ भी करने में असमर्थ थे और पुलिस द्वारा अभी भी उन्हें धमकियां दी जा रही हैं कि वे जम्मू से जतिंदर के अपहरण और फर्जी मुठभेड़ में उसकी हत्या के मामले को आगे न बढ़ाएं। जोगिंदर कौर को यह भी डर है कि अगर उन्होंने जम्मू स्थित घर से जतिंदर के अपहरण की शिकायत की तो उनके दामाद गुरमेज सिंह को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
214. क्रमांक 265/939 के अंतर्गत, सूची में हीरा सिंह, पुत्र राम सिंह जाट, निवासी थथियां, के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो हरिके पुलिस स्टेशन के एसएचओ रघुबीर सिंह द्वारा 20 दिसंबर 1992 को एफआईआर क्रमांक 55/92 के तहत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एसएलजी 127/92 के रूप में चिह्नित किया गया है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति को घटना रिपोर्ट के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हुई है। प्रपत्र संख्या CCDP/01492. मुख्य सूचनादाता पीड़िता की मां जागीर कौर हैं।
थाथियन खुर्द के हीरा सिंह, डाकघर और हरिके पुलिस स्टेशन के निवासी अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल में रहने वाला यह व्यक्ति मनजीत सिंह का छोटा भाई था, जिसकी 29 अक्टूबर 1992 को हरिके पुलिस द्वारा हत्या कर दी गई थी और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। मनजीत की परेशानियों और उसके अंत का वर्णन ऊपर केस नंबर 202 के रूप में किया गया है।
अपने भाई की तरह, 22 वर्षीय हीरा सिंह भी दमदमी टकसाल में गए।
धार्मिक शिक्षा और सिख धर्म प्रचार कार्य के लिए।
दिसंबर 1992 के पहले सप्ताह में हीरा सिंह थथियन खुर्द गांव गए।

[illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] 19 [illegible] 1992 de, [illegible] [illegible] 10 [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] de [illegible] de de [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible], [illegible] de [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] de de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de de de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] de de [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] de, de [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible], [illegible] de [illegible] [illegible] de [illegible]

20 [illegible] 1992 de [illegible] [illegible] de [illegible] de [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible]

[illegible] de [illegible] [illegible] de [illegible] "[illegible]" [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] de [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] de de [illegible]

[illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 106/938 de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible]-128/92 de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de de [illegible]

[illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] de [illegible] (327)

215. [illegible] 266/942 de [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] de [illegible] de, de [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 25 [illegible] 1992 de [illegible] [illegible] 83/92 de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] 39/92 de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de de [illegible] de [illegible] "[illegible] [illegible]" [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] CCDP/01427 de 01355 de [illegible] de, [illegible] de

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] 1990 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible], [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de de de [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] de [illegible] de, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

जल्द ही, पुलिस ने काबल सिंह के परिवार के सदस्यों को परेशान करना शुरू कर दिया और उनसे कहा कि वे
उसे पूछताछ के लिए पुलिस के सामने पेश किया गया। पुलिस ने उसके पिता संतोख सिंह और छोटे भाई हरबंस सिंह को हिरासत में लेकर प्रताड़ित किया। काबल सिंह ने बिहार जाने का फैसला किया। उसने जमशेदपुर में हरबंस सिंह के छद्म नाम से ट्रक चालक की नौकरी कर ली। जमशेदपुर पुलिस को पता चला कि वह पंजाब पुलिस से भागा हुआ है और उसका असली नाम काबल सिंह है। उन्होंने उसे गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया और तरनतारन पुलिस को सूचना दी।
दिसंबर 1992 के मध्य में, काबल सिंह को तरन तारन लाया गया था। आतंकवादियों से उसके संभावित संबंधों की जांच चल रही थी। उसके पिता संतोख सिंह और भाई हरबंस सिंह पहले से ही अवैध हिरासत में थे और वे उसे बचाने के लिए कुछ भी करने में असमर्थ थे।
25 दिसंबर 1992 को एसएसपी अजीत सिंह संधू ने कथित तौर पर अपनी मृत्यु की घोषणा की।
मुठभेड़। प्रेस से बात करते हुए संधू ने दावा किया कि मुठभेड़ उस समय हुई जब पुलिसकर्मियों का एक दल गिरफ्तार आतंकवादी कबाल सिंह द्वारा छिपाए गए हथियार और गोला-बारूद बरामद करने के बाद पुलिस स्टेशन लौट रहा था। एसएसपी के अनुसार, भिंडरांवाले टाइगर्स फोर्स के प्रमुख सरबन सिंह उर्फ शहीद के नेतृत्व में आतंकवादियों के एक समूह ने कबाल सिंह को ले जा रहे पुलिस वाहन पर हमला किया। संधू ने बताया कि पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और दो घंटे तक चली गोलीबारी में कबाल सिंह, सरबन सिंह और एक अन्य अज्ञात आतंकवादी मारे गए।
सरवन सिंह, निवासी जवंदे का अंतिम संस्कार 25 दिसंबर 1992 को क्रमांक संख्या के अंतर्गत किया गया।
एफआईआर संख्या 107/943 और एफआईआर संख्या 83/92, जो तरन तारन सदर पुलिस स्टेशन के एसएचओ, एसआई सरबन सिंह द्वारा दर्ज की गई थी, सीबीआई की आंशिक रूप से पहचाने गए शवदाहों की सूची में शामिल है। इसका सारांश रिपोर्ट के उपयुक्त अनुभाग में दिया गया है। उसी दिन, उसी एफआईआर संख्या के तहत और उसी अधिकारी द्वारा किया गया एक और शवदाह सीबीआई की अज्ञात शवदाहों की सूची में क्रमांक 572/944 और पोस्टमार्टम रिपोर्ट संख्या KSA-41/92 के तहत शामिल है।
सरवन सिंह के पिता मोहन सिंह की छह महीने बाद दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई।
216 – 217. क्रमांक 267/947 और 268/948 के अंतर्गत, सूची में भीखीविंड पुलिस स्टेशन के एसएचओ तेग बहादुर सिंह द्वारा 26 तारीख को किए गए दो शवदाहों की पहचान की गई है। 328 को राख में परिवर्तित किया गया।

दिसंबर 1992, एफआईआर संख्या 81/92 के अंतर्गत। मृतक के नाम इस प्रकार हैं: [1] सुखदेव सिंह, पुत्र सुंदर सिंह जाट, निवासी मोहम्मद खान; और [2] हरजिंदर सिंह उर्फ डोगर, पुत्र हरबंस सिंह, निवासी तंगरा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट संख्याएँ KS 116/92 और KS 115/92 हैं। मृत्यु का कारण "आग्नेयास्त्र से लगी चोटें" बताया गया है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01275 और 01114 के माध्यम से, CCDP ने

इन मामलों के संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हुई है। मुख्य सूचनादाता सुखदेव के पिता सुंदर सिंह और हरमिंदर की माता अमरजीत कौर हैं। उन्नीस वर्षीय सुखदेव सिंह उर्फ सुखा, सुंदर सिंह का सबसे छोटा बेटा। सुखदेव और गुरदीप कौर, अमृतसर जिले के खदुर साहिब उपमंडल के सरहल्ली कलां पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले कोट मोहम्मद खान गांव के निवासी थे। वे स्थानीय सरकारी स्कूल में कक्षा नौ के छात्र थे और अविवाहित थे। सुखदेव के तीन बड़े भाई थे, गुरमेल सिंह, जगमेल सिंह और जगतर सिंह। जगमेल भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) में कांस्टेबल थे।
1991 में, पुलिस ने सुखदेव को गिरफ्तार करने के लिए सुंदर सिंह के घर पर छापा मारा, जो डर के मारे भाग गया था।
यातना से बचने के लिए वे भाग गए। अगले डेढ़ साल तक, परिवार के सदस्यों को पुलिस द्वारा नियमित रूप से हिरासत में लेकर यातनाएं दी जाती रहीं, जिससे उन्हें अत्यधिक उत्पीड़न झेलना पड़ा। पुलिस ने उनके घर का सारा सामान चुरा लिया और धान की खड़ी फसल भी काट ली। पुलिस ने सुंदर सिंह के परिवार को अपनी ज़मीन पर खेती करने से रोक दिया।
26 नवंबर 1992 को, सुबह लगभग 11:45 बजे, आईटीबीपी के सुखदेव और जगमेल ने... स्थिर शरीर वाले लोग अमृतसर रेलवे स्टेशन पर उत्तर प्रदेश के बरेली जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे थे।
उनके बड़े भाई गुरमेल सिंह, जो उन्हें विदा करने आए थे, भी उनके साथ थे। अचानक, सादे कपड़ों में दो पुलिसकर्मियों ने सुखदेव पर हमला कर दिया, जो दोनों भाइयों के बीच खड़ा था। देखते ही देखते, पुलिसकर्मियों का एक बड़ा दल आया और सुखदेव को हिरासत में ले लिया। पुलिस अधिकारियों ने जगमेल को भी अपने साथ आने का आदेश दिया। दोनों की आंखों पर तुरंत पट्टी बांध दी गई और उन्हें 45 मिनट तक किसी स्थान पर ले जाया गया। रास्ते में, पुलिसकर्मी सुखदेव को अपनी राइफल के बट से पीटते रहे। जब वे अपने गंतव्य पर पहुंचे, तो पुलिस ने जगमेल और सुखदेव सिंह को अलग कर दिया और उन्हें अलग-अलग कमरों में बंद कर दिया। जगमेल, अभी भी

सुखदेव सिंह की आंखों पर पट्टी बांधकर पूछताछ की गई, तब उसने अपना असली चेहरा बता दिया।

मैंने खुद को आईटीबीपी का कांस्टेबल घोषित कर दिया। अगली रात,

पुलिस ने उसे एक पुलिस वाहन में धकेल दिया, उसकी आँखों पर पट्टी बाँध दी और उसे वापस अमृतसर शहर ले गई। गुरु नानक अस्पताल के पास पहुँचकर उसे वाहन से उतरने को कहा गया। बाद में पता चला कि उन दोनों को तरनतारन स्थित सीआईए स्टाफ के पूछताछ केंद्र ले जाया गया था। वहाँ हिरासत में रहने के दौरान जगमेल ने अपने भाई को असहनीय दर्द से कराहते हुए सुना।

इस बीच, सुखदेव के माता-पिता सुंदर सिंह और गुरदीप कौर, उनके भाई

जगतर सिंह, उनके मामा-मामी और कई अन्य रिश्तेदार पहले से ही तरन तारन के विभिन्न पुलिस थानों में अवैध पुलिस हिरासत में थे। सुंदर सिंह आठ महीने पुलिस हिरासत में बिता चुका था। जगमेल को अपनी नौकरी खोने का डर था और रिहाई के तुरंत बाद वह ड्यूटी पर अपनी यूनिट में लौट आया। गुरमेल अकेला था और मदद के लिए कुछ नहीं कर सका।

सुखदेव को तरन तारन में सीआईए के कर्मचारी पूछताछ केंद्र में अवैध रूप से हिरासत में रखा गया था।

सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (329)

अपहरण के बाद एक महीने तक उसे हिरासत में रखा गया और क्रूर यातनाएं देकर उससे पूछताछ की गई। 26 दिसंबर 1992 की सुबह तड़के सुर सिंह वाला गांव के पास एक सुनियोजित मुठभेड़ में उसे हरजिंदर सिंह और चार अन्य अज्ञात लोगों के साथ मार दिया गया। एसएसपी अजीत सिंह संधू ने एक बयान जारी कर दावा किया कि मुठभेड़, जिसमें छह आतंकवादी मारे गए, तब हुई जब पुलिस बल ने जसवंत सिंह के घर पर छापा मारा, जहां आतंकवादियों ने शरण ली थी। एसएसपी ने यह भी दावा किया कि एसएसपी अजीत सिंह संधू, एसपी (ऑपरेशन) खूबी राम, भिखीविंड के डीएसपी परमदीप सिंह तेजा और भिखीविंड पुलिस स्टेशन के एसएचओ तेग बहादुर सिंह सहित पुलिस बल को आतंकवादियों की गोलीबारी को रोकने के लिए बुलेटप्रूफ वाहनों का इस्तेमाल करना पड़ा और मुठभेड़ स्थल से कई अत्याधुनिक हथियार बरामद किए गए। कई समाचार पत्रों ने 27 दिसंबर 1992 को इस बयान को प्रमुखता से प्रकाशित किया।
पच्चीस वर्षीय हरमिंदर पाल सिंह का नाम गलत तरीके से दर्ज किया गया है। सीबीआई ने हरजिंदर सिंह के रूप में हरमिंदर पाल की शिकायत दर्ज कराई है। स्वर्गीय हरबंस सिंह और अमरजीत कौर के पुत्र हरमिंदर पाल अमृतसर जिले के बाबा बकाला उपमंडल के खलचियां पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले तंगरा गांव के निवासी थे। 1990 में, जब हरमिंदर पाल मेहर चंद पॉलिटेक्निक कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तीसरे वर्ष में थे, कपूरथला पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा। हरमिंदर पाल कॉलेज के बाद हर शाम घर लौटते थे, लेकिन पुलिस के छापे के बाद वे घर से भाग गए।
हरमिंदर पाल के जाने के बाद, पुलिस ने उसके पिता हरबंस सिंह और उसके बड़े भाई को हिरासत में ले लिया।

उनके भाई और दादा किशन सिंह ने कई बार उनसे संपर्क किया था। परिवार ने हरमिंदर पाल पर पुलिस के पास जाने का दबाव डाला, लेकिन पुलिस द्वारा मारे जाने के डर से हरमिंदर उग्रवादियों में शामिल हो गया। परिवार को 27 दिसंबर 1992 को अखबारों में छपी खबरों से उनकी मृत्यु की सूचना मिली। पुलिस ने परिवारों को सूचित किए बिना ही शवों का अंतिम संस्कार कर दिया। सुंदर सिंह के अनुसार, अज्ञात घोषित किए गए तीनों व्यक्ति डल गांव के थे। इसके अतिरिक्त, पुलिस ने अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के अगरपुरा गांव के दविंदर सिंह उर्फ गुरिंदर की हत्या कर दी। सीबीआई की अज्ञात शवदाहों की सूची, क्रमांक 573/945, 574/946, 575/949 और 576/950 के तहत, भीखीविंड पुलिस स्टेशन के एसएचओ तेग बहादुर सिंह द्वारा 26 दिसंबर 1992 को एफआईआर संख्या 81/92 के अंतर्गत किए गए चार अन्य शवदाहों का भी रिकॉर्ड दर्ज करती है। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट संख्याएँ KS-117/92, KS-118/92, KS-119/92 और KS-120/92 हैं।
218. क्रमांक 269/951 के अंतर्गत, सूची में वेरोवाल पुलिस स्टेशन के निरीक्षक द्वारा 27 दिसंबर 1992 को किए गए अनोख सिंह, पुत्र जसविंदर सिंह जाट, निवासी उबोके के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो एफआईआर क्रमांक 54/92 के अंतर्गत दर्ज है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ओपीजी 49/92 के रूप में चिह्नित किया गया है। मृत्यु का कारण "गोली लगने से हुई चोटें" बताया गया है।
सीसीडीपी ने घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या 01481 के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
मामले से संबंधित जानकारी। मुख्य सूचनादाता पीड़ित का चाचा अवतार सिंह है।
बहमनी वाला डाकघर के पास उबोके गांव के तैंतीस वर्षीय अनोख सिंह।
अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के लेहंदी पट्टी में रहने वाले अनोख ने 1982 में अकाली दल द्वारा आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को लागू कराने के लिए चलाए गए आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। वे दमदमी टकसाल के प्रमुख जरनैल सिंह भिंडरांवाले के प्रशंसक थे, जो किसी भी तरह का समझौता न करने की भावना का प्रतिनिधित्व करते थे। जून 1984 में भारतीय सेना द्वारा स्वर्ण मंदिर पर हमले के बाद, अनोख को गिरफ्तार कर जोधपुर जेल भेज दिया गया, जहां वे 1990 की शुरुआत तक रहे।
330 राख में तब्दील

लंबी कैद के बाद, अनोख सिंह घर पर ही रहे और उन्होंने कोई सार्वजनिक गतिविधि नहीं की।
उस दौर की राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने के बावजूद, पुलिस ने उन्हें लगातार परेशान किया, उनके घर पर छापे मारे, उनके परिवार के सदस्यों को अपमानित किया और उन पर उग्रवादी संगठनों से संबंध रखने का संदेह जताया। यातनाओं के डर से अनोख सिंह भूमिगत हो गए और उग्रवादी संगठनों में शामिल हो गए। उनके पिता जसविंदर सिंह, जो भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हो चुके थे, अपनी पत्नी और अन्य बच्चों को पंजाब पुलिस से बचाने के लिए मुंबई चले गए। वहां उन्होंने एक ट्रक खरीदा और ट्रांसपोर्टर के रूप में अपना जीवन यापन शुरू किया।
27 दिसंबर 1992 को समाचार पत्रों में अनोख सिंह के बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई।

[illegible]
219 – 222. [illegible] 270/952, 271/953, 272/954 [illegible] 273/956 [illegible]
[illegible] 29 [illegible] 1992 [illegible] 67/92 [illegible]
[illegible]: [1] [illegible]; [2] [illegible]; [3] [illegible]; [illegible] [4] [illegible] 130/92, [illegible] 131/92, 132/92 [illegible] 134/92 [illegible] "[illegible]"
[illegible] CCDP/00484, 01578 [illegible] 01570[illegible]

बाद, जागीर सिंह ने ग्राम परिषद के सदस्यों के साथ मिलकर निंदर को पेश किया।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (331)

निंदर सिंह को वाल्टोहा पुलिस स्टेशन के एसएचओ के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने चरण कौर को अवैध हिरासत से रिहा कर दिया। उसी समय, एसएचओ ने निंदर की रिहाई के बदले 10,000 रुपये की मांग की। खेतिहर मजदूरों के परिवार के लिए यह बहुत बड़ी रकम थी। फिर भी, जागीर सिंह ने जल्द ही पैसे जुटाने का वादा किया। गिरफ्तारी के तीन दिन बाद, जागीर सिंह अपने बेटे को एसएचओ से वादा करके घर वापस ले आए कि वे 10 दिनों के भीतर पैसे दे देंगे। लेकिन जागीर सिंह ऐसा करने में असफल रहे।
दो सप्ताह बाद, एसएचओ के नेतृत्व में वाल्टोहा पुलिस ने निंदर के घर पर फिर से छापा मारा।
और उसे अपने साथ ले गए। उसी दिन, जागीर सिंह और ग्राम परिषद के अन्य सदस्य एसएचओ से मिले, जिन्होंने उनसे 10,000 रुपये देने की अपनी प्रतिबद्धता पूरी करने को कहा। जागीर सिंह ने अपनी पत्नी के सभी सोने के गहने और आभूषण बेचकर यह रकम जुटाई। चौथे दिन, वह एसएचओ को भुगतान करने के लिए तैयार थे, लेकिन तब तक निंदर सिंह, चार अन्य लोगों के साथ, एक मुठभेड़ में मारे जा चुके थे।
2 दिसंबर 1992 को यादविंदर सिंह और छह अन्य लड़कों को पेश किया गया था। हरिके विश्राम गृह में सेना अधिकारी लखा सिंह मरार के समक्ष पेशी के बाद उन्हें पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया। 25 दिसंबर 1992 को एसएचओ रघुबीर सिंह और उसके दो बंदूकधारियों ने हरिके चौक से यादविंदर का अपहरण कर लिया।
अगले दिन परिवार और हरिके पंचायत ने पट्टी के डीएसपी से मुलाकात की, लेकिन उन्होंने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया।
गुरसेवक सिंह उन चार अन्य लोगों में से एक थे जिन्हें उसी घटना में मृत दिखाया गया था।
मुठभेड़। वह अपने गांव के कुछ लोगों के साथ गुरुद्वारा झार साहिब में एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे और घर लौटते समय वाल्टोहा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के तीन दिन बाद, गुरसेवक को वरनाला गांव के पास पुलिस के साथ मुठभेड़ में मृत दिखाया गया। 29 दिसंबर 1992 को कई समाचार पत्रों ने इस मुठभेड़ को प्रमुखता से कवर किया।
निंदर सिंह के पिता पट्टी स्थित सिविल अस्पताल गए और किसी तरह उनसे मिलने में कामयाब रहे।
उसके बेटे का शव। उसे माथे पर गोली लगी थी।
According to Jagir Singh, Gursewak’s cousin Ranjit Singh, s/o Mukhtiar Singh of
वाल्टोहा (देओल पट्टी) को आनंदपुर से गिरफ्तार किया गया था और एक अलग घटना में फर्जी मुठभेड़ में उसकी हत्या कर दी गई थी।
निंदर सिंह की मां दर्शन कौर अपने बेटे की मौत के सदमे को सहन नहीं कर पाईं।
उनकी मृत्यु हो गई और वे बिस्तर पर पड़ गईं। उनके भाई मुख्तियार सिंह के अनुसार, चार साल बाद शोक और सदमे से उनकी मृत्यु हो गई।
क्रमांक 223 – 225 के अंतर्गत, सूची में तीन शवदाह दर्ज हैं: [1] अरुध सिंह, पुत्र काम सिंह जाट, निवासी मनोचाहल; [2] रेशम सिंह, पुत्र तारा सिंह जाट,

[illegible]; on [3] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] on [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] on [illegible] [illegible] [illegible] 29 [illegible] 1992 on [illegible] [illegible] 120/92 on [illegible] [illegible] on [illegible] [illegible] [illegible] 71/92, [illegible] 72/92 on [illegible] 74/92 on [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] on [illegible] "[illegible] [illegible] on [illegible] [illegible]" [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] CCDP/00543, 00726 on 00795 on [illegible] on, [illegible]-
on [illegible] on [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] on [illegible] [illegible] on [illegible] [illegible] [illegible] on [illegible] [illegible] [illegible] on [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] on [illegible] [illegible] 55 [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] on [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] on [illegible] [illegible] [illegible] on [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] on [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] on [illegible] [illegible] [illegible] on [illegible] on on [illegible] on [illegible] [illegible] [illegible] on [illegible] [illegible] [illegible] ([illegible]) on [illegible] [illegible]
332 [illegible] [illegible]

[illegible] on [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] on [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] on [illegible],

[illegible] [illegible] on [illegible] [illegible] [illegible] 1992 [illegible] [illegible] [illegible] on [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] on [illegible] on 1992 on on [illegible] on [illegible] [illegible] on [illegible] on, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] on on [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] on 30,000 [illegible] on [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] on [illegible]

[illegible] on [illegible] [illegible] on [illegible] [illegible] [illegible] on [illegible] [illegible]

of Khalra police, SI Raj Kumar, SHO of Manochahal police station, and his subordinate ASI Nachhatter Pal

[illegible] [illegible] 12 [illegible] 1992 on [illegible] on [illegible] on [illegible], on

[illegible] [illegible] [illegible] on [illegible] on [illegible] on [illegible] [illegible]

[illegible] on [illegible] on [illegible] [illegible] on [illegible] [illegible] on [illegible] [illegible] on [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

15 [illegible] 1992 on [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] on on [illegible]-[illegible] on [illegible] [illegible] on [illegible] [illegible] [illegible] on [illegible] [illegible] on [illegible] [illegible] [illegible] on [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] on on [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] on [illegible] [illegible] [illegible] on [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] on

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

18 [redacted] 1992 [redacted]

[redacted]

[redacted]

29 [redacted] 1992 [redacted]

[redacted]

सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (333)

रिपोर्ट में मारे गए आतंकवादियों में अरूर सिंह की पहचान भी शामिल थी। प्रमुख पंजाबी समाचार पत्रों, अजीत, जगबानी और पंजाबी ट्रिब्यून ने इस मुठभेड़ की खबर प्रमुखता से छापी।
इसके बाद जसबीर कौर और अन्य लोग तरन तारन सिविल अस्पताल गए और उन्होंने पहचान की
अरूर सिंह का शव। उन्हें अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई।
अखबारों की रिपोर्टों में रेशम सिंह और राम सिंह नाम के दो अन्य लोगों की पहचान की गई।
उसी “मुठभेड़” में मारे गए।
तारा सिंह के पुत्र रेशम सिंह, कुहारका के रहने वाले एक अविवाहित युवा किसान थे।
गांव, शाहबाजपुर डाकघर, पट्टी हरी की, पट्टी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत।
उसका कोई राजनीतिक या उग्रवादी पृष्ठभूमि नहीं थी और उसे पहले कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था।
11 दिसंबर 1992 की सुबह, मनोचाहल पुलिस चौकी के एएसआई नछत्तर पाल
पुलिस उनके घर आई और रेशम सिंह को उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वह अपने खेत के मवेशियों को चारा खिला रहा था। रेशम सिंह को गाड़ी में घसीटते हुए ले जाया जा रहा था, तभी वह चीखने लगा, जिससे उसके पड़ोसी जाग गए। उन्होंने एएसआई से संपर्क किया और उनसे विनती की कि रेशम सिंह को न ले जाएं क्योंकि वह किसी अपराध में शामिल नहीं था। पुलिस अधिकारी ने उन्हें बताया कि रेशम सिंह संदिग्ध है, लेकिन अगर गांव के बड़े-बुजुर्ग गवाही देंगे तो उसे रिहा कर दिया जाएगा। उन्होंने उन्हें मनोचाहल पुलिस चौकी आने को कहा।
कुछ घंटों बाद, तारा सिंह ग्राम परिषद के सभी सदस्यों के साथ वहाँ पहुँचे। वे मनोचाहल पुलिस स्टेशन गए। उन्हें बताया गया कि एएसआई नछत्तर पाल और एसएचओ राज कुमार रेशम सिंह को किसी पूछताछ के लिए ले गए हैं। सभी ने दोपहर

तक इंतजार किया और फिर बेअंत सिंह की सरकार में परिवहन मंत्री रहे मास्टर जागीर सिंह से मिलने का फैसला किया। जागीर सिंह ने उन्हें एसएसपी अजीत सिंह संधू से मिलने और रेशम सिंह को रिहा करवाने के लिए खुद उनके साथ जाने का वादा किया।
12 दिसंबर 1992 को सुबह लगभग 10:30 बजे, तारा सिंह और गाँव के सभी बुजुर्ग एसएसपी तरन तारन के कार्यालय पहुंचे। सुबह 11 बजे जागीर सिंह वहां आए और तारा सिंह और उनके साथियों का एसएसपी से परिचय कराया। एसएसपी ने उन्हें बताया कि उन्होंने रेशम सिंह को रिहा करने का आदेश मनोचाहल पुलिस स्टेशन को वायरलेस संदेश भेज दिया है। उन्होंने तारा सिंह को वहां जाकर अपने बेटे को लाने के लिए कहा।
इसके बाद तारा सिंह और उसके साथी मनोचाहल पुलिस स्टेशन गए और उन्होंने देखा
रेशम सिंह पुलिस स्टेशन परिसर में ज़मीन पर बैठा रो रहा था। किसी को भी उससे बात करने की इजाज़त नहीं थी। तभी डीएसपी अशोक कुमार वहाँ पहुँचे और तारा सिंह और उसके साथियों से उनके आने का मकसद पूछा। उन्होंने एसएसपी से हुई अपनी मुलाकात और रेशम सिंह को मनोचाहल पुलिस स्टेशन से अपने साथ ले जाने के निर्देश के बारे में बताया। उनकी बात सुनने के बाद, डीएसपी अशोक कुमार और एसएचओ राज कुमार मामले पर चर्चा करने के लिए एक तरफ चले गए और फिर तारा सिंह से पहले 25,000 रुपये देने को कहा। तारा सिंह ने उनसे विनती की कि वे उस पर इतना बोझ न डालें क्योंकि वह गरीब था और आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। फिर 20,000 रुपये में बात तय हुई। उसी दिन, तारा सिंह ने अपनी दो मजबूत भैंसें बेच दीं और एसएचओ राज कुमार को 20,000 रुपये दिए। एसएचओ ने उनसे रेशम सिंह को छह-सात दिन बाद वापस ले जाने को कहा क्योंकि उसे यातना से उबरने और फिर से चलने-फिरने लायक होने के लिए कुछ समय चाहिए था। राज कुमार ने तारा सिंह को रेशम सिंह को रोटी और चाय देने की अनुमति दी। रेशम सिंह ने बताया कि उसके उत्पीड़क उसे जान से मारने की धमकी दे रहे थे, जब तक कि वह अपनी ज़मीन का हिस्सा बेचकर उन्हें पैसे नहीं दे देता। तारा सिंह ने रेशम सिंह से कहा कि चिंता न करें, क्योंकि उन्हें पंजाब सरकार के एक मंत्री की उपस्थिति में एसएसपी से आश्वासन मिल चुका है। इसके अलावा, उन्होंने अभी-अभी एसएचओ राज कुमार को 20,000 रुपये दिए थे। राज कुमार ने तारा सिंह और उनके साथियों से कहा कि वे बार-बार पुलिस स्टेशन न आएं और रेशम सिंह के चलने-फिरने लायक होते ही उन्हें रिहा करने का वादा किया। लेकिन पुलिस ने रेशम सिंह को रिहा नहीं किया। तारा सिंह और अन्य ग्राम बुजुर्गों की 334 लाशें जलकर राख हो गईं।

अगले 16 दिनों तक पुलिस लगातार मनोचाहल पुलिस स्टेशन में रेशम सिंह से मिलने जाती रही। पुलिस रेशम सिंह को प्रताड़ित करती रही और एसएचओ राज कुमार ने इसका बचाव करते हुए कहा कि यह उनके वरिष्ठों के आदेशों का पालन करने के लिए न्यूनतम आवश्यक कर्तव्य था। लेकिन वह तारा सिंह को लगातार आश्वासन देते रहे कि रेशम सिंह को रिहा कर दिया जाएगा।
29 दिसंबर 1992 को तारा सिंह ने चार उग्रवादियों की हत्या से संबंधित रिपोर्ट पढ़ी।
दोडे गांव में हुई मुठभेड़ में रेशम सिंह का नाम भी रिपोर्ट में आया था। अखबारों में खबर पढ़ते ही तारा सिंह और ग्राम परिषद के कई सदस्य मनोचाहल पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां मौजूद एसएचओ राज कुमार नशे की हालत में थे और

उन्होंने तारा सिंह और अन्य लोगों को गाली देना शुरू कर दिया। जब उन्हें रेशम सिंह की जान बचाने के लिए लिए गए 20,000 रुपये याद दिलाए गए, तो राज कुमार ने कहा कि उन्होंने ये पैसे रेशम सिंह का शव लौटाने के बदले लिए थे।
उन्होंने उनसे तरनतारन के सिविल अस्पताल से शव लाने को कहा।
अस्पताल में डीएसपी अशोक कुमार और एसआई नछत्तर पाल ने तारा सिंह को गाली दी।
और उसे तुरंत अपने गांव लौटने का आदेश दिया गया। पुलिस ने शवदाह करवाया।
29 दिसंबर 1992 की रात को डीएसपी अशोक कुमार, एसएचओ राज कुमार और एसआई ने छापा मारा।
नाचत्तर पाल, भारी पुलिस बल के साथ तारा सिंह के घर आया और उसे बताया कि यदि उसने कोई कानूनी कार्रवाई शुरू की, तो उसे और उसके परिवार के अन्य सदस्यों को रेशम सिंह के समान ही अंजाम भुगतना पड़ेगा।
तारा सिंह ने कोई कार्रवाई नहीं की। तब से वह मानसिक रूप से अस्थिर हो गया है।
रेशम सिंह की हत्या के कुछ समय बाद ही छोटे बेटे निर्वेल सिंह और उनकी पत्नी की सदमे के कारण मृत्यु हो गई।
तीसरे पहचाने गए व्यक्ति की भी उसी "मुठभेड़" में मौत हो गई और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया।
29 दिसंबर 1992 को राम सिंह, स्वर्गीय गुर सिंह के पुत्र, एक 32 वर्षीय किसान, जिनकी पत्नी और पांच बच्चे थे, का निधन हो गया। वे सुर सिंह वाला गांव, पट्टी माना की में रहते थे।
अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल में स्थित भीखीविंड पुलिस थाना।

1990 के दशक की शुरुआत से ही पुलिस को शक होने लगा था कि

राम सिंह का परिवार आतंकवादियों को पनाह और भोजन मुहैया करा रहा था। फरवरी 1990 में राम सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मार्च 1990 में सुर सिंह वाला पुलिस चौकी के प्रभारी डीएसपी परमजीत सिंह ने राम सिंह के पिता गुर सिंह को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। गुर सिंह लापता हो गए। राम सिंह अपने पिता के लापता होने के तीन महीने बाद जमानत पर रिहा हो गए। लेकिन पुलिस ने उनके घर पर छापे मारना जारी रखा और परिवार के विभिन्न सदस्यों, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं, को पूछताछ के लिए हिरासत में लेकर यातनाएं दीं।

राम सिंह पुलिस हिरासत में।

अक्टूबर 1990 के अंत में एक दिन, डीएसपी परमजीत सिंह

तेजा भारी पुलिस बल के साथ गांव में आया और सभी पुरुष निवासियों को हाई स्कूल भवन में इकट्ठा किया। राम सिंह समेत कई युवकों को नियमित पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर तरन तारन स्थित सीआईए स्टाफ पूछताछ केंद्र ले जाया गया। एसएसपी अजीत सिंह संधू और एसपी (ऑपरेशन) खूबी राम ने राम सिंह को बेरहमी से प्रताड़ित किया। बाद में, उसका तबादला वापस झब्बल पुलिस स्टेशन कर दिया गया, जहां एसएचओ सुबा सिंह ने उसके खिलाफ शस्त्र अधिनियम और टाडा के तहत

मामला दर्ज किया। राम सिंह को 1 जनवरी 1992 से 28 दिसंबर 1992 तक अमृतसर की उच्च सुरक्षा जेल में रखा गया।

सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (335)

28 दिसंबर 1992 को झब्बल पुलिस स्टेशन ने एक प्रोडक्शन वारंट प्राप्त किया।
राम सिंह को अमृतसर जेल से पूछताछ के लिए लाया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि स्थानीय मजिस्ट्रेट ने देर शाम तक उसकी पुलिस रिमांड की पुष्टि नहीं की। हालांकि, डोडे गांव के पास हुई मुठभेड़, जिसमें राम सिंह, अरूर सिंह, रेशम सिंह और एक अन्य अज्ञात आतंकवादी मारे गए, को शाम 6:30 बजे का बताया गया।
स्थानीय टेलीविजन और रेडियो चैनलों ने शाम 7:30 बजे के बाद अपने बुलेटिन में मुठभेड़ की घोषणा शुरू की।

सविंदर कौर, राम सिंह की विधवा और हमारी सूचनादाता जो अब उनकी देखभाल करती हैं।
पांच बच्चे और एक 70 वर्षीय सास चाहती हैं कि वास्तव में क्या हुआ था, इसकी सच्चाई स्थापित की जाए।
सीबीआई की अज्ञात शवदाह की सूची, क्रमांक 577/960 के अंतर्गत, दर्शाती है कि
एसएचओ जगदीप सिंह ने एफआईआर संख्या 120/92 और पोस्टमार्टम रिपोर्ट संख्या केके-73/92 के तहत दर्ज मामले के संदर्भ में 29 दिसंबर को एक और शवदाह किया।
क्रमांक 226 – 227 के अंतर्गत, सूची में 31 दिसंबर 1992 को दो शवदाह का उल्लेख है। जिन शवदाह के पात्र हैं, वे हैं: [1] इंदरजीत सिंह, पुत्र गुरनाम सिंह, निवासी सखीरा; और [2] गुरप्रीत सिंह, पुत्र गुरबख्श सिंह, निवासी गोविंद पुरा। ये शवदाह तरन तारन के सदर पुलिस स्टेशन के एसएचओ स्वर्ण सिंह द्वारा एफआईआर क्रमांक 84/92 के अंतर्गत किए गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्टों को जीएसडी 81/92 और जीएसडी 84/92 के रूप में अंकित किया गया है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01445 और 01687 के माध्यम से, CCDP ने स्वीकार किया है-
इन मामलों के संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की गई है। मुख्य सूचनादाता इंदरजीत के पिता गुरनाम सिंह और गुरप्रीत के पिता गुरबख्श सिंह हैं।
इंद्रजीत सिंह गांव सखिरा, पट्टी बख्तीवाल का 20 वर्षीय अविवाहित लड़का था।
तरन तारन सदर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत। उनके पिता गुरनाम एक छोटे किसान थे, लेकिन उन्होंने इंदरजीत को मैट्रिक तक स्कूल भेजने का प्रबंध किया। इंदरजीत भावुक और धार्मिक प्रवृत्ति का लड़का था। स्कूल में रहते हुए उसके आतंकवादियों से संपर्क हो गए, जिसके परिणामस्वरूप पुलिस ने उसके घर पर छापेमारी शुरू कर दी। अपने परिवार को उत्पीड़न से बचाने की उम्मीद में, इंदरजीत ने छिपने का फैसला किया। इसके विपरीत, पुलिस ने उसके रिश्तेदारों पर दबाव बढ़ा दिया, उन्हें नियमित रूप से अगवा कर पूछताछ के दौरान यातनाएं दीं। पुलिस ने उनके घर का सारा सामान चुरा लिया और अंत में उनके गांव के घर को जला दिया। लगभग दो साल तक परिवार को छिपकर रहना पड़ा।
गुरबख्श सिंह और सविंदर के पुत्र, चौंतीस वर्षीय गुरप्रीत सिंह।
अमृतसर के पट्टी उपमंडल के भीखीविंड पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पट्टी लम्बियां दी, मार्गिंदपुरा की निवासी कौर एक किसान थीं, जिनका विवाह राजिंदर कौर से हुआ था। उनका इकलौता बेटा जगजोत अब कम से कम 10 साल का है। चार भाइयों में से एक, गुरप्रीत एक अमृतधारी सिख थे, जिन्होंने संगति शुरू की।
गुरप्रीत ने सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन के सदस्यों और 1984 में स्वर्ण मंदिर पर सेना के हमले के बाद सशस्त्र प्रतिरोध में शामिल अन्य समूहों के साथ भोजन किया। पुलिस ने उन्हें कई बार गिरफ्तार किया और यातना देकर पूछताछ की, साथ ही उन पर टीएडीए के तहत कई मामले भी दर्ज किए। अक्टूबर 1992 में, जब जमानत पर जेल से रिहा होने के बाद पुलिस ने उन्हें अवैध रूप से हिरासत में लेना शुरू किया, तो गुरप्रीत ने अपना घर छोड़ दिया और चंडीगढ़ में अपने रिश्तेदारों के साथ रहने लगे।

लगभग 13 दिसंबर 1992 को, एसपी (ऑपरेशन) खूबी राम के नेतृत्व में तरन तारन पुलिस ने कार्रवाई की।
बाबा बकाला कस्बे में एक घर पर छापा मारा गया, जहां इंदरजीत सिंह और गुरप्रीत सिंह अस्थायी रूप से रह रहे थे। घर पर छापा मारने और उन्हें गिरफ्तार करने से पहले, पुलिस ने 336 लोगों को राख में बदल दिया।

पुलिस ने इंदरजीत के कुछ रिश्तेदारों को शरण दी। इंदरजीत के माता-पिता को गिरफ्तारी की जानकारी तो मिल गई, लेकिन वे खुद छिपे होने के कारण कुछ नहीं कर सके। गिरफ्तारी के तेरह दिन बाद, 1 जनवरी 1993 को, पंजाबी अखबारों में एक मुठभेड़ की खबर छपी, जिसमें इंदरजीत सिंह और गुरप्रीत सिंह समेत पांच आतंकवादी मारे गए थे। बाकी तीन की पहचान नहीं हो पाई थी। परिवार को इंदरजीत की अस्थियां भी नहीं मिल पाईं।
खबर पढ़ने के बाद गुरप्रीत के परिवार वाले तरन तारन श्मशान घाट पहुंचे।
1 जनवरी 1993 को अखबार में छपी रिपोर्ट से पता चला कि पुलिस ने सभी पांच शवों को एक ही चिता पर जला दिया था।
सीबीआई की अज्ञात शवदाहों की सूची में 31 दिसंबर को तीन शवदाह दर्ज किए गए हैं।
1992 में, क्रमांक 578/963, 579/964 और 578/965 के तहत, तरन तारन सदर पुलिस स्टेशन के एसएचओ स्वर्ण सिंह द्वारा एफआईआर संख्या 84/92 के अंतर्गत दर्ज मामले में पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्टों को जीएसडी 78/92, जीएसडी 79/92 और जीएसडी 80/92 के रूप में चिह्नित किया गया है। क्रमांक 228 - 229 के अंतर्गत, सूची में वाल्टोहा पुलिस के एसआई गोविंदर सिंह द्वारा 13 जनवरी 1993 को एफआईआर क्रमांक 5/93 के तहत किए गए दो शवदाहों का उल्लेख है। ये शवदाह निम्नलिखित व्यक्तियों के हैं: [1] बागीचा सिंह उर्फ खालसा, पिता सविंदर पाल सिंह जाट, निवासी कालियान सिकट्टरा; और [2] गुरमेज सिंह उर्फ जेइजा, पिता स्वर्ण सिंह जाट, निवासी वाल्टोहा। पोस्टमार्टम रिपोर्टों को एसएलजी 4/93 और एसएलजी 3/93 के रूप में अंकित किया गया है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
सीसीडीपी ने गुरमेज सिंह के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01563 है। मुख्य सूचनादाता पीड़ित के पिता स्वर्ण सिंह हैं।
स्वर्ण सिंह और मोहिंदर कौर के पुत्र गुरमेज सिंह 20 वर्ष के अविवाहित युवक थे।
अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के देओल पट्टी के वाल्तोहा गांव का रहने वाला विवाहित किसान। 1992 में पुलिस ने उसके चाचा दलबीर सिंह का अपहरण कर लिया था और वे लापता हो गए थे।
2 जनवरी 1993 को एसएचओ के नेतृत्व में वाल्टोहा पुलिस ने गुरमेज सिंह को गिरफ्तार किया।
तेलियन वाला बारा गांव के एक फार्महाउस से उसे फर्जी मुठभेड़ में कलसियां कलां गांव के सलविंदर पाल सिंह के पुत्र बगीचा सिंह के साथ मिलकर मार डाला।
230. क्रमांक 281/968 के अंतर्गत सूची में कुलवंत सिंह उर्फ निशान सिंह, पुत्र कुंदन सिंह, निवासी सरहल्ली मंड के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो भिखीविंड पुलिस स्टेशन के एएसआई तेग बहादुर सिंह द्वारा 27 जनवरी 1993 को किया गया था और एफआईआर संख्या 02/93 के अंतर्गत दर्ज है। पोस्टमार्टम

रिपोर्ट को एसएलजी-06/93 के रूप में चिह्नित किया गया है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने इस मामले के संबंध में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है। घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01497 है। मुख्य सूचनादाता पीड़िता की मां सविंदर कौर हैं।
Nishan Singh, alias Kulwant Singh, resident of Sarhalli Manda, Patti Manne Ki
अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल में रहने वाले निशान सिंह एक साधारण संपन्न युवा किसान थे, जिनका विवाह हरजिंदर कौर से हुआ था और उनके दो छोटे बेटे थे, जिनकी उम्र अब 12 और 10 वर्ष है। अपने छोटे भाई सतनाम सिंह के साथ मिलकर, उनके पास 18 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि थी, जिससे उन्हें अच्छी आय होती थी। निशान सिंह और सतनाम सिंह की तीन बहनें थीं: मनजीत कौर, सरबजीत कौर और हरजीत कौर।
हालांकि निशान सिंह स्वयं एक बपतिस्मा प्राप्त सिख थे, उनके परिवार के कई सदस्यों ने बपतिस्मा लिया हुआ था।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (337)

उन्होंने सिख धर्म के नामधारी संप्रदाय से संबंध स्थापित किए, जिसे अकाली सिख आमतौर पर भारत समर्थक मानते हैं। 17 मार्च 1988 को आतंकवादियों ने उनके पिता कुंदन सिंह की हत्या कर दी थी, संभवतः उनकी धार्मिक प्रवृत्ति के कारण, और हमलावरों से उन्हें बचाने की कोशिश में उनकी बहन मनजीत कौर गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिनकी एक महीने बाद चोटों के कारण मृत्यु हो गई। यह भले ही हैरान करने वाला लगे, लेकिन पुलिस को कुंदन के निशान सिंह पर शक होने लगा।
सिंह के अपने बेटे को, कथित तौर पर इसलिए हिरासत में लिया गया क्योंकि वह एक रूढ़िवादी, बपतिस्मा प्राप्त सिख था। पुलिस ने पूछताछ के दौरान उसे कई बार हिरासत में लिया और यातनाएं दीं। निशान सिंह की मां सविंदर कौर के अनुसार, उनके पति के भाई और उनके परिवार निशान सिंह और उनके छोटे भाई सतनाम सिंह की समृद्धि से ईर्ष्या करते थे और संभवतः इन संदेहों को हवा देने के लिए जिम्मेदार थे। पुलिस की ज्यादतियां बहुत नियमित और असहनीय हो जाने पर, सविंदर कौर ने अपने छोटे बेटे सतनाम को लुधियाना जिले के भैनी साहिब स्थित नामधारी संप्रदाय के मुख्यालय में रहने के लिए भेज दिया। निशान सिंह उग्रवादी बनने के लिए घर छोड़कर चला गया।
पुलिस ने अब सविंदर कौर और उसकी शेष दो बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया। यातना और यौन शोषण के डर से वे भी घर छोड़कर छिप गए। पुलिस ने उनके सभी घरेलू सामान और मवेशी जब्त कर लिए: छह भैंसें, एक गेहूं काटने की मशीन, एक ट्रैक्टर, तीन इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल मोटर, 100 क्विंटल गेहूं और यहां तक कि फर्नीचर भी।
अक्टूबर 1992 में एक बार सविंदर कौर अपना घर साफ करने के लिए अपने गांव वापस आई थीं।
और अपनी ज़मीन पर खेती के लिए कुछ इंतज़ाम करने के लिए। उनके छोटे बेटे सतनाम सिंह और दामाद प्रेम सिंह, दारा सिंह के बेटे, जो ताजे चक के निवासी थे, भी उनकी मदद के लिए आए थे। रात में सतनाम सिंह और प्रेम सिंह छत पर सो गए और सविंदर कौर आंगन में सोईं। आधी रात के बाद, पुलिस ने घर पर छापा मारा और सतनाम सिंह और प्रेम सिंह दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें उनके

नाइटड्रेस में ही ले जाया गया। प्रेम सिंह एक महीने बाद लौटा और उसने बताया कि पुलिस उन्हें कैरों पुलिस चौकी ले गई थी और उसके प्रभारी नौरंग सिंह ने कई दिनों तक उन पर बेरहमी से अत्याचार किया था। दोनों को एक ही कमरे में बंद कर दिया गया था, लेकिन जब अत्याचार के कारण सतनाम सिंह की हालत गंभीर हो गई, तो उसे पुलिस की गाड़ी में बिठाकर ले जाया गया। तब से सतनाम सिंह लापता है। ऐसा लगता है कि उसे एक सुनियोजित मुठभेड़ में मार दिया गया और परिवार की जानकारी के बिना पुलिस ने उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया। उनका अंतिम संस्कार वाल्टोहा पुलिस स्टेशन के एसएचओ गोविंदर सिंह द्वारा 17 अक्टूबर 1992 को किया गया था, जिसका उल्लेख एफआईआर संख्या 58/92 में किया गया है। सीबीआई की चिन्हित अंतिम संस्कारों की सूची में यह क्रमांक 245/884 के अंतर्गत दर्ज है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एसएलजी- 106/92 के रूप में चिह्नित किया गया है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
जनवरी 1993 के मध्य में, निशान सिंह उर्फ कुलवंत सिंह को गिरफ्तार किया गया।
खलरा पुलिस स्टेशन के एसएचओ सुबा सिंह ने निशान सिंह को उसकी बहन हरजीत कौर के घर से, जो भिखीविंड के पाहुविंड रोड पर स्थित है, भिखीविंड में गिरफ्तार किया। एसएचओ सुबा सिंह निशान सिंह को भिखीविंड पुलिस स्टेशन ले गए।
अगली सुबह, सविंदर कौर, उसका भाई गुरदीप सिंह और कई ग्रामीण
बुजुर्गों ने एसएचओ सुबा सिंह से मुलाकात कर उनसे निशान सिंह को रिहा करने या अदालत में पेश करने का अनुरोध किया। सुबा सिंह ने पहले 100,000 रुपये की मांग की, लेकिन जल्द ही इसे बढ़ाकर 700,000 रुपये कर दिया। सविंदर कौर के पास अपनी सारी संपत्ति, जिसमें उनका ट्रैक्टर, हार्वेस्ट मशीन और अन्य सामान शामिल था, जिसे पुलिस पहले ही जब्त कर चुकी थी, बेचे बिना इतनी रकम जुटाने का कोई रास्ता नहीं था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। 28 जनवरी 1993 की सुबह, पंजाबी अखबारों ने 338 लोगों के राख में तब्दील हो जाने की खबर प्रकाशित की।

बांकन बालेर गांव के पास मुठभेड़ में कुलवंत सिंह उर्फ निशान सिंह और दो अन्य आतंकवादियों की हत्या कर दी गई। सविंदर कौर को अंतिम संस्कार के बारे में सूचित नहीं किया गया था। वह पट्टी श्मशान घाट गईं और उन्हें पता चला कि पुलिस ने उनके बेटे का अंतिम संस्कार पहले ही कर दिया था।
सीबीआई की अज्ञात शवदाह की सूची, क्रमांक 581/969 के अंतर्गत, यह भी दर्शाती है कि
27 जनवरी 1993 को बिखीविंड पुलिस स्टेशन के एएसआई तेग बहादुर सिंह द्वारा एफआईआर संख्या 02/93 के तहत दर्ज मामले में एक शव का अंतिम संस्कार किया गया था। यह संभवतः उसी कथित मुठभेड़ में मारे गए लोगों में से एक का अंतिम संस्कार है, जिसमें निशान सिंह भी मारे गए थे। हमें नहीं पता कि उसी "मुठभेड़" में मारे गए दूसरे व्यक्ति के शव का क्या हुआ।
क्रमांक 231 – 233 के अंतर्गत, सूची में झब्बल के एसएचओ द्वारा एफआईआर संख्या 10/93 के तहत 30 जनवरी 1993 को किए गए तीन शवदाहों का उल्लेख है। ये शव हैं: [1] सुखजिंदर सिंह उर्फ नीतू, पिता मुख्तियार सिंह, निवासी पंजवार; [2] तारी, पिता शिंदे, निवासी पंजवार; और [3] जयमल सिंह, पिता सुरजन सिंह, निवासी वंदले। पोस्टमार्टम रिपोर्टों को क्रमशः केएसएस-3/93,

केएसएस-4/93 और केएसएस-5/93 के रूप में चिह्नित किया गया है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01393 और 01397 के माध्यम से समिति ने
निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की गई। मुख्य सूचनादाता सुखजिंदर सिंह और तारी के पिता मुख्तियार सिंह और शिंदा हैं।
सुखजिंदर सिंह (20) और तारी (19) दो मज़हबी सिख लड़के थे, जिनकी दाढ़ी मुंडी हुई थी।
पंजवार खुर्द गांव के मज़हबियान दी थाथी में रहने वाले अविवाहित पुरुष और महिलाएं। वे कृषि मजदूर के रूप में काम करते थे और उनका राजनीतिक या उग्रवादी गतिविधियों से कोई संबंध नहीं था। उन्हें कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था।
तारी के चाचाओं में से एक, नरविंदर सिंह उर्फ बहमन का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई थी।
पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ की।
दिसंबर 1992 के पहले सप्ताह में एक सुबह तड़के, झब्बल के एसएचओ सुबा सिंह पुलिस स्टेशन ने तारी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया और उसे कुछ पूछताछ के लिए आवश्यक बताकर झब्बल पुलिस स्टेशन ले आए। अगले कुछ हफ्तों में तारी के परिवार के सदस्य उससे कई बार पुलिस स्टेशन में मिले और एसएचओ ने आश्वासन दिया कि तारी को कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि उसे केवल कुछ चीजों की पुष्टि के लिए बुलाया गया था। तारी की गिरफ्तारी के लगभग एक महीने बाद, एसएचओ सुबा सिंह ने सुखजिंदर सिंह के घर पर छापा मारा और उसे भी गिरफ्तार कर लिया। उसे भी अवैध रूप से झब्बल पुलिस स्टेशन में रखा गया। 29 जनवरी 1993 को, झब्बल पुलिस ने एक फर्जी मुठभेड़ का नाटक रचा जिसमें तारी, सुखजिंदर सिंह और दो अन्य, वंडाले निवासी सुरजन सिंह के पुत्र जैमल सिंह और एक अज्ञात आतंकवादी के मारे जाने की खबर आई। मुठभेड़ की खबर 30 जनवरी 1993 को कई समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। मृतकों के परिवारों को अंतिम संस्कार के बारे में सूचित नहीं किया गया।
सीबीआई की अज्ञात शवदाह की सूची, क्रमांक 582/973 के अंतर्गत, दर्शाती है कि
एसएचओ झब्बल ने एफआईआर संख्या 10/93 के तहत मामले में 30 जनवरी 1993 को एक और अंतिम संस्कार किया, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट संख्या केएसएस-6/93 है।
234. क्रमांक 285/974 के अंतर्गत, सूची में गुरदीप सिंह, पुत्र अजीत सिंह, निवासी कैरन मायावरन के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो 1 फरवरी 1993 को पट्टी पुलिस स्टेशन के एसआई सीताराम द्वारा एफआईआर क्रमांक 5/93 के तहत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एसएलजी-9/93 के रूप में चिह्नित किया गया है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (339)

समिति को निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हुई है-

इस घटना की सूचना घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/00550 के माध्यम से दी गई है। मुख्य सूचनादाता गुरदीप की मां मनजीत कौर हैं।

पच्चीस वर्षीय गुरदीप सिंह उर्फ माना,

अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के कैरों गांव के रहने वाले, वह एक मध्यम संपन्न किसान थे, जिनका विवाह मंजीत कौर से हुआ था और उनके चार बच्चे थे।

पुलिस को शक था कि परिवार ने किसी को शरण दी है और

आतंकवादियों को खाना खिलाना। पुलिस ने घर पर कई बार छापा मारा और नवंबर 1992 में गुरदीप सिंह के पिता अजीत सिंह को पूछताछ के लिए कैरों पुलिस चौकी ले गई। अजीत सिंह लापता हो गए। गुरदीप सिंह

फरवरी 1993 के तीसरे सप्ताह में, एएसआई नौरंग

कैरों पुलिस चौकी के सिंह ने गुरदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया। मनजीत कौर कुछ नहीं कर सकीं। उनके चार छोटे बच्चे थे और उनके ससुर पहले ही लापता हो चुके थे, वह डर से कांप रही थीं। उनके गांव के पड़ोसी भी डरे हुए थे और दखल देने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। गुरदीप सिंह को 31 जनवरी 1993 को मुठभेड़ में मृत दिखाया गया। उन्हें अंतिम संस्कार के बारे में किसी ने सूचित नहीं किया।

235. क्रमांक 286/975 के अंतर्गत सूची में 1 फरवरी 1993 को हुए अंतिम संस्कार को वेरोवाल पुलिस स्टेशन के एसएचओ द्वारा संपन्न किए गए अमर सिंह के पुत्र दिलराज सिंह का बताया गया है। सूची में एफआईआर क्रमांक का उल्लेख नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पीएस-4/93 के रूप में चिह्नित किया गया है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।

समिति ने निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है-

इस मामले में घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01323 के माध्यम से जानकारी दी गई है। मुख्य सूचनादाता पीड़ित के पिता अमर सिंह हैं।

Twenty-five-year-old Dilraj Singh, from Khapar Jheri

अमृतसर के छेहरटा के पास स्थित एक गांव में रहने वाला यह लड़का खालसा कॉलेज में बीएससी तृतीय वर्ष का छात्र था और एक संपन्न सिख परिवार से आता था। उसके पिता अमर सिंह के पास 18 एकड़ उपजाऊ भूमि थी और वे गांव में एक सम्मानित व्यक्ति थे।

दिलराज सिंह पढ़ाई में बहुत होशियार था और उसे कोई परेशानी नहीं थी।

उनका राजनीतिक या उग्रवादी गतिविधियों में शामिल होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। दिलराज सिंह को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था और न ही पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी।

दिलराज 27 तारीख से शुरू होने वाली अपनी अंतिम परीक्षाओं के लिए घर पर पढ़ाई कर रहा था।

जनवरी 1993। 26 जनवरी 1993 की सुबह, भारत के गणतंत्र दिवस के दिन, तरन तारन के इंस्पेक्टर सुरिंदर सिंह और जगदीप सिंह ने एक बड़ी पुलिस टुकड़ी के साथ घर पर छापा मारा और दिलराज को हिरासत में ले लिया। जब अमर सिंह से पूछा गया कि वे उसे क्यों और कहाँ ले जा रहे हैं, तो अधिकारियों ने बताया कि वे जालंधर आपराधिक जांच एजेंसी (सीआईए) से आए हैं और उसे अपने सवालों के जवाब पाने के लिए जालंधर आना चाहिए। वे झूठ बोल रहे थे। बाद में अमर सिंह को पता चला कि वे दोनों अधिकारी तरन तारन पुलिस के थे।

अगली सुबह, अमर सिंह, ग्राम परिषद के प्रमुख और

उनके इलाके के कुछ अन्य प्रमुख व्यक्ति जालंधर गए और डीएसपी दिलबाग सिंह से मिले, जिन्हें वे जानते थे। दिलबाग सिंह ने कुछ पूछताछ की और उन्हें बताया कि जालंधर में 340 लोगों की मौत हो चुकी है।

पुलिस ने उसके बेटे को गिरफ्तार नहीं किया था।
अमर सिंह को पहले से ही तरन तारन पुलिस पर संदेह था क्योंकि, उनके अनुसार गांव के कई लोगों ने पुलिस की गाड़ियों को देखा, जिन्होंने दिलराज का अपहरण करने के बाद तरन तारन की ओर प्रस्थान किया था। 27 जनवरी 1993 को अमर सिंह तरन तारन गए और डीएसपी (जासूस) गुरमीत सिंह से मिले, जिन्होंने स्वीकार किया कि दिलराज उनकी हिरासत में है। शनिवार को जब अमर सिंह डीएसपी गुरमीत सिंह से दोबारा मिलने गए, तो वे तरन तारन स्थित सीआईए स्टाफ भवन में प्रवेश करने में कामयाब रहे और उन्होंने अपने बेटे दिलराज सिंह को देखा। हालांकि वे उससे बात नहीं कर पाए, लेकिन दिलराज शारीरिक रूप से सामान्य लग रहा था और उस पर किसी प्रकार की यातना के कोई लक्षण नहीं थे।
अमर सिंह ने कई अन्य लोगों के साथ डीएसपी गुरमीत सिंह से दोबारा मुलाकात की।
28 जनवरी। डीएसपी ने दिलराज सिंह को रिहा करने से इनकार कर दिया क्योंकि, "उसने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली थी"।
अमर सिंह ने अगले कुछ दिन प्रभावशाली राजनेताओं को खोजने की बेताब कोशिश में बिताए।
अमर सिंह ने हस्तक्षेप करने और मदद करने वाले किसी से संपर्क करने की कोशिश की। इससे पहले कि वह कुछ कर पाते, 2 फरवरी 1993 को अखबारों में प्रमुखता से एक खबर छपी जिसमें बताया गया कि गगरेवाल गांव के पास वेरोवाल

पुलिस के साथ मुठभेड़ में दिलराज सिंह राजा और उसके एक अज्ञात साथी, जिन्हें बब्बर खालसा के कुख्यात उग्रवादी बताया गया था, की हत्या कर दी गई। अमर सिंह उस दूसरे लड़के की पहचान नहीं कर सके जो इस झूठी मुठभेड़ में मारा गया और जिसे अज्ञात उग्रवादी बताया गया था।
अमर सिंह को अंतिम संस्कार के बारे में सूचित नहीं किया गया था, लेकिन वह परिवार के अन्य सदस्यों के साथ
सदस्य किसी तरह तारन तारन श्मशान घाट पहुँचने में कामयाब रहे और वहाँ मौजूद कर्मचारियों द्वारा बताए गए स्थान से अस्थियाँ एकत्र कर लीं। लेकिन उन्हें इस बात का यकीन नहीं था कि उन्होंने वास्तव में अपने ही बेटे की अस्थियाँ ली हैं।
हैरानी की बात है कि सीबीआई की अज्ञात शवदाह की सूची में किसी अन्य का नाम नहीं है।
उस दिन वेरोवाल या तरनतारन पुलिस द्वारा शव का अंतिम संस्कार किया गया था। सवाल यह है कि दिलराज सिंह के "अज्ञात सहयोगी" बताए गए व्यक्ति के शव का क्या हुआ? साथ ही, अगर दिलराज इतना खूंखार आतंकवादी था और मुठभेड़ में मारा गया, तो वेरोवाल पुलिस ने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की?
इस घटना का दिलराज की छोटी बहन रमिंदर कौर पर गहरा असर पड़ा है।
अमर सिंह के अनुसार, उनकी मां गुरशरण कौर और दोनों ही मानसिक रूप से अस्थिर हो गए हैं।
236. क्रमांक 287/981 के अंतर्गत, सूची में सुखदेव सिंह उर्फ सुक्का, पुत्र बलवंत सिंह, निवासी भामनवाला का अंतिम संस्कार दर्शाया गया है, जो पट्टी पुलिस स्टेशन के एसआई सीता राम द्वारा 6 फरवरी 1993 को एफआईआर संख्या 9/93 के अंतर्गत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर 6/2/93 की तारीख अंकित है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है। सीसीडीपी को घटना रिपोर्ट प्रपत्र के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हुई है।
क्रमांक CCDP/01482 और 01370. मुख्य सूचनादाता पीड़ित के पिता बलवंत सिंह हैं।
बलवंत सिंह तागी के पुत्र, 35 वर्षीय सुखवंत सिंह उर्फ सुखदेव थे। अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के बहमनी वाला गांव के रहने वाले, उन्होंने उच्च माध्यमिक तक पढ़ाई की और फिर एसजीपीसी में दाखिला लिया। उनका विवाह मोहिंदर कौर से हुआ था और उनके चार बच्चे थे, दो बेटियां और दो बेटे। उनमें सबसे बड़ी, नरिंदर कौर, अब 22 वर्ष की हैं।
1991 में एसजीपीसी में शामिल होने के छह महीने बाद, अमृतसर पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया।
उसके खिलाफ टीएडीए के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया। जेल में रहते हुए ही पट्टी पुलिस ने उसकी रिमांड मांगी और पूछताछ के बाद उसे एक और मामले में फंसा दिया।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (341)

इसलिए, सुखवंत सिंह जनवरी 1993 के अंत तक जेल में रहे, जब उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। लेकिन मामले अभी भी लंबित थे।
5 फरवरी 1993 को सुखवंत सिंह को पट्टी में ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश होना था।

सुखवंत सिंह सुबह जल्दी उठ गए और अदालत जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी पट्टी पुलिस स्टेशन के एएसआई दीदार सिंह दो कांस्टेबलों के साथ घर आए और उन्हें बताया कि पट्टी पुलिस स्टेशन में उनकी तलाश है। दीदार सिंह और उनके कांस्टेबलों ने सुखवंत सिंह के तैयार होने तक चाय पी और फिर उन्हें अपने साथ ले गए। दीदार सिंह ने उनके पिता बलवंत सिंह से कहा कि वे सुबह करीब 9 या 10 बजे पुलिस स्टेशन आकर अपने बेटे को अदालत की सुनवाई में साथ ले जा सकते हैं।
बलवंत सिंह अन्य ग्रामीणों के साथ पट्टी पुलिस स्टेशन पहुंचे, लेकिन एसएचओ वहां नहीं थे। ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल ने उन्हें बताया कि उनका बेटा पुलिस स्टेशन में भी नहीं है। अमर सिंह तब अदालत गए, लेकिन वहां भी पता चला कि उनका बेटा वहां पेश नहीं हुआ है। वे घबरा गए और अपने सभी दोस्तों से अपने बेटे को ढूंढने में मदद मांगी। वे वापस पट्टी पुलिस स्टेशन गए, लेकिन एसएचओ अब भी वहां नहीं थे।
अगली सुबह, जब अमर सिंह, उनके परिवार के सदस्य और अन्य ग्रामीण
पट्टी पुलिस स्टेशन लौटते समय उन्हें पता चला कि पुलिस ने कल रात सब्रान गांव के पास एक फर्जी मुठभेड़ में दो लोगों को मार गिराया है। अमर सिंह तुरंत पट्टी अस्पताल पहुंचे जहां शवों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया था। लेकिन पुलिस उन्हें पहले ही अंतिम संस्कार के लिए ले जा चुकी थी। अमर सिंह और उनके साथी श्मशान घाट पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी। अमर सिंह और उनके परिवार के सदस्यों ने दूर से शवों को देखा और एक शव के कपड़ों से उन्होंने सुखवंत सिंह को पहचान लिया।
उस समय पुलिस का आतंक चरम पर था और अमर सिंह कुछ नहीं कर सका।
कुछ भी। अगले दिन जब वह अपने बेटे की अस्थियां लेने श्मशान घाट गया, तो उसकी मुलाकात उसी मुठभेड़ में मारे गए दूसरे लड़के के पिता से हुई। दूसरे लड़के का नाम गलालीपुर गांव का बलदेव सिंह था। उसके पिता ज्ञान सिंह ने बताया कि बलदेव को भी उसके घर से गिरफ्तार किया गया था।
सीबीआई द्वारा आंशिक रूप से पहचाने गए शवदाहों की सूची के अनुसार, क्रमांक 111/
982 बलदेव सिंह का अंतिम संस्कार पट्टी पुलिस स्टेशन के एसआई सीता राम द्वारा 6 फरवरी 1993 को एफआईआर संख्या 9/93 के तहत दर्ज मामले के संबंध में किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है। बलदेव सिंह की कहानी रिपोर्ट के संबंधित भाग में संक्षेप में दी गई है।
237 - 240. क्रम संख्या के अंतर्गत. 289/986, 290/987, 291/988 और 292/989, सूची में 9 फरवरी 1992 को झब्बाल के एसआई राज कुमार द्वारा किए गए चार व्यक्तियों के दाह संस्कार को दर्शाया गया है, जिसका उल्लेख एफआईआर संख्या में किया गया है। 14/93. वे हैं: [1] सुलखान सिंह, पुत्र लोब सिंह, निवासी मकैके, सातरा, थाना पट्टी; [2] गुरनाम सिंह उर्फ कक्कू, पुत्र चानन सिंह, निवासी भूचर कलां, थाना झब्बाल; [3] भजन कौर, पत्नी आर. सिंह, निवासी सबाजपुर; और [4] सुकविंदर कौर, पत्नी सतनाम सिंह, निवासी खारा पीएस सिटी टीटी। पोस्टमार्टम रिपोर्टों को KK-4/93, KK-5/93, KK-6/93 और KK-7/93 के रूप में चिह्नित किया गया है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।

घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01392, 01478 और 01439 के माध्यम से, CCDP
निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हुई है। मुख्य सूचनादाता गुरनाम का भाई मख्तूल सिंह, भजन कौर का बहनोई संतोख सिंह और सुखविंदर कौर का पति सतनाम सिंह हैं।
Gurnam Singh, s/o late Channan Singh from Bhuchar Kalan village under Jhabbal 342 Reduced to Ashes

पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार किया गया व्यक्ति 50 वर्षीय किसान था, जिसका विवाह वीर कौर से हुआ था और उसके चार बच्चे थे जो अब वयस्क हो चुके हैं। वह एक गरीब किसान था जिसके पास केवल तीन एकड़ जमीन थी और अपनी मां सहित सात लोगों का पेट पालना था। उसका किसी भी राजनीतिक या उग्रवादी संगठन से कोई संबंध नहीं था और हत्या से पहले उसे कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था। जनवरी 1993 के पहले सप्ताह की एक सुबह, झब्बल पुलिस स्टेशन के एसएचओ सुबा सिंह
पुलिस ने गुरनाम सिंह के घर पर छापा मारा और परिवार के सभी सदस्यों के सामने उसे पुलिस हिरासत में ले लिया। ग्राम परिषद के सदस्य, जो उसकी रिहाई की गुहार लगाने झब्बल पुलिस स्टेशन गए थे, उन्हें बताया गया कि पुलिस कुछ पूछताछ के बाद उसे रिहा कर देगी। झब्बल पुलिस उसी गांव के मज़हबी सिख लुभया को भी गिरफ्तार करना चाहती थी, जिसके पिता का नाम भी चन्नन सिंह था। चूंकि लुभया वहां नहीं था, एसएचओ सुबा सिंह ने उसके पिता को हिरासत में ले लिया और उसके परिवार को उसे ढूंढकर पुलिस स्टेशन में पेश करने के लिए मजबूर किया। लुभया के पिता चन्नन सिंह 5 फरवरी 1993 को भी झब्बल पुलिस स्टेशन में ही थे, जब उन्होंने गुरनाम सिंह को आखिरी बार देखा था। चन्नन सिंह के अनुसार, गुरनाम को बुरी तरह प्रताड़ित किया गया था और 5 फरवरी को जब वह पुलिस स्टेशन से निकला तो उसकी हालत गंभीर थी। चार दिन बाद, पुलिस ने भोजियां के पास एक मुठभेड़ को अंजाम दिया और घोषणा की कि गुरनाम सिंह और एक अज्ञात आतंकवादी सहित चार अन्य आतंकवादी मारे गए हैं। 9 फरवरी को अखबारों में मुठभेड़ की खबरें छपीं और इसी तरह परिवार को गुरनाम सिंह की हत्या के बारे में पता चला।
हमारे सूचनादाता, गुरनाम के भाई मख्तूल सिंह के अनुसार, परिवार के सदस्यों ने...
लोग उसकी अस्थियां भी नहीं ले पाए, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि पांच चिताओं में से कौन सी उसकी थी। इस फर्जी मुठभेड़ में मारी गई दो महिलाएं भजन कौर और सुखविंदर कौर हैं।
सहबाज पुर गांव की रहने वाली पचास वर्षीय हरभजन कौर उर्फ भजन कौर
पट्टी पुलिस स्टेशन में तैनात महिला का विवाह कुंदन सिंह से हुआ था और उनके पांच बच्चे थे। उनके बेटों में से एक, अंग्रेज सिंह, पर उग्रवादी गतिविधियों में शामिल होने का संदेह था और 1991 में पुलिस ने उसे फर्जी मुठभेड़ में गिरफ्तार कर मार डाला था। उसकी मृत्यु के बाद भी, पुलिस उनके घर पर छापे मारती रही और परिवार के अन्य सदस्यों को अवैध रूप से हिरासत में लेकर प्रताड़ित करती रही।
हरभजन कौर और उनके पति कुंदन सिंह ने अपने घर का एक हिस्सा किराए पर लिया हुआ था।

उन्होंने अपना घर 35 वर्षीय सुखविंदर कौर को सौंप दिया, जो खेरै गांव की निवासी थीं, जहां दारे के डाकघर स्थित है। सुखविंदर एक प्रशिक्षित नर्स थीं और सहबाज पुर में दाई का निजी क्लिनिक चलाती थीं। सुखविंदर का विवाह एसजीपीसी के कर्मचारी सतनाम सिंह से हुआ था और उनके दो बच्चे थे। पुलिस ने एक बार आतंकवादियों से संलिप्तता के संदेह में सुखविंदर को अवैध रूप से हिरासत में लेकर पूछताछ की थी, लेकिन कुछ दिनों की पूछताछ के बाद उन्हें बिना शर्त रिहा कर दिया था।
सुखविंदर का एक बहनोई था, रणधीर सिंह, जो उसका छोटा भाई था।
रणधीर के पति सतनाम सिंह थे। उनका साढ़े तीन साल का बेटा सरबजीत सिंह था, जिसका जनवरी 1993 में अपहरण हो गया था। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लेकर अपहृत बच्चे को बरामद कर लिया। इसके बावजूद मनोचाहल पुलिस चौकी के एएसआई ने सुखविंदर को पूछताछ के लिए पुलिस चौकी बुलाया। एएसआई राज कुमार ने लगभग 4 फरवरी को उसे हिरासत में ले लिया। सुखविंदर को एक दिन तक अवैध हिरासत में रखने के बाद, एसआई राज कुमार ने हरभजन कौर को भी गिरफ्तार कर लिया। जब सुखविंदर के परिवार ने पुलिस चौकी के प्रभारी से मिलकर यह जानने की कोशिश की कि सुखविंदर और हरभजन को क्यों हिरासत में रखा गया है, तो उन्हें टालमटोल भरे जवाब मिले। उन्होंने डीएसपी अशोक कुमार से भी हस्तक्षेप की गुहार लगाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 9 फरवरी 1993 को अखबारों में यह खबर प्रकाशित हुई।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (343)

एक रिपोर्ट में कहा गया कि सुखविंदर कौर और हरभजन कौर, भुचर कलां के गुरनाम सिंह और लुभाया तथा काकाईके गांव के सुलाखन सिंह को 8 फरवरी 1993 को भोजियां गांव के पास एक तथाकथित मुठभेड़ में मार दिया गया था। परिवारों को मुठभेड़ की सूचना नहीं दी गई और पुलिस ने शवों का अंतिम संस्कार कर दिया। सीबीआई की अज्ञात शवदाह की सूची के अनुसार, क्रमांक 588/990 के अंतर्गत, भुचर कलां निवासी लुभाया का 9 फरवरी को अज्ञात शव के रूप में उसी एफआईआर के तहत अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को केके- 8/93 के रूप में चिह्नित किया गया था।
241. क्रमांक 294/994 के अंतर्गत, सूची में जसवंत सिंह उर्फ जस्सा उर्फ मास्टर, पुत्र मंगा सिंह मजबी, निवासी अकबरपुर, थाना भीखीविंड, के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो 17 फरवरी 1993 को भीखीविंड पुलिस स्टेशन के तेग बहादुर सिंह द्वारा किया गया था। कोई एफआईआर क्रमांक नहीं है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एसएलजी-10/93 के रूप में चिह्नित किया गया है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
इस मामले में, समिति ने अपने माध्यम से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01548. मुख्य सूचनादाता सुरजन सिंह हैं, जो पीड़ित के चाचा हैं।
सीबीआई की सूची में गंगा सिंह के पुत्र तीस वर्षीय जसवंत सिंह की पहचान की गई है।
अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के भीखीविंड पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मारिगिंदपुरा डाकघर के अकबरपुर निवासी मंगा सिंह मजबी एक प्रशिक्षित प्राथमिक विद्यालय शिक्षक थे। 1993 में उनका तबादला पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम स्थित एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में हुआ था। वे विवाहित थे, लेकिन उनकी विधवा अब अपने माता-पिता के पास लौट चुकी हैं।

11 जनवरी 1993 को, भीखीविंड पुलिस स्टेशन से एक बड़ी पुलिस टुकड़ी, जिसका नेतृत्व कर रहे थे, ने
एसएचओ तेग बहादुर सिंह ने अकबरपुर स्थित जसवंत के गांव के घर पर छापा मारा और उसके कई रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया, जिनमें उसके चाचा सुरजन सिंह, बहन गुड्डी और उसके पति कश्मीर सिंह शामिल थे। ये सभी फिरोजपुर जिले के धीरा गहा गांव के रहने वाले थे। पुलिस ने जसवंत के चचेरे भाई गुरबचन सिंह, जो लुधियाना जिले के कसबाद गांव के निवासी सोहन सिंह के पुत्र हैं, को भी गिरफ्तार किया। जसवंत के ठिकाने के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए पुलिस ने भीखीविंड पुलिस स्टेशन में उन सभी को बेरहमी से प्रताड़ित किया। भीषण यातना के बाद गुरबचन सिंह ने एसएचओ तेग बहादुर सिंह और एएसआई सुचा सिंह को बताया कि वह सुनाम के एक सरकारी स्कूल में शिक्षक के पद पर तैनात है।
गुरबचन को पुलिस बल के साथ सुनाम जाने के लिए मजबूर किया गया, जहाँ
पुलिस ने जसवंत सिंह को उसके स्कूल से गिरफ्तार कर लिया। वे जसवंत सिंह को वापस भीखीविंड पुलिस स्टेशन ले आए और उसके परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में, जो अभी भी अवैध हिरासत में थे, उसे बेरहमी से प्रताड़ित किया। जसवंत की गिरफ्तारी के अगले दिन गुरबचन सिंह समेत परिवार के सभी सदस्यों को 11 जनवरी 1993 को गिरफ्तार कर लिया गया।
सुरजन सिंह के अनुसार, जसवंत सिंह को एक दुर्घटना में मृत घोषित कर दिया गया था।
सुनाम से गिरफ्तारी के चार-पांच दिन बाद, सोरविंड गांव के पास एक "मुठभेड़" की घटना को अंजाम दिया गया। भिखीविंड पुलिस ने परिवार को सूचित किए बिना ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया, जिससे परिवार भयभीत रहा और कोई कार्रवाई नहीं कर सका।
242. क्रमांक 295/996 के अंतर्गत, सूची में मुख्तियार सिंह उर्फ मुक्का, पुत्र गुरमेल सिंह जाट, निवासी दरीवाल के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो पट्टी पुलिस स्टेशन के एसएचओ गोविंदर सिंह द्वारा 18 फरवरी 1993 को एफआईआर संख्या 12/93 के तहत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिनांक 28/2/93 अंकित है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
344 राख में तब्दील

समिति ने घटना रिपोर्ट के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की है। प्रपत्र संख्या CCDP/01572. मुख्य सूचनादाता पीड़ित के पिता सुरमेल सिंह हैं जिनका नाम सीबीआई की सूची में गलती से गुरमेल सिंह के रूप में दर्ज किया गया है।
सुरमेल सिंह और दर्शन के पुत्र, पैंतीस वर्षीय मुख्तियार सिंह उर्फ तारी।
कौर, अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के धारीवाल गांव की निवासी थीं। दो भाइयों में बड़े मुख्तियार एक निजी कंपनी की सार्वजनिक परिवहन बस में कंडक्टर का काम करते थे। वे अविवाहित थे और अपने माता-पिता के साथ रहते थे।
उनका छोटा भाई अपने 70 वर्षीय पिता को खेत की देखभाल में मदद करता था।
मुख्तियार और उनके परिवार का उग्रवाद से कोई संबंध नहीं था और पुलिस ने उन्हें कभी गिरफ्तार या पूछताछ नहीं की थी।
6 फरवरी 1993 को दोपहर लगभग 1 बजे, पुलिस चौकी के प्रभारी एएसआई बलराज सिंह ने पुलिस चौकी पर छापा मारा।

लुहका गांव में पुलिस बल के साथ घरियाला बस स्टैंड पहुंची और पार्किंग स्थल पर अपनी बस के पास खड़े मुख्तियार सिंह का अपहरण कर लिया। बस स्टैंड के एक दुकानदार ने तुरंत उसके परिवार को सूचना दी, और उसके चाचा मोहन सिंह और बचिन सिंह, साथ ही कई गांव के बुजुर्गों ने मुख्तियार के बारे में पूछताछ करने के लिए एएसआई बलराज सिंह से उनकी चौकी पर मुलाकात की। एएसआई ने बताया कि एक मामले की जांच के सिलसिले में मुख्तियार से पूछताछ की जरूरत है और उसकी रिहाई मामले के नतीजे पर निर्भर करेगी।
बाद में उस शाम, एएसआई बलराज सिंह ने मुख्तियार के माता-पिता सुरमेल सिंह को गिरफ्तार कर लिया।
सुरमेल सिंह और उनके पिता, सुरमेल सिंह, पट्टी कस्बे से खरीदारी करके घर लौट रहे थे। यातनाओं से बेहद गंभीर हालत में मुख्तियार सिंह पुलिस की गाड़ी में थे, तभी एएसआई ने उनके माता-पिता को गिरफ्तार कर लिया। लुहका पुलिस चौकी पर पुलिस ने दर्शन कौर को रिहा कर दिया, लेकिन सुरमेल सिंह को यातनाएं दीं और उनसे पूछा कि उन्होंने आतंकवादियों के हथियार कहां छिपाए हैं। मुख्तियार सिंह और उनके पिता दोनों लगातार यही कहते रहे कि वे निर्दोष हैं और उन पर लगे आरोप निराधार हैं। यातनाएं देकर पूछताछ करने के बाद पुलिस ने सुरमेल सिंह और मुख्तियार सिंह दोनों को अलग-अलग कोठरियों में बंद कर दिया।
अगली सुबह, सुरमेल सिंह ने अपने बेटे को आखिरी बार देखा जब उसे ले जाया जा रहा था।
शौचालय जाने के लिए सुरमेल सिंह को लॉकअप से बाहर निकाला गया। वह चल नहीं पा रहा था और उसकी शारीरिक हालत बेहद नाजुक थी। उसी दिन बाद में, कैरों पुलिस चौकी से कुछ अधिकारी लुहका पुलिस चौकी आए और मुख्तियार सिंह को अपने साथ ले गए। इसके बाद सुरमेल सिंह 12 दिनों तक अवैध रूप से लॉकअप में रहा, लेकिन उसने अपने बेटे को फिर कभी नहीं देखा।
परिवार के कई सदस्यों ने कैरन पुलिस चौकी के प्रभारी, एएसआई नौरंग से मुलाकात की।
सिंह से मुख्तियार की हालत और उसके साथ किए जाने वाले इरादों के बारे में जानने के लिए संपर्क किया गया। एएसआई नौरंग सिंह ने बताया कि पट्टी पुलिस के डीएसपी सीधे मुख्तियार का मामला देख रहे हैं और उन्होंने परिवार को उनसे संपर्क करने की सलाह दी। जब परिवार के सदस्य डीएसपी से मिले, तो उन्होंने मुख्तियार की रिहाई के लिए 50,000 रुपये की मांग की। परिवार को पैसे जुटाने के लिए समय चाहिए था और उन्होंने अधिकारी से विनती की कि इस बीच उसे कोई नुकसान न पहुँचाया जाए। वे 18 फरवरी तक रकम जुटाने में कामयाब रहे।
उस सुबह तड़के, मुख्तियार को पट्टी के साथ "मुठभेड़" में मृत घोषित कर दिया गया।
जोरान गांव के पास पुलिस ने शव का अंतिम संस्कार किया, जिसमें परिवार को शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई। सुरमेल सिंह को 19 फरवरी 1993 को लुहका पुलिस चौकी में उनकी अवैध हिरासत से रिहा कर दिया गया।
243. क्रमांक 296/997 के अंतर्गत सूची में जसविंदर सिंह उर्फ नरिंदर सिंह, पुत्र जसवंत सिंह जाट, निवासी मनवा, के अंतिम संस्कार की पहचान की गई है, जो कि बिखीविंड पुलिस स्टेशन के तेग बहादुर सिंह द्वारा 2 मार्च 1993 को एफआईआर संख्या 5/93 के अंतर्गत किया गया था।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (345)

पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर KS-11/93 अंकित है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
सीसीडीपी ने अपनी घटना रिपोर्ट के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
प्रपत्र संख्या CCDP/01678. मुख्य सूचनादाता पीड़ित के पिता सलवंत सिंह हैं।
सीबीआई की सूची में पीड़ित का नाम गलती से जसविंदर सिंह लिखा गया है। नरिंदर सिंह उर्फ। उनका असली नाम नरिंदर सिंह था और उन्हें पंजाब सिंह के नाम से भी जाना जाता था। सलवंत सिंह और सुखबीर कौर के पुत्र, पच्चीस वर्षीय नरिंदर, अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के खेमकरण पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले मनवा गांव के किसान थे। चार भाइयों में सबसे छोटे, वे अविवाहित थे।
नरिंदर का चचेरा भाई सुखपाल सिंह, जो मनवा गांव के रंगा सिंह का पुत्र था, एक
1988 में बीएसएफ के साथ मुठभेड़ में मारे गए उग्रवादी के मामले में, नरिंदर, जिसे पहले भी अवैध रूप से हिरासत में लेकर यातनाएं दी जा चुकी थीं, ने अपने मारे गए चचेरे भाई के नक्शेकदम पर चलने का फैसला किया। इस घटना ने नरिंदर को इतना उकसाया कि उसने भी यही राह अपना ली। अगले पांच वर्षों तक, इस फैसले के कारण उसके परिवार को पुलिस की भारी ज़ुल्मों का सामना करना पड़ा। पुलिस ने उन्हें नियमित रूप से हिरासत में लिया और यातनाएं दीं। पुलिस ने नरिंदर की तीन बहनों और भाभी को मखू और भीखीविंड पुलिस स्टेशनों में लंबे समय तक अवैध रूप से हिरासत में रखा और यातनाएं दीं। पुलिस ने उनका घर ध्वस्त कर दिया और घर का सारा सामान ज़ब्त कर लिया। साथ ही, पुलिस ने उन्हें अपनी ज़मीन पर खेती करने से भी रोक दिया।
28 फरवरी 1993 की सुबह तड़के, भीखीविंड चौकी के एसएचओ तेग बहादुर सिंह ने...
पुलिस स्टेशन ने नरिंदर को बाबा बुद्धा साहिब के गुरुद्वारे से बाहर आते समय गिरफ्तार कर लिया। 1 और 2 मार्च 1993 की मध्यरात्रि को बांका ब्लारे गांव के पास एक फर्जी मुठभेड़ में नरिंदर मारा गया। यह मुठभेड़ तब रची गई जब नरिंदर के कई रिश्तेदार खेमकरण पुलिस स्टेशन में अवैध रूप से हिरासत में थे। इनमें उसके चाचा करतार सिंह, जीत सिंह और बलजीत सिंह तथा उसके भाई के ससुर ज्ञान सिंह शामिल थे। पुलिस ने शव को लावारिस घोषित कर उसका अंतिम संस्कार कर दिया।
परिवारवाले उनकी अस्थियां भी नहीं ले पाए।
244. क्रमांक 297/998 के अंतर्गत सूची में गुरभचन सिंह मनोचाहल, पुत्र आत्मा सिंह, निवासी मनोचाहल (अब नौशारा पन्नुआ), सरहल्ली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत, के अंतिम संस्कार का उल्लेख है। अंतिम संस्कार 1 मार्च 1993 को तरन तारन शहर पुलिस स्टेशन के एसएचओ गुरभचन सिंह द्वारा एफआईआर संख्या 16/93 के तहत संपन्न किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एसके-1/93 के रूप में अंकित किया गया है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है। सीसीडीपी ने अपनी घटना रिपोर्ट के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
प्रपत्र संख्या CCDP/01075. मुख्य सूचनादाता गुरबचन का भाई तरलोचन सिंह है।

Gurbachan Singh Manochahal, s/o Atma Singh from Naushehra Pannuan village
अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल में रहने वाले गुरबचन सिंह पंजाब में अलगाववादी उग्रवाद के एक जाने-माने चेहरे थे। उनकी उम्र 38 वर्ष थी, उनका विवाह दलबीर कौर से हुआ था और उनके तीन बेटे हैं जो अब किशोरावस्था और बीस वर्ष की आयु के आसपास हैं। चार भाइयों और एक बहन में सबसे बड़े गुरबचन सिंह ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और सेना में भर्ती हो गए। 1975 या 1976 में, गुरबचन को अवज्ञा के आरोप में गिरफ्तार किया गया और एक साल की कैद और सेवा से बर्खास्तगी की सजा सुनाई गई। उन्होंने अपने एक वरिष्ठ अधिकारी को थप्पड़ मारा था जो उन्हें गाली दे रहा था।
एक साल जेल में बिताने के बाद, गुरबचन दम दामी तकसाल के करीब आ गए, 346 राख में तब्दील हो गए।

1977 से 1984 तक जरनैल सिंह भिंडरांवाले के नेतृत्व में सिख शिक्षा का एक रूढ़िवादी केंद्र था। 13 अप्रैल 1978 को, गुरबचन ने भिंडरांवाले द्वारा अमृतसर में निरंकारी संप्रदाय द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम के विरोध में बुलाए गए प्रदर्शन में भाग लिया, जिसके धार्मिक रीति-रिवाजों और दावों से रूढ़िवादी सिख आहत थे। प्रदर्शन हिंसक हो गया और निरंकारियों द्वारा गोलीबारी में 17 प्रतिभागी मारे गए। गुरबचन सिंह घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस घटना के बाद, गुरबचन सिंह भिंडरांवाले के नियमित साथी बन गए और पंजाब और उसके बाहर उनके प्रचार दौरों में उनके साथ जाने लगे।
जुलाई 1982 में, जब भिंडरांवाले ने विरोध प्रदर्शन के लिए एक सार्वजनिक अभियान शुरू किया,
अपने कुछ करीबी साथियों की गिरफ्तारी में गुरबचन सिंह ने सक्रिय रूप से भाग लिया। जून 1984 में स्वर्ण मंदिर पर सेना के हमले के बाद, अपनी गिरफ्तारी की आशंका से गुरबचन सिंह अपना घर छोड़कर चले गए। सेना ने उनके घर पर छापा मारा और उन्हें न पाकर उनके भाई नरिंदर सिंह और उनके एक चाचा, दीनपुर गांव निवासी पियारा सिंह को गिरफ्तार कर लिया। सेना ने उनका ट्रैक्टर और गांव के गुरुद्वारे की एक जीप भी जब्त कर ली। पुलिस ने नरिंदर सिंह पर शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। इसके बाद सरहल्ली पुलिस ने गुरबचन सिंह के पिता आत्मा सिंह को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें एक महीने से अधिक समय तक अवैध हिरासत में रखा ताकि उनके बेटे को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया जा सके। गुरबचन सिंह मनोचाहल आत्मसमर्पण करने वाले व्यक्ति नहीं थे और उनके पिता आत्मा सिंह और माता गुरमेज कौर सहित उनके कई करीबी रिश्तेदारों को अवैध हिरासत, यातना और गुमशुदगी का सामना करना पड़ा, इससे पहले कि आठ साल बाद सुरक्षा बलों के साथ एक भीषण मुठभेड़ में उनकी मृत्यु हो गई। साथ ही, वह परिवार में अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिनकी भारतीय अधिकारियों को तलाश थी।
1977 में, आत्मा सिंह के छोटे बेटे तरलोचन सिंह ने 9 सिख रेजिमेंट में भर्ती हुए थे।
यह भारतीय सेना की एक टुकड़ी थी, जिसका मुख्यालय राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित था। जून 1984 में स्वर्ण मंदिर पर सेना के हमले के बाद, तरलोचन सिंह और कुछ सौ अन्य सिख सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और कई सैन्य वाहनों पर कब्जा करने के बाद अमृतसर की ओर बढ़ गए। अंततः तरलोचन सिंह और उनके समूह को

मोगा के पास कोट सुखिया गांव में सेना ने घेर लिया और एक सिख कमांडर द्वारा स्थिति को चतुराई से संभालने के कारण बिना किसी रक्तपात के उन्हें पकड़ लिया गया। तरलोचन सिंह को 14 साल के कारावास की सजा सुनाई गई।
जून 1984 के बाद, गुरबचन सिंह मनोचाहल उग्रवादियों के समूह में शामिल हो गया।
गुरबचन सिंह मनोचाहल भारत के सैन्य आक्रमण का बदला लेने के लिए प्रतिबद्ध उग्रवादी संगठनों की सर्वोच्च संस्था पंथिक समिति के सदस्य बन गए थे और उन्होंने एक स्वतंत्र खालिस्तान की स्थापना की घोषणा की थी। 28 फरवरी 1993 को रटौल गांव में हुई एक भीषण मुठभेड़ में उनकी मृत्यु हो गई। यह मुठभेड़ वास्तविक थी और गुरबचन सिंह मनोचाहल अपने सात करीबी साथियों के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए। इस मुठभेड़ में डीआईजी अजीत सिंह समेत 12 पुलिसकर्मी भी शहीद हो गए।
गुरबचन सिंह के जीवन और उनकी मृत्यु के मामले के अध्ययन का महत्व हालांकि, पुलिस द्वारा उनके पिता आत्मा सिंह, माता गुरमेज कौर और भाई निर्वेल सिंह सहित उनके 17 करीबी रिश्तेदारों का अपहरण करने और उन्हें गायब करने या फर्जी मुठभेड़ों में मार डालने का भी आरोप है।
245. क्रमांक 299/1003 के अंतर्गत, सूची में जसबीर सिंह उर्फ जस्सा, पुत्र सरदूल सिंह, निवासी नागोक, के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो गोइंदवाल पुलिस स्टेशन के एसएचओ द्वारा 20 मार्च 1993 को एफआईआर संख्या 10/93 के तहत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को केके-10/93 के रूप में चिह्नित किया गया है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (347)

सीसीडीपी ने निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की है।

घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/00730 के माध्यम से। मुख्य सूचनादाता पीड़िता की विधवा दविंदर कौर हैं।

चालीस वर्षीय जगबीर सिंह उर्फ जग्गा, पिता सरदूल

अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल के वेरोवाल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत बेहक नेरे एलियन के निवासी नागोके निवासी सिंह एक किसान थे, जिनका विवाह दविंदर कौर से हुआ था और उनके चार बच्चे थे। सबसे बड़ी बेटी की उम्र अब 19 वर्ष है।

जगबीर एक बपतिस्मा प्राप्त सिख थे और सिख समुदाय के सदस्य थे।

छात्र संघ के सदस्य के रूप में, उन्होंने जुलाई 1982 में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को लागू करने के लिए अकाली आंदोलन शुरू होने पर अकाली राजनीति में भाग लिया। वैचारिक रूप से, जसबीर सिंह जरनैल सिंह भिंडरांवाले के विचारों से सहमत थे। जून 1984 में स्वर्ण मंदिर पर हुए हमले के बाद, पुलिस जगबीर सिंह को गिरफ्तार करना चाहती थी। वे गिरफ्तारी से बचते रहे, जब तक कि खदूर साहिब गुरुद्वारे के एक प्रसिद्ध सिख धर्मगुरु बाबा उत्तम सिंह ने उन्हें 1986 में पुलिस के सामने पेश नहीं करवाया। जगबीर सिंह को औपचारिक

रूप से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, लेकिन तीन महीने बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। जगबीर राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे और 1991 के रद्द हुए राज्य विधानसभा चुनावों में ब्यास विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार थे। चुनाव प्रचार के दौरान, उन्हें उन उग्रवादियों से सुरक्षा के लिए आधिकारिक अंगरक्षक दिए गए थे जिन्होंने बहिष्कार का आह्वान किया था। चुनाव रद्द होने के तुरंत बाद, जब गोइंदवाल पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पर छापा मारना शुरू किया, तब भी ये अंगरक्षक उनके साथ थे। पुलिस ने उसके पिता के स्वामित्व वाले एक सार्वजनिक परिवहन ट्रक और अन्य मूल्यवान घरेलू सामान जब्त कर लिए और उनकी फसलों को भी जला दिया।

पुलिस की यातना का दोबारा सामना न करने की चाह में जगबीर सिंह भूमिगत हो गया और

वह उग्रवादियों के समूह में शामिल हो गया। फरवरी 1992 तक, पंजाब में कांग्रेस की सरकार बन गई, जिसमें बेअंत सिंह मुख्यमंत्री और के.पी.एस. गिल उपमुख्यमंत्री बने। जैसे-जैसे उसके परिवार पर पुलिस का दबाव बढ़ता गया, जगबीर ने अपना निवास पंजाब से उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी जिले के मोहम्मदी उपमंडल के कछरावल गांव में स्थानांतरित कर लिया और अगले एक वर्ष तक वहां शांतिपूर्वक रहा।

4 मार्च 1993 को, जगबीर सिंह और उनकी पत्नी, सुरमुख सिंह के साथ

कछरावल गांव के रहने वाले जगबीर सिंह सिखों के पांच सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक, हजूर साहिब की तीर्थयात्रा पर निकले थे। हजूर साहिब हैदराबाद के पास नांदेड़ में स्थित है, जहां गुरु गोविंद सिंह का निधन हुआ था। रास्ते में जगबीर सिंह और उनके साथी आगरा के एक गुरुद्वारे में रुके। किसी तरह पंजाब पुलिस को जगबीर के यात्रा कार्यक्रम की जानकारी मिल गई और वेरोवाल, गोइंदवाल और तरनतारन से बड़ी संख्या में सादे कपड़ों में पुलिस बल आगरा के गुरुद्वारे में उनका इंतजार कर रहा था। वेरोवाल पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर गुरशरण सिंह बेदी और सब-इंस्पेक्टर जसबीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने 4 मार्च 1993 को शाम करीब 4 बजे आगरा के गुरुद्वारे के बाहर जगबीर और उनके साथी सुरमुख सिंह को पकड़ लिया, उन्हें जबरन एक वाहन में बिठाया और अपने साथ ले गए। जगबीर की पत्नी देविंदर कौर, जिन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था, पंजाब लौट गईं और उन्होंने अपने ससुराल वालों को अपहरण की सूचना दी।

जगबीर के परिवार के सदस्यों ने अपने इलाके के राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों से बात की।

उन्होंने उनसे हस्तक्षेप करने और जगबीर को अवैध पुलिस हिरासत से छुड़ाने का अनुरोध किया। जसबीर के पिता सरदूल सिंह 14 और 15 मार्च 1993 को तरन तारन स्थित सीआईए पूछताछ केंद्र में अपने बेटे से मिलने में कामयाब रहे। लेकिन पुलिस अधिकारियों को उसे अवैध हिरासत से रिहा करने या उसे मुकदमे के

लिए अदालत में पेश करने के लिए मनाने के उनके प्रयास 348 रिड्यूस्ड टू ऐशेज में ही रह गए।

व्यर्थ। 21 मार्च 1993 को पंजाबी अखबारों ने खबर छापी कि गोइंदवाल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत भोइयां गांव के पास एक मुठभेड़ में एक कुख्यात आतंकवादी जगबीर सिंह और उसके एक अज्ञात साथी की हत्या कर दी गई। शवों को परिजनों को नहीं सौंपा गया और पुलिस ने ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया। जगबीर के साथी सुरमुख सिंह का न तो आतंकवादी संगठन से और न ही पंजाब के

किसी राजनीतिक आंदोलन से कोई संबंध था। यह स्पष्ट नहीं है कि उसके शव का क्या हुआ, क्योंकि सीबीआई की तीनों सूचियों में से किसी में भी उसके अंतिम संस्कार का जिक्र नहीं है।
246. क्रमांक 300/1005 के अंतर्गत सूची में बलविंदर सिंह उर्फ रबेरो, पुत्र नजर सिंह, निवासी मनोचाहल के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो 30 मार्च 1993 को सरहल्ली पुलिस स्टेशन के एसएचओ सुरिंदर पाल सिंह द्वारा एफआईआर संख्या 23/93 के तहत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जीएसडी- 9/93 के रूप में चिह्नित किया गया है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने अपने घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/00756 के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी दी है-
मामले से संबंधित जानकारी जुटा रही हैं। मुख्य सूचनादाता पीड़िता की विधवा ज्ञान कौर हैं।
चालीस वर्षीय बलविंदर सिंह उर्फ बिल्लू पुत्र कारज सिंह निवासी पट्टी मामो की
अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल के अंतर्गत आने वाले मनोचाहल कलां गांव के निवासी मनोचाहल स्नातक थे और पंजाब सशस्त्र पुलिस में कांस्टेबल थे। उनका विवाह ज्ञान कौर से हुआ था और उनके चार बच्चे थे। सबसे बड़ी बेटी अब 21 वर्ष की है।
बलविंदर सिंह, जो एक जाने-माने उग्रवादी नेता गुरबचन सिंह मनोचाहल का चचेरा भाई है,
अक्टूबर 1986 में जब पंजाब के तत्कालीन डीजीपी जे. एफ. रिबेरो की हत्या का प्रयास किया गया, तब बलविंदर को जालंधर में तैनात किया गया था। इस प्रयास में संलिप्तता के संदेह में बलविंदर को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया और उन पर हत्या, हत्या के प्रयास, दंगा, घातक हथियार रखने और गैरकानूनी सभा का सदस्य होने के कई आरोप लगाए गए। उन पर आईपीसी की धारा 302, 207, 148 और 149 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 25/24/59 और टीएडीए की धारा 3/4 के तहत सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में किए गए अपराध का दोषी होने का आरोप था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बलविंदर को पंजाब सशस्त्र पुलिस से बर्खास्त कर दिया गया। विचाराधीन कैदी के रूप में बलविंदर सिंह साढ़े तीन साल तक संगरूर और नाभा की उच्च सुरक्षा वाली जेलों में रहे, लेकिन 1990 में जमानत पर रिहा होने में सफल रहे। रिहाई के बाद, बलविंदर अमृतसर जिले के खदूर साहिब के पास स्थित अपनी पत्नी के माता-पिता के गांव वेई पुई में रहने लगे और किसान के रूप में आजीविका कमाने लगे। वह विशेष अदालत के समक्ष अपने मुकदमे में नियमित रूप से उपस्थित भी होते थे।
मई 1992 में, पुलिस ने उसे दोबारा गिरफ्तार करने के लिए वेई पुई गांव में उसके घर पर छापा मारना शुरू कर दिया।
बलविंदर हिरासत में यातना और जान से मारे जाने के डर से पुलिस से दूर रहने लगा। गोइंदवाल पुलिस स्टेशन के एसएचओ सुरिंदर पाल सिंह और फतेहाबाद पुलिस चौकी के सहायक सब-इंस्पेक्टर बलवीर सिंह तथा नौशेहरा पन्नुआन पुलिस स्टेशन के सहायक सब-इंस्पेक्टर इंटरजीत सिंह द्वारा की गई छापेमारी और भी आक्रामक होती जा रही थी। जून 1992 की शुरुआत में, एएसआई बलवीर सिंह ने बलविंदर की पत्नी ज्ञान कौर, उसके पिता अर्जन सिंह और माता करम कौर को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें मार्च 1993 के अंत तक फतेहाबाद, खदूर साहिब, सरहल्ली, नौशेहरा पन्नुआन और वेरोवाल पुलिस स्टेशनों में अवैध रूप से

हिरासत में रखा। पुलिस ने उन सभी को, विशेष रूप से अर्जन सिंह को, बेरहमी से प्रताड़ित किया। उनसे फर्श साफ करने, कपड़े और बर्तन धोने और यहां तक कि खाना पकाने जैसे छोटे-मोटे काम भी करवाए गए। पुलिस ने उनके घरेलू सामान, जिनमें 100 क्विंटल गेहूं, 150 क्विंटल धान, पशु और दुधारू पशु, बर्तन और यहां तक कि बिस्तर भी शामिल थे, जब्त कर लिए।
Balwinder rented a house at Mehatpur village near Nakodar in Jalandhar district
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (349)

और वह अपने चार बच्चों के साथ वहीं रहने लगा। उसकी साली राजवंत कौर बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए अक्सर उनसे मिलने आती थी।
21 मार्च 1993 को अर्जन सिंह को गोइंदवाल पुलिस स्टेशन लाया गया, जहाँ एसएचओ गुरचरण सिंह बेदी और अन्य पुलिस अधिकारियों ने अर्जन सिंह को मनोचाहल गांव में शमीर सिंह के घर की पहचान करने के लिए अपने साथ चलने को कहा। शमीर सिंह ने बलविंदर सिंह और ज्ञान कौर का विवाह तय किया था। अर्जन सिंह के पास उनकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था और उसी शाम पुलिस ने शमीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस भैरोवाल गांव गई और करतार सिंह के बेटे मलकीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। फिर पुलिस उन सभी को मेहटपुर ले गई, जहां बलविंदर अपने बच्चों के साथ रहने के लिए एक घर किराए पर लेता था। 22 मार्च को सुबह करीब 4 बजे जब वे सभी वहां पहुंचे, तो पुलिस ने अर्जन सिंह, शमीर सिंह और मलकीत सिंह को अपने आगे चलने को कहा और बलविंदर सिंह को पुकारने को कहा। पुलिस ने उसके घर को चारों ओर से घेर लिया था और कुछ पुलिसकर्मी छत पर भी चढ़ गए थे। बलविंदर नहाने की तैयारी कर रहा था और केवल अपने अंतर्वस्त्र में था। पुलिस ने तुरंत उसे काबू में कर लिया और उसके हाथ पीछे बांध दिए। पुलिस ने सभी बच्चों को जगाया और घर का सामान भी जब्त कर लिया। इसके बाद उन सभी को गोइंदवाल पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां बलविंदर की पत्नी ज्ञान कौर और उनकी मां करम कौर भी मौजूद थीं। उन्हें ले जाने से पहले ज्ञान कौर ने अपने पति से कुछ देर बात की। बलविंदर ने उनसे बच्चों की देखभाल करने को कहा, "अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है।" इसके बाद वही पुलिस अधिकारी बलविंदर को किसी अज्ञात स्थान पर ले गए।
नौ दिन बाद, 31 मार्च 1993 को, पंजाबी अखबारों ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें बताया गया था कि
कोरा मधाना गांव में पुलिस के साथ सशस्त्र मुठभेड़ में बलविंदर सिंह की हत्या कर दी गई। बलविंदर सिंह के सभी परिवार के सदस्यों को, जिन्हें मई 1992 से अवैध हिरासत में रखा गया था, साथ ही 21 मार्च 1993 की शाम को गिरफ्तार किए गए लोगों को भी, गोइंदवाल पुलिस स्टेशन के एसएचओ गुरचरण सिंह बेदी ने 30 मार्च 1993 की सुबह रिहा कर दिया। बलविंदर का शव परिवार को नहीं लौटाया गया। सीबीआई की अज्ञात शवदाह की सूची (क्रम संख्या 595/1006) से पता चलता है कि सरहल्ली पुलिस स्टेशन के एसएचओ सुरिंदर पाल सिंह ने इसी एफआईआर संख्या 23/93 के तहत 30 मार्च 1993 को तरन तारन में एक अन्य शव का शवदाह किया था। अज्ञात शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जीएसडी-8/93 के रूप में दर्ज है और मृत्यु का कारण "गोलीबारी से लगी चोटें" बताया गया है। क्रमांक 247 - 249 के अंतर्गत, क्रमांक 303/1009, 302/1008 और 301/1007 के तहत, सूची में तरन तारन सदर पुलिस स्टेशन के एसएचओ मोहिंदर सिंह द्वारा एफआईआर क्रमांक 24/93 के अंतर्गत 5 अप्रैल 1993 को किए गए तीन शवदाहों का

उल्लेख है। ये शवदाहकर्ता हैं: [1] बलबीर सिंह, पिता मुख्तियार सिंह, निवासी देव; [2] बिट्टा, पिता मुख्तियार सिंह, निवासी देव; और [3] राणा प्रताप सिंह, पिता जैला सिंह, निवासी देव। पोस्टमार्टम रिपोर्टों को पीके- 4/93, पीके-5/93 और पीके-3/93 के रूप में अंकित किया गया है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने इन मामलों के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01130, 01145 और 01146 है। मुख्य सूचनादाता राणा प्रताप के पिता ज़ैल सिंह; गुरमेज कौर, बीटा सिंह की माँ, जिसे गलती से बिट्टा के रूप में पहचाना गया है; और बलबीर सिंह के पिता मुख्तियार सिंह हैं।
Twenty-year-old Mehlon alias Rana Pratap Singh, son of Zail Singh and Veero,
तरन तारन के सदर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत हवेलीयन के देओ गांव का निवासी एक मज़हबी सिख था जो मज़दूरी करके अपना जीवन यापन करता था। उसका विवाह शीरो से हुआ था और 350 लोग राख में तब्दील हो गए थे।

उनके दो छोटे बच्चे थे। उनके पिता ज़ैल सिंह के अनुसार, मेहलॉन का किसी भी उग्रवादी या राजनीतिक समूह से कोई संबंध नहीं था।
मुख्तियार सिंह और गुरमेज कौर के अठारह वर्षीय पुत्र बीटा सिंह थे।
तरन तारन के सदर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले देव गांव का निवासी एक मजहबी सिख लड़का। वह अविवाहित था और कृषि मजदूर के रूप में काम करता था। उसकी मां गुरमेज कौर के अनुसार, बीटा का उग्रवादी आंदोलन से कोई संबंध नहीं था और वह साफ दाढ़ी वाला सिख था।
एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 11 के छात्र, सोलह वर्षीय बलबीर सिंह...
कांग, तरन तारन के सदर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले देव गांव के एक गरीब मजहबी सिख परिवार से थे। उनके माता-पिता राधास्वामी संप्रदाय के कट्टर अनुयायी थे, लेकिन बलबीर सिंह स्वयं विशेष रूप से धार्मिक नहीं थे। उनका किसी भी राजनीतिक या उग्रवादी संगठन से कोई संबंध नहीं था और इस घटना से पहले उन्हें कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था।
तीनों लड़कों के परिवार के सदस्यों के अनुसार, करम सिंह एक प्रभावशाली व्यक्ति थे।
गांव के एक जाट सिख ने तीन मज़हबी लड़कों पर अपनी बेटी को छेड़ने और/या उसे प्रेम पत्र लिखने का आरोप लगाया। करम सिंह ने तीनों लड़कों को उनके व्यवहार के खिलाफ उचित कार्रवाई के लिए ग्राम परिषद के समक्ष पेश करने की योजना की घोषणा की थी। बलबीर के पिता मुख्तियार सिंह के अनुसार, करम सिंह का स्थानीय प्रशासन पर काफी प्रभाव था और उन्होंने पुलिस को लड़कों को सबक सिखाने के लिए उकसाया था।
31 मार्च 1993 को सुबह करीब 9 बजे बलबीर खाना खा रहा था।
जब बलबीर घर पर नाश्ता कर रहा था, तभी कांग पुलिस चौकी के सब-इंस्पेक्टर मोहिंदर सिंह भारी पुलिस बल के साथ आए और उसे हिरासत में ले लिया। सब-इंस्पेक्टर मोहिंदर सिंह ने बलबीर के माता-पिता के साथ मारपीट की, बलबीर के हाथ पीछे बांध दिए और उसे उसी गांव के बीटा और महलोन उर्फ राणा प्रताप सिंह के साथ ले गए, जिन्हें पुलिस के आने से पहले ही उनके घरों से गिरफ्तार कर लिया गया था।

(351)

250. 304/1010 14 1993 38/93

तहत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को केके-15/93 के रूप में चिह्नित किया गया है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
सीसीडीपी ने अपने माध्यम से इस मामले के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01422। मुख्य सूचनादाता पीड़िता की मां हरबंस कौर हैं।
पच्चीस वर्षीय सुरजीत सिंह मझबियान का एक गरीब मझबी सिख लड़का था। सुरजीत, अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल के झब्बल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत चीना बिधि चंद गांव में रहते थे। उनके पिता का असमय निधन हो गया था और सुरजीत दिहाड़ी मजदूर के रूप में अपना जीवन यापन करते थे। सुरजीत का किसी भी राजनीतिक या उग्रवादी समूह से कोई संबंध नहीं था। उनका विवाह हो चुका था, लेकिन उनकी विधवा ने बाद में पुनर्विवाह कर लिया।
अप्रैल 1993 की शुरुआत में, झब्बल पुलिस ने अपने एसएचओ के नेतृत्व में सुरजीत के घर पर छापा मारा।
और, जब वह घर पर नहीं मिला, तो वे उसके दो भाइयों को लेकर पुलिस स्टेशन गए। पुलिस ने उसकी मां हरबंस कौर को सुरजीत सिंह को पेश करने का निर्देश दिया। 5 अप्रैल 1993 को, हरबंस कौर ने कई ग्राम बुजुर्गों और अन्य सदस्यों के साथ मिलकर...
ग्राम परिषद और उसके रिश्तेदारों ने सुरजीत सिंह को झब्बल पुलिस स्टेशन के एसएचओ बलबीर सिंह और एएसआई फकीर चंद के सामने पेश किया, जिन्होंने कहा कि उन्हें उससे पूछताछ करनी है। पुलिस ने उसके भाइयों को रिहा कर दिया, जिन्हें महीने की शुरुआत से ही अवैध रूप से हिरासत में रखा गया था। हरबंस कौर 13 अप्रैल 1993 तक प्रतिदिन पुलिस स्टेशन जाती रहीं, जहां वह अपने बेटे से मिलती थीं। उसी रात पुलिस ने एक कथित "मुठभेड़" में उसे मार डाला और उसके शव को लावारिस/अज्ञात बताकर जला दिया। परिवार को हत्या की जानकारी 14 अप्रैल 1993 को स्थानीय समाचार पत्रों में छपी एक रिपोर्ट से मिली, लेकिन उन्हें शवदाह के बारे में सूचित नहीं किया गया। पुलिस के आतंक के कारण परिवार कोई कार्रवाई नहीं कर सका।
251. क्रमांक 305/1011 के अंतर्गत, सूची में हरबंस सिंह उर्फ बंसा, पुत्र मिल्खा सिंह उर्फ मुहतियार सिंह, निवासी उबोके के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो 15 अप्रैल 1993 को तरन तारन के सदर पुलिस स्टेशन के एसएचओ द्वारा एफआईआर संख्या 28/93 के तहत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पीएस-11/93 के रूप में चिह्नित किया गया है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
सीसीडीपी ने अपने माध्यम से इस मामले के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01483। मुख्य सूचनादाता पीड़ित का भाई परमजीत सिंह है।
Harbans Singh alias Bansa was the eldest son of Milkha Singh and Parkash Kaur,
अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के अंतर्गत चरदी पट्टी जिले के बहमनी वाला डाकघर के उबोके निवासी, तीस वर्षीय हरबंस के तीन छोटे भाई और एक बहन थी; उनके पिता मिल्खा सिंह का निधन उनके बचपन में ही हो गया था। परिवार की देखभाल के लिए हरबंस को स्कूल छोड़कर अपने खेत में काम करना पड़ा। वे बपतिस्मा प्राप्त सिख थे।

1991 ххх, ххххх ххххх хх ххххх хх ххххх хх ххххх хх хх хх ххххх ххххх ххххх хх ххххх

ххххх ххх хххххххххххх хх ххх хх ххххх ххххх хх ххххх хххххх ххххх хх ххх хххххх ххх ххххх, хххххххх ххх хх хххххх ххх хх ххххх хх хх хххххххххх ххх хххххх хххххххххх хх ххххх хх ххххх хх ххх, ххххх хххххххх ххххх хх ххх ххх ххххх

хххххххх ххххх хх ххххх ххххх хххххх хх хххххххх ххх ххххх хх ххххх ххх, ххххх ххххх хх ххххх, ххххх ххххх хх ххххх ххххх ххххх ххх ххххх ххххх хх ххххх ххххх ххх 352 ххххх ххх ххх хххххх хх ххх

ххххх хххххххх хх ххххххх хххххх хх ххххх хх ххххх хх хх ххххх ххххх ххххх хххххх ххххх ххх хх ххх хх ххххх хх хххххххххх хх ххххх ххххх хххххх 1992 ххх, ххххх хх хххххххх ххххх ххххх ххххх хххххххх хххххх хххххххх хх ххххх ххх ххх

ххххх ххххх хх хххххх хх ххххх ххххх хх ххххх хх ххххх хх хххххххх ххххх ххххх хх ххххх ххххх ххххх ххххх хх ххххх ххххх хх хх хх ххххх хх ххххх ххх хх хххххх ххх ххххх хххххххххх ххххх хххххх ххх ххххх хх ххххх, ххххх хх ххххх ххххх хх ххххх ххххх хххххххх хх ххх ххххх ххххх ххххх ххххх хх ххххх ххх ххххххх хх ххх ххххх ххххх хххххххх ххххх хх ххххх хххххххххх ххххх ххххх ххххх хх ххххх хх ххххххх хх ххх ххххххххх ххххх ххх ххх хх хх ххххх хх хххххх хххххххх хх ххх ххххх ххххх ххх ххх ххххх ххх ххххх хх хххххххх ххх ххх ххххх ххх ххххх ххххх хх ххх хх ххххх хх ххх ххххх хххххх хх ххх ххххх ххххх хх хх хх ххххх хх ххх хх хх хххххххх хх ххххх хххххх хххххх 1993 хх ххххх хххххх ххх, ххх ххххх хх ххх ххххх хх ххххх хх ххххх ххх

ххххх хх хх ххх ххх хххххх ххх ххххх ххх, ххххх ххххх хх хх хх хх ххххх хххххххх хххххххх ххх ххххх ххххх хх ххххх хх ххх ххх хххххх хххххх хх ххх ххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх хх хххххх ххххх хххххх хх хх хх хххххххх хххххххххх ххххх хх ххх хх ххххх ххххх ххххх хх хххххххххх хххххххххх хх ххххххх ххххх хх хххххххххх хх ххх хх ххххх ххххх хх ххххх ххххх ххх ххххх ххх ххххх хх хх хххххх хх ххх хх ххххх ххххххххх хх ххххх хххххх ххххх ххххх, ххххх ххххх хх ххх ххххх ххххх хх ххххх

16 хххххххх 1993 хх хххххххх ххххх ххххх хх хх хххххххх хх ххххх ххх хххххххх хххххххххх ххх

ххххх ххххх хх ххх ххх ххххх хххххх ххх хх хх ххххх ххх ххххх ххххх ххх хх ххххх ххххх хх хх ххххх хххххх хххххххх хх ххх ххххх хх хх хххххххххххх хх хх ххххх хх хххххх хххххххх хх хххххх ххххх, ххххх хх ххххх хххххх ххх ххххх хххххх ххххх ххххх хх ххх ххх

хх ххххх ххх ххххх ххххх хх ххх ххх хх хх хххххх ххх хх ххххх ххх хххххх ххх

ххххх хх хххххххх хххххх ххххх хх ххххх ххххх хх ххх хххххххх хх ххххх хххххх ххххх хх хххххх ххх хх, ххххх хххххххххххх хх хххххх хх хххххх хххххх ххх хх ххххх хх 15 хххххххх 1993 хх ххххх хх ххххх ххх

सीबीआई द्वारा चिन्हित शवदाह स्थलों की सूची में हरबंस सिंह के शवदाह का नाम भी शामिल है।
तरन तारन के सदर पुलिस स्टेशन के एसएचओ द्वारा उसी दिन किया गया दूसरा अंतिम संस्कार, जिसका एफआईआर नंबर 28/93 के तहत उल्लेख है, सीबीआई की अज्ञात शवदाहों की सूची में क्रमांक 596/1012 के तहत दर्ज है।
परमजीत सिंह के अनुसार, सीबीआई अधिकारियों के एक समूह ने परिवार से संपर्क किया।
पंजाब में गुप्त रूप से शवदाह के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश दिए जाने के बाद, अधिकारियों ने सदस्यों से कई बार मुलाकात की और उनके बयान दर्ज किए। सीबीआई निरीक्षक नरेश कुमार तलवार ने उन्हें बताया कि हरबंस सिंह की मनमानी हत्या के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर, जिसे मुठभेड़ बताकर टाल दिया गया था, पटियाला की अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा। हालांकि, अभी तक उन्हें अदालत से कोई समन नहीं मिला है और वे मामले में किसी भी प्रगति से अवगत नहीं हैं।
हरबंस सिंह की हत्या के लिए जिम्मेदार दो अधिकारी, पूरन सिंह और जागीर बाद में सिंह ने परमजीत सिंह से समझौता करने के लिए संपर्क किया और मुकदमा वापस लेने की शर्त पर उन्हें पैसे की पेशकश की। लेकिन परमजीत सिंह ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, इस उम्मीद में कि न्याय की प्रक्रिया एक दिन जरूर आगे बढ़ेगी।
252 – 253. क्रमांक 306/1013 और 307/1014 के अंतर्गत, सूची में 18 अप्रैल 1993 को पट्टी पुलिस स्टेशन के एसआई गोविंदर सिंह द्वारा एफआईआर संख्या 27/93 के तहत किए गए दो शवदाहों की पहचान की गई है। ये शवदाह [1] परगत सिंह उर्फ पग्गा, पुत्र साजन सिंह जाट, के हैं।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (353)

सरहल्ली मंडा निवासी, और [2] बकाक्षीश सिंह उर्फ बिषा, तेग सिंह मझवी के पुत्र, संधू निवासी। परगत सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट 18/4/93 को अंकित है, और उनकी मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है। बकाक्षीश सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मृत्यु का कारण "उपलब्ध नहीं" के रूप में अंकित है।
सीसीडीपी ने अपने माध्यम से इन मामलों के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01496 और 01603। मुख्य सूचनादाता पीड़ित की माताएं जागीर कौर और भजन कौर हैं।
सज्जन सिंह और जागीर कौर के पुत्र पच्चीस वर्षीय परगत सिंह मूल रूप से... मूल रूप से अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के सरहल्ली मंडन, पट्टी मन्ने की के निवासी, परगत सिंह के पिता का निधन हो गया था और उनकी माता ने परगत सहित पांच बेटों और एक बेटी का पालन-पोषण अकेले किया। परगत सिंह के चार भाई किसान थे और वह टैक्सी चालक बन गए। 1988 में, परगत ने संदीप कौर से विवाह किया, जो दिल्ली में रहने वाले अपने माता-पिता की इकलौती संतान थीं। बाद में, परगत दिल्ली चले गए और भारत की राजधानी में टैक्सी चलाने लगे। उनके एक बेटा लवजीत सिंह और एक बेटी कंवलजीत कौर हैं, जिनकी उम्र अब कम से कम 13 और 11 वर्ष है।
जागीर कौर के अनुसार, परगट का उग्रवादी आंदोलन से कोई संबंध नहीं था।

हालांकि, उनके चचेरे भाइयों में से एक, सरहल्ली मंदान गांव के कुंदन सिंह के बेटे निशान सिंह ने उग्रवादी भूमिगत संगठन में शामिल हो गया था और पुलिस उसे ढूंढ रही थी। पुलिस ने बाद में निशान सिंह और उसके भाई सतनाम सिंह को पकड़कर मार डाला।
17 मार्च 1993 की सुबह तड़के, नौरंग सिंह, जो पुलिस चौकी के प्रभारी थे, कैरन पुलिस ने कुछ अधिकारियों और मुखबिरों के साथ दिल्ली स्थित परगट के घर पर छापा मारा और पूछताछ के लिए उसे कैरन ले आई। परगट का पता लगाने के प्रयास में कैरन पुलिस ने पहले उसके भाई बलविंदर सिंह को हिरासत में लिया था। परगट की गिरफ्तारी के बाद बलविंदर को रिहा कर दिया गया।
उनकी गिरफ्तारी के छह दिन बाद, कैरों पुलिस चौकी प्रभारी ने जागीर कौर को अनुमति दी।
लॉकअप में अपने बेटे से मिलने पर परगत ने उसे पट्टी में डीएसपी और पट्टी पुलिस स्टेशन के एसएचओ की निगरानी में हुई पूछताछ के बारे में बताया। वे उससे यह कबूल करवाना चाहते थे कि उसके चचेरे भाई निशान सिंह से उसके संबंध हैं, जो पुलिस द्वारा वांछित था। परगत ने स्पष्ट किया कि उसका निशान सिंह से कोई लेना-देना नहीं था और वह किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल नहीं था। अधिकारी उसके जवाबों से संतुष्ट दिखे और उन्होंने उसे प्रताड़ित नहीं किया।
जागीर कौर जानना चाहती थी कि उसके बेटे को अभी तक हिरासत में क्यों रखा गया है। प्रभारी ने बताया कि...
कैरों पुलिस चौकी ने उनसे डीएसपी से बात करने को कहा क्योंकि जांच प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का अधिकार डीएसपी के पास नहीं था। लेकिन चौकी के प्रभारी का व्यवहार सौहार्दपूर्ण रहा और उन्होंने 15 अप्रैल 1993 को अंतिम बार मिलने तक उन्हें चौकी आने पर परगत सिंह से मिलने की अनुमति दी।
जागीर कौर अस्वस्थ थीं और घटना के बाद दो दिनों तक घर से बाहर नहीं निकल सकीं।
15 अप्रैल को मुलाकात। वह रविवार, 18 अप्रैल की सुबह अपने बेटे से दोबारा मिलने गई, तब ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने उसे बताया कि परगत सिंह का तबादला दूसरे पुलिस स्टेशन में कर दिया गया है। यह झूठ था। परगत सिंह और सैदोन गांव के मज़हबी सिख टेक सिंह के बेटे बख्शीश सिंह (जिसे सीबीआई की पहचान सूची में गलती से संधू गांव बताया गया था) को 17 और 18 अप्रैल 1993 की मध्यरात्रि में एक फर्जी मुठभेड़ में मार दिया गया था। पंजाबी अखबारों ने 19 अप्रैल को मुठभेड़ के बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी।
अखबार की रिपोर्ट पढ़ने के बाद, जागीर कौर वापस पुलिस चौकी चली गई जहाँ प्रभारी ने उससे मिलने से इनकार कर दिया। उसे पुलिस चौकी में प्रवेश करने की भी अनुमति नहीं दी गई। 354 लोग राख में तब्दील हो गए।

पुलिस ने परिवार को सूचित किए बिना ही शवों का अंतिम संस्कार कर दिया। हालांकि,
जागीर कौर पट्टी श्मशान घाट से अस्थियां एकत्र करने में सफल रहीं। सीबीआई की सूची में परगत के साथ अंतिम संस्कार किए गए दूसरे व्यक्ति की पहचान इस प्रकार की गई है:
बख्शीश सिंह उर्फ बिषा, पिता तेग सिंह मझवी, निवासी संधू ग्राम। उनका असली नाम बख्शीश सिंह था, जो टेक सिंह और भजन कौर के पुत्र थे और अमृतसर जिले के

पट्टी उपमंडल के बरवाला डाकघर के अंतर्गत सैदोन गांव के निवासी थे।
बख्शीश 18 वर्ष के थे, चार भाइयों में सबसे छोटे थे और अविवाहित थे।
उनके पिता टेक सिंह एक गरीब मज़हबी सिख थे जिन्होंने अपने बच्चों का पालन-पोषण किया।
वह दूसरों के खेतों में कृषि मजदूर के रूप में काम करते थे। उनके बेटे भी कृषि मजदूर के रूप में काम करते थे। भजन कौर के अनुसार, उनके सबसे बड़े बेटे कुलदीप सिंह की हत्या छोसरेवाल गांव के पास सशस्त्र आतंकवादियों ने कर दी थी। उन्हें उनकी हत्या की सही तारीख या साल भी याद नहीं था। हालांकि कुलदीप की हत्या भूमिगत आतंकवादियों ने की थी, लेकिन पुलिस को उनके भाइयों पर आतंकवादी विचारधारा से सहानुभूति रखने का संदेह था और उन्होंने परिवार को परेशान करना शुरू कर दिया। लगातार उत्पीड़न से तंग आकर टेक सिंह ने अपने परिवार के बाकी सदस्यों के साथ वहां से चले जाने का फैसला किया। वे फरीदकोट जिले के मुक्तसर उपमंडल के मलान गांव में चले गए और स्थानीय किसान बूटा सिंह के खेतों में कपास चुनने का काम शुरू कर दिया।
दिसंबर 1992 में, टेक सिंह ने अपने गाँव लौटने का फैसला किया।
टेक सिंह ने अपने बेटे बख्शीश को पूछताछ के लिए आत्मसमर्पण कराने हेतु पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की, इस शर्त पर कि उसकी जान नहीं ली जाएगी। जब टेक सिंह सब्रान पुलिस चौकी पर अधिकारियों से बात करने गए, तो प्रभारी एएसआई निर्मल सिंह ने उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया। टेक सिंह लापता हो गए और उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके ठिकाने या भाग्य के बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका।
मार्च 1993 के मध्य में, सब्रान पुलिस चौकी के अधिकारियों के एक समूह ने एएसआई निर्मल सिंह के नेतृत्व में पुलिस फरीदकोट जिले के मुक्तसर उपमंडल के मलान गांव पहुंची, बख्शीश सिंह और उसके भाई जीत सिंह दोनों को गिरफ्तार कर पट्टी पुलिस स्टेशन ले आई। उन्हें अलग-अलग कोठरी में रखा गया, लेकिन यातना के दौरान पूछताछ में जीत सिंह अपने भाई बख्शीश को देख सका। पुलिस ने बख्शीश को बेरहमी से प्रताड़ित किया और तीन दिन बाद वह हिलने-डुलने में भी असमर्थ हो गया। तीसरे दिन, जीत सिंह ने कुछ पुलिसकर्मियों को अपने भाई को बांहों से पकड़कर पुलिस स्टेशन से बाहर ले जाते देखा। यही आखिरी बार था जब किसी ने बख्शीश को जीवित देखा था।
जीत सिंह 11 दिनों तक पट्टी पुलिस स्टेशन में अवैध पुलिस हिरासत में रहा। 12 वें दिन उसे सब्रान पुलिस चौकी लाया गया, जहाँ उसे रिहा कर ग्राम परिषद के सदस्यों को सौंप दिया गया। एएसआई निर्मल सिंह ने ग्राम परिषद के सदस्यों को बताया कि बख्शीश को रिहा नहीं किया जाएगा।
19 अप्रैल 1993 को, गांव के कुछ निवासियों ने एक अखबार में छपी खबर पढ़ी जिसमें घोषणा की गई थी-
सरहल्ली मंदन के बख्शीश सिंह और परगत सिंह की कथित मुठभेड़ में हुई हत्या के बाद भजन कौर पट्टी श्मशान घाट गईं, जहां उन्हें पता चला कि पुलिस ने परगत सिंह और बख्शीश सिंह के शवों को एक ही चिता पर एक साथ जला दिया था।
254. क्रमांक 308/1015 के अंतर्गत, सूची में गुलज़ार सिंह, पुत्र साजन सिंह कामियार, निवासी कंबो, थाना झब्बल के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो हरिके पुलिस स्टेशन के एसएचओ सुरिंदर सिंह द्वारा 28 अप्रैल 1993 को एफआईआर क्रमांक 22/93 के तहत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एसएलजी 27/93 के रूप में चिह्नित किया गया है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।

सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (355)

सीसीडीपी ने अपनी घटना रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
प्रपत्र संख्या CCDP/01503. मुख्य सूचनादाता पीड़िता की मां सुरजीत कौर हैं।
तीस वर्षीय गुलजार सिंह, जो अपने पिता गज्जन सिंह (सही नाम गज्जन सिंह) के पुत्र थे।
सुरजीत कौर, अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल के झब्बल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मल्लुवाला संतन डाकघर के कममोह गांव की निवासी थीं और एक पाठी (सिख धार्मिक ग्रंथ-पाठक) थीं। उनका विवाह हो चुका था और एक बेटा था। लेकिन उनकी विधवा ने बाद में पुनर्विवाह कर लिया है और वह अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती हैं।
गुलजार पांच भाइयों में सबसे छोटा था और धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद...
दमदमी टकसाल में काम करने वाले गुलजार एक पाठी बन गए। दमदमी टकसाल से जुड़े होने के बावजूद, पुलिस ने उन्हें या उनके परिवार के सदस्यों को परेशान नहीं किया, संभवतः गुलजार की अपने क्षेत्र में एक उपदेशक के रूप में लोकप्रियता के कारण। बाद में गुलजार को श्री हरगोबिंदपुर में छठे सिख गुरु हरगोविंद से जुड़े एक ऐतिहासिक गुरुद्वारे के जीर्णोद्धार के पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। बाबा रेशम सिंह इस परियोजना का नेतृत्व कर रहे थे।
पुलिस प्रतिष्ठान द्वारा प्रायोजित निहंग नेता अजीत सिंह फूला को हथियारबंद अनुयायियों को बनाए रखने और श्री हरगोबिंदपुर स्थित ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण सिख तीर्थस्थल पर कब्ज़ा करने की चाहत रखने वाले अजित सिंह पूहला ने अप्रैल 1993 के तीसरे सप्ताह में बाबा रेशम सिंह और उनके करीबी साथियों, जिनमें गुलज़ार सिंह भी शामिल थे, का अपहरण कर लिया। उन्हें कैरों पुलिस चौकी पर प्रताड़ित किया गया और जब उन्होंने निहंग को तीर्थस्थल का नियंत्रण सौंपने से इनकार कर दिया, तो 27 और 28 अप्रैल 1993 की रात को दो अलग-अलग सुनियोजित मुठभेड़ों में उनकी हत्या कर दी गई। हरिके पुलिस स्टेशन के एसएचओ ने गुलजार सिंह का अंतिम संस्कार अपने एक साथी के साथ मिलकर किया।
उनके सहयोगी। सीबीआई की तीसरी सूची में 28 अप्रैल 1993 को हरिके पुलिस द्वारा एक ही एफआईआर संख्या 22/93 के तहत किए गए दो शवदाह दिखाए गए हैं। सीरियल नंबर 597/1016 और 598/1017 हैं।
255 – 256. क्रमांक 309/1018 और 310/1019 के अंतर्गत, सूची में पट्टी पुलिस स्टेशन के एसएचओ द्वारा एफआईआर संख्या 28/93 के तहत 28 अप्रैल 1993 को किए गए दो शवदाहों का उल्लेख है। ये शव हैं: [1] रेशम सिंह, पिता माधा सिंह जाट, निवासी वाल्टोहा; और [2] सुखदेव सिंह, पिता जागीर सिंह जाट, निवासी फैवाला, थाना हरिके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपलब्ध नहीं बताई गई है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
सीसीडीपी ने अपनी घटना रिपोर्ट के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
form nos. CCDP/01579 and 01621. The main informants are Resham Singh’s brother Virsa Singh and Sukhdev’s mother Gurmej Kaur.

[illegible]

[illegible]

[illegible]
Resham Singh, Sukhdev Singh, Gulzar Singh and their two associates, Balwinder

[illegible]

[illegible]

[illegible]

एक आतंकवादी समूह में शामिल होने का संदेह होने के बावजूद, पुलिस को उस पर आतंकवादियों को पनाह देने का शक था और पूछताछ के लिए उसे कई बार गिरफ्तार भी किया गया था। एक बार उसे TADA के तहत एक मामले में जेल भेजा गया था, लेकिन अदालत ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया। पियारा सिंह किसी अन्य मामले में वांछित नहीं था और वह अपने गांव में सामान्य जीवन जी रहा था, जब 9 मई 1993 की सुबह चोला साहिब पुलिस चौकी के एएसआई अमरिक सिंह उसे गिरफ्तार करने उसके घर आए। एएसआई ने कहा कि वे पियारा सिंह से नियमित पूछताछ करना चाहते हैं और उसे जल्द ही रिहा कर देंगे।
उनकी मां इंदर कौर उसी सुबह बाद में उनके लिए चाय लेकर पुलिस चौकी गईं। इंदर कौर को पता चला कि उनके बेटे को चोला साहिब पुलिस चौकी में हिरासत में रखा गया है और पुलिस की यातनाओं के कारण उसकी कूल्हे की हड्डी टूट गई है। उन्हें यह भी पता चला कि पुलिस अधिकारियों ने कूल्हे की हड्डी ठीक करने के लिए गांव से एक झोलाछाप डॉक्टर को बुलाया था। जब इंदर कौर अपने बेटे की रिहाई के लिए एएसआई अमरिक सिंह से मिलीं, तो उन्होंने 50,000 रुपये की मांग की। इंदर कौर ने पैसे जुटाने के लिए कुछ समय मांगा।
27 मई 1993 को सरहल्ली पुलिस स्टेशन के एसएचओ गुरदेव सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी।
पियारा सिंह और दो अन्य लोग घरक्का गांव के पास एक मुठभेड़ में मारे गए। पुलिस ने शवों का अंतिम संस्कार कर दिया और परिवार के सदस्यों को इसमें शामिल होने की अनुमति नहीं दी। बाद में इंदर कौर को पता चला कि उसी मुठभेड़ में मारे गए अन्य लोगों में से एक कांग के पास कल्ला गांव का रहने वाला था। वह उसके माता-पिता से मिलीं, जिन्होंने उन्हें बताया कि पुलिस ने मुठभेड़ को अंजाम देने से पहले उनके बेटे को कई दिनों तक कांग पुलिस चौकी में अवैध रूप से हिरासत में रखा था।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (357)

अज्ञात शवदाहों की सूची में 27 मई 1993 को दो और शवदाह दर्ज हैं, जिनका क्रमांक 601/1023 और 602/1024 है। ये शवदाह सिरहाली पुलिस स्टेशन के एसएचओ गुरदेव सिंह द्वारा उसी एफआईआर के अंतर्गत किए गए थे। इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को केके-19/93 और केके-20/93 के रूप में चिह्नित किया गया है, और मृत्यु का कारण हमेशा की तरह "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
258. क्रमांक 312/1025 के अंतर्गत सूची में केवल सिंह, पुत्र अमरिक सिंह, निवासी बधेशन, थाना वेरोवाल के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो हरिके पुलिस स्टेशन के सुरिंदर सिंह द्वारा 2 जून 1993 को किया गया था, जैसा कि एफआईआर संख्या 28/93 में दर्ज है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को केएस 19/93 के रूप में चिह्नित किया गया है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
सीसीडीपी ने अपने माध्यम से इस मामले के बारे में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01616। मुख्य सूचनादाता पीड़ित का पिता है।
अमरिक सिंह और हरदीप कौर के पुत्र, 28 वर्षीय केवल सिंह,
अमृतसर जिले के खदुर साहिब उपमंडल के वेरोवाल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मियांविंड डाकघर के फतेहपुर बदेशा गांव के निवासी केवल सिंह ने कुछ

वर्षों की स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद ट्रक चलाना सीखा और बाद में अपने पिता की मदद से महाराष्ट्र के चंदरपुर में परिवहन व्यवसाय शुरू किया। उनके छोटे भाई तरसेम सिंह भी उनके व्यवसाय में शामिल हो गए, जो जल्द ही फलने-फूलने लगा। 1990 में केवल सिंह ने करुमुवाला गांव की अमरजीत कौर से विवाह किया।
अमरजीत कौर के पैतृक गांव करमुवाला का एक परिवार, जो पलायन कर गया था महाराष्ट्र के अमरावती में रहने वाली अमरजीत कौर को पंजाब पुलिस कुछ आतंकवादी अपराधों के सिलसिले में ढूंढ रही थी। मई 1993 में हरिके पुलिस ने अमरजीत कौर के पिता तेगा सिंह और उनके बेटे सत्ता को गिरफ्तार कर लिया। एसएचओ सुरिंदर सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने फतेहपुर बदेशा गांव स्थित केवल सिंह के घर पर भी छापा मारा और उनके पिता अमरिक सिंह को गिरफ्तार कर लिया। गांव के बुजुर्गों ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन एसएचओ ने उन्हें बताया कि पुलिस को अपहृत परिवार के सदस्यों को चंदरपुर ले जाना है, जहां केवल सिंह और उनके भाई ने अपनी परिवहन कंपनी स्थापित की थी।
हरिके पुलिस, अमरिक सिंह और टेगा सिंह के साथ चंदरपुर पहुंची।
24 मई 1993 की सुबह पुलिस ने केवल सिंह और उसके भाई को उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वे अपने कार्यालय जा रहे थे। पुलिस अधिकारियों ने अमरजीत कौर को भी केवल सिंह के घर से गिरफ्तार कर लिया और फिर पंजाब लौटने के लिए रवाना हो गए।
इसी बीच, चंदरपुर में केवल सिंह के व्यापारिक सहयोगियों ने औपचारिक शिकायत दर्ज कराई।
उन्होंने अपहरण की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। नागपुर के पास, महाराष्ट्र पुलिस ने उस वाहन को रोक लिया जिसमें पंजाब पुलिस के अधिकारी अपने बंधकों के साथ यात्रा कर रहे थे, और उन्हें रात भर एक पुलिस स्टेशन में हिरासत में रखा। हालांकि, पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों और केंद्र सरकार में उनके समर्थकों ने उनकी रिहाई सुनिश्चित कर ली और अपने मिशन पर निकलने के चार दिन बाद, समूह हरिके पुलिस स्टेशन लौट आया।
29 मई 1993 को हरिके पुलिस ने अमरिक सिंह के घर की गहन तलाशी ली।
गांव के घर से भी उन्हें गिरफ्तार किया गया और उनकी पत्नी हरदीप कौर और बेटी हरजीत कौर को भी हिरासत में लिया गया। केवल सिंह और उनके भाई तरसेम सिंह को एक अलग कमरे में रखा गया। उनके माता-पिता अमरिक सिंह और हरदीप कौर, उनकी बहन हरजीत कौर, केवल सिंह की पत्नी अमरजीत कौर, उनके ससुर तेगा सिंह और साले सत्ता को अलग रखा गया।
अगली सुबह पुलिस ने केवल सिंह की बड़ी बहन मनजीत कौर को गिरफ्तार कर लिया। गांव तापियाला, जहां वह शादी के बाद रहने लगी थी। पुलिस ने अनोख सिंह और उसके बेटों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए परिवार के सभी सदस्यों को लगातार पीटा और प्रताड़ित किया। 358 लोगों की हत्या कर दी गई।

करामुवाला गांव से। केवल सिंह उस परिवार से परिचित थे और एक बार चंदरपुर स्थित अपने घर पर उनकी मेजबानी भी कर चुके थे, लेकिन उन्हें उनके वर्तमान ठिकाने का पता नहीं था। पुलिस ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया और सभी को बेरहमी से प्रताड़ित करना जारी रखा, खासकर केवल सिंह और उनके भाई को निशाना बनाया।
31 मई 1993 को अमरिक सिंह, टेगा सिंह और तरसेम सिंह को रिहा कर दिया गया।

जब उनके ग्राम परिषद के सदस्य उनकी ओर से हस्तक्षेप करने के लिए पुलिस स्टेशन आए, तब उनकी अवैध हिरासत का मामला सामने आया। 1 जून 1993 की सुबह, केवल सिंह को पुलिस स्टेशन से बाहर ले जाते हुए देखा गया।
2 जून 1993 को केवल सिंह को एक अन्य अज्ञात व्यक्ति के साथ गिरफ्तार किया गया था।
कंबो गांव के पास एक “मुठभेड़” में मारे जाने की खबर फैली। परिवार वालों को 3 जून 1993 की सुबह अखबार में छपी खबर से इस हत्या की जानकारी मिली। अखबार की खबर में कहा गया था कि केवल सिंह “गरम खालसा दल” नामक एक उग्रवादी संगठन का नेता था। इस खबर से पहले ऐसे किसी संगठन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस ने घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार बरामद करने का दावा किया।
सीबीआई की तीसरी सूची, क्रमांक 603/1026 के तहत, अज्ञात शवदाह का रिकॉर्ड दर्ज करती है।
केवल सिंह के साथ मारे गए दूसरे व्यक्ति की हत्या भी उसी एफआईआर के तहत दर्ज की गई है। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को केएस-18/93 के रूप में चिह्नित किया गया है।
259 – 260. क्रमांक 313/1028 और 314/1029 के अंतर्गत, सूची में 8 जून 1993 को वाल्टोहा पुलिस स्टेशन के एसएचओ सीता राम द्वारा एफआईआर संख्या 24/93 के तहत किए गए दो शवदाह का उल्लेख है। ये शवदाह निम्नलिखित व्यक्तियों के हैं: [1] जागीर सिंह, पुत्र फूला सिंह मज़बी, निवासी लखना; और [2] सिंदर सिंह, पुत्र बूटा सिंह मज़बी, निवासी मस्तगढ़। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को केएस 21/93 और केएस 20/93 के रूप में चिह्नित किया गया है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
सीसीडीपी ने अपने घटना रिपोर्ट प्रपत्र से निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
क्रमांक CCDP/01515 और 01681. मुख्य सूचनादाता जागीर के भाई राणा सिंह और शिंदोर सिंह की विधवा शिंदो हैं।
Jagir Singh, son of Phoola Singh and Pooro Kaur, was an 18-year-old Mazhabi
जागीर अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के वाल्टोहा उपमंडल के वेहरा मज़हबी सिखन दा के लखना गांव का रहने वाला सिख था। अपने दो बड़े भाइयों की तरह वह भी अमरकोट के एक अनाज मंडी में मजदूर के रूप में काम करता था। एक गरीब, भूमिहीन परिवार से आने वाला जागीर हमेशा दाढ़ी-मूंछ साफ रखता था और किसी भी राजनीतिक या उग्रवादी समूह से उसका कोई संबंध नहीं था। हालांकि, 1992 में खेमकरण पुलिस ने सिख उग्रवादियों से संबंध रखने के संदेह में उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की थी; बाद में पुलिस ने उसके खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत झूठा मामला दर्ज किया। हालांकि, गिरफ्तारी के कुछ ही दिनों बाद उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया और तब से जागीर नियमित रूप से अदालत में पेश होता रहा है। जागीर अविवाहित था।
बूटा सिंह और बेगा के पुत्र, छत्तीस वर्षीय शिंदर सिंह, एक मजाहबी थे। अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के खेमकरण पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मस्तगढ़ गांव के सिख शिंदर, छह अमृतधारी भाइयों में सबसे बड़े थे। वे खेतिहर मजदूर के रूप में काम करके अपना जीवन यापन करते थे और उनकी पत्नी शिंदो से शादी हुई थी। उनके तीन बच्चे थे: एक बेटी जसबीर कौर, जो अब 21 वर्ष की हैं, और दो बेटे तोता सिंह और चन्नन सिंह, जिनकी उम्र क्रमशः 19 और 17 वर्ष है।

आतंकवादियों से संबंध रखने के संदेह में शिंदर को 1991 में खेमकरण पुलिस ने टाडा (तड़पा कानून प्रवर्तन अधिनियम) के तहत गिरफ्तार किया था। अदालत ने उन्हें 1993 में इस मामले में बरी कर दिया था।
मई 1993 के दूसरे सप्ताह में, एसएचओ सीता राम के नेतृत्व में वाल्टोहा पुलिस ने छापा मारा।
जागीर को गिरफ्तार करने के लिए गांव लखना स्थित उसके घर पर पुलिस पहुंची। जागीर घर पर नहीं था और उसके माता-पिता ने पुलिस को बताया कि वह अमरकोट स्थित अनाज मंडी में काम करने गया है।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (359)

पुलिस, लखना गांव के मक्खन सिंह के बेटे वस्सन सिंह को पहचान के लिए अनाज मंडी ले गई, जब जागीर और उसका भाई राणा सिंह एक किसान के गेहूं का वजन कर रहे थे। जागीर सिंह को दर्जनों लोगों की मौजूदगी में गिरफ्तार कर लिया गया।
अगली सुबह, परिवार के सदस्य, कई ग्रामवासियों के साथ, चले गए।
वे वाल्टोहा पुलिस स्टेशन गए, लेकिन किसी भी ज़िम्मेदार अधिकारी से बात नहीं कर पाए। अगले कई दिनों तक वे पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाते रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस के साथ संदिग्ध सौदों में शामिल कुछ बिचौलियों ने उनके मामले में मदद करने के लिए उनसे कुछ पैसे लिए, लेकिन कुछ भी नहीं किया। अगले कई दिनों तक, परिवार के सदस्य हर सुबह किसी ज़िम्मेदार अधिकारी से मिलने की उम्मीद में पुलिस स्टेशन जाते रहे, लेकिन शाम होते-होते निराश होकर लौट आते थे।
शिंदर सिंह को वाल्टोहा के पुलिसकर्मियों के एक दल ने उनके घर से गिरफ्तार किया।
14 मई 1993 की सुबह पुलिस स्टेशन में भुचर कलां गांव के संत सिंह के चार बेटों को लेकर पुलिस पहुंची, जिन्हें उन्होंने पहले ही हिरासत में ले लिया था। उनके नाम बलविंदर सिंह, प्रेम सिंह, खेम सिंह और रांझा थे। पुलिस दल शिंदर को भी वाल्टोहा पुलिस स्टेशन ले गया और अगले तीन हफ्तों तक उससे बेरहमी से पूछताछ की। बलविंदर सिंह, प्रेम सिंह, खेम सिंह और रांझा को उनकी गिरफ्तारी के दो हफ्ते बाद ग्राम परिषद के हस्तक्षेप पर रिहा कर दिया गया। लेकिन एसएचओ ने शिंदर को रिहा करने से साफ इनकार कर दिया।
जागीर सिंह और शिंदर सिंह की हत्या 7 और 8 जून की रात के बीच हुई थी।
1993 में एक फर्जी मुठभेड़ में। परिवार के सदस्यों को अंतिम संस्कार के बारे में सूचित नहीं किया गया था। हालांकि, उन्होंने अंतिम संस्कार के तीसरे दिन चुपके से पट्टी श्मशान घाट से अस्थियां एकत्र कर लीं।
शिंदर सिंह की विधवा के अनुसार, पुलिस ने शिंदर के परिवार के सदस्यों को भी गिरफ्तार कर उनकी हत्या कर दी।
एक अलग घटना में फर्जी मुठभेड़ में मस्तगढ़ के सांता सिंह के बेटे सतनाम सिंह को हिरासत में लिया गया।
261 – 264. क्रमांक 315/1031, 316/1035, 317/1036 और 318/1037 के अंतर्गत, सूची में 15 जून 1993 को तरन तारन के सदर पुलिस स्टेशन के एसएचओ द्वारा किए गए चार शवदाहों की पहचान की गई है, जिनका उल्लेख एफआईआर संख्या 41/93 में किया गया है। ये शवदाह निम्नलिखित व्यक्तियों के हैं: [1] सतनाम सिंह उर्फ बिटू, पिता हरदयाल सिंह, निवासी मनोचाहल; [2] मनजीत सिंह, पिता प्रकाश सिंह, निवासी मनोचाहल; [3] कश्मीर सिंह, पिता दलीप सिंह, निवासी पट्टी; और

[4] तरसेम सिंह, पिता धर्म सिंह, निवासी कांग गांव। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को केकेएस 5/93, ओपीजी 10/93, ओपीजी 11/93 और ओपीजी 12/93 के रूप में चिह्नित किया गया है। सभी के बारे में खबर है कि वे “पुलिस मुठभेड़” में मारे गए।
सीसीडीपी के पास सतनाम सिंह और मनजीत सिंह के संबंध में निम्नलिखित जानकारी है।
घटना प्रपत्र संख्या CCDP/01553, 01554 और 01245 से तरसेम सिंह के बारे में जानकारी प्राप्त की गई है। मुख्य सूचनादाता मनजीत सिंह के पिता प्रकाश सिंह, तरसेम सिंह के पिता गुरनाम सिंह, सतनाम सिंह की माता गुरबचन कौर और उनके भाई गुरप्रीत सिंह हैं।
प्रकाश सिंह और मोहिंदर कौर के बेटे, बीस वर्षीय मनजीत सिंह, एक
मनजीत अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल के झब्बल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मनोचाहल गांव का रहने वाला एक ट्रक चालक है। उसके पिता, जो एक मेहरा सिख हैं, एक ईंट भट्ठे में क्लर्क का काम करते थे, और मनजीत तीन भाइयों में सबसे छोटा था। बपतिस्मा प्राप्त सिख होने के बावजूद, मनजीत का कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं था और उसे कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था।
मनजीत, गुरबचन कौर और गुरदयाल के पुत्र सतनाम सिंह का घनिष्ठ मित्र था। सिंह, जिनका नाम सीबीआई की सूची में गलती से हरदयाल सिंह के रूप में दर्ज किया गया है। 360 राख में तब्दील।

मनजीत और सतनाम एक ही गाँव के रहने वाले थे और उन्होंने साथ में ड्राइविंग स्कूल में पढ़ाई की थी। दोनों को राजस्थान के गंगानगर जिले के हनुमानगढ़ में बाबा तारा सिंह के शिविर में काम मिल गया। बाबा तारा सिंह एक धार्मिक नेता थे जो सिख तीर्थस्थलों के रखरखाव और मरम्मत के लिए स्वयंसेवी कार्य आयोजित करते थे। मनजीत और सतनाम हनुमानगढ़ में तैनात थे और बाबा तारा सिंह के ट्रकों को चलाने के अलावा वे अन्य छोटे-मोटे काम भी करते थे। जून 1993 की शुरुआत में, मनजीत का भाई जस्सी भी हनुमानगढ़ शिविर में उनके साथ शामिल हो गया।
जून 1993 के पहले सप्ताह में, एसएचओ पूरन के नेतृत्व में तरन तारन सदर पुलिस ने कार्रवाई की।
सिंह ने मनोचाहल स्थित उनके गांव के घर से सतनाम सिंह के माता-पिता को गिरफ्तार कर सदर पुलिस स्टेशन ले आए। पुलिस ने उन दोनों को बुरी तरह प्रताड़ित किया और उनसे सतनाम सिंह और मनजीत सिंह के ठिकाने के बारे में जानकारी निकलवाई। अगले दिन, तरन तारन पुलिस ने राजस्थान के हनुमानगढ़ स्थित बाबा तारा सिंह के शिविर पर छापा मारा और सतनाम, मनजीत, उसके भाई जस्सी और कई अन्य लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए तरन तारन के सदर पुलिस स्टेशन ले आई, जहां सतनाम के माता-पिता पहले से ही बंद थे। एसएचओ पूरन सिंह ने चार दिनों तक चली उनकी क्रूर यातनाओं की व्यक्तिगत रूप से निगरानी की, जिसे सतनाम के माता-पिता ने भी देखा। चौथे दिन, गुरबचन कौर ने अपने बेटे सतनाम सिंह को नग्न अवस्था में चार पुलिसकर्मियों द्वारा ले जाते हुए देखा। उसका शरीर बेजान और निर्जीव लग रहा था।
अगले दिन सुबह पुलिस ने गुरबचन कौर और उसके पति को स्थानांतरित कर दिया। उन्हें तरन तारन शहर के पुलिस स्टेशन ले जाया गया और कुछ दिनों बाद उनके रिश्तेदार बलवंत सिंह (जो एक पुलिस अधिकारी थे) के हस्तक्षेप पर उन्हें हिरासत से रिहा कर दिया गया। जब बलवंत सिंह ने एसएचओ से सतनाम सिंह और

मनजीत सिंह के बारे में पूछा, तो पुलिस ने उन्हें बताया कि यातनाओं के प्रभावों से उबरने के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा।
15 जून 1993 को समाचार पत्रों में पांच आतंकवादियों की हत्या की खबरें प्रकाशित हुईं।
तरन तारन पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए चार लोगों की पहचान मनोचाहल गांव के सतनाम सिंह और मनजीत सिंह, पट्टी गांव के कश्मीर सिंह और कांग गांव के तरसेम सिंह के रूप में हुई है। पांचवें व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है।
धर्म सिंह और पियार कौर के पुत्र तरसेम सिंह, जिन्हें बग्गा के नाम से भी जाना जाता था,
एक 23 वर्षीय अविवाहित जाट सिख। वह अमृतसर जिले के तरन तारन जिले के सदर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कांग गांव के छोटे कांग इलाके में अपने माता-पिता के साथ रहता था।
तरसेम सिंह अमृतधारी सिख थे और अत्यंत धार्मिक थे। 1990 में,
जालंधर पुलिस ने लुधियाना जाते समय उग्रवादी संबंधों के संदेह में उसे एक बार गिरफ्तार किया था। दो महीने बाद उसे जमानत मिल गई। रिहाई के बाद, पुलिस की परेशानी से बचने के लिए उसके परिवार ने उसे पंजाब से बाहर भेज दिया। तरसेम सिंह ट्रक चालक का काम करता था और शायद ही कभी घर आता था।
जून 1993 की शुरुआत में, चौधरी गुलजार चंद, पुलिस स्टेशन के एसएचओ
कांग ने तरसेम सिंह को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पर छापा मारना शुरू कर दिया। पुलिस परिवार के पुरुषों को हिरासत में लेकर उन्हें तरसेम सिंह को पेश करने का निर्देश देती थी। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा और जब पुलिस ने महिलाओं को भी हिरासत में लेना शुरू किया, तो परिवार दबाव में आ गया और तरसेम सिंह से संपर्क करके उसे घर लौटने के लिए कहा।
12 जून 1993 को उनके पिता धर्म सिंह, फूफा (चाचा) धर्म सिंह और
अन्य लोगों ने तरसेम सिंह को कांग पुलिस स्टेशन के एसएचओ चौधरी गुलजार चंद के समक्ष पेश किया। कांग पुलिस पहले से ही कई अन्य सिख युवकों को हिरासत में रखे हुए थी। परिवार द्वारा जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मिलकर तरसेम सिंह को अवैध हिरासत से छुड़ाने के प्रयास विफल रहे।
14 जून 1993 की रात को, तरसेम सिंह और चार अन्य लोगों की एक भीषण घटना में हत्या कर दी गई।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (361)

“मुठभेड़”। सीबीआई की सूची में मारे गए चार लोगों की पहचान की गई है। क्रमांक 605/1032 के तहत अज्ञात शवदाह की सूची में पाँचवाँ अज्ञात शवदाह दर्ज है।
265 – 268: क्रमांक 319/1043, 320/1044, 321/1045 और 322/1046 के अंतर्गत दी गई सूची में 12 जुलाई 1993 को सरहल्ली पुलिस स्टेशन के एसएचओ गुरदेव सिंह द्वारा किए गए चार शवदाहों का उल्लेख है, जिनका उल्लेख एफआईआर संख्या 72/93 में किया गया है। शवदाह निम्नलिखित व्यक्तियों के हैं: [1] देसा सिंह, पुत्र अमर सिंह; [2] शिंदा सिंह, पुत्र बचन सिंह; [3] बलकार सिंह उर्फ काला, पुत्र शिंगारा सिंह; और [4] मंगल सिंह उर्फ मंगा, पुत्र करनैल सिंह, सभी रावीवाला निवासी। पोस्टमार्टम रिपोर्टों को केएसएस 14/93, केएसएस 15/93, केएसएस 16/93 और केएसएस 17/93 के रूप में चिह्नित किया गया है, और सभी को "पुलिस मुठभेड़" में मृत बताया गया है।

सीसीडीपी ने अपनी घटना रिपोर्ट के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
प्रपत्र संख्या CCDP/01352, 01411, 01412, 01413. मुख्य सूचनादाता देसा सिंह के पिता अमर सिंह, शिंदा सिंह के चचेरे भाई हरभजन सिंह, बलकार सिंह के बहनोई स्वर्ण सिंह और मंगल सिंह की माता मोहिंदर कौर हैं।
सत्ताईस वर्षीय शिंदा सिंह उर्फ सविंदर, पुत्र बचन सिंह, से
अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल के सरहल्ली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत रानी वाला गांव में रहने वाले मज़हबियन दी पट्टी पंजाब पुलिस में विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) थे। उनका विवाह निंदर कौर से हुआ था और उनका एक नौ वर्षीय पुत्र है। निंदर कौर ने बाद में पुनर्विवाह कर लिया है।
शिंदा सिंह को जोगिंदर की सिफारिश पर विशेष सुरक्षा अधिकारी (एसपीओ) नियुक्त किया गया था।
सिंह ठेकेदार, जो अपने गाँव के एक धनी ठेकेदार थे, कुछ सिख उग्रवादी संगठनों के नापसंद थे। शिंदा सिंह उनके अंगरक्षक बन गए। जोगिंदर सिंह ठेकेदार के तीन अन्य अंगरक्षक भी उसी गाँव के विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) थे। वे थे देसा सिंह, अमर सिंह के पुत्र, सुखदेव सिंह, पियारा सिंह के पुत्र और बलकार सिंह बॉबी, जो जोगिंदर सिंह के अपने पुत्र थे। देसा सिंह 24 वर्ष के थे और अविवाहित थे। सुखदेव का विवाह भोली से हुआ था और उनका एक पुत्र है जो अब 15 वर्ष का है। सुखदेव जोगिंदर सिंह ठेकेदार के भतीजे थे। जून 1993 के अंतिम सप्ताह में, सरहल्ली कलां पुलिस स्टेशन के एसएचओ गुरदेव सिंह ने
जोगिंदर सिंह ठेकेदार के घर पर छापा मारा गया और शिंदा सिंह, देसा सिंह, सुखदेव सिंह, बलकार सिंह बॉबी (सभी विशेष पुलिस अधिकारी) और दलजीत सिंह (विशेष पुलिस अधिकारी सुखदेव सिंह के भाई) को गिरफ्तार कर लिया गया। दलजीत सिंह सेना की 13 वीं सिख लाइट इन्फैंट्री में जेसीओ थे और छुट्टी पर अपने गांव आए हुए थे। संयोगवश, वे उस सुबह अपने भाई के साथ जोगिंदर सिंह ठेकेदार के घर पर ही थे। यह गिरफ्तारी संगतपुरा के पास के एक गांव में हुई चोरी की घटना की जांच से संबंधित थी।
जोगिंदर के यहाँ से चार एसपीओ और सेना अधिकारी दलजीत सिंह को गिरफ्तार करने के बाद...
तड़के तड़के, एसएचओ गुरदेव सिंह अपनी टीम के साथ उसी गांव में शिंगारा सिंह के पुत्र बलकार सिंह उर्फ काला के घर उसे गिरफ्तार करने पहुंचे। 38 वर्षीय बलकार मूल रूप से फिरोजपुर जिले के जीरा उपमंडल के रत्ता खेड़ा गांव का रहने वाला था। लेकिन उसकी एक बहन की शादी रानीवाला में हो गई थी, और वह अपनी मां, पत्नी शिंदर कौर और तीन बेटों (जिनमें सबसे बड़ा अब 16 साल का है) के साथ वहीं रहने लगा था। जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने पहुंची, तो बलकार घर पर नहीं था। छापेमारी करने वाली पुलिस ने उसकी मां तारो, पत्नी शिंदर कौर और उनके बच्चों को हिरासत में ले लिया और सरहल्ली कलां पुलिस स्टेशन लौट गई।
इसके बाद पुलिस मंगल सिंह को गिरफ्तार करने गई, जो एक गरीब मजहबी सिख मजदूर था और 362 लोगों को राख में बदल दिया गया।

मंगल, अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल के हरिके पुलिस स्टेशन के अंतर्गत धुन डाकघर के पास करामुवाला गांव के निवासी करनैल सिंह और मोहिंदर कौर के इकलौते बेटे थे। मंगल का विवाह रंजीत कौर से हुआ था और उनकी एक 12 वर्षीय

बेटी है। सीबीआई द्वारा सीरियल नंबर 322/1047 के तहत दर्ज शवदाह की सूची में मंगल सिंह के गांव का नाम गलती से रानीवाला लिखा गया है। संभवतः यह गलती इसलिए हुई क्योंकि उनकी दो विवाहित बहनें रानीवाला गांव में रहती हैं। बाद में पुलिस ने मंगल की मां, पत्नी और अन्य महिला रिश्तेदारों को भी यह कहकर गिरफ्तार कर लिया कि उनके पास मंगल द्वारा चुराया गया सामान है। मंगल के परिवार के सदस्यों ने सरहल्ली कलां पुलिस स्टेशन में सभी गिरफ्तार व्यक्तियों से मुलाकात की और उन्हें यातनाओं से लगी चोटें दिखाईं।
सरहल्ली पुलिस ने बलकार सिंह काला की मां और पत्नी तारो और शिंदर कौर को छोड़ दिया।
अगले दिन जब जोगिंदर सिंह ठेकेदार ने बलकार सिंह काला को एसएचओ गुरदेव सिंह के सामने पेश किया, तो उसी शाम एसपीओ सुखदेव सिंह के भाई और जेसीओ दलजीत सिंह को कुछ सत्यापन के बाद रिहा कर दिया गया।
दलजीत सिंह के अनुसार, एसएचओ ने स्वयं शिंदा पर हुए अत्याचार की निगरानी की।
सुखदेव और देसा को पुलिस स्टेशन पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया गया। कई घंटों तक चले क्रूर यातनाओं के बाद, पुलिस उन्हें कथित तौर पर चोरी की संपत्ति बरामद करने के लिए उनके घरों में वापस ले गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, उस समय उनकी शारीरिक हालत बहुत खराब थी और तीनों को पुलिस वाहन में घसीटकर बिठाना और उतारना पड़ा। अगले दिन, बलकार सिंह काला को भी बुरी तरह से घायल अवस्था में उनके घर लाया गया।
जब गिरफ्तार लड़कों के माता-पिता पुलिस स्टेशन पहुंचे, तो पुलिस ने उन्हें बताया
उन्होंने उन्हें आश्वस्त किया कि जांच जारी है और कुछ दिनों में सभी गिरफ्तार व्यक्तियों को रिहा कर दिया जाएगा। जोगिंदर सिंह ठेकेदार ने भी उन्हें यही आश्वासन दिया। उनके अपने बेटे बलकार सिंह को गिरफ्तारी के तीसरे दिन रिहा कर दिया गया।
कुछ दिनों बाद, पंजाबी अखबारों में एक रिपोर्ट छपी जिसमें कहा गया कि तीन एसपीओ,
शिंदा सिंह, देसा सिंह और सुखदेव सिंह अपने हथियार और वायरलेस सेट लेकर ड्यूटी छोड़कर भाग गए थे। इस खबर की गंभीरता को लेकर चिंतित परिवार वाले लगातार पुलिस स्टेशन आते रहे, लेकिन उनसे मिल नहीं सके। 13 जुलाई 1993 को अखबारों में कौरे वधाउन गांव के पास एक मुठभेड़ की खबर छपी, जिसमें शिंदा सिंह, देसा सिंह, बलकार सिंह काला और मंगल सिंह (करमुवाला गांव के करनैल सिंह के पुत्र) के मारे जाने की बात कही गई थी। न तो परिवार वालों को इन हत्याओं की सूचना दी गई और न ही शवों को अंतिम संस्कार के लिए सौंपा गया। सीबीआई की सूची के अनुसार, उनका अंतिम संस्कार 12 जुलाई 1993 को हुआ था। पियारा सिंह के पुत्र सुखदेव सिंह और दो अन्य अज्ञात व्यक्तियों की हत्या 29 जुलाई 1993 को समाचार पत्रों में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ की खबर छपी थी। यह मुठभेड़ कथित तौर पर फाजिल्का गांव के पास वेरोवाल पुलिस के साथ हुई थी, जिसका नेतृत्व एसएचओ सुभा सिंह कर रहे थे। एसएचओ ने ही 28 जुलाई को एफआईआर संख्या 44/93 के तहत शवों का अंतिम संस्कार किया था। यह स्पष्ट नहीं है कि सीबीआई ने सुखदेव सिंह के अंतिम संस्कार को आंशिक रूप से पहचाने गए शवों की सूची में क्रमांक 115/1051 के तहत क्यों रखा, जबकि पुलिस के पास उनकी सेवा रिकॉर्ड सहित सभी जानकारी उपलब्ध थी। उनकी

पोस्टमार्टम रिपोर्ट को केके 6/93 के रूप में चिह्नित किया गया है और उनकी कहानी इस रिपोर्ट के प्रासंगिक भाग में संक्षेप में दी गई है। एफआईआर संख्या 44/93 के तहत दो अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार सीबीआई की तीसरी सूची में क्रमांक 612/1052 और 613/1053 के तहत दर्ज है। दोनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को केके-7/93 के रूप में चिह्नित किया गया है।
269 – 272: क्रमांक 323/1047, 324/1048, 325/1049 और 326/1050 के अंतर्गत, सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (363)

इस सूची में तरन तारन शहर पुलिस स्टेशन के एसएचओ गुरबचन सिंह द्वारा 22 जुलाई 1993 को एफआईआर संख्या 70/93 के तहत किए गए चार शवदाहों का उल्लेख है। ये शव हैं: [1] करनैल सिंह उर्फ राजू, पुत्र दर्शन सिंह, निवासी जीरा हाल, गली गुरुद्वारेवाली, राय्या; [2] करनैल सिंह, पुत्र दर्शन सिंह मज़बी, निवासी जीरा; [3] हरजिंदर सिंह, पुत्र किशन सिंह मज़बी, निवासी मुरादपुरा; और [4] गुलशन कुमार, पुत्र चमन लाल खत्री, निवासी जंडियाला रोड, तरन तारन। पोस्टमार्टम रिपोर्टों को बीएल 47/93, बीएल 46/93, बीएल 48/93 और बीएल 49/93 के रूप में चिह्नित किया गया है। करनैल सिंह की मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है। अन्य तीन की मृत्यु "गोलीबारी से लगी चोटों" के कारण हुई है।
सीसीडीपी ने अपनी घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या सीसीडीपी/01425 और 00114 के माध्यम से यह जानकारी दी है कि
following information about Harjinder Singh and Gulshan Kumar. The main infor-mants are Harjinder’s mother Raj Kaur and Gulshan Kumar’s father Chaman Lal.
बीस वर्षीय गुलशन कुमार उर्फ काला, चमन लाल का सबसे बड़ा बेटा था।
सीता रानी। चमन लाल अपने पांच अन्य बच्चों के साथ तरन तारन शहर के जंडियाला रोड स्थित गली दर्शन सिंह वाली में रहते थे और सब्जियां बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। 70 वर्षीय चमन लाल 1947 में पंजाब के पश्चिमी भाग (जो अब पाकिस्तान में है) से तरन तारन आए थे। उन्हें अपनी छोड़ी हुई संपत्ति के बदले एक भूखंड मिला, जिस पर उन्होंने एक छोटा सा घर बनाया। कुछ वर्षों तक चमन लाल ने राजस्व विभाग में काम किया, लेकिन 1954 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी। गुलशन कुमार स्कूल में पढ़ते थे और आठवीं कक्षा में थे। वे अपने माता-पिता को सब्जियां बेचने में भी मदद करते थे।
22 जून 1993 को रात लगभग 10.30 बजे, डीएसपी दिलबाग सिंह के नेतृत्व में एक बड़ी पुलिस टुकड़ी ने छापा मारा।
तरन तारन शहर पुलिस स्टेशन के एसएचओ गुरबचन सिंह मनोचाहल चमन लाल के घर आए और उन्हें दरवाजे खोलने का आदेश दिया। डीएसपी के निर्देश पर पुलिस ने घर में मौजूद सभी पुरुष सदस्यों को घेर लिया और उन्हें चोर बताकर पीटना शुरू कर दिया। गुलशन को विशेष रूप से निशाना बनाया गया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। डीएसपी और अन्य अधिकारियों ने बार-बार उससे चोरी की घटनाओं को कबूल करने और सभी चोरी का सामान पेश करने की मांग की। यातना सहन न कर पाने के कारण गुलशन चीखने लगा। जब बड़ी संख्या में पड़ोसी यह देखने के लिए घर के पास आए कि क्या हो रहा है, तो पुलिस ने गुलशन, उसके भाइयों और उसके पिता को जबरदस्ती एक पुलिस वाहन में बिठाया और उन्हें तरन तारन शहर पुलिस स्टेशन ले गई। तलाशी के दौरान पुलिस ने तीन सोने की अंगूठियां, एक कलाई घड़ी और 475 रुपये नकद बरामद कर जब्त कर लिए। चमन लाल के अनुसार, पुलिस ने उनकी 18

वर्षीय बेटी इंदरजीत को भी पुलिस स्टेशन ले जाने की कोशिश की, लेकिन पड़ोसियों ने हस्तक्षेप कर पुलिस को ऐसा करने से रोक दिया।
At the Tarn Taran City police station, SHO Gurbachan Singh Manochahal forced
उन सभी को मुंह के बल ज़मीन पर लिटाकर बुरी तरह पीटा गया। पुलिस ने गुलशन के पैरों को 180 डिग्री के कोण पर मोड़ दिया। इस यातना के बाद गुलशन चल नहीं पा रहा था। पुलिस ने अगले तीन दिनों तक चमन लाल के परिवार के सभी सदस्यों को पुलिस हिरासत में यातनाएं दीं। 16 जून को, तरनतारन के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों के पुलिस स्टेशन जाकर उनकी ओर से हस्तक्षेप करने के बाद पुलिस ने चमन लाल और उनके एक बेटे को रिहा कर दिया। गुलशन कुमार के भाई बॉबी और बलविंदर को क्रमशः 28 और 30 जून को रिहा कर दिया गया। लेकिन पुलिस ने गुलशन कुमार को रिहा नहीं किया। उन्होंने कहा कि शरीर पर लगी चोटों से ठीक होने के बाद ही उन्हें रिहा किया जाएगा।
एक सप्ताह बाद, डीएसपी दिलबाग सिंह ने गुलशन की रिहाई के लिए 200,000 रुपये की मांग की।
चमन लाल इतनी बड़ी रकम चुकाने की स्थिति में नहीं था और उसने डीएसपी से विनती की। 364 राख में तब्दील हो गया

फिरौती माफ करने के लिए। डीएसपी ने उनसे कहा कि अगर उन्हें अपने बेटे को जिंदा देखना है तो उन्हें फिरौती का इंतजाम करना होगा। चमन लाल ने एसएसपी अजीत सिंह संधू से मुलाकात की और उन्हें डीएसपी दिलबाग सिंह द्वारा अपने बेटे की रिहाई के लिए की जा रही मांग के बारे में बताया। एसएसपी ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और उन्हें डीएसपी से सीधे बात करने को कहा। चमन लाल ने डीएसपी दिलबाग सिंह से दोबारा मुलाकात की और उनसे फिरौती की रकम कम करने का अनुरोध किया। जब डीएसपी ने कोई रियायत देने से इनकार कर दिया, तो चमन लाल ने फिरौती जुटाने की कोशिश करने का वादा किया। डीएसपी ने चमन लाल को पुलिस स्टेशन में अपने बेटे से मिलने और उसे खाना और कपड़े देने की इजाजत दी।
लेकिन पुलिस ने गुलशन को प्रताड़ित करना जारी रखा। चमन लाल और उसके भाई जो जब चमन लाल पुलिस स्टेशन पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गुलशन की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। आखिरी बार उन्होंने अपने बेटे को 22 जुलाई 1993 को तरनतारन शहर पुलिस की हिरासत में देखा था। गुलशन की हालत बेहद खराब थी और वह हिल-डुल भी नहीं पा रहा था। चमन लाल ने उसे अपने हाथों से खाना खिलाने की कोशिश की, लेकिन गुलशन खाना निगल नहीं पा रहा था।
उसी दोपहर बाद, चमन लाल एक गिलास लेकर फिर से पुलिस स्टेशन गया।
अपने बेटे के लिए चाय लेकर आए चमन लाल ने गेट पर खड़े एक कांस्टेबल से कहा कि पुलिसकर्मियों के एक समूह ने गुलशन को वहां से हटा दिया है और संभवतः मुठभेड़ में उसकी हत्या कर दी है। कांस्टेबल ने उन्हें सिविल अस्पताल जाकर पता लगाने की सलाह दी। चमन लाल सिविल अस्पताल गए और वहां उनकी मुलाकात डॉ. (श्रीमती) करनैल कौर से हुई, जिन्होंने गुलशन कुमार के शव का पोस्टमार्टम किया था। डॉ. कौर ने गुलशन कुमार को पहचान लिया था क्योंकि वह अक्सर उनकी दुकान से सब्जियां खरीदा करती थीं।
23 जुलाई 1993 को, कई समाचार पत्रों ने पास में हुई एक मुठभेड़ के बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित की।

पलासौर पुल पर, जहां खबर है कि जरनैल सिंह और तीन अन्य अज्ञात आतंकवादियों को एसएचओ गुरबचन सिंह मनोचाहल के नेतृत्व में तरन तारन पुलिस ने मार गिराया था। अखबारों में छपी खबरों में एक तस्वीर भी थी जिसमें गुलशन कुमार तीनों अज्ञात आतंकवादियों के साथ दिखाई दे रहा था। पुलिस ने स्वयं ही अंतिम संस्कार किया और परिवार के सदस्यों को इसमें शामिल होने की अनुमति नहीं दी।
24 जुलाई 1993 को चमन लाल अपने भाई मोहन लाल के साथ तरन गए।
जब लोग तारन सिटी पुलिस स्टेशन में यह पूछने गए कि पुलिस ने उनके बेटे को अज्ञात आतंकवादी समझकर क्यों मार डाला, तो डीएसपी दिलबाग सिंह और एसएचओ गुरबचन सिंह मनोचाहल ने उन्हें चुप रहने को कहा और शिकायत करने पर उन्हें भी उसी तरह खत्म करने की धमकी दी।
गुलशन कुमार की मां सीता रानी उनके बेटे की हत्या के सदमे को सहन नहीं कर पाईं।
अखबारों में अज्ञात आतंकवादी के रूप में मुठभेड़ में उसकी हत्या की खबर छपने के ढाई महीने बाद दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई।
8 अगस्त, 1996 को सीबीआई ने समाचार पत्रों के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी कर पूछा कि...
जिन लोगों के रिश्तेदार लापता हो गए थे, उनसे शिकायत दर्ज कराने के लिए चमन लाल ने सीबीआई को अपनी लिखित शिकायत सौंपी। बाद में चमन लाल को तरनतारन शहर पुलिस स्टेशन बुलाया गया और शिकायत वापस न लेने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। एसएसपी जगदीश मित्तल ने उन्हें तीन बार अमृतसर बुलाया और उनसे अपने बेटे की हत्या के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों से कुछ पैसे लेकर समझौता करने का आग्रह किया। बाद में डीआईजी राजिंदर सिंह ने भी उन्हें यही सलाह दी, लेकिन चमन लाल ने समझौता करने से इनकार कर दिया। सीबीआई ने जांच की और प्रथम दृष्टया पुलिस अधिकारियों को दोषी पाया। गुलशन कुमार के अपहरण और गैर-न्यायिक हत्या के दोषी पाए जाने पर, सीबीआई ने संबंधित पुलिस अधिकारियों, डीएसपी दिलबाग सिंह, एसएचओ गुरबचन सिंह मनोचाहल, एसआई बलबीर सिंह और एएसआई के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर किया है।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (365)

देवेंद्र सिंह और एएसआई अर्जन सिंह। मामला अभी सुनवाई के लिए लंबित है। चमन लाल ने हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका भी दायर की। चंडीगढ़ में अधिवक्ता राजविंदर सिंह बैंस के माध्यम से याचिका दायर की गई है। याचिका संख्या सीआर. डब्लू. पी. संख्या 1409/96 अभी भी लंबित है। According to Chaman Lal, Karnail Singh, s/o Darshan Singh, who was identified
22 जुलाई 1993 को उसी मुठभेड़ में मारा गया एक आतंकवादी अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल के मुरादपुरा गांव का निवासी था। उसका भाई जरनैल सिंह भी उसी मुठभेड़ में मारा गया था। चमन लाल के अनुसार, तीसरा अज्ञात आतंकवादी भी मुरादपुरा गांव का ही निवासी था। लेकिन सीबीआई की सूची, क्रमांक 323/1047 और 324/1048 के तहत, दो व्यक्तियों के अंतिम संस्कार को दर्शाती है जिनकी पहचान करनैल सिंह, पुत्र दर्शन सिंह के रूप में हुई है। सूची में पहले करनैल सिंह उर्फ राजू, पुत्र दर्शन सिंह का पता जीरा हाल, गली

गुरुद्वारेवाली, राय्या दिया गया है। दूसरे करनैल सिंह, पुत्र दर्शन सिंह मज़बी का पता जीरा दिया गया है, जो फिरोजपुर जिले का एक उपमंडल है।
किशन सिंह मज़बी के पुत्र, बीस वर्षीय हरजिंदर सिंह, तीसरे व्यक्ति थे। इसी मुठभेड़ में हरजिंदर की भी मौत हो गई। वजन मापने की मशीन बनाने वाली एक फैक्ट्री में मैकेनिक के तौर पर काम करने वाला हरजिंदर, तरन तारन शहर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत वार्ड नंबर 3 (जंद पीर) के गांव मुरादपुरा का रहने वाला था। उसकी पत्नी का नाम राज कौर था और उनका एक नौ साल का बेटा है। हरजिंदर दाढ़ी-मूंछ साफ किए हुए सिख थे, उनका किसी भी धर्म या राजनीति से कोई संबंध नहीं था और वे अच्छी नौकरी करते थे। पुलिस ने उन्हें इससे पहले कभी गिरफ्तार नहीं किया था।
जून 1993 के तीसरे सप्ताह में, तरन तारन के सदर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों के एक समूह ने
एसएचओ पूरन सिंह के नेतृत्व में थाने में हरजिंदर के घर पर छापा मारा गया, उसे हिरासत में लिया गया और उसकी पत्नी के सामने उसकी पिटाई की गई। बाद में, वे हरजिंदर को पुलिस स्टेशन ले गए और परिवार के सदस्यों को उससे मिलने नहीं दिया। परिवार को 22 जुलाई 1993 को मुठभेड़ में उसकी मौत की जानकारी 23 जुलाई को अखबारों में छपी एक तस्वीर से मिली। अखबारों की रिपोर्ट में उसे एक अज्ञात आतंकवादी बताया गया था।
उनके पिता किशन सिंह अपने बेटे की हत्या के सदमे को सहन नहीं कर पाए और
नौ महीने बाद शोक से उनकी मृत्यु हो गई।
क्रमांक 273 – 274. सूची में क्रमांक 327/1056 और 328/1057 के अंतर्गत, 5 अगस्त 1993 को झब्बल पुलिस स्टेशन के एसएचओ द्वारा एफआईआर क्रमांक 71/93 के तहत किए गए दो शवदाह का उल्लेख है। ये शवदाह इस प्रकार हैं: [1] परमजीत सिंह उर्फ पम्मा, पुत्र सुलाखन सिंह, निवासी पंजवार; और [2] सुखदेव सिंह उर्फ बिट्टू, पुत्र पूरन सिंह, निवासी बुचर कलां। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को केएसएस 19/93 और केएसएस 20/93 के रूप में अंकित किया गया है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
सीसीडीपी ने सुखदेव सिंह के बारे में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की है। घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01610 है। मुख्य सूचनादाता पीड़ित का भाई बलदेव सिंह है।
पूरन सिंह और गुरमेज कौर के पुत्र, पच्चीस वर्षीय सुखदेव सिंह थे।
अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल के झब्बल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले भुचर कलां गांव का निवासी। उनका परिवार बपतिस्मा प्राप्त, धर्मनिष्ठ सिखों का परिवार था, जो परंपरागत रूप से अकाली दल की राजनीति से जुड़ा हुआ था।
सुखदेव के बड़े भाई परमजीत सिंह ने आंदोलन में भाग लिया था।
अकाली दल, जिसका गठन जुलाई 1982 में पंजाब के लिए एक व्यापक स्तर की स्वायत्तता प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया था, और जरनैल सिंह भिंडरांवाले के एक करीबी अनुयायी के रूप में, स्वर्णिम 366 सिद्धांतों की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे, जो बाद में राख में तब्दील हो गए।

जून 1984 में सेना के हमले के खिलाफ सुखदेव के परिवार के सदस्यों ने स्वर्ण मंदिर का विरोध किया था। उनके सबसे बड़े भाई बलदेव सिंह उस समय सेना में थे। स्वर्ण मंदिर के विध्वंस के बाद, बलदेव सिंह ने हजारों सिख सैनिकों के साथ विरोध प्रदर्शन करते हुए अपनी नौकरी छोड़ दी। बाद में

[illegible]
[illegible] 1993 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] 329/1066 [illegible]
[illegible] 330/1070 [illegible] 624/1067, 625/1068 [illegible] 626/1069 [illegible]
[illegible] CCDP/01086 [illegible]

सीबीआई की सूची में क्रमांक 329/1066 पर दर्ज शवों की पहचान प्रेम सिंह के पुत्र काका के नाम से हुई है। उनका नाम हरमेश कुमार था, जो 27 वर्ष के थे, जन्म से हिंदू थे और चाचा चौधरी के स्वामित्व वाली तरन तारन स्थित एक गोला बारूद कारखाने में कार्यरत थे। हरमेश कुमार अविवाहित थे और फर्जी मुठभेड़ के समय अपने बड़े भाई बद्री नाथ और माता प्रकाश देवी के साथ तरन तारन शहर के जंडियाला रोड स्थित उजागर सिंह गली में किराए के मकान में रहते थे। उनके पिता का नाम खेम चंद था, जिनकी मृत्यु दिसंबर 1997 में हुई थी। सीबीआई की सूची में उनका नाम प्रेम सिंह दर्ज है।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (367)

हालांकि हरमेश कुमार का जन्म हिंदू और ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन वे इससे प्रभावित थे।
हरमेश सिख धर्म का अनुयायी था और प्रतिदिन तरन तारन के ऐतिहासिक गुरुद्वारे में दर्शन करने जाता था। हरमेश किसी भी राजनीतिक या उग्रवादी समूह से जुड़ा नहीं था और उसे कभी गिरफ्तार या पूछताछ के लिए नहीं ले जाया गया था।
14 अगस्त 1993 की शाम को, एसपी (ऑपरेशन) के नेतृत्व में एक बड़ी पुलिस टुकड़ी ने कार्रवाई की।
खूबी राम और डीएसपी गुरमीत सिंह, डीएसपी दिलबाग सिंह, डीएसपी परमजीत सिंह तेजा, सीआईए स्टाफ के इंस्पेक्टर राम नाथ, एसआई तेग बहादुर सिंह और एएसआई सुखदेव जोशी समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों की टीम ने तरन तारन स्थित हरमेश कुमार के घर पर छापा मारा। परिवार रात के खाने के लिए इकट्ठा हुआ था और पुलिस के घर में घुसते ही वे दंग रह गए। पुलिस ने हरमेश कुमार और बद्री नाथ पर धावा बोल दिया, उनके हाथ पीछे बांध दिए, आंखों पर पट्टी बांध दी और उन्हें जबरन पुलिस वाहन में बिठा दिया। जब उनकी मां प्रकाश देवी घबराकर रोने लगीं, तो पुलिस अधिकारियों ने उन्हें गाली दी और चुप रहने का आदेश दिया। पुलिसकर्मियों द्वारा मारपीट किए जाने की आशंका से बद्री नाथ ने उन्हें शांत रहने के लिए कहा। एक बुजुर्ग महिला होने के नाते, वह वैसे भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थीं।
अगले छह दिनों तक पुलिस ने बद्री नाथ और हरमेश कुमार को बेरहमी से प्रताड़ित किया।
तरन तारन स्थित सीआईए स्टाफ पूछताछ केंद्र में, पूछताछ करने वालों ने उन पर सिख उग्रवादियों से संबंध रखने का आरोप लगाया और उन्हें कबूलनामा करने का आदेश दिया। दोनों भाई आरोपों से इनकार करते रहे। उन पर अत्याचार जारी रहा। पूछताछ के दौरान, उन्होंने उन्हीं पुलिसकर्मियों को तीन सिखों के बाल मुंडवाते और फिर उन्हें हत्या के लिए ले जाते हुए देखा। छह दिन बाद, अत्याचार के कारण बद्री नाथ और हरमेश कुमार दोनों अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे थे। डीएसपी दिलबाग सिंह उन्हें पंजाब पुलिस के एक कांस्टेबल के क्वार्टर में ले गए और उन्हें वहां एक कमरे में बंद कर दिया। उन पर अत्याचार के साथ लगातार पूछताछ जारी रही। हरमेश कुमार कई बार बेहोश हो गए। कुछ दिनों बाद, देर शाम, डीएसपी परमजीत सिंह तेजा और सब-इंस्पेक्टर तेग बहादुर सिंह ने बद्री नाथ को बताया कि उन्हें हरमेश को रिहा करने का निर्देश मिला है और वे उसे भी कुछ दिनों बाद छोड़ देंगे, और फिर उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर ले गए। बद्री नाथ को डीएसपी दिलबाग सिंह के कार्यालय परिसर में कांस्टेबल के क्वार्टर में ही रखा गया था, जहां सौभाग्य से उनके

एक मित्र, प्रताप सिंह के पुत्र जगजीत सिंह जग्गी ने उन्हें देख लिया। अगले कुछ दिनों में, जगजीत सिंह और बद्री नाथ के कई अन्य मित्रों ने डीएसपी दिलबाग सिंह से मिलकर उनकी रिहाई की गुहार लगाई। डीएसपी ने 200,000 रुपये की मांग की और धमकी दी कि अगर एक सप्ताह के भीतर रकम नहीं दी गई तो बद्री नाथ को जान से मार दिया जाएगा। बद्री नाथ के मित्रों ने इस धमकी को गंभीरता से लिया और डीएसपी दिलबाग सिंह को मांगी गई रकम देकर लगभग 15 सितंबर 1993 को उनकी रिहाई करवा ली।
अपनी रिहाई के बाद, बद्री नाथ को एहसास हुआ कि उसके भाई हरमेश कुमार ने लापता हो गया। लंबे समय तक यातना झेलने के कारण बद्री नाथ की शारीरिक हालत गंभीर थी और वे कई हफ्तों तक हिल-डुल भी नहीं सकते थे। परिवार में हरमेश कुमार के मामले को आगे बढ़ाने वाला कोई और नहीं था। बद्री नाथ के दोस्तों ने उन्हें 4 सितंबर 1993 की हिंदी अखबार 'पंजाब केसरी' की प्रति दिखाई, जिसमें जंडियाला रोड निवासी खेम सिंह के बेटे हरमनदीप सिंह और उसके चार अज्ञात साथियों की दो अलग-अलग पुलिस मुठभेड़ों में हुई हत्या की खबर छपी थी। एसएसपी अजीत सिंह संधू द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित इस खबर में उन्हें बब्बर खालसा से जुड़े खूंखार आतंकवादी बताया गया था।
हालांकि, समाचार रिपोर्ट में तारीखों में विसंगति का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।
एक ही एफआईआर संख्या 44/93 के तहत किए गए दाह संस्कारों की संख्या: हरमनदीप सिंह का दाह संस्कार 7 सितंबर को क्यों किया गया जबकि मुठभेड़ों की सूचना 368 में दी गई थी?

4 सितंबर 1993 के एक समाचार पत्र में क्या लिखा था? जसवंत सिंह उर्फ जस्सा, जो बीर सिंह का पुत्र था, और तीन अज्ञात शव, क्रमांक 624/1067, 625/1068 और 626/1069 के अंतर्गत, 13 सितंबर 1993 को एसआई तेग बहादुर सिंह द्वारा क्यों जलाए गए थे?
बद्री नाथ के पुलिस हिरासत से रिहा होने के कुछ दिनों बाद डीएसपी दिलबाग सिंह आए।
पुलिस उसे घर ले गई और फिर से तरनतारन शहर पुलिस स्टेशन ले गई। एसएसपी के हस्तक्षेप के बाद उसे रिहा कर दिया गया, क्योंकि बद्री नाथ ने अपने भाई के मामले को आगे न बढ़ाने का वादा किया था। बद्री नाथ तब तक कुछ नहीं कर पाए जब तक कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने गुप्त दाह संस्कार के मामले की जांच शुरू नहीं कर दी। बद्री नाथ ने एक याचिका लिखी और अमृतसर स्थित सीबीआई कार्यालय में उनसे मुलाकात की, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। सीबीआई अधिकारियों ने उन्हें बताया कि उन्होंने अपनी जांच पूरी कर ली है और अब वे कोई और शिकायत स्वीकार नहीं करेंगे।
2000 की शुरुआत में, टार्न तारन शहर पुलिस स्टेशन से संबंधित पुलिस अधिकारियों ने फिर से
बद्री नाथ को उनके घर से अगवा कर लिया गया। अपहरणकर्ताओं को 5000 रुपये रिश्वत देने और अपने भाई का मुकदमा न चलाने का वादा करने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। बाद में, बद्री नाथ ने तरन तारन पुलिस द्वारा अपने अपहरण की शिकायत राष्ट्रीय राष्ट्रीय आयोग (एनएचआरसी) में दर्ज कराई और रिश्वत के तौर पर दी गई रकम और अपने भाई का मुकदमा न चलाने के वादे का भी जिक्र किया। एनएचआरसी ने 11 जुलाई 2000 को पत्र संख्या 100/19/2000-2001 के माध्यम से उनकी शिकायत स्वीकार की। सहायक रजिस्ट्रार (कानून विभाग)

द्वारा हस्ताक्षरित स्वीकृति पत्र में यह भी कहा गया कि उनकी शिकायत जांच के लिए एसएसपी तरन तारन को भेजी जा रही है। बद्री नाथ से उनकी शिकायत के बारे में पूछने के लिए कोई उनसे मिलने नहीं आया और उन्हें नहीं पता कि जांच का क्या हुआ।
बद्री नाथ और उनकी मां अब मुरादपुर में, खाद्य निगम के पास रहते हैं। भारत का गोदाम, तरन तारन शहर में स्थित है।

अमृतसर पुलिस जिले में दाह संस्कार
277. क्रमांक 53/1 के अंतर्गत सूची में तरन तारन के थोरू गांव के रूर सिंह के पुत्र तेजिंदर सिंह के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो 18 अप्रैल 1988 को अमृतसर के सदर पुलिस स्टेशन में एफआईआर संख्या 173/88 के अंतर्गत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है और मृत्यु का कारण "गोली लगने से लगी चोटें" बताया गया है।
सीसीडीपी ने अपनी घटना रिपोर्ट के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की है।
प्रपत्र संख्या CCDP/01384. मुख्य सूचनादाता पीड़ित का पिता है। पच्चीस वर्षीय तेजिंदर सिंह, अरूर सिंह के पुत्र, पट्टी के निवासी थे।
तेजिंदर अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल के थारू गांव में ताल वाली परिवार में रहते हैं। स्कूल की परीक्षा पूरी करने के बाद, तेजिंदर ने एक डॉक्टर के क्लिनिक में काम किया और कुछ वर्षों बाद गांव पंजवार में अपना निजी क्लिनिक खोला।
लगभग 1985 में, तेजिंदर को भीखीविंड पुलिस ने इस आरोप पर गिरफ्तार किया था कि
वह सिख उग्रवादियों की मदद कर रहा था। उस पर टाडा के तहत आरोप लगाया गया और उसे नाभा जेल भेज दिया गया। कुछ समय बाद, तेजिंदर को अमृतसर जेल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहाँ वह अप्रैल 1988 तक कैद रहा। 18 अप्रैल 1988 को, दो कांस्टेबल तेजिंदर के घर, थारू गाँव में, उसके परिवार को उसकी मृत्यु की सूचना देने आए। अरूर सिंह, दो ग्राम बुजुर्गों के साथ, तुरंत अमृतसर के सदर पुलिस स्टेशन गए। अरूर सिंह को सिविल अस्पताल जाने के लिए कहा गया, जहाँ उन्हें पता चला कि पोस्टमार्टम के बाद,
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (369)

पुलिस शव को दुर्गियाना मंदिर के श्मशान घाट ले गई थी। जब तक अरूर सिंह वहां पहुंचे, तेजिंदर का अंतिम संस्कार हो चुका था। लेकिन वहां मौजूद कुछ पुलिसकर्मियों ने उन्हें बताया कि तेजिंदर सिंह पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश करते समय मारा गया था।
पंजाबी अखबार अजीत ने कथित तौर पर 19 तारीख को इस घटना के बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी।
अप्रैल 1988। लेकिन परिवार ने तब से इसकी प्रति खो दी है। हालांकि अरूर सिंह को पूरा यकीन था कि उनके बेटे के पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की कहानी झूठी थी, लेकिन पंजाब में उस समय पुलिस का आतंक चरम पर था, इसलिए वे इस मामले को आगे नहीं बढ़ा सके।
278. क्रमांक 88/6 के अंतर्गत सूची में रैनियां गांव के बहादुर सिंह के पुत्र निशान सिंह के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो अमृतसर के सदर पुलिस स्टेशन के एएसआई लाल सिंह द्वारा 7 जुलाई 1989 को किया गया था। सूची में

एफआईआर क्रमांक नहीं दिया गया है। साथ ही, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी कोई उल्लेख नहीं है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने घटना रिपोर्ट के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की है।
प्रपत्र संख्या CCDP/00461. मुख्य सूचनादाता पीड़ित के पिता बहल सिंह हैं।
खालसा कॉलेज में स्नातक छात्र पच्चीस वर्षीय निशान सिंह।
अमृतसर के रहने वाले निशान सिंह, अमृतसर जिले के अजनाला उपमंडल के लोपोके पुलिस स्टेशन के अंतर्गत रानियां गांव के निवासी थे। उनके पिता का नाम बहल सिंह था, न कि बहादुर सिंह जैसा कि सीबीआई की सूची में दिया गया है। वे 12 एकड़ जमीन के किसान थे, जिसकी सिंचाई वे ट्यूबवेल से करते थे। निशान सिंह विवाहित थे और उनके दो बच्चे थे। लेकिन उनकी पत्नी ने बाद में पुनर्विवाह कर लिया है और परिवार को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है।
निशान सिंह हर सुबह कॉलेज के लिए निकलता था और घर लौटता था।
शाम को। उनके परिवार के अनुसार, उनका किसी भी राजनीतिक या उग्रवादी संगठन से कोई संबंध नहीं था। 18 जून 1989 की सुबह तड़के, सीआरपीएफ की एक टुकड़ी के साथ भारी पुलिस बल ने बहल सिंह के घर को घेर लिया, उन्हें निर्वस्त्र कर दिया और उनसे उनके खेत में ट्यूबवेल के कमरे में सो रहे निशान सिंह के ठिकाने के बारे में बताने के लिए मजबूर किया। निशान सिंह को गिरफ्तार कर अमृतसर ले जाया गया। बार-बार पूछताछ के बाद, बहल सिंह को अगली सुबह सदर पुलिस स्टेशन आने के लिए कहा गया।
बहल सिंह अपने भाई दिलीप सिंह और गांव के पांच बुजुर्गों के साथ।
अगली सुबह जब वह सदर पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसे पता चला कि पुलिस ने उसके बेटे को शहर के बीचोंबीच स्थित बी.आर. मॉडल स्कूल के पूछताछ केंद्र में भेज दिया है। पुलिस ने बहल सिंह को पूछताछ केंद्र में प्रवेश नहीं करने दिया, लेकिन वह किसी अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने की उम्मीद में प्रतिदिन बाहर इंतजार करता रहा।
20 जून 1989 को अमृतसर के एसएसपी संजीव गुप्ता ने निशान सिंह को अदालत के समक्ष पेश किया।
शहर में पत्रकारों के एक समूह से बातचीत के दौरान, निशान सिंह ने बताया कि वह भिंडरांवाले टाइगर्स फोर्स नामक सिख उग्रवादियों के एक समूह से संबंधित है और पंजाब और दिल्ली में कई बम विस्फोटों के लिए जिम्मेदार रहा है। उसने 12 जून 1989 को दिल्ली रेलवे प्लेटफॉर्म पर बम रखने की बात कबूल की, जिसमें कई लोग मारे गए थे। एसएसपी संजीव गुप्ता ने मीडिया को बताया कि एसपी (ऑपरेशन) हरभजन चंद के नेतृत्व में पंजाब पुलिस और सीआरपीएफ की एक संयुक्त टीम ने 19 जून की रात अमृतसर के पुतली नगर इलाके के महल गांव से निशान सिंह और बलबीर सिंह को गिरफ्तार किया था। दोनों व्यक्ति आतंकवादी अपराध को अंजाम देने के इरादे से स्कूटर पर सवार थे। उनके पास एके-47 राइफलें, प्लास्टिक विस्फोटक, हथगोले और बम विस्फोट में इस्तेमाल होने वाले अन्य उपकरण थे।
370 राख में तब्दील

प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट पढ़ने के बाद, उनके बेटे ने जो कबूलनामा किया था,
एसएसपी द्वारा अपनी गिरफ्तारी के बारे में दिए गए झूठे बयान से बहल सिंह बहुत चिंतित हो गए और अमृतसर पुलिस अधिकारियों से अच्छे संबंध रखने वाले

[illegible]

[illegible] 279 – 280. [illegible] 121/7 [illegible] 122/8 [illegible], [illegible] [illegible] 30 [illegible] 1990 [illegible] [illegible] [illegible] 439/90 [illegible]: [1] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]; [illegible] [2] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] "[illegible]" [illegible]

[illegible] CCDP/00327. [illegible]

[illegible] 22 [illegible]

16 [illegible] 1990 [illegible]

[illegible] 1990 [illegible], [illegible]

[illegible]

मोहन सिंह मल्लियन के प्रयासों के कारण पुलिस ने दोनों को पेश किया। हरिंदर सिंह और परमिंदर सिंह को अदालत में पेश किया गया और मुठभेड़ के बाद उनकी गिरफ्तारी का दावा करते हुए दो दिन की जांच हिरासत की मांग की गई। मजिस्ट्रेट ने हिरासत मंजूर कर ली। हरिंदर के परिवार ने 16 जुलाई को उसके अपहरण के बाद विभिन्न अधिकारियों को भेजे गए टेलीग्राम की प्रतियां पेश कीं और यह साबित करने की कोशिश की कि मुठभेड़ के बाद उसकी गिरफ्तारी का पुलिस का दावा झूठा है। अदालत ने उनकी दलीलें मानने से इनकार कर दिया। हालांकि, दोनों लड़कों के परिवार उनकी हिरासत खत्म होने को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं थे क्योंकि पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश करने का फैसला किया था।
30 अगस्त 1990 को, हरिंदर सिंह और परमिंदर सिंह के परिवार के सदस्यों ने वे अमृतसर की एक अदालत के बाहर इंतजार कर रहे थे, जहां उन्हें आगे की कार्यवाही के लिए पेश किया जाना था। लेकिन उनका इंतजार व्यर्थ गया। पुलिस ने हरिंदर और परमिंदर को पेश नहीं किया।
अगले दिन, अखबारों ने एक मुठभेड़ के बारे में एक कहानी प्रकाशित की, जो एक एसएसपी संजीव गुप्ता द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि परमिंदर सिंह और हरिंदर सिंह 29 अगस्त की रात बहोरू गांव के पास आतंकवादियों के एक समूह द्वारा उन्हें बचाने के प्रयास के दौरान हुई गोलीबारी में मारे गए। एसएसपी के बयान में दावा किया गया है कि मुठभेड़ तब हुई जब पुलिस झब्बल क्षेत्र में छिपाए गए हथियारों को बरामद करने के बाद खालिस्तान लिबरेशन फोर्स से संबंधित आतंकवादियों के साथ लौट रही थी।
पुलिस ने शीतला मंदिर श्मशान घाट में 372 शवों का अंतिम संस्कार किया।

30 अगस्त 1990 को अमृतसर में, जब परिवार अदालत के बाहर इंतजार कर रहे थे, जहां उनके बेटों को पेश किया जाना था।
क्रमांक 281 – 284 के अंतर्गत, सूची में अमृतसर के सदर पुलिस स्टेशन के एसएचओ द्वारा 23 फरवरी 1991 को किए गए चार शवदाह का उल्लेख है। इनमें कोई एफआईआर या पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्रमांक नहीं है। शवदाह में निम्नलिखित व्यक्तियों का नाम दर्ज है: [1] दलबीर सिंह, पिता करनैल सिंह, निवासी इस्लामाबाद; [2] राजिंदर सिंह, पिता प्रीतम सिंह, निवासी गुरुनानकपुरा, अमृतसर; [3] विजय कुमार, पिता जोगिंदर पाल पंडित, निवासी इस्लामाबाद; और [4] हरीश चंद्र, पिता इंदरजीत, निवासी नवाकित। मृत्यु का कारण "गोली लगने से लगी चोटें" बताया गया है।
समिति ने घटना के पुनरावलोकन के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है-
राजिंदर सिंह के मामले से संबंधित पोर्ट फॉर्म संख्या CCDP/01175। मुख्य सूचनादाता पीड़िता की मां नरिंदर कौर हैं।
पच्चीस वर्षीय राजिंदर सिंह एक वेल्डर थे जो मकान नंबर 1400 में रहते थे। अमृतसर के इस्लामाबाद पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ज्वाला आटा मिल डाकघर के पास गुरु नानकपुरा की गली संख्या 13 में रहने वाले राजिंदर सिंह, जो दाढ़ी-मूंछ साफ किए हुए सिख थे, अविवाहित थे और अपने माता-पिता प्रीतम सिंह और नरिंदर कौर के साथ रहते थे। उनका किसी भी राजनीतिक संगठन से कोई संबंध नहीं था और उन्हें कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था।
फरवरी 1991 के पहले सप्ताह में, अमरीसर पुलिस ने राजिंदर सिंह को गिरफ्तार किया और

शहर में हुई डकैतियों में संलिप्तता के संदेह में चार अन्य युवकों को पुलिस ने दस दिनों से अधिक समय तक अवैध रूप से हिरासत में रखा, उन्हें यातना देकर पूछताछ की और फिर अमृतसर के सदर और बी डिवीजन पुलिस स्टेशनों में दो अलग-अलग मामलों में उन्हें फंसाया। सदर स्टेशन में एफआईआर संख्या 622/90 के तहत दर्ज मामले में उन पर आईपीसी की धारा 457 (रात में घर में घुसपैठ या सेंधमारी) और 380 (घर में चोरी) के तहत आरोप लगाए गए। बी डिवीजन पुलिस स्टेशन में एफआईआर संख्या 32/91 के तहत दर्ज दूसरे मामले में उन पर आईपीसी की धारा 395 (पांच या अधिक व्यक्तियों के समूह में डकैती), शस्त्र अधिनियम की धारा 25/54/59 और टाडा की धारा 3, 4 और 5 के तहत आरोप लगाए गए। उन्हें अमृतसर की एक अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें आगे की पुलिस हिरासत में भेज दिया। राजिंदर सिंह और चार अन्य लोग 23 फरवरी 1991 को सदर पुलिस स्टेशन की हिरासत में थे, जब कथित तौर पर एक मुठभेड़ में उनकी मौत हो गई।
अजीत समेत कई अखबारों में मुठभेड़ से जुड़ी कहानी प्रकाशित हुई।
24 फरवरी 1991 की घटना विरोधाभासों से भरी थी और उपलब्ध जानकारी के आधार पर जितने सवालों के जवाब देना संभव है, उससे कहीं अधिक सवाल खड़े करती है। कुछ समाचार पत्रों ने मुठभेड़ को भिट्टोविद्द गांव के पास बताया। अन्य ने एसएसपी संजीव गुप्ता के हवाले से कहा कि मुठभेड़ नवान कोट गांव के पास हुई थी। बाद की रिपोर्टों में मुठभेड़ को घोषाबाद गांव में बताया गया। एक खबर के अनुसार, सदर पुलिस स्टेशन के एसएचओ मोहिंदर सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल पांच अपराधियों को उनके हथियार और गोला-बारूद बरामद करने और उनके अन्य साथियों को पकड़ने के लिए ले जा रहा था। रास्ते में, घात लगाकर बैठे आतंकवादियों के एक समूह ने उस पुलिस वाहन पर हमला कर दिया जिसमें पांचों अपराधी यात्रा कर रहे थे और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी गोलीबारी की और परिणामस्वरूप हुई मुठभेड़ में पुलिस हिरासत में मौजूद सभी पांचों आतंकवादी मारे गए। उनके नाम गुरबचन सिंह, दलबीर सिंह, राजिंदर सिंह, विजय कुमार और हरीश चंद्र बताए गए। अमृतसर से पंजाबी अखबार अजीत के स्टाफ रिपोर्टर ने एसएसपी के स्पष्टीकरण वाले प्रेस बयान का हवाला देते हुए कहा कि 6 फरवरी को गिरफ्तार किए गए सभी पांचों लोग आतंकवादी नहीं थे, बल्कि डकैती में शामिल अपराधी थे।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (373)

बैंक डकैतियों के मामले में एसएसपी ने अपने प्रेस बयान में दावा किया है कि उन्होंने इन डकैतियों से 20 लाख रुपये नकद और उससे भी अधिक सोने के आभूषण बरामद किए हैं।
सीबीआई ने क्रमांक 160/11 से 163/13 तक केवल चार शवदाहों को सूचीबद्ध किया है, जबकि
एसएसपी के बयान और प्रेस रिपोर्टों में कथित मुठभेड़ में मारे गए पांच व्यक्तियों की पहचान की गई है। प्रेस रिपोर्टों में मुठभेड़ में मारे गए पांचवें व्यक्ति की पहचान गुरबचन सिंह, पुत्र करनैल सिंह के रूप में की गई है, जिसका उल्लेख सीबीआई की शवदाह सूची में नहीं है। आश्चर्यजनक रूप से, सीबीआई की अज्ञात शवदाह सूची में, क्रमांक 123/154 से 127/158 तक, यह दर्शाया गया है कि सदर पुलिस स्टेशन ने 23 फरवरी 1991 को पांच शव जलाए थे। क्या ये अलग-अलग शवदाह सीबीआई की क्रमांक 160/11 से 163/13 तक की पहचान की गई शवदाह सूची में दर्शाए गए चार शवदाहों से जुड़े थे? क्या अज्ञात सूची

में पांचवां शव गुरबचन सिंह, पुत्र करनैल सिंह का था? क्या गुरबचन सिंह, दलबीर सिंह का भाई था, जैसा कि पिता के नाम से पता चलता है?
सीबीआई द्वारा चिन्हित सूची में शामिल चार शवदाह की सूची पूर्ण नहीं हो सकती क्योंकि
भारतीय दंड संहिता की धारा 395 के तहत अपराध, जो 'बी' डिवीजन पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर संख्या 32/91 द्वारा आरोपित किया गया है, अपनी परिभाषा के अनुसार ही यह आवश्यक है कि पांच या अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा हो। लेकिन फिर एसएसपी के इस स्पष्टीकरण का क्या अर्थ निकाला जाए कि
मुठभेड़ में मारे गए लोग उग्रवादी या आतंकवादी नहीं थे, बल्कि विशुद्ध अपराधी थे, जबकि उनके खिलाफ 'बी' डिवीजन पुलिस स्टेशन में दर्ज उपरोक्त मामले में टीएडीए की धारा 3, 4 और 5 भी शामिल हैं।
अंत में, क्या दो मिलियन रुपये और उससे अधिक की वसूली और ज़ब्ती के दावे भी शामिल हैं?
क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 457, 451 और 452 के तहत आवश्यक प्रक्रिया का पालन करके मूल्यवान सोने के आभूषणों को साबित किया जा सकता है?
285. क्रमांक 167/16 के अंतर्गत, सूची में अमृतसर के सदर पुलिस स्टेशन के हेड कांस्टेबल कश्मीर सिंह द्वारा 21 मार्च 1991 को एफआईआर संख्या 158/91 के तहत किए गए अर्जिंदर सिंह उर्फ टोनी, पुत्र चैन सिंह, निवासी कराईल, अमृतसर के अंतिम संस्कार का उल्लेख है। पोस्टमार्टम को 295/91 के रूप में चिह्नित किया गया है और मृत्यु का कारण "गोली लगने से हुई चोटें" बताया गया है।
सीसीडीपी ने अपनी घटना रिपोर्ट के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
प्रपत्र संख्या CCDP/01088. मुख्य सूचनादाता पीड़ित के पिता चैन सिंह ढिल्लों हैं।
चैन सिंह ढिल्लों के पुत्र, चौबीस वर्षीय अर्जिंदर पाल सिंह, एक जेसीओ थे। लांस नायक के पद पर तैनात अर्जिंदर पाल सिंह अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल के सराय अमंत खान पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कसल गांव की माने की पट्टी के निवासी हैं। उनका परिवार ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भागीदारी के लिए प्रसिद्ध है। उनके दादा बख्शीश सिंह ने पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के लिए साढ़े सात साल जेल में बिताए थे। वे सिख गुरुद्वारों के सुधार के आंदोलन में भी एक प्रमुख व्यक्ति थे, जिसके परिणामस्वरूप 1925 में एसजीपीसी की स्थापना हुई। अर्जिंदर पाल सिंह के पिता चैन सिंह ढिल्लों गांव के एक सम्मानित किसान हैं। अर्जिंदर पाल सिंह के तीन भाई थे: अरसल सिंह, जो कैनरा बैंक में अधिकारी थे; मुहब्बत पाल सिंह, जो पंजाब सरकार के नहर सिंचाई विभाग में थियेन बांध पर तैनात एक ड्राफ्ट्समैन थे; और कुलविंदर सिंह, जो टेलीफोन विभाग में एक तकनीकी ऑपरेटर थे। उनकी एकमात्र बहन बलजीत कौर, जिनका अब विवाह हो चुका है, स्नातकोत्तर हैं।
अरजिंदर पाल सिंह स्वयं परमजीत कौर से विवाहित थे लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी।
मध्य प्रदेश के सागर में तैनात एक सेना अधिकारी, उनका कोई राजनीतिक संबंध नहीं था। 374 राख में तब्दील हो गए।

अक्टूबर 1989 तक उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। दुर्भाग्य से, उसी महीने अरजिंदर पाल छुट्टी पर घर आए और स्थानीय पुलिस के भ्रष्टाचार और मनमानी का शिकार हो गए। 13 अक्टूबर 1989 को, उन्हें झब्बल पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर मेजर सिंह ने गिरफ्तार कर लिया और 1987 में दर्ज तीन आपराधिक मामलों में धारा 302 [हत्या], 307 [हत्या का प्रयास], 147 [दंगा] और 149 [गैरकानूनी सभा से संबंधित होना और सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में अपराध करना], तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 25/54/59 और टाडा की धारा 3 के तहत उन्हें फंसाया गया।

अमृतसर स्थित न्यायमूर्ति एस. संधू की अदालत द्वारा नामित अर्जिंदर पाल सिंह को रिहा कर दिया गया।

उन्हें 19 मई 1990 को जमानत पर रिहा कर दिया गया, और फिर अंततः बरी कर दिया गया।

उन्हें 2 अगस्त 1990 को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया।

अरजिंदर पाल सिंह के जमानत पर रिहा होने के बाद, अमृतसर पुलिस ने उसे हिरासत में लेना शुरू कर दिया।

पुलिस ने उन्हें गैरकानूनी रूप से हिरासत में लिया और उनके संदिग्ध उग्रवादी संबंधों के बारे में यातना देकर उनसे पूछताछ की। इसी बीच, आपराधिक आरोपों में जेल में बंद होने के कारण अरजिंदर पाल की सेना में नौकरी चली गई थी। पंजाब में राज्य के दमन के कारण वे बहुत कड़वे हो गए थे। 20 फरवरी 1991 को पुलिस ने एक बार फिर उनके घर पर छापा मारा और उनके भतीजे कंवल नैन सिंह का अपहरण कर लिया, जो बाद में लापता हो गए। अरजिंदर पाल सिंह ने पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित किया।

18 मार्च 1991 की सुबह तड़के, डीएसपी गुरदेव सिंह और इंस्पेक्टर मोहिंदर

अमृतसर के सदर पुलिस स्टेशन के सिंह ने 15 से 20 पुलिसकर्मियों के एक दल के साथ एक बार फिर उनके घर पर छापा मारा और अर्जिंदर पाल सिंह का अपहरण कर लिया। वे परिवार को न तो अर्जिंदर पाल सिंह के अपराध के बारे में बता पाए और न ही उसे कहाँ ले जा रहे हैं, यह जानकारी दिए बिना ही उसे अपने साथ ले गए। हालांकि, चैन सिंह ढिल्लों ने अपने स्थानीय संपर्कों का इस्तेमाल करते हुए पता लगाया कि उनका बेटा अमृतसर के सदर पुलिस स्टेशन में बंद है और 20 मार्च 1991 को उससे वहाँ मिलने में कामयाब रहे। अर्जिंदर पाल सिंह की हालत खराब थी और उन्हें ठंड लग रही थी। चैन सिंह ने उन्हें अपना शॉल दिया और और कपड़े लाने का वादा किया। हालांकि, अगले दिन जब वे वापस पुलिस स्टेशन गए तो उन्हें अपने बेटे से मिलने नहीं दिया गया।

22 मार्च 1991 को चैन सिंह ने अखबारों में एक रिपोर्ट पढ़ी जिसमें बताया गया था कि एक खूंखार

अरजिंदर सिंह नामक आतंकवादी, जो चैन सिंह का पुत्र था, अमृतसर सदर पुलिस के साथ बोहरू गांव के पास नहर के पुल पर हुई भीषण मुठभेड़ में मारा गया। पुलिस ने परिवार को बिना बताए ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया और पुलिस के आतंक के कारण चैन सिंह कुछ भी नहीं कर सका।

1997 में, अधिवक्ता राजविंदर सिंह बैंस के माध्यम से चैन सिंह ने एक याचिका दायर की।

चैन सिंह ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में अपने बेटे के अपहरण और हत्या की परिस्थितियों की स्वतंत्र जांच की मांग करते हुए याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने याचिका (रिट याचिका संख्या 29677/1997) को इस आधार पर खारिज कर दिया कि घटना को कई वर्ष बीत चुके थे। अंततः, वकील के अनुरोध पर, याचिका वापस ले ली गई और चैन सिंह ने पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को अपने बेटे और पोते की हत्या की जांच की मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

286. क्रमांक 168/17 के अंतर्गत सूची में कुलदीप सिंह के अंतिम संस्कार का उल्लेख है।

सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (375)

मंगली, पिता गुरजीत सिंह, निवासी मल्ही (वेरोवाल), की मृत्यु ए डिवीजन पुलिस स्टेशन के एसएचओ द्वारा 24 मार्च 1991 को एफआईआर संख्या 66/91 के तहत कराई गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट संख्या नहीं दी गई है। मृत्यु का कारण "गोली लगने से हुई चोटें" बताया गया है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01637 के अंतर्गत, CCDP ने निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है:
कुलदीप सिंह के मामले से संबंधित जानकारी का अनुसरण किया जा रहा है। उनके चाचा मास्टर हरजीत सिंह मुख्य सूचनादाता हैं।
सुरजीत सिंह और सुरिंदर कौर के पुत्र छब्बीस वर्षीय कुलदीप सिंह एक कुलदीप अमृतसर जिले के खदुर साहिब उपमंडल के वेरोवाल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सरहल्ली खुर्द गांव के निवासी हैं। उनके माता-पिता का तलाक हो चुका था और उनके पिता सुरजीत सिंह विदेश में रहते थे। कुलदीप ने 1983 में मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में भर्ती हो गए। मई 1984 में, कुलदीप छुट्टी पर अपने गांव आए और स्वर्ण मंदिर दर्शन करने गए, तभी सेना ने हमला करने की तैयारी कर ली। अमृतसर में कर्फ्यू लगा दिया गया और कुलदीप स्वर्ण मंदिर के अंदर फंस गए। सेना के अभियान के बाद कुलदीप को गिरफ्तार कर लिया गया और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के तहत 1989 तक राजस्थान के जोधपुर जेल में हिरासत में रखा गया। रिहाई के बाद भी पुलिस उनके घर पर छापेमारी करती रही। उन्हें पहले ही सेना से बर्खास्त कर दिया गया था। उन्हें अवैध रूप से उठाया गया और पूछताछ के दौरान प्रताड़ित किया गया। कुलदीप अंततः लगातार उत्पीड़न से तंग आकर घर छोड़कर भूमिगत उग्रवादी संगठन में शामिल होने का फैसला किया। उनकी मां को भी अवैध गिरफ्तारी और यातना से बचने के लिए अपने भाई के साथ रहने के लिए जाना पड़ा। गांव में केवल उनके चाचा हरजीत सिंह ही रहते थे।
लगभग 21 मार्च 1991 को हरजीत सिंह को पता चला कि उनके भतीजे कुलदीप ने हरजीत सिंह को अमृतसर शहर में गिरफ्तार कर लिया गया और उन्होंने इसकी सूचना अपनी मां सुरिंदर कौर को दी। हरजीत सिंह के अनुसार, सुरिंदर कौर तुरंत अमृतसर गईं और अपने बेटे की ओर से हस्तक्षेप करने के लिए किसी प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्ति से संपर्क करने की असफल कोशिश की।
25 मार्च 1991 को कई समाचार पत्रों ने कुलदीप सिंह की मृत्यु की खबर प्रकाशित की।
खबरों के मुताबिक, पुलिस से घिरे सरहल्ली गांव के उग्रवादी कुलदीप सिंह ने साइनाइड खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने परिवार को बिना बताए ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया।
यह वाकई आश्चर्यजनक है कि सीबीआई की सूची में मृत्यु का कारण "गोली" बताया गया है।
"चोटें" शब्द का तात्पर्य पोस्टमार्टम रिपोर्ट से नहीं है।
क्रमांक 186/20, 187/21 और 188/22 के अंतर्गत दी गई सूची में अमृतसर के सदर पुलिस स्टेशन के एएसआई संतोख सिंह द्वारा एफआईआर क्रमांक 362/91 के तहत 5 जुलाई 1991 को किए गए तीन शवदाहों का उल्लेख है। ये शव हैं: [1] निर्वेल सिंह, पिता दरबारा सिंह, निवासी जगतपुर; [2] सुखबीर सिंह, पिता अत्तम सिंह, निवासी ठाके; और [3] जगदीश मसीह, पिता गुरदयाल मसीह, निवासी

तुर्दी (टीटी), खपरखेरी। सूची में पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्रमांक का उल्लेख नहीं है और मृत्यु का कारण "गोली लगने से लगी चोटें" बताया गया है। सीसीडीपी ने अपनी घटना रिपोर्ट के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की है।
फॉर्म संख्या CCDP/01314, निरवैल सिंह के मामले से संबंधित है, और अधिक जानकारीपूर्ण घटना-रिपोर्ट फॉर्म संख्या CCDP/01472 और 01488 क्रमशः कुलवंत सिंह और सुखबीर सिंह के मामलों से संबंधित हैं। मुख्य सूचनादाता निरवैल सिंह, कुलवंत सिंह और सुखबीर सिंह के पिता हैं। वे दरबारा सिंह ढिल्लों, महल सिंह फौजी और आत्मा सिंह ढिल्लों हैं। सुखबीर सिंह के पिता का नाम आत्मा सिंह ढिल्लों है, जिसे गलती से अत्तम सिंह लिखा गया है। वे थंडे गांव के निवासी थे, न कि थाके गांव के, जैसा कि सीबीआई की सूची में दिया गया है। कुलवंत सिंह के पिता के 376 शवों का अंतिम संस्कार किया गया।

उनका नाम भी गलती से हरबंस सिंह लिखा गया है, जबकि उनका असली नाम महल सिंह है।
दरबारा सिंह ढिल्लों के पुत्र, अठारह वर्षीय निर्वेल सिंह, कक्षा 10 में पढ़ते थे।
अमृतसर जिले के थथगढ़ डाकघर के अंतर्गत आने वाले जगतपुर गांव का छात्र। 1990 के दशक की शुरुआत में, झब्बल पुलिस ने निरवेल को उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वह अमृतसर जा रहा था।
आतंकवादियों से संबंध होने के संदेह में, उन्हें अवैध हिरासत में 16 दिनों तक बेरहमी से प्रताड़ित किया गया। परिवार ने पुलिस को रिश्वत देकर उनकी रिहाई करवाई। रिहाई के बाद, निरवेल ने अपने माता-पिता को बताया कि पुलिस हिरासत में यातना और अपमान सहने के बाद, वह अब सामान्य जीवन नहीं जी सकता। वह घर छोड़कर चला गया। उसके परिवार का उससे सारा संपर्क टूट गया। 4 जुलाई 1991 को अमृतसर पुलिस ने कीर्तनपुर के पास एक भीषण मुठभेड़ को अंजाम दिया।
और उन्होंने निर्वैल सिंह समेत चार खूंखार आतंकवादियों को मार गिराने का दावा किया। इस मुठभेड़ का विस्तृत घटनाक्रम अमृतसर में चर्चा का विषय बन गया और दरबारा सिंह को पता चला कि उनके बेटे की हत्या कर दी गई है। हालांकि पुलिस ने परिवार को अंतिम संस्कार की सूचना नहीं दी, फिर भी वे अगले दिन दुर्गाना मंदिर श्मशान घाट गए और वहां उन्होंने अपने बेटे और तीन अन्य लोगों के शवों को चिता पर जलते देखा। उनमें से एक कुलवंत सिंह, महाल सिंह का पुत्र था, जिसका अंतिम संस्कार क्रमांक 189/27 के तहत सीबीआई की आंशिक रूप से पहचाने गए शवों की दूसरी सूची में दर्ज है। उसकी कहानी संबंधित अनुभाग में संक्षेप में दी गई है।
30 वर्षीय सुखबीर सिंह उर्फ सुखा का मामला अविश्वसनीय है। सबसे छोटा बेटा अमृतसर के सदर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ज्वाला आटा मिल डाकघर के पास स्थित थांदे गांव के निवासी आत्मा सिंह और हरबंस कौर के पुत्र सुखबीर 1985 में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए और वहां टैक्सी चालक के रूप में काम करने लगे। यह उनके जीवन का एक सुनहरा मोड़ था, क्योंकि बचपन में उन्हें पोलियो हो गया था और इसलिए वे लंगड़ाकर चलते थे। उनके पिता के अनुसार, सुखबीर अमेरिकी नागरिक बन गए और राजवंत कौर से शादी कर ली। 1991 में सुखबीर पंजाब में अपने परिवार से मिलने आए थे। आत्मा सिंह बताते हैं कि सुखबीर का कोई

राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी और पंजाब पुलिस ने उन्हें कभी गिरफ्तार नहीं किया था।
4 अगस्त 1991 को सुबह लगभग 9 बजे, सुखबीर कई अन्य यात्रियों के साथ शामिल हो गया।
अमृतसर शहर की ओर जा रही एक तिपहिया टैक्सी। पंजाब पुलिस के कुछ अधिकारियों ने सीआरपीएफ की सहायता से थांडे से कुछ ही दूरी पर स्थित कीर्तनगढ़ गांव में एक चेकपोस्ट स्थापित किया था, जहां टैक्सी को नियमित जांच के लिए रोका गया। पुलिस ने सभी यात्रियों को तलाशी के लिए बाहर निकलने को कहा। ऑटो में सुखबीर के बगल में बैठा एक यात्री घबरा गया और खेतों की ओर भागने की कोशिश करने लगा। कुछ पुलिसकर्मी और सीआरपीएफ जवान उसके पीछे दौड़े और कुछ अन्य लोगों ने घबराहट में सुखबीर को अपनी हिरासत में ले लिया। कई प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जब सुखबीर ने विरोध करते हुए कहा कि वह अमेरिकी नागरिक है, तो कुछ पुलिसकर्मियों ने उसे सड़क पर पीटा। इसके बाद पुलिस सुखबीर को घसीटकर कीर्तनगढ़ के एक घर में ले गई, जिसे उन्होंने संदिग्धों से पूछताछ के लिए अपने कब्जे में ले लिया था, और वहां उसे बेरहमी से प्रताड़ित किया और बिजली के झटके दिए। कीर्तनगढ़ के कई निवासियों ने यातना के दौरान उसकी चीखें सुनीं।
कुछ घंटों बाद, सुरक्षा बल भारी संख्या में मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस अभियान को अंजाम दिया।
थांदे से आधा किलोमीटर दूर खपर खेरी गांव के पास एक काउंटर पर सुखबीर, निर्वेल सिंह, कुलवंत सिंह और जगदीश मसीह की हत्या कर दी गई। पुलिस ने परिवार वालों को बिना बताए ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया। सुखबीर की विधवा राजवंत कौर और उनका 11 वर्षीय बेटा जंगबीर अभी भी अमेरिका में रहते हैं।
According to Aatma Singh, the police also killed Sukhbir’s cousin Sukhwinder
एक अलग घटना में, अमृतसर जिले के बरार गांव निवासी मुख्तियार सिंह के पुत्र सिंह को गिरफ्तार किया गया।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (377)

290. क्रमांक 195/23 के अंतर्गत, सूची में बीर सिंह, पुत्र बिरसा सिंह, निवासी खपरखेरी, छेरता, अमृतसर के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो 'बी' डिवीजन पुलिस स्टेशन के एसएचओ चरण दास द्वारा 30 जुलाई 1991 को किया गया था और एफआईआर संख्या 150/91 के अंतर्गत सूचीबद्ध है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट संख्या नहीं दी गई है और मृत्यु का कारण "गोली लगने से हुई चोटें" बताया गया है।
सीसीडीपी ने अपने माध्यम से इस मामले के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01322। मुख्य सूचनादाता पीड़ित के पिता वीरसा सिंह हैं।
तीस वर्षीय बीर सिंह, वीरसा सिंह के पुत्र, सात भाइयों में सबसे बड़े थे।
बीर सिंह अविवाहित थे और अपने पिता को उनकी आठ एकड़ ज़मीन पर खेती करने में मदद करते थे। उनका किसी भी राजनीतिक या उग्रवादी संगठन से कोई संबंध नहीं था। उन्हें कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था।

29 जुलाई 1991 को, सुबह लगभग 11 बजे, बीर सिंह अपने एक मित्र गुरनाम के साथ गए।
थाडे गांव के सिंह अमृतसर शहर के एक सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गए थे। उसी दिन शाम करीब चार बजे गुरनाम सिंह बहुत परेशान होकर घर लौटे और बीर सिंह के माता-पिता को बताया कि पुलिस ने अमृतसर शहर के सुल्तानविंड रोड पर उनके बेटे को गोली मार दी है। वे यह नहीं बता पाए कि पुलिस ने उन्हें गोली क्यों और कैसे मारी। अगले तीन दिनों तक वीरसा सिंह और उनके बेटे शहर के कई पुलिस थानों और अस्पतालों में गए, लेकिन उन्हें बीर सिंह के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। एक हफ्ते बाद, वे एसपी (शहर) से मिलने में कामयाब हुए, जिन्होंने स्वीकार किया कि बीर सिंह की हत्या कर दी गई है और उनके शव का अंतिम संस्कार शीतला मंदिर श्मशान घाट में कर दिया गया है।
पुलिस के आतंक के डर से परिवार मामले को आगे नहीं बढ़ा सका।
अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि पंजाब पुलिस द्वारा बीर सिंह की हत्या क्यों और कैसे की गई और उसका अंतिम संस्कार क्यों किया गया।
वीरसा सिंह ने तब से अपनी कृषि भूमि बेच दी है और अपना निवास स्थान हरार गांव में स्थानांतरित कर लिया है।
Khurd, near Ajnala, in Amritsar district.
291 – 292: क्रमांक 201/25 और 202/26 के अंतर्गत, सूची में 8 अगस्त 1991 को हुए दो शवदाहों का उल्लेख है, जो घरिंदा पुलिस स्टेशन के एसआई बलदेव सिंह द्वारा संपन्न किए गए थे। मामले की एफआईआर संख्या और पोस्टमार्टम रिपोर्ट संख्या नहीं दी गई है। मृत्यु का कारण "गोली लगने से लगी चोटें" बताया गया है। ये शवदाह [1] दलजीत सिंह उर्फ बिल्लू, पुत्र सुचा सिंह, निवासी मोहल्ला बोग, जिला फागवाड़ा; और [2] गुरिंदर सिंह उर्फ जिंदा, पुत्र बख्शीश सिंह, निवासी बसारके कलां के थे।
सीसीडीपी ने अपनी घटना रिपोर्ट के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की है।
प्रपत्र संख्या CCDP/00741. मुख्य सूचनादाता पीड़ित के पिता बख्शीश सिंह हैं।
गुरिंदर सिंह उर्फ गिंडर, बख्शीश सिंह का पुत्र, बासेरके गिलन गांव का निवासी।
अमृतसर के छेहर्टा के पास झब्बल रोड पर रहने वाला गुरिंदर एक हाई स्कूल का छात्र था। उसके दाहिने पैर में पोलियो होने के कारण वह दौड़ नहीं सकता था और उसे चलने के लिए भी सहारे की जरूरत पड़ती थी। गुरिंदर को इससे पहले कभी गिरफ्तार या पूछताछ नहीं की गई थी।
5 जुलाई 1991 को दोपहर करीब 10 बजे, छेहरटा पुलिस स्टेशन के एसएचओ गुरमीत चंद ने पुलिस स्टेशन में प्रवेश किया।
पुलिस बल भारी संख्या में गुरिंदर के घर पर छापा मारने आया। लड़का स्कूल गया हुआ था और उसके पिता शहर में दूध बेचने गए हुए थे। एसएचओ ने बख्शीश सिंह का ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल जब्त कर ली और उसकी पत्नी को निर्देश दिया कि जैसे ही वह वापस लौटे, उसे पुलिस स्टेशन में पेश करे। उसी शाम, बख्शीश सिंह कई ग्राम बुजुर्गों के साथ छेहरटा पुलिस स्टेशन गए और एसएचओ से मिले। एसएचओ ने उन्हें एक कोठरी में बंद कर दिया और धमकी दी कि जब तक उनका बेटा आत्मसमर्पण नहीं कर देता, तब तक उन्हें वहीं रखा जाएगा। बख्शीश सिंह पांच दिनों तक पुलिस लॉकअप में रहे। उन्हें रिहा कर दिया गया। 378 राख में बदल गया

अपने गांव के लोगों के एक बड़े समूह के हस्तक्षेप के बाद, एसएचओ ने अपना ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल बचा ली।
गुरिंदर सिंह स्कूल से घर नहीं लौटा। छेहरटा पुलिस ने सूचना दी।
अगले कुछ हफ्तों में कई बार उसके घर पर छापा मारा गया, और बख्शीश सिंह को गैरकानूनी रूप से हिरासत में लिया गया और उसके बेटे के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए उसे बेरहमी से प्रताड़ित किया गया।
सेना की गश्ती दल ने 5 अगस्त 1991 की सुबह गांव के पास गुरिंदर को गिरफ्तार कर लिया।
मानकपुर। उसी दिन, सेना के गश्ती दल ने बसारके गिलन के रहने वाले मज़हबी सिख लड़के, ईश्वर सिंह के पुत्र अमरिक सिंह को ग्राम परिषद के पूर्व प्रमुख भजन सिंह के फार्महाउस से गिरफ्तार कर लिया। दोनों को पूछताछ के लिए बसारके गिलन स्थित सेना शिविर में लाया गया। कुछ घंटों बाद, सेना के जवानों ने दोनों को छेहरता पुलिस स्टेशन के एसएचओ गुरमीत चंद के हवाले कर दिया। अमरिक सिंह को अगली सुबह रिहा कर दिया गया, लेकिन गुरिंदर पुलिस हिरासत में ही रहा।
9 अगस्त 1991 को, एक पंजाबी दैनिक जगबानी ने सूचनाओं के आधार पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की।
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, फागवाड़ा जिले के बसारके गिलन गांव के बख्शीश सिंह के पुत्र गुरिंदर सिंह और भोरा इलाके के सुचा सिंह के पुत्र दलजीत सिंह उर्फ बिल्ला ने मानिकपुर गांव के पास घरिंदा पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मियों द्वारा घेर लिए जाने पर साइनाइड खाकर आत्महत्या कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक, मरने से पहले दोनों आतंकवादियों ने अपने नाम, पिता का नाम और पता बताकर अपनी पहचान बताई।
समाचार रिपोर्ट पढ़ने के बाद, बख्शीश सिंह, कई अन्य निवासियों के साथ-गांव के निवासी अपने बेटे का शव मांगने घरिंडा पुलिस स्टेशन गए। वहां तैनात एक हेड कांस्टेबल ने उन्हें बताया कि घरिंडा पुलिस स्टेशन का इस ऑपरेशन से कोई लेना-देना नहीं है और अखबारों की खबरों में उनका नाम झूठा छापा गया है। बख्शीश सिंह और उनके साथी शीतला मंदिर श्मशान घाट गए और वहां एक कर्मचारी से पता चला कि दोनों लड़कों का अंतिम संस्कार एक साथ किया गया था। सीबीआई की अज्ञात शवदाह की सूची, क्रमांक 145/203 के तहत, दर्शाती है कि घरिंडा पुलिस ने 9 अगस्त 1991 को एक और शव जलाया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को AKC-FM/451/91 के रूप में चिह्नित किया गया है। सूची में इस अंतिम संस्कार के बारे में कोई अन्य जानकारी नहीं दी गई है और एफआईआर संख्या के अभाव में, यह कहना संभव नहीं है कि यह गुरिंदर सिंह और दलजीत सिंह के अंतिम संस्कार से जुड़ा है या नहीं।
एसएचओ गुरमीत चंद ने इससे पहले एक ट्रैक्टर और एक मोटरसाइकिल जब्त की थी। गुरिंदर की मौत की खबर प्रकाशित होने के कुछ दिनों बाद, एसएचओ ने ट्रैक्टर तो लौटा दिया लेकिन मोटरसाइकिल अपने पास रख ली। कुछ दिनों बाद, अमृतसर की सदर पुलिस ने बख्शीश सिंह को फिर से गिरफ्तार कर हत्या के मामले में फंसा दिया। उसे चार महीने तक अमृतसर जेल में रखा गया। जब मृतक के परिवार ने लिखित बयान देकर कहा कि बख्शीश सिंह का इस मामले से कोई संबंध नहीं है, तो ट्रायल जज ने मामला खारिज कर दिया और उसे बरी कर दिया।
इसी बीच, बख्शीश सिंह के परिवार ने उनकी मोटरसाइकिल बरामद कर ली थी।

स्थानीय नेताओं के हस्तक्षेप से छेहरटा पुलिस स्टेशन से बख्शीश सिंह को रिहा कर दिया गया। इससे एसएचओ गुरमीत चंद नाराज हो गए और उन्होंने कांग पुलिस को उकसाकर बख्शीश सिंह को गिरफ्तार करवाया और सात दिनों तक अवैध पुलिस हिरासत में रखकर उसे फिर से प्रताड़ित किया। हिरासत में हुई यातनाओं के कारण बख्शीश सिंह रिहाई के बाद 15 दिनों तक चल नहीं पाया।
293. क्रमांक 218/27 और 220/28 के अंतर्गत, सूची में 26 सितंबर 1991 को सदर पुलिस स्टेशन के एसएचओ द्वारा किए गए दो शवदाहों की पहचान की गई है, जो एफआईआर संख्या 525/92 के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं। ये शवदाह निम्नलिखित व्यक्तियों के हैं: [1] कश्मीर सिंह उर्फ लांडू, पुत्र
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (379)

कुंदन सिंह, निवासी नेहरू कॉलोनी, अमृतसर; और [2] जसपाल सिंह, पुत्र प्रीतम सिंह, निवासी मुस्तफाबाद। सूची में पोस्टमार्टम रिपोर्ट संख्या नहीं दी गई है। मृत्यु का कारण "आग्नेयास्त्र से लगी चोटें" बताया गया है। सीसीडीपी ने इन मामलों के बारे में निम्नलिखित जानकारी अपने सहयोगियों से प्राप्त की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/00235। मुख्य सूचनादाता जसबीर सिंह के पिता प्रीतम सिंह हैं।
सीबीआई ने जसबीर सिंह का नाम गलती से जसपाल सिंह दर्ज कर लिया है। सोलह-प्रीतम सिंह भासिनिया और पियार कौर के पुत्र, 12 वर्षीय जसबीर सिंह उर्फ जस्सा, अमृतसर जिले के विजय नगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत बटाला रोड स्थित मुस्तफाबाद गांव के निवासी थे। उनका एक डेयरी फार्म था। उनकी पत्नी जसपाल कौर ने बाद में पुनर्विवाह कर लिया था।
अगस्त 1991 के अंत में, शाम लगभग 5 बजे पुलिसकर्मियों का एक समूह आया और जसबीर सिंह का अपहरण यह कहकर किया गया कि वे उसे विजय नगर पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं। लखबीर सिंह मखी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर थे। अगले दिन सुबह 6 बजे प्रीतम सिंह और दो अन्य लोग पुलिस स्टेशन गए। कांस्टेबल ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। सुबह 10 बजे जसबीर की मां पियार कौर जसबीर सिंह के लिए दोपहर का खाना लेकर पुलिस स्टेशन गईं। पुलिस ने उन्हें खुद खाना देने दिया, और उन्होंने देखा कि उनके बेटे को बुरी तरह प्रताड़ित किया गया था। वह हिल-डुल नहीं पा रहा था और अपने हाथों का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा था, इसलिए उन्हें खुद उसे खाना खिलाना पड़ा। रात में जसबीर का भाई रतन सिंह जसबीर के लिए नए कपड़े लेकर स्टेशन गया। रतन सिंह ने जसबीर को नए कपड़े बदलने में मदद की, और उन्होंने देखा कि जसबीर का हाथ टूटा हुआ था।
अगली सुबह पुलिस ने प्रीतम सिंह की बहन अमरिक कौर को मिलने नहीं दिया।
जब वह जसबीर को खाना-चाय देने थाने गई, तो इंस्पेक्टर लखबीर सिंह ने उस पर चिल्लाकर उसे वहां से चले जाने को कहा। कई बार थाने जाने के बावजूद जसबीर सिंह को फिर कभी नहीं देखा गया। पुलिस ने उन्हें थाने में प्रवेश नहीं करने दिया और न ही जसबीर के बारे में कोई जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि उसे आगे की पूछताछ के लिए किसी दूसरी जगह भेज दिया गया है।
दस से पंद्रह दिन बाद, परिवार ने एक समाचार रिपोर्ट पढ़ी जिसमें बताया गया था कि जसबीर सिंह की हत्या कर दी गई है।
सुल्तानविंड के पास गुरुद्वारा मंज के नजदीक एक कथित मुठभेड़ में, एक अन्य लड़के लांडू का नाम भी सीबीआई की सूची में दर्ज है, जिसके बारे में बताया गया है कि जसबीर सिंह के साथ उसकी भी मौत हो गई थी। लांडू की पत्नी ने

[illegible] 219/37 [illegible] 26 [illegible] 1991 [illegible] 525/91 [illegible] "[illegible]" [illegible] 294. [illegible] 261/32 [illegible] 51/92 [illegible] 380 [illegible]

[illegible] ND/FM/197/92 [illegible] "[illegible]" [illegible] CCDP/01702 [illegible] 1984 [illegible] 1984 [illegible]

हिरासत में लेकर पूछताछ की। सुखदेव यातनाएं सहन नहीं कर सके और भूमिगत आंदोलन में शामिल होने के लिए अपना घर छोड़ दिया। उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ पुलिस की क्रूरता और भी बढ़ गई।
सिमरजीत कौर के अनुसार, पुलिस ने उनके पिता मोहन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, जो वहीं के निवासी हैं।
मोगा के रहने वाले सुखदेव के एक व्यक्ति को पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ में मार डाला। इसके अलावा, पुलिस ने गुरदासपुर जिले के खुद्दी चीमा गांव के मोहिंदर सिंह के बेटे, सुखदेव के भाई के बहनोई का उसके घर से अपहरण कर उसकी हत्या कर दी।
सिमरजीत कौर के अनुसार, गुरदासपुर पुलिस ने उनके पति को गिरफ्तार कर लिया। 3 फरवरी 1992 को उसने उस व्यक्ति को घेर लिया और उसी रात एक सुनियोजित मुठभेड़ में उसे मार डाला। वह घटना के बारे में और अधिक जानकारी नहीं दे सकी।
295. क्रमांक 266/34 के अंतर्गत सूची में अमरिक सिंह उर्फ फक्कर, पुत्र जागीर सिंह, निवासी कीर्तनगढ़ के अंतिम संस्कार का विवरण है, जो 21 मार्च 1992 को अमृतसर के सदर पुलिस स्टेशन के एसएचओ अजैब सिंह द्वारा एफआईआर क्रमांक 87/92 के तहत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्रमांक नहीं दिया गया है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
सीसीडीपी ने अपने माध्यम से इस मामले के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना प्रपत्र संख्या CCDP/01487. मुख्य सूचनादाता पीड़ित के पिता जागीर सिंह हैं।
जागीर सिंह और गुरमीत कौर के पुत्र अमरिक सिंह उर्फ फक्कर की उम्र 22 वर्ष थी।
अमृतसर शहर के सदर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ज्वाला आटा मिल डाकघर के पास, थांदे के नजदीक कीर्तनगढ़ के रहने वाले अमरिक एक मज़हबी सिख हैं। उनके पिता जागीर सिंह परिवार का भरण-पोषण करने के लिए अमृतसर शहर में साइकिल रिक्शा चलाते थे। अमरिक स्कूल नहीं जा सके और स्थानीय किसानों के यहाँ कृषि मजदूर के रूप में काम करने लगे।
9 मार्च 1992 को सदर पुलिस स्टेशन के एसएचओ भारी संख्या में पुलिस बल के साथ जागीर पहुंचे।
सिंह के घर पर छापा मारा और उनके बेटे अमरिक को गिरफ्तार कर लिया। परिवार के सदस्य डरे हुए थे।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (381)

अमरिक सिंह स्वयं पुलिस के पास पहुंचे और हस्तक्षेप के लिए शहर के किसी प्रभावशाली व्यक्ति से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। उनके प्रयासों के सफल होने से पहले ही, मीरा कोट गांव के पास एक मुठभेड़ में अमरिक सिंह और एक अन्य अज्ञात आतंकवादी को मार गिराया गया। सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन द्वारा किया गया दूसरा अंतिम संस्कार सीबीआई की अज्ञात शवदाहों की सूची में क्रमांक 194/267 के अंतर्गत दर्ज है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ND/FM/249/92 के रूप में चिह्नित किया गया है।
जागीर सिंह और परिवार के अन्य सदस्यों ने दुर्गाना से उनकी अस्थियां एकत्र कीं।
मंदिर का श्मशान घाट।

296. क्रमांक 270/35 के अंतर्गत, सूची में मेजर सिंह उर्फ जसकरण सिंह, पुत्र ठाकुर सिंह, निवासी पधरी, थाना लोपोक के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो 21 मार्च 1992 को अमृतसर के सदर पुलिस स्टेशन के एसएचओ द्वारा एफआईआर संख्या 101/92 के तहत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कोई क्रमांक नहीं है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
सीसीडीपी ने अपनी घटना रिपोर्ट के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
प्रपत्र संख्या CCDP/01522. मुख्य सूचनादाता पीड़ित के पिता ठाकुर सिंह हैं।
ठाकुर सिंह और मोहिंदर कौर के पुत्र, बीस वर्षीय मेजर सिंह एक
अमृतसर जिले के अजनाला उपमंडल के लोपोके पुलिस स्टेशन के अंतर्गत रेरे वालियन दी पट्टी के पधरी गांव के युवा किसान मेजर सिंह, चार भाइयों में सबसे बड़े थे। वे अपने क्षेत्र के गांवों से दूध इकट्ठा करके अमृतसर शहर में लाभ पर बेचते थे। वे अविवाहित थे।
जनवरी 1992 में, अमृतसर पुलिस ने मेजर सिंह के घर पर संदिग्ध कारणों से छापेमारी शुरू कर दी।
उन्हें उग्रवादी संबंधों का संदेह था। यातना के डर से मेजर सिंह घर से दूर रहने लगे, जिसके परिणामस्वरूप उनके परिवार के सदस्यों को पुलिस द्वारा और अधिक परेशान किया जाने लगा।
19 मार्च 1992 को अमृतसर के सदर पुलिस स्टेशन के एसएचओ अजैब सिंह आए। पधरी गांव में परिवार के घर की दोबारा तलाशी के लिए एक बड़ी पुलिस टीम भेजी गई। गिरफ्तार किए गए मेजर सिंह भी पुलिस बल के साथ थे और तलाशी में कुछ भी आपत्तिजनक न मिलने पर उन्हें भी ले जाया गया। परिवार के सदस्य कुछ नहीं कर सके और 22 मार्च 1992 को अखबारों में मीरा कोट गांव के पास एक मुठभेड़ में मेजर सिंह की मौत की खबर छपी।
परिवार के सदस्य न तो अंतिम संस्कार में शामिल हो सके और न ही शव को लेने आ सके।
राख।
297. क्रमांक 273/36 के अंतर्गत, सूची में अमृतसर के सदर पुलिस स्टेशन के एएसआई दलीप सिंह द्वारा 5 अप्रैल 1992 को एफआईआर संख्या 120/92 के तहत किए गए साधु सिंह के पुत्र हरजिंदर सिंह उर्फ काला के अंतिम संस्कार का उल्लेख है। सूची में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्रमांक नहीं है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
सीसीडीपी ने अपनी घटना रिपोर्ट के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
प्रपत्र संख्या CCDP/01182. मुख्य सूचनादाता पीड़ित के पिता साधु सिंह हैं।
Eighteen-year-old Harjinder Singh, a resident of House No. 133, Shahid Udham
अमृतसर की गली नंबर 2 के सिंह नगर निवासी ने स्थानीय मेलों में अपने पिता साधु सिंह को सौंदर्य प्रसाधन और आभूषण बेचने में मदद करने के लिए स्कूल छोड़ दिया था।
हरजिंदर के बड़े भाई, लाल सिंह लल्ली, उग्रवादी आंदोलन में शामिल थे। और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। जेल से रिहा होने के बाद, जब पुलिस ने 382 लोगों को राख में बदल दिया।

अनुसार, परगत सिंह का अपना व्यवसाय था। आतंकवादियों से संबंध होने के संदेह में पुलिस ने उन्हें कई बार गिरफ्तार भी किया था।
On 19 April 1992, Amritsar police abducted Pargat from a house in Partap Nagar.
उसी दिन पुलिस ने घोषणा की कि परगत सिंह नामक एक उग्रवादी ने साइनाइड की गोली खाकर आत्महत्या कर ली है। परिवार को उसकी मृत्यु की जानकारी अगले दिन अखबार में छपी खबर से मिली।
सोलह वर्षीय बलबीर सिंह का असली नाम गुरसेवक सिंह था। वह अपने साथ रहता था।
उनकी सौतेली माँ अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल के थारू गाँव की पट्टी ताल वाली में रहती थीं। सीबीआई की सूची में उनके पिता का नाम जीत सिंह बताया गया है, जबकि वास्तव में उनका नाम अजीत सिंह था; जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान स्वर्ण मंदिर में उनकी मृत्यु हो गई थी। गुरसेवक कभी स्कूल नहीं गए और 15 वर्ष की आयु में उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (383)

गुरसेवक सार्वजनिक परिवहन के ट्रक में सफाईकर्मी के रूप में काम करता था। उसकी सौतेली माँ के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण थे और नौकरी मिलने के बाद उसने अपनी सौतेली माँ के घर जाना बंद कर दिया। एक बार तरन तारन से पुलिसकर्मियों का एक दल उसके बारे में पूछताछ करने के लिए उसके घर आया, लेकिन उन्होंने परिवार के किसी अन्य सदस्य को परेशान नहीं किया।
1992 की शुरुआत में, गाँव में यह अफवाह फैली कि पुलिस ने गुरसेवक की हत्या कर दी है।
अमृतसर शहर के बाहर एक मुठभेड़ में सिंह मारे गए। लेकिन पुलिस ने परिवार को कोई सूचना नहीं दी। इसलिए परिवार ने मामले को आगे नहीं बढ़ाया। गुरसेवक के दादा बख्शीश सिंह, जिन्होंने गांव में परिवार से मिलने आई सीसीडीपी की जांच टीम से बात की, का मानना है कि उनके पोते गुरसेवक की हत्या कर दी गई है। अन्यथा, वह कम से कम एक बार तो घर जरूर आता।
यह स्पष्ट नहीं है कि परगत सिंह और गुरसेवक सिंह उर्फ बलबीर के मामले किसी भी तरह से संबंधित।
क्रमांक 280/41 के अंतर्गत सूची में हरप्रीत सिंह, पुत्र बलबीर सिंह, निवासी अदालीवाल, थाना राजा सांसी के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो अमृतसर के सदर पुलिस स्टेशन के एसएचओ द्वारा एफआईआर संख्या 140/92 के तहत 24 अप्रैल 1992 को किया गया था। इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कोई उल्लेख नहीं है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
सीसीडीपी ने अपने माध्यम से इस मामले के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01306. मुख्य सूचनादाता पीड़ित का चाचा गुरदयाल सिंह है।
अदलीवाल गांव के रहने वाले बलबीर सिंह के पुत्र 22 वर्षीय हरप्रीत सिंह। अमृतसर के राजा सांसी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कार्यरत, उन्होंने 1988 में पंजाब पुलिस में कांस्टेबल के रूप में भर्ती हुए थे। उनके पिता एक छोटे किसान थे जिनके पास केवल पाँच एकड़ जमीन थी। उनके दो भाई, जो कलकत्ता में रहते थे, परिवहन का व्यवसाय करते थे और अच्छी आर्थिक स्थिति में थे। हरप्रीत सिंह जल्द ही पंजाब पुलिस से असंतुष्ट हो गया और उसने

सिख उग्रवादी आंदोलन को दबाने के लिए की गई ज्यादतियों के प्रति लोगों में गहरी भावनाएं थीं। अपने माता-पिता से बिना पूछे, हरप्रीत ने पंजाब पुलिस की नौकरी छोड़ दी और घर लौट आया। राज्य के साथ किसी तरह की परेशानी में पड़ने के डर से, बलबीर ने उसे कलकत्ता में अपने भाई के साथ रहने और काम करने के लिए भेज दिया। हरप्रीत को कलकत्ता में घर जैसा महसूस नहीं हुआ और वह 1991 में अमृतसर के पास अपने गांव लौट आया। गांव में उसे परेशानी से बचाने के लिए, बलबीर सिंह ने अमृतसर शहर में रणजीत एवेन्यू के पास एक फ्लैट किराए पर लिया और उसके साथ वहीं रहने लगा।
21 अप्रैल 1992 को, शाम लगभग 4 बजे, हरप्रीत घर पर दोपहर का भोजन कर रही थी, तभी एक समूह ने उस पर हमला कर दिया।
अमृतसर के सदर थाने के पुलिसकर्मियों ने रणजीत नगर स्थित उनके फ्लैट पर छापा मारा और उन्हें तथा उनकी मां सुरिंदर कौर को हिरासत में ले लिया। बलबीर सिंह उस समय घर पर नहीं थे और शाम को पड़ोसियों से उन्हें उनकी गिरफ्तारी के बारे में पता चला। उन्हें नहीं पता था कि उन्हें कौन ले गया है। उन्होंने शहर के कई पुलिस थानों में पूछताछ की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल पाया।
25 अप्रैल 1992 को सुरिंदर कौर घर लौट आईं। उन्हें भी कुछ समय के लिए हिरासत में रखा गया था।
अमृतसर के सदर पुलिस स्टेशन में हरप्रीत को अलग रखा गया था। 25 अप्रैल की सुबह, एसएचओ ने उन्हें बताया कि उनके बेटे को आपराधिक आरोप में गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उसकी जमानत हो गई है और वह जल्द ही घर लौट आएगा। फिर उन्होंने उन्हें घर वापस जाने के लिए कहा। उसी दिन, अखबारों में फतेहपुर गांव के पास पुलिस मुठभेड़ में हरप्रीत की मौत की खबर छपी। खबर पढ़कर सुरिंदर कौर सदमे से टूट गईं और बेहोश हो गईं। वह बीमार पड़ गईं और एक साल बाद उनकी मृत्यु हो गई।
384 राख में तब्दील

क्रमांक 285/43 के अंतर्गत दी गई सूची में 14 मई 1992 को सुल्तानविंड पुलिस चौकी के अधीनस्थ सहायक अधिकारी संजीव कुमार द्वारा थोथिया निवासी रघुबीर सिंह के पुत्र रविंदर सिंह के अंतिम संस्कार का उल्लेख है। सूची में एफआईआर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के क्रमांक नहीं दिए गए हैं। इसमें मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
सीसीडीपी ने अपने माध्यम से इस मामले के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01210। मुख्य सूचनादाता पीड़ित के पिता रघुबीर सिंह हैं। यह जबरन गुमशुदगी या पुलिस हिरासत में हत्या का मामला नहीं है, हालांकि सीबीआई की सूची में मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है। यह सांप्रदायिक घृणा से प्रेरित हत्या का मामला है।
रविंदर सिंह, जिसे बिट्टू भी कहा जाता था, 30 वर्षीय कंबोज सिख था और पुत्र था।
रघबीर सिंह और कुलवंत कौर अमृतसर जिले के बाबा बकाला तहसील के खलचियां पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले थोथियां गांव में रहते थे। रविंदर सिंह के पिता रघबीर सिंह 30 जून 1997 को पंजाब सरकार के शिक्षा विभाग में राजपत्रित प्रबंध अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। पिछली दो

पीढ़ियों से रघबीर सिंह का परिवार राधा स्वामी संप्रदाय का अनुयायी रहा है।
रविंदर मैट्रिक परीक्षा में असफल हो गया और फिर उसने यूनिवर्सल कॉलेज में दाखिला ले लिया।
अमृतसर की एक निजी कंपनी, बैटरीज में उन्होंने ऑटो मैकेनिक बनने के लिए प्रशिक्षु के रूप में काम शुरू किया। 1984 में, जब वे अपने काम में निपुण हो गए, तो उन्होंने खलचियां कस्बे में एक ऑटो इलेक्ट्रिक की दुकान खोली। मार्च 1986 में, उनका विवाह नरिंदर कौर से हुआ। 1987 में, उनके बेटे सनमीत सिंह और 1989 में बेटी नवमीत कौर का जन्म हुआ।
1992 में पंजाब में उग्रवाद अपने चरम पर था। आर्थिक रूप से संपन्न होने के कारण वे
रविंदर सिंह के परिवार को उग्रवादियों से खतरा महसूस होने लगा। 9 अप्रैल 1992 को कुछ उग्रवादी उनके घर आए और रघुबीर सिंह से दो दिनों के भीतर 200,000 रुपये का इंतजाम करने की मांग की। परिवार ने इस घटना की सूचना खालचियां पुलिस को दी। उग्रवादियों के डर से परिवार 27 फरवरी 1992 को अमृतसर शहर में भाई लालोजी नगर के पास गार्डन कॉलोनी, मोहल्ला राणा, गली नंबर 3 में मकान नंबर 128 में रहने चला गया। रविंदर सिंह, उनकी पत्नी और बच्चे भी अमृतसर आ गए और कभी-कभी अमृतसर के प्रताप नगर स्थित 13 नंबर के मकान में अपने मामा के साथ रहते थे।
14 मई 1992 को सुबह लगभग 6.45 बजे रविंदर सिंह बाबा बुद्धा साहिब के लिए रवाना हुए।
रविंदर सिंह अपनी पत्नी नरिंदर कौर और बच्चों के साथ प्रसिद्ध सिख तीर्थस्थल पर जा रहे थे। संक्रांत का दिन था और उनके पास एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर था जिसमें गुरु गोविंद सिंह के भजनों की एक कैसेट बज रही थी। रास्ते में, दो निरंकारी सिख, दलजीत सिंह, जो अमृतसर के 34 भाई लालोजी नगर में रहने वाले सत पाल सैनी के पुत्र थे, और उनके मित्र सतपाल ने गुरु गोविंद सिंह के भजन बजाने पर रविंदर सिंह का कड़ा विरोध किया। रविंदर इन दोनों को थोड़ा-बहुत जानते थे, जिनकी अमृतसर के मकबूलपुरा, गार्डन कॉलोनी में एक मैकेनिकल फैक्ट्री थी। निरंकारियों ने रविंदर सिंह से टेप रिकॉर्डर छीनने की कोशिश की, जिसके बाद दोनों के बीच हल्की हाथापाई और तीखी बहस हुई। इस हाथापाई में सतपाल ने चिल्लाकर कहा कि अगर उसके बस में होता तो वह पूरे सिख समुदाय का वध कर देता, क्योंकि सिखों ने निरंकारी गुरु की हत्या कर दी थी। जल्द ही झगड़ा शांत हो गया और रविंदर ने सोचा कि उनके उत्पीड़क चले गए हैं।
बाबा बुद्धा साहिब जाते समय, रविंदर रास्ते में एमको इंडस्ट्रीज में रुका।
मकबूलपुरा, गार्डन कॉलोनी में सुबह लगभग 8:25 बजे रविंदर सिंह को कुछ काम था। सतपाल और दलजीत सिंह कुछ अन्य लोगों के साथ वहाँ पहुँचे और जब रविंदर सिंह एमको इंडस्ट्रीज परिसर से बाहर निकल रहे थे, तब उन्हें उनके लंबे बालों से पकड़कर अपनी फैक्ट्री की ओर घसीट ले गए। लेकिन सतपाल उन पर भारी पड़ा और उसने उन्हें गोली मार दी।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (385)

रविंदर सिंह ने अपनी पिस्तौल से लगातार पांच गोलियां चलाईं, कुछ-कुछ अंतरालों पर। फिर सतपाल उसे घसीटते हुए कारखाने के पास गली नंबर 1 में ले

अमृतसर जिले के अजनाला उपमंडल के हर्षा छीना के पास स्थित सवाजपुर गांव के निवासी सुचा सिंह एक किसान थे। उनका विवाह सुरजीत कौर से हुआ था और उनकी एक बेटी रमनदीप कौर है, जो अब 15 वर्ष की है। सुचा सिंह का किसी भी राजनीतिक या उग्रवादी संगठन से कोई संबंध नहीं था, लेकिन उनके चचेरे भाई सतनाम सिंह, जो दलीप सिंह के पुत्र थे, इलाके के जाने-माने उग्रवादी थे। उनके चाचा दलीप सिंह का फार्म हाउस भी सुचा सिंह के फार्म हाउस के बगल में ही था और जब भी पुलिस सतनाम सिंह की तलाश में आती, तो वे सुचा सिंह समेत परिवार के विभिन्न सदस्यों को अवैध हिरासत में लेकर पूछताछ करते थे।
386 राख में तब्दील

16 और 17 मई 1992 की मध्यरात्रि में, डीएसपी बरार के नेतृत्व में एक विशाल पुलिस बल ने कार्रवाई की।
राजा संसी पुलिस स्टेशन के एसएचओ बलदेव सिंह, इंस्पेक्टर चिमन लाल और एएसआई दिलबाग सिंह ने सुचा सिंह और उनके चाचाओं के फार्महाउसों के समूह पर छापा मारा। पुलिस दल ने परिवार के सात सदस्यों को हिरासत में लिया और उन्हें राजा संसी पुलिस स्टेशन ले गए। वे थे: [1] सुचा सिंह; [2] उनके भाई हरचरण सिंह; [3] बलविंदर सिंह, जोगिंदर सिंह के पुत्र; [4] दलजीत सिंह, गुरबख्श सिंह के पुत्र; [5] बलबीर सिंह, जागीर सिंह के पुत्र; [6] गुरबख्श सिंह के पुत्र गुरदेव सिंह, और [7] सत्ता, जो सुचा सिंह के फार्म में काम करता था।
राजा संसी पुलिस स्टेशन में सुचा सिंह को बाकी लोगों से अलग कर दिया गया और ले जाया गया।
उसे अमृतसर के बी.आर. मॉडल स्कूल के पूछताछ केंद्र ले जाया गया। उसके बाद उसका क्या हुआ, यह किसी को नहीं पता। 23 मई 1992 को कई समाचार पत्रों में अमृतसर शहर के पास सदर पुलिस द्वारा सुचा सिंह नामक एक उग्रवादी की हत्या की खबर छपी। परिवार के अधिकांश पुरुष सदस्य उस समय या तो पुलिस हिरासत में थे या पुलिस अत्याचारों से बचने के लिए गांव छोड़कर चले गए थे। इसलिए वे न तो अंतिम संस्कार में शामिल हो सके और न ही उसकी अस्थियां ले सके।
सुचा सिंह की मां पियार कौर के अनुसार, पुलिस ने निम्नलिखित लोगों की हत्या की।
परिवार के अन्य सदस्यों को पकड़ने के बाद: [1] रणजीत सिंह, धर्म सिंह का पुत्र; [2] सुखदेव सिंह, जोगिंदर सिंह का पुत्र; [3] सतनाम सिंह, दलीप सिंह का पुत्र; [4] उसका भाई बलकार सिंह और [5] बलकार सिंह की पत्नी जसवंत कौर। सीबीआई की अज्ञात शवदाहों की सूची, क्रमांक 206/291 के अंतर्गत, एक शवदाह को दर्शाती है-
राजा संसी पुलिस द्वारा 22 मई 1992 को किए गए अंतिम संस्कार की जानकारी सूची में न तो एफआईआर संख्या का उल्लेख है और न ही इस अंतिम संस्कार के बारे में कोई अन्य जानकारी दी गई है। इसलिए, यह कहना संभव नहीं है कि अज्ञात अंतिम संस्कार का इस मामले से कोई संबंध है या नहीं।
303 – 304: क्रमांक 302/46 और 303/47 के अंतर्गत, सूची में अमृतसर सदर पुलिस द्वारा 3 जून 1992 को एफआईआर संख्या 205/92 के तहत किए गए दो शवदाहों का उल्लेख है। ये शव [1] जसविंदर सिंह उर्फ घोरा, पिता तेजा सिंह, निवासी पट्टी; और [2] बलविंदर कुमार उर्फ बिंदर, पिता चौधरी राम, निवासी कलर, राजा संसी के हैं। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट संख्या आरकेजी-50/92 अंकित है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।

[illegible]
[illegible] CCDP/00745 [illegible]
[illegible] 21 [illegible]
[illegible] (16 [illegible]) [illegible]
[illegible]
[illegible] 1992 [illegible]
On 2 May 1992, Chheharta police, led by SI Mahinder Singh Karicki, arrested
Balwinder Kumar from Majitha Road Amritsar and took him to village Sanghna. They
[illegible] (387)

also arrested Surjit Singh, s/o Mahinder Singh. Surjit Singh's wife saw Balwinder Kumar in police custody.

[illegible]

[illegible] 4 [illegible] 1992 [illegible] 208/300 [illegible] 209/301 [illegible]
[illegible] 3 [illegible] 1992 [illegible]

[illegible] ND-450/92 [illegible] ND-451/92 [illegible]

[illegible] 310/49 [illegible] 140/92 [illegible] 28 [illegible] 1992 [illegible]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

388 राख में तब्दील

306. क्रमांक 313/50 के अंतर्गत सूची में ऊधम सिंह, पुत्र गज्जन सिंह, निवासी थठगढ़ के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो अमृतसर के सदर पुलिस स्टेशन के एसएचओ चमन लाल द्वारा 6 जुलाई 1992 को किया गया था, जिसका उल्लेख एफआईआर संख्या 254/92 में किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एनडी/एफएम/493 के रूप में चिह्नित किया गया है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने इस मामले से संबंधित निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01293. मुख्य सूचनादाता पीड़ित का पुत्र हीरा सिंह है।
गज्जन सिंह के पुत्र, 62 वर्षीय उधम सिंह, एक सम्मानित किसान थे।
अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल के झब्बल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले थथगढ़ गांव में जन्मे उधम सिंह को स्थानीय रूप से 'अकाली' के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि उनके दादा काला सिंह और चाचा अर्जन सिंह ने 1920 के दशक में सिख धार्मिक सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिसके परिणामस्वरूप अकाली दल का जन्म हुआ और 1925 में एसजीपीसी का गठन हुआ। उधम सिंह का विवाह गुरमेज कौर से हुआ था और उनके पांच बच्चे थे, जिनमें तीन बेटियां और दो बेटे शामिल थे।
उधम सिंह अपने क्षेत्र में सिख धार्मिक मामलों में गहराई से शामिल थे और उन्होंने
सिख धार्मिक कैलेंडर के महत्वपूर्ण आयोजनों के आयोजन में उनका योगदान रहा है। तरन तारन पुलिस ने उनके घर पर कई बार छापा मारा था, क्योंकि उन्हें संदेह था कि उग्रवादी उनके घर आते-जाते थे। पुलिस ने एक बार उधम सिंह और उनके बेटों हीरा सिंह (अब 30 वर्ष) और हज़ुरा सिंह (25 वर्ष) को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। हालांकि, बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया था।
1 जुलाई 1992 को सुबह लगभग 5 बजे, यानी सुबह 4 या 5 बजे, पंजाब पुलिस अधिकारियों का एक बड़ा समूह
पुलिस ने उधम सिंह के घर पर छापा मारा और दीवार फांदकर अंदर प्रवेश किया। झब्बल पुलिस स्टेशन के एएसआई दिलबाग सिंह भी उन पुलिसकर्मियों में से एक थे। पुलिस ने उधम सिंह और उनके बेटे हज़ुरा सिंह को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें बी.आर. मॉडल स्कूल के पूछताछ केंद्र ले गई। उधम सिंह की बेटी राजवंत कौर और हज़ुरा सिंह की पत्नी रंजीत कौर ने ज़ोर-ज़ोर से विरोध करना शुरू कर

दिया और पूछा कि गिरफ्तार लोगों को कहाँ ले जाया जा रहा है। पुलिस ने कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया।
पूछताछ केंद्र में उधम सिंह और हज़ुरा सिंह को बंद कर दिया गया था।
अलग से। हज़ुरा सिंह को नहीं पता कि उनके पिता के साथ क्या हुआ। 7 जुलाई 1992 को पुलिस ने हज़ुरा सिंह को पूछताछ केंद्र से रिहा कर दिया। उसी दिन, अखबारों में खबर छपी कि उधम सिंह की मुठभेड़ में हत्या कर दी गई, जो कथित तौर पर 5 और 6 जुलाई की रात के बीच हुई थी। पुलिस ने परिवार को अंतिम संस्कार के बारे में सूचित नहीं किया।
1996 में, सीबीआई के कुछ अधिकारियों ने अपनी जांच के सिलसिले में परिवार से संपर्क किया।
सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अवैध दाह संस्कार मामले की जांच शुरू की गई। हालांकि सीबीआई अधिकारियों ने अपनी जांच का उद्देश्य नहीं बताया, लेकिन हीरा सिंह ने मामले की सारी जानकारी दे दी। इसी दौरान, झब्बल के उन पुलिस अधिकारियों में से एक, दिलबाग सिंह, जो 1 जुलाई 1992 को उधम सिंह के अपहरण के लिए जिम्मेदार थे, ने भी परिवार से संपर्क किया और मामले में समझौता करने के लिए बड़ी रकम की पेशकश की। लेकिन परिवार ने प्रस्ताव ठुकरा दिया और सीबीआई को रिपोर्ट करने की धमकी दी। इस पर दिलबाग सिंह यह कहते हुए चले गए: "ठीक है! तो हम सीबीआई अधिकारियों को भी उतनी ही रकम दे देंगे।"
बाद में परिवार को पता चला कि सीबीआई ने इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है।
एक बार हीरा सिंह पटियाला स्थित सीबीआई अदालत गए और वहां सीबीआई अधिकारियों से मिले, जिन्होंने उन्हें बताया कि सबूतों के अभाव में वे इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने हीरा सिंह से अंग्रेजी में लिखे कुछ बयानों पर हस्ताक्षर भी ले लिए।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (389)

जिसे वह पढ़ नहीं सकता था। परिवार के सदस्यों को संदेह था कि उधम सिंह के अपहरण और फर्जी मुठभेड़ में हत्या के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों ने जांच के लिए जिम्मेदार सीबीआई अधिकारियों को रिश्वत दी थी।
सीबीआई ने इस मामले संख्या आर.सी. 9(एस)/97/एसआई.यू-XVI/ में अपनी समापन रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।
जम्मू-कश्मीर विश्वविद्यालय (JMU) ने 1 अक्टूबर 1999 को पटियाला स्थित सीबीआई अदालत में मामला दर्ज कराया। अदालत ने 16 फरवरी 2000 के अपने आदेश में कहा कि जांच एजेंसी को उधम सिंह के अपहरणकर्ताओं की पहचान करने के लिए और प्रयास करने चाहिए। इसके बाद सीबीआई ने 29 सितंबर 2000 को एक पूरक समापन रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि कोई नया सबूत सामने नहीं आया है और इसलिए मामले को बंद कर दिया जाना चाहिए।
सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट चौंकाने वाली है क्योंकि हज़ुरा सिंह ने इस घटना को देखा था और
उन्हें 1 जुलाई 1992 की सुबह उधम सिंह के साथ अगवा कर लिया गया था और 7 जुलाई तक बी.आर. मॉडल स्कूल पूछताछ केंद्र में रखा गया था, जो सदर पुलिस द्वारा उधम सिंह के अंतिम संस्कार के एक दिन बाद का दिन था। बी.आर. मॉडल स्कूल पूछताछ केंद्र, जो अमृतसर के एसएसपी के सीधे अधिकार में संचालित होता था और जिसका सीधा प्रभार एसपी (डिटेक्टिव) के पास था, उस स्थान के रूप में कुख्यात था जहाँ अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्तियों से पूछताछ

बाद सुरजीत अभी भी अमृतसर जेल में है। अपना घर ध्वस्त हो जाने और देखभाल करने वाला कोई न होने के कारण, रूर सिंह गांव छोड़कर गुरुद्वारा हजूर साहिब में रहने चला गया।
308 – 309: क्रमांक 316/52 और 317/53 के अंतर्गत, सूची में सदर पुलिस द्वारा 10 जुलाई 1992 को किए गए दो शवदाहों का उल्लेख है, जो एफआईआर संख्या 260/92 के अंतर्गत पंजीकृत हैं। ये शवदाह [1] अवतार सिंह, पिता साधु सिंह जठ, निवासी तरसिक और [2] बलराज सिंह, पिता नरिंदर सिंह, निवासी बिशोआ के हैं। इनमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कोई क्रमांक नहीं है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
सीसीडीपी ने अपने माध्यम से इन मामलों के बारे में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01195 और 01140। मुख्य सूचनादाता पीड़ितों की विधवाएँ जसबीर कौर और बलजीत कौर हैं।
साधु सिंह के पुत्र, चौबीस वर्षीय अवतार सिंह उर्फ बाई, वहीं के निवासी थे। अमृतसर जिले के बाबा बकाला उपमंडल के मत्तेवाल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत तरसिक्का गांव और डाकघर के पट्टी भिंडर निवासी अवतार का विवाह जसबीर कौर से हुआ था और उनका एक बेटा जगरूप सिंह है, जिसकी उम्र अब 13 वर्ष है। अवतार के पिता साधु सिंह अपने इलाके में एक जाने-माने और सम्मानित व्यक्ति थे।
साधु सिंह एक ऐसे ‘स्वतंत्रता सेनानी’ थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हुए कई साल जेल में बिताए थे। साधु सिंह एक अत्यंत धार्मिक व्यक्ति थे और अवतार उन्हीं के प्रभाव में पले- बढ़े। जून 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर भारतीय सेना के हमले के तुरंत बाद अवतार को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। वे अगले 15 महीनों तक जेल में रहे। अवतार के जेल से रिहा होने के बाद भी पुलिस उनके घर पर छापे मारती रही और पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में लेती रही। अवतार ने अपने पिता से अवैध हिरासत और पूछताछ के दौरान शारीरिक यातनाओं के बारे में कड़वी शिकायत की। साधु सिंह ने उन्हें गांव से दूर रहने और पुलिस से बचने की सलाह दी। उन्हें डर था कि पुलिस यातना देकर उनके बेटे को मार सकती है। जुलाई 1992 के पहले सप्ताह में, अवतार सिंह अपनी पत्नी जसबीर कौर के साथ गए।
अवतार सिंह, दिलबाग सिंह की पत्नी बलविंदर कौर से मिलने वल्ला गांव गए थे। वे कुछ दिन अपनी बहन के घर पर रुके। 7 जुलाई 1992 को सुबह करीब 9 बजे अवतार चाय पी रहे थे, तभी अमृतसर पुलिस ने उनकी बहन के घर पर छापा मारा, उन्हें और उनके बहनोई दिलबाग सिंह को गिरफ्तार कर लिया और बिना अपना ठिकाना बताए उन्हें अपने साथ ले गई। बलविंदर कौर के परिवार और अन्य ग्रामीणों ने सबसे पहले वेरका पुलिस स्टेशन जाकर पता लगाने की कोशिश की कि क्या उन्हें वहां हिरासत में लिया गया है। वेरका पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं थी और उन्होंने किसी भी तरह की मदद करने से इनकार कर दिया। वे अमृतसर के कई अन्य पुलिस स्टेशनों में भी गए, लेकिन उन्हें अवतार सिंह और दिलबाग सिंह के ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली।
10 जुलाई 1992 को पंजाबी समाचार पत्रों ने पुलिस सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट प्रकाशित की।

अवतार सिंह और बलराज सिंह की हत्या के संबंध में। पुलिस ने परिवारों को सूचित नहीं किया और स्वयं ही अंतिम संस्कार कर दिया। दिलबाग सिंह को बाद में पुलिस हिरासत से रिहा कर दिया गया।
पुलिस द्वारा अपहरण के बाद बलराज सिंह के जबरन लापता होने का मामला सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (391)

और उनके कथित अंतिम संस्कार की घटना और भी अधिक रहस्यमय है।
नरिंदर सिंह के पुत्र, 38 वर्षीय बलराज सिंह एक स्कूल शिक्षक थे।
घागा गांव में तैनात, वे अपनी शिक्षिका बलजीत कौर के साथ अमृतसर के सदर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आदर्श नगर के मकान नंबर 22 में रहते थे। उनके दो बेटे थे, रमनदीप और गगनदीप। रमनदीप अब 20 वर्ष का है।
बलराज के पिता नरिंदर सिंह अमृतसर के वासोआ गांव के एक प्रमुख किसान थे। जिले के निवासी और उनके परिवार के कई सदस्य भारत सरकार में प्रतिष्ठित पदों पर आसीन रहे हैं। उनकी पत्नी बलजीत कौर के पिता, डॉ. गोपाल सिंह, भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त हुए थे। उनके चाचा करनैल सिंह सेना से ब्रिगेडियर के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। बलजीत के एक रिश्तेदार सेना में मेजर जनरल हैं।
बलराज एक धार्मिक प्रवृत्ति के सिख थे; उनका किसी भी राजनीतिक या उग्रवादी संगठनों से संबंध। पुलिस ने उसे पहले कभी गिरफ्तार या पूछताछ नहीं की थी।
बलराज और उनकी पत्नी ने अपनी गर्मियों की छुट्टियों के दो महीने अपने परिवार से मिलने में बिताए थे।
9 जुलाई 1992 को, परिवार घर पर नए शैक्षणिक सत्र की तैयारी में जुटा हुआ था, जो अगले दिन से शुरू होने वाला था। उसी दिन दोपहर लगभग 3:30 बजे, बलजीत कौर ने अपने घर के बाहर कुछ सीआरपीएफ कर्मियों को देखा। जब वह यह जानने के लिए बाहर निकलीं कि वे क्या कर रहे हैं, तो सीआरपीएफ के जवानों ने, जो बाद में उन्हें पता चला कि 32 वीं बटालियन के थे, उनका नाम, उनके पति का नाम, उनका कार्यस्थल और अन्य ऐसी ही जानकारियाँ पूछीं। बलजीत ने सोचा कि वे कोई नियमित जाँच कर रहे हैं और उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। वह अंदर गईं और अपने पति को इस बारे में बताया, जिन्होंने भी इस मामले पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया।
लगभग 40 मिनट बाद, वही सीआरपीएफ कर्मी कुछ अन्य लोगों के साथ वहाँ पहुँचे। सादे कपड़ों में कुछ लोग घर में घुस आए और तुरंत बलराज सिंह को काबू में कर लिया। बलजीत कौर ने पड़ोसी के घर से कुछ दोस्तों को फोन किया, लेकिन इससे पहले कि कोई मौके पर पहुंच पाता, सीआरपीएफ ने बलराज सिंह के हाथ पीछे बांध दिए और बिना बताए उसे जीप में बिठाकर ले गए कि वे उसे कहां ले जा रहे हैं। बलजीत और परिवार के कुछ दोस्तों ने कई पुलिस थानों का दौरा किया और कई उच्च पुलिस अधिकारियों को भी फोन किया, लेकिन उन्हें पता नहीं चल पाया कि बलराज सिंह को कहां रखा गया है।
10 जुलाई 1992 को कई समाचार पत्रों में बलराज की हत्या की खबर प्रकाशित हुई।
वासोआ गांव के नरिंदर सिंह के पुत्र अवतार सिंह और तारिसिक्का गांव के साधु सिंह के पुत्र अवतार सिंह मुठभेड़ में मारे गए। अखबारों की खबरों के अनुसार, अवतार सिंह और बलराज सिंह खालिस्तानी कमांडो फोर्स के एरिया कमांडर थे, जिनका संबंध परमजीत सिंह पंजवार से था। ये दोनों हत्या, बम

विस्फोट, लूट और बलात्कार सहित सैकड़ों आतंकी मामलों में वांछित थे। अखबारों के मुताबिक, यह मुठभेड़ तब हुई जब पुलिस ने अमृतसर जिले के वेरका कस्बे के पास एक गांव में बारूदी सुरंगें बिछा रहे दो आतंकवादियों को चुनौती दी। बताया जाता है कि पुलिस द्वारा दोनों आतंकवादियों को मार गिराए जाने से पहले 40 मिनट तक सशस्त्र मुठभेड़ और गोलीबारी चली। हालांकि, उसी दिन उन्हें पारिवारिक मित्रों से सूचना मिली थी कि
शहर के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों से संपर्क के कारण बलजीत कौर को पता चला कि बलराज की हत्या और 10 जुलाई 1992 को शीतला मंदिर श्मशान घाट में उसके कथित अंतिम संस्कार की खबर जानबूझकर गढ़ी और मनगढ़ंत थी। इस मुखबिर ने यह भी बताया कि पुलिस ने परिवार और अन्य लोगों की पूछताछ को रोकने के लिए ऐसा किया था और उसे किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जीवित रखा गया था। बलजीत कौर और उसके दोस्त तुरंत सिविल अस्पताल के उस डॉक्टर के पास गए, जिसने कथित तौर पर अंतिम संस्कार से पहले बलराज सिंह के शव का पोस्टमार्टम किया था, ताकि पूछताछ कर सकें। डॉक्टर से बात करने के बाद उन्हें यकीन हो गया कि यह बलराज सिंह का शव नहीं था।
392 राख में तब्दील

अगले कुछ हफ्तों में, बलराज सिंह के परिवार के सदस्यों ने विभिन्न वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की।
राज्य के कई अधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया, जिनमें अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) ओ. पी. शर्मा, आईजी बॉर्डर रेंज डी. आर. भट्टी, एसएसपी हरदीप सिंह ढिल्लों और एसपी (शहर) सुखदेव सिंह छीना शामिल थे। एडीजीपी ओ. पी. शर्मा के करीबी होने का दावा करने वाले अधिवक्ता रंजन लखनपाल, बलजीत कौर के साथ चंडीगढ़ में उनसे मुलाकात के लिए गए थे। श्री शर्मा ने उनसे कहा, “यह लड़का बिल्कुल जीवित है। लेकिन इस समय मैं उसे छुड़ाने के लिए कुछ नहीं कर सकता।” हालांकि, उन्होंने बलराज सिंह को गुप्त हिरासत से जिंदा रिहा करवाने का आश्वासन दिया। यह आश्वासन मिलने के बाद, बलजीत कौर ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में कोई कार्रवाई करना उचित नहीं समझा। अधिवक्ता रंजन लखनपाल ने उन्हें बताया कि पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों ने बलराज सिंह के लापता होने का नाटक रचा था क्योंकि उन्हें खालिस्तानी कमांडो फोर्स के एक शीर्ष आतंकवादी परमजीत सिंह पंजवार की पहचान करवाने के लिए बलराज सिंह की आवश्यकता थी।
बलजीत कौर के अनुसार, उनके पति को विश्वसनीय पारिवारिक मित्रों ने देखा था।
अगले महीनों और वर्षों में तीन-चार बार सीआरपीएफ ने उन्हें अलग-अलग स्थानों पर हिरासत में लिया। उन्हें आखिरी रिपोर्ट 1994 में मिली। परिवार के सदस्य राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों और राजनेताओं से मिलते रहे, जिनमें कई मंत्री भी शामिल थे। कुछ वर्षों बाद उन्होंने उम्मीद छोड़ दी। बलजीत कौर को अब भी विश्वास है कि उनके पति जीवित हैं क्योंकि परमजीत सिंह पंजवार को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। राज्य शिक्षा बोर्ड ने उन्हें कई बार सलाह दी कि पुलिस मुठभेड़ में अपने पति की मृत्यु के संबंध में आवेदन जमा करने के बाद वे उनके बकाया और अन्य लाभों का दावा करें। उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है। उन्हें यह भी नहीं पता कि वे अपने पति को लंबे समय से चल रही हिरासत से रिहा कराने के लिए क्या कर सकती हैं। उन्होंने भारत की उस संस्थागत व्यवस्था पर से अपना सारा विश्वास खो दिया

सिंह, निवासी कक्कर तारिएन, थाना लोपोके के हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एनडी-576/92 और एनडी-574/92 के रूप में अंकित किया गया है। मृत्यु का कारण पुलिस मुठभेड़ बताया गया है।
सीसीडीपी ने अपने माध्यम से इन मामलों के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01284 और 01281। मुख्य सूचनादाता गुरनाम सिंह और कुलवंत सिंह हैं, जो क्रमशः सतनाम सिंह और हरदीप सिंह के पिता हैं।
इक्कीस वर्षीय सतनाम सिंह उर्फ सकत्तर, पुत्र गुरनाम सिंह, निवासी था। अमृतसर जिले के अजनाला उपमंडल के अंतर्गत राजा सांसी पुलिस स्टेशन के अधीन झांझोती डाकघर वाले तोले नांगल के निवासी। वे अविवाहित थे और अपने पिता गुरनाम सिंह, जो एक छोटे किसान थे, की पांच एकड़ जमीन पर खेती करने में उनकी मदद करते थे।
1990 की शुरुआत में, सतनाम सिंह ने सेना के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया विकसित किया।
स्वतंत्र सिख राज्य के लिए चल रहे आंदोलन में गुरनाम सिंह ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और पुलिस ने उनसे उनके संबंधों के बारे में पूछताछ करने के लिए कई बार गिरफ्तार किया। यह समझते हुए कि उनका बेटा उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित हो रहा है, गुरनाम सिंह ने उसे मुंबई में एक रिश्तेदार के पास रहने और ट्रक चालक के रूप में काम करने के लिए भेज दिया। 1992 की शुरुआत से ही अजनाला और राजा संसी की पुलिस ने सतनाम सिंह को गिरफ्तार करने के इरादे से उनके घर पर छापे मारने शुरू कर दिए और उन्हें अनुपस्थित पाकर गुरनाम सिंह और उनके अन्य बेटों को पूछताछ के लिए उठा ले जाती थी। पुलिस को विश्वास नहीं था कि परिवार सतनाम सिंह के संपर्क में नहीं है और उन्होंने जानकारी हासिल करने के लिए उन्हें, विशेष रूप से उनके बड़े भाई मेजर सिंह को, बेरहमी से प्रताड़ित किया। मेजर सिंह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए और आज तक यातनाओं के प्रभाव से उबर नहीं पाए हैं।
अगस्त 1992 के मध्य में, राजा संसी पुलिस ने गुरनाम सिंह को गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया।
उसे कई दिनों तक अवैध हिरासत में रखा गया। 21 अगस्त को, एएसआई जीत सिंह के नेतृत्व में राजा सांसी पुलिस ने लाडाई गांव के एक घर से सतनाम सिंह को गिरफ्तार किया। सतनाम सिंह को राजा सांसी पुलिस स्टेशन लाया गया और अगले दो दिनों तक उसके पिता के सामने उसे बेरहमी से प्रताड़ित किया गया। 22 और 23 अगस्त 1992 की मध्यरात्रि को, पुलिस ने सतनाम सिंह, उसके एक रिश्तेदार कक्कड़ गांव के हरदीप सिंह और एक तीसरे व्यक्ति, जिसे अज्ञात आतंकवादी बताया गया, को बाग्गे गांव के पास नहर के पुल पर एक फर्जी मुठभेड़ में मार डाला। पुलिस ने तीनों लड़कों की हत्या करने के बाद गुरनाम सिंह को अवैध हिरासत से रिहा कर दिया, जिनके शवों का उनके रिश्तेदारों की उपस्थिति में दुर्गाना मंदिर श्मशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया।
कुलवंत सिंह के पुत्र, तेईस वर्षीय हरदीप सिंह उर्फ दीपा, वहीं के रहने वाले थे।
अजनाला 394 में लोपोके पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सोरियान डाकघर के पास काकर तारेन गांव में हुई घटना में लोग राख हो गए।

[illegible]
[illegible]
20 [illegible] 1992 [illegible]
[illegible]
[illegible] 22 [illegible] 1992 [illegible]
220/327 [illegible]
23 [illegible] 1992 [illegible]
313. [illegible] 341/60 [illegible] 1 [illegible] 1992 [illegible] 226/92 [illegible] "[illegible]"
CCDP/01633. [illegible]
1988 [illegible]...
30 [illegible] 1992 [illegible] 7 [illegible]
1 [illegible] 1992 [illegible]

परिवार ने दुर्गाना मंदिर के श्मशान घाट से उनकी अस्थियां एकत्र कीं। उसी दिन पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा, लेकिन किसी को गिरफ्तार नहीं किया। बलविंदर के परिवार को पुलिस द्वारा परेशान करना और अवैध रूप से हिरासत में रखना तब तक जारी रहा जब तक कि...
1995 में बलविंदर सिंह की हत्या के बाद, पुलिस ने पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड के कर्मचारी उनके भाई दलबीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें दो बार गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। परिवार के सदस्यों ने आईजी (अपराध) गुरचरण सिंह भुल्लर की उपस्थिति में दलबीर सिंह को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सामने पेश किया। इलाके के राजनीतिक नेताओं ने मांग की कि पुलिस परिवार को परेशान करना बंद करे। पुलिस ने
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (395)

बलविंदर के परिवार को अब और परेशान न करने का आश्वासन दिया गया, और बाबा बकाला के डीएसपी दर्शन सिंह मान ने परिवार को लिखित में एक नोट दिया जिसमें लिखा था कि दलबीर सिंह से संपर्क करने के इच्छुक कोई भी व्यक्ति डीएसपी से सीधे संपर्क कर सकता है। लगभग दो महीने तक परिवार शांतिपूर्वक रहा।
12 दिसंबर 1992 को श्री हरगोबिंदपुर पुलिस ने परिवार के घर पर छापा मारा और
बलविंदर के पिता जागीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके बेटे दलबीर सिंह के बारे में पूछताछ करने के बाद उन्हें 16 जनवरी 1992 को रिहा कर दिया गया।
जब जागीर सिंह हिरासत में था, तब श्री हरगोबिंदपुर पुलिस ने अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया।
देवा सिंह के पुत्र सरदारा सिंह की उम्र 30 वर्ष थी। बलविंदर सिंह से पारिवारिक संबंध होने के कारण उन्हें पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका था; सरदारा सिंह, जागीर सिंह के बहनोई थे। हिरासत में रहने के दौरान पुलिस सरदारा सिंह को गंभीर हालत में उनके घर ले आई। परिवार का कहना है कि उनका एक पैर टूट गया था। कई दिनों तक अवैध रूप से हिरासत में रखने के बाद पुलिस ने उन्हें लोहगढ़ गांव के पास एक मुठभेड़ में मृत घोषित कर दिया।
लगभग 10 जनवरी 1993 की एक सुबह, श्री हरगोबिंदपुर से पुलिस की एक टीम, नेतृत्व में
एसएचओ महंगा सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने शाहपुर गांव पर छापा मारा। उन्होंने दलबीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जो काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। चूंकि जागीर सिंह अभी भी पुलिस हिरासत में था, इसलिए दलबीर सिंह की रिहाई के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा सका। लगभग 14 जनवरी 1993 को एक समाचार पत्र में खबर छपी कि पुलिस ने घुमन पुलिस स्टेशन के अंतर्गत बोलेवाल गांव के पास एक मुठभेड़ में उग्रवादी दलबीर सिंह उर्फ साहिबी को मार गिराया। इस मुठभेड़ में धारदेव गांव का एक अन्य युवक भी मारा गया। जनवरी 1993 में, ब्यास पुलिस ने जागीर सिंह के भाई बचन सिंह को हिरासत में लिया।
उन्हें हिरासत में लेकर क्रूर यातनाएं दी गईं। दो महीने बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। पुलिस की यातनाओं के कारण बचन सिंह तीन से चार साल तक बिस्तर पर पड़े रहे और अंततः 1997 में चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई।

314. क्रमांक 350/62 के अंतर्गत, सूची में राजा सांसी पुलिस स्टेशन के एसएचओ बलदेव सिंह द्वारा 11 नवंबर 1992 को एफआईआर संख्या 72/92 के तहत किए गए रणधीर सिंह उर्फ धीर सिंह, पुत्र चानन सिंह, निवासी पर्रेवाल, थाना रामदास के अंतिम संस्कार का उल्लेख है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एनडी/एफएम/654/92 के रूप में चिह्नित किया गया है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
सीसीडीपी को घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हुई है।
CCDP/01619. The main informant is Randhir’s mother Tej Kaur.
चन्नन सिंह और तेज कौर के पुत्र रणधीर सिंह सेना से सेवानिवृत्त हो चुके थे।
1980 में उनका विवाह हुआ और फिर वे अमृतसर जिले के अजनाला उपमंडल के पैरेवाल गांव में किसान के रूप में रहने लगे, जहां डाकघर और पुलिस स्टेशन रामदास स्थित थे। उनका विवाह कश्मीर कौर से हुआ था।
सेना से छुट्टी मिलने के एक साल बाद, रणधीर एक घरेलू विवाद में फंस गया।
रणधीर ने अपने चचेरे भाई रणजीत सिंह से झगड़ा किया और उसकी हत्या कर दी। रणधीर पर मुकदमा चला और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन तीन साल बाद वह पैरोल पर रिहा हो गया। पैरोल के दौरान, रणधीर ने भूमिगत उग्रवादी आंदोलन के सदस्यों से संपर्क स्थापित किया और फिर कभी जेल नहीं लौटा। पुलिस ने परिवार वालों को परेशान करना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें उसके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली।
अक्टूबर 1992 में अमृतसर पुलिस ने रणधीर की पत्नी कश्मीर कौर को गिरफ्तार कर लिया
उसके पति के वर्तमान ठिकाने के बारे में जानकारी निकालने के लिए उसे प्रताड़ित किया गया। उसे यह बताने के लिए मजबूर किया गया कि उसने पंजाब के रोपड़ जिले में कुछ जमीन खरीदी थी और वहीं रह रहा था। 396 राख में तब्दील

वहाँ पुलिस ने कश्मीर कौर को अमृतसर और राजा सांसी पुलिस की संयुक्त टीम के साथ रोपड़ जाने के लिए मजबूर किया, जहाँ उन्होंने रणधीर सिंह और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर अमृतसर के बी डिवीजन पुलिस स्टेशन में लाया। रणधीर सिंह को अजनाला की अदालत में पेश किया गया और एफआईआर संख्या 70/92 में आईपीसी की धारा 379 (चोरी) और 411 (चोरी की संपत्ति प्राप्त करना) के तहत, साथ ही शस्त्र अधिनियम और टीएडीए के तहत अपराधों का आरोप लगाया गया। अदालत ने पुलिस जांच के लिए आगे की पुलिस हिरासत जारी कर दी।
उसी रात, रणधीर को मुठभेड़ में मारा हुआ दिखाया गया।
आधिकारिक बयान के अनुसार, राजा संसी पुलिस उसे हथियार बरामदगी के लिए ले जा रही थी, तभी दलम गांव के पास आतंकवादियों के एक समूह ने पुलिस काफिले पर हमला कर दिया। रणधीर ने कांस्टेबल जगदीश सिंह की बेल्ट तोड़ दी, जिसमें उसकी हथकड़ी लगी हुई थी। वह भाग निकला। हालांकि, बाद में मुठभेड़ स्थल से उसका शव बरामद किया गया।
पुलिस ने रणधीर की हत्या के बारे में परिवार को सूचित नहीं किया और कार्रवाई को अंजाम दिया।
स्वयं दाह संस्कार।
315. क्रमांक 362/66 के अंतर्गत सूची में बलविंदर सिंह उर्फ बाबा वारयाम सिंह, पुत्र सुखदेव सिंह, निवासी सरहल्ली के अंतिम संस्कार का विवरण है, जो

छेरता पुलिस स्टेशन के एसएचओ हरभजन सिंह द्वारा 27 नवंबर 1992 को एफआईआर क्रमांक 207/92 के तहत किया गया था। सूची में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कोई उल्लेख नहीं है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है। सीसीडीपी ने अपने माध्यम से इस मामले के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01025। मुख्य सूचनादाता पीड़ित की माता सुखवंत कौर, उसका छोटा भाई जसविंदर सिंह और पिता सुखदेव सिंह हैं। Son of Sukhdev Singh and Sukhwant Kaur, 23-year-old Baljinder Singh was बलजिंदर अमृतसर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा की पढ़ाई कर रहे थे और शहर के छात्र छात्रावास में रहते थे। उनके माता-पिता अमृतसर शहर से कुछ दूर छेहरटा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत, गुरुद्वारे के पास स्थित घन्नूपुर गांव में रहते थे। सुखदेव सिंह शिक्षक थे और बलजिंदर सिख छात्र संघ के सक्रिय सदस्य थे। बलजिंदर अविवाहित थे और हर सप्ताहांत अपने माता-पिता से मिलने गांव जाते थे।
1988 की शुरुआत में, पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के इरादे से उसके घर पर छापा मारना शुरू कर दिया।
पूछताछ। उसी वर्ष बाद में, बलजिंदर को उसके गाँव के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया जब वह सप्ताहांत में अपने माता-पिता से मिलने जा रहा था। अपहरण तरन तारन के सीआईए स्टाफ के अधिकारियों द्वारा किया गया था। बलजिंदर को दो सप्ताह तक अवैध रूप से हिरासत में रखा गया और पूछताछ के दौरान यातनाएँ दी गईं। लेकिन पुलिस ने बिना कोई आपराधिक आरोप लगाए उसे रिहा कर दिया। बलजिंदर को जून 1990 में पट्टी बस स्टैंड पर फिर से गिरफ्तार कर लिया गया जब वह शहर में एक रिश्तेदार से मिलने जा रहा था। अपहरण को घनुपुर गाँव के एक दूध विक्रेता ने देखा जिसने उसके परिवार को इसकी सूचना दी। ग्राम परिषद के कई सदस्य उसके पिता सुखदेव सिंह के साथ पट्टी पुलिस स्टेशन गए जहाँ एसएचओ मेजर सिंह ने बलजिंदर को अपनी हिरासत में होने की बात स्वीकार की और उसे रिहा करने के लिए 20,000 रुपये की मांग की। सुखदेव सिंह ने पैसे देकर बलजिंदर सिंह को रिहा करवा लिया। बलजिंदर बार-बार पुलिस द्वारा अपहरण किए जाने से तंग आ चुका था और उसने घर छोड़कर भूमिगत होने का फैसला किया। पुलिस लगातार उसके घर पर छापेमारी करती रही और उसे अनुपस्थित पाकर अक्सर उसके परिवार के सदस्यों, विशेषकर उसके पिता सुखदेव सिंह और उसके भाई जसविंदर सिंह को गिरफ्तार किया जाए।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (397)

अक्टूबर 1992 के अंतिम सप्ताह में एक दिन, एक संयुक्त पुलिस बल जिसमें शामिल थे...
सरहल्ली पुलिस स्टेशन के एसएचओ मेजर सिंह के नेतृत्व में पंजाब पुलिस और सीआरपीएफ की एक टुकड़ी ने सुखदेव सिंह के घर पर छापा मारा और उन्हें तथा उनके छोटे बेटे जसविंदर को हिरासत में ले लिया। उन्हें पहले अमृतसर स्थित बी.आर. मॉडल स्कूल पूछताछ केंद्र ले जाया गया, जहां बलजिंदर के ठिकाने के बारे में उनसे बेरहमी से यातनाएं देकर पूछताछ की गई। उसी दिन बाद में, दोनों को सुल्तानविंड पुलिस स्टेशन ले जाया गया और फिर तरन तारन स्थित सीआईए स्टाफ पूछताछ केंद्र ले जाया गया। चार दिनों तक सुखदेव सिंह और जसविंदर को बेरहमी से यातनाएं दी गईं। जसविंदर ने अपने अनुभव का वर्णन इस प्रकार किया:

बी.आर. मॉडल स्कूल में, एसएचओ मेजर सिंह ने छह अन्य पुलिसकर्मियों की सहायता से,
उन्होंने हमसे पूछताछ की। मुझे एक बड़े हॉल में ले जाया गया। एसएचओ ने मुझे कई बार थप्पड़ मारे और
उसने मुझसे पूछा कि मेरा भाई कहाँ है। मुझे नहीं पता था और मैंने उसे यही बताया।
एसएचओ ने कहा, 'ठीक है, मैं तुम्हें याद दिलाने में मदद करता हूँ कि तुम्हारा भाई कहाँ छिपा है।'
और उन्होंने मुझे छत से उल्टा लटका दिया और कई पुलिसकर्मियों ने मुझे पीटा।
मुझे लंबी छड़ियों से पीटा गया। कुछ समय बाद, मुझे नीचे उतारा गया और मुझसे वही सवाल पूछे गए।
सवाल। चूंकि मैं कोई जवाब नहीं दे सका, इसलिए पुलिसकर्मियों ने मुझे खींचना शुरू कर दिया।
मेरे पैरों को क्षैतिज रूप से फैला दिया गया, जिससे मेरी जांघ की मांसपेशियां फट गईं। फिर उन्होंने मुझे बांध दिया।
हाथों और पैरों को पकड़कर बिजली के झटके देने लगे। हर समय, मेरा
पूछताछ करने वाले बार-बार वही सवाल दोहरा रहे थे। मुझे बस यह नहीं पता था कि मेरा सवाल कहाँ है।
मेरा भाई था। नहीं तो मैं यातना से बचने के लिए यह बात बता देता।
दो घंटे बाद मुझे कमरे से बाहर ले जाया गया और फिर मेरे पिता को अंदर लाया गया। मैं
अर्धचेतन अवस्था में, फिर भी मैं अपने पिता की दर्द भरी चीखें सुन सकता था।
वह तड़प रहे थे।
तीन घंटे तक चालू रखा गया।
बाद में, हम दोनों को जबरन एक जीप में बिठाकर सुल्तानविंड पुलिस स्टेशन ले जाया गया।
हमें दो घंटे के लिए एक कोठरी में बंद कर दिया गया था। किसी ने भी हमें यातना नहीं दी या हमसे पूछताछ नहीं की।
वहाँ। लेकिन दो घंटे बाद, हमें टार्न तारन में सीआईए के स्टाफ कार्यालय ले जाया गया।
जहां पूछताछ की वही प्रक्रिया दोबारा शुरू हुई।
सुखदेव सिंह और जसविंदर को पांच दिन बाद अवैध हिरासत से रिहा कर दिया गया।
आज पंजाब में शिक्षक संघ द्वारा हड़ताल पर जाने की धमकी के बाद, 31 अक्टूबर 1992 को, सुखदेव सिंह और उनके ससुर सुलाखन सिंह को सरहल्ली पुलिस स्टेशन के एसआई अवतार सिंह ने उनके घर से फिर से गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के लिए ले गए। बाद में दोनों लापता हो गए।
26 नवंबर 1992 को पंजाब के कई समाचार पत्रों ने हत्या की खबर प्रकाशित की। बलजिंदर सिंह कथित तौर पर गांव घुमनपुर के पास एक पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे। स्थानीय लोगों का कहना था कि उनके गांव के पास ऐसी कोई मुठभेड़ नहीं हुई थी। परिवार को पता नहीं चल पाया कि वास्तव में क्या हुआ था और उन्हें 27 नवंबर 1992 को उनके अंतिम संस्कार के बारे में भी तब तक कोई जानकारी नहीं थी जब तक कि सीसीडीपी सदस्यों ने उन्हें सीबीआई सूची में इसका उल्लेख होने की सूचना नहीं दी।

316 – 317: क्रमांक 363/67 और 364/68 के अंतर्गत, सूची में छेरता पुलिस स्टेशन के एसएचओ हरभजन सिंह द्वारा एफआईआर संख्या 323/92 के तहत 16 दिसंबर 1992 को किए गए दो शवदाहों का उल्लेख है। ये शव हैं: [1] प्यारा सिंह, पुत्र शिंगारा सिंह, निवासी सुल्तानविंड, अमृतसर; और [2] सुखदेव सिंह उर्फ सुखा उर्फ हकीम सिंह, पुत्र सांता सिंह मजहबी, निवासी शाहजादा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के क्रमांक नहीं दिए गए हैं। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
398 राख में तब्दील

सीसीडीपी ने सुखदेव सिंह के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है। घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01256 है। मुख्य सूचनादाता पीड़िता की भाभी हैं।
Twenty-three-year-old Sukhdev Singh was from Shehzada village under Kathu
अमृतसर जिले के नांगल पुलिस स्टेशन में उनका निधन हुआ। उनके पिता संता सिंह एक मज़हबी सिख थे, जिनके पास पाँच एकड़ से भी कम कृषि भूमि थी। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद, सुखदेव सिंह ने फार्मेसी में डिप्लोमा प्राप्त किया; फिर उन्होंने गुरदासपुर जिले के बटाला उपमंडल के बिछला किला, लाल सिंह स्थित एक क्लिनिक में डॉक्टर के सहायक के रूप में काम किया। वे एक कुशल गायक भी थे और अक्सर विवाह समारोहों में प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किए जाते थे। सुखदेव का विवाह लविंदर कौर से हुआ था और उनके दो बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा, जिनकी उम्र अब क्रमशः 13 और 10 वर्ष है। परिवार के सदस्यों के अनुसार, सुखदेव की कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी और उन्हें कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था।
1 दिसंबर 1992 को सुखदेव सिंह को एक कार्यक्रम में प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किया गया था।
सुखदेव अमृतसर के पास चेतनपुरा गांव में एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां उनके कुछ रिश्तेदार भी रहते थे। परिवार के सदस्यों के अनुसार, सुखदेव 2 दिसंबर को खास गांव में एक रिश्तेदार से मिलने गए थे, तभी अमृतसर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर मजीठा पुलिस स्टेशन ले आई। उनकी पत्नी लविंदर कौर और बहन हरजिंदर कौर दो दिन बाद उनसे वहां मिलीं। मजीठा स्टेशन के पुलिस अधिकारियों ने उन्हें बताया कि उन्होंने संदेह के आधार पर उन्हें हिरासत में लिया है और उनके बयान की पुष्टि के बाद कुछ दिनों में उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। जब लविंदर कौर अगले दिन फिर से पुलिस स्टेशन गईं, तो अधिकारियों ने बताया कि उन्हें पूछताछ के लिए अमृतसर भेज दिया गया है और वह उनसे दोबारा नहीं मिल सकतीं।
17 दिसंबर 1992 को, समाचार पत्रों ने एक मुठभेड़ पर आधारित एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जो इस पर आधारित थी:
पुलिस द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि अमृतसर के सुल्तानविंड निवासी शिंगारा सिंह के पुत्र प्यारा सिंह को सुरक्षा घेरे में हथियार बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था, तभी शहजादा गांव के सुखदेव सिंह उर्फ हकीम सिंह के नेतृत्व में आतंकवादियों के एक समूह ने प्यारा सिंह को छुड़ाने के इरादे से काफिले पर हमला कर दिया। इस मुठभेड़ में दोनों आतंकवादी मारे गए।

[illegible]
the killing of Sukhdev Singh and Pyara Singh.

[illegible]
[illegible] 35/1 [illegible], [illegible], [illegible] 3 [illegible] 1987 [illegible] "[illegible]"
[illegible]
[illegible] CCDP/01264 [illegible]
Twenty-five-year-old Sukhdev Singh, son of Angrez Singh and Prakash Kaur,
[illegible] (399)

[illegible] 1982 [illegible] 1982 [illegible] 1984 [illegible] 1984 [illegible] 18 [illegible],

1 [illegible] 1987 [illegible]

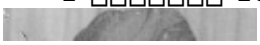

[illegible] 4 [illegible] 1987 [illegible]

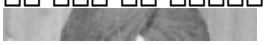

[illegible]

सुखदेव की हत्या करने के एक महीने बाद, लाखा सिंह के पुत्र सिंह ने अपने गांव तोले नांगल से ही सुखदेव को मार डाला और गांव हर्षा छीना के पास फर्जी मुठभेड़ की एक अलग घटना में उसे भी मार डाला।

319. क्रमांक 42/2 के अंतर्गत सूची में बलकार सिंह उर्फ काला, पुत्र बख्शीश सिंह, निवासी ओथियन, अजनाला के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो लोपोके पुलिस द्वारा 24 अक्टूबर 1987 को एफआईआर संख्या 229/87 के अंतर्गत किया गया था। इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कोई क्रमांक नहीं है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।

समिति ने इस मामले के संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की है।

घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01454 है। मुख्य सूचनादाता पीड़िता की मां कश्मीर कौर हैं।

बख्शीश सिंह और कश्मीर के बेटे, बीस वर्षीय बलकार सिंह उर्फ काला

कश्मीर कौर, अमृतसर जिले के अजनाला उपमंडल के ओथियां गांव में अपने दो भाइयों और बहनों के साथ रहती थीं। उनके पिता का निधन कम उम्र में ही हो गया था और बलकार, बेटों में सबसे बड़े होने के नाते, पारिवारिक खेती की देखभाल के लिए स्कूल छोड़ दिया था। कश्मीर कौर के अनुसार, गांव के कुछ प्रभावशाली लोग, जो उनकी पारिवारिक जमीन हड़पना चाहते थे, बलकार के राजनीतिक और उग्रवादी संबंधों के बारे में पुलिस को झूठी जानकारी देने लगे, ताकि उन्हें मुसीबत में फंसाया जा सके। पुलिस ने उन्हें यातना देकर पूछताछ के लिए उठाना शुरू कर दिया। बलकार यातना सहन नहीं कर सके और घर छोड़कर भूमिगत आंदोलन में शामिल हो गए, जिसके कारण पुलिस ने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी दुर्व्यवहार किया।

23 अक्टूबर 1987 को, लोपोके पुलिस ने कोलोवाल गांव में एक फार्महाउस पर छापा मारा।

खुहलन के पास, जहां बलकार ने अपने दो साथियों मेजर सिंह और बलबीर सिंह के साथ अस्थायी शरण ली थी। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और कुछ घंटों बाद एक कथित मुठभेड़ में बलकार को गोली मारकर हत्या कर दी। मेजर सिंह और बलबीर सिंह एक सप्ताह बाद एक फर्जी मुठभेड़ की घटना में मारे गए।
320. क्रमांक 91/3 के अंतर्गत सूची में चरणजीत सिंह के दाह संस्कार का उल्लेख है, जिनके शवों को राख में बदल दिया गया है।

उर्फ चन्नी, पिता गुरनाम सिंह, निवासी झालियन, की हत्या जंडियाला पुलिस स्टेशन के एसएचओ कश्मीर सिंह द्वारा 8 जुलाई 1989 को एफआईआर संख्या

107/89 के तहत की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कोई नंबर नहीं है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
सीसीडीपी को इस घटना के संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हुई है। रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01665. मुख्य सूचनादाता पीड़ित का भाई जसबीर सिंह है।
गुरनाम सिंह और जागीर के पुत्र, बीस वर्षीय चरणजीत सिंह उर्फ चन्नी
कौर, अमृतसर जिले के जंडियाला गुरु पुलिस स्टेशन के अंतर्गत बुंडाला डाकघर के जनियान गांव की निवासी थीं। गुरनाम के दो बेटों में से छोटा बेटा चरणजीत अविवाहित था।
1985 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, चरणजीत का संपर्क हुआ। उग्रवादियों के साथ उसके संबंधों का पता चलने पर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और प्रताड़ित किया। पुलिस ने उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया, बल्कि उसे नियमित रूप से अवैध हिरासत में रखा और पूछताछ के दौरान यातनाएं दीं। अंततः 1986 में चरणजीत घर छोड़कर उग्रवादी भूमिगत संगठन में शामिल हो गया। अगले तीन वर्षों तक उसके परिवार के सदस्यों को अवैध हिरासत में बहुत उत्पीड़न और यातनाएं सहनी पड़ीं। पुलिस चाहती थी कि वे चरणजीत का पता लगाएं और उसे पुलिस के समक्ष पेश करें। वे ऐसा करने में असमर्थ रहे।
7 जुलाई 1989 को पुलिस ने चरणजीत और उसके एक साथी सुखदेव को गिरफ्तार कर लिया।
अमृतसर के जंडियाला गुरु पुलिस स्टेशन के अंतर्गत नांगल गुरु गांव के मोहिंदर सिंह के पुत्र चरणजीत और सुखदेव को एकलगड्डा गांव के एक घर से पुलिस ने घेर लिया, जहां उन्होंने अस्थायी रूप से शरण ली थी। पुलिस ने घर को घेर लिया और गोलीबारी की, जिसमें चरणजीत और सुखदेव दोनों घायल हो गए। बाद में उन्हें हिरासत में ले लिया गया। कुछ ही देर में वेरोवाल पुलिस स्टेशन और तरन तारन से अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा और उन्हें खेतों में ले जाकर एक सुनियोजित मुठभेड़ में मार गिराया।
उसी शाम करीब सात बजे जंडियाला गुरु पुलिस ने चरणजीत के पिता को हिरासत में ले लिया।
गुरनाम सिंह और सुखदेव की मां को हिरासत में लेकर शवों की पहचान के लिए पुलिस स्टेशन लाया गया। पुलिस ने अगले दिन दोनों को रिहा कर दिया और परिवार के सदस्यों की उपस्थिति के बिना ही उनके बेटों का अंतिम संस्कार कर दिया।
यह स्पष्ट नहीं है कि सीबीआई की पहचान सूची में सुखदेव के अंतिम संस्कार का उल्लेख क्यों नहीं है।
आंशिक रूप से पहचाने गए दाह संस्कार। दाह संस्कार का उल्लेख आंशिक रूप से पहचाने गए सूची में क्रमांक 92/14 के अंतर्गत है। सूची में उल्लेख है कि एसएचओ कश्मीर सिंह ने एफआईआर संख्या 107/89 के अंतर्गत दाह संस्कार किया। क्रमांक 95/5 के अंतर्गत दी गई सूची में रणधीर सिंह उर्फ दीरा, पुत्र मान सिंह, निवासी मुंडा पिंड, के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो रामदास पुलिस स्टेशन के एसएचओ राजिंदर सिंह द्वारा 1 अगस्त 1989 को किया गया था। इसमें न तो एफआईआर है और न ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्रमांक। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
सीसीडीपी ने अपने माध्यम से इस मामले के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।

घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01500। मुख्य सूचनादाता हीरा सिंह हैं, जो पीड़ित के भाई हैं।
रणधीर सिंह उर्फ टिटू, मान सिंह और मोहिंदर का 16 वर्षीय पुत्र था।
कौर, अमृतसर जिले के खदुर साहिब उपमंडल के गोइंदवाल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पट्टी डोगा के मुंडा पिंड की निवासी थीं। वह मैट्रिक पास थीं, सिख छात्र संघ की सदस्य थीं और अविवाहित थीं।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (401)

अपने स्कूली दिनों में ही रणधीर अकाली आंदोलन से जुड़ने लगे थे।
पंजाब की स्वायत्तता के बाद, जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के तुरंत बाद, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और अगले ढाई साल तक नाभा की उच्च सुरक्षा वाली जेल में कैद रखा गया। 1986 के अंत में जब वे जेल से बाहर आए, तो पुलिस ने उनके खिलाफ और मामले दर्ज किए। उन्होंने उन्हें अवैध रूप से हिरासत में लिया और यातनाएं दीं। उत्पीड़न के इस सिलसिले से तंग आकर, रणधीर ने घर छोड़ दिया और उग्रवाद में शामिल हो गए। अगले ढाई साल तक, पुलिस ने रणधीर के परिवार को अवैध हिरासत, यातना और अपमान का शिकार बनाया।
जुलाई 1989 के आखिरी सप्ताह में, जंडियाला गुरु पुलिस ने रणधीर को गिरफ्तार कर लिया।
रणधीर को उसकी मौसी चरण कौर, जो अजैब सिंह की पत्नी थीं, के घर, मल्लियां गांव में रखा गया था। पुलिस ने तड़के सुबह घर पर छापा मारा, जब रणधीर नमाज पढ़ रहा था। हीरा सिंह के अनुसार, उससे कुछ दिनों तक यातना देकर पूछताछ की गई और फिर एक फर्जी मुठभेड़ में उसकी हत्या कर दी गई।
पुलिस ने परिवार को सूचित किए बिना ही अंतिम संस्कार कर दिया।
.

322. क्रमांक 111/9 के अंतर्गत सूची में बलराज सिंह उर्फ टीता, पुत्र सुखदेव सिंह, निवासी कोटला गुजरां, के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो मजीठा पुलिस स्टेशन के एसएचओ द्वारा 28 अगस्त 1989 को एफआईआर क्रमांक 94/89 के अंतर्गत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्रमांक नहीं दिया गया है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
सीसीडीपी ने अपने घटना रिपोर्ट प्रपत्र से निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
क्रमांक CCDP/00774. मुख्य सूचनादाता पीड़ित के पिता सुखदेव सिंह हैं।
सुखदेव सिंह के पुत्र, बाईस वर्षीय बलराज सिंह उर्फ तोता एक युवा थे।
अमृतसर जिले के मजीठा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले कोटला गुज्जरन गांव और डाकघर के किसान। उनका विवाह नरिंदर कौर से हुआ था और उनकी एक बेटी है, जग्रूप कौर, जो अब 12 वर्ष की है।
सुखदेव सिंह के अनुसार, बलराज इस उग्रवादी गतिविधि में शामिल नहीं था। सुखदेव एक सामान्य जीवन जी रहे थे और अपने परिवार के प्रति समर्पित थे। 27 अगस्त 1989 को दोपहर के आसपास, मजीठा पुलिस स्टेशन के एसएचओ सुरिंदर सूद और डीएसपी परमजीत सिंह गिल पुलिस बल के साथ उनके घर आए और बलराज को हिरासत में ले लिया। सुखदेव ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि उनके बेटे का आतंकवादियों से कोई संबंध नहीं था, लेकिन उन्होंने उनकी बात अनसुनी कर दी। उसी रात मजीठा पुलिस ने एक फर्जी मुठभेड़ की, जिसमें बलराज सिंह और उसी गांव कोटला गुज्जरां के रहने वाले अपार सिंह के बेटे लाल सिंह उर्फ लाडी

की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों का अंतिम संस्कार अमृतसर के शीतला मंदिर श्मशान घाट में अज्ञात शवों के रूप में कर दिया।
सीबीआई की अज्ञात शवदाह की सूची, क्रमांक 110/86 और 112/87 के अंतर्गत, 28 अगस्त 1989 को मजीठा पुलिस द्वारा किए गए दो अज्ञात शवदाह को दर्शाया गया है। स्पष्ट रूप से, सीबीआई इनमें से एक शवदाह में बलराज सिंह की पहचान करने में सक्षम थी। सीबीआई की दूसरे शवदाह में लाल सिंह की पहचान न कर पाने की विफलता समझ से परे है, जबकि लाल सिंह उसी गाँव का निवासी था और बलराज के पिता के अनुसार, उसे भी उसी समय गिरफ्तार किया गया था। यह बात विशेष रूप से तब समझ से परे है जब बलराज और लाल सिंह दोनों को एक ही फर्जी मुठभेड़ में मार दिया गया था।
बलराज की हत्या के बाद पुलिस ने सुखदेव के घर पर छापेमारी जारी रखी, अंततः पुलिस ने उनकी सभी कीमती वस्तुएं जब्त कर लीं और फिर उनका घर जला दिया। सुखदेव का अनुमान है कि उन्हें लगभग 2 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। पुलिस ने उन्हें बुरी तरह प्रताड़ित किया, उन पर आपराधिक मामला दर्ज कराया और जेल भेज दिया। तीन महीने बाद, सबूतों के अभाव में एक विशेष अदालत ने उन्हें बरी कर दिया।
402 राख में तब्दील

323 – 324: क्रमांक 120/10 और 121/11 के अंतर्गत, सूची में मेहता पुलिस स्टेशन के एसएचओ स्वर्ण सिंह द्वारा 7 अक्टूबर 1989 को एफआईआर क्रमांक 100/89 के तहत किए गए दो शवदाहों का उल्लेख है। ये शव हैं: [1] मलकीत सिंह, पुत्र शिंगारा सिंह, निवासी तरसिक; और [2] अमरजीत सिंह, पुत्र करतार सिंह, निवासी तरसिक। सूची में पोस्टमार्टम संख्या नहीं दी गई है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने इन मामलों के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है। घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01201 और 01202। मुख्य सूचनादाता पीड़ितों की माताएं, सविंदर कौर और जोगिंदर कौर हैं।
23 वर्षीय मलकीत सिंह, जो शिंगारा सिंह के पुत्र थे, निवासी थे।
अमृतसर जिले के बाबा बकाला उपमंडल के मत्तेवाल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत नहर पुल स्थित तरसिक्का गांव और डाकघर में रहने वाले मलकीत का विवाह परमजीत कौर से हुआ था। वह एक परिवहन कंपनी में 8000 रुपये के अच्छे वेतन पर कार्यरत थे।
जून 1989 में, मलकीत कुछ लोगों के संपर्क में आया और एक कार्यक्रम में शामिल हो गया।
सिख राज्य के लिए भूमिगत उग्रवादी आंदोलन। पुलिस को इसका पता चला और उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी।
उसे गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पर छापा मारा गया। मलकीत घर छोड़कर उग्रवादियों में शामिल हो गया। पुलिस ने उसकी कार, जिसका पंजीकरण नंबर PNO 2928 था, एक एम्बेसडर कार, जब्त कर ली और मलकीत को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने के लिए उसकी पत्नी सहित उसके परिवार के सदस्यों को भी हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उसके परिवार के सदस्यों को तीन महीने तक अवैध रूप से हिरासत में रखा, जब तक कि अक्टूबर में मलकीत को पकड़कर मार नहीं दिया गया। पुलिस ने मलकीत की कार उसके परिवार को कभी वापस नहीं की।

5 अक्टूबर 1989 को मेहता पुलिस ने अमरजीत को गिरफ्तार किया।

सिंह, करतार सिंह के पुत्र, जो तरसिक्का गांव के वटालियन दी पट्टी में रहते थे, जब वे घर लौट रहे थे...

मलकीत सिंह की मुलाकात मलकीत सिंह से हुई। अमरजीत 20 साल का था और दर्जी का काम करता था।

पेशा। वह अविवाहित था। अमरजीत को प्रताड़ित किया गया और

मलकीत के छिपने की जगह बताने के लिए मजबूर किया गया। इस सूचना के आधार पर, पुलिस ने 6 अक्टूबर 1989 की सुबह मेहसमपुर गांव में हरभजन सिंह के घर पर छापा मारा और वहां सो रहे मलकीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उसी रात, मलकीत और अमरजीत को कोट खेड़ा गांव के पास एक कथित मुठभेड़ में मृत दिखाया गया। अगली सुबह, एसएसपी अनिल शर्मा ने प्रेस को बताया कि मलकीत सिंह और अमरजीत सिंह दोनों बब्बर खालसा से संबंधित थे और कई आतंकवादी अपराधों में शामिल थे। पुलिस ने तरसिक्का और कोट खेड़ा की ग्राम परिषदों के मुखियाओं, मलकीत की पत्नी कुलविंदर कौर और अमरजीत की मां को भी कथित मुठभेड़ स्थल पर ले जाकर शव दिखाए। परिवारों को अमृतसर के शीतला मंदिर में अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी गई।
मलकीत की विधवा कुलविंदर कौर बहुत दुखी थीं और 40 दिन बाद उन्होंने
उसने जहर का सेवन किया और वही जहर अपनी साढ़े तीन साल की बेटी को भी पिला दिया। दोनों की मौत हो गई।
325 – 326: क्रमांक 124/13 और 125/14 के अंतर्गत, सूची में एसएचओ मजीठा द्वारा 26 अक्टूबर 1989 को किए गए दो शवदाहों की पहचान की गई है। ये शव हैं: [1] सुखदेव सिंह उर्फ सुखा, पुत्र प्यारा सिंह, निवासी तरसिक; और [2] गुरजीत सिंह उर्फ बाबा बंता, पुत्र कुंदन सिंह, निवासी लश्करी नांगल। सूची में
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (403)

एफआईआर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के नंबरों का उल्लेख नहीं किया गया है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने इन दोनों मामलों में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01192 और 01262। मुख्य सूचनादाता पीड़ितों की विधवाएं गुरजीत कौर और कुलदीप कौर हैं।
Twenty-three-year-old Sukhdev Singh alias Sukha, s/o Pyara Singh, was a resi-

सुखदेव अमृतसर जिले के बाबा बकाला उपमंडल के मत्तेवाल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत भगतान दा डेरा के पास स्थित तरसिक्का गांव और डाकघर के निवासी थे। पारिवारिक भूमि में खेती करने के अलावा, सुखदेव की गांव में एक किराने की दुकान भी थी। गुरजीत कौर से विवाहित, उनके दो बेटे थे, जसराज सिंह (अब 15 वर्ष) और बाज सिंह (13 वर्ष)।
सुखदेव एक बपतिस्मा प्राप्त सिख थे और अत्यंत धार्मिक थे। भारतीय सेना के हमले के दौरान
जून 1984 में स्वर्ण मंदिर पर हुए हमले और उसके बाद भारत में सिख समुदाय के खिलाफ पुलिस की ज्यादतियों ने सुखदेव को एक स्वतंत्र सिख राज्य के लिए उग्रवादी आंदोलन में रुचि लेने के लिए प्रेरित किया। मेहता पुलिस ने सुखदेव को पहली बार 1987 में शस्त्र अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया। अमृतसर में छह महीने जेल में बिताने के बाद सुखदेव सिंह जमानत पर घर लौट आए। लेकिन पुलिस ने उनके घर पर छापे मारना जारी रखा, उन्हें यातना देकर पूछताछ के लिए ले जाती और उन्हें रोजाना मेहता पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाने के लिए मजबूर करती। पुलिस उनसे उत्पीड़न से बचने के लिए पैसे भी वसूलती थी। सुखदेव इन दैनिक अपमानों को सहन नहीं कर सके और उग्रवादी भूमिगत आंदोलन में शामिल होने के लिए अपना घर छोड़ दिया।
पुलिस ने उसके परिवार के सदस्यों को लगातार परेशान और प्रताड़ित किया, जिसके चलते वे भी वहां से चले गए।
वे अपने रिश्तेदारों के साथ रहने के लिए घर गए थे। उनकी अनुपस्थिति में, पुलिस ने उनके घर का सारा सामान जब्त कर लिया और घर को भी ध्वस्त कर दिया। 7 अक्टूबर 1989 को, एएसआई मलाहर सिंह और शर्मा के नेतृत्व में मेहता पुलिस ने छापा मारा।
उत्तर प्रदेश के बिस्मा जिले के घराउआन गांव में रहने वाले सुखदेव की पत्नी के दो चचेरे भाइयों, कुलविंदर सिंह और जोगा सिंह के घरों पर छापा मारा गया। यह छापा तरसिक्का गांव के अमरजीत सिंह और मलकीत सिंह से पूछताछ के बाद मारा गया, जिन्हें पुलिस ने 6 अक्टूबर 1989 की रात को फर्जी मुठभेड़ में मार दिया था। सुखदेव सिंह को घराउआन गांव से गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए मेहता पुलिस स्टेशन लाया गया। 23 अक्टूबर 1989 को सुखदेव की मां बलवंत कौर ने एसएचओ स्वर्ण सिंह से विनती करके मेहता पुलिस स्टेशन में उनसे मुलाकात की। सुखदेव की हालत गंभीर थी और वे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। पुलिस ने स्पष्ट रूप से उन्हें बेरहमी से प्रताड़ित किया था। 25 अक्टूबर 1989 को सुखदेव जगदेव कलां के पास एक मुठभेड़ में शहीद हो गए। यह दिखाने के लिए रची गई एक साजिश थी कि जब पुलिस उन्हें और दो अन्य लोगों को हथियार बरामद करने के लिए ले जा रही थी, तब उनके उग्रवादी साथियों ने उन्हें और दो अन्य लोगों को बचाने की कोशिश की। आरोप है कि गोलीबारी में सुखदेव सिंह और उनके दो साथी कैदी मारे गए। सुखदेव के परिवार को उनकी हत्या के बारे में अखबारों में छपी खबरों और शवों की तस्वीरों के माध्यम से पता चला।
गुरजीत सिंह, पुत्र कुन्दन सिंह, डाकघर गुरु के भीतर लश्करी नंगल से अमृतसर जिले के अजनाला उपमंडल के झंदेर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले का बाग में रहने वाला सुखदेव सिंह भी उसी मुठभेड़ में मारे गए लोगों में शामिल था। वह 35 वर्षीय किसान था, जिसकी पत्नी कुलदीप कौर थी और उसके दो बच्चे थे।
गुरजीत ने 1982 में अकाली दल द्वारा शुरू किए गए आंदोलन में भाग लिया था।

केंद्र से राज्यों को राजनीतिक शक्ति के आमूल-चूल हस्तांतरण की मांग करते हुए। जून 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर सेना के हमले के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और अवैध हिरासत में यातनाएं दीं। पुलिस ने उन्हें लगातार परेशान किया, नियमित रूप से पूछताछ के लिए उन्हें उठा ले जाती और 404 दिनों तक अवैध हिरासत में रखती रही।

लंबे समय तक यातनाओं के शिकार रहने के बाद, 1987 में गुरजीत सिंह ने एक संप्रभु सिख राज्य की स्थापना चाहने वाले भूमिगत उग्रवादियों में शामिल होने का फैसला किया।
परिवार के सदस्यों को पुलिस द्वारा लगातार परेशान किया जाता रहा, और अंततः-
उनके परिवार को अपना गाँव छोड़कर कहीं और रिश्तेदारों के यहाँ शरण लेनी पड़ी। वे अगले कई वर्षों तक अपनी ज़मीन पर खेती नहीं कर सके।
15 अक्टूबर 1989 को पुलिस ने गुरजीत को एक चेकपोस्ट के पास से गिरफ्तार कर लिया।
गुरजीत को काठू नांगल नहर के पुल पर तब पकड़ा गया जब वह साइकिल से पुल पार कर रहा था। पहले उसे काठू नांगल पुलिस स्टेशन में हिरासत में लिया गया और फिर आगे की पूछताछ के लिए मजीठा पुलिस स्टेशन भेज दिया गया, जहां उसके गांव के कई अवैध हिरासत में लिए गए लोगों ने उसे देखा। मजीठा पुलिस स्टेशन में गुरजीत को कथित तौर पर प्रताड़ित किया गया और फिर अमृतसर के मॉल मंडी पूछताछ केंद्र भेज दिया गया।
25 अक्टूबर 1989 को, गुरजीत को सुखदेव सिंह के साथ मृत दिखाया गया था। तरसिक्का गांव में लश्करी नांगल गांव के पास रची गई एक मुठभेड़ में एक अज्ञात व्यक्ति मारा गया। परिवार को अगले दिन अखबार में छपी खबरों के बाद उसकी हत्या के बारे में पता चला, जिसमें उसके शव की तस्वीर भी थी। कुलदीप कौर के अनुसार, गुरजीत की विधवा, जो अब अपने माता-पिता के साथ रहती है,
अमृतसर जिले के अजनाला उपमंडल में घरत के पास स्थित सहंसरा कलां गांव और डाकघर के पास, उसी मुठभेड़ में मारे गए तीसरे व्यक्ति का नाम सकत्तर सिंह सखीरा था। हालांकि, सीबीआई की शवदाह सूची में 26 अक्टूबर 1989 को तीसरे शवदाह का कोई उल्लेख नहीं है और हमें नहीं पता कि तीसरे शव का क्या हुआ।
327. क्रमांक 130/15 के अंतर्गत सूची में 6 नवंबर 1989 को सुरिंदर सिंह उर्फ चिंदा उर्फ जगू, पुत्र मोहिंदर सिंह, निवासी मेहंदीपुर, थाना खेमकरण, के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो अजनाला पुलिस स्टेशन के हेड कांस्टेबल नरिंदर सिंह द्वारा संपन्न किया गया था। इसमें कोई एफआईआर या पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्रमांक नहीं है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है। समिति ने इस मामले के संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01561 है। पीड़िता की मां प्रकाश कौर मुख्य सूचनादाता हैं।
मोहिंदर सिंह और प्रकाश कौर के पुत्र, अठारह वर्षीय सुरिंदर सिंह, अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के खेमकरण पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले मेहंदीपुर गांव का रहने वाला एक छात्र आठवीं कक्षा का विद्यार्थी था। जून 1984 में स्वर्ण मंदिर के खिलाफ सेना के अभियान के बाद,
सुरिंदर सिंह और उनके छोटे भाई गुरबाज सिंह पंजाब में सिख उग्रवादी आंदोलन के प्रभाव में आ गए। पुलिस ने उनके परिवार के सदस्यों को प्रताड़ित

करना शुरू कर दिया और उन्हें अवैध हिरासत में रखकर बार-बार यातनाएं दीं। पुलिस ने उनके पिता मोहिंदर सिंह को इतनी बेरहमी से प्रताड़ित किया कि वे बिस्तर पर पड़ गए और अंततः चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई। हालात से निपटने के लिए परिवार को अपनी 11 एकड़ की बहुमूल्य कृषि भूमि का बड़ा हिस्सा बेचना पड़ा। अंततः, पुलिस ने सुरिंदर सिंह और गुरबाज सिंह दोनों को मार डाला।
5 नवंबर 1989 को, सुरिंदर सिंह को एक मुठभेड़ में मृत दिखाया गया था। कोटली सक्कियां वाली गांव के पास अजनाला पुलिस के साथ जगदेव कलां गांव के कुलवंत सिंह के साथ मुठभेड़ हुई। हत्याओं के कुछ दिनों बाद, प्रकाश कौर उस गांव में गईं जहां कथित तौर पर मुठभेड़ हुई थी, ताकि वे खुद पूछताछ कर सकें और उन्हें पता चला कि पुलिस के दबाव में, उस घर के निवासियों को, जहां वे हुआ करते थे, पुलिस ने हिरासत में ले लिया था।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (405)

आश्रय लेने वाले समूह ने उन दोनों को जहरीला दूध दिया था और जब वे बेहोश होकर गिर पड़े, तो पुलिस उन्हें घसीटकर ले गई और एक सुनियोजित मुठभेड़ में उनकी हत्या कर दी।
सीबीआई की सूची में केवल सुरिंदर सिंह के अंतिम संस्कार का उल्लेख है और यह स्पष्ट नहीं है कि यह सब किस दौरान हुआ।
कुलवंत के शव का क्या हुआ?
सुरिंदर की हत्या के कुछ समय बाद, सीआरपीएफ ने परिवार के घर पर छापा मारा और उसे ले गई।
गुरबाज सिंह को हिरासत में लिया गया था। गुरबाज तब से लापता है।
प्रकाश कौर के अनुसार, पुलिस ने तीन भाइयों को भी पकड़कर मार डाला।
उनके पति मोहिंदर सिंह हैं। वे सुखवंत सिंह, बलवंत सिंह और कुलवंत सिंह हैं, जो सभी देसा सिंह के पुत्र हैं।
328. क्रमांक 142/16 के अंतर्गत सीबीआई की सूची में दलविंदर सिंह, पुत्र अचिन सिंह, निवासी खियाला के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो लोपोके पुलिस स्टेशन के एसएचओ द्वारा एफआईआर संख्या 27.2.1990 के तहत 28 फरवरी 1990 को किया गया था। सूची में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का नंबर नहीं है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है-

इस मामले के बारे में जानकारी घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/00329 के माध्यम से दी गई है। मुख्य सूचनादाता पीड़ित का पिता है।

बीस वर्षीय दलविंदर सिंह, पिता अच्छर

दलविंदर सिंह, अमृतसर जिले के अजनाला उपमंडल के लोपोके पुलिस स्टेशन के अंतर्गत खियाला कलां डाकघर के खियाला खुर्द के निवासी थे। उनके पिता एक गरीब किसान थे और उन्हें और उनके भाई गुलजार को स्कूल भेजने में असमर्थ थे। दिसंबर 1987 में, दलविंदर को मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में एक परिवहन कंपनी में ट्रक चालक की नौकरी मिल गई।

अप्रैल 1988 में पुलिस ने उनके भाई गुलजार की हत्या कर दी थी।

एक फर्जी मुठभेड़ में पकड़े जाने के बाद, दलविंदर अपने माता-पिता के साथ रहने और उन्हें सांत्वना देने के लिए अपने गाँव लौट आया। हालाँकि, जब वह स्वर्ण मंदिर के दर्शन के लिए अमृतसर गया, तो पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। मल्ल मंडी पूछताछ केंद्र में उसे प्रताड़ित किया गया। खियाला खुर्द गाँव का एक व्यक्ति, जो अपने बेटे के मामले की पैरवी करने मल्ल मंडी पुलिस स्टेशन गया था, जिसे वहाँ अवैध रूप से हिरासत में रखा गया था, उसे दलविंदर के मामले के बारे में पता चला और उसने उसके परिवार को उसके वहाँ पूछताछ में होने की सूचना दी। अच्छर सिंह ने चौहारा साहिब के पास रूरी वाला गाँव के रहने वाले अपने एक रिश्तेदार, पूर्व पुलिस अधिकारी वीर सिंह से मदद मांगी। वीर सिंह मल्ल मंडी पूछताछ केंद्र में डीएसपी गुरमेल सिंह बाई से मिले और दलविंदर को छुड़ाने में कामयाब रहे, जिसे पुलिस ने टाडा के तहत एक मामले में फंसाकर अमृतसर जेल भेज दिया था। दलविंदर को छह महीने बाद जमानत मिल गई और वह 1988 के अंत में अमृतसर जेल से बाहर आ गया।

पुलिस ने उसके घर पर दोबारा छापा मारना शुरू कर दिया और आगे की यातनाओं से डरकर दलविंदर

सिंह अपना घर छोड़कर चले गए।

27 फरवरी 1990 को दलविंदर अपने गाँव घूमने आया, लेकिन उसने वहीं सोने का फैसला किया।

गुरमेज सिंह, पुत्र सूरता सिंह के घर में। पुलिस को इसकी सूचना मिली और लोपोके पुलिस स्टेशन के एसएचओ धर्म सिंह के नेतृत्व में घर पर छापा मारा गया। दलविंदर गुरमेज के परिवार वालों से बात कर रहा था जब पुलिस कमरे में आई और उसे गोली मार दी। पुलिस ने ही अंतिम संस्कार किया और परिवार को इसकी जानकारी बाद में मिली। 406 शवों को राख में बदल दिया गया।

अमृतसर जिले के काठू नांगल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जैंतीपुर डाकघर के अधीन स्थित चाचोवाली गांव (जिसे सीबीआई की सूची में गलती से दादेवाली बताया गया था) का रहने वाला एक अन्य व्यक्ति भी मजहबी सिख था। बलविंदर की तरह वह भी खेतिहर मजदूर के रूप में अपना जीवन यापन करता था। उसकी मां के अनुसार, सुचा सिंह को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था और उसका उग्रवादी आंदोलन से कोई संबंध नहीं था।
25 जनवरी 1991 की सुबह, बलविंदर, जो घर से फरार था,
कुछ महीने पहले, बलविंदर बाबा निगाह गुरुद्वारा जा रहे थे और गांव के मज़हबी सिख के रूप में उन्हें जानने वाले सुचा सिंह उनसे मिलने वहां गए थे। पुलिस को बलविंदर की मौजूदगी का पता चला और सेना की एक टुकड़ी के साथ मिलकर उन्हें पकड़ने के लिए अभियान चलाया गया। गुरुद्वारे के ठीक बाहर, मंदिर परिसर के चारों ओर घेरा बनाकर भागने की कोशिश में बलविंदर और सुचा सिंह दोनों मारे गए। घटना गांव में ही घटी, इसलिए बलविंदर और सुचा सिंह के परिवार वालों को इसकी भनक लग गई और वे गुरुद्वारे पहुंच गए। शवों को पहले ही काठू नांगल पुलिस स्टेशन ले जाया जा चुका था। पुलिस ने अंतिम संस्कार कर दिया और परिवार वालों को इसमें शामिल होने की अनुमति नहीं दी।
331. क्रमांक 227/23 के अंतर्गत दी गई सूची में अमरजीत सिंह, पुत्र मोहिंदर सिंह, निवासी साथियाला के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो ब्यास पुलिस स्टेशन के एसएचओ राजन सिंह द्वारा 18 फरवरी 1991 को संपन्न कराया गया था। इसमें कोई एफआईआर क्रमांक नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिनांक 177/18.2.1991 के रूप में अंकित है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने घटना रिपोर्ट के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की है। प्रपत्र संख्या CCDP/01225. मुख्य सूचनादाता पीड़िता की विधवा परमजीत कौर हैं।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (407)

गोपी दी पट्टी निवासी मोहिंदर सिंह के पुत्र 27 वर्षीय अमरजीत सिंह।
अमृतसर जिले के बाबा बकाला उपमंडल के ब्यास पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले सथियाला गांव के निवासी, परमजीत कौर सेना की 286 मीडियम रेजिमेंट में सैनिक थे। उनका विवाह परमजीत कौर से हुआ था और उनकी तीन बेटियां थीं।
उनमें सबसे बड़ी बेटी अब 15 वर्ष की है।
फरवरी 1991 में अमरजीत छुट्टी पर घर आया। 17 फरवरी को शाम लगभग 5 बजे। 1991 में, अमरजीत गांव के बस स्टैंड से घर लौट रहा था, तभी गांव के गुरुद्वारे के सामने उसे अपने गांव के मलकीत सिंह के साथ रोक लिया गया। तभी सीआरपीएफ जवानों से भरा एक ट्रक गुरुद्वारे के सामने आकर रुका। इससे पहले कि अमरजीत कुछ समझ पाता, सीआरपीएफ जवानों ने उस पर और मलकीत सिंह पर बंदूकें तान दीं और उन्हें हाथ ऊपर उठाने को कहा। अमरजीत ने सीआरपीएफ जवानों को बताना शुरू किया कि वह सेना का जवान है और छोटी छुट्टी पर अपने गांव आया है। उसने अपना पहचान पत्र भी दिखाया, लेकिन सीआरपीएफ जवान जरा भी नहीं हिचके और दोनों को गोली मारकर उनकी लाशें उठा ले गए और चले गए। अगले दिन, अखबारों में गांव सथियाला के बाहरी इलाके गखर बाबा के पास मुठभेड़ में दो आतंकवादियों के मारे जाने की खबर छपी।
अमरजीत का शव उसके परिवार को नहीं सौंपा गया; न ही वे अंतिम संस्कार में शामिल हो सके।

अंतिम संस्कार कर दिया गया। हालांकि, उन्होंने तुरंत अमरजीत की हत्या की सूचना उसकी रेजिमेंट को दे दी। वरिष्ठ सेना अधिकारी गांव आए और मामले की जांच के बाद सब-इंस्पेक्टर सरदूल सिंह और हवलदार धर्म पाल का हत्या के आरोप में कोर्ट मार्शल किया। उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। परिवार के सदस्यों के अनुसार, 17 फरवरी 1993 की शाम को सिकंदराबाद की सेना जेल में सजा को अंजाम दिया गया। अमरजीत सिंह के परिवार को सेना से सभी सेवा लाभ प्राप्त हुए।
सीबीआई द्वारा आंशिक रूप से पहचाने गए दाह संस्कारों की सूची के अनुसार, क्रमांक 228 के अंतर्गत/
26. जंडियाला पुलिस ने 18 फरवरी 1991 को धर्म सिंह के पुत्र मलकीत सिंह का अंतिम संस्कार किया। मलकीत सिंह की कहानी उपयुक्त अनुभाग में संक्षेप में दी गई है।
क्रमांक 332 – 333 के अंतर्गत, सूची में मेहता पुलिस स्टेशन के एसएचओ द्वारा 4 मार्च 1991 को असामान्य रूप से क्रमांकित एफआईआर 4.3.91 के तहत किए गए दो शवदाह का उल्लेख है। ये शवदाह [1] रघुबीर सिंह उर्फ बीरा, पिता प्रताप सिंह, निवासी रणमीको, और [2] निर्मल सिंह उर्फ बिट्टू, पिता मोहिंदर सिंह, निवासी रणमीको के हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कोई उल्लेख नहीं है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने इन मामलों के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01701 और 01700। मुख्य सूचनादाता रघुबीर के पिता प्रताप सिंह और निर्मल सिंह के भाई स्वर्ण सिंह हैं। प्रताप सिंह के पुत्र, तेईस वर्षीय रघुबीर सिंह उर्फ बीरा, एक
गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक पुलिस स्टेशन के अंतर्गत फत्तुपुर डाकघर के रणसीके तल्ला गांव का निवासी, रघुबीर एक बपतिस्मा प्राप्त रामघरिया सिख था, जिसने राजमिस्त्री बनने के लिए मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की थी। जाहिर तौर पर, उसका राजनीति से कोई नाता नहीं था और पुलिस ने उसे कभी गिरफ्तार नहीं किया था। रघुबीर अविवाहित था।
मोहिंदर सिंह और कंस के पुत्र, चौबीस वर्षीय निर्मल सिंह उर्फ बिट्टा। कौर, रघुबीर की तरह, गुरदासपुर जिले के रानसीके तल्ला गांव की निवासी थीं, बपतिस्मा प्राप्त रामघरिया सिख थीं और राजमिस्त्री भी थीं। निर्मल का विवाह राजवंत कौर से हुआ था। उनके भाई के अनुसार, निर्मल का भी कोई राजनीतिक या उग्रवादी पृष्ठभूमि नहीं थी और उन्हें कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था।
408 राख में तब्दील

फरवरी 1991 के तीसरे सप्ताह में, मॉल मंडी के अधिकारियों के एक समूह ने अमृतसर स्थित पूछताछ केंद्र के सब-इंस्पेक्टर कृपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिसकर्मी रणसीके तल्ला गांव पहुंचे और निर्मल सिंह को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने रघुबीर सिंह को गांव की मुख्य गली से गिरफ्तार किया, जब उनकी हिरासत में मौजूद एक सिख कैदी ने उसकी ओर इशारा किया। निर्मल के भाई स्वर्ण सिंह ने इस कैदी की पहचान अथवाल गांव के जस्सा सिंह के रूप में की। गांव के कई निवासियों ने इन गिरफ्तारियों को देखा। इन गवाहों ने सब-इंस्पेक्टर कृपाल सिंह को भी पहचान लिया क्योंकि वे पहले डेरा बाबा नानक पुलिस स्टेशन में तैनात थे।

अगले दिन, रघुबीर और निर्मल दोनों के परिवार के सदस्यों के साथ-साथ कई अन्य लोग भी वहाँ पहुँचे।
ग्राम परिषद के सदस्य अमृतसर के मल्ल मंडी पूछताछ केंद्र गए और सब-इंस्पेक्टर कृपाल सिंह से मिले। सब-इंस्पेक्टर ने बताया कि दोनों से पूछताछ चल रही है और कुछ दिनों बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। 28 फरवरी 1991 को दोनों परिवारों ने प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति, पंजाब के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, पंजाब के डीजीपी और पंजाब मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को पंजीकृत याचिकाएं भेजीं। याचिकाओं में रघुबीर और निर्मल की गिरफ्तारी की परिस्थितियों का वर्णन किया गया था और उन्हें अवैध हिरासत से छुड़ाने के लिए हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया था। रघुबीर के पिता प्रताप सिंह को पंजाब के राज्यपाल कार्यालय से 91/818/C46 क्रमांकित एक पावती प्राप्त हुई, जिसमें कहा गया था कि शिकायत को आगे की कार्रवाई के लिए वित्त आयुक्त (गृह) को भेज दिया गया है।
दोनों लड़कों के परिवार के सदस्य इंस्पेक्टर कृपाल सिंह से लगातार मिलते रहे।
और मजीठा पुलिस जिले के एसएसपी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से गुहार लगाई कि वे या तो लड़कों को अवैध हिरासत से रिहा कर दें या उन्हें अदालत के सामने पेश करें। एसएसपी और सब-इंस्पेक्टर कृपाल सिंह ने पूछताछ के बाद उन्हें रिहा करने का वादा करना जारी रखा।
4 मार्च 1991 को, कई पंजाबी समाचार पत्रों ने इस बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित की।
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रघुबीर और निर्मल की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई, जो कथित तौर पर तब हुई जब आतंकवादियों के एक समूह ने पुलिस पर हमला किया, जो उनसे छिपे हुए हथियार बरामद करने के लिए गई थी। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि मुठभेड़ में हमलावर आतंकवादियों में से एक भी मारा गया।
पुलिस ने परिजनों को सूचित किए बिना ही शवों का अंतिम संस्कार कर दिया। सीबीआई की अज्ञात शवदाह की सूची, क्रमांक 235/184 के अंतर्गत, दर्शाती है कि
मेहता पुलिस ने 4 मार्च 1991 को एक अज्ञात व्यक्ति का तीसरा अंतिम संस्कार किया, जिसकी कथित तौर पर उसी मुठभेड़ में मृत्यु हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को GM/FM/277/91 के रूप में चिह्नित किया गया है।
334. क्रमांक 239/26 के अंतर्गत सूची में सतनाम सिंह, पुत्र अजीत सिंह, निवासी बोगुपुर, पुलिस थाना पट्टी, का अंतिम संस्कार 16 मार्च 1991 को ब्यास पुलिस थाना के एसएचओ राजिंदर सिंह द्वारा एफआईआर संख्या 60/91 के तहत किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिनांक 276/16.3.1991 के रूप में अंकित है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने इस मामले के संबंध में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01661 है। मुख्य सूचनादाता पीड़ित का चाचा जगतार सिंह चथा है।
पट्टी उपमंडल के भागूपुर गांव के रहने वाले पच्चीस वर्षीय सतनाम सिंह।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (409)

अमृतसर जिले के रहने वाले अजीत सिंह, उनके तीन बेटों में सबसे छोटे थे। वे अविवाहित थे और अपने पिता को कृषि कार्यों में मदद करते थे।
अजीत सिंह ने अपने बड़े बेटे दया के बाद अपने परिवार को उत्तर प्रदेश में स्थानांतरित करने का फैसला किया।
सिंह का अपने ही गांव के एक व्यक्ति से निजी झगड़ा हो गया और गुस्से में आकर उसने उसकी हत्या कर दी। संयोगवश, अजीत सिंह की भी उत्तर प्रदेश में कहीं हत्या कर दी गई। दया सिंह ने अपनी सजा पूरी की और फिर उग्रवादी संगठनों में शामिल होने के लिए पंजाब लौट गया। दया सिंह 1990 के मध्य में हुई एक मुठभेड़ में मारा गया। सतनाम के चाचा, जो परिवार के इकलौते सदस्य हैं और अभी भी गांव में रहते हैं, उनसे इन घटनाओं के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना हमारे लिए संभव नहीं हो पाया है।
अपने भाई की मौत के बाद, सतनाम ने भी उग्रवादियों के संगठन में शामिल होने का फैसला किया।
मार्च 1991 की शुरुआत में मजीठा पुलिस ने सतनाम को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की।
मॉल मंडी पूछताछ केंद्र में उन्हें भीषण यातनाएं दी गईं। 17 मार्च 1991 को, कई समाचार पत्रों ने दो उग्रवादियों, सतनाम सिंह भागूपुर और सतनाम सिंह सुग्गा की हत्या के बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जब उनके साथियों ने कथित तौर पर उन्हें पुलिस हिरासत से छुड़ाने का प्रयास किया। समाचार पत्रों ने इस खबर के स्रोत के रूप में मजीठा पुलिस जिले के एसएसपी परमजीत सिंह गिल का हवाला दिया।
परिवार के सदस्य पुलिस द्वारा कराए गए अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके।
335. क्रमांक 249/27 के अंतर्गत सूची में हरभजन सिंह, पुत्र सोहन सिंह, निवासी वेरका का अंतिम संस्कार 24 अप्रैल 1991 को दर्ज है, जो मजीठा पुलिस स्टेशन के एसएचओ द्वारा एफआईआर क्रमांक 43/91 के तहत किया गया था। इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कोई क्रमांक नहीं है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने इस मामले के संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01410 है। मुख्य सूचनादाता पीड़िता की विधवा सलविंदर कौर हैं।
पैंतीस वर्षीय हरभजन सिंह, सोहन सिंह के पुत्र, मकान नंबर 100 के निवासी थे।
अमृतसर जिले के गुरुद्वारा नानकसर के पीछे स्थित वेरका गांव और डाकघर में मकान संख्या 16/1441 था। वे पेशे से बढ़ई थे और उनकी पत्नी सलविंदर कौर से शादी हुई थी, जिनसे उनके तीन बेटे थे। सबसे बड़े बेटे शमशेर सिंह की उम्र अब 25 वर्ष है।
गुरदासपुर के मेहमा चक गांव के मूल निवासी एक जाट सिख परिवार के इकलौते बेटे।
कृषि योग्य भूमि से रहित जिले में, हरभजन लगभग 20 वर्ष पूर्व अपने माता- पिता के साथ वेरका कस्बे में आकर बस गए थे और वहाँ एक बढ़ई की दुकान खोली थी। बपतिस्मा प्राप्त सिख होने के कारण वे अत्यंत धार्मिक थे और वेरका के ऐतिहासिक गुरुद्वारे नानकसर के प्रबंधन में सक्रिय रूप से शामिल थे। उन्होंने नौजवान सेवक जत्था नामक एक संगठन की स्थापना भी की थी, जो मुख्य रूप से सिख धार्मिक स्थलों के निर्माण और मरम्मत के लिए स्वयंसेवी

[illegible]
1991 [illegible]
22 [illegible] 1991 [illegible] 410 [illegible]

[illegible]
23 [illegible] 1991 [illegible]
[illegible] 25 [illegible] 1991 [illegible]
336. [illegible] 253/30 [illegible] 27 [illegible] 1991 [illegible] CCDP/01307 [illegible]
[illegible] 15 [illegible]

1990 में, अमृतसर पुलिस ने करतार को कुछ लोगों से संबंध होने के संदेह में गिरफ्तार किया था।
आतंकवादी संगठनों ने उन पर शस्त्र अधिनियम और टाडा के तहत आरोप लगाए और उन्हें अमृतसर की उच्च सुरक्षा वाली जेल में नौ महीने के लिए बंद कर दिया। जमानत पर रिहा होने के बाद, जब पुलिस ने उन्हें परेशान करना जारी रखा, तो करतार ने अपना निवास अमृतसर शहर में स्थानांतरित करने का फैसला किया और वहां एक छोटे से किराए के मकान में रहने लगे।
25 मई 1991 को शाम लगभग 7 बजे, अजनाला पुलिस स्टेशन के एसएचओ मोहिंदर सिंह आए।
अदालीवाल गांव में करतार सिंह के घर पर छापा मारने के लिए पुलिस बल भेजा गया। करतार सिंह अमृतसर में थे, लेकिन उनके भाई बलवंत घर पर थे। पुलिस ने उन्हें करतार सिंह समझकर तुरंत पीटना शुरू कर दिया। जब बलवंत ने अपनी पहचान बताई, तो एसएचओ ने उन्हें जबरदस्ती अमृतसर ले जाकर करतार सिंह के घर का पता बताने को कहा। पुलिस करतार सिंह के घर पहुंची तो वह आराम कर रहे थे। उन्होंने तुरंत उन्हें पकड़ लिया और उनके हाथ पीछे बांधने लगे। जब करतार सिंह की पत्नी लखविंदर कौर ने विरोध किया, तो एसएचओ मोहिंदर सिंह ने उन्हें थप्पड़ मारा और वह बेहोश होकर गिर पड़ीं।
पुलिस करतार और उसके भाई बलवंत दोनों को पूछताछ के लिए मॉल मंडी ले गई। अमृतसर के पूछताछ केंद्र में बलवंत को ले जाया गया और तुरंत करतार को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया गया। उसके भाई के सामने ही उसे यातनाएं दी गईं और बिजली के झटके भी दिए गए। कुछ देर तक दर्द से चीखने के बाद करतार बेहोश हो गया। इसके बाद एसएचओ ने बलवंत को पूछताछ केंद्र छोड़ने के लिए कहा और उसे पुलिस वाहन में राजा सांसी बस स्टैंड तक छोड़ दिया। वहां से वह घर लौट गया।
अगली सुबह, बलवंत वापस मॉल मंडी पूछताछ केंद्र चला गया।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (411)

वह एसएचओ से या तो करतार को अवैध हिरासत से रिहा करने या उस पर औपचारिक रूप से आरोप लगाकर अदालत में पेश करने की गुहार लगाने की योजना बना रहा था।
लेकिन उसे पूछताछ केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई और एसएचओ ने उससे मिलने से इनकार कर दिया।
28 मई 1991 को समाचार पत्रों में एक उग्रवादी की हत्या की खबर प्रकाशित हुई।
रामदास के पास हुई मुठभेड़ में करतार सिंह और उसके एक अज्ञात साथी की मौत की खबर पढ़ने के बाद बलवंत, करतार की विधवा और बच्चों के साथ अमृतसर के शीतला मंदिर श्मशान घाट गए, जहां वहां के कर्मचारियों ने उन्हें बताया कि पुलिस दो शवों को लाकर एक ही चिता पर एक साथ जला चुकी है।
सीबीआई की अज्ञात शवदाह की सूची में किसी अन्य शवदाह का उल्लेख नहीं है। यह कार्रवाई रामदास पुलिस या अजनाला पुलिस द्वारा की जाएगी।
337 – 338: क्रमांक 262/32 और 263/33 के अंतर्गत, सूची में 17 जून 1991 को कठूनंगल पुलिस स्टेशन के एसएचओ राजिंदर सिंह द्वारा किए गए दो शवदाहों का उल्लेख है। एफआईआर क्रमांक 16.6.91 है। शवदाह निम्नलिखित व्यक्तियों के हैं: [1] गुरमेल सिंह उर्फ गुल्लू उर्फ पप्पू उर्फ उधस्सप, पुत्र निरंजन सिंह, निवासी चीमा; और [2] प्रेम सिंह उर्फ प्रेमा, पुत्र मोहिंदर सिंह,

निवासी चीमा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्रमांक नहीं दिए गए हैं। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति को इन दोनों मामलों के संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हुई है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01204 और 01205 के माध्यम से। मुख्य सूचनादाता गुरमेल के पिता मोहिंदर सिंह और प्रेम सिंह की माता बलबीर कौर हैं।
बीस वर्षीय प्रेम सिंह मोहिंदर सिंह और उनके माता-पिता का इकलौता जीवित पुत्र था।
प्रकाश कौर अमृतसर जिले के बाबा बकाला उपमंडल के ब्यास पुलिस स्टेशन के अंतर्गत चीमा बाथ गांव की चीमा पट्टी में रहती थीं। मोहिंदर सिंह के पिता ने ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में सक्रिय रूप से भाग लिया था और गुरुद्वारा सुधार आंदोलन में अपनी भागीदारी के लिए तीन साल जेल में बिताए थे। बाद में, उन्होंने लगातार तीन कार्यकाल तक एसजीपीसी के निर्वाचित सदस्य के रूप में कार्य किया।
स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद, प्रेम सिंह अपने पिता की खेती-बाड़ी में मदद करने लगे।
उन्होंने ग्रामीण कार्य में भी भाग लिया और स्थानीय विपणन समिति के सदस्य भी बन गए। मोहिंदर सिंह के अनुसार, प्रेम का किसी अन्य राजनीतिक या उग्रवादी संगठन से कोई संबंध नहीं था। उन्होंने परमजीत कौर से विवाह किया, जिनसे उनका एक पुत्र जोरावर सिंह है, जो अब 11 वर्ष का है।
1991 की शुरुआत में, अमृतसर पुलिस ने उसे संदेह के आधार पर हिरासत में लिया था और
उन्हें मल्ल मंडी पूछताछ केंद्र में यातना देकर पूछताछ की गई। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें रिहा कर दिया गया जब उनके ग्राम परिषद ने सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करके उनकी निर्दोषता की पुष्टि की। 2 जून 1991 को परमजीत कौर ने उनके बेटे को जन्म दिया और वह अपने रिश्तेदारों को आमंत्रित करने के लिए फेरुमन और ताउंग गांवों में गए। रास्ते में, राय्या में, उनकी मुलाकात अपने गांव के निरंजन सिंह के पुत्र गुरमेल सिंह से हुई और दोनों ने एक मोटरसाइकिल उधार ली और फेरुमन चले गए।
बाईस वर्षीय गुरमेल सिंह उर्फ गेला पुत्र निरंजन सिंह और बलबीर
कौर उसी गाँव की रहने वाली थीं और मोहिंदर सिंह उन्हें जानते थे। उनके पिता निरंजन सिंह का निधन हो चुका था और गुरमेल अपने दो भाइयों गुरनाम सिंह और सरबजीत सिंह के साथ कृषि कार्य में लगे हुए थे। गुरमेल अविवाहित थे।
फरवरी 1991 में, पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के इरादे से उसके घर पर छापा मारना शुरू कर दिया।
गुरमेल पर आतंकवादियों से संबंध रखने का संदेह था। गुरमेल घर छोड़कर भाग गया, और पुलिस ने उसके भाइयों को परेशान करना शुरू कर दिया।
यह स्पष्ट नहीं है कि गुरमेल और प्रेम मित्र थे या प्रेम सिंह ने 412 राख में बदल दिए थे।

उसे जबरदस्ती अपने साथ फेरुमन गांव ले जाना।
फेरुमन गांव में ब्यास पुलिस स्टेशन के एसएचओ कहलोन ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया।

अजीत सिंह गिल, जो सुखदेव के चचेरे भाई और हमारे मुख्य सूचनादाता हैं, के अनुसार...
मामले में, 2 जुलाई 1991 को सुखदेव अपने खेत के ट्यूबवेल वाले कमरे में सो रहा था, तभी अजनाला पुलिस स्टेशन के एसएचओ ने छापेमारी के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। एसएचओ सुखदेव को अपने साथ ले गया।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (413)

पुलिस उसे पूछताछ के लिए ले गई और फिर तलाशी के लिए उसके खेत में वापस ले आई। उसी रात, पुलिस ने गुरु का बाग के पास, तेरी कलां गांव के बाहरी इलाके में एक फर्जी मुठभेड़ में उसे मार डाला।
परिवार को सुखदेव की मृत्यु के बारे में अखबारों की खबरों से पता चला, और वे
वे अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए। उनके भाई हरभजन सिंह अमृतसर जिले के गांव झंजोती में रहने लगे हैं।
340 – 342: क्रमांक 272/37, 273/38 और 274/39 के अंतर्गत दी गई सूची में मेहता पुलिस स्टेशन के एसएचओ द्वारा 15 जुलाई 1991 को एफआईआर संख्या 105/91 के तहत किए गए तीन शवदाहों का उल्लेख है। ये शवदाह निम्नलिखित व्यक्तियों के हैं: [1] नरिंदर सिंह उर्फ निंदर, पुत्र रतन सिंह, निवासी बाग, थाना श्री गोविंदपुर; [2] जगदीश सिंह उर्फ बाबू, पुत्र प्यारा सिंह, निवासी घनश्यामपुरा; और [3] बलजीत सिंह उर्फ छोटू, पुत्र गुरदित सिंह, निवासी नांगली, मेहता पुलिस स्टेशन के अंतर्गत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कोई उल्लेख नहीं है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है। समिति ने इन मामलों के संबंध में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है। घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01340 और 01342। मुख्य सूचनादाता जगदीश के मामा चरण सिंह और बलजीत के पिता वीर सिंह हैं।
सोलह वर्षीय बलजीत सिंह पुत्र गुरदित्त सिंह गांव नंगाली कलां का रहने वाला है
अमृतसर जिले के बाबा बकाला उपमंडल के मेहता पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले उडो नांगल डाकघर में तैनात युवक ने रेडियो मैकेनिक बनने के लिए स्कूल छोड़ दिया था। वह बपतिस्मा प्राप्त सिख परिवार में तीन बेटों में सबसे छोटा था और परिवार के सदस्यों के अनुसार, पंजाब में उग्रवादी आंदोलन के प्रभाव में था। वह पंजाब पुलिस द्वारा युवाओं की हत्याओं के उपलक्ष्य में आयोजित धार्मिक कार्यक्रमों में नियमित रूप से भाग लेता था और कई दिनों तक घर से दूर रहता था। लेकिन परिवार को उसकी गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और पुलिस ने उसे पहले कभी गिरफ्तार नहीं किया था।
लील कलां गांव के पियारा सिंह के पुत्र, उन्नीस वर्षीय जगदीश सिंह। गुरदासपुर जिले के बटाला उपमंडल का कादियान पुलिस स्टेशन बलजीत का घनिष्ठ मित्र था। जगदीश के पिता का देहांत तब हो गया था जब वह सात वर्ष का था और तब से वह अपने भाई और दो बहनों के साथ नांगली कलां गांव में अपने चाचा जत्थेदार चरण सिंह के साथ रह रहा था। इसी तरह बलजीत और जगदीश की दोस्ती हुई। जगदीश, जो बपतिस्मा प्राप्त सिख था, उग्रवादी आंदोलन के प्रभाव में था और उसे TADA के तहत गिरफ्तार कर उस पर आरोप लगाया गया था। वह एक साल तक जेल में रहा। जेल से रिहा होने के बाद भी पुलिस ने उससे पूछताछ जारी रखी और जगदीश यातना से बचने के लिए अपने चाचा के घर से दूर रहने लगा।

12 जुलाई 1991 को जगदीश और बलजीत जत्थेदार के घर पर दोपहर का भोजन कर रहे थे।
जब मेहता पुलिस ने चरण सिंह के घर पर छापा मारा तो वे उन्हें अपने साथ ले गए। परिवारों को नहीं पता था कि कौन सी पुलिस उन्हें ले गई है, लेकिन जब वे पूछताछ के लिए मेहता पुलिस स्टेशन गए, तो एसएचओ ने इस बारे में कोई जानकारी होने से इनकार कर दिया, और परिवारों ने गुरदासपुर जिले के कादियान सहित अन्य पुलिस स्टेशनों में भी उनकी तलाश जारी रखी, लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली।
16 जुलाई 1991 को पंजाबी अखबारों ने एक मुठभेड़ के बारे में खबर प्रकाशित की।
मेहता पुलिस और आतंकवादियों के एक समूह के बीच झड़प तब हुई जब पुलिस कथित तौर पर बलजीत, जगदीश और उनके एक कथित साथी नरिंदर सिंह (पुत्र रतन सिंह, निवासी भाम, श्री हरगोबिंदपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत हरचोवाल के पास, गुरदासपुर जिले में) को हथियारों की बरामदगी के लिए ले जा रही थी। तीनों आतंकवादी पुलिस हिरासत में हैं। 414 राख में तब्दील।

खबरों के मुताबिक, गोलीबारी में कई लोग मारे गए।
परिवारवालों ने दुर्गाना मंदिर के श्मशान घाट से शव की अस्थियां ग्रहण कीं।
इसके बाद, जब वहां मौजूद लोगों ने उन चिताओं की पहचान कर ली, जिन पर 15 जुलाई 1991 को मेहता पुलिस द्वारा तीनों लड़कों का अंतिम संस्कार किया गया था।
यह स्पष्ट नहीं है कि सीबीआई की सूची में नरिंदर सिंह के गांव को बाग के रूप में क्यों दर्शाया गया है।
बलजीत और जगदीश के जिन परिवार वालों से हमने बात की, उनके अनुसार, पुलिस ने अमृतसर जिले के जंडियाला गुरु पुलिस स्टेशन के अंतर्गत देवीदासपुरा निवासी पूरन सिंह के पुत्र दिलबाग सिंह का भी अपहरण कर उसकी हत्या कर दी। क्रमांक 343 – 344. सूची में क्रमांक 280/40 और 281/41 के अंतर्गत ब्यास पुलिस स्टेशन के एएसआई बलजिंदर सिंह द्वारा 24 जुलाई 1991 को किए गए दो शवदाह का उल्लेख है। ये शव हैं: [1] जोगिंदर सिंह उर्फ माल, पिता मंगल सिंह, निवासी सथियाला; और [2] सुखदेव सिंह उर्फ सुखा उर्फ फालतू, पिता जोगिंदर सिंह, निवासी सथियाला। इनमें कोई एफआईआर या पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्रमांक नहीं है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने इन मामलों के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है। घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01627 और 1628। मुख्य सूचनादाता जोगिंदर की माता गुरमीत कौर और सुखदेव के पिता जोगिंदर सिंह हैं।
मंगल सिंह और गुरमीत कौर के पुत्र जोगिंदर सिंह (22) अविवाहित थे। अमृतसर जिले के बाबा बकाला उपमंडल के ब्यास पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पट्टी हाजीपुर के साथियाला गांव के किसान जोगिंदर को अपने खेत में काम करने के लिए स्कूल छोड़ना पड़ा क्योंकि उनके पिता बीएसएफ में सैनिक थे और उनके बड़े भाई भी सेना में थे। चूंकि उनका छोटा भाई बहुत छोटा था, इसलिए जोगिंदर ने परिवार के खेत की देखभाल की जिम्मेदारी संभाली।
1990 में, जोगिंदर सिख उग्रवादी आंदोलन में शामिल हो गए जिसका उद्देश्य स्थापित करना था-

खालिस्तान नाम का एक संप्रभु राज्य स्थापित करने के इरादे से, जब पुलिस को इस बात का पता चला और उन्होंने उसके घर पर छापा मारना शुरू किया, तो जोगिंदर घर से दूर रहने लगा। पुलिस ने परिवार पर दबाव डाला कि वे उसे पूछताछ के लिए पेश करें, लेकिन वे ऐसा करने में असमर्थ रहे।
सुखदेव सिंह (22), जो सथियाला गांव और पट्टी गोपी की बस्ती का निवासी था, जोगिंदर सिंह और सुखबीर कौर के पुत्र। उन्होंने खेती करने के लिए स्कूल छोड़ दिया था। उनका विवाह जस्सो से हुआ था और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम ज्योति है, जो अब उनकी मां के साथ रहती है। जस्सो ने बाद में पुनर्विवाह कर लिया।
सुखदेव ने लगभग 1990 के आसपास उग्रवादी संगठनों से संबंध विकसित किए और शुरू कर दिए।
जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी शुरू की तो वह घर से दूर रहा।
23 जुलाई 1991 को दोपहर लगभग 2 बजे, दोनों लड़कों के परिवार वालों ने सुना कि
उनकी हत्या गांव के ठीक बाहर हुई थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि दोनों के गोलियों से छलनी शव जमीन पर पड़े थे। कुछ सीआरपीएफ जवान पास ही खड़े थे, लेकिन उन्होंने हत्या करने से इनकार कर दिया। कुछ ही देर में ब्यास पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को अपने साथ ले गई। पोस्टमार्टम के बाद उन्होंने दुर्गाना मंदिर श्मशान घाट में उनका अंतिम संस्कार कर दिया।
345. क्रमांक 284/42 के अंतर्गत सूची में रामदास पुलिस स्टेशन के एसएचओ गोपाल सिंह द्वारा 2 अगस्त 1991 को एफआईआर संख्या 98/91 के तहत किए गए स्वर्ण सिंह पुत्र ध्यान सिंह निवासी मंदिरावाला के अंतिम संस्कार का उल्लेख है। सूची में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्रमांक नहीं दिया गया है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने इस मामले के संबंध में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है। सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (415)

घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01261 है। मुख्य सूचनादाता पीड़ित का भाई निरपाल सिंह है।
ध्यान सिंह के पुत्र, 45 वर्षीय स्वर्ण सिंह, मन्द्रनवाले के एक किसान थे।
अमृतसर जिले के अजनाला उपमंडल में रामदास डाकघर और पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले एक गांव में रहने वाले वे व्यक्ति दीप कौर से विवाहित थे और उनके दो वयस्क बच्चे थे।
पुलिस को संदेह था कि स्वर्ण सिंह हथियारों की तस्करी में शामिल था। पाकिस्तान ने उग्रवादी गतिविधियों में मदद की। स्वर्ण सिंह को एक बार गिरफ्तार किया गया था और जेल से रिहा होने के बाद भी पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए बार-बार उठाए जाने पर उसने अपना घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद पुलिस ने उसके परिवार वालों को परेशान करना शुरू कर दिया।
स्वर्ण सिंह को जुलाई 1991 की शुरुआत में जम्मू से गिरफ्तार किया गया और लाया गया।
पंजाब भेज दिए गए स्वर्ण सिंह के परिवार को यह पता नहीं चल पाया है कि जम्मू में उनकी गिरफ्तारी को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया था या पंजाब पुलिस ने उन्हें वहां से अवैध रूप से अगवा कर लिया था। परिवार को उनकी गिरफ्तारी की खबर जुलाई 1991 के पहले सप्ताह में मिली, लेकिन वे यह पता

नहीं लगा सके कि उन्हें किस पुलिस स्टेशन ने हिरासत में रखा है और कहां रखा है। 1 अगस्त 1991 को, रामदास पुलिस स्टेशन की अवैध हिरासत में रहे एक व्यक्ति ने उन्हें बताया कि स्वर्ण सिंह को भी वहीं रखा गया है और पुलिस ने उन्हें भयानक यातनाएं दी हैं। वे अभी भी रामदास पुलिस स्टेशन के एसएचओ से मिलने का रास्ता तलाश रहे थे कि 3 अगस्त 1991 को पंजाब के अखबारों में एक खबर छपी कि मंदारनवाले गांव के ध्यान सिंह के पुत्र स्वर्ण सिंह और उनके दो अज्ञात साथियों को रामदास-फतेहगढ़ सड़क पर एक नाले के पास उग्रवादियों के एक समूह और पंजाब पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में मार दिया गया है।
मारे गए दो अज्ञात आतंकवादियों के शवों का क्या हुआ, यह स्पष्ट नहीं है। स्वर्ण सिंह के साथ-साथ, सीबीआई की आंशिक रूप से पहचाने गए और अज्ञात शवदाह की सूचियों में 2 अगस्त 1991 को रामदास पुलिस द्वारा किए गए किसी अन्य शवदाह का उल्लेख नहीं है।
क्रमांक 346 – 347. सूची में क्रमांक 289/45, 290/46 और 291/47 के अंतर्गत, लोपोके पुलिस स्टेशन के एएसआई रणजीत सिंह द्वारा 4 अगस्त 1991 को किए गए दो शवदाह का उल्लेख है, जैसा कि एफआईआर क्रमांक 123/91 में दर्ज है। ये शवदाह निम्नलिखित व्यक्तियों के हैं: [1] संतोख सिंह, पुत्र अर्जुन सिंह, निवासी कोकरकलां, थाना लोपोके; [2] बलविंदर सिंह, पुत्र अजीत सिंह, निवासी कोकरकलां। संतोख सिंह के शवदाह का उल्लेख क्रमांक 289/45 और 290/46 के अंतर्गत दो बार किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का उल्लेख नहीं है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने घटना रिपोर्ट के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की है। प्रपत्र संख्या CCDP/01608 और 01609। मुख्य सूचनादाता पीड़ितों के भाई रोमी और मोहन सिंह हैं।
अर्जन सिंह और तारो के पुत्र, 28 वर्षीय संतोख सिंह एक
संतोख अमृतसर जिले के अजनाला उपमंडल के लोपोके पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पट्टी रतन दी के कक्कर कलां गांव का रहने वाला एक मज़हबी सिख मजदूर था। हमें पता है कि संतोख विवाहित था और उसके बच्चे थे। हालांकि, उसके पृष्ठभूमि और पारिवारिक जीवन की पूरी जानकारी जुटाना संभव नहीं हो पाया है क्योंकि 4 अगस्त 1991 को एक कथित मुठभेड़ में उसकी मृत्यु के साये में उसका पूरा परिवार ही मिट गया।
Balwinder Singh (30), son of Ajit Singh and Balbir Kaur, was a baptized Sikh from
वही गाँव, कक्कड़ कलां। हालाँकि तीन भाइयों में सबसे छोटा, बलविंदर 416 राख में बदल गया।

बलविंदर स्कूल नहीं गए और इसके बजाय अपने भाइयों के साथ खेती का काम करते थे। वे अविवाहित थे। उनके परिवार के सदस्यों के अनुसार, बलविंदर कभी राजनीति में शामिल नहीं हुए थे और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था।
3 अगस्त 1991 को शाम लगभग 4 बजे, लोपोके पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू किया।
कक्कर कलां गांव में संतोख सिंह और बलविंदर सिंह खेतों में टहल रहे थे। पुलिस द्वारा गांव को घेरते देख वे घबरा गए और भागने की कोशिश करने लगे। पुलिसकर्मियों ने उनकी घबराहट को भांप लिया और उनका पीछा करना शुरू कर दिया। संतोख और बलविंदर तेजी से भागने लगे और पुलिस ने उन पर गोली चला दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। गोलियों की आवाज सुनकर गांव के कई लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को बताया कि दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे

और किसी भी अवैध गतिविधि में शामिल नहीं थे। पुलिस ने दोनों शवों को अपनी एक गाड़ी में लादा और उनके परिवार वालों को बिना बताए वहां से चली गई। जब गांव वालों से मिली जानकारी के आधार पर परिवार घटनास्थल पर पहुंचा, तो घटना के समय तक पुलिस शवों के साथ घटनास्थल से जा चुकी थी। अगले दिन सुबह वे शवों को लेने के लिए लोपोके पुलिस स्टेशन गए, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने, जिन्होंने घटना को मुठभेड़ बताया, उनसे बात करने से इनकार कर दिया। मृतक परिवार के सदस्य अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो सके।
ऐसा लगता है कि संतोख सिंह का पूरा परिवार इसी घटना की छाया में नष्ट हो गया।
इस घटना के एक वर्ष बाद उनकी माता तारो का देहांत हो गया और उनकी पत्नी की सास के अंतिम संस्कार के तुरंत बाद हृदयाघात से मृत्यु हो गई। संतोख के पिता अर्जन सिंह का पांच वर्ष बाद देहांत हो गया।
348. क्रमांक 311/50 के अंतर्गत सूची में गुरिंदर सिंह, पुत्र मेजर सिंह, निवासी जगोके, वेरोवाल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत, के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो मजीठा पुलिस स्टेशन के हेड कांस्टेबल सुरजीत सिंह द्वारा 6 अक्टूबर 1991 को एफआईआर संख्या 144/91 के तहत किया गया था। सूची में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्रमांक नहीं दिया गया है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने इस मामले के संबंध में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01436 है। मुख्य सूचनादाता पीड़ित का पिता है।
गुरिंदर सिंह, मेजर सिंह के पुत्र, ग्राम नागोक, पट्टी दफ्फर की निवासी, अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल के वेरोवाल पुलिस स्टेशन में एक 17 वर्षीय सिख युवक की हत्या हुई, जिसने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली थी और मोटर मैकेनिक बनने के लिए सरहल्ली कलां के एक तकनीकी संस्थान में दाखिला लिया था। उसके पिता, जो एक सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी थे, तरन तारन के उनके इलाके में चल रहे भूमिगत सिख उग्रवादी आंदोलन के युवाओं पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर चिंतित थे। अपने बेटे को इससे दूर रखने के लिए, उन्होंने उसे अमृतसर के पास मल्लुवाल गांव में अपनी मौसी के पास रहने के लिए भेज दिया। 1 अक्टूबर 1991 की शाम काठू नंगल पुलिस ने गुरिंदर को गिरफ्तार कर लिया। उसके चाचा
ग्राम परिषद के मुखिया गुरदयाल सिंह अगली सुबह पुलिस स्टेशन गए और एसएचओ को गुरिंदर को रिहा करने के लिए मना लिया। जब वह पुलिस स्टेशन से निकल रहे थे, तो गुरिंदर को एहसास हुआ कि वह अपनी पगड़ी वहीं भूल गए हैं और उसे लेने वापस गए। जब गुरिंदर दोबारा पुलिस स्टेशन से बाहर नहीं आए, तो उनके चाचा एसएचओ के पास वापस गए, जिन्होंने अब कहा कि एसएसपी ने उन्हें गुरिंदर से पूछताछ करने का निर्देश दिया है। अगले कई दिनों तक, जब भी गुरदयाल सिंह पुलिस स्टेशन जाते, एसएचओ उन्हें आश्वासन देते रहे कि पूछताछ पूरी होने के बाद उनके भतीजे को रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने उन्हें मिलने नहीं दिया।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (417)

उसे शक था कि उसके भतीजे को पुलिस स्टेशन से ले जाया गया है।
7 अक्टूबर 1991 को अखबारों में गुरिंदर की हत्या की खबर प्रकाशित हुई।

सिंह नागोक का मजीठा पुलिस के साथ मुठभेड़ में शामिल होने का मामला सामने आया। जब परिवारवाले गुरिंदर के कपड़े देखने के लिए मजीठा पुलिस स्टेशन गए, तो अधिकारियों ने उन्हें कपड़े देने से इनकार कर दिया। उन्हें यह भी पता चला कि पिछले कुछ दिनों में मजीठा पुलिस जिले में कोई मुठभेड़ हुई ही नहीं थी। इसके बाद गुरिंदर के परिवारवाले दुर्गाना मंदिर श्मशान घाट गए और उस चिता की राख की बारीकी से जांच की, जिस पर मजीठा पुलिस ने कथित तौर पर गुरिंदर का अंतिम संस्कार किया था। जांच में उन्हें एक स्टील का कंगन मिला, जो गुरिंदर की कलाई के लिए बहुत बड़ा था। उन्हें दो सोने की अंगूठियां भी मिलीं, जिन्हें गुरिंदर ने कभी नहीं पहना था।
गुरिंदर के परिवार वालों को शक है कि शव का अंतिम संस्कार मजीठा पुलिस ने किया था।
6 अक्टूबर 1991 को दुर्गाना मंदिर श्मशान घाट में मृत पाया गया व्यक्ति गुरिंदर का नहीं था। उनका मानना है कि पुलिस ने किसी और की हत्या की थी और किसी गुप्त कारण से गुरिंदर का नाम उसमें शामिल किया था। कई वर्षों तक वे इस उम्मीद में रहे कि गुरिंदर शायद पुलिस की अवैध हिरासत में जीवित हो और किसी दिन सामने आ जाए।
हालांकि, अब उन्होंने सारी उम्मीदें छोड़ दी हैं।
349. क्रमांक 316/51 के अंतर्गत सूची में नरिंदर सिंह, पुत्र माना सिंह, निवासी जलालपुरा, के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो अजनाला पुलिस स्टेशन के एएसआई सिमरनजीत सिंह द्वारा 10 अक्टूबर 1991 को किया गया था। सूची में एफआईआर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट संख्या नहीं दी गई है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने घटना के पुनरावलोकन के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है-
पोर्ट फॉर्म संख्या CCDP/01152. मुख्य सूचनादाता पीड़ित का भाई कुलवंत सिंह है।
35 वर्षीय किसान नरिंदर सिंह नवां के जलालपुरा गांव के रहने वाले थे। खूह, चरहड़ी पट्टी, मजीठा पुलिस स्टेशन, अमृतसर जिला। सीबीआई की सूची में उनके पिता का नाम माना सिंह दिया गया है। उनके पिता का असली नाम गंगा सिंह है। नरिंदर के बहुत छोटे होने पर ही उनके पिता का निधन हो गया था।
नरिंदर अविवाहित था और उग्रवादी आंदोलन के प्रभाव में था।
एक संप्रभु सिख राज्य की स्थापना। जब पुलिस ने उसके घर पर बार-बार छापेमारी शुरू की, तो नरिंदर घर से दूर रहने लगा। इसके बाद पुलिस ने परिवार के सदस्यों, विशेषकर उसकी माँ मोहिंदर कौर को परेशान करना शुरू कर दिया, पुलिस हिरासत में उनका अपमान किया और उन्हें नरिंदर को पुलिस के सामने पेश करने के लिए कहा।
7 अक्टूबर 1991 को नरिंदर अपने चचेरे भाई हरभजन सिंह से मिलने जहनजोई गए थे।
हरभजन सिंह अपने एक दोस्त प्रभा सिंह के साथ राजा संसी के पास एक गांव में रह रहे थे। प्रभा सिंह तारपाई गांव का रहने वाला था। पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। हरभजन सिंह ने तुरंत उनके परिवारों को सूचना दी। प्रभा सिंह को कुछ दिनों बाद रिहा कर दिया गया, लेकिन पुलिस ने नरिंदर को फर्जी मुठभेड़ में मार डाला।
पुलिस ने नरिंदर के छोटे भाई कुलवंत सिंह को उपस्थित होने की अनुमति दी।
शवदाह करना और अंतिम संस्कार के लिए राख एकत्र करना।

350. क्रमांक 322/52 के अंतर्गत सूची में मंगल सिंह उर्फ मंगा, पुत्र सोहन सिंह, निवासी अर्जुन बाघा के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो 29 अक्टूबर 1991 को मेहता पुलिस स्टेशन के एसएचओ रतन सिंह द्वारा एफआईआर संख्या 148/91 के तहत किया गया था। इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कोई क्रमांक नहीं है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने 418 रिड्यूस्ड टू एशेज के माध्यम से इस मामले के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।

घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01220 है। मुख्य सूचनादाता पीड़ित का भाई मस्सा सिंह है।
पच्चीस वर्षीय मंगल सिंह, जो सोहन सिंह और स्वर्गीय मनजीत कौर के पुत्र थे, मंगल सिंह अमृतसर जिले के बाबा बकाला उपमंडल के मेहता पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले अर्जन मागा गांव के निवासी थे। अविवाहित मंगल सिंह अपने पिता के कृषि कार्यों में मदद करते थे। वे बपतिस्मा प्राप्त सिख थे और बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। उनकी धार्मिकता के कारण ही पुलिस को उन पर उग्रवादी संगठनों से संबंध रखने का संदेह रहता था और कई बार उन्हें अवैध रूप से पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया था। लेकिन पुलिस ने उन्हें कभी औपचारिक रूप से गिरफ्तार नहीं किया।
29 अक्टूबर 1991 की सुबह, डीएसपी बलकार सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस बल ने
मेहता पुलिस स्टेशन के एसएचओ रतन सिंह ने अर्जन मागा गांव में तलाशी अभियान चलाया। पुलिस ने गांव के सभी पुरुषों को गांव के गुरुद्वारे के पास खुले मैदान में इकट्ठा होने का आदेश दिया। डीएसपी बलकार सिंह और एसएचओ रतन सिंह ने कतार में खड़े हर व्यक्ति की व्यक्तिगत रूप से जांच की और फिर मंगल सिंह को एक तरफ हटने को कहा। उन्होंने उसके हाथ पीछे बांध दिए, उसे एक पुलिस वाहन में धकेल दिया और उसे लेकर चले गए। उसी सुबह करीब 9 बजे, कई ग्रामीण एसएचओ से बात करने के लिए मेहता पुलिस स्टेशन गए, लेकिन उन्हें पुलिस स्टेशन में प्रवेश नहीं करने दिया गया। एसएचओ की छवि एक भ्रष्ट अधिकारी की थी जो युवा सिखों का अपहरण करके पैसे लेने के बाद ही उन्हें रिहा करता था, इसलिए ग्रामीण बुजुर्गों ने मंगल की रिहाई के लिए चंदा इकट्ठा करने का सोचा। वे उसी दोपहर करीब 3 बजे पैसे लेकर वापस पुलिस स्टेशन गए, लेकिन उन्हें पता चला कि पुलिस ने पहले ही एक फर्जी मुठभेड़ में मंगल सिंह को मार डाला है। ग्रामीण बुजुर्गों ने पुलिस स्टेशन परिसर में कपड़े से ढका हुआ एक शव देखा। लेकिन उन्हें शव के पास जाने या उसकी पहचान करने की अनुमति नहीं दी गई। पुलिस ने उसी दिन शव का अंतिम संस्कार कर दिया। 30 अक्टूबर 1991 को, सभी पंजाबी समाचार पत्रों ने एक आतंकवादी की हत्या की खबर प्रकाशित की।
मंगल सिंह को भोआ गांव के पास कथित तौर पर हुई मुठभेड़ में मार गिराया गया था।
उनके पिता सोहन सिंह तब से मानसिक संतुलन खो चुके हैं। उनकी मां, मनजीत कौर की मृत्यु 1997 में उनके बेटे की हत्या के बाद शुरू हुई एक गंभीर बीमारी के कारण हुई थी।
351. क्रमांक 332/55 के अंतर्गत, सूची में सुरता सिंह, पुत्र मुल्ख सिंह, निवासी हरदकलन, थाना अजनाला के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो अजनाला पुलिस स्टेशन के एएसआई सिमरत सिंह द्वारा 20 नवंबर 1991 को किया गया था।

कोई एफआईआर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट संख्या उपलब्ध नहीं है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने इस मामले के संबंध में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01263 है। मुख्य सूचनादाता पीड़िता की मां पियार कौर हैं।
तीस वर्षीय सुरता सिंह, पुत्र स्वर्गीय मलूक सिंह और पियार कौर, निवासी हरार
अमृतसर जिले के अजनाला उपमंडल के कलां गांव के रहने वाले सुरता सिंह पंजाब होम गार्ड की तीसरी बटालियन में कांस्टेबल थे। 1991 में उनकी तैनाती रामदास पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गगोमहल पुलिस चौकी में हुई थी। सुरता सिंह का कोई राजनीतिक या उग्रवादी पृष्ठभूमि नहीं थी और वे नियमित रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। वे अविवाहित थे।
14 नवंबर 1991 को, सुरता सिंह एक मामूली झगड़े के बाद छुट्टी पर घर लौटी। अपने पुलिस चौकी के प्रभारी सहायक सब-इंस्पेक्टर से बात करने के बाद, परिवार के सदस्यों ने सुरता सिंह को शांत करने के बाद 16 नवंबर को वापस ड्यूटी पर भेज दिया। अगली सुबह जब उन्हें उसकी गिरफ्तारी के बारे में पता चला तो वे स्तब्ध रह गए। तुरंत ही, सुरता सिंह की मां पियार कौर उसकी गिरफ्तारी का कारण जानने के लिए पुलिस चौकी गईं, लेकिन उन्हें
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (419)

उन्हें उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी गई। अगले दिन, पुलिस चौकी पर उन्हें बताया गया कि उनके बेटे सुरता सिंह को रामदास पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। जब पियार कौर अपने बड़े बेटे दीवान सिंह के साथ रामदास पहुंचीं, तो उन्हें बताया गया कि उनके बेटे को अजनाला पुलिस स्टेशन भेज दिया गया है। चार दिनों तक पियार कौर और उनके बड़े बेटे ने विभिन्न पुलिस थानों के चक्कर लगाए।
उन्होंने कई स्टेशनों पर जाकर सुरता सिंह से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। वे किसी भी जिम्मेदार अधिकारी से भी बात नहीं कर पाए जो यह बता सके कि सुरता सिंह को हिरासत में क्यों लिया गया था। 21 नवंबर 1991 को, कई पंजाबी समाचार पत्रों ने इस बारे में एक खबर प्रकाशित की।
पाखो खुर्द गांव के पास मुठभेड़ में सुरता सिंह की हत्या कर दी गई, जब पुलिस उसे छिपाए गए हथियार बरामद करने के लिए ले जा रही थी। कहानी के अनुसार, आतंकवादियों के एक गिरोह ने सुरता सिंह को बचाने की कोशिश की, लेकिन गोलीबारी में वह मारा गया।
पुलिस ने उनके शव का अंतिम संस्कार दुर्गियाना मंदिर श्मशान घाट पर किया, और पियार
जानकारी के अभाव में पीरा कौर अस्थियां भी नहीं ले पाईं। इसके बाद पीरा कौर ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, पंजाब के मुख्यमंत्री, आईजी, पंजाब होम गार्ड्स, मजीठा पुलिस जिले के एसएसपी और अमृतसर के उपायुक्त को याचिकाएं लिखकर अपने बेटे की हत्या की परिस्थितियों की स्वतंत्र जांच कराने का आग्रह किया। उनकी इन अपीलों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
352. क्रमांक 344/57 के अंतर्गत सूची में परमजीत सिंह उर्फ काला, पुत्र हजारा सिंह, निवासी चीमा, स्वाजपुर के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो 23

दिसंबर 1991 को रामदास पुलिस स्टेशन के एसएचओ द्वारा एफआईआर संख्या 145/91 के तहत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कोई क्रमांक नहीं है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने इस मामले के संबंध में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
its incident report form no. CCDP/01303. Paramjit Singh’s cousin Bachan Singh Chowkidar is the main informant.
Paramjit Singh (22), s/o Hazara Singh from village Harsha Chheena, Sawajpur,
अमृतसर जिले के अजनाला उपमंडल के राजा सांसी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाला व्यक्ति एक अविवाहित मज़हबी सिख था, जो निर्माण मजदूर के रूप में अपना जीवन यापन करता था। वह तीन भाइयों और एक बहन में सबसे छोटा था। उसके एक भाई की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई और उसके अन्य दो भाई अमृतसर शहर में रहते हैं।
रामदास पुलिस ने परमजीत को 22 दिसंबर 1991 को उसके घर से गिरफ्तार किया था।
रामदास में चाचा सोहन सिंह मौजूद थे। उसी रात एक फर्जी मुठभेड़ में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
परिवार को उनकी मृत्यु की खबर अखबारों से मिली। पुलिस ने कभी सूचना नहीं दी।
उन्होंने उन्हें उनके अंतिम संस्कार के बारे में सूचित किया।
353. क्रमांक 349/59 के अंतर्गत सूची में झाब्बल निवासी सुरिंदर सिंह के पुत्र बलकार सिंह के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो जंडियाला पुलिस स्टेशन के एएसआई रणजीत सिंह द्वारा एफआईआर संख्या 7/92 के तहत 17 जनवरी 1992 को किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी गई है और मृत्यु का कारण "मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने इस मामले के संबंध में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है। घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01618 है। मुख्य सूचनादाता पीड़िता की विधवा रणधीर कौर हैं।
मोहिंदर सिंह और बलवंत कौर के तीस वर्षीय पुत्र बलकार सिंह 420 रन बनाकर राख में तब्दील हो गए।

अमृतसर जिले के बाबा बकाला उपमंडल के खलचियां पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जब्बोवाल गांव के निवासी। उनका विवाह रणधीर कौर से हुआ था और उनकी एक बेटी राजबीर कौर और एक बेटा मनजीत सिंह हैं, जिनकी उम्र अब क्रमशः 15 और 13 वर्ष है।
दिसंबर 1984 तक, परिवार बिहार के बोकारो में रहता था, जहाँ बलकार का परिवार रहता था।
उनके पिता मोहिंदर सिंह टाटा स्टील कंपनी में फोरमैन थे। 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के तुरंत बाद सिखों के खिलाफ संगठित हिंसा में मोहिंदर सिंह की हत्या कर दी गई। युवा बपतिस्मा प्राप्त सिख बलकार सिंह जून 1984 में सेना द्वारा स्वर्ण मंदिर पर हमले और उसके विध्वंस से पहले ही क्षत-विक्षत थे। नवंबर 1984 में अपने पिता की हत्या ने उन्हें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से पूरी तरह अलग कर दिया और पंजाब लौटकर उन्होंने राज्य में बढ़ते राजनीतिक और उग्रवादी आंदोलन में रुचि लेना शुरू कर दिया। जल्द ही पुलिस ने छापे मारे और पूछताछ के दौरान बलकार को

प्रताड़ित किया। बलकार कुछ समय तक यातना से बचने के लिए घर से दूर रहे और फिर 1986 में उन्होंने क्षेत्र के कई प्रमुख अकाली नेताओं की उपस्थिति में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने उनसे पूछताछ की और बिना शर्त रिहा कर दिया। उनका विवाह 1986 में रणधीर कौर से हुआ।
पुलिस द्वारा नियमित छापेमारी, अवैध गिरफ्तारी और पूछताछ के दौरान यातना देना -
उत्पीड़न थम नहीं पाया। बलकार पर औपचारिक रूप से कोई आरोप नहीं लगाया गया, लेकिन उसे लगातार प्रताड़ित किया जाता रहा। 1989 तक उसने ग्राम परिषद की मदद से खुद को बचाने की कोशिश की। अंततः तंग आकर उसने अपना घर छोड़कर उग्रवाद में शामिल हो गया। पुलिस ने उसके परिवार के सदस्यों, उसकी माँ और चाचाओं को पूछताछ और यातना देने के लिए पकड़ना शुरू कर दिया। इन अत्याचारों से बचने के लिए उन्होंने अपना निवास अमृतसर शहर में स्थानांतरित कर लिया।
अगस्त 1991 में, बलकार बिहार के जमशेदपुर चले गए, जहाँ उन्होंने कुछ समय बिताया।
राज्य में अपने पुराने संपर्कों के सहारे उसने ट्रक चालक की नौकरी हासिल कर ली और अपनी पत्नी एवं बच्चों के साथ वहीं रहने लगा। संयोगवश, जमशेदपुर पुलिस ने पंजाब के उग्रवादी गुरदर्शन सिंह उर्फ बघेल सिंह, जो बहादुर सिंह का पुत्र था और मूल रूप से डेरीवाल गांव का रहने वाला था, को गिरफ्तार कर लिया। वह उस समय शहर में अस्थायी रूप से शरण लिए हुए था। गुरदर्शन सिंह और शहर में उसके समर्थकों की गिरफ्तारी और पूछताछ से बलकार की मौजूदगी का पता चला और पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी। परिवार को पता चल गया और उन्होंने बलकार सिंह को जमशेदपुर के एसपी के समक्ष पूछताछ के लिए पेश किया। बलकार पर अंततः टीएडीए के तहत कई अपराधों का आरोप लगाया गया और उसे जेल भेज दिया गया।
जनवरी 1992 में, एसएचओ रणजीत सिंह के नेतृत्व में पंजाब की जंडियाला पुलिस और
एएसआई नरिंदर सिंह ने जमशेदपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत से बलकार सिंह को जांच के लिए अमृतसर वापस ले जाने की अनुमति प्राप्त की। उन्हें पटना से इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट से चंडीगढ़ और फिर अमृतसर ले जाया गया। परिवार को तबादले की जानकारी मिली और जंडियाला गुरु पुलिस स्टेशन में उनसे मिलने के उनके प्रयास व्यर्थ गए।
17 जनवरी 1992 की शाम को, सरकार के स्थानीय चैनल ने...
दूरदर्शन के एक कार्यक्रम में कथित पुलिस मुठभेड़ में बलकार सिंह की हत्या की खबर प्रसारित की गई, जिसकी काफी आलोचना हुई। पंजाबी अखबार अजीत ने 18 जनवरी 1992 को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें दावा किया गया कि बलकार सिंह की हत्या तब हुई जब उसके उग्रवादी साथियों ने उसके हथियार बरामद करने के लिए मल्लुवाल गांव गए पुलिस काफिले पर हमला करके उसे बचाने की कोशिश की।
पुलिस ने परिवार के सदस्यों को सूचित किए बिना ही अंतिम संस्कार कर दिया। सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (421)

1997 में, बलकार की विधवा रणधीर कौर ने सीबीआई को एक आवेदन प्रस्तुत किया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध दाह संस्कार के आरोपों की जांच के लिए सीबीआई को आदेश दिए जाने के बाद, उन्होंने अमृतसर स्थित अपने कार्यालय में शरण

ली। उनके अनुसार, सीबीआई अधिकारी उनके बयान दर्ज करने के लिए कुछ बार उनके घर आए। हालांकि, उन्हें यह नहीं पता कि इन पूछताछों के परिणामस्वरूप कोई कार्रवाई हुई या नहीं।
रणधीर कौर के अनुसार, पुलिस ने उनके भाई दरबारा सिंह और उनके बेटे की भी हत्या कर दी।
दलीप सिंह का, जो 1990 में वारिंग सुबा सिंह गांव के रहने वाले थे।
354. क्रमांक 350/60 के अंतर्गत सूची में गुरजीत सिंह उर्फ पुमाना सिंह, पुत्र भजन सिंह, निवासी छज्जलवाड़ी, जंडियाला के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो 20 जनवरी 1992 को कठूनंगल पुलिस स्टेशन के एसएचओ द्वारा एफआईआर संख्या 9/92 के तहत किया गया था। कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है और मृत्यु का कारण "गोली लगने से लगी चोटें" बताया गया है।
समिति ने निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है-

इस मामले के बारे में घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01112 के माध्यम से जानकारी दी गई है। मुख्य सूचनादाता उनका भाई परगत सिंह है।

उन्नीस वर्षीय गुरजीत सिंह उर्फ फुमन, पुत्र

हरभजन सिंह और सुखवंत कौर के पुत्र गुरजीत, अमृतसर जिले के बाबा बकाला उपमंडल के जंडियाला पुलिस स्टेशन के अंतर्गत चरहड़ी पट्टी के छजलवड्डी गांव के निवासी थे। मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद, गुरजीत ने बाबा बकाला के एक तकनीकी संस्थान से डीजल इंजन मैकेनिक का डिप्लोमा प्राप्त किया। हालांकि, उन्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली और उन्होंने अपने पिता और भाई गुरजीत सिंह के साथ कृषि कार्यों में मदद करना शुरू कर दिया। गुरजीत, अपने परिवार के अन्य सदस्यों की तरह, बपतिस्मा प्राप्त सिख थे और धार्मिक रूप से बहुत आस्थावान थे। उनका किसी भी राजनीतिक या उग्रवादी संगठन से कोई संबंध नहीं था। पंजाब में हिंसात्मक अशांति के पूरे दौर में पुलिस ने उनसे कभी पूछताछ नहीं की और न ही उन्हें गिरफ्तार किया।

कुख्यात उग्रवादी सुरजीत सिंह पैंता का परिवार भी इसी गांव में रहता था।

गुरजीत के अपने भाई राजिंदर सिंह से अच्छे संबंध थे, जिनकी बाद में दिल्ली में हत्या कर दी गई। यह एक सामान्य मित्रता थी और इसमें कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं थे। हालांकि, इन दोनों के बीच की इस साधारण मित्रता ने ही जनवरी 1992 में पुलिस कार्रवाई को जन्म दिया, जिसके कारण गुरजीत की जान चली गई।

जनवरी 1992 के दूसरे सप्ताह में, गुरजीत गांव में अपनी चाची से मिलने गया था।

काठू नांगल पुलिस स्टेशन के पास चुगावां रूपोवाली में 19 जनवरी 1992 को, काठू नांगल पुलिस स्टेशन के एसएचओ धर्म सिंह ने अपनी चाची के घर पर छापा मारा और गुरजीत, उसके चाचा हजारा सिंह और चचेरे भाई बलराज सिंह को काठू

[redacted]

20 [redacted] 1992 [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

क्रमांक 353/61 के अंतर्गत, सूची में सतनाम सिंह उर्फ बिट्टू, पुत्र संतोख सिंह, निवासी वीरपाल, जंडियाला के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो ब्यास पुलिस स्टेशन के एसएचओ द्वारा 19 फरवरी 1992 को किया गया था। मृत्यु का कारण "गोली लगने से हुई चोटें" बताया गया है। इसमें कोई एफआईआर या पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्रमांक नहीं है।
समिति ने इस मामले के संबंध में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01160 के माध्यम से। मुख्य सूचनादाता उनकी माता स्वर्ण कौर हैं।
अठारह वर्षीय सतनाम सिंह उर्फ बिल्ला, संतोख सिंह और स्वर्ण का पुत्र कौर, अमृतसर जिले के जंडियाला गुरु पुलिस स्टेशन के अंतर्गत धीर दे की पट्टी के वरपाल गांव की निवासी थीं। बपतिस्मा प्राप्त सिख सतनाम ने 1991 में मैट्रिक की परीक्षा दी थी। उनका कोई राजनीतिक या उग्रवादी पृष्ठभूमि नहीं थी और पुलिस ने उन्हें पहले कभी गिरफ्तार नहीं किया था। उनका गांव उग्रवाद का गढ़ माना जाता था। 1992 की शुरुआत में हुए विधानसभा चुनावों के बाद, जिनका सिख राजनीतिक संगठनों ने बहिष्कार किया था, पुलिस, सेना के समर्थन से, मनमाने ढंग से छापे और तलाशी अभियान चलाती थी और धार्मिक प्रवृत्ति वाले युवा सिखों को बिना किसी भेदभाव के पूछताछ के लिए हिरासत में ले लेती थी। किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए, सतनाम अपनी बहन लखबीर कौर (अरूर सिंह की पत्नी) के साथ ब्यास पुलिस स्टेशन के अंतर्गत लिधर गांव में रहने लगे थे।
विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 18 फरवरी 1992 को हुआ था। सतनाम ने घर-घर जाकर प्रचार किया।
सतनाम ने अपनी बहन के गांव में जाकर लोगों से उस दिन चुनाव का बहिष्कार न करने का आग्रह किया, ताकि वे भारतीय लोकतंत्र प्रणाली में अपना अविश्वास व्यक्त कर सकें। उसी शाम करीब 7 बजे मतदान केंद्रों के बंद होने के बाद, ब्यास पुलिस स्टेशन के एसएचओ के नेतृत्व में पुलिस बल ने उनकी बहन के घर को घेर लिया। सतनाम को पकड़ा गया, घर से बाहर घसीटा गया और उनकी बहन और बहनोई समेत कई गवाहों के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस उनके शव को ले गई।
सतनाम सिंह की हत्या के चौबीस दिन बाद, 13 मार्च 1992 को, जंडियाला गुरु पुलिस ने उसके बड़े भाई मनजीत सिंह को गिरफ्तार किया और उसे गांव के एक अन्य निवासी के साथ फर्जी मुठभेड़ में मार डाला। सीबीआई द्वारा क्रमांक 364/65 और 365/66 के तहत चिह्नित दो शवदाह स्थलों की चर्चा में विस्तृत जानकारी दी गई है।
356 – 357: क्रमांक 360/63 और 361/64 के अंतर्गत, सूची में जांडियाला पुलिस द्वारा 9 मार्च 1992 को एफआईआर संख्या 35/92 के तहत किए गए दो शवदाहों की पहचान की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्टों को जीएम/656/92 और जीएम/67/92 के रूप में चिह्नित किया गया है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है। ये दो शवदाह निम्नलिखित व्यक्तियों के हैं: [1] देविंदर सिंह उर्फ कमांडो, पुत्र फूला सिंह, निवासी सुल्तानविंड; और [2] इकबाल सिंह, पुत्र गुरदयाल सिंह, निवासी दियानपुर।
समिति ने इन मामलों के बारे में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की है। घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01338 है। मुख्य सूचनादाता इकबाल सिंह का भाई सुखराज सिंह लाडी है।

बीस वर्षीय इकबाल सिंह उर्फ बाला, जो दिवंगत गुरदयाल सिंह और गुरशरण के पुत्र थे।
कौर, बाबा जिले के वडाला कलां डाकघर के अंतर्गत आने वाले धियानपुर गांव की निवासी थीं।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (423)

अमृतसर जिले के बकाला उपमंडल में रहने वाले इकबाल के पिता गुरदयाल मूल रूप से जालंधर जिले के शाहकोट गांव के निवासी थे। 1982 में उन्होंने धियानपुर में कृषि भूमि खरीदी और अपने दो बेटों सुखराज सिंह और इकबाल सिंह के साथ वहां रहने लगे। उनके दोनों बेटे खेती में उनकी मदद करते थे। उनके परिवार के सभी सदस्य सिख धर्म अपना चुके थे और उनके बेटे इकबाल स्वतंत्र सिख राज्य के आदर्श के प्रति सहानुभूति रखते थे। हालांकि, इकबाल किसी भी राजनीतिक या उग्रवादी आंदोलन में किसी भी तरह से शामिल नहीं थे। पुलिस ने उन्हें कभी गिरफ्तार नहीं किया था। कम उम्र में ही इकबाल ने कुलविंदर कौर से शादी कर ली थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। कुलविंदर कौर ने बाद में दोबारा शादी कर ली।
मार्च 1992 में, इकबाल अपने माता-पिता के साथ अपने पैतृक गांव में रह रहा था।
इकबाल का जन्म जालंधर जिले के शाहकोट में हुआ था और उनके भाई सुखराज ध्यानपुर में उनके कृषि फार्म की देखभाल कर रहे थे। 7 मार्च 1992 को इकबाल अपने भाई की कुछ काम में मदद करने के लिए ध्यानपुर गए और उसी शाम शाहकोट के लिए रवाना हो गए। वे कभी शाहकोट नहीं पहुंचे। 8 मार्च 1992 को जंडियाला गुरु पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने इकबाल को और फूला सिंह के पुत्र देविंदर सिंह, जो अमृतसर के सुल्तानविंड निवासी थे और कथित तौर पर उनके उग्रवादी साथी थे, को मुठभेड़ में मार गिराया है। परिवार को उनकी हत्या की खबर 10 मार्च 1992 को अखबारों में छपी एक खबर से मिली।
परिवार के सदस्यों का मानना है कि मुठभेड़ की कहानी झूठी होनी चाहिए और यह मनगढ़ंत कहानी है। उनका दावा है कि इकबाल किसी भी आतंकवादी गतिविधि में शामिल नहीं थे।
358 - 359: क्रमांक 364/65 और 365/66 के अंतर्गत, सूची में जांडियाला पुलिस के एक सब-इंस्पेक्टर द्वारा 14 मार्च 1992 को एफआईआर क्रमांक 37/92 के तहत किए गए दो शवदाहों का उल्लेख है। ये शवदाह [1] सुचा सिंह, पुत्र लाभ सिंह, निवासी वीरपाल; और [2] मनजीत सिंह, पुत्र संतोख सिंह, निवासी वीरपाल, सतनाम सिंह के भाई के हैं, जिनका शवदाह क्रमांक 353/61 के अंतर्गत सूचीबद्ध है और जिसकी हमने अपने मामले संख्या 354 के रूप में जांच की थी। सूची में मृत्यु का कारण "गोली लगने से लगी चोटें" बताया गया है और कोई अन्य विवरण नहीं दिया गया है।
समिति ने घटना के पुनरावलोकन के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है-
port form nos. CCDP/00802 and 01161. The main informants are Sucha Singh’s mother Jasbir Kaur and Manjit Singh’s widow Daljit Kaur.
सत्ताईस वर्षीय मंजीत सिंह, संतोख सिंह और स्वर्ण कौर के पुत्र,
मनजीत अमृतसर के जंडियाला गुरु पुलिस स्टेशन के अंतर्गत धीर दे की पट्टी के वरपाल गांव के निवासी थे। सतनाम सिंह, जिनके मामले की हमने ऊपर चर्चा की है, मनजीत के छोटे भाई थे। मनजीत भी बपतिस्मा प्राप्त सिख थे और पिछले एक

दशक में पंजाब के सिखों पर हुए अत्याचारों से व्याकुल रहते थे। लेकिन वे किसी भी तरह से राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं थे। मनजीत का विवाह दलजीत कौर से हुआ था और उनके दो बेटे और एक बेटी थी। सबसे बड़ी बेटी गुरप्रीत कौर अब 15 वर्ष की है।
कई साल पहले मनजीत ने एक डेयरी फार्म शुरू किया था जो सफल नहीं हुआ। फिर 1982 में,
वह काम की तलाश में लीबिया गया और 1986 में शादी करने के लिए वापस लौटा। शादी के कुछ समय बाद ही, मनजीत पुलिस और आतंकवादियों के एक समूह के बीच हुई गोलीबारी में फंस गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। कई महीनों तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद वह ठीक हुआ। उसके इलाज में उसकी सारी बचत खत्म हो गई, और उसने अपने गांव में चारे की दुकान खोल ली।
18 फरवरी 1992 तक सब कुछ ठीक चल रहा था, जब उनके छोटे भाई सतनाम की मृत्यु हो गई।
उसे लिधर गांव में उसकी बहन के घर पर पकड़ा गया और मार डाला गया।
13 मार्च 1992 को, वरपाल गांव ने समापन के उपलक्ष्य में एक अंतिम संस्कार भोज का आयोजन किया।
अपने छोटे भाई के अंतिम संस्कार की रस्मों को पूरा करने के बाद, मंजीत 424 राख में तब्दील हो गया।

वह गांव में अपने चारे के स्टॉल पर लौट आया। उसके साथ उसी गांव का पाल सिंह का पुत्र सुचा सिंह भी था।
वरपाल निवासी पाल सिंह और जसबीर कौर के पुत्र पच्चीस वर्षीय सुचा सिंह। मनजीत और सुचा सिंह गांव में एक अविवाहित कृषि मजदूर थे। जब मनजीत और सुचा सिंह चारे की दुकान पर पहुंचे, तो सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों के एक समूह ने उन पर धावा बोल दिया, उन्हें घसीटकर पुलिस वाहन में बिठाया और ले गए। अगली सुबह, गांव के कुछ बुजुर्ग सैकड़ों अन्य निवासियों के साथ जंडियाला गुरु पुलिस स्टेशन गए और मनजीत सिंह और सुचा सिंह के बारे में जानकारी मांगी। एसएचओ अमर सिंह ने उन्हें बताया कि दोनों एक "मुठभेड़" में मारे गए हैं और उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। इसके बाद ग्रामीण दुर्गाना मंदिर के श्मशान घाट गए, जहां उन्होंने चिताओं को जलते हुए देखा। अगले दिन, वे उनकी अस्थियां लेने वापस गए।
360. क्रमांक 370/67 के अंतर्गत सूची में गुरदीप सिंह उर्फ गुप्ता, पुत्र स्वर्ण सिंह, निवासी नांगली, थाना मेहता के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो ब्यास पुलिस स्टेशन के एसएचओ द्वारा 25 मार्च 1992 को एफआईआर क्रमांक 37/92 के तहत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कोई क्रमांक नहीं है। मृत्यु का कारण "गोली लगने से हुई चोटें" बताया गया है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01341 के माध्यम से समिति ने जानकारी प्राप्त की है।
इस मामले से संबंधित निम्नलिखित जानकारी। इस मामले में मुख्य सूचनादाता पीड़ित के पिता स्वर्ण सिंह हैं।
उन्नीस वर्षीय गुरदीप सिंह, स्वर्ण सिंह और दिवंगत सुरजीत कौर के पुत्र थे गुरदीप अमृतसर जिले के बाबा बकाला उपमंडल के मेहता पुलिस स्टेशन के अंतर्गत उडो नांगल डाकघर के नांगली कलां का निवासी था। राजनीतिक रूप से, उसका परिवार अकाली दल का समर्थक था, लेकिन उसका किसी भी चरमपंथी संगठन से कोई संबंध नहीं था। गुरदीप को कभी गिरफ्तार या पूछताछ नहीं की गई थी।

गुरदीप के पिता स्वर्ण सिंह, उनकी मां सुरजीत की मृत्यु के बाद बहुत अवसादग्रस्त हो गए थे।
कौर का निधन 1986 में हुआ था। सबसे बड़े बेटे के रूप में, गुरदीप ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और फिर अपने पिता के साथ कृषि फार्म में काम करना शुरू कर दिया।
20 मार्च 1992 को सुबह लगभग 4 बजे, एक पुलिस बल, जिसका नेतृत्व एक ऐसे अधिकारी कर रहा था जिसने इनकार कर दिया था,
पुलिस ने अपना नाम बताए बिना स्वर्ण सिंह के घर पर छापा मारा और गुरदीप के बारे में पूछा, जो अभी-अभी जागा था। स्वर्ण सिंह ने गुरदीप की ओर इशारा करते हुए पुलिसकर्मियों से उनके आने का मकसद बताने को कहा। लेकिन पुलिसकर्मियों ने गुरदीप पर हमला कर दिया, उसे घर से बाहर घसीटा और एक गाड़ी में धकेल कर ले गए। उन्होंने अपनी मंज़िल तक नहीं बताई।
स्वर्ण सिंह तुरंत मेहता पुलिस स्टेशन पहुंचे, जिसके अधिकार क्षेत्र में यह मामला आता था।
स्वर्ण सिंह गांव गए, यह सोचकर कि वहां की पुलिस ने शायद उन्हें किसी शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया हो। जब मेहता पुलिस ने इस बारे में कोई जानकारी होने से इनकार कर दिया, तो स्वर्ण सिंह अगले दो दिनों तक दूसरे पुलिस थानों में जाकर अपने बेटे की तलाश करते रहे। उन्होंने अपने इलाके के राजनीतिक नेताओं से भी संपर्क किया, लेकिन उन्होंने पंजाब की नव निर्वाचित सरकार द्वारा स्थापित भीषण दमनकारी स्थिति में मदद करने में असमर्थता जताई।
22 मार्च को स्वर्ण सिंह ने कई ग्राम बुजुर्गों के साथ डीएसपी दर्शन से मुलाकात की।
बाबा बकाला के सिंह मान ने पता लगाने का वादा किया और उन्हें तीन दिन बाद वापस आने की सलाह दी। जब वे 25 मार्च 1992 को उनसे दोबारा मिले, तो डीएसपी मान ने उन्हें बताया कि पुलिस ने गुरदीप को ध्यानपुर गांव के पास एक "मुठभेड़" में मार दिया था और उसका अंतिम संस्कार दुर्गियाना मंदिर श्मशान घाट पर कर दिया था। सद्भावना के तौर पर, डीएसपी मान ने स्वर्ण सिंह को एक पर्ची दी, जिससे उन्हें अपने बेटे की अस्थियां लेने की अनुमति मिल गई। 26 मार्च को स्वर्ण सिंह श्मशान घाट गए और अस्थियां ले आए।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (425)

राख, उसके बेटे के शरीर के अंतिम अवशेष।
डीएसपी मान ने स्वर्ण सिंह को शिकायत न करने या कोई कानूनी कार्रवाई शुरू न करने की सलाह भी दी थी।
यदि स्वर्ण सिंह को अपनी और अपने दूसरे बेटे की जान की परवाह होती, तो वह कोई कार्रवाई नहीं करता। स्वर्ण सिंह ने उनकी सलाह मानी और मामले को आगे नहीं बढ़ाया।
361. क्रमांक 371/68 के अंतर्गत, सूची में मलकैत सिंह, पुत्र गुलजार सिंह, निवासी रानाकला, जंडियाला के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो जंडियाला पुलिस स्टेशन के एएसआई रणजीत सिंह द्वारा 27 मार्च 1992 को एफआईआर संख्या 42/92 के तहत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट संख्या अंकित नहीं है। मृत्यु का कारण "गोली लगने से हुई चोटें" बताया गया है।
समिति ने निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है-

इस मामले की जानकारी घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01129 के माध्यम से दी गई है। मुख्य सूचनादाता पीड़िता की मां दर्शन कौर हैं।

गुलजार सिंह का बेटा मलकीत सिंह उर्फ मीता

और दर्शन कौर, अमृतसर जिले के जंडियाला गुरु पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जब्बोवाल डाकघर के राणा काला गांव की रहने वाली 20 वर्षीय कॉलेज छात्रा थी।

1991 में, उच्च माध्यमिक विद्यालय की पढ़ाई पूरी करने के बाद

परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, मलकीत ने जंडियाला गुरु कॉलेज में दाखिला लिया और प्रतिदिन अपने गाँव से कॉलेज तक स्कूटर से आना-जाना करता था। दर्शन कौर के अनुसार, परिवार के सदस्यों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि मलकीत सिंह का किसी राजनीतिक संगठन से कोई संबंध था या नहीं। मलकीत अतिरिक्त ट्यूशन लेने के बाद प्रतिदिन शाम 5 से 6 बजे के बीच घर लौट आता था।

24 मार्च 1992 को मलकीत अपने कॉलेज गया, लेकिन अगले दिन घर नहीं लौटा।

उस शाम करीब सात बजे जंडियाला पुलिस स्टेशन से कुछ अधिकारी उनके घर आए और उनके पिता गुलजार सिंह के बारे में पूछा, जो अमृतसर शहर में थे। जब दर्शन कौर ने उनसे आने का कारण पूछा, तो पुलिस अधिकारी बदसलूकी करने लगे। उन्होंने घर के बाहर खड़े गुलजार सिंह के ट्रैक्टर को जब्त कर लिया और दर्शन कौर को निर्देश दिया कि वह अपने पति को अगली सुबह पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाने के लिए कहें, और फिर उसे लेकर चले गए। उनके जाने के बाद, गांव के कुछ निवासियों ने दर्शन कौर को बताया कि उनके बेटे को उसी शाम घर लौटते समय एक पुलिस चौकी पर गिरफ्तार कर लिया गया था।

अगली सुबह गुलजार सिंह जंडियाला गुरु पुलिस स्टेशन गए और उन्हें पता चला गुलजार सिंह को पता चला कि उनके बेटे मलकीत को मल्ल मंडी पूछताछ केंद्र में स्थानांतरित कर दिया गया है। उन्हें डर था कि कहीं उन्हें भी गिरफ्तार न कर लिया जाए, लेकिन उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की। गुलजार सिंह मल्ल मंडी पूछताछ केंद्र गए, लेकिन उन्हें अपने बेटे के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली।
27 और 28 मार्च 1992 को, कई पंजाबी समाचार पत्रों ने हत्या की खबर प्रकाशित की।

मलकीत सिंह एक मुठभेड़ में मारे गए, जो कथित तौर पर तब हुई जब आतंकवादियों के एक समूह ने उनकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद उन्हें छुड़ाने की कोशिश की। पुलिस ने परिवार वालों को बिना सूचना दिए ही अंतिम संस्कार कर दिया। गुलजार
सिंह का ट्रैक्टर, जिसे जंडियाला गुरु पुलिस ने 24 मार्च 1992 की शाम को उनके घर से जब्त कर लिया था, एक सप्ताह बाद उन्हें लौटा दिया गया, साथ ही वह स्कूटर भी लौटा दिया गया जिसे मलकीत सिंह अपनी गिरफ्तारी के समय चला रहे थे।
दर्शन कौर के अनुसार, उनके पति गुलजार सिंह 426 लोगों के राख में तब्दील हो जाने की घटना से सहमत नहीं हो पाए थे।

अपने बेटे के लापता होने और फर्जी मुठभेड़ में उसकी हत्या से वह पूरी तरह टूट गया था। अपने दुख को भुलाने के लिए वह अत्यधिक शराब पीने लगा, मलकीत की तस्वीर के सामने हमेशा रोता रहता था, और 1998 में असमय ही उसकी मृत्यु हो गई।
362. क्रमांक 372/69 के अंतर्गत सूची में गुरमुख सिंह उर्फ गोरखी, पुत्र बीर सिंह, निवासी जानी-की-पट्टी, मेहता के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो कठूनंगल पुलिस स्टेशन के एसएचओ द्वारा 2 अप्रैल 1992 को एफआईआर क्रमांक 24/92 के तहत किया गया था। मृत्यु का कारण "गोली लगने से हुई चोटें" बताया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कोई क्रमांक नहीं है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01343 के माध्यम से समिति ने जानकारी प्राप्त की है।
निम्नलिखित जानकारी। इस मामले में मुख्य सूचनादाता पीड़ित के पिता वीर सिंह हैं।
वीर सिंह और गुरदीप कौर के पुत्र, 22 वर्षीय गुरमुख सिंह,
अमृतसर जिले के बाबा बकाला उपमंडल के अंतर्गत मेहता गांव, पट्टी जानी की गुरमुख, जरनैल सिंह भिंडरांवाले के नेतृत्व वाले रूढ़िवादी धार्मिक शिक्षा केंद्र, दमदमी टकसाल के पूर्व छात्र थे। उन्होंने पाठी (शास्त्र-पाठक) की योग्यता प्राप्त की थी और धर्म प्रचार के लिए देश-विदेश में यात्रा करते थे। उन्हें भिंडरांवाले का करीबी माना जाता था, लेकिन उन्होंने जून 1984 में स्वर्ण मंदिर पर सेना के हमले के सशस्त्र प्रतिरोध में भाग नहीं लिया, जिसमें भिंडरांवाले और सैकड़ों अन्य लोग मारे गए थे।

जून 1984 के बाद गुरमुख को संदिग्ध के रूप में चिह्नित किया गया था।

और पुलिस उसके घर पर छापा मारती थी और उसके परिवार के सदस्यों को हिरासत में ले लेती थी ताकि उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया जा सके। पुलिस

गुरमुख सिंह को 1985 में उनके घर से गिरफ्तार किया गया था।

गुरदासपुर के भामरी गांव में रहने वाले नाना-नानी
और उन पर शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। ट्रायल कोर्ट ने कुछ महीनों बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। लेकिन पुलिस ने उन्हें प्रताड़ित करना जारी रखा; रिहा होते ही जेल के द्वार पर उन्हें उठा लिया जाता, हफ्तों तक अवैध रूप से हिरासत में रखा जाता, यातनाएं दी जातीं और फिर उन पर नया आरोप लगा दिया जाता। 1991 के अंत में, गुरमुख सिंह किसी तरह भाग निकलने में कामयाब रहे और छिप गए।
मार्च 1992 में, गुरमुख सिंह तरन तारन के गगरेवाल गांव में उपदेश दे रहे थे।
अमृतसर जिले के एक उपमंडल में, कपूरथला जिले के पुलिसकर्मियों के एक समूह ने गुरमुख सिंह को उसी गाँव से गिरफ्तार कर लिया और कपूरथला के सदर पुलिस स्टेशन ले गए। उनके पिता वीर सिंह को अगले दिन गिरफ्तारी की सूचना मिली और वे गाँव के कुछ बुजुर्गों के साथ कपूरथला गए और कपूरथला सदर पुलिस स्टेशन में अपने बेटे से मिले। एसएचओ ने उन्हें बताया कि उन्होंने गुरमुख सिंह की गिरफ्तारी की सूचना मेहता पुलिस को पहले ही दे दी है और उनकी अनुमति के बिना उन्हें रिहा करने में असमर्थता जताई। वीर सिंह और उनके साथी वापस मेहता पुलिस स्टेशन गए और वहाँ के एसएचओ से मिले, जिन्होंने कहा कि वे गुरमुख सिंह को पूछताछ के लिए चाहते हैं, लेकिन पूछताछ के बाद उन्हें रिहा कर देंगे।
मेहता पुलिस गुरमुख सिंह को कपूरथला से वापस ले आई, लेकिन उसका तबादला कर दिया
वीर सिंह को अमृतसर के मॉल मंडी पूछताछ केंद्र ले जाया गया। उन्होंने अपने क्षेत्र के अकाली नेता मनमोहन सिंह सथियाला, जो बाद में विधायक बने, को इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए राजी किया।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (427)

उनकी ओर से कई प्रयास किए गए। लेकिन सथियाला के प्रयास व्यर्थ गए। 3 मार्च 1992 को वीर सिंह ने अखबारों में अपने बेटे की मुठभेड़ में कथित हत्या की खबर पढ़ी। अखबारों की खबरों के अनुसार, पुलिस उसे हथियार बरामदगी के लिए ले जा रही थी, तभी काठू नांगल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत वेगेवाल गांव के पास उग्रवादियों के एक समूह ने उसे छुड़ाने की उम्मीद में काफिले पर हमला कर दिया। गोलीबारी में गुरमुख सिंह शहीद हो गए।
वीर सिंह दुर्गाना मंदिर के श्मशान घाट गए और वहां से कुछ सामान इकट्ठा किया।
परिचारकों ने बताया कि राख का ढेर उनके बेटे की चिता से निकला था।
गुरमुख के बड़े भाई सरवन सिंह इस घटना से बहुत प्रभावित हुए।
उसने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया और चार साल बाद उसकी मौत हो गई।
क्रमांक 363 – 365 के अंतर्गत, सूची में रामदास पुलिस स्टेशन के एक सब-इंस्पेक्टर द्वारा 5 अप्रैल 1992 को एफआईआर संख्या 30/92 के तहत किए गए तीन शवदाह का उल्लेख है। ये शवदाहकर्ता हैं: [1] त्रिलोचन सिंह, पुत्र जोगिंदर सिंह, निवासी कुजावल, रामदास; [2] पृथ्वीपाल सिंह, पुत्र साधु सिंह, निवासी भूर-ए-गिल, रामदास; और [3] सुखविंदर सिंह उर्फ बिट्टू, पुत्र

केवल सिंह, निवासी चोगामा, लोपोके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का उल्लेख नहीं है। मृत्यु का कारण "गोली लगने से लगी चोटें" बताया गया है।
समिति ने इन मामलों के बारे में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की है। घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01606, 01614 और 01607। मुख्य सूचनादाता पृथ्वीपाल और सुखविंदर की माताएँ हरबंस कौर और मंजिंदर कौर हैं, और तरलोचन सिंह के पिता जोगिंदर सिंह हैं।
जोगिंदर सिंह और स्वर्ण कौर के पुत्र, इक्कीस वर्षीय तरलोचन सिंह, तरलोचन अमृतसर जिले के अजनाला उपमंडल के रामदास पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले दूजोवाल गांव के निवासी थे। उनका परिवार बड़ा था, जिसमें दो बड़े भाई, दो छोटे भाई और दो अविवाहित बहनें थीं। तरलोचन ने मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की और फिर मार्कफेड में नौकरी पा ली। उनकी पहली पोस्टिंग राय्या में हुई और फिर उनका तबादला मजीठा में हो गया। इसी दौरान तरलोचन ने बलजीत कौर से शादी की और उनका एक बेटा पंथप्रीत सिंह हुआ, जिसकी उम्र अब लगभग 10 साल है।
तरलोचन सिंह किसी भी उग्रवादी गतिविधि में शामिल नहीं थे, लेकिन उनके दो चचेरे भाई-बहन...
दलम गांव के भूपिंदर सिंह और बिट, किसी उग्रवादी संगठन के सदस्य थे और अंततः पकड़े जाने के बाद मारे गए। वे सुरजीत सिंह के पुत्र थे, जो तरलोचन के मामा थे।
साधु सिंह और हरबंस कौर के पुत्र पृथ्वीपाल सिंह 19 वर्षीय उच्च शिक्षा प्राप्त छात्र थे।
पृथ्वीपाल अमृतसर जिले के अजनाला उपमंडल के रामदास पुलिस स्टेशन के अंतर्गत चामियारी डाकघर वाले भूरे गिल गांव का माध्यमिक विद्यालय का छात्र है। उसके पिता साधु सिंह एक छोटे किसान थे जिनके पांच बेटे थे, और पृथ्वीपाल उनमें सबसे छोटा था। उसका बड़ा भाई संतोख सिंह बीएसएफ में जेसीओ था, लेकिन 1993 में अचानक उसका निधन हो गया।
1980 में, अजनाला पुलिस ने पृथ्वीपाल को गिरफ्तार किया था और उससे पूछताछ के बाद,
यातना देने के आरोप में उन पर टाडा के तहत मामला दर्ज किया गया। एक साल बाद अदालत ने उन्हें टाडा के आरोपों से बरी कर दिया, क्योंकि आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं थे। पृथ्वीपाल जेल से बाहर आए और अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करने की कोशिश की। लेकिन पुलिस ने उनके घर पर फिर से छापे मारने शुरू कर दिए और उन्हें अवैध हिरासत में यातनाएं दीं। एक बार चामियारी सेना शिविर में उन्हें इतनी बेरहमी से यातना दी गई कि उनकी हालत गंभीर हो गई और उन्हें लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। अंततः पृथ्वीपाल तंग आकर दिसंबर 1992 में अपना घर छोड़कर चले गए। इसके बाद पुलिस ने उनके परिवार के सदस्यों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।
428 राख में तब्दील

बाईस वर्षीय सुखविंदर सिंह, जो कि

काबल सिंह और मंजिंदर कौर के पुत्र सुखविंदर कौर, अमृतसर जिले के अजनाला पुलिस स्टेशन के अंतर्गत अजनाला रोड स्थित चौगावां गांव के बस कंडक्टर

थे। वे चार भाई और एक बहन में सबसे बड़े थे और उनके पिता का देहांत उनके बचपन में ही हो गया था। जल्द ही सुखविंदर को परिवार चलाने की जिम्मेदारी उठानी पड़ी और उन्होंने 1989 में स्कूल की पढ़ाई छोड़कर माझा ट्रांसपोर्ट कंपनी में बस कंडक्टर के रूप में काम शुरू कर दिया। पूरा परिवार उनकी तनख्वाह पर निर्भर था। सुखविंदर एक कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी होने के साथ-साथ परिवार के प्रति भी जिम्मेदार थे।

सुखविंदर सिंह, जब तक उन्हें लंबे मार्ग पर जाने का आदेश नहीं दिया जाता था, वे वापस आ जाते थे।

सुखविंदर हर रात घर लौट आता था। सुखविंदर अविवाहित था।

सन् 1991 में एक बार लोपोके पुलिस ने कुछ संदेह के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया था।

लेकिन ग्राम परिषद के सदस्यों ने हस्तक्षेप किया और पुलिस ने दस दिनों की अवैध हिरासत और यातना के बाद उसे रिहा कर दिया।

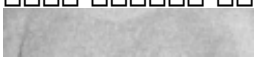

3 अप्रैल 1992 की सुबह, सुखविंदर सिंह हमेशा की तरह अपने काम पर निकल पड़े।

उसी शाम, जिस बस का वह चालक चला रहा था, वह मंजिंदर कौर के घर आया और उसे सूचित किया कि उसके बेटे को पृथ्वीपाल सिंह के साथ गुरुद्वारा गुरु का बाग के पास अजनाला पुलिस द्वारा स्थापित एक पुलिस चौकी पर गिरफ्तार कर लिया गया है।
अगले दिन, मंजिंदर कौर ने कुछ लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की ताकि वे उस व्यक्ति से संपर्क कर सकें।
पुलिस ने कई प्रयास किए लेकिन वे सफल नहीं हो सके, क्योंकि लोग पुलिस की मनमानी से बहुत डरे हुए थे। अगली सुबह, गांव के कुछ निवासियों को लोपोके पुलिस स्टेशन से पता चला कि सुखविंदर और दो अन्य लोग रामदास पुलिस के साथ "मुठभेड़" में मारे गए थे। कई समाचार पत्रों ने कुरालियन गांव के पास हुई इस "मुठभेड़" के बारे में खबरें प्रकाशित कीं, जिसमें बताया गया कि जब आतंकवादियों के एक समूह ने अपने तीन साथियों को छुड़ाने की कोशिश की, जिन्हें रामदास पुलिस हथियारों की बरामदगी के लिए ले जा रही थी। समाचार पत्रों ने शवों की तस्वीरें भी प्रकाशित कीं।
मंजिंदर कौर अपने बेटे के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सकीं क्योंकि वह पहले ही हो चुका था।

पुलिस ने अंतिम संस्कार कर दिया था। लेकिन दुर्गाना मंदिर के श्मशान घाट पर मौजूद एक कर्मचारी ने उन्हें शव की अस्थियां लेने में मदद की। सुखविंदर परिवार की इकलौती कमाने वाली सदस्य थीं और चार छोटे बच्चों की परवरिश और आर्थिक तंगी के कारण वे न्याय के लिए किसी भी तरह से मुकदमा नहीं लड़ सकीं। असली सबूत यह है कि तीनों व्यक्तियों को एक फर्जी साजिश में पकड़ा गया और मार डाला गया था।
यह मुठभेड़ तरलोचन सिंह के मामले से जुड़ी है, जिन्हें 4 अप्रैल 1992 की सुबह उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। तरलोचन अपने माता-पिता और भाइयों के साथ सो रहे थे, तभी रामदास पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा और उन्हें अगवा कर लिया। उसी सुबह, परिवार के सदस्यों और कई ग्रामवासियों ने रामदास पुलिस स्टेशन के एसएचओ गोपाल सिंह से मुलाकात की, जिन्होंने बताया कि डीएसपी सीधे इस मामले को देख रहे हैं, इसलिए वे कोई मदद नहीं कर सकते। परिवार के सदस्यों ने तब किसी प्रभावशाली राजनेता से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन समय रहते कोई व्यवस्था नहीं हो पाई।
366. क्रमांक 378/73 के अंतर्गत, सूची में बलविंदर सिंह उर्फ बिंदा, पुत्र अजीत सिंह, निवासी नांगली नशेरा के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो मजीठा पुलिस स्टेशन के एएसआई मोहिंदरपाल सिंह द्वारा 8 अप्रैल 1992 को एफआईआर संख्या 27/92 के तहत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कोई क्रमांक नहीं है। मृत्यु का कारण "गोली लगने से हुई चोटें" बताया गया है।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (429)

समिति ने निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है-

इस मामले के बारे में घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01167 के माध्यम से जानकारी दी गई है। मुख्य सूचनादाता पीड़िता की पत्नी दर्शन कौर हैं।

स्वर्गीय अजीत के पुत्र, चौंतीस वर्षीय बलविंदर सिंह।

सिंह और गुरमेज कौर अमृतसर के सदर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मशीनवाले के नांगली नौशेहरा गांव के निवासी थे। वे किसान थे और दर्शन कौर से विवाहित थे, जिनके दो बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा अब 18 वर्ष का है।

According to Darshan Kaur, Balwinder did not have

पुलिस को संदेह था कि उसका किसी भी राजनीतिक या उग्रवादी संगठन से कोई संबंध नहीं था, लेकिन वह बलविंदर सिंह हत्याकांड में शामिल लोगों से जुड़ा हुआ था।

क्षेत्र में हुई लूटपाट की घटनाओं में शामिल बलविंदर सिंह को 1988 में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कुछ दिनों तक अवैध हिरासत में रखकर यातनाएं देने के बाद उन पर विभिन्न आपराधिक आरोप लगाए। आठ महीने बाद अदालत ने

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 10 [illegible] 1989 [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

एसएसपी परमजीत सिंह गिल द्वारा जारी बयान में दावा किया गया कि बलविंदर सिंह उस मुठभेड़ में मारा गया जो तब शुरू हुई जब उसके साथियों ने उस पुलिस वाहन पर हमला किया जिसमें उसे हथियार बरामद करने के लिए ले जाया जा रहा था। मजीठा के एसएसपी ने प्रेस को बताया कि पुलिस ने बलविंदर सिंह बिंदा और हरदीप सिंह दोधी को बल्लन गांव से कई डकैतियों में उनकी भूमिका के कारण गिरफ्तार किया था। प्रेस रिपोर्टों में यह नहीं बताया गया कि हरदीप सिंह दोधी का क्या हुआ। सीबीआई की अज्ञात शवदाह की सूची में 430 शव राख में तब्दील हो गए।

इसमें 8 अप्रैल 1992 को मजीठा पुलिस द्वारा किए गए दूसरे अंतिम संस्कार का उल्लेख नहीं है।
दर्शन कौर को बलविंदर सिंह की मौत की खबर पर संदेह हुआ और उन्होंने मुलाकात की।
दर्शन कौर अपनी सास के साथ एसएसपी के दफ्तर में थीं। एसएसपी ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया और उन्हें वहां से जाने को कहा। दर्शन कौर इस मामले में आगे कुछ नहीं कर सकीं।
दर्शन कौर अब दूध बेचकर अपना जीवन यापन करती हैं। उन्हें अपना पैसा वापस लेना पड़ा।
उनका बड़ा बेटा हरप्रीत सिंह, जो अब 18 साल का है, स्कूल नहीं जाता क्योंकि उसकी पत्नी को अपनी तीन भैंसों की देखभाल और चराने में मदद की ज़रूरत होती है। उनका छोटा बेटा गुरप्रीत सिंह स्कूल जाता है।
367. क्रमांक 388/77 के अंतर्गत सूची में केवल सिंह, पुत्र हजारा सिंह, निवासी दिलवान, डेरा बाबा नानक के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो मेहता पुलिस स्टेशन के एसएचओ द्वारा 23 अप्रैल 1992 को एफआईआर संख्या 39/92 के तहत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का उल्लेख नहीं है और मृत्यु का कारण "गोली लगने से लगी चोटें" बताया गया है।
समिति ने अपने शोध के माध्यम से इस मामले के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना प्रपत्र संख्या CCDP/01703. मुख्य सूचनादाता पीड़ित के पिता हजारा सिंह हैं।
हजारा सिंह और कंस कौर के पुत्र पच्चीस वर्षीय केवल सिंह एक
गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक उपमंडल के कोटली सूरत मल्ली डाकघर के अंतर्गत ढिलवान गांव के निवासी केवल सिंह छह बच्चों में सबसे छोटे थे। उन्होंने मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी और अपने भाइयों के साथ पारिवारिक खेत में काम करने लगे। उनके पिता हजारा सिंह (80) एक गरीब किसान थे, जो ज्यादा काम नहीं कर पाते थे। बपतिस्मा प्राप्त सिख केवल अविवाहित थे। उनका किसी भी आपराधिक या उग्रवादी संगठन से कोई संबंध नहीं था और उन्हें कभी गिरफ्तार या पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया था।
लगभग 21 अप्रैल 1992 को, केवल सिंह अपने मित्र हरभेज सिंह के साथ
नवान पिंड के पड़ोसी गांव के लोग काठू नांगल के गुरुद्वारे में तीर्थयात्रा पर गए थे। काठू नांगल पुलिस ने उन दोनों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उन्हें गुरुद्वारे के तालाब में स्नान करते समय पकड़ा। परिवार को गिरफ्तारी की जानकारी तब तक नहीं मिली जब तक उन्होंने 24

अप्रैल 1992 को पंजाबी अखबार में प्रकाशित एक रिपोर्ट नहीं पढ़ी, जिसमें बताया गया था कि दोबुरजी गांव के पास एसएचओ के नेतृत्व में मेहता पुलिस के साथ मुठभेड़ में तीन आतंकवादी मारे गए। रिपोर्ट में मारे गए आतंकवादियों के नाम धीवान निवासी केवल सिंह, नवान पिंड निवासी हरजीत सिंह और कोट मजलिस गांव निवासी बलकार सिंह थे। रिपोर्ट में कहा गया कि उनका चौथा साथी दतेपुर गांव निवासी हरनेक सिंह भागने में सफल रहा।
पुलिस ने केवल सिंह के परिवार को सूचित किए बिना ही अंतिम संस्कार कर दिया।
हजारा सिंह, कुछ ग्राम बुजुर्गों के साथ, काठू नांगल स्थित गुरुद्वारे गए, जहां गिरफ्तारी के चश्मदीदों ने पुष्टि की कि उन्हें गुरुद्वारे के तालाब में स्नान करते समय हिरासत में लिया गया था।
अन्य दो व्यक्तियों के शवों का क्या हुआ, यह स्पष्ट नहीं है।
सीबीआई की सूची में केवल केवल सिंह के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जबकि दोबुरजी गांव में उसी मुठभेड़ में मारे गए लोगों का भी उल्लेख है। सीबीआई द्वारा तैयार की गई अंतिम संस्कार की अन्य दो सूचियों में भी इससे संबंधित कोई प्रविष्टि नहीं है।
368. क्रमांक 392/78 के अंतर्गत सूची में जलालाबाद निवासी चरण सिंह के पुत्र अंग्रेज सिंह के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो ब्यास पुलिस द्वारा एफआईआर संख्या 53/92 के अंतर्गत 27 अप्रैल 1992 को किया गया था। इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कोई क्रमांक नहीं है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने इस मामले के संबंध में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है। सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (431)

घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01330। पीड़ित की मां मुख्य सूचनादाता हैं।
इक्कीस वर्षीय अंग्रेज सिंह बपतिस्मा प्राप्त परिवार में सबसे छोटे थे। अंग्रेज सिंह, जिनके पिता चन्नन सिंह (सीबीबीआई की सूची में उनका नाम गलती से चरण सिंह दर्ज था), माता हरभजन कौर और चार भाई-बहन थे, एक धर्मनिष्ठ सिख परिवार का हिस्सा थे। वे अमृतसर जिले के बाबा बकाला उपमंडल के मेहता पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जलाल उस्मान गांव में रहते थे। अंग्रेज सिंह ने अपने पिता और भाइयों के साथ खेती करने के लिए स्कूल छोड़ दिया था और परिवार के सदस्यों के अनुसार, वे किसी भी अवैध गतिविधि में शामिल नहीं थे। हालांकि, 1991 में मेहता पुलिस ने उन्हें रिवॉल्वर रखने के संदेह में गिरफ्तार कर लिया; हालांकि, उनके पास से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ। पुलिस ने फिर भी उन्हें प्रताड़ित किया और उन पर शस्त्र अधिनियम के तहत मामला भी दर्ज किया। अंग्रेज सिंह सात महीने बाद जेल से रिहा हुए।
20 अप्रैल 1992 की देर शाम, जेल से रिहाई के ठीक एक महीने बाद, एक
पुलिस अधिकारियों के एक समूह ने, जिन्होंने अपनी पहचान नहीं बताई, अंग्रेज सिंह को उनके घर से उनके परिवार के सभी सदस्यों की उपस्थिति में गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने न तो उन पर लगे आरोप का खुलासा किया, न ही उस पुलिस स्टेशन का नाम बताया जहां से वे आए थे, और न ही यह बताया कि वे उन्हें कहां ले जा रहे थे।
अगली सुबह, परिवार के सदस्य, साथ में कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति भी मौजूद थे।

[illegible]

of Mehnga Singh and Gurmej Kaur, was a dairy farmer from village Pheruman, Patti Sarnaga Di, under Beas

[illegible]

दिलबाग का जन्म जिले में हुआ था। उनके पिता एक छोटे किसान थे जिनके पास केवल दो एकड़ जमीन थी। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद, दिलबाग अस्थायी रूप से सेना में भर्ती हो गए और जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख के मुख्य शहर लेह में एक छावनी में मोटर मैकेनिक के रूप में सेवा की। उन्होंने तीन साल तक सेना में काम किया और फिर अपने गांव लौटकर एक डेयरी फार्म खोला। दिलबाग अविवाहित थे और अपने माता-पिता, विवाहित बड़े भाई जगतार सिंह और छोटे भाई मुख्तियार सिंह के साथ रहते थे। उनका कोई राजनीतिक या उग्रवादी पृष्ठभूमि नहीं थी और उन्हें कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था।
13 अगस्त 1992 को शाम लगभग 7 बजे, ब्यास थाने के पुलिसकर्मियों का एक समूह, जिसका नेतृत्व
हेड कॉन्स्टेबल अनंत राम उस स्टॉल पर आए जहाँ दिलबाग दूध के उत्पाद बेचता था। जब पुलिस पहुँची, तो दिलबाग दूध लेने गया हुआ था, लेकिन उसका साथी शेर सिंह दुकान पर मौजूद था। दिलबाग के न मिलने पर पुलिस उसे उसके घर ढूंढने गई। इसी बीच, दिलबाग दूध लेकर दुकान पर लौट आया और उसे पता चला कि पुलिस उसे ढूंढ रही है। शेर सिंह ने उसे वहाँ से चले जाने की सलाह दी, लेकिन दिलबाग ने कहा कि वह चोर नहीं है और उसे किसी बात का डर नहीं है। थोड़ी देर बाद, पुलिसकर्मियों का दल वापस आया और हेड कॉन्स्टेबल अनंत राम ने दिलबाग सिंह को बताया कि ब्यास थाने के एसएचओ वस्सन सिंह एक मामले की जांच के सिलसिले में उससे तुरंत बात करना चाहते हैं। दिलबाग साथ चलने को तैयार हो

[illegible] 6.5.92 [illegible] "[illegible]" [illegible]
[illegible]-

[illegible] CCDP/01100 [illegible]:

Twenty-year-old Gurdev Singh was from Pakho Ke

[illegible]

[illegible] 1992 [illegible]

[illegible] (1992 [illegible]) [illegible]

[illegible]

[illegible]

7 [illegible] 1992 [illegible]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

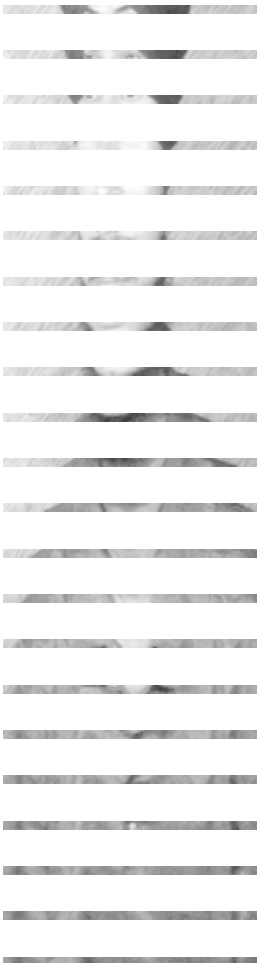

7 [redacted]

[illegible] 396/58 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] WD/368 [illegible] 6.5.1992 [illegible] "[illegible]" [illegible] 397/259 [illegible] 398/260 [illegible], [illegible] 6 [illegible] 1992 [illegible] FIR [illegible] 62/92 [illegible]
[illegible] 371 - 372 [illegible], [illegible] 58/92 [illegible] 12 [illegible] 1992 [illegible]: [1] [illegible], [illegible]; [illegible] [2] [illegible] "[illegible]" [illegible] CCDP/01173 [illegible] 01282 [illegible]
Twenty-year-old Lakhwinder Singh alias Lakha, son of late Surjit Singh and Jagir
[illegible], [illegible] 1984 [illegible] [illegible], [illegible] 10 [illegible] 1992 [illegible]

नुकसान न पहुंचाने का वादा किया और कुछ दिनों की पूछताछ के बाद उसे रिहा करने का प्रस्ताव रखा।
लखविंदर, बटर गांव के कश्मीर सिंह के पुत्र हरजीत सिंह के साथ था।
11 मई 1992 की रात धविंडा कलां गांव के पास एक मुठभेड़ में मारे गए घोषित कर दिए गए। 13 मई को अखबारों में खबर आई कि पुलिस लखविंदर और हरजीत को हथियार बरामद करने के लिए ले जा रही थी, तभी आतंकवादियों के एक समूह ने उन्हें छुड़ाने की कोशिश की।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (435)

पुलिस हिरासत में। खबर में कहा गया कि मुठभेड़ में दोनों एक आतंकवादी के साथ मारे गए।
क्रमांक 402/261 के तहत, सीबीआई की अज्ञात शवदाह की सूची से पता चलता है कि लोपोके पुलिस स्टेशन के एसएचओ ने 12 मई 1992 को अंतिम संस्कार किया। इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कोई उल्लेख नहीं है।
अखबार में खबर पढ़ने के बाद लखविंदर के परिवार के सदस्य उनसे संपर्क करने के लिए आगे आए।
लोपोके पुलिस से संपर्क किया और दुर्गियाना मंदिर के श्मशान घाट से उनकी अस्थियां एकत्र करने की अनुमति प्राप्त की।
परिवार ने इस डर से कोई कार्रवाई नहीं की कि इससे प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
लखविंदर के बड़े भाई प्रगत सिंह का करियर एएसआई के पद पर बीता। हालांकि, कुछ समय बाद ही एक सड़क दुर्घटना में प्रगत सिंह की मृत्यु हो गई।
हरजीत सिंह के मामले में, उनके पिता कश्मीर सिंह ने आंदोलन जारी रखा और उन्होंने जवाबदेही और कार्रवाई के लिए अभियान शुरू करने में एमनेस्टी इंटरनेशनल को शामिल करने में कामयाबी हासिल की। कश्मीर सिंह को पूरा यकीन था कि मुठभेड़ में उनके बेटे की हत्या की खबर झूठी थी और इसका मकसद उन्हें चुप कराने के लिए उनका मनोबल गिराना था।
कश्मीर सिंह और मनजीत कौर के पुत्र, बाईस वर्षीय हरजीत सिंह, से थे। अमृतसर जिले के बाबा बकाला उपमंडल में मेहता पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले बटर कलां गांव, बटर पट्टी में कश्मीर सिंह रहते हैं। 1992 में, कश्मीर सिंह पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड में कनिष्ठ अभियंता के पद पर कार्यरत थे। वे 1999 में सेवानिवृत्त हुए। कश्मीर सिंह के पिता, बाबा बिशन सिंह, एक प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी और ब्रिटिश भारतीय सेना के सैनिक थे, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के लिए लड़ने के लिए अमेरिका और यूरोप जाने के रेजिमेंटल आदेश का उल्लंघन किया था। आदेश 17 जुलाई 1940 को प्राप्त हुए थे, लेकिन बाबा बिशन सिंह के नेतृत्व में यूनिट के 112 सैनिकों ने आदेश को मानने से इनकार कर दिया और अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपने खून की अंतिम बूंद तक बहाने की शपथ ली, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्यवाद को मजबूत करने के लिए अन्य लोगों के खिलाफ युद्ध न करने की शपथ ली। ब्रिटिश सरकार ने इसे विद्रोह माना और त्वरित कोर्ट मार्शल के बाद, बाबा बिशन सिंह सहित तीन लोगों को 6 सितंबर 1940 को सिकंदराबाद में फांसी दे दी।
कश्मीर सिंह के सबसे बड़े बेटे हरजीत ने स्कूटर मैकेनिक के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त किया था, लेकिन

बाद में उन्होंने पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड में दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम शुरू किया। उस समय पंजाब में व्याप्त हिंसा के कारण उनके पिता ने उन्हें पंजाब की अशांति से दूर दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक में अपने रिश्तेदार जोगिंदर सिंह के पास भेज दिया। हरजीत को वहां कौडा साई बांध परियोजना में काम मिल गया। अप्रैल 1992 में चुनावों के बाद, जब कांग्रेस पार्टी ने बेअंत सिंह के नेतृत्व में मुख्यमंत्री पद की सरकार बनाई, तो हरजीत पंजाब लौट आए। पंजाब पहुंचने पर, हरजीत सिंह को अपने रिश्तेदारों से पता चला कि उनके परिवार के सदस्य अज्ञात सशस्त्र लोगों से मिल रही धमकियों के कारण बटर कलां स्थित अपने गांव से दूर रह रहे हैं। हरजीत के रिश्तेदारों ने उन्हें अभी गांव न जाने की सलाह दी। हालांकि, जट्टन गांव में कुछ रिश्तेदारों के साथ कुछ समय रहने के बाद, हरजीत सिंह ने अपने गांव वापस जाकर स्थिति का जायजा लेने का फैसला किया। 29 अप्रैल 1992 की सुबह, हरजीत बस से अपने गांव के लिए रवाना हुए। थथियन गांव के पास रास्ते में, गगर भाना पुलिस चौकी के प्रभारी एएसआई राम लुभाया के नेतृत्व में पुलिस ने एक चेकपोस्ट स्थापित किया था। सुबह करीब 11 बजे बस को इस चेकपोस्ट पर रोका गया और एएसआई राम लुभाया, दलजीत सिंह (जो पुलिस के लिए काम करने वाला एक पूर्व उग्रवादी था और जिसे आम तौर पर 'पुलिस कैट' के नाम से जाना जाता था), कांस्टेबल सतबीर सिंह और कई अन्य पुलिसकर्मियों ने हरजीत सिंह को बस से नीचे उतार दिया।
कश्मीर सिंह उस समय ब्यास में तैनात थे। उन्हें अपने 436 सैनिकों के मारे जाने की सूचना मिली।

कश्मीर सिंह दोपहर करीब 2:30 बजे थाथियन में अपने बेटे की गिरफ्तारी की सूचना मिलने पर तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे, जहां चश्मदीदों ने जबरन अपहरण की पुष्टि की, लेकिन वे यह नहीं बता पाए कि पुलिस उसे कहां ले गई थी। इसके बाद कश्मीर सिंह बाबा बकाला पुलिस चौकी गए और प्रभारी से थाथियन गांव पुलिस चौकी पर बस से अपने बेटे के अपहरण के संबंध में एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया। पुलिस चौकी के प्रभारी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, लेकिन अपने वरिष्ठ अधिकारी को वायरलेस पर संदेश भेजा कि अपहृत व्यक्ति के पिता एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं। यह सब कश्मीर सिंह के सामने हुआ।
कश्मीर सिंह ने अपने बेटे की तलाश में कई पुलिस स्टेशनों और पुलिस चौकियों का दौरा किया।
उन्होंने अमृतसर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी मुलाकात की, जिनमें एसएसपी परमजीत सिंह गिल और आईजी डी. आर. भट्टी शामिल थे। उन्होंने डीएसपी दर्शन सिंह मान से भी तीन बार मुलाकात की और उनसे मदद की गुहार लगाई। लेकिन किसी ने भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई।
13 मई 1992 को पंजाब के अखबारों में हरजीत की हत्या की खबर छपी थी। कश्मीर सिंह कथित तौर पर आतंकवादियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ में मारे गए। प्रेस रिपोर्टों में कहा गया कि उनकी हत्या लखविंदर सिंह (चक जमाल खान निवासी सुरजीत सिंह का पुत्र) और एक अन्य अज्ञात आतंकवादी के साथ हुई थी। पहले तो कश्मीर सिंह को यह जानकर गहरा सदमा लगा कि उनका बेटा मारा गया है। फिर उन्हें विश्वसनीय सूत्रों से सूचना मिलने लगी कि उनके बेटे हरजीत को विभिन्न पुलिस थानों और पूछताछ केंद्रों में रखा गया है। उन्होंने प्रयास किया और मेहता चौक पुलिस स्टेशन और फिर मॉल मंडी पूछताछ केंद्र में हरजीत से व्यक्तिगत रूप से मिलने में सफल रहे। पहले तो उन्हें उम्मीद थी कि

किया, जहाँ उसके पिता भी काम करते थे। दाढ़ी-मूंछ साफ किए हुए सिख दविंदर में धार्मिक आस्थाओं की कोई प्रबल भावना नहीं थी, लेकिन वह एक अच्छा कबड्डी खिलाड़ी था। उसका किसी भी राजनीतिक या उग्रवादी संगठन से कोई संबंध नहीं था, और पुलिस ने उसे पहले कभी गिरफ्तार या पूछताछ नहीं की थी। दविंदर अविवाहित था।
26 मई 1992 की सुबह तड़के, जंडियाला गुरु पुलिस स्टेशन के एसएचओ उधम सिंह पुलिस बल ने दविंदर के घर पर छापा मारा और उसके माता-पिता के सामने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसी दल ने उसी गांव से दो अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया: [1] कुलदीप सिंह, जो चंचल सिंह का पुत्र था; और [2] बलबीर सिंह, जो भोला सिंह का पुत्र था। वडाला जौहल गांव के रहने वाले एक अन्य सिख लड़के प्रताप सिंह उर्फ बुद्धू, जो हरबंस सिंह का पुत्र था, को भी हिरासत में लिया गया। 30 मई 1992 को दर्शन सिंह ने एक अखबार में छपी खबर पढ़ी जिसमें दावा किया गया था कि पुलिस
उसने अपने बेटे दविंदर सिंह और वडाला जौहल के प्रताप सिंह को, जिन्हें आतंकवादी घोषित किया गया था, कथित तौर पर देवदास पुर गांव के पास हुई एक सशस्त्र मुठभेड़ में मार डाला था।
सीबीआई द्वारा चिन्हित शवदाहों की सूची में 29 मई को हुए केवल एक शवदाह का उल्लेख है।
1992 में दविंदर सिंह का अंतिम संस्कार हुआ था। प्रताप सिंह के अंतिम संस्कार का उल्लेख नहीं है। किसी रहस्यमय कारण से, आंशिक रूप से पहचाने गए अंतिम संस्कारों की दूसरी सूची में, क्रमांक 407/62 के अंतर्गत, इसका उल्लेख मिलता है। दूसरी सूची के अनुसार, जंडियाला निवासी हरबंस सिंह के पुत्र प्रताप सिंह का अंतिम संस्कार जंडियाला पुलिस स्टेशन के एएसआई धर्म पाल द्वारा 29 मई 1992 को किया गया था, जिसका उल्लेख एफआईआर संख्या 88/92 में किया गया है। उनकी कहानी संबंधित अनुभाग में संक्षेप में दी गई है। इसके बाद पुलिस ने कुलदीप सिंह और उसके गांव के बलबीर सिंह को रिहा कर दिया।
उन्हें 26 मई की सुबह दविंदर के साथ उठाया गया था।
क्रमांक 374 – 375 के अंतर्गत, सूची में अजनाला पुलिस स्टेशन के एसएचओ द्वारा 31 मई 1992 को एफआईआर क्रमांक 36/92 के तहत किए गए दो शवदाह का उल्लेख है। शवदाह किए गए व्यक्तियों के नाम इस प्रकार हैं: [1] दलबीर सिंह उर्फ बीरा, पुत्र जोगिंदर सिंह, निवासी बिंदियालुख; और [2] सतनाम सिंह उर्फ सत्तू, पुत्र शेर सिंह (मझबी), निवासी सोहियान खुर्द। दलबीर सिंह के शवदाह की रिपोर्ट एनडी/443/92 के रूप में दर्ज है। मृत्यु का कारण "गोली लगने से लगी चोटें" बताया गया है।
समिति ने इन मामलों के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01325 और 01602। मुख्य सूचनादाता सतनाम सिंह के मामले में खुर्द गांव के निवासी और दलबीर सिंह की विधवा जागीर कौर हैं।
28 वर्षीय सतनाम सिंह, जो स्वर्गीय शेर सिंह के पुत्र थे, एक मज़हबी सिख थे।
सतनाम अमृतसर के मजीठा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सोहियान खुर्द गांव के रहने वाले थे। वे चार भाइयों में सबसे छोटे थे और उनके माता-पिता का निधन उनके बहुत छोटे होने पर ही हो गया था। कुछ समय तक सतनाम ने अपने भाइयों की तरह खेतिहर मजदूर के रूप में काम किया। बाद में, उन्होंने अमृतसर शहर में

डर से बलबीर और उसका परिवार गाँव छोड़कर छिपने लगे। अब बलबीर अपनी आजीविका के लिए पशु व्यापार पर निर्भर था।
मई 1992 के आखिरी सप्ताह में, बलबीर सिंह सोरियान गांव में कुछ खरीदने गए थे।
कुछ भैंसों का शिकार करने के बाद उसे उस घर से गिरफ्तार कर लिया गया जहाँ उसने शरण ली थी। उसकी विधवा जागीर कौर को शक है कि उसके मेजबान ने पुलिस के दबाव में आकर उसे धोखा दिया था। बलबीर को पूछताछ के लिए अजनाला पुलिस स्टेशन लाया गया और कुछ दिनों बाद 30 मई की रात को सतनाम सिंह के साथ एक फर्जी मुठभेड़ में उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने परिवार को बिना बताए ही अंतिम संस्कार कर दिया।
376 – 378: क्रमांक 412/86, 413/87 और 414/88 के अंतर्गत, सूची में जांडियाला पुलिस द्वारा एफआईआर संख्या 94/92 के तहत 5 जून 1992 को किए गए तीन शवदाहों की पहचान की गई है। ये शव हैं: गुरदीप सिंह उर्फ रणजीत सिंह, पुत्र जोगिंदर सिंह, निवासी चीता कलां; [2] निर्मल सिंह, पुत्र बिशन सिंह, निवासी पंडोरी; और [3] जतिंदरपाल सिंह उर्फ शीता, पुत्र अमरिक सिंह, निवासी पंडोरी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट संख्याएँ RKG/457/92, ND/469/92 और RKG/58/92 के रूप में अंकित हैं। मृत्यु का कारण "गोली लगने से लगी चोटें" बताया गया है।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (439)

समिति ने इन मामलों के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01105, 01106 और 01107। इन मामलों में मुख्य सूचनादाता गुरदीप सिंह की पत्नी सरबजीत कौर, जतिंदरपाल सिंह के पिता अमरिक सिंह और निर्मल सिंह की माता गुरदीप कौर हैं।
स्वर्गीय जोगिंदर सिंह और स्वर्ण के पुत्र, 33 वर्षीय गुरदीप सिंह।
कौर अमृतसर के दो बुर्जी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत बुंदले वाले राह के झित्ते कलां गांव की रहने वाली थीं। वे किसान थीं और उनकी पत्नी सरबजीत कौर से शादी हुई थी। उनके दो बेटियां और दो बेटे थे। सबसे बड़ी बेटी कुलदीप कौर अब 21 साल की हैं।
इकलौते बेटे गुरदीप सिंह और उनके बपतिस्मा प्राप्त सिख परिवार एक यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे।
जून 1984 में भारतीय सेना द्वारा अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर किए गए कुख्यात हमले तक गुरदीप सिंह का जीवन सामान्य था। इस घटना ने उनके मन पर गहरा प्रभाव छोड़ा और भारतीय व्यवस्था से विमुख होकर वे एक स्वतंत्र सिख राज्य की स्थापना के लिए उग्रवादी आंदोलन के प्रति सहानुभूति रखने लगे। पुलिस ने उन्हें कई बार संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया और अवैध हिरासत में रखकर उनसे पूछताछ की और उन्हें प्रताड़ित किया। अंततः, इन लगातार अत्याचारों से तंग आकर गुरदीप ने स्वयं उग्रवादियों के समूह में शामिल होने का निर्णय लिया।
4 जून 1992 की शाम को, गुरदीप कुछ समय के लिए चुपके से अपने गाँव लौट आया। अपने परिवार से मिलने के लिए निकले गुरदीप सिंह जैसे ही अपने घर में दाखिल हुए, जंडियाला गुरु स्थित पंजाब पुलिस और भारतीय सेना की एक टुकड़ी ने घर को घेर लिया और उन्हें गिरफ्तार कर अपने साथ ले गए। कुछ घंटों बाद, पंजाब पुलिस ने एक मुठभेड़ को अंजाम दिया और झिट्ते कलां से मात्र डेढ़ किलोमीटर

[illegible]
Twenty-two-year-old Jatinderpal Singh, s/o Amrik Singh and Harjit Kaur, from
[illegible]
4 [illegible] 1992 [illegible] 10 [illegible], [illegible]...
[illegible]
[illegible]
[illegible]

घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/00134, 01545, 00683 और 01144 के माध्यम से दाह संस्कार की सूचना दी गई है। मुख्य सूचनादाता जगतर के भाई गुरमेज सिंह, सरवन सिंह की माता सविंदर कौर और कैरों गांव के अन्य निवासी तथा हरदीप की माता गुरमेज कौर हैं।
दलीप सिंह और प्रकाश के पुत्र, बत्तीस वर्षीय जगतर सिंह उर्फ जग्गा। अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के कैरों (मेहलान वाले) गांव के निवासी जगतर कौर ट्रक चालक के रूप में अपना जीवन यापन करते थे। उनका विवाह हरजीत कौर से हुआ था और उनके दो बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा, जो उस समय चार साल का था, अपने पिता की हत्या के सदमे से बाद में मर गया। छोटा बेटा गुरलाल सिंह, जो उस समय मात्र 35 दिन का था, अब 10 साल का है। उनकी मां के अनुसार, जगतर कभी भी राजनीतिक या उग्रवादी गतिविधियों में शामिल नहीं थे।
मोहिंदर सिंह और सविंदर कौर के पुत्र, बीस वर्षीय सरवन सिंह,
सतनाम सिंह की तरह, जो अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के भीखीविंड पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पट्टी जग्गे की, मार्गिंदपुरा का निवासी एक ट्रक चालक था। सरवन और जगतार घनिष्ठ मित्र थे। सरवन अविवाहित था और उग्रवादी आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं था, जबकि उसका एक बड़ा भाई दिलबाग सिंह इसमें सक्रिय रूप से भाग लेता था। पुलिस ने अंततः झब्बल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जगतपुरा गांव में दिलबाग को पकड़ लिया और मार डाला।
जून 1992 के महीने की शुरुआत में, उनकी मां प्रकाश कौर को याद नहीं है कि क्या हुआ था।
ठीक उसी दिन, जगतर ने अपने मालिक, एक कमीशन एजेंट, से स्कूटर उधार लिया और सरवन सिंह के साथ झारू नांगल गांव में एक रिश्तेदार से मिलने गया। रास्ते में, जंडियाला गुरु पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। प्रकाश कौर को इसकी जानकारी तब मिली जब कमीशन एजेंट, जिसने जगतर सिंह को स्कूटर उधार दिया था, पुलिस स्टेशन में पूछताछ करने के बाद उससे मिलने आया। आखिरकार वह पुलिस स्टेशन से अपना स्कूटर वापस लेने में सफल रहा।
प्रकाश कौर ने जंडियाला गुरु पुलिस स्टेशन के एसएचओ से बात करने की कोशिश की, जिन्होंने उन्हें गाली दी।
उसे वहाँ से निकाल दिया गया। 8 जून 1992 को, अज़ीद अखबार में उसने जगतार सिंह और तीन अन्य लोगों की पुलिस मुठभेड़ में हुई हत्या के बारे में पढ़ा। जब वह दोबारा एसएचओ के पास गई, तो उसने उसे दुर्गाना मंदिर के श्मशान घाट जाने को कहा, जहाँ कर्मचारियों ने राख के चार ढेर दिखाए और उसे उनमें से कोई एक ढेर लेने को कहा।
जरनैल सिंह और उनके इकलौते बेटे सतनाम सिंह उर्फ सत्ता का उन्नीस वर्षीय बेटा
कैरों गांव के हंबो की पट्टी की गुरनाम कौर उन लोगों में से एक थीं जिनका अंतिम संस्कार जगतर सिंह के साथ 5 जून 1992 को किया गया था। वह अविवाहित थीं और निर्माण मजदूर के रूप में काम करती थीं।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (441)

4 जून 1992 को पुलिस ने उसे उसके माता-पिता के सामने उसके घर से उठा लिया। उन्हें अखबार में छपी एक खबर से उनके बेटे की हत्या के बारे में पता चला, जिसमें कथित मुठभेड़ में तीन अन्य "आतंकवादियों" के साथ उनकी मौत की बात कही गई थी। माता-पिता अशिक्षित और गरीब होने के कारण अपने इलाके के सभी पुलिस थानों में उनकी तलाश करने के अलावा और कुछ नहीं कर सके। उनकी हत्या

कुलवंत सिख परिवारों से मवेशी लेने एक गांव गया था, तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और तब से उसका कोई पता नहीं चला है।
संसाधनों और संपर्कों से रहित एक गरीब व्यक्ति होने के कारण, संतोख सिंह असमर्थ थे।
अपने बेटे की गिरफ्तारी के मामले को आगे बढ़ाते हुए परिवार घर लौट आया। परिवार को उम्मीद थी कि कुलवंत पुलिस हिरासत से रिहा होकर वापस आ जाएगा।
लेकिन उसका कोई अता-पता नहीं है। 442 राख में तब्दील

गिरफ्तारी के बाद से ही उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी। छह महीने बाद, कुछ पुलिसकर्मी कुलवंत और उसके परिवार के बारे में पूछताछ करने उसके घर आए, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि उसके साथ क्या हुआ था।
संतोख सिंह ने 21 जून की घटना के बारे में पहली बार सीसीडीपी सदस्यों से सुना।
1992 में अमृतसर के दुर्गियाना मंदिर श्मशान घाट में काठू नांगल पुलिस द्वारा उनके बेटे के शव का अंतिम संस्कार किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि 21 जून 1992 को समाचार पत्रों में मजीठा पुलिस जिले के भीलोवाल गांव के पास एक मुठभेड़ में गुरभेज सिंह भेजा, हरप्रीत सिंह और कुलवंत सिंह नामक तीन आतंकवादियों के मारे जाने की खबर छपी थी। स्पष्ट रूप से, रिपोर्ट में रटौल गांव के संतोख सिंह के पुत्र कुलवंत सिंह का जिक्र था। हालांकि, सीबीआई की सूची में अन्य दो शवों के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
384. क्रमांक 429/95 के अंतर्गत, सूची में जसविंदर सिंह, पुत्र मोहिंदर, निवासी तलवंडी शिपिमल के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो मजीठा पुलिस द्वारा 25 जून 1992 को एफआईआर क्रमांक 68/92 के अंतर्गत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्रमांक जीएम/645/92 अंकित है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने इस मामले के संबंध में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01502 है। मुख्य सूचनादाता पीड़ित का भाई शुभदेव सिंह है।
बीस वर्षीय जसविंदर सिंह उर्फ जस्सा, पुत्र मोहिंदर सिंह और गुरबचन अमृतसर जिले के अजनाला उपमंडल के झंदर डाकघर और पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले तलवंडी सिपाही मॉल गांव की निवासी कौर, बपतिस्मा प्राप्त सिख थीं। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद खेती शुरू की। जनवरी 1989 में जसविंदर का विवाह पलविंदर कौर से हुआ। उनका इकलौता बेटा हरप्रीत सिंह अब 11 वर्ष का है।
शादी के कुछ महीनों बाद, पुलिस ने जसविंदर के घर पर छापा मारना शुरू कर दिया।
उसे गिरफ्तार करो। जसविंदर को गैरकानूनी हिरासत और यातना का डर था, इसलिए वह अपने घर से भाग निकला। पुलिस ने उसके परिवार के सदस्यों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया और उसके ठिकाने के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए उन्हें यातनाएं दीं। पुलिस ने विशेष रूप से उसके भाइयों को यातनाएं दीं और उन्हें अपनी जमीन पर खेती करने की अनुमति नहीं दी। अंततः, पुलिस के अत्याचारों से बचने के लिए, उसके पूरे परिवार ने गांव छोड़ने का फैसला किया।
24 जून 1992 को शाम करीब 4 बजे जसविंदर को बलविंदर के घर से गिरफ्तार किया गया।

जसविंदर सिंह, राज्य विद्युत विभाग के कर्मचारी वीर सिंह के पुत्र, खतराई कलां के रहने वाले थे, जो तलवंडी सिपाही मॉल से डेढ़ किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित है। मजीठा पुलिस स्टेशन के एसएचओ गुरबिंदर सिंह ने छापेमारी और गिरफ्तारी का निर्देश दिया और बलविंदर को भी हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारी के एक घंटे के भीतर ही पुलिस ने एक फर्जी मुठभेड़ की और जसविंदर सिंह को मार गिराया, जिसे अगले दिन अखबारों में प्रकाशित खबरों में आतंकवादी बताया गया था। बलविंदर एक महीने तक अवैध पुलिस हिरासत में रहा और फिर विद्युत विभाग के दबाव में उसे रिहा कर दिया गया।
जसविंदर सिंह की हत्या और अंतिम संस्कार के बारे में उनके परिवार के सदस्यों ने कुछ भी नहीं बताया।
पुलिस से कोई प्रत्यक्ष सूचना प्राप्त नहीं हुई। हालांकि, वे दुर्गाना मंदिर के श्मशान घाट से उनकी अस्थियां प्राप्त करने में सफल रहे। जसविंदर की विधवा पलविंदर कौर ने बाद में पुनर्विवाह कर लिया।
385. क्रमांक 430/96 के अंतर्गत सूची में गुरबलजीत सिंह उर्फ गुरजीत उर्फ बिट्टू, पुत्र सेवा सिंह, निवासी लोहगर, ब्यास के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो ब्यास पुलिस द्वारा 25 जून 1992 को एफआईआर संख्या 75/92 के अंतर्गत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट संख्या जीएम/642/92 के रूप में अंकित है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (443)

समिति ने इस मामले के संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01315 है। इस मामले में मुख्य सूचनादाता पीड़ित का भाई जसबीर सिंह है।
बाबा के भीतर राय्या के पास लोहगढ़ गांव के बीस वर्षीय गुरबलजीत सिंह अमृतसर जिले के बकाला उपमंडल में पले-बढ़े गुरबलजीत, अपने ग्राम परिषद के प्रमुख और राय्या की बाजार समिति के पूर्व अध्यक्ष सेवा सिंह के सबसे छोटे पुत्र थे। विद्यालय में, गुरबलजीत एक स्वतंत्र सिख राज्य के लिए उग्रवादी आंदोलन से प्रभावित हुए। उन्होंने स्कूल छोड़ दिया, एक भूमिगत उग्रवादी संगठन में शामिल हो गए और घर से दूर रहने लगे। पुलिस नियमित रूप से उनके घर पर छापा मारती थी और उनके परिवार के सदस्यों को सूचना प्राप्त करने के लिए हिरासत में लेकर प्रताड़ित करती थी।
21 जून 1992 को ब्यास पुलिस स्टेशन के एसएचओ वस्सन सिंह ने गुरबलजीत को गिरफ्तार किया।
थथियन गांव में एक मज़हबी सिख के घर से गुरबलजीत की गिरफ्तारी की सूचना मिलने पर सेवा सिंह ने एसएचओ से अपने बेटे की जान बचाने की गुहार लगाई, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम रही। एसएचओ ने गुरबलजीत की गिरफ्तारी से इनकार कर दिया। हालांकि, ब्यास पुलिस ने गिरफ्तारी के तीन दिन बाद एक फर्जी मुठभेड़ में उसे मार डाला और उसके शव का अंतिम संस्कार दुर्गाना मंदिर के श्मशान घाट में कर दिया। पुलिस द्वारा बदले की कार्रवाई के डर से सेवा सिंह कोई कदम नहीं उठा सके।
386. क्रमांक 434/99 के अंतर्गत सूची में सुरजीत सिंह, पुत्र गरीब सिंह, निवासी चाजलवाड़ी के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो 3 जुलाई 1992 को जंडियाला पुलिस द्वारा एफआईआर क्रमांक 127/92 के तहत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कोई क्रमांक नहीं है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।

[redacted] [redacted] [redacted] [

444 राख में तब्दील

3 जुलाई 1992 को सुरजीत सिंह एक तांगे (घोड़े से चलने वाली गाड़ी) में लौट रहे थे।
सुरजीत और दलबीर सिंह सिख धर्मग्रंथों का पाठ करने के बाद मुच्छल गांव जा रहे थे। तरन तारन के वराना गांव का एक और सिख दलबीर सिंह भी उसी तांगे पर सवार था। जंडियाला गुरु पुलिस स्टेशन के एसएचओ उधम सिंह ने ग्रैंड ट्रंक रोड पर आते ही तांगे को रोक दिया। एसएचओ ने तुरंत अपनी रिवाल्वर निकाली और बिना कुछ कहे या पूछे दोनों सुरजीत और दलबीर को गोली मार दी। आधे घंटे बाद जंडियाला गुरु पुलिस सुरजीत के घर गई और उसके चाचा भगवान सिंह, चचेरे भाई लश्कर सिंह और ग्राम परिषद के मुखिया हरभजन सिंह को शवों की पहचान के लिए जंडियाला गुरु पुलिस स्टेशन ले आई। एसएचओ ने यह भी स्वीकार किया कि "निर्दोष लोगों की गलती से हत्या कर दी गई थी"। उस दिन पुलिस और सेना मुच्छल गांव में तलाशी अभियान चला रही थी क्योंकि सूचना मिली थी कि कुछ आतंकवादी वहां छिपे हुए हैं। एसएचओ ने सुरजीत और दलबीर को, उनके सिख धर्म के स्पष्ट चिह्नों के कारण, आतंकवादी समझ लिया और उन्हें गोली मार दी। पंजाबी अखबारों में छपी घटना की पुलिस की रिपोर्ट में शामिल बातें ये हैं- अजीत के साथ 4 जुलाई 1992 की घटना अलग थी। पुलिस ने दावा किया कि मजीठा पुलिस जिले के मुच्छल गांव के पास तलाशी अभियान के दौरान एक आतंकवादी मुठभेड़ में मारा गया और उसका एक साथी साइनाइड खाकर मर गया। पुलिस ने घटनास्थल से एक रिवॉल्वर और उसके कारतूस बरामद करने का भी दावा किया।

सीबीआई की पहचान की गई शवदाह की सूची में केवल सुरजीत सिंह के शवदाह का उल्लेख है।
3 जुलाई 1992 को, अज्ञात कारणों से, तरन तारन के सदर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत वाराना गांव के दलबीर सिंह उर्फ राणा का अंतिम संस्कार सीबीआई की आंशिक रूप से पहचानी गई शवदाहों की सूची में क्रमांक 435/69 के तहत दर्ज है। जंडियाला गुरु पुलिस द्वारा 3 जुलाई 1992 को किया गया अंतिम संस्कार एफआईआर संख्या 127/92 के अंतर्गत था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आईडी/491/92 के रूप में चिह्नित किया गया है। दोनों मामलों में मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है और पुलिस द्वारा प्रेस को दिए गए उस बयान को, जिसमें एक आतंकवादी द्वारा आत्महत्या करने की बात कही गई थी, सूचियों में शामिल नहीं किया गया है।
क्रमांक 387 – 388 के अंतर्गत, सूची में लोपोके पुलिस द्वारा एफआईआर संख्या 79/92 के तहत 5 जुलाई 1992 को किए गए दो शवदाह का उल्लेख है। ये शवदाह [1] सुखविंदर सिंह, पुत्र दलीप सिंह, निवासी मनोवाला और [2] सुचा सिंह, पुत्र भगवंत सिंह, निवासी मंडियावाला के हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कोई क्रमांक नहीं है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है। समिति ने घटना संबंधी रिपोर्ट के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
पोर्ट फॉर्म संख्या CCDP/01615 और 01611। मुख्य सूचनादाता सुखविंदर की बहन लखबीर कौर और सुचा सिंह की विधवा शीलो हैं।
दलीप सिंह और मोहिंदर कौर के पुत्र, चौबीस वर्षीय सुखविंदर सिंह,
वह अमृतसर जिले के अजनाला उपमंडल के लोपोके पुलिस स्टेशन के अंतर्गत थेह उत्ते के मनवाला गांव का एक युवा किसान था। उसका विवाह सरबजीत कौर से हुआ था और उसके तीन छोटे बेटे थे।
सुखविंदर स्वयं उग्रवाद में शामिल नहीं था, लेकिन उसकी बहन लखबीर इसमें शामिल थी।
कौर के पति कश्मीर सिंह, जो राजोआ गांव (हरजोवाल के पास) के हरवंत सिंह के पुत्र थे, पर ऐसे संबंध रखने का संदेह था और उन्हें कई बार गिरफ्तार कर जानकारी हासिल करने के लिए प्रताड़ित किया गया था। सितंबर 1991 में, लोपोके पुलिस ने कश्मीर सिंह को गिरफ्तार किया और इतनी बेरहमी से प्रताड़ित किया कि 12 सितंबर 1991 को अमृतसर के गुरु नानक अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। लोपोके पुलिस दलीप को भी गिरफ्तार कर पूछताछ करती थी। सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (445)

कश्मीर सिंह की वजह से सिंह के परिवार के सदस्य, जिनमें उनके बेटे भी शामिल हैं, नाराज हैं।
भगवान और पूनो के पुत्र, पच्चीस वर्षीय सुचा सिंह एक किसान थे।
अमृतसर जिले के अजनाला उपमंडल के लोपोके पुलिस स्टेशन के अंतर्गत भीलोवाल डाकघर के पास स्थित मंडिया वाला गांव के रहने वाले सुचा सिंह चार भाइयों में सबसे छोटे थे। उनका विवाह शीलो से हुआ था और उनकी एक बेटी हरजिंदर कौर है, जो अब 11 वर्ष की है।
मंडियाला वाला गांव भारत-पाकिस्तान सीमा के बहुत करीब है और सुचा
सिंह की पुश्तैनी कृषि भूमि सुरक्षा बलों द्वारा सीमांकन के लिए लगाई गई बाड़ के किनारे स्थित है। हालांकि सुचा सिंह और उनके परिवार के सदस्य किसी भी राजनीतिक या उग्रवादी समूह से जुड़े नहीं थे, फिर भी स्थानीय पुलिस को

उन पर पाकिस्तान से हथियार तस्करी करने वाले उग्रवादी समूहों की मदद करने का संदेह था।
1 जुलाई 1992 को सुबह लगभग 10 बजे, लोपोके थाने से पुलिसकर्मियों का एक समूह आया।
सुखविंदर सिंह का कृषि फार्म, जो उस समय लोधी गुर्जर गांव के पास स्थित था, धान की रोपाई कर रहा था। पुलिसकर्मियों ने तीनों को अपने साथ थाने चलने का निर्देश दिया। लोपोके थाने में एसएचओ धर्म सिंह ने सुखविंदर को बेरहमी से प्रताड़ित किया और उसके पिता व बड़े भाई के साथ भी मारपीट की। पुलिस ने सुखविंदर पर आतंकवादियों की मदद करने का आरोप लगाया और उसे एक अलग कोठरी में बंद कर दिया। परिवार में कोई अन्य पुरुष सदस्य न होने के कारण कोई भी इस मामले को आगे नहीं बढ़ा सका।
6 जुलाई 1992 को समाचार पत्रों में मजीठा के एसएसपी द्वारा जारी एक बयान प्रकाशित हुआ।
मुठभेड़ में दो आतंकवादियों सुखविंदर सिंह और सुचा सिंह के मारे जाने के संबंध में। एसएसपी के अनुसार, आतंकवादियों के साथियों ने उन्हें पुलिस हिरासत से छुड़ाने की कोशिश की, जब उन्हें हथियारों की बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस ने दलीप सिंह और उनके बड़े बेटे के लोपोके पुलिस स्टेशन में बंद रहने के दौरान ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया।
लोपोके पुलिस ने दलीप सिंह और उनके बड़े बेटे को कई दिनों बाद रिहा कर दिया।
पुलिस ने उनके घर पर लगातार छापे मारे और अपने बड़े बेटे की हत्या के डर से दलीप सिंह ने अपनी सारी जमीन बेच दी और पंजाब छोड़कर चले गए। फिलहाल दलीप सिंह के पैतृक घर में, जो माना वाला गांव में कश्मीर कौर की विधवा उनकी बेटी लखबीर कौर है, ही रहती है। उसे अभी भी पुलिस की कार्रवाई का डर है और उसने अपने बड़े भाई का नाम बताने से इनकार कर दिया है।
मंडिया वाला गांव के सुचा सिंह की भी हत्या कर दी गई थी।
सुखविंदर सिंह के साथ भी ऐसी ही मुठभेड़ हुई और 5 जुलाई 1992 को उन्हीं के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। लगभग 1 या 2 जुलाई 1992 को, सुचा सिंह और उनकी पत्नी अपने ट्रैक्टर से भिंडी सैदा गांव में लगे मेले में जा रहे थे, जहां लोग पारंपरिक रूप से जलाऊ लकड़ी दान करते हैं। इसलिए, सुचा सिंह और उनकी पत्नी ने अपने ट्रैक्टर में जलाऊ लकड़ी भी लाद ली थी। जब वे भिंडी औलख गांव पहुंचे, जो मेले के मैदान के बहुत करीब था, तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया और हिरासत में ले लिया। पुलिस ने सुचा सिंह के हाथ पीछे बांध दिए और उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी। पहले तो पुलिसकर्मी उनकी पत्नी को भी गिरफ्तार करना चाहते थे, लेकिन आपस में विचार-विमर्श करने के बाद उन्हें छोड़ दिया। पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली भी जब्त कर ली। उनकी पत्नी शिलू घर लौटीं और परिवार को सुचा सिंह की गिरफ्तारी के बारे में बताया। परिवार ने एसएचओ धर्म सिंह से मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें उनके किसी करीबी से मिलने के लिए कहा गया। इस व्यक्ति ने बिचौलिए के रूप में काम करते हुए सुचा सिंह की रिहाई के लिए पैसे की मांग की और पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ में उसे खत्म किए जाने के डर से परिवार ने पैसे दे दिए।
6 जुलाई 1992 को एक अखबार में छपी खबर के जरिए ही परिवार को पता चला कि सुचा

सिंह और सुखविंदर सिंह एक “मुठभेड़” में मारे गए। दो दिन बाद, लोपोके पुलिस ने फिर से सुचा सिंह के घर पर छापा मारा और उसके बड़े भाई को गिरफ्तार कर लिया। 446 राख में तब्दील हो गए।

करम सिंह। उन्हें लगभग दो सप्ताह तक अवैध रूप से हिरासत में रखा गया और फिर उन्हें टीएडीए के तहत एक मामले में फंसा दिया गया।
क्रमांक 439/103, 140/104 और 441/105 के अंतर्गत दी गई सूची में ब्यास पुलिस के एएसआई कश्मीर सिंह द्वारा 13 जुलाई 1992 को एफआईआर क्रमांक 79/92 के तहत किए गए तीन शवदाहों का उल्लेख है। शवदाह किए गए व्यक्तियों के नाम इस प्रकार हैं: [1] मनजीत सिंह उर्फ गुरेला, पिता प्यारा सिंह, निवासी सथियाला; [2] बलविंदर सिंह, पिता दलबीर सिंह, निवासी खासा, सथियाला, जिला कपूरथला; और [3] रणजीत सिंह, पिता जागीर सिंह, निवासी डोलपुर, थाना सदर बटाला, जिला गुरदासपुर। पोस्टमार्टम रिपोर्टों को एसपीजी/775, एसपीजी/347 और एसपीजी/348/92 के रूप में चिह्नित किया गया है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने मनजीत सिंह के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है। घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01626 है। मुख्य सूचनादाता पीड़ित का भाई सुखजीत सिंह है।
पियारा सिंह और हरबंस के पुत्र, चौबीस वर्षीय मनजीत सिंह उर्फ पप्पू।
कौर पंजाब पुलिस में कांस्टेबल थे और अमृतसर जिले के बाबा बकाला उपमंडल के ब्यास पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पट्टी खान की जिले के साथियाला गांव के निवासी थे। उनका विवाह मनदीप कौर से हुआ था और उनके तीन बेटे थे। सबसे बड़े बेटे गुरप्रीत सिंह की उम्र अब 17 वर्ष है।
1986 में पंजाब पुलिस में शामिल होने के बाद, मनजीत सिंह ने पुलिस में तब तक काम किया जब तक कि...
1988 में सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। उसी वर्ष, साथियाला ग्राम परिषद के मुखिया (सेवानिवृत्त) ब्रिगेडियर गुरबचन सिंह ने एसएसपी से शिकायत की कि मनजीत के उग्रवादियों से संबंध हैं। गुरबचन सिंह एक प्रभावशाली व्यक्ति थे और मनजीत सिंह के साथ उनका पारिवारिक झगड़ा पुराना था। भारतीय सेना में उच्च पद से सेवानिवृत्त होने के कारण, उनके महत्वपूर्ण अधिकारियों और राजनेताओं से भी संपर्क थे। मजीठा पुलिस जिले के एसएसपी ने शिकायत को गंभीरता से लिया और मनजीत सिंह को गिरफ्तार कर अमृतसर के मल्ल मंडी पूछताछ केंद्र में लगभग तीन सप्ताह तक पूछताछ की। हालांकि पूछताछ कठोर थी, मनजीत सिंह को दोषी ठहराने वाला कुछ भी साबित नहीं हो सका और उन्हें ब्यास पुलिस स्टेशन के अंतर्गत योधे पुलिस चौकी में उनके पद पर बहाल कर दिया गया।
गुरबचन सिंह ने अब मनजीत सिंह के खिलाफ अपनी शिकायत उच्च न्यायालय में दर्ज कराई।
राज्य प्रशासन के अधिकारियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत मनजीत सिंह को गिरफ्तार करवा दिया, जिसके तहत बिना मुकदमे के दो साल की कैद का प्रावधान था। जेल से रिहा होने के बाद मनजीत सिंह के घर पर छापे मारने लगे, उन्हें बार-बार गिरफ्तार किया गया और प्रताड़ित किया गया। अंततः मनजीत सिंह तंग आकर घर छोड़कर भूमिगत उग्रवादी आंदोलन में शामिल हो गए। अब पुलिस ने उनके परिवार वालों को भी प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।

12 जुलाई 1992 को सुबह लगभग 9 बजे, मनजीत सिंह गुरुद्वारे के पास टहल रहे थे।
ताहेरिया वाला की उनके गांव साथियाला में उस समय हत्या कर दी गई जब ब्यास पुलिस ने उन्हें घेर लिया और करीब से गोली मारकर उनकी जान ले ली। कई प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पुलिस ने न तो उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की और न ही मनजीत ने भागने का प्रयास किया। साथ ही, उनके पास बचाव के लिए कोई हथियार भी नहीं था।
उसी दिन, एक अलग घटना में, पुलिस ने दो अन्य युवकों को मार डाला।
साथियाला गांव में सिखों ने दावा किया कि तीनों मुठभेड़ में मारे गए। उसी दिन मारे गए अन्य दो लोग धौलपुर के बलविंदर सिंह खस्सान और रणजीत सिंह थे।
ब्यास पुलिस ने शवों को परिजनों को नहीं लौटाया, बल्कि उनका अंतिम संस्कार कर दिया।
13 जुलाई 1992 को दुर्गियाना मंदिर श्मशान घाट पर।
392. क्रमांक 444/106 के अंतर्गत सूची में परमजीत सिंह के अंतिम संस्कार का उल्लेख है।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (447)

त्रिलोक सिंह के पुत्र, निवासी उदोके, की हत्या मेहता पुलिस द्वारा 17 जुलाई 1992 को की गई थी, एफआईआर संख्या 72/92। पोस्टमार्टम रिपोर्ट संख्या जीएम/756/92 – 16.6.1992 के रूप में दर्ज है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने इस मामले के संबंध में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01285 है। मुख्य सूचनादाता पीड़िता की बेटी शरणजीत कौर है।
Thirty-five-year-old Paramjit Singh, s/o Trilok Singh and Swaran Kaur, was a अमृतसर जिले के बाबा बकाला उपमंडल के मत्तेवाल-चोगवां पुलिस स्टेशन के अंतर्गत केर वाला पट्टी के उदोके गांव के किसान परमजीत का विवाह मनजीत कौर से हुआ था। उनका एक पुत्री शरणजीत कौर है, जिसकी आयु अब 17 वर्ष है, और दो पुत्र गुरप्रीत सिंह और गंगादीप सिंह हैं, जिनकी आयु क्रमशः 16 और 14 वर्ष है।
परमजीत चार भाइयों में सबसे बड़ा था और जब वह अभी स्कूल में ही था तब... मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे परमजीत के पिता त्रिलोक सिंह, जो ग्राम परिषद के पूर्व प्रमुख थे, की भूमि विवाद के चलते हत्या कर दी गई। उनके पिता के हत्यारे चंचल सिंह ने बाद में एक उग्रवादी संगठन में शामिल होकर परमजीत के पास मौजूद लाइसेंसी राइफल भी जब्त कर ली। लेकिन पुलिस को शक है कि परमजीत उग्रवादियों की मदद कर रहा था और उन्हें अपने घर में भोजन और आश्रय दे रहा था, जो गांव के बाहरी इलाके में, उसके खेत के बीचोंबीच स्थित था। उस समय पंजाब के कई गांवों में लोग इसी स्थिति में फंसे हुए थे। वे एक तरफ उग्रवादियों और दूसरी तरफ पुलिस के अत्याचारों और मनमानी के बीच फंसे हुए थे।
परमजीत भी इसी तरह की मुश्किल में थे। 1991 में, कुछ आतंकवादियों द्वारा उनका घर छीन लिए जाने के बाद।
पुलिस ने लाइसेंसी राइफल बरामद करने या उसे सुरक्षा प्रदान करने के बजाय, उसके खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया। छह महीने बाद जब वह

जेल से बाहर आया, तो कुछ आतंकवादियों ने फिर से उसकी हत्या करने का प्रयास किया। परमजीत छिप गया।
16 जुलाई 1992 को दोपहर लगभग 1 बजे, एसएचओ सरबजीत सिंह और हेड कांस्टेबल सुरजीत
मेहता पुलिस स्टेशन के सिंह बाज़ीगर ने परमजीत सिंह के घर पर छापा मारा, जो अभी-अभी अपने खेतों में काम करके लौटे थे। उन्होंने उन्हें हिरासत में ले लिया और चले गए। उनकी पत्नी मनजीत कौर अमृतसर के पास स्थित अपने मायके नानू के गांव पहुंचीं और अपने भाइयों से अपने पति की जान बचाने की गुहार लगाई। हालांकि, इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, पुलिस ने उदोके गांव के बाहर एक फर्जी मुठभेड़ की और परमजीत को मार डाला। 18 जुलाई 1992 को कई समाचार पत्रों में मुठभेड़ और परमजीत सिंह नामक एक उग्रवादी की हत्या की खबर छपी। एसएचओ ने परमजीत के परिवार के सदस्यों को पुलिस द्वारा दुर्गाना मंदिर श्मशान घाट में किए गए अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी।
जब परिवार अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद घर लौटा, तो हेड कांस्टेबल ने
सुरजीत सिंह बाज़ीगर पुलिस बल के साथ आया और घर का सारा सामान, खेत में लगे ट्यूबवेल का कमरा और घर के दरवाजे जला दिए। इस घटना से परिवार इतना भयभीत हो गया कि वे भाग गए और पूरे एक साल तक गांव नहीं लौटे। संपत्ति और कृषि आय का नुकसान 100,000 रुपये से अधिक होने का अनुमान है।
393 – 394: क्रमांक 446/108 और 447/109 के अंतर्गत, सूची में कठूनंगल पुलिस के एसआई बलबीर सिंह द्वारा 19 जुलाई 1992 को एफआईआर संख्या 56/92 के तहत किए गए दो शवदाहों की पहचान की गई है। ये शवदाह निम्नलिखित व्यक्तियों के हैं: [1] पटविंदर सिंह उर्फ बिल्ला, पुत्र हरि सिंह, निवासी खोजकीपुर; और [2] सविंदर सिंह उर्फ शांतलू, पुत्र अच्चर सिंह, निवासी मंगा। 448 राख में परिवर्तित

सराय। पोस्टमार्टम रिपोर्टों को ND/522/92 और ND/523/92 के रूप में चिह्नित किया गया है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है। समिति ने सविंदर सिंह के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है। घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01292 से। मुख्य सूचनादाता सविंदर सिंह के पिता शिव सिंह हैं, जिन्हें सीबीआई की सूची में गलती से अच्चर सिंह के रूप में पहचाना गया है।
Thirty-year-old Sawinder Singh alias Chhindu, son of Shiv Singh and Surjit Kaur,
वह अमृतसर जिले के कठू नांगल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत धड्डे डाकघर के गांव मंगा सराय का निवासी था। वह अविवाहित था। सविंदर का बड़ा भाई पंजाब पुलिस में कांस्टेबल था।
जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के तुरंत बाद सविंदर अमृतधारी सिख बन गए। उन्होंने सिख छात्र संघ में भी शामिल हो गए। उन्हें 1988 में गिरफ्तार किया गया और मजीठा स्थित सीआईए स्टाफ सेंटर में हफ्तों तक अवैध रूप से यातनापूर्ण पूछताछ के बाद, उन पर टीएडीए और शस्त्र अधिनियम के तहत औपचारिक रूप से आरोप लगाए गए। 1989 के अंत में जमानत पर रिहा होने के बाद भी, पुलिस ने उन्हें अवैध रूप से हिरासत में रखा और यातनाएं दीं। अंततः, उन्होंने घर छोड़कर उग्रवादियों से जुड़ गए। पुलिस ने अब उनके परिवार को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, उनके पिता और परिवार के अन्य सदस्यों को अवैध हिरासत

[illegible]
30 [illegible] 1992 [illegible]
[illegible] 2 [illegible] 1992 [illegible]
19 [illegible] 1992 [illegible]
395 – 396: [illegible] 448/110 [illegible] 449/111 [illegible], [illegible] 22 [illegible] 1992 [illegible] 140/92 [illegible]: [1] [illegible], [illegible] [illegible]; [illegible] [2] [illegible] [illegible]/525/92 [illegible] [illegible]/524/92 [illegible] "[illegible]" [illegible]
[illegible] CCDP/01217 [illegible]
[illegible] (449)

तरलोचन नौवीं कक्षा में सरकारी विषय की पढ़ाई कर रहा था।

चागवान में हाई स्कूल में पढ़ने के बाद, उनके माता-पिता ने उन्हें नवां पिंड के एक स्कूल में स्थानांतरित कर दिया क्योंकि उन्हें उस क्षेत्र में उग्रवाद के बढ़ते प्रभाव का डर था, जिसे उग्रवाद का गढ़ माना जाता था। फिर भी उन्हें सुरक्षा का एहसास नहीं हुआ और उन्होंने उन्हें मुंबई में तरलोचन सिंह के पास भेज दिया।

एक रिश्तेदार के यहाँ उन्होंने गाड़ी चलाना सीखा और ट्रक ड्राइवर की नौकरी पा ली।

अप्रैल 1992 में, तारलोचन अपने एक रिश्तेदार से मिलने गाँव वापस आया था।

सड़क दुर्घटना में तरलोचन के पैर टूट गए। लौटने के कुछ दिनों बाद, मेहता पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा, लेकिन तरलोचन घर पर नहीं थे। यातना के डर से तरलोचन घर नहीं लौटे। पुलिस ने उनके पिता और भाई को उठा लिया और उन्हें बेरहमी से प्रताड़ित किया। पुलिस ने उनसे कहा कि या तो वे तरलोचन को पेश करें या उसे गिरफ्तार करवाएं। पुलिस के छापे, अवैध हिरासत और हिरासत में यातनाएं बहुत आम हो गईं। मेहता पुलिस के अलावा, मॉल मंडी पूछताछ केंद्र के अधिकारी भी उन्हें यातना देने के लिए ले जाने लगे। किशन सिंह अभी भी इन भयावह अनुभवों से उबर नहीं पाए हैं। उनके हाथ सुन्न हैं और वे काम करने में असमर्थ हैं। पुलिस उन्हें छत के बीच में लगे एक बड़े हुक से रस्सी बांधकर छत से लटका देती थी।

इन अनुभवों के बाद, किशन सिंह और परिवार के बाकी सदस्य गांव छोड़कर चले गए।

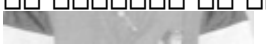

उनकी खेती-बाड़ी ठप हो गई और उनके मवेशी भूख से मर गए। उनके लिए घरेलू नौकर रखना भी नामुमकिन हो गया क्योंकि पुलिस के डर से गांव में कोई भी उनके लिए काम करने को तैयार नहीं था।
21 जुलाई 1992 को जंडियाला गुरु के डीएसपी बाबा बकाला और SHO उधम सिंह जोगा सिंह वाला गांव में तलाशी अभियान चलाया गया। उस दिन तरलोचन गांव में अपने एक दूर के रिश्तेदार के साथ ठहरा हुआ था। गांव के सभी पुरुषों को गुरुद्वारे में इकट्ठा किया गया और उनसे अपनी पहचान बताने को कहा गया। तरलोचन से भी पूछताछ की गई और जब उसने बताया कि वह एक रिश्तेदार से मिलने आया है, तो उसे अलग कर दिया गया और सबके सामने तब तक प्रताड़ित किया गया जब तक उसने अपनी असली पहचान नहीं बता दी।
उसी रात, तरलोचन सिंह, डॉ. बलविंदर सिंह के साथ, जो निवासी थे
बाबा बकाला और जसबीर सिंह की हत्या ईंट भट्ठे के पास जब्बोवाल गांव में एक फर्जी मुठभेड़ में कर दी गई। सीबीआई की सूची (क्रम संख्या 448/110) में

मुठभेड़ में मारे गए दूसरे व्यक्ति की पहचान जसबीर सिंह, पुत्र नजर सिंह, निवासी बाबा बकाला के रूप में की गई है। 23 जुलाई को अखबारों में अपने बेटे की हत्या की खबर पढ़ने के बाद किशन सिंह और परिवार के अन्य सदस्य गांव लौट आए। घटना के चौथे दिन कुछ लोग उनके घर पर शोक और संवेदना व्यक्त करने के लिए जमा हुए। जब लोग अभी भी वहीं थे, एसएचओ उधम सिंह भारी पुलिस बल के साथ आए, किशन सिंह को बाहर खींच लाए और सबके सामने उनकी जमकर पिटाई की। उन्होंने उनके कानों पर इतने जोर से घूंसे मारे कि वे लगभग बहरे हो गए। एसएचओ ने शोक मनाने वालों को भी गाली दी और उन्हें वहां से चले जाने को कहा।
किशन सिंह ने इस डर से कोई कार्रवाई नहीं की कि पुलिस 450 लोगों को मार सकती है, जो राख में तब्दील हो गए।

उनका इकलौता बचा बेटा। किशन सिंह के अनुसार, पुलिस ने अलग-अलग घटनाओं में उनके गांव के तीन अन्य निवासियों को गिरफ्तार कर मार डाला। वे हैं: [1] दया सिंह, जरनैल सिंह के पुत्र; [2] बलजिंदर सिंह, जरनैल सिंह के पुत्र; और [3] वज़ीर सिंह, बख्शीश सिंह के पुत्र।
397. क्रमांक 451/113 के अंतर्गत सूची में गुरविंदर सिंह, पुत्र चानन सिंह, निवासी फेरोमन, के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो ब्यास पुलिस द्वारा 24 जुलाई 1992 को एफआईआर क्रमांक 86/92 के अंतर्गत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्रमांक LD/380/92 अंकित है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने इस मामले के संबंध में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01207 है। मुख्य सूचनादाता पीड़ित के पिता चन्नन सिंह हैं।
चन्नन सिंह और स्वर्गीय सुखविंदर के पुत्र, इक्कीस वर्षीय गुरविंदर सिंह।
गुरविंदर कौर, अमृतसर जिले के बाबा बकाला उपमंडल में वाडा गुरुद्वारे के पास स्थित फेरुमन गांव की निवासी थीं। उनके पिता चन्नन सिंह भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हुए और फिर अपने गांव की सहकारी समिति के सचिव बन गए।
गुरविंदर की माता सुखविंदर कौर का 1976 में निधन हो गया था, जब गुरविंदर केवल पांच वर्ष के थे। उनके पिता ने उनका पालन-पोषण अकेले ही किया। गुरविंदर दाढ़ी-मूंछ साफ करने वाला सिख था और धार्मिक दृष्टि से विशेष रूप से सक्रिय नहीं था।
स्वभाव से शांत स्वभाव के गुरविंदर ने ढिलवान के एक स्कूल से उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की और स्नातक की पढ़ाई के लिए साथियाला के एक कॉलेज में दाखिला लिया। हालांकि, चन्नन सिंह चाहते थे कि उनका बेटा पंजाब के हिंसक माहौल से दूर विदेश चला जाए। उन्होंने एक आव्रजन एजेंट को मोटी रकम दी, जिसने गुरविंदर को विदेश भेजने का वादा किया था। लेकिन एजेंट उसे केवल बैंकॉक ही भेज सका। गुरविंदर को वहां अवैध रूप से देश में प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और दिल्ली वापस भेज दिया गया। वह जालंधर के लाडोवाली रोड पर रहने वाले अपने चाचा स्वर्ण सिंह के साथ रहने चले गए, जो बीएसएफ में इंस्पेक्टर थे।
इसी बीच, ब्यास पुलिस स्टेशन के एसएचओ वस्सन सिंह ने चन्नन सिंह को गिरफ्तार कर लिया।
21 या 22 जुलाई 1992 को चन्नन सिंह के घर पर छापा मारा गया और गुरविंदर के ठिकाने के बारे में जानकारी निकालने के लिए उन्हें बेरहमी से प्रताड़ित

हुआ था और उनके दो बेटे हैं, इंदरजीत और कुलविंदर, जिनकी उम्र अब क्रमशः 13 और 11 वर्ष है।
स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद, कश्मीर सिंह ने अपने परिवार के साथ 10 एकड़ जमीन पर काम करना शुरू कर दिया।
गांव के बाहरी इलाके में स्थित जमीन पर उनका घर था। उनका घर खेत के बगल में बना था और इसलिए गांव के मुख्य घरों के समूह से बाहर था। कई भूमिगत आतंकवादी कश्मीर सिंह के घर आने लगे और भोजन और आश्रय की मांग करने लगे। परिवार मना नहीं कर सका क्योंकि आतंकवादी हमेशा हथियारों से लैस रहते थे। जब पुलिस को आतंकवादियों के दौरे के बारे में पता चला, तो उन्होंने कश्मीर पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया।
सिंह और उनके पिता कुंदन सिंह को लंबे समय तक हिरासत में रखा गया, उन पर अत्याचार किए गए और उन्हें आतंकवादियों को गिरफ्तार करवाने के लिए मजबूर किया गया। 1989 में, कश्मीर सिंह को पहली बार औपचारिक रूप से टीएडीए के तहत गिरफ्तार किया गया और कुछ समय के लिए नाभा जेल में रखा गया। जेल से बाहर आते ही पुलिस ने उन्हें एक और आपराधिक मामले में फंसाकर वापस जेल भेज दिया। तीसरी और चौथी बार भी यही हुआ। हर बार जब उन्हें जेल के गेट के बाहर से उठाया जाता, तो पुलिस उन पर एक और आपराधिक आरोप लगाने से पहले उन्हें प्रताड़ित करती।
कश्मीर इससे तंग आ गया था और अपने परिवार को यह बताकर घर छोड़ दिया कि वह वह खुद उग्रवादी बनने जा रहा था। इसके बाद पुलिस ने उसके परिवार के सदस्यों को पकड़ना और उन्हें यातनाएं देना शुरू कर दिया।
27 जुलाई 1992 को, एसएचओ धर्म सिंह और उनके नेतृत्व में पुलिसकर्मियों के एक समूह ने...
पुलिस ने कश्मीर सिंह और अमरिक सिंह (स्वराण सिंह के पुत्र) को गिरफ्तार कर लिया, जो जाजेनी गांव के निवासी थे। ये दोनों कोलोवाल गांव की ओर जा रहे थे। गिरफ्तारी के बाद एसएचओ धर्म सिंह ने भारी संख्या में पुलिस बल बुलाया और भीषण मुठभेड़ की, जिसमें कश्मीर सिंह और अमरिक सिंह दोनों मारे गए। शाम को कुछ पुलिसकर्मी कश्मीर सिंह की मां अमरिक कौर को घटनास्थल पर ले गए।

अपने बेटे के शव की पहचान के लिए पुलिस ने उससे मुलाकात की, लेकिन शव परिवार को नहीं सौंपा गया। पुलिस ने अगले दिन दुर्गाना मंदिर श्मशान घाट में शव का अंतिम संस्कार किया। परिवार के सदस्यों और गांव के बुजुर्गों को अंतिम संस्कार के दौरान उपस्थित रहने की अनुमति दी गई थी।
सीबीआई द्वारा चिन्हित शवदाहों की सूची में कश्मीर के केवल एक शवदाह का उल्लेख है।
सिंह की हत्या क्रमांक 452/114 के तहत की गई थी, जबकि पुलिस ने मुठभेड़ में जाजेनी गांव निवासी स्वर्ण सिंह के पुत्र अमरिक सिंह को भी मार गिराया था। दूसरी शवदाह की घटना सीबीआई की अज्ञात शवदाह की सूची में क्रमांक 453/268 के तहत दर्ज है, जिसे लोपोके पुलिस ने 28 जुलाई 1992 को अंजाम दिया था। इस सूची में एफआईआर क्रमांक नहीं है। अज्ञात शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट एसपीजी/एफएम/365/92 के रूप में दर्ज है।
399. क्रमांक 456/117 के अंतर्गत, सूची में बिलोवाल निवासी गुरजिंदर सिंह के पुत्र दिलबाग सिंह के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो 4 अगस्त 1992 को कठूनंगल पुलिस द्वारा एफआईआर संख्या 60/92 के तहत किया गया था।

[illegible] 818 [illegible] "[illegible]" [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] CCDP/01138. [illegible] 1984 [illegible] 31 [illegible] 1992 [illegible] 3 [illegible] 1992 [illegible] 457/118 [illegible] 94/92 [illegible] 7 [illegible] 1992 [illegible] [illegible]/53/92 [illegible] "[illegible]" [illegible] [illegible] CCDP/01278. [illegible]
Twenty-five-year-old Acchar Singh, s/o Lal Singh, was a resident of Bhindi Saida

सिंह और उनके दो भाइयों ने दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करना शुरू किया। उनकी दो अविवाहित बहनें थीं। बाद में, अच्चर सिंह का विवाह जागीर कौर से हुआ और उनकी एक बेटी गुरप्रीत कौर (अब 17 वर्ष की) और एक बेटा गुर इकबाल सिंह (अब 10 वर्ष का) हुआ।
भिंडी सईद पाकिस्तान की सीमा के बहुत करीब है और अचार सिंह ने वहाँ से शुरुआत की।
वह तस्करों के लिए सीमा पार माल ढोता था और प्रत्येक खेप के लिए तय भुगतान प्राप्त करता था। वह यह काम केवल पैसे के लिए करता था और उसका किसी भी राजनीतिक या उग्रवादी संगठन से कोई संबंध नहीं था। इलाके में तैनात बीएसएफ अधिकारियों को इन गतिविधियों की जानकारी थी और वे सूचना के लाभ के लिए इन्हें बर्दाश्त करते थे। अच्छर सिंह नियमित रूप से बीएसएफ को सूचना देता था।
24 फरवरी 1990 को, अच्चर सिंह ने बीएसएफ इंस्पेक्टर सुरनाम सिंह की मदद की और
अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने तूर बुर्ज सीमावर्ती गाँव के पास भारत में तस्करी करके लाए जा रहे सोने की एक खेप को जब्त कर लिया। खेप में 250 सोने के बिस्कुट थे। लेकिन बीएसएफ अधिकारियों ने केवल 230 बिस्कुट दिखाए और शेष बिस्कुटों का मूल्य आपस में बाँट लिया। साथ ही, उन्होंने मुखबिर को इनाम के तौर पर विभाग द्वारा जारी की गई जब्त माल के मूल्य का 10 प्रतिशत हिस्सा भी हड़प लिया। इनाम की पहली किस्त, 670,000 रुपये, जो अचार सिंह के लिए निर्धारित थी, विभाग द्वारा 26 जून 1990 को जारी की गई और दूसरी किस्त, 469,000 रुपये, 13 जनवरी 1991 को जारी की गई। अचार सिंह को कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई और उन्होंने संबंधित अधिकारियों से अपना हिस्सा माँगना शुरू कर दिया। यही उनके लिए घातक साबित हुआ।
5 और 6 अगस्त 1992 की मध्यरात्रि में, लोपोके के एसएचओ धर्म सिंह
पुलिस ने अचार सिंह को उसकी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों की मौजूदगी में उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। अगली सुबह, उसे अवान लखा सिंह गांव के पास एक "मुठभेड़" में मृत दिखाया गया। लेकिन परिवार को हत्या की जानकारी कई दिनों बाद मिली और वे अस्थियां भी नहीं ले पाए।
Amrik Singh, a farmer of village Madho Ke, pursued Achhar Singh’s case and
पता चला कि कुछ बीएसएफ अधिकारियों ने इनाम के तौर पर जारी की गई भारी रकम हड़प ली थी। अमरिक सिंह ने उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर जांच की मांग की और आरोप लगाया कि इन बीएसएफ अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर पूरे मामले को दबाने के लिए अच्चर सिंह की हत्या की थी।
यह ज्ञात नहीं है कि सरकार ने सच्चाई का पता लगाने के लिए क्या कार्रवाई की है।
आरोप के बारे में।
समिति को यह जानकारी पूरन सिंह के पुत्र अनोख सिंह से प्राप्त हुई।
अचार सिंह के एक चाचा, जो अमृतसर जिले के अजनाला उपमंडल के अंतर्गत बरार डाकघर वाले कोलोवाल गांव में रहते हैं।
401. क्रमांक 467/119 के अंतर्गत सूची में अमरिक सिंह, पुत्र स्वर्ण सिंह, निवासी माखन विंडी के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो 23 अगस्त 1992 को जंडियाला पुलिस द्वारा एफआईआर संख्या 149/92 के अंतर्गत किया गया था।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एनडी/570/92 के रूप में चिह्नित किया गया है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने इस मामले के संबंध में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01257 है। मुख्य सूचनादाता पीड़ित का भाई जसवंत सिंह है।
Thirty-seven-year-old Amrik Singh, son of Swaran Singh and Joginder Kaur, वह अमृतसर के जंडियाला गुरु पुलिस स्टेशन के अंतर्गत थेह वाली पट्टी के माखन विंडी गांव में रहता था। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद, अमरिक ने कॉलेज में दाखिला लिया और दो साल तक स्नातक की पढ़ाई की, जिसके बाद पुलिस ने उसे धारा 454 के तहत हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी।

सिख छात्र संघ से संबंध होने के कारण अमरिक को यातनाएं झेलनी पड़ीं। इन उत्पीड़न से तंग आकर अमरिक ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और उग्रवादियों के साथ मिल गया। इसके बाद पुलिस ने उसके परिवार वालों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसके पिता, भाइयों और बहनोई को उठाकर महीनों तक अवैध रूप से हिरासत में रखा गया और उनसे जानकारी निकलवाने के लिए उन्हें बुरी तरह प्रताड़ित किया गया। अमरिक का विवाह मोहनजीत कौर से हुआ था और उनके चार बच्चे थे। सबसे बड़ी बेटी अमनदीप कौर अब 20 वर्ष की है। तीन बेटे, गुरताज, दिलावर और चरहत, अब क्रमशः 17, 16 और 10 वर्ष के हैं। अमरिक के भूमिगत हो जाने के बाद मोहनजीत कौर और बच्चों को भी अपमान सहना पड़ा।
कुछ समय से अमरिक भगोड़े की तरह जीवन जी रहा था। 22 तारीख की शाम को अगस्त 1992 में, अमरिक अपने साथी परमवीर सिंह (राघबीर सिंह का पुत्र, कथू नांगल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कोटला निवासी) के साथ राखी के त्योहार पर अपनी बहन से मिलने परिवार के घर गया था। राखी के त्योहार पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर धागा बांधती हैं और उपहार प्राप्त करती हैं। राखी के बाद, जब अमरिक और उसका साथी माखन विंडी गांव में अपने खेतों के आसपास एक कच्ची पगडंडी से जा रहे थे, तभी जंडियाला पुलिस स्टेशन के एसएचओ ने उन्हें उसी पगडंडी पर बने एक चेकपोस्ट पर गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी की खबर गांव में तेजी से फैल गई और कई लोगों ने चेकपोस्ट तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया। एक घंटे बाद, पुलिस ने एक मुठभेड़ की साजिश रची और अमरिक और उसके साथी परमवीर सिंह दोनों को मार डाला। अगली सुबह, पुलिस अमरिक की मां को शवों की पहचान कराने के लिए ले गई और पहचान के बाद शवों को अंतिम संस्कार के लिए ले गई। अमरिक के परिवार के सदस्यों को अंतिम संस्कार में शामिल होने और अस्थियां लेने की अनुमति दी गई।
सीबीआई द्वारा चिन्हित शवदाहों की सूची में केवल अमरिक सिंह के शवदाह का ही उल्लेख है।
कथू नांगल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कोटला निवासी रघुबीर सिंह के पुत्र परमवीर सिंह के अंतिम संस्कार को तीसरी सूची में क्रमांक 465/276 के अंतर्गत अज्ञात शव के रूप में दर्ज किया गया है। प्रविष्टि से पता चलता है कि जंडियाला पुलिस ने 23 अगस्त 1992 को पोस्टमार्टम रिपोर्ट संख्या एनडी/एफएम/570/92 के साथ एक अज्ञात शव का अंतिम संस्कार किया था। क्रमांक 402 – 405 के अंतर्गत, सूची में अजनाला पुलिस स्टेशन के एसएचओ द्वारा 7 सितंबर 1992 को एफआईआर संख्या 56/92 के तहत किए गए चार शवदाहों का विवरण दिया गया है। सूची में शवदाह किए गए व्यक्तियों के नाम इस प्रकार हैं: [1] वीरू, पुत्र दिलीप सिंह, निवासी डेडपुरा; [2] अमरिक मसीह, पुत्र

रहमत मसीह, निवासी नई आबादी; [3] बीरा सिंह, पुत्र निरंजन सिंह, निवासी कंडे बाला खु; और [4] बंसा उर्फ काला, पुत्र राम सिंह, निवासी बिचला-किला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट दर्ज नहीं हैं। मृत्यु का कारण "गोली लगने से लगी चोटें" बताया गया है।
समिति ने पहचाने गए व्यक्ति के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है-
सीबीआई की सूची में घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01662 के अनुसार उसका नाम बंसा दर्ज है। उसका असली नाम हरबंस लाल उर्फ हंसा था। मुख्य सूचनादाता पीड़िता की विधवा जागीर कौर है।
राम सिंह के पुत्र, बत्तीस वर्षीय हरबंस लाल, एक गरीब संसी सिख किसान थे। अमृतसर जिले के अजनाला उपमंडल के बिचला किला जिले के हर्षा छीना गांव के रहने वाले सांस्कृतिक कार्यकर्ता। उनका विवाह जागीर कौर से हुआ था और वे दो बेटियों और दो बेटों के पिता थे।
पुलिस को शक था कि हरबंस आतंकवादियों से जुड़ा हुआ है और उनकी मदद कर रहा है।
आश्रय और भोजन के साथ। पुलिस ने उसे पहले भी कई बार गिरफ्तार कर पूछताछ की थी। उसके खिलाफ टीएडीए के तहत मामला भी दर्ज किया गया था। लेकिन हरबंस कुछ महीनों बाद जमानत पर जेल से बाहर आने में कामयाब रहा।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (455)

जागीर कौर को ठीक से नहीं पता कि उनके पति को कब, कहाँ और कैसे ले जाया गया। उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। लेकिन अगस्त 1992 के आखिरी सप्ताह में, उन्हें सूचना मिली कि हरबंस से अजनाला पुलिस स्टेशन और अमृतसर के मॉल मंडी पूछताछ केंद्र में पूछताछ की जा रही है। उनका दावा है कि उन्हें एक पुलिस कांस्टेबल के माध्यम से कई संदेश मिले थे कि उनके पति को बेरहमी से प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन गरीब और अनपढ़ होने के कारण जागीर कौर कोई कार्रवाई करने में असमर्थ थीं।
7 सितंबर 1992 को, पंजाबी अखबार जगबानी ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की। कोटली गांव के पास अजनाला पुलिस के साथ मुठभेड़ में चार आतंकवादियों का सफाया हो गया। मारे गए सभी आतंकवादियों, जिनमें हरबंस सिंह भी शामिल था, की पहचान उनके नाम और निवास स्थान के गांवों के आधार पर इस प्रकार की गई: [1] बीरा सिंह, पुत्र निरंजन सिंह, निवासी कांदे वाला खोह, अमृतसर; [2] बीरू, पुत्र दलीप सिंह, निवासी नवीन आबादी, अमृतसर; [3] अमरिक सिंह मसीह, पुत्र रहमत सिंह मसीह, निवासी नवीन आबादी, अमृतसर; और [4] हरबंस सिंह उर्फ काका, पुत्र राम सिंह।
पुलिस ने परिजनों की जानकारी के बिना ही शवों का अंतिम संस्कार कर दिया। क्रमांक 406 - 407 के अंतर्गत, सूची में मजीठा पुलिस द्वारा 13 सितंबर 1992 को एफआईआर क्रमांक 113/92 के तहत किए गए दो शवदाहों का उल्लेख है। ये शवदाह [1] लखविंदर सिंह उर्फ लखा उर्फ फोर्ड, पिता धर्म सिंह, निवासी सुल्तान विंड; और [2] बलदेव सिंह उर्फ फौजी, पिता बूटा सिंह, निवासी बसारके बैनी के हैं। बलदेव सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट डब्ल्यूडी/599/92 के रूप में अंकित है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति को निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हुई है-

इन मामलों के बारे में जानकारी घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01268 और PCHR/439 के माध्यम से दी गई है। इन मामलों में मुख्य सूचनादाता बलदेव सिंह के पिता बूटा सिंह और लखविंदर सिंह की माता मोहिंदर कौर हैं।

बूटा के पुत्र पच्चीस वर्षीय बलदेव सिंह

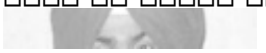

Singh and Jagir Kaur, was a resident of Basarke Bhaini, Sunn Sahib Road, near Bibi Bhani Netarheen School at Chheharta in Amritsar.

उनके पिता बलदेव सिंह मूल रूप से वडाला के रहने वाले थे।

बाबा बकाला के पास कलां गाँव। चूंकि वह इसका मालिक नहीं था।

अपनी कृषि भूमि खो देने के बाद, उन्होंने अपना निवास स्थान अपनी पत्नी बलदेव सिंह के गाँव में स्थानांतरित कर लिया और घोड़ागाड़ी चलाकर जीविका कमाने लगे। बलदेव और जागीर कौर की तीन बेटियाँ थीं। बलदेव उनका इकलौता पुत्र था, जिसने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद सेना की 5 वीं सिख रेजिमेंट में सैनिक के रूप में भर्ती हो गया। बाद में, उसका विवाह हुआ, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी विधवा ने बाद में पुनर्विवाह कर लिया। बलदेव का कोई राजनीतिक या उग्रवादी पृष्ठभूमि नहीं थी, और उसे कभी गिरफ्तार या पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया था।

अगस्त 1992 में, बलदेव दो महीने की छुट्टी पर घर आए क्योंकि उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी।

वे बीमार पड़ गए थे। उनकी छुट्टी 7 सितंबर 1992 को समाप्त होने वाली थी।

4 सितंबर 1992 को रात लगभग 10 बजे, एसएचओ हरभजन सिंह और एसआई मोहिंदर छेहरटा पुलिस स्टेशन के सिंह करिकी के नेतृत्व में एक बड़ी पुलिस टुकड़ी ने बलदेव सिंह के घर पर छापा मारा। कुछ पुलिसकर्मी उनके पड़ोसी बलकार सिंह और साधा सिंह के घरों की छतों पर चढ़ गए। बलदेव सिंह और उनकी पत्नी भी सोने के इरादे से छत पर आए थे। बलदेव सिंह के माता-पिता घर पर नहीं थे क्योंकि वे 456 रिड्यूस्ड टू ऐशेज़ गए हुए थे।

वे अपनी बेटी से मिलने गांव नांगली गए थे। पुलिसकर्मी बलदेव सिंह को छत से नीचे उनके घर के आंगन में ले आए और पड़ोसियों के यह पूछने की कोशिश के

बावजूद कि वे बलदेव सिंह को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं और कहां ले जा रहे हैं, वे बिना अपना गंतव्य बताए उन्हें लेकर चले गए।
बलदेव की पत्नी ने नांगली गांव में बूटा सिंह को संदेश भेजा, जिसने उनके साथ मिलकर...
उनकी पत्नी वापस आईं और एसएचओ से बात करने के लिए छेहरटा पुलिस स्टेशन गईं। उनके साथ कुछ पड़ोसी भी थे। एसएचओ ने उनसे बात करने से इनकार कर दिया और अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि या तो उन्हें पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल दें या फिर उन्हें भी जेल में डाल दें। उनका रवैया इतना आक्रामक और धमकी भरा था कि किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह उनके पास वापस जाए।
बूटा सिंह और उनके पड़ोसियों ने कुछ कांस्टेबलों से बात की और आगे बढ़ते रहे।
बलदेव के ठिकाने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, छेहरटा पुलिस स्टेशन से बलदेव को पहले खासा पुलिस चौकी ले जाया गया, फिर वहां से बी.आर. मॉडल स्कूल के पूछताछ केंद्र और उसके बाद मजीठा पुलिस स्टेशन ले जाया गया। बलदेव सिंह के परिवार वालों को उनसे मिलने नहीं दिया गया। लेकिन अन्य अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के रिश्तेदारों ने उन्हें विभिन्न पुलिस स्टेशनों पर देखा और बलदेव के माता-पिता और पत्नी को उनकी स्थिति के बारे में लगातार जानकारी देते रहे। बूटा सिंह ने अपने क्षेत्र के राजनेताओं और अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिली।
14 सितंबर 1992 को पंजाबी अखबारों में एक "मुठभेड़" की खबर छपी थी। सहंसरा कलां-जगदेव कलां गांव के पास आतंकवादियों के एक समूह और मजीठा पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसमें बलदेव सिंह और लखविंदर सिंह नामक दो आतंकवादी मारे गए।
लखविंदर सिंह की मां मोहिंदर कौर द्वारा दायर शिकायत के अनुसार
अगस्त 1996 में पंजाब में मानवाधिकार उल्लंघन जन आयोग के समक्ष पेश हुई मोहिंदर कौर ने बताया कि 13 सितंबर 1992 को मजीठा पुलिस ने उनके बेटे को अमृतसर जिले के भाथा, नांगली नौशेहरा स्थित उसके किराए के मकान से अगवा कर लिया था। अपनी शिकायत में मोहिंदर कौर ने उल्लेख किया है कि पुलिस लखविंदर को मकान किराए पर देने वाले मकान मालिक के बेटे सुरता सिंह को भी अपने साथ ले गई थी। सुरता सिंह को उसी दिन रिहा कर दिया गया, लेकिन उनका बेटा लापता हो गया। मजीठा पुलिस ने उन्हें कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया और उन्हें आशंका थी कि उनके बेटे लखविंदर सिंह को पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ में मार दिया होगा और उसके शव को लावारिस बताकर ठिकाने लगा दिया होगा।
जाहिर तौर पर, लखविंदर के परिवार वालों ने अखबारों की खबरें नहीं पढ़ी थीं।
उस मुठभेड़ के बारे में जिसमें 13 सितंबर 1992 को उनकी और बलदेव की हत्या का खुलासा हुआ था।
समाचार पढ़कर बूटा सिंह और उनकी पत्नी जागीर कौर अवाक रह गए।
उन्हें पता चला कि उनके इकलौते बेटे की हत्या कर दी गई है और वे इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। वे कारण या उद्देश्य को समझ नहीं पा रहे थे और सदमे की उस स्थिति में वे उसकी अस्थियां प्राप्त करने या उसके अंतिम संस्कार करने में असमर्थ थे। इसलिए वे स्तब्ध, हताश और असहाय रह गए। बलदेव की पत्नी कुछ समय बाद अपने मायके चली गई। बूटा सिंह लगभग 75 वर्ष के हैं,

लेकिन अभी भी अपना और अपनी बीमार पत्नी का भरण-पोषण करने के लिए घोड़ागाड़ी चलाते हैं।
सीबीआई अधिकारियों द्वारा अवैध दाह संस्कार के मामले में जांच शुरू करने के बाद
1996 में, एसएचओ हरभजन सिंह ने बूटा सिंह को कई बार हिरासत में लिया, और शिकायत जारी रखने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देते हुए समझौता करने का प्रस्ताव रखा। जांच के लिए आए सीबीआई अधिकारियों ने बूटा सिंह को आश्वासन दिया कि उनकी सुरक्षा की जाएगी और दोषी अधिकारियों पर मुकदमा चलाया जाएगा। मुकदमा चलाने के लिए मामला तैयार करने का वादा करते हुए, वे बलदेव का पहचान पत्र और मामले से जुड़े अन्य कागजात, जैसे कि बूटा द्वारा उच्च अधिकारियों और बलदेव की रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर को हस्तक्षेप के लिए भेजे गए टेलीग्राम की प्रतियां, अपने साथ ले गए। कई साल बीत चुके हैं, और बलदेव सिंह के माता-पिता अभी भी
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (457)

वे सीबीआई या पटियाला की विशेष अदालत से अपने मामले की जांच में हुई प्रगति के बारे में जानकारी मिलने का इंतजार कर रहे हैं।
408 – 410: क्रमांक 480/128, 481/129 और 482/130 के अंतर्गत, सूची में मेहता पुलिस स्टेशन के एसएचओ राजिंदर सिंह द्वारा 14 सितंबर 1992 को एफआईआर क्रमांक 93/92 के तहत किए गए तीन शवदाहों का उल्लेख है। ये शव हैं: [1] दलबीर सिंह उर्फ काला, पुत्र कुलवंत सिंह, निवासी पल्ला, [2] बलविंदर सिंह, पुत्र नजर सिंह, निवासी पल्ला और [3] शैब सिंह, पुत्र कहान सिंह, निवासी घुंज। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के क्रमांक नहीं दिए गए हैं। मृत्यु का कारण "गोली लगने से लगी चोटें" बताया गया है।
समिति ने निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है-

इन मामलों के बारे में जानकारी घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01184, 01185 और 01186 के माध्यम से दी गई है। इन मामलों में मुख्य सूचनादाता दलबीर सिंह की माता जागीर कौर, बलविंदर सिंह के पिता नजर सिंह और साहिब सिंह के पिता जत्थेदार कहान सिंह हैं।

तेईस वर्षीय दलबीर सिंह उर्फ काला, पुत्र

of late Kulwant Singh and Jagir Kaur, and his slightly younger friend Balwinder Singh alias Bindi, son of Naajar Singh and Dhanti, were residents of village Pallah, post office Gagar Bhana, Bhangu Patti, under Mehta police station, in Baba Bakala sub-division of Balwinder Singh

अमृतसर जिले में स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद दलबीर पंजाब पुलिस में कांस्टेबल के पद पर भर्ती हो गए। लेकिन पुलिस हिरासत में संदिग्ध आतंकवादियों को यातना देने और जान से मारने के उनके वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों को वे सहन नहीं कर सके। दलबीर ने पुलिस सेवा से इस्तीफा दे दिया।

[illegible]

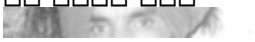

[illegible]

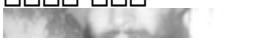

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

On 20 August 1992, the Madhya Pradesh police arrested Dalbir Singh, Balwinder
[illegible]

पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत) को दुर्ग शहर के मोहन नगर इलाके में बचन सिंह के घर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उन पर विभिन्न आपराधिक मामलों का आरोप लगाते हुए उन्हें दुर्ग जेल भेज दिया। दलबीर की मां जागीर कौर को इन गिरफ्तारियों की जानकारी अपने गांव में बलविंदर सिंह के रिश्तेदारों से मिली और वह तुरंत दुर्ग के लिए रवाना हो गईं।
मध्य प्रदेश में इन गिरफ्तारियों की खबर फैलने के एक दिन बाद...
प्रेस में प्रचार के चलते, पुलिस ने साहिब सिंह के पिता कहान सिंह को गैरकानूनी रूप से हिरासत में ले लिया और अगले तीन सप्ताह तक उन्हें रामदास पुलिस स्टेशन में रखा। उन्हें तब रिहा किया गया जब मेहता पुलिस स्टेशन के एसएचओ राजिंदर सिंह के नेतृत्व में पंजाब पुलिस ने मध्य प्रदेश में गिरफ्तार किए गए कैदियों का पुलिस रिमांड प्राप्त किया और उन्हें 10 सितंबर 1992 को पंजाब वापस लाया, जिसका बहाना राज्य के भीतर उग्रवादी आंदोलन में उनकी संलिप्तता की जांच करना था।
जागीर कौर उसी ट्रेन से पंजाब वापस लौटीं। अमृतसर पुलिस स्टेशन में, दलबीर सिंह और चार अन्य लड़कों की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें पुलिस की गाड़ियों में ले जाया गया। 14 सितंबर 1992 को मेहता पुलिस ने एक फर्जी मुठभेड़ की और दलबीर सिंह, बलविंदर सिंह और साहिब सिंह को, जिन्हें उन्होंने अपनी हिरासत में बताया था, तथा दो अन्य अज्ञात व्यक्तियों को मार डाला। पुलिस ने दावा किया कि वे तीनों कैदियों को हथियार बरामद करने के लिए ले जा रहे थे, तभी धारदेव गांव के पास आतंकवादियों के एक समूह ने पुलिस की गाड़ी पर हमला कर दिया और परिणामस्वरूप हुई गोलीबारी में हिरासत में लिए गए तीनों कैदी और हमलावर समूह के दो अन्य अज्ञात आतंकवादी मारे गए। अगले दिन, पंजाबी अखबारों ने मजीठा पुलिस स्टेशन के एसएसपी परमजीत सिंह गिल द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर मुठभेड़ की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया। एसएसपी ने चूंग गांव के साहिब सिंह की पहचान खालिस्तानी सशस्त्र बलों के लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में की, जिस पर 500,000 रुपये का इनाम था और जो हत्या, जबरन वसूली, अपहरण और बलात्कार की 500 से अधिक घटनाओं के लिए जिम्मेदार था। गिल के अनुसार, दलबीर सिंह और बलविंदर सिंह पर भी 100,000 रुपये का पुरस्कार था।
पुलिस ने शवों की जांच पूरी करने के बाद परिवारों को राख लेने की अनुमति दी।
14 सितंबर 1992 को अंतिम संस्कार किया गया।
सीबीआई द्वारा क्रमांक 484/70 के अंतर्गत दर्ज किए गए आंशिक रूप से पहचाने गए दाह संस्कारों की सूची में ये रिकॉर्ड शामिल हैं।
कि 14 सितंबर 1992 को मेहता पुलिस ने चरण सिंह के पुत्र कुलवंत सिंह का अंतिम संस्कार किया। अज्ञात सूची, क्रमांक 483/282 के अंतर्गत, एफआईआर संख्या 93/92 के तहत एक और अंतिम संस्कार दर्शाती है।
411. क्रमांक 490/132 के अंतर्गत, सूची में ब्यास पुलिस स्टेशन के हेड कांस्टेबल बीरा सिंह द्वारा 18 सितंबर 1992 को एफआईआर क्रमांक 102/92 के तहत किए गए हरपाल सिंह उर्फ निक्कू, पुत्र कश्मीर सिंह, निवासी खेला के अंतिम संस्कार का उल्लेख है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट एसपीजी/865/92 के रूप में अंकित है और मृत्यु का कारण "गोली लगने से हुई चोटें" बताया गया है। समिति ने घटना संबंधी रिपोर्ट के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।

पोर्ट फॉर्म संख्या CCDP/01187। मुख्य सूचनादाता हरपाल के माता-पिता मेजर सिंह हैं, जिन्हें सीबीआई की सूची में गलती से कश्मीर सिंह बताया गया है, और शिंदर कौर हैं। सीबीआई की सूची में गांव का नाम भी गलत तरीके से खेला बताया गया है।
मेजर सिंह और शिंदर कौर के पुत्र हरपाल सिंह उर्फ निक्कू एक
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (459)

अमृतसर जिले के बाबा बकाला उपमंडल के मेहता पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गुरुद्वारे के पास, गागर भाना डाकघर के पास स्थित पल्लाह गांव का रहने वाला 15 वर्षीय लड़का हरपाल, बपतिस्मा प्राप्त सिख था और उसने अपने परिवार के खेत में काम करने के लिए स्कूल छोड़ दिया था। उसके माता-पिता के अनुसार, उसका उग्रवादी आंदोलन से कोई संबंध नहीं था और इस घटना से पहले उसे कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था।
सितंबर 1992 के दूसरे सप्ताह में, मेहता पुलिस ने तीन सिखों को गिरफ्तार किया था।
मध्य प्रदेश के दुर्ग शहर के पल्लाह गांव के रहने वाले दो लड़कों को सीबीआई ने धारदेव गांव में फर्जी मुठभेड़ में मार डाला था। वे थे: [1] दलबीर सिंह, कुलवंत सिंह का पुत्र; [2] बलविंदर सिंह, नजर सिंह का पुत्र; और [3] साहिब सिंह, कहान सिंह का पुत्र। इन हत्याओं की पृष्ठभूमि और 14 सितंबर 1992 को उनके अंतिम संस्कार, जो सीबीआई की क्रमांक 480/128, 481/129 और 482/130 के तहत चिह्नित शवदाहों की सूची में हैं, का अलग-अलग वर्णन किया गया है।
15 सितंबर 1992 की सुबह तड़के, मेहता पुलिस के अधिकारियों का एक समूह पुलिस स्टेशन ने हरपाल सिंह के घर पर छापा मारा और उसे सोते हुए ही गिरफ्तार कर लिया। उसके पिता मेजर सिंह और अन्य रिश्तेदार मेहता पुलिस स्टेशन गए और एसएचओ से बात करने की असफल कोशिश की।
19 सितंबर 1992 को, कई समाचार पत्रों ने पुलिस के आधार पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की।
सूत्रों के मुताबिक, हरपाल सिंह निक्कू, जिसे उग्रवादी बताया जा रहा है, निझर गांव के पास पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया। परिवार की जानकारी के बिना ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया।
412. क्रमांक 496/133 के अंतर्गत, सूची में लोपोके पुलिस स्टेशन के एसएचओ द्वारा 22 सितंबर 1992 को एफआईआर क्रमांक 106/92 के तहत संपन्न बलदेव सिंह, पुत्र करम सिंह, निवासी बुडाला के अंतिम संस्कार का उल्लेख है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्रमांक नहीं है। मृत्यु का कारण "गोली लगने से लगी चोटें" बताया गया है।
समिति ने इस घटना के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है। रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01164. इस मामले में मुख्य सूचनादाता पीड़िता की पत्नी देविंदर कौर हैं।
करम सिंह और गुरबचन कौर के पुत्र, चालीस वर्षीय बलदेव सिंह,
अमृतसर जिले के जंडियाला गुरु पुलिस स्टेशन के अंतर्गत बुंडाला डाकघर वाले सुखेवाला गांव के निवासी, पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड के कर्मचारी थे। उनका विवाह देविंदर कौर से हुआ था और उनके चार बेटियां और एक बेटा था। सबसे बड़ी बेटी रंजीत कौर अब 22 वर्ष की हैं। सबसे छोटा बेटा गुरसेवक सिंह 11 वर्ष का है।

बलदेव का 22 वर्षीय छोटा, अविवाहित भाई सरवन सिंह भी शामिल था।
पंजाब विद्युत बोर्ड में कार्यरत सरवन सिंह की 1991 में तरन तारन में तैनाती हुई थी। 15 अगस्त 1991 को सरवन सिंह अपने भाई के ससुराल वालों को पारिवारिक समारोह में आमंत्रित करने के लिए साइकिल से तरन तारन के पास दुगलवाल गांव जा रहे थे, तभी तरन तारन पुलिस स्टेशन के एसएचओ मेजर सिंह ने उन्हें मालमोहारी गांव के पास गिरफ्तार कर लिया। गांव के लोग सरवन सिंह को जानते थे और उन्होंने तुरंत उनके परिवार को सूचना दी। उनके बड़े भाई मलुक सिंह तरन तारन के सदर पुलिस स्टेशन में सरवन सिंह से मिलने में कामयाब रहे। परिवार के सदस्यों ने मजीठा पुलिस जिले के एसएचओ और एसएसपी नरिंदर पाल सिंह गिल से भी मुलाकात की। शुरू में उन्होंने जांच पूरी होने के बाद सरवन सिंह को रिहा करने का वादा किया। एक हफ्ते बाद उन्होंने परिवार के सदस्यों से मिलने से इनकार कर दिया और सरवन सिंह लापता हो गए।
इसी दौरान बलदेव सिंह को भी छेहरटा पुलिस ने गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया।
एक महीने से अधिक समय तक अवैध रूप से कब्जा जमाए रखा। ग्राम परिषद द्वारा 460 लोगों के राख में बदल जाने के बाद पुलिस ने उसे रिहा कर दिया।

उन्होंने हस्तक्षेप किया और उनके चरित्र और पूर्ववृत्त की पुष्टि की। इस घटना के बाद बलदेव को गिरफ्तार या पूछताछ नहीं की गई। चूंकि उनकी तैनाती अमृतसर शहर में थी, इसलिए बलदेव सिंह को अमृतसर के चटीविंड गेट स्थित मोनी चौक में अपने ससुराल में रहना अधिक सुविधाजनक लगता था।
17 सितंबर 1992 को, मॉल मंडी के पुलिस अधिकारियों के एक समूह ने पूछताछ की।
पुलिस ने बलदेव सिंह को गिरफ्तार करने के इरादे से उनके ससुराल वालों के घर पर छापा मारा। बलदेव सिंह अपने माता-पिता से मिलने गए थे, इसलिए घर पर नहीं थे। रिश्तेदारों ने अधिकारियों से कहा कि वे अगले दिन वापस आ सकते हैं, क्योंकि बलदेव सिंह तब तक अवश्य लौट आएंगे। उसी रात अमृतसर लौटने पर बलदेव को पंजाब पुलिस द्वारा की गई छापेमारी के बारे में पता चला और वे घर पर ही रुक गए ताकि उनके लौटने पर उनसे बात कर सकें।
18 सितंबर 1992 को दोपहर लगभग 12:30 बजे, मॉल मंडी के कुछ अधिकारियों ने घुसपैठ की।
इंस्पेक्टर रघुबीर सिंह मखी के नेतृत्व में जांच केंद्र के अधिकारी घर पहुंचे और बलदेव सिंह को हिरासत में ले लिया। परिवार के सभी सदस्यों और पड़ोसियों ने उनकी गिरफ्तारी देखी। इंस्पेक्टर ने उन्हें चिंता न करने को कहा क्योंकि बलदेव से एक छोटे से मामले में पूछताछ करनी थी। अगले दिन, परिवार के सदस्यों और इलाके के कई बुजुर्गों ने एसएचओ और एसएसपी परमजीत सिंह गिल से मुलाकात की, जिन्होंने पूछताछ के बाद बलदेव को रिहा करने का वादा दोहराया।
23 सितंबर 1992 को पंजाब के समाचार पत्रों में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी।
मजीठा पुलिस जिले के भिंडी औलख गांव के पास पुलिस के साथ हुई "मुठभेड़" में बलदेव सिंह और एक अन्य कथित आतंकवादी केवल सिंह की हत्या कर दी गई।
रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस ने घटनास्थल से एक पिस्तौल और एक रिवॉल्वर बरामद की है।

समाचार रिपोर्ट पढ़ने के बाद, परिवार के सदस्यों ने एसएसपी से दोबारा संपर्क किया।
उनसे शव को धार्मिक अंतिम संस्कार के लिए लौटाने का अनुरोध किया गया, लेकिन एसएसपी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया।
परिवार के सदस्यों के पास चुप रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वे न तो उपस्थित हो सकते थे और न ही शामिल हो सकते थे।
न तो उनका अंतिम संस्कार किया गया और न ही उनकी राख एकत्र की गई।
केवल सिंह, जो रमा इस्सैन के पुत्र थे, के दूसरे अंतिम संस्कार का विवरण सीबीआई की रिपोर्ट में दर्ज है।
क्रमांक 497/75 के अंतर्गत आंशिक रूप से पहचाने गए शवदाह की सूची। उनकी कहानी उपयुक्त अनुभाग में बताई गई है।
413 – 417. क्रमांक 498/134, 499/135, 500/136, 501/137 और 502/138 के अंतर्गत, सूची में मजीठा पुलिस के एसआई मोहन सिंह द्वारा 25 सितंबर 1992 को एफआईआर संख्या 115/92 के तहत किए गए पांच शवदाहों की पहचान की गई है। वे हैं: [1] गुरजीत सिंह, पूर्व एसपीओ, पुत्र मोहिंदर सिंह, निवासी जैथुनंगल, मजीठा; [2] अशोक कुमार उर्फ बिल्ला, पुत्र बलदेव राज खत्री, निवासी रोमानाचक, मजीठा; [3] हरमीत सिंह उर्फ लड्डी, पुत्र निर्मल सिंह, निवासी दादूपुरा; [4] रणजीत सिंह उर्फ राणा, पुत्र दयाल सिंह, निवासी दादूपुरा; और [5] सरबजीत सिंह, पुत्र भजन सिंह, निवासी चाचोवाली। गुरजीत सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जीएम/872/92 के रूप में चिह्नित किया गया है; कोई अन्य पोस्टमार्टम रिपोर्ट संख्या नहीं है, और मृत्यु का कारण "गोली से लगी चोटें" बताया गया है।
समिति ने इन मामलों के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01612, 01655, 01670, 01671 और 01667। मुख्य सूचनादाता गुरजीत के पिता मोहिंदर सिंह, अशोक कुमार के भाई चिमनलाल, हरमीत के भाई रणजीत सिंह, रणजीत के पिता डियाल सिंह और सरबजीत के पिता बच्चन सिंह हैं।
मोहिंदर सिंह और सुखविंदर के पुत्र, पच्चीस वर्षीय गुरजीत सिंह।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (461)

अमृतसर जिले के मजीठा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत दादूपुर डाकघर के जेठू नांगल निवासी कौर ने उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद पंजाब पुलिस में विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) के रूप में भर्ती हुए थे। उनके तीनों भाई भी पंजाब पुलिस में कांस्टेबल थे। गुरजीत विवाहित थे, लेकिन उनकी विधवा अपने माता-पिता के घर लौट चुकी हैं और अपना नाम उजागर नहीं करना चाहतीं। 1990 में, जब गुरजीत की तैनाती नाग कलां स्थित पुलिस चौकी पर हुई, तब कुछ आतंकवादियों ने गांव में एक व्यक्ति की हत्या कर दी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को गुरजीत की संलिप्तता का संदेह हुआ और उन्होंने उसे गिरफ्तार करने का प्रयास किया। गुरजीत अपनी राइफल के साथ ड्यूटी छोड़कर भूमिगत हो गया।
मजीठा पुलिस ने गुरजीत के पिता मोहिंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें प्रताड़ित किया।
तीन सप्ताह तक अवैध हिरासत में रखकर उन्हें बेरहमी से प्रताड़ित किया गया। इसके बाद उन पर टाडा के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया।
फरवरी 1991 में जब मोहिंदर सिंह जमानत पर रिहा हुए, तो मजीठा पुलिस ने

उन्हें, उनकी पत्नी और बेटियों को बेरहमी से प्रताड़ित करना जारी रखा। वे नियमित रूप से उनके घर पर छापा मारते और घर का सारा कीमती सामान जब्त कर लेते थे। पुलिस ने उनके घर की छत तोड़ दी और सारे दरवाजे भी हटा दिए। इस प्रकार मोहिंदर सिंह और उनके परिवार को रिश्तेदारों के यहाँ शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। अंततः 1992 की शुरुआत में, मजीठा पुलिस ने मोहिंदर सिंह के घर में एक पुलिस चौकी स्थापित कर दी।
विडंबना यह है कि गुरजीत के तीनों भाई अभी भी पंजाब पुलिस के लिए काम कर रहे थे: [1]
दलजीत सिंह अमृतसर शहर में तैनात थे; [2] राजिंदर सिंह घरिंडा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कहानगढ़ पुलिस चौकी पर ड्यूटी पर थे; और [3] अमरजीत सिंह कमांडो के रूप में प्रशिक्षण ले रहे थे। जब उनके पिता मोहिंदर सिंह के खिलाफ पुलिस अत्याचार असहनीय हो गए, तो तीनों भाइयों ने चिकित्सा अवकाश लिया और अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित रहकर अपने माता-पिता और बहनों के साथ एक किराए के फ्लैट में रहने लगे।
सितंबर 1992 की शुरुआत में, मजीठा पुलिस जिले के एसएसपी परमजीत सिंह गिल ने पूछा
राजिंदर सिंह अपने परिवार की स्थिति पर चर्चा करने के लिए उनसे मिलने आए थे। 3 सितंबर 1992 को जब राजिंदर एसएसपी के कार्यालय में उपस्थित हुए, तो एसएसपी के अंगरक्षकों ने उन्हें हिरासत में ले लिया। वे राजिंदर को मॉल मंडी पूछताछ केंद्र ले गए और उन्हें बेरहमी से प्रताड़ित किया। राजिंदर अपने पूर्व सहकर्मियों की मदद से अपने पिता को कुछ संदेश भेजने में कामयाब रहे, जिसमें उन्होंने मॉल मंडी पूछताछ केंद्र के प्रभारी डीएसपी दर्शन सिंह मान से उनकी रिहाई के लिए बातचीत करने का अनुरोध किया। लेकिन उनके पिता मोहिंदर सिंह डीएसपी से नहीं मिले, मुख्य रूप से इस डर से कि कहीं उन्हें भी गिरफ्तार करके प्रताड़ित न किया जाए।
इसके बजाय, मोहिंदर सिंह ने के.एल. समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को टेलीग्राम भेजे।
सीमा क्षेत्र के डीआईजी लेखी, सीमा क्षेत्र के आईजी डी. आर. भट्टी और अमृतसर के उपायुक्त को राजिंदर की गिरफ्तारी की ओर ले जाने वाली घटनाओं का क्रम बताते हुए, उन्होंने उनसे हस्तक्षेप करने और उसे अवैध हिरासत से छुड़ाने की गुहार लगाई।
हालांकि, उनके टेलीग्राम का कोई जवाब नहीं मिला और कोई कार्रवाई नहीं की गई।
इसके बाद मोहिंदर सिंह ने वकील नवकिरण सिंह के माध्यम से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर राजिंदर को अदालत में पेश करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की मांग की। उच्च न्यायालय ने मल्ल मंडी पूछताछ केंद्र में राजिंदर सिंह की तलाश के लिए एक वारंट अधिकारी नियुक्त किया। हालांकि, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को इस कदम की भनक लग गई और उन्होंने राजिंदर को केंद्र से हटा दिया। मजीठा पुलिस जिले के एसएसपी गिल इससे बेहद नाराज हुए। तब से राजिंदर लापता है। मोहिंदर सिंह को संदेह है कि उसे मार दिया गया है।
Ashok Kumar, son of Baldev Raj Sharma and Raj Rani, was a 24-year-old Hindu
रुमाना चक, 462 निवासी और ऑटोमोबाइल मैकेनिज्म में डिप्लोमा प्राप्त खत्री लड़का राख में तब्दील हो गया।

कपड़ा कारखाने में काम करता था। वह बपतिस्मा प्राप्त सिख था, लेकिन उसके पिता के अनुसार, उसका उग्रवादी आंदोलन से कोई संबंध नहीं था।
20 सितंबर 1992 की शाम को सरबजीत और उसका चचेरा भाई प्रदीप जा रहे थे। कारखाने में काम खत्म करने के बाद, सरबजीत अपने गांव चाचोवाली जाने के लिए वेरका रेलवे स्टेशन जा रहा था, तभी वर्दीधारी पुलिसकर्मियों के एक समूह ने बिना नंबर वाली गाड़ी में उसका अपहरण कर लिया। प्रदीप ने अपहरण को अपनी आंखों से देखा, लेकिन उसे बंदी नहीं बनाया गया। प्रदीप तुरंत घर पहुंचा और सरबजीत के पिता को घटना के बारे में बताया। सरबजीत के अपहरण के बाद पुलिस की गाड़ी अमृतसर शहर की ओर चली गई।
अगली सुबह, सरबजीत के पिता और गाँव के कई बड़े-बुजुर्ग काठू गए।
सरबजीत सिंह के बारे में पूछताछ करने के लिए नांगल पुलिस स्टेशन गए। एसएचओ दर्शन सिंह ने बताया कि उन्होंने उसे गिरफ्तार नहीं किया है। इसके बाद बचन सिंह और उसके साथी कई अन्य जगहों पर गए।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (463)

अमृतसर शहर के पुलिस स्टेशनों में तलाशी ली गई, लेकिन उसका पता लगाने में असमर्थ रहे।
25 सितंबर 1992 को, कई पंजाबी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से एक घटना की खबर प्रकाशित की।
मेहता पुलिस स्टेशन के अंतर्गत तरसिक्का गांव के पास हुई मुठभेड़ में पुलिस ने सरबजीत सिंह समेत पांच आतंकवादियों को मार गिराने का दावा किया। रिपोर्ट में मारे गए आतंकवादियों की तस्वीर भी थी और बचन सिंह और उनके परिवार ने सरबजीत के शव को पहचान लिया। वे मेहता पुलिस स्टेशन गए और उन्हें पता चला कि पुलिस पहले ही शवों का अंतिम संस्कार कर चुकी है। हरमीत के परिवार वाले भैनियां गांव गए, ताकि उन लोगों से बात कर सकें जो... इस मुठभेड़ के प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि भारी संख्या में पुलिस बल ने उस घर को घेर लिया था जिसमें गुरजीत सिंह, अशोक कुमार, हरमीत, रणजीत और सरबजीत ने अस्थायी रूप से शरण ली थी। पुलिस बल ने तुरंत घर पर हमला कर दिया और भारी गोलीबारी की। हरमीत ने घर की छत से कूदकर भागने की कोशिश की। उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया, कुछ देर पूछताछ की गई और फिर मार दिया गया। बताया जाता है कि अन्य लोग घर के अंदर ही मारे गए।
गुरजीत की मृत्यु के बाद भी उसके परिवार को उत्पीड़न और अत्याचारों का सामना करना पड़ा।
इस मुठभेड़ में मोहिंदर की हत्या कर दी गई। उसका बड़ा भाई राजिंदर पहले ही लापता हो चुका था। मजीठा पुलिस ने 1994 के मध्य तक उसके पिता के घर पर कब्जा बनाए रखा। मोहिंदर को फिर से उसके ससुराल से, जो गुरु की वडाली गांव में था, हिरासत में लिया गया और मजीठा पुलिस स्टेशन में कई दिनों तक पूछताछ के दौरान यातनाएं दी गईं। उसके खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत एफआईआर संख्या 11/94 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया और उसे जेल भेज दिया गया, हालांकि उसने चंडीगढ़ के वकील रंजन लखनपाल के माध्यम से उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत प्राप्त कर ली थी।
मोहिंदर सिंह ने अपने परिवार पर हुए अत्याचारों का ब्यौरा अदालत के सामने रखा।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई अधिकारियों ने अवैध दाह संस्कार के मामले में जांच शुरू की। सीबीआई के दो अधिकारी, श्री फक्कर और श्री अजीत

[illegible]
418. [illegible] 505/139 [illegible]
[illegible] 26 [illegible] 1992 [illegible] 163/92
[illegible]
[illegible]-
[illegible] CCDP/01321. [illegible]
[illegible] 1987 [illegible]
21 [illegible] 1992 [illegible] 464 [illegible]

[illegible] 50,000 [illegible]
23 [illegible]
[illegible] 4 [illegible]

हथियार नहीं है और उसने उन्हें कहीं भी नहीं छिपाया है। कुछ समय बाद, पुलिस बलजिंदर सिंह को अपने साथ ले गई।
एसएचओ ने बलजिंदर को 26 सितंबर को और सरदूल सिंह को रिहा करने का वादा किया था।
उसने पूरा दिन उस बिचौलिए को खोजने में बिताया जिसने सौदा तय किया था और जिसे वह कुछ पैसे देना चाहता था, लेकिन वह उसे ढूंढने में असफल रहा।
27 सितंबर 1992 को पंजाब के कई समाचार पत्रों ने एक घटना के बारे में खबर प्रकाशित की।
जंडियाला पुलिस स्टेशन के अंतर्गत भानिया गांव के पास हुई मुठभेड़ में कुख्यात उग्रवादी बलजिंदर सिंह उर्फ बुद्धू के मारे जाने की खबर मिली। खबर पढ़ने के बाद सरदूल सिंह और उनके रिश्तेदार काठू नांगल पुलिस स्टेशन गए और एसएचओ से उनके वादे के बारे में पूछा। एसएचओ ने कहा कि उनकी जान बचाना उनके बस में नहीं है, लेकिन वे परिवार को अस्थियां लाने में मदद करेंगे।
सरदूल सिंह और परिवार के अन्य सदस्यों ने दुर्गाना मंदिर से अस्थियां एकत्र कीं।
श्मशान घाट।
सरदूल सिंह के अनुसार, 1996 में कुछ सीबीआई अधिकारी उनसे मिलने आए और उन्हें अपने साथ ले गए।
उनके बयानों को खारिज कर दिया गया। उन्होंने बलजिंदर के अपहरण और फर्जी मुठभेड़ में हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने और उन्हें दंडित करने का वादा किया। हालांकि, सरदूल सिंह को अभी तक किसी भी कार्रवाई की कोई जानकारी नहीं मिली है।
क्रमांक 419 – 421 के अंतर्गत, सूची में जांडियाला पुलिस के एएसआई रणजीत सिंह द्वारा एफआईआर संख्या 164/92 के तहत 27 सितंबर 1992 को किए गए तीन शवदाह का उल्लेख है। शवदाह किए गए व्यक्ति हैं: [1] जौंगा सिंह, पुत्र दयाल सिंह, लखंतप्पा; [2] हरदीप सिंह उर्फ बगीचा, पुत्र गज्जन सिंह, निवासी बाथ; और [3] गुरनाम सिंह, पुत्र स्वर्ण सिंह, निवासी काला बकरा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट एफएम/630/92 - 26.9.1992, जीएम/878/92 और एफएम/629/92 - 26.9.1992 के रूप में दर्ज हैं। मृत्यु का कारण "गोली लगने से लगी चोटें" बताया गया है।
समिति ने हरदीप सिंह के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है। सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (465)

घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01657 के माध्यम से। इस मामले में मुख्य सूचनादाता हरदीप सिंह के पिता गज्जन सिंह हैं।
बाथ गांव निवासी गज्जन सिंह के पुत्र 22 वर्षीय हरदीप सिंह।
तरन तारन के सदर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाला हरदीप एक अविवाहित सिख युवक था, जो मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उग्रवादी आंदोलन से जुड़ गया था। स्कूल में पढ़ते समय ही पुलिस ने उसे कई बार पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। 1990 में मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद हरदीप घर छोड़कर भूमिगत हो गया।
अमृतसर की जंडियाला गुरु पुलिस ने हरदीप के साथियों को नियमित रूप से गिरफ्तार करना शुरू कर दिया।

उन्होंने अपने साथियों और भाइयों को पुलिस के सामने उसे पेश करने के लिए मजबूर किया। लेकिन उन्हें उसके ठिकाने का पता नहीं था और वे अवैध हिरासत और पूछताछ के दौरान यातना झेलते रहे। यह सिलसिला 27 सितंबर 1992 तक चला, जब पंजाबी अखबारों ने जंडियाला गुरु पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जब्बोवाल गांव के पास एक मुठभेड़ की खबर दी, जिसमें हरदीप सिंह समेत चार आतंकवादियों के मारे जाने की सूचना मिली। रिपोर्ट में हरदीप सिंह की पहचान बगीचा सिंह के रूप में की गई थी और उसके गांव का नाम बाथ बताया गया था। अन्य तीन आतंकवादियों की पहचान केवल उनके नामों, जग्गा सिंह, गुरनाम सिंह और हीरा सिंह उर्फ निम्मा से की गई थी।
हरदीप के परिवार वालों को इस घटना की जानकारी नहीं दी गई और अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ।
यह कार्रवाई उनकी जानकारी के बिना की गई थी।
सीबीआई द्वारा चिन्हित शवदाह स्थलों की सूची में जौंगा के दो अन्य शवदाह स्थल भी दर्ज हैं।
लखंतप्पा गांव के दयाल सिंह के पुत्र हीरा सिंह और काला बकरा निवासी स्वर्ण सिंह के पुत्र गुरनाम सिंह का शव जंडियाला पुलिस द्वारा 27 सितंबर 1992 को प्रस्तुत किया गया था। उसी दिन और उसी एफआईआर के तहत हीरा सिंह का अंतिम संस्कार भी किया गया था, जिसका उल्लेख सीबीआई की आंशिक रूप से पहचाने गए शवदाहों की सूची में क्रमांक 508/77 और पोस्टमार्टम रिपोर्ट संख्या जीएम/879/92 के तहत किया गया है। इन व्यक्तियों की वास्तविक पहचान रहस्य बनी हुई है। समिति के सदस्यों ने लखन टप्पा गांव में पाया कि पंजाब में अशांति के दौरान जगगा सिंह या दयाल सिंह के पुत्र जौंगा सिंह नाम के किसी भी व्यक्ति की हत्या नहीं हुई थी और न ही वह लापता हुआ था। सीसीडीपी सदस्यों ने यह भी पाया कि सूची में गुरनाम के गांव के रूप में पहचाने गए काला बकरा नाम का कोई भी गांव अमृतसर जिले में मौजूद नहीं है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि सीबीआई को हीरा सिंह का नाम कैसे मिला, जिनका अंतिम संस्कार आंशिक रूप से पहचाने गए लोगों की सूची में दर्ज है, लेकिन वह अन्य विवरण प्राप्त करने में विफल रही जिससे उनकी पहचान पूरी हो सकती थी।
422. क्रमांक 515/143 के अंतर्गत सूची में भूपिंदर सिंह, पुत्र बीरा सिंह, निवासी खांडे, के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो मजीठा पुलिस स्टेशन के एएसआई बहादुर सिंह द्वारा 3 अक्टूबर 1992 को एफआईआर क्रमांक 108/92 के तहत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्रमांक का कोई उल्लेख नहीं है। मृत्यु का कारण "गोली लगने से हुई चोटें" बताया गया है।

सीसीडीपी ने निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की है।

इस मामले के संबंध में घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01489 के माध्यम से जानकारी दी गई है। इस मामले की मुख्य सूचनादाता पीड़िता की मां कश्मीर कौर हैं। भूपिंदर सिंह

तेईस वर्षीय भूपिंदर सिंह, पुत्र

अमृतसर जिले के सदर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ज्वाला आटा मिल डाकघर वाले थंदे गांव के निवासी रघुबीर सिंह उर्फ बीरा और कश्मीर कौर, अपने बड़े भाई की तरह ही राख में तब्दील हो गए।

लखविंदर सिंह पंजाब पुलिस में कांस्टेबल थे। उनके पिता रघुबीर सिंह एक छोटे किसान थे और उन्होंने तमाम कठिनाइयों के बावजूद अपने दोनों बेटों को शिक्षा दिलाने में कामयाबी हासिल की थी।
1991 में, भूपिंदर सिंह ने प्रतिशोध के डर से पुलिस सेवा छोड़ने का फैसला किया।
उन उग्रवादी समूहों से, जो पुलिसकर्मियों के परिवारों को जानलेवा हमलों का निशाना बना रहे थे, भूपिंदर ने उनके इस फैसले को गलत समझा और उग्रवादी समूहों से उनके संबंध पर संदेह करने लगे। पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा और उन्हें गिरफ्तार करना चाहा। लेकिन भूपिंदर यातना सहन नहीं करना चाहते थे और भाग निकले।
पुलिस ने भूपिंदर के रिश्तेदारों को परेशान करना शुरू कर दिया और उसके पिता रघुबीर को हिरासत में ले लिया।
रघुबीर सिंह को यातना देकर पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। ग्राम परिषद के सदस्यों ने कई बार हस्तक्षेप किया और उन्हें अमृतसर के सदर पुलिस स्टेशन से छुड़ाया। लेकिन छापे जारी रहे और 20 अगस्त 1991 को रघुबीर सिंह को फिर से हिरासत में ले लिया गया और वे लापता हो गए। पुलिस की ज्यादतियाँ

रुकी नहीं और पुलिस ने कश्मीर कौर को भी बी.आर. मॉडल स्कूल के पूछताछ केंद्र में अवैध रूप से हिरासत में रखा और अपमानित किया। पुलिस ने उनके बड़े बेटे लखविंदर सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया और उन्हें एक आपराधिक मामले में फंसा दिया।
3 अक्टूबर 1992 को कश्मीर कौर ने एक अखबार में एक खबर पढ़ी जिसमें बताया गया था कि एक आतंकवादी
थंदे गांव के भूपिंदर सिंह भिंडा नाम के युवक को उमरानंगल गांव के पास एक बस में गिरफ्तारी से बचने की कोशिश करते समय पुलिस ने मार डाला। अमृतसर से जालंधर जा रही उसी बस (पीबी-12-9022) में यात्रा कर रहे एक प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार, एक पुलिस मुखबिर द्वारा पहचान किए जाने के बाद भूपिंदर को बस से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने बाद में उसे मार डाला और भागने की कोशिश की मनगढ़ंत कहानी बनाई।
पुलिस ने दुर्गाना मंदिर श्मशान घाट पर शव का अंतिम संस्कार किया। परिवार को सूचित करने के बावजूद, वे राख भी लेने नहीं जा सके।
423. क्रमांक 521/144 के अंतर्गत सूची में सरवन सिंह, पुत्र गुरबख्श सिंह, निवासी तारपुर, के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो 18 अक्टूबर 1992 को जंडियाला पुलिस स्टेशन के एसएचओ दिलबाग सिंह द्वारा एफआईआर क्रमांक 169/92 के अंतर्गत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्रमांक नहीं है और मृत्यु का कारण "गोली लगने से लगी चोटें" बताया गया है।
समिति ने इस मामले के संबंध में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01223। इस मामले में मुख्य सूचनादाता पीड़ित का भाई तरसेम सिंह है।
अठारह वर्षीय सरवन सिंह, स्वर्गीय गुरबख्श सिंह और शिंदो के पुत्र थे। सरवन सिंह एक युवा किसान थे और धार्मिक समारोहों में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते थे। वे अमृतसर जिले के बाबा बकाला उपमंडल के मत्तेवाल चोगवां पुलिस स्टेशन के अंतर्गत भट्टी के डाकघर वाले तारपुर गांव के रहने वाले थे। सरवन और उनके बड़े भाई तरसेम सिंह का पालन-पोषण उनकी मां ने तब किया जब उनके पिता का निधन हो चुका था। सरवन सिंह ने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और खेती में अपने बड़े भाई की मदद करने लगे। बपतिस्मा प्राप्त सिख होने के नाते, उन्होंने धार्मिक शिक्षा भी प्राप्त की थी, विशेष रूप से सिख धर्मग्रंथों के औपचारिक पाठ की। सरवन सिंह को धार्मिक समारोहों में धर्मग्रंथों का पाठ करने के लिए निमंत्रण मिलते थे, आमतौर पर इसके लिए उन्हें शुल्क देना पड़ता था। इससे परिवार की आय में वृद्धि होती थी। सितंबर 1992 में, मेहता पुलिस स्टेशन के एसएचओ ने सरवन सिंह के घर पर छापा मारा।
उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आई थी। सरवन सिंह उस समय घर पर नहीं था।
पुलिस ने उसके बड़े भाई को हिरासत में ले लिया और उसे प्रताड़ित किया।
पुलिस चाहती थी कि सरवन आत्मसमर्पण कर दे, लेकिन वह यातना के डर से दूर रहा।
17 अक्टूबर 1992 को एक तलाशी अभियान के बाद सरवन सिंह को गिरफ्तार किया गया था।
देवदासपुर गांव में एसपी (ऑपरेशन) की देखरेख में अभियान चलाया गया।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (467)

एच. आर. बंगा, बाबा बकाला के डीएसपी दर्शन सिंह मान और जंडियाला गुरु पुलिस स्टेशन के एसएचओ उधम सिंह। पुलिस ने सरवन को उस घर से उठाया जहां वह छिपा हुआ था और मौके पर ही उसकी बेरहमी से पिटाई की। बेहोश होने के बाद, पुलिस उसे अपने साथ ले गई और पास के गांव गदिली में मुठभेड़ में मारे जाने की घोषणा कर दी। परिवार को उसकी हत्या की जानकारी 18 अक्टूबर 1992 को एसएसपी परमजीत सिंह गिल की प्रेस ब्रीफिंग पर आधारित एक अखबार की रिपोर्ट से मिली। रिपोर्ट में कहा गया था कि फरार चल रहे एक आतंकवादी सरवन सिंह ने तलाशी अभियान में लगी पुलिस पर गोलीबारी की और जवाबी गोलीबारी में मारा गया। एसएसपी गिल ने उसकी पहचान कई आतंकवादी अपराधों के लिए जिम्मेदार "दशमेश रेजिमेंट के एरिया कमांडर" के रूप में की।
परिवार अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सका। लेकिन परिवार के सदस्यों ने अंतिम दर्शन किए।
जिस घर में पुलिस ने सरवन को गिरफ्तार किया था और एक बुजुर्ग महिला और कई पड़ोसियों से बात की थी, जिन्होंने पुष्टि की थी कि पुलिस ने सरवन सिंह को पकड़ने के बाद उसकी हत्या कर दी थी।
सरवन सिंह के भाई तरसेम सिंह ने हमें बताया कि पंजाब पुलिस ने भी गिरफ्तार किया है।
और उसने अपने चचेरे भाई बलविंदर सिंह, जो चोगावां गांव के संतोख सिंह का पुत्र था, की हत्या कर दी।
424 – 425: क्रमांक 525/145 और 526/146 के अंतर्गत, सूची में रामदास पुलिस स्टेशन के एएसआई गुरमेज सिंह द्वारा 31 अक्टूबर 1992 को किए गए दो शवदाहों का उल्लेख है। ये शवदाह निम्नलिखित व्यक्तियों के हैं: [1] तरसेम राम उर्फ सीमा, पिता मेजू, निवासी भौरवाला और [2] अनोख सिंह, पिता बंता सिंह, निवासी बिंदी सोहियान। इनमें कोई एफआईआर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट संख्या नहीं है। मृत्यु का कारण "दुर्घटना" बताया गया है।
समिति ने घटना रिपोर्ट के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की है। प्रपत्र संख्या CCDP/01313 और 01601. मुख्य सूचनादाता तरसेम लाल के भाई गुरप्रीत सिंह और अनोख सिंह के पिता बंता सिंह हैं।
मेजू राम और बिलासो के पुत्र, छत्तीस वर्षीय तरसेम लाल गांव के रहने वाले थे।
अमृतसर जिले के अजनाला उपमंडल में रामदास पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोहन भंडारियां डाकघर के बोहरवाला में रहने वाले तरसेम लाल, जो एक संसी सिख थे, तांगा चलाकर अपना जीवन यापन करते थे। उनका विवाह अमरजीत कौर से हुआ था और वे तीन पुत्रों और एक पुत्री के पिता थे। सबसे बड़े पुत्र जगतार सिंह की आयु 22 वर्ष है। सबसे छोटी पुत्री बलप्रीत कौर की आयु 12 वर्ष है।
इस मामले में हमारे मुख्य मुखबिर, उनके भाई गुरप्रीत सिंह के अनुसार, रामदास
पुलिस ने तरसेम को कई बार गैरकानूनी रूप से गिरफ्तार किया और उग्रवादियों से संबंध होने के संदेह में उसे बेरहमी से प्रताड़ित किया। अंततः हिरासत में हो रहे दुर्व्यवहारों से तंग आकर तरसेम घर छोड़कर भाग गया।
पुलिस ने परिवार के अन्य सदस्यों को भी पकड़ना शुरू कर दिया और उन्हें यातनाएं दीं।
तरसेम के ठिकाने के बारे में जानकारी। हालांकि, परिवार के पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
बंता सिंह और लाल देवी के पुत्र तीस वर्षीय अनोख सिंह, निवासी थे।

426 – 427: क्रमांक 530/147 और 531/148 के अंतर्गत, सूची में लोपोके पुलिस स्टेशन के एसएचओ द्वारा 2 नवंबर 1992 को एफआईआर संख्या 132/92 के तहत किए गए दो शवदाहों का उल्लेख है। ये शव हैं: [1] मलकैत सिंह उर्फ बापू, पिता सरदूल सिंह, निवासी पंडोरी रोमाना, झब्बल; और [2] गुरमीत कौर, पुत्री मंगा सिंह, निवासी पंडोरी, तातुमाल, झब्बल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कोई क्रमांक नहीं है। दोनों मामलों में मृत्यु का कारण "गोली लगने से लगी चोटें" बताया गया है।
समिति ने इन मामलों के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है। घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01239 और 01240। मलकीत सिंह के पिता सरदूल सिंह और गुरमीत की माता बलविंदर कौर इन मामलों में मुख्य सूचनादाता हैं।
सरदूल सिंह और सुरजीत के पुत्र, पच्चीस वर्षीय मलकीत सिंह उर्फ मीता। Kaur, lived in village Pandori Rumana, post office Pandori Takhat Mall under police station Jhabbal, in Tarn Taran sub-division of Amritsar district. मलकीत सिंह होम गार्ड में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने नौकरी छोड़ दी।
उसने सेवा में इसलिए हाथ बटाया क्योंकि सिख उग्रवादी समूह सुरक्षा बलों के जवानों के परिवार के सदस्यों की हत्या कर रहे थे। बाद में, वह खुद भी उग्रवादी आंदोलन से प्रभावित हो गया और उससे जुड़े लोगों से मेलजोल करने लगा। पुलिस को इसकी भनक लग गई और उसे गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पर छापा मारना शुरू कर दिया। मलकीत घर छोड़कर उग्रवादी समूह में शामिल हो गया। सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (469)

उग्रवादी भूमिगत आंदोलन में शामिल होने के बाद, पुलिस ने उसके रिश्तेदारों को परेशान करना शुरू कर दिया, उसके पिता और भाइयों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें कई दिनों तक अवैध हिरासत में रखा।
30 अक्टूबर 1992 को पुलिस ने जसराहूर गांव से मलकीत को गिरफ्तार किया। पुलिस उसे लोपोके पुलिस स्टेशन ले गई और उसके गांव में ले आई ताकि वह पुलिस को उसके घर और खेतों में हथियारों की तलाशी में मदद कर सके। उसके परिवार के सदस्यों और गांव के अन्य निवासियों ने पुलिस हिरासत में मलकीत सिंह को देखा। अधिकारियों ने अपनी पहचान उजागर नहीं की और न ही यह बताया कि वे कहां से आए थे। उस समय पुलिस के आतंक के कारण परिवार के सदस्यों ने पूछताछ जारी नहीं रखी। गांव में तलाशी अभियान चलाने के बाद, पुलिस मलकीत को अपने साथ ले गई। उन्होंने घर का सारा सामान जब्त कर लिया और यहां तक कि फार्महाउस में रखा आठ क्विंटल गेहूं भी ले गए।
31 अक्टूबर और 1 नवंबर की मध्यरात्रि में मलकीत की हत्या कर दी गई।
कोटली गांव के पास एक "मुठभेड़" का मंचन किया गया। 3 नवंबर 1992 को कई समाचार पत्रों में प्रकाशित "मुठभेड़" की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि पंडोरी तख्त मॉल के रहने वाले महंगा सिंह की बेटी गुरमीत कौर भी उसी मुठभेड़ में मारी गई थी।
गुरमीत कौर (18), महंगा सिंह और बलविंदर कौर की पुत्री थीं।
अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल के झब्बल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पंडोरी तख्त मॉल गांव में रहने वाली गुरमीत अक्टूबर 1992 में लापता हो गई थी। वह एक स्कूली छात्रा थी और मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रही थी।

1991 में, बलविंदर कौर के बड़े भाई मलकीत सिंह, जो पंजाब पुलिस में एक विशेष सुरक्षा अधिकारी थे, ने
एक पुलिसकर्मी की बाग़ारियन गाँव में कुछ अज्ञात आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। अक्टूबर 1992 में, पड़ोसी गाँव के सरदूल सिंह के पुत्र मलकीत सिंह गुरमीत के घर आए और उसके माता-पिता से पुलिस के शिकंजे से बचने में मदद करने का अनुरोध किया। वह चाहते थे कि गुरमीत उनके साथ चले। उनके माता-पिता के पास कोई विकल्प नहीं था और उन्होंने गुरमीत को जाने दिया। लेकिन, पुलिस की कार्रवाई के डर से, वे गाँव छोड़कर शहर में अस्थायी रूप से रहने लगे। On 3 November 1992, Mehnga Singh and Balwinder Kaur read a newspaper story
जिसमें गुरमीत कौर और मलकीत सिंह की पुलिस मुठभेड़ में कथित हत्या की खबर छपी थी। परिवार पुलिस से इतना डरा हुआ था कि उन्होंने गुरमीत कौर की अस्थियां लेने की भी कोशिश नहीं की। बाद में उन्हें पता चला कि मलकीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और तलाशी अभियान के लिए उसके गांव ले जाया गया है। इससे संकेत मिलता है कि मलकीत और गुरमीत दोनों की पुलिस हिरासत में हत्या कर दी गई थी और "मुठभेड़" की कहानी, ऐसे अधिकांश मामलों की तरह, मनगढ़ंत थी।
428 – 429: क्रमांक 539/150 और 540/151 के अंतर्गत, सूची में एफआईआर संख्या 178/92 के तहत 17 नवंबर 1992 को खिलचियां और जंडियाला पुलिस द्वारा किए गए दो शवदाहों का उल्लेख है। ये शवदाह हैं: [1] साहिब सिंह उर्फ चापनी, पिता प्यारा सिंह, निवासी कालेके; और [2] जसवंत सिंह उर्फ जस्सा, पिता दिलीप सिंह, निवासी कालीके। सूची में पोस्टमार्टम रिपोर्ट संख्या नहीं दी गई है। साहिब सिंह की मृत्यु का कारण "गोली लगने से लगी चोटें" और जसवंत सिंह की मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने इन मामलों के बारे में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की है। घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/0374 और 01208। साहिब सिंह की माता पियार कौर उर्फ फिन्नो और जसवंत सिंह की माता चरण कौर इन मामलों में समिति की मुख्य सूचनादाता हैं।
जसवंत सिंह, जिसे जस्सा के नाम से भी जाना जाता था, 21 वर्ष का था और दलीप सिंह का पुत्र था, जो एक ड्राइवर था।
जल आपूर्ति विभाग में, और चरण कौर। वे खेताल दी पट्टी 470 में रहते थे, जो राख में तब्दील हो गया।

in village Kale Ke under police station Khalchian in Baba Bakala sub-division of Amritsar district.
जसवंत सिंह अपने स्कूल में एक अच्छे खिलाड़ी थे और कबड्डी में उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।
मैट्रिक पास करने के बाद, जसवंत को जल आपूर्ति विभाग में गार्ड की नौकरी मिल गई, जहाँ उनके पिता ड्राइवर का काम करते थे। उनका कोई राजनीतिक या उग्रवादी पृष्ठभूमि नहीं थी। उन्हें कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था और न ही पुलिस ने उनसे पूछताछ की थी। जसवंत अविवाहित थे।
8 नवंबर 1992 की शाम लगभग 4:30 बजे जसवंत स्नान कर रहा था।
जसवंत सिंह अपने घर के आंगन में हैंडपंप चला रहे थे। रविवार का दिन था और उनके पिता दलीप सिंह भी घर पर ही थे। अचानक, खलचियां पुलिस स्टेशन के एसएचओ के नेतृत्व में छह कांस्टेबल दलीप सिंह के बड़े भाई के पड़ोसी घर से आंगन

सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (471)

और बनिया गांवों में। कहानी के अनुसार, पुलिस ने चेकपोस्ट की ओर जा रहे चार लोगों को रुकने और तलाशी देने के लिए कहा। लेकिन इन लोगों ने गोलीबारी की और जवाबी कार्रवाई में मारे गए। आतंकवादियों की पहचान काले के गांव के जसवंत सिंह, साहिब सिंह और लाडी तथा सुधर गांव के मनजीत सिंह के रूप में हुई।

अखबार की रिपोर्ट पढ़ने के बाद, परिवार के सदस्यों ने...

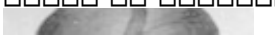

वे खालचियां पुलिस स्टेशन गए, जहां पुलिस ने उन्हें बताया कि चारों व्यक्तियों का अंतिम संस्कार दुर्गियाना मंदिर श्मशान घाट में कर दिया गया है और परिवार उनकी अस्थियां ले सकते हैं। जब परिवार जसवंत सिंह के साथ श्मशान घाट गए, तो वहां के कर्मचारियों ने उन्हें एक ही चिता की ओर निर्देशित किया, जिस पर चारों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया था। चारों परिवारों ने अस्थियां आपस में बांट लीं।

इस तथ्य के बावजूद कि समाचार पत्रों की रिपोर्ट, पुलिस द्वारा जारी एक विज्ञप्ति पर आधारित है, पहचान करती है-

मुठभेड़ में मारे गए चारों लोगों की पहचान हो जाने के बावजूद, सीबीआई की सूची में केवल साहिब सिंह और जसवंत सिंह के अंतिम संस्कार का ही उल्लेख है। अन्य दो शवों का अंतिम संस्कार, जो खालचियां पुलिस द्वारा एफआईआर संख्या 178/92 के तहत 17 नवंबर 1992 को किया गया था, सीबीआई की अज्ञात शवदाह सूची में क्रमांक 537/304 और 538/305 के तहत दर्ज हैं, जिनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्रमांक जीएम/953/92 और जीएम/952/92 हैं।

जसवंत सिंह की हत्या के बाद, उनके पिता दलीप सिंह ने दो बार प्रयास किया।

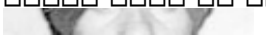

उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। वह अनिद्रा का शिकार हो गया था और उसका इलाज चल रहा था। वह अक्सर अपने बेटे 'जस्सा' को याद करके रोता था और कहता था कि वह स्वर्ग में उसके साथ जाना चाहता है। एक दिन, वह अपने खेतों में स्थित ट्यूबवेल के कमरे में गया और बाद में उसके परिवार ने उसे वहाँ मृत पाया। उसकी मौत बिजली के झटके से हुई थी। परिवार को शक है कि दलीप सिंह ने आत्महत्या की है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई अधिकारियों ने कई बार इन परिवारों से मुलाकात की।

[illegible]

430 – 431: [illegible] 552/152 [illegible] 554/153 [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 26 [illegible] 1992 [illegible] [illegible] 187/92 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]: [1] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]; [illegible] [2] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] "[illegible]" [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] CCDP/01505 [illegible] 01676[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 472 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

brother Lakhwinder Singh and Lakhwinder’s brother Sukhdev Singh.
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

निवासी अवन लखा सिंह। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्रमांक उपलब्ध नहीं हैं।
मृत्यु का कारण "मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने इन मामलों के बारे में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01419। दलजीत सिंह के पिता कश्मीर सिंह इस मामले में मुख्य सूचनादाता हैं।
Daljit Singh was a 20-year-old Mazhabi Sikh boy from village Khiala Khurd, अमृतसर जिले के अजनाला उपमंडल के लोपोके पुलिस स्टेशन के अंतर्गत खियाला कलां डाकघर में दलजीत का जन्म हुआ। दलजीत के दो बड़े भाई थे, राजवंत सिंह और बलजीत सिंह, और वे दोनों मिलकर एक दुग्ध उत्पादन फार्म चलाते थे जिससे अच्छी आमदनी होती थी। उनके पिता कश्मीर सिंह भूमिहीन किसान थे और उन्होंने अपने बेटों का पालन-पोषण मजदूरी से करवाया था। उन्होंने और उनकी पत्नी सविंदर कौर ने कठिन जीवन व्यतीत किया था। लेकिन अब वे इस बात से प्रसन्न थे कि उनके बेटे अच्छी स्थिति में हैं और बुढ़ापे में उनकी देखभाल कर सकेंगे।
उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। 13 दिसंबर 1992 को शाम करीब 7 बजे, एसएचओ ने पुलिस को सूचना दी।
धर्म सिंह और उनकी पुलिस ने दलजीत के घर पर छापा मारा और उसकी अनुपस्थिति में उसके पिता कश्मीर सिंह और उसके भाइयों राजवंत सिंह और बलजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। लोपोके पुलिस ने दलजीत के ठिकाने के बारे में जानकारी निकालने के लिए कश्मीर सिंह को बेरहमी से प्रताड़ित किया। दलजीत को उसी रात अमृतसर के रतन सिंह चौक के पास नवीन आबादी की निवासी दलबीर कौर के घर से गिरफ्तार कर लोपोके पुलिस स्टेशन लाया गया, जहां एसएचओ धर्म सिंह ने अगली सुबह तक उसे बेरहमी से प्रताड़ित किया।
अगली सुबह पुलिस ने दलजीत के भाइयों राजवंत सिंह और बलजीत को रिहा कर दिया।
कश्मीर सिंह। पुलिस ने उनके पिता को यातनाओं के बाद उनकी गंभीर हालत के कारण रिहा नहीं किया। कश्मीर सिंह, जिन्हें दो सप्ताह बाद रिहा किया गया, उन्होंने अपने बेटे दलजीत को फिर कभी नहीं देखा। दलजीत बस "गायब" हो गया। संभवतः उसे 17 दिनों तक और जीवित रखा गया क्योंकि सीबीआई की सूची से पता चलता है कि उसका अंतिम संस्कार 30 दिसंबर 1992 को अजनाला पुलिस द्वारा किया गया था। उसे कथित तौर पर अवन लखा सिंह गांव के निवासी ठाकर सिंह के पुत्र जागीर सिंह के साथ "मुठभेड़" में मार दिया गया था। सीबीआई की सूची में उसके अंतिम संस्कार का भी उल्लेख है।
बाद में, कश्मीर सिंह ने हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की।
कश्मीर सिंह ने चंडीगढ़ में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने अमृतसर के मजिस्ट्रेट द्वारा जांच का आदेश दिया। याचिका लंबित रहने के दौरान ही सीबीआई ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार अवैध दाह संस्कार के मामले में जांच शुरू कर दी। कश्मीर सिंह के अनुसार, सीबीआई ने इस मामले में जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर दिया है।
434. क्रमांक 571/157 के अंतर्गत सूची में गुलज़ार उर्फ बाबा बुलेट, पुत्र अच्चर सिंह, निवासी घनशमपुर के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो 8 जनवरी 1993 को मातेवाल पुलिस स्टेशन के एसएचओ द्वारा एफआईआर क्रमांक 1/93 के

[illegible]
474 [illegible]

[illegible] CCDP/01654 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] 1992 [illegible]
[illegible] 7 [illegible] 1993 [illegible]
[illegible] 573/324 [illegible] 574/325 [illegible], 8 [illegible] 1993 [illegible]
435. [illegible] 577/158 [illegible], 13 [illegible] 1993 [illegible] 25/93 [illegible]
[illegible]
no. CCDP/01417. The main informant is Mukhtiar Singh, Sukhwinder's father.
Eighteen-year-old Sukhwinder Singh, s/o Kashmir Singh and Preetam Kaur, was

अमृतसर जिले के अजनाला उपमंडल के लोपोके पुलिस स्टेशन के अंतर्गत बरार गांव के बाथ वाली पट्टी इलाके से। वह कॉलेज में प्रथम वर्ष का छात्र था।
सुखविंदर के पिता मुख्तियार सिंह एक छोटे किसान थे जो खेती से सेवानिवृत्त हो चुके थे।
भारतीय सेना में कार्यरत मुख्तियार सिंह के तीन बेटे और तीन बेटियां थीं। सुखविंदर सबसे छोटा बेटा था। अपनी सीमित कृषि आय को बढ़ाने के लिए, मुख्तियार सिंह पंजाब नेशनल बैंक की स्थानीय शाखा में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता था।
वर्ष 1990 में आतंकवादियों ने सुखविंदर की बहन सविंदर कौर की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
गुरदासपुर जिले के कहनुवाल गांव निवासी सुखजिंदर सिंह पर तब हमला हुआ जब वे चौरा मधरा में एक रिश्तेदार से मिलने गए थे। इस घटना से सुखविंदर क्रोधित हो गया और उसने बदला लेने की कसम खाई। वह एक प्रतिद्वंद्वी आतंकवादी समूह में शामिल हो गया। आम तौर पर, राज्य सरकार आतंकवादी हिंसा के पीड़ितों को मुआवजा देती है, लेकिन इस मामले में सरकार ने सविंदर कौर और सुखजिंदर सिंह के परिवारों को कोई राहत नहीं दी।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (475)

इसके बाद पुलिस ने दूर के रिश्तेदारों समेत पूरे परिवार को परेशान करना शुरू कर दिया।
सुखविंदर बदला लेने के लिए घर से निकल गया। मॉल मंडी पूछताछ केंद्र के एसआई रघुबीर सिंह मखी ने सुखविंदर के बहनोई, उसकी दूसरी बहन बलजीत कौर के पति बूआ सिंह को गिरफ्तार कर लिया। गुरदासपुर जिले के बाब्बेवाली डाकघर के पास स्थित नवां पिंड (हुंदल) गांव के रहने वाले चन्नन सिंह के पुत्र बूआ सिंह पंजाब विद्युत बोर्ड के कर्मचारी थे। एसआई रघुबीर सिंह ने एक अन्य रिश्तेदार मेजर सिंह, जो सुचा सिंह के पुत्र और गुरदासपुर जिले के धारीवाल उपमंडल के सिधवां गांव के निवासी थे, को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मॉल मंडी पूछताछ केंद्र में दोनों को प्रताड़ित किया और फिर वे "लापता" हो गए। पुलिस ने सुखविंदर के पिता मुख्तियार सिंह को भी कई बार हिरासत में लिया। कई महीनों तक उसे अवैध रूप से बंधक बनाकर रखा गया और जानकारी हासिल करने के लिए उस पर क्रूर यातनाएं दी गईं। सुखविंदर के मामा के रिश्तेदारों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पुलिस चाहती थी कि वे सुखविंदर के ठिकाने का खुलासा करें और उसकी गिरफ्तारी में सहयोग करें। लेकिन किसी को भी उसके निवास या ठिकाने की जानकारी नहीं थी।
दिसंबर 1992 की शुरुआत में, रामदास पुलिस ने मुख्तियार सिंह को फिर से अवैध हिरासत में ले लिया।
पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और कई दिनों तक यातनाएं देने के बाद ब्यास पुलिस स्टेशन भेज दिया। पुलिस ने उसके घर का सारा सामान जब्त कर लिया और उसके घर का एक हिस्सा तोड़ दिया, जिससे वह रहने लायक नहीं रहा। पुलिस ने परिवार के सदस्यों को धान की फसल काटने भी नहीं दी, जिससे फसल खेत में ही सड़ गई। इन अत्याचारों से हुए नुकसान का अनुमान 3 लाख रुपये से अधिक है। फरवरी 1993 की शुरुआत में, सुखविंदर को पता चला कि उसके पिता अवैध गतिविधियों में शामिल हैं।
दो महीने से अधिक समय तक पुलिस हिरासत में रहने के दौरान सुखविंदर को अपने परिवार के शेष सदस्यों के साथ पुलिस द्वारा किए जा रहे अत्याचारों की

भयावहता का भी पता चला। अपने पिता की हत्या के डर से सुखविंदर अपने ही गांव के सब-इंस्पेक्टर बलकार सिंह से मिले और 9 फरवरी 1993 की रात अमृतसर स्थित उनके घर पर बिताई। उन्होंने अपने पिता को अवैध पुलिस हिरासत से छुड़ाने के तरीकों पर चर्चा की। बलकार सिंह ने अपने आगंतुक के बारे में मजीठा जिले के एसएसपी को संदेश भेजा और उन्हें गिरफ्तार करने की योजना बनाई। अगली सुबह, सुखविंदर बलकार सिंह की मोटरसाइकिल पर पीछे बैठकर बस स्टैंड पर उतरने के इरादे से निकले। रास्ते में, अमृतसर के पुतलीघर चौराहे के पास, पुलिस ने एक बड़ी चेकपोस्ट लगा रखी थी और उन्हें गिरफ्तार करने में सफल रही। उन्हें मल्ल मंडी पूछताछ केंद्र लाया गया, जहां एसएसपी मजीठा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने क्रूर यातनाओं के बीच उनकी पूछताछ की निगरानी की। पुलिस ने सुखविंदर को लगातार दो दिनों तक यातनाएं दीं।
सुखविंदर और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया।
12 फरवरी की रात को गहरी मंडी गांव के पास जंडियाला पुलिस के साथ एक फर्जी मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। 14 फरवरी 1993 को पंजाबी अखबारों ने इस "मुठभेड़" की खबर प्रमुखता से प्रकाशित की। परिवार के सदस्यों को अंतिम संस्कार देखने की अनुमति नहीं दी गई, जो 13 फरवरी 1993 को संपन्न हुआ। मुठभेड़ में पुलिस ने एक और अज्ञात आतंकवादी को मार गिराने का दावा किया है।
सुखविंदर सिंह के साथ। हालांकि, सीबीआई की अज्ञात शवदाहों की सूची में 13 फरवरी 1993 को जंडियाला या किसी अन्य पुलिस द्वारा किए गए किसी अन्य शवदाह का उल्लेख नहीं है। शव का क्या हुआ, यह एक रहस्य बना हुआ है।
436. क्रमांक 586/164 के अंतर्गत, सूची में सतनाम सिंह, पुत्र मोहिंदर सिंह, निवासी जाहूपुर, खेड़ा के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो ब्यास पुलिस द्वारा 19 मार्च 1993 को एफआईआर संख्या 12/93 के अंतर्गत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एनडी/718/93 के रूप में चिह्नित किया गया है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
476 राख में तब्दील

समिति ने इस मामले के संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की है। घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/0773 है। पीड़ित के पिता मोहिंदर सिंह ढिल्लों मुख्य सूचनादाता हैं।
मोहिंदर सिंह ढिल्लों और नसीब कौर के पुत्र, चौबीस वर्षीय सतनाम सिंह। सतनाम अमृतसर जिले के बाबा बकाला उपमंडल के ब्यास पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले जल्लूपुर खैरा के निवासी थे। उन्होंने आठवीं कक्षा तक पढ़ाई की और फिर ट्रक चालक बनने के लिए मुंबई चले गए। कुशल चालक बनने के बाद, उन्हें मुंबई स्थित एक परिवहन कंपनी में नौकरी मिल गई और वे पंजाब सहित पूरे भारत में माल परिवहन का काम करते थे।
जुलाई 1991 में, जब सतनाम परिवार के साथ कुछ समय बिताने के लिए घर आया था, वेरोवाल पुलिस ने उसे उसके घर से गिरफ्तार किया और 15 दिनों तक बेरहमी से यातनाएं देकर उससे पूछताछ की। सतनाम को इतनी बुरी तरह प्रताड़ित किया गया कि वह हिल भी नहीं पा रहा था। लेकिन उसे और उसके परिवार को इस बात से राहत मिली कि पुलिस ने उसे मारने के बजाय उसे कुछ और करने का फैसला किया। उन्हें शस्त्र अधिनियम के तहत एक मामले में फंसाया गया। मजिस्ट्रेट ने देखा कि सतनाम को बेरहमी से प्रताड़ित किया गया था क्योंकि पुलिस को उन्हें शारीरिक रूप से उठाकर अदालत में लाना और ले जाना पड़ा था। लेकिन

उन्होंने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया और उन्हें जेल भेज दिया। चार महीने बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। सतनाम ने ड्राइवर के रूप में अपना काम फिर से शुरू करने का फैसला किया और अमृतसर की अदालत में चल रहे अपने मुकदमे की कार्यवाही में शामिल होने के लिए बीच-बीच में पंजाब लौटते रहे।

इस मामले की सुनवाई 11 मार्च 1993 को निर्धारित की गई थी।

सतनाम कुछ दिन पहले अपने गांव पहुंच गया था और अपने पिता और रिश्तेदार लखविंदर सिंह (जो तरन के कौला गांव का निवासी है) के साथ कार्यवाही में शामिल हुआ।

अमृतसर जिले के सतनाम सिंह तारन उपमंडल में।

जब सतनाम अदालत कक्ष से बाहर निकल रहा था, तभी एक समूह ने

ब्यास पुलिस स्टेशन के कांस्टेबलों की एक टीम, जिसका नेतृत्व हेड कांस्टेबल जगतर सिंह कर रहे थे, ने उसे हिरासत में लिया और पुलिस वाहन में बिठाकर ले गए।

मोहिंदर सिंह, अपने कुछ रिश्तेदारों और ग्राम परिषद के सदस्यों के साथ,

अगले दिन मोहिंदर सिंह ब्यास पुलिस स्टेशन के एसएचओ परमजीत सिंह से मिले और उनसे पूछा कि उनके बेटे को अदालत के बाहर क्यों गिरफ्तार किया गया था। एसएचओ ने बताया कि सतनाम को उसके पिछले रिकॉर्ड के बारे में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और उसके बयानों के सत्यापन के बाद उसे रिहा कर दिया जाएगा। अगले कुछ दिनों तक वे यही वादा दोहराते रहे। मोहिंदर सिंह को पता चला कि ब्यास पुलिस स्टेशन में कुछ दिनों की हिरासत के बाद उनके बेटे को मल्ल मंडी पूछताछ केंद्र में स्थानांतरित कर दिया गया है। एसएचओ ने उन्हें चिंता न करने को कहा और एक बार फिर आश्वासन दिया कि उनके बेटे को कोई नुकसान नहीं होगा। मोहिंदर सिंह ने उनकी बात पर विश्वास किया और वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क नहीं किया।

20 मार्च 1993 को पंजाब के कई समाचार पत्रों ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें एक घटना का जिक्र था।

टोंग गांव के पास एक "मुठभेड़" हुई, जिसमें ब्यास पुलिस ने कथित तौर पर सतनाम सिंह (जिसे उग्रवादी घोषित किया गया था) और उसके एक अज्ञात साथी को मार गिराया था। मोहिंदर सिंह को बाद में पता चला कि वह अज्ञात साथी खिजकीपुर निवासी सविंदर सिंह का पुत्र दिलबाग सिंह था, जो पंजाब सशस्त्र पुलिस का कांस्टेबल था और सिख उग्रवादियों की मदद करने के संदेह में गिरफ्तार किया गया था।

पंजाब सशस्त्र बल के निलंबित कांस्टेबल दिलबाग सिंह का अंतिम संस्कार।

[illegible] [illegible] [illegible] 19 [illegible] 1993 [illegible] [illegible] [illegible] 12/93 [illegible] [illegible] [illegible]

सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (477)

अंतिम संस्कार। दिलबाग सिंह की कहानी का संक्षिप्त विवरण उपयुक्त अनुभाग में दिया गया है।
सतनाम के बड़े भाई कुलवंत सिंह, जो मस्कट चले गए थे, ऐसा नहीं कर सके। त्रासदी के लगभग साढ़े चार साल बाद तक, वह अपने माता-पिता को सांत्वना देने के लिए उनसे मिलने जाता रहा और 2 अगस्त 1997 को उनके गांव पहुंचा। 31 अगस्त 1997 को, राय्या पुलिस चौकी के प्रभारी एएसआई जगतार सिंह, कांस्टेबलों के एक समूह के साथ मोहिंदर सिंह के घर आए और कुलवंत सिंह को हिरासत में ले लिया। यह वही जगतार सिंह थे, जिन्होंने मार्च 1993 में, जब वह हेड कांस्टेबल थे, सतनाम का अपहरण कर लिया था, जब वह 11 मार्च 1993 को अपने मामले की कार्यवाही में शामिल होने के बाद अमृतसर की अदालत से निकल रहे थे। पुलिस ने कुलवंत को पांच दिनों तक अवैध हिरासत में रखा और फिर 5 सितंबर 1997 को, ब्यास पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में एक चेकपोस्ट पर उसकी गिरफ्तारी दिखाई। पुलिस ने कुलवंत को 1990-1991 की अवधि में अनसुलझे उग्रवादी अपराधों के मामलों में फंसाकर जेल भेज दिया। एक महीने के भीतर, निचली अदालत ने उनकी जमानत पर रिहाई का आदेश दिया और मोहिंदर सिंह ने ग्राम परिषद के सदस्यों के साथ मजीठा पुलिस जिले के एसएसपी से मुलाकात कर उन्हें उन परिस्थितियों से अवगत कराया जिनमें एएसआई जगतार सिंह ने उनके दूसरे बेटे को फंसाया था। एसएसपी ने जांच कराई और कुलवंत सिंह के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लेने का आदेश दिया। हालांकि, एएसआई जगतार सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिन्होंने मोहिंदर सिंह के अनुसार, मार्च 1993 में सतनाम सिंह के अपहरण और हत्या के मामले में परिवार द्वारा उनके खिलाफ किसी भी कानूनी कार्रवाई को रोकने के लिए यह कदम उठाया था। जगतर सिंह के इस कार्य से वास्तव में वह उद्देश्य प्राप्त हो गया।
437. क्रमांक 608/170 के अंतर्गत दी गई सूची में लखविंदर सिंह उर्फ लखा, पुत्र हरभजन सिंह, निवासी चौगान, के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो 16 मई 1993 को मेहता पुलिस स्टेशन के एसएचओ उधम सिंह द्वारा किया गया था। सूची में न तो एफआईआर क्रमांक दर्ज है और न ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट का उल्लेख है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने इस मामले के संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की है। घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01214। पीड़िता की मां सतवंत कौर मुख्य सूचनादाता हैं।

Thirty-year-old Lakhwinder Singh, resident of Charhdi Patti in village Chogawan
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

अमृतसर जिले के खदुर साहिब उपमंडल के वेरोवाल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पट्टी समरान के एकल गड्डा गांव का रहने वाला रचपाल एक किसान था और अविवाहित था। उसे स्कूल छोड़ना पड़ा क्योंकि उसके पिता परगत सिंह अभी भी भारतीय सेना में जेसीओ के पद पर कार्यरत थे और परिवार की जमीन की देखभाल करनी पड़ती थी। रचपाल खेल-कूद में रुचि रखता था और उद्यमशील था। वह एक अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी था और अपने खेत की खेती के अलावा, दूध बेचने का अतिरिक्त व्यवसाय भी शुरू किया था। रचपाल की दाढ़ी साफ रहती थी और उसमें धार्मिक भावनाएं प्रबल नहीं थीं। उसका किसी भी राजनीतिक या उग्रवादी संगठन से कोई संबंध नहीं था।
अपनी छोटी-छोटी सफलताओं से रचपाल ने स्थानीय स्तर पर कुछ लोगों को नाराज कर दिया था।
1988 में, कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों ने जंडियाला पुलिस स्टेशन के एसएचओ को उकसाकर उन पर आतंकवादियों को पनाह देने का आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। ग्राम परिषद के सदस्यों ने उनकी ओर से हस्तक्षेप किया। हालांकि, एक सप्ताह से अधिक समय तक यातनापूर्ण पूछताछ के बाद, जंडियाला पुलिस स्टेशन के एसएचओ ने उन्हें टाडा के तहत आपराधिक मामले में फंसाकर जेल भेज दिया। एक साल बाद रचपाल सिंह को बरी कर दिया गया। हालांकि, पुलिस ने उनके घर पर छापेमारी और उत्पीड़न जारी रखा। रचपाल ने अपनी ओर से प्रभावी हस्तक्षेप करने की असफल कोशिश की और जब उत्पीड़न असहनीय हो गया, तो उन्होंने घर छोड़ दिया।
पुलिस ने उसके परिवार के सदस्यों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, उन्हें गिरफ्तार किया और यातनाएं दीं।
अंधाधुंध उत्पीड़न। पुलिस के उत्पीड़न से तंग आकर उन्होंने पुलिस को बताया कि रचपाल सिंह उड़ीसा पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया है। यह झूठ था, लेकिन परिवार पुलिस की यातनाओं से कुछ राहत पाने की कोशिश कर रहा था। झूठ कुछ समय के लिए ही कारगर रहा और जल्द ही पुलिस को पता चल गया कि रचपाल सिंह जीवित है और पंजाब में है। उत्पीड़न और बढ़ गया। पुलिस ने परिवार को अपनी ज़मीन पर खेती नहीं करने दी। पुलिस नियमित रूप से परिवार के सदस्यों और अन्य रिश्तेदारों, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं, को उठाकर प्रताड़ित करती थी। उन्होंने गर्भवती महिलाओं को भी नहीं बख्शा। रचपाल की भाभी, उनके भाई बलराज सिंह की पत्नी और उनके चचेरे भाई तरसेम सिंह की पत्नी ने पुलिस स्टेशन में दो बच्चों को जन्म दिया। रचपाल की तीन बहनों को अक्सर अवैध पुलिस हिरासत में अगवा कर अपमानित किया जाता था। उनके पिता परगत सिंह और भाई बलराज सिंह को लगातार तरन तारन के सीआईए पूछताछ केंद्र में रखा गया। जुलाई 1993 में, तरन तारन पुलिस ने रचपाल के पिता और भाई को रिहा कर दिया। उन्हें उसे ढूंढने और पुलिस के सामने पेश करने के निर्देश दिए गए थे। उन्हें बताया गया था कि अगर वे उसे पकड़ने में सफल नहीं हुए, तो पुलिस हिरासत में मौजूद परिवार के अन्य सदस्यों को खत्म कर दिया जाएगा। लगभग 18 अगस्त 1993 को, ब्यास पुलिस ने परगत सिंह और बलराज सिंह को उनके घर से फिर से गिरफ्तार कर ब्यास पुलिस स्टेशन ले आई। वहां उनकी मुलाकात रचपाल सिंह से हुई। ब्यास पुलिस स्टेशन के एसएचओ और एसपी (ऑपरेशन) बंगा ने उससे उसके छिपे हुए हथियारों के बारे में जानकारी निकलवाने के लिए उसे बेरहमी से प्रताड़ित किया। प्रताड़ना के बाद रचपाल को बेहोशी की हालत में ले जाया गया। परगत सिंह और बलराज सिंह 26 अगस्त 1993 तक ब्यास पुलिस की हिरासत में रहे। लेकिन उन्होंने रचपाल सिंह को फिर कभी नहीं देखा।

रचपाल ब्यास पुलिस के साथ एक "मुठभेड़" में मारा गया, 480 की रात को राख में तब्दील हो गया।

23 और 24 अगस्त 1993 को, जालू खैरा गांव के पास। अगले दिन उनके अंतिम संस्कार के बाद, पुलिस ने उनके सभी रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों को रिहा कर दिया, जो लंबे समय से पुलिस हिरासत में रह रहे थे।
परिवार का कोई भी सदस्य अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सका। वे भी उपस्थित नहीं थे।
रचपाल की अस्थियां एकत्र करने की अनुमति दी गई।
439. क्रमांक 616/175 के अंतर्गत सूची में रुलिया राम, पुत्र बिरसा सिंह मजाबी, निवासी खलचियां, के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो ब्यास पुलिस स्टेशन के एसएचओ सतवंत सिंह द्वारा एफआईआर संख्या 77/93 के तहत 7 सितंबर 1993 को किया गया था। कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है और मृत्यु का कारण "गोली लगने से लगी चोटें" बताया गया है।
समिति ने इस मामले के संबंध में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01333। इस मामले में मुख्य सूचनादाता पीड़िता की विधवा लखबीर कौर और धर्म सिंह हैं, जो उसी मोहल्ले के दो अन्य लड़कों, अरर सिंह और हरजीत सिंह के पिता हैं, जिन्हें लगभग उसी समय अगवा किया गया था और फर्जी मुठभेड़ में मार दिया गया था।
सीसीडीपी को उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पीड़ित का वास्तविक नाम
यह रुलिया सिंह है, न कि रुलिया राम जैसा कि सीबीआई की सूची में दिया गया है। वह अमृतसर जिले के बाबा बकाला उपमंडल के खलचियां गांव में रहने वाले वीरसा सिंह और अमर कौर के पुत्र, 30 वर्षीय मजहबी सिख थे। उनके पिता एक गरीब भूमिहीन किसान थे, जिन्होंने खेतिहर मजदूर के रूप में काम करके अपने परिवार का पालन-पोषण किया। आर्थिक तंगी के कारण रुलिया पांचवीं कक्षा से आगे पढ़ाई नहीं कर पाए और किशोरावस्था में ही परिवार की आय बढ़ाने के लिए दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करने लगे। बाद में, रुलिया ने तांगा चलाना शुरू कर दिया। उनका किसी भी राजनीतिक या उग्रवादी संगठन से कोई संबंध नहीं था, लेकिन पुलिस ने उनसे चोरी के छोटे-मोटे मामलों में संलिप्तता के बारे में कई बार पूछताछ की थी। उन्हें औपचारिक रूप से कभी गिरफ्तार नहीं किया गया। रुलिया सिंह का विवाह लखबीर कौर से हुआ था और उनके पांच बच्चे थे, तीन बेटे और दो बेटियां। सबसे बड़ा बेटा रणजीत सिंह अब 15 वर्ष का है और सबसे छोटी बेटी सुमन 11 वर्ष की है।
अगस्त 1993 के पहले सप्ताह में, वेरोवाल पुलिस स्टेशन के एसएचओ सुबा सिंह ने एक अभियान का नेतृत्व किया।
पुलिस ने गांव में स्थित कई घरों पर छापा मारा, जहां रुलिया सिंह रहता था, और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस रुलिया के पड़ोसियों, धर्म सिंह के बेटों, अरूर सिंह और हरजीत सिंह को भी गिरफ्तार करना चाहती थी। 22 वर्षीय अरूर सिंह और 20 वर्षीय हरजीत मजदूर के रूप में काम करते थे। अरूर सिंह का विवाह निंदर कौर उर्फ रानी से हुआ था और उनके दो बेटे थे, जिनकी उम्र अब 14 और 11 वर्ष है। हरजीत का विवाह बलविंदर कौर से हुआ था और उनकी एक बेटी थी। पुलिस को रुलिया, अरूर सिंह और हरजीत पर चोरी का संदेह था।
जब पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा तो अरूर सिंह और हरजीत दोनों ही वहां मौजूद नहीं थे।

घटनास्थल पर पहुंचकर एसएचओ ने उनकी पत्नियों और सास सहित कई रिश्तेदारों को उनके गांवों से गिरफ्तार किया और उन्हें यातनाएं देकर अरूर सिंह और हरजीत के ठिकाने का खुलासा करने के लिए मजबूर किया। पुलिस ने घर से बरामद सभी घरेलू सामान और गहने भी जब्त कर लिए।
जाहिर तौर पर, रुलिया सिंह को पता था कि हरजीत और उसका भाई अरूर सिंह दोनों वह दिल्ली चला गया था। वेरोवाल पुलिस ने उसे जबरदस्ती अपने साथ चलने को मजबूर किया और उसके सहयोग से अरूर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। हरजीत के बहनोई रविंदर सिंह, जिसे भी अवैध हिरासत में दिल्ली लाया गया था, ने पुलिस को उसे पकड़ने में मदद की।
पुलिस द्वारा इन गिरफ्तारियों के बाद, रुलिया सिंह किसी तरह भाग निकलने में कामयाब हो गई।
पुलिस हिरासत से। इसके बाद पुलिस ने उसकी पत्नी लखविंदर कौर और उसकी मां को उनके पैतृक गांव तुंग से गिरफ्तार कर लिया और उसे खालचियन के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (481)

पुलिस ने उसके परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में उसे गिरफ्तार किया। दशमेश के अरूर सिंह, हरजीत सिंह और मलुक सिंह नामक एक तीसरे व्यक्ति
नागर की हत्या 30 या 31 अगस्त 1993 को एकलगड्डा गांव के पास रची गई एक फर्जी मुठभेड़ में हुई थी। पुलिस ने शवों का क्या किया, यह एक रहस्य है क्योंकि सीबीआई की सूचियों में इन तारीखों के आसपास किसी भी दाह संस्कार का उल्लेख नहीं है। अगस्त की शुरुआत से ही खलचियां पुलिस स्टेशन में हिरासत में रखे गए तीनों व्यक्तियों के परिजनों को मुठभेड़ की खबर के एक दिन बाद रिहा कर दिया गया था।
6 सितंबर 1993 को पुलिस ने खालचियां के पास एक और मुठभेड़ को अंजाम दिया। यह घटना कथित तौर पर रुलिया सिंह की हत्या का कारण बनी। उनकी मृत्यु के बाद, खलचियां पुलिस ने उनकी पत्नी और सास को रिहा कर दिया, जिन्हें रुलिया को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से हिरासत में लिया गया था।
440. क्रमांक 617/176 के अंतर्गत, सूची में मेहता पुलिस स्टेशन के एसएचओ द्वारा 10 सितंबर 1993 को एफआईआर क्रमांक 70/93 के तहत किए गए बीर सिंह, पुत्र लाल सिंह, निवासी मातेवाल के अंतिम संस्कार का उल्लेख है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्रमांक नहीं दिया गया है। मृत्यु का कारण "गोली लगने से हुई चोटें" बताया गया है।
समिति ने घटना रिपोर्ट के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
प्रपत्र संख्या CCDP/01317. इस मामले में मुख्य सूचनादाता पीड़ित की पत्नी वीर कौर हैं।
लाल सिंह और पियार कौर के पुत्र, पचास वर्षीय बीर सिंह, एक मज़हबी सिख थे।
अमृतसर जिले के बाबा बकाला उपमंडल के मत्तेवाल-चोगवां पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मत्तेवाल गांव में रहने वाले बीर सिंह की पत्नी वीर कौर से विवाहित हैं और उनके तीन बच्चे हैं। वे दिहाड़ी मजदूर के रूप में अपना जीवन यापन करते हैं।
हालांकि बीर सिंह एक मज़हबी थे, लेकिन उन्होंने बपतिस्मा प्राप्त सिख धर्म अपना लिया था और वे एक निहंग थे।

उन्होंने अपने गांव के शाम सिंह के खेत में मजदूर के रूप में भी काम किया था, जो बाद में उग्रवादी संगठनों में शामिल हो गया था। 1992 में, काठू नांगल पुलिस ने बीर सिंह को दो बार गिरफ्तार किया था, इस संदेह पर कि उसके सिख उग्रवादियों से संबंध हो सकते हैं। इसके अलावा, उसका कोई राजनीतिक या उग्रवादी संबंध नहीं था और उसे कभी औपचारिक रूप से गिरफ्तार नहीं किया गया था।
7 सितंबर 1993 को बीर सिंह अपनी पत्नी वीर कौर के साथ उनके पैतृक गांव के लिए रवाना हुए।
कपूरथला जिले के बू में रहने वाली वीर कौर के भाई अजैब सिंह का निधन हो गया था और उनके माता-पिता ने अंतिम संस्कार के उपलक्ष्य में एक धार्मिक समारोह और भोज का आयोजन किया था। बीर सिंह और उनकी पत्नी मेहता के मुख्य चौराहे पर बस का इंतजार कर रहे थे, तभी मेहता पुलिस स्टेशन के एसएचओ उधम सिंह के नेतृत्व में पांच-छह पुलिसकर्मियों ने बीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें अपने साथ ले गए। गिरफ्तारी का कारण पूछे जाने पर एसएचओ ने उनकी पत्नी से कहा कि उन्हें जवाब के लिए पुलिस स्टेशन आना होगा। वीर कौर अकेले पुलिस स्टेशन जाने से घबरा रही थी।
अपने भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बजाय, वीर कौर वापस अपने घर चली गई।
वह गांव में जाकर कुछ प्रमुख व्यक्तियों और ग्राम परिषद के सदस्यों को अपने पति की जान बचाने के लिए हस्तक्षेप करने के लिए मनाने की कोशिश करने लगी। उस समय पुलिस का आतंक चरम पर था और गांव से कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। गरीब और अनपढ़ होने के कारण वह अमृतसर शहर के उच्च अधिकारियों या राजनेताओं से हस्तक्षेप और मदद के लिए संपर्क नहीं कर सकी।
तीन दिन बाद, कई समाचार पत्रों ने बीर सिंह के बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित की।
मुठभेड़ में हत्या। परिवार के सदस्य न तो अंतिम संस्कार में शामिल हो सके और न ही उनकी अस्थियां प्राप्त कर सके।
वीर कौर के अनुसार, पुलिस ने एक अलग घटना में उसे भी गिरफ्तार किया था।
कपूरथला जिले के बू गांव के भतीजे बलविंदर सिंह की हत्या कर दी और उसे 482 में राख कर दिया।

फर्जी मुठभेड़। बलविंदर उनके भाई अजैब सिंह का बेटा था, जिनके अंतिम संस्कार में उन्हें 7 सितंबर 1993 को शामिल होने से रोक दिया गया था। 441 – 442. क्रमांक 618/177 और 619/178 के अंतर्गत, सूची में अजनाला पुलिस स्टेशन के एसएचओ द्वारा 17 सितंबर 1993 को एफआईआर क्रमांक 89/93 के तहत किए गए दो शवदाहों का उल्लेख है। ये शव हैं: [1] भजन सिंह, पुत्र नानकु, निवासी ब्राना; और [2] बलबीर सिंह, पुत्र स्वर्ण सिंह, निवासी मलकपुर। बलबीर सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एनडी/849/93 के रूप में चिह्नित किया गया है और दोनों मामलों में मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने बलबीर सिंह के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है। घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01259। बलबीर सिंह की विधवा कुलवंत कौर इस मामले में मुख्य सूचनादाता हैं।
Thirty-year-old Balbir Singh, s/o Swaran Singh and Mohinder Kaur, from village

अकाली दल के सदस्य के रूप में सतनाम ने आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था।
उनकी पार्टी ने 1982 में पंजाब के लिए व्यापक स्वायत्तता प्राप्त करने हेतु आंदोलन शुरू किया था। इस आंदोलन के दौरान उन्हें कई बार गिरफ्तार होना पड़ा। वे पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व वाले उस समूह के सदस्य भी थे, जिसने दिल्ली में भारतीय संविधान की प्रतियां जलाकर उसके अनुच्छेद 25 में संशोधन की मांग की थी, जिसमें सिख समुदाय को हिंदू धार्मिक परिवार की एक शाखा बताया गया था। जून 1984 में जब भारतीय सेना ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर हमला किया, तो सतनाम सिंह ने अपने क्षेत्र के लोगों को इकट्ठा करने और उनके साथ स्वर्ण मंदिर की ओर विरोध जुलूस निकालने में अग्रणी भूमिका निभाई। सेना ने अजनाला से अमृतसर जाने वाली सड़क पर कंबोह-हयेर गांव के जंक्शन के पास जुलूस को रोक दिया। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सेना ने गोलीबारी की और उनके चचेरे भाई रणजीत सिंह, जो धर्म सिंह के पुत्र थे, की मृत्यु हो गई। इन घटनाओं का सतनाम के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा और वे सशस्त्र संघर्ष को संगठित करने में जुट गए, जो अगले वर्षों में और भी उग्र होता चला गया।
सतनाम सिंह, जो 1985 में भूमिगत हो गए थे, नवंबर तक गिरफ्तार नहीं हुए थे। सन् 1993 में, उन्होंने गुरदासपुर जिले के कादियान पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कुहार गांव के सुरजन सिंह की पुत्री बलजीत कौर से दूसरी शादी की।
बलजीत कौर की बहन जसवंत कौर ने बाद में सतनाम के भाई बलकार सिंह से शादी कर ली।
1985 से 1994 तक की इस अवधि में, सतनाम के परिवार को असहनीय अत्याचारों का सामना करना पड़ा।
रिश्ते खराब थे। पुलिस बार-बार उनके घर पर छापा मारकर परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार करती और प्रताड़ित करती थी। पुलिस दूर के रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ती थी। उन्होंने उनके भाइयों और चाचाओं को, जो एक-दूसरे के बगल में रहते थे, अपनी ज़मीनों पर खेती करने से रोक दिया। उन्होंने परिवार की महिलाओं को ताने मारे और गालियां दीं, और उनके बच्चों को स्कूल जाने से रोक दिया।
सतनाम के चचेरे भाई सुखदेव सिंह इन अपमानों को सहन नहीं कर सके।
और वह उग्रवादियों के समूह में शामिल हो गया। 1990 में एक मुठभेड़ में उसकी मृत्यु हो गई।
मई 1992 में, अमृतसर पुलिस ने एक अन्य चचेरे भाई सुचा सिंह, जो कि उनके बेटे थे, का अपहरण कर लिया।
मोहिंदर सिंह को उसके घर से ले जाकर फर्जी मुठभेड़ में उसकी हत्या कर दी गई। सतनाम के सगे भाई बलकार सिंह और उसकी पत्नी जसवंत कौर को 1992 में मत्तेवाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और वे "लापता" हो गए।
22 नवंबर 1993 को, एसएसपी के नेतृत्व में मजीठा पुलिस जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने
परमजीत सिंह गिल और डीएसपी दर्शन सिंह मान ने घरिंदा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत नगर गांव के एक घर से सतनाम को गिरफ्तार किया। जालंधर से प्रकाशित होने वाले अखबार 'आज दी आवाज' में उनकी गिरफ्तारी की खबर छपी। सतनाम को पुलिस हिरासत में दो दिन तक यातनाएं दी गईं और फिर 24 नवंबर 1993 की रात को लोपोके पुलिस स्टेशन के अंतर्गत खिहालन गांव के पास एक फर्जी मुठभेड़ में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

पंजाब में हिंसक अशांति और उसके क्रूर दमन के एक दशक ने कई लोगों की जान ले ली थी।
सतनाम समेत एक ही परिवार के कुल आठ सदस्यों की जान चली गई। इनमें सतनाम के तीन चचेरे भाई - रणजीत सिंह, सुखदेव सिंह और सुचा सिंह; उनके भाई बलकार सिंह और पत्नी जसवंत कौर; और उनके दो बहनोई, गुरदीप सिंह और कुलदीप सिंह शामिल हैं, जो गुरदासपुर जिले के कादियान पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कुहार गांव के सुरजन सिंह के पुत्र थे।
क्रमांक 623/180 के अंतर्गत सूची में सुखदेव सिंह 484 के दाह संस्कार का उल्लेख है, जो राख में तब्दील हो गए थे।

सुखा उर्फ, करम सिंह का पुत्र, कथू नांगल निवासी, की हत्या 4 जनवरी 1994 को मेहता पुलिस स्टेशन के एसएचओ द्वारा की गई थी। सूची में एफआईआर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट संख्या दर्ज नहीं है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने इस मामले के संबंध में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/00758। इस मामले में मुख्य सूचनादाता पीड़िता की मां स्वर्ण कौर हैं।
करम सिंह और स्वर्ण कौर के पुत्र, 28 वर्षीय सुखदेव सिंह थे।
सुखदेव अमृतसर जिले के काठू नांगल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जैंतीपुर डाकघर के चाचोवाली गांव की पट्टी रामल की बस्ती के निवासी हैं। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद सुखदेव अपने पिता के साथ खेती-बाड़ी के काम में मदद करने लगे। उनका विवाह रंजीत कौर से हुआ था। उनके दो बच्चे हैं; बेटी प्रभजोत कौर, जो अब 11 वर्ष की हैं, और बेटा रंजोद सिंह, जो 10 वर्ष का है। सुखदेव को पहली बार 1988 में बटाला के सदर पुलिस स्टेशन ने गिरफ्तार किया था।
उन्हें 10 दिनों तक अवैध रूप से हिरासत में रखा गया और प्रताड़ित किया गया। ग्राम परिषद के सदस्यों ने हस्तक्षेप किया और उन्हें पुलिस हिरासत से रिहा कराने में सफल रहे। कुछ सप्ताह बाद, काठू नांगल पुलिस ने उन्हें उनके घर से गिरफ्तार कर लिया और फिर 15 दिनों तक प्रताड़ित किया। दूसरी बार अवैध हिरासत में लिए जाने के तुरंत बाद, काठू नांगल पुलिस द्वारा उनकी तीसरी गिरफ्तारी के बाद, सुखदेव पर टीएडीए के तहत आरोप लगाया गया और संगरूर जेल भेज दिया गया। सात महीने बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया, लेकिन जेल से बाहर आने के सात दिन बाद ही, काठू नांगल पुलिस के एसएचओ दिलबाग सिंह और एएसआई अमरिक सिंह ने उनके घर पर छापा मारा और उन्हें अगले 20 दिनों तक हिरासत में रखकर प्रताड़ित किया। एक बार फिर, ग्राम परिषद ने हस्तक्षेप किया और उन्हें अवैध हिरासत से रिहा करा लिया। लेकिन पुलिस का दमन थम नहीं पाया। अंततः, सुखदेव ने घर छोड़ने और उग्रवादियों से जुड़ने का फैसला किया।
अब उनके परिवार के सदस्यों की बारी थी अत्याचार सहने की। एसएचओ दिलबाग सिंह, एएसआई अमरिक सिंह और एसआई महिंदर सिंह फौजी नियमित रूप से सुखदेव के पिता करम सिंह, माता स्वर्ण कौर और भाई नरिंदर सिंह को उठा ले जाते, उन्हें हफ्तों तक अवैध हिरासत में रखते और सुखदेव के ठिकाने के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए उन पर बेरहमी से अत्याचार करते थे। ये अधिकारी नियमित रूप से सुखदेव के घर जाते और उसकी मां का अपमान करते, गांव वालों के सामने

In October 1993, SHO Dilbagh Singh, SI Mahinder Singh Fauji and ASI Amrik

In 1994 the Court issued notice, which the Court refused to

(485)

1. Section 03/06 of Section 19 1987 50/87 68/87 "Section" CCDP/01194.

Ranjit Singh, son of Fauja Singh and Mohinder Kaur, from Tarsikka village, Patti

1984

किए जाने से पहले मंदिर परिसर से निकलने में कामयाब रहा और उसके बाद भूमिगत उग्रवादी आंदोलन का एक सक्रिय सदस्य बना रहा।
मार्च 1987 में, रणजीत आनंदपुर साहिब में एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बस से यात्रा कर रहे थे।
होला मोहल्ला उत्सव के दौरान गुरु गोविंद सिंह द्वारा 1699 में खालसा सिख संप्रदाय की स्थापना की स्मृति में कार्यक्रम चल रहा था। रास्ते में, तरन तारन पुलिस ने रणजीत को गिरफ्तार कर लिया। रणजीत के साथी, जो पुलिस से बच निकलने में कामयाब रहे, उनकी गिरफ्तारी के साक्षी बने। उनकी गिरफ्तारी की खबर अगले दिन कई पंजाबी अखबारों में प्रकाशित हुई। पांच दिन बाद, पुलिस ने तरन तारन के पास शेरोन गांव में एक फर्जी मुठभेड़ में रणजीत को मार गिराया। विभिन्न अखबारों ने भी कथित मुठभेड़ में उनकी हत्या की खबर दी। मोहिंदर कौर के अनुसार, पुलिस ने सभी सदस्यों पर अमानवीय यातनाएं दीं। अपने बेटे के भूमिगत रहने के दौरान परिवार की देखभाल करने वाली मोहिंदर कौर को खुद अवैध पुलिस हिरासत में बेरहमी से प्रताड़ित किया गया था।
2. क्रमांक 08/56 के अंतर्गत सीबीआई की सूची में बेरा सिंह जाट के पुत्र तेजा सिंह की आंशिक पहचान दर्ज है, जिनका अंतिम संस्कार तरन तारन के सदर पुलिस स्टेशन के एसएचओ सुरिंदर सिंह द्वारा 5 नवंबर 1988 को एफआईआर क्रमांक 146/88 के तहत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्रमांक पीएस-67/88 है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने अपने स्रोतों से इस मामले के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01242। इस मामले में मुख्य सूचनादाता पीड़िता की मां मनजीत कौर हैं।
दलबीर सिंह और मनजीत कौर के पुत्र तेगा सिंह गांव के एक किसान थे।
कांग, अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल के तरन तारन सदर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता था। वह विवाहित था, हालांकि उसकी पत्नी ने बाद में पुनर्विवाह कर लिया था।
1988 की शुरुआत में, तरन तारन के सदर पुलिस ने दलबीर सिंह के 486 रिड्यूस्ड टू एशेज नामक घर पर छापेमारी शुरू की।

दलबीर सिंह को गिरफ्तार करने के प्रयास में पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा। पहली बार जब पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा, तो दलबीर सिंह घर पर नहीं थे, इसलिए पुलिस और सीआरपीएफ ने उनके दो बेटों, तेगा सिंह और सुबेग सिंह का अपहरण कर लिया। पुलिस ने दोनों को बेरहमी से प्रताड़ित किया। तीसरे दिन, पंचायत के हस्तक्षेप पर पुलिस ने तेगा सिंह को इस शर्त पर रिहा कर दिया कि परिवार दलबीर सिंह को ढूंढकर पुलिस के सामने पेश करेगा। कुछ दिनों बाद, सुबेग सिंह को भी रिहा कर दिया गया, क्योंकि उन्हें मैट्रिक की परीक्षा देनी थी।
पुलिस ने आरोप लगाया कि परिवार आतंकवादियों को शरण और भोजन दे रहा था। परिवार के सदस्यों ने बताया कि उनका घर खेतों में स्थित होने के कारण वे आतंकवादियों को आश्रय और भोजन देने से इनकार नहीं कर सकते थे। उन दिनों आतंकवादी अक्सर खेतों में रहने वालों के घरों में जाकर भोजन की मांग करते थे। तेगा सिंह और सुबेग सिंह को पुलिस ने इस शर्त पर रिहा किया था कि वे प्रतिदिन गांव के पुलिस चौकी में हाजिरी लगाएंगे। पुलिस द्वारा उनके घर पर लगातार छापे मारे जाने के कारण परिवार ने दिल्ली में दलबीर सिंह के भाई

गुरदयाल सिंह के घर जाने का फैसला किया, जो वहां ट्रक चलाते थे। दलबीर सिंह भी दिल्ली में उनके साथ आ गए।
30 या 31 अक्टूबर 1988 को तरन तारन पुलिस दलबीर सिंह, टेगा को लेकर आई। दिल्ली के लालपुरा निवासी दलबीर सिंह, गुरदयाल सिंह और दारा सिंह को छोड़ दिया गया। मनजीत कौर और उनके छोटे बच्चे उत्तर प्रदेश में अपने माता-पिता के घर चले गए। तरनतारन पुलिस ने दलबीर सिंह और उनके बेटे तेगा सिंह को 4-5 नवंबर 1988 को पाखो के गांव के पास एक "मुठभेड़" में मृत बताया। परिवार को इसकी जानकारी 6 नवंबर 1988 को पंजाबी दैनिक अजीत में प्रकाशित एक रिपोर्ट से मिली।
अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, पांच संदिग्ध आतंकवादियों में से दो मारे गए। तरन तारन क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादी की पहचान हो गई है। तरन तारन के एसएसपी संजीव गुप्ता ने बताया कि पाखो के गांव में हुई मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादियों में से एक की पहचान कांग गांव के बलबीर सिंह उर्फ बीरा के रूप में हुई है।
परिवार को नहीं पता कि पुलिस ने दलबीर सिंह के शवों का निपटान कैसे किया।
और टेगा सिंह।
पुलिस ने गुरदयाल सिंह और लालपुरा के ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज किया।
और उन्हें जेल भेज दिया गया। गुरदयाल सिंह को छह महीने बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया।
सितंबर 1989 में, दलबीर सिंह के छोटे बेटे सुबेग सिंह ने जाने का फैसला किया।
अपने घर और ज़मीन की देखभाल के लिए वह अपने गाँव गया। पहले वह अपनी मौसी के घर तलवंडी शोभा सिंह वाली के घर गया और रात वहीं बिताई। अगले दिन वह बस से अमृतसर के लिए रवाना हुआ। रास्ते में, झब्बल के पास, पुलिस ने उसे बस से उतारकर गिरफ्तार कर लिया। बाद में, परिवार वालों ने अखबारों में खबर पढ़ी कि सुबेग सिंह नाम का एक आतंकवादी पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया है। परिवार पुलिस से इतना डरा हुआ था कि उन्होंने घर लौटने की हिम्मत नहीं की। 1990 तक। इसके बावजूद, पुलिस उनके घर पर छापे मारती रही। वे दलबीर सिंह के भाई गुरदयाल सिंह को उठा ले जाते थे। परिणामस्वरूप, गुरदयाल सिंह ने घर छोड़ दिया और अब मुंबई (महाराष्ट्र) में रहते हैं।
पुलिस ने दलबीर सिंह के सबसे छोटे बेटे मेजर सिंह को भी हिरासत में ले लिया। परिवार
बताया जाता है कि गांव में एक ऐसा समूह था जो झूठी जानकारी फैलाकर पुलिस को उनके खिलाफ भड़का देता था। हर बार परिवार को मेजर सिंह, जो अभी स्कूल में पढ़ रहे थे, को छुड़वाने के लिए पुलिस को रिश्वत देनी पड़ती थी। इसी वजह से परिवार को एक एकड़ जमीन बेचनी पड़ी।
सीबीआई ने सीरियल नंबर 26/57 के तहत दलबीर सिंह की पूरी पहचान की, लेकिन केवल आंशिक रूप से।
उन्होंने अपने बेटे की पहचान कर ली है। उनके साथ कथित तौर पर मारे गए अन्य व्यक्तियों की पहचान अभी तक ज्ञात नहीं है।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (487)

3. क्रमांक 13/170 के अंतर्गत सीबीआई की सूची में जानिया निवासी सुखदेव सिंह उर्फ सुखा की आंशिक पहचान दर्ज है, जिनका अंतिम संस्कार तरन तारन के सदर पुलिस स्टेशन के शीर्ष कांस्टेबल दीदार सिंह द्वारा 3 मार्च 1990 को

एफआईआर संख्या 1/90 के तहत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट संख्या पीएस-19/90 है। मृत्यु का कारण "गोलीबारी से लगी चोटें/मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने अपने स्रोतों से इस मामले के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/00476. इस मामले में मुख्य सूचनादाता पीड़िता की मां हरभजन कौर हैं।
सत्रह वर्षीय सुखजिंदर सिंह उर्फ सुखा, जो अजैब सिंह और उनके बेटे हैं। हरभजन कौर, अमृतसर जिले के जंडियाला गुरु पुलिस स्टेशन के अंतर्गत बुंडाला डाकघर वाले जनियां गांव की निवासी एक किसान थीं। सुखजिंदर किसी भी उग्रवादी या राजनीतिक समूह से औपचारिक रूप से संबद्ध नहीं थे। उन्होंने सिमरनजीत सिंह मान का समर्थन किया और 1989 में उनके लिए प्रचार में समय बिताया। सुखजिंदर अपने गांव में आयोजित धार्मिक कार्यक्रमों में भी नियमित रूप से भाग लेते थे। वे चंदा इकट्ठा करते थे और लंगर का आयोजन करते थे, संदिग्ध इरादों वाले लोगों से दूर रहते थे। सुखजिंदर अपने चाचा के परिवहन व्यवसाय वाले इलाके असम गए थे और फांसी से दो महीने पहले तक वहीं रहे थे।
लगभग 18 फरवरी 1990 को, सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच, पुलिस की एक बड़ी टीम ने...
उसके गांव पर धावा बोल दिया गया। हालांकि बाजार में घूम रहे सभी युवक भाग गए, सुखजिंदर वहीं रुका रहा। उसके बाद वह लापता हो गया और उसका परिवार उसका पता नहीं लगा सका।
2 मार्च 1990 को, पुलिस ने दीनवाल रोड के पास एक झूठे मुठभेड़ में उसे मार डाला।
जहांगीर गांव में तीन अन्य कथित आतंकवादियों के साथ सुखजिंदर को भी मार गिराया गया। पुलिस ने सुखजिंदर को अज्ञात आतंकवादी घोषित कर दिया। मारे गए अन्य कथित आतंकवादियों की पहचान जंडियाला के सज्जल सिंह के पुत्र भूपिंदर सिंह फुला, जंडियाला के हरभजन सिंह के पुत्र रणजीत सिंह बिट्टा और दिलबाग सिंह बग्गा के रूप में हुई। समाचार पत्रों ने 3 मार्च 1990 को हुई मुठभेड़ के पुलिस संस्करण को चारों कथित आतंकवादियों की तस्वीरों के साथ प्रकाशित किया। अन्य शवों का क्या हुआ, यह अज्ञात है।
सुखजिंदर की मृत्यु के बाद, उनके छोटे भाई बलविंदर सिंह बीमार पड़ गए और उन्हें...
दवाइयाँ लेना शुरू कर दिया गया। तीन महीने की बीमारी के बाद, बलविंदर को अमृतसर के गुरु नानक अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ उनका निधन हो गया। अपने दोनों बेटों की मृत्यु के बाद, उनके पिता अजैब सिंह पूरी तरह चुप हो गए और फिर कभी नहीं बोले।
4. क्रमांक 19/269 के अंतर्गत सीबीआई की सूची में परमजीत सिंह उर्फ सदा सिंह जाट, निवासी कंबो, की आंशिक पहचान दर्ज है, जिनका अंतिम संस्कार तरन तारन के सदर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर जोगिंदर सिंह द्वारा 22 अक्टूबर 1990 को एफआईआर संख्या 94/90 के तहत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट संख्या पीएस-67/90 है। मृत्यु का कारण मुठभेड़ बताया गया है।
समिति ने अपने स्रोतों से इस मामले के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।

घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01371. इस मामले में मुख्य सूचनादाता पीड़ित के पिता साधु सिंह हैं।
साधु सिंह और सुरिंदर कौर के बेटे, अठारह वर्षीय परमजीत सिंह, एक
परमजीत अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल के झब्बल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मालूवाल डाकघर के गांव के निवासी थे। वे अमृतधारी सिख थे। उस समय पंजाब में चल रहे उग्रवादी और राजनीतिक आंदोलन में परमजीत की गहरी रुचि थी। वे अक्सर धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग लेते थे।
488 राख में तब्दील

परमजीत लगभग 16 अक्टूबर 1990 को घर से निकला था। वह कई दिनों तक वापस नहीं लौटा।
कुछ दिनों बाद, 21 अक्टूबर को उनके परिवार को पता चला कि तरन तारन के सदर पुलिस ने दुगारी गांव के पास परमजीत और तीन अन्य युवकों की हत्या कर दी है। मारे गए अन्य लोग जवंदे निवासी गुरवेल सिंह, पाखो के निवासी मंगल सिंह और धरार निवासी हरभेज सिंह थे। यह सूचना मिलने पर परिवार ने तरन तारन में पूछताछ की और पता चला कि पुलिस ने शवों का अंतिम संस्कार तरन तारन श्मशान घाट में कर दिया था।
अगले दिन, अन्य युवकों के परिजनों भी उपस्थित थे।
श्मशान घाट। वे कथित पुलिस मुठभेड़ स्थल पर गए थे। उन्होंने परमजीत के पिता साधु सिंह को बताया कि पुलिस ने दुगारी गांव की घेराबंदी करने के बाद युवकों को गिरफ्तार किया था। हालांकि, पुलिस जिन आतंकवादियों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, वे भाग निकले। पुलिस ने इन युवकों को मार डाला। पुलिस ने उनकी पहचान दर्ज की थी, जिससे पता चलता है कि पुलिस ने उन्हें मारने से पहले उनके नाम और पते पूछे थे।
सीबीआई द्वारा चिन्हित शवदाह स्थलों की पहली सूची में मंगल के शवदाह का भी उल्लेख है।
पाखोके निवासी जोगिंदर सिंह के पुत्र सिंह; धारार निवासी अंग्रेज सिंह के पुत्र हरभेज सिंह; और जवंदे निवासी जोगिंदर सिंह के पुत्र गुरवेल सिंह, जिनके खिलाफ क्रमांक 92/267, 93/268 और 94/270 के तहत मामला दर्ज किया गया था, का अंतिम संस्कार तरन तारन के सदर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर जोगिंदर सिंह द्वारा एक ही एफआईआर संख्या 94/90 के तहत किया गया था। उनके मामलों का विवरण संबंधित अनुभाग में दिया गया है।
5. क्रमांक 21/284(ए) के अंतर्गत सीबीआई की सूची में आंशिक रूप से बलवंत सिंह उर्फ बंका, निवासी पंडोरी सिदवान की पहचान की गई है, जिसका अंतिम संस्कार तरन तारन के सदर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर जगदीश सिंह द्वारा 6 नवंबर 1990 को एफआईआर संख्या 107/90 के तहत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट संख्या पीके-5/90 है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने अपने स्रोतों से इस मामले के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01369. इस मामले में मुख्य सूचनादाता पीड़ित का भाई बलविंदर सिंह है।
गुरदीप सिंह और गुरबचन कौर के पुत्र, बाईस वर्षीय बलवंत सिंह,
बलवंत सिंह अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल के झब्बल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पंडोरी रन सिंह डाकघर वाले पंडोरी सिधवां गांव के निवासी एक

गुरदीप अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल के तरन तारन सदर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत लेहंदी पट्टी के पाखो के गांव का निवासी था। उसने स्कूल छोड़कर दर्जी का काम शुरू किया और अपनी दुकान खोली। वह अविवाहित था और अपने माता- पिता के साथ रहता था। सविंदर कौर के अनुसार, उनका बेटा किसी भी राजनीतिक या उग्रवादी गतिविधि में शामिल नहीं था। हत्या से पहले उसे कभी गिरफ्तार या पूछताछ नहीं की गई थी।

28 नवंबर 1990 को सुबह लगभग 9 बजे, गुरदीप कुछ सामान खरीदने के लिए तरन तारन गया था।

गुरदीप अपनी दुकान के लिए कुछ सामान लेने गया था, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटा। गुरदीप की माँ बहुत चिंतित हो गईं और पूछताछ करने लगीं। गाँव में किसी ने बताया कि सदर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने गुरदीप को तरनतारन शहर में गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें उम्मीद थी कि यह बात महज़ अफवाह होगी।

29 नवंबर 1990 की दोपहर को गुरदीप के परिवार को पता चला कि वह

मुठभेड़ में कुछ अन्य लोगों के साथ मारे गए थे। सविंदर कौर तुरंत तरन तारन पुलिस स्टेशन पहुंचीं और उन्हें पता चला कि शवों को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया है। जब वह श्मशान घाट पहुंचीं, तब तक पुलिसकर्मी घटनास्थल से जा चुके थे। चिताएं अभी भी जल रही थीं। श्मशान घाट के कर्मचारियों ने उन्हें बताया कि पुलिस दो शव लेकर आई थी।

30 नवंबर 1990 को, कई पंजाबी समाचार पत्रों ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जो इस पर आधारित थी:

पुलिस सूत्रों के अनुसार, तरनतारन पुलिस ने होशियारपुर जिले के बघेल सिंह समेत दो आतंकवादियों को मार गिराया है। रिपोर्ट में मुठभेड़ में मारे गए दूसरे व्यक्ति की पहचान गुरदीप सिंह के रूप में की गई है।

यह पता नहीं चल पाया है कि बघेल सिंह और मुख्तियार सिंह एक ही पद पर क्यों हैं।

मृत्यु रिपोर्ट क्रमांक एसएस-37/90।

490 राख में तब्दील

8. क्रमांक 27/359 के अंतर्गत, सीबीआई की सूची में तलवंडी चंचक निवासी सलविंदर सिंह उर्फ संधू के 21 मार्च 1991 को हुए अंतिम संस्कार का आंशिक उल्लेख है, जिसे वाल्टोहा पुलिस स्टेशन के एसएचओ सुरिंदर सिंह ने एफआईआर संख्या 25/91, दिनांक 20 मार्च 1991 के तहत संपन्न कराया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्रमांक लागू नहीं है। मृत्यु का कारण "साइनाइड का सेवन" बताया गया है।
समिति ने अपने स्रोतों से इस मामले के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01373। इस मामले में मुख्य सूचनादाता पीड़िता की पत्नी जसबीर कौर हैं।
उनतीस वर्षीय सतिंदर सिंह उर्फ सलविंदर सिंह, प्रीतम सिंह के पुत्र हैं। सतिंदर सिंह और उनकी पत्नी जसबीर कौर, अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के पट्टी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत घरियाला डाकघर वाले तलवंडी मुत्सद्दा सिंह गांव के निवासी थे। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा पूरी कर ली थी। सतिंदर सिंह का विवाह जसबीर कौर से हुआ था और उनके दो बेटे और एक बेटी थी। सतिंदर सिंह किसान थे।
सतिंदर सिंह के पिता प्रीतम सिंह भारतीय पुलिस बल के सेवानिवृत्त सूबेदार हैं।
उनके बड़े बेटे भूपिंदर सिंह भी भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सूबेदार हैं। छोटा बेटा सतिंदर कृषि कार्य में लगा हुआ था। सतिंदर सिंह का कोई राजनीतिक या उग्रवादी पृष्ठभूमि नहीं थी। पुलिस ने उन्हें कभी गिरफ्तार नहीं किया था और न ही उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज किया था।
20 मार्च 1991 को शाम लगभग 5 बजे, वाल्टोहा पुलिस ने तीन वाहनों में सवार होकर छापा मारा।
सतिंदर सिंह अपने गांव में खेतों की ओर जा रहे थे। पुलिस दल ने उन्हें पकड़ लिया और उनके घर ले आया। उन्होंने आधे घंटे तक घर की तलाशी ली। तलाशी के दौरान सतिंदर सिंह पुलिस के पास खड़े रहे। पुलिस की तलाशी के दौरान ग्रामीण भी वहां जमा हो गए। घर से कुछ भी आपत्तिजनक बरामद नहीं हुआ। इसके बाद पुलिस सतिंदर सिंह को गांव की समिति के गोदाम में ले गई। रास्ते में उन्होंने सतिंदर सिंह को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। सतिंदर सिंह पर हो रहे अत्याचार का विरोध करने वाले ग्रामीणों को पुलिस ने थप्पड़ मारे। पुलिस ने सतिंदर सिंह को लाठियों से पीटते हुए सुरजीत सिंह झंकार नामक एक उग्रवादी के बारे में जानकारी मांगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सतिंदर सिंह के घर में रहकर सुरजीत सिंह झंकार का इलाज हुआ था। ग्रामीणों के प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पिटाई से सतिंदर सिंह की हालत गंभीर हो गई। इसके बाद पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाया और ले गई। अगले दिन, परिवार के सदस्य, गाँव के प्रतिष्ठित लोग और एक ट्रैक्टर भरकर लोग वहाँ पहुँचे।
लोग वाल्टोहा पुलिस स्टेशन गए। वाल्टोहा के एसएचओ सुरिंदर सिंह ने उन्हें पट्टी में पूछताछ करने को कहा। जब ग्रामीण पट्टी पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि सतिंदर सिंह वहां नहीं हैं। फिर वे अस्पताल गए जहां उन्हें पता चला कि वाल्टोहा पुलिस एक व्यक्ति का पोस्टमार्टम करके अभी-अभी वहां से निकली है। ग्रामीण तुरंत पट्टी के श्मशान घाट पहुंचे। पुलिस ने अभी-अभी चिता को

[illegible]
[illegible]
9-15. [illegible] 28/404, 29/405, 30/406, 31/407, 32/408, 33/410 [illegible] 34/411 [illegible], [illegible] [illegible] 9 [illegible] 1991 [illegible] 66/91 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]: [1] [illegible], [illegible], [2] [illegible], [illegible], [3] [illegible], [illegible], [illegible], [4] [illegible], [illegible], [5]
[illegible] (491)

[illegible] HK-31/91, HK-59/91, HK-14/91, HK-28/91, HK-29/91, HK-14/91 [illegible] HK-14/91 [illegible] HK-14/91 [illegible] "[illegible]" [illegible] "[illegible]" [illegible]
[illegible] CCDP/01358[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

सिंह एक उग्रवादी था। यह अज्ञात है कि पुलिस ने उसी एफआईआर नंबर के तहत छह अन्य लोगों का अंतिम संस्कार क्यों किया।
क्रमांक 38/429, 39/430 और 40/431 के तहत सीबीआई की सूची में तरन तारन के सिटी पुलिस स्टेशन द्वारा 4 जून 1991 को एफआईआर संख्या 79/91 के अंतर्गत अंतिम संस्कार किए गए तीन व्यक्तियों की आंशिक पहचान की गई है। एसआई गुलजार सिंह ने संदीप सिंह उर्फ हैप्पी के अंतिम संस्कार का आदेश दिया था। इंस्पेक्टर/एसएचओ जगदीश सिंह ने रुरसाल निवासी बलदेव सिंह और मालिया निवासी परमजीत सिंह के अंतिम संस्कार का आदेश दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट संख्या जीएसडी-17/91, जीएसडी-18/91 और जीएसडी-19/91 हैं। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने इन मामलों के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01359 है। इस मामले में मुख्य सूचनादाता बलदेव सिंह के पिता कंधारा सिंह हैं।
कंधारा सिंह और अमर कौर के अठारह वर्षीय पुत्र बलदेव सिंह एक
अमृतसर जिले के तरन तारन सदर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत तरन तारन डाकघर के रूरे असल गांव का निवासी। वह तरन तारन में एक डॉक्टर के सहायक के रूप में कंपाउंडर या दवा विक्रेता का काम करता था। बलदेव के दो भाई थे। बलदेव प्रतिदिन काम पर जाता था। 492 राख में तब्दील हो गया

वह हर शाम साइकिल से लौटता था। उसका कोई राजनीतिक या उग्रवादी पृष्ठभूमि नहीं थी, और उसे पुलिस ने कभी गिरफ्तार नहीं किया था।
3 जून 1991 को, सुबह लगभग 8 बजे, बलदेव सिंह हमेशा की तरह काम पर जाने के लिए निकले, लेकिन वे वहाँ नहीं पहुँचे।
उस रात बलदेव घर लौट आया। अगली सुबह जब बलदेव के परिवार ने उस डॉक्टर के क्लिनिक से संपर्क किया जहाँ बलदेव काम करता था, तो उन्हें बताया गया कि बलदेव हमेशा की तरह शाम को काम के बाद घर चला गया था। उसी दिन दोपहर को बलदेव के परिवार को सूचना मिली कि बलदेव सिंह उन अन्य लड़कों में से एक था जिन्हें दीनपुर गाँव के पास पुलिस मुठभेड़ में मार दिया गया था। दो-तीन दिनों तक परिवार ने इस घटना के बारे में और अधिक जानने की कोशिश की। चौथे दिन, तरन तारन के सदर पुलिस स्टेशन के एसएचओ मेजर सिंह ने बलदेव के एक रिश्तेदार को बताया कि बलदेव वास्तव में दीनपुर गाँव के पास मारा गया था और पुलिस ने 4 जून 1991 को उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया था। इसके बाद परिवार ने तरन तारन श्मशान घाट से उसकी अस्थियाँ प्राप्त कीं।
बलदेव सिंह के परिवार को लगता है कि बलदेव की हत्या की साजिश रची गई होगी। गांव के कुछ लोग जिनसे उनका जमीन को लेकर विवाद था। बलदेव की मृत्यु के बाद भी, पुलिस ने विवाद करने वाले व्यक्ति के कहने पर कंधरा सिंह और उनके बेटों को गिरफ्तार कर बेरहमी से प्रताड़ित किया। यह पक्ष उनके खिलाफ पुलिस में झूठी शिकायतें दर्ज कराता था।
19-20. क्रमांक 43/496 और 44/497 के तहत, सीबीआई की सूची में तरन तारन के सदर पुलिस स्टेशन के जोहर सिंह द्वारा 19 अगस्त 1991 को एफआईआर संख्या 107/91 के अंतर्गत किए गए दो शवदाहों की आंशिक पहचान की गई है। वे हैं: [1] तरसेम सिंह उर्फ लाधी, निवासी खालरा, और [2] बलदेव सिंह, निवासी मेहरबानपुरा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट संख्याएँ एसके-2/91 और एसके-3/91 हैं। मृत्यु का कारण "आगमन से लगी चोटें" बताया गया है।
समिति ने इन मामलों के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।

घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01473। इस मामले में मुख्य सूचनादाता तरसेम सिंह के पिता निर्मल सिंह हैं।
तरसेम सिंह उर्फ लाडी, निवासी गांव ठट्टा, डाकघर सरहल्ली कलां।
अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल के हरिके पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाला 17 वर्षीय युवक निर्मल सिंह और हरजिंदर कौर का सबसे बड़ा पुत्र था।
दो पुत्रों और एक पुत्री के पिता निर्मल सिंह इलाके के एक समृद्ध किसान होने के साथ-साथ अनाज व्यापारी भी थे।
1989 में, तरसेम को फिरोजपुर पुलिस ने उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वह अपने घर जा रहा था।
तरसेम के नाना-नानी अरानीवाला गांव में रहते थे। उस पर टाडा और शस्त्र अधिनियम के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। उस समय वह आठवीं कक्षा का छात्र था। तरसेम नौ महीने जेल में रहा और जमानत पर रिहा होने के बाद उसने अपने पिता को कृषि कार्यों में मदद करना शुरू कर दिया।
18 अगस्त 1991 को सुबह लगभग 5 बजे, एक बड़ी पुलिस टुकड़ी, जिसमें एक इकाई भी शामिल थी, ने कार्रवाई की।
सीआरपीएफ ने निर्मल सिंह के घर पर छापा मारा और तरसेम को उनके फार्महाउस से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारियों ने निर्मल सिंह को बताया कि उनके बेटे से अमृतसर स्थित सीआईए स्टाफ सेंटर में पूछताछ की जानी है। हालांकि, जब निर्मल सिंह अपने परिवार के अन्य सदस्यों और गांव के बुजुर्गों के साथ अमृतसर गए, तो उन्हें तरसेम के ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। वे मॉल मंडी और बी.आर. मॉडल स्कूल के पूछताछ केंद्रों में भी गए, लेकिन वहां के अधिकारियों ने बताया कि तरसेम उनके पास नहीं है।
20 अगस्त 1991 को पंजाब के समाचार पत्रों में एक मुठभेड़ के बारे में रिपोर्ट प्रकाशित हुई।
उस घटना में तरसेम सिंह, मेहरबानपुर निवासी बलदेव सिंह निक्कू और देवू निवासी बिक्कर सिंह उर्फ बिक्रम की हत्या कर दी गई थी।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (493)

यह मुठभेड़ कथित तौर पर देओ गांव के पास हुई थी। रिपोर्ट पढ़ने के बाद निर्मल सिंह ने दोबारा तरन तारन पुलिस से संपर्क किया और उन्हें बताया गया कि शवों का अंतिम संस्कार हो चुका है। उन्हें राख लेने की अनुमति दी गई। बिक्कर सिंह का अंतिम संस्कार 19 अगस्त 1991 को तरन के जोहर सिंह द्वारा संपन्न किया गया।
तारन के सदर पुलिस स्टेशन में एफआईआर संख्या 107/91 के तहत दर्ज शवों का अंतिम संस्कार सीबीआई की पहचान की गई शवदाहों की सूची में शामिल है। इस मामले पर सूची में शामिल मामलों से संबंधित अनुभाग में चर्चा की गई है। सीबीआई ने तारन के सदर पुलिस स्टेशन के जोहर सिंह द्वारा उसी एफआईआर के तहत किए गए तरसेम सिंह उर्फ लाडी और बलदेव सिंह के अंतिम संस्कारों को, कुछ अजीब कारणों से, आंशिक रूप से पहचाने गए शवदाहों की सूची में क्रमांक 43/496 और 44/497 के तहत शामिल कर लिया है। साथ ही, सूची में उनके निवास स्थान को गलत तरीके से खालरा बताया गया है।
निर्मल सिंह के अनुसार, पुलिस ने बाद में उनके बहनोई हरदीप को गिरफ्तार कर लिया।
सिंह, जो कि थट्टा गांव का निवासी करम सिंह का पुत्र था, ने उसे भी फर्जी मुठभेड़ में मार डाला।

21. क्रमांक 46/533 के अंतर्गत, सीबीआई की सूची में कोहरका निवासी बलबीर सिंह उर्फ बीरा उर्फ जोंटी के अंतिम संस्कार का आंशिक उल्लेख है, जो पट्टी पुलिस स्टेशन के एसआई/एसएचओ राम नाथ द्वारा 27 सितंबर 1991 को एफआईआर क्रमांक 139/91 के तहत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कोई क्रमांक नहीं है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने अपने स्रोतों से इस मामले के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01506। इस मामले में मुख्य सूचनादाता पीड़ित का बड़ा भाई जस्सा सिंह है।
अठारह वर्षीय बलबीर सिंह उर्फ बीरा, दलेर सिंह और बचन कौर का पुत्र। अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के पट्टी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत शाहबाजपुर डाकघर वाले कुहारका गांव का निवासी, बलबीर चार किसान भाइयों में सबसे छोटा था, जिनके माता-पिता का देहांत हो चुका था। उसके बड़े भाई जस्सा सिंह के अनुसार, बलबीर का उग्रवादी आंदोलन से कोई संबंध नहीं था और शराबी होने के कारण रूढ़िवादी सिख समुदाय में उसे तिरस्कृत किया जाता था। वह अविवाहित था और पुलिस ने उसे कभी गिरफ्तार या पूछताछ नहीं की थी।
23 सितंबर 1991 को, पट्टी पुलिस स्टेशन से अधिकारियों का एक बड़ा दल आया। कैरों पुलिस चौकी ने कुहारका गांव में संदिग्ध आतंकवादियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए तलाशी अभियान चलाया। उस दिन बलबीर नशे में था और पुलिस को देखकर घबरा गया और अपने घर की ओर भागने लगा। कुछ पुलिसकर्मियों ने यह देखा और उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंचे और उसे हिरासत में ले लिया। अभियान के बाद, बलबीर को पुलिस जीप में धकेल कर कई ग्रामीणों के सामने ले जाया गया।
अगले दिन, ग्राम परिषद के प्रमुख ने एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया जिसमें शामिल थे
परिवार के सदस्यों और अन्य ग्रामीणों ने कैरों पुलिस चौकी से संपर्क किया, जहां अधिकारियों ने बताया कि बलबीर उनकी हिरासत में नहीं है। पट्टी पुलिस ने भी कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया।
गिरफ्तारी के तीन दिन बाद, बलबीर को एक फर्जी मुठभेड़ में मृत घोषित कर दिया गया।
गोपाला गांव के पास। परिवार की जानकारी के बिना पट्टी पुलिस द्वारा उनके शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। हालांकि, परिवार को उनकी अस्थियां लेने की अनुमति दी गई थी।
22. क्रमांक 56/580 के अंतर्गत, सीबीआई की सूची में हरिके पुलिस स्टेशन के एसएचओ पूरन सिंह द्वारा संपन्न सतनाम सिंह (जांद निवासी) के अंतिम संस्कार का आंशिक रूप से उल्लेख है। 494. राख में परिवर्तित

25 नवंबर 1991 को एफआईआर संख्या 68/91 के तहत थाने में हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट संख्या एसएस-51/91 है। मृत्यु का कारण "मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने अपने स्रोतों से इस मामले के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01367. इस मामले में मुख्य सूचनादाता पीड़ित का भाई निरंजन सिंह ग्रंथी है।
स्वर्गीय बाबा के चार पुत्रों में सबसे छोटे, पच्चीस वर्षीय सतनाम सिंह।

[illegible]
[illegible]
24 [illegible] 1991 [illegible]
[illegible]
23-24. [illegible] 58/592 [illegible] 59/593 [illegible], [illegible] 11 [illegible] 1991 [illegible] 157/91 [illegible] [1] [illegible] [2] [illegible] "[illegible]"
[illegible] CCDP/01349 [illegible] 01350[illegible]
1989-90 [illegible]
9 [illegible] 1991 [illegible]

सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (495)

तरन तारन पुलिस जिले के राम और झब्बल पुलिस स्टेशन के एसएचओ सुबा सिंह ने गांव को घेर लिया। उन्हें शक था कि बलविंदर गांव में ही है। घेराबंदी पूरी रात जारी रही। पुलिस ने गांव के सभी पुरुषों को एक जगह इकट्ठा किया। 10 दिसंबर की सुबह पुलिस को पता चला कि बलविंदर कहां छिपा है और उन्होंने उस घर की दिशा में गोलीबारी शुरू कर दी। सुबह करीब 11 बजे, गोलीबारी जारी रहने के दौरान, झब्बल के एसएचओ सुबा सिंह पुलिस दल के साथ बलविंदर के परिवार के घर पहुंचे। घर पर सिर्फ उसकी मां गुरमेज कौर थीं। पुलिस उन्हें उस घर में ले गई जहां बलविंदर के छिपे होने की आशंका थी और उन्हें अंदर जाने को कहा। गुरमेज कौर ने अंदर जाने से इनकार कर दिया। पुलिस ने पीछे से गोलीबारी करते हुए उन्हें जबरदस्ती घर की ओर धकेल दिया। उन्हें विश्वास था कि अपनी मां को देखकर बलविंदर बाहर आ जाएगा। जब वे बलविंदर को बाहर निकालने में सफल नहीं हुए, तो उन्होंने गुरमेज कौर को गोली मारकर हत्या कर दी।
कुछ देर बाद बलविंदर सिंह बाहर आया और मुठभेड़ में वह भी मारा गया। पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ लगभग दो से तीन एकड़ दूर हुई। ग्रामीणों ने इस घटना को देखा।
गुरमेज कौर की हत्या की खबर परिवार को उन लोगों से मिली जिन्होंने उनकी सेवा की थी।
ग्रामीणों ने पुलिस को भोजन दिया। ग्रामीणों ने पुलिस को गुरमेज कौर और बलविंदर सिंह के शव ले जाते हुए भी देखा। पुलिस ने परिवार को सूचित नहीं किया और शवों का अंतिम संस्कार तरन तारन श्मशान घाट में कर दिया। यह जानकर परिवार ने माता-पिता दोनों की अस्थियां एकत्र कर लीं।
दलीप सिंह का कहना है कि चूंकि उनका बेटा बलविंदर एक उग्रवादी था और वहां एक
पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ के बावजूद, उन्हें अपनी मृत्यु के लिए पुलिस के प्रति कोई द्वेष नहीं है। हालांकि, उनका कहना है कि उनकी पत्नी गुरमेज कौर की हत्या करके पुलिस के साथ घोर अत्याचार किया गया है।
दलीप सिंह का कहना है कि इस घटना के बाद भी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करना जारी रखा।
उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गईं। घटना के बाद, भीखीविंड पुलिस ने दलीप सिंह को गिरफ्तार कर यातनाएं दीं। पुलिस ने उसे अन्य आतंकवादियों को गिरफ्तार करवाने में मदद करने का निर्देश दिया। भीखीविंड के एसएचओ, तेग बहादुर सिंह ने अंततः 5,000 रुपये की रिश्वत लेने के बाद ही दलीप सिंह को रिहा किया। एक अन्य घटना में, झब्बल पुलिस ने दलीप सिंह के घर पर छापा मारा। वहां मौजूद लोगों को देखकर पुलिस को लगा कि...
पुलिस की निगरानी में दलीप सिंह के बेटे अवतार सिंह ने भागने की कोशिश की। पुलिस ने गोली चलाई और एक गोली अवतार सिंह के पैर में लगी। पुलिस अवतार सिंह को घायल अवस्था में अपने साथ ले गई। उन्होंने उसे 15 दिनों तक अवैध हिरासत में रखा। उसे उचित चिकित्सा सहायता नहीं दी गई और अवतार सिंह का घाव अभी तक ठीक नहीं हुआ है।
25 – 26. क्रमांक 66/666 और 67/667 के अंतर्गत, सीबीआई की सूची में पट्टी पुलिस स्टेशन के एसआई/एसएचओ पूरन सिंह द्वारा 26 अप्रैल 1992 को एफआईआर क्रमांक 28/92 के तहत किए गए दो शवदाहों की आंशिक रूप से पहचान की गई है।

ये शव [1] वेरोवाल निवासी जागीर सिंह उर्फ लल्ली और [2] मांडा निवासी बूटा सिंह के हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्रमांक क्रमशः एसएलजी-19/92 और एसएलजी-20/92 हैं। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने इन मामलों के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01378 है। इस मामले में मुख्य सूचनादाता जागीर सिंह के पिता हरदेव सिंह हैं।
हरदेव सिंह और जागीर कौर के पुत्र, बीस वर्षीय जागीर सिंह, वहीं के निवासी थे।
अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल में वेरोवाल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत वेरोवाल डाकघर के वेरोवाल गांव के बावियान वाला निवासी। वह पंजाब पुलिस में विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) के रूप में कार्यरत थे। उनके पिता फरीदकोट पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल थे।
496 राख में तब्दील

1992 के दौरान, जब जागीर सिंह काफी समय तक घर नहीं लौटे, तो उनके परिवार ने उन्होंने उसके ड्यूटी स्थल से संपर्क किया। उन्हें बताया गया कि जागीर सिंह अपना हथियार लेकर ड्यूटी छोड़कर भाग गया है। परिवार ने उसके बारे में फिर कभी कोई खबर नहीं सुनी।
26 अप्रैल 1992 को अखबारों में खबर आई कि पुलिस ने दो आतंकवादियों, सुरजीत को मार गिराया।
मुंडा पिंड के सुरजीत सिंह और वेरोवाल के जागीर सिंह के बीच तरन तारन पुलिस जिले के वरनाला चीमा गांव के पास मुठभेड़ हुई। पुलिस ने मृत युवकों के शव उनके परिजनों को नहीं सौंपे और इसके बजाय 26 अप्रैल 1992 को पट्टी श्मशान घाट में उनका अंतिम संस्कार कर दिया। समाचार रिपोर्ट में पहचान होने के बावजूद, सीबीआई ने सुरजीत सिंह का नाम गलती से बूटा सिंह दर्ज कर लिया।
27 – 31. क्रमांक 69/703, 70/704, 71/705, 72/706 और 73/708 के अंतर्गत सीबीआई सूची में तरन तारन शहर पुलिस स्टेशन के एसएचओ गुरबचन सिंह द्वारा एफआईआर क्रमांक 57/92 के तहत 9 जून 1992 को किए गए पांच शवदाहों की आंशिक रूप से पहचान की गई है। ये शवदाह [1] सुरजीत सिंह, निवासी बेहाला, [2] सिक्कतार सिंह, निवासी बेहाला, [3] निरंजन सिंह, निवासी बेहाला, [4] मदन सिंह उर्फ मद्दी और [5] करतार सिंह, निवासी बेहाला के हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्टों को क्रमशः पीएस-23/92, एसएन-10/92, एसएन-11/92, ओपीजी-11/92 और ओपीजी-22/92 के रूप में चिह्नित किया गया है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
सीबीआई की पूरी तरह से पहचाने गए शवदाहों की सूची 'ए' निरंजन के रिकॉर्ड से मेल खाती है।
सिंह, पुत्र बूर सिंह, निवासी बेहला, क्रमांक 121/392 और एफआईआर क्रमांक 58/91 के अंतर्गत। इस दाह संस्कार की सूचना 18 अप्रैल 1991 को तरन तारन शहर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर हरबंस सिंह द्वारा दी गई थी।
समिति ने इन मामलों के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है। घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/00343, 00378, 01374, 01375 और 01376। इन मामलों में मुख्य सूचनादाता विरसा सिंह, करतार सिंह का पुत्र; बलविंदर कौर, निरंजन सिंह की पत्नी और सकत्तर सिंह की माता; कुलदीप सिंह, सुखदेव सिंह मद्दी का भाई; और तरलोक सिंह, सुरजीत सिंह बेहला का पिता हैं।

इन पांच शवदाहों और सीबीआई की पूरी तरह से पहचान की गई सूची में उल्लिखित तीन अन्य शवों के...
क्रमांक 188/707, 189/709 और 190/710 के तहत प्रमाणित शवदाह, 8 जून 1992 को बेहला में नौ लोगों की हत्या से संबंधित हैं। इन नौ लोगों में से तीन उग्रवादी थे और छह ग्रामीण थे, जिनका उग्रवाद से कोई संबंध नहीं था। सुरक्षा बलों ने इन ग्रामीणों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हुए उस घर पर धावा बोला जहां तीन उग्रवादी छिपे हुए थे।
8 जून 1992 की सुबह, पंजाब पुलिस, सेना और अन्य सैनिकों की एक बड़ी मिश्रित टुकड़ी ने छापा मारा।
एसएसपी अजीत सिंह संधू और एसपी (ऑपरेशन) खूबी राम के नेतृत्व में अर्धसैनिक बलों ने बेहला गांव में पंजाब विधानसभा के पूर्व सदस्य मनजिंदर सिंह के पुराने और वीरान घर को घेर लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि सुरजीत सिंह बेहला से जुड़े उग्रवादी इस घर को छिपने की जगह के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। चौबीस वर्षीय सुरजीत सिंह बेहला, तरलोक सिंह के पुत्र थे और अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल के तरन तारन पुलिस स्टेशन के अंतर्गत रटौल डाकघर के बेहला गांव के निवासी थे। उनका विवाह हो चुका था और उनकी एक बेटी थी; उनकी पत्नी ने बाद में पुनर्विवाह कर लिया और अपनी बेटी को अपने साथ ले गई।
सुरजीत सिंह बेहला, एक अमृतधारी सिख, एक प्रसिद्ध आतंकवादी और वरिष्ठ थे भिंडरांवाला टाइगर्स फोर्स नामक उग्रवादी समूह के नेता सुरजीत के जमानत पर रिहा होने के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर उनके घर पर छापेमारी शुरू कर दी थी। पुलिस की बार-बार छापेमारी और गिरफ्तारी से तंग आकर सुरजीत ने आखिरकार अपना घर छोड़ दिया और इस घटना से पहले ढाई साल तक भूमिगत रहे थे।
सुरजीत सिंह का एक साथी भी बेहला के उस सुनसान घर में छिपा हुआ है। सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (497)

18 वर्षीय सुखदेव सिंह उर्फ मद्दी, संतोख सिंह और सुरजीत कौर के पुत्र थे और बेहला गांव के निवासी थे। मैट्रिक पास करने के बाद सुखदेव शेरोन की एक चीनी मिल में काम करते थे। वे अमृतधारी सिख थे। पुलिस को शक था कि सुखदेव के बड़े भाई कुलबीर सिंह के उग्रवादियों से संबंध हैं और इसी शक के चलते पुलिस ने कुलबीर को दो बार गिरफ्तार कर यातनाएं दीं। कुलबीर के खिलाफ दो मामले भी दर्ज किए गए। इन अनुभवों से सुखदेव की उग्रवादी आंदोलन के प्रति सहानुभूति और बढ़ गई। बाद में एसएसपी अजीत एस. संधू के नेतृत्व में तरन तारन पुलिस ने उनके पिता संतोख सिंह का अपहरण कर उन्हें लापता कर दिया। बेहला पुलिस चौकी के प्रभारी एएसआई ने सुखदेव के परिवार से 120 क्विंटल गेहूं जब्त किया, जिसकी कीमत उस समय 180,000 रुपये थी।
सुरजीत सिंह बेहला का तीसरा सहयोगी मेहर सिंह का पुत्र हरबंस सिंह था।
अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल के सरहल्ली से।
घर पर धावा बोलने से पहले, पुलिस अधिकारियों ने सात या आठ लोगों को पकड़ने का फैसला किया।
बेहला गांव के ग्रामीणों को पुलिस बल के आगे चलने और मानव ढाल बनने के लिए कहा गया। इस अभियान के दौरान मारे गए छह लोगों के नाम निम्नलिखित हैं: [1] करतार सिंह, पिता आसा सिंह, [2] निरंजन सिंह, पिता बूर सिंह, [3] सकत्तर सिंह, पिता निरंजन सिंह, [4] लखविंदर सिंह, पिता चन्नन सिंह, [5] गुरमेज

सिंह और [6] अजीत सिंह, पिता मंगल सिंह। पुलिस ने इन लोगों को यादृच्छिक रूप से चुना था, और इसका उग्रवाद में उनकी संभावित संलिप्तता के संदेह से कोई संबंध नहीं था।
Sixty-two year old Kartar Singh, son of Aasa Singh and Mahinder Kaur, was करतार सिंह का विवाह इकबाल कौर से हुआ था और उनके पांच बच्चे थे - दो बेटे और तीन बेटियां। वह किसान थे और उनका किसी भी राजनीतिक या उग्रवादी संगठन से कोई संबंध नहीं था। पुलिस ने परिवार की मौजूदगी में उनका अपहरण कर लिया। करतार सिंह की पत्नी मोहिंदर कौर की हत्या के सदमे से आठ दिन बाद मृत्यु हो गई। उनके बेटे वीरसा सिंह की नौकरी चली गई और इन घटनाओं को बताते समय वह बेरोजगार थे। बाद में, पुलिस ने उनके परिवार को धमकी दी कि अगर उन्होंने कोई कानूनी कार्रवाई की तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। निरंजन सिंह और बलविंदर कौर के पुत्र, पच्चीस वर्षीय सकत्तर सिंह,
उनका विवाह शरणजीत कौर से हुआ था और उनकी दो बेटियाँ थीं। वे अमृतधारी सिख थे और उनका किसी भी राजनीतिक या उग्रवादी संगठन से कोई संबंध नहीं था। वे अपने पिता के साथ तीन एकड़ ज़मीन पर खेती करते थे। पुलिस ने उन्हें, उनके पिता निरंजन सिंह और उनके भाई सुखचैन सिंह को उस समय अगवा कर लिया जब वे खेतों में काम कर रहे थे।
बूर सिंह और करतार कौर के पुत्र, पचपन वर्षीय निरंजन सिंह का विवाह हो चुका था।
बलविंदर कौर के पुत्र, निरंजन सिंह एक किसान थे और उनके पास तीन एकड़ जमीन थी। वे दूध बेचकर भी पैसे कमाते थे। निरंजन सिंह के चार बच्चे थे और उनका किसी भी राजनीतिक या उग्रवादी संगठन से कोई संबंध नहीं था।
घर में प्रवेश करने के बाद, सुरक्षा बलों ने पाया कि घर में एक
तहखाने में कोई दरवाजा नहीं था, लेकिन अंदर से अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने तहखाने की छत की सतह को तोड़ दिया। जब अंदर छिपे आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू की, तो पुलिस ने आठ ग्रामीणों को आगे धकेल दिया और उन्हें ढाल बनाकर जवाबी फायरिंग की। छह ग्रामीण और तीन आतंकवादी मारे गए। दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन बच गए: गांव के सरपंच और निरंजन सिंह के दूसरे बेटे सुखचैन सिंह। मुठभेड़ 32 घंटे तक चली।
9 जून की शाम को पुलिस ने सभी नौ लोगों के शवों को बरामद किया और
उनका अंतिम संस्कार तरन तारन में किया गया। अंतिम संस्कार में केवल अजीत सिंह के परिवार को ही शामिल होने की अनुमति दी गई थी; अन्य किसी भी परिवार को अंतिम संस्कार करने की अनुमति नहीं दी गई थी।
अगली सुबह, पुलिस ने प्रेस को बताया कि उन्होंने 498 में नौ आतंकवादियों को मार गिराया था।

इस घटना के बाद कई समाचार पत्रों ने पुलिस के दावों पर सवाल उठाते हुए रिपोर्ट प्रकाशित कीं और पुलिस द्वारा छह ग्रामीणों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करने की व्याख्या की। पंजाब सरकार ने बाद में घटना की जांच की घोषणा की, लेकिन वह जांच कभी पूरी नहीं हुई।
सीबीआई की सूची में अजीत सिंह, लखविंदर सिंह और अन्य के अंतिम संस्कार का पूरा विवरण दिया गया है।
हरबंस सिंह, जो आतंकवादियों में से एक था, का नाम क्रमांक 188/707, 189/709 और 190/710 के अंतर्गत दर्ज है। इसमें निरंजन सिंह, पुत्र बूर सिंह, निवासी बेहला, के अंतिम संस्कार का भी उल्लेख है, जिसका क्रमांक 121/392

तरन तारन जिले के वेरोवाल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले तख्तू चक गांव का निवासी।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (499)

अमृतसर जिले के एक उपमंडल में रहने वाले जयमल, जो एक अमृतधारी सिख थे, का विवाह कंस कौर से हुआ था और उनके दो बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। जयमल के परिवार, जिसमें उनके तीन भाई भी शामिल थे, के पास दो एकड़ जमीन थी। जयमल घर चलाने के लिए दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करते थे।
1992 में पुलिस ने जयमल को गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पर छापा मारना शुरू कर दिया। डर के मारे
पुलिस की सूचना मिलने पर, जैमल घर से निकल गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। जैमल के फरार होने के बाद, जंडियाला गुरु और खदुर साहिब की पुलिस ने उसके पिता और बच्चों समेत अन्य रिश्तेदारों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। अजीत सिंह और जीत कौर के पुत्र अठारह वर्षीय जोगा सिंह, निवासी थे।
जोगा सिंह अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल के तरन तारन सदर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत नौरंगबाद डाकघर वाले ताहली वालियन दी पट्टी, गांव मालमोहारी में रहते थे। वे अमृतधारी सिख थे और मजदूर के रूप में काम करते थे। उनके पिता गांव के चौकीदार थे और विभिन्न मेलों में आम सामान भी बेचते थे। मई 1992 में, कुछ हथियारबंद युवक उनके घर आए, उन्हें पीटा और अपने साथ ले गए। परिवार के सदस्यों ने बताया कि उन्हें नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ। इसके बाद जोगा सिंह कभी घर नहीं लौटे।
28 जून 1992 को अमृतसर पुलिस जिले की एक पुलिस टीम ने एक खेत को घेर लिया। खब्बे गांव में एक घर पर पुलिस ने छापा मारा। वहां वेरोवाल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत तकरू चक्क निवासी दिलबाग सिंह, जैमल सिंह और जोगा सिंह मौजूद थे। पुलिस ने तीनों को गोली मारकर हत्या कर दी। इसके अलावा, इसी पुलिस दल ने परगत सिंह को भी मार डाला। उनकी भाभी के अनुसार, 28 जून 1992 की दोपहर को परगत सिंह अपने फार्म हाउस की ओर जा रहे थे, तभी तरन तारन से आए पुलिस बल ने पास के एक घर पर छापा मारा, जिसमें कुछ उग्रवादी छिपे हुए थे। पुलिस को देखकर परगत सिंह भागने लगे, लेकिन पकड़े गए। उन्हें पूछताछ के लिए ले जाया गया। कैरों निवासी बिट्टू नाम का एक अन्य युवक, जो खब्बे गांव में अपनी बहन से मिलने आया था, उसे भी इसी पुलिस दल ने गिरफ्तार कर लिया। पहले तो उसे और परगत सिंह को एक कमरे में बंद कर दिया गया। बाद में पुलिस ने उन दोनों को भी "मुठभेड़" में मृत दिखा दिया।
30 जून 1992 को, पंजाब के कई समाचार पत्रों, जिनमें अजीत और जगबानी भी शामिल थे, ने यह खबर प्रकाशित की।
मुठभेड़ के बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई जिसमें दावा किया गया कि अमृतसर और तरनतारन पुलिस ने पांच आतंकवादियों को मार गिराया है। रिपोर्ट में सभी पांचों लोगों की पहचान बताई गई है। इस समाचार रिपोर्ट के समय, लोपोके पुलिस ने जैमल के पिता, उनके दो बच्चों और दो भतीजों को अवैध रूप से हिरासत में रखा हुआ था। पुलिस ने समाचार रिपोर्ट प्रकाशित होने के चार दिन बाद उन्हें रिहा कर दिया।
पुलिस ने शवों को परिजनों को नहीं सौंपा। न ही उन्हें इसकी सूचना दी।
दाह संस्कार।
सीबीआई द्वारा आंशिक रूप से पहचाने गए शवदाह स्थलों की सूची में निवासियों की सही पहचान की गई है।

दिलबाग को छोड़कर बाकी सभी के निवास स्थान दर्ज हैं। कैरों निवासी अमरिक सिंह के पुत्र बिट्टू के अंतिम संस्कार का कोई रिकॉर्ड नहीं है।
36. क्रमांक 84/746 के अंतर्गत सीबीआई की सूची में भजन सिंह कांग के पुत्र रूपिंदरजीत सिंह के अंतिम संस्कार का आंशिक उल्लेख है, जो वेरोवाल पुलिस स्टेशन के स्वर्ण सिंह द्वारा एफआईआर क्रमांक 32/92 के तहत 7 जुलाई 1992 को किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पीएस-31/92 के रूप में चिह्नित किया गया है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने अपने स्रोतों से इस मामले के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/00085। मुख्य सूचनादाता रूपिंदरजीत सिंह के भाई तेजिंदरजीत सिंह हैं।
500 राख में तब्दील

बाईस वर्षीय रुपिंदरजीत सिंह, पुत्र

भजन सिंह और ज्ञान कौर, अमृतसर जिले के तरन तारन पुलिस स्टेशन और उपमंडल के अंतर्गत पट्टी तलवंडी दी के कांग गांव के निवासी थे। वे अविवाहित थे और उनकी एक बहन और एक भाई थे।

1 जून 1992 को दोपहर 3 बजे, वर्दीधारी पुलिस दल ने

सी.आई.ए. के कर्मचारियों ने होशियारपुर से रूपिंदरजीत सिंह को तरन तारन के जंडियाला रोड स्थित उनकी दुकान कांग मेडिकल स्टोर से अगवा कर लिया। पुलिस ने 11 जून 1992 को टांडा पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया। पुलिस ने उन्हें दसूया की एक अदालत में पेश किया और मजिस्ट्रेट ने...

Rupinderjit Singh istrate sent him to Jalandhar Jail. Rupinderjit’s family

जालंधर जेल में उनसे कई बार मुलाकात हुई।

1 जुलाई 1992 को रुपिंदरजीत सिंह को वेरोवाल पुलिस स्टेशन (खडूर) लाया गया।

एसएचओ स्वर्ण सिंह द्वारा हिरासत में लिए गए (सदब) रूपिंदरजीत साहब और उनके परिवार वाले उनसे वेरोवाल पुलिस स्टेशन में लगातार मिलते रहे। वे 1 जुलाई से 5 जुलाई 1992 तक उनसे प्रतिदिन मिलते रहे। परिवार की ओर से उनसे आखिरी बार मिलने वाले उनके भाई तेजिंदरजीत सिंह थे, जिन्होंने 5 जुलाई को शाम 7 बजे उनसे मुलाकात की। 6 जुलाई 1992 को, उनका परिवार हमेशा की तरह शाम 7 बजे उन्हें खाना देने गया। जब रूपिंदरजीत ने खाना नहीं लिया तो परिवार वालों को शक हुआ।

पुलिस ने बताया कि 7 जुलाई को सुबह 4 बजे गगरेवाल गांव के पास मुठभेड़ हुई।

लेकिन परिवार को रुपिंदरजीत सिंह की मृत्यु की जानकारी तब मिली जब डॉ. परमजीत सिंह ने सिविल अस्पताल तरन तारन में उनका पोस्टमार्टम किया। पुलिस ने स्वयं रुपिंदरजीत सिंह के शव का अंतिम संस्कार किया। परिवार को श्मशान घाट पर रुपिंदरजीत के जूते मिले। मुठभेड़ की खबर 7 जुलाई 1992 को पंजाबी दैनिक अखबार अजीत और जगबानी में छपी। परिवार ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की।

37. क्रमांक 89/807 के अंतर्गत सीबीआई की सूची में कितली बसवा सिंह निवासी कुलदीप सिंह के अंतिम संस्कार का आंशिक उल्लेख है, जो हरिके पुलिस स्टेशन के सीता राम द्वारा एफआईआर संख्या 43/92 के तहत 15 अगस्त 1992 को किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट संख्या केएस-47/92 है। मृत्यु का कारण "आग्नेयास्त्र से लगी चोटें" बताया गया है।

समिति ने अपने स्रोतों से इस मामले के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।

घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/ 01377. कुलदीप सिंह के गांव के निवासी इस मामले में सूचना देने वाले थे।

कुलदीप सिंह, स्वर्गीय हरभजन सिंह के पुत्र थे। वे गाँव के निवासी थे।

तलवंडी वसावा सिंह, अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल के वाल्टोहा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत रत्तुके गुरुद्वारा डाकघर के निवासी हैं। कुलदीप सिंह और उनके भाई पाला सिंह बचपन में ही अनाथ हो गए थे। दोनों भाई गांव के गुरुद्वारे में पले-बढ़े। वर्तमान में गांव में उनका कोई भी रिश्तेदार नहीं रहता है। पाला सिंह फिरोजपुर जिले के हरिहर झोक गांव के गुरुद्वारे में ग्रंथी के रूप में कार्यरत हैं।

पुलिस ने कुलदीप सिंह को करीब दस बजे पूहला गांव के गुरुद्वारे से गिरफ्तार किया।

उनकी हत्या से 15 दिन पहले तक की घटना हुई थी। बाद में हरिके पुलिस ने बताया कि पट्टी के डीएसपी और पट्टी के एसएचओ के नेतृत्व में पुलिस दल ने मुठभेड़ में कुलदीप सिंह और एक अन्य अज्ञात आतंकवादी को मार गिराया।

इस घटना की खबर अखबारों में 16 अगस्त 1992 को छपी थी। दोनों व्यक्ति मारे गए थे।

मुठभेड़ में मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार पुलिस द्वारा पट्टी श्मशान घाट में किया गया।

सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (501)

38. क्रमांक 91/843 के अंतर्गत सीबीआई की सूची में रसूलपुर निवासी अवतार सिंह उर्फ ठाकुर सिंह उर्फ पप्पू उर्फ सांसद के अंतिम संस्कार का आंशिक उल्लेख है, जो हरिके पुलिस स्टेशन के सहायक कांस्टेबल रघुबीर सिंह द्वारा 17 सितंबर 1992 को एफआईआर संख्या 46/92 के तहत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट संख्या एसएलजी-83/92 है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने अपने स्रोतों से इस मामले के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01353। इस मामले में मुख्य सूचनादाता पीड़ित का भाई जगतार सिंह है।
पच्चीस वर्षीय अवतार सिंह उर्फ “एम.पी.”, स्वर्गीय सुचा सिंह और वीर के पुत्र।
कौर, अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल के तरन तारन सदर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले रसूलपुर (नेहरान) गांव के निवासी एक अमृतधारी सिख थे। वे चार भाइयों और तीन बहनों में सबसे छोटे थे। अवतार सिंह का विवाह लखविंदर कौर से हुआ था और उनके दो बच्चे थे।
मैट्रिक पास करने के बाद, अवतार सिंह ने मुर्गी पालन शुरू किया। हालाँकि, डर के कारण
उग्रवादियों के कारण, उसने इसे बंद कर दिया और एक टैक्सी खरीद ली।
लगभग 1988 के आसपास, अवतार सिंह उग्रवादी और राजनीतिक आंदोलन की ओर आकर्षित हुए।
अवतार सिंह पंजाब में रहने लगे। पुलिस द्वारा बार-बार उत्पीड़न और अवैध हिरासत में यातना दिए जाने के कारण उन्होंने 1990 में अपना घर छोड़ दिया। अवतार सिंह के घर छोड़ने के बाद, पुलिस ने उनके भाइयों और परिवार के अन्य सदस्यों और रिश्तेदारों को परेशान करना शुरू कर दिया। वे परिवार के किसी भी पुरुष सदस्य को उठा लेते और उसे अवतार सिंह को पेश करने के लिए मजबूर करते। उत्पीड़न की यह प्रक्रिया लगभग एक से डेढ़ साल तक चली। परिवार के घर से दूर रहने के कारण पारिवारिक व्यवसाय और कृषि कार्य ठप्प हो गए।

मई-जून 1992 में अवतार सिंह को डीएसपी (डी) तरन तारन, दलीप के समक्ष पेश किया गया।
अवतार सिंह को पुलिस ने सी.आई.ए. स्टाफ तरन तारन में 14 दिनों तक पूछताछ के लिए रखा। इसके बाद उनकी पृष्ठभूमि स्पष्ट पाई गई और पुलिस ने उन्हें रिहा कर दिया। एक सप्ताह बाद, उन्हें तरन तारन के सदर पुलिस स्टेशन ने इस बहाने से फिर से हिरासत में ले लिया कि उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। अगले दिन, आईजी भुल्लर तरन तारन के सदर पुलिस स्टेशन पहुंचे। एक अखबार और टीवी चैनल ने अवतार सिंह और कई अन्य आतंकवादियों के आत्मसमर्पण की खबर प्रकाशित की। पुलिस ने उन्हें उसी दिन घर भेज दिया। हालांकि, अवतार सिंह को अब डर था कि आतंकवादी उनके कथित आत्मसमर्पण को देशद्रोह मानेंगे। अवतार सिंह छिपकर रहने लगे। दूसरी ओर, पुलिस ने उनके घर पर फिर से छापेमारी शुरू कर दी। जब वे उन्हें वहां नहीं पाते थे, तो वे उनके परिवार को परेशान करते थे। परिवार ने पुलिस को कई बार बताया कि अवतार सिंह आतंकवादियों के डर से घर से बाहर रह रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उनकी बात नहीं सुनी।
17 सितंबर 1992 को परिवार ने पंजाबी दैनिक जगबानी में एक समाचार पढ़ा। हरिके पुलिस स्टेशन के अंतर्गत अलीपुर-नबीपुर गांव के पास पुलिस मुठभेड़ में मारे गए तीन आतंकवादियों में से एक की पहचान अवतार सिंह उर्फ एम.पी. के रूप में हुई। उस समाचार में पुलिस ने दूसरे आतंकवादी की पहचान मनोचाहल निवासी मंजिंदर सिंह के रूप में की।
यह पढ़ने के बाद अवतार सिंह का भाई और अन्य ग्रामीण तरन तारन के पास गए। सदर पुलिस स्टेशन में पुलिस ने उन्हें धमकाया और वे चुपचाप घर लौट आए। बाद में परिवार को पता चला कि पुलिस ने अवतार सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और जिस दूसरे व्यक्ति की हत्या हुई है, वह पहले से ही सीआईए स्टाफ तरन तारन की हिरासत में है। पुलिस ने परिवार को शव नहीं सौंपा और न ही अंतिम संस्कार के बारे में कोई सूचना दी।
क्रमांक 226/844 के तहत, सीबीआई की पहली सूची में 17 सितंबर 1992 की घटना की पहचान की गई है।
मुच्छल निवासी जसबीर सिंह के पुत्र मनजिंदर सिंह उर्फ शमशेर सिंह उर्फ शेरा का अंतिम संस्कार हरिके पुलिस स्टेशन के एसआई रघुबीर सिंह द्वारा एफआईआर संख्या 46/502 के तहत किया गया। शव को राख में बदल दिया गया।

92. पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एसएलजी-84/92 के रूप में चिह्नित किया गया है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है। उसी दिन हुए अज्ञात शवदाह को सीबीआई की अज्ञात शवदाह की तीसरी सूची में क्रमांक 529/845 के अंतर्गत दर्ज किया गया है।
39. क्रमांक 93/867 के अंतर्गत सीबीआई की सूची में बुघा निवासी हरदीप सिंह उर्फ बिट्टू के अंतिम संस्कार का आंशिक उल्लेख है, जो कि वलतोहा पुलिस स्टेशन के एसआई/एसएचओ गोविंदर सिंह द्वारा 7 अक्टूबर 1992 को एफआईआर क्रमांक 55/92 के तहत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्रमांक एसएलजी- 78/92 है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने अपने स्रोतों से इस मामले के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01357. इस मामले में मुख्य सूचनादाता पीड़ित के पिता जागीर सिंह हैं।
जागीर सिंह और गुरमीत कौर के बेटे, अठारह वर्षीय हरदीप सिंह उर्फ लल्ली,

वह अमृतसर जिले के तरन तारन शहर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत तरन तारन डाकघर के बुग्गे गांव का निवासी था। वह अविवाहित था और होशियारपुर के उर्मुर टांडा स्थित स्पोर्ट्स कॉलेज का छात्र था। उसकी दाढ़ी मुंडवाई हुई थी और उसका कोई राजनीतिक या उग्रवादी पृष्ठभूमि नहीं थी। इस घटना से पहले पुलिस ने उसे कभी गिरफ्तार नहीं किया था।
25 सितंबर 1992 को सुबह 7 बजे, सब्रान पुलिस स्टेशन के प्रभारी एएसआई दलबीर सिंह ने यह सूचना दी।
सब्रान पुलिस चौकी पर सात से आठ पुलिसकर्मियों की एक टीम ने हरदीप सिंह के घर पर छापा मारा। उन्होंने हरदीप को गिरफ्तार कर लिया और उसके परिवार को बताया कि उन्हें एक मामले के सिलसिले में उसकी जरूरत है और परिवार को सब्रान पुलिस चौकी आना चाहिए।
दो-तीन दिनों तक परिवार और गांव के प्रमुख लोग सब्रान पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाते रहे।
पोस्ट पर एएसआई दलबीर सिंह ने हरदीप को रिहा करने का वादा जारी रखा। चार दिन बाद, एएसआई दलबीर सिंह ने हरदीप के पिता जागीर सिंह को बताया कि अब वे हरदीप को रिहा नहीं करा सकते और जागीर सिंह को पट्टी के डीएसपी से बात करनी चाहिए। परिवार पट्टी के डीएसपी से मिला, जिन्होंने उन्हें एसएसपी अजीत एस. संधू से संपर्क करने की सलाह दी। कई दिनों तक परिवार ने ऐसे मध्यस्थ की तलाश की जो उन्हें एसएसपी तक पहुंचा सके। इसी बीच, एएसआई ने उन्हें सूचित किया कि उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर हरदीप सिंह को वाल्टोहा पुलिस स्टेशन भेज दिया है।
6 अक्टूबर 1992 को शाम 4 बजे, बुग्गे के निवासी जागीर सिंह और एक अन्य व्यक्ति एसएसपी से मिले।
संधू ने हरदीप को रिहा करने से साफ इनकार कर दिया। 7 अक्टूबर 1992 को जब परिवार वाल्टोहा पुलिस स्टेशन पहुंचा, तो उन्हें पता चला कि पुलिस ने पिछली रात दो युवकों को मार डाला था और उनके शव पट्टी श्मशान घाट ले गई थी। 8 अक्टूबर 1992 को पंजाबी दैनिक अजीत ने खबर दी कि पुलिस ने छोटा घरियाला निवासी उग्रवादी नारायण सिंह और एक अज्ञात उग्रवादी को गांव जांद माने के पास मुठभेड़ में मार गिराया था। पुलिस ने अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के बाद अज्ञात उग्रवादी का नाम हरदीप सिंह बताया।
बाद में परिवार ने श्मशान घाट से हरदीप की अस्थियां एकत्र कीं।
40 – 41. क्रमांक 101/902 और 102/903 के तहत, सीबीआई की सूची में एफआरआई क्रमांक 67/92 के अंतर्गत पट्टी पुलिस स्टेशन के एसआई सीता राम द्वारा 7 नवंबर 1992 को किए गए दो शवदाहों की आंशिक रूप से पहचान की गई है। ये शवदाह [1] दीदार सिंह उर्फ शापा, एरिया कमांडर, वाल्टोहा, और [2] सुखचैन सिंह उर्फ चाइना के हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्रमांक उपलब्ध नहीं हैं। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने इन मामलों के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है। सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (503)

घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01361 है। मुख्य सूचनादाता दीदार सिंह के पिता मंगल सिंह हैं।
मंगल सिंह और मोहिंदर कौर के पुत्र, चौबीस वर्षीय दीदार सिंह,
दीदार अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल के झब्बल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत बघियारी डाकघर वाले छप्पा गांव का निवासी था। वह मजदूर के रूप में काम

[illegible]
1 [illegible] 1992 [illegible]...
[illegible]
[illegible] 3 [illegible] 1992 [illegible] 7 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
6 [illegible] 1992 [illegible] (SCHEDULED) [illegible]
[illegible]
8 [illegible] 1992 [illegible]
[illegible] 554/904 [illegible] KS-96/92 [illegible] 555/905 [illegible]
42. [illegible] 106/938 [illegible] 55/92 [illegible] 20 [illegible] 1992 [illegible] [illegible]-128/92 [illegible] "[illegible]"
[illegible] CCDP/01360 [illegible]
Twenty-two year old Sarabjit Singh, son of Dalip Singh and late Joginder Kaur,

वह अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल के सरहल्ली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पट्टी सामने की जिले के धोतियान गांव के निवासी थे। वे अमृतधारी सिख और किसान थे। वे गुरु ग्रंथ साहिब से गुरबानी का पाठ करने वाले ग्रंथी के रूप में भी कार्य करते थे।
सरबजीत के बड़े भाई दिलबाग सिंह उग्रवाद में शामिल हो गए थे। इसी वजह से 504 लोग मारे गए।

पुलिस अन्य परिवार के सदस्यों को हिरासत में लेकर प्रताड़ित करती थी। 3 मार्च 1990 को तरन तारन के सदर पुलिस ने दिलबाग सिंह की हत्या कर दी। इसके बावजूद, पुलिस ने उनके परिवार, विशेषकर उनके भाइयों सरबजीत सिंह और सोहन सिंह को प्रताड़ित करना बंद नहीं किया।
मई-जून 1992 में, पुलिस ने सरबजीत को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से उसके घर पर छापेमारी शुरू की।
सरबजीत सिंह पुलिस के डर से घर छोड़कर भाग गया। पुलिस ने उसके परिवार के अन्य सदस्यों को हिरासत में लेकर उन पर अत्याचार करना जारी रखा ताकि वे सरबजीत को पुलिस के सामने पेश करने के लिए दबाव बना सकें। पुलिस ने सरबजीत के भाइयों मनोहर सिंह और सोहन सिंह को पांच महीने तक हिरासत में रखा। उन्हें तब तक रिहा नहीं किया गया जब तक पुलिस ने सरबजीत सिंह की हत्या नहीं कर दी।
19 दिसंबर 1992 को, सरबजीत सिंह और उनके साथी हीरा सिंह, जो निवासी थे थथियन खुर्द गांव के दो लोग थथियन खुर्द के गुरुद्वारे में बैठे थे। हरिके पुलिस स्टेशन से पुलिस की एक टीम ने दोनों को गुरुद्वारे से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद, पुलिस ने अतिरिक्त बल बुलाया और विभिन्न स्थानों पर बैरिकेड लगा दिए। दो-तीन घंटे बाद, लोगों ने थथियन और नथुपुरा गांवों के बीच भारी गोलीबारी की आवाजें सुनीं।
20 दिसंबर 1990 को, पंजाबी दैनिक जगबानी जैसे समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया
एक रिपोर्ट के अनुसार, हरिके पुलिस ने मुठभेड़ में सरबजीत सिंह और हीरा सिंह नामक दो आतंकवादियों को मार गिराया था। पुलिस ने 20 दिसंबर 1992 को पट्टी श्मशान घाट में उनके शवों का अंतिम संस्कार किया। सरबजीत सिंह के परिवार को उनके अंतिम संस्कार की सूचना नहीं दी गई थी।
क्रमांक 265/939 के तहत, सीबीआई की पहली सूची में 20 दिसंबर की घटना की पूरी पहचान की गई है।
1992 में हीरा सिंह, पुत्र राम सिंह जाट, निवासी थथियां, का अंतिम संस्कार हरिके पुलिस स्टेशन के एसएचओ रघुबीर सिंह द्वारा किया गया, जैसा कि एफआईआर संख्या 55/92 में दर्ज है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एसएलजी 127/92 के रूप में चिह्नित किया गया है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
43. क्रमांक 107/943 के अंतर्गत सीबीआई की सूची में जावंदे निवासी सरबन सिंह के अंतिम संस्कार का आंशिक उल्लेख है, जो तरन तारन के सदर पुलिस स्टेशन के एसआई/एसएचओ सरबन सिंह द्वारा 25 दिसंबर 1992 को एफआईआर क्रमांक 83/92 के तहत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्रमांक केएसए-40/92 है।
मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने अपने स्रोतों से इस मामले के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।

घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01355। इस मामले में मुख्य सूचनादाता पीड़िता की मां अमर कौर हैं।
मोहन सिंह के पुत्र, 31 वर्षीय सरबन सिंह उर्फ शहीद, एक निवासी थे।
जावंदे खुर्द, पोस्ट ऑफिस बाथ, तरन तारन सदर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत निवासी। वह अविवाहित थे।
सरबन भारतीय सेना में भर्ती तो हो गए, लेकिन अपनी शिक्षा में कुछ कमियों के कारण उन्हें सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला।
बाद में उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। सेना से बर्खास्त होने के बाद, सरबन ने पहले पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड में काम किया और बाद में ट्रक चालक बन गए।
1990 के दशक की शुरुआत से ही पुलिस को सरबन सिंह की संलिप्तता पर संदेह होने लगा था।
पुलिस ने उग्रवादी आंदोलन शुरू कर दिया और सरबन सिंह के परिवार को परेशान करना शुरू कर दिया। वे बार-बार उनके घर पर छापा मारते, उन्हें अवैध हिरासत में रखते और यातना देकर उनसे पूछताछ करते थे। सरबन सिंह के पिता मोहन सिंह ने कई समाचार पत्रों में एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित कर परिवार से सरबन सिंह को बेदखल करने और उन्हें पैतृक संपत्ति से बेदखल करने की घोषणा की। लेकिन पुलिस की ज्यादतियाँ जारी रहने के कारण परिवार को गाँव छोड़कर छिपकर रहना पड़ा। पुलिस ने 1992 में मोहन सिंह को कई बार अवैध रूप से हिरासत में लिया और उन्हें बुरी तरह प्रताड़ित किया। पुलिस ने उन्हें अपनी कृषि भूमि पर खेती करने की अनुमति भी नहीं दी।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (505)

मोहन सिंह के बहनोई लखा सिंह सेना से कप्तान के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। भारतीय सेना। लखा सिंह ने अपने क्षेत्र में उग्रवाद पर अंकुश लगाने के लिए तैनात रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर से अपनी बहन के परिवार के खिलाफ पुलिस अत्याचारों के बारे में शिकायत की। तरन तारन में भारतीय सेना के क्षेत्रीय कमांडर ने शिकायत को गंभीरता से लिया और मोहन सिंह को अवैध पुलिस हिरासत से रिहा करवाया तथा यह भी सुनिश्चित किया कि वह अपनी जमीन पर खेती कर सकें।
8 दिसंबर 1992 को सरबन सिंह को तरन तारन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
तरन तारन के पास गोइंदवाल रोड पर एक पुल के पास चेकपोस्ट पर सरबन सिंह को यह सूचना उनके गांव के एक निवासी से मिली, जिसने गिरफ्तारी देखी थी। दुर्भाग्य से, उनके बहनोई लखा सिंह, जो भारतीय सेना के पूर्व कैप्टन थे और सरबन सिंह का केस लड़ सकते थे, सरबन की गिरफ्तारी की खबर मिलने से कुछ दिन पहले ही उनका निधन हो गया था। इसके बावजूद, मोहन सिंह और उनकी पत्नी ने सरबन की जान बचाने के लिए तरन तारन क्षेत्र के कमांडिंग ऑफिसर से संपर्क किया। कमांडिंग ऑफिसर ने उन्हें बताया कि वे सरबन सिंह को अदालत में पेश कराने और कानून के अनुसार कार्रवाई करवाने का प्रयास करेंगे।
26 दिसंबर 1992 को पंजाबी समाचार पत्रों में एसएसपी अजीत सिंह की खबर प्रमुखता से प्रकाशित हुई थी।
संधू की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने कथित मुठभेड़ में सरबन सिंह, काबल सिंह और एक तीसरे अज्ञात आतंकवादी के मारे जाने की घोषणा की थी। परिवार कुछ नहीं कर सका, यहां तक कि अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो सका। क्रमांक 266/942 के तहत, सूची में 25 दिसंबर 1992 को हरबंस सिंह,

पुत्र संतोख सिंह जाट, निवासी रसूलपुर के अंतिम संस्कार का उल्लेख है, जो तरन तारन के सदर पुलिस स्टेशन के एसएचओ सरबन सिंह द्वारा एफआईआर क्रमांक 83/92 के अंतर्गत संपन्न किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को केएसए 39/92 के रूप में चिह्नित किया गया है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है। काबल सिंह, हरबंस सिंह का उपनाम था। उसी दिन, उसी एफआईआर क्रमांक के तहत और उसी अधिकारी द्वारा संपन्न एक और अंतिम संस्कार सीबीआई की अज्ञात शवदाहों की सूची में क्रमांक 572/944 के अंतर्गत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट संख्या केएसए-41/92 के साथ शामिल है।
सरवन सिंह के पिता मोहन सिंह की छह महीने बाद दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई।
44. क्रमांक 111/982 के अंतर्गत सीबीआई की सूची में गलालीपुर निवासी बलदेव सिंह के अंतिम संस्कार का आंशिक उल्लेख है, जो पट्टी पुलिस स्टेशन के सहायक कांस्टेबल सीता राम द्वारा 6 फरवरी 1993 को एफआईआर क्रमांक 9/93 के तहत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्रमांक उपलब्ध नहीं बताया गया है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने अपने स्रोतों से इस मामले के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01370। इस मामले में मुख्य सूचनादाता पीड़ित का चाचा सुजान सिंह है।
Thirty-year old Gurdev Singh, alias Baldev, son of Gian Singh and Balbir Kaur,
वह अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल के पट्टी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गलाली पुर गांव के निवासी थे। वह किसान थे और उनकी पत्नी का नाम मनजीत कौर था। उनका एक बच्चा था।
उन्हें इससे पहले भी जंडियाला गुरु पुलिस ने टाडा के तहत गिरफ्तार किया था।
जेल से रिहा होने के बाद, वह घर पर ही रहा और अपने पिता के खेतों में काम में मदद करने लगा। जनवरी 1993 के पहले सप्ताह में गुरदेव पिता बने, लेकिन उनका बेटा केवल 21 दिन का ही था जब 30 या 31 जनवरी 1993 को कैरन पुलिस आई और उन्हें अपने साथ ले गई। पुलिस अधिकारियों ने यह नहीं बताया कि वे गुरदेव को क्यों और कहाँ ले जा रहे हैं। जब उनके पिता ज्ञान सिंह ने ज़िद की और जानकारी दिए बिना अपने बेटे को जाने देने से इनकार कर दिया, तो पुलिस ने दावा किया कि वे तरन तारन से हैं।
अगली सुबह, ज्ञान सिंह और ग्राम परिषद के कई सदस्य 506 रिड्यूस्ड टू एशेज नामक स्थान पर गए।

सीआईए के कर्मचारी तरन तारन में पहुंचे, लेकिन उन्हें पता चला कि गुरदेव वहां नहीं थे। गांव के कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने गुरदेव को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस को कैरों की ओर जाते देखा था। इस पर ज्ञान सिंह, उनके कुछ रिश्तेदार और गांव के बड़े-बुजुर्ग कैरों गए और एएसआई सरदूल सिंह से मिले। उन्होंने तुरंत गुरदेव को गिरफ्तार करने आए पुलिसकर्मियों को पहचान लिया। सरदूल सिंह ने स्वीकार किया कि गुरदेव सिंह उनकी हिरासत में हैं, लेकिन उन्होंने पूछताछ पूरी होने से पहले ज्ञान सिंह को उनसे मिलने नहीं दिया।

6 फरवरी 1993 की सुबह, ज्ञान सिंह को खबर मिली कि पट्टी पुलिस ने दो लोगों की हत्या कर दी है।
सब्रान गांव के पास सिखों के साथ एक तथाकथित मुठभेड़ हुई। ज्ञान सिंह और उनके परिवार के कुछ सदस्य पट्टी श्मशान घाट पहुंचे, लेकिन तब तक शवों को जलाया जा चुका था।
यह रहस्यमय है कि सीबीआई ने आंशिक रूप से दर्ज किए गए दाह संस्कारों की अपनी सूची में,
रिकॉर्ड में गुरदेव सिंह का नाम बलदेव सिंह दर्ज किया गया है और उनके पिता का नाम छोड़ दिया गया है। ज्ञान सिंह ने 1996 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों पर सीबीआई की जांच के दौरान अमृतसर स्थित सीबीआई के शिविर कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। ज्ञान सिंह का निधन हो चुका है।
क्रमांक 287/981 के अंतर्गत, सूची में सुखदेव के 6 फरवरी 1993 को हुए अंतिम संस्कार का विवरण है।
सिंह उर्फ सुक्का, पुत्र बलवंत सिंह, निवासी भामनवाला, की हत्या पट्टी पुलिस स्टेशन के एसआई सीता राम ने उसी एफआईआर संख्या 9/93 के तहत एक मामले में की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर 6/2/93 की तारीख अंकित है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
45. क्रमांक 112/1002 के अंतर्गत सीबीआई की सूची में बग़रियन निवासी रणजीत सिंह उर्फ राणा के अंतिम संस्कार का आंशिक उल्लेख है, जो वेरोवाल पुलिस स्टेशन के एसआई जरनैल सिंह द्वारा 17 मार्च 1993 को एफआईआर क्रमांक 12/93 के तहत किया गया था। पोस्टमार्टम क्रमांक जीएसडी-6/93 है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने अपने स्रोतों से इस मामले के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01143। इस मामले में मुख्य सूचनादाता पीड़िता की मां कश्मीर कौर हैं।
करतार सिंह ढिल्लों के पुत्र इक्कीस वर्षीय रणजीत सिंह उर्फ राणा कश्मीर कौर, अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल के तरन तारन सदर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले बाग़ारियन गाँव की निवासी एक पंजीकृत चिकित्सक थीं। वे अविवाहित थीं और अपनी माता कश्मीर कौर और बड़े भाई परमजीत सिंह के साथ रहती थीं, जो पारिवारिक खेत की देखभाल करते थे। उनके पिता, जो सेना में सेवारत अधिकारी थे, का 1985 में निधन हो गया था।
रणजीत ने 1987 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और एक शिक्षक के अधीन काम करना शुरू कर दिया।
रणजीत ने डॉक्टर बनने के लिए एक कंपाउंडर के रूप में चिकित्सा का अध्ययन किया। दो साल के प्रशिक्षण के बाद, रणजीत ने गांव में अपना क्लिनिक स्थापित किया और एक सफल व्यवसाय स्थापित किया। उन्हें दो बार अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया और यातनापूर्ण पूछताछ की गई। दोनों बार पुलिस ने उन्हें कई दिनों तक अवैध हिरासत में रखने के बाद रिहा कर दिया।
7 मार्च 1993 को रणजीत आनंदपुर साहिब जाने की तैयारी कर रहा था, जहाँ वह रणजीत सिंह एक धार्मिक मेले में जाना चाहते थे। जब वे अपनी पगड़ी बांध रहे थे, तभी तरन तारन के सदर पुलिस स्टेशन के एसएचओ पूरन सिंह के नेतृत्व में अधिकारियों के एक दल ने उनके घर पर छापा मारा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

अधिकारियों ने उन्हें पगड़ी बांधने दिए बिना ही अपनी जीप में घसीट लिया।
उनकी मां और गांव के कई पड़ोसियों ने उनकी गिरफ्तारी देखी।
रणजीत की गिरफ्तारी के दो दिन बाद, एसएचओ के नेतृत्व में भीखीविंड पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने कार्रवाई की।
तेग बहादुर सिंह ने एक बार फिर कश्मीर कौर के घर पर छापा मारा और उसके बड़े बेटे को अगवा कर लिया।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (507)

Paramjit Singh into custody.
कश्मीर कौर अगले कुछ दिनों में कई बार पुलिस स्टेशनों में गईं।
उसने पुलिस अधिकारियों से अपने बेटों को रिहा करने या उनके खिलाफ किसी भी प्रकार के अपराध के सबूत होने पर कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाई। लेकिन उसे पुलिस स्टेशन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई और वह किसी भी जिम्मेदार अधिकारी से बात नहीं कर सकी।
कुछ दिनों बाद, कश्मीर कौर डीएसपी दिलबाग सिंह से बात करने में कामयाब हो गईं।
तरन तारन के सदर पुलिस स्टेशन के गेट पर डीएसपी ने कहा, “मां, आपके बेटों ने गलत काम किए हैं। लेकिन हम उन्हें कुछ दिनों बाद रिहा कर देंगे। आप घर जाइए।”
कश्मीर कौर को पता चला कि पुलिस अधिकारी रंजीत के साथ घूम रहे थे।
सिंह ने इलाके में जाकर उनसे कहा कि वे उग्रवादी आंदोलन के जितने भी समर्थकों को जानते हैं, उन सभी को गिरफ्तार करवा दें। कुछ दिनों बाद, अधिकारियों के उसी समूह ने बाग़ारियन गांव के संतोख सिंह के बेटे बलविंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया।
12 या 13 मार्च को एसएचओ पूरन सिंह बाग़ारियन गांव वापस आए।
रणजीत सिंह भी उनके साथ थे। पुलिस ने उनके घर और खेतों की पूरी तरह से तलाशी ली, इस दौरान रणजीत सिंह पुलिस वाहन में ही बैठे रहे। यह घटना दिनदहाड़े घटी और गांव के कई निवासियों ने इसे देखा।
17 मार्च 1993 को, उनकी गिरफ्तारी के दस दिन बाद, पुलिस ने उनकी हत्या की घोषणा की।
रणजीत सिंह की कथित मुठभेड़ में गांव बाथ के पास मौत हो गई। उनके साथी ग्रामीण बलविंदर सिंह, जो संतोख सिंह के पुत्र थे और जिन्हें पुलिस ने रणजीत की गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद ही हिरासत में लिया था, भी इस मुठभेड़ में मारे गए, हालांकि उनकी पहचान नहीं हो सकी। 19 मार्च 1993 को, एक पंजाबी दैनिक समाचार पत्र जगबानी ने मुठभेड़ के बारे में पुलिस के बयान का विवरण देते हुए एक रिपोर्ट प्रकाशित की। रिपोर्ट में कहा गया कि तरन तारन पुलिस ने गांव बाथ के पास स्थापित एक चेकपोस्ट पर मोटरसाइकिल पर सवार दो संदिग्ध व्यक्तियों को रोकने की कोशिश की। पाखो के की दिशा से आ रहे उन व्यक्तियों ने रुकने के बजाय पुलिस अधिकारियों की दिशा में गोलीबारी शुरू कर दी। परिणामस्वरूप हुई मुठभेड़ में दोनों आतंकवादी मारे गए। एक आतंकवादी की पहचान रणजीत सिंह उर्फ राणा के रूप में हुई, जो बब्बर खालसा इंटरनेशनल का लेफ्टिनेंट जनरल था और बगरियान गांव का रहने वाला था।
पुलिस ने परिवार को सूचित किए बिना ही अंतिम संस्कार कर दिया। कुछ रिश्तेदारों ने...

हालांकि, स्थानीय लोग दूर से जलती हुई चिताओं को देखने में कामयाब रहे और श्मशान घाट के कर्मचारियों की मदद से राख एकत्र कर ली।
रणजीत के बारे में अखबार की रिपोर्ट विस्तृत और गहन थी। विडंबना यह है कि हालांकि, उनका अंतिम संस्कार सीबीआई की आंशिक रूप से पहचाने गए शवों की सूची में दर्ज है। बाग़ारियन गांव के संतोख सिंह के पुत्र बलविंदर सिंह का अंतिम संस्कार एक अज्ञात आतंकवादी के रूप में किया गया था। सीबीआई की अज्ञात शवों की सूची में उनका अंतिम संस्कार क्रमांक 593/1001 के अंतर्गत दर्ज है। यह अंतिम संस्कार तरन तारन के सदर पुलिस स्टेशन के एसएचओ द्वारा एफआईआर क्रमांक 12/93 के तहत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आश्चर्यजनक रूप से 18.3.93 की तारीख अंकित है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
कश्मीर कौर ने अपना सारा ध्यान अपने बड़े बेटे परमजीत को लाने के काम में लगा दिया।
भिखीविंड पुलिस की हिरासत से रिहा कर दिया गया। उसे एक पुलिस एजेंट को 30,000 रुपये देने पड़े, जिसने कहा कि अधिकारी उसे पैसे के बिना नहीं जाने देंगे। कश्मीर कौर के पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए उसने रकम जुटाने के लिए अपनी जमीन गिरवी रख दी। पुलिस ने परमजीत को उसके भाई की फांसी के चार दिन बाद रिहा कर दिया।
46. क्रमांक 113/1030 के अंतर्गत सीबीआई सूची में परमजीत सिंह उर्फ पम्मा, पुत्र नरिंदर सिंह के अंतिम संस्कार का आंशिक रूप से उल्लेख है, जो पट्टी पुलिस स्टेशन के एसआई गोविंदर सिंह द्वारा 14 जून 1993 को एफआईआर संख्या 33/93 के तहत किया गया था। पोस्ट-508 राख में बदल गया

पोस्टमार्टम रिपोर्ट संख्या को 'लागू नहीं' के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने इस मामले के संबंध में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/00761 है। मुख्य सूचनादाता पीड़ित की पत्नी सुखवंत कौर हैं।
नरिंदर सिंह के पुत्र, तैंतीस वर्षीय परमजीत सिंह उर्फ पम्मा।
सुरजीत कौर, अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के पट्टी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले बहमनी वाला गांव की निवासी थीं। वह पंजाब पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थीं। परमजीत का विवाह सुखवंत कौर से हुआ था और उनके एक पुत्री और एक पुत्री थे।
Paramjit Singh was an Amritdhari Sikh. He had joined the Punjab Police in 1982-
उनका जन्म 1983 में हुआ था और प्रारंभ में उनकी तैनाती गुरदासपुर जिले में हुई थी। बाद में उनका तबादला कपूरथला जिले में कर दिया गया। उनके बड़े भाई भारतीय सेना में कार्यरत थे। उनके परिवार का राजनीति से कोई संबंध नहीं था।
1989 में, आतंकवादियों ने परमजीत के परिवार को धमकाना शुरू कर दिया ताकि उन पर इस्तीफा देने का दबाव बनाया जा सके।
पुलिस बल से परमजीत को निकाल दिया गया। उग्रवादियों ने परमजीत के पिता को बुरी तरह पीटा। इस घटना के बाद परमजीत कपूरथला पुलिस स्टेशन से 48 घंटे की छुट्टी पर चले गए, लेकिन ड्यूटी पर वापस नहीं लौटे। उन्होंने अपना इस्तीफा भी नहीं दिया। परमजीत ने अपनी डेढ़ एकड़ जमीन गिरवी रखकर एक मारुति वैन

[illegible] 1990 [illegible]
2 [illegible] 1993 [illegible] 15 [illegible] 16 [illegible]
[illegible]
On 4 June 1993, a delegation comprising Paramjit's father Narinder Singh, Paramjit's
[illegible] (509)
11 [illegible] 1993 [illegible]
15 [illegible] 1993 [illegible]

ब्राह्मणी वाला गांव के निवासी सिंह उर्फ पम्मा की मुठभेड़ गांव के पास एक जल नहर के पुल पर हुई। अजीत अखबार ने बताया कि उसका एक साथी भागने में कामयाब रहा। इस खबर के बावजूद, परिवार और गांव के अन्य निवासियों का कहना है कि 13, 14 या 15 जून 1993 को उनके गांव के पास किसी भी प्रकार की गोलीबारी की आवाज नहीं सुनी गई।
47. क्रमांक 115/1051 के अंतर्गत सीबीआई की सूची में प्रियरा सिंह के पुत्र सुखदेव सिंह के अंतिम संस्कार का आंशिक उल्लेख है, जो वेरोवाल पुलिस स्टेशन के एसएचओ सुबा सिंह द्वारा 28 जुलाई 1993 को एफआईआर संख्या 44/93 के तहत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट संख्या केके 6/93 है। मृत्यु का कारण "मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने इस मामले के संबंध में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01351 है। इस मामले में मुख्य सूचनादाता पीड़ित का भाई हरभजन सिंह है।
पियारा सिंह और मंगल कौर के पुत्र, सत्ताईस वर्षीय सुखदेव सिंह थे।
अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल के सरहल्ली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत रानी वाला गांव की मज़हबियां दी थाथी बस्ती में रहने वाला एक मज़हबी सिख। उसकी पत्नी का नाम भोली था और उनका एक बच्चा था।
सुखदेव ने मैट्रिक की पढ़ाई पूरी कर ली थी और पंजाब में स्पेशल पोस्ट ऑफिसर के रूप में काम किया था।
पुलिस। उसे उसी गांव के निवासी उसके चाचा ठेकेदार जोगिंदर सिंह के अंगरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। जोगिंदर सिंह ने सुखदेव और गांव के अन्य लड़कों को विशेष सुरक्षाकर्मी (एसपीओ) के रूप में भर्ती कराया था और फिर उन्हें उग्रवादियों से अपनी सुरक्षा के लिए अंगरक्षक नियुक्त किया था।
जून 1993 के अंतिम सप्ताह में, सरहल्ली कलां पुलिस स्टेशन के एसएचओ, गुरदेव
सिंह ने रानी वाला गांव पर छापा मारा और एसपीओ शिंदा सिंह (बचन सिंह का बेटा), देसा सिंह (अमर सिंह का बेटा), सुखदेव सिंह और बलकार सिंह बॉबी (जोगिंदर सिंह का अपना बेटा) को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने सुखदेव सिंह के भाई दलजीत सिंह को भी गिरफ्तार किया, जो भारतीय सेना की 13 सिख लाइट इन्फैंट्री में लांस नायक के पद पर कार्यरत थे और जोगिंदर सिंह से मिलने आए थे। पुलिस ने सभी पांचों लोगों को सुबह 7 बजे ठेकेदार जोगिंदर सिंह के घर से गिरफ्तार किया। उन्हें संगतपुरा के पास के गांव में चोरी करने के संदेह में गिरफ्तार किया गया था।
इसके बाद उसी पुलिस ने शिंगारा के पुत्र बलकार सिंह काला के घर पर छापा मारा।
सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस बलकार सिंह को हिरासत में ले गई। बलकार सिंह घर पर नहीं था, इसलिए पुलिस ने उसकी मां तारो, पत्नी शिंदर कौर और बच्चों को हिरासत में ले लिया। अगले दिन जोगिंदर सिंह ने बलकार सिंह काला को सरहल्ली कलां पुलिस स्टेशन के सामने पेश किया, और पुलिस ने बलकार की मां, पत्नी और बच्चों को रिहा कर दिया।
पियारा सिंह के पुत्र दलजीत सिंह (फौजी) को उनकी गिरफ्तारी के उसी दिन रिहा कर दिया गया था।
उनके अनुसार, सभी लोगों को सरहल्ली कलां पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहाँ एसएचओ ने शिंदा सिंह, सुखदेव सिंह और देसा सिंह को अपनी निजी निगरानी में

बेरहमी से प्रताड़ित किया। उनकी जांघों पर लोहे के रोलर चलाए गए। गिरफ्तारी वाले दिन ही पुलिस शिंदा सिंह, सुखदेव सिंह और देसा सिंह को उनके घर ले आई। पुलिस दल ने दो सूट (कपड़े) और 100 रुपये जब्त किए।

सुखदेव सिंह के घर से एक सोने का हार, शिंदा सिंह की पत्नी से एक सोने का हार और देसा सिंह के घर से कुछ नकदी बरामद हुई। परिवारों और अन्य ग्रामीणों के अनुसार, तीनों पुरुषों की हालत गंभीर थी जब उन्हें अस्थायी रूप से उनके घरों में वापस लाया गया था।
बलकार सिंह काला, शिंगारा सिंह के पुत्र, से उस दिन पूछताछ किए जाने के बाद,
जब उसे पुलिस के सामने पेश किया गया, तो सरहल्ली कलां पुलिस उसे उसके घर ले गई और उसकी तलाशी ली। वह मुश्किल से चल पा रहा था और उसकी हालत गंभीर थी। इसी बीच जोगिंदर सिंह ठेकेदार परिवारों को आश्वासन देते रहे।
उन्होंने कहा कि वे मामलों की जांच कर रहे हैं और जल्द ही आरोपियों को रिहा करवा देंगे। गिरफ्तारी के तीसरे दिन पुलिस ने जोगिंदर सिंह के बेटे बलकार सिंह बॉबी को रिहा कर दिया।
गिरफ्तारी के पांच या छह दिन बाद एक समाचार में बताया गया कि
पुलिस अधिकारी शिंदा सिंह, सुखदेव सिंह और देसा सिंह अपने हथियार और वायरलेस सेट लेकर ड्यूटी छोड़कर भाग गए थे। यह खबर सुनकर उनके परिवार वाले बहुत चिंतित हो गए, क्योंकि वे उस समय पुलिस हिरासत में थे। परिवार वाले सरहल्ली पुलिस स्टेशन गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। वे और जानकारी की उम्मीद में लगातार पुलिस स्टेशन जाते रहे।
13-14 जुलाई 1993 को एक समाचार पत्र ने खबर दी कि शिंदा सिंह, देसा सिंह, बलकार
करमोवाला निवासी करनैल सिंह के पुत्र सिंह काला और मंगल सिंह, कौरे वधाउन गांव के पास सरहल्ली कलां पुलिस स्टेशन की पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए। घटना स्थल के पास रहने वाले लोगों के अनुसार, पुलिस ने घटना को सुबह 5-6 बजे के बीच घटित बताया। मारे गए चार लोगों में से दो, शिंदा सिंह और देसा सिंह, कथित तौर पर पुलिस की ड्यूटी से फरार थे, जबकि बलकार सिंह काला और मंगल सिंह पहले से ही पुलिस हिरासत में थे। सीबीआई की सूची के अनुसार, उनके अंतिम संस्कार 12 जुलाई 1993 को क्रमांक 319/1043, 320/1044, 321/1045 और 322/1046 के तहत हुए थे।
पुलिस ने मृतकों के शव उनके परिवारों को नहीं सौंपे और न ही उन्हें इसकी सूचना दी।
इस घटना के बाद, परिवार के लोग डर के मारे पुलिस के पास नहीं गए और उन्होंने अंतिम संस्कार भी नहीं किया।
इस समाचार रिपोर्ट के प्रकाशित होने के बाद, सुखदेव सिंह के परिवार ने संपर्क किया।
उन्होंने सरहल्ली कलां पुलिस स्टेशन में कई बार फोन किया, लेकिन उन्हें न तो थाने में प्रवेश करने दिया गया और न ही कोई जानकारी दी गई। हालांकि, उन्हें पता चला कि सुखदेव सिंह वेरोवाल थाने में हैं; लेकिन डर के मारे वे वहां नहीं गए।
29 जुलाई 1993 को एक समाचार में बताया गया कि एक उग्रवादी सुखदेव सिंह के साथ-साथ

पुलिस स्टेशन में उन्हें बताया गया कि सुखदेव से पूछताछ के बाद उसे रिहा कर दिया जाएगा। गिरफ्तारी के बाद पहले कुछ दिनों तक उन्हें उसके लिए खाना और कपड़े लाने की भी अनुमति दी गई। बाद में, एसएचओ पूरन सिंह ने उन्हें पुलिस स्टेशन परिसर में प्रवेश करने से मना कर दिया। लेकिन परिवार के सदस्य उसकी रिहाई की उम्मीद में 23 दिसंबर 1993 तक प्रतिदिन पुलिस स्टेशन आते रहे।
24 दिसंबर 1993 को, एक पंजाबी दैनिक जगबानी ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें एक घटना का जिक्र था।
बेहला गांव के पास हुई मुठभेड़ में सुखदेव सिंह और कालेर गांव के ठाकुर सिंह के बेटे सुलाखन सिंह के मारे जाने की खबर है। रिपोर्ट में उनके शव की तस्वीर भी छपी है। रिपोर्ट में उद्धृत पुलिस सूत्रों के अनुसार, मुठभेड़ तब हुई जब दोनों "आतंकवादी" स्कूटर पर सवार थे और उन्होंने नियमित जांच के लिए रोके गए पुलिस अधिकारियों के एक समूह पर गोलीबारी शुरू कर दी।
किसी अज्ञात कारण से, सुखदेव सिंह के अंतिम संस्कार का जिक्र बार-बार आता है।
सीबीआई की आंशिक रूप से पहचानी गई सूची, क्रमांक 116/1085 के अंतर्गत, सुखदेव के पिता का नाम नहीं देती है। उसी अधिकारी द्वारा उसी एफआईआर के तहत किए गए सुलाखन सिंह के अंतिम संस्कार का उल्लेख सीबीआई की क्रमांक 331/1084 के अंतर्गत पहचाने गए अंतिम संस्कारों की सूची में है। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को केके 6/93 के रूप में चिह्नित किया गया है और मृत्यु का कारण "मुठभेड़" बताया गया है।

अमृतसर पुलिस जिले में दाह संस्कार
49. क्रमांक 189/27 के अंतर्गत, सीबीआई की सूची में अमृतसर के सदर पुलिस स्टेशन के एएसआई संतोख सिंह द्वारा 5 जुलाई 1991 को एफआईआर संख्या 362/91 के तहत किए गए हरबंस सिंह के पुत्र कुलवंत सिंह के अंतिम संस्कार की आंशिक रूप से पहचान की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट 512 राख में बदल गया

संख्या नहीं दी गई है। मृत्यु का कारण "गोली लगने से लगी चोटें" बताया गया है।
समिति ने अपने स्रोतों से इस मामले के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01472. इस मामले में मुख्य सूचनादाता पीड़ित के पिता महल सिंह फौजी हैं।
छब्बीस वर्षीय कुलवंत सिंह, जिनके पिता का असली नाम महल सिंह है,
कुलवंत मुंबई इंजीनियर्स ग्रुप बटालियन में भारतीय सेना के सैनिक थे। वे अमृतसर के ज्वाला आटा मिल डाकघर के अंतर्गत थांदे के पास स्थित कीर्तनगढ़ गांव के निवासी थे और मज़हबी सिख थे। उनके पिता महल सिंह भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हो चुके थे। कुलवंत अविवाहित थे।
1982 में सेना में भर्ती होने के बाद, कुलवंत को एक सदस्य के रूप में श्रीलंका भेजा गया था।
कुलवंत सिंह भारतीय शांति सेना (आईपीकेएफ) में लगभग ढाई साल तक एलटीटीई के खिलाफ भारतीय सेना के अभियानों में शामिल रहे थे। श्रीलंका से लौटने पर कुलवंत सिंह की तैनाती मुंबई के पास पुणे में हुई। मई 1991 में, कुलवंत सिंह दो महीने की छुट्टी पर पुणे से घर लौटे। जून 1991 में एक दिन,

आतंकवादियों के एक समूह ने उनके बड़े भाई संतोख सिंह को, जो अपने माता-पिता के साथ उसी गांव में रहते थे, उनके आदेश के खिलाफ नियमित रूप से शराब पीने के कारण बुरी तरह पीटा। संतोख सिंह की अस्पताल में चोटों के कारण मृत्यु हो गई। कुलवंत सिंह बहुत परेशान थे क्योंकि आतंकवादियों से और अधिक प्रतिशोध के डर से उनके परिवार ने घटना की जानकारी पुलिस को न देने का फैसला किया था। उन्होंने अपनी छुट्टी जल्दी समाप्त करके पुणे लौटने की योजना बनाई। वे इस योजना को पूरा नहीं कर सके क्योंकि संतोख की मृत्यु के तीन दिन बाद, एक इंस्पेक्टर के नेतृत्व में पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी ने उनके घर पर छापा मारा और कुलवंत सिंह को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। महल सिंह को पता चला कि कुलवंत को बी.आर. मॉडल स्कूल में हिरासत में रखा गया है।
अमृतसर शहर में पूछताछ केंद्र। कुछ दिनों बाद, एक पुलिस कांस्टेबल ने उनसे संपर्क किया और उनके बेटे को अवैध हिरासत से रिहा करने के बदले 20,000 रुपये की मांग की। महल सिंह ने उन्हें 8,000 रुपये दिए और वादा किया कि कुलवंत सिंह की रिहाई के बाद वह शेष राशि दे देंगे। महल सिंह को उम्मीद थी कि उनके बेटे को कोई गंभीर नुकसान नहीं होगा क्योंकि वह भारतीय सेना का सिपाही था और उसने पंजाब में बहुत कम समय बिताया था।
4 जुलाई 1991 को उनकी उम्मीदें चकनाचूर हो गईं जब पुलिस ने एक सुनियोजित साजिश रची।
अपने गांव के पास हुई मुठभेड़ का नाटकीय ब्यौरा देकर उन्होंने दावा किया कि उन्होंने चार खूंखार आतंकवादियों को मार गिराया है। कुलवंत सिंह को पूछताछ केंद्र से कीर्तनगढ़ के पास मुठभेड़ स्थल पर लाया गया और वहां तीन अन्य लोगों के साथ मार दिया गया, जिनमें तरन तारन के तुर्दी गांव का रहने वाला ईसाई लड़का जगदीश मसीह भी शामिल था, जो अवैध पुलिस हिरासत में था। क्रमांक 186/20, 187/21 और 188/22 के तहत, सीबीआई की पहली सूची में तीन लोगों की पहचान की गई है।
अमृतसर के सदर पुलिस स्टेशन के एएसआई संतोख सिंह द्वारा 5 जुलाई 1991 को उसी एफआईआर संख्या 362/91 के तहत किए गए अंतिम संस्कारों की सूची में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल हैं: [1] निर्वेल सिंह, पिता दरबारा सिंह, निवासी जगतपुर, [2] सुखबीर सिंह, पिता अत्तम सिंह, निवासी ठाके और [3] जगदीश मसीह, पिता गुरदयाल मसीह, निवासी तुर्दी (टीटी), खपरखेरी। सूची में पोस्टमार्टम रिपोर्ट संख्या का उल्लेख नहीं है और मृत्यु का कारण "गोली लगने से लगी चोटें" बताया गया है।
50 – 51. क्रमांक 193/30 और 194/31 के अंतर्गत, सीबीआई की सूची में चीरता पुलिस स्टेशन के एसएचओ/इंस्पेक्टर द्वारा 23 जुलाई 1991 को एफआईआर संख्या 129/91 के तहत किए गए दो शवदाहों की आंशिक रूप से पहचान की गई है। ये शवदाह [1] तरलोचन सिंह और [2] डॉ. बलजिंदर के हैं।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (513)

सिंह। पोस्टमार्टम रिपोर्ट संख्या उपलब्ध नहीं है। मृत्यु का कारण "गोली लगने से लगी चोटें" बताया गया है।
समिति ने इन मामलों के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01362 और 01363 है। मुख्य सूचनादाता तरलोचन सिंह के पिता मंगल सिंह हैं।
मंगल सिंह और मोहिंदर कौर के पुत्र तरलोचन सिंह, निवासी थे।

अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल के झब्बल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत छप्पा गांव, बघियारी डाकघर में रहने वाले तरलोचन एक अमृतधारी सिख थे। वेरोवाल गांव में मोटर मैकेनिक का काम करते थे और उन्होंने अपनी कार्यशाला स्थापित की थी। 1988 से सिख छात्र संघ से जुड़े होने के कारण पुलिस ने तरलोचन सिंह को बार-बार गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। उनके खिलाफ एक बार मामला दर्ज किया गया। जेल से रिहा होने के बाद पुलिस ने तरलोचन सिंह और उनके परिवार को फिर से परेशान करना शुरू कर दिया। परिणामस्वरूप, तरलोचन ने अपना घर छोड़ दिया।
हरभजन सिंह के पुत्र डॉ. बलजिंदर सिंह, पंजवार गांव के निवासी थे।
अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल के झब्बल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले डॉ. बलजिंदर सिंह का एक बच्चा था। डॉ. बलजिंदर सिंह उग्रवादी आंदोलन के एक वरिष्ठ नेता थे। वे सिख छात्र संघ (बिट्टू) के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी थे। पुलिस ने उन्हें कई बार गिरफ्तार किया था, जिसके बाद वे छिप गए थे। तरलोचन सिंह और डॉ. बलजिंदर सिंह ने अपनी पहचान छिपाकर एक कमरा किराए पर लिया।
ओसीएम मिल के सामने फोरमैन जग्गा सिंह के घर के एक कमरे में। 23 जुलाई 1991 को, पुलिस ने अमृतसर के सूरज-चंदा सिनेमाघर से तरलोचन सिंह को गिरफ्तार किया, जो बस स्टैंड के सामने स्थित था। उसकी पहचान एक अन्य युवक ने की थी जो पहले से ही पुलिस हिरासत में था। पुलिस ने उससे पूछताछ के दौरान पता लगाया कि वह और डॉ. बलजिंदर सिंह कहाँ रहते हैं। पुलिस तरलोचन सिंह को दोपहर 2 बजे वहाँ ले गई और डॉ. बलजिंदर सिंह को पकड़ लिया। पुलिस ने दोनों को घर के अंदर ही गोली मारकर हत्या कर दी।
सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन और उग्रवादी संगठनों ने इसके जवाब में हड़ताल का आह्वान किया।
तरलोचन सिंह और डॉ. बलजिंदर सिंह की फांसी के संबंध में।
उनके परिवारों को उनकी मृत्यु या दुर्गियाना में उनके अंतिम संस्कार के बारे में सूचित नहीं किया गया था।
मंदिर के श्मशान घाट में पुलिस ने मंगल सिंह के पुत्र दीदार सिंह और स्वर्ण सिंह तथा उनके चचेरे भाई तरलोक सिंह (जरनैल सिंह का पुत्र) को भी मार डाला। दीदार सिंह और तरलोक सिंह की हत्याओं का विवरण क्रमांक 101/902 के अंतर्गत ऊपर दिया गया है।
52 – 53. क्रमांक 198/32 और 199/33 के अंतर्गत, सीबीआई की सूची में अमृतसर के सदर पुलिस स्टेशन के एसएचओ द्वारा 3 अगस्त 1991 को एफआईआर संख्या 412/91 के तहत किए गए दो शवदाहों की आंशिक पहचान की गई है। ये शवदाह [1] स्वर्ण सिंह, पुत्र लाल सिंह, और [2] दलजीत सिंह, पुत्र सौदागर सिंह के हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कोई क्रमांक नहीं है। मृत्यु का कारण "साइनाइड के सेवन से मृत्यु" बताया गया है।
समिति ने इन मामलों के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01364 और 01365। इस मामले में मुख्य सूचनादाता दलजीत सिंह का भाई मलकीत सिंह है।
स्वर्गीय सौदागर सिंह और रणजीत कौर के पुत्र, बाईस वर्षीय दलजीत सिंह,
वह अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल के झब्बल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत भाघियारी डाकघर के छप्पा गांव के निवासी थे। वह एक अमृतधारी सिख थे। 514 लोगों के रूप में उनकी मृत्यु हो गई।

तहत 4 सितंबर 1991 को किया गया था। इसमें पोस्टमार्टम संख्या नहीं है।
मृत्यु का कारण "गोली लगने से घायल; मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने इस मामले के संबंध में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/00224 है। मुख्य सूचनादाता पीड़िता की पत्नी शिंदर कौर हैं।
Thirty-five year old Lakhwinder Singh, alias Jahaj, son of Joginder Singh and सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (515)

सविंदर कौर अमृतसर के सदर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले संगना गांव में रहती थीं। उनका विवाह शिंदर कौर से हुआ था और उनकी एक दस वर्षीय बेटी है। लखविंदर सिंह किसान थे। उनके पिता अकाली दल द्वारा शुरू किए गए राजनीतिक आंदोलन धर्म युद्ध मोर्चा में शामिल थे।
1990 में, छेहरटा पुलिस ने लखविंदर के छोटे भाई मंगा को हिरासत में ले लिया।
सिंह चाहते थे कि उनका परिवार लखविंदर को पुलिस स्टेशन में पेश करे। लखविंदर को पुलिस स्टेशन में पेश किए जाने के बाद, पुलिस ने उसे एक मामले में फंसाकर अमृतसर जेल भेज दिया। तीन-चार महीने बाद, उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद, पुलिस ने लखविंदर के घर पर छापेमारी शुरू कर दी और अंततः लखविंदर पुलिस के डर से अपना घर छोड़कर भाग गया।
हालांकि, अक्टूबर 1991 में, पुलिस ने लखविंदर को खेतों में गिरफ्तार कर लिया।
उसके गांव संघना में, पुलिस ने उसे गोली मारकर हत्या कर दी। उसकी मौत की खबर पंजाबी दैनिक अजीत में छपी। लखविंदर के परिवार ने भी दुर्गियाना मंदिर श्मशान घाट में पुलिस द्वारा आयोजित अंतिम संस्कार में भाग लिया। लखविंदर की मौत के बाद, उसके पिता जोगिंदर सिंह भी लापता हो गए।
55. क्रमांक 219/37 के अंतर्गत, सीबीआई की सूची में अमृतसर के सदर पुलिस स्टेशन के एसएचओ द्वारा 26 सितंबर 1991 को एफआईआर संख्या 525/91 के तहत किए गए हरभजन सिंह के पुत्र इंदरजीत सिंह के अंतिम संस्कार का आंशिक रूप से उल्लेख है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कोई क्रमांक नहीं है। मृत्यु का कारण "गोलीबारी से लगी चोटें" बताया गया है।
समिति ने अपने स्रोतों से इस मामले के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/00228. मुख्य सूचनादाता पीड़ित के पिता हरभजन सिंह हैं।
Inderjit Singh alias Kala, son of Harbhajan Singh and Balbir Kaur, lived at village
अमृतसर के सदर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत संघना में रहने वाले, अमृतसर तहसील और जिले के एक व्यक्ति का निधन हो गया। वह 28 वर्ष के थे, किसान थे और उनकी पत्नी अमरजीत कौर के साथ उनका एक बेटा था, जिसकी उम्र अब लगभग दस वर्ष है। इंदरजीत के पिता हरभजन सिंह ने 1982 में अकाली राजनीतिक आंदोलन "धर्मयुद्ध" में सक्रिय रूप से भाग लिया था। इसी भागीदारी के कारण पुलिस उनके परिवार को संदेह की नजर से देखती थी।
13 जून 1991 को पुलिस ने इंदरजीत सिंह को अमृतसर-मंज से अपहरण कर लिया इंदरजीत सिंह की मृत्यु की खबर 26 सितंबर 1991 को पंजाबी दैनिक अजीत में प्रकाशित हुई थी, जिसमें बताया गया था कि अमृतसर शहर के मंज रोड पर पुलिस

मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। पुलिस ने कथित तौर पर इंदरजीत सिंह के साथ दो अन्य आतंकवादियों को भी मार गिराया था।
क्रमांक 218/27 और 220/28 के तहत, सीबीआई की पहली सूची में 26 सितंबर की दो घटनाओं की पहचान की गई है।
1991 शवों का अंतिम संस्कार सदर पुलिस स्टेशन के एसएचओ द्वारा एक ही एफआईआर संख्या 525/91 के अंतर्गत किया गया। ये शव निम्नलिखित व्यक्तियों के हैं: [1] कश्मीर सिंह उर्फ लांडू, पिता कुंदन सिंह, निवासी नेहरू कॉलोनी, अमृतसर, और [2] जसपाल सिंह, पिता प्रीतम सिंह, निवासी मुस्तफाबाद। सूची में पोस्टमार्टम रिपोर्ट संख्या नहीं दी गई है। मृत्यु का कारण "गोली लगने से लगी चोटें" बताया गया है।
56 – 57. क्रमांक 293/44 और 294/45 के अंतर्गत, सीबीआई की सूची में 23 मई 1992 को सदर अमृतसर पुलिस द्वारा किए गए दो शवदाहों की आंशिक पहचान की गई है। ये शव [1] हरविंदरजीत सिंह, पुत्र सविंदर सिंह गिल और [2] मनदीप सिंह, पुत्र सेवा सिंह के हैं। कोई एफआईआर या पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्रमांक नहीं है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
516 राख में तब्दील

समिति ने इन मामलों के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01135 है। मुख्य सूचनादाता हरविंदरजीत सिंह के पिता, सविंदर सिंह हैं।
बीस वर्षीय हरविंदरजीत सिंह गिल, जो सविंदर सिंह गिल और सुरिंदर के पुत्र हैं।
कौर, अमृतसर शहर के विजय नगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गुरुद्वारा वाली रोड, गली नंबर 4, भवानी नगर के निवासी थे। वे अपने माता-पिता के इकलौते पुत्र थे। हरविंदरजीत अमृतसर के खालसा कॉलेज में खाद्य प्रौद्योगिकी में बीएससी के अंतिम वर्ष के छात्र थे। वे सिख छात्र संघ के सदस्य थे, लेकिन किसी भी आपराधिक मामले में उन्हें कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था। हरविंदरजीत अविवाहित थे।
हरविंदरजीत के पिता सविंदर सिंह भारतीय सेना में 51 वीं बटालियन के सैनिक थे।
1962 में चीन के खिलाफ भारत के युद्ध में अग्रणी भूमिका निभाने वाली माउंटेन रेजिमेंट के सविंदर सिंह इस युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो गए थे और चीनी सेना द्वारा बंदी बना लिए गए थे। चीनी सेना के साथ तीन महीने युद्धबंदी रहने के बाद, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की मध्यस्थता से सविंदर सिंह भारतीय सेना के हाथों में लौट आए। उनकी दाहिनी भुजा गोली लगने से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी और दोनों पैर ठंड से गलकर गैंग्रीन का शिकार हो गए थे। सविंदर सिंह लंबे समय तक सैन्य अस्पताल में भर्ती रहे और अंततः उनके दोनों पैर काटने पड़े। 1966 में, चिकित्सा कारणों से सविंदर सिंह को सेना से छुट्टी दे दी गई और वे पंजाब स्थित अपने गांव लौट आए और नए सिरे से जीवन की राह पर चल पड़े। विकलांग होने के बावजूद, सविंदर सिंह ने एक शिक्षण महाविद्यालय में दाखिला लिया और 1969 में पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद शिक्षक बन गए। सितंबर 1970 में, उन्होंने सुरिंदर कौर से विवाह किया और 25 अक्टूबर 1971 को उनके इकलौते बेटे हरविंदरजीत सिंह का जन्म हुआ।

माता-पिता दोनों को इस बात पर गर्व था कि उनका इकलौता बेटा पढ़ाई में अच्छा था।
उच्च माध्यमिक विद्यालय की परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करने के बाद, हरविंदरजीत ने खालसा कॉलेज में खाद्य प्रौद्योगिकी में बीएससी के छात्र के रूप में दाखिला लिया। 1992 में, वह अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे। हरविंदरजीत न केवल पढ़ाई में मेहनती थे, बल्कि अपने माता-पिता से भी बहुत जुड़े हुए थे और हर शाम कॉलेज से समय पर घर लौट आते थे।
22 मई 1992 को दोपहर लगभग 1:30 बजे, हरविंदरजीत और उनके मित्र मनदीप सिंह, अमृतसर के राम तीर्थ रोड स्थित आदर्श नगर के मकान नंबर 38 में रहने वाले सेवा सिंह के पुत्र हरविंदरजीत सिंह स्वर्ण मंदिर परिसर के भीतर सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति (एसजीपीसी) के कार्यालय गए। दोनों के पास छात्र पहचान पत्र थे और इसके अतिरिक्त उनके पास पूर्व सैनिकों के बच्चों को जारी किया गया शिक्षा रियायती कार्ड नंबर 7624 भी था। कार्यालय में एसजीपीसी के कुछ पदाधिकारियों से मिलने के बाद, जब हरविंदरजीत और मनदीप स्वर्ण मंदिर परिसर से बाहर निकले, तो सादे कपड़ों में मौजूद डीएसपी रतन लाल मोंगा ने हरविंदरजीत को बांह से पकड़ लिया और तलाशी करवाने को कहा। हरविंदरजीत को पता नहीं था कि सादे कपड़ों में मौजूद एक अधिकारी ने उन्हें पकड़ा है, और उन्होंने इस असभ्य व्यवहार का ज़ोरदार विरोध किया। कहासुनी हाथापाई में बदल गई और दोनों ज़मीन पर गिर पड़े। हरविंदरजीत को तब भी पता नहीं था कि जिससे वह झगड़ रहे थे वह पंजाब पुलिस का अधिकारी था, तभी डीएसपी मोंगा ने अपने अधीनस्थों को उन्हें गोली मारने का आदेश दिया। हरविंदरजीत को गोली लगी और वह सड़क पर गिरकर मर गया। मनदीप सिंह, जो झगड़ा सुलझाने के लिए बीच-बचाव करने की कोशिश कर रहा था, अपने दोस्त को गोली लगने से घायल और खून से लथपथ सड़क पर पड़ा देखकर स्तब्ध रह गया। घबराया हुआ मनदीप अपनी जान बचाने के लिए एक चाय की दुकान में घुस गया, लेकिन डीएसपी मोंगा उसके पीछे आए, उसे बाहर घसीटकर लाए और गोली मार दी। मनदीप सिंह की भी मौके पर ही मौत हो गई। अमृतसर के सदर पुलिस स्टेशन में घटना को मुठभेड़ बताते हुए एफआईआर संख्या 36 दर्ज की गई।
चूंकि हरविंदरजीत उस शाम घर नहीं लौटा, इसलिए उसके माता-पिता बाहर चले गए। सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (517)

शहर में उसकी तलाश करने के लिए पुलिस आई थी। जब वे बाहर गए हुए थे, कुछ पुलिसकर्मी घर आए और उन्हें न पाकर पड़ोसियों से हरविंदरजीत सिंह के बारे में पूछताछ की। जब पड़ोसियों ने पुलिसकर्मियों को बताया कि वह खालसा कॉलेज में बीएससी का छात्र है, तो एक पुलिसकर्मी ने व्यंग्यपूर्वक कहा, "अच्छा, उसने बीएससी पास कर लिया है।" हालांकि, पुलिसकर्मियों ने अपनी पूछताछ का कारण नहीं बताया और चले गए। जब हरविंदरजीत के माता-पिता अपने बेटे को न पाकर निराश होकर घर लौटे, तो उन्होंने पुलिसकर्मियों को पुलिसकर्मियों के बारे में बताया। अगली सुबह, सविंदर सिंह खालसा कॉलेज गए, लेकिन उन्हें हरविंदरजीत सिंह के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली।

अपने बेटे के लापता होने की शिकायत करते हुए, सविंदर सिंह घर लौट रहे थे। घर लौटते समय उन्होंने अखबार में स्वर्ण मंदिर के बाहर दो सिख युवकों की हत्या की खबर पढ़ी। जब सविंदर सिंह अखबार की एक प्रति लेकर घर लौटे, तो

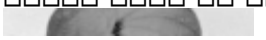

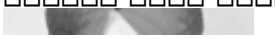

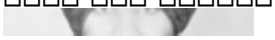

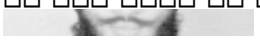

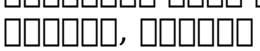

[illegible]

[illegible]

[illegible]

518 [illegible]

1997 [illegible]
58. [illegible] 319/50 [illegible] 15 [illegible] 1992 [illegible] "[illegible]"
CCDP/01372.
Gurbachan Kaur, was an Amritdhari Sikh resident of village Sarai Amanat Khan, Bhoosia Di Patti, under Sarai Amanat Khan police station, in Tarn Taran sub-division of Amritsar district. He was married to Gurmeet Kaur and they had two sons.

सुखदेव सिंह के घर छोड़ने के बाद पुलिस ने उसके परिवार को परेशान करना शुरू कर दिया।
पुलिस ने उसके पिता और भाइयों को अगवा कर लिया, उन्हें प्रताड़ित किया और उन पर दबाव डाला कि वे सुखदेव सिंह को पेश करें। हालांकि, सुखदेव सिंह अपने परिवार के संपर्क में नहीं था और पुलिस के डर से परिवार भी घर से दूर रहने लगा। तब पुलिस ने सुखदेव के रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया।
26 जून 1992 को शाम लगभग 5 बजे, सुखदेव सिंह अपने एक दोस्त से मिलने के बाद वापस लौट रहे थे।
हरबंस कौर की चचेरी बहन और एक साथी अमृतसर के छेहर्टा में रेलवे क्रॉसिंग के पास टहल रहे थे। छेहर्टा पुलिस ने हरबंस कौर के घर से कुछ ही दूरी पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उसी रात पुलिस ने उन्हें घनुपुर काले गांव के पास मुठभेड़ में मारे जाने की सूचना दी। गिरफ्तारी के समय पुलिस ने कुछ गोलियां भी चलाई थीं। अगली सुबह पुलिस ने हरबंस कौर के बेटे को गिरफ्तार किया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे रिहा कर दिया।
पुलिस ने सुखदेव सिंह का अंतिम संस्कार दुर्गियाना मंदिर के श्मशान घाट में किया।
अगले दिन। उन्होंने परिवार को अंतिम संस्कार की सूचना नहीं दी।
सराय अमानत खान पुलिस चौकी के प्रभारी एसएचओ संजीव कुमार शर्मा भी।
परिवार से 10,000 ईंटें जब्त की गईं।
59. क्रमांक 333/55 के अंतर्गत, सीबीआई की सूची में आंशिक रूप से शवदाह की पहचान की गई है।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (519)

मातेशबीर सिंह उर्फ तस्बीरा सिंह की हत्या 10 सितंबर 1992 को अमृतसर के सदर पुलिस स्टेशन में हुई थी। इस मामले में कोई एफआईआर या पोस्टमार्टम रिपोर्ट दर्ज नहीं है। मृत्यु का कारण "जहर" बताया गया है।
समिति ने अपने स्रोतों से इस मामले के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01474. इस मामले में मुख्य सूचनादाता पीड़ित के पिता अनूप सिंह हैं।
अनूप सिंह और सुखबीर कौर के पुत्र, इक्कीस वर्षीय तसवीर सिंह, एक
अमृतसर जिले के अजनाला उपमंडल के झंदेर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत झंदेर गांव, चेलियन वाले के निवासी तसवीर को 1987 में दसवीं कक्षा में पढ़ते समय उग्रवादी संबंधों के संदेह में अवैध रूप से हिरासत में लिया गया और कई बार बेरहमी से प्रताड़ित किया गया। हिरासत में यातनाओं के इन अनुभवों के बाद, तसवीर ने घर छोड़कर उग्रवादी भूमिगत आंदोलन में शामिल होने का फैसला किया। अगले कई वर्षों तक, उनके परिवार के सदस्यों, जिनमें दूर के रिश्तेदार भी शामिल थे, को पुलिस के भारी अत्याचारों का सामना करना पड़ा, जिनमें उनकी सभी मूल्यवान संपत्ति की ज़ब्ती, लंबे समय तक अवैध हिरासत और हिरासत में यातनाएं शामिल थीं। उनके मामा अमरिक सिंह और बहनोई दविंदर सिंह को इतनी बेरहमी से प्रताड़ित किया गया कि दोनों के हाथों में कई फ्रैक्चर हो गए और वे विकलांग हो गए। परिवार को जमीन पर खेती करने की भी अनुमति नहीं दी गई।
तसवीर सिंह को अंततः 9 सितंबर 1992 को अमृतसर में हिरासत में लिया गया था।

एसएचओ बलदेव सिंह तेरा के नेतृत्व में सदर पुलिस ने अमृतसर के विजय नगर स्थित उसकी बहन के घर पर छापा मारा। तसवीर को बी.आर. मॉडल स्कूल पूछताछ केंद्र ले जाया गया। अगले दिन एक अखबार में छपी खबर में दावा किया गया कि तसवीर सिंह ने दो बुर्जी के पास अपने ठिकाने पर अमृतसर पुलिस से घिरे होने के दौरान साइनाइड खाकर दम तोड़ दिया।
पुलिस ने परिवार को सूचित किए बिना ही अंतिम संस्कार कर दिया।
अनूप सिंह के अनुसार, पुलिस ने बाद में उनके बहनोई कश्मीर का अपहरण कर लिया।
गुलजार सिंह के पुत्र सिंह को झंडेर गांव स्थित उसके आवास से ही फर्जी मुठभेड़ में मार डाला गया।
60. क्रमांक 365/59 के अंतर्गत सीबीआई की सूची में राकेश कुमार, पुत्र विश्वमित्र, के अंतिम संस्कार का आंशिक उल्लेख है, जो अमृतसर के सदर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत विजय नगर पुलिस चौकी के एसएचओ आत्मा सिंह द्वारा 27 दिसंबर 1992 को किया गया था। इसमें कोई एफआईआर क्रमांक नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आरकेएस/110/92 दिनांक 27/12/1992 के रूप में दर्ज है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।

समिति ने निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है-

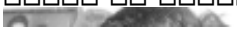

इस मामले से संबंधित जानकारी घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/00143 से प्राप्त की जा सकती है। मुख्य सूचनादाता राकेश कुमार की पत्नी रीता कुमारी हैं। राकेश कुमार

बाईस वर्षीय राकेश कुमार उर्फ केशा,

विश्व मित्र और कैलाश देवी के पुत्र राकेश, अमृतसर जिले के काठू नांगल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जैंतीपुर डाकघर के चचोवाली गांव के निवासी थे। उनका विवाह रीता कुमारी से हुआ था और उनका एक पुत्र गौरव है, जो अब दस वर्ष का है। मैट्रिक पास करने के बाद, राकेश ने एक परिवहन कंपनी में टिकट चेकर के रूप में काम करना शुरू किया। 520 लोग राख में तब्दील हो गए।

12 दिसंबर 1992 को जब राकेश और उनकी पत्नी रीता धारीवाल से लौट रहे थे, तीन-चार सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों ने राकेश को पठानकोट बस स्टैंड के बाहरी गेट से अगवा कर लिया। उन्होंने राकेश को एक बिना नंबर वाली गाड़ी में बिठाया और ले गए। रीता अपने ससुराल लौटी और उन्हें अपने पति के अपहरण के बारे में बताया। उसके ससुर, पिता और बड़े देवर पठानकोट पुलिस स्टेशन गए और एसपी किरपाल सिंह बस्सी से मिले, लेकिन उन्हें राकेश के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली।
25 दिसंबर 1992 को, सादे कपड़ों में एक पुलिसकर्मी उनके घर आया और उसने बताया
राकेश अमृतसर के बी.आर. मॉडल स्कूल के पूछताछ केंद्र में था। उसने उन्हें पैसे के बदले राकेश की रिहाई सुनिश्चित करने को कहा। राकेश के पिता और दो बड़े भाई, ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ अगले दिन अमृतसर गए और एसपी शुक्ला से मिले। एसपी ने उन्हें अगले दिन वापस आने को कहा; वे 28 तारीख को लौटे लेकिन उन्हें कोई सूचना नहीं मिली।
हालांकि, 28 दिसंबर को पंजाबी दैनिक जगबानी ने राकेश के बारे में खबर प्रकाशित की।
26 और 27 दिसंबर 1992 की दरमियानी रात मुठभेड़ में राकेश की मृत्यु हो गई।
समाचार में बताया गया कि राकेश बब्बर खालसा से जुड़ा एक उग्रवादी था।
पुलिस ने उसके परिवार को सूचित किए बिना 27 दिसंबर की सुबह 2 बजे दुर्गाना मंदिर श्मशान घाट में उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया।
राकेश की मौत के बाद पुलिस ने उसके परिवार को परेशान करना शुरू कर दिया और उसके भाई को हिरासत में ले लिया।
कई बार। पहले तो परिवार ने पुलिस की कार्रवाई के डर से कोई कदम नहीं उठाया। बाद में उन्होंने सरकारी नेताओं को ज्ञापन भेजे और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक आवेदन प्रस्तुत किया जिसे समय सीमा समाप्त होने के कारण खारिज कर दिया गया।

मजीथा पुलिस जिले में दाह संस्कार
61. क्रमांक 73/6 के अंतर्गत सीबीआई की सूची में जोगिंदर सिंह के पुत्र निर्मल सिंह उर्फ निम्मा के अंतिम संस्कार का आंशिक उल्लेख है, जो 16 फरवरी 1989 को अजनाला पुलिस द्वारा किया गया था। इसमें कोई एफआईआर संख्या या पोस्टमार्टम रिपोर्ट संख्या नहीं है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने अपने स्रोतों से इस मामले के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।

घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/00347। इस मामले में मुख्य सूचनादाता पीड़िता की मां पूरन कौर हैं।
जोगिंदर सिंह और पूरन के पुत्र निर्मल सिंह उर्फ निम्मा का आयु वर्ग 33 वर्ष है।
कौर, अमृतसर जिले के अजनाला उपमंडल के लोपोके पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जसतरवाल डाकघर के गांव नेपाल की निवासी थीं। वे किसान के रूप में काम करती थीं।
अपने परिवार के प्रति शत्रुता के कारण, उनके चाचा सविंदर सिंह और परगत सिंह ने निर्मल सिंह को परेशान करने और हिरासत में लेने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया, जिसके परिणामस्वरूप निर्मल सिंह ने 12 अगस्त 1988 को अपना घर छोड़ दिया और उग्रवाद में शामिल हो गया। परिवार को उसकी मृत्यु की सूचना एक अखबार में छपी उस खबर से मिली जिसमें सक्का वाली गांव में पुलिस मुठभेड़ की बात कही गई थी। उन्हें कभी भी उसका शव नहीं दिया गया और न ही उसकी मृत्यु या अंतिम संस्कार के बारे में सूचित किया गया। पुलिस ने निर्मल सिंह के घर और संपत्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया और जब्त कर लिया, जिससे 200,000 रुपये का नुकसान हुआ। पुलिस ने निर्मल के भाई रेशम सिंह को भी बार-बार हिरासत में लिया और प्रताड़ित किया। चूंकि जोगिंदर सिंह का देहांत हो चुका था, इसलिए पूरन कौर ने रेशम की रिहाई के लिए अपनी अधिकांश बचत और संपत्ति खर्च कर दी।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (521)

62 – 63. क्रमांक 81/11 और 82/12 के अंतर्गत, सीबीआई सूची में मेहता पुलिस द्वारा 28 अप्रैल 1989 को किए गए दो शवदाहों की आंशिक रूप से पहचान की गई है। ये शवदाह [1] कुलविंदर सिंह, पुत्र अमरिक सिंह, और [2] रघुबीर सिंह उर्फ रघु, पुत्र प्रीतम सिंह के हैं। कोई एफआईआर या पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्रमांक नहीं है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने अपने स्रोतों से इस मामले के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/00147. मुख्य सूचनादाता कुलविंदर सिंह की माता राजवंत कौर हैं।
अमरिक सिंह और राजवंत के बेटे कुलविंदर सिंह उर्फ बिट्टू, जिनकी उम्र इक्कीस वर्ष है।
कौर, गुरदासपुर जिले के गुरदासपुर तहसील के कलानौर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कलानौर के मोहल्ला दग्गर की निवासी थीं। वे अविवाहित थीं और किसान के रूप में काम करती थीं।
कुलविंदर सिंह को पुलिस द्वारा बार-बार हिरासत में लिया गया था। 1986 में, एसआई ने उन्हें हिरासत में लिया था।
कलानौर के एसएचओ जरनैल सिंह ने उसे एक मामले में फंसाकर गुरदासपुर जेल भेज दिया। एक-दो महीने बाद कुलविंदर जमानत पर रिहा हो गया। कुछ समय बाद, कलानौर पुलिस स्टेशन के एसएचओ स्वर्ण सिंह ने उसे एक मामले में फंसाकर कुछ दिनों के लिए अवैध हिरासत में ले लिया। जमानत पर रिहा होने तक कुलविंदर ने संगरूर जेल में एक साल बिताया। अगले एक साल में, पुलिस ने उसे बार-बार हिरासत में लिया और कुछ दिनों बाद रिहा कर दिया।
26 नवंबर 1988 को कांस्टेबल परमजीत सिंह दो अन्य लोगों के साथ आए।

कुलविंदर के घर जाकर उसके माता-पिता को उसे पुलिस स्टेशन में पेश करने को कहा गया। उसी शाम जब कुलविंदर खेतों में काम करके लौटा, तो उसके माता-पिता ने सरपंच और अन्य ग्राम बुजुर्गों के साथ मिलकर कुलविंदर सिंह को कलानौर पुलिस स्टेशन के एसएचओ सोहन सिंह के सामने पेश किया। अगले दिन जब परिवार कुलविंदर से मिलने लौटा, तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और यह कहकर प्रताड़ित किया कि कुलविंदर हिरासत से भाग गया है। अगले पांच महीनों तक पुलिस ने माता-पिता को बार-बार कुछ दिनों के लिए हिरासत में लिया और प्रताड़ित किया।
27 अप्रैल 1989 को बटाला के एसएसपी गोविंद राम और एसएचओ इंस्पेक्टर अजैब सिंह ने यह कार्रवाई की।
सदर बटाला पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मियों ने अमृतसर जिले के मेहता पुलिस स्टेशन के अंतर्गत भट्टी के गांव में फर्जी मुठभेड़ में कुलविंदर को मार डाला। उन्होंने गुरदासपुर जिले के धारीवाल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जफ्फरवाल गांव के निवासी रणबीर सिंह और गुरदासपुर जिले के श्री हरगोबिंदपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत तुसलवाला गांव के निवासी गुरचरण सिंह को भी मार डाला। अगले दिन, पंजाबी दैनिक अखबार अजीत और जगबानी ने एक अज्ञात आतंकवादी और दो पहचाने गए आतंकवादियों के मुठभेड़ में मारे जाने की खबर छापी और कुलविंदर सिंह की तस्वीर भी प्रकाशित की। अखबारों की रिपोर्टों में मृतकों से कथित तौर पर बरामद हथियारों का भी वर्णन किया गया था। कुलविंदर की मृत्यु के बाद भी पुलिस ने उसके परिवार को परेशान करना जारी रखा।
रघुवीर सिंह का अंतिम संस्कार रणबीर सिंह के भाग्य का प्रतीक हो सकता है। हालांकि, गुरचरण सिंह के शव का क्या हुआ, यह ज्ञात नहीं है।
64. क्रमांक 207/25 के अंतर्गत सूची में गुलज़ार सिंह के पुत्र कश्मीर सिंह के अंतिम संस्कार का आंशिक उल्लेख है, जिसे मजीठा पुलिस ने 5 जनवरी 1991 को संपन्न कराया था। इसमें कोई एफआईआर या पोस्टमार्टम रिपोर्ट संख्या नहीं है। मृत्यु का कारण "मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने अपने स्रोतों से इस मामले के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/00077. मुख्य सूचनादाता कश्मीर सिंह का भाई तरसेम सिंह है।
522 राख में तब्दील

गुलजार सिंह और मोहिंदर कौर के पुत्र, चौबीस वर्षीय कश्मीर सिंह।
वह अमृतसर जिले के अजनाला उपमंडल के झंडर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत चेलियन वाले गांव के निवासी थे। मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने किसान के रूप में काम किया। उनका विवाह नहीं हुआ था और उनकी तीन बहनें थीं। लगभग 1985 के अंत या 1986 की शुरुआत में, पुलिस ने कश्मीर को अपने कब्जे में ले लिया।
कश्मीर सिंह को एक हत्या की जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। एसएचओ लश्कर सिंह और पुलिस चौकी के प्रभारी शर्मा ने उन्हें बेरहमी से प्रताड़ित किया। इस यातना के बाद कश्मीर सिंह भारी शारीरिक काम करने में असमर्थ हो गए। पुलिस ने कश्मीर सिंह को लगातार हिरासत में रखा क्योंकि उनके भतीजे अनूप सिंह के बेटे तसवीर सिंह ने 1987 में उग्रवाद में शामिल

हो गए थे। कई बार यातना झेलने के बाद कश्मीर सिंह घर छोड़कर भाग गए; और फिर पुलिस ने उनके परिवार को परेशान करना शुरू कर दिया।
2 जनवरी 1991 को, लगभग सुबह 2 बजे, डीएसपी किरपाल सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस दल ने
मजीठा और मॉल मंडी पूछताछ केंद्र के एक सीआईए इंस्पेक्टर समेत पुलिस अधिकारी हरियाणा के कैथल जिले के अरराना गांव में कश्मीर सिंह के चाचा के घर पहुंचे। पुलिस अपने साथ कश्मीर के सौतेले भाई भाई तरसेम सिंह को भी लाई थी। उन्होंने कश्मीर को उसकी मां और चाचा के परिवार की मौजूदगी में अगवा कर लिया और उसे पंजाब ले गए।
अगले दिन, ग्राम पंचायत और अन्य लोगों ने मजीठा के एसएचओ और डीएसपी से मुलाकात की।
लेकिन कश्मीर सिंह के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। पुलिस ने तरसेम सिंह को 6 जनवरी 1991 को मल्ल मंडी पूछताछ केंद्र से रिहा कर दिया। 6 जनवरी को ही पंजाबी दैनिक अजीत ने भी खबर दी कि कश्मीर सिंह गांव राणेवाली के पास मजीठा पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया। परिवार ने राजनीतिक नेताओं के माध्यम से एसएसपी पुलिस स्टेशन गिल से संपर्क किया और दुर्गियाना मंदिर श्मशान घाट से कश्मीर सिंह की अस्थियां प्राप्त कीं, जहां उनका नाम रजिस्टर में दर्ज था।
तीन साल तक पुलिस ने कश्मीर सिंह के परिवार को खेती करने से रोका।
उनकी ज़मीन। पुलिस, विशेष रूप से एसआई धर्म सिंह और एसएसपी अनिल कुमार ने परिवार के घर को नुकसान पहुँचाया और उनके ट्यूबवेल के मोटर ज़ब्त कर लिए। उन्होंने तीन साल बाद मोटर बेकार हालत में लौटा दिए, लेकिन चार पंखे और एक मोटर स्टार्टर नहीं लौटाए। कुल मिलाकर, परिवार को 1,45,000 रुपये का नुकसान हुआ। कश्मीर की मृत्यु के बाद, उनकी माँ मानसिक आघात से पीड़ित रहीं, लेकिन आर्थिक सहायता न होने के कारण अस्पताल में इलाज जारी नहीं रख सकीं।
अलग-अलग घटनाओं में पुलिस ने कश्मीर सिंह के भतीजे तसवीर सिंह की भी हत्या कर दी।
9 सितंबर 1992 को एक फर्जी मुठभेड़ में कश्मीर सिंह के बहनोई कुलवंत सिंह, जो गुरमेज सिंह के पुत्र थे, को गिरफ्तार किया गया था। कश्मीर के चाचा गुरमुख सिंह, जो गुरदासपुर जिले के बडोवाल गांव के रहने वाले थे, को पिस्तौल मामले में फंसाया गया और मजीठा के एसएचओ सूद द्वारा प्रताड़ित किया गया। अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। मजीठा पुलिस ने कश्मीर के चचेरे भाइयों मेजर सिंह, बलविंदर सिंह, गुरमेज सिंह और बचन सिंह तथा उनके बेटे को भी अवैध रूप से हिरासत में लिया था।
65. क्रमांक 228/26 के अंतर्गत सीबीआई की सूची में मलकैत सिंह, पिता धर्म सिंह, के अंतिम संस्कार का आंशिक उल्लेख है, जो जंडियाला पुलिस द्वारा 18 फरवरी 1991 को किया गया था। इसमें कोई एफआईआर संख्या या पोस्टमार्टम रिपोर्ट संख्या नहीं है। मृत्यु का कारण "मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने अपने स्रोतों से इस मामले के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01226। इस मामले में मुख्य सूचनादाता पीड़ित का भाई दलबीर सिंह है।
धर्म सिंह और स्वर्गीय करतार कौर के पुत्र पच्चीस वर्षीय मलकीत सिंह।

वह ब्यास पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सथियाला गांव के पट्टी गोपी की बस्ती का निवासी था।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (523)

अमृतसर जिले के बाबा बकाला उपमंडल में स्थित स्टेशन।
मलकीत सिंह एक अमृतधारी सिख थे। मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद, उन्होंने
उन्होंने कृषि कार्य शुरू कर दिया। उनके परिवार का कहना है कि मलकीत सिंह के खिलाफ कभी कोई मामला दर्ज नहीं किया गया, लेकिन उनका झुकाव उग्रवाद की ओर था। हालांकि, पुलिस को उनकी गतिविधियों की जानकारी नहीं थी।
17 फरवरी 1991 को शाम 5.15 बजे मलकीत सिंह एक सेना के जवान से बातचीत कर रहे थे।
अमरजीत सिंह, जो मोहिंदर सिंह के पुत्र थे, अपने गांव के मुख्य गुरुद्वारे के सामने खड़े थे। तभी सब इंस्पेक्टर सरदूल सिंह के नेतृत्व में सीआरपीएफ की 73 वीं बटालियन की गश्ती टीम वहां पहुंची। सीआरपीएफ जवानों ने दोनों को घेर लिया, उन पर बंदूकें तान दीं और उन्हें हाथ ऊपर उठाने को कहा। अमरजीत सिंह ने सीआरपीएफ जवानों से विनती की कि वह छुट्टी पर आए सेना के जवान हैं। अमरजीत सिंह ने अपना पहचान पत्र दिखाने की कोशिश की, लेकिन सीआरपीएफ के जवानों ने उनकी बात नहीं सुनी। सीआरपीएफ ने गांव वालों के सामने ही दोनों को गोली मार दी। वे शवों को उठाकर तुरंत वहां से चले गए।
अगले दिन, 18 फरवरी को, समाचार पत्रों ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की कि पुलिस ने गांव सथियाला के बाहरी इलाके में गखर बाबा के पास एक कथित मुठभेड़ में दो आतंकवादियों को मार गिराया था। हालांकि, अमरजीत और मलकीत की मौत गांव के गुरुद्वारे के सामने हुई थी। ग्रामीणों का कहना है कि सीआरपीएफ को मलकीत सिंह की गतिविधियों के बारे में कुछ जानकारी थी, लेकिन अमरजीत सिंह फौजी पूरी तरह निर्दोष थे। सीआरपीएफ जवान आसानी से उन दोनों को भी गिरफ्तार कर सकते थे।
मलकीत सिंह के परिवार ने उनकी गैर-कानूनी हत्या के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।
हालांकि, सेना के जवान अमरजीत सिंह के परिवार से मिली सूचना के आधार पर, वरिष्ठ सेना अधिकारियों ने सथियाला गांव का दौरा किया और इस घटना की गहन जांच की। उनकी जांच के आधार पर, दोनों आरोपी सीआरपीएफ जवानों, विशेष रूप से 73 वीं बटालियन के सब इंस्पेक्टर सरदूल सिंह और हवलदार धर्म पाल पर सेना की अदालत में मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई।
सीबीआई की पहली सूची में मोहिंदर के पुत्र अमरजीत सिंह के अंतिम संस्कार की पूरी जानकारी दी गई है।
सिंह, निवासी सथियाला, क्रमांक 227/23 के अंतर्गत। हालांकि, उनका अंतिम संस्कार ब्यास पुलिस स्टेशन के एसएचओ राजन सिंह द्वारा किया गया। कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्रमांक 177/18.2.1991 है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
66. क्रमांक 330/41 के अंतर्गत सीबीआई की सूची में ब्यास पुलिस स्टेशन के एसआई/एसएचओ बसंत सिंह द्वारा 16 नवंबर 1991 को एफआईआर संख्या 194/91 के तहत किए गए कुलविंदर सिंह उर्फ किंडा (बावा सिंह का पुत्र) के अंतिम संस्कार की आंशिक पहचान की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कोई क्रमांक नहीं है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।

समिति ने अपने स्रोतों से इस मामले के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01347. इस मामले में मुख्य सूचनादाता पीड़ित के पिता बावा सिंह हैं।
बाबा सिंह और कंस के पुत्र अठारह वर्षीय कुलविंदर सिंह उर्फ किंडा।
कौर, अमृतसर जिले के बाबा बकाला उपमंडल के मेहता पुलिस स्टेशन के अंतर्गत धारदेव गांव की लेहंदी पट्टी की निवासी थीं। उनके दो बड़े भाई थे, सतनाम सिंह जो सेना में कार्यरत थे और गुरचरण सिंह जो पंजाब सशस्त्र पुलिस के पूर्व कांस्टेबल थे। कुलविंदर ने 1985 में सातवीं कक्षा में पढ़ाई छोड़ दी थी और किसान के रूप में काम करना शुरू कर दिया था।
1990 में, पुलिसकर्मियों के परिवारों को उग्रवादियों द्वारा दी जा रही धमकियों से भयभीत होकर, गुरचरण सिंह ने
पुलिस सेवा छोड़ दी। हालाँकि, इस निर्णय के कारण, पंजाब पुलिस में 524 लोगों की जान जाने लगी।

गुरबचन पर उग्रवादियों का समर्थक होने का संदेह था। इसी संदेह के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। 1991 में मेहता पुलिस ने उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 307, शस्त्र अधिनियम और टाडा के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया।
10 नवंबर 1991 को, जब गुरचरण अमृतसर की केंद्रीय जेल में बंद थे,
मेहता, ब्यास और राय्या सहित कई पुलिस थानों के पुलिसकर्मियों से बनी एक पुलिस टीम, जिसका नेतृत्व एसपी (ऑपरेशन) श्री बंगा, डीएसपी दर्शन सिंह मान और ब्यास के एसएचओ वासन सिंह जैसे अन्य पुलिस थानों के एसएचओ कर रहे थे, ने धारदेव गांव को घेर लिया। सुबह करीब 10 या 11 बजे पुलिस ने कुलविंदर सिंह और हरभजन सिंह के पुत्र कुलबीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया।
कुलविंदर की गिरफ्तारी के बाद परिवार ने प्रभावशाली राजनेताओं से संपर्क किया और कोशिश की कि...
उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए 11 और 12 नवंबर को परिवार को पता नहीं था कि पुलिस कुलविंदर को कहाँ हिरासत में रखे हुए है। 13 नवंबर को उन्हें पता चला कि कुलविंदर ब्यास पुलिस स्टेशन में है। उसी दिन, बाबा सिंह और उनके एक रिश्तेदार, जो अकाली नेता थे, ने अमृतसर में एसएसपी मजीठा परमजीत सिंह गिल से मुलाकात की। एसएसपी ने एक-दो दिन में कुलविंदर की रिहाई का आश्वासन दिया। 16 तारीख को, बाबा सिंह, दो अकाली नेताओं के साथ बाबा बकाला में डीएसपी दर्शन सिंह मान से मिले। डीएसपी ने उन्हें बताया कि कुलविंदर की पिछली रात हत्या कर दी गई थी और अगर वे उनके अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें तुरंत अमृतसर जाना चाहिए। जब बाबा सिंह और अकाली नेता अमृतसर पहुँचे, तो पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए अमृतसर के मेडिकल कॉलेज ले जा चुकी थी। हालाँकि परिवार और रिश्तेदार अंतिम संस्कार स्थल पर पहुँच चुके थे और अंतिम संस्कार के समय मौजूद थे, लेकिन अंतिम संस्कार में केवल पुलिस ही शामिल हुई।
17 नवंबर 1991 को, समाचार पत्रों ने एक कथित उग्रवादी की मौत की खबर प्रकाशित की।
कुलविंदर सिंह। पुलिस ने बताया कि वे कुलविंदर सिंह को हथियार बरामद करने के लिए ले जा रहे थे, तभी आतंकवादियों ने उन पर हमला कर दिया। पुलिस ने

जवाबी फायरिंग की और गोलीबारी में कुलविंदर शहीद हो गए। यह घटना ब्यास पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले ध्यानपुर गांव के पास घटी।
धारदेव गांव के निवासी नरंजन सिंह के पुत्र निंदर सिंह को भी गिरफ्तार किया गया।
और कुलविंदर सिंह के साथ उसकी हत्या कर दी गई। सीबीआई की किसी भी सूची में उसके अंतिम संस्कार के बारे में जानकारी नहीं है।
कुलविंदर की हत्या के बाद भी पुलिस उसके बड़े भाई-बहनों को परेशान करती रही।
भाई गुरचरण सिंह के खिलाफ दो और मामले दर्ज किए गए। सिख छात्र संघ के कार्यकर्ता के रूप में उनकी राजनीतिक गतिविधियों के कारण पुलिस ने उन्हें बार-बार गिरफ्तार किया। यह सिलसिला 1995 तक जारी रहा।
1999 में, एनएचआरसी द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा पर दावों को अगले उत्तराधिकारी से आमंत्रित करने के बाद-
लापता हुए या पुलिस द्वारा मारे गए लोगों के परिजनों की ओर से बावा सिंह ने अपने बेटे कुलविंदर सिंह की गैर-कानूनी हत्या के संबंध में भी शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने परिवार से कई बार मुलाकात की। हालांकि, परिवार को राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग (एनएचआरसी) से मामले की प्रगति के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है।
67. क्रमांक 345/44 के अंतर्गत सीबीआई की सूची में गुरसेवक सिंह उर्फ फौजी के अंतिम संस्कार का आंशिक उल्लेख है, जिसे जंडियाला पुलिस स्टेशन के एसएचओ अमर सिंह ने 24 दिसंबर 1991 को संपन्न कराया था। इसमें कोई एफआईआर संख्या या पोस्टमार्टम रिपोर्ट संख्या नहीं है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने अपने स्रोतों से इस मामले के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01354। इस मामले में मुख्य सूचनादाता पीड़िता की मां कुलविंदर कौर हैं।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (525)

तेईस वर्षीय गुरसेवक सिंह, जो दिवंगत सुबा सिंह के सबसे छोटे पुत्र हैं, कुलविंदर कौर, अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल के तरन तारन शहर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत बाग़ारियन डाकघर वाले गाँव कलेर की निवासी थीं। उनके दो भाई भारतीय सेना में थे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, गुरसेवक ने अपने पिता को खेती में मदद करना शुरू कर दिया।
1990 में, पुलिस ने गुरसेवक को इस संदेह पर गिरफ्तार करना शुरू कर दिया कि उसके कुछ लोगों से संबंध थे।
परिवार का कहना है कि उस समय गांव के कुछ लोगों से उनके संबंध तनावपूर्ण थे। ये लोग पुलिस में झूठी शिकायतें दर्ज कराते थे कि गुरसेवक के आतंकवादियों से संबंध हैं। इन गुप्त शिकायतों के आधार पर पुलिस उसे गिरफ्तार कर यातनाएं देती थी। पुलिस ने उसके खिलाफ दो बार मामले दर्ज किए और उसे जेल भी भेजा। जेल से रिहा होते ही पुलिस उसे फिर से गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पर छापा मारना शुरू कर देती थी।
जेल से आखिरी बार रिहा होने के बाद, गुरसेवक घर से दूर रहने लगा था। पुलिस का डर। पुलिस ने उसके परिवार के सदस्यों को परेशान करना और हिरासत में लेना शुरू कर दिया। परिवार की सुरक्षा के लिए उसके पिता सुबा सिंह ने

अखबारों में एक नोटिस प्रकाशित करवाकर अपने बेटे गुरसेवक को जायदाद से बेदखल कर दिया, लेकिन पुलिस ने फिर भी उन्हें परेशान करना बंद नहीं किया। 22 दिसंबर 1991 को, गुरसेवक और उनके चचेरे भाई, जो सेना में कार्यरत थे, हंसा की मृत्यु हो गई।
कलेर निवासी अनोख सिंह के पुत्र हंसा सिंह और गुरसेवक जालंधर बस से जा रहे थे। जंडियाला गुरु पुलिस ने दोनों को जंडियाला गुरु और तंगरा कस्बों के बीच जीटी रोड पर बस से गिरफ्तार कर लिया। गुरसेवक ने भागने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। हंसा सिंह ने भागने का कोई प्रयास नहीं किया।
25 दिसंबर 1991 को पंजाबी दैनिक अखबार अजीत और जगबानी ने खबर दी कि उस रात 23-24 दिसंबर को एक अखबार ने खबर दी कि वडाला जौहल गांव के पास हुई मुठभेड़ में पुलिस ने गुरसेवक सिंह और एक अज्ञात आतंकवादी को मार गिराया। जब परिवार जंडियाला गुरु पुलिस स्टेशन पहुंचा, तो उन्हें बताया गया कि दोनों व्यक्तियों का अंतिम संस्कार दुर्गाना मंदिर श्मशान घाट में कर दिया गया है और परिवार अस्थियां ले सकता है। पुलिस स्टेशन में दोनों परिवारों को कपड़े भी दिखाए गए, जिन्हें उन्होंने गुरसेवक और हंसा सिंह के कपड़ों के रूप में पहचान लिया।
परिवार ने उस "मुठभेड़" स्थल का भी दौरा किया। आसपास के निवासी...
आस-पास के लोगों ने बताया कि जब पुलिस दोनों व्यक्तियों को वहां लेकर आई, तो उनमें से एक पुलिस को जोर-जोर से गालियां दे रहा था। पड़ोसियों ने गवाही दी कि दोनों व्यक्ति पहले से ही पुलिस की हिरासत में थे।
68. क्रमांक 354/29 के अंतर्गत सीबीआई सूची में सुरजीत सिंह की पत्नी कमलजीत कौर के अंतिम संस्कार का आंशिक उल्लेख है, जो ब्यास पुलिस स्टेशन के एसआई/एसएचओ बसंत सिंह द्वारा 1 मार्च 1992 को एफआईआर क्रमांक 26/92 के तहत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कोई क्रमांक नहीं है। मृत्यु का कारण "गोली लगने से लगी चोटें" बताया गया है।
समिति ने अपने स्रोतों से इस मामले के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/00321। मुख्य सूचनादाता पीड़िता का पति सुरजीत सिंह है।
पियारा सिंह और दलबीर कौर की बेटी, चौबीस वर्षीय कमलजीत कौर थी।
अमृतसर जिले के बाबा बकाला उपमंडल के ब्यास पुलिस स्टेशन के अंतर्गत बुटाला डाकघर वाले कम्मोके गांव की निवासी। उनका विवाह सुरजीत सिंह से हुआ था, जो एक किसान थे।
29 फरवरी 1992 को, जब कमलजीत कौर अपने गांव की छत पर सो रही थीं, तभी यह घटना घटी।
गुरुद्वारे में पुलिस आई और गोलीबारी शुरू कर दी। उसके परिवार को केवल खून के धब्बे और 526 शव मिले जो राख में तब्दील हो गए थे।

जब वे गुरुद्वारे गए तो वहां उनका शव नहीं मिला। पुलिस ने परिवार को सूचित किया कि उनका अंतिम संस्कार दुर्गाना मंदिर के श्मशान घाट में किया जाएगा। परिवार अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ, हालांकि उन्होंने उनकी अस्थियां ग्रहण कीं। कमलजीत कौर के परिवार ने ब्यास के एसएचओ वासन सिंह और बाबा बकाला के डीएसपी दर्शन एस. सैन से मुलाकात की, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने दावा किया कि कमलजीत कौर पुलिस मुठभेड़ में मारी गईं।

पंजाबी दैनिक अखबार अजीत और जगबानी तथा अंग्रेजी अखबार ट्रिब्यून ने उनकी मृत्यु की खबर प्रकाशित की।

पुलिस ने परिवार की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया और

कमलजीत कौर ने नकदी जब्त की। हैरानी की बात यह है कि सीबीआई की तीसरी सूची में...

पहचाने गए दाह संस्कारों की सूची में एक और दाह संस्कार किया गया है।

1 मार्च 1992 को ब्यास पुलिस स्टेशन के एसएचओ वासन सिंह द्वारा उसी एफआईआर संख्या 26/92 के तहत इस व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एनडी/एफएम/234/92 के रूप में चिह्नित किया गया है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है। इस दूसरे व्यक्ति की पहचान के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

एक अन्य घटना में, सुरजीत सिंह के बड़े भाई धर्मवीर सिंह की एक दुर्घटना में हत्या कर दी गई।

जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा सीमा पर कथित मुठभेड़। सुरजीत सिंह के अनुसार, उनके भाई की मौत के मामले में छह पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

69. क्रमांक 396/58 के अंतर्गत सीबीआई की सूची में जंडियाला पुलिस स्टेशन के एएसआई लखबीर सिंह द्वारा एफआईआर संख्या 62/92 के तहत संपन्न किए गए 6 मई 1992 को हुए मनजिंदर सिंह (पुत्र काकर सिंह) के अंतिम संस्कार का आंशिक रूप से उल्लेख है। पोस्टमार्टम क्रमांक डब्लूडी/368 दिनांक 6.5.1992 है। मृत्यु का कारण "गोली लगने से लगी चोटें" बताया गया है।

समिति ने अपने स्रोतों से इस मामले के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।

घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01148। पीड़िता की मां गुरनाम कौर और भाई शरणजीत सिंह इस मामले में मुख्य सूचनादाता हैं।

ठाकर सिंह और गुरनाम के पुत्र, चौबीस वर्षीय मनजिंदर सिंह।

कौर पंजाब पुलिस में कांस्टेबल थे और अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल के तरन तारन सदर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले पाखो के गांव के निवासी थे। वे अविवाहित थे।

उच्च माध्यमिक विद्यालय की पढ़ाई पूरी करने के बाद, मंजिंदर ने सरकारी स्कूल में नौकरी कर ली।

मंजिंदर ने पटियाला के मेंट फिजिकल कॉलेज से खेल प्रशिक्षण में डिप्लोमा किया। स्कूल के दौरान, मंजिंदर एक बहुत अच्छे वॉलीबॉल खिलाड़ी थे और उन्होंने अंतरराज्यीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी मैचों में भाग लिया था। अपने खेल रिकॉर्ड के कारण, मंजिंदर का चयन पंजाब पुलिस में तब हुआ जब वे पटियाला कॉलेज में डिप्लोमा कर रहे थे।

1992 में, मंजिंदर छुट्टी पर अपने गाँव लौट गया और उसने वापस आकर सूचना नहीं दी।

कर्तव्य के प्रति सजग। उन पर कई रिश्तेदारों का दबाव था, जिन्हें उग्रवादियों ने धमकी दी थी कि वे मंजिंदर को पुलिस सेवा छोड़ने पर मजबूर कर देंगे। उन्हें अपने माता-पिता की भलाई के लिए पुलिस विभाग छोड़ने की अप्रत्यक्ष धमकियाँ भी मिली थीं। मंजिंदर ने उनके जीवन को खतरे में न डालने का फैसला किया और विभाग से दूर रहे। जल्द ही, उन्हें अपने विभाग से ड्यूटी पर वापस आने के लिए पत्र मिलने लगे। उन्होंने उन पत्रों को अनसुना कर दिया।

अप्रैल 1992 के आखिरी सप्ताह में, 28 या 29 तारीख को, मंजिंदर जंडियाला गया था।

गुरु शहर में खरीदारी करने के लिए जाते समय, बाजार में उनकी मुलाकात गुरदेव सिंह से हुई, जो उनके बेटे थे।

सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (527)

हरबंस सिंह और मेजर सिंह, जो जागीर सिंह के बेटे थे, दोनों उसी के गांव के रहने वाले थे। उनकी मुलाकात संयोगवश हुई और वे साथ-साथ बीरा सिंह की घड़ी की दुकान पर गए। जंडियाला गुरु पुलिस, जिसका नेतृत्व एसएचओ उधम सिंह कर रहे थे, ने मंजिंदर और उसके साथियों को उस समय गिरफ्तार कर लिया जब उनमें से एक अपनी घड़ी ठीक करवा रहा था। पुलिस ने उन सभी की आंखों पर पट्टी बांध दी और उन्हें पुलिस वाहन में बिठाकर ले गई।

मंजिंदर की बहन गुरनाम कौर भी शादी में शामिल थी।

शोर-शराबा देखकर उसने पूछताछ की और पता चला कि पुलिस ने उसके भाई और दो अन्य लोगों को उसके गांव से अगवा कर लिया है। मंजिंदर सिंह

लोगों ने अपहरण को देखा था और चूंकि पाखो के जंडियाला कस्बे के बहुत करीब था, इसलिए अपहरण की खबर जल्द ही मंजिंदर के माता-पिता तक पहुंच गई।

मनजिंदर के भाई सुरजीत सिंह जंडियाला गुरु पुलिस स्टेशन पहुंचे

पता चला कि एसएचओ द्वारा गिरफ्तार किए गए तीनों व्यक्तियों को अमृतसर के मॉल मंडी पूछताछ केंद्र ले जाया गया था। परिवार के सदस्यों ने मॉल मंडी पूछताछ केंद्र में पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने उनसे बात नहीं की। जंडियाला गुरु पुलिस ने मेजर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया। मंजिंदर और गुरदेव की गिरफ्तारी की कोई पुष्टि नहीं हुई।

7 मई 1992 को, मंजिंदर के परिवार के सदस्यों ने अजीत अखबार में एक रिपोर्ट पढ़ी।

एक रिपोर्ट में बताया गया कि मंजिंदर और गुरदेव गांव के पास मुठभेड़ में मारे गए। एक अन्य आतंकवादी, गुरदेव सिंह भुट्टो के भी मारे जाने की खबर थी।
बताया जाता है कि मुठभेड़ तब हुई जब पुलिस उन्हें हथियार बरामद करने के

लिए ले जा रही थी। रिपोर्ट में पुलिस अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि घात लगाकर बैठे कुछ आतंकवादियों ने पुलिस वाहन पर हमला किया और गोलीबारी में मंजिंदर और गुरदेव दोनों शहीद हो गए। पुलिस ने 6 मई 1992 को दुर्गाना मंदिर श्मशान घाट में शवों का अंतिम संस्कार कर दिया था। परिजनों ने श्मशान घाट से अस्थियां प्राप्त कर लीं।

मुठभेड़ के बारे में अखबारों की रिपोर्टों में मंजिंदर और मंजिंदर दोनों की स्पष्ट पहचान की गई थी।

और गुरदेव सिंह के बारे में बात करते हुए उन्होंने केवल दो हत्याओं का जिक्र किया। सीबीआई की पहचान सूची, क्रमांक 395/80 के तहत, 6 मई 1992 को गुरदेव सिंह के अंतिम संस्कार को दर्शाती है, जबकि मनजिंदर के अंतिम संस्कार का उल्लेख सीबीआई की आंशिक रूप से पहचानी गई सूची में है। मनजिंदर के पिता का सही नाम ठाकर सिंह है। यह भी आश्चर्यजनक है कि सीबीआई की अज्ञात अंतिम संस्कारों की सूची, क्रमांक 397/259 और 398/260 के तहत, उसी एफआईआर संख्या 62/92 के तहत 6 मई 1992 को जंडियाला पुलिस द्वारा किए गए दो अतिरिक्त अंतिम संस्कारों को दर्शाती है। ये प्रविष्टियाँ संकेत देती हैं कि या तो इस तथाकथित मुठभेड़ में दो से अधिक व्यक्ति मारे गए थे या पुलिस ने मुठभेड़ में शामिल न होने वाले दो अन्य लोगों का अंतिम संस्कार उसी एफआईआर के तहत किया था।

सीबीआई ने मंजिंदर के अंतिम संस्कार को आंशिक रूप से पहचाने गए शवों की सूची में डाल दिया और साथ ही

उसने अपने पिता के नाम को विकृत कर दिया। मंजिंदर के बड़े भाई शरणजीत सिंह ने समिति के सदस्यों को बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गुप्त दाह संस्कार के मामले की जांच का आदेश दिए जाने के बाद कई सीबीआई अधिकारी पूछताछ के लिए उनके घर आए थे। शरणजीत के अनुसार, अधिकारियों ने इस घटना से जुड़े सभी परिवारों के विस्तृत बयान दर्ज किए। शरणजीत ने दावा किया कि उसने एक सीबीआई निरीक्षक को एसएचओ उधम सिंह के साथ घूमते देखा था, जो अपहरण और 528 शवों को राख में बदलने के लिए जिम्मेदार था।

हत्याओं के संबंध में, उनके अनुसार, उधम सिंह के बंदूकधारियों ने जंडियाला कस्बे के दुकानदारों से बात की और उन्हें अपहरणों को देखने की बात स्वीकार न करने के लिए कहा।
पाखो के गांव के जागीर सिंह के पुत्र मेजर सिंह का भी अपहरण कर लिया गया था।
मंजिंदर और गुरदेव के साथ। हालांकि, मेजर सिंह एक मामले में फंस गए और उन्हें जेल भेज दिया गया। चार महीने बाद जमानत पर रिहा होने के बाद उन्होंने खुलासा किया कि एसएचओ उधम सिंह उन सभी को मल्ल मंडी पूछताछ

केंद्र ले गए थे, जहां उन्हें बेरहमी से प्रताड़ित किया गया था। गुरदेव यातना के दौरान बेहोश हो गए और उनकी हालत में सुधार नहीं हो सका। मेजर सिंह को भी गंभीर यातनाएं दी गईं और रिहाई के कुछ महीनों बाद 4 अप्रैल 1993 को उनकी मृत्यु हो गई।
70. क्रमांक 407/62 के अंतर्गत सीबीआई की सूची में जंडियाला निवासी हरबंस सिंह के पुत्र प्रताप सिंह के 29 मई 1992 को हुए अंतिम संस्कार का आंशिक उल्लेख है, जिसे जंडियाला पुलिस स्टेशन के एएसआई धर्म पाल ने एफआईआर क्रमांक 88/92 के तहत संपन्न कराया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कोई क्रमांक नहीं है। मृत्यु का कारण "गोली लगने से हुई चोटें" बताया गया है। समिति ने अपने स्रोतों से इस मामले के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01103.
Eighteen-year old Pratap Singh alias Buddhu, son of Harbans Singh and Swaran
प्रताप कौर, अमृतसर उपमंडल और जिले के जंडियाला गुरु पुलिस स्टेशन के अंतर्गत चरहड़ी पट्टी के वडाला जौहल गांव का रहने वाला एक दलित सिख लड़का था। निरक्षर होने के बावजूद, प्रताप एक कुशल दर्जी के रूप में जाना जाता था और 1988 से पड़ोसी गांव तलवंडी डोगरा में एक सफल कार्यशाला चला रहा था। काम के बोझ के कारण, वह अक्सर अपनी कार्यशाला में ही रुक जाता था। प्रताप अविवाहित था और उसका कोई आपराधिक या राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी। उसका एक भाई हरदीप सिंह, जो उस समय विशेष पुलिस अधिकारी था, अब पंजाब पुलिस में कांस्टेबल है।
26 मई 1992 की सुबह तड़के लगभग 6 बजे, जंडियाला के एसएचओ उधम सिंह ने सूचना प्राप्त की।
गुरु पुलिस स्टेशन ने तलवंडी डोगरा गांव में तलाशी अभियान चलाया और प्रताप को उसकी कार्यशाला से तथा गांव के चार अन्य निवासियों को उनके घरों से गिरफ्तार किया। प्रताप सिंह के साथ गिरफ्तार किए गए चार व्यक्तियों में [1] दविंदर सिंह, पुत्र दर्शन सिंह, [2] बलबीर सिंह और [3] कुलदीप सिंह शामिल थे। गिरफ्तारी के दौरान परिवार के सदस्य और अन्य ग्रामीण उपस्थित थे।
अगले कुछ दिनों में प्रताप के भाई हरदीप सिंह ने हस्तक्षेप करने और स्थिति को सुरक्षित करने का प्रयास किया।
उसके भाई को अवैध हिरासत से रिहा कराने के उसके प्रयास विफल रहे।
इन गिरफ्तारियों के चार दिन बाद, कई पंजाबी समाचार पत्रों में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसमें दावा किया गया था-
पुलिस ने मुठभेड़ में दो आतंकवादियों प्रताप सिंह और दविंदर सिंह को मार गिराया था। प्रताप के परिवार को घटना की जानकारी नहीं दी गई और पुलिस ने उनकी जानकारी के बिना ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया।
सीबीआई की चिन्हित शवदाहों की सूची में दविंदर सिंह के अंतिम संस्कार का रिकॉर्ड दर्ज है।
क्रमांक 406/83 के अंतर्गत इस मामले की चर्चा इस रिपोर्ट के संबंधित अनुभाग में की जा चुकी है। उनके साथ गिरफ्तार किए गए अन्य तीन लोगों का क्या हुआ, यह अभी तक पता नहीं चल पाया है।
71. क्रमांक 419/63 के अंतर्गत सीबीआई की सूची में लोपोके पुलिस द्वारा 10 जून 1992 को किए गए जागीर सिंह (उधम सिंह के पुत्र) के अंतिम संस्कार का

आंशिक उल्लेख है। इसमें कोई एफआईआर या पोस्टमार्टम रिपोर्ट संख्या नहीं है। मृत्यु का कारण "गोली लगने से हुई चोटें" बताया गया है।
समिति ने अपने स्रोतों से इस मामले के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (529)

घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01280। इस मामले में मुख्य सूचनादाता पीड़ित का भतीजा जगतार सिंह है।
उधम सिंह और पाल कौर के पुत्र, बाईस वर्षीय जागीर सिंह उर्फ दीन,
वह अमृतसर जिले के अजनाला उपमंडल के लोपोके पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सोरियान डाकघर के काकर तरीन गांव के एक अमृतधारी सिख किसान थे। वह अविवाहित थे।
जागीर सिंह एक कट्टर धार्मिक सिख थे और सिख उग्रवादियों के प्रति सहानुभूति रखते थे।
जून 1984 में पंजाब में भारतीय सैन्य अभियान के बाद जो आंदोलन विकसित हुआ, उसमें उनका कोई सक्रिय योगदान नहीं था और अपहरण से पहले उन्हें कभी गिरफ्तार या पूछताछ नहीं की गई थी।
8 जून 1992 की शाम लगभग 7 बजे, सादे कपड़ों में कुछ पुलिसकर्मी दिखाई दिए। पुलिसकर्मियों ने जागीर सिंह के घर पर छापा मारा और परिवार के सभी सदस्यों की मौजूदगी में उनका अपहरण कर लिया। पुलिसकर्मियों ने धमकी दी कि अगर उन्होंने शोर मचाया तो वे जागीर और परिवार के अन्य सदस्यों को मार डालेंगे और उन्हें चुप रहने का आदेश दिया। अंधेरा हो चुका था और परिवार के सदस्य अपहरणकर्ताओं का पीछा करने में असमर्थ थे। अगली सुबह, वे लोपोके पुलिस स्टेशन गए लेकिन जागीर के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करने में असफल रहे।
10 जून 1992 को कुछ पुलिसकर्मी फिर से घर आए और जागीर को ले गए।
भाई गुलजार सिंह और गांव के दो अन्य निवासी लोपोके पुलिस स्टेशन गए, जहां उन्हें जागीर सिंह का शव दिखाया गया। पुलिस ने परिवार के सदस्यों को अमृतसर आने की अनुमति दी, जहां शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, और फिर दुर्गाना मंदिर श्मशान घाट में पुलिस द्वारा आयोजित अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी गई।
12 जून 1992 को पंजाबी दैनिक अजीत ने पुलिस के हवाले से एक रिपोर्ट प्रकाशित की।
एक ब्रीफिंग में दावा किया गया कि पुलिस ने भुल्लर गांव के पास पुलिस के साथ मुठभेड़ में जागीर सिंह उर्फ दीन नामक एक आतंकवादी को मार गिराया है।
72. क्रमांक 421/64 के अंतर्गत सीबीआई की सूची में जंडियाला पुलिस द्वारा 14 जून 1992 को किए गए सूरज कुमार सिंह के अंतिम संस्कार का आंशिक उल्लेख है। इसमें कोई एफआईआर या पोस्टमार्टम रिपोर्ट संख्या नहीं है। मृत्यु का कारण "गोली लगने से लगी चोटें" बताया गया है।

समिति ने निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है-

इस मामले से संबंधित जानकारी घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01109 से प्राप्त की जा सकती है। इस मामले में मुख्य सूचनादाता पीड़ित की पत्नी परमजीत कौर हैं।

तैंतीस वर्षीय सुरजीत सिंह उर्फ भोला, जो कि पुत्र है...

सुरजीत सिंह, जो परमजीत कौर के पुत्र थे, अमृतसर जिले के बाबा बकाला उपमंडल के खिलचियां पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जस्सो नांगल के भोरशी राजपूत गांव के किसान थे। परमजीत कौर से विवाहित सुरजीत सिंह की एक बेटी और दो बेटे थे। परमजीत कौर के अनुसार, उनके पति राजनीति में शामिल नहीं थे और फांसी से पहले उन्हें कभी गिरफ्तार या पूछताछ नहीं की गई थी।

7 मई 1992 को, डीएसपी बलकार सिंह और एसएचओ उधम के नेतृत्व में एक विशाल पुलिस बल ने कार्रवाई की।

जंडियाला पुलिस के सिंह ने भोरशी राजपूतन गांव में घर-घर तलाशी ली और पूछताछ के लिए सुरजीत सिंह और दो अन्य लोगों को गिरफ्तार किया। गांव के अन्य दो लोग रचपाल सिंह के पुत्र जतिंदर सिंह और जोगिंदर सिंह के पुत्र परमजीत सिंह थे। अगली सुबह, गांव के कई निवासी और ग्राम परिषद के सदस्य एसएचओ से मिले। उन्होंने बताया कि पूछताछ जारी है और 530 लोगों के बारे में जानकारी देने से इनकार कर दिया।

उनकी संभावित रिहाई के बारे में कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई गई। इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल ग्राम परिषद के कई सदस्यों ने सुरजीत को पुलिस स्टेशन के एक कमरे में देखा। सुरजीत ने उन्हें अपने पास आने का इशारा किया, लेकिन सदस्य एसएचओ से डरे हुए थे और उन्होंने उससे बात करने की कोशिश नहीं की।
8 मई 1992 को समाचार पत्रों में खबर आई कि भोर्शी राजपूतों के एक उग्रवादी ने
सुरजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। कथित गिरफ्तारी के कुछ हफ्तों बाद, एक अन्य समाचार पत्र की रिपोर्ट में पुलिस सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि भोरशी राजपूतन का गिरफ्तार उग्रवादी सुरजीत सिंह पुलिस हिरासत से फरार हो गया था।
1995 में, सुरजीत सिंह के परिवार के सदस्यों ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की।
पंजाब और हरियाणा में अधिवक्ता राजविंदर सिंह बैंस के माध्यम से सुरजीत सिंह के लापता होने की परिस्थितियों की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। हालांकि, सुरजीत की पत्नी परमजीत कौर को इस मामले में किसी भी कार्रवाई की जानकारी नहीं है, जबकि यह मामला लंबित बताया जा रहा है। उनके अनुसार, सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंजाब में गुप्त रूप से किए गए अंतिम संस्कार की शिकायत की जांच करने के लिए नियुक्त सीबीआई के कुछ अधिकारियों ने उनके घर का दौरा किया और उनके बयान दर्ज किए। कुछ दिनों बाद, एसएचओ उधम सिंह और डीएसपी बलकार सिंह ने परमजीत कौर के पास अपने दूत भेजे और शिकायत वापस लेने पर रिश्वत देने की पेशकश की। न्याय की चाह रखने वाली परमजीत कौर ने उन्हें ठुकरा दिया।
73. क्रमांक 497/75 के अंतर्गत सीबीआई की सूची में लोपोके पुलिस स्टेशन के एसएचओ द्वारा एफआईआर संख्या 106/92 के तहत 22 सितंबर 1992 को रामा इस्सैन के पुत्र केवल सिंह के अंतिम संस्कार का आंशिक उल्लेख है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कोई क्रमांक नहीं है। मृत्यु का कारण "गोली लगने से लगी चोटें" बताया गया है।
समिति ने अपने स्रोतों से इस मामले के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।

घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01271. इस मामले में मुख्य सूचनादाता पीड़ित के पिता रामा मसीह हैं।
Kewal Masih alias Kewal Singh, son of Rama Masih and Taro, from Bhindi Aulakh
अमृतसर जिले के अजनाला उपमंडल के लोपोके पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले एक गांव में, एक 20 वर्षीय ईसाई युवक की मृत्यु हो गई, जो दूध बेचकर अपना जीवन यापन करता था। उसकी शादी परमजीत से हुई थी और वह दो बेटों का पिता था।
लगभग 16 सितंबर 1992 को केवल मसीह को नविन में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अमृतसर के आबादी इलाके में, जहां वह दूध बेचने गए थे, उसी रात एक तथाकथित मुठभेड़ में चार अन्य अज्ञात सिख युवकों के साथ उनकी हत्या कर दी गई। परिवार की जानकारी के बिना ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। बलदेव सिंह, पुत्र करम सिंह, निवासी बुंडाला, जिनका नाम एक समाचार लेख में केवल मसीह के साथ कथित तौर पर मारे गए लोगों में शामिल था, का अंतिम संस्कार सीबीआई की पहली सूची में क्रमांक 496/133 के तहत दर्ज था। बलदेव सिंह का अंतिम संस्कार 22 सितंबर 1992 को लोपोके पुलिस स्टेशन के एसएचओ द्वारा उसी एफआईआर क्रमांक 106/92 के तहत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कोई क्रमांक नहीं है और मृत्यु का कारण "गोली लगने से लगी चोटें" बताया गया है।
74. क्रमांक 542/83 के अंतर्गत सीबीआई की सूची में संसारा कलां निवासी गुरदेव सिंह के 25 नवंबर 1992 को किए गए अंतिम संस्कार का आंशिक उल्लेख है, जिसे झंदेड़ पुलिस के नरिंदर सिंह ने संपन्न कराया था। इसमें कोई एफआईआर संख्या या पोस्टमार्टम रिपोर्ट संख्या नहीं है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने अपने स्रोतों से इस मामले के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (531)

घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01265। मुख्य सूचनादाता पीड़िता की मां सविंदर कौर हैं।
करतार सिंह और सविंदर कौर के पुत्र गुरदेव सिंह की आयु बाईस वर्ष थी। अमृतसर जिले के अजनाला उपमंडल के झंदर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सहंसरा कलां डाकघर वाले सहंसरा खुर्द गांव का ट्रक चालक। उसका किसी भी राजनीतिक संगठन से कोई संबंध नहीं था और फांसी से पहले उसे कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था। गुरदेव अविवाहित था।
16 नवंबर 1992 को, गुरदेव अपने गांव में एक ग्राहक के लिए रेत ढो रहा था, तभी उसकी
सहंसरा कलां गांव में बस स्टैंड के पास खड़ी एक कार को ट्रक ने टक्कर मार दी। कार में सवार कुछ पुलिसकर्मी गांव में एक समारोह में शामिल होने आए थे। उन्होंने गुरदेव से झगड़ा किया और अंत में उन्हें अपनी कार में धकेल कर झंडेर पुलिस के हवाले कर दिया। कुछ घंटों बाद झंडेर पुलिस उनका ट्रक भी ले गई।
गुरदेव के परिवार वालों को घटना के बारे में पता चला और वे तुरंत वहाँ गए। वे अपनी रिहाई की गुहार लगाने के लिए झंडेर पुलिस स्टेशन गए। लेकिन उन्हें थाने में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई।

24 नवंबर 1992 को गुरदेव सिंह को एक फर्जी मुठभेड़ में आतंकवादी बताकर मार दिया गया था।
दो पंजाबी अखबारों, अजीत और जगबानी ने 26 और 27 नवंबर 1992 को मुठभेड़ के पुलिस संस्करण की रिपोर्ट प्रकाशित की। अखबारों की रिपोर्ट पढ़ने के बाद, परिवार के सदस्य उनकी अस्थियां लेने के लिए दुर्गाना मंदिर श्मशान घाट गए, लेकिन उन्हें उनकी चिता नहीं मिली।
सविंदर कौर के अनुसार, उनके पति करतार सिंह यह सब सहन नहीं कर पा रहे थे। अपने बेटे की हत्या के सदमे से उन्हें गहरा सदमा लगा। उन्हें दिल का दौरा पड़ा और एक महीने बाद उनकी मृत्यु हो गई।
75. क्रमांक 582/92 के अंतर्गत सीबीआई की सूची में 4 मार्च 1993 को हुए सुखदेव सिंह (पुत्र किशन सिंह, निवासी हरियान) के अंतिम संस्कार का आंशिक उल्लेख है, जो कठूनंगल पुलिस द्वारा एफआईआर संख्या 13/93 के तहत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट संख्या जीएम/1061/93 है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने इस मामले के संबंध में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है। घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01213 है। पीड़ित के पिता किशन सिंह मुख्य सूचनादाता हैं।
किशन सिंह के पुत्र सुखदेव सिंह उर्फ बिल्ला का तेईस वर्षीय युवक भी इसी श्रेणी में आता है।
सविंदर कौर, अमृतसर जिले के बाबा बकाला उपमंडल के मत्तेवाल-चोगवां पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सैदपुर गांव की निवासी थीं। सुखदेव सिंह के पिता किशन सिंह एक दलित रामदासिया सिख परिवार से थे। किशन सिंह का पैतृक गांव अमृतसर जिले के मजीठा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत हरियान है, लेकिन पिछले 16 वर्षों से वे राधा स्वामी डेरा, सैदपुर शाखा में रह रहे थे। उनके एक पुत्र सुखदेव सिंह और दो पुत्रियां थीं। सुखदेव सिंह सबसे बड़े थे।
मिडिल स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद सुखदेव सिंह ने बढ़ई का काम शुरू किया।
अंततः उन्होंने राधा स्वामी डेरा की सैदपुर शाखा में काम करना शुरू किया। लगभग डेढ़ साल तक वे भोमा गांव में अपनी मां के मायके में रहे। हालांकि, वहां एक अन्य व्यक्ति से तीखी बहस के बाद उन्हें डेरा छोड़ना पड़ा। उस व्यक्ति ने सुखदेव के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराकर पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उकसाने की कोशिश की। पंचायत ने हस्तक्षेप किया और उनके चरित्र की गवाही दी। इस प्रकार, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। 1991 में, उनके पिता ने उन्हें अपने लिए एक घर बनाने की जिम्मेदारी सौंपी। मजीठा टाउन में परिवार। उनके पिता किशन सिंह ने देखा था कि सुखदेव सिंह कुछ ऐसे युवकों की संगति में घूम रहे थे जो उग्रवादी गतिविधियों में शामिल थे। 532 राख में तब्दील हो गए।

उस इलाके में काफी मशक्कत के बाद किशन सिंह सुखदेव सिंह को ऐसे लोगों से दूर करने में कामयाब हो गया। किशन सिंह ने सुखदेव सिंह को जम्मू में अपने एक रिश्तेदार के घर भेज दिया। रिश्तेदारों के सहयोग से सुखदेव सिंह ने वहां लकड़ी का काम शुरू किया। धीरे-धीरे वह रिश्तेदार के घर से किराए के मकान में रहने लगा।
26 फरवरी 1993 को, कथू नांगल पुलिस स्टेशन के एसएचओ दिलबाग सिंह ने छापा मारा।

पुलिस ने सैदपुर गांव के राधा स्वामी डेरा स्थित किशन सिंह के वर्कशॉप-सह-निवास पर छापा मारा और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उसे काठू नांगल पुलिस स्टेशन ले गई। आधी रात को पुलिस ने उसे अपने साथ जम्मू चलने का निर्देश दिया, जहां उसका बेटा रहता था। पुलिस सुबह 5 बजे किशन सिंह के साथ जम्मू पहुंची। किशन सिंह ने पुलिस को उस घर का पता बताया जहां पहले सुखदेव सिंह रहता था। घर के मालिक ने बताया कि सुखदेव ने बहुत पहले अपना कमरा खाली कर दिया था और फिलहाल वह के.सी. सिनेमा के पास रहता है। पुलिस दल उस घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। उनके पहुंचने पर सुखदेव सिंह सो रहा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, पुलिस ने उसके हाथ पीछे बांध दिए। उसका सामान गाड़ी में डाल दिया गया। पुलिसकर्मियों ने जो भी सामान बचा था, जैसे कपड़े, घड़ी, क्लॉक और स्टीरियो, उसे जब्त कर लिया। पुलिस दल पिता और पुत्र के साथ काठू नांगल पुलिस स्टेशन लौट आया।
कई ग्रामीण घटना से पहले ही काठू नांगल पुलिस स्टेशन पहुंच चुके थे। पुलिस किशन सिंह और उसके बेटे के साथ पहुंची। पुलिस ने गाड़ी थाने के अंदर खड़ी की और गेट बंद कर दिया। बाप-बेटे दोनों को अलग-अलग कमरों में बंद कर दिया गया। दोपहर करीब 3 बजे एसएचओ दिलबाग सिंह ने सुखदेव सिंह को बेरहमी से प्रताड़ित किया। एसएचओ ने उससे पूछा कि उसने कौन-कौन सी घटनाएं की हैं। सुखदेव सिंह ने कहा कि वह कुछ आतंकवादियों के साथ रहा था, लेकिन उसने खुद कभी कोई गैरकानूनी काम नहीं किया। हालांकि, पुलिस ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और करीब 45 मिनट तक उसे पीटती रही। सुखदेव के कमरे के सामने वाले कमरे में बैठाए गए किशन सिंह ने यह सब देखा। जब सुखदेव सिंह बेहोश हो गया, तो पुलिस ने उसे प्रताड़ित करना बंद कर दिया। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया और उसके लिए दवा मंगवाई।
उसी शाम, 27 फरवरी को, पुलिस ने किशन सिंह को लगभग 6.30 बजे रिहा कर दिया। शाम को ग्रामीणों के हस्तक्षेप पर पुलिस ने सुखदेव सिंह को छुड़ा लिया। हालांकि, इससे पहले पुलिस उसे एक अज्ञात स्थान पर ले गई थी। किशन सिंह को छोड़ते समय एसएचओ ने कहा, "तुम जाओ। हम उसे (सुखदेव सिंह को) कल छोड़ देंगे।"
अगले दिन जब किशन सिंह एसएचओ से मिले, तो उन्होंने उनके रवैये से अंदाजा लगा लिया।
सुखदेव सिंह ने एसएचओ से पैसे मांगे। लेकिन कुछ कनिष्ठ पुलिसकर्मियों ने उसे एसएचओ को पैसे न देने की चेतावनी दी, क्योंकि सुखदेव सिंह को अमृतसर के मल्ल मंडी पूछताछ केंद्र भेज दिया गया था और एसएचओ के अधिकार क्षेत्र में अब उसे रिहा करना संभव नहीं था। परिवार के सदस्यों ने सुखदेव सिंह की रिहाई के लिए लगातार प्रयास किए, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। किशन सिंह ने किसी बिचौलिए के माध्यम से एसएचओ को रिश्वत देने की कोशिश जारी रखी।
5 मार्च 1993 को समाचार पत्रों में एक खबर प्रकाशित हुई जिसमें कहा गया था कि एक उग्रवादी सुखदेव
सिंह उर्फ बिल्ला की मौत उस समय हुई जब आतंकवादियों ने उनकी सुरक्षा कर रहे पुलिस दल पर घात लगाकर हमला किया। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और इसी गोलीबारी में सुखदेव सिंह शहीद हो गए। पुलिस के अनुसार, यह घटना तपरियन गांव के पास हुई थी। पुलिस ने सुखदेव सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया।
76 – 79. क्रमांक 590/93, 591/94, 592/95 और 593/96 के अंतर्गत, सीबीआई सूची में 29 मार्च 1993 को कठूनंगल पुलिस स्टेशन द्वारा किए गए चार शवदाहों की आंशिक रूप से पहचान की गई है। ये शवदाह [1] मंगा सिंह, पिता तेजा

सिंह, [2] हरसवंस सिंह, पिता नारायण सिंह, [3] जगतर सिंह, पिता धर्म सिंह और [4] बलविंदर सिंह, पिता के हैं।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (533)

रतन सिंह। कोई एफआईआर संख्या या पोस्टमार्टम रिपोर्ट संख्या उपलब्ध नहीं है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति ने इन मामलों के बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की है।
घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01227, 00330 और 01228 है। मुख्य सूचनादाता हरबंस सिंह के भाई मिल्खा सिंह; जगतार सिंह की पत्नी दर्शन कौर; और बलविंदर सिंह के पिता रतन सिंह हैं।
नारायण सिंह और बलवंत कौर के पुत्र, 29 वर्षीय हरबंस सिंह,
हरबंस सिंह गुरदासपुर जिले के बटाला उपमंडल के बटाला सदर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत हरदो झंडे डाकघर के घासीतपुरा कलां गांव के निवासी एक मजहबी सिख थे। उनके माता-पिता दोनों का देहांत हो चुका था। उनका विवाह बलजीत कौर से हुआ था और उनके तीन बच्चे थे - दो बेटे और एक बेटी। हरबंस का किसी भी राजनीतिक या उग्रवादी संगठन से कोई संबंध नहीं था। कुछ उग्रवादियों ने उनके भाई सुखदेव सिंह की हत्या कर दी थी। हरबंस सिंह ट्रक चालक का काम करते थे और पुलिस को संदेह था कि हरबंस अपने ट्रक में चोरी का सामान ले जा रहे थे।
21 मार्च 1993 को सुबह 10 बजे, काठू नांगल पुलिस स्टेशन से एक पुलिस दल ने, नेतृत्व में,
एसएचओ दिलबाग सिंह के नेतृत्व में पुलिस हरबंस सिंह के घर पहुंची और उनके बारे में पूछताछ की। उनके परिवार ने पुलिस को बताया कि वह गांव में किसी के घर भोग (अंतिम संस्कार) में शामिल होने गए हैं। पुलिस हरबंस की पत्नी को साथ लेकर उस घर गई जहां हरबंस अंतिम संस्कार में शामिल होने गए थे। उसी घर में पुलिस ने हरबंस को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें अपने साथ ले गई।
अगले दिन, उनके परिवार के सदस्य, जिनमें उनके चाचा और भाई मिल्खा और अन्य शामिल थे,
प्रीतम सिंह ने काठू नांगल पुलिस स्टेशन में एसएचओ से मुलाकात की। एसएचओ ने पूछताछ के बाद हरबंस को रिहा करने का आश्वासन दिया। उनका परिवार प्रतिदिन हरबंस से मिलने जाता रहा और उन्हें चाय-खाना देता रहा। हरबंस के मालिक, बॉल सर्विस स्टेशन के स्वामी ने भी पुलिस हिरासत में हरबंस से दो- तीन बार मुलाकात की।
धर्म सिंह और कश्मीर के पुत्र, छब्बीस वर्षीय जगतर सिंह उर्फ जगगु।
कौर, अमृतसर जिले के अजनाला उपमंडल के लोपोके पुलिस स्टेशन के अंतर्गत खियाला कलां डाकघर के गांव खियाला खुर्द के निवासी थे। उनका विवाह दर्शन कौर से हुआ था और उनकी दो बेटियां थीं। जगतार सिंह दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करते थे और किसी भी राजनीतिक या उग्रवादी गतिविधि में शामिल नहीं थे।
25 मार्च 1993 को सुबह 6 बजे पुलिस दल ने जगतार सिंह के घर पर छापा मारा। उन्होंने सबसे पहले
जगतर के भाई हरदेव सिंह को जगाकर, उनका नाम पूछा और फिर जगतर सिंह के दरवाजे पर दस्तक दी। जब दर्शन कौर ने दरवाजा खोला, तो पुलिस कमरे में घुस आई और जगतर सिंह के नाम की पुष्टि की। उन्होंने दर्शन कौर से एक शॉल मांगी, जिसका इस्तेमाल उन्होंने जगतर के हाथ पीछे बांधने के लिए किया। इस

[illegible]
[illegible]
Balwinder Singh, son of Ratan Singh and Ratan Kaur, was a Mazhabi Sikh resident
[illegible]

[illegible]
20 [illegible] 1993 [illegible] 11 [illegible], [illegible]
[illegible]
[illegible]
[

किया। रतन कौर ने गांव के सरपंच पर उन्हें गिरफ्तार करवाने और पिटवाने का आरोप लगाया।
अगले दिन रतन कौर ने बलविंदर सिंह के लिए संतरी को एक स्वेटर सौंपा।
रतन कौर हर सुबह पुलिस स्टेशन जाती और शाम तक गेट के सामने बैठी रहती।
बलविंदर सिंह उसके संदेशों का जवाब देता था। रतन कौर दिन में तीन-चार बार दूध और चार कप अंदर भेजती थी। उसके पिता बलविंदर को छुड़ाने की लगातार कोशिश करते रहे। पुलिस बलविंदर सिंह और बाकी लोगों को रिहा करने के झूठे वादे करती रही। गांववाले कई बार एसएचओ से मिले, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उनकी गिरफ्तारी के कई दिनों बाद, बलविंदर की मां रतन कौर और प्रीतम
सिंह की पत्नी कश्मीर कौर पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी थीं, सुरजीत सिंह और बलविंदर सिंह को स्टेशन के बाहर एक पुलिस वाहन के पास खड़े होने के लिए कहा गया। बलविंदर सिंह अपनी मां की ओर बढ़े और उन्हें गले लगा लिया। उन्होंने अपनी मां से कहा कि चिंता न करें। पुलिस बलविंदर सिंह और सुरजीत सिंह को अपनी गाड़ी में बिठाकर ले गई।
29 मार्च के समाचार पत्रों में खबर छपी थी कि बलविंदर सिंह, मंगल सिंह, हरबंस सिंह घासीतपुरा और एक अन्य व्यक्ति सिहानिया वाली गांव के पास काठू नांगल पुलिस के साथ हुई "मुठभेड़" में मारे गए थे।
एक ग्रामीण ने जगतार सिंह की पत्नी दर्शन कौर को इस प्रकाशन की सूचना दी। उस दिन की समाचार रिपोर्ट सुनकर दर्शन कौर और उनकी भाभी बलविंदर कौर मॉल मंडी पूछताछ केंद्र गईं। वहां से कोई जानकारी न मिलने पर वे दुर्गाना मंदिर के श्मशान घाट की ओर चल पड़ीं।
श्मशान घाट के कर्मचारियों ने दर्शन कौर और बलविंदर कौर को बताया
कि एक दिन पहले काठू नांगल पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मी शवों को लेकर आए थे।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (535)

चार युवकों के अंतिम संस्कार के लिए शव भेजे गए। जैंतीपुर के युवक को छोड़कर बाकी सभी युवकों का अंतिम संस्कार एक ही चिता पर किया गया। यदि यह आरोप सही है, तो सीबीआई ने सभी अंतिम संस्कारों की सूची अलग-अलग क्यों बनाई?
पुलिस ने शवों को परिवार को नहीं सौंपा और न ही उन्हें शवों के अंतिम संस्कार के बारे में सूचित किया।
अगले दिन, धर्म सिंह अपने बेटे के शव को लेने के लिए श्मशान घाट लौट आए। हालांकि वह इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि उसने जो राख इकट्ठा की है वह उसके बेटे की ही है। जगतर की पत्नी, बच्चे, छोटे भाई और माता-पिता के पास अब आय का कोई स्रोत नहीं है, इसलिए दर्शन कौर अब कपड़े सिलने का काम करती है और धर्म सिंह परिवार का भरण-पोषण करने के लिए फिर से मजदूरी करने लगा है।
जगतर की हत्या के बाद उसके दादा-दादी और बच्चे का देहांत हो गया।
बलविंदर सिंह की पत्नी ने बाद में दोबारा शादी कर ली।
सीबीआई की अज्ञात शवदाह की सूची में 31 मार्च 1993 को हुए तीन शवदाह दर्ज हैं।
मेहता पुलिस द्वारा क्रमांक 596/331, 597/332 और 598/333 के तहत शवों का अंतिम संस्कार किया गया। इसमें कोई एफआईआर संख्या या पोस्टमार्टम रिपोर्ट संख्या दर्ज नहीं है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया

है। ये शव संभवतः सुरजीत सिंह पुत्र दलीप सिंह, प्रीतम सिंह पुत्र उधम सिंह और मुख्तियार सिंह के हैं, जो सभी कोटली धोले शाह गांव के निवासी थे।

अज्ञात शवों की सूची

1. क्रमांक 31/31 के अंतर्गत, सूची में लोपोके पुलिस स्टेशन द्वारा 6 सितंबर 1987 को किए गए एक शवदाह का उल्लेख है। एफआईआर संख्या का उल्लेख नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को AKL/FM/112/87 के रूप में चिह्नित किया गया है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।

समिति की घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/00071

अंतिम संस्कार के संबंध में निम्नलिखित जानकारी सामने आती है।

जोगिंदर के बेटे बीस वर्षीय सविंदर सिंह

सिंह और बलवीर कौर अमृतसर जिले के अजनाला उपमंडल के बागे कलां डाकघर के अंतर्गत बागे खुर्द गांव में रहते थे। वह अमृतधारी सिख और सिख छात्र संघ के कार्यकर्ता थे। इस मामले के मुख्य सूचनादाता जोगिंदर सिंह के अनुसार, लापता होने से पहले उन्हें कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था और न ही उन पर किसी अपराध का आरोप लगाया गया था।

लगभग 2 सितंबर 1987 को पुलिस ने सविंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया।

सविंदर सिंह को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर से निकलते समय गिरफ्तार किया गया, जहां सिख छात्र संघ का मुख्य कार्यालय स्थित है। उनकी गिरफ्तारी उनके कई साथियों की मौजूदगी में हुई, जिन्होंने बाद में उनके माता-पिता को इसकी सूचना दी।

जोगिंदर सिंह ने तुरंत पंजाब के डीजीपी को एक टेलीग्राम भेजा। दो दिन बाद,

पूर्व विधायक दलबीर सिंह रविके से मिलने की प्रतीक्षा करते हुए, जोगिंदर सिंह ने पंजाबी दैनिक समाचार पत्र अजीत में एक रिपोर्ट पढ़ी, जिसमें कहा गया था कि पुलिस ने गांव 536 के पास मुठभेड़ में सविंदर सिंह को मार डाला था।

मादो के बरार। जोगिंदर सिंह ने दलबीर सिंह रविके से पुलिस अधिकारियों को शव परिवार को अंतिम संस्कार के लिए सौंपने के लिए मनाने का अनुरोध किया।
पूर्व विधायक ने ऐसी विनती करके शर्मिंदगी मोल लेने से इनकार कर दिया, जिसके बारे में उन्हें पता था कि पुलिस उसे कभी पूरा नहीं करेगी।
जनवरी 1988 में, अमृतसर के रामबाग पुलिस स्टेशन के एक डीएसपी ने जोगिंदर से मुलाकात की।
जोगिंदर सिंह अपने बेटे की हत्या के बारे में पूछताछ करने के लिए उनके घर गए थे। डीएसपी ने सविंदर की मौत से संबंधित अखबार की खबर की एक प्रति ली और जोगिंदर सिंह को रामबाग पुलिस स्टेशन आकर शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा। जोगिंदर सिंह, ग्राम परिषद के एक सदस्य के साथ डीएसपी के पास गए, जिन्होंने उनका बयान दर्ज किया और उस पर हस्ताक्षर करने को कहा। जोगिंदर सिंह और उनके साथी को पढ़ना-लिखना नहीं आता था। लेकिन उन्हें यह जाने बिना ही हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया कि लिखित बयान में क्या लिखा है। अगले तीन वर्षों तक पुलिस ने जोगिंदर सिंह को लगातार परेशान किया और उनकी संपत्ति जब्त की।
उनके घर का कीमती सामान जब्त कर लिया गया और उन्हें अपनी जमीन पर खेती करने की अनुमति नहीं दी गई। उन्हें कई बार अवैध रूप से हिरासत में भी लिया गया और रिहाई के लिए अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए मजबूर किया गया। जोगिंदर सिंह के अनुसार, इन जबरन वसूली से उन्हें 250,000 रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। उनकी पत्नी बलवीर कौर गंभीर अवसाद से ग्रस्त हैं।

2. क्रमांक 329/235 के अंतर्गत, सूची में मेहता पुलिस स्टेशन के एएसआई बलदेव सिंह द्वारा एफआईआर संख्या 151/91 के तहत 11 नवंबर 1991 को किए गए एक शवदाह का उल्लेख है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तिथि 11.11.1991 अंकित है। मृत्यु का कारण "गोली लगने से हुई चोटें" बताया गया है।
समिति की घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/00081 से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है-
दाह संस्कार के बारे में जानकारी।
सरदारा सिंह, बूर सिंह और दलीप कौर के पुत्र, एक छोटे किसान थे जो निवासी थे।
अमृतसर जिले के बाबा बकाला उपमंडल के खिलचियां डाकघर के काले के निवासी, उनके और उनकी पत्नी रंजीत कौर (जो इस मामले की मुख्य सूचनादाता हैं) के एक बेटी और एक बेटा था। रंजीत कौर के अनुसार, उनके पति का उग्रवादी आंदोलन से कोई संबंध नहीं था।
11 अक्टूबर 1991 की सुबह लगभग 10:30 बजे सरदार सिंह लौट रहे थे।
सरदार सिंह गांव की एक दुकान से कुछ किराने का सामान खरीदकर घर लौट रहा था। इसी बीच, मेहता पुलिस स्टेशन से पंजाब पुलिस के अधिकारियों का एक बड़ा दल, सीआरपीएफ की एक टुकड़ी के साथ, गांव में तलाशी अभियान चला रहा था। सरदार सिंह को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया गया और बाद में एक फर्जी मुठभेड़ में उसकी हत्या कर दी गई।
पुलिस ने परिवार को बिना सूचना दिए ही अंतिम संस्कार कर दिया। रंजीत कौर, अपने छोटे बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी से दबी होने के कारण, वह तब से गांव के कुछ संपन्न परिवारों के घरों में घरेलू नौकरानी के रूप में काम कर रही है।
3-4: क्रमांक 390/600 और 391/601 के अंतर्गत, सूची में गोइंदवाल पुलिस स्टेशन के एसएचओ तेग बहादुर सिंह द्वारा एफआईआर संख्या 50/91 के तहत 19 दिसंबर 1991 को किए गए दो शवदाह का विवरण है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को केके-19/91 और पीएस-84/91 के रूप में अंकित किया गया है। मृत्यु का कारण "आग्नेयास्त्र से लगी चोटें" बताया गया है।
समिति की घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/00115 से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है-
इनमें से एक दाह संस्कार के बारे में जानकारी।
Sukhwinder Singh alias Shindu, son of Gian Singh Nambardar, the village
rev-

राजस्व संग्राहक और मलियान गांव के पछवारे वाला खुह इलाके की जागीर कौर। सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (537)

अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल में एक 23 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई। वह अविवाहित था और पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड में मजदूर के रूप में काम करता था। उसके पिता ज्ञान सिंह इस मामले में मुख्य सूचनादाता हैं।

On 13 December 1991, Sukhwinder Singh accompa-

लखविंदर सिंह, जो बचन सिंह का पुत्र है, कुछ खरीदारी करने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली पर मुंडा पिंड गांव गया था। लौटते समय, मुंडा पिंड पुलिस चौकी के

पुलिसकर्मियों ने उन्हें पकड़ लिया और गोइंदवाल साहिब पुलिस को सौंप दिया। गोइंदवाल साहिब पुलिस स्टेशन के एसएचओ तेग बहादुर और हेड कांस्टेबल रचपाल सिंह ने व्यक्तिगत रूप से सुखविंदर सिंह की निगरानी की।

पांच दिनों तक अवैध हिरासत में रहने के दौरान उनसे यातनापूर्ण पूछताछ की गई। परिवार के सदस्य नियमित रूप से उनसे पुलिस स्टेशन में मिलने आते थे और उन्हें खाना खिलाते थे। ज्ञान सिंह अपने बेटे से आखिरी बार 16 दिसंबर 1991 को गोइंदवाल पुलिस स्टेशन में मिले थे।

ज्ञान सिंह, कई अन्य ग्राम बुजुर्गों के साथ एसएचओ तेघ से बात कर रहे थे।

सुखविंदर को हिरासत से छुड़ाने के लिए बहादुर सिंह ने गुहार लगाई। एसएचओ ने सुखविंदर की रिहाई के बदले 200,000 रुपये की रिश्वत मांगी। ज्ञान सिंह, जो एक छोटा किसान था, इतनी बड़ी रकम जुटाने में असमर्थ था और उसने एसएचओ से अपने बेटे को 50,000 रुपये में रिहा करने की विनती की, लेकिन एसएचओ ने प्रस्ताव ठुकरा दिया।

ज्ञान सिंह अभी भी एसएचओ द्वारा मांगी गई राशि जुटाने के लिए संघर्ष कर रहा था।

उनके बेटे की रिहाई के बाद, 19 दिसंबर 1991 को कई पंजाबी समाचार पत्रों ने सुखविंदर सिंह और एक अन्य अज्ञात आतंकवादी के पुलिस के साथ कथित मुठभेड़ में मारे जाने की खबर प्रकाशित की। परिवार की जानकारी के बिना ही अंतिम संस्कार कर दिया गया।

5-7: क्रमांक 512/291, 513/292 और 514/293 के अंतर्गत दी गई सूची में लोपोके पुलिस स्टेशन के एसएचओ द्वारा एफआईआर संख्या 43/92 के तहत 1 अक्टूबर 1992 को किए गए तीन शवदाह का विवरण है। पोस्टमार्टम रिपोर्टों को एएसटी/एफएम/19/92, एएसटी/एफएम/20/92 और एएसटी/एफएम/21/92 के रूप में अंकित किया गया है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।

समिति की घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/00125 से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है-

इनमें से एक दाह संस्कार के बारे में जानकारी।

इंदरजीत सिंह और रशपाल कौर के पुत्र, इक्कीस वर्षीय हलविंदर सिंह,

अमृतसर जिले के लोपोके पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कक्कर गांव का निवासी, वह पंजाब पुलिस में कांस्टेबल था और गुरदासपुर जिले के बटाला उपमंडल में तैनात था। उसका विवाह गुरमीत कौर से हुआ था।

इस मामले की मुख्य मुखबिर रशपाल कौर के अनुसार, हलविंदर के पास कोई जानकारी नहीं थी।

राजनीतिक या उग्रवादी संगठनों से संबंध। 1992 की शुरुआत में, हलविंदर को उग्रवादी भूमिगत समूह के सदस्यों से कई संदेश मिले, जिनमें उन्हें पुलिस सेवा से इस्तीफा देने या परिणाम भुगतने के लिए कहा गया था। हलविंदर डर गए और अगले दो-तीन महीनों तक ड्यूटी से अनुपस्थित रहे। जुलाई/अगस्त 1992 में, गांव के बुजुर्ग हलविंदर को एसएसपी बटाला ले गए और उन्हें उनकी अनुपस्थिति का कारण बताया। एसएसपी ने कहा कि वे कारण समझ गए हैं और हलविंदर को ड्यूटी पर वापस आने के लिए कहा।

8 सितंबर 1992 को हलविंदर छोटी छुट्टी पर घर आए। 9 सितंबर को

1992 में, लगभग सुबह 11 बजे, लोपोके पुलिस स्टेशन के अधिकारियों का एक समूह, एएसआई 538 के नेतृत्व में, राख में तब्दील हो गया।

सुरिंदर सिंह ने परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में हलविंदर को गिरफ्तार किया और उसे लोपोके पुलिस स्टेशन ले गए। हलविंदर के पिता इंदरजीत सिंह भी उनके पीछे-पीछे पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां उन्हें अपने बेटे से मिलने और उसे कुछ खाना देने की अनुमति दी गई। हलविंदर ने अपना पहचान पत्र और पर्स उन्हें सौंप दिया। एएसआई सुरिंदर सिंह ने इंदरजीत सिंह को सलाह दी कि वे अगले दिन सुबह अपने ग्राम परिषद के सदस्यों के साथ अपने बेटे को वापस ले जाने के लिए पुलिस स्टेशन आएं।
इंदरजीत सिंह 10 तारीख की सुबह तड़के लोपोक पुलिस स्टेशन लौट आए।

सितंबर 1992 में हलविंदर की मुलाकात एसएचओ धर्म सिंह से हुई, जिन्होंने बताया कि उनके बेटे को एसएसपी के निर्देश पर गिरफ्तार किया गया है और उससे पूछताछ अभी पूरी नहीं हुई है। एसएचओ ने उन्हें लॉकअप में अपने बेटे से थोड़ी देर के लिए मिलने की अनुमति दी। हलविंदर की हालत पूछताछ के दौरान हुए अत्याचारों से बेहद खराब थी। हलविंदर ने बताया कि उसके वरिष्ठ अधिकारियों ने उस पर आतंकवादियों के लिए हथियार रखने का आरोप लगाया था और वे उससे आतंकवादियों से अपने संबंधों को कबूल करवाना चाहते थे।
इंदरजीत सिंह अगले पांच दिनों तक लगातार पुलिस स्टेशन जाते रहे, लेकिन उन्हें
अपने बेटे से मिल पाने में असमर्थ। एसएचओ ने बताया कि अमृतसर के एसएसपी परमजीत सिंह गिल व्यक्तिगत रूप से उनसे पूछताछ की निगरानी कर रहे थे। हलविंदर को फिर कभी जीवित नहीं देखा गया। कई सप्ताह बाद, एसएचओ धर्म सिंह ने इंदरजीत सिंह से कहा कि वे उनसे जानकारी के लिए परेशान करना बंद कर दें और अपने बेटे के अंतिम संस्कार कर दें। इंदरजीत समझ गए थे कि हलविंदर की हत्या कर दी गई है। उन्होंने अपने मित्र किशन भगवान सिंह, जो एक सेवानिवृत्त मेजर थे, से एसएसपी परमजीत सिंह गिल से मिलने का अनुरोध किया। गिल ने पुष्टि की कि हलविंदर सिंह वास्तव में दो अन्य लोगों के साथ एक मुठभेड़ में मारे गए थे।
8. क्रमांक 194/267 के अंतर्गत दी गई सूची में सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन के एएसआई द्वारा 11 मार्च 1992 को किए गए अंतिम संस्कार का उल्लेख है। सूची में एफआईआर क्रमांक नहीं दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एनडी/एफएम/249/92 के रूप में चिह्नित किया गया है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति की घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/00126 से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है-
दाह संस्कार के बारे में जानकारी।
इकबाल सिंह और सुखजिंदर के पुत्र, 27 वर्षीय मनजीत सिंह उर्फ बिल्ला
कौर, अमृतसर जिले के सदर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत नांगली गांव की निवासी एक युवा किसान थीं। मनजीत ने कुछ वर्ष जर्मनी में बिताए थे और अपने पिता के कृषि कार्यों में मदद करने के लिए घर लौट आया था। वह अविवाहित था और उसका पिता, जो एक पूर्व पुलिस अधिकारी है, इस मामले में मुख्य सूचनादाता है। मनजीत के पिता इकबाल सिंह 1959 में पंजाब पुलिस में कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुए थे।
और 31 वर्षों तक पुलिस बल में सेवा करने के बाद, उन्होंने 1990 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी। इस दौरान, उनकी तैनाती पंजाब के कई जिलों में हुई थी, जिनमें होशियारपुर, गुरदासपुर और अमृतसर शामिल हैं। इकबाल सिंह ने पुलिस बल से जल्दी सेवानिवृत्ति इसलिए ली क्योंकि वे अपने वरिष्ठ अधिकारियों और साथी पुलिसकर्मियों द्वारा आम सिखों पर किए गए हिरासत में अत्याचारों और निर्दोष लोगों को अवैध हिरासत में लेकर उनके रिश्तेदारों को या तो भुगतान करने या मनमाने ढंग से फांसी दिए जाने के लिए मजबूर करके पैसे वसूलने के लिए अपनी शक्तियों के दुरुपयोग को सहन नहीं कर सके। 1981 से 1983 की अवधि में अमृतसर के संयुक्त पूछताछ केंद्र में तैनात रहने के दौरान, वे अपने साथी पुलिसकर्मियों द्वारा नियमित रूप से किए जाने वाले अपराधों से विशेष रूप से स्तब्ध थे। इकबाल सिंह के अनुसार, पुलिस बल के कुछ बेईमान तत्वों ने पंजाब में हिंसक अशांति की स्थिति का

फायदा न केवल पैसा कमाने के लिए उठाया, बल्कि निर्दोष लोगों की हत्या करके और उन्हें आतंकवादी करार देकर तेजी से पदोन्नति प्राप्त करने के लिए भी उठाया।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (539)

इकबाल सिंह अमृतसर के सदर पुलिस स्टेशन के एसएचओ अजैब सिंह के सीधे अधीन काम करते थे, जिन्होंने कांस्टेबल के रूप में पुलिस बल में भर्ती होकर डीएसपी का पद प्राप्त किया था। इकबाल सिंह के अनुसार, अधिकांश निचले स्तर के अधिकारियों ने अपने वरिष्ठों के निर्देश पर अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्तियों पर अत्याचार किए। हालांकि, कई ऐसे अधिकारी भी थे जिन्होंने पैसे कमाने और अपने वरिष्ठों को आतंकवाद विरोधी भावना से प्रभावित करने के लिए अपने बंदियों को यातनाएं दीं और उनकी हत्या कर दी, ताकि उन्हें पदोन्नति और सुविधाएं मिल सकें। इकबाल सिंह के अनुसार, अमृतसर के सदर पुलिस स्टेशन के एसएचओ अजैब सिंह भी ऐसे ही एक व्यक्ति थे।
इन्हीं कारणों से इकबाल सिंह ने समय से पहले सेवानिवृत्ति ले ली। उनके सबसे बड़े बेटे, जिनका नाम
हम नाम उजागर नहीं करेंगे। उनके बेटे मनजीत सिंह पंजाब पुलिस में भर्ती हो चुके थे और अभी भी एक संवेदनशील पद पर कार्यरत हैं। उनका छोटा बेटा मनजीत सिंह कुछ वर्षों के लिए जर्मनी चला गया था, लेकिन बाद में अपने पिता की बिगड़ती सेहत के कारण कृषि कार्यों में मदद करने के लिए वापस आ गया।
24 फरवरी 1992 की सुबह तड़के, अमृतसर से एक बड़ी पुलिस टुकड़ी ने... सीआरपीएफ के कुछ जवानों की मदद से सदर पुलिस स्टेशन ने इकबाल सिंह के घर पर छापा मारा और मनजीत को पूछताछ के लिए सदर पुलिस स्टेशन ले गए। एएसआई संतोख सिंह और हेड कांस्टेबल गुरबचन सिंह के नेतृत्व में हुई इस गिरफ्तारी को कई ग्रामीणों ने देखा।
उसी दोपहर, इकबाल सिंह अपने समर्थकों के साथ एसएचओ अजैब से मिले।
सिंह ने उनसे बहुत ही दोस्ताना लहजे में बात की और उन्हें आश्वासन दिया कि वे अपने बेटे के बारे में चिंता न करें। उन्होंने इकबाल सिंह को पुलिस लॉकअप में मंजीत से मिलने और उसे खाना देने की भी अनुमति दी। पांच दिन बाद, एसएचओ अजैब सिंह ने इकबाल सिंह से कहा कि उनके बेटे को पुलिस हिरासत से रिहा कराने के लिए उन्हें 5 लाख रुपये देने होंगे। इस मांग से हैरान होकर इकबाल सिंह ने एसएचओ को पुलिस बल में साथ काम करने के दौरान बिताए गए समय की याद दिलाई। उन्होंने एसएचओ को यह भी बताया कि उनका बेटा निर्दोष है और उनके पास इतने पैसे जुटाने की क्षमता नहीं है। एसएचओ ने कहा कि उनके वरिष्ठ अधिकारी बिना पैसे लिए किसी को रिहा नहीं करते और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका बेटा निर्दोष है या नहीं। इकबाल सिंह ने अपने बेटे को रिहा कराने के लिए जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा पैसे जुटाने का वादा किया।
इकबाल सिंह ने कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और अन्य सरकारी अधिकारियों को भी टेलीग्राम भेजे।
उन्होंने सरकारी अधिकारियों को अपने बेटे की अवैध गिरफ्तारी के बारे में सूचित किया। उन्होंने अमृतसर के एसएसपी और डीआईजी (रेंज) से मुलाकात कर अपने बेटे को अवैध हिरासत से रिहा करने या अदालत में पेश करने की मांग की। हालांकि, उन्होंने एसएचओ अजैब सिंह द्वारा मांगे गए पांच लाख रुपये के बारे में उन्हें नहीं बताया, क्योंकि उन्हें डर था कि एसएचओ उनके बेटे को

नुकसान पहुंचा सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उनकी मुलाकातों का उनके बेटे को अवैध पुलिस हिरासत से छुड़ाने पर कोई असर नहीं पड़ा।
इकबाल सिंह बीस दिनों के भीतर लगभग 200,000 रुपये जुटाने में सक्षम थे। अपने बेटे की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी देने के लिए उन्होंने एसएचओ अजैब सिंह को रकम देने की पेशकश की, लेकिन एसएचओ अजैब सिंह ने उन्हें बड़े ही कठोर शब्दों में कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है और उन्हें अपने छोटे बेटे के बारे में भूल जाना चाहिए। एसएचओ अजैब सिंह ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर उन्हें अपने परिवार के अन्य सदस्यों की सुरक्षा की चिंता है तो वे इस घटना के बारे में किसी से बात न करें।
इकबाल सिंह को यह भी पता नहीं चल पाया कि उनके बेटे की हत्या कैसे हुई और उनके
शव को ठिकाने लगा दिया गया। इकबाल सिंह कानूनी कार्रवाई शुरू करने में असमर्थ थे क्योंकि उन्हें डर था कि अजैब सिंह और उनके वरिष्ठ अधिकारी, जो उनके छोटे बेटे के अपहरण और लापता होने में शामिल थे, उनके बड़े बेटे को भी खत्म कर सकते हैं, जो पंजाब पुलिस में कार्यरत था।
9 – 11: क्रमांक 257/196, 258/197 और 259/198 के अंतर्गत, सूची में ब्यास पुलिस स्टेशन के एसएचओ द्वारा एफआईआर संख्या 540 के तहत 9 जून 1991 को किए गए तीन शवदाह दिखाए गए हैं।

119/91. पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर दिनांक 09.06.1991, SS/FM/243/91 और SS/FM/244/91 9.06.1991 अंकित हैं। मृत्यु का कारण "गोली लगने से हुई चोटें" बताया गया है।
समिति की घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/00138 से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है-
इन दाह संस्कारों के बारे में जानकारी।
Twenty-five year old Lakhwinder Singh alias Lakha, son of Bua Singh and Bachan
कौर पंजाब पुलिस की कांस्टेबल थीं और अमृतसर जिले के जंडियाला गुरु पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले गहरी मंडी गांव की निवासी थीं। कॉलेज से स्नातक लखविंदर 1987 में पुलिस बल में भर्ती हुए थे और अविवाहित थे। उनके चाचा बचन सिंह इस मामले में मुख्य मुखबिर हैं।
9 जून 1991 को, अजीत, जगबानी और पंजाब केसरी सहित कई समाचार पत्रों ने यह खबर प्रकाशित की।
ब्यास पुलिस स्टेशन के अंतर्गत दौल नंगल गांव के पास पुलिस मुठभेड़ में लखविंदर की मौत की खबर अखबार में प्रकाशित हुई। एसएसपी परमजीत सिंह गिल द्वारा जारी बयान के आधार पर प्रकाशित इस समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस कांस्टेबल लखविंदर सिंह खालिस्तान कमांडो फोर्स के दो अन्य आतंकवादियों के साथ मारा गया। एसएसपी ने अपने बयान में अन्य दो आतंकवादियों की पहचान [1] ब्यास पुलिस स्टेशन के अंतर्गत धड़ियान गांव के निवासी गुरबचन सिंह के पुत्र सुखदेव सिंह और [2] अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल के संघा गांव के निवासी दर्शन सिंह के पुत्र दिलबाग सिंह के रूप में की। प्रेस रिपोर्टों में एसएसपी के इस दावे का उल्लेख किया गया है कि लखविंदर 40 हत्याओं के मामलों के लिए जिम्मेदार था और खालिस्तान कमांडो फोर्स के एरिया कमांडर बताए जा रहे दिलबाग सिंह 50 हत्याओं के मामलों के लिए जिम्मेदार था।

लखविंदर के चाचा बचन सिंह के अनुसार, पुलिस ने उसे सौंप दिया था।
शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया जिन्होंने अंतिम संस्कार किया।
यह वाकई असाधारण बात है कि सीबीआई ने इन शवदाह स्थलों को, जिनकी स्पष्ट रूप से पहचान हो चुकी है, प्रदर्शित किया है।
अखबारों की रिपोर्टों और 9 जून 1991 को प्रकाशित एसएसपी के बयान में अज्ञात शवदाहों की सूची में इसका उल्लेख किया गया है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि यदि शवों को वास्तव में परिवार वालों को लौटा दिया गया था, तो ये शवदाह सीबीआई की पंजाब पुलिस द्वारा किए गए अवैध शवदाहों की सूची में कैसे शामिल हैं।
क्रमांक 12-17 के अंतर्गत, सूची में झब्बल पुलिस स्टेशन के एसएचओ द्वारा 3 अगस्त 1990 को एफआईआर संख्या 91/90 के तहत किए गए छह शवदाहों का उल्लेख है। क्रमांक 117/212, 118/213, 119/214, 120/215, 121/216 और 122/217 हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्टों को एसएस-37/90, एसएस-38/90, एसएस-39/90, पीके-1/90, पीके-2/90 और पीके-3/90 के रूप में अंकित किया गया है। सभी मामलों में मृत्यु का कारण "आग्नेयास्त्र से लगी चोट" बताया गया है।
समिति की घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/00144 से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है-
इन दाह संस्कारों के बारे में जानकारी।
जागीर सिंह और सविंदर कौर के पुत्र पच्चीस वर्षीय हरजीत सिंह एक
अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल के झब्बल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत लालू घुमन गांव का रहने वाला एक युवक। उसके पिता जागीर सिंह, जो थट्टा गांव में एक पुराने सिख संत बाबा खुशी दास के नाम पर स्थापित एक धार्मिक संस्था के प्रमुख हैं, इस मामले में मुख्य सूचनादाता हैं।
जागीर सिंह के अनुसार, उनके बेटे हरजीत को जून में एक बार अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया था।
1990 में पुलिस ने उन्हें दस दिनों तक अवैध हिरासत में बेरहमी से प्रताड़ित किया, लेकिन बिना किसी आरोप के रिहा कर दिया।
1 अगस्त 1990 को, झब्बल और तरन तारन पुलिस बल से एक बड़ी पुलिस टुकड़ी ने कार्रवाई की।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (541)

सूचना मिली थी कि कुछ आतंकवादी लालू घुमन और मन्नान नामक दो पड़ोसी गांवों के बीच छिपे हुए हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने इन गांवों को घेर लिया। लालू घुमन की घेराबंदी छत्तीस घंटे तक चली। उसी दोपहर पुलिस ने एक घर पर छापा मारकर चार आतंकवादियों को मार गिराया, जहां वे छिपे हुए थे।
उस सुबह से पहले, हरजीत गांव मन्नान में अपनी चाची से मिलने गया था, और झब्बल पुलिस स्टेशन के एसएचओ गुरदेव सिंह ने हरजीत को गिरफ्तार कर लिया। बड़ी संख्या में लोग उसकी गिरफ्तारी के साक्षी रहे। पुलिस हरजीत को यातना देकर पूछताछ के लिए झब्बल पुलिस स्टेशन ले गई। कुछ घंटों बाद, एसएचओ ने हरजीत को एक पुलिस जीप से बांध दिया और पुलिस स्टेशन के बाहर सड़क पर घसीटा ताकि यह दिखाया जा सके कि भूमिगत आतंकवादियों को पनाह देने या उनका समर्थन करने वालों के साथ पुलिस क्या करेगी। झब्बल में बड़ी संख्या में लोगों ने इस भयावह दृश्य को देखा। संभवतः, हरजीत को दी गई यातना से पुलिस को ऐसी जानकारी मिली जिससे लालू घुम्मन गांव के दारा सिंह के बेटे कश्मीर सिंह को गिरफ्तार किया जा सका। कश्मीर सिंह को आतंकवादियों के ठिकाने की पहचान

बताने के लिए मजबूर किया गया, जिसके परिणामस्वरूप उस पर छापा मारा गया और वहां छिपे चार आतंकवादियों को मार गिराया गया। कश्मीर सिंह भी उनके साथ मारा गया।
कुछ घंटों बाद, हरजीत सिंह को मुठभेड़ स्थल पर लाया गया और
गोली मारकर हत्या कर दी गई।
3 और 4 अगस्त 1990 को, दैनिक अजीत सहित कई समाचार पत्रों ने...
जगबानी ने मुठभेड़ के बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें दावा किया गया कि छह आतंकवादी मारे गए हैं। यह रिपोर्ट पुलिस अधिकारियों द्वारा जारी एक बयान पर आधारित थी।
हरजीत सिंह और कश्मीर सिंह को दी गई क्रूर यातनाएं और मनमानी हत्याएं फर्जी मुठभेड़ के कारण लालू घुम्मन और आसपास के गांवों के लोगों में अचानक आक्रोश भड़क उठा। हजारों लोगों ने शवों की वापसी की मांग को लेकर झब्बल पुलिस स्टेशन के सामने प्रदर्शन किया। पुलिस ने बलपूर्वक भीड़ को तितर-बितर किया और परिवारों को सूचित किए बिना शवों का अंतिम संस्कार कर दिया। अखबारों की खबरों में इस घटना को नजरअंदाज कर दिया गया। हरजीत सिंह और कश्मीर सिंह का भी मुठभेड़ में मारे गए अज्ञात आतंकवादियों के रूप में अंतिम संस्कार कर दिया गया।
18. क्रमांक 552/893 के अंतर्गत, सूची में 27 अक्टूबर 1992 को झब्बल पुलिस स्टेशन के एसएचओ सिद्धू द्वारा किए गए अंतिम संस्कार का उल्लेख है। सूची में एफआईआर क्रमांक का उल्लेख नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को केके- 68/92 के रूप में चिह्नित किया गया है और मृत्यु का कारण "गोलीबारी से लगी चोटें" बताया गया है।
समिति की घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/00195 से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है-
दाह संस्कार के बारे में जानकारी।
अमर सिंह के पुत्र, पैंतीस वर्षीय बलविंदर सिंह उर्फ बिंदू,
गुरबचन कौर, अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल के झब्बल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पट्टी सबाई की, झब्बल कलां गांव की निवासी एक किसान थीं। इस मामले की मुख्य मुखबिर राजवंत कौर से विवाहित, वह तीन नाबालिग बच्चों, दो बेटों और एक बेटी के पिता थे। बलविंदर के बड़े भाई जैल सिंह भारतीय सेना में अधिकारी थे। बलविंदर का उग्रवादी आंदोलन से कोई संबंध नहीं था और उन्हें कभी गिरफ्तार या पूछताछ नहीं की गई थी।
4 अक्टूबर 1992 को दोपहर लगभग 1:30 बजे डीएसपी अशोक कुमार के नेतृत्व में एक बड़ी पुलिस टीम ने छापेमारी की।
झब्बल पुलिस स्टेशन के एसएचओ अमरजीत सिंह ने बलविंदर के घर पर उस समय छापा मारा जब वह अपने खेतों में काम कर रहा था। पुलिस अधिकारियों ने उसकी मां और पत्नी को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन ले गए, जहां पुलिस ने उन्हें प्रताड़ित करके यह कबूल करवाया कि बग्गा नाम के एक आतंकवादी ने उनके घर में शरण ली थी। दोनों महिलाओं को इस बात का पता नहीं था कि 542 राख में तब्दील हो चुके हैं।

इसके बारे में कुछ भी नहीं। लेकिन यातना के तहत उनसे पूछताछ जारी रही। बाद में शाम को बलविंदर को उसके एक परिचित मित्र के घर से गिरफ्तार किया गया।

हुए दावा किया कि पुलिस ने मारे गए आतंकवादियों के शवों से विभिन्न आतंकवादी संगठनों के लेटर पैड बरामद किए हैं और ये आतंकवादी शहर के व्यापारियों को जबरन वसूली के लिए अगवा करते थे।
पुलिस ने परिजनों को सूचित किए बिना शवों का अंतिम संस्कार कर दिया।
सीबीआई ने सभी मामलों में सभी जिम्मेदारियां संभालीं।
समाचार पत्रों की रिपोर्टों में अज्ञात शवदाहों की सूची में हरनाम सिंह सहित अन्य शवदाहों का प्रमुखता से उल्लेख किया गया है।
23-24: क्रमांक 208/300 और 209/301 के अंतर्गत दी गई सूची में छेरता पुलिस स्टेशन द्वारा 3 जून 1992 को किए गए दो शवदाह का उल्लेख है। सूची में एफआईआर क्रमांक नहीं दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्टों को एनडी-450/92 और एनडी-451/92 के रूप में चिह्नित किया गया है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति की घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/00222 से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है-
इनमें से एक दाह संस्कार के बारे में जानकारी।
मोहिंदर सिंह के पुत्र, चालीस वर्षीय सुरजीत सिंह उर्फ लाट, एक किसान थे। अमृतसर जिले के सदर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पट्टी हिंदू की गांव संघना में रहने वाले सुरजीत की शादी कश्मीर कौर से हुई थी और उनके पांच नाबालिग बच्चे थे। सुरजीत अकाली दल के सदस्य थे। इस मामले की मुख्य सूचना देने वाली कश्मीर कौर के अनुसार, उनके पति का किसी भी आतंकवादी समूह से कोई संबंध नहीं था।
2 जून 1992 को सुबह लगभग 5 बजे, एसएचओ महिंदर सिंह के नेतृत्व में एक बड़ी पुलिस टुकड़ी मौके पर पहुंची।
छेहरटा पुलिस स्टेशन के करिक्की ने सुरजीत को उसके घर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान ग्राम परिषद के मुखिया भी मौजूद थे, जिन्हें पुलिस अधिकारियों ने जगा दिया था। 544 राख में तब्दील

सुरजीत के घर की पहचान करने में मदद करने के लिए और साथ ही उसी गांव के निवासी भान सिंह के पुत्र लखा सिंह और बहल सिंह के पुत्र सुरिंदर सिंह शिंदा के घरों तक ले जाने के लिए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस ने लखा सिंह और सुरिंदर सिंह दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने अगले दिन लखा सिंह को रिहा कर दिया। यातनाओं के कारण उसकी शारीरिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी।
सुरिंदर सिंह की हालत बहुत खराब थी और वह कई हफ्तों तक किसी से बात नहीं कर पाया। कुछ दिनों बाद पुलिस ने उसे अवैध हिरासत से रिहा कर दिया। उसने कश्मीर कौर को बताया कि उसकी गिरफ्तारी के एक दिन बाद उसके पति को एक अन्य अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति के साथ फर्जी मुठभेड़ में मार दिया गया था।
कश्मीर कौर एसएसपी ढिल्लों से मिलने गईं और उनसे गुहार लगाई कि वे उन्हें सच बताएं।
उसके पति के लापता होने के बारे में सच्चाई जानने के लिए एसएसपी ने उसे फटकार लगाई क्योंकि वह अपने पति को आतंकवादियों को पनाह देने से रोकने में नाकाम रही थी। जब वह रोने लगी, तो एसएसपी ने उसके बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाने का वादा किया। अप्रत्यक्ष रूप से, उन्होंने स्वीकार किया

कि उसके साथ अन्याय हुआ है और उसके बच्चों के पालन-पोषण में मदद करने का आश्वासन दिया। एसएसपी का कुछ समय बाद ही जिले से तबादला हो गया।
25. क्रमांक 114/143 के अंतर्गत दी गई सूची में अमृतसर के सदर पुलिस स्टेशन द्वारा 28 दिसंबर 1990 को किए गए अंतिम संस्कार का उल्लेख है। सूची में एफआईआर का उल्लेख नहीं है और बताया गया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट "उपलब्ध नहीं है"। मृत्यु का कारण "गोली लगना" बताया गया है। समिति की घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/00227 से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है-
इस दाह संस्कार के बारे में जानकारी।
सेवा सिंह और जोगिंदर कौर के पुत्र, बीस वर्षीय अवतार सिंह उर्फ तार, अमृतसर जिले के सदर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत हिंदू की पट्टी के संघना गांव का निवासी अवतार अविवाहित था। उसके पिता सेवा सिंह, जो इस मामले में मुख्य मुखबिर हैं, अकाली दल के सक्रिय सदस्य थे और उन्होंने 1982 में पार्टी द्वारा शुरू किए गए पंजाब की स्वायत्तता के आंदोलन में भाग लिया था। पुलिस ने उसके परिवार के साथ संदेहपूर्ण व्यवहार किया और विशेष रूप से उसके युवा बेटे अवतार को परेशान किया।
पुलिस के उत्पीड़न से बचने के लिए अवतार पहाड़ों की तलहटी में चला गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उस इलाके में, जहाँ उनके एक रिश्तेदार का बड़ा कृषि फार्म था, वे नियमित रूप से अपने माता-पिता से मिलने गाँव आते थे। सेवा सिंह के अनुसार, पंजाब पुलिस को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत खीरी जिले में उनके निवास का पता चला और दिसंबर 1990 के मध्य में उन्हें वहाँ से अगवा कर लिया गया।
पंजाब के कई समाचार पत्रों ने अवतार सिंह की हत्या के बारे में रिपोर्ट प्रकाशित की।
दिसंबर 1990 के अंतिम सप्ताह में हुई एक कथित पुलिस मुठभेड़ की घटना को प्रमुखता से लिया गया था। मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति सेवा सिंह को इसकी सटीक तारीख याद नहीं है।
26 – 27. क्रमांक 537/304 और 538/305 के अंतर्गत दी गई सूची में खिलचियां पुलिस स्टेशन के एसएचओ सतवंत सिंह द्वारा एफआईआर क्रमांक 178/92 के तहत 17 नवंबर 1992 को किए गए दो शवदाह का विवरण है। पोस्टमार्टम रिपोर्टों को जीएम/953/92 और जीएम/952/92 के रूप में चिह्नित किया गया है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति की घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/00233 से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है।
इन दाह संस्कारों के बारे में जानकारी।
गुरमीत सिंह और नरिंदर के बेटे, इक्कीस वर्षीय गुरदेव सिंह उर्फ लाडी।
कौर, अमृतसर जिले के खलचियां पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले काले के गांव की निवासी थीं। मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद, गुरदेव ने एक साइकिल मरम्मत की दुकान खोली।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (545)

उसका गांव। उसके पिता गुरमीत सिंह मार्कफेड के कर्मचारी थे, जो किसानों को उनकी उपज के बेहतर दाम दिलाने में मदद करने वाली विपणन सहकारी समितियों का एक संघ है। इस मामले की मुख्य मुखबिर नरिंदर कौर के अनुसार, गुरदेव का

उग्रवादी भूमिगत संगठन से कोई संबंध नहीं था, लेकिन पुलिस उसे पूछताछ के लिए अवैध रूप से गिरफ्तार करती रही थी। वह अविवाहित था।

30 नवंबर 1991 को गुरदेव का अपहरण कर लिया गया था।

जंडियाला गुरु पुलिस बल ने गुरदेव सिंह को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया और दो सप्ताह तक अवैध हिरासत में यातनाएं झेलने के बाद, उन पर टीएडीए के तहत मामला दर्ज किया गया। लेकिन अपर्याप्त सबूतों के कारण अदालत ने तीन महीने बाद गुरदेव सिंह को जमानत पर रिहा कर दिया। रिहाई के बाद, गुरदेव ने अपनी साइकिल मरम्मत की दुकान बंद कर दी और बुटारी में पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड में काम करना शुरू कर दिया।

11 नवंबर 1992 को शाम लगभग 4 बजे, गुरदेव अपने गांव लौट रहे थे।

बुटारी में अपना दिन का काम खत्म करने के बाद, राय्या बस स्टैंड पर ब्यास पुलिस स्टेशन के एसएचओ परमजीत सिंह के नेतृत्व में कुछ अधिकारियों ने गुरदेव का अपहरण कर लिया। गुरदेव के गांव के कई लोग, जो उसी बस में यात्रा कर रहे थे, उनके अपहरण के साक्षी बने।

अगले दिन सुबह, गुरदेव के पिता गुरमीत सिंह, कई अन्य लोगों के साथ,

ग्राम परिषद के सदस्य ब्यास पुलिस स्टेशन गए, जहाँ एसएचओ ने अपने बेटे की हिरासत स्वीकार कर ली और कुछ दिनों में अपनी जांच पूरी करने के बाद उसे रिहा करने का वादा किया। गुरमीत सिंह, उनके परिवार के सदस्य और ग्राम के बुजुर्ग अगले पांच दिनों तक ब्यास पुलिस स्टेशन जाते रहे, लेकिन एसएचओ से उनकी कोई बातचीत नहीं हो सकी।

18 नवंबर 1992 को, कई पंजाबी समाचार पत्रों ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें एक घटना का जिक्र था।

बनिया गांव के पास हुई मुठभेड़ में पुलिस ने चार कथित आतंकवादियों को मार गिराया। प्रेस रिपोर्टों में चारों आतंकवादियों की पहचान उनके नाम और निवास स्थान वाले गांवों के साथ की गई। इनमें से तीन काले के गांव के थे। वे थे [1] गुरमीत सिंह के पुत्र गुरदेव सिंह, [2] दलीप सिंह के पुत्र जसवंत सिंह, [3] पियारा सिंह के पुत्र साहिब सिंह और [4] सुधर राजपूतन गांव के संतोख सिंह के पुत्र मनजीत सिंह।

पुलिस ने परिवार की जानकारी के बिना ही शवों का अंतिम संस्कार कर दिया। एसएचओ

परमजीत सिंह ने गुरदेव के पिता से कहा कि वे अपने बेटे के अपहरण के बारे में किसी से बात न करें और यदि वे उसकी मृत्यु की स्मृति में कोई धार्मिक समारोह आयोजित करते हैं तो उसे सार्वजनिक न करें।

सीबीआई द्वारा क्रमांक 539/150 और 540/151 के अंतर्गत चिन्हित शवदाह की सूची।

इसमें साहिब सिंह और जसवंत सिंह के अंतिम संस्कार का उल्लेख है। उनके अपहरण और हत्या की परिस्थितियों पर सीबीआई की पहली सूची में उल्लिखित मामलों से संबंधित अध्याय में चर्चा की गई है।

गुरदेव की मां नरिंदर कौर के अनुसार, सीबी के अधिकारियों ने उनसे कई बार मुलाकात की।

अपने बेटे के अपहरण और मनमानी हत्या के बारे में बयान दर्ज कराने के लिए उन्हें कई बार बुलाया गया। नवंबर 1995 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गुप्त दाह संस्कार के मामले की जांच का आदेश दिए जाने के बाद उनके पति गुरमीत सिंह ने भी अमृतसर स्थित सीबीआई के अस्थायी कार्यालय में अधिकारियों से मुलाकात की थी। नरिंदर कौर को याद है कि सीबीआई इंस्पेक्टर पी.सी. शर्मा ने उनसे पूछताछ करने के लिए मुलाकात की थी।

वास्तव में, यह असाधारण बात है कि इतने प्रयासों के बाद भी सीबीआई ने क्रीमा को इस मामले में शामिल किया है।

अज्ञात शवदाहों की सूची में गुरदेव सिंह और मनजीत सिंह के शवों का उल्लेख है।

546 राख में तब्दील

28. क्रमांक 187/254 के अंतर्गत दी गई सूची में अमृतसर के सदर पुलिस स्टेशन द्वारा 20 दिसंबर 1991 को किए गए अंतिम संस्कार का उल्लेख है। सूची में एफआईआर संख्या का उल्लेख नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट "उपलब्ध नहीं" बताई गई है। मृत्यु का कारण "गोली लगने से हुई चोटें" बताया गया है। समिति की घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/00260 से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है-
इस दाह संस्कार के बारे में जानकारी।
अजीत सिंह और सतनाम कौर का बेटा पलविंदर सिंह उर्फ सोना अमृतधारी था अमृतसर जिले के जंडियाला गुरु पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गहरी मंडी डाकघर के खलेहरा गांव का निवासी सिख लड़का। मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद, पलविंदर अपने पिता (जो इस मामले में मुख्य सूचनादाता हैं) के कृषि कार्यों में मदद करने लगा था। वह अविवाहित था।
पलविंदर को तीन बार गैरकानूनी रूप से गिरफ्तार किया गया था और उसे बेरहमी से प्रताड़ित किया गया था।
पूछताछ। अवैध हिरासत में यातना से बचने के लिए, वह अपने घर से दूर रहने लगा था।
20 दिसंबर 1991 को पलविंदर को एक पुलिस चौकी पर हिरासत में लिया गया। अमृतसर रेलवे स्टेशन के सामने लगाए गए एक पुलिस बैरिकेड पर पलविंदर सवार था। पलविंदर, अमृतसर में रहने वाले पंजाब के ग्राम परिषद सचिव अजैब सिंह के पुत्र कुलविंदर सिंह की मोटरसाइकिल (संख्या PB02-C-4455) पर पीछे बैठा था। यह स्पष्ट नहीं है कि दोनों की आपस में जान-पहचान हुई थी या पलविंदर ने सिर्फ लिफ्ट ली थी। पुलिस बैरिकेड पर मोटरसाइकिल को नियमित जांच के लिए रोका गया और सदर पुलिस स्टेशन के एसएचओ अजैब सिंह ने दोनों को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारी के दौरान राजा संसी गांव के ग्राम परिषद प्रमुख मनजीत सिंह मौजूद थे, जो पुलिस में कई संपर्कों वाले एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। उसी रात पलविंदर की कथित सशस्त्र झड़प में मौत हो गई।
पुलिस और उग्रवादियों के एक समूह के बीच मुठभेड़ हुई। 21 दिसंबर 1991 को प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में पंजाबी ट्रिब्यून ने बताया कि पलविंदर एक शीर्ष उग्रवादी था, जो अपने भूमिगत संगठन में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर था।
पुलिस ने अंतिम संस्कार संपन्न कराया, लेकिन परिवार के सदस्यों को उपस्थित रहने की अनुमति दी गई।
कुछ दूरी से जलती हुई चिता को देखें। पलविंदर की कथित मुठभेड़ को प्रेस में मिली पब्लिसिटी को देखते हुए, सीबीआई द्वारा उसके अंतिम संस्कार को अज्ञात शवों की सूची में रखना आश्चर्यजनक है।

कुलविंदर भी लापता हो गया। उसके पिता अजैब सिंह ने तमाम कोशिशों के नाकाम होने के बाद उसे ढूंढने की कोशिश की।
न्याय पाने के लिए, उन्होंने 7 जुलाई 1997 को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में आत्महत्या कर ली।
29. क्रमांक 410/633 के अंतर्गत, सूची में 23 मार्च 1992 को वेरोवाल पुलिस स्टेशन के एसएचओ द्वारा किए गए अंतिम संस्कार का विवरण है, जिसका एफआईआर क्रमांक 23.3.92 दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को केके-35/92 के रूप में चिह्नित किया गया है और मृत्यु का कारण "आग्नेयास्त्र से लगी चोटें" बताया गया है।
समिति की घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/00261 से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है-
इस दाह संस्कार के बारे में जानकारी।
लखबीर सिंह और मनजीत कौर के पुत्र, इक्कीस वर्षीय गुरमीत सिंह,
अमृतसर के तरन तारन उपमंडल के वेरोवाल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले जलालाबाद गांव के निवासी पंजाब पुलिस कांस्टेबल गुरमीत सिंह, जिनका बेल्ट नंबर 1997 था, जालंधर के पुलिस चौकी नंबर 6 में तैनात थे। वे अविवाहित थे। सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (547)

इस मामले के मुख्य मुखबिर लखबीर सिंह के अनुसार, उनके बेटे का कभी भी राजनीतिक गतिविधियों में कोई संलिप्तता नहीं रही और उसने एक पुलिसकर्मी के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन किया। उसके खिलाफ कभी भी किसी प्रकार की कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई थी।
15 मार्च 1992 को गुरमीत अपनी बीमार मां से मिलने घर आ रहा था।
सार्वजनिक परिवहन की बस से उतरकर गुरमीत अपने घर की ओर जा रहा था, तभी पंजाब पुलिस और भारतीय सेना की एक संयुक्त टुकड़ी ने उसका अपहरण कर लिया।
ये दोनों दल गांव में तलाशी अभियान चला रहे थे। गांव के कई निवासियों ने अपहरण को देखा, लेकिन उसके बाद उसका कोई पता नहीं चल सका।
परिवार वालों को पता चला कि गुरमीत को फर्जी मुठभेड़ में मार दिया गया था। 22 और 23 मार्च 1992 की मध्यरात्रि में वेरोवाल पुलिस ने कतरन तारन श्मशान घाट पर छापा मारा। जब वे 23 मार्च को तरन तारन श्मशान घाट पहुंचे, तो पुलिस अधिकारी चिता जलाने के बाद पहले ही वहां से जा चुके थे। हालांकि, लखबीर सिंह और उनके परिवार के अन्य सदस्य चिता के पास पड़े गुरमीत के कपड़े और जूते पहचानने में सक्षम थे।
परिवार के सदस्यों ने एसएचओ स्वर्ण सिंह और उनके अधीनस्थ तेग बहादुर को बंधक बना लिया है।
वेरोवाल पुलिस स्टेशन का सिंह गुरमीत के अपहरण, मनमानी हत्या और गुप्त अंतिम संस्कार के लिए जिम्मेदार है।
30. क्रमांक 108/137 के अंतर्गत दी गई सूची में 22 नवंबर 1990 को घरिंदा पुलिस स्टेशन द्वारा किए गए अंतिम संस्कार का उल्लेख है। एफआईआर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के क्रमांक नहीं दिए गए हैं। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति की घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/00337 से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है-
इस दाह संस्कार के बारे में जानकारी।
ज्ञान सिंह और सविंदर कौर के पुत्र, बीस वर्षीय गुरमीत सिंह उर्फ बिल्ला,

गुरमीत अमृतसर जिले के अजनाला उपमंडल के लोपोके पुलिस स्टेशन के अंतर्गत बोपा राय कलां गांव का निवासी एक युवा किसान था। पीड़ित के भाई और इस मामले के मुख्य सूचनादाता जसविंदर सिंह के अनुसार, गुरमीत ने मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद स्कूल छोड़ दिया था और परिवार के खेत में काम करने लगा था। वह अविवाहित था।
घरिंदा पुलिस ने गुरमीत को पूछताछ के लिए कई बार गैरकानूनी रूप से गिरफ्तार किया था।
उसके उग्रवादी संबंधों के संदेह के आधार पर उसकी जांच की गई थी। लेकिन उसे कभी औपचारिक रूप से गिरफ्तार या आरोपित नहीं किया गया था।
21 नवंबर 1990 को गुरमीत भाकना से अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहा था।
जब गुरमीत जथोल गांव में था, तब घरिंडा पुलिस स्टेशन के कुछ अधिकारी जीप में सवार होकर उसका पीछा करने लगे। गुरमीत घबरा गया और मुख्य सड़क छोड़कर कच्ची सड़क पर चला गया। पुलिस अधिकारियों ने जीप से उसका पीछा किया और गोलीबारी शुरू कर दी। एक गोली गुरमीत के पैर में लगी। उसने मोटरसाइकिल गिरा दी और भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया।
पुलिस अधिकारियों ने उनके शव को उठाकर दुर्गियाना मंदिर में अंतिम संस्कार किया।
अगले दिन शवदाह स्थल पर। अखबारों ने खबर दी कि मुठभेड़ में एक अज्ञात आतंकवादी मारा गया था।
12 जून 1991 की रात को, सादे कपड़ों में हथियारबंद लोगों के एक समूह ने छापा मारा।
पुलिस ने गुरमीत के पिता ज्ञान सिंह के घर पर छापा मारा और उन्हें हिरासत में ले लिया। अगली सुबह, ज्ञान सिंह का शव गांव के बाहरी इलाके में स्थित खेतों से बरामद किया गया। पुलिस सूत्रों पर आधारित एक समाचार पत्र की रिपोर्ट में हत्या का आरोप सशस्त्र भूमिगत संगठन के सदस्यों पर लगाया गया।
548 राख में तब्दील

31. क्रमांक 134/174 के अंतर्गत, सूची में 22 अप्रैल 1991 को छेरता पुलिस स्टेशन के एसएचओ सुरिंदर सिंह द्वारा एफआईआर क्रमांक 61/91 के तहत किए गए अंतिम संस्कार का उल्लेख है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट "उपलब्ध नहीं" के रूप में दर्ज है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति की घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/00339 से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है-
इस दाह संस्कार के बारे में जानकारी।
पच्चीस वर्षीय बलकार सिंह उर्फ भोला, बचन सिंह और सुरजीत का बेटा
कौर, अमृतसर जिले के अजनाला उपमंडल के राजा सांसी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कलेर गांव की निवासी एक किसान थीं। बलकार का विवाह जसबीर कौर से हुआ था और उनका एक नाबालिग बेटा था।
स्थानीय पुलिस को संदेह था कि बलकार उग्रवादी विचारधारा के प्रति सहानुभूति रखता है और
अपने समर्थकों को शरण दे रहे बलकार ने उन्हें कई बार अवैध रूप से हिरासत में लिया और बुरी तरह प्रताड़ित किया। और अत्याचारों के डर से बलकार अपने घर से दूर रहने लगे थे। इस फैसले से उनके परिवार के सदस्य नियमित पुलिस

अत्याचारों के शिकार होने लगे। उनके माता-पिता और भाइयों को अक्सर अमृतसर के बी.आर. मॉडल स्कूल पूछताछ केंद्र में ले जाकर प्रताड़ित किया जाता था।
पुलिस ने घर की सभी कीमती चीजें भी जब्त कर ली थीं।
21 अप्रैल 1991 को डीएसपी महिंदर के नेतृत्व वाली पुलिस टीम ने बलकार को गिरफ्तार कर लिया।
सिंह और छेहरटा पुलिस स्टेशन के एसएचओ गुरमीत सिंह। उसी रात थंदे गांव के पास एक फर्जी मुठभेड़ में बलकार मारा गया। परिवार की जानकारी के बिना उसके शव का अंतिम संस्कार दुर्गाना मंदिर श्मशान घाट पर कर दिया गया। लेकिन एसएचओ महिंदर सिंह ने बाद में उसकी अस्थियां परिवार को भेज दीं और उन्हें वे कपड़े भी दिखाए जो बलकार ने पकड़े जाने के समय पहने हुए थे।
पीड़ित के भाई और इस मामले के मुख्य सूचनादाता बलदेव सिंह के अनुसार
इस मामले में, उनके चचेरे भाई सुरजीत सिंह, जो संघना गांव के महिंदर सिंह के बेटे थे, को भी छेहरटा पुलिस स्टेशन के एसएचओ महिंदर सिंह करिक्की ने उनके घर से अगवा कर लिया था और एक अलग फर्जी मुठभेड़ की घटना में उनकी हत्या कर दी थी।
32. क्रमांक 429/670 के अंतर्गत, सूची में झब्बल पुलिस स्टेशन के अशोक कुमार द्वारा एफआईआर क्रमांक 51/92 के तहत 30 अप्रैल 1992 को किए गए अंतिम संस्कार का उल्लेख है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जीएसडी-23/92 के रूप में चिह्नित किया गया है। मृत्यु का कारण "आग्नेयास्त्र से लगी चोटें" बताया गया है।

समिति की घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/00375

इस दाह संस्कार के बारे में निम्नलिखित जानकारी सामने आती है।

पैंतीस वर्षीय हंसा सिंह उर्फ चटारा, पुत्र

तेजा सिंह और भान कौर के पुत्र हंसा सिंह, अमृतसर जिले के अजनाला उपमंडल के लोपोके पुलिस स्टेशन के अंतर्गत खियाला खुर्द गांव में रहने वाले एक गरीब मजहबी सिख थे। मूल रूप से ब्लारा गांव के निवासी हंसा सिंह को ब्लारा गांव के कुछ लोगों से हुए निजी झगड़े में हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। चार साल जेल में बिताने के बाद हंसा को पैरोल पर रिहा कर दिया गया। पैरोल तोड़कर हंसा अपने परिवार के साथ खियाला खुर्द भाग गया ताकि गिरफ्तारी से बच सके और वहां उसने खेत मजदूर के रूप में काम करके अपनी आजीविका कमाना शुरू कर दिया।

अप्रैल 1992 के आखिरी सप्ताह में, हंसा अपनी बहन कांटो के घर गांडीविंड गया।

अमृतसर जिले के झब्बल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले एक गांव में अपने पति जगिरा की मदद करने के लिए

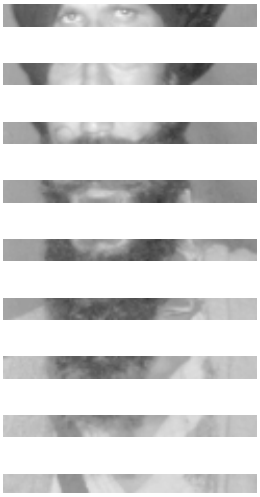

सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (549)

सिंह अपनी गेहूं की फसल काट रहे थे। 29 अप्रैल की सुबह, झब्बल पुलिस स्टेशन से भारी संख्या में पुलिस बल हंसा को गिरफ्तार करने के लिए उनकी बहन के घर पर छापा मारा। जब उसने भागने की कोशिश की, तो पुलिस बल ने उसका पीछा करते हुए खेतों तक गए और उसे गोली मारकर हत्या कर दी।
पुलिस ने जगिरा सिंह और अन्य लोगों की उपस्थिति में शव का अंतिम संस्कार किया।
उनके परिवार के सदस्य।
33 – 38. क्रमांक 54/48, 55/49, 56/50, 57/51, 58/52 और 59/53 के अंतर्गत, सूची में 19 अप्रैल 1988 को लोपोके पुलिस स्टेशन द्वारा किए गए छह शवदाहों की पहचान की गई है। सूची में एफआईआर और पोस्टमार्टम संख्या नहीं दर्शाई गई है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।

समिति की घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/

00402 इन दाह संस्कारों के बारे में निम्नलिखित जानकारी प्रकट करता है।

तेईस वर्षीय दरबारा सिंह, पुत्र

चैंचल सिंह और रचपाल कौर, अमृतसर जिले के अजनाला उपमंडल के रामदास डाकघर के अंतर्गत दरबारा सिंह रामदास आर्यन गांव के निवासी थे। दरबारा अपने स्कूली दिनों में सिख छात्र संघ के सक्रिय सदस्य थे और मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उग्रवादी आंदोलन में रुचि लेने लगे। दरबारा अविवाहित थे और उनके भाई बलदेव सिंह इस मामले में मुख्य सूचनादाता हैं।

18 अप्रैल 1988 को दरबारा सिंह और उनके पांच करीबी साथियों की हत्या कर दी गई।

[redacted]

दाह संस्कार के बारे में जानकारी।

चौंतीस वर्षीय गुरभेज सिंह उर्फ बग्गा, पुत्र

मुख्तार सिंह और जीत कौर के पुत्र गुरभेज, अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल के खदुर साहिब पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गगरेवाल गांव के रहने वाले एक बपतिस्मा प्राप्त सिख किसान थे। सतविंदर कौर से विवाहित गुरभेज के तीन नाबालिग बेटे थे। उनके ससुर संतोख सिंह, जो भारतीय रेलवे के सेवानिवृत्त अधिकारी थे, अमृतसर शहर के ठीक बाहर तरन तारन जाने वाली सड़क पर रहते थे। इस मामले की मुख्य सूचनादाता सतविंदर कौर के अनुसार, उनके पति किसी भी राजनीतिक या उग्रवादी गतिविधि में शामिल नहीं थे।

गुरभेज सिंह की गतिविधियों के कारण पुलिस उसे नियमित रूप से अवैध रूप से हिरासत में लेती थी।

उन्होंने उससे पूछताछ की, लेकिन उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार नहीं किया।

9 अक्टूबर 1992 को सुबह लगभग 10 बजे, गुरभेज अपनी मां जीत कौर के साथ एक

गुरभेज जंडियाला गुरु पुलिस स्टेशन के अंतर्गत धाहरा गांव में अपने रिश्तेदार के घर एक धार्मिक समारोह में शामिल होने गए थे। दोपहर में घर लौटकर गुरभेज अपने नौ वर्षीय बड़े बेटे गुरशेर के साथ अमृतसर शहर के बाहरी इलाके मकबूलपुरा में स्थित अपने ससुर के घर उनसे मिलने गए। उनके ससुर संतोख सिंह की तबीयत ठीक नहीं थी और गुरभेज अगले दिन उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहते थे।

10 अक्टूबर 1992 को दोपहर लगभग 2 बजे, गुरभेज सिंह और उनके ससुर संतोख

सिंह और गुरभेज के बेटे गुरशेर, मकबूलपुरा स्थित एक आयुर्वेदिक क्लिनिक जा रहे थे, तभी सादे कपड़ों में तीन हथियारबंद लोग एक मारुति वैन से उतरे और गुरभेज को जबरदस्ती अपनी वैन में बिठाने की कोशिश करने लगे। उन्होंने गुरभेज को हाथ ऊपर उठाने का आदेश दिया और उनके हाथों को पीछे बांधने की कोशिश की। अपहरणकर्ता सादे कपड़ों में थे और उन्होंने अपनी पहचान नहीं

बताई थी, इसलिए गुरभेज घबरा गए और उनसे पूछा कि वे कौन हैं और उन्हें क्यों अगवा करने की कोशिश कर रहे हैं। संतोख सिंह ने भी उनसे यही सवाल पूछे।
गुरभेज ने अपहरण का विरोध किया, तभी सादे कपड़ों में मौजूद एक व्यक्ति ने बंदूक से गुरभेज सिंह को गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
तीनों लोग तुरंत वैन में बैठकर भाग गए।

संतोख सिंह और गुरशेर सिंह परिवार के अन्य सदस्यों को सूचित करने के लिए वापस घर गए।

सदस्यों को घटना के बारे में बताया गया। जब वे लगभग पंद्रह मिनट बाद घटनास्थल पर लौटे, तो उन्होंने पाया कि गुरभेज का शव अमृतसर के सदर पुलिस स्टेशन के कुछ लोगों द्वारा ले जाया गया था।

11 अक्टूबर 1992 को सदर पुलिस स्टेशन में शव का अंतिम संस्कार किया गया।

गुरभेज की मां और विधवा वहां मौजूद थीं। लेकिन परिवार के किसी भी सदस्य को शव के पास जाने की अनुमति नहीं थी।

सतविंदर कौर के अनुसार, पुलिस अधिकारियों को निश्चित रूप से उसकी जानकारी थी।

उनकी पहचान उजागर हो गई क्योंकि वे उन्हें और उनकी सास को अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उनके घर ले गए थे। उन्होंने बताया कि घटना के कुछ समय बाद, ब्यास पुलिस स्टेशन से पुलिसकर्मियों का एक समूह गगरेवाल गांव आया और गुरभेज के चाचा गुरपाल सिंह को गिरफ्तार कर फर्जी मुठभेड़ में मार डाला।

40 – 41. क्रमांक 559/922 और 560/923 के अंतर्गत, सूची में पट्टी पुलिस स्टेशन के सीता राम द्वारा 1 दिसंबर 1992 को एफआईआर क्रमांक 72/92 के तहत किए गए दो शवदाह दिखाए गए हैं। पोस्टमार्टम की तारीख 1.12.92 अंकित है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।

सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (551)

समिति की घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/00537 और 00538 से निम्नलिखित बातें सामने आती हैं-
इन दाह संस्कारों के बारे में निम्नलिखित जानकारी।
हरबंस सिंह और प्रकाश के पुत्र, पच्चीस वर्षीय अमरजीत सिंह उर्फ काला। अमरजीत कौर पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड की कर्मचारी थीं और अमृतसर जिले के पट्टी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पट्टी भानु की जिले के कैरों गांव की निवासी थीं। बपतिस्मा प्राप्त सिख और अपने माता-पिता के इकलौते बेटे अमरजीत पर उग्रवादी आंदोलन के प्रति सहानुभूति रखने का संदेह था और पट्टी पुलिस 1984 से ही उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लेकर यातनाएं दे रही थी। हालांकि, उन्हें कभी औपचारिक रूप से गिरफ्तार नहीं किया गया था। इस मामले की मुख्य सूचनादाता प्रकाश कौर के अनुसार, उनके पति हरबंस सिंह जून 1984 में भारतीय सेना द्वारा स्वर्ण मंदिर पर किए गए हमले के बाद बहुत अवसादग्रस्त हो गए थे। जब पुलिस ने उनके घर पर छापे मारे और उनके बेटे को अवैध रूप से गिरफ्तार करके यातनाएं दीं, तो वे उत्पीड़न सहन नहीं कर पाए। हरबंस सिंह, जो स्वयं भी पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड के कर्मचारी थे, की 1984 के अंत में हृदयाघात से मृत्यु हो गई।
जागीर सिंह और चरण कौर के पुत्र, पैंतीस वर्षीय बलदेव सिंह उर्फ बिल्लो, अमरजीत का चचेरा भाई बलदेव, पट्टी भान की के कैरों गांव में रहता था। हाई सेकेंडरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद बलदेव अपने परिवार के खेत में काम करने लगा था। नरिंदर कौर से विवाहित बलदेव की एक बेटी सुखप्रीत कौर थी। बलदेव की विधवा नरिंदर कौर के अनुसार, पुलिस द्वारा नियमित रूप से परेशान किए जाने के बावजूद वह उग्रवादी गतिविधियों में शामिल नहीं था। उसके भाई गुरबख्श सिंह का पुलिस ने अपहरण कर लिया था और वह लापता हो गया था, जबकि उसके छोटे भाई सुखविंदर सिंह की गांव में ही एक पुलिस मुखबिर ने हत्या कर दी थी।

24 नवंबर 1992 को अमरजीत, बलदेव और उनकी पत्नी नरिंदर कौर पटेरिया गए फिरोजपुर जिले के फाजिल्का उपमंडल में स्थित वाला गांव, जहां नरिंदर कौर के माता-पिता रहते थे। वे सभी नरिंदर कौर की बहन कुलदीप कौर और उनके पति जीत सिंह के घर पर ठहरे हुए थे।
अगली सुबह तड़के करीब 5 बजे, पट्टी पुलिस स्टेशन से पुलिस की एक बड़ी टीम पहुंची।
कुलदीप कौर के घर पर छापा मारकर अमरजीत और बलदेव दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दल का नेतृत्व कैरों पुलिस चौकी के प्रभारी नौरंग सिंह कर रहे थे और उनके साथ कैरों गांव के मेवा सिंह के पुत्र कुलवंत सिंह भी थे, जिन्हें फाजिल्का जाने की उनकी योजना की जानकारी थी। नौरंग सिंह ने कुलवंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया था और उसे अपने साथियों के साथ पटरिया वाला गांव में दोनों को गिरफ्तार करने के लिए चलने को मजबूर किया था। कुलदीप कौर के परिवार के सदस्यों और गांव के कई अन्य निवासियों ने गिरफ्तारी देखी।
अधिकारी नौरंग सिंह पहले नरिंदर कौर को भी साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने उसे जाने दिया।
उनके दल के एक पुलिसकर्मी द्वारा यह बताए जाने पर कि उनके छोटे बच्चे हैं जिनकी देखभाल करनी है, वे भाग गईं। कुलदीप कौर और उनके पति ने यह जानने की कोशिश की कि अमरजीत और बलदेव को क्यों गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। पुलिस अमरजीत और बलदेव सिंह को हिरासत में लेकर चली गई। नरिंदर कौर और उनके देवर जीत सिंह टैक्सी से कैरों वापस गए और परिवार के सभी सदस्यों को गिरफ्तारी के बारे में सूचित किया।
उसी दिन दोपहर करीब 2 बजे, गांव के बुजुर्गों का एक बड़ा समूह, जिसका नेतृत्व कर रहा था,
ग्राम परिषद के मुखिया ने कैरों पुलिस चौकी के प्रभारी से मुलाकात की, जिन्होंने अमरजीत और बलदेव दोनों को पूछताछ के बाद रिहा करने का वादा किया। परिवार के सदस्य और उनके समर्थक नौरंग सिंह और डीएसपी कश्मीर सिंह से लगातार मिलते रहे और उनसे दोनों को रिहा करने की गुहार लगाते रहे। गिरफ्तारी के छह दिन बाद, नौरंग सिंह ने उनकी रिहाई के लिए 200,000 रुपये की मांग की। यह एक बड़ी रकम थी और दोनों परिवार अगले चार दिनों में केवल 135,000 रुपये ही जुटा पाए। 30 नवंबर 1992 की शाम को, दोनों परिवार नौरंग सिंह से पुलिस चौकी पर मिले और उन्हें 552 रुपये का भुगतान किया।

135,000 रुपये। अधिकारी ने अमरजीत और बलदेव को अगली सुबह रिहा करने का वादा किया और उन्हें सुबह 9 बजे पुलिस चौकी पर आने को कहा। उन्होंने परिवार के सदस्यों द्वारा भुगतान किए गए एक निजी डॉक्टर को बलदेव और अमरजीत की चिकित्सा जांच करने की अनुमति भी दी। हिरासत में भीषण यातनाओं के कारण वे शारीरिक रूप से दुर्बल हो गए थे।
1 दिसंबर 1992 की सुबह तड़के, जब परिवार के सदस्य इकट्ठा हो रहे थे-
पुलिस चौकी जाने की तैयारी करते समय, ग्राम परिषद के एक सदस्य को पता चला कि पट्टी पुलिस अधिकारी अमरजीत और बलदेव के शवों को पट्टी श्मशान घाट में जलाने की तैयारी कर रहे हैं। ग्राम के बुजुर्ग और परिवार के सदस्य स्तब्ध रह गए और पट्टी के सिविल अस्पताल की ओर दौड़े, जहाँ शवों को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया था। नौरंग सिंह और उसके साथियों ने अस्पताल को घेर लिया था और परिवार के सदस्यों के वहाँ पहुँचने पर उन्हें गालियाँ देना शुरू कर दिया।

[illegible]
28 [illegible] 1992 [illegible], [illegible]
[illegible]
[illegible], [illegible]
43 – 44. [illegible] 229/371 [illegible] 230/372 [illegible]
[illegible] 4 [illegible] 1991 [illegible]
47/91 [illegible] 48/91 [illegible]
[illegible] 23/91 [illegible] 4.4.91 [illegible]

[illegible] CCDP/

00668 [illegible]

[illegible]

[illegible]

1990 [illegible]

4 [illegible] 1991 [illegible]

पर छापा मारा। जगतर को अपनी गिरफ्तारी का डर सताने लगा और वह भागने लगा। पुलिस ने उसका पीछा करते हुए उसे खेतों तक ले जाकर गोली मार दी। जगतर और उसके परिवार को जानने वाले गांव के कई लोगों ने उसकी हत्या होते देखी और तुरंत उसके परिवार को सूचना देने गए।

जगतर के माता-पिता ने कांग्रेस पार्टी के प्रभावशाली नेता सुरिंदर सिंह कैरों से संपर्क किया।

सुरिंदर सिंह ने एक नेता और पूर्व मंत्री से पुलिस अधिकारियों को शव परिवार को लौटाने के लिए मनाने का अनुरोध किया। सुरिंदर सिंह ने झब्बल पुलिस स्टेशन के एसएचओ को फोन किया और जगतर के पिता मघर सिंह को शव लेने के लिए पुलिस स्टेशन जाने को कहा। हालांकि, जब मघर सिंह अपने परिवार के सदस्यों और अन्य ग्राम बुजुर्गों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचे, तो उन्हें बताया गया कि शव का अंतिम संस्कार हो चुका है।

घटना के दो महीने बाद, सादे कपड़ों में सशस्त्र पुलिसकर्मियों का एक समूह आया।

मगर सिंह के घर जाकर उन्होंने उसकी बेटी बेअंत कौर को गोली मार दी। अपने बेटे की हत्या के लगभग एक साल बाद मगर सिंह की भी मृत्यु हो गई।

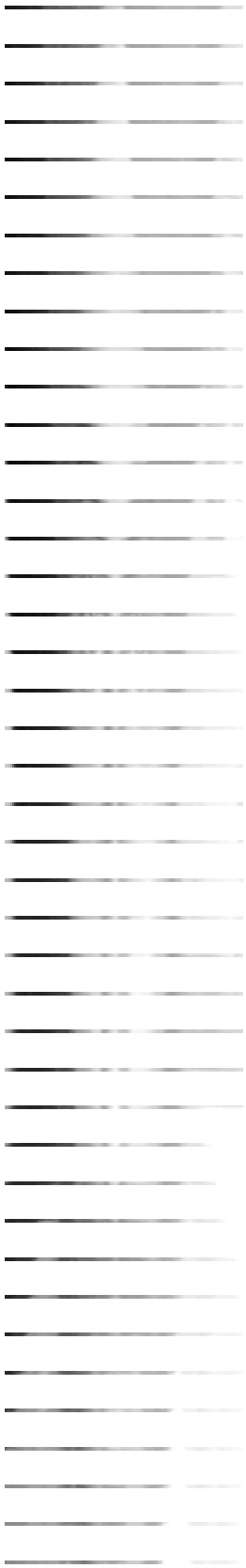

554 राख में तब्दील

45. क्रमांक 39/38 के अंतर्गत, सूची में लोपोके पुलिस स्टेशन द्वारा 8 अक्टूबर 1987 को किए गए अंतिम संस्कार का उल्लेख है। सूची में एफआईआर संख्या नहीं दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को AKL/FM/120/87 के रूप में चिह्नित किया गया है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।

समिति की घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/

00740 दाह संस्कार के बारे में निम्नलिखित जानकारी प्रकट करता है।

मेजर सिंह, दर्शन सिंह और कश्मीर के पुत्र

कौर, साहोरा की निवासी एक लोकप्रिय लोक संगीत गायिका थीं।

Major Singh village, Gandhe Dasiye Di Patti, under Lopoke police

[illegible]

[illegible] 21 [illegible]

[illegible] 1984 [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[illegible]
46 – 49. [illegible] 573/945, 574/946, 575/949 [illegible] 576/950 [illegible] [illegible] [illegible] 26 [illegible] 1992 [illegible] [illegible] [illegible] 81/92 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-117/92, [illegible]-118/92, [illegible]-119/92 [illegible] [illegible]-120/92 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

सुखवंत अमृतसर जिले के खदुर साहिब उपमंडल के सरहल्ली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत दाना माना पट्टी, जौहल धाहे वाला, लोहार गांव का रहने वाला एक ट्रक चालक है। मैट्रिक पास करने के बाद सुखवंत ने इलेक्ट्रीशियन बनने का प्रशिक्षण लिया था, लेकिन उसे कोई उपयुक्त नौकरी नहीं मिली। इस मामले में मुख्य सूचनादाता उसके पिता के पास एक ट्रक था और उन्होंने सुखवंत को ट्रक चलाना सीखने और अपने परिवहन व्यवसाय में मदद करने की सलाह दी। सुखवंत अपने पिता की तरह अमृतधारी सिख था, लेकिन उसका किसी भी राजनीतिक या सामाजिक हित से कोई संबंध नहीं था।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (557)

उग्रवादी संगठनों से जुड़ा हुआ था। इस घटना से पहले उसे कभी गिरफ्तार या पूछताछ के लिए नहीं लाया गया था।

28 अप्रैल 1992 को सुबह लगभग 5 बजे, सुखवंत ने...

सुखवंत अपने पिता के साथ गोइंदवाल के बाजार में परिवहन का काम ढूंढने गया था। पहले वे अमृतसर के स्वर्ण मंदिर गए और प्रार्थना करने के बाद गोइंदवाल गए, जहाँ उनकी ट्रक चालकों के संघ के क्लर्क से बातचीत हुई, जिसने उन्हें बताया कि अगले दो दिनों तक उन्हें कोई काम मिलने की संभावना नहीं है। यह जानकर सुखवंत और उसके पिता अपने गाँव वापस जाने लगे। रास्ते में, गोइंदवाल में एक रेलवे क्रॉसिंग के पास, पुलिस ने सुखवंत सिंह को पकड़ लिया।

एक चेकपोस्ट स्थापित किया गया था जहाँ उन्हें नियमित जाँच के लिए रोका गया। गोइंदवाल के एसएचओ सुरिंदरपाल सिंह स्वयं जाँच कर रहे थे। एसएचओ को सुखवंत पर संदेह हुआ, जिसने भगवा रंग की पगड़ी पहनी हुई थी और उसके कंधे पर उसकी रस्मों वाली कटार लटकी हुई थी। एसएचओ ने कश्मीर सिंह से उनके बेटे के पेशे के बारे में पूछा। कश्मीर सिंह ने पुलिस अधिकारी को अपने बेटे से मिलवाया और बताया कि उनका बेटा ट्रक चालक बनना सीख रहा है। एसएचओ ने सुखवंत को ट्रक से उतरने को कहा, उसे जबरदस्ती पुलिस वाहन में बिठाया और पूछताछ के लिए ले गए। कश्मीर सिंह ने अधिकारी से अपने बेटे को गिरफ्तार न करने की गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने उसे जाने नहीं दिया। कश्मीर सिंह ने देखा कि पुलिस जीप फतेहाबाद की दिशा में जा रही थी।

कश्मीर सिंह अपने गांव वापस गया और उसने गांव वालों को घटना के बारे में बताया।

कुछ घंटों बाद, कश्मीर सिंह अपने साथ पंद्रह अन्य बुजुर्गों और ग्राम परिषद के सदस्यों को लेकर गोइंदवाल पुलिस स्टेशन गए और एसएचओ सुरिंदरपाल सिंह से मिले, जिन्होंने चेक-पोस्ट पर उनके बेटे की गिरफ्तारी से साफ इनकार कर दिया। कश्मीर सिंह बहुत क्रोधित हो गए और रोने लगे। उन्होंने एसएचओ पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और उनसे अपने बेटे को दिखाने की गुहार लगाई। एसएचओ सुरिंदरपाल ने कश्मीर सिंह और उनके साथियों को पुलिस स्टेशन से चले जाने का आदेश दिया।

On April 29, Kashmir Singh and his wife Jasvir Kaur went to SSP Ajit Singh

[illegible]

उठकर रोने लगा। कश्मीर सिंह ने उसे हिम्मत बनाए रखने को कहा और उसे बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया। हेड कांस्टेबल नहीं चाहता था कि वे ज़्यादा देर तक अंदर रहें और उसने उनसे कहा कि वे इस मुलाकात के बारे में किसी को न बताएं।
कश्मीर सिंह अपने बेटे को अवैध कारावास से छुड़ाने के लिए कुछ भी करने में असमर्थ रहे।
हिरासत में। 4 मई 1992 को, एक समाचार पत्र ने तरन तारन पुलिस के साथ मुठभेड़ में उनके बेटे सुखवंत सिंह और एक अन्य अज्ञात आतंकवादी की हत्या के बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित की।
परिवार की जानकारी के बिना ही अंतिम संस्कार कर दिया गया।
52. क्रमांक 36/39 के अंतर्गत सूची में 11 अगस्त 1987 को घरिंदा पुलिस द्वारा किए गए अंतिम संस्कार का उल्लेख है। सूची में एफआईआर संख्या नहीं दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट "उपलब्ध नहीं" बताई गई है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति की घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/00755 से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है-
इस दाह संस्कार के बारे में जानकारी।
गुरमुख सिंह और हरदीप कौर के पुत्र, चौबीस वर्षीय अजमेर सिंह,
अजमेर अमृतसर जिले के झब्बल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत भुचर कलां डाकघर के भुचर खुर्द गांव का निवासी था। उसका परिवार अमृतधारी सिख था और उसका जरनैल सिंह भिंडरांवाले द्वारा संचालित धार्मिक मदरसे दमदमी टकसाल से लंबे समय से जुड़ाव था। मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद, अजमेर ने औपचारिक शिक्षा छोड़ दी और धर्म प्रचारक बनने के इरादे से सिख धार्मिक साहित्य का अध्ययन करने के लिए मदरसे में दाखिला ले लिया। इस मामले की मुख्य सूचनादाता, उसकी मां हरदीप कौर के अनुसार, अजमेर का किसी भी राजनीतिक या उग्रवादी समूह से कोई संबंध नहीं था और इस घटना से पहले उसे कभी गिरफ्तार या पूछताछ नहीं की गई थी।
8 अगस्त 1987 को अजमेर, दमदमी टकसाल के एक अन्य छात्र के साथ गया।
अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में प्रार्थना करने के बाद, वे चौक मेहता जाने के लिए रिक्शा से बस पकड़ने जा रहे थे, तभी सशस्त्र पुलिसकर्मियों के एक समूह ने उन दोनों लड़कों पर गोलियां चला दीं। संभव है कि पुलिसकर्मियों को दो

क्रमांक 617/1059, 618/1060, 619/1061 के अंतर्गत दी गई सूची में पट्टी पुलिस स्टेशन के एसएचओ गोविंदर सिंह द्वारा एफआईआर क्रमांक 57/93 के तहत 18 अगस्त 1993 को किए गए तीन शवदाह का विवरण है। सभी पोस्टमार्टम रिपोर्टों पर 18.8.93 की तारीख अंकित है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति की घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/

00813 इन दाह संस्कारों के बारे में निम्नलिखित जानकारी प्रकट करता है।

चौवन वर्षीय चरण सिंह, जो लोकप्रिय रूप से जाने जाते हैं

बाबाजी, बंता सिंह और गुरनाम कौर के पुत्र, अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल के तख्त मल डाकघर, झब्बल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पंडोरी रुमाना गांव के निवासी एक प्रसिद्ध सिख धार्मिक नेता थे। उनका विवाह सुरजीत कौर से हुआ था और उनके पांच वयस्क बच्चे थे। चरण सिंह ने पंजाब में ऐतिहासिक सिख तीर्थस्थलों की मरम्मत और रखरखाव के लिए स्वयंसेवी श्रम और दान जुटाने में अपना समय समर्पित किया।

पुलिस ने चरण को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की थी।

सिंह को अतीत में दो-तीन बार देखा गया था। लेकिन उनके खिलाफ कोई औपचारिक आरोप नहीं लगाए गए थे।

1993 की शुरुआत में, चरण सिंह को अपने कुछ साथियों से जानकारी मिली।

चरण सिंह को अपने प्रभावशाली मित्रों से पता चला कि एसएसपी अजीत सिंह संधू उसे खत्म करने पर तुला हुआ था। चरण सिंह संधू की निर्मम प्रवृत्ति को जानता था। वह पैसों के प्रति उसकी कमजोरी से भी वाकिफ था। चरण सिंह ने दिल्ली के एक प्रभावशाली सिख नेता महंत सेवा दास से संपर्क किया, जो पंजाब में पुलिस व्यवस्था के करीबी माने जाते थे। सेवा दास ने उसकी जान बचाने के लिए 850,000 रुपये की मांग की और चरण सिंह ने उन्हें यह रकम दे दी।

23 अप्रैल 1993 को, सेवा दास ने अपने प्रतिनिधि सुरिंदर सिंह (गांव) को नियुक्त किया।

फरीदकोट जिले के सराय नागा के लोग चरण सिंह के साथ एसएसपी संधू के कार्यालय तक उनकी कार में जा रहे थे। वे रास्ते में थे जब तरन तारन के अधिकारियों के एक समूह ने जीप में सवार होकर 560 लोगों को राख में बदल दिया।

कि अगर वह उसे 100,000 रुपये नहीं देगी तो उसका पति जीवित नहीं रहेगा। उसने उसे तुरंत पंजाब लौटने को कहा।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (561)

हवाई मार्ग से, और पुलिस अधिकारियों के ट्रेन से पंजाब लौटने से पहले पैसे का इंतजाम करने के लिए। 11 मई 1993 को, एएसआई प्रताप सिंह और उनकी पुलिस टीम, कैदी परजिंदर सिंह के साथ, अंबाला के लिए ट्रेन में सवार हुए। सुरिंदर कौर और उनके बच्चे इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट से दिल्ली लौटे और फिर ट्रेन से अमृतसर गए।
अमृतसर लौटने के तुरंत बाद, सुरिंदर कौर ने एसएचओ वस्सन सिंह से मुलाकात की।
झांडर पुलिस स्टेशन में एएसआई प्रताप सिंह द्वारा की गई मांग को दोहराते हुए सुरिंदर कौर ने कहा कि या तो वह 100,000 रुपये का भुगतान करे या अपने पति की जान की धमकी दे। सुरिंदर कौर ने तुरंत अपने पति की कृषि भूमि गिरवी रखकर 100,000 रुपये जुटाए और एसएचओ वस्सन सिंह को भुगतान कर दिया। यह भुगतान 19 मई 1993 को किया गया था। सुरिंदर कौर को पुलिस लॉकअप में अपने पति से मिलने की अनुमति दी गई। एसएचओ वस्सन सिंह ने कहा कि कुछ कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद 24 मई 1993 की सुबह परजिंदर सिंह को रिहा कर दिया जाएगा।
परजिंदर को झंडर पुलिस द्वारा रची गई फर्जी मुठभेड़ में रात के दौरान मार दिया गया था।
22 और 23 मई 1993 को हुई इस मुठभेड़ की खबर कई समाचार पत्रों में प्रमुखता से छपी और परजिंदर सिंह की पहचान उसके नाम और गांव के पते के साथ की गई।
एसएचओ वस्सन सिंह ने सुरिंदर कौर को धमकी दी कि अगर उसने किसी को भी पैसे देने की बात बताई तो वह उसके पूरे परिवार को खत्म कर देगा।
पुलिस ने परिवार के सदस्यों को सूचित किए बिना ही अंतिम संस्कार कर दिया।
सीबीआई ने भी अंतिम संस्कार को अपनी अज्ञात सूची में डाल दिया, जबकि समाचार पत्रों ने उनका नाम और गांव प्रकाशित कर दिया था।
सुरिंदर कौर अपना ऋण चुकाने में असमर्थ रही हैं। वह अपने परिवार का भरण-पोषण करती हैं।
बच्चों को घर पर कढ़ाई का काम करके।
59 – 61. क्रमांक 119/150, 120/151 और 122/153 के अंतर्गत दी गई सूची में अमृतसर के 'डी' डिवीजन पुलिस स्टेशन के एएसआई कश्मीर सिंह द्वारा 15 फरवरी 1991 को एफआईआर संख्या 43/91 के तहत किए गए तीन शवदाह दिखाए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट "उपलब्ध नहीं" के रूप में चिह्नित हैं और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति की घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/00822 और 00830 से निम्नलिखित बातें सामने आती हैं-
इन दाह संस्कारों के बारे में निम्नलिखित जानकारी।
जोगिंदर सिंह के पुत्र, बाईस वर्षीय कंवलजीत सिंह उर्फ लाडा,
निर्मल कौर एक मेडिकल लेबोरेटरी में सहायक थीं और अमृतसर शहर के 'बी' डिवीजन पुलिस स्टेशन के अंतर्गत रामसर रोड स्थित मकान नंबर 7 में रहती थीं। वे अविवाहित थीं और अपने माता-पिता के साथ रहती थीं। उनके दादा अमर सिंह इस मामले में मुख्य सूचनादाता हैं।
मोहिंदरपाल सिंह उर्फ बॉबी, कंवलजीत का करीबी दोस्त था। इक्कीस साल का।

मनजीत सिंह और बलबीर कौर के पुत्र, बुजुर्ग मोहिंदरपाल पेशे से दर्जी थे और अमृतसर शहर के 'बी' डिवीजन पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गली जीवन माल, चौक बाबा भौरी वाला, मकान नंबर 1334/III-21 में रहते थे। मोहिंदरपाल अविवाहित थे।
14 फरवरी 1992 को दोपहर लगभग 1 बजे कंवलजीत और मोहिंदरपाल घूमने जा रहे थे।
बैडमिंटन खेलने के लिए रिक्शा से जा रहे थे तभी बी डिवीजन पुलिस स्टेशन के एसएचओ के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों के एक समूह ने उनका अपहरण कर लिया। कुछ घंटों बाद, पुलिस अधिकारी कंवलजीत और मोहिंदरपाल को लेकर कंवलजीत के माता-पिता के घर गए और संभावित हथियारों की तलाश में घर की पूरी तरह से तलाशी ली। तलाशी के दौरान एसएचओ ने कंवलजीत की मां के साथ मारपीट की। तलाशी में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला, लेकिन कंवलजीत और मोहिंदरपाल दोनों को आगे की पूछताछ के लिए ले जाया गया। इलाके के कई निवासियों ने तलाशी अभियान देखा। उन्होंने दोनों लड़कों को पुलिस हिरासत में भी देखा। 562 राख में तब्दील

उन्हें पहले ही बुरी तरह प्रताड़ित किया जा चुका था और उनके शरीर से खून बह रहा था।
15 फरवरी 1992 को, अजीत और जगबानी नामक दो समाचार पत्रों ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की।
कथित तौर पर एक बड़ी मुठभेड़ हुई जब आठ आतंकवादियों ने पंजाब पुलिस के साथ गोलीबारी की। रिपोर्ट में कहा गया कि तीन आतंकवादी मारे गए, लेकिन पांच भाग निकले। अगले दिन उसी अखबार में प्रकाशित एक अन्य रिपोर्ट में कंवलजीत सिंह और मोहिंदरपाल सिंह की पहचान उन आतंकवादियों के रूप में की गई जिन्हें पुलिस ने मार गिराया था।
पुलिस ने परिवारों को अंतिम संस्कार के बारे में सूचित नहीं किया। हालांकि, पुलिस ने बताया कि...
बी डिवीजन पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल ने दुर्गाना मंदिर श्मशान घाट से अस्थियां लाने में उनकी मदद की। इन दोनों मामलों में अमृतसर नगर निगम ने कंवलजीत और मोहिंदरपाल के माता-पिता को मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी कर दिए थे। लेकिन सीबीआई ने उनके अंतिम संस्कार को अपनी अज्ञात सूची में डाल दिया है।
62 - 63. क्रमांक 554/904 और 555/905 के अंतर्गत, सूची में पट्टी पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर सीता राम द्वारा एफआईआर संख्या 67/92 के तहत 7 नवंबर 1992 को किए गए दो शवदाह दिखाए गए हैं। एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट को केएस-96/92 के रूप में चिह्नित किया गया है और मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति की घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/00823 से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है-
दाह संस्कार के बारे में जानकारी।
दलीप सिंह और स्वर्ण कौर के पुत्र अठारह वर्षीय बलविंदर सिंह एक बलविंदर अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के वाल्तोहा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत केहतान दी बेहक, भंगाला डाकघर के अंतर्गत कालू दियां झुगियां गांव के निवासी थे। मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद, बलविंदर ने अमृतसर स्थित पिंगलवारा नामक एक सिख धर्मोपदेशक संगठन में काम करना चुना, जो

[illegible]
1984 [illegible]
[illegible], [illegible] 1992 [illegible]
1 [illegible] 1992 [illegible] 4 [illegible],
[illegible] 1992 [illegible]
[illegible] 6 [illegible] 7 [illegible] 1992 [illegible]
64 – 66. [illegible] 476/762, 477/763 [illegible] 478/764 [illegible],
[illegible] 34/92 [illegible]
[illegible] CCDP/00825 [illegible]
[illegible], 54 [illegible]

जसवंत का घर गांव के बाहरी इलाके में, उसके कृषि फार्म के बगल में स्थित था।
अलग-थलग होने के कारण, उग्रवादी भूमिगत संगठन के सदस्य आश्रय और भोजन के लिए उनके पास आते थे। जसवंत सिंह के पास इन सशस्त्र समूहों को मना करने का कोई विकल्प नहीं था क्योंकि सुरक्षा बल रात में लगभग अनुपस्थित रहते थे। जसवंत को पट्टी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और बुरी तरह प्रताड़ित किया। पूछताछ करने वालों ने उन पर उग्रवादियों के लिए हथियार रखने का आरोप लगाया और 50,000 रुपये न देने पर जान से मारने की धमकी दी। जसवंत ने जून 1991 की शुरुआत में यह रकम देकर पुलिस की गिरफ्त से खुद को बचा लिया था।
13 जुलाई 1991 को सुबह लगभग 6 बजे, जसवंत सिंह अपने फार्महाउस से निकल रहे थे।
जसवंत साइकिल से पट्टी में दूध बेचने जा रहे थे, तभी डीएसपी सुखदेव सिंह बराड़ के नेतृत्व में पट्टी पुलिस की एक टीम जीप में उनके घर आई, उन्हें साइकिल से नीचे उतारा और उनकी पिटाई शुरू कर दी। पट्टी उपमंडल के घरियाला गांव के एक अन्य युवक जसपाल सिंह, जो साइकिल से जसवंत के घर की ओर आ रहे थे, उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया। पुलिसकर्मियों ने पहले राइफल के बट से उनकी पिटाई की। जसवंत और जसपाल दोनों खून से लथपथ थे, तभी पुलिसकर्मियों ने उनकी साइकिलें सड़क किनारे फेंक दीं, उन्हें एक वाहन में धकेल दिया और उन्हें लेकर भाग गए। जसवंत की पत्नी अमरिक कौर को जब एहसास हुआ कि उनके पति पर वर्दीधारी पुलिसकर्मियों ने हमला किया है और उन्हें अगवा किया है, तो वह दौड़कर उनकी ओर आईं। तब तक पुलिसकर्मी जा चुके थे।
जसवंत का फार्म हाउस पट्टी पुलिस स्टेशन से केवल दो किलोमीटर दूर स्थित है,
अमरिक कौर तुरंत वहां पहुंचीं। पट्टी पुलिस स्टेशन पहुंचते ही जसवंत और जसपाल को पट्टी स्थित आईटीआई (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) में स्थापित सीआरपीएफ के अस्थायी मुख्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया। अमरिक कौर भी उनके पीछे आईटीआई गईं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई और उन्होंने मुख्य द्वार के बाहर इंतजार करने का फैसला किया।
कई घंटों बाद, अमरिक कौर ने आईटीआई भवन से एक पुलिस वाहन को निकलते देखा।
पति जसवंत और घरियाला गांव का एक अन्य युवक जसपाल सिंह वाहन में बैठे थे।
पुलिस ने उसी रात कथित सशस्त्र मुठभेड़ में दोनों को मार गिराया।
पुलिस ने परिवार के सदस्यों को सूचित किए बिना ही शवों का अंतिम संस्कार कर दिया।
हैरानी की बात यह है कि अमरिक कौर को जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने को मिली, उसमें जसवंत सिंह और जसपाल सिंह दोनों की पहचान उनके नामों से की गई है। उनका यह भी दावा है कि उन्होंने रिपोर्ट के साथ संलग्न उनके शवों की तस्वीरें भी देखी हैं। फिर भी, सीबीआई ने उनके अंतिम संस्कार को अज्ञात शवों की सूची में डाल दिया है।
564 राख में तब्दील

क्रमांक 229/180, 230/181 और 231/182 के अंतर्गत दी गई सूची में जांडियाला पुलिस स्टेशन के एसएचओ द्वारा एफआईआर क्रमांक 56/91 के तहत 23 फरवरी 1991 को किए गए तीन शवदाह का विवरण है। पोस्टमार्टम रिपोर्टों को 192/23.02.1991, 193/23.02.1991 और 194/23.02.1991 के रूप में अंकित किया गया है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।

समिति की घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/00828 से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है-
इनमें से एक दाह संस्कार के बारे में जानकारी।
जोगिंदर सिंह के पुत्र, चौबीस वर्षीय जगदीप सिंह उर्फ जग्गी,
हरजिंदर सिंह, अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल के झब्बल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पंडोरी तख्त मल डाकघर वाले गांव पंडोरी रमना के निवासी थे। जगदीप ने उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी कर ली थी और अमृतसर शहर में एक छोटी आटा चक्की शुरू की थी। उनकी चक्की छोटी थी और दो मशीनों से अनाज को पीसकर घरेलू उपयोग के लिए बारीक आटा बनाया जाता था। व्यवसाय स्थापित करने के लिए जगदीप को 40,000 रुपये का ऋण लेना पड़ा था। उनकी आमदनी अच्छी थी और उन्हें उम्मीद थी कि वे उचित समय में ऋण चुका देंगे। वे अक्सर अपनी दुकान पर ही सोते थे और केवल सप्ताहांत में ही गांव में अपने माता-पिता से मिलने जाते थे।
Jagdeep was an Amritdhari Sikh, and according to his mother Harjinder Kaur, the
इस मामले के मुख्य मुखबिर जगदीप का किसी भी राजनीतिक या उग्रवादी समूह से कोई संबंध नहीं था। उनके बड़े भाई जसबीर सिंह, जो सिख छात्र संघ के सदस्य थे, को अप्रैल 1988 में अमृतसर के 'बी' डिवीजन पुलिस स्टेशन द्वारा गिरफ्तार किया गया था और वे लापता हो गए थे। तब से जगदीप ने राजनीतिक गतिविधियों से पूरी तरह दूरी बनाए रखी। उन्हें केवल एक बार पट्टी पुलिस स्टेशन द्वारा पूछताछ के लिए अवैध रूप से हिरासत में लिया गया था। जगदीप अविवाहित थे।
जब जगदीप उनसे मिलने नहीं आया तो उसके माता-पिता चिंतित होने लगे।
फरवरी 1991 में लगातार दो सप्ताहांतों तक वे परेशान रहे। फरवरी के आखिरी सप्ताह में, वे पूछताछ के लिए अमृतसर गए और उन्हें पता चला कि उनके बेटे का जंडियाला गुरु पुलिस स्टेशन के अधिकारियों द्वारा अपहरण कर लिया गया था और मजीठा पुलिस जिले के छोटे रायपुर गांव के पास एक मुठभेड़ में उसे मार दिया गया था। परिवार के सदस्यों ने सच्चाई जानने के लिए गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों से संपर्क किया और एसएचओ से बात करने को कहा। एसएचओ ने उन्हें बताया कि जगदीप और दो अन्य आतंकवादी वास्तव में मुठभेड़ में मारे गए थे। उन्होंने 24 फरवरी को प्रकाशित अजीत और जगबानी अखबारों की प्रतियां भी देखीं, जिनमें तीन अज्ञात आतंकवादियों के मुठभेड़ में मारे जाने की खबर थी।
पुलिस ने परिवार के सदस्यों को सूचित किए बिना ही शवों का अंतिम संस्कार कर दिया।
पुलिस अधिकारियों ने उसके पास मौजूद सभी मूल्यवान उपकरण भी अपने साथ ले लिए थे।
आटा चक्की।
70. क्रमांक 103/80 के अंतर्गत दी गई सूची में लोपोके पुलिस स्टेशन के हेड कांस्टेबल हरचरण सिंह द्वारा 15 अगस्त 1989 को किए गए अंतिम संस्कार का उल्लेख है। सूची में एफआईआर क्रमांक नहीं है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कोई संदर्भ नहीं है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति की घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/00835 से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है।
इस दाह संस्कार के बारे में जानकारी।

बलबीर सिंह ने अपने रिश्तेदार, पुलिसकर्मी जस्सा सिंह से संपर्क किया और वे पूछताछ के लिए लोपोके पुलिस स्टेशन गए। बहुत समझाने-बुझाने के बाद, लोपोके पुलिस स्टेशन के एक सब-इंस्पेक्टर ने बलबीर सिंह को उन लड़कों के कपड़ों का एक बंडल दिखाया जो उस मुठभेड़ में मारे गए थे। बलबीर ने अपने बेटे के कपड़े पहचान लिए। उन्हें यह पता नहीं चल सका कि उनके बेटे को फर्जी मुठभेड़ में कैसे और क्यों मार दिया गया। उन्हें यह भी पता चला कि उस रात गुरदेव सिंह के साथ मारे गए लोगों में से एक गुरदासपुर जिले के फतेहगढ़ चुरियन गांव का रहने वाला शिंगारा सिंह का बेटा कुलवंत सिंह था। बलबीर सिंह के अनुसार, उनके बेटे का इस व्यक्ति से कोई संबंध नहीं था और वह उसे जानता भी नहीं था। सीबीआई कुलवंत सिंह के अंतिम संस्कार स्थल की पहचान करने में सफल रही और उसने इसे क्रमांक 101/7 के तहत चिन्हित अंतिम संस्कारों की सूची में शामिल कर लिया है। यह अंतिम संस्कार भी हेड कांस्टेबल हरचरण सिंह द्वारा संपन्न किया गया था।
71 - 72. क्रमांक 42/90 और 43/91 के अंतर्गत, सूची में तरन तारन के सदर पुलिस स्टेशन के एसएचओ सुरिंदर सिंह द्वारा एफआईआर संख्या 48/89 के तहत 24 जून 1989 को किए गए दो शवदाह का विवरण है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट संख्या पीएस-22/89 और 566 हैं।

पीएस-21/89. मृत्यु का कारण "आग्नेयास्त्र से लगी चोटें" बताया गया है। समिति की घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01078 से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है-
इन शवदाहों के बारे में जानकारी मिली है। मेहल सिंह के पिता दारा सिंह इन मामलों में मुख्य सूचनादाता हैं।
दारा सिंह के पुत्र, सोलह वर्षीय मेहल सिंह उर्फ छोटू, निवासी था।
दारा सिंह अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल में तरन तारन पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले पंडोरी गोला गांव में रहते थे। हालांकि दारा सिंह का पैतृक गांव जौहर राजू सिंह वाला था, लेकिन वे 30 वर्षों से अधिक समय से अपने ससुराल के गांव पंडोरी गोला में रह रहे थे। दारा सिंह के पिता सौदागर सिंह ने ब्रिटिश शासन के दौरान और स्वतंत्रता के बाद भी सेना में सेवा की थी। दारा सिंह के तीन भाई थे; जिनमें से दो ने भी सेना में सेवा की थी और अब वे दिवंगत हैं। दारा सिंह अकाली दल के सक्रिय सदस्य न होते हुए भी उसके राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग लेते थे। दारा सिंह के चार बेटे और दो बेटियां थीं।
मेहल सिंह ने सातवीं कक्षा तक पढ़ाई की और फिर प्रशिक्षु के रूप में काम करना शुरू कर दिया।
मलुक सिंह की ट्रैक्टर मरम्मत कार्यशाला में मेहल लगभग दो साल तक प्रशिक्षण के तहत काम करता था, जब तक कि उसका अपहरण नहीं हो गया। वह सुबह काम पर जाता और हर दिन शाम को लौट आता था।
17 से 18 जून 1989 की रात लगभग 12.30 बजे, पुलिस की एक बड़ी टीम ने
तरन तारन के सिटी पुलिस स्टेशन और डीएसपी सीता राम और इंस्पेक्टर सुखचैन सिंह के नेतृत्व में सीआरपीएफ ने दीवार फांदकर दारा सिंह के घर पर छापा मारा। कुछ पुलिसकर्मी छत पर भी चढ़ गए। गर्मी का मौसम होने के कारण परिवार आंगन में सो रहा था। पुलिस ने उन्हें जगाया और लाठियों, थप्पड़ों और घूंसे से पुरुषों की पिटाई शुरू कर दी। पुलिस ने दारा सिंह और उनके बेटों गुरमेल सिंह, हरमेल सिंह और निर्वैर सिंह को घर के बाहर दीवार की ओर मुंह करके

बैठा दिया। पुलिस मेहल सिंह को एक तरफ ले गई। परिवार को 20 मिनट तक मेहल सिंह की चीखें सुनाई देती रहीं।
इसी बीच पुलिस ने घर की तलाशी ली, जिसमें संदूक और अन्य सामान भी शामिल थे। उम्र के बक्से। पुलिस ने तलाशी के दौरान दो घड़ियाँ चुरा लीं। लगभग आधे घंटे बाद, पुलिस ने उन सभी को सड़क तक पैदल ले गई, जहाँ सात-आठ पुलिस वाहन खड़े थे और बड़ी संख्या में पुलिस और सीआरपीएफ जवान मौजूद थे। उन सभी को वाहनों में बिठाया गया। कुछ देर बाद, पुलिस पंडोरी गोला निवासी राम सिंह के पुत्र दिलबाग सिंह को भी ले आई और उसे भी एक वाहन में बिठा दिया। कुछ सीआरपीएफ जवानों को घर पर छोड़कर, पुलिस उन सभी को तरनतारन के सिटी पुलिस स्टेशन ले गई।
तरन तारन पुलिस स्टेशन में पुलिस ने दारा सिंह, गुरमेल सिंह और हरमेल को गिरफ्तार किया।
डीएसपी सीता राम और इंस्पेक्टर सुखचैन सिंह की निगरानी में सिंह और निर्वैर सिंह बरामदे में बैठे थे और मेहल सिंह को लाठियों से पीट रहे थे। उस रात उन सभी को तरन तारन में हिरासत में लिया गया और सुबह 5 बजे उन्हें सीआईए स्टाफ तरन तारन ले जाया गया। वहां पहुंचते ही दारा सिंह और उनके बड़े बेटों को एक तरफ अलग कर दिया गया, जबकि इंस्पेक्टर गुरदेव सिंह की निगरानी में पुलिस ने मेहल सिंह को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पुलिस ने मेहल सिंह के हाथ पीछे बांध दिए और फिर उन्हें आधे घंटे तक छत से लटकाए रखा। वह दर्द से चीख रहा था। फिर पुलिस उसे नीचे उतारती, उसके हाथ खोलती और उससे पूछताछ करती। इसी बीच, पुलिस ने दारा सिंह, गुरमेल सिंह, हरमेल सिंह और निर्वैर सिंह को कुछ पुलिसकर्मियों के साथ एक जिप्सी वैन में बिठाकर तरन तारन के सिटी पुलिस स्टेशन वापस ले गई। 19 जून 1989 को पुलिस ने उन चारों को रिहा कर दिया और वे घर लौट गए।
20 जून से दारा सिंह और इलाके के प्रतिष्ठित लोगों ने एसएसपी से मुलाकात की।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (567)

दारा सिंह और बचन सिंह ने मेहल सिंह की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए तरन तारन के एसएसपी और डीएसपी सीता राम से कई बार मुलाकात की। इन मुलाकातों के दौरान गांव जौहल राजू सिंह के निवासी बचन सिंह भी उनके साथ थे, क्योंकि डीएसपी सीता राम के नेतृत्व में पुलिस दल ने 18 जून को सुबह 4 बजे उनके घर से उनके बेटे चरहट सिंह को उठा लिया था। जब दारा सिंह और बचन सिंह तरन तारन के एसएसपी से मिले, तो उन्होंने उनसे कहा कि वे उनके बेटों मेहल सिंह और चरहट सिंह को रिहा नहीं करेंगे क्योंकि दोनों आतंकवादी थे। और जब वे डीएसपी सीता राम के पास गए, तो उन्होंने दोनों लड़कों की हिरासत देने से साफ इनकार कर दिया। हर दिन दारा सिंह और बचन सिंह सीआईए स्टाफ तरन तारन के गेट के बाहर जाकर बैठते और शाम को निराश होकर घर लौटते।
दारा सिंह ने जांच टीम को बताया कि वह और बचन सिंह इसे जारी रखेंगे। पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल और श्मशान घाट लाए गए शवों का विवरण। 24 जून 1989 को पुलिस दो शव अस्पताल लाई। हालांकि दारा सिंह और बचन सिंह ने उन शवों को नहीं देखा था, लेकिन डॉक्टर से पूछताछ करने पर, जिन्होंने शवों पर मौजूद कपड़ों और अन्य विवरणों के आधार पर यह स्पष्ट हो गया कि ये वास्तव में मेहल सिंह और चरहट सिंह के शव थे। किसी भी अनिश्चितता

के बावजूद, मेहल सिंह के परिवार ने 24 जून 1989 को उनकी मृत्यु का दिन मानकर उनका अंतिम संस्कार किया।
पुलिस ने मृतकों के परिवारों को मौतों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी।
मेहल सिंह और चरहट सिंह। मेहल सिंह के भाई गुरमेल सिंह की कथित तौर पर 11 जुलाई 1990 को अंबाला जिले में हरियाणा पुलिस के साथ मुठभेड़ में मृत्यु हो गई थी।
दारा सिंह ने मेहल सिंह की मृत्यु के लिए मुआवजे का दावा प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने 22 जनवरी 1999 को जारी अपने सार्वजनिक नोटिस के जवाब में यह कार्रवाई की।
73 – 74. क्रमांक 320/231 और 321/232 के अंतर्गत, सूची में ब्यास पुलिस स्टेशन के एएसआई द्वारा एफआईआर क्रमांक 185/91 के तहत 25 अक्टूबर 1991 को किए गए दो शवदाह दिखाए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्रमांक एसपीजी/एफएम/189/91 और एसपीजी/एफएम/191/91 के रूप में अंकित हैं। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति की घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01113 से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है-
इन मामलों के बारे में जानकारी जुटाई गई है। दिलबाग सिंह के पिता पूरन सिंह, जो भारतीय सेना के सेवानिवृत्त जूनियर कमीशंड अधिकारी हैं, इस मामले में मुख्य सूचनादाता हैं।
Dilbagh Singh alias Baga, son of Pooran Singh and Jagir Kaur, resident of village
अमृतसर जिले के जंडियाला गुरु पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले मेहलन वाले देवदासपुर गांव के निवासी बाबा ज्वाला सिंह, 37 वर्षीय स्नातक थे और बंबई स्थित एक निजी फर्म में कार्यरत थे। उनका विवाह स्कूल शिक्षिका मनजीत कौर से हुआ था और उनकी दो बेटियां (वर्तमान में 17 और 15 वर्ष की) तथा दो छोटे बेटे (वर्तमान में 14 और 11 वर्ष के) थे। यह परिवार क्षेत्र में सुप्रसिद्ध और सम्मानित है क्योंकि उनके पूर्वजों में से एक, बाबा ज्वाला सिंह, रणजीत सिंह के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पद पर रहे थे। रणजीत सिंह एक शक्तिशाली सिख राज्य थे जिन्हें 1849 में ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया था। इसी दौरान उन्हें देवदासपुर गांव के राजस्व पर अधिकार प्राप्त हुआ था।
कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद दिलबाग मुंबई में एक निजी कंपनी में काम करने चला गया था।
उन्होंने 1978 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। बाद में, एक अन्य व्यक्ति के साथ साझेदारी में, उन्होंने पंजाबी भोजन में विशेषज्ञता वाला एक रेस्तरां भी शुरू किया। 1981 में, दिलबाग का विवाह मनजीत कौर से हुआ। 1987 में, मनजीत कौर और उनके चार बच्चे अपने पति के गाँव लौट गए और दिलबाग, जो आजीविका के लिए मुंबई में रहते थे, उनसे अक्सर मिलने जाने लगे।
एक बार 1989 में, अमृतसर के सीआईए कर्मचारियों ने दिलबाग को तब गिरफ्तार कर लिया जब वह अपने 568 रिड्यूस्ड टू एशेज से मिलने गए थे।

परिवार ने उसे 14 दिनों तक अवैध रूप से हिरासत में रखा और उस पर बेरहमी से अत्याचार किया। फिर एक अखबार में खबर छपी कि पुलिस मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई है। इस खबर से उसके गांव के लोग इतने क्रोधित हो गए कि बड़ी संख्या

में लोग जंडियाला गुरु पुलिस स्टेशन को घेरकर शव की मांग करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने अमृतसर के एसएसपी अनिल शर्मा से मुलाकात की, जिन्होंने बताया कि दिलबाग सिंह की हत्या नहीं हुई है और उससे मॉल मंडी पूछताछ केंद्र में पूछताछ की जा रही है। शर्मा ने उसे जंडियाला गुरु पुलिस स्टेशन स्थानांतरित करने का वादा किया।
दो दिन बाद, पूरन सिंह अपने बेटे से पुलिस स्टेशन में मिले और उन्होंने देखा कि उनका
हिरासत में यातनाओं के कारण दिलबाग की शारीरिक हालत बेहद नाजुक थी। डीएसपी गुरमेल सिंह बाई ने ही यातनाएं दी थीं। कुछ दिनों बाद, दिलबाग को टीएडीए के तहत एक मामले में फंसाकर अमृतसर जेल भेज दिया गया। तीन सप्ताह बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया।
जेल से रिहा होने के बाद जंडियाला पुलिस ने दिलबाग को लगातार गिरफ्तार करना जारी रखा।
उन्हें अवैध हिरासत में प्रताड़ित किया गया। अंततः दिलबाग तंग आकर घर छोड़कर भूमिगत हो गया। दिलबाग की पत्नी अपने बच्चों के साथ लुधियाना चली गईं, जहाँ उन्हें एक स्थानीय स्कूल में शिक्षिका के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने अपने बच्चों को भी उसी स्कूल में दाखिला दिलाया। जंडियाला पुलिस ने उनके पिता और परिवार के अन्य सदस्यों को अवैध हिरासत में लेना और प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पूरन सिंह को अपनी ज़मीन पर खेती करने की भी अनुमति नहीं दी गई।
23 अक्टूबर 1991 को, दिलबाग अपने बच्चों से मिलने के लिए राहोन स्थित उनके स्कूल गए।
लुधियाना जिले से निकलने के बाद, वे अपने साथ, पत्नी मनजीत कौर और दो सहकर्मियों के साथ कार से जालंधर शहर के लिए रवाना हुए। रास्ते में, जालंधर, अमृतसर, बंगा और नवांशहर पुलिस स्टेशनों के अधिकारियों वाली संयुक्त पुलिस बल ने उन सभी को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने दिलबाग को बाकी लोगों से अलग कर दिया और पूछताछ के लिए उसे किसी अज्ञात स्थान पर ले गई। मनजीत कौर, उनके बच्चों और उनके सहकर्मियों को जालंधर पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां उनकी मुलाकात अमरजीत सिंह देहरीवाल से हुई, जो पुलिस हिरासत में थे।
24 और 25 अक्टूबर 1991 की मध्यरात्रि में, दिलबाग सिंह और अमरजीत देहरीवाल गांव के दिलबाग सिंह की ब्यास पुलिस स्टेशन द्वारा रची गई फर्जी मुठभेड़ में हत्या कर दी गई। उनके शव ब्यास पुलिस स्टेशन लाए गए, जहां अमरजीत सिंह के कुछ रिश्तेदारों ने उन्हें पहचान लिया। दिलबाग के पिता, ग्राम परिषद के सदस्यों के साथ, मजीठा पुलिस जिले के एसएसपी से मिले और उनसे अपने बेटे का शव पारिवारिक अंतिम संस्कार के लिए वापस करने का अनुरोध किया। एसएसपी ने केवल उन्हें और परिवार के अन्य सदस्यों को ही दुर्गाना मंदिर श्मशान घाट में अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी। पुलिस ने उनसे कुछ खाली कागजों पर हस्ताक्षर भी ले लिए। हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने अज्ञात शवों का दावा करके दिलबाग सिंह और अमरजीत सिंह देहरीवाल का अंतिम संस्कार कर दिया।
जालंधर पुलिस ने मंजीत कौर और उसके बच्चों को हिरासत में रखा।
25 अक्टूबर को उन्हें राय्या कस्बे में छोड़ा गया। वहां से मनजीत कौर अपने मायके गईं, जहां उन्हें दिलबाग सिंह और अमरजीत सिंह की हत्या के बारे में पता चला। बाद में उनके परिवार वालों ने नवांशहर पुलिस स्टेशन से

दी गई जानकारी के आधार पर संबंधित दाह संस्कारों की पहचान करना कठिन है। सुरजीत कौर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सीबीआई द्वारा सूचीबद्ध शवदाह की सूची (क्रम संख्या 349/61) से पता चलता है कि सुल्तानविंड के एसएचओ सुरिंदर सिंह ने एफआईआर संख्या 42/92 के तहत प्रताप सिंह का शवदाह किया था। सूची में पिता का नाम चरण सिंह खुमियार और गांव का नाम पंडोरी बताया गया है। यह स्पष्ट रूप से प्रताप सिंह का मामला है, जो पंडोरी मेहमा गांव के चरण सिंह का पुत्र था, जिसका उल्लेख संबंधित अध्याय में किया गया है और सीसीडीपी की घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या 01169 में भी है। अज्ञात शवदाह की सूची (क्रम संख्या 230/345 और 231/347) में सुल्तानविंड पुलिस द्वारा 28 अक्टूबर 1992 को किए गए दो संबंधित शवदाह दिखाए गए हैं। यह संभव है कि इनमें से एक शवदाह में परगत सिंह का शव शामिल हो।
क्रमांक 77-79 के अंतर्गत दी गई सूची में तरन तारन शहर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर/एसएचओ द्वारा 5 मई 1991 को किए गए तीन शवदाह का विवरण है। इसमें कोई एफआईआर क्रमांक नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्रमांक पीएस-55/91, पीएस-56/91 और पीएस-57/91 हैं। मृत्यु का कारण "गोलीबारी से लगी चोटें" बताया गया है।
570 राख में तब्दील

समिति की घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01157 और 01158 से निम्नलिखित बातें सामने आती हैं-
इन मामलों के बारे में निम्नलिखित जानकारी दी जा रही है। इन मामलों में मुख्य सूचनादाता बलविंदर सिंह के पिता जोगिंदर सिंह और मनजीत सिंह की माता गुरमीत कौर हैं।
जोगिंदर सिंह के पुत्र पच्चीस वर्षीय बलविंदर सिंह उर्फ बिल्ला
कैलाश कौर, अमृतसर जिले के जंडियाला गुरु पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पट्टी मसूर, लखू वाला खोह के बुंडाला गांव की निवासी एक युवा किसान थीं। वे अविवाहित थीं। सात भाई-बहनों वाले एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले बलविंदर ने प्राथमिक शिक्षा के बाद स्कूल छोड़ दिया था ताकि वे अपने पिता के कृषि कार्यों में उनकी मदद कर सकें। बलविंदर के पिता के अनुसार, जून 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर हुए सैन्य अभियान ने उनके मन पर गहरा प्रभाव डाला था और बलविंदर ने इस हमले के बाद विकसित हुए सिख प्रतिरोध की राजनीति में रुचि लेना शुरू कर दिया था। जंडियाला गुरु पुलिस को उन पर शक हुआ और उन्होंने बलविंदर और उनके परिवार के सदस्यों को परेशान करना शुरू कर दिया। बलविंदर को दो बार गिरफ्तार किया गया और कई दिनों तक अवैध हिरासत और यातना देने के बाद, पुलिस ने उन्हें आपराधिक मामलों में फंसाकर जेल भेज दिया। जमानत पर रिहा होने के बाद पुलिस ने उन्हें फिर से परेशान करना शुरू कर दिया, उन्हें अवैध हिरासत में रखा और हिरासत में यातनाएं दीं। बलविंदर इन अत्याचारों को सहते रहे क्योंकि उन्हें पता था कि भगोड़ा बनकर वे अपने परिवार के सदस्यों को और भी अधिक पीड़ा में डाल देंगे।
मोहिंदर सिंह और गुरमीत कौर के पुत्र, छब्बीस वर्षीय मनजीत सिंह,
अमृतसर जिले के जंडियाला गुरु पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मालीवाला खोह जिले के पट्टी हिंदून की बंडाला गांव का रहने वाला एक अविवाहित युवक किसान था, जिसे 1988 में आतंकवादियों को शरण देने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वह 21 महीने जेल में रहा और 1990 की शुरुआत में जमानत पर रिहा हुआ। बलविंदर और मनजीत मित्र थे।

9 ∎∎ 10 ∎∎∎∎∎∎∎ 1991 ∎∎ ∎∎∎ ∎∎∎∎∎ 4 ∎∎∎, ∎∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎∎∎, ∎∎ ∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎∎
∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎∎∎∎∎, ∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎∎∎, ∎∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎ ∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎ ∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎, ∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎, ∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎∎ (∎∎∎∎∎∎∎) ∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎∎ ∎∎ ∎∎∎ ∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎∎ ∎∎∎∎∎ ∎∎∎
∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎
∎∎∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎∎ ∎∎, ∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎ (∎∎∎∎∎∎∎) ∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎, ∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎∎∎ ∎∎, ∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎
∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎ ∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎ ∎∎∎∎
∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎
∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎∎
∎∎ ∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎
∎∎ ∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎ ∎∎...
∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎∎∎∎∎, ∎∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎ ∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎, ∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎
∎∎ ∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎, ∎∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎
∎∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎ ∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎∎∎, ∎∎∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎∎
∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎ ∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎∎∎∎ (571)

80. ∎∎∎∎∎∎∎∎ 250/378 ∎∎ ∎∎∎∎∎∎∎∎, ∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎∎∎ 115/93 ∎∎ ∎∎∎∎ 26 ∎∎∎∎ 1993 ∎∎ ∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎/∎∎∎∎∎-1155/93 ∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎∎ "∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎∎∎" ∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎ ∎∎∎∎

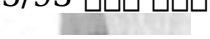

∎∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎∎ CCDP/

01166 ∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎∎∎ ∎∎ ∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎

∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎, ∎∎∎∎∎∎

बख्शीश सिंह और कुलवंत कौर के पुत्र, दिलबाग सिंह अमृतसर जिले के सदर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत रब्बन दा डेरा के नांगली नौशेहरा गांव के कांस्टेबल थे। दिलबाग अविवाहित थे। उन्होंने 1991 में उच्च माध्यमिक विद्यालय की परीक्षा उत्तीर्ण करने के तुरंत बाद पंजाब पुलिस में कांस्टेबल के रूप में भर्ती हुए थे। प्रारंभ में, उनकी तैनाती गुरदासपुर जिले में हुई थी। बाद में, उनका तबादला अमृतसर शहर के कंपनी बाग पुलिस स्टेशन में कर दिया गया।

22 और 23 जून 1993 की मध्यरात्रि में, लगभग 1 बजे, पुलिस की भारी भीड़ उमड़ी।

अमृतसर शहर के सदर पुलिस स्टेशन के डीएसपी मोहिंदर सिंह फौजी और एसएचओ मोहिंदर सिंह करिक्की के नेतृत्व में पुलिस बल ने दिलबाग सिंह के घर पर उस समय छापा मारा जब वह अपनी चौकी पर ड्यूटी पर थे। परिवार के सदस्य उस समय हैरान रह गए जब अधिकारियों ने दिलबाग के बारे में पूछा और उन्होंने बताया कि वह कंपनी बाग पुलिस चौकी पर रात्रि ड्यूटी पर हैं। अधिकारियों ने उनके पिता बख्शीश सिंह, उनके तीन भाइयों और दिलबाग के चचेरे भाई को हिरासत में लिया और उन्हें कंपनी बाग पुलिस चौकी ले गए। परिवार के सभी सदस्य पुलिस वाहन में ही रहे जबकि अधिकारी दिलबाग को गिरफ्तार करने के लिए बाहर गए। वे उसे पीछे हाथ बांधकर पुलिस चौकी से बाहर लाए, एक अलग वाहन में धकेला और सदर पुलिस स्टेशन ले गए। दिलबाग को एक अलग कोठरी में बंद कर दिया गया। उसके परिवार के सदस्यों को एक अलग कमरे में रखा गया।

उसी रात कुछ घंटों बाद, दिलबाग को कोठरी से बाहर निकाला गया।

उसके पिता और परिवार के अन्य सदस्यों ने, जिन्हें एक अलग कमरे में बंद कर दिया गया था, इस घटना को देखा। कोई भी अधिकारी उनसे पूछताछ करने नहीं आया। 28 जून 1993 को, ग्राम परिषद के सदस्यों ने हस्तक्षेप करके उन्हें रिहा करवाया। उन्हें रिहा करते समय, एसएचओ मोहिंदर सिंह करिक्की खेद से भरे हुए दिखे। उन्होंने कहा: "आपको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है," यह इशारा करते हुए कि दिलबाग की हत्या कर दी गई थी।

हरपाल सिंह के अनुसार, उनके भाई किसी भी प्रकार की उग्रवादी गतिविधि में शामिल नहीं थे।

दिलबाग राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं थे और उन्होंने एक पुलिसकर्मी के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से किया। दिलबाग उन अभियानों में भाग लेना पसंद नहीं करते थे जिनमें लोगों को यातना देना और मारना शामिल हो। उनके कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने विशेष अभियानों में शामिल होने से उनके इनकार को उग्रवादी विचारधारा के प्रति सहानुभूति का संकेत माना। दिलबाग के दो चचेरे भाई, राजिंदर सिंह और हरदयाल सिंह, जो

अमृतसर जिले के नांगली नौशेरा गांव के अजीत सिंह के बेटे थे, उग्रवादी भूमिगत गतिविधियों में शामिल थे। हालांकि दिलबाग का उनसे कोई संबंध नहीं था, फिर भी उनके वरिष्ठ अधिकारी हमेशा उनके इस रिश्ते को लेकर उन्हें चिढ़ाते थे। परिवार को राजिंदर सिंह और हरदयाल सिंह के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जो लापता हो गए हैं।

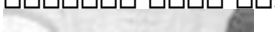

81. क्रमांक 209/165 के अंतर्गत, सूची में ब्यास पुलिस स्टेशन के एसआई राजिंदर सिंह द्वारा दिनांक 6.1.1991 को किए गए एक अंतिम संस्कार का उल्लेख है। 572 शवों को राख में बदल दिया गया।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट संख्या जीएम/257/91 7.1.1991 के रूप में सूचीबद्ध है। मृत्यु का कारण "मुठभेड़" बताया गया है।
समिति की घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01179 से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है-
इस मामले के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। मुख्य सूचनादाता पीड़ित के पिता इंदर सिंह हैं, जो सेना के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं।
इंदर सिंह और गुरमीत कौर के पुत्र, उन्नीस वर्षीय गुरजीत सिंह एक
गुरजीत अमृतसर जिले के बाबा बकाला उपमंडल में ब्यास पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गुरुद्वारा काला मेहर के पास, साथियाला डाकघर के पास स्थित थाथियां गांव के रहने वाले एक इलेक्ट्रॉनिक तकनीशियन हैं। उच्च माध्यमिक विद्यालय की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, गुरजीत ने अमृतसर के एक तकनीकी संस्थान में दाखिला लिया और टेलीविजन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत में डिप्लोमा प्राप्त किया। उन्होंने अपने गांव से लगभग एक किलोमीटर दूर बाबा बकाला कस्बे में एक इलेक्ट्रॉनिक मरम्मत की दुकान खोली। गुरजीत का पंजाब में चल रहे उग्रवादी आंदोलन से कोई संबंध नहीं था। 6 जनवरी 1991 की दोपहर को गुरजीत अपने घर पर आराम कर रहा था क्योंकि रविवार का दिन था और उसकी दुकान बंद थी। दोपहर करीब 2 बजे जलाल उस्मान गांव के बचन सिंह के बेटे कुलवंत सिंह उसके घर आए और गुरजीत से अपने गांव चलने का अनुरोध किया ताकि वह उसका टूटा हुआ वीडियो प्लेयर ठीक कर दे। कुलवंत सिंह स्कूटर से आए थे और उन्होंने गुरजीत को मरम्मत के बाद घर छोड़ने का वादा किया। गुरजीत ने अपने औजार लिए और कुलवंत सिंह के साथ चले गए। उस रात वह घर नहीं लौटे।
इंदर सिंह चिंतित हो गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे।
8 जनवरी 1991 को, इंदर सिंह को गांव के निवासी कुलबीर से एक संदेश मिला।
सिंह ने बताया कि उन्होंने अपने बेटे गुरजीत का शव अमृतसर के मॉल मंडी पूछताछ केंद्र में देखा था। तुरंत ही, इंदर सिंह जलाल उस्मान गांव गए और पता चला कि गुरजीत 6 जनवरी की दोपहर को कुलवंत सिंह के घर नहीं पहुंचा था।

इसके बाद इंदर सिंह ब्यास पुलिस स्टेशन गए, लेकिन वहां के अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया। फिर उनकी मुलाकात बाबा बकाला के डीएसपी से हुई, जिन्होंने बताया कि थथियां गांव के पास सीआरपीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में एक युवक मारा गया है और उन्हें ब्यास पुलिस स्टेशन आकर उसके कपड़े पहचानने के लिए कहा। इंदर सिंह ब्यास पुलिस स्टेशन वापस गए और अपने बेटे के कपड़े पहचान लिए। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि वास्तव में उसकी हत्या कैसे हुई, क्योंकि शव को सीआरपीएफ के जवान ही पुलिस स्टेशन लाए थे।
8 जनवरी 1991 को प्रकाशित एक समाचार पत्र रिपोर्ट में कहा गया था कि एक अज्ञात व्यक्ति
पुलिस से घिर जाने पर एक उग्रवादी ने साइनाइड खाकर आत्महत्या कर ली।
बाद में इंदर सिंह को पता चला कि गुरजीत और कुलवंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था।
पंजाब पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त दल ने 6 जनवरी 1991 को धारदेव गांव में एक चेकपोस्ट स्थापित किया था, जब वे जलाल उस्मान गांव जा रहे थे।
उन्हें तुरंत अलग कर दिया गया और अमृतसर के मॉल मंडी पूछताछ केंद्र भेज दिया गया। कुलवंत सिंह को 11 जनवरी 1991 को रिहा कर दिया गया।
इंदर सिंह के अनुसार, उनकी पत्नी गुरमीत कौर इस सदमे को सहन नहीं कर पाईं। गुरजीत के लापता होने और उसकी मृत्यु की खबर से वह गंभीर रूप से बीमार हो गई और फरवरी 2002 में उसकी मृत्यु हो गई।
क्रमांक 218/324 और 219/325 के अंतर्गत दी गई सूची में अमृतसर में डी डिवीजन पुलिस द्वारा 5 अगस्त 1992 को किए गए दो शवदाह का विवरण है। इसमें कोई एफआईआर संख्या नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्टों को जीएम/एफएम/819/20 और जीएम/एफएम-820/92 के रूप में अंकित किया गया है।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (573)

मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति की घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01183 से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है-
इन मामलों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए सतिंदर सिंह की मां मनजीत कौर मुख्य सूचनादाता हैं।
सोलह वर्षीय सतिंदर सिंह उर्फ रिंकू, गुरबख्श सिंह और मंजीत का बेटा
कौर, अमृतसर शहर के बी डिवीजन पुलिस स्टेशन के अंतर्गत शहीद उधम सिंह नगर, गली नंबर 1, मकान नंबर 253 में रहने वाली एक वेल्डिंग मैकेनिक थीं। वह अविवाहित थीं। सतिंदर दाढ़ी-मूंछ साफ रखने वाली सिख थीं और ज्यादा धार्मिक नहीं थीं। उनके पिता शारीरिक रूप से विकलांग थे और बहुत शराब पीते थे। सतिंदर परिवार का भरण-पोषण करने के लिए काम करती थीं।
7 जुलाई 1992 की सुबह तड़के लगभग 5 बजे, पुलिस अधिकारियों का एक बड़ा समूह, बी डिवीजन पुलिस स्टेशन के एसएचओ चरण दास के नेतृत्व में पुलिस ने सतिंदर के घर पर छापा मारा और उसे हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारी के दौरान परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे। अगले दिन सुबह, वही पुलिस दल तलाशी के लिए घर वापस आया। सतिंदर भी पुलिस के साथ था, लेकिन उसे परिवार के किसी भी सदस्य से बात करने की अनुमति नहीं दी गई। पुलिस अधिकारी सतिंदर के साथ घर का सारा फर्नीचर और अन्य कीमती सामान जब्त करके चले गए। तलाशी के दौरान, गांव के कई निवासियों ने सतिंदर को पुलिस हिरासत में देखा। मनजीत कौर के अनुसार,

पुलिस ने अमृतसर के शहीद उधम सिंह नगर निवासी लखबीर सिंह के बेटे अवतार सिंह को भी गिरफ्तार किया।
दो दिन बाद, पुलिसकर्मियों का एक दल फिर से घर आया और उन्हें ले गया।
मनजीत कौर उनके साथ बी डिवीजन पुलिस स्टेशन गईं, जहां एसएचओ चरण दास ने उन्हें एक पिस्तौल दिखाई, जो कथित तौर पर उनके बेटे से बरामद की गई थी। उन्होंने पुलिस लॉकअप में सतिंदर को भी देखा।
अगले एक महीने तक, मनजीत कौर रोजाना बी डिवीजन पुलिस स्टेशन जाती रही और मैंने एसएचओ चरण दास और उनके क्लर्क सुरिंदर सिंह से कई बार बात की। जब मैंने उनसे पूछा कि वे उनके बेटे को कब रिहा करेंगे, तो अधिकारियों ने गोलमोल जवाब दिए। लगभग एक महीने बाद, एसएचओ ने उनसे कहा कि वे घर का कुछ सामान वापस ले लें, जिसे सतिंदर की गिरफ्तारी के अगले दिन जब्त कर लिया गया था। उन्होंने उन्हें घर वापस जाने के लिए गाड़ी किराए पर लेने के लिए 10 रुपये भी दिए, ताकि वे अपना सामान साथ ले जा सकें। एसएचओ ने उनसे कहा कि वे फिर कभी पुलिस स्टेशन न आएं। उन्हें नहीं पता था कि उनके बेटे का क्या हुआ। 7 जुलाई 1992 को सतिंदर के अपहरण के एक दिन बाद उनके घर से गिरफ्तार किए गए अवतार सिंह भी लापता हो गए।
घटना के लगभग दो साल बाद, लाहौरी गेट पुलिस स्टेशन के दो कांस्टेबल-अमृतसर से कुछ लोग परिवार के विभिन्न सदस्यों के बारे में पूछताछ करने के लिए उसके घर आए। उन्होंने उसे अनौपचारिक रूप से यह भी बताया कि सतिंदर की हत्या कर दी गई है।
84. क्रमांक 369/251 के अंतर्गत, सूची में मेहता पुलिस स्टेशन के एएसआई अमरिक सिंह द्वारा 21 मार्च 1992 को किए गए एक शवदाह का उल्लेख है। इसमें कोई एफआईआर संख्या नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जीएम/एफएम/678/92 के रूप में चिह्नित किया गया है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति की घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01188 से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है-
इस मामले के बारे में मिली जानकारी के अनुसार, मुख्य सूचनादाता पीड़ित के पिता गुरबंस सिंह हैं, जो पंजाब पुलिस के पूर्व हेड कांस्टेबल हैं। गुरबंस सिंह और हरभजन कौर के पुत्र, तेईस वर्षीय सरबजीत सिंह,
सरबजीत अमृतसर जिले के बाबा बकाला उपमंडल के ब्यास पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मियां की पट्टी के वडाला कलां गांव का रहने वाला पंजाब पुलिस का पूर्व कांस्टेबल था। सरबजीत 574 राख में तब्दील हो गया।

सरबजीत ने अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी की और फिर कांस्टेबल के रूप में पंजाब पुलिस में भर्ती हो गए। गुरदासपुर जिले में तैनात सरबजीत को ड्राइवर का कर्तव्य सौंपा गया था।
पुलिस बल में शामिल होने के कुछ ही महीनों के भीतर, सरबजीत बहुत परेशान हो गया।
पुलिस की बर्बरता के जो दृश्य उन्होंने देखे, उन्हें देखकर वे दंग रह गए। ड्राइवर होने के नाते, उनका कर्तव्य था कि वे अधिकारियों को जिले के विभिन्न पुलिस थानों में ले जाएं, जहां उन्होंने देखा कि अवैध रूप से हिरासत में लिए गए युवा सिखों को पूछताछ के दौरान किस प्रकार प्रताड़ित किया जाता था। उन्होंने कई फर्जी मुठभेड़ों को भी देखा। सरबजीत ने अपने पिता से इन अनुभवों के बारे में बात की और उन्हें बताया कि वे ऐसी पुलिस

[illegible]
[illegible] 1990 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
4 [illegible] 1990 [illegible]
[illegible]
[illegible] 1991 [illegible]
[illegible]
19 [illegible] 1992 [illegible]
[illegible]
21 [illegible] 1992 [illegible]
[illegible]
85 – 90. [illegible] 629/1973, 630/1074, 631/1075, 632/1076, 633/1077 [illegible] 634/1078 [illegible] 61/93 [illegible] 15 [illegible] 1993 [illegible] [illegible]-22/93, [illegible]-23/93, [illegible]-24/93, [illegible]-26/93, [illegible]-27/93 [illegible] [illegible]-23/93 [illegible]
[illegible] CCDP/01200 [illegible]
[illegible]

कौर, अमृतसर जिले के बाबा बकाला उप-मंडल में मत्तेवाल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत, गांव तारसिक्का, पट्टी वाटलियन दी की एक मेहरा सिख थीं। एक अमृतधारी सिख,
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (575)

उन्होंने पंजाब सरकार की एक सहकारी समिति में काम किया। उनका विवाह सुखविंदर कौर से हुआ था और उनका एक बेटा था।
विद्यार्थी जगतार सिंह अपने विद्यालय के सिख धर्म संगठन के सदस्य थे। छात्र संघ। पुलिस ने उन्हें एक बार गिरफ्तार किया और उन पर जादू-टोना करने का आरोप लगाया। रिहाई के बाद, पुलिस ने उन्हें फिर से गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया और अमृतसर जेल भेज दिया। एक साल बाद बरी होने पर, पंजाब सरकार ने उन्हें सहकारी समिति में उनकी नौकरी वापस दे दी।
7 अक्टूबर 1993 को शाम लगभग 4 बजे सादे कपड़ों में सशस्त्र पुलिसकर्मी आए।
जगतार सिंह के घर पर तीन पुलिसकर्मियों ने दरवाजा खटखटाया, जबकि एक पुलिसकर्मी अपनी गाड़ी में बैठा रहा। जब उसने पुलिस को अपना परिचय दिया, तो एक पुलिसकर्मी ने जगतार सिंह को लात मारी, जिससे उसके हाथ में पकड़ा गिलास गिर गया। पुलिस ने जगतार सिंह और पास में बैठे भजन सिंह के बेटे बलराज सिंह को जबरदस्ती अपनी सफेद मारुति कार में बिठा लिया।
उस शाम जगतर सिंह के पिता अन्य लोगों के साथ एसएचओ से मिले।
रघुबीर सिंह मखी मत्तेवाल पुलिस स्टेशन में गए। एसएचओ ने उन्हें बताया कि तरन तारन स्थित सीआईए स्टाफ उनके बेटे को ले गया है। उनके प्रतिनिधिमंडल ने सीआईए स्टाफ से संपर्क किया लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली। बलराज सिंह के परिवारवाले चार दिन बाद उन्हें रिहा कराने में कामयाब रहे। बलराज ने जगतार सिंह के परिवार को बताया कि तरन तारन पहुँचने के बाद वे एक-दूसरे से अलग हो गए थे। जगतार सिंह का परिवार उनकी रिहाई के लिए लगातार प्रयास करता रहा। शुरुआत में एसएसपी और अन्य पुलिस अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे जगतार सिंह को रिहा कर देंगे।
16 अक्टूबर को, समाचार पत्रों ने तरन तारन के एसएसपी द्वारा किए गए दावों पर भरोसा करते हुए,
रणबीर एस. खत्रा ने बताया कि तड़के 4 बजे जब आतंकवादी जगतार सिंह जग्गा हथियारों की बरामदगी के लिए पुलिस दल को ले जा रहे थे, तब आतंकवादियों ने उन पर हमला कर दिया और गोलीबारी में वह मारा गया। गोलीबारी कथित तौर पर तीन घंटे तक चली। पुलिस ने हमले में शामिल सभी पांच अज्ञात आतंकवादियों को भी मार गिराया। समाचार रिपोर्टों में जगतार सिंह की पूरी पहचान बताई गई है, जिसमें उसका नाम, पिता का नाम और गांव का नाम शामिल है।
हिंदुस्तान टाइम्स के एक संवाददाता ने जगतार सिंह के घर का दौरा किया और फिर एक रिपोर्ट भेजी।
एक रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि पुलिस द्वारा मुठभेड़ को फर्जी बताया गया था। अन्य समाचार पत्रों ने भी इस घटना को उठाया।
पुलिस ने जगतार सिंह के परिवार को उनकी मृत्यु की सूचना नहीं दी और न ही उनका शव लौटाया।
पुलिस को जगतर की पहचान की पूरी जानकारी होने और समाचार रिपोर्टों में उसकी पहचान स्पष्ट रूप से सामने आने के बावजूद, सीबीआई ने उसके अंतिम संस्कार को अज्ञात शवदाहों की सूची में शामिल कर लिया।

क्रमांक 596/331, 597/332 और 598/333 के अंतर्गत दी गई सूची में मेहता पुलिस द्वारा 31 मार्च 1993 को किए गए तीन शवदाह का विवरण है। इसमें कोई एफआईआर संख्या या पोस्टमार्टम रिपोर्ट संख्या नहीं है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति की घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01229 से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है-
इन मामलों के बारे में जानकारी जुटाने में सुरजीत सिंह की मां चरण कौर मुख्य मुखबिर हैं।
Surjit Singh, son of Dalip Singh and Charan Kaur, was an illiterate Mazhabi Sikh
अमृतसर उपमंडल और जिले के काठू नांगल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले कोटली धोले शाह गांव के निवासी। उनका विवाह राजी से हुआ था और उनके एक बेटा और एक बेटी थी। सुरजीत 576 राख में तब्दील हो गया।

सिंह दो भाइयों और चार बहनों में सबसे बड़े थे। वे एक मजदूर के रूप में काम करते थे और उनका कोई राजनीतिक या उग्रवादी पृष्ठभूमि नहीं थी। वे साफ दाढ़ी वाले युवक थे।
20 मार्च 1993 को, एसएचओ के नेतृत्व में काठू नांगल पुलिस स्टेशन की एक पुलिस टीम ने कार्रवाई की।
दिलबाग सिंह और हेड कांस्टेबल कुलदीप सिंह ने सुरजीत सिंह के घर पर छापा मारा। पुलिस ने दीवार फांदकर घर में प्रवेश किया और दरवाजा खोला। उन्होंने सुरजीत सिंह को जगाया, जो अपने छोटे बच्चे के साथ सो रहा था, और उसे अपने साथ चलने का निर्देश दिया। जब उसके माता-पिता ने उससे पूछा कि वे उसे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं और ले जा रहे हैं, तो पुलिस ने कहा कि वे उससे किसी जगह का रास्ता जानना चाहते हैं और उसे जल्द ही छोड़ देंगे। परिवार सुरजीत सिंह का इंतजार करता रहा, लेकिन वह घर नहीं लौटा। उसी रात पुलिस दल ने उसी गांव के प्रीतम सिंह पुत्र उधम सिंह, बलविंदर सिंह पुत्र रतन सिंह और मुख्तियार सिंह मुखा को गिरफ्तार कर लिया।
अगले दिन ग्राम पंचायत और परिवार के सदस्य वहाँ गए।
गिरफ्तार व्यक्तियों के मामलों की जांच के लिए काठू नांगल पुलिस स्टेशन भेजा गया। एसएचओ ने उन्हें आश्वासन दिया कि पूछताछ के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। परिवार और पंचायत सदस्य प्रतिदिन पुलिस स्टेशन आते रहे। तीसरे या चौथे दिन, 23 या 24 मार्च को, जब गिरफ्तार व्यक्तियों के परिवार के सदस्य पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े थे, तो पुलिस ने उन्हें एक वाहन में बिठाया और परिवार के सदस्यों को घर जाने को कहा। इसके बाद, जब भी परिवार के सदस्य पूछताछ के लिए स्टेशन आते, पुलिस कहती कि उन्होंने बंदियों को मल्ल मंडी पूछताछ केंद्र भेज दिया है या उन्हें राम बाग पुलिस स्टेशन में रखा है।
Balwinder Singh s/o Ratan Singh, Harbans Singh, resident of Ghaseetpura, Mangal
नंगली नौशेहरा निवासी तेजा सिंह के पुत्र सिंह और एक अन्य व्यक्ति को काठू नंगल पुलिस ने 29 मार्च 1993 को सेहनेवाली गांव के पास एक "मुठभेड़" में मृत बताया था। सीबीआई की आंशिक रूप से पहचाने गए शवों की सूची में उनके शवों का उल्लेख है, जिसमें चौथे व्यक्ति की आंशिक पहचान जगतर सिंह, धर्म सिंह के पुत्र के रूप में हुई है, जिनका क्रमांक 590/93, 591/94, 592/95 और

593/96 है। कोई एफआईआर क्रमांक या पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्रमांक नहीं है।
मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
30 मार्च 1993 को मेहता पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि पुलिस ने सुरजीत सिंह की हत्या कर दी।
मेहता पुलिस स्टेशन के अंतर्गत दांडेल गांव के पास हुई मुठभेड़ में तीन आतंकवादियों (उधम सिंह के पुत्र प्रीतम सिंह) की मौत हो गई। पंजाबी दैनिक समाचार पत्र जगबानी ने 1 अप्रैल 1993 को प्रकाशित खबर में बताया कि पिछली रात मत्तेवाल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत तानेक (दांडेल) गांव के पास सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में तीन आतंकवादी मारे गए। इनमें से दो की पहचान प्रीतम सिंह (उधम सिंह के पुत्र) और सुरजीत सिंह (दलीप सिंह के पुत्र) के रूप में हुई, दोनों कोटली धोले शाह के निवासी थे। पुलिस ने मुठभेड़ स्थल से एक दोधारी बंदूक, एक 12 बोर की पिस्तौल, तीन घड़ियां, दो राइफलें और बिजली की मोटरें बरामद कीं। पुलिस के अनुसार, तीनों ही लुटेरे थे। ये अज्ञात शव संभवतः सुरजीत सिंह, प्रीतम सिंह और मुख्तियार सिंह के हैं। बलविंदर सिंह का शव पहले से ही आंशिक रूप से पहचाने गए शवों की सूची में शामिल है।
पुलिस ने शवों को उनके परिजनों को नहीं सौंपा। पढ़ने के बाद
समाचार रिपोर्ट के अनुसार, जब परिवार के सदस्यों और अन्य ग्रामीणों ने काठू नांगल पुलिस स्टेशन में पूछताछ की, तो पुलिस ने कहा कि उन्होंने उन्हें पहले ही रिहा कर दिया था।
94. क्रमांक 399/619 के अंतर्गत, सूची में 22 जनवरी 1992 को इंस्पेक्टर गुरदेव सिंह, सीआईए तरन तारन, सरहल्ली पुलिस स्टेशन द्वारा एफआईआर संख्या 9/92 के तहत किए गए एक शवदाह का उल्लेख है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट संख्या पीएस-03/92 है। मृत्यु का कारण "आग्नेयास्त्र से लगी चोटें" बताया गया है। सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (577)

समिति के घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01231 में निम्नलिखित जानकारी दी गई है।
इस मामले से संबंधित जानकारी। मुख्य सूचनादाता पीड़िता की पत्नी जागीर कौर हैं।
स्वर्गीय हरनाम सिंह और स्वर्गीय फिनो के पुत्र, चालीस वर्षीय गुलजार सिंह एक
गुलजार सिंह अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल के तरन तारन शहर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले मज़हबियां दी पट्टी के रताउल गांव के निवासी थे। उनकी पत्नी का नाम जागीर कौर था और उनके दो बेटे और एक बेटी थी। गुलजार सिंह द्वितीय सिख लाइट इन्फैंट्री में नायक थे। उनका किसी भी राजनीतिक या उग्रवादी गतिविधि से कोई संबंध नहीं था। हालांकि, उनके छोटे भाई दिलबाग सिंह को पुलिस ने उग्रवादियों से संबंध होने के संदेह में गिरफ्तार कर लिया था और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। हालांकि, गुलजार सिंह का दिलबाग सिंह की गतिविधियों से कोई संबंध नहीं था। दोनों भाई विवाहित थे और अलग-अलग रहते थे।
अप्रैल 1991 में, जब गुलजार सिंह छुट्टी पर घर पर थे, पुलिस और
सुरक्षा बलों ने गांव को घेर लिया। पुलिस को शक था कि कुछ आतंकवादी गांव के अंदर छिपे हुए हैं। उन्होंने घर-घर तलाशी ली, जिसमें गुलजार के भाई दिलबाग सिंह के घर की भी तलाशी ली गई, हालांकि वह वहां मौजूद नहीं थे। चूंकि

गुलजार सिंह उनके पड़ोसी थे, इसलिए पुलिस ने उनसे उनके भाई के बारे में पूछा। गुलजार सिंह ने जवाब दिया कि उन्हें उनके बारे में कुछ नहीं पता। यह सुनकर पुलिस ने गुलजार सिंह की पिटाई शुरू कर दी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ ले गई। उन्होंने गुलजार सिंह के घर में आग लगा दी, जिससे उनका सारा सामान जलकर राख हो गया। पुलिस ने गांव के सभी पुरुषों को एक जगह इकट्ठा किया। इसी बीच पुलिस ने गुलजार सिंह के भाई दिलबाग सिंह को भी खेतों से गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस की पिटाई से गुलजार सिंह के सिर पर गंभीर चोटें आईं।
पुलिस ने गुलजार सिंह को तरन तारन क्षेत्र में तैनात डोगरा रेजिमेंट के हवाले कर दिया। सेना की टुकड़ी ने गुलजार सिंह को प्राथमिक उपचार दिया और उन्हें जम्मू स्थित उनकी यूनिट में वापस भेज दिया। उनकी पत्नी और बच्चे भी उनके साथ जम्मू गए, जहां उन्हें एक क्वार्टर आवंटित किया गया। गुलजार सिंह ने अपने साथ हुए दुर्व्यवहार और पुलिस द्वारा सिर में पहुंचाई गई चोटों की शिकायत अपने कमांडिंग ऑफिसर से की। कमांडिंग ऑफिसर ने तरन तारन के एसएसपी को विरोध पत्र लिखा। जवाब में, एसएसपी तरन तारन ने लिखा कि उन्हें कुछ पुलिस अधिकारियों की हत्या के संबंध में गुलजार सिंह की तलाश है और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाए।
एक दिन एक सेना अधिकारी तीन-चार जवानों के साथ उनके क्वार्टर में आया और गुलज़ार सिंह को ले जाया गया। जब गुलज़ार सिंह एक महीने तक नहीं लौटे, तो उनकी पत्नी ने अधिकारी से मुलाकात की, लेकिन उन्हें कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। जागीर कौर ने दो महीने तक इंतजार किया और जब उनके पास पैसे खत्म हो गए, तो वह गांव लौट आईं। हालांकि, उन्हें किसी ने भी यह नहीं बताया कि सेना अधिकारियों ने गुलज़ार सिंह को तरन तारन पुलिस के हवाले कर दिया है। परिवार को इस घटना के काफी समय बाद इस बात का पता चला, जब सेना अधिकारियों ने उनके पत्रों के जवाब में लिखा कि गुलज़ार सिंह को तरन तारन के एसएसपी को सौंप दिया गया है। और तरन तारन के एसएसपी ने 23 जनवरी 1992 के एक पत्र द्वारा जम्मू में गुलज़ार सिंह की यूनिट (डोगरा रेजिमेंट) को सूचित किया कि गुलज़ार सिंह 22 जनवरी 1992 को सिविल अस्पताल में इलाज के लिए ले जाते समय उनकी हिरासत से भाग गए थे।
सेना अधिकारियों ने गुलजार सिंह के परिवार को उनकी सेवा के लाभ का भुगतान नहीं किया।
क्योंकि परिवार उनकी मृत्यु का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सका। इस मामले में न्याय पाने के लिए, उनके परिवार ने सेना मुख्यालय, भारत के राष्ट्रपति और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा 2 सिख लाइट इन्फैंट्री के सैन्य अधिकारियों को पत्र लिखे। किसी ने उनकी बात नहीं सुनी।
गुलज़ार की पत्नी अनपढ़ थी। वह इस मामले में कुछ हद तक कार्रवाई करने में सक्षम थी, जिसके परिणामस्वरूप 578 लोगों की राख में तब्दील हो गई।

सेना से सेवानिवृत्त हो चुके कुछ रिश्तेदारों की मदद से वह किसी तरह गुजारा कर रही थी और उसके पास मुकदमा चलाने के लिए पैसे नहीं थे। परिवार के अन्य सदस्य जो लापता हो गए हैं या पुलिस द्वारा मारे गए हैं, उनमें गुलजार सिंह के भाई दिलबाग सिंह (हरनाम सिंह के पुत्र), उनके भतीजे गुरमेज सिंह (दारा सिंह के पुत्र) और उनके भतीजे अंग्रेज सिंह (कुंदन सिंह के पुत्र) शामिल हैं।

95. क्रमांक 29/67 के अंतर्गत सूची में 29 दिसंबर 1988 को वाल्टोहा पुलिस स्टेशन के एसएचओ मोहिंदर सिंह द्वारा एफआईआर क्रमांक 163/88 के तहत किए गए अंतिम संस्कार का उल्लेख है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कोई क्रमांक नहीं है। मृत्यु का कारण "मुठभेड़" बताया गया है।
समिति की घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01246 से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है-
अंतिम संस्कार के बारे में मिली जानकारी के संबंध में, बगीचा सिंह के भतीजे गुरप्रताप सिंह इस मामले में मुख्य सूचनादाता हैं।
सुरता सिंह और सविंदर कौर के पुत्र, बाईस वर्षीय बगीचा सिंह,
पीड़ित की पहचान अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के कसों का किला निवासी 20 वर्षीय असल उतार के रूप में हुई है। वह अविवाहित था।
बगीचा सिंह के पिता एक गरीब जाट किसान थे, जिनके पांच बेटे थे, जिनमें से केवल पांच ही थे।
एकड़ जमीन। 1987 में, जब बगीचा सिंह छात्र थे, तब उनकी रुचि सिख उग्रवादी आंदोलन में हो गई। जब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पर छापा मारना शुरू किया, तो वे उग्रवादी भूमिगत आंदोलन में शामिल होने के लिए अपना घर छोड़कर भाग गए।
27 दिसंबर 1988 को बगीचा सिंह ने अपने एक साथी के साथ शरण ली थी।
यह घटना चीमा गांव में महल सिंह के फार्म हाउस पर घटी। उसी दिन शाम करीब 6 बजे, वाल्टोहा पुलिस ने महल सिंह के फार्म हाउस को घेर लिया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। चूंकि पुलिस ने महल सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए परिवार को संदेह है कि उसने अपने आगंतुकों के बारे में पुलिस को सूचना दी होगी। पुलिस ने बगीचा सिंह और उसके साथी से कुछ घंटों तक पूछताछ की और फिर सुबह तड़के एक फर्जी मुठभेड़ में उन्हें मार डाला। 29 और 30 दिसंबर को प्रकाशित समाचार पत्रों में खबर छपी कि मुठभेड़ में दो अज्ञात आतंकवादी मारे गए हैं। पुलिस ने परिवार को बिना बताए उनका अंतिम संस्कार कर दिया। दूसरे शव का क्या हुआ, यह स्पष्ट नहीं है।
गुरप्रताप सिंह के अनुसार, पुलिस ने परिवार को लगातार परेशान किया। कुछ समय तक, बगीचा सिंह के पिता और भाइयों को अवैध हिरासत में रखा गया और रिश्वत लेने के बाद ही उन्हें रिहा किया गया।
96. क्रमांक 240/188 के अंतर्गत दी गई सूची में 18 मार्च 1991 को ब्यास पुलिस द्वारा किए गए एक शवदाह का उल्लेख है। इसमें कोई एफआईआर संख्या या पोस्टमार्टम रिपोर्ट संख्या नहीं है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति की घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01254 से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है-
इस मामले के बारे में मिली जानकारी के अनुसार, मुख्य सूचनादाता पीड़ित सतनाम सिंह की विधवा रणधीर कौर हैं।
जगतर सिंह और बचन कौर के पुत्र सतनाम सिंह एक 30 वर्षीय किसान थे।
सतनाम अमृतसर जिले के मेहता पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले साधपुर गांव के रहने वाले हैं। हालांकि, वे अपनी मां के पैतृक गांव फत्तू भीला, बाबोवाल डाकघर, काठू नांगल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत रहते थे, क्योंकि उनके दादा-दादी की कोई पुत्री नहीं थी। बपतिस्मा प्राप्त सिख सतनाम का विवाह रणधीर कौर से हुआ था और उनके दो बेटियां और दो बेटे हैं। सबसे बड़ी बेटी कुलवंत कौर अब 24 वर्ष की हैं।

सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (579)

सबसे छोटी बेटी राजमिंदर कौर 18 साल की है।
1989 में, कुछ उग्रवादी आश्रय और भोजन के लिए सतनाम के फार्महाउस में आने लगे।
बाद में, पुलिस ने उनमें से कुछ को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने यातना देकर सतनाम का नाम बता दिया। जब पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा तो सतनाम पुलिस से बच निकला। उसके गाँव के कई निवासियों को इसी तरह के कारणों से गिरफ्तार कर यातना दी गई थी, और सतनाम वही अंजाम नहीं भुगतना चाहता था। आखिरकार, वह घर छोड़कर दिल्ली चला गया।
मार्च 1991 की शुरुआत में, मजीठा पुलिस ने सतनाम सिंह को बांग्ला से गिरफ्तार किया।
दिल्ली स्थित साहिब गुरुद्वारे से उन्हें लाकर पंजाब वापस लाया गया। उनसे मल्ल मंडी पूछताछ केंद्र और ब्यास पुलिस स्टेशन में पूछताछ की गई। परिवार के सदस्यों ने राज्य के उच्च अधिकारियों को टेलीग्राम भेजकर सतनाम की अवैध गिरफ्तारी और पूछताछ की जानकारी दी। बाद में उन्हें टीएडीए के तहत दर्ज मामलों के लिए अदालत में पेश किया गया।
19 मार्च 1991 को पंजाब के कई समाचार पत्रों ने एक बयान प्रकाशित किया। मजीठा पुलिस जिले के एसएसपी परमजीत सिंह गिल ने दावा किया है कि आतंकवादियों के एक समूह ने पुलिस के काफिले पर हमला किया, जो सतनाम सिंह और एक अन्य आतंकवादी को उनके हथियार बरामद करने के लिए साथियाला गांव ले जा रहा था। इस हमले के परिणामस्वरूप मुठभेड़ हुई जिसमें सतनाम सिंह शहीद हो गए। पुलिस ने परिवार को सूचित किए बिना शव को ठिकाने लगा दिया।
क्रमांक 560/314 और 561/315 के अंतर्गत दी गई सूची में 5 जनवरी 1993 को कठूनंगल पुलिस द्वारा एफआईआर संख्या 2/93 के तहत किए गए दो शवदाह का विवरण है। इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कोई क्रमांक नहीं है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति की घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01255 से निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं।
इस मामले में मुख्य मुखबिर अवतार सिंह की चचेरी बहन परमजीत कौर है। जोगिंदर सिंह और प्रीतम कौर के बीस वर्षीय पुत्र अवतार सिंह,
अमृतसर जिले के काठू नांगल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले गांव शहजादा में रहने वाले अवतार एक मजहबी सिख मजदूर थे, जो अमृतसर के भगातान वाली स्थित दाना मंडी में काम करते थे। वे अविवाहित थे। अवतार के पिता का निधन उनके बचपन में ही हो गया था। हालांकि उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली थी, लेकिन उन्हें कोई नौकरी नहीं मिली और अपने भाई के साथ आजीविका कमाने के लिए मजदूरी करनी पड़ी। उनका राजनीति से कोई संबंध नहीं था।
अक्टूबर 1992 में, काठू नंगल पुलिस ने अवतार को गिरफ्तार करने के लिए उसके गांव स्थित घर पर छापा मारा
सिंह। अवतार, जो उस समय अमृतसर में थे, पुलिस से डर गए और छापेमारी के बाद घर नहीं लौटे। 1 जनवरी 1993 की रात को, कथू नांगल पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त बल ने अमृतसर के दाना मंडी से अवतार को गिरफ्तार कर लिया। उनके चाचा सुरजीत सिंह समेत इलाके के कई साथी कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों ने उनकी गिरफ्तारी देखी। जब परिवार के सदस्य अवतार के बारे में पूछताछ करने

[illegible]
6 [illegible] 1993 [illegible]
[illegible] 580 [illegible]

99. [illegible] 534/854 [illegible] 25 [illegible] 1992 [illegible] 71/92 [illegible] KS-69/92 [illegible] CCDP/01269 [illegible]
Sarwan Singh, son of Gurmej Singh and Harbans Kaur, was a 25-year-old Mazhabi
[illegible] 1992 [illegible]
24 [illegible] 1992 [illegible]
26 [illegible] 230/855 [illegible]:

खालरा गांव के साजन सिंह के पुत्र सुरजीत सिंह का अंतिम संस्कार 25 सितंबर 1992 को भीखीविंड पुलिस द्वारा उसी एफआईआर संख्या 71/92 के तहत किया गया था।
क्रमांक 428/265 के अंतर्गत सूची में 24 जून 1993 को मेहता पुलिस द्वारा एफआईआर संख्या 69/92 के तहत किए गए एक शवदाह का उल्लेख है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट संख्या जीएम/341/92 के रूप में अंकित है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति की घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01288 और 01289 से निम्नलिखित बातें सामने आती हैं-
इस मामले के निम्नलिखित तथ्य हैं। मुख्य सूचनादाता पीड़ित का भाई कुलविंदर सिंह है।
मूला सिंह और गुरमेज कौर के पुत्र, छत्तीस वर्षीय हरजिंदर सिंह एक
सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन के प्रमुख नेता और अमृतसर जिले के बाबा बकाला उपमंडल के मेहता पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले खब्बे राजपूतन गांव के निवासी। उनका विवाह कुलविंदर कौर से हुआ था और उनकी छह महीने की बेटी मनसिमरनजीत कौर थी।
1982 में, अमृतसर के खालसा कॉलेज के अमृतधारी सिख छात्र हरजिंदर,
वह सिख छात्र संघ के सक्रिय सदस्य बन गए और जरनैल सिंह भिंडरांवाले, संघ के तत्कालीन अध्यक्ष अमरिक सिंह और महासचिव हरमिंदर सिंह संधू के साथ जुड़ने लगे। हरजिंदर उस समय गिरफ्तार थे जब...
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (581)

जून 1984 में सैन्य अभियान हुआ और उन्होंने कैदी के रूप में परीक्षा देकर अपनी एम.ए. की डिग्री पूरी की।
जून 1984 के बाद राज्य में हुए राजनीतिक घटनाक्रमों ने उनकी सहानुभूति को और बढ़ा दिया।
सिख उग्रवादी प्रतिरोध आंदोलन से जुड़ने के बाद, 1990 में उन्होंने "खालिस्तान नेशनल आर्मी" नामक एक सशस्त्र संगठन बनाकर भूमिगत जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। अगले दो वर्षों तक उनके परिवार को पुलिस उत्पीड़न, लंबे समय तक अवैध हिरासत और पूछताछ के दौरान यातनाओं का सामना करना पड़ा। जालंधर शहर के गोविंदगढ़ मोहल्ले में रहने वाले उनकी पत्नी के परिवार को भी नहीं बख्शा गया। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका कुलविंदर कौर को नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन हरजिंदर और उनकी पत्नी कुलविंदर कौर 1990 से जालंधर में एक किराए के मकान में गुमनाम रूप से रह रहे थे।
मार्च 1992 के आखिरी सप्ताह में, मेहता पुलिस स्टेशन के एसएचओ सुरजीत सिंह ने छापा मारा।
पुलिस ने हरजिंदर के गांव स्थित घर पर छापा मारा और उसके भाई कुलविंदर तथा उसके मामा जग्गा सिंह और गुरमुख सिंह को अवैध हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उन्हें प्रताड़ित करके जालंधर स्थित कुलविंदर कौर के माता-पिता के घर का पता बताने के लिए मजबूर किया और उसके पिता जागीर सिंह तथा उनकी बेटियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उन्हें प्रताड़ित किया और हरजिंदर सिंह का पता बताने के लिए भी मजबूर किया। 5 अप्रैल 1992 को, एसएसपी परमजीत सिंह गिल और मेहता पुलिस स्टेशन के एसएचओ सुरजीत सिंह के नेतृत्व में, पुलिस ने

आधी रात को छापा मारकर हरजिंदर सिंह और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया।
उनकी छह महीने की बेटी को कुलविंदर कौर की बहन को सौंप दिया गया।
हरजिंदर के पिता मूला सिंह और कई अन्य रिश्तेदार पहले से ही वहाँ मौजूद थे।
अवैध पुलिस हिरासत। इनमें से कुछ को अमृतसर के मॉल मंडी पूछताछ केंद्र में और अन्य को ब्यास पुलिस स्टेशन में हिरासत में लिया गया था।
मेहता पुलिस द्वारा रची गई एक फर्जी मुठभेड़ में हरजिंदर और उसकी पत्नी की मौत हो गई।
23 जून 1992। हालाँकि, सीबीआई की अज्ञात शवदाह की सूची, क्रमांक 428/265 के अंतर्गत, केवल 24 जून 1992 को मेहता पुलिस द्वारा एफआईआर संख्या 69/92 के तहत किए गए एक शवदाह को दर्शाती है।
पुलिस ने हरजिंदर के पिता, ससुर और अन्य रिश्तेदारों को रिहा कर दिया। हरजिंदर की गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद, कथित मुठभेड़ के तीन दिन बाद उसके भाई कुलविंदर को रिहा कर दिया गया। कुलविंदर सिंह की जान बचाने के लिए उसके माता-पिता को एसएचओ सुरजीत सिंह को भारी रकम चुकानी पड़ी।
क्रमांक 161/123, 162/124 और 163/125 के अंतर्गत दी गई सूची में 27 जुलाई 1990 को तीन शवदाह दर्ज हैं, जो मेहता पुलिस स्टेशन के एसएचओ मल्हार सिंह द्वारा एफआईआर क्रमांक 87/90 के तहत किए गए थे। इनमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कोई क्रमांक नहीं है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति की घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01294 से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है-
इन मामलों के बारे में जानकारी। इस मामले में मुख्य सूचनादाता हरजीत सिंह के पिता हरभजन सिंह हैं।
भोआ निवासी हरभजन सिंह के पुत्र चौबीस वर्षीय हरजीत सिंह।
अमृतसर जिले के बाबा बकाला उपमंडल के मत्तेवाल डाकघर के पास स्थित गांव में रहने वाला हरजीत एक निजी टैक्सी का मालिक था। उसका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी और उसे कभी गिरफ्तार या पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया था। हरजीत अविवाहित था।
26 जुलाई 1990 को, दो सशस्त्र आतंकवादियों ने हरजीत को उसके घर से अगवा कर लिया और
उन्हें अपनी कार में ले जाने के लिए मजबूर किया गया। आतंकवादियों के उसी समूह ने बाद में कश्मीर सिंह को अमृतसर शहर के पूर्वी मोहन नगर स्थित उनके आवास से अगवा कर लिया और फिर हरजीत को झब्बल की ओर गाड़ी चलाने के लिए मजबूर किया। सीआरपीएफ के एक गश्ती वाहन ने 582 लोगों को राख में तब्दील कर दिया।

अमृतसर के खजाना गेट पर एक कार में सवार आतंकवादियों ने हमला किया। हरजीत और कश्मीर सिंह दोनों मदद के लिए चिल्लाने लगे, जबकि आतंकवादी भागने की कोशिश कर रहे थे। सीआरपीएफ के गश्ती दल ने अपनी जीप पर लगी हल्की मशीन गन से फायरिंग शुरू कर दी और दोनों आतंकवादियों के साथ-साथ कश्मीर सिंह और हरजीत सिंह को भी मार गिराया। इस घटना को बड़ी संख्या में स्थानीय निवासियों ने देखा।
डीजीपी के. पी. एस. गिल ने एक प्रेस बयान जारी कर अपहृत व्यक्ति की गलत पहचान बताई।

समिति की घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01302 से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है-
इन मामलों के बारे में जानकारी। मुख्य सूचनादाता रणजीत सिंह के पिता धर्म सिंह हैं।
धर्म सिंह और हरबंस कौर के पुत्र 22 वर्षीय रणजीत सिंह थे।
अमृतसर जिले के राजा सांसी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले सवाज़पुर (हर्ष चीना) के निवासी, रणजीत सिंह अविवाहित थे और किसान थे। वे अमृतधारी सिख थे। 1982 में अकाली दल के नेतृत्व में हुए धर्म युद्ध मोर्चा के दौरान उन्होंने कई जत्थों के साथ गिरफ्तारी दी थी। जून 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर सेना के हमले के बाद, रणजीत सिंह, अन्य सिखों की तरह, गुस्से से उबल रहे थे। उन्होंने अपने मित्रों को इकट्ठा किया और एक जत्था बनाया।
5 जून 1984 को वे सभी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की ओर अग्रसर हुए।
हजारों लोगों के समूह पर सेना ने अमृतसर-अजनाला मार्ग पर स्थित हायर-कम्बो गांव में जत्थे पर गोलीबारी की। अनुमान के अनुसार, सेना ने 50 से 60 जत्थे सदस्यों को मार गिराया और कई अन्य को घायल कर दिया। रणजीत सिंह मृतकों में से एक थे। इसी गांव के चार अन्य लोग, पूरन सिंह, करनैल सिंह, जागीर सिंह और एक अज्ञात महिला भी इस घटना में मारे गए। मुख्यमंत्री सुरजीत एस. बरनाला की सरकार बनने के बाद, रणजीत सिंह के परिवार को मुआवजे के तौर पर 100,000 रुपये दिए गए। रणजीत सिंह का शव उनके परिवार को नहीं सौंपा गया। संभवतः सेना ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया था।
इस घटना को रणजीत के निवासियों सहित हजारों लोगों ने देखा।
सिंह के अपने ही गांव में यह घटना घटी। कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। घटना की खबर किसी भी अखबार में नहीं छपी और न ही कोई पुलिस अधिकारी परिवार के पास पहुंचा। बाद की घटनाओं में रंजीत के पांच रिश्तेदारों को पुलिस ने मार डाला।
122. क्रमांक 192/260 के अंतर्गत दी गई सूची में सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन के एसएचओ गुरमीत सिंह द्वारा 29 जनवरी 1992 को किए गए एक शवदाह का उल्लेख है। इसमें कोई एफआईआर संख्या नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट एसपीजी- एफएम/248/92 के रूप में अंकित है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति की घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01312 से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है-
मामले के बारे में मिली जानकारी के अनुसार, मुख्य सूचनादाता पीड़िता की मां दर्शन कौर हैं।
स्वर्गीय जागीर सिंह और दर्शन कौर के पुत्र, चौबीस वर्षीय गुरवेल सिंह, गुरवेल अमृतसर जिले के अजनाला उपमंडल में रामदास पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मोहन भंडारियां डाकघर के बोहरवाला गांव के निवासी एक अमृतधारी सिख थे। वे अपनी विधवा माता और भाई-बहनों के साथ रहते थे; उनके पिता का निधन तब हो गया था जब गुरवेल बहुत छोटे थे।
जब गुरवेल सिंह आठवीं कक्षा में पढ़ रहे थे, तब उनका दाहिना हाथ काट दिया गया था।
जब वह चारा पीसने वाली मशीन में फंस गया, तब उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और पाठी के रूप में काम करके जीविका कमाना शुरू कर दिया। वे गुरु ग्रंथ साहिब से गुरबानी का पाठ करते थे, जिसके लिए वे अक्सर शुल्क लेते थे।

उन्हें धार्मिक मामलों में गहरी रुचि थी और उस समय पंजाब में चल रहे उग्रवादी और राजनीतिक आंदोलन की ओर उनका झुकाव था।
1989-90 में, पुलिस ने गुरवेल सिंह को गिरफ्तार करने के प्रयास में उनके घर पर छापा मारा।
नतीजतन, गुरवेल सिंह घर से दूर रहने लगे और मौका मिलते ही छुपकर घर लौट आते थे। जब भी पुलिस को उनके आने-जाने की सूचना मिलती, वे उनके परिवार वालों को परेशान करते थे। पुलिस परिवार के सदस्यों, विशेषकर उनके भाई रावेल सिंह को, गिरफ्तार कर लेती थी। यह सिलसिला गुरवेल सिंह की 1992 में गिरफ्तारी तक जारी रहा।
25 जनवरी 1992 को अमृतसर शहर के बी डिवीजन की पुलिस ने गिरफ्तार किया गुरवेल सिंह, गुरुद्वारा शहीदान से बाहर आते हुए। गुरवेल सिंह के एक सहकर्मी, गुरवेल सिंह के 584 साथियों की राख में तब्दील हो गए।

सिंह ने उसी दिन अपने परिवार को घटना की सूचना दी। अगली सुबह, 26 जनवरी को, गुरवेल सिंह का परिवार और पंचायत अमृतसर के बी डिवीजन पुलिस स्टेशन गए। इनमें से कुछ लोग, विशेष रूप से एक पुलिसकर्मी, एक चाचा, एक ग्रामीण और गुरवेल के चचेरे भाई, पुलिस स्टेशन में गुरवेल सिंह से मिलने में कामयाब रहे। गुरवेल सिंह को प्रताड़ित किया गया था। परिवार और अन्य ग्रामीणों ने एसएचओ, चरण दास से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें बताया कि गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) के आसपास संदेह के आधार पर कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन गुरवेल सिंह को जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा।
परिवार को बताया गया कि गुरवेल सिंह को बीआर मॉडल अस्पताल में स्थानांतरित किया जा रहा है।
अमृतसर स्थित स्कूल पूछताछ केंद्र। पुलिस उसे परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में ले गई, जिनमें उसकी मां दर्शन कौर भी शामिल थीं, जिन्होंने अपने बेटे को पुलिस वाहन में बैठे देखा।
30 जनवरी 1992 को पंजाबी दैनिक अजीत ने खबर दी कि एक "बी" श्रेणी का आतंकवादी
भिंडरांवाला टाइगर्स फोर्स (संघ) से संबंधित गुरवेल सिंह उर्फ गल्ला नाम का एक युवक रणजीत एवेन्यू इलाके में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, जबकि उसका साथी फरार हो गया। इस रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने गुरवेल सिंह पर 20 हत्याओं और कई बम विस्फोटों और अपहरण के मामलों का आरोप लगाया है। एसपी (डिटेक्टिव) अर्पित शुक्ला के हवाले से बताया गया है कि मोटरसाइकिल पर सवार दो आतंकवादियों ने नाकाबंदी दल पर गोलीबारी की। जवाबी गोलीबारी में गुरवेल सिंह मारा गया। घटनास्थल से 30 बोर की पिस्तौल बरामद की गई है। यह खबर पढ़ने के बाद, परिवार ने आरोपी से कपड़े जैसे सबूतों की मांग की। पुलिस स्टेशन बी डिवीजन। पुलिस ने न तो परिवार को शव सौंपा और न ही अंतिम संस्कार की सूचना दी। पुलिस ने परिवार को बताया कि वे गुरवेल सिंह की अस्थियां अमृतसर के दुर्गियाना मंदिर स्थित श्मशान घाट से ले सकते हैं, जिसे परिवार ने स्वीकार कर लिया।
क्रमांक 246/373, 247/374 और 248/375 के अंतर्गत दी गई सूची में 4 अप्रैल 1993 को हुए तीन शवदाह का विवरण है। शवदाह करने वाले पुलिस स्टेशन या अधिकारी का कोई विवरण नहीं है। एफआईआर या पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कोई क्रमांक भी नहीं है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।

समिति की घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01319 से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है-
इस मामले में मुख्य सूचनादाता पीड़ित के पिता बलदेव सिंह हैं।
सत्ताईस वर्षीय अमरजीत सिंह उर्फ बिट्टा, बलदेव सिंह और किरपाल का पुत्र है।
अमरजीत कौर अमृतसर जिले के सदर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पट्टी हरदास के वेरका में दूध बेचने वाली एक महिला थीं। बलदेव सिंह, जो पूर्व सैनिक थे, सेना से सेवानिवृत्ति के बाद पंजाब रोडवेज में ड्राइवर के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने अपने बेटे के लिए भैंसें खरीदी थीं और अमरजीत सिंह भी दूसरों से दूध खरीदकर बेचते थे।
पंजाब में उग्रवाद के दौर में पुलिस ने गिरफ्तारियां कीं और उन्हें बेरहमी से प्रताड़ित किया।
अमरजीत सिंह को आतंकवादियों से संबंध होने के संदेह में कई बार हिरासत में लिया गया। यह सिलसिला तब तक जारी रहा जब तक अमरजीत ने घर छोड़ने का फैसला नहीं किया। अमरजीत सिंह के फरार होने के बाद, पुलिस ने उसके पिता और अन्य रिश्तेदारों को गैरकानूनी रूप से हिरासत में ले लिया। बलदेव सिंह को महीनों तक बंदी बनाकर रखा गया, अक्सर उन्हें प्रताड़ित किया जाता था और उनके बेटे के ठिकाने का खुलासा करने के लिए उन पर दबाव डाला जाता था। हालांकि, परिवार ने उन्हें बताया कि उनका अमरजीत से कोई संपर्क नहीं है। मार्च 1993 में बलदेव सिंह को गिरफ्तार कर बीआर मॉडल स्कूल में हिरासत में रखा गया था।
अमृतसर के पूछताछ केंद्र में, किरपाल कौर को गिरफ्तार कर वेरका पुलिस चौकी में हिरासत में रखा गया था। मार्च 1993 में, अमरजीत सिंह के एक साथी को, जो पहले
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (585)

आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के कारण, उसने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके एक साथी ने सूचना दी, जिसके आधार पर वेरका पुलिस चौकी के प्रभारी एएसआई दिलबाग सिंह ने 25 या 26 मार्च 1993 को होशियारपुर में अमरजीत सिंह को गिरफ्तार किया और उसे अमृतसर के पूछताछ केंद्र में ले आए। बलदेव सिंह पहले से ही वहां पुलिस हिरासत में था और अमरजीत सिंह को उसके पिता के साथ 2 अप्रैल 1993 को दोपहर 3 बजे तक वहीं हिरासत में रखा गया।

2 अप्रैल 1993 की दोपहर को, अमरजीत सिंह और

दो अन्य अज्ञात युवकों को पुलिस बी.आर. मॉडल स्कूल से ले गई और वेरका गांव के पास, होठियां गांव की ओर जाने वाले फुटपाथ पर एक फर्जी मुठभेड़ में उन्हें मार डाला। कई दिनों बाद, अमृतसर की सदर पुलिस ने बलदेव सिंह के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया।

3 अप्रैल 1993 को, पंजाब के समाचार पत्रों, जिनमें दैनिक जगबानी भी शामिल था, ने यह खबर प्रकाशित की:

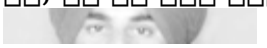

तीन आतंकवादियों की हत्या कर दी गई - जिनमें से एक की पहचान वेरका गांव निवासी अमरजीत सिंह बिट्टा के रूप में हुई। रिपोर्ट लिखे जाने तक अन्य सहयोगियों की पहचान नहीं हो पाई थी। दो अन्य आतंकवादी मुठभेड़ से भाग निकले। रिपोर्ट के अनुसार, अमरजीत सिंह खालिस्तान लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन का एरिया कमांडर था और 25 फरवरी 1993 को पंजाब एंड सिंध बैंक में हुई डकैती का मुख्य आरोपी था। वह गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन और मजीठा जिलों में हत्या और बम विस्फोट के 50 मामलों में वांछित था।

अखबार ने अमृतसर के एसपी (डिटेक्टिव) अर्पित शुक्ला के हवाले से यह भी बताया कि

पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि खालिस्तान लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन (केएलओ) के आतंकवादी वेरका और उसके आसपास के इलाके में सक्रिय हैं। सीआईए स्टाफ के प्रभारी चमन लाल और वेरका पुलिस स्टेशन के एसएचओ दिलबाग सिंह ने वेरका और होथियां गांवों के बीच कच्ची सड़क पर एक चेकपोस्ट स्थापित किया। सुबह 4 बजे, चेकपोस्ट दल ने एक वाहन में पांच संदिग्ध लोगों को देखा। रुकने का इशारा मिलने पर, लोगों ने मोर्चा संभाला और गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस दल ने भी जवाबी गोलीबारी की। यह गोलीबारी एक घंटे तक चली। आतंकवादियों द्वारा गोलीबारी बंद करने के बाद, पुलिस को तीन गोलियों से छलनी शव मिले। उन्हें एक एके-56 असॉल्ट राइफल, एक रॉकेट लॉन्चर, दो रॉकेट, 150 कारतूस, एक 303 बोर राइफल और केएलओ के लेटर पैड भी मिले।

पुलिस ने अमरजीत सिंह का शव परिवार को नहीं सौंपा और न ही उन्होंने कोई पूछताछ की।

परिवार के सदस्य अंतिम संस्कार में शामिल होंगे।

परिवार के सदस्यों के अनुसार, दोनों अज्ञात युवक
वे गुरदासपुर जिले के थे लेकिन उस समय वेरका में रह रहे थे। वे कारखानों में मजदूर थे। उनके नाम ज्ञात नहीं थे।
अमरजीत सिंह की माता हरजिंदर कौर का 1997 में निधन हो गया। वह बीमार थीं और बिस्तर पर थीं।
अपने बेटे की मृत्यु के बाद से ही वह घुड़सवारी कर रही है।
126. क्रमांक 425/264 के अंतर्गत दी गई सूची में 21 जून 1992 को कठूनंगल पुलिस द्वारा किए गए एक शवदाह का उल्लेख है। इसमें कोई एफआईआर संख्या नहीं

है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट संख्या आरकेजी/एफएम/70/92 दी गई है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
सीसीडीपी की घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या सीसीडीपी/01324 में 586 राख में परिवर्तित होने की घटना के संबंध में निम्नलिखित तथ्य सामने आए हैं।

इस मामले में मुख्य सूचनादाता पीड़ित के पिता नजर सिंह दोधी हैं।
नजर सिंह और सविंदर के सबसे छोटे बेटे, अठारह वर्षीय रचपाल सिंह।
कौर, अमृतसर उपमंडल और जिले के मजीठा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले सोहियान खुर्द गांव के निवासी एक किसान थे। उन्होंने आठवीं कक्षा तक पढ़ाई की थी। वे अमृतधारी सिख थे।
रचपाल सिंह को राजनीतिक और उग्रवादी आंदोलन में गहरी रुचि थी और
1987 से ही इन युवकों के साथ उसके संबंध थे। जब पुलिस को उसकी गतिविधियों की जानकारी मिली, तो उन्होंने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। हालांकि, लगभग दो साल बाद उसे इन मामलों में बरी कर रिहा कर दिया गया। उसका चचेरा भाई जसपाल सिंह, कुंदन सिंह का पुत्र, भी गिरफ्तार हुआ था और रच्छपाल के साथ ही उसे भी रिहा कर दिया गया था।
कुछ समय बाद रचपाल और जसपाल दोनों के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया। दोनों को जेल भेज दिया गया। एक साल बाद रचपाल जमानत पर रिहा हो गया। जमानत पर रिहा होने के बाद भी पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पर छापा मारती रहती थी। इसलिए रचपाल घर छोड़कर चला गया। नतीजतन, पुलिस ने उसके परिवार को परेशान किया, जबकि उसके परिजनों को रचपाल की गतिविधियों के बारे में कुछ भी पता नहीं था।
मई 1992 के पहले सप्ताह में, शेर सिंह के पुत्र सतनाम सिंह, जो एक मज़हबी सिख थे, और
सोहियान खुर्द का ही रहने वाला एक और लड़का, गेहूं की फसल काटने में मदद करने के लिए अपने परिवार से मिलने आया था, तभी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। परिवार के सदस्यों के अनुसार, रचपाल और दो अन्य युवकों को जम्मू में मजीठा पुलिस ने गिरफ्तार किया था और सतनाम सिंह की सूचना पर उन्हें वापस लाया गया था।
मई 1992 में, एक समाचार पत्र ने खबर दी कि पंजाब के सात आतंकवादियों को पकड़ लिया गया था।
जम्मू में सीमा के पास से उन्हें गिरफ्तार किया गया था। परिवार को तब पता नहीं था कि गिरफ्तार किए गए लोगों में रचपाल भी शामिल था। सात में से तीन को मजीठा पुलिस वापस ले आई, जबकि अन्य चार को जम्मू पुलिस ने जम्मू जेल भेज दिया, क्योंकि उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे। रचपाल के परिवार का कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि पंजाब पुलिस द्वारा वापस लाए जाने से पहले जम्मू पुलिस ने रचपाल और अन्य दो युवकों के खिलाफ मामले दर्ज किए थे या नहीं।
परिवार की जानकारी के अनुसार, चरणजीत सिंह चन्ना नाम का एक युवक
कल्ला गांव के निवासी रचपाल सिंह को जम्मू से गिरफ्तार कर वापस लाया गया और बाद में सतनाम सिंह के साथ मुठभेड़ में मार दिया गया। मजीठा पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार रचपाल सिंह 21 जून 1992 को मुठभेड़ में मारा गया था। रचपाल के परिवार को मुठभेड़ की जानकारी एक अखबार से मिली, लेकिन उन्हें याद नहीं है कि मुठभेड़ कहाँ हुई थी। उन्हें यह भी याद नहीं है कि क्या उसी मुठभेड़ में कोई और भी मारा गया था।

On 2 December 1992, Sewadar Sajjan Singh and driver Prakash Singh, resident of
[illegible]
[illegible]
[illegible]

पूरी कर ली थी और पंजाब सशस्त्र पुलिस में कांस्टेबल के रूप में काम करता था। दिलबाग साफ दाढ़ी वाला एक नौजवान था, जिसका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी। उसे कभी भी संदेह के आधार पर गिरफ्तार नहीं किया गया था। उग्रवादियों से संबंध होने का आरोप। पंजाब सशस्त्र बल के साथ दो साल काम करने के बाद

पुलिस अधिकारियों पर हिंसक हमले करने वाले आतंकवादियों के डर से दिलबाग ने पुलिस की नौकरी छोड़ दी और घर लौट आए। उनके परिवार ने उन्हें पुलिस में दोबारा शामिल होने की सलाह दी और दिलबाग मान गए। हालांकि, पंजाब सशस्त्र पुलिस ने उन्हें बहाल नहीं किया और दिलबाग ने बहाली के लिए जालंधर अदालत में मुकदमा दायर किया।

15 मार्च 1993 को दिलबाग और उनकी पत्नी चले गए थे।

ब्यास नदी के पास स्थित बुद्धा थेह गांव में अपने ससुराल वालों से मिलने के लिए। 16 मार्च 1993 को जब वह अदालत में अपने मामले की सुनवाई में शामिल होने के लिए वहां से निकल रहे थे, तभी ब्यास नदी के किनारे

दिलबाग सिंह पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसे गैरकानूनी रूप से हिरासत में रखने के बाद

दो दिन बाद ब्यास पुलिस ने दिलबाग को गोली मारकर हत्या कर दी।

सतनाम सिंह पुत्र मोहिंदर सिंह, निवासी जल्लुपुर खेड़ा नामक एक अन्य युवक के साथ फर्जी मुठभेड़ में।

17 मार्च को उनके परिवार को उनकी गिरफ्तारी के बारे में पता चला, लेकिन वे यह पता नहीं लगा सके कि किस व्यक्ति ने उन्हें गिरफ्तार किया है।

पुलिस अधिकारी ने उसे गिरफ्तार किया था। पूछताछ करने पर ब्यास पुलिस स्टेशन के एसएचओ ने बताया कि दिलबाग उनकी हिरासत में नहीं है। परिवार ने खलचियां पुलिस स्टेशन में भी पूछताछ की, लेकिन दिलबाग के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई।

20 मार्च 1993 को ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया कि केसीएफ-पंजवार के एक एरिया कमांडर,

19 मार्च की देर रात मजीठा पुलिस जिले के टोंग गांव के पास हुई मुठभेड़ में मोहिंदर सिंह के पुत्र सतनाम सिंह (सत्ता) और उसके एक अज्ञात साथी को मार गिराया गया। ये दोनों गांव जल्लूपुर खेड़ा के निवासी थे। पुलिस ने बताया कि सत्ता कई हत्याओं के लिए जिम्मेदार था। मुठभेड़ स्थल से पुलिस ने कथित तौर पर दो एके-47 राइफलें, एक माउजर, दो एचई-36 हथगोले और आतंकवादी संगठन के आठ लेटर पैड बरामद किए।

दिलबाग सिंह की मां सुरजीत कौर इस घटना के सदमे से गंभीर रूप से बीमार हो गईं।

उनके बेटे की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु 1998 में मस्तिष्क रक्तस्राव के कारण हुई।
सीबीआई द्वारा चिन्हित शवदाहों की सूची में सतनाम सिंह के शवदाह का नाम भी शामिल है।
क्रमांक 586/164 के तहत, उसी तारीख को और उसी एफआईआर संख्या 12/93 के तहत। उनका सारांश वहां संबंधित अनुभाग में चर्चा किया गया है।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (589)

130. क्रमांक 300/471 के अंतर्गत, सूची में झब्बल पुलिस स्टेशन के सुबा सिंह द्वारा 19 जुलाई 1991 को किए गए एक दाह संस्कार का उल्लेख है। इसमें कोई एफआईआर संख्या नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट संख्या जीएसडी-31/91 है। मृत्यु का कारण "गोलीबारी से लगी चोटें" बताया गया है।
समिति की घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01400 से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है-
इस मामले में मुख्य सूचनादाता पीड़ित का चचेरा भाई बलविंदर सिंह है। गुरदीप सिंह और अमर कौर के पुत्र चौबीस वर्षीय सरबजीत सिंह थे।
अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल के झब्बल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले पंजवार कलां गांव का एक युवा किसान, सरबजीत, अमृतधारी सिख था और अविवाहित था। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद, सरबजीत अपने पिता के कृषि कार्यों में मदद करने लगा। उसने पाठी (शास्त्रों का पाठ करने वाला) का प्रशिक्षण भी लिया था और सिख धर्म के प्रमुख ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ से संबंधित धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेता था। उसकी धार्मिकता को देखते हुए पुलिस को उसके राजनीतिक विचारों पर संदेह हुआ और 1991 में उसे यातना देकर पूछताछ के लिए गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। हिरासत में होने वाले अत्याचारों को सहन न कर पाने के कारण, सरबजीत पुलिस से बचने लगा और घर से दूर रहने लगा। इसके बाद तरन तारन पुलिस ने उसके परिवार वालों को परेशान करना शुरू कर दिया।
19 जुलाई 1991 को सुबह लगभग 3 बजे, तरन तारन के एसएसपी के नेतृत्व में एक बड़ी पुलिस टुकड़ी ने छापा मारा।
पुलिस ने गांव को घेर लिया और तलाशी अभियान शुरू किया। गांव के सभी पुरुषों को एक खुले स्थान पर इकट्ठा होकर अपनी पहचान बताने का आदेश दिया गया। सरबजीत वहां नहीं मिला। पुलिस ने घर-घर तलाशी शुरू की और सरबजीत को मस्सा सिंह के घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते हुए पाया। सरबजीत को

घसीटकर गांव के औषधालय भवन में ले जाया गया और वहां उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। सुबह 4 बजे पुलिस सरबजीत को हिरासत में लेकर गांव से रवाना हो गई। कुछ घंटों बाद, सरबजीत के भाई अवतार सिंह और उनके चचेरे भाई बलविंदर सिंह हम झब्बल पुलिस स्टेशन गए। सरबजीत कपड़े से ढका हुआ बरामदे में पड़ा था और उसकी हालत बेहद गंभीर लग रही थी। अवतार सिंह और बलविंदर सिंह एसएचओ सुबा सिंह से नहीं मिल पाए क्योंकि वे पुलिस स्टेशन में मौजूद नहीं थे। अगली सुबह, एसएचओ सुबा सिंह ने उन्हें बताया कि सरबजीत को आगे की पूछताछ के लिए तरन तारन स्थित सीआईए कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। यह झूठ था। सरबजीत की हत्या हो चुकी थी और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। 20 जुलाई 1991 को, दो पंजाबी अखबारों, अजीत और जगबानी ने जगतपुर गांव के पास एक मुठभेड़ में एक अज्ञात आतंकवादी के मारे जाने की खबर छापी। तीन दिन बाद जब परिवार के सदस्य उनसे मिलने में कामयाब हुए, तो तरन तारन स्थित सीआईए कार्यालय के इंस्पेक्टर मेजर सिंह ने इसकी पुष्टि की। मेजर सिंह ने उन्हें तरन तारन के श्मशान घाट से सरबजीत की अस्थियां लाने के लिए भी कहा। बलविंदर सिंह के अनुसार, वे कोई कानूनी कार्रवाई करने में असमर्थ थे क्योंकि
पुलिस के आतंक का।
क्रमांक 131 – 132. सूची में क्रमांक 305/478 और 396/479 के अंतर्गत झब्बल पुलिस स्टेशन के सुबा सिंह द्वारा एफआईआर क्रमांक 104/91 के तहत 30 जुलाई 1991 को किए गए दो शवदाह का विवरण है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्रमांक एमएसजे-42/91 और एमएसजे-43/91 हैं। मृत्यु का कारण "गोलीबारी से लगी चोटें" बताया गया है।
समिति की घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01402 से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है-
इस मामले की मुख्य सूचना पीड़िता की विधवा शांति ने दी है।
उत्तर प्रदेश से आए प्रवासी हिंदू कृषि मजदूर, 45 वर्षीय जीत, 590 राख में तब्दील हो गए।

वह कई वर्षों से अमृतसर के तरन तारन उपमंडल के झब्बल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत, मज़हबियां दी थाठी, पंजवार डाकघर के पंजवार गांव में रह रहे थे।
उनका विवाह शांति से हुआ था और उनकी एक बेटी जसबीर है, जिसकी उम्र अब 21 वर्ष है।
1987 में, जीत को परिवार के कृषि फार्म में नौकरी मिल गई।
परमजीत सिंह पंजवार एक कुख्यात उग्रवादी था। पुलिस नियमित रूप से परमजीत के घर पर छापा मारती थी। लेकिन जीत का इस मामले से कोई संबंध नहीं था और उसे परेशान नहीं किया गया।
जुलाई 1991 के तीसरे सप्ताह में एक दिन, एसएचओ सुबा सिंह के नेतृत्व में झब्बल पुलिस ने कार्रवाई की।
जीत के घर पर छापा मारा गया और उसकी पत्नी और बेटी की मौजूदगी में उसे हिरासत में ले लिया गया। अगले दिन, पुलिस जीत को परमजीत सिंह के पंजवार के घर ले गई और उसकी मौजूदगी में घर की पूरी तलाशी ली। शांति के अनुसार, भोजियां गांव में एक फर्जी मुठभेड़ में उसके पति को उसी गांव के एक अन्य लड़के के साथ मार दिया गया, जो एक संसी सिख परिवार से था। अगले दिन कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित एक रिपोर्ट में उन दोनों को अज्ञात आतंकवादी बताया गया। पुलिस ने शांति को बिना बताए ही अंतिम संस्कार कर दिया,

क्योंकि गांव में उसका कोई अन्य रिश्तेदार नहीं था और वह अपने पति को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकी।
क्रमांक 133 – 134. सूची में क्रमांक 294/465 और 295/466 के अंतर्गत 16 जुलाई 1991 को दो शवदाह दर्ज हैं। ये शवदाह तरन तारन के सदर पुलिस स्टेशन के एसएचओ मेजर सिंह द्वारा किए गए थे, जिनका उल्लेख एफआईआर क्रमांक 94/91 में किया गया है। दोनों शवदाह रिपोर्टों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट संख्या 16.7.91 है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
सीसीडीपी की घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या सीसीडीपी/01431 से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है-
इस मामले के बारे में जानकारी देने वाली मुख्य व्यक्ति पीड़िता की मां चरण कौर हैं।
दलीप सिंह और चरण कौर के सोलह वर्षीय पुत्र सरबजीत सिंह वहीं के निवासी थे।
अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल के सदर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले लालपुरा गांव के रहने वाले सरबजीत के पिता का निधन बचपन में ही हो गया था और उन्हें अपने बड़े भाई को पारिवारिक खेत संभालने में मदद करने के लिए स्कूल छोड़ना पड़ा था। सरबजीत का पंजाब के उग्रवादी आंदोलन से कोई संबंध नहीं था। पुलिस ने उन्हें कभी गिरफ्तार भी नहीं किया था।
11 जुलाई 1991 को सरबजीत और उनके दोस्त मोहिंदर के बेटे गुरदयाल सिंह मिंटू
उसी गांव के निवासी सिंह, तरन तारन के गुरुद्वारे में प्रार्थना करने गए थे, लेकिन घर नहीं लौटे। तरन तारन पुलिस ने गांव के कई अन्य युवकों को नियमित पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया था और उन्होंने सरबजीत और गुरदयाल को तरन तारन पुलिस स्टेशन में देखा था। उनके अनुसार, पुलिस गुरदयाल के चचेरे भाई गुरभेज सिंह के बारे में उनसे पूछताछ कर रही थी, जिस पर आतंकवादी होने का संदेह था। हालांकि, जब ग्राम परिषद के सदस्यों ने एसएचओ से मिलकर लड़कों को रिहा करने का अनुरोध किया, तो उन्होंने दोनों की गिरफ्तारी से इनकार कर दिया।
सरबजीत और गुरदयाल को अज्ञात आतंकवादी घोषित किया गया था जो मारे गए थे। 15 जुलाई 1991 को तरन तारन पुलिस द्वारा रची गई एक मुठभेड़। परिवार को अंतिम संस्कार के बारे में सूचित नहीं किया गया था। हालांकि, पुलिस ने उनकी अस्थियां परिवार के सदस्यों को सौंप दीं।
135. क्रमांक 288/458 के अंतर्गत सूची में 14 जुलाई 1991 को गोइंदवाल पुलिस स्टेशन के एएसआई राज कुमार द्वारा एफआईआर क्रमांक 32/91 के तहत किए गए एक शवदाह का उल्लेख है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्रमांक जीएसडी-28/91 है। मृत्यु का कारण "गोलीबारी से लगी चोटें" बताया गया है।
समिति की घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01432 से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है-
इस मामले में मुख्य सूचनादाता पीड़ित का पिता मोहिंदर सिंह है।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (591)

मोहिंदर सिंह और जोगिंदर कौर के पुत्र, पैंतीस वर्षीय हरभजन सिंह,
अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल के सदर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत लालपुरा गांव का रहने वाला सरबजीत, 1991 में अकाल तख्त के प्रमुख जत्थेदार प्रोफेसर दर्शन सिंह रागी का ड्राइवर था। वह औपचारिक रूप से एसजीपीसी

(SGPC) द्वारा नियोजित था। सरबजीत का विवाह सतवंत कौर से हुआ था और उनके एक पुत्री और एक पुत्री, मनदीप कौर और मनजीत सिंह हैं, जिनकी आयु अब क्रमशः 15 और 13 वर्ष है। मोहिंदर सिंह के अनुसार, हरभजन का आतंकवादियों से कोई संबंध नहीं था।
जुलाई 1991 में, प्रोफेसर दर्शन सिंह विदेश दौरे पर थे और हरभजन भी वहीं थे।
वह अपेक्षाकृत काम से मुक्त थे। वह अपनी हाजिरी लगाने के लिए स्वर्ण मंदिर परिसर में स्थित एसजीपीसी के कार्यालय में जाते थे और यदि उनके लिए कोई काम नहीं होता था तो घर लौट जाते थे।
13 जुलाई 1991 को, शाम लगभग 7 बजे, हरभजन गाँव वेन पुइन की ओर जा रहा था। यह घटना वेन पुइन गांव के हीरा सिंह की एम्बेसडर कार से हुई, जिसे उन्होंने एक दिन पहले उनसे उधार लिया था। जैसे ही वे मुख्य सड़क से मुड़कर गांव में दाखिल हुए, चेकपोस्ट पर तैनात कुछ सीआरपीएफ जवानों ने संभवतः उन्हें आतंकवादी समझकर उनकी कार पर गोली चला दी। एक गोली हरभजन के सिर में लगी और कार को ब्रेक लगाकर रोकने की कोशिश में वे स्टीयरिंग व्हील पर गिर पड़े। उनकी मौत हो गई। सीआरपीएफ जवान लगातार कार पर गोली चलाते रहे, लेकिन उनकी कार का हॉर्न कुछ देर तक बजता रहा।
हरभजन के पास एसजीपीसी द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र और साथ ही उनका निजी सामान भी था।
ड्राइविंग लाइसेंस। हालांकि, सीआरपीएफ ने उसे अज्ञात आतंकवादी घोषित कर दिया और त्वरित पोस्टमार्टम के बाद, परिवार को सूचित किए बिना 14 जुलाई 1991 को गोइंदवाल पुलिस द्वारा उसका अंतिम संस्कार करवा दिया। कई समाचार पत्रों ने 15 जुलाई 1991 को पुलिस द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के आधार पर, 14 जुलाई 1991 की शाम को वेइन पुइन गांव के पास एक अज्ञात आतंकवादी के मारे जाने की खबर प्रकाशित की।
हरभजन के परिवार को उनकी हत्या के बारे में 15 जुलाई 1991 को एक सदस्य से पता चला।
एसजीपीसी के एक सदस्य से संपर्क करने के बाद वे इसकी पुष्टि करने के लिए वेइन पुइन गांव और गोइंदवाल पुलिस स्टेशन गए। इसके बाद वे तरन तारन स्थित श्मशान घाट गए, जहां एक कर्मचारी ने उन्हें वह चिता दिखाई जिस पर गोइंदवाल पुलिस ने हरभजन का अंतिम संस्कार किया था। राख में, हरभजन के पिता मोहिंदर सिंह को हरभजन की लोहे की चूड़ी मिली, जिसे वह अपने दाहिने हाथ की कलाई पर पहना करता था।
136 – 137. क्रमांक 422/652 और 423/653 के अंतर्गत, सूची में 10 अप्रैल 1992 को तरन तारन के सदर पुलिस स्टेशन के एसएचओ बलकार सिंह द्वारा एफआईआर क्रमांक 26/92 के तहत किए गए दो शवदाह का विवरण है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्रमांक पीएस-10/92 और पीएस-11/92 हैं। मृत्यु का कारण "गोलीबारी से लगी चोटें" बताया गया है।
समिति के घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01434 में निम्नलिखित जानकारी दी गई है-
इन मामलों के बारे में जानकारी देने वाला मुख्य व्यक्ति पीड़ित का भाई हरजिंदर सिंह है।
बलविंदर सिंह उर्फ बिंदर स्वर्गीय बग्गा सिंह और स्वर्गीय स्वर्ण कौर के पुत्र थे

[illegible]
On 10 April 1992, Balwinder Singh, militant Harbhej Singh, son of Joginder Singh,
[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
28 [illegible] 1991 [illegible],
[illegible]
[illegible] 1 [illegible]
[illegible] "[illegible]" [illegible]
142. [illegible] 426/661 [illegible] 20 [illegible] 1992 [illegible] 41/92 [illegible]
[illegible] CCDP/01450 [illegible]
[illegible]: 594 [illegible]

[illegible]
Sixteen-year-old Ranga Singh, son of Joginder Kaur and Sant Kaur, was a resi-
[illegible] 10 [illegible] (UNDP) [illegible]

आतंकवादियों से कोई संबंध नहीं था और इस घटना से पहले उसे कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था।
13 अप्रैल 1992 को, रंगा अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए तरन तारन स्थित मंदिर गए थे।
गुरु ग्रंथ साहिब के पाठक के रूप में, और 293 वर्ष पहले 1699 में गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा सिख संप्रदाय की स्थापना के उपलक्ष्य में आयोजित समारोहों में भाग लेने के लिए। यह सिख धार्मिक पंचांग में एक महत्वपूर्ण दिन था।
जब रंगा ने दोपहर करीब 12 बजे अपना गायन समाप्त किया, तो सादे कपड़ों में कुछ पुलिसकर्मी वहाँ पहुँचे।
उसे पकड़कर दरगाह के बाहर ले जाया गया, जहाँ तरन तारन शहर पुलिस स्टेशन के एसएचओ गुरबचन सिंह मनोचाहल बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों के साथ इंतजार कर रहे थे। रंगा को पुलिस वाहन में धकेल कर ले जाया गया। दरगाह पर ड्यूटी पर तैनात उसके चाचा मोहिंदर सिंह ने रंगा की गिरफ्तारी देखी।
बाद में शाम को, रंगा के परिवार के सदस्यों के साथ-साथ कई अन्य सदस्य भी मौजूद थे।
ग्राम परिषद के सदस्यों ने एसएचओ से मुलाकात की, जिन्होंने पूछताछ के कुछ दिनों बाद लड़के को रिहा करने का वादा किया। परिवार के सदस्यों ने डीएसपी दिलबाग सिंह से भी मुलाकात की, जिन्होंने भी यही आश्वासन दिया। हालांकि, रंगा को रिहा नहीं किया गया और उसकी गिरफ्तारी के 10 दिन बाद जब परिवार के सदस्य, ग्राम के बुजुर्गों के साथ, फिर से डीएसपी से मिले, तो उन्होंने खुलासा किया कि लड़का पुलिस हिरासत से भाग गया है। स्थानीय स्तर पर प्रभावशाली कांग्रेस नेता गुरचेत सिंह भुल्लर ने तरन तारन के एसएसपी से बात की और परिवार को सूचित किया कि पुलिस ने रंगा को मार डाला है।
143. क्रमांक 461/744 के अंतर्गत सूची में 4 जुलाई 1992 को वाल्टोहा पुलिस स्टेशन के सुभा सिंह द्वारा एफआईआर क्रमांक 33/92 के तहत किए गए एक अंतिम संस्कार का उल्लेख है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्रमांक KS-28/92 है। मृत्यु का कारण "आग्नेयास्त्र से लगी चोटें" बताया गया है।
समिति की घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01455 और 01456 से पता चलता है कि
इस मामले से संबंधित जानकारी का अनुसरण किया जा रहा है। मुख्य सूचनादाता सुखवंत का बहनोई निर्मल सिंह है।
मोहन सिंह और दर्शन कौर के पुत्र सुखवंत सिंह की आयु 35 वर्ष थी।
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के कराना उपमंडल के जुझाना पुलिस स्टेशन के अंतर्गत अंब वाली डाकघर के पास स्थित रंगना फार्म के किसान। उनका विवाह जोगिंदर कौर से हुआ था और उनके दो बेटे जगजीत सिंह और बिक्रमजीत सिंह हैं, जिनकी उम्र अब क्रमशः 19 और 17 वर्ष है।
सुखवंत उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी थे और उनका कोई राजनीतिक या
पंजाब में उग्रवादी संगठनों से संबंध थे। हालांकि, उनके छोटे भाई कश्मीर सिंह को एक बार हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और बाद में वे जालंधर जिले के नकोदर उपमंडल के बघेला गांव में अपनी चाची के साथ रहने लगे थे। डीएसपी धर्म सिंह के नेतृत्व में जालंधर पुलिस ने जून 1987 के आखिरी सप्ताह में कश्मीर सिंह और उनके दोस्त राणा, जो शंकर साहीर गांव के निवासी थे, को रुरका गांव में बस में चढ़ते समय गिरफ्तार कर लिया। दोनों से पहले जालंधर स्थित सीआईए स्टाफ कार्यालय में पूछताछ की गई और फिर उन्हें

[illegible] от 32 [illegible] [illegible] от [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] от [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] от [illegible] от [illegible] (595)

[illegible] [illegible] от [illegible] [illegible] [illegible] от [illegible] от [illegible] [illegible] от [illegible] [illegible] [illegible] от 32 [illegible] [illegible] от [illegible] [illegible] [illegible] от [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] от [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] от [illegible] [illegible] [illegible] от [illegible] [illegible]
[illegible] 1992 от [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] от [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] от [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 28 [illegible] 1992 от [illegible] от [illegible] [illegible] [illegible] от [illegible] от [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] от [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] от [illegible] от, [illegible] [illegible] от [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] от [illegible] [illegible] от [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] от [illegible] [illegible] [illegible] от [illegible] от [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] от [illegible] [illegible] [illegible] от [illegible] [illegible] от [illegible]
[illegible] от [illegible] [illegible] от, [illegible] [illegible] [illegible] от [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] от [illegible] от [illegible], [illegible] [illegible] от [illegible] [illegible] [illegible] от [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] от [illegible] [illegible], [illegible] от [illegible] [illegible] от [illegible] от [illegible] от [illegible], [illegible] от, [illegible] [illegible] [illegible] от [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] от [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] от [illegible] от [illegible] от [illegible]
от [illegible] [illegible], от [illegible] [illegible] от 3 [illegible] 1992 от [illegible] [illegible] от [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] от [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] от от, [illegible] [illegible] от [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] от [illegible] [illegible] от от от [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] 198/740, 199/741, 200/742 от 201/743 от [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] от [illegible] 4 [illegible] 1992 от [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] от [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] от [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] от [illegible]: [1] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]; [2] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]; [3] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]; от [4] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] от [illegible], [illegible] от [illegible] [illegible] [illegible] от от [illegible] от [illegible] [illegible] от от [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] от [illegible] [illegible] от [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] от [illegible] от [illegible] [illegible] [illegible] от [illegible]
144. [illegible] 232/183 от [illegible] [illegible] [illegible] 28 [illegible] 1991 от [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] от [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] от от [illegible] от [illegible] от, [illegible] [illegible]

एफआईआर संख्या 59/91 में किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट संख्या 224 दिनांक 28.2.1991 है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है। समिति की घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01469 से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है-
इस मामले की मुख्य सूचना पीड़ित के पिता भजन सिंह ने दी है। Thiry-year-old Satnam Singh alias Satta, son of Bhajan Singh and Nasib Kaur,
सतनाम अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल के सदर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत नौरंगाबाद डाकघर वाले मालमोहारी गांव के निवासी एक छोटे किसान थे। वे अविवाहित थे। जून 1984 के बाद सतनाम सिख उग्रवादी संघर्ष के राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति सहानुभूति रखने लगे थे। पुलिस को उन पर संदेह हुआ और उन्होंने उनके घर पर छापा मारना, उन्हें गिरफ्तार करना और अवैध हिरासत में यातना देना शुरू कर दिया। उत्पीड़न के इस सिलसिले से तंग आकर सतनाम घर छोड़कर भूमिगत हो गए। इसके बाद पुलिस ने 596 राख में बदल दिया

उसने अपने परिवार के सदस्यों को प्रताड़ित किया, अपने माता-पिता और बहन को अगवा किया और जानकारी हासिल करने के लिए उन्हें अवैध हिरासत में रखकर यातनाएं दीं।
30 फरवरी 1991 को सतनाम के परिवार के सदस्यों ने दो पंजाबी भाषा में एक रिपोर्ट पढ़ी।
जगबानी और अजीत अखबारों में छपी खबरों में दावा किया गया कि पुलिस ने जंडियाला गुरु पुलिस स्टेशन के अंतर्गत राजवाल गांव के पास एक मुठभेड़ में सतनाम को मार डाला था। ये खबरें पढ़ने के बाद भजन सिंह जंडियाला गुरु पुलिस स्टेशन गए, जहां पुलिस ने उन्हें सतनाम के कपड़े दिखाए। भजन सिंह ने पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से भी बात की और पुष्टि की कि राजवाल में मारा गया व्यक्ति वास्तव में उनका बेटा ही था। इसके बाद वे राजवाल गांव गए, जहां के निवासियों ने बताया कि कैसे पुलिस 27 फरवरी 1991 को एक सिख युवक को हिरासत में लेकर मुठभेड़ का नाटक रचने गई थी।
भजन सिंह के अनुसार, पुलिस ने कुछ बागी आतंकवादियों का इस्तेमाल करके उन्हें पकड़ा था।
राजेवाल में फर्जी मुठभेड़ में उसकी हत्या करने से पहले उसने उससे पूछताछ की।
145 - 146. क्रमांक 554/904 और 555/905 के अंतर्गत दी गई सूची में 7 नवंबर 1992 को पट्टी पुलिस स्टेशन के एसआई सीता राम द्वारा एफआईआर क्रमांक 67/92 के तहत किए गए दो शवदाह का विवरण है। पहली प्रविष्टि के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्रमांक KS-96/92 दिया गया है। दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्रमांक नहीं दिया गया है। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति की घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01470 से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है-
इस मामले में मुख्य मुखबिर तरलोक का बड़ा भाई कुलवंत सिंह है।
तरलोक सिंह (24), जरनैल सिंह और हरभजन कौर का पुत्र, एक ऑटोमोबाइल व्यवसायी था।
तरलोक अमृतसर जिले के तरन तारन उपमंडल के झब्बल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत छप्पा गांव, बघियारी डाकघर के रहने वाले एक मैकेनिक थे। उनका विवाह हो

चुका था, लेकिन उनकी विधवा अब अपने माता-पिता के पास लौट चुकी हैं। तरलोक का पंजाब के उग्रवादी आंदोलन से कोई संबंध नहीं था। हालांकि, उनके चचेरे भाई तरलोचन सिंह, मंगल सिंह के पुत्र, सिख छात्र संघ के सदस्य थे। पुलिस द्वारा परेशान किए जाने पर तरलोचन घर छोड़कर भूमिगत आंदोलन में शामिल हो गए थे। इसके बाद पुलिस ने तरलोक सिंह समेत उनके परिवार के सभी सदस्यों को परेशान किया। तरलोक के पिता जरनैल सिंह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) के सदस्य थे।
1 नवंबर 1992 को, सबरा पुलिस चौकी के प्रभारी एएसआई दलबीर सिंह ने,
छपा गांव के मंगल सिंह के बेटे दीदार सिंह को गिरफ्तार किया गया। दीदार, तरलोचन सिंह का भाई था। जब उसके परिवार वाले दीदार का मामला दर्ज कराने झब्बल पुलिस स्टेशन गए, तो एसएचओ सिद्धू ने उसे अपनी हिरासत में होने से इनकार कर दिया।
सबरा पुलिस चौकी के पुलिस अधिकारियों के उसी समूह ने जरनैल सिंह के घर पर छापा मारा।
3 नवंबर 1992 की सुबह लगभग 7 बजे, जब तरलोक पहले से ही भिखीविंड में काम कर रहा था, तब पुलिस अधिकारी ने उसके घर पर छापा मारा। जरनैल सिंह को जबरदस्ती अपने साथ ले जाकर तरलोक को भिखीविंड चौक स्थित उसकी कार्यशाला के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया, जब वह अखबार पढ़ रहा था। पुलिस ने उसके पिता जरनैल सिंह को घर लौटने के लिए कहा।
जरनैल सिंह तुरंत भीखीविंड पुलिस स्टेशन गए, जहां उन्हें पता चला कि उन्होंने बताया कि उनका बेटा पट्टी पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए है। इसके बाद वे पट्टी पुलिस स्टेशन के एसएचओ सीता राम के पास गए, जिन्होंने कहा कि तरलोक उनकी हिरासत में नहीं है। जरनैल सिंह ने अमृतसर के जाने-माने सीपीआई नेता सतपाल सिंह डांग से संपर्क किया, जिन्होंने एसपी (ऑपरेशन) खूबी राम को फोन करके हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। एसपी खूबी राम ने डांग को तरलोक के परिवार को उनके पास भेजने के लिए कहा।
तरलोक के भाई कुलवंत सिंह ने ग्राम परिषद के सदस्यों के साथ मुलाकात की। एसपी खूबी राम ने 6 नवंबर 1992 को कहा कि उन्हें तरलोक से कोई आपत्ति नहीं है।
सीबीआई की सूचियों में शामिल अवैध दाह संस्कार के मामलों का सारांश (597)

और उन्हें अगले दिन उसे वापस ले जाने के लिए कहा गया। सलाह के अनुसार, तरलोक के परिवार वाले 7 नवंबर की सुबह एसपी खूबी राम के कार्यालय गए। लेकिन वे वहाँ नहीं थे। उसी शाम, जरनैल सिंह को पता चला कि पुलिस ने सभ्रा गाँव के पास एक मुठभेड़ का नाटक रचा था, जिसमें तरलोक सिंह, दीदार सिंह और हरभजन सिंह के पुत्र सुखचैन सिंह को मृत घोषित कर दिया गया था। दो पंजाबी समाचार पत्रों, अजीत और जगबानी ने 8 नवंबर 1992 को मुठभेड़ के बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें केवल सुखचैन सिंह और दीदार सिंह की पहचान की गई थी। तीसरे व्यक्ति, वास्तव में तरलोक सिंह को, एक अज्ञात आतंकवादी बताया गया था।
परिवार को उम्मीद थी कि उन्हें आश्वासन मिलने के बाद तारलोक की रिहाई हो जाएगी।
एसपी पूरी तरह टूट गए और उन्होंने दोबारा पुलिस अधिकारियों से संपर्क तक नहीं किया। पुलिस ने परिवारों को सूचित किए बिना ही शवों का अंतिम संस्कार कर दिया।

[illegible]
[illegible], [illegible] 67/92 [illegible] 7 [illegible] 1992 [illegible] 101/902 [illegible] 102/903 [illegible]
147. [illegible] 45/51 [illegible] 12 [illegible] 1988 [illegible] 47/55 [illegible] 4 [illegible] 1988 [illegible] CCDP/01514 [illegible]
[illegible] Twenty-six-year-old Jagdev Singh, son of Bakhshish Singh and Parkash Kaur,
[illegible] 1984 [illegible] 10 [illegible] 1988 [illegible] 598 [illegible]

परिवार को सूचित किए बिना शव को बरामद कर लिया गया।
जसबीर कौर के अनुसार, पुलिस ने 10 अप्रैल को गिरफ्तार किए गए रचपाल सिंह की हत्या कर दी।
1988 में, अपने पति के साथ, 3 मई 1988 को रची गई एक फर्जी मुठभेड़ में।
सीबीआई की सूची में क्रमांक 47/55 के तहत दर्ज है कि घरिंदा पुलिस द्वारा उन्हें एक अज्ञात आतंकवादी के रूप में जला दिया गया था।
क्रमांक 599/1020 और 600/1021 के अंतर्गत दी गई सूची में 28 अप्रैल 1993 को हुए दो शवदाह का उल्लेख है। ये शवदाह पट्टी पुलिस स्टेशन के एसएचओ गोविंदर सिंह द्वारा एफआईआर क्रमांक 28/93 के अंतर्गत किए गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के क्रमांक नहीं दिए गए हैं। मृत्यु का कारण "पुलिस मुठभेड़" बताया गया है।
समिति की घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या CCDP/01555 से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है-
इन मामलों के बारे में जानकारी जुटाने में बलविंदर सिंह का भाई शिंदर सिंह मुख्य मुखबिर है।
जीत सिंह और प्रीतम के बेटे, बीस वर्षीय बलविंदर सिंह उर्फ बिंदर।
कौर, अमृतसर जिले के पट्टी उपमंडल के वाल्टोहा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मानेके डाकघर वाले जांद गांव की निवासी एक मजहबी सिख थीं। पेशे से राजमिस्त्री, बलविंदर अविवाहित थे। उनके भाई शिंदर सिंह के अनुसार, उनका उग्रवादी आंदोलन से कोई संबंध नहीं था और फांसी से पहले उन्हें कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था। बलविंदर अपने गांव के एक प्रसिद्ध धार्मिक व्यक्ति बाबा रेशम सिंह के मार्गदर्शन में गुरुद्वारों के जीर्णोद्धार और निर्माण कार्य में स्वेच्छा से भाग लेते थे।
अप्रैल 1993 में, बलविंदर बाबा रेशम सिंह के साथ एक प्रसिद्ध इमारत के जीर्णोद्धार के लिए गए थे।
गुरदासपुर जिले के श्री हरगोबिंदपुर में गुरु हरगोविंद को समर्पित गुरुद्वारा। तरन तारन पुलिस और निहंग धार्मिक नेता अजीत सिंह फूला के नेतृत्व में पुलिस प्रतिष्ठान द्वारा प्रायोजित एक सतर्कता समूह के सदस्यों की संयुक्त बल ने बलविंदर को बाबा रेशम सिंह और उनके पांच साथियों के साथ अगवा कर लिया। उन सभी को एक सप्ताह तक कैरों पुलिस चौकी में रखा गया और पूछताछ के दौरान बेरहमी से प्रताड़ित किया गया। इसके बाद हरिके और पट्टी पुलिस द्वारा आयोजित दो अलग-अलग मुठभेड़ों में उन्हें मार डाला गया।
गुलजार सिंह, रेशम सिंह और सुखदेव का अंतिम संस्कार 28 अप्रैल 1993 को हुआ।
इन घटनाओं में मारे गए सिंह के शव सीबीआई की चिन्हित शवदाह सूची में क्रमांक 308/1015, 309/1018 और 310/1019 के अंतर्गत दर्ज हैं और इस रिपोर्ट के संबंधित अध्याय में इनका वर्णन किया गया है। बलविंदर सिंह और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति का शवदाह, जो परिवार की जानकारी के बिना किया गया था, सीबीआई की तीसरी सूची में क्रमांक 599/1020 और 600/1021 के अंतर्गत दर्ज है।
बलविंदर के पिता जीत सिंह इस घटना के सदमे को सहन नहीं कर पाए और
एक साल बाद दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई।

समाप्ति नोट

599

प्रतिबिंब और
सिफारिशों

मिशेल फूको ने अपनी रचना 'जेल का जन्म' में एक शक्तिशाली व्यक्ति के सार्वजनिक रूप से फांसी दिए जाने का वर्णन किया है।
1757 में पेरिस में राष्ट्रीय शासक। अदालत के फैसले के बाद फांसी दी गई। ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि उसे फांसी के तख्ते पर ले जाना पड़ा जहाँ "उसके शरीर को चीर दिया जाएगा"।
उसकी छाती, बांहों, जांघों और पिंडलियों को लाल गर्म चिमटों से छील दिया गया, उसका दाहिना हाथ... जल गया।
गंधक के साथ, और उन स्थानों पर जहाँ से मांस फटेगा, पिघला हुआ पदार्थ डालें।
सीसा, उबलता तेल… और फिर चार घोड़ों द्वारा उसके शरीर को घसीटकर टुकड़े- टुकड़े कर दिया जाए।
उसके अंग और शरीर आग में जलकर राख हो गए।" राजशाही ने इस प्रमाणपत्र का प्रयोग किया-
राजद्रोह के खतरे पर अपनी सर्वोच्चता को सार्वजनिक रूप से स्थापित करने के लिए दंड का दुरुपयोग करना।
यह राजशाही सत्ता को भारी बहुमत से बरकरार रखने की एक विधि और स्थापना थी। अपनी विनाशकारी शक्ति का प्रदर्शन करके लोगों की वफादारी हासिल करना।
समय बदल गया है और हमारा दावा है कि राज्य और उसकी संरचनाओं में भी बदलाव आया है।
राजनीतिक अपराध को दंडित करने के मानदंड। भारत जैसा राज्य, जो एक

लिखित संविधान के अनुसार, आत्म-पुष्टि की हिंसक रस्मों का अभ्यास नहीं किया जाना चाहिए।
उन लोगों के शवों पर कब्ज़ा कर लिया जाता है जिन पर उन्हें शक होता है कि वे इसे नष्ट करना चाहते हैं। लेकिन, जैसा कि हमने देखा है
इस रिपोर्ट में हमने पुलिस शवदाह के जिन 672 मामलों पर चर्चा की है, उन सभी में यही देखा गया है कि
राज्य के "आतंक के रंगमंच" पुलिस स्टेशनों की दीवारों के पीछे काम करना जारी रखे हुए हैं।
और पूछताछ केंद्र, और उनकी सजा देने की रस्में आज भी उतनी ही शानदार बनी हुई हैं।
फूको के 1757 के फ्रांस के उदाहरण की तरह ही व्यापक और रक्तपातपूर्ण। भारतीय संविधान
और इसके वादे भले ही सच हों, लेकिन इसके खूनी और क्रूर उल्लंघन भी उतने ही सच हैं।
राज्य की निर्दयी प्रकृति का औपचारिक स्वरूप। हम भ्रमित हुए बिना नहीं रह सकते।
संवैधानिक वादे और राजनीतिक व्यवहार की इन समानांतर वास्तविकताओं के माध्यम से, उनकी संरचना-
प्राकृतिक अजेयता और परावैद्युत हिंसा द्वारा बुद्धि का विनाश-मानवाधिकारों के मंत्रोच्चारण अपना संदर्भ या अर्थ खो देते हैं और हम समझने लगते हैं-
समझिए कि थियोडोर एडोर्नो ने ऐसा क्यों कहा था कि "ऑशविट्ज़ के बाद कविता लिखना बर्बरता है"।
हम अजैब सिंह के आत्महत्या के कारण हुए शोक के प्रति आध्यात्मिक सहानुभूति रखते हैं।
पंजाब में गुमशुदा लोगों के समन्वय के लिए गठित समिति (सीसीडीपी) में इसका उदाहरण दिया गया है।
1999 की अंतरिम रिपोर्ट।
अजैब सिंह का परिवार पंजाब में त्रासदी और असंभवता की कहानी कहने वाला इकलौता परिवार नहीं है।
संभव निवारण। हमने जीवन की निरर्थकता की उदासी को पकड़ने का प्रयास किया है।
राज्य की उस शक्ति का सामना करना जो अन्य असंख्य घरों में भी व्याप्त है, जिसके तहत वह इसे मिटा सकता है।
पंजाब के ग्रामीण इलाकों में बिखरे हुए, जो इसी तरह सिखों के खिलाफ भारत के युद्ध से तबाह हो गए थे।
600 राख में तब्दील

रजिस्टर बहुत लंबा है। उनके रिश्तेदारों के लिए जीवित रहने का संकट एक बड़ी चुनौती होगी।
एक और लंबी गाथा। इस पुस्तक के पाठक को इसकी एकरसता से अवश्य ही ऊब जाना चाहिए।
पुलिस की बर्बरता और सत्ताधारियों की अविचलितता की वही चिरस्थायी कहानी। सिंह नाम की पुनरावृत्ति, क्योंकि सभी सिख पुरुषों का उपनाम एक ही होता है,1 अवश्य ही

उल्लंघनों के दस्तावेज़ीकरण को पूरा करने के अलावा, जिसमें लागू किए गए उल्लंघन भी शामिल हैं।
गुमशुदगी और मनमानी हत्याओं के संबंध में, आगे के शोध के लिए तत्काल मुद्दे हैं: [1]
आघात के निहितार्थ; [2] हिरासत में यातना के बाद जीवित रहना; [3] की दुर्दशा विधवाएँ और अनाथ; [4] क्षति, विनाश और ज़ब्ती के प्रभाव
संपत्ति; [5] टीएडीए अदालतों का कामकाज और लंबित अभियोग
अधिनियम; [6] मीडिया की भूमिका; और [7] चिकित्सा पेशेवरों की भूमिका। सामान्यतः, इस प्रकार की रिपोर्ट सिफारिशों के एक समूह के साथ समाप्त होती है।
सत्ताधारियों के अनुरूप कपड़े पहने हुए। इस मामले में, हम नहीं जानते कि कौन इसमें शामिल है।
हमारे निष्कर्षों और सिफारिशों को सुनने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए। इससे यह बाध्यता नहीं होती।
हमारे लिए यह उचित होगा कि हम अपनी सिफारिशें उन भारतीय सरकारी एजेंसियों को संबोधित करें।
जो इन भीषण मानवाधिकार अपराधों के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हैं और आनंद मनाते हैं
वे अपराधियों को माफी देने और मामले को पूरी तरह से बंद करने की वकालत कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हमारा
रिपोर्ट इनकार की उसी बयानबाजी को जन्म नहीं देती जो थकाऊ रूप से उनके पुनर्मूल्यांकन को परिभाषित करती है।
मानवाधिकार अपराधों के साक्ष्यों पर प्रतिक्रिया।
हमें उम्मीद थी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी)
जमीनी स्तर पर किए गए हमारे खोजी कार्यों से मिली जानकारी का उपयोग करके विफलता की भरपाई करें।
601

समाप्ति नोट

राज्य की जांच एजेंसियों द्वारा अपने निर्णय हेतु आवश्यक तथ्यों को उपलब्ध कराने में सहायता करना।
राष्ट्र और मुद्दों का न्यायनिर्णय। समर्थक आंदोलन में हमारी भागीदारी के अनुभव-
पिछले छह वर्षों में एनएचआरसी के समक्ष हमारी प्रतिबद्धताओं ने हमारे वादों को पूरी तरह से झुठला दिया है।
प्रारंभिक आशाएँ। आयोग ने निष्कर्ष निकाला है कि जांच के रिकॉर्ड कार-सीबीआई द्वारा की गई जांच से आवश्यक तथ्यों का पता लगाने में कोई मदद नहीं मिली।
पंजाब और उसकी एजेंसियों ने भी कोई सार्थक जानकारी नहीं दी है।
आयोग के पास स्वयं कोई स्वतंत्र जांच एजेंसी नहीं है जो इस मामले की जांच कर सके।
अपना काम पूरा करने के बावजूद, इसने पीड़ित परिवारों तक पहुँचने और उनकी सहायता प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया है।
हालांकि यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है कि सभी एजेंसियां-

निर्वाचन क्षेत्रों में। न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों ने यातना और हत्या में मिलीभगत की।
बंदियों ने सबूतों को पूरी तरह से नजरअंदाज करके और बिना सोचे-समझे स्वीकार करके...
आधिकारिक खंडनों और झूठों के बावजूद, मीडिया ने स्व-अभिव्यक्ति करके राज्य को प्रसन्न किया।
सेंसरशिप। प्रिंट, वायर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कई पत्रकारों ने इसका समर्थन किया।
सुरक्षा बलों के हिंसक अभियानों को और अधिक प्रत्यक्ष रूप से उजागर किया गया। यही उस समय का माहौल था।
जिस स्वीकृति के तहत ये अत्याचार हुए, और जब तक हम इन्हें पहचान कर इनका समाधान नहीं करते, तब तक हम इन्हें स्वीकार नहीं करेंगे।
पंजाब में दंडमुक्ति की स्थिति में योगदान देने वाले मुद्दे, सत्य के लिए संघर्ष, आदि।
जवाबदेही और न्याय में बाधाएँ आती रहेंगी।

2. थॉमस मान, जर्मनी और जर्मन लोग, लिसन जर्मनी में: पच्चीस रेडियो संदेश जर्मन पीपल ओवर बीबीसी, नॉफ, न्यूयॉर्क, 1945, पृष्ठ 5
602 राख में तब्दील

परिशिष्ट - I

603

सामूहिक अवैध गतिविधियों पर प्रेस नोट अंतिम संस्कार 16 जनवरी 1995

मानवाधिकार विंग (एस.ए.डी.)
प्रधान कार्यालय: कोठी संख्या 30, सेक्टर 5, चंडीगढ़-160005 (भारत)
फ़ोन (0172) 541244 पी.पी.
संदर्भ संख्या 103/95 दिनांक: 16-01-95

“लापता”: श्मशान घाट
लापता व्यक्तियों के मामले सभी के लिए लगातार चिंता का विषय रहे हैं। पंजाब में काम कर रहे मानवाधिकार समूहों के अनुसार, अनुमानित 2000 परिवार प्रभावित हुए हैं।
अमृतसर जिले में ही लोग अपने प्रियजनों की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
कुछ परिवार, जो अब अनिश्चितता को और सहन नहीं कर सकते, बस जानना चाहते हैं। यदि उनका पुत्र, भाई, पति या पुत्री जीवित हो या मर गया हो, ताकि वे अनुष्ठान कर सकें
अंतिम धार्मिक अनुष्ठान करें और इस त्रासदी को ईश्वर की इच्छा के रूप में स्वीकार करें।
शिरोमणि अकाली दल के मानवाधिकार विंग (एचआरडब्ल्यू) ने दो सदस्यीय समिति का गठन किया।
मामले की जांच करने और कम से कम कुछ सुराग जुटाने के लिए एक सदस्य टीम का गठन किया गया है।
“लापता होना”। जांच दल को कुछ चौंकाने वाले तथ्य मिले जो

इन्हें निम्नलिखित रूप में जारी किया जा रहा है।
जांच दल ने अमृतसर क्षेत्र और उसके आसपास के इलाकों में काम करने का फैसला किया।
पुलिस जिलों में। यह पता चला कि पुलिस नियमित रूप से शवों को नगर निगम में लाती है।
शवदाह के आधार पर शवों को लावारिस घोषित कर दिया गया। टीम ने पाया कि 400 शव लावारिस थे।
पट्टी नगरपालिका के शवदाह गृह में लावारिस शवों को दाह संस्कार के लिए लाया गया था।
शवों को पट्टी नगर समिति के श्मशान घाट में लाया गया।
खलरा (40 किमी), कैरन (10 किमी), हरिके (15 किमी), वाल्टोहा से भी लोग आए थे।
– 30 किमी, भीकी – 25 किमी। 700 लावारिस शवों को तरन तारन नगरपालिका को सौंपा गया।
श्मशान घाट। इन लावारिस शवों का एकमात्र रिकॉर्ड उपलब्ध है।
वह रसीद पुस्तिका जिसके माध्यम से शवों के अंतिम संस्कार के लिए जलाऊ लकड़ी जारी की जाती थी।
रसीद पुस्तिका में तारीख और लाए गए शवों की संख्या दर्ज होती है।
अमृतसर जिले में दाह संस्कार के लिए लाए गए लावारिस शवों की अधिकतम संख्या थी।
604 राख में तब्दील

1994 में लगभग 2000 शवों का अंतिम संस्कार किया गया क्योंकि उनका कोई दावा नहीं था। अधिकारियों ने बताया कि
दुर्गाना मंदिर के श्मशान घाट ने कोई भी रिकॉर्ड दिखाने में असमर्थता व्यक्त की।
लेकिन उन्होंने सुझाव दिया कि विवरण अमृतसर जन्म और विवाह कार्यालय के पास उपलब्ध होंगे।
मृत्यु। रजिस्ट्रार कार्यालय से प्राप्त की जा सकने वाली जानकारी नीचे दी गई है।
कम।
श्री बेअंत सिंह की सरकार के पहले वर्ष के दौरान, 300 लावारिस शव प्राप्त हुए थे।
पुलिस विभाग द्वारा दुर्गियाना मंदिर श्मशान घाट लाया गया।
इन 300 शवों में से 112 के नाम दिए गए हैं और बाकी को अघोषित कर दिया गया है।
अज्ञात। गोली लगने या पुलिस कार्रवाई में 41 लोगों की मौत दर्ज की गई है।
मुठभेड़ों में मारे गए 259 लोगों की मौत का कारण अभी तक दर्ज नहीं किया गया है।
अमृतसर मेडिकल कॉलेज द्वारा केवल 24 शवों का ही पोस्टमार्टम किया गया।
276 शवों का पोस्टमार्टम नहीं किया गया। रिकॉर्ड के अनुसार, इनमें से 5 शव महिलाओं के थे।
जिनमें से 3 नाम दर्ज किए गए हैं। तीनों महिला शवों का विवरण इस प्रकार है:-
Harpal Kaur, Village Dhulka. Dated 25.12.92. Achint Kaur & companion. Dated

30.9.92.
दो शव सोपोर के कश्मीरियों के हैं, मृत्यु का कारण 'मुठभेड़' है।
लावारिस शव रोपड़ जिले के चामकौर साहिब के पास से मिला है।
देरीवाल गांव के बघेल सिंह उर्फ गुरदर्शन सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
बिहार में पंजाब पुलिस। उनकी "गिरफ्तारी" की खबर पंजाब के प्रेस में छपी।
पंजाब के विभिन्न संगठनों ने आशंका जताई कि उसे फर्जी मुठभेड़ में मार दिया जाएगा।
यह नवंबर के आखिरी सप्ताह/दिसंबर के पहले सप्ताह/91 के आसपास की बात है।
19 जनवरी, 92 को,
बघेल सिंह और उसके गांव की पहचान से भली-भांति परिचित पुलिस ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया।
शव को अज्ञात मानकर अंतिम संस्कार के लिए दुर्गाना मंदिर के श्मशान घाट ले जाया गया।
दावा न किया गया।
श्री पियारा सिंह, पुत्र शिंगारा सिंह, केंद्रीय सहकारी बैंक के निदेशक अमृतसर में, हरमिंदर सिंह सुल्तानविंड (उग्रवादी) के चाचा, श्री पियारा सिंह
मैं उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक रिश्तेदार के खेत में गया था। एक सुबह, एक जीप आई।
फार्म हाउस तक, सफेद कोट पहने और स्टेथोस्कोप लगाए डॉक्टरों की एक टीम पहुंची।
उन्होंने फार्म के निवासियों से संपर्क किया और उनसे अनुरोध किया कि एक विशिष्ट अतिथि आ रहे हैं।
पड़ोसी गांव में एक सरकारी चिकित्सा क्लिनिक का उद्घाटन करने और कुछ सम्मानित लोगों के लिए।
नागरिकों को भी इस अवसर पर उपस्थित होना चाहिए। उन्होंने श्री पियारा सिंह से आने का अनुरोध किया।
उनके साथ। श्री पियारा सिंह अंततः दुर्गाना मंदिर के श्मशान घाट पर पहुंचे।
16-12-92.
श्री परगत सिंह “बुलेट” का गुरु नानक अस्पताल में इलाज चल रहा था।
अमृतसर में रहने वाले उस व्यक्ति को राजा सांसी पुलिस ने अगवा कर लिया था और उसके शव की पहचान नहीं हो पाई थी।
इसे 3-11-92 को दुर्गाना मंदिर के श्मशान घाट में लाया गया था।
पंजाब पुलिस नियम संख्या 3 के अध्याय XXV के नियम 25.38 के अनुसार, अज्ञात शवों के मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। नियम यह है: नीचे उद्धृत किया गया है: 25.38. यदि शव की पहचान न हो पाए, तो जांच करने वाला अधिकारी-
इसमें सभी निशान, विशिष्टताएँ, विकृतियाँ आदि का सावधानीपूर्वक विवरण दर्ज किया जाएगा।
संबंधों और विशिष्ट विशेषताओं के लिए, उंगलियों के निशान लिए जाएंगे और इसके अतिरिक्त
पहचान सुनिश्चित करने के लिए अन्य सभी उचित कदम उठाने के बाद, यदि संभव हो तो, इसे प्राप्त किया जाएगा।

फोटो खींची जाए और यदि ऐसी कार्रवाई वांछनीय प्रतीत होती है, तो एक विवरण प्रकाशित किया जाए।
आपराधिक खुफिया राजपत्र में सूचीबद्ध।
अज्ञात शवों को किसी भी धर्मार्थ संस्था को सौंप दिया जाना चाहिए जो उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार हों, और यदि ऐसा कोई समाज आगे नहीं आता है, तो उन्हें
दफना दिया गया या जला दिया गया।
परिशिष्ट I 605

हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने शव की पहचान बता दी है और साथ ही
गांव में शव को "अज्ञात" या "अज्ञात" बताकर ठिकाने लगा दिया गया।
लाइस ने मौतों की प्रकृति बताने की जहमत नहीं उठाई है।
मानव संसाधन संवाददाता यहां यह जोड़ना चाहता है कि शवों का यह निपटान शवों के निपटान के अतिरिक्त है।
जिन्हें भार से भरकर विभिन्न नदियों और नहरों में बहा दिया जाता है।
एचआरडब्ल्यू ने केवल कुछ ही श्मशान घाटों का विवरण दर्ज किया है। इसी तरह आगे भी ऐसा ही होगा।
यह तस्वीर बचे हुए श्मशान घाट से ली गई है।
मानवाधिकार संगठन (एचआरडब्ल्यू) मांग करता है कि मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए,
उच्च न्यायालय ने मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया और मौतों को रिकॉर्ड में दर्ज करने का निर्देश दिया।
हजारों परिवारों का पीड़ादायक इंतजार शायद खत्म हो जाए। आश्रितों को मृत्यु भत्ता मिल सकता है।
प्रमाण पत्र जारी किए गए ताकि जो लोग कार्यरत थे, वे विभाग के साथ आगे की प्रक्रिया शुरू कर सकें।
मानसिक औपचारिकताएं।
जांच दल में श्री जसवंत सिंह खालरा और जसपाल सिंह शामिल थे।
ढिल्लों।

हस्ताक्षर/- हस्ताक्षर/-
(जसवंत सिंह खालरा) (जसपाल सिंह ढिल्लों)

606 राख में तब्दील

[redacted] - II

607

[redacted]

[redacted]
[redacted]
[redacted]: 742, [redacted] 8, [redacted], [redacted]: 544920
[redacted]: 56 [redacted], ([redacted])
[redacted]: 23714531

[redacted]
[redacted]/[redacted]:
[redacted]:
[redacted]:
[redacted]:
[redacted]:
.....
([redacted]:

([redacted])

[redacted]/[redacted]:
[redacted]:
[redacted]:
[redacted]:
[redacted]:
[redacted]:
[redacted]:

आयु (यदि संभव हो तो जन्म तिथि बताएं): शैक्षणिक योग्यता:
पेशा कमाई का जरिया:
मासिक आय:
608 राख में तब्दील

आय के अन्य स्रोत:
वैवाहिक स्थिति:
पति/पत्नी का नाम और पता:
आयु:
रोजगारशुदा/बेरोजगार/विवरण: जीवनसाथी के माता-पिता:
पिता का नाम और आयु:
माता का नाम और आयु:
पेशा कमाई का जरिया:
निवास स्थान:
बच्चे:
नाम/आयु/लिंग:
संयुक्त परिवार के अन्य आश्रितों के नाम:
लापता/मृत व्यक्ति की सामान्य पृष्ठभूमि:
(विशेष रूप से सुरक्षा बलों के साथ शत्रुतापूर्ण बातचीत का विवरण प्रासंगिक होगा)
(1984 से।)
लापता होने की तिथि और समय:
लापता होने का स्थान:
(जितना संभव हो उतना विस्तृत विवरण शामिल करें)
लापता होने की परिस्थितियाँ:
(जिम्मेदार व्यक्तियों के नामों सहित संक्षिप्त विवरण)
क्या कोई गवाह हैं? हां/नहीं।
गवाहों का विवरण: नाम/पते:
(नोट: यदि आप गवाहों के नाम प्रकट नहीं करना चाहते हैं तो कृपया स्पष्ट करें)
उपस्थित हैं। यदि उपस्थित हैं, तो इस कॉलम को न भरें।) अपराधी/अपराधी:
नाम/नाम:
आयु/ शारीरिक विवरण:
जिस सुरक्षा एजेंसी से अपराधी/अपराधी संबंधित हैं: रैंक
वर्दी में या सादे कपड़ों में?
वर्दी/पोशाक का विवरण:
घटना के समय वह किस पुलिस स्टेशन से संबद्ध था? वर्तमान पोस्टिंग:
आप चाहें तो अन्य विवरण भी जोड़ सकते हैं:
उस व्यक्ति को आखिरी बार कब देखा गया था? किसके द्वारा?

कहाँ?
लापता लोगों का पता लगाने के लिए उठाए गए कदम और उनके परिणाम: परिशिष्ट II 609

क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई? हाँ/नहीं
यदि हां, तो संख्या और तिथि:
पुलिस स्टेशन का नाम:
रिपोर्ट दर्ज करने वाले अधिकारी का नाम:
यदि कोई परिणाम हो तो:
क्या बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई है? हाँ/नहीं
यदि हां, तो क्रमांक, तिथि और न्यायालय का नाम:
वकील का नाम:
पता:
टेलीफ़ोन नंबर।
नतीजा:
स्थानीय और राष्ट्रीय अधिकारियों से की गई अपीलों का विवरण दें। यदि आवश्यक हो तो फोटोकॉपी संलग्न करें।
संभव:
नतीजा:
क्या यह संभव है कि लापता व्यक्ति जीवित हो? हाँ/नहीं
आप ऐसा क्यों मानते हैं, इसके कारण बताइए:
यदि व्यक्ति के जीवित होने की आशंका हो, तो उस स्थान का नाम बताइए जहां वह मिल सकता है:
क्या यह मान लिया जाता है कि व्यक्ति की हत्या कर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है? हाँ/नहीं
यदि हां, तो आप ऐसा क्यों मानते हैं?
क्या यह माना जा सकता है कि शव का निपटान किसी अन्य तरीके से किया गया था? हाँ/नहीं
यदि हां, तो कृपया बताएं कि आप ऐसा क्यों मानते हैं:
क्या इस घटना की खबर अखबारों में छपी थी? हां/नहीं
यदि हां, तो समाचार पत्र/पत्रिकाओं के नाम बताइए:
रिपोर्ट प्रकाशित होने की तिथि/तिथियां:
क्या इससे पहले कभी लापता/मृत व्यक्तियों के बारे में प्रेस में कोई रिपोर्ट आई थी?
घटना? हाँ/ नहीं
विवरण दें:
यदि संभव हो तो प्रतियां संलग्न करें।
क्या आपका पुलिस अधिकारियों के साथ कोई आधिकारिक या अनौपचारिक संपर्क हुआ है?
क्या किसी भी समय उस व्यक्ति के भाग्य के बारे में कोई चिंता है? हाँ/नहीं यदि हां, तो विस्तृत जानकारी दें:
क्या आपके किसी परिचित का भी अपहरण हुआ है/ क्या वह लापता हो गया है/ क्या उसकी रिपोर्ट दर्ज की गई है?
क्या उक्त घटना के संबंध में सशस्त्र मुठभेड़ में किसी की मृत्यु हुई? हाँ/नहीं

यदि हां, तो विस्तृत जानकारी दें:
क्या आपको किसी अन्य व्यक्ति के "लापता होने" के बारे में जानकारी है? क्या आपके परिवार का कोई अन्य सदस्य "लापता" हो गया है? हाँ/नहीं
यदि हां, तो विस्तृत जानकारी दें:
610 राख में तब्दील

क्या आपको अंतिम संस्कार करने के लिए शव प्राप्त हुआ था? हाँ/नहीं।
यदि हां, तो किससे?
क्या किसी संपत्ति (संरचना, सामान, पशुधन या अन्य चल संपत्ति) को नुकसान पहुंचा?
क्या घटना के दौरान या उसके बाद इसे नष्ट/चोरी/अधिग्रहण कर लिया गया? हाँ/ नहीं
यदि हां, तो विस्तृत जानकारी दें:
क्षतिग्रस्त/नष्ट/चोरी/अधिग्रहण की गई संपत्ति का मालिक कौन था?
इसे किसने क्षतिग्रस्त/नष्ट/चोरी/हड़प लिया?
नाम:
जिस एजेंसी से वे संबंधित हैं:
पद-पदनाम:
पहचान हेतु विवरण:
आयु:
शारीरिक विवरण:
संपत्ति का विवरण दें:
1. क्षतिग्रस्त: मूल्य:
2. नष्ट: मूल्य:
3. कुर्सी: मूल्य:
4. अधिग्रहित: मूल्य:
क्या "लापता होने" की घटना के कोई मनोवैज्ञानिक/चिकित्सीय परिणाम हुए हैं?
परिवार? हां/नहीं:
यदि हां, तो विस्तृत जानकारी दें:
अस्पताल में भर्ती/खर्च:
क्या परिवार में "अवैधता" की घटना से संबंधित/उसके बाद कोई मृत्यु हुई है? दिखावट”? हाँ/नहीं:
यदि हां, तो विस्तृत जानकारी दें:
अन्य टिप्पणियां:
घटना का विवरण देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर:
पूर्ण में नाम:
पिता का नाम:
मां का नाम:
लापता/मृत/अंतिम संस्कार किए गए व्यक्ति से संबंध: वर्तमान पता:
दिनांक/स्थान:

परिशिष्ट - III

611

पंजाब के जिले

JAMMU
&
KASHMIR
N
GURDASPUR
HOSHIARPUR
HIMACHAL
PRADESH
PAKISTAN
AMRITSAR
KAPUR THALA
KAPUR THALA
JALANDHAR
NAWANSHAP
RUPNAGAR
CHANDIGARH
LUDHIANA
FIROZPUR
MOGA
FARIDKOT
FATEHGARH
SANGRUR
PATIALA
MUKTSAR
BATHINDA
MANSA
RAJASTHAN
HARYANA

612 □□□ □□□ □□□□□□

□□□□

Amritsar
PUNJAB
PAKISTAN
NEW
DELHI
INDIA

[redacted] - IV

613

[redacted]
[redacted]
[redacted]

[redacted]

[redacted]
[redacted] (+1)

[redacted]

[redacted] (+1)

[redacted]

[redacted] (+1)

[redacted]

[redacted] (+1)

[redacted]

[redacted] (+1)

[redacted], [redacted]

[redacted] (+1) [redacted] (+1)
[redacted] (+1)
[redacted] (+1)

[redacted] (+1)

[illegible] [illegible] (+1)

[illegible] (+1)

[illegible]: [illegible] [illegible] [illegible]

परिशिष्ट - V

615

12 दिसंबर 1996 सर्वोच्च न्यायालय
मामले को संदर्भित करने का आदेश
एनएचआरसी को अवैध दाह संस्कार के संबंध में सूचना

भारत का सर्वोच्च न्यायालय
कार्यवाही का रिकॉर्ड
रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 497/95
PARAMJIT KAUR Petitioner(s)
बनाम
पंजाब राज्य और अन्य प्रतिवादी
निर्देशों के लिए आवेदन करें।
पी(सीआरएल) संख्या 447/95 के साथ
दिनांक: 12/12/96 इन याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई। कोरम:
HON’BLE MR. JUSTICE KULDIP SINGH
माननीय श्रीमान न्यायमूर्ति एस. सगीर अहमद
याचिकाकर्ता की ओर से श्री आर एस सोढ़ी, अधिवक्ता।
श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता।
श्री पी डी शर्मा, अधिवक्ता।
प्रतिवादी (प्रतिवादियों) की ओर से श्री मेला राम शर्मा, अधिवक्ता।
श्री आर एस सूरी, अधिवक्ता
श्री टी सी शर्मा, अधिवक्ता।
श्री पी परमेश्वरन, अधिवक्ता।

616 राख में तब्दील

वकीलों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिए। आदेश
पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनने के बाद, न्यायालय ने आदेश पारित करते हुए अनुरोध किया कि
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपने अध्यक्ष के माध्यम से इस मामले पर विचार करे।
कानून के अनुसार जांच की जाए और उठाए गए सभी मुद्दों का निर्धारण किया जाए।
आयोग के समक्ष पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा आदेश की प्रतियां प्रस्तुत की गईं।
दिनांक 15 नवंबर, 1995 का आदेश और इस न्यायालय द्वारा पारित सभी बाद के आदेश सहित
सीबीआई की सभी रिपोर्टों की प्रतियां सीलबंद लिफाफों में आयोग को भेजी जाएं।
एक सप्ताह के भीतर पंजीकरण।
(एस. के. दुदानी)
कोर्ट मास्टर
अलका
हस्ताक्षरित आदेश फाइल में रख दिया गया है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नागरिक मूल क्षेत्राधिकार
रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 497/95 PARAMJIT KAUR Petitioner (s)
बनाम
पंजाब राज्य और अन्य प्रतिवादी
साथ
डब्लू.पी. (सीआरएल.) संख्या 447/95
आदेश
श्रीमती परमजीत कौर बनाम पंजाब राज्य के मामले में इस न्यायालय के समक्ष दो मुद्दे उठाए गए थे।
और अन्य, रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 497/95 और संबंधित रिट याचिका (आपराधिक) में।
क्रमांक 447/95. पहला मुद्दा श्री जे.एस. खालरा, जनरल के अपहरण से संबंधित है।
शिरोमणि अकाली दल के मानवाधिकार विंग के सचिव। इस न्यायालय ने निगरानी के बाद-
श्री खालरा से संबंधित मामले में न्यायालय ने अंतिम आदेश पारित कर दिया है।
रिट याचिकाओं में उठाया गया दूसरा मुद्दा 16 जनवरी की प्रेस नोट से संबंधित था।
शिरोमणि अकाली दल के मानवाधिकार विंग द्वारा 1995 में जारी किया गया।
"लापता" शीर्षक के अंतर्गत खालरा और जे.एस. ढिल्लों की प्रकृति: "CRE-

प्रेस नोट में कहा गया है कि बड़ी संख्या में लोग थे।
अज्ञात बताकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस न्यायालय ने दूसरे मुद्दे पर विचार किया।
जैसा कि नीचे दिया गया है:
“इस याचिका में उठाया गया दूसरा मुद्दा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह न्यायालय
16 जनवरी, 1995 की प्रेस नोट में कही गई बातों को अनदेखा नहीं किया जा सकता।
खालरा और ढिल्लों द्वारा इसकी जांच की जाएगी। यदि यह पाया जाता है कि बताए गए तथ्य सही हैं, तो
परिशिष्ट V 617

प्रेस नोट में कही गई बातें – भले ही आंशिक रूप से – सही हैं, यह मानवाधिकारों का एक भयावह इतिहास होगा।
उल्लंघन। बड़ी संख्या में लोगों के शवों की कल्पना करना भयावह है।
कथित तौर पर हजारों शवों को पुलिस द्वारा बिना किसी औपचारिकता के जलाया जा सकता है।
इसे "अज्ञात" लेबल किया गया है। लोकतंत्र और कानून के शासन में हमारा विश्वास हमें आश्वस्त करता है कि कुछ भी नहीं
इस देश में इस तरह की घटना कभी हो सकती है, लेकिन प्रेस नोट में लगाए गए आरोप –
ये बेहद भयावह हैं – इनकी गहन जांच होनी चाहिए। इसलिए हम निर्देश देते हैं कि...
केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक जांच के लिए एक उच्च स्तरीय टीम नियुक्त करेंगे।
हम 16 जनवरी, 1995 की प्रेस विज्ञप्ति में निहित तथ्यों की जांच करने का निर्देश देते हैं।
पंजाब राज्य के सभी संबंधित अधिकारियों, जिनमें महानिदेशक भी शामिल हैं, को सूचित किया जाता है कि वे इस कार्य में भाग लेंगे।
पंजाब पुलिस को सीबीआई को जांच में हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।
पंजाब सरकार के अधिकारी सीबीआई को हर संभव सहायता और सहयोग प्रदान करेंगे।
जब भी उक्त टीम के किसी सदस्य द्वारा अनुरोध किया जाए, हम टीम को यह स्वतंत्रता देते हैं।
सीबीआई समय-समय पर इस न्यायालय से आगे के निर्देश प्राप्त कर सकती है। जांच के दौरान आवश्यक है।"
सीबीआई ने हमारे निर्देशानुसार अपनी जांच पूरी कर ली है। पांचवीं और अंतिम रिपोर्ट।
यह रिपोर्ट 9 दिसंबर, 1996 को इस न्यायालय में दायर की गई थी। रिपोर्ट स्वतः स्पष्ट है और
यह अपने आप में स्पष्ट है। रजिस्ट्री रिपोर्ट की एक प्रति राष्ट्रीय मानव संसाधन विभाग को भेजेगी।

मानवाधिकार आयोग (आयोग) को एक सीलबंद लिफाफे के तहत रिपोर्ट सौंपी गई। रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है कि...
रिपोर्ट में बताया गया है कि 585 शवों की पूरी तरह से पहचान हो चुकी है, 274 की आंशिक रूप से पहचान हो चुकी है और 1238 शवों की पहचान नहीं हो पाई है।
अज्ञात। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि रिपोर्ट में मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन का खुलासा हुआ है।
बड़े पैमाने पर अधिकारों का मुद्दा। इस विषय पर और अधिक चर्चा किए बिना, हम इसे यहीं समाप्त करते हैं।
इस पूरे मामले का निपटारा आयोग द्वारा किया जाएगा।
इस न्यायालय ने 11 दिसंबर, 1996 को निम्नलिखित आदेश पारित किया:
“इस न्यायालय के दिनांक 15 नवंबर, 1995 के आदेश के अनुसार, सीबीआई ने पंजाब के विभिन्न जिलों में पुलिस द्वारा लावरियों के शवों के अंतिम संस्कार के संबंध में दिनांक 9 दिसंबर, 1996 की पांचवीं और अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की है। सीबीआई के संयुक्त निदेशक श्री एम एल शर्मा स्वयं न्यायालय में उपस्थित हैं। हम श्री शर्मा के इस सुझाव से सहमत हैं कि रिपोर्ट की सामग्री को फिलहाल गुप्त रखा जाए, क्योंकि सीबीआई द्वारा आगे की जांच की जानी है। श्री शर्मा ने सुझाव दिया है कि चूंकि बड़ी संख्या में मामले दर्ज किए जाने हैं, इसलिए सीबीआई को 10-15 मामलों की जांच करने की अनुमति दी जाए और शेष मामलों की जांच पंजाब पुलिस द्वारा की जाए। हम इस सुझाव की सराहना करते हैं, लेकिन चूंकि सीबीआई ने इस मामले में प्रारंभिक जांच की है और इस न्यायालय के समक्ष पांच विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं, सीबीआई के कार्य की सराहना करते हुए, हमारा मानना है कि फिलहाल सीबीआई को अंतिम रिपोर्ट के परिणामस्वरूप दर्ज किए जाने वाले सभी मामलों की जांच करनी चाहिए। इसलिए, हम सीबीआई को आगे की कार्रवाई करने का निर्देश देते हैं। मामले की जांच-पड़ताल करें और जहां आवश्यक हो, मामले दर्ज करें, जांच करें और जांच के दौरान एकत्रित सामग्री के आधार पर कानून के अनुसार आगे बढ़ें।
हालांकि, हम सीबीआई को श्री शर्मा द्वारा दिए गए सुझाव के अनुरूप या किसी अन्य उद्देश्य के लिए, यदि आवश्यक हो, तो इस न्यायालय से आगे के निर्देश प्राप्त करने की स्वतंत्रता देते हैं। सीबीआई प्रत्येक तीन महीने के बाद इस न्यायालय में जांच से संबंधित स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
618 राख में तब्दील

सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन हमारा मानना है कि शेष
इस मामले से जुड़े मुद्दों को आयोग के निर्णय के लिए छोड़ दिया जाए, जो इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त निकाय है।
दोनों रिट याचिकाओं में विद्वान अधिवक्ताओं ने पुरजोर तर्क दिया है कि सभी
जिन 585 शवों की पहचान हो चुकी है, उनके वारिस/आश्रित मुआवजे के हकदार हैं।
मुआवजा। हमारा ध्यान विभिन्न प्रावधानों, विशेष रूप से धाराओं की ओर आकर्षित किया गया है।
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 और 18।

हम आयोग से उसके अध्यक्ष के माध्यम से अनुरोध करते हैं कि वह इस मामले की जांच करे।
कानून के अनुसार और समक्ष उठाए गए सभी मुद्दों का निपटारा करना पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा आयोग का कार्य। दिनांकित आदेश की प्रतियां
15 नवंबर, 1995 और इस न्यायालय द्वारा पारित सभी बाद के आदेशों के साथ-साथ सीबीआई की सभी रिपोर्टों की प्रतियां सीलबंद लिफाफों में आयोग को भेजी जाएं।
रजिस्ट्री।
चूंकि आयोग द्वारा इस मामले की जांच अनुरोध पर की जानी है
इस न्यायालय के समक्ष, आयोग द्वारा दिया गया कोई भी मुआवजा बाध्यकारी होगा और
देय। यदि इस न्यायालय से किसी अनुमोदन या अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता हो, तो
आयोग द्वारा भी यही जानकारी मांगी जा सकती है। आवश्यक दस्तावेज आयोग को भेजे जाएं।
एक सप्ताह के भीतर अलग सीलबंद लिफाफे में मिशन भेजें।

हस्ताक्षर/-
------------- जे।
(KULDIP SINGH)
हस्ताक्षर/-
------------- जे।
(एस. सगीर अहमद)
नई दिल्ली
12 दिसंबर, 1996

परिशिष्ट - VI

619

एनएचआरसी कार्यवाही

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
सदर पटेल भवन
नई दिल्ली
संदर्भ मामला संख्या 1/97/एनएचआरसी दिनांक: 16-01-95

रिट याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया संदर्भ याचिका संख्या 447/95 और 497/95
कोरम
न्यायमूर्ति श्री जे.एस. वर्मा, अध्यक्ष न्यायमूर्ति डॉ. के. रामास्वामी, सदस्य
श्री सुदर्शन अग्रवाल, सदस्य
Shri Virendra Dayal, Member

उपस्थित
1. श्री हरीश साल्वे, भारत के सॉलिसिटर जनरल
श्री आर.वी. सिन्हा, भारत संघ के अधिवक्ता
2. श्री आर. वेंकटरामानी, एनएचआरसी के वरिष्ठ अधिवक्ता
3. सुश्री ए. चौधरी, अवर सचिव, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली
4. श्री सरूप सिंह, पंजाब राज्य की ओर से अधिवक्ता
5. Shri Jayadeva Prasad, Dy. Legal Adviser, CBI
6. श्री एस.पी.एस. दत्ता, उप पुलिस प्रमुख/सीबीआई, नई दिल्ली
7. श्री आर.के. शर्मा, सूचना एवं लोक अभियोजक, मुकदमेबाजी, पंजाब

8. [illegible]
9. [illegible]
620 [illegible]

[illegible]
[illegible] India, Shri R. Venkataramani, Sr. Advocate for NHRC, Shri Sarup Singh, Advo-
[illegible]
[illegible] 23 [illegible] 17 [illegible] “[illegible]” [illegible] 2000. [illegible] 23 [illegible]
[illegible], [illegible] 23 [illegible]
[illegible] 18 [illegible] '[illegible]' [illegible]:-
[illegible] 29 [illegible], 1995 [illegible]"
[illegible] 47 [illegible]

ऐसे मामलों में, विद्वान वकील जांच में विद्वान एमिकस क्यूरी की सहायता करेंगे।
इन मामलों को उनकी सुविधानुसार निपटाया जाएगा और परिणाम की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
विद्वान एमिकस क्यूरी द्वारा तीन महीने के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
इससे आयोग को मामले में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।
यह उचित होगा कि मुआवजे की राशि का निर्धारण किया जाए-
उपरोक्त 18 मामलों में और शेष 47 दावों में से किसी अन्य मामले में सक्षम।
इन सभी की जांच के बाद एक ही बार में यह तय किया जाता है कि दावा उचित पाया गया है या नहीं।
47 मामलों की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
हम यह भी उचित समझते हैं कि विवाद से संबंधित निर्णय
भारत सरकार और के बीच मुआवजे के भुगतान की देयता
यदि वह विवाद बना रहता है, तो राज्य सरकार को विचार के लिए खुला रखा जाना चाहिए।
प्रत्येक मामले में मुआवजे की राशि निर्धारित होने के बाद कार्यवाही समाप्त हो जाएगी।
हम यह दोहराना चाहेंगे कि भारत सरकार के बीच यह विवाद
और मुआवजे के भुगतान की जिम्मेदारी के प्रश्न पर राज्य सरकार से परामर्श करें।
उचित मामले में निर्णय के लिए इसे खुला छोड़ देना बेहतर होगा और वर्तमान मामले में भी यही बात लागू होती है।
हमें अब भी उम्मीद है कि दोनों सरकारों के बीच कोई कारगर समाधान निकल आएगा।
सरकारों को ही।

परिशिष्ट - VII

621

शब्दावली

अकाली दाल
अकाली दल, जिसका शाब्दिक अर्थ है "अमरों की सेना", का गठन नवंबर 1920 में हुआ था।
केंद्रीय सिख लीग की दूसरी बैठक के दौरान, जिसका उद्देश्य एक अभियान शुरू करना था-
भ्रष्ट नेताओं से गुरुद्वारों का नियंत्रण वापस लेने के लिए संघर्ष करना। अकाली दल...
सिखों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाली मुख्य राजनीतिक पार्टी सामने आई। इसने कई अन्य राजनीतिक दलों का भी नेतृत्व किया।
पंजाब सूबा आंदोलन, आपातकाल विरोधी प्रदर्शन और धर्मयुद्ध
1982 का मोर्चा।
AKAL TAKHT
शाब्दिक अर्थ में, "शाश्वत सिंहासन।" सिख लौकिक सत्ता का प्रतीकात्मक सिंहासन।
अमृतसर में हरिमंदिर (स्वर्ण मंदिर) परिसर, छठे गुरु, गुरु द्वारा निर्मित मुगल शासन के दौरान दिल्ली तख्त की अवहेलना करते हुए हरगोबिंद ने इसका निर्माण करवाया था। यह सबसे ऊँचा है।
अन्य चार सिख तख्तों के बीच एक सीट।
AMRITDHARI
एक सिख जिसने अमृत ग्रहण किया है और स्वयं को सिख धर्म में दीक्षित किया है...

खालसा समुदाय। दसवें सिख गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी ने इसकी शुरुआत की। सन् 1699 में अमृत संस्कार। मीठे जल को लोहे के बर्तन में हिलाकर पिलाने के बाद।
दोधारी कटार से सुसज्जित कटोरे में, पांच सिखों ने एक ही कटोरे से पानी पिया और फिर पूछा
गुरु को भी कटोरे से पानी पीने के लिए कहा गया, जो गुरु के अपने प्राणों को ईश्वर में विलीन करने के निर्णय का प्रतीक था।
समुदाय की सामूहिक इच्छा में अधिकार। सभी अमृतधारी सिख इसका पालन करते हैं।
सिख रहत मर्यादा, आचार संहिता का पालन करना और पांच क धारण करना: केश (बिना कटे बाल)।
कांगा (कंघी), कड़ा (स्टील का कंगन), किरपान (कृपाण) और कच्छा (शॉर्ट्स)।
DAM DAMI TAKSAL
एक सिख मदरसा, जिसे 20 से अधिक वर्षों तक सिख रूढ़िवादिता का गढ़ माना जाता रहा है।
200 वर्ष।
622 राख में तब्दील

गुरुद्वारा
शाब्दिक अर्थ, "गुरु का द्वार।" एक सिख पूजा स्थल जिसमें चार द्वार होते हैं, प्रतीक-
यह बताते हुए कि यह सभी लोगों के लिए खुला है। सिख गुरुद्वारे सभी को मुफ्त भोजन भी प्रदान करते हैं।
जो लोग आते हैं और सब एक साथ भोजन करते हैं, जो जातिवाद का बिल्कुल विपरीत है।
KAR SEVA
स्वैच्छिक श्रम, विशेष रूप से गुरुद्वारों और अन्य भवनों के जीर्णोद्धार के लिए किया गया श्रम
इमारतें।
खालसा
शाब्दिक रूप से, "संप्रभु"। इस शब्द का आमतौर पर गलत अर्थ निकाला गया है। “शुद्ध।” गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा स्थापित अमृतधारी सिखों का समुदाय। कैसे
सिखों का एक संप्रदाय, जो अपने विशिष्ट वस्त्रों से पहचाना जाता है: नीले वस्त्र जिन पर पीली पट्टी होती है।
कमरबंद नीचा होता है। वे सैनिक जीवन शैली अपनाते हैं और घरेलू सुख-सुविधाओं से दूर रहते हैं।
पंचायत
एक निर्वाचित ग्राम परिषद, जिसका उद्देश्य स्वशासन की एक इकाई के रूप में कार्य करना है, के अंतर्गत
संविधान का अनुच्छेद 243 बी। पंचायत विकास के लिए जिम्मेदार है।
आर्थिक विकास से संबंधित योजनाओं और उनके कार्यान्वयन के संबंध में।
संविधान के अंतर्गत सामाजिक न्याय का प्रावधान। भारतीय संविधान के भाग IX देखें।
ट्यूशन।

□□□□□
□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□

परिशिष्ट.पृष्ठ 65

पहचाने गए शवों की सूची
पुलिस/अर्धसैनिक बलों के साथ मुठभेड़ के कारण निधन हो गया और पंजाब पुलिस द्वारा शव का अंतिम संस्कार किया गया।
पुलिस जिला तरन तारन, पंजाब

623

क्रम संख्या नाम पुलिस स्टेशन और पुलिस अधिकारी पोस्टमार्टम की तिथि मृत्यु का कारण
अंतिम संस्कार की सूचना संख्या, अनुरोध रिपोर्ट संख्या
दाह संस्कार के लिए
1./001 सुखदेव सिंह @ 06.07.84 वेरोवाल 256/84 कुलवंत सिंह एचसी एसएससी 5/84 पुलिस मुठभेड़। परिशिष्ट VII
Sukha, s/o Isher Singh,
r/o तानोरी
Dt. Jind, Haryana
2./002 Acchar Singh, s/o Tara Singh, 21.07.84 Patti 223/84 Vishwamitra HC SKG-16/84 Police encounter
r/o Kamboke, Teh.Patti ASR
3./008 Virsa Singh, s/o Harnam Singh, 10.-05-87 Harike 59/87 Madan Gopal Insp. JSC-33/87 Police encounter
4/27/03, 10:28 अपराह्न सुर सिंह निवासी
4./011 Sukhwant Singh s/o Desa Singh 05-07-87 Valtoha 90/87 SI/SHO Amar Singh SLG-53/87 Bullet injuries.
निवासी चक सिकंदर। पुनश्च. रामदास
5./017 Swarn Singh s/o Mahanta Singh 16-10-87 Chabal 227/87 HC Jaswinder Singh KS-34/87 Firearm injury.
r/o Kamboke, Teh.Patti
6./018 Narinder Singh, @ Pratap Singh, 18-10-87 Verowal 204/87 ASI Aatma Singh KS-35/87 Not available. 623 s/o Puran Singh, r/o Bhorsi.

624 राख में तब्दील

मुठभेड़। मुठभेड़। मुठभेड़। मुठभेड़। मुठभेड़। मुठभेड़।
उपलब्ध है। उपलब्ध है।
सीआरपीएफ मुठभेड़। नहीं नहीं लागू नहीं। लागू नहीं। पुलिस पुलिस पुलिस पुलिस

9/एचएस/87 एके-11/88 एसएसए-41/88 एसएस-42/88 एसएस-43/88 एसएस-44/88 पीएस-69/88 वीकेए-58/88 वीकेए-59/88 वीकेए-60/88 वीकेए-61/88

Singh Singh SI/SHO Singh
सिंह
Karnail Karnal
Aatma

SI Harman SIngh ASI SHO Karnail Singh SHO Karnail Singh SHO SHO SI Tilak Raj SHO Karnail Singh Karnail Karnail Singh SI/SHO Karnail Singh SI/SHO

तारन 66/88 66/88 66/88 66/88 66/88 66/88

49/88

टार्न
सिटी वेरोवाल भीकीविंड भीकीविंड भीकीविंड 66/88 भीकीविंड सिटी टार्न तारन 243/88 भीकीविंड भीकीविंड भीकीविंड भीकीविंड

09-11-87 29-02-88 11-05-88 11-05-88 11-05-88 11-05-88 05-11-88 11-05-88 11-05-88 11-05-88 11-05-88

Gurtej Singh, s/o Surinder Singh, r/o Vill.Gumtala. Baldev Singh, s/o Harbhajan Singh r/o Vill.Sekhchack Gurnam Singh s/o Harbhajan Singh r/o Ghariyala Darbara Singh s/o Laksman Singh r/o Thatha Jaswant Singh s/o Jora Singh r/o Thatha Pratap Singh s/o Resham Singh r/o Kalsian Pargat Singh s/o Pyara Singh r/o Bhela Bhupinder Songh s/o Kuldip Singh r/o Mehadpur Bhag Singh s/o Kashmir Singh r/o Palazadi Bud Singh Pritpal Singh s/o Gurudyal Singh r/o Gagobooha Surjan Singh s/o Massa Singh, r/o Padri

7./021 8./028 9./032 10./033 11./034 12./035 13./043 14./044 15./045 16./o46 17./047
परिशिष्ट VII 625

मुठभेड़ मुठभेड़ मुठभेड़।
पुलिस पुलिस -वही- -वही- -वही- -वही- -वही- -वही- -वही- सीआरपीएफ -वही-

35/88 38/88 131/88 132/88

68/88 76/88 77/88

वीकेए-62/88 एसएलजी 34/88 एसएलजी एसएलजी 36/88 - एसएसए वीकेए वीकेए पीएस पीएस

एसएचओ
SI/SHO
एएसआई/एसएचओ
सिंह, सिंह सिंह,
सिंह
सिंह,
Karnail Mohinder Singh, SI/SHO Mohinder SI/SHO -do- Mohinder SI/SHO - do- Dara -do- Surinder -do- -do-

66/88 163/88
86/88 86/88 102/88 123/88

टीटी
Bhikiwind Valtoha Valtoha -do- Valtoha Valtoha Harike 193/88 -do- Sadar TT 146/88 Sadar -do-

11-05-88 29.06.88 29.06.88 -do- 10.08.88 22.09.88 05.11.88 -do- -do-21.12.88 -do-

Gurnam Singh s/o Jarnail Singh r/o Thatha Surjeet Singh s/o Jagga Singh Jat, R/o Ghariyala. Chanan Singh s/o Puran Singh Jat, R/o Assal Utar. Sarwan Singh s/o Gurmej Singh, R/o Assar Uttar. Amrik Singh s/o Gurmej Singh Mahajan, R/o Ratoke. Shinda s/o Sarwan Singh Jat, R/o Sur Singh, PS Bhikhwind. Karam Singh s/o Teja Singh, R/o Durgapur. Balwinder Singh s/o Darbara Singh, R/o Warian. Dalbir Singh @ Beera s/o Surjan Singh, R/o Kang. Karaz Singh s/o Suba Singh, Vill.Bhure Kane. Ramesh Singh s/o Sher Singh, r/o Bhode Khurd.

18./048 19./49 20/50 21/51 22/52 23/53 24/54 25/55 26/57 27/64 28/65

परिशिष्ट.पृष्ठ 65

626
पुलिस/अर्धसैनिक बलों के कारण मारे गए आंशिक रूप से पहचाने गए शवों की सूची
बल प्रयोग के बाद पंजाब पुलिस द्वारा शव का अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस जिला, तरन तारन, पंजाब

क्रमांक मृतक का नाम पुलिस स्टेशन पुलिस अधिकारी पोस्टमार्टम की तिथि मृत्यु का कारण
626 दाह संस्कार एवं एफआईआर क्रमांक, अनुरोध क्रमांक
दाह संस्कार के लिए

01/04 शेर सिंह @ शेरा निवासी उत्तर प्रदेश 07-08-84 सदर टी टी 230/84 राजिंदर सिंह एसआई/एसएचओ आरएस-7/84 पुलिस मुठभेड़।
राख में तब्दील
02/05 Kamaljeet Singh @ Kanwa 07-02-87 Valtoha 25/87 Mohinder Singh ASI JSC-18/87 Firarm injuries.
@ शेर सिंह निवासी हरनवाल,
पीएस डेरा बाबा नानक
03/06 Ranjeet Singh @ Fauja Singh 19-03-87 Sadar T T 50/87 Joginder Singh ASI USS-68/87 Police encounter.
माज़ाबी, निवासी तारसिका
04/07 Mangal Singh R/o Bhai Ladhoo 10-05-87 Harike 59/87 Madan Gopal ASI USS-32/87 -do-
4/27/03, 10:28 PM 05/09 Satnam Singh @ Satta 10-05-87 Harike -do- JSC-34/87 -do-
चकवालिया निवासी
06/24 गुरचरण सिंह पुत्र एन/के 13-12-87 वेरोवाल 243/87 एसआई अजीत सिंह केएस-49/87 एन/ए
07/41 Satnam Singh @ Satta @ Bitto 25-07-88 Sarhalli 124/88 ASI Sukhdev Singh KS-49/88 Police encounter.
08/56 तेजा सिंह पुत्र बेरा सिंह जाट 05-11-88 सदर टी टी 146/88 एसएचओ सुरिंदर सिंह थाना-67/88 -वही-
09/58 Major Singh @ Kala 20-11-88 City T T ASI Hakumat SIngh KS-7088 Bullet Injuries.

परिशिष्ट VII 627

चोटें। चोटें। चोटें।
मुठभेड़। मुठभेड़। चोटें। मुठभेड़। मुठभेड़।
पुलिस -वही- पुलिस और बंदूक मुठभेड़। बंदूक और पुलिस की गोलीबारी मुठभेड़। पुलिस मुठभेड़। पुलिस -वही- बंदूक -वही-

/ए
वीकेए-28/89 वीकेए-29/89 वीकेए-30/89 पीएस-19/90 एसएस-7/90 एमएस-17/90 ओएस-56/90 एन/ए एन पीएस-67/90 एके-93/90 पीके-5/90 एमएस-192/90 एमएस-194/90

एसआई/एसएचओ इंस्प इंस्प
सिंह सिंह सिंह
सिंह सिंह सिंह सिंह
Gurmej Gurmej Lakhvir Didar
ASI -do- ASI HC Surinder Balbir Singh ASI ASI Gian Singh SI Major Singh Joginder Jagdish -do. SHO Surinder Singh -do-

94/90 107/90

48/89 85/90 टी टी 118/90
टी टी
150/90 168/90

Valtoha Valtoha Valtoha Sadar T T 1/90 Harike 49/90 Valtoha City T T 160/90 Patti Patti Sadar Sadar T T 106/90 Sadar Valtoha -do-

31-05-59 31-05-89 31-05-89 03-03-90 16-07-90 05-08-90 22-08-90 2-08-90 08-09-90 22-10-90 03-11-90 06-11-90 05-11-90 -वही-

@

पटियाला
सिंह
सिंह
Major Singh S/o Kabulsingh Major Singh S/o Jagir Singh Kuljeet Singh @ Captain S/o Balwant Singh Sukhdev Suukha R/o Jania Nachhatar Singh r/o Sabhra Gurmej Singh S/o Lakhna Piara Singh R/o Tarn Taran Gurinder Singh S/o Surjeet Singh Ramgaria PS. Bikhiwind Sarwan Singh S/o Gurmukh Singh Paramjit Singh @ Sada Singh Jat R/o Kambo Nirmal Balwant Singh @ Banka R/o Pandori Sidwan Gora R/o Kamala Balan Mukhtiar Singh R/o

10/80 11/81 12/82 13/170 14/208 15/218 16/231 17/232 18/245 19/269 20/282 21/284(ए) 22/288 23/290
628 राख में तब्दील

चोटें। चोटें। चोटें।

मुठभेड़। मुठभेड़
- वही- लागू नहीं। आग्नेयास्त्र साइनाइड का सेवन। आग्नेयास्त्र -वही- पुलिस -वही- -वही- -वही- -वही- आग्नेयास्त्र पुलिस

/ए
SS-37/90 SS-37/90 PS-38/90 N HK-31/91 HK-59/91 HK-14/91 HK-28/91 HK-29/91 HK-14/91 KH-14/91 KS-36/91 GSD-37/91

सिंह
सिंह
निरीक्षक
सिंह
Jagdish Singh
Jagdish Singh
Jagdish
प्रमुख
एसएचओ/इंस्पेक्टर एसएचओ/इंस्पेक्टर -वही- एसएचओ सुरिंदर सिंह इंस्पेक्टर
- वही- -वही- -वही- -वही- -वही- -वही- प्रदीप एएसआई

116/90 116/90 57/91 49/91 टी टी टी टी टी टी
सदर सदर -वही- वाल्टोहा डीडी संख्या 2591, दिनांक 20-03-91 शहर टी टी 66/91
- वही- -वही- -वही- -वही- -वही- -वही- बिखीविंड सदर

29-11-90 29.11.90 -do- 21-03-91 09-05-91 -do- -do- -do -do- -do- -do- 21-05-91 26-05-91

चांचक जम्मू
r/o
Bundala, Ferozpur Mukhtiar Singh @ Mukha S/o Hardeep Singh Bagal Singh r/o. Hoshiar Pur Gurdeep Singh Mehra R/o Pakhoke Salwinder Singh @ Sandhu r/o Talwandi Sindhi Harjinder Singh Pehlwan Lakhwinder Singh @ Lakha R/o Takhtoo Chak Jagtar Singh R/o Bhorsi Lakhwinder Singh R/o Mogal Chak Major Singh @ Mehar Singh Lakhwinder Singh @ Lakha R/o Taktoo Chak Babu Prabh Singh Canadian Kashmir Sing R/o Kotli Nazir Pur

24/297 25/301 26/302 27/359 28/404 29/405 30/406 31/407 32/408 33/410 34/411 35/416 36/422

परिशिष्ट.पृष्ठ 65

अज्ञात शवों की सूची
पुलिस/अर्धसैनिक बलों के साथ मुठभेड़ के कारण निधन हो गया और पंजाब पुलिस द्वारा शव का अंतिम संस्कार किया गया।
पुलिस जिला: तरन तारन, पंजाब क्रम संख्या दिनांक पुलिस स्टेशन का नाम पुलिस अधिकारी द्वारा पोस्टमार्टम मृत्यु का कारण

दाह संस्कार एवं एफआईआर क्रमांक, दाह संस्कार रिपोर्ट के लिए अनुरोध क्रमांक
629 1/3 08.10.1984 भीकीविंड 412/84 एसएचओ 9/84 पुलिस मुठभेड़.
2/10 01.07.1987 झबल शिंगारा सिंह एचसी आरके-1/87 पुलिस मुठभेड़।
3/12 19.03.1987 सदर टी.टी 50/87 एएसआई, जोगिंदर सिंह वीएसएस-68/87 फायर आर्म चोट।
4/13 16.06.1987 Sadar T.T 91/87 Asi Lakhmir Singh 25 PRS/ 87 Fire arm injury.
5/14 16.06.1987 Sadar T.T 91/87 ASI Lakhmir Singh 26 PRS/87 Fire arm injury.
परिशिष्ट VII
6/15 23.08.1987 Sadar T.T 115/87 ASI Joginder Singh AKN-7/87 Fire arm inury.
7/16 08.10.1987 सरहाली 201/87 एचसी सूरत सिंह 49/पीआरएस/87 फायर आर्म चोट।
8/19 01.11.1987 झबाल 237/87 एसएचओ केएस-36/87 आग्नेयास्त्र से चोट।
9/20 01.11.1987 झबाल 237/87 एसएचओ केएस-37/87 आग्नेयास्त्र से चोट।
10/22 02.12.1987 पट्टी 172/87 एस एच ओ वीकेए-9/87 फायर आर्म चोट।
11/23 02.12.1983 पट्टी 172/87 एस एच ओ वीकेए-10/87 फायर आर्म चोट।
12/25 13.01.1988 Khemkaran 4/88 SI Harbhajan Singh 13.1.1988 Not available.
13/26 21-01-1988 सरहल्ली 9/88 इंस्पेक्टर एसएचओ दर्शन सिंह पीएस-7/88 आग्नेयास्त्र से चोट।
4/27/03, 10:28 PM 14/27 21.01.1988 सरहल्ली 9/88 -वही- पीएस 8/88 आग्नेयास्त्र से चोट।
15/29 01.03.1988 झबल 34/88 एएसआई राम नाथ एके-12/88 आग्नेयास्त्र की चोट। 16/30 28.03.1988 Khemkaran 27/88 SI Harbhajan Singh 28.3.88 Fire arm injury.
17/31 25.04.1988 Khemkaran 35/88 SI Harbhajan Singh 24.4.88 Not available.
18/36 19.05.1988 वेरोवाल 87/88 एशिया गुलजार चंद पीएस-39/88 आग्नेयास्त्र से चोटें।
19/37 19.05.1988 वेरोवाल 87/88 -वही- पीएस-40/88 आग्नेयास्त्र से चोटें। 20/38 22.05.1988 Khemkaran 46/88 SI Harbhajan Singh - Not available. 21/39 13.06.1988 खालरा 82/88 एचसी कुलवंत सिंह एसएलजी-28/88 फायर आर्म चोटें। 629
22/40 23.07.1988 सदर टी.टी 90/88 एसएचओ मोहिंदरपाल सिंह पीएस-50/88 आग्नेयास्त्र से चोटें।

630 राख में तब्दील

चोटें। चोटें। चोटें।
चोटें। मुठभेड़। मुठभेड़। मुठभेड़। मुठभेड़। मुठभेड़। मुठभेड़।
मुठभेड़। मुठभेड़। मुठभेड़। चोटें। चोटें।
मुठभेड़। मुठभेड़। मुठभेड़। मुठभेड़। हाथ हाथ
बंदूक की गोली बीएसएफ बीएसएफ बीएसएफ मुठभेड़। पुलिस मुठभेड़। पुलिस मुठभेड़। गोली से चोटें। बंदूक से चोटें। पुलिस पुलिस उपलब्ध नहीं है। गोली से चोटें। बंदूक से चोटें। बंदूक से चोटें। बंदूक से चोटें। पुलिस पुलिस पुलिस पुलिस बंदूक से चोटें। पुलिस पुलिस

VKA-89/88 13.12.88 SS-34/88 SS-35/88 SS-36/88 SS-37/88 - 18/89 HSG-8/89 HSG-9/89 HSG-10/89 - VKA-34/89 VKS-35/89 - - VKA-42/89 AK-25/89 AK-27/89 PS-22/89 PS-21/89 KS-10/89 KS-11/89 KS-12/89 KS-13/89 KS-14/89 KS-15/89 VKA-51/89 VKA-57/89 VKA-57/89

सिंह

सुरिंदर

SI Harbhajan Singh ASI Gurdeep Singh ASI Harbhajan Singh -do- -do- -do-Mohinder Singh SI/SHO SI Harbhajan Singh SI Jagdeep Singh -do- -do- ASI Joginder Singh ASI Ram Swaroop -do- SI Harbhajan Singh -do- SHO Paramjit Singh HC Hardyal Singh ASI Joginder Singh SI/SHO -do- SI Sucha Singh ASI Singara Singh -do- -do- -do- -do- SHO Baljinder Singh HC 2737 - do-

44/89
62/88 13/89 44/89
59/89 45/89 87/89
135/88 98/89 63/89
100/89

खेमकरण खालरा 139/88 झबल झबल 135/88 झबल 135/88 जाबल 135/88 वल्टोहा163/88 खेमकरण झबल झबल झबल वेरोवाल खेमकरणा खेमकरण पट्टी पट्टी 100/89 बिकीविंड सिरहाली वेरो ट्वाल सदर 4/89 ट्वाल। 48/89 सीआईए टी.टी 1 क्यू1/89 झबल 68/89 झबल 68/89 झबल 68/89 झबल 68/89 झबल 68.89 हरिके 51/89 खालरा खालरा 63/89

26.07.1988 13.12.1988 19.12.1988 19.21.1988 19.12.1988 19.12.1988 29.12.1988 13.02.1989 28.03.1989 28.03.1989 28.03.1989 04.05.1989 10.06.1989 10.06.1989 11.06.1989 11.06.1989 17.06.1989 18.06.1989 21.06.1989 24.06.1989 24.06.1989 24.06.1989 25.06.1989 25.06.1989 25.06.1989 25.06.1989 25.06.1989 03.07.1989 12.07.1989 12.07.1989

23/59 24/59 25/60 26/61 27/62 28/63 29/67 30/69 31/71 32/72 33/73 34/74 35/83 36/84 37/85 38/86 39/87 40/88 41/89 42/90 43/91 44/91 45/93 46/94 47/95 48/96 49/89 50/98 51/101 52/102

परिशिष्ट VII 631

चोटें। चोटें। चोटें। चोटें। चोटें।
मुठभेड़। मुठभेड़। मुठभेड़। मुठभेड़। मुठभेड़। मुठभेड़। मुठभेड़।
मुठभेड़। मुठभेड़। मुठभेड़। मुठभेड़। मुठभेड़। मुठभेड़।
बांह बांह बांह बांह बांह
पुलिस पुलिस पुलिस पुलिस पुलिस पुलिस गोलीबारी गोलीबारी में चोटें। गोलीबारी में चोटें। पुलिस गोलीबारी में चोटें। पुलिस गोलीबारी में चोटें। पुलिस पुलिस गोलीबारी में चोटें। गोलीबारी में चोटें। गोलीबारी में चोटें। गोलीबारी में चोटें। गोलीबारी में चोटें। गोलीबारी में चोटें। पुलिस पुलिस पुलिस गोलीबारी में चोटें। पुलिस मुठभेड़। - आग

वीकेए-58/89 बीएसवी-10/89 बीएसवी-11/89 बीएसवी-12/89 एके-39/89 एके-49/89 वीकेए-67/89 वीकेए-68/89 वीकेए-69/89 वीकेए-75/89 केएस-024/89 केएस-28/89 पीएस-46/89 एसएलजी-124/89 केएस-32/89 केएस-33/89 केएस-34/89 एसएलजी-136/89 एसएलजी-137/89 एसएलजी-138/89 एसएलजी-139/89 पीएस-51/89 पीएस-50/89 एके- 69/89 एके-70/89 केएस-56/89 केएस-57/89 आरकेएस-26/89 एसएस-24/89 एसएलजी- 5/90

सिंह

Resham
Baljinder Singh HC 2737 -do- -do- -do- SHO Surinder Singh SHO Surinder Singh SHO Ram Nath SI Harbhajan Singh -do- SHO SI Major Singh ASI Shingara Singh SHO SHO Resham Singh SHO Major Singh -do- -do- SHO - do- -do- -do- SHO Surinder Singh -do- HC Jaswant Singh -do- ASI Mohinder Singh SI/SHO SI Gursharan Singh ASI Mohinder Singh HC Ajeet Singh

75/89 75/89
82/89 77/89 2/90 164/89
63/89 122/89 122/89 104/89 104/89 140/89 132/89

खलरा खलरा 63/89 खलरा 63/89 खलरा 63/89 सिराहली सिरहाली वल्टोहा खेमकरण खेमकरण हरिके झबल झाबल सदर टी.टी. 74/89 खलरा झबल झाबल 104/89 झाबल खलरा 100/89 खलरा 104/89 खलरा 100/80/80 खलरा 100/89 सिरहल्ली सिरहल्ली 140/89 झाबल 117/89 झाबल 117/89 सदर टी.टी 87/89 झाबल बिकीविंड वेरोवाल वलथोहा

12.07.1989 12.07.1989 12.07.1989 12.07.1989 28.07.1989 28.07.1989 08.08.1989 09.08.1989 09.08.1989 11.08.1989 17.08.1989 21.08.1989 23.08.1989 24.08.1989 05.09.1989 05.09.1989 05.09.1989 14.09.1989 14.09.1989 14.09.1989 14.09.1989 20.09.1989 20.09.1989 03.10.1989 03.10.1989 12.10.1989 18.10.1989 02.11.1989 13.12.1989 08.01.1990

53/103 54/104 55/105 56/106 57/111 58/112 59/116 60/118 61/119 62/123 63/124 64/126 65/127 66/128 67/132 68/133 69/134 70/136 71/137 72/138 73/139 74/140 75/141 76/142 77/143 78/144 79/146 80/153 81/155 82/157

632 राख में तब्दील

आभार

633

हम उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपनी कहानियाँ सुनाईं।
हमें दोबारा बताने के दर्द के बावजूद। उन्होंने स्वेच्छा से हमारे सवालों और व्यवहार को सहन किया।
उनकी कहानियों की जाँच की गई। कई परिवारों ने हमें बताया कि उनसे पहले कभी किसी ने संपर्क नहीं किया था।
उन्हें हमारी यात्रा से पहले दुर्व्यवहार और सहनशीलता के अपने अनुभवों को दर्ज करने के लिए कहा गया था। परिवारों
उन्होंने आज भी पुलिस दुर्व्यवहार और प्रतिशोध की वास्तविकता के बावजूद अपनी कहानियाँ सुनाईं।
इस रिपोर्ट के लिए किए जा रहे कार्य को हम बिना सहयोग के जारी नहीं रख सकते थे।
निम्नलिखित: सरदार गुरतेज सिंह, पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी, जिन्होंने चंडीगढ़ के सेक्टर 8 में स्थित अपने घर का एक हिस्सा कमिटी के रूप में उपयोग करने के लिए दिया था।
पंजाब में गुमशुदा लोगों के समन्वय (सीसीडीपी) मुख्यालय के लिए टी; हर्षिंदर
सिंह, वह युवा वकील जिसने वकालत छोड़कर पूर्णकालिक रूप से काम करना शुरू किया।
CCDP’s data manager; Dr. (Mrs.) Sukhjeet Kaur Gill, major-general (Rtd.) Narinder
सिंह और राजविंदर सिंह बैंस, जो न केवल रखरखाव के लिए जिम्मेदार थे
न केवल योगदान और व्यय के रिकॉर्ड रखे, बल्कि स्वेच्छा से पीड़ा भी सहन की।

समिति को अपना काम जारी रखने के लिए धन जुटाने के लिए।
दर्जनों स्थानीय मुखबिरों ने हमारे साथ यात्रा करने में उत्पीड़न का जोखिम उठाया।
उन्होंने गांवों में तलाशी अभियान चलाए। उन्होंने न्याय के प्रति समर्पण की भावना से हमारी मदद की, जो
हमें उम्मीद है कि अंततः जीत हासिल होगी।
हम नई दिल्ली के अन्य मीडिया संस्थानों के विशेष रूप से आभारी हैं, जिन्होंने इस खबर को प्रसारित करने में सहयोग दिया।
इसने हमें इस खंड में निहित आंकड़ों पर शोध करने और उन्हें संकलित करने का कार्य सौंपा, जो इसके एक भाग के रूप में है।
‘नागरिक समाज पहल’ पर परियोजना।
सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने न केवल पीड़ित का प्रतिनिधित्व किया-
मानवाधिकार उल्लंघन के कई मामलों में, उन्होंने जन आयोग के समक्ष भी नेतृत्व किया।
सीसीडीपी पर प्रतिबंध लगाने की याचिका के खिलाफ उसकी कानूनी लड़ाई, पहले उच्च न्यायालय में चली।
पहले चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा की अदालतों में और फिर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मामला पेश किया गया।
इंदिरा जयसिंह दिल्ली में चल रही एकजुटता की एक सक्रिय सदस्य बनी हुई हैं। सीसीडीपी को अपने प्रयासों को जारी रखने में मदद करना। एकजुटता के अन्य सक्रिय सदस्य हैं:
Seema Misra, Usha Ramanathan, John Dayal, Patwant Singh, N. D.Pancholi, Gam
शिमरे, वृंदा ग्रोवर, ई. जॉयसन, शेवली कुमार, नाराज़ कटवाल, वेंकटेश नाइक, ई. दीनादयालन और माजा दारूवाला। हम उनके नेतृत्व और समर्थन के लिए आभारी हैं।
पत्तन।
हार्वर्ड लॉ स्कूल के मानवाधिकार कार्यक्रम ने हमें अपनी सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति दी।
रिपोर्ट का अंतिम मसौदा पूरा करें। हम प्रोफेसर हेनरी जे. स्टीनर के आभारी हैं।
जेम्स कैवल्लारो और पीटर रोसेनब्लम, निदेशक, सह निदेशक और नैदानिक निदेशक-कार्यक्रम के रेक्टर।
प्रिया जैन और दीपा जैन ने घटना रिपोर्ट का सारांश तैयार करने में मदद की। कवर को मार्लिन टैड्रोस और हेंड्रिक वैन डेर बर्ज द्वारा डिजाइन किया गया है
वे हमारी वेबसाइट www.punjabjustice.org के प्रबंधक भी हैं।
हम इंग्लैंड में मानवाधिकार समुदाय के अपने मित्रों के प्रति आभारी हैं, अमेरिका और कनाडा के जिन लोगों ने पांडुलिपि के विभिन्न भागों को पढ़ा और उनका उपयोग किया-
634 राख में तब्दील

अंतिम टाइपस्क्रिप्ट तैयार करने में मदद करने के लिए अब्राहम, मोना और नेगिजी को धन्यवाद।

तपन बोस, दक्षिण एशिया मानवाधिकार मंच (एसएएफएचआर) के महासचिव,
वह पंजाब पर सूचना और पहल समिति के संस्थापक सदस्य हैं।
जो 1988 से पंजाब में मानवाधिकार अनुसंधान में अग्रणी रहा है और सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय मानवाधिकार न्यायालय के समक्ष मुकदमेबाजी को बरकरार रखा।
अवैध दाह संस्कार के मामले में आयोग। एसएएफएचआर ने न केवल...
रिपोर्ट प्रकाशित करने का कार्य तो सौंपा ही गया था, साथ ही इसके प्रकाशन के बाद की कार्यवाही का समन्वय करने का कार्य भी सौंपा गया था।
सीसीडीपी आभारी है।